सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय

७

(जून-दिसम्बर १९०७)

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

भारत सरकार

अगस्त १९६२ (श्रावण १८८४ शक)

साढ़े सात रुपये

निदेशक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली – ६ द्वारा प्रकाशित
और जीवणजी डाह्याभाई देसाई, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद – १४ द्वारा मुद्रित

भूमिका

इस खण्डमे १९०७ के जूनसे दिसम्बर तक के सात महीनोकी सामग्री दी गई है। ट्रान्सवाल एशियाई पजीयन अधिनियम, जो उपनिवेश मन्त्री द्वारा अस्वीकृत अध्यादेशके स्थानमे बनाया गया था, जैसा हम देख चुके है, २१ मार्चको ट्रान्सवाल ससद द्वारा एक ही दिनकी बैठकमे पास कर दिया गया था। उसपर ८ जूनको सम्राटने स्वीकृति दे दी थी और वह १ जुलाईको लागू कर दिया गया था। इस 'खूनी कानून' के विरुद्ध भारतीय समाजका सघर्ष, जो पुराने एम्पायर नाटकघरमे ११ सितम्बर १९०६ को एक विराट सार्वजनिक सभामे आरम्भ किया गया था, अब अनाक्रामक प्रतिरोध समिति द्वारा चलाया जाने लगा। यह समिति इस कार्यके लिए विशेष रूपमे बनाई गई अस्थायी सस्था थी।

गाधीजीने कानून बननेसे पहले ट्रान्सवालके भारतीयोकी स्थितिकी तुलना उसके बननेके बादकी स्थितिसे करते हुए कहा था "सारा ट्रान्सवाल ही एक जलील जेलखाना बन जायेगा। नया कानून एशियाइयोको जिस दु खद स्थितिमे ला पटकता है, वह सिर्फ उन लोगोको ही नही दिखाई दे सकती, जो शक्तिके मदमे चूर है।" (पृष्ठ १९)। कानूनने भारतीयोपर जो कलक लगा दिया है उसे उसके अन्तर्गत बने विनियम मिटा नही सकते। यह कानून इसलिए घृणित नही था कि इसके अन्तर्गत अँगुलियोके निशान लिये जाते बल्कि इसलिए था कि वह भारतीयोको ऐसा करनेके लिए बाध्य करता था और उसका इरादा जानबूझकर समाजका अपमान करना था। वह "उनके पौरुषके लिए अपमानजनक और उनके धर्मके हकमे घृणित" था। (पृष्ठ २१५)। गाधीजीने प्रस्ताव किया कि यदि कानून रद कर दिया जाये तो वे समझौतेके रूपमे स्वेच्छया पजीयन मान लेगे। यह प्रस्ताव स्वीकार नही किया गया और इसलिए इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नही रहा कि "वे उस उच्चतर धर्मके आगे सिर झुकाये जो मानवजातिको आत्मसम्मान और सचाई तथा गम्भीरतासे की हुई घोषणाओका आदर करनेका आदेश देता है।" (पृष्ठ २३६)। इस उच्चतर धर्मकी शरण लेनेके लिए गाधीजीने ट्रान्सवाल सरकारके 'खूनी कानून' का अनाक्रामक प्रतिरोध करनेका परामर्श दिया।

किन्तु गाधीजीके लिए अनाक्रामक प्रतिरोध केवल प्रभावकारी राजनीतिक कारवाईका एक रूप नही था, जैसा कि वह मताधिकारके लिए सघर्ष करनेवाली ब्रिटिश महिलाओके लिए था, जिनका प्रशसात्मक उल्लेख गाधीजीने दक्षिण आफ्रिकी भारतीयोमे आत्म-सम्मानका भाव भरने और साहस उत्पन्न करनेका प्रयत्न करते हुए अनेक बार किया था। उन्होने अनाक्रामक प्रतिरोधमे नैतिक और आध्यात्मिक तत्त्वका समावेश किया और थोरोके 'सविनय अवज्ञा' सम्बन्धी प्रबन्धमे अपने सिद्धान्तोका समर्थन देखकर उसे अग्रेजी और गुजराती दोनोमे सक्षिप्त किया। किन्तु उन्होने 'अनाक्रामक प्रतिरोध' शब्दोको अपर्याप्त और भ्रामक पाया। उन्होने कहा कि भारतीयोका आन्दोलन "वस्तुत प्रतिरोध नही, बल्कि सामूहिक कष्ट-सहनकी नीति है।" (पृष्ठ ६७)। कानूनके विरोधका परिणाम होता जुर्माना। लेकिन भारतीय जुर्माना देनेके बजाय जेल जानेको तैयार थे। अगर परवाने नही मिलते तो वे बिना परवाने व्यापार करते। भारतीय कानून तोडनेके परिणाम जानते थे और उन्हे "शान्तिपूर्ण गौरव और समर्पणके भावसे" (पृष्ठ ८८) सहन करनेको तैयार थे। गाधीजी चाहते थे कि अनाक्रामक

प्रतिरोध, जिस रूपमे उन्होने उसकी कल्पना की थी, धार्मिक शिक्षाका साधन बन जाये। यदि सत्य और न्यायकी माग पूरी करनेके लिए मानव निर्मित कानूनको भग करना पडे तो वह सत्यपर ईमानदारीसे आरूढ रहकर किया जाना चाहिए। एक अनुचित कानूनको भग करते हुए स्वय भारतीय समाजको अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवनकी अनेक स्पष्ट बुराइयोसे मुक्त होनेका प्रयत्न करना चाहिए और लगातार ईश्वरीय काननके आदेशाके अनुसार जीवन बिताना सीखना चाहिए।

गाधीजी अपने आदोलनके आध्यात्मिक तत्त्वपर जो जोर देना चाहते थे वह 'अनाक्रामक प्रतिरोध' शब्दासे स्पष्ट नही होता था। वे यह भी अनुभव करते थे कि भारतीयोको अपने आत्मसम्मानके लिए अपनी भाषाका उपयोग निपुणतासे करना आना चाहिए। इसलिए 'इडियन ओपिनियन' ने उन शब्दोका कोई उपयुक्त भारतीय समानार्थक शब्द बतानेके लिए पुरस्कारकी घोषणा की। मगनलाल गाधीने 'सदाग्रह' शब्द सुझाया जिसे गाधीजीने बदलकर 'सत्याग्रह' कर दिया। यह एक उपयुक्त शब्द सिद्ध हुआ, क्योकि यह गाधीजीकी जीवन भरकी सम्पूर्ण सत्यकी खोजका प्रतीक बन गया।

सघर्षके फलितार्थो और महत्त्वको पूरी तरहसे जानते हुए, गाधीजी 'इडियन ओपिनियन' मे सप्ताह प्रति-सप्ताह अपने आन्तरिक विचारोको उडेलते गये। इस प्रकार 'इडियन ओपिनियन' "भारतीय समाजके तत्कालीन इतिहासका सच्चा दर्पण बन गया", ('सत्याग्रह इन साउथ आफ्रिका, अध्याय २०)। उन्होंने सघर्षके प्रत्येक अगकी, उसके कारणो और परिणामोकी, उसकी प्रविधियो और कार्य-विधियोकी एव असफलता और सफलताकी सम्भावनाओकी, विशेष रूपसे गुजराती लेखोमे, विस्तारसे चर्चा की। उन्होने ईसा और थोरो एव प्राचीन भारतीय वीर-गाथाओमे आये हुए बुराईका प्रतिरोध करनेवाले वीरोसे ही प्रेरणा लेनेका प्रयत्न नही किया, बल्कि अपने समयकी मताधिकार आदोलन करनेवाली महिलाओ, ईसाई रूढि-विरोधियो, सिन-फेन दलके सदस्यो और बोअरोसे भी प्रेरणा ली थी।

पजीयन कार्यालयोपर धरना विधिवत् सगठित किया गया, वह शान्तिपूर्ण और सब प्रकारके 'रोष प्रदर्शन' से मुक्त था। उससे कटु भाषासे वैसे ही दूर रहना था जैसे शारीरिक बल प्रयोगसे। जो लोग एशियाई अधिनियमके जुएको टालना चाहते थे, उन्हें इस बातकी भी फिक्र करनी थी कि वे अपने विरोधियोपर नामसझी-भरी धौस और धमकियोके रूपमे कही उससे भी भारी जुआ न डाल दे (पृ० २५८)। धरना प्रभावकारी था — पजीयन कार्यालय नगर-नगर गया, किन्तु बहिष्कारके कारण बेकार रहा। समाजके पाँच प्रतिशतसे कम लोगोने 'गुलामीका चिट्ठा' लिया, यद्यपि पजीयनकी अवधि अनेक बार बढाई गई। गद्दारोके, जो 'पियानो बजानेवाले' कहे जाते थे, नाम 'इडियन ओपिनियन' मे छापे गये। इसका उद्देश्य जितना कायरोको लज्जित करना था उतना ही दूसरोको चेतावनी देना भी था। भय दिलानेकी अपेक्षा आत्मसम्मान अधिक जगाया जाता था। जब भारतीयोके एक दलने आत्म समर्पणका प्रस्ताव पास किया तब गाधीजीने ४,५०० से अधिक भारतीयोके हस्ताक्षरोसे एक "भीमकाय प्रार्थनापत्र" देनेका विचार किया और उसको कार्यान्वित किया। इससे स्पष्ट हो गया कि भारतीयोंका बहुत बडा भाग कानूनका विरोधी था।

गाधीजीने ब्रिटिश भारतीय सघ, हमीदिया इस्लामिया अजुमन और चीनी सघकी अनेक सभाओंमें भाषण दिये। वे यूरोपीयोंके छोटे-छोटे समूहोमें बोले और खुले मैदानमे

की गई भारतीयोकी विराट सावजनिक सभाओमे भी। जब सघष पूरे जोरपर था तब भी उन्होने आदोलनके अधिक प्रचलित तरीकोको जारी रखा। उन्होने दक्षिण आफ्रिका, भारत और इग्लैण्डके प्रमुख लोगोको पत्र लिखे। लदनमे दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति आवेदन-निवेदनकी और लोक-शिक्षणकी प्रमुख साधन बनी रही। इस खण्डमे ऐसे पत्रोके, जो उन्होने गलतफहमी दूर करने, गलतबयानियोका खण्डन करने और अपने कायके प्रति सहानुभूति जगानेका धैयपूण, सावधानतापूण ओर अथक प्रयत्न करते हुए लिखे, कई उदाहरण है। वषके अतमे वे यह लिख सके कि 'गोरोके सारे अखबार सरकारको बहुत फटकारते है और भारतीयोकी जय बोलते है" (पष्ठ ४४१)।

उन्होने यह स्पष्ट देखा कि सघषके उद्देश्य और तरीकोका महत्त्व स्थानीय या अस्थायीसे अधिक हे, और वे जानते थे कि उनका महत्त्व सब स्थानोके मनुष्योके लिए हे। "टान्सवालके भारतीय एक बद खून गिराये बिना ही मानव जातिको विस्मित कर देगे" (पष्ठ ११९) ओर ब्रिटिश राजनीतिज्ञताकी यह एक खरी कसौटी थी साम्राज्यका हाथ सबल गोरोमे निबल भारतीयोकी रक्षा करेगा अथवा दुबलो और असहायोको कुचलनेमे अत्याचारीके हाथोको मजबूत करेगा? (पृष्ठ ८८)। किन्तु अब भी ब्रिटिश सस्थाओमे गाधीजीका विश्वास डिगा नही था, उन्होने लिखा "मैने जिन बातोको इस साम्राज्यकी खूबी समझा हे उनके कारण मै अपनेको उसका भक्त मानता हूँ। इसीलिए मैने यह देखकर — चाहे मेरा देखना सही हो या गलत — कि एशियाई कानून सशोधन अधिनियममे साम्राज्यके लिए खतरेके बीज छिपे हुए है, अपने देशवासियोको किसी भी कीमतपर, अत्यत शान्तिपूण और, कहूँ तो, शिष्ट ढगसे इस अधिनियमका विरोध करनेकी सलाह दी है" (पष्ठ ४०५)।

किन्तु टान्सवालकी सरकारने इन अपीलोपर कोई कारवाई नही की। दिसम्बरम, जिस दिन ट्रान्सवाल प्रवासी अधिनियमपर सम्राट्की स्वीकृति 'गजट' मे प्रकाशित की गई, उसी दिन जनरल स्मटसने गाधीजी और अन्य नेताओपर मुकदमे चलानेका निश्चय किया। गाधीजीने इस बातका यह मानकर स्वागत किया कि "वास्तवमे यही एक तरीका है जिसमे एशियाई भावनाकी व्यापकता और असलियतकी परख हो सकती है" (पष्ठ ४६५)।

न्यायालयमे चलाये गये वे मुकदमे, जिनमे अब गाधीजी अधिकाशत अनाक्रामक प्रतिरोधियोके बचावके लिए खडे हुए, उनके धधे और सावजनिक जीवनकी एक नई अवस्थाके सूचक है। एक चतुर वकील होनेके कारण, वे विरोधी कानूनोकी खुली चुनौतीका उपयोग लोकमत शिक्षणके साधनके रूपमे कर सके। उन्होने अपने मुवक्किलोको परामश दिया कि वे अपनेको निर्दोष बताये, ताकि अदालत उनके अपने मुखसे ही सुन सके कि उन्हे क्या कहना है (पृष्ठ ४६३)। इन मुकदमोने उनके आदोलनका अबतक के सब प्राथनापत्रो और शिष्टमण्डलोकी अपेक्षा अधिक प्रचार किया। इनसे साम्राज्य सरकार जाग्रत होने और उन घटनाओको देखनेके लिए बाध्य हो गई, जो विश्वके इतिहासमे सबसे अधिक सभ्य होनेका दावा करनेवाले साम्राज्यके नागरिकोके साथ घटित हो रही थी।

पाठकोको सूचना

विभिन्न अधिकारियोको लिखे गये प्राथनापत्र और निवेदन, अखबारोको भेजे गये पत्र और सभाओमे स्वीकृत किये गये प्रस्ताव जो इस खण्डमे सम्मिलित किये गये है उनको गाधीजीका लिखा माननेके कारण वैसे ही है जैसे कि खण्ड १ की भूमिकामे दिये जा चुके है। जहा किसी लेखको सम्मिलित करनेके विशेष कारण है वहा वे पाद टिप्पणीमे बता दिये गये है। 'इडियन ओपिनियन' मे प्रकाशित गाधीजीके लेख, जिनपर उनके हस्ताक्षर नही है, उनके आत्मकथा सम्बधी लेखोके सामान्य साक्षी, उनके सहयोगी श्री छगनलाल गाधी और हेनरी एस० एल० पोलककी सम्मति और अय उपलब्ध प्रमाण सामग्रीके आधारपर पहचाने गये है।

अग्रेजी और गुजरातीमे अनुवाद करनेमे अनुवादको मूलके समीप रखनेका पूरा प्रयत्न किया गया है। किन्तु साथ ही अनुवादकी भाषा सुपाठ्य बनानेका भी पूरा ध्यान रखा गया है। अनुवाद छापेकी स्पष्ट भूले सुधारनेके बाद किया गया है और मूलमे व्यवहृत शब्दोके सक्षिप्त रूप यथासम्भव पूरे करके दिये गये है। यह ध्यान रखा गया है कि नामोको सामान्यत जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाये। जिन नामोके उच्चारण सन्दिग्ध ह उनको वैसा ही लिखा गया है जैसा गाधीजीने अपने गुजराती लेखोमे लिखा है।

मूल सामग्रीके बीचमे चौकोर कोष्ठकोमे दी गई सामग्री सम्पादकीय है। गाधीजीने किसी लेख, भाषण, वक्तव्य आदिका जो अश मूल रूपम उद्धत किया है, वह हाशिया छोडकर गहरी स्याहीमे छापा गया है, लेकिन यदि ऐसा कोई अश अनूदित करके दिया है तो उसका हिन्दी अनुवाद हाशिया छोडकर, साधारण टाइपमे ही छापा गया है। इस खण्डमे उपलब्ध भाषणोके परोक्ष विवरण ओर न्यायालयोके काय-विवरण तथा वे शब्द, जो गाधीजीके कहे हुए नही है, विना हाशिया छोडे, गहरी स्याहीमे छापे गये है।

शीषकोकी लेखन तिथिया जहा उपलब्ध है वहा दाये कोनेमे ऊपर दे दी गई है, किन्तु जहा वे उपलब्ध नही है वहा उनकी पूर्ति अनुमानत चौकोर कोष्ठकोमे की गई है और जहा आवश्यक हुआ है, उसका कारण स्पष्ट कर दिया गया है। शीषकोके अन्तमे सूत्रके साथ दी गई तिथियाँ प्रकाशन की है।

'सत्यना प्रयोगो अथवा आत्मकथा' और 'दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनो इतिहास' के अनेक सस्करण होनेसे उनकी पृष्ठ सख्याएँ विभिन्न है, इसलिए हवाला देनमे केवल उनके भाग और अध्यायका ही उल्लेख किया गया है।

साधन सूत्रोमे एस० एन० सकेत साबरमती सग्रहालय, अहमदाबादमे उपलब्ध सामग्रीका, जी० एन० गाधी स्मारक निधि और सग्रहालय, नई दिल्लीमे उपलब्ध कागजपत्रोका और सी० डब्ल्यू० कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाधी (सम्पूण गाधी वाड्मय) द्वारा सगहीत पत्रोका सूचक है। सूत्र पक्तिमे कभी-कभी शब्दोंके सक्षिप्त रूप मिलते है उनमे सी० ओ० कलोनियल ऑफिसका और जे० ऐड पी० ज्युडिशियल और पब्लिक रेकर्डसका सक्षिप्त रूप है।

पृष्ठभूमिका परिचय देनेके लिए मूलसे सम्बद्ध कुछ सामग्री परिशिष्टोमे दे दी गई है। अन्तमे साधन-सूत्रोकी सूची और इस खण्डमे सम्बन्धित कालकी तारीखवार घटनाएँ दी गई है।

आभार

इस खण्डकी सामग्रीके लिए, हम साबरमती आश्रम सरक्षक तथा स्मारक ट्रस्ट और सग्रहालय, गुजरात विद्यापीठ ग्रन्थालय, और नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद, गाधी स्मारक निधि तथा सग्रहालय, नई दिल्ली, भारत सेवक समिति, पूना, कलोनियल आफिस पुस्तकालय, तथा इडिया ऑफिस पुस्तकालय, लन्दन, फीनिक्स आश्रम डबन, प्रिटोरिया आकाद्व्ज, प्रिटोरिया, श्री छगनलाल गाधी, अहमदाबाद, श्री अरुण गाधी बम्बई, और 'इडियन ओपिनियन', 'रड डेली मेल', 'स्टार' और 'ट्रान्सवाल लीडर' समाचारपत्रोके आभारी है।

अनुसधान और सदभकी सुविधाओके लिए अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी पुस्तकालय, गाधी स्मारक सग्रहालय, इडियन कोसिल आफ वल्ड अफेयस पुस्तकालय, ओर सूचना एव प्रसार मत्रालयके अनुसधान और सदभ विभाग, नई दिल्ली, साबरमती सग्रहालय और गुजरात विद्यापीठ ग्रथालय, अहमदाबाद, सावजनिक पुस्तकालय, जोहानिसबग, और ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तकालय, लन्दन हमारे धन्यवादके पात्र ह।

विषय-सूची

चित्र-सूची

१ जूरियोकी कसौटी

इस पत्रने जन्मसे ही अपनी प्रवत्तियोको प्रयत्नपूवक दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोपर असर करनेवाले प्रश्नो तक सीमित रखा है। हमारी धारणा है कि पत्रकारिताकी दष्टिसे दूसरे प्रश्न चाहे जितने वाञ्छनीय हो, हमे अपनी मर्यादा स्वीकार करनी चाहिए और उच्चस्तरीय नीतिसे सम्बद्ध अथवा ऐसे प्रश्नोमे, जिनका इस देशके भारतीयोसे कोई सीधा सम्बन्ध नही है, दखल नही देना चाहिए।

लेकिन हर नियमके अपवाद होते है। हमे लगता हे कि अगर हम सुप्रसिद्ध एमटोगाके मुकदमेपर[1], जिसकी ओर आज लोगोका ध्यान इतना अधिक आकृष्ट है, कुछ नही कहते तो अपने पेशेके प्रति वफादार नही होगे। यह विपय वतनी नीतिके मचसे उठकर मानवताके प्रश्नको स्पश करता है और किसी हद तक इसमे निहित सिद्धान्त भारतीयोपर भी लागू होते ह। इसलिए हम 'नेटाल मक्युरी' मे प्रकाशित एक अत्यन्त तकपूण ओर सहृदय अग्रलेखका कुछ अश सहष उद्धत करते है। यह जूरी प्रणालीपर, विशेषकर उस अवस्थामे जब वह गोरो और कालोके बीच हुए मुकदमोपर लागू होती हे, एक खुला आरोप है। हम अपने सहयोगीसे वतनी लोगोके प्रति खास दुव्यवहार करनेके उस आरोपका खण्डन करनेमे सहमत है, जो कुछ क्षेत्रोमे नेटालक विरुद्ध लगाया गया है और जिसका आधार एमटोगाके मुकदमेमे न्यायका गला घोटा जाना है। हमारा विश्वास हे कि नेटालमे जो-कुछ हुआ, वह वैसी ही परि-स्थितियोमे दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी हिस्सेमे या दक्षिण आफ्रिका जैसी स्थितियोवाले किसी अन्य देशमे भी हो सकता है। राग-द्वेष और पूवग्रहोसे ग्रसित जूरियोके सम्बन्धमे दूसरे देशोके मुकाबले नेटालका कोई एकाधिपत्य नही है। लेकिन इस बातसे कि दक्षिण आफ्रिकामे एमटोगाके मुकदमे जैसी बाते घटित होती है, जनताकी अन्तरात्माको जागना चाहिए, और जिन लोगोको दक्षिण आफ्रिकाकी कीर्तिका खयाल है उन्हे सोचना चाहिए कि क्या अब जूरी-पद्धतिके बारेमे अपने विचार बदलनेका समय नही आ पहुँचा। दक्षिण आफ्रिका जैसे देशमे, जहा कोई आरामतलब वग नही है और जहा सभी देशोके लोग इकटठे होते है, न्याय-प्रशासनके लिए जिन पद्धतियोकी व्यवस्था की जा सकती थी उनमे जूरी प्रणाली लगभग सबसे बुरी है। जूरी-प्रणालीकी सफलताकी बुनियादी शत यह है कि अभियुक्तके अपराधकी जाच उसकी बराबरीके लोग करे। और यह मानना मनुष्यकी बुद्धिकी तौहीन करना होगा कि दक्षिण आफ्रिकामे, जब प्रश्न गोरो और कालोके बीचका हो, अपराधकी ऐसी भी कोई जाच होती है।

जो लोग सचाईको तौलना नही जानते और अपने सामने प्रस्तुत बातोपर सन्तुलित मस्तिष्कसे विचार नही कर सकते वे भावनाके अतिरेकमे, सम्भवत, किसी सही निष्कषपर नही पहुँच सकते। लिवरपूल एक सुव्यवस्थित और पुराना स्थान है, जहा एक-जैसे लोग बसते है और उनकी अपनी परम्पराएँ है, जिनके अनुसार वे आचरण कर सकते है। लेकिन

१ एमटोगा एक आफ्रिकी था जिसे कुछ लोगोने एक अपराधके सदेहमें पीटा था। बादमें उस पर मुकदमा चलाया गया तो जूरीके सदस्योने उसे दोषी ठहराया। लेकिन गवर्नरने उसे निर्दोष मानकर छोड़ दिया।

वहा भी श्रीमती एम० हेब्रिकके मुक्दमेका निणय करनेके लिए स्वर्गीय न्यायमर्ति स्टीफेनके समान योग्य न्यायाधीशकी आवश्यकता पडी थी। तब दक्षिण आफ्रिका जैसे देशमे, जहा अभी विभिन्न राष्टीयताएँ घुलने मिलनेकी प्रक्रियामे ही गुजर रही है और दक्षिण आफ्रिकी राष्ट्रका उदय अब भी धुधल और सुदूर भविष्यक गभमे छिपा हुआ हे, जूरियासे कोई सन्तोप कैसे प्राप्त हो सकता हे? जहा समानताकी कोई बुनियाद नही, वहा हम समानताके पुजारी नही है। यह सम्भव है कि ऐसे मुकदमाम, जहा सवाल गोरा और कालोका हो, जूरी पद्धतिका समाप्त करनके किसी भी प्रयत्नका झूठी समानताकी दुहाई देकर विरोध किया जायेगा। हमारी धारणा है कि कोई भी वतनी या रगदार जातिका व्यक्ति, जो इस प्रकारका रुख अख्तियार करता हे, सच्ची समानताको नही जानता। आज उनके द्वारा, या उनके लिए, तकसम्मत ढगसे जो कुछ मागा जा सक्ता हे वह है कानूनकी दष्टिमे समानताका हक। यूरोपके विभिन्न भागासे आनेवाले गारे कोई साम्राज्य प्रेम लेकर दक्षिण आफ्रिका नही आते। ऐसे गोरोसे, जहाँतक उनके और उन लागोके बीचकी बात हे, जिन्हे वे अपनेसे हीन समझते है, न तो साम्राज्यीय दायित्वाके बारेमे सोचनेकी अपक्षा की जा सकती और न ही न्याय तथा समान अधिकारकी किन्ही अन्य मान्यताआके बारमे। यदि वे, उनके अन्दर मानवताकी जो भी भावना हो, उसकी प्रेरणापर कुछ करत है तो वह बात अलग है।

इसलिए हम आशा है कि कोइ भी रगदार व्यक्ति या एशियाई — क्योकि हमारी बात एशियाइयोपर भी उसी तरह लागू होती है जिस तरह दूसरी रगदार जातियाके लोगापर — उस आन्दोलनका विरोध करनेकी बात कभी नही सोचेगा जिसे नेटालके अखबाराने सवथा स्वार्थरहित और न्यायपूण भावनाओसे प्रेरित होकर, जूरियो द्वारा यूरोपीया और काली जातियाके बीच न्याय करनेके तरीकेका खत्म करनेके लिए प्रारम्भ किया हे। अगर जूरियो द्वारा फैसले किये जानका तरीका हमेशाके लिए खत्म हो जाये तो यह सचमुच एक बहुत बडी बात होगी, लेकिन यह एक इतना पुराना वहम है कि जन मतसे इसका सवथा परित्याग कर दनेकी आशा करना कठिन है। और न यही सम्भव है कि, जहातक सिफ गोराका सवाल है, इस प्रणालीके विरुद्ध कोई जोरदार तक पेश किया जा सके।

हम विश्वास है कि अगर इस विपयको वही छोड दिया गया, जहा अखबाराने छोड दिया है, तो इसका कोई परिणाम नही निकलेगा। दक्षिण आफ्रिकाके गिरजाको वहाके मूल निवासियाके हिताका — हम उन्हे अधिकार नही कहेगे — सरक्षक माना जाता है सो ठीक ही, और हालाकि नात्विक सवाल नेटालमे उठा है, हम लगता हे कि गिरजामे भी इसके साथ साथ आन्दोलन होना चाहिए तथा सम्बन्धित दक्षिण आफ्रिकी सरकाराके पास अलग अलग प्रार्थनापत्र भेजना चाहिए कि गोरे और रगदार लोगोके बीच जूरिया द्वारा न्यायकी पद्धतिका बन्द कर दिया जाये। हमारा यह भी विचार है कि गिरजा द्वारा किये हुए ऐसे आन्दोलनको दक्षिण आफ्रिकाके वतनी और रगदार समुदायाका समथन बडे पैमानेपर मिलना चाहिए।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १–६–१९०७

२ वीर क्या करे?

कदम आगे बढाओ! अब देर मत करो!

आज उठेंगे, कल उठेंगे, कहकर दिन मत बढाओ। सोचते–सोचते मागमे बडे विघ्न आ जाते ह। कुटुम्बकी माया कसे छूट सकती है, कुटुम्बका क्या होगा, इस तरहके विचारोमें जो फँसा रहता है वह बिलकुल स्त्रण है। वह रणमे क्या जायगा? जबतक वह इधर विचारोमे ही डूबा हुआ है, उधर शत्रु छापा मार देगा और तब वह घबडा जायेगा, रक्षा करना भारी पड जायेगा। आग लगनेपर कुआ खोदनेवाला पश्चात बुद्धि कहलाता है। बाढ आ जानेपर बाध बनानेवालेको क्या कभी सफलता मिलेगी?

इसलिए सजधजकर एक साथ रणमे लडने चलो। शत्रुके सामने अपना भाला लेकर डट जाओ और उसे ललकारो।

ट्रान्सवालका नया कानून अब भी धूम धडाका मचाये हुए हे। कहावत तो ऐसी हे कि जो गरजता हे सो बरसता नही, और जो भोकता हं सो काटता नही। किन्तु इसमे शक नही कि नया कानून तो जैसा गरज रहा हे, वैसा बरसेगा भी। जनरल बोथाके[२] आते ही, सम्भव हे, वह 'गजट' मे प्रकाशित हो जायेगा। अत इस कानूनके खिलाफ जेलके प्रस्तावके[३] रूपमे जो लडाई चल रही हे उसपर ओर अधिक विचार करे।

उपयुक्त भजन देखेगे तो उसमे कवि कहता हे कि साहसका काम करते समय विचारके फेरमे पडना बेकार है। युद्धमे कूदनेवाले इस बातका विचार नही करते कि कुटुम्बका क्या होगा, व्यापारका क्या होगा। भारतीय जनता केवल ईश्वरपर ही भरोसा रखनेवाली है। हमने उसी ईश्वरके सामने शपथ लेकर नये कानूनके सामने न झुकनेका निणय किया है। वह निणय करनेके पहले विचार करना योग्य था और वह विचार किया

१ मूल गुजराती गीत इस प्रकार है

पगला भरवा माडो रे!
हवे नव वार लगाडो रे!
आज ऊठशु काल ऊठशु,
लम्बावो नहि दहाडा,
विचार करतां विघनो मोटा,
वचमा आवे आडा,
कुटुंब माया क्यम छोडाये,
कुटुंबनुं क्यम थाशे,
एम फस्यो ते जनानी पूरो,
रणमा शुं पछी जाशे?
विचार करता खालो पडता,
शतरू छापो मारे,
बचाव करवो गभरातां ते,
पछी पडे थई भारे,
आग लागते कुवो खोदवो,
पच्छम बुद्धिया थावु,
पाणी आवे पाल बाँधवी,
तेमा ते शु फा्यु?
सजी करीने सहु जण साथे
रणमां लडवा चालो,
शतरूनी सामे रही ऊभा
धुरकावीने भालो।

२ लुई बोथा, १९०७ १० में ट्रान्सवालके और १९१० १९ में दक्षिण आफ्रिका मघके प्रधानमन्त्री।

३ सितम्बर १९०६ का प्रसिद्ध चौथा प्रस्ताव, देखिए खण्ड ५ पृष्ठ ४३४।

भी गया। अब विचार करनेका समय नही रहा। अब तो जो निश्चय किया गया है उसपर दृढ रहनेका समय आ गया है। शेख सादी[1] 'गुलिस्ताँ'मे कह गये है कि मनुष्य जितना विचार अपनी रोजीके बारेमे करता है, उतना ही यदि रोजी देनेवालेके बारेमे करे तो निस्सन्देह स्वर्गमे उसका स्थान फरिश्तासे भी ऊँचा हो जायेगा। उसी प्रकार इस बार हमे रोजी, कुटुम्ब या व्यापारका विचार करनेके बजाय उन सबको पालनेवाले, उनका उत्कर्ष करनेवालेका विचार करके अगीकार किये हुए कामको पूरा करना है। सब छोड दे, किन्तु सबके अन्तरमे रहनेवाले परमेश्वरपर भरोसा रखकर यदि हम कोई काम करेगे तो वह मालिक हमे कभी नही छोडेगा।

अब हम अपने राज्यकर्ताओका उदाहरण ले। जब बोअर लोगोने महान ब्रिटिश प्रजासे युद्ध शुरू किया था, स्वर्गीय क्रूगरने[2] अपने कुटुम्ब या अपनी दौलतका विचार नही किया। जनरल जुबर्ट लडते लडते मरे। जनरल स्मट्स[3] भी लडे थे। डॉ० क्राउज़ने[4] दो वर्षकी कैद भोगी, उनकी जोहानिसबर्गकी जायदाद बर्बाद हो गई। श्री डी'विलियर्स, जो इस समय मुख्य न्यायाधीश है, कैद भोग चुके है। उनके पैरमे गोलिया लगी थी। जनरल बोथा स्वय आखिरी समय तक लडे थे। बोअर औरते भी बहुत-से कष्ट सहन करते हुए शान्त बैठी रही। वे अपने अपने बच्चो और पतियोको हिम्मत देती थी। इससे आज वे अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा गये है।

अग्रेज स्वय भी क्या करते आये है, यह हम जानते है। जान हैम्डनने[5] बर्बाद होकर लोगोके दुख दूर किये। लॉर्ड कालिन कैम्बल[6] थका मादा चीनसे आया था। हुक्म मिलते ही वह १८५८ मे फिर रवाना हो गया। उसने घडी-भर भी आराम नही किया। लार्ड जॉर्ज हैमिल्टनके[7] आठ निकटवर्ती रिश्तेदार बोअर युद्धमे उपस्थित थे। प्रधान मन्त्री स्वर्गीय लॉर्ड सैलिस्बरीका[8] लडका मेफेकिंगमे[9] घिर गया था। लार्ड राबर्टसका[10] इकलौता लडका युद्धमे मारा गया, और आज उनका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नही है।

ट्रान्सवालके भारतीय समाजको जो-कुछ भी करना है, वह इन उदाहरणोके सामने कुछ नही है। हमे राज्यका विरोध नही करना है, न हमे हथियार लेकर ही लडना है। हमे

१ शेख मुस्लिहुद्दीन सादी (११८४ १२९२), प्रसिद्ध फारसी कवि, गुलिस्ताँ और बोस्ताँके लेखक।

२ ट्रान्सवालके राष्ट्रपति (१८८३ १९००) देखिए खण्ड ४, पृष्ठ २४३ ४।

३ उपनिवेश सचिव, १९०७ १० दक्षिण आफ्रिका सघके प्रधानमन्त्री, १९१९ २४।

४ जोहानिसबर्गके सरकारी वकील, आत्मकथा (भाग २ अध्याय १३) में गांधीजीने इनके विषयमें लिखा है।

५ (१५९४ १६४३), अंग्रेज देशभक्त और संसदीय अधिकारोंके समर्थक, देखिए, खण्ड ५ पृष्ठ ४८९।

६ (१७९२ १८६३), १९५३ ५६ के क्रीमिया युद्धमें लड़े थे, १८५७ में भारतके प्रधान सेनाध्यक्ष, नियुक्त हुए थे। लगता है, यहाँ गलतीसे क्रीमिया और १८५७ के लिए क्रमश चीन और १८५८ दे दिये गये हैं।

७ भारत-मन्त्री, १८९५ १९०३।

८ (१८३० १९०३), इंग्लैंडके प्रधानमन्त्री १८८५ ६, १८८६ ९२ और १८९५ १९०२।

९ केप प्रदेशका एक नगर, जिसपर १८९९ १९०२ के बोअर युद्धके समय घेरा डाला गया था। देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २३६।

१० (१८३२ १९१४), १८८५ से १८९३ तक भारत और १८९९ से १९०० तथा १९०१ से १९०४ तक दक्षिण आफ्रिकाके प्रधान सेनाध्यक्ष।

तो जेल जाकर मामूली कष्ट सहन करना है और, व्यापारमें कदाचित, कुछ नुकसान उठाना है। क्या इतनेसे भी हम डरेंगे? हम तो आशा किये बैठे हैं कि कहीं इससे भी ज्यादा आवश्यकता हो तो भारतीय समाज नहीं डरेगा। डरना है केवल खुदासे। उसके बाद किसीसे भी डरनेकी बात नहीं रहती, यह सभी शास्त्र सिखाते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १–६–१९०७

३ एक पौंडका इनाम

शीर्षक हमने इनामका दिया है, किन्तु पाठकको इनामकी ओर कम दृष्टि रखनी है। आजकल भारतीयोंके लिए मौसम नये कानून तथा जेलके प्रस्तावका है। इसलिए जो भारतीय गुजराती या हिंदुस्तानी (उर्दू या हिंदी)में जेलके प्रस्तावके समर्थनमें सरस गीत बनाकर भेजेगा उसे उपयुक्त इनाम दिया जायेगा। हमें आशा है कि जिन्हें गीत रचनेका अभ्यास है वे इस प्रतिस्पर्धाको चूकेंगे नहीं। जरूरी यह है कि गीत पुरस्कारके लिए नहीं, बल्कि इज्जतके लिए बनाकर भेजा जाये। उसकी शर्तें निम्न प्रकार हैं

(१) बीस लकीरोंसे ज्यादा न हों।
(२) शब्द सरल हों।
(३) राग चाहे जो हो, वीर-रसकी लावनी ज्यादा पसन्द की जायेगी।
(४) अक्षर साफ हों, स्याहीसे एवं कागजके एक ही ओर लिखा जाये।
(५) गीतके अन्तमें कविका नाम व पता दिया जाये।
(६) गीतमें मुसलमानों एवं हिन्दुओंकी बहादुरीके वर्तमान तथा प्राचीन उदाहरण दिये जायें। दूसरे होंगे तो वे भी चल सकेंगे।
(७) जेल जानेके प्रस्तावपर डटे रहनेके सम्बन्धमें समय समयपर जो ठोस कारण दिये जा चुके हैं उनका समावेश किया जाये।
(८) ये गीत अधिकसे अधिक १२ जूनके सवेरे तक फीनिक्स पहुँच जाने चाहिए, अथवा जोहानिसबर्ग कार्यालय (बॉक्स ६५२२) में १४ जूनको मिलने चाहिए।

नतीजा २२ तारीखके अंकमें प्रकाशित किया जायेगा। आशा है, बहुत लोग प्रयत्न करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १–६–१९०७

४ भारतमे उथल-पुथल

दुनियाके सभी हिस्सोमे आज तरह-तरहकी घटनाएँ हो रही है। जगह-जगह हम "हमारा देश" का नारा सुनते हैं। मिस्रवासी कहते है कि "मिस्र मिस्रियोके लिए है"। चीनियाने हॉगकॉगमे कई गोराको कत्ल कर दिया है। हब्शी कहते हैं कि "हमारे हक हमे मिलने चाहिए।" ईरानमे स्वराज्य स्थापित हो गया है। अफगानिस्तानकी ताकत बढ गई है। अब रहा भारत। वहा भी "भारत भारतीयोके लिए" का नारा बुलन्द है, और उसके लिए जगह-जगह इस बातका प्रयत्न किया जा रहा है कि हिन्दू मुस्लिम एकता हो। पजाबमे एक मुसलमानने 'हिन्दू मुसलमान' नामसे एक पत्र शुरू किया है और वह कहता है, दोनो कौमोमे एकता होनी चाहिए। दूसरी ओरसे 'वन्दे मातरम' जैसे पत्र अग्रेजी राज्यको उखाड फेकनेके लिए आन्दोलन कर रहे हैं। 'पजाबी' पत्रपर मुकदमा चल जानेसे वहा उपद्रव हो गया, जिसमे अग्रगण्य भारतीयोने भी हिस्सा लिया। उनमे से कुछ लोग पकडे गये हैं। कुछको देश निकाला दिया जायेगा और कुछ जेल जायेगे। लाला लाजपतराय[1] जैसे विद्वान सज्जन भी इनमे शामिल है। ऐसी परिस्थितिमे हम क्या करे, इसपर सामान्यत विचार किया जाना चाहिए। हम कर तो कुछ नही सकते, किन्तु समझदार लोग इस बातका भी ख्याल रखते हैं कि वे अपने मनकी वृत्तिया कैसी रखे।

क्या अग्रेजी राज्यको भारतसे उखाड दिया जाये? और यदि उखाडनेका विचार हो तो क्या उखाडा जा सकता है? इन दोनो प्रश्नोका हम यह उत्तर दे सकते है कि उस राज्यको उखाड फेकनेमे नुकसान है और हमारी हालत ऐसी नही कि हम उखाडना चाहे तो उखाड सके। इस कथनसे हम यह सूचित नही कर रहे है कि अग्रेजी राज्य बहुत भारी है और उससे भारतको अलभ्य लाभ हुए है, या, भारत यदि ठान ले तो अग्रेजी राज्यको हटा नही सकता। किन्तु हम मानते हैं कि अग्रेज लोग चाहे जितनी बेईमानीमे भारतमे घुसे हो, उनसे हमे बहुत सीखना है। वे बहादुर और विवेकी लोग हैं। कुल मिलाकर प्रामाणिक है। स्वार्थके समय अधे भी हो जाते है, किन्तु बहादुरीको देखकर कुर्बान होते हैं। वह कौम जबरदस्त है तथा भारतको उसका कम बल नही। इसलिए भारतमे अग्रेजी राज्य अस्त हो, यह चाहनेकी गुजाइश ही नही रहती।

तब क्या लाला लाजपतराय जैसे पुरुषकी हम उपेक्षा करे? यह भी नही हो सकता। पजाबके लोगोको और उन दूसरोको, जो अभी आन्दोलन कर रहे हैं, हम शूर वीर मानते है। वे देशभक्त है और देशके लिए कष्ट झेल रहे हैं, और उस हद तक वे हमारे लिए आदरके पात्र हैं। किन्तु जिस हद तक व अग्रेजी राज्यको उखाड फेकना चाहते हैं, उस हद तक भूल करते जान पडते है। उनके विद्रोहकी जो सजा कानून उन्हे देगा उसे, जान पडता है, उन्होने भोगनेका निश्चय किया है। हमे उनका विरोध नही करना है। उनके कष्टोसे भारतीय प्रजा सुखी होगी। वे विरोध करते हैं सो अग्रेजी राज्यके दोषोके कारण। अग्रेजी

१ 'पंजाब केसरी' लाला लाजपतराय (१८६५ १९२८), १९२० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशनके अध्यक्ष। उन्हें १९०७ में देशनिकाला दिया गया था। देखिए खण्ड ५, पृष्ठ १३४।

राज्यके कारण भारत कगाल होता जा रहा है। भारतमे प्लेग फैला, उसका कारण भी बहुत कुछ अग्रेजी राज्य ही है। हिन्दू मुसलमानके बीच वैर बढानेवाला भी वही है। हम इतनी अधम स्थितिमे पहुँचकर आज नपुसककी जिन्दगी बिता रहे है, उसका कारण भी अग्रेजी राज्य ही है। इन दोषोसे ऊबकर कुछ भारतीय नेता सारी अग्रेज कौमको दोष देते है। उनके विद्रोहसे, सम्भव है, ये दोष कुछ हद तक दूर हो जायेगे। इसके अतिरिक्त वे चूकि हमारे ही भारतीय भाई है, इसलिए उनकी ओर जरा भी बुरी भावना रखे बिना उनके जोशके लिए उन्हे धन्यवाद देना है।

वास्तवमे दोष हमारा है। हम अपने दोष दूर कर ले तो जो अग्रेजी राज्य आज दु खस्वरूप बना हुआ है वह सुखस्वरूप बन सकता है। पश्चिमकी शिक्षा लिये बिना और पश्चिमके सम्पर्कमे आये बिना लोक भावनाका जाग्रत होना सम्भव नही है। यह भावना आ जाये तो अग्रेज बिना लडे ही हमारे अभिलषित अधिकार हमे दे सकते है, और हम यदि उन्हे जानेको कहे तो वे जा भी सकते है। अग्रेजी उपनिवेशोकी यही स्थिति है। उसका कारण यह नही कि वे गोरे वर्णके है, बल्कि यह है कि वे बहादुर है। यदि अपने अपेक्षित हक न मिले तो वे नाराज हो सकते है, इसलिए वे एक कुटुम्बके माने जाते है।

सक्षेपमे हमे अग्रेजी राज्यसे वैर नही है। विद्रोह करनेवालोकी बहादुरी हमारे लिए गर्व करने जैसी है। जो बहादुरी वे बताते है वही हम भी दिखाये और अग्रेजी राज्यके जानेकी इच्छा करनेके बजाय हम यह इच्छा करे कि उपनिवेशियोके समान ही होशियार और जोशीले बनकर जो अधिकार हमे चाहिए उनकी माग करे तथा ले, साथ ही साथ हम अग्रेजी राज्यकी खूबियोको जान ले और सीखे, तथा अधिक कुशल बने।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १–६–१९०७

५ भारतीय राजा

माननीय स्वर्गीय अमीर अब्दुरहमान[1] लिख गये है

अपनी यात्रामे मैने एक खेदजनक बात देखी, जिसका मेरे मनपर बहुत असर पडा। बेचारे भारतीय राजाओकी पोशाक औरतो जैसी थी। वे बालोमे हीरेकी पिने लगाये थे, और कानोमे कुण्डल, हाथोमे पहुँची, गलेमे सोनेका हार और दूसरी चीजे, जो औरते पहनती है, पहने थे। उनके इजारकी कलियोपर रत्न जडे हुए थे और इजारके नाडेमे लोलक लगे हुए थे, जो लगभग पाव तक पहुँचते थे। वे अज्ञान, आलस्य और मौज शौकमे मग्न थे। दुनियामे क्या हो रहा है, या क्या है, इसका उन्हे भान नही है। उनका समय शराब और अफीम पीनेमे बीतता है। वे मानते है कि अगर हम पैदल चलेगे तो हमारे ओहदेमे खामी आयेगी।

१ अब्दुर्रहमान खाँ (१८४४ १९०१), अफ़गानिस्तानके शासक, १८८१ १९०१ ।

यह चित्र बहुत कुछ हूबहू है। आज कुछ भारतीय राजा लोग ऐसा नही करते, यह भी कहा जा सकता है। फिर भी आज हम यह सवाल नही उठा रहे कि कितने राजा ऐसा नही करते। हकीकत यह है कि यह स्थिति हमारे दारिद्र्यका एक सबल कारण है।

फिर ऐसी अधम दशा सिर्फ राजाओकी ही हो सो बात नही। प्रजामे भी ऐसी बातें बहुत दिखाई देती है। हमारी टीका खासकर हिन्दू भारतीयोपर लागू होती है। बडे माने जानेवाले लोगो और उनके लडकोके लक्षण बहुत-कुछ मरहूम अमीर द्वारा खीचे गये चित्रके समान ही दिखाई पडते है। मौज शौक, आभूषण, रेशमी और सुनहरे कपडे — सामान्यत हम यही स्थिति देखते है। सभ्य माने जानेवाले लोग आभूषण आदि नही पहनते तो दूसरी तरहसे अपना शौक पूरा करते है। इसमे किसीको दोष देनेकी बात नही। जो रूढि लम्बे समयसे चली आ रही है वह एकदम दूर नही हो सकती।

लेकिन हम दक्षिण आफ्रिकामे रहनेवाले भारतीयोको यह सबक लेना है कि हम सब, छोटे बडे, उन दोषोसे मुक्त रहे। हमारी और हमारे देशकी स्थिति इतनी बुरी है कि हमारे लिए यह समय सदा शोकावस्थामे रहनेका है। जहा हर हफ्ते हजारो व्यक्ति भूख या प्लेगसे मरते है, वहाँ हम ऐशो-आराम कैसे भोग सकते है? हम निश्चित रूपसे मानते है, हर भारतीय पुरुषको अपना मन विरक्त कर लेना चाहिए। हमारी पोशाक वगैरहमे जवाहरात रेशम या सोने आदिका दोष नही होना चाहिए।

इग्लैडका राजा

उपर्युक्त लेखका जबरदस्त समर्थन करनेवाली हमारी इस बारकी लन्दनकी चिट्ठी है। सम्राट एडवर्डका पौत्र आज १३ वर्षका है। उसे आज ही से सख्त तालीम दी जा रही है। उसे दूसरे लडकोके साथ पढना पडता है और जो सादा खाना दूसरे विद्यार्थियोको दिया जाता है वही इस युवराजको भी दिया जायेगा। जिसका राजा इस प्रकारका आचरण करता है उस देशकी प्रजा भी ऐसी ही है। वह प्रजा यदि सुखी हो तो उसमे आश्चर्य ही क्या? हमे उससे ईर्ष्या नही करनी है, बल्कि उसके समान बनना है। कोई यह न सोचे कि वह प्रजा भी तो मौज-शौक करती ही है। इस विचारसे आलस्य प्रकट होता है। वे लोग अपना काम करनेके बाद मौज शौक करते है, और वह मौज शौक भी उन्हे शोभा देता है। इतना होनेपर भी हमे उनके मौज शौक रूपी दोषका अनुकरण नही करना है। हमे तो हसके समान अच्छेको चुन लेना है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १–६–१९०७

६ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी[1]

नया कानून विशेष प्रश्न

इस कानूनके सम्बन्धमे अब भी प्रश्न आते रहते है। यह देखकर मुझे खुशी होती है। इस तरहके जितने भी प्रश्न पूछे जायेंगे उनका इस पत्रमे खुलासा किया जायेगा।

डच पजीयनपत्रवाले क्या करे?

'गजट' की सूचनाके अनुसार एक भारतीयने अपने पजीयनके आधारपर अनुमतिपत्र कार्यालयमे अर्जी दी है। उसके विषयमे श्री मुहम्मद दावजी पटेल वाकसूट्रूमसे नीचे लिखी बाते पूछते है

(१) क्या निश्चित माना जाता है कि इस अर्जीको अनुमतिपत्र कार्यालय स्वीकार कर लेगा।

(२) यदि ऐसा हो तो चौथे प्रस्तावमे अडचन आती है, इसलिए वह व्यक्ति अपनी अर्जी वापस ले ले या नही?

(३) वापस लेनेपर पुलिस उसे पकडेगी या नही?

(४) यदि पकड लिया गया और मजिस्ट्रेटने बाहर जानेका हुक्म दिया तो फिर वह क्या करे?

(५) यदि वह व्यक्ति ऐसा करे और उसपर मुकदमा चले तो बचाव करनेके लिए श्री गाधी आयेंगे या नही?

इन प्रश्नोके उत्तर ये है कि इस व्यक्तिको और ऐसी स्थितिके सभी व्यक्तियोको जबतक नया कानून 'गजट' मे नही आया है तबतक अर्जी वापस लेनेकी जरूरत नही और न ही इस विषयमे आगे कोई कारवाई करनेकी जरूरत है। नये कानूनके 'गजट' मे आते ही अर्जी वापस ले लेनी होगी। शायद इस सम्बन्धमे मजिस्ट्रेटके सामने मुकदमा चलाया जायेगा और उस व्यक्तिका तथा उसके समान वैसे ही अन्य व्यक्तियोका, जो पजीयनके सच्चे हकदार होगे, श्री गाधी बचाव करेंगे। यह बचाव किस प्रकार किया जायेगा, इसके लिए पिछली जोहानिसबर्गकी चिटिठया देख ली जाये। अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार करनेका मतलब यह होता है कि आगे उस कार्यालयसे किसी भी प्रकारका व्यवहार न किया जाये। ट्रान्सवालमे रहनेवाले जिन लोगोके मुकदमे अभी उस कार्यालयमे चल रहे है, उन्हे वापस नही लेना है। यह कदम 'गजट' मे कानूनके प्रकाशित होते ही उठाया जाये।

श्री गांधी पहले जेल चले जाये तो क्या होगा?

एक भाई पूछते है कि श्री गाधीको यदि पहले जेलमे बैठा दिया गया तो फिर बचावका क्या होगा? यह प्रश्न ठीक किया गया है। किन्तु श्री गाधी किस प्रकार बचाव करनेवाले है, यह समझ लेना है। बचावमे गाधीको सिर्फ यही कहना है कि उनकी सलाहसे लोगोने जेल जानेका निश्चय किया है। इसलिए पहले जेल उन्हे (श्री गाधीको) दी जानी चाहिए। इस तरह बचाव करनेकी जरूरत ही न पडे और सीधे श्री गाधीको ही जेलमे बन्द कर दिया जाये तब यही माना जायेगा कि बचाव हो चुका। श्री गाधीकी उपस्थितिका मुख्य हेतु

१ इस शीर्षकसे ये संवादपत्र "हमारे विशेष सवाददाता द्वारा प्रेषित" रूपमें **इंडियन ओपिनियन**में हर हफ्ते प्रकाशित किये जाते थे। पहला सवादपत्र मार्च ३, १९०६ को प्रकाशित हुआ था, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २१५ १६।

अभियुक्तको धीरज बँधाना है। यदि कौम और श्री गांधीके सौभाग्यसे उन्हे ही जेलमे बन्द कर दिया गया तब भी उसमे लोगोके लिए डरने जैसी तो कोई बात नही रहती। इसके अलावा श्री गांधी जेलमे बैठे बैठे भी बचाव तो कर ही सकते है, यानी यह कि वे खुदासे प्रार्थना कर सकते है कि सब भारतीयोको हिम्मत दे। इस समय मुझे यह भी कह देना चाहिए कि सारे भारतीयोने जेलका प्रस्ताव स्वीकार किया है, उसका मुख्य कारण यह है कि नया कानून अपमानजनक है। इसलिए, प्रत्येक भारतीयको आखिर अपना टेक तो रखनी ही है।

स्त्री-बच्चोंके भरण पोषणके लिए निधि कहाँ है?

यह प्रश्न पूछनेवाले सज्जन लिखते है कि सघके पास तो बहुत ही थोडे पैसे है, फिर निर्वाह कहासे होगा? अभी कानून 'गजट' मे आया नही है। उसके 'गजट' मे प्रकाशित होते ही अग्रगण्य लोग गाव गाव जाकर लोगोको समझायेगे और चन्दा इकट्ठा करगे। इसके अलावा ईस्ट लन्दन और नेटालके प्रमुख लोग लिख चुके है कि वहासे मदद दी जायेगी। इसीके साथ यह भी व्यवस्था हुई है कि श्री गाधीके जेल जानेपर 'इडियन ओपिनियन' के सम्पादक श्री पोलक जगह-जगह जाकर चन्दा एकत्रित करगे तथा लोगोको धीरज बँधायेगे और समझायेग। कुछ गोरोने भी मदद देनेको कहा है।

जर्मिस्टन बस्ती

जर्मिस्टन बस्तीमे भारतीयोको काफिरोके समान पास दिये जाते थे। उसके बारेमे ब्रिटिश भारतीय सघने स्थानीय सरकारको लिखा था। उसका उत्तर आया है कि अब वैसे पास नही दिये जायेगे। अत बस्तीमे रहनेवालोको उन पासोको मढवा कर नमूनेके तौरपर रखना हो तो रख सकते है। दूसरी बार यदि ऐसा हो तो भारतीयोका कर्तव्य है कि पास न ले तथा उसके लिए साफ इनकार कर दे।

खान-मजदूरोकी हडताल

हम अनुमतिपत्र कार्यालयके बहिष्कार और जेलकी बाते कर रहे है। खदानोके गोरे मजदूर अधिक वेतनके लिए हडताल कर रहे है। फलस्वरूप लगभग दस खदानोका काम रुक गया है। सब समझते है कि ये गोरे मजदूर जितना कमाते है वह सब खर्च कर देते है। उनमे कुछ विवाहित है। किन्तु अपनी रोजी तथा अपने बाल बच्चोका खयाल न करके, अपने हकके लिए, चालू रोजी छोडकर बाहर निकल पडे है। उनकी बेइज्जतीका तो कोई सवाल ही नही है। फिर भी जिसे उन्होने अपना हक माना है उसके लिए अधिकारियो एव करोडपति खान मालिकोके सामने कमर कसी है। उनकी माग उचित है या नही, इसपर अभी हमे विचार नही करना है। इस अवसरपर हम तो उनके जोश और मर्दानगीका अनुकरण करना है।

ईस्ट लन्दनसे प्रोत्साहन और किम्बरलेकी गलतफहमी

ईस्ट लन्दनके भारतीयोकी ओरसे सघके अध्यक्षके नाम सहानुभूतिपूर्ण पत्र आया है और श्री ए० जी० इस्माइलने लिखा है कि सारे भारतीय कानूनका अनादर करके निश्चित ही जेल जायेंगे। उन्होने वहाँ मदद मिलनेके बारेमे भी लिखा है। दूसरी ओर किम्बरलेसे सहानुभूतिपूर्ण तार आया है। लेकिन लिखा है कि भारतीय समाजको जेलका कदम उठानेके पहले विचार करना चाहिए। यह किम्बरलेकी गलतफहमी है। भारतीय कौम खुदाको माननेवाली है, इसलिए अब वह उसका अनादर नही कर सकती। इसके अलावा पक्का विचार करनेके

बाद ही सितम्बर महीनेमे जेलका प्रस्ताव पास किया गया था। इसलिए हर भारतीयके लिए लाजिम हे कि वह हम ट्रान्सवालवालोको आवश्यक प्रोत्साहन दे और खुदासे प्राथना करे कि सच्ची कसौटीके समय वह हमे हिम्मत बख्शे।

जर्मन पूर्व आफ्रिकामे भारतीय

'स्टार' का विलायतस्थित सवाददाता तारसे सूचित करता है कि जमन उपनिवेश-समितिकी बैठक जमनीमे हुई थी। उसमे कुछ सदस्योने कहा कि भारतीय व्यापारी जमन पूव आफ्रिकामे छोटे यूरोपीय व्यापारियोको नुकसान पहुँचाते है। वे काफिरोको ठगते है। विद्रोहके लिए उन्होने प्रोत्साहित किया था। इसलिए उनके लिए दक्षिण आफ्रिकाके समान कानून बनाये जाने चाहिए। इस समितिकी कायसमितिने यह रिपोट दी हे कि यद्यपि भारतीय व्यापारियोपर कुछ इल्जाम तो लगाये ही जा सकते है, फिर भी कुल मिलाकर कहना होगा कि उनके होनेसे फायदा हुआ है। उन्हे निकाल देनेका कानून बनानेसे इग्लैडमे खीचातानी होना सम्भव है। दूसरे कुछ सदस्योने, जो उपनिवेशकी हालतसे परिचित थे, भारतीय व्यापारियोका बचाव किया।

झूठी गवाहीके लिए सजा

पुनसामी नामक धोबीपर झूठी गवाही देनेके अपराधमे सर विलियम स्मिथके पास मुकदमा चला था। उसने दूसरे भारतीयोपर गलत अभियोग लगाया था कि वे अपराधी है, जब कि वह जानता था कि वे निरपराध है। पचने सामीको अपराधी ठहराया और न्यायाधीशने उसे १८ महीनेकी सख्त कैदकी सजा दी। इस उदाहरणसे जो झूठी गवाही देते नही डरते उन लोगोको चेत जाना चाहिए।

निर्धारित समयपर दूकाने बन्द करनेकी हलचल

तारीख २२ को जोहानिसबग नगर परिषदमे निर्धारित समयपर दूकाने बन्द करनेकी बात चली थी। परिषदमे बहुत ही मतभेद रहा इसलिए सदस्य एक निणयपर नही पहुँच सके और यह निणय किया गया कि इस सम्पूण प्रश्नका निबटारा ससद करे। इसीके साथ ससदके समक्ष निवेदन भी कर दिया गया है। इसका मतलब यह होता है कि आम तौर पर दूकाने छ बजे बन्द की जाये तथा बुधवारको एक बजे, शनिवारको रातके ९ बजे और त्यौहारके दिन बिलकुल बन्द रहे। जब दूकाने बन्द हो उस समय फेरीवालोको भी अपना रोजगार बन्द रखना चाहिए। किन्तु इस तरहका कानून अभी बना नही है। यह उसके बननेकी तैयारी समझे। जो भारतीय अपने-आप ही समझकर जल्दी दूकान बन्द करने लगेगे, वे मीर माने जायेगे।

जोहानिसबर्गमे भूमि-कर

इस बार भूमि-कर सवा पेनी प्रतिशत निश्चित किया गया है। उस करका हिसाब १ जनवरीसे ३० जून १९०७ तक लगाया जायेगा। २४ जून १९०७ को वह कर जमा करना होगा। जो २४ तारीख तक नही जमा कर पायेगे उन्हे १ प्रतिशत प्रतिमाहकी दरसे व्याज देना होगा।

चीनियोकी सभा और जेलका प्रस्ताव

पिछले रविवारको चीनी सघकी एक सभा उसके हालमे हुई थी। उसमे करीबन तीन सौ चीनी, विशेषत व्यापारी, हाजिर थे। श्री एम क्विनने अध्यक्षका स्थान ग्रहण किया था।

निमन्त्रण पाकर श्री गाधी भी उपस्थित हुए थे।[1] उन्होने सारी बाते समझाते हुए कहा कि नये काननके अन्तगत चीनी और भारतीयोको एक ही माना गया हे। नया कानून एशियाई जनताके लिए अपमानजनक है, इसलिए चीनियोको भी उसे स्वीकार नही करना चाहिए। जिन प्रश्नोका इस 'चिट्ठी'मे हल बताया गया है, उन्हीका हल उपयुक्त बैठकमे भी बताया गया। आखिर यही तय हुआ कि हर चीनी अपने धमके अनुसार यह शपथ ले कि वह नया अनुमति-पत्र कभी नही लेगा, और जेल जाना पडा तो जायेगा।

अनुमतिपत्रका मुकदमा

लाला नामक भारतीयपर अभी कुछ दिनोमे अनुमतिपत्र सम्बन्धी मुकदमा चल रहा है। वह २७ तारीखको श्री वेडरबर्नके पास चला था। अधीक्षक वरनॉनने बयान देते हुए कहा

मुझे लोगोसे अनुमतिपत्र मागनेका हक है। जो अनुमतिपत्रके आधारपर प्रवेश पाना चाहते है उनके हकोकी जाच करना भी मेरा काम है। २० अप्रैलको मैंने लालाको अपने दफ्तरके पास देखा। लालाने कहा "मै आपके साथ काम करना चाहता हूँ। कई लोग अनुमतिपत्र माँगते है। उसके बारेमे यदि आप मुझे सूचना देगे तो हम दोनो बहुत पैसे कमायेगे। हर व्यक्तिसे म २० पौड लूगा। उसमे से ८ पौड आपको दूगा। यहाँ झूठे अनुमतिपत्रवाले भारतीय और चीनी बहुत हैं। उनके अनुमतिपत्र यदि आप सच्चे कर दे तो मैं आपको २० पौड दूगा। यह मेरे हाथमे एक अनुमतिपत्र है। इसपर हस्ताक्षर करके पास कर दे। इस तरह आप प्रतिमाह ४०० पौंड कमायेंगे और मैं २०० पौड कमाऊँगा। और श्री हैरिसको २०० पौड मिलेगे। मुझे मालूम है कि जोहानिसबगमे झूठे फार्म चलते है, और बिना अनुमतिपत्रके बहुत से भारतीय है।" दूसरे दिन मैंने लालाको बुलाया। वह आया और उसके साथ थोडी बात करके घटी बजाई और उसे पकडवा दिया। अदालतम जाते हुए लालाने कहा "साहब, आपने पैसा कमानेका एक सुनहरा अवसर खो दिया।"

सिपाही हैरिसने भी ऊपर जैसा ही बयान दिया। श्री चैमनेने[2] बयानमे कहा

मेरा काम अनुमतिपत्रो सम्बन्धी सारी अर्जियोकी जॉच करना है। पुलिसकी रिपोट खराब होनेपर शायद ही अनुमतिपत्र दिया जाता है। मेरा फैसला ही निर्णायक माना जायेगा, यद्यपि गवनर उस फैसलेको बदल सकता है। भारतीयोकी अर्जी मैं उपनिवेश-सचिवके समक्ष पेश करता हूँ। लाला मेरे पास दो बार आया था। वह कहता था कि कुछ भारतीयोके पास झूठे अनुमतिपत्र रहते है। मैने एक बार उसे रेलसे बिना किराये आनेकी अनुमति दी थी, क्योकि उसने कहा था कि मैं तुम्हे कुछ बाते बताऊँगा। लेकिन वह एक भी खबर नही लाया।

लालाने बयान दिया

मेरे पास एक भारतीय अनुमतिपत्रके लिए आया। मैंने उससे 'ना' कहा। उसके बाद उसने अनुमतिपत्र बताया जो ठीक नही था। उसपर से मैं श्री चैमनेके पास गया

१ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ५१३।

२ प्रवासी-संरक्षक, बादमें एशियाई पंजीयक नियुक्त किये गये थे, देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ५६।

और मैंने उनसे कहा कि उस व्यक्तिको उस अनुमतिपत्रके लिए ३० पौंड देने पड़े हैं। श्री चैमनेने उस व्यक्तिको आफिसमें ले जानेको कहा। बादमें मैंने श्री बरनॉनके पास जाकर कहा कि यदि श्री चैमनेके पास खबर पहुँचा दोगे तो पैसे दूंगा। इसमें मेरा उद्देश्य यह बतलाना था कि झूठे अनुमतिपत्र किस प्रकार निकलते हैं। मुझे आशा थी कि उसके लिए इनाम मिलेगा। मैं सम्राटकी एक वफादार प्रजा हूँ, इसलिए मुझे आशा थी कि मुझे अपनी वफादारीके लिए सरकारी नौकरी मिलेगी। कोई रकम निश्चित नहीं की गई थी। हेरिसने यह बात की थी कि एक भारतीयने १०० पौंड देनेको कहा है। मैंने अभी कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं किया था। इसी बीच मुझे पकड़ लिया गया।

फौजदारी वकीलने लालासे प्रिटोरियासे मिले पत्रके बारेमें प्रश्न पूछे। लालाने कहा कि पत्रका अनुवाद ठीक नहीं है। इसलिए श्री टामसनने एक सप्ताहकी और मोहलत मांगी और मुकदमा ४ जून तक के लिए स्थगित किया गया।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १–६–१९०७

७ भारतके सेवक

'इंडियन सोशियॉलॉजिस्ट'में एक विद्वान भारतवासीने भारत सेवकोंका एक मण्डल स्थापित करनेके सम्बन्धमें लेख लिखा है। उसका सार हम नीचे दे रहे हैं

यह तो अब बहुतेरे भारतीय समझते और चाहते हैं कि भारत सुसंगठित और स्वतन्त्र बने, किन्तु उस भावनाको सफल बनानेके लिए जो नैतिक बल चाहिए वह नहीं है। जो अपने देशकी सेवा करना चाहते हैं उन्हें पहले तो यह समझना चाहिए कि उन्हें अपना जीवन ऐशोआराममें नहीं बिताना है, बल्कि अपने कर्तव्य निभानेमें लगाना है। भारतकी आबादी दुनियाका पांचवाँ भाग है। उसका स्तर उठाना ही भारतके सेवकोंका काम है। ये सेवक भारतीय जनताके न्यासी हैं। उन्हें धन, मान, शारीरिक सुखोंकी आकांक्षा छोड़ देनी चाहिए, और अपना जीवन भारतको समर्पित करना चाहिए। समस्त भय निकाल देना चाहिए, और इस सेवाको अपने धर्मके अंगके समान मानना चाहिए। ऐसे देशभक्त व्यक्ति बातोंकी अपेक्षा कामसे ही अपने निर्मल उत्साहका संचार समस्त जनतामें कर सकेंगे।

ऐसे उज्ज्वल उत्साहकी आवश्यकता तो है ही, साथमें ज्ञानकी भी आवश्यकता है। इसलिए भारत-सेवकोंको भारतका इतिहास जानना चाहिए। भारतके लिए अब क्या जरूरी है, यह समझना चाहिए। अन्य देशोंके इतिहासका भी अध्ययन करना चाहिए।

यह उत्साह और ज्ञान, दोनों ही, कुटुम्ब जालमें फँसे हुए मनुष्यके पास अधिक समय तक नहीं टिकते। सच्चे सेवकके लिए लंगोटबन्द रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करना आवश्यक है। विवाहित होते हुए भी जो लोग देश-सेवक होना चाहते हों वे अपनी पत्नी और बच्चोंको इसी कामके लिए तैयार कर सकते हैं। भारतीय स्त्रियाँ अज्ञान हैं। उनमें स्वदेशाभिमान जगानेकी बहुत बड़ी जरूरत है। परन्तु जो लोग विवाहित नहीं हैं, उन्हें यदि उपर्युक्त सेवा

करनी हो तो अविवाहित रहना उत्तम मार्ग है। महान देशभक्त मैजिनी[1] कहा करते थे कि उनका विवाह तो देशके साथ हुआ है।

आखिरी बात यह है कि ऐसे सेवकमें श्रद्धा चाहिए। उसे यह विचार करनेकी आवश्यकता नहीं कि कल रोटी कहाँसे मिलेगी। जिसे दाँत दिये हैं, उसे चबेना देनेका ध्यान मालिक रखेगा ही।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १–६–१९०७

८ तार तैयबको

[जोहानिसबर्ग]
जून १, १९०७

तैयब[2]
मारफत गुल
केप टाउन

२१ तारीखका[3] उत्तर क्या नहीं? शीघ्र उत्तर दीजिए।

गांधी

हस्तलिखित अंग्रेजी मसविदे (एस० एन० ३८३५)से।

९ पत्र प्रधानमन्त्रीके सचिवको[4]

जोहानिसबर्ग
जून १, १९०७

सचिव
परममाननीय प्रधानमन्त्री
प्रिटोरिया

महोदय,

चूँकि एशियाई पंजीयन अधिनियम अभीतक साम्राज्यीय सरकार और स्थानीय सरकारके बीच पत्र-व्यवहारका विषय बना हुआ है, इसलिए मेरे संघने मुझे आदेश दिया है कि मैं प्रधानमंत्रीके सामने एक ऐसा सुझाव रखनेके लिए भेंट करनेकी अनुमति प्राप्त करूँ जिसके अनुसार अधिनियमको 'गज़ट' में प्रकाशित करनेकी आवश्यकता ही न रहे। कुछ भी हो, यदि

१ जोज़ेफ़ मैज़िनी (१८०५–७२), इटलीके सुप्रसिद्ध देशभक्त, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३०१।
२ केप टाउनके एक प्रमुख भारतीय।
३ यह पत्र उपलब्ध नहीं है।
४ यह २२–६–१९०७के **इंडियन ओपिनियन**में उद्धृत किया गया था।

जनरल बोथा, अधिनियमके सम्बन्धमें आगे कोई कदम उठानेसे पहले, मेरे सघके शिष्टमण्डलसे भेंट करनेके लिए समय दे तो मेरा सघ उनका बहुत आभारी होगा।

मैं आपका कृतज्ञ होऊँगा, यदि आप कृपापूर्वक मालूम करेंगे कि क्या प्रधानमन्त्रीको हमारे सघके एक छोटे से शिष्टमण्डलसे मिलना सुविधाजनक होगा। यदि, हाँ, तो कब?[1]

आपका आज्ञाकारी सेवक,

ईसप इस्माइल मियाँ

कार्यवाहक अध्यक्ष,

ब्रि० भा० स०[2]

[अंग्रेजीसे]

प्राइम मिनिस्टर्स आर्काइव्ज, प्रिटोरिया फाइल १४/१/१९०७

१० सच्ची रायें

हमें हर्ष है कि विधानसभाके सदस्य श्री सी० पी० राबिन्सन अपने निर्वाचकोंसे कुछ खरी बातें कहते आ रहे हैं और वे एक अप्रिय विषयको सही ढंगसे निभानेमें हिचके नहीं। श्री राबिन्सनकी रायमें परवाना अधिकारियोंका, भारतीय प्रार्थियों और दूसरोंके बीच ऐसा भेद करना कि उससे भारतीयोंका हानि पहुँचे, निन्दनीय और अन्यायपूर्ण है और विशेषकर उस दशामें जब यह चालू व्यापारिक अधिकारियोंका मामला हो। श्री राबिन्सनका यह भी खयाल है कि यदि उपनिवेश भारतीय प्रश्नको हाथमें लेना चाहता है तो उसे स्पष्ट, निर्भीक और सच्चे ढंगसे ऐसा करना चाहिए। न्याय और निष्पक्षताका ऐसे सम्मानपूर्ण ढंगमें पक्ष ग्रहण करनेके लिए हम उन्हें बधाई देते हैं। यदि हमारे सभी विधायक ऐसा ही निर्भीक रुख अख्तियार करें तो शीघ्र ही उपनिवेशको वाकछल और मक्कारीसे बहुत कुछ मुक्ति मिल जायेगी।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८–६–१९०७

११ केपका प्रवासी कानून

हम उस भीषण कहानीकी तरफ लोगोंका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो मेफेकिंगके एक संवाददाताने केपके प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके अमलके बारेमें लिखी है। हमारे संवाददाताके कथनानुसार जो भारतीय अपने दस साल पुराने कारोबार और भूसम्पत्ति केपमें छोड़कर भारतको लौट गये थे और जिन्होंने यहाँसे रवाना होनेसे पहले यहाँके अधिवासी प्रमाणपत्र नहीं लिये थे उन्हें फिरसे केप लौटनेमें कठिनाईका सामना करना पड़ रहा है। इसी

१ प्रधानमन्त्रीने शिष्टमण्डलको भेंट नहीं दी।

२ ब्रिटिश भारतीय सघ, जोहानिसबर्ग।

प्रकार, जो भारतीय कई सालसे यहा रह रहे है उन्हे, रवाना होते समय, ऐसे प्रमाणपत्र पाना कठिन होता हे। सवाददाता यह भी लिखता है कि जब ऐसे प्रमाणपत्र दिये भी जाते है तब उनकी मियाद केवल एक सालकी होती हे। इससे अगर कोई भारतीय अपने अगीकृत देश शुभाशा अन्तरीपके उपनिवेशमे प्रमाणपत्रमे दी गई तारीखके एक दिन बाद भी लौटता है, तो वह वर्जित प्रवासी बन जाता हे। इस प्रकारकी प्रणालीको भारतीयोको बिना कोई मुआवजा दिये केपसे बाहर निकालनेके लिए जानबूझकर किये गये क्रूर प्रयत्नके सिवाय और क्या कह सकते है? इसका इलाज बहुत-कुछ केपके भारतीयोके हाथमे ही हे। और हम वहाकी विभिन्न सस्थाओको आगाह करते है कि अगर ब्रिटिश भारतीयोपर यह आसन्न सकट आया और अगर पाच साल बाद उन्होने यह पाया कि केपमे बहुत कम भारतीय बचे है, तो समाजके सामने इसके लिए उन सस्थाओको ही जिम्मेदार समझा जायेगा। हम अपने सवाददाताको सलाह देना चाहेगे कि वे तबतक बराबर केप टाउनकी भारतीय सस्थाओको आगाह करते रहे जबतक वे अपनी स्पष्ट जडताको त्यागकर सक्रिय न हो जाय।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८–६–१९०७

१२. एशियाई पजीयन अधिनियम[1]

भयानक विषमता

जब कि भारतीय एशियाई पजीयन अधिनियमके सामने न झुकनेका अपना पक्का इरादा प्रकट कर रहे है, यह मुनासिब हे कि उसके बारेमे उनके एतराजोको भी समझ लिया जाये। इसलिए मै यहाँ समानान्तर स्तम्भोमे यह दिखाना चाहता हूँ कि उनकी आज क्या हालत है और नये कानूनके अन्तगत क्या हो जायेगी।

इस समय	*नये कानूनके अन्तर्गत*
१ मलायी लोग सन १८८५ के कानून ३ के अधीन है।	१ वे नये कानूनसे मुक्त कर दिये गये है। बहुत से भारतीयोकी पत्निया और सम्बन्धी मलायी है। ऐसे भारतीय जब अपने मलायी सम्बन्धियोसे मिलेगे तब उनकी क्या दशा होगी, यह कहनेकी नही, स्वय ही अनुमान करनेकी बात है।
२ प्रत्येक एशियाई, जिसके पास प्रामाणिक रूपसे प्राप्त अनुमतिपत्र है, ट्रान्सवालका पूर्ण और वैध नागरिक है।	२ वह इस अधिकारसे वचित हो जाता है, और नया पजीयन प्रमाणपत्र पानेका अधिकार प्राप्त करनेके लिए उसपर यह सिद्ध करनेका भार डाल दिया जाता है कि उसका बाकायदा प्राप्त अनुमतिपत्र धोखाधडीसे नही लिया गया।

१ यह ‘विशेष लेख’ के रूपमें प्रकाशित हुआ था। जिस रूपमें यह अधिनियम अन्तत पास हुआ था उसके लिए देखिए परिशिष्ट १।

३ ऑरेंज रिवर उपनिवेशमें ३१ मई, सन १९०२ के बाद पैदा हुए एशियाई बच्चे ट्रान्सवालमें आने और रहनेके अधिकारी है।

३ ऐसे बच्चोका प्रवेश वर्जित हे।

४ एशियाई लोगोके वतमान अनुमतिपत्र उन्हे ट्रान्सवाल और आरेंज रिवर उपनिवेशमे प्रवेश करने व रहनेका अधिकार प्रदान करते है। और यहा यह प्रश्न नही उठता कि उनका आरेंज रिवर उपनिवेशमे जानेके लिए कोई उपयोग हे या नही।

४ यह अधिकार, जहातक उसके अनुमतिपत्र द्वारा प्राप्त होनेकी बात है, वापस ले लिया गया हे।

५ जिन एशियाइयोको आरेंज रिवर उपनिवेशमे रहनेका अनुमतिपत्र प्राप्त हे वे उसके आधारपर ट्रासवालमे भी प्रवेश कर सकते है।

५ ऐसा प्रवेश वर्जित हे।

६ वतमान अनुमतिपत्र अभिधारकोकी इच्छाके विरुद्ध बदले नही जा सकते।

६ सरकारकी इच्छासे उनमे परिवतन किया जा सकता हे।

७ एशियाई बच्चोको अनुमतिपत्र लेनकी जरूरत नही हे।

७ ऐसे बच्चोके सरक्षक-अपन पजीयनपत्रपर उन बच्चोकी शिनाख्त लिखानेके लिए दण्डविधानकी कडी शर्तोसे बद्ध हैं, चाहे वे बच्चे कितनी भी कम उम्रके क्यो न हो। बच्चोके ८ वषकी अवस्था प्राप्त करनेपर उनके सरक्षकोके लिए फिरसे पजीयकके सामने हाजिर होकर बच्चोका पजीयन कराना ओर शिनाख्त वगैरहके सम्बन्धमे अन्य विवरण पेश करना आवश्यक है।

८ ट्रान्सवालमे इस समय रहनेवाले नाबालिग बिना अनुमतिपत्रोके वहा रहनेके हकदार है और बालिग होनेपर वहासे जानेको बाध्य नही ह।

८ ऐसे सभी बच्चे, यदि वे १६ वषकी उम्र होनेपर पजीयकसे अपना पजीयन प्रमाणपत्र न ले ले तो, वहासे निकाले जा सकते है, और उन्हे पजीयन प्रमाणपत्र देना पजीयककी इच्छापर निभर हे।

९ कोई भी एशियाई अपनी शिनाख्तका ब्योरा देनेको बाध्य नही है।

९ एक काफिर पुलिसका सिपाही भी उनके प्रमाणपत्र और, समय समयपर विनियम द्वारा निधारित, शिनाख्तका ब्योरा तलब कर सकता है। इतनेपर भी वह सिपाही एशियाईको सबसे करीबके थानेमे ले जा सकता हे, जहा उसकी फिरसे वैसी ही जाच हो सकती हे और यदि थानेमे उपस्थित अधिकारी उससे सन्तुष्ट नही होता तो वह एशियाईको रातभर हिरासतमे रख सकता हे।

१० कोई भी एशियाई, बिना अनुमतिपत्र सिवाय, शुल्क अदा करके अपना व्यापारिक परवाना प्राप्त कर सकता है।	१० किसी भी एशियाईको उस समय तक यह व्यापारिक परवाना नहीं मिल सकता जबतक वह अपना पंजीयन-प्रमाणपत्र और, विनियम द्वारा निर्धारित, अपनी शिनाख्तके विवरण पेश न कर दे। इसलिए यदि किसी एशियाई व्यापारिक पेढीमें एकसे ज्यादा साझेदार हैं, तो परवाना अधिकारी परवाना देनेके पहले सभी साझेदारोंको बुलाकर उन्हें किसी भी अपमानजनक जांचके लिए मजबूर कर सकता है।
११ कोई भी एशियाई किसी दूसरे एशियाईको नौकरी देनेके लिए स्वतन्त्र है।	११ कोई भी एशियाई जो १६ वर्षसे कम आयुवाले किसी एशियाईको (अपने पुत्रको भी) उपनिवेशमें उसके लिए अनुमतिपत्र प्राप्त किये बिना लाता है या ऐसे किसी बच्चेको अपने कामपर लगाता है, भारी जुर्माने अथवा जेलकी सजाका भागी होगा, और ट्रान्सवालमें रहनेका उसका भी अधिकार खत्म कर दिया जा सकता है।
१२ पंजीयकको अभी काफी बड़े अधिकार प्राप्त हैं।	१२ पंजीयक वास्तवमें एशियाइयोंका स्वामी बन जाता है और उनकी व्यक्तिगत आजादीपर उसका लगभग असीम अधिकार हो जाता है।
१३ अपने पास दूसरोंके प्रमाणपत्र रखनेवाले एशियाई अपराधी नहीं माने जाते।	१३ जिन एशियाइयोंके पास ऐसे प्रमाणपत्र हैं (स्पष्टतः पुत्रका प्रमाणपत्र रखने वाला पिता भी) उन्हें वे डाक द्वारा [अधिकारीके पास] भेजनेको बाध्य हैं। इसमें चूकनेपर ५० पौंड जुर्माना, और जुर्माना न अदा करनेपर, जेलकी सजा हो सकती है।

ध्यान देने योग्य अतिरिक्त बातें

१ नया कानून काफिरों, केपके अधगोरों (केप बॉयज) और तुर्की साम्राज्यके ईसाई प्रजाजनोंपर लागू नहीं होता, किन्तु उसी साम्राज्यके मुस्लिम प्रजाजनोंपर लागू होता है। इस तरह यह भारतीयों और उनके धर्मका निर्मम अपमान करता है। और यद्यपि वे सभ्य देशोंके निवासी हैं, तथापि यह उन्हें गुलामीकी स्थितिमें पहुंचा देता है। यह उन्हें काफिरों, केपके अधगोरों और मलायी लोगोंसे भी निम्नतर स्थितिमें डाल देता है।

२ यह धोखाधड़ीको प्रोत्साहन देता है। सम्भव है, कानूनके बनानेवालोंको यह सूझा हो कि किसी एशियाईको मलायी या केपके अधगोरोंका रूप धारण करनेसे रोकनेके लिए इसमें कोई बात नहीं है।

३ यह अनुमतिपत्रके दलालोके लिए निरीह एशियाइयोको अपना शिकार बनानेका स्वण अवसर प्रदान करता हे। अनुमतिपत्रके अधिकारियोको यह अच्छी तरह मालूम होगा कि एशियाई आम तौरपर अर्जियोके पेचीदे फाम भरनेकी क्षमता नही रखते, क्योकि वे सरकारी विभागोकी काय-प्रणालीसे अपरिचित होते है और सहज ही भयभीत हो उठते है। इसलिए यह मानकर कि भारतीय और चीनी दोनोको मिलाकर १२,००० प्रार्थी होगे, यदि औसतन ३ पौड प्रति व्यक्ति देना पडा तो उनके कमसे कम ३६,००० पौड लुट जायेगे।

तब एशियाइयोके, ऐसे अजीब कानून और ऐसी लूटके आगे झुक जानेके बजाय, जेल जानेके निश्चयपर कौन ताज्जुब करेगा? सच तो यह है कि उनके लिए अपने निवास कालमे सारा ट्रासवाल ही एक जलील जेलखाना बन जायेगा। नया कानून एशियाइयोको जिस दु खद स्थितिमे ला पटकता है, वह सिफ उन लोगोको ही नही दिखाई दे सकती, जो शक्तिके मदमे चूर है।

[अग्रजीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–६–१९०७

१३ नया खूनी कानून

बल निष्फल हिम्मत बिना, वश सम्प[1] बिन व्यथ,
वित्त व्यथ विद्या बिना, अगुणे[2] ज्ञान अनथ।

इस कानूनका साराश १ सितम्बर [,१९०६] के अकमे दिया जा चुका हे। फिर भी हम इस बार उसका अनुवाद अधिक ब्योरेके साथ दे रहे है, ताकि यह कानून क्या है, इस सम्बन्धमे लोग स्वय सही सही विचार कर सके। सितम्बर मासमे हमने जिसका साराश दिया है उस कानून और पास किये गये इस कानूनके बीच कुछ उल्लेखनीय अतर हे और यह पहले मूल कानूनसे भी भारतीय समाजके अधिक विरुद्ध है।

(१) १८८५ का कानून ३ निम्न परिवतनके साथ कायम रहेगा।

(२) "एशियाई" शब्दका अथ है, कोई भी भारतीय कुली अथवा तुर्कीकी मुसलमान प्रजा। इसमे मलाइयो और गिरमिटमे आये हुए चीनियोका समावेश नही होता। (इसके अलावा, पजीयन अधिकारी आदिकी व्याख्या दी गई है। उसे यहा नही दे रहे ह।)

(३) ट्रान्सवालमे वैध रूपसे रहनेवाले प्रत्येक एशियाईको पजीकृत हो जाना चाहिए। इसका कोई शुल्क नही लगेगा।

१ सुमति, ऐक्य।
२ बिना गुणके व्यक्तिके लिए।

निम्न व्यक्ति ट्रान्सवालमें वैध रूपसे रहनेवाले एशियाई माने जायेंगे।

(क) जिस एशियाईको अनुमतिपत्र कानूनके अनुसार अनुमतिपत्र मिला हो, बशर्ते कि वह अनुमतिपत्र धोखेसे अथवा गलत ढंगसे प्राप्त किया गया न हो। (मुक्ती अनुमतिपत्रोंका समावेश इसमें नहीं होता।)

(ख) प्रत्येक एशियाई, जो १९०२ के मई महीनेकी ३१ वीं तारीखको ट्रान्सवालमें रहा हो।

(ग) जो १९०२ के मई महीनेकी ३१ वीं तारीखके पश्चात ट्रान्सवालमें जन्मा हो।

(४) प्रत्येक एशियाई, जो इस कानूनके अमलमें आनेकी तारीखको ट्रान्सवालमें मौजूद हो, उपनिवेश सचिव द्वारा निश्चित की गई तारीखसे पहले निर्धारित स्थानपर और निर्धारित अधिकारीके यहाँ पंजीयनके लिए आवेदनपत्र दे दे। कानूनके अमलमें लाये जानेकी तारीखके बाद ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेवाला प्रत्येक एशियाई, यदि उसने इस कानूनके अंतर्गत नया पंजीयनपत्र न लिया हो तो, पंजीयनके लिए अपना आवेदनपत्र प्रविष्ट होनेके आठ दिनके अन्दर भेज दे। परन्तु,

(क) इस धाराके अनुसार आठ वर्षसे कम उम्रके बालकके लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं है।

(ख) आठ वर्षसे लेकर सोलह वर्षके अन्दरके बालकके लिए उसका अभिभावक पंजीयनका आवेदनपत्र दे। और अगर वैसा आवेदनपत्र न दिया गया हो तो सोलह वर्षकी आयु होनेके बाद बालक स्वयं दे।

(५) पंजीयक वैध रूपसे रहनेवाले एशियाईके आवेदनपर ध्यान देगा। पंजीयक उपयुक्त एशियाईको तथा जिसे वह मान्य करे ऐसे एशियाईको पंजीयनपत्र दे।

यदि पंजीयक किसी एशियाईके आवेदनको अस्वीकृत कर दे, तो उस एशियाईको न्यायाधीशके समक्ष उपस्थित होनेके लिए वह कमसे-कम १४ दिनका नोटिस दे, और यदि निश्चित तारीखपर वह उपस्थित न हो, अथवा उपस्थित होकर भी न्यायाधीशको अपने ट्रान्सवालमें रहनेके अधिकारके सम्बन्धमें सन्तुष्ट न कर सके और वह १६ वर्षकी आयुका हो, तो उसे न्यायाधीश ट्रान्सवाल छोड़नेका आदेश दे। और यदि न्यायाधीशको विश्वास हो जाये कि उपयुक्त एशियाई वैध निवासी है तो उसे पंजीयकको पंजीयनपत्र देनेका आदेश देना चाहिए।

(६) जो एशियाई आठ वर्षसे कम आयुके किसी बालकका अभिभावक हो, उसे अपना आवेदनपत्र देते समय पंजीयकको उस बालकके सम्बन्धमें विनियम द्वारा निर्धारित विवरण और हुलिया देना चाहिए। यदि उस व्यक्तिका आवेदन स्वीकृत किया गया तो उसके पंजीयनपत्रपर वह विवरण और हुलिया लिख दिया जायेगा। फिर, उस बालककी उम्र आठ वर्ष हो जानेपर वह एक वर्षके अन्दर उसे पंजीकृत करनेके लिए अपने जिला मजिस्ट्रेटकी मारफत दुबारा अर्जी दे।

ट्रांसवालमें जन्मे हुए बालकका एशियाई अभिभावक बालककी आठ वर्षकी आयु होनेपर एक वर्षके अन्दर उसे पंजीकृत करनेके लिए अर्जी दे।

(क) यदि अभिभावक उक्त प्रकारसे आवेदन न दे तो पंजीयक या मजिस्ट्रेट जो समय निश्चित करे उस समय वह अर्जी दे।

(ख) यदि अभिभावक आवेदन न दे, अथवा आवेदन दिया गया हो किन्तु अस्वीकृत हो गया हो, तो १६ वर्षकी आयु हो जानेपर वह बालक स्वयं एक मासके अन्दर आवेदन करे। जिस मजिस्ट्रेटके पास ऐसा आवेदनपत्र पहुँचे वह उस आवेदनके साथ सभी कागज पंजीयकको भेज दे और यदि पंजीयक ठीक समझे तो, आवेदकको पंजीयनपत्र दे दे।

(७) अभिभावकने उपर्युक्त प्रकारसे आठ वर्षसे छोटे बालकका नाम और हुलिया दर्ज न कराया हो और आठ वर्षके बाद बालकका पंजीयनपत्र न लिया हो तो १६ वर्षकी उम्र हो जानेपर बालक स्वयं एक महीनेके अन्दर आवेदन करे। ओर पंजीयकको उचित मालूम हो तो वह उसे पंजीयन-प्रमाणपत्र दे दे।

(८) इस कानूनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने पंजीयनके लिए उपयुक्त ढंगसे आवेदन नहीं देगा तो उसपर १०० पौंड तक जुर्माना होगा, और जुर्माना न देनेपर उसे तीन महीने तक की कड़ी या सादी कैदकी सजा दी जायेगी।

जो भी व्यक्ति ऐसे किसी सोलह वर्षसे कम आयुवाले एशियाईको ट्रांसवालमें लायेगा, जो यहांका वैध निवासी न हो, और जो व्यक्ति उस लड़केको नौकर रखेगा, वे दोनों अपराधी समझे जायेंगे, उन्हें उपयुक्त प्रकारसे सजा दी जायेगी, उनका पंजीयन खारिज कर दिया जायेगा और उन्हें ट्रान्सवाल छोड़ देनेका आदेश दिया जायेगा। यदि वे ट्रान्सवाल नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें कानूनके मुताबिक जुर्माने या जेलकी सजा दी जायेगी।

सोलह वर्षसे ज्यादा उम्रवाला जो भी एशियाई उपनिवेश-सचिव द्वारा निश्चित की गई अवधिके पश्चात् ट्रान्सवालमें बिना पंजीयन-प्रमाणपत्रके पाया जायेगा उसे ट्रांसवाल छोड़नेका आदेश दिया जायेगा और यदि वह ट्रांसवाल नहीं छोड़ेगा तो उसे जुर्माने अथवा कैदकी सजा होगी।

उपर्युक्त प्रकारका पंजीयनपत्र-रहित एशियाई पंजीयनका आवेदन न देनेका न्यायालयको सन्तोषप्रद कारण बतायेगा तो उसे न्यायाधीश आवेदन करनेके लिए मोहलत दे सकता है। और उस अवधिमें यदि वह पंजीयन न करवा ले तो उसे फिर बाहर जानेका या सजा भोगनेका आदेश दिया जायेगा।

(९) सोलह वर्षकी आयुवाला जो कोई एशियाई ट्रान्सवालमें प्रवेश करेगा अथवा रहता होगा उसे कोई भी पुलिस या उपनिवेश-सचिव द्वारा आदिष्ट व्यक्ति पंजीयनपत्र दिखानेके लिए कह सकेगा, और इस कानूनकी धाराओंके अनुसार निर्धारित विवरण तथा हुलिया माँग सकेगा।

सोलह वर्षसे कम उम्रवाले एशियाईका अभिभावक उस बालकका पंजीयनपत्र दिखाने और विवरण तथा हुलिया प्रस्तुत करनेके लिए उपयुक्त प्रकारसे बाध्य है।

(१०) जिस व्यक्तिके पास इस कानूनके अनुसार प्राप्त किया हुआ नया पंजीयनपत्र होगा उसे ट्रांसवालमें रहने और प्रवेश करनेका हक है।

(११) जिस व्यक्तिको किसी दूसरे व्यक्तिका पजीयनपत्र अथवा मियादी अनुमतिपत्र मिले उसे सारे दस्तावेज तत्काल पजीयकके पास भेज देने चाहिए। यदि वह नही भेजेगा तो उसको ५० पोड तक जुमानेकी अथवा एक महीनेतक की कडी या सादी कैदकी सजा दी जायेगी।

(१२) जिस व्यक्तिका पजीयनपत्र खो जाये उसे तुरन्त नये पजीयनपत्रके लिए अर्जी देनी चाहिए। उस अर्जीमे कानूनके मुताबिक सारा विवरण दिया जाये और उसपर पाच शिलिंगके टिकट लगाये जाये।

(१३) 'गजट' मे निर्धारित की गई तारीखके पश्चात किसी भी एशियाईको राजस्व कानून या नगरपालिकाकी धाराओके अनुसार तबतक परवाना नही दिया जायेगा जबतक वह अपना पजीयनपत्र न दिखाये तथा माँगी हुई हकीकत व हुलिया न दे दे।

(१४) किसी भी एशियाईकी आयुका प्रश्न खडा होनेपर यदि वह प्रमाणोके साथ और कोइ आयु सिद्ध न कर सके तो पजीयक द्वारा निश्चित की हुई आयु ही सही मानी जायेगी।

(१५) इस कानूनके अन्तर्गत जो हलफनामा देना पडेगा उसपर टिकटकी आवश्यकता नही है।

(१६) जो व्यक्ति पजीयन-प्रमाणपत्रके सम्बन्धमे कुछ धोखा देगा, अथवा झूठ बोलेगा, अथवा दूसरे व्यक्तिको झूठ बोलनेके लिए प्रोत्साहन देगा या सहायता करेगा, अथवा जाली पजीयनपत्र बनायेगा, अथवा और किसीका पजीयनपत्र या जाली पजीयनपत्र काममे लायेगा, अथवा वैसा पजीयनपत्र दूसरोको काममे लानेके लिए देगा, उसपर ५०० पौड तक का जुर्माना होगा, अथवा दो वर्ष तक की कडी या सादी कैदकी सजा होगी।

(१७) उपनिवेश सचिव अपनी इच्छानुसार किसी भी एशियाईको मुद्दती अनुमतिपत्र दे सकता है। उस अनुमतिपत्रके सम्बन्धमे नवी धाराकी शर्ते लागू होगी और आजतक ऐसे जितने भी अनुमतिपत्र दिये जा चुके है उन सबपर यह कानून लागू समझा जायेगा। मियादी अनुमतिपत्रवालेको शराबकी छूट मिल सकती है। अलावा इसके, जिन एशियाइयोपर यह कानून लागू नही होता, उन्हे भी उपनिवेश सचिव शराबकी छूट दे सकता है।

(१८) गवर्नर निम्नलिखित कामोके लिए नियम बना सकते है और रद कर सकते है

(क) पजीयनपत्र किस प्रकारका रखा जाये।

(ख) पजीयनपत्रके लिए अर्जी किस प्रकार की जाये, किस रूपमे दी जाये, उसमे दी जानेवाली हकीकतें क्या हो, हुलियामे क्या क्या लिखा जाये।

(ग) पजीयन-प्रमाणपत्र किस प्रकारका लिया जाये।

(घ) आठ वर्षसे कम आयुवाले बालकका अभिभावक, वह एशियाई जिससे नवी कलमके अनुसार पजीयनपत्र माँगा जाये, खोये हुए पजीयनपत्रकी प्रतिलिपि माँगनेवाला एशियाई, और व्यापारके लिए परवाना माँगनेवाला एशियाई क्या-क्या हकीकतें, कौन-कौन-सा हुलिया दे।

(ड) १७वी कलमके अनुसार किस प्रकार अनुमतिपत्र दिया जाये।

(१९) प्रत्येक एशियाई अथवा एशियाईके अभिभावकपर, यदि वह अपने लिए ऊपर निर्दिष्ट की गई बाते नही करता, और यदि इसके लिए अन्यथा कोई सजा निर्धारित नही की गई है, १०० पौंड तक जुर्माना किया जायेगा अथवा उसे तीन महीने तक का सपरिश्रम या सादा कारावास दिया जायेगा।

(२०) चीनियोसे सम्बन्धित नौकरीका कानून [लेबर इम्पोर्टेशन आर्डिनेन्स] एशियाइयो पर लागू नही होगा।

(२१) १८८५के कानूनकी तारीखसे पहले यदि किसी एशियाईने अपने नामपर जमीन खरीदी होगी तो उसके उत्तराधिकारीको वह जमीन पानेका अधिकार होगा।

(२२) जबतक सम्राट् स्वीकृति न दे और वह स्वीकृति 'गजट' मे प्रकाशित न हो जाये तबतक यह कानून अमलमे नही आयेगा।

इस कानूनका असर

सौभाग्यसे यह नही दिखाई देता कि कोई भी भारतीय उपयुक्त खूनी कानून स्वीकार करनेको तैयार हो। फिर भी हम नीचे बता रहे है कि भारतीयोकी जो दुदशा आजतक नही हुई है वह अब होगी। इसमे हमारा उद्देश्य यह है कि जो भारतीय दढ है वे और भी दढ हो जाये और जिनके मनमे अनिश्चतता है वे शकारहित होकर स्वेच्छापूवक कानूनसे मुक्त हो जाये स्वतन्त्र रहे और मद कहलाये।

१ नया कानून मलाइयोपर लागू नही होता, भारतीयोपर होता है।

२ काफिरो और केप बायजपर नया कानन लागू नही होता।

३ तुर्किस्तानके ईसाइयोपर नही, किन्तु मुसलमानोपर लागू होता है।

४ इस समय अपने अँगूठोकी निशानी लगे हुए अनुमतिपत्रवाला प्रत्येक भारतीय वैध निवासी है। नये कानूनसे उसका अधिकार एकदम रद हो जाता है और नया अनुमतिपत्र लेते समय उसे उसका असली अनुमतिपत्र कैसे मिला यह बतलाना होगा।

५ वतमान अनुमतिपत्र भारतीयकी मर्जीके बिना नही बदला जा सकता। नये कानूनके अनुसार मिलनेवाले अनुमतिपत्रोको सरकार जब चाहेगी तब बदलाना होगा।

६ वतमान अनुमतिपत्रोमे आरेज रिवर कालोनीमे जानेकी छूट है। वह उपयोगी है या नही, यह प्रश्न अलग है। नये कानूनके द्वारा ऑरेज रिवर कालोनीका नाम हट जाता है।

७ इस समय ऑरेज रिवर कालोनीमे अनुमतिपत्र लेकर बसनेवाला भारतीय ट्रान्स-वालमे बेरोक-टोक आ सकता है। नये कानूनसे नही आ सकता।

८ इस समय कोई भी भारतीय अपना अनुमतिपत्र प्राप्त करनेके लिए अँगूठेकी छाप या हस्ताक्षर देनेके लिए बाध्य नही है। नये काननके अनुसार सरकार मनमाने ढगसे समय-समयपर नियम बनाकर या बदलकर हस्ताक्षर देनेके लिए, अँगूठेकी छाप देनेके लिए या और जो भी कुछ करवाना हो, उसके लिए बाध्य कर सकेगी।

९ इस समय अनुमतिपत्र सचिवको ही अनुमतिपत्र देखनेका हुक्म है। नये कानूनके अन्तगत कोई काफिर पुलिस भी देख सकेगी।

१० नये कानूनके अनुसार काफिर पुलिस नाम और हुलिया माग सकती है, और उसमे सन्तुष्ट न होनेपर थानपर ले जा सकती है। यदि नाम हुलिया लेनेपर थाने-दारको भी सन्तोष न हो तो वह उक्त एशियाईको कालकोठरीमे बन्द रखकर दूसरे दिन न्यायाधीशके पास ले जा सकता है। वर्तमान कानूनके अन्तर्गत यह सब नही हो सकता।

११ इस समय एक दिनके बालकके लिए अनुमतिपत्र लेना आवश्यक नही है। इसी प्रकार उसका नाम हुलिया मागनेकी भी कोई हिम्मत नही कर सकता। नये कानूनके अनुसार उस बालकका नाम-हुलिया देकर उसके अभिभावकको वह सब अनुमतिपत्रपर दर्ज करवाना होगा।

१२ आठ वर्षकी आयु पार करनेवाले एशियाई बालक इस समय मुक्त है। नये कानूनके अनुसार उपर्युक्त ढगसे विवरण दर्ज करा देनेके बाद भी बालकके आठ वर्षका होनेपर अभिभावकको फिर अर्जी देनी होगी और नाम हुलिया देकर पंजीयन करवाना होगा। यदि ऐसा न किया गया तो सजा होगी।

१३ आजकल सोलह वर्षकी आयु होनेपर एशियाई लडका स्वतन्त्र है और अधिकार पूर्वक रह सकता है। नये कानूनके अनुसार उस लडकेको पंजीयनपत्र लेना होगा, जिसे देना या न देना पंजीयकके हाथमे है। यदि पंजीयनपत्र न दिया गया तो उसे ट्रान्सवाल छोडना पडेगा।

१४ अभी सोलह वर्षसे कम आयुवाले लडकेको यदि कोई व्यक्ति ले आये तो उसके लिए सजा नही है। नये कानूनके अनुसार ऐसा करनेवाले व्यक्तिके लिए कडी सजा है। इतना ही नही, उसका पंजीयनपत्र रद हो जाता है।

१५ अभी चाहे जो एशियाई व्यापारका परवाना ले सकता है, और उसे अनुमतिपत्र आदि नही दिखाने पडते। नये कानूनके अनुसार नये पंजीयनपत्र ही नही दिखाने होगे, बल्कि नाम हुलिया भी देना होगा। यानी किसी भारतीयके दो चार साझेदार हो तो परवाना-अधिकारी उन सबकी उपस्थितिकी माग कर सकेगा, और उपस्थित न होनेपर परवाना देनेसे इनकार कर सकेगा।

१६ इस समय पंजीयककी सत्ता अपेक्षाकृत बहुत कम है। नये कानूनसे, यदि भार-तीय उसे मान लेते है तो, पंजीयक भारतीयोका अन्नदाता बन जाता है।

१७ नये कानूनके अन्तर्गत प्रत्येक भारतीय आवेदन करनेके लिए तो बाध्य है ही। ऐसा योग्य भारतीय क्वचित् ही हो जो स्वयं अपनी अर्जी लिख सके। अनुमति पत्रके दलालोने बहुत कमाई की है, किन्तु यदि भारतीय समाज नये कानूनके सामने झुक गया तो उन्हे तो गडा हुआ खजाना ही मिल जायेगा। कमसे कम आंक और प्रति व्यक्ति तीन पौंड गिने, तो भी, चूंकि अधिक नही तो दस हजार भारतीय अर्जदार तो यहाँ होगे ही, भारतीयोकी जेबमे से तीस हजार पौंडका ढेर लगेगा।

१८ ऐसे जुल्मी कानूनको मानकर जो पंजीयनपत्र लेगे या लिवायेंगे, उनके लिए यही कहना होगा कि उन लोगोने उपर्युक्त हिसाबके अनुसार पैसे बँटवा कर भार-तीयोका खून ही बहाया है।

ऐसे कानूनसे किस भारतीयके रोगटे नही खडे होते, किस भारतीयका खून नही खौलता, यह जाननेके लिए हम आतुर है। और हम नही समझ सकते कि कोई भी भारतीय ऐसे कानूनके सामने झुकना चाहेगा। नया कानून गुलामीकी हद हे। हम आशा करते हैं कि चाहे जो लाभ होना हो, एक भी भारतीय इस कानूनको स्वीकार नही करेगा, और चाहे जैसा नुकसान सहन करके भी उसका सामना करेगा। श्री कैलनबैकने[1] जो लिखा[2] हे वह बिलकुल उचित है कि इस कानूनको यदि हम लोग स्वीकार करते है तो सब लोग यही समझेगे कि हम इसके लायक हैं। स्मरण रखना है कि यह कानून भारतीयोका अपमान ही नही करता, हिंदू और मुसलमान दोनो धर्मोंको कलकित करता है। कारण भारतसे आनेवाले हिंदू मुसलमानोपर तो यह कानून लागू होता ही है, इसने उन मुसलमानोको भी अपनी चपेटमे ले लिया है जो भारतसे नही, बल्कि तुर्कीसे (जो यूरोपका हिस्सा माना जाता हे) आते हैं, मानो उनके छूट जानेसे ट्रान्सवाल सरकारको कोई अडचन पड जाती। किन्तु उसी देशके ईसाइयोको कानूनके प्रभावसे मुक्त रखा हे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८–६–१९०७

१४ समितिकी भूल

दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिने जनरल बोथाके नाम जो पत्र भेजा है वह बहुत अच्छा है और उसमे सब बातोका समावेश हो जाता है। इस समितिने इतना काम किया है और वह इतनी अच्छी तरहसे किया है कि उसके लिए हम सर मचरजी[3], श्री रिच[4] और अन्य सदस्योका जितना आभार माने उतना ही कम है। इसीलिए जनरल बोथाके नाम लिखे गये पत्रमे समितिसे जो भूल हो गई है उसे बताते हुए हमे सकोच होता है। फिर भी उसे बतलाना हमारा कतव्य है। उससे समितिका मूल्य कम नही होता, बल्कि यही सिद्ध होता है कि भूल मनुष्य मात्रसे होती है। समितिने लिखा है कि भारतीय कौमकी मर्जी होगी तो वह अँगुलियोकी निशानीकी जगह फोटो दे सकती है। समितिकी यही भूल है। फोटो देना या न देना भारतीयोकी मर्जीपर छोडा गया है, फिर भी हम मानते हैं कि समितिकी ओरसे ऐसी सूचना दी ही नही जानी चाहिए थी। इसके अलावा समितिके पत्रसे यह भी भासित होता है कि नये कानूनके सम्बन्धमे मानो सबसे बडी और केवल यही आपत्ति है कि अँगुलिया लगवाई जायेगी। सच कहा जाये तो अँगुलियोकी

१ हरमान कैलनबैक, एक जर्मन वास्तुकार, ये गाधीजीके मित्र बन गये थे और उनके साथ सादे जीवनके प्रयोगमें शामिल हो गये थे। इन्होंने दक्षिण आफ्रिकाके अनाक्रामक प्रतिरोधके समय जेल यात्रा की थी। देखिए **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास**, अध्याय २३, ३३ ३५।

२ देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ३० ३१।

३ सर मचरजी मेरवानजी भावनगरी (१८५१ १९३३), भारतीय बैरिस्टर, संसद-सदस्य तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिके सदस्य। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४२०।

४ एल० डब्ल्यू० रिच, लन्दन स्थित दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके मन्त्री।

निशानी केवल एक बात है। मुख्य बात तो यह है कि यह कानून अनिवार्यताके तत्त्वको लेकर भारतीय समाजको कलंकित करता है और उसे हलके दर्जेका समझता है।

फिर भी इस भूलसे कुछ नुकसान होना सम्भव नहीं। विधेयकके खिलाफ की गई लड़ाईके समय यह गलती नहीं हुई। कानून बन जानेके बाद समितिकी सूचनाका कुछ भी असर होना सम्भव नहीं। क्योंकि, आगेका मामला तो भारतीय कौमके हाथमें है। यह कानून यदि भारतीय समाजको दरअसल पसन्द न हो तो चाहे जितने संकट आयें, फिर भी वह उसे स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि उसके परिणामस्वरूप जेल भोगेगा तथा उसीमें सुख मानेगा, क्योंकि उससे उसकी प्रतिष्ठा रहेगी।

श्री रिच लिखते हैं कि भारतीय कौमके दृढ़ निश्चयसे जैसे श्री रीज[1] समितिसे निकल गये वैसे ही और भी कुछ लोग निकल सकते हैं और वे हमें कालिख लगवानेकी सलाह दे सकते हैं। इससे डरनेकी जरूरत नहीं, क्योंकि कानूनके सामने न झुकनेको ही भारतीय समाज अच्छा काम मानता है और अच्छा काम करनेमें किसीका डर रखनेकी जरूरत नहीं रहती। भगवान सदा सच्चेका रक्षक रहा है यह समझकर ट्रान्सवालके भारतीयोंने जो सीधा मार्ग अपनाया है उसपर उन्हें कायम रहना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८–६–१९०७

१५ केपके भारतीय

हम देख रहे हैं कि केपके भारतीयोंकी हालत बहुत बुरी होनेवाली है। मेफेकिंगसे आया हुआ पत्र हमने इस अंकमें अन्यत्र दिया है। केपके प्रत्येक भारतीय नेताका ध्यान हम उस ओर आकर्षित कर रहे हैं। केपके कानूनकी सबसे बुरी धारा यह है कि उसके कारण पास लिये बिना जो भारतीय केप छोड़कर जायेगा वह लौटकर नहीं आ सकेगा। वह पास केवल एक वर्ष चल सकता है। सैकड़ों भारतीय पासके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानते। और पास लिया हो तो भी यह नहीं होता कि पास लेनेकी तारीखसे एक वर्षमें सब वापस लौट आयें। इस कानूनसे सम्भव है कि पाँच वर्षके अन्दर केपमें से भारतीय खदेड़ दिये जायेंगे। हम आशा करते हैं कि केपके अग्रणी भारतीय इस विषयपर खूब ध्यान देंगे और तत्काल प्रभाव दिखानेवाला उपाय काममें लायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८–६–१९०७

१ जे० डी० रीज, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४२०।

१६ स्वर्गीय कार्ल ब्लाइड

श्री कार्ल ब्लाइडके[1] निधनका समाचार तारसे मिला है। वे एक प्रसिद्ध जर्मन थे। उनका जन्म सन १८२६ मे हुआ था। स्वतन्त्रताके लिए ओर अन्य लोगोके अधिकारोके लिए उन्होने १८४७ से १८४९ के बीच पाच बार कारावास भोगा था। यह कारावास उन्हे सरकारका विरोध करनेके कारण भोगना पडा था। एक बार तो सार्वजनिक कार्यके लिए उन्हे फासी तक की सजा दी गई थी, किन्तु वे बच गये। बादमे आठ वर्षकी जेल और भोगी। अन्तमे लोगोने उन्हे जबरदस्ती छुडाया। वे महापुरुष मैजिनी और गैरीबाल्डीके[2] मित्र थे। उन्होने जापानको रूसके खिलाफ मदद दी। स्वय बहुत विद्वान थे। उन्होने इतिहासकी बहुत सी पुस्तके लिखी है। भारतसे उनको प्रेम था। इतना विद्वान आदमी दूसरोके दु खके लिए जेलका कष्ट भोगे और फासीपर लटकनेको भी तैयार हो, ऐसे उदाहरण हमारे लिए बहुत ही कामके है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–६–१९०७

१७ हिन्दू विधवाएँ क्या कर सकती है?

भारतमे बहुत सी सम्पदा बेकार जाती हे, यह कोई भी देख सकता है। इस सम्पदामे सब चीजे आ जाती है। खनिज पदार्थोकी कोई परवाह नही करता। हमारी रुई परदेश जाती है और वहासे कपडा आता है। आलपिन जैसी चीज भी हम विदेशोसे लेते है। जो हाल पैसेरूपी सम्पदाका है वही मनुष्यरूपी सम्पदाका दिखाई देता है। बहुतेरे बाबाजी और फकीर भीख मागकर ही गुजर करते है। किन्तु वे देशके या अपने किसी भी काम नही आते। क्योकि इस प्रकार भीख मागनेसे यह नही माना जायेगा कि उन्होने सच्चा वैराग्य या फकीरी ली है। इसी तरह, खासकर हिन्दुओमे, विधवा औरते हजारो है, जिनका जीवन बिलकुल बेकार जाता है, ओर उस हद तक भारतीय सम्पदा नष्ट होती है। उसे रोकनेके विचारसे पूनाके एक परोपकारी प्रोफेसर कर्वेने[3] देशको अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वे फर्ग्युसन कालेजमे जीवन निर्वाह-भरको पैसे लेकर काम करते है। इतना ही नही, उन्होने पूनामे विधवाओकी शिक्षाके लिए कुछ वर्षोसे एक सस्था बना रखी है, जहाँ विधवा स्त्रियोको दाई या डाक्टरीका काम सिखाया जाता है। इस सस्थाका काम दिनोदिन बढता जा रहा है। वे स्वय उसमे बिना पैसा लिये काम करते है, इसलिए उन्हे

१ जर्मनीके एक क्रान्तिकारी, जो बादमें इंग्लैंडमें बस गये थे और निरन्तर राजनीतिक स्वतत्रताका समर्थन करते रहे थे।

२ ज्युसैपी गैरीबाल्डी (१८०७-८२), इटलीके देशभक्त और सैनिक, जिन्होने अपने देशकी स्वाधीनताके लिए सघर्ष किया था।

३ आचार्य धोंडो केशव कर्वे (१८५८) वीमेन्स यूनिवर्सिटी, पूनाके प्रतिष्ठाता।

उतनी ही मदद भी मिल रही है। श्रीमती काशीबाई देवधर, श्रीमती नामजोशी, श्रीमती आठवले तथा श्रीमती देशपाण्डे, ये सब बहनें जिन्होंने उत्तम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है, मदद करती हैं। इसके अलावा वे गाँव-गाँव घूमकर चन्दा इकट्ठा करती हैं। ऐसे काम हम अपने खुदके श्रमसे इतने ज्यादा कर सकते हैं कि उनमें सरकारकी मददकी जरूरत ही नहीं रहती। चतुर्मुखी शिक्षाकी हमें खास जरूरत है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ८–६–१९०७

१८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नया कानून

यह कानून अभी 'गजट' में प्रकाशित नहीं हुआ है। इसी बीच विलायतसे आये हुए तारोंसे मालूम होता है कि बड़ी सरकार अब भी उस सम्बन्धमें विचार कर रही है। लॉर्ड ऐम्टहिलने[1] लॉर्डसभामें बहस शुरू की और लॉर्ड लैन्सडाउनने[2] कहा कि ट्रान्सवालमें बिना अनुमतिपत्रके कुछ भारतीयोंके घुस जानेकी अपेक्षा सारे समाजका अपमान करना ज्यादा खतरनाक है। लॉर्ड एलगिनने[3] उत्तरमें कहा कि नये कानूनपर हस्ताक्षर करना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसका मतलब यही हुआ कि भारतीय समाजको कानूनकी शरण नहीं जाना है। कानूनपर इतनी सख्त बहस हुई और उसकी इतनी छीछालेदर की गई है कि अब उसके सामने झुकनेमें भारतीय समाजकी बड़ी बेइज्जती है।

ट्रान्सवालके छींटे

इस कानूनका प्रभाव यहीं पड़ रहा हो सो बात नहीं। इसके छींटे जर्मन पूर्व आफ्रिका तक पहुँचे हैं। जर्मन पूर्व आफ्रिकाके जर्मन लोग भारतीय व्यापारियोंसे लाभ तो पूरा उठाना चाहते हैं किन्तु देना बिलकुल नहीं चाहते। कुछ जर्मन इसलिए डर गये हैं कि यदि भारतीय व्यापारियोंको कष्ट होगा तो अंग्रेज सरकार हस्तक्षेप करेगी। इसके जवाबमें जर्मन संसदके एक सदस्यने यह कहा है कि जब अंग्रेज सरकार ट्रान्सवालके मामलेमें हस्तक्षेप नहीं करती तब जर्मन लोगोंके मामलेमें क्या करेगी? इसका मतलब भी यही निकलता है कि भारतीय समाजने जहाँ नया कानून स्वीकार किया, समझ लीजिए तुरन्त ही विदेशोंसे उसके पैर उखड़ जायेंगे। फिर तो वे ही भारतीय बाहर रह सकेंगे जो मजदूरी करके प्रतिष्ठा-रहित जीवन बिताना चाहते हों।

एक प्रमुख गोरेकी सलाह

ट्रान्सवाल संसदके एक बड़े सदस्यसे मेरी मुलाकात हुई थी। उससे मैंने जेलके प्रस्तावके सम्बन्धमें पूछा। उसने तुरन्त उत्तर दिया कि यदि आप लोग जेल जायें तो फिर

१ (१८६९-१९३५), मद्रासके गवर्नर, १८९९-१९०४, देखिए "लॉर्ड ऐम्टहिल", पृष्ठ ६५।
२ (१८४५-१९२७), भारतके वाइसराय और गवर्नर जनरल, १८८८-९३, विदेश मन्त्री, १९००-६।
३ उपनिवेश-मन्त्री, १९०५-८।

दूसरी पैरवीकी जरूरत ही नही रहती। मै नही समझता था कि भारतीय इतनी हिम्मत करेंगे, और अपनी कौम ओर आत्मसम्मानके लिए इतना जोश रखेगे। आप लोग यदि एकतापूर्वक जेलके प्रस्तावपर डटे रहे तो मै आपकी यथासम्भव मदद करूँगा। इतना ही नही, विलायतमे सारा उदार दल आपके साथ होगा ओर नया कानून रद होकर रहेगा। उन्होने महान अग्रेजी लेखक स्वर्गीय बकका उदाहरण दिया। बकका कहना था कि हजारो लोगोको फासी नही लगाई जा सकती, न उन्हे जेलमे ही बन्द किया जा सकता।

एक गोरा व्यापारी क्या कहता है?

एक गोरा व्यापारी सयानेपनका उपदेश देने लगा कि भारतीय समाजको कानूनकी शरण जाना चाहिए। उससे पूछा गया कि उसके पूर्वजोने लडाई लडी जिससे अब वह अमन चैनसे रहता है, तो इससे उसका क्या यह खयाल है कि दूसरे सभी अमन चैनसे रहते है? इसका जवाब वह नही दे सका। आखिर मैंने उससे उसके एक बडे ग्राहकके सामने पूछा, "यदि आपका ग्राहक अपना सब-कुछ छोडकर कौमके लिए जेल चला जाये तो वापस आनेपर क्या आपकी नजरमे उसकी प्रतिष्ठा नही बढेगी? आप उसे ज्यादा खुले हाथो मदद नही करेंगे?" इसके जवाबमे उसने कहा "हा, यह तो ठीक है। लेकिन क्या आप लोगोमे इतनी हिम्मत है?" आखिर बात यहा आकर रुकती है। बाजारमे अभी भारतीयोका सिक्का खोटा है, इसलिए उसकी कीमत भी खोटे सिक्के जैसी ही आकी जाती है।

'स्टार' के नाम श्री गाधीका पत्र

जनरल बोथाके लौट आनेसे और इसलिए भी कि विलायतमे समिति अभी कानूनके लिए लड रही है, श्री गाधीने 'स्टार' के नाम निम्न पत्र[1] लिखा है

> जनरल बोथा यहा आ गये है। बडी सरकार और स्थानीय सरकारके बीच अभी लिखा पढी चालू है, इसलिए आपसे तथा आपकी मारफत उपनिवेशवासियोसे निवेदन करनेका मुझे और भी प्रलोभन होता है। अब "एशियाई विरोधी" लोगोको उनके मनकी चीज मिल गई, इतनेसे क्या आप सन्तोष नही मान सकते? और क्या उस कानूनको दूर नही रख सकते जिसके कारण भारतीय लोग अपराधी माने जायेगे? कानून अभी 'गजट'मे प्रकाशित नही किया गया है और न उसके प्रकाशित किये जानेकी जरूरत ही है। इसलिए मेरा सुझाव है कि भारतीय कौमके साथ सलाह करके नये अनुमतिपत्रका नमूना तैयार किया जाये और जिन लोगोके पास इस समय अनुमतिपत्र हो उनका उस नमूनेके अनुसार पजीयन किया जाये। इस प्रकार यदि सभी एशियाई अपने पजीयनपत्र बदलवा ले तो फिर उसे अनिवार्य करके उनका अपमान करनेकी आवश्यकता नही रहती। किन्तु यदि ऐसे स्वेच्छासे पजीयनपत्र न बदलवानेवाले एशियाई ट्रान्सवालमे निकल आये तो उनके लिए एक छोटा विधेयक पास करके लागू किया जा सकता है। इस तरीकेसे सच्चे लोग झूठोसे अपने आप छँट जायेगे और सच्चे सजा पानेसे बच जायेंगे।
>
> उपर्युक्त सुझावमे आप गलती निकाल सके, ऐसा मुझे तो नही लगता। किन्तु यदि आप गलती निकाले तो इसका अर्थ यह होगा कि कानूनका उद्देश्य आपसमे

1 देखिए "पत्र 'स्टार'को", खण्ड ६ पृष्ठ ५१४ १७।

बिकनेवाले अनुमतिपत्रोंको रोकना नहीं, बल्कि भारतीय समाजपर खुलेआम कलंक लगाना है। कलंकित करनेका उद्देश्य जाहिर हो, इसके पहले मैं आपको लॉर्ड ऐम्टहिलके शब्दोंकी याद दिलाता हूँ। उन्होंने कहा है "इस कानूनमें हमारी (ब्रिटिश) प्रजाकी आबरू जाती है, इतना ही नहीं है। हम अपने भारतीय नागरिकोंके साथ वचनसे बँधे हुए हैं कि उन्हें हर तरहसे हमारे समान हक है। यह वचन उन्हें हमारे सम्राटने दिया है। हमारे अधिकारियोंने भी यही कहा है। और महान भारतका कारोबार भी इसी नीतिपर चल रहा है। हम उन्हें ब्रिटिश राज्यके नागरिक बननेमें अभिमान महसूस करनेके लिए कहते हैं। हम उन्हें समय-समयपर कहते रहते हैं कि वे भारतमें चाहे जिस पदपर पहुँच सकते हैं, और अपने व्यवहारके द्वारा हम उन्हें विश्वास कराते हैं कि वे चाहे जिस देशमें हों, पूरी तरह ब्रिटिश नागरिकके रूपमें माने जायेंगे।"

इस कानूनसे लॉर्ड लैन्सडाउनका अत्यन्त शर्म मालूम होती है और उनके मनमें ट्रान्सवालकी स्थितिकी अपेक्षा भारतके अपमानका प्रश्न ज्यादा है। मैंने जो सुझाव दिया है उससे ट्रान्सवालकी स्थितिका कोई खतरा नहीं पैदा होता और नये कानूनसे जिस प्रकार अनुमतिपत्ररहित लोगोंको आनेसे रोका जा सकता है उसी प्रकार इस सुझावके अनुसार चलकर भी हो सकता है।

सरकार यदि इस प्रकार न करे तो इसका यह साफ अर्थ है कि नये कानूनका उद्देश्य भारतीय कौमको पछाड़नेके सिवा और कुछ नहीं है। तब तो भेड़ और भेड़ियेवाली बात ही रही। चाहे जिस प्रकारसे भेड़ियाभाईको भेड़के प्राण ही लेने हैं।

कैलनबैककी सहायता

श्री कैलनबैक जोहानिसबर्गके प्रसिद्ध वास्तुकार हैं। उन्होंने भारतीय समाजको धीरज बँधाने तथा जेलके निर्णयको बल देनेके लिए 'स्टार'में निम्नानुसार पत्र लिखा है। यह पत्र श्री गांधीके पत्रके साथ ही छपा है

यद्यपि कुछ कारणोंसे मैं राजकीय कामोंमें भाग नहीं लेता फिर भी भारतीय समाज अपने उचित हकोंकी रक्षाके लिए कानूनके विरोधमें जेल जानेके प्रस्ताव द्वारा जो मार्ग ले रहा है उसे मैं देखता आया हूँ।

अखबारोंकी टीका तथा 'स्टार' में लिखा हुआ श्री गांधीका पिछला पत्र मैंने पढ़ा है। अखबारोंमें जेलके निर्णयपर टीका की गई है। मैं तो निश्चित मानता हूँ कि एशियाई कानूनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। और इतनी तकलीफके बाद भी एशियाई लोगोंको यदि तीव्र पीड़ा न हो तो मानना होगा कि वे कानूनके सर्वथा योग्य हैं यह बात सिद्ध हो गई। इसलिए जो लोग अपने भाइयोंको कानूनमें होनेवाले अपमानका दर्शन कराते हैं उन्हें उपद्रवी कह देना सरासर अनुचित है। जो भारतीय कानूनकी आपत्तिजनक बातोंको समझ सकते हैं उनका कर्तव्य है कि वे अपने भाइयोंको वे आपत्तियाँ दिखायें, उन्हें उनकी प्रतिष्ठाका भान करायें और उन्हें संगठित करके कानून रद करवानेकी तजवीज करें। मुझे विश्वास है भारतीय व्यापारियोंके व्यापारके डरके कारण हर गोरेकी विवेक-शक्ति खत्म नहीं हो गई। जो भारतीय कानूनका अपमान सहन करनेके बदले जेल जानेको तैयार हैं, पैसे टकेका नुकसान

उठानेको तैयार हूँ, मै मानता हूँ कि ऐसे भारतीयोसे सहानुभूति रखनेवाले तथा उनकी प्रशसा करनेवाले गोरे बहुत है।

म जानता हूँ कि विभिन्न लोगोमे आवश्यकतासे अधिक होड चलती हे। लेकिन मने यह देखा हे कि युरोपीय लोग उसे बहुत ही बडी रूप देते है। ब्रिटिश भारतीय सघने जो सूचना दी है, मै मानता हूँ कि वह बहुत ही उचित हे ओर यदि सरकारने सघकी सलाह मानी होती तो आज जो नाजुक परिस्थिति पैदा हुइ है, वह न होती।

अतमे मैं यह भी कहता हूँ कि म तो अपने भारतीय मित्रोसे कैदखानेमे मिलने भी जाऊँगा उनकी तकलीफे कम करनेके लिए जो भी करना उचित होगा वह करूँगा तथा उसमे मुझे आनन्द और अभिमान महसूस होगा ।

श्री कैलनबैक इतने उम्दा पत्रके लिए बधाईके पात्र है। उनके जैसे और भी गोरे निकले तो आश्चय नही। अभी तो हमने कुछ करके नही दिखाया, फिर भी श्री कलनबैक जैसे सज्जन अपनी सहानुभूति व्यक्त करनेके लिए निकल पडे है। फिर जब हम कुछ करके दिखायेगे तब तो ऐसे बहुतेरे लोग निकलेगे।

सघकी बैठक

जनरल बोथाके पास शिष्टमण्डल ले जानेके लिए शनिवारको ४—३० बजे सघकी बैठक हुई थी। उसमे श्री ईसप मिया (कायवाहक अध्यक्ष), श्री अब्दुल गनी[1], श्री कुवाडिया, श्री नायडू, श्री उमरजी साले, श्री अलीभाई आकुजी, श्री पिल्ले, श्री मुहम्मद, इमाम अब्दुल कादिर आदि सज्जन उपस्थित थे। श्री हाजी हबीब[2] इस बैठकमे हाजिर होनेके लिए ही प्रिटोरियासे आये थे। कुछ सवालोके सुलझ जानेके बाद श्री हाजी हबीबके प्रस्ताव और श्री कुवाडियाके समथनसे जनरल बोथाके पास शिष्टमण्डल ले जाना तय हुआ। 'स्टार' मे श्री गाधीने ऊपरका जो निवेदन प्रकाशित कराया है उसे मान्य करनेके लिए सरकारसे निवेदन किया जाये और यदि सरकार उसे मान्य न करे और कानूनमे परिवतन न करे तो भारतीय कौम इस कानूनको कभी मजूर नही करेगी तथा अपने सितम्बर माहके प्रस्तावपर अडी रहेगी, इन सब बातोको भी जनरल बोथाके सामने पेश करनेका निणय हुआ। शिष्टमण्डलमे श्री ईसप मिया, श्री अब्दुल गनी, श्री हाजी हबीब, श्री मूनलाइट तथा श्री गाधीको भेजना तय हुआ। उसीके अनुसार श्री ईसप मियाने जनरल बोथासे मुलाकातका दिन निश्चित करनेको लिखा है।[3] उस पत्रके 'इ०ओ०' मे प्रकाशित होने तक शिष्टमण्डल जनरल बोथासे मिल भी चुकेगा।

सरकार जेलमे न बन्द करे तो क्या कर सकती है?

ऐसा प्रश्न उठा है कि कही सरकार किसी भारतीयपर नये पजीयनपत्रका मुकदमा न चलाकर सारा वष बीतने तक रुकी रहे, और आखिर उसे परवाना न मिलनेके कारण व्यापार बद करना पडे। किन्तु यह असम्भव है। क्योकि बिना परवानेके व्यापारियोकी सख्या यदि सैकडो हो तो वे किसी भी दिन कानूनकी चपेटमे नही आ सकते। व्यापारियोके

१ ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्ष, १९०३ ७।
२ ब्रिटिश भारतीय सघकी प्रिटोरिया समितिके मत्री।
३ देखिए "पत्र प्रधानमन्त्रीके सचिवको", पृष्ठ १४१५।

नौकरोका कभी भी नुकसान नही हो सकता। यदि सरकार ऐसा करेगी तो कानूनका होना न होना बराबर हो जायेगा। किन्तु मान ले कि सरकार केवल व्यापारियोको ही तग करना चाहती है। उस हालतमे मै पहले जवाब दे चुका हूँ कि जेलका डर छोड देनेके बाद हमे किसी बातसे डरनेकी जरूरत नही रहती। सरकारने यदि परवाना न दिया तो उसका नुकसान होगा, क्योकि व्यापारी बिना परवानेके भी व्यापार कर सकेगा। इस तरहके व्यापारमे उसे नया पजीयन न करवाने जितनी ही जोखिम है। नया पजीयन न करवानेमे आखिर जेल जाना पडेगा। वही बिना परवानेके व्यापार करनेसे भी होगा। अन्तर सिर्फ इतना ही है कि बगैर परवाना व्यापार करनेपर एक ही व्यक्तिको सजा होगी, अर्थात दूकान खुली रह सकेगी और नौकर काम चला सकेंगे, जबकि नया पजीयन न करवानेपर सभी लोगोको पकडा जा सकता है।

बिना परवानेके व्यापार करनेवालेका माल नीलाम किया जा सकेगा?

यह सवाल भी उठा है। नेटालके कानूनके अनुसार माल नीलाम किया जा सकता है। किन्तु ट्रान्सवालके कानूनके अनुसार तो यदि जुर्माना न दिया जाये तो जेल ही जाना होगा। जुर्माना तो किसीको देना ही नही है। यानी सरकार व्यापारिक परवानेके आधारपर यदि हमे कसना चाहे भी तो सभी दूकानदार और फेरीवाले बिना परवानेके व्यापार करने लग जायेंगे।

क्या दूकान बन्द की जा सकती है?

बिना परवानेके व्यापार करनेवालेकी दूकान सरकार बन्द कर सकती है या नही, यह सवाल भी उठाया गया है। जबरदस्ती दूकान बन्द करनेका कानून दक्षिण आफ्रिकामे किसी भी जगह नही है। इसलिए उसका डर रखनेकी जरूरत ही नहीं।

क्या विनियमो द्वारा परिवर्तन हो सकता है?

यह सवाल उठा है कि जनरल बोथा विनियम बनाकर हमे राहत दे सकते है या नही, और हम जितनी चाहते हैं उतनी राहत यदि मिल जाये तो भी क्या कानूनका विरोध करनेकी आवश्यकता रहती है? पहली बात तो यह जानना रहा कि कानून बनानेसे क्या हो सकता है? कानूनमे तो यही हो सकता है कि केवल अँगूठा लगानेसे या सारी अँगुलियाँ लगानेसे या हस्ताक्षर करनेसे काम चल सकता है या नही चल सकता। लेकिन बच्चोका पजीयन करवाना, पुलिसके द्वारा सताया जाना, पुलिसके पास शिनाख्त लिखवाना वगैरह कानूनकी जो खूनी धाराएँ हैं उनमे किसी प्रकारका परिवर्तन नही किया जा सकता। सक्षेपमे, कानून हमारे जो कालो टीका लगाता है उसे धाराओ द्वारा नही पोछा जा सकता। अत हम जो सुधार चाहते हैं उन्हे कानूनमे परिवर्तन किये बिना करना जनरल बोथाके लिए सम्भव नही है। कानूनमे परिवर्तन किया जानेकी आशा करना बिलकुल बेकार है। अधिकसे अधिक यही हो सकता है कि कानून अभी 'गजट'मे प्रकाशित न हो। ऐसा करनेमे दोनो पक्षोकी प्रतिष्ठा रह सकती है। सरकार यदि कानूनमे ऐसा परिवर्तन करे कि वह कानून हमे स्वीकार्य हो जाये तो उसमे उसकी फजीहत होगी।

स्वतन्त्र भारतीय कुत्तोसे भी गये-बीते

यहाँ आजकल खेतीकी बडी प्रदर्शनी हो रही है। प्रदर्शनी-समितिने यह नियम बनाया है कि स्वतन्त्र एशियाई या स्थानीय लोग, जो गोरोके नौकर न हो, प्रदर्शनी देखने नही जा

सकते। इस प्रदशनीमे कुत्तोको जानेकी छूट हे। इतना ही नही, अच्छे कुत्तोको इनाम भी दिया जाता है। ऐसे कुत्तोके मुकाबले स्वतत्र भारतीय इस गोरी समितिकी नजरोमे गये-बीते ह।

अनुमतिपत्र कार्यालय

अनुमतिपत्र कार्यालयके बहिष्कारको बहुत ही उचित साबित करनेवाला एक किस्सा अभी अभी घटित हुआ मालूम पडता है। एक भारतीयको सूचना मिली थी कि उसे अनुमतिपत्र दिया जायेगा। उसे कार्यालयमे जाकर अनुमतिपत्र लेना भर था। इसपर उसे सलाह दी गई कि नये कानूनकी कोई बात न निकाली जाये तो उसे अनुमतिपत्र ले लेना चाहिए। इससे वह अनुमतिपत्र कार्यालयमे गया। श्री चैमनेने उससे कहा कि तुम नये कानूनको मानोगे, ऐसा वचन दो तभी तुम्हे अनुमतिपत्र दिया जा सकेगा। इसपर उस बहादुर भारतीयने वचन देनेसे इनकार कर दिया और बिना अनुमतिपत्र लिये चला आया। अत प्रत्येक भारतीयको समझना चाहिए कि अनुमतिपत्र कार्यालय भारतीयोके लिए एक फन्दा हे।

भारतीय व्यापारी क्या कर सकते है?

बहुतेरे भारतीय व्यापारियोका कहना हे कि डच लोग हमारे विरुद्ध नही ह। यह दिखानेके लिए वे सरकारको अर्जी देनेको तैयार है। यदि यह बात सच हो तो हर भारतीयको उस अर्जीपर [डचोकी] सही करवानी चाहिए। उस सम्बन्धमे शोर मचानेकी आवश्यकता नही। यदि व्यापारी ऐसा करे तो उन्हे अर्जीका फाम भेजा जायेगा। जो ऐसा कर सके वे सघको लिखकर सूचित कर दे।

फेरीवालोका कानून

फेरीवालोका कानून सरकारने [नगर परिषदको] लौटा दिया हे। उसमे परवाना ५ पौडका है। उसे सरकारने ३ पौडका करनेके लिए लिखा है। परिषदकी समितिने फिर सूचित किया है कि वसा करनेसे पैसेका नुकसान होगा, इसलिए ५ पौडकी दर कायम रहनी चाहिए।

अनुमतिपत्रका मुकदमा

अभी अनुमतिपत्रके मुकदमे चलते रहते है। दो धोबियोपर झूठे अनुमतिपत्र इस्तेमाल करने और बिना अनुमतिपत्रके रहनेका अभियोग था। उन्होने बचावमे कहा कि उन्हे एक भारतीय अनुमतिपत्रके लिए यह कहकर ले गया था कि अनुमतिपत्र अधिकारी जोहानिसबग आता है और अनुमतिपत्र देता है। उनसे ३० पौड प्रति व्यक्ति मागा गया। धोबियोने देना स्वीकार किया। वे भारतीयके घर गये। वहा चेहरेपर नकाब डाले हुए एक गोरेको देखा। गोरेने अनुमतिपत्र दिया। उन्होने ३० पौड दिये। वे झूठे अनुमतिपत्रके अभियोगसे बरी हो गये। क्योकि उन्हे मालूम नही था कि गोरेने जो अनुमतिपत्र दिये है वे झूठे है। किन्तु बिना अनुमतिपत्रके रहनेके अपराधमे उन्हे सात दिनमे ट्रासवाल छोडनेका हुक्म दिया गया। यह गोरा अधिकारी कौन है, यह जानने जैसी बात है। ऐसी अफवाहे बहुत है।

एक अभियोग दूसरे भारतीयपर था। वह एक भारतीयके शपथपत्रको लेकर था। वही भारतीय दुबारा बयान देनेमे बदल गया था, इसलिए मजिस्ट्रेटने अपराधी भारतीयको छोडकर झूठे गवाहको कैद किया। कहावत हे कि दूसरेके लिए गडढा खोदनेवाला खुद ही उसमे गिरता हे। इन महाशयके सम्बन्धमे यही बात चरितार्थ हुई जान पडती हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–६–१९०७

१९ अफगानिस्तानमे मुसलमानोकी हालत

मुसलमानी प्रशासनके सम्बन्धमे श्री सयद अली, बी ए का एक लेख हम पहले दे चुके हैं। उस लेखका दूसरा भाग मार्चके 'इडियन रिव्यू' मे आया हे। उससे निम्न साराश ले रहे है

तुर्की और ईरानके सम्बन्धमे हम विचार कर चुके हैं। अब अफगानिस्तानके सम्बन्धमे विचार करे, जिसने अभी अभी बहुत ही तरक्की की है। अमीर अब्दुरहमान खानके गद्दीपर बैठनेसे पहले अफगानिस्तानमे कोई राज्यव्यवस्था नही थी, यह कहे तो भी अनुचित न होगा, यद्यपि उस समय भी उनकी 'उलु' और 'मलिक' परिषदे थी। कादी यानी गावोके भिन्न-भिन्न भागोके लोग अपनी ओरसे सारे गावकी परिषदमे सदस्य भेजते थे। वे लोग 'खेल' नामक परिषदके लिए सदस्य निर्वाचित करते थे और उनमे से 'उलु' का निर्वाचन होता था। परन्तु लोगोके स्वभावके कारण उस समय राज्यकी बागडोर किसीके हाथमे टिक नही पाती थी। उस समय चोरी करनेवालेके हाथ काट दिये जाते थे। कोई गुलाम भाग जाये तो उसके पैर काट दिये जाते थे। सरदारोके हाथमे अलग-अलग विभागोकी हुकूमत थी। इन सरदारोके ऊपर अमीर थे। किन्तु वे लोग अमीरकी सत्ता नही मानते थे। पठान स्वय साहसी हैं इसलिए उन्हे इस प्रकारकी अन्धेरगर्दी अच्छी लगती थी। उस समय उपर्युक्त सजा ही योग्य थी। जनरल एलफिन्स्टनने[1] एक पठानसे पूछा तो उसने जवाबमे कहा "हमे लडाईसे सतोष होता है। खतरेसे नही डरते, खून देखकर हमे चक्कर नही आते, परन्तु अपनी आजादी खोकर हम किसी बादशाहको स्वीकार करनेवाले नही है।"

जब अमीर अब्दुरहमान गद्दीपर बैठे, उन्होने महान परिवर्तन किये। उनका अपना राज्य रूस और इग्लैंड दोनोके बीच बिचौलिया सा बना हुआ था। इसका उन्होने पूरा लाभ उठाया। कभी वे रूसकी ओर झुकते थे तो कभी इग्लैंडकी ओर। खुलकर झगडा उन्होने किसीके साथ नही किया और अन्तमे इग्लैंडके पक्षमे रहे। उनकी इस चालाकीसे यूरोपके राजनीतिज्ञ दग रह गये। मरहूम अमीरने हमेशा लाभ उठाया। पर इसके बदलेमें लाभ दिया किसीको नही। राज्यके अन्दर भी अत्यन्त कुशलतापूर्वक उन्होने सरदारोके जोरको तोड दिया। राजस्व

१ माउंट स्टुअर्ट एलफिन्स्टन (१७७९ १८५९) राजनीतिज्ञ और इतिहासकार, बम्बईके लेफ्टिनेंट गवर्नर, १८१९ २७।

कानूनमे सुधार किये। भारतीय सरकारकी ओरसे जो बारह लाख और अन्तमे अठारह लाख रुपये वार्षिक अपने लिए मिलते थे, उसका उन्होने उत्तम उपयोग किया। सेना बनाई, गोला-बारूद जुटाया और व्यापारकी वद्धि की। बेकार कर हटा दिये, टकसाल स्थापित की। इस समयके गद्दीनशीन अमीरने अफगानिस्तानकी प्रतिष्ठा और भी बढा दी है। उन्होने दो सभाएँ स्थापित की है, जिनके नाम है — 'दरबारेशाही' ओर 'क्वाजानशाही'। इस प्रकारकी हुकूमतमे पठानोके स्वभावमे भी परिवतन होने लगा हे। यदि इसी प्रकार लम्बे अर्से तक चलता रहा तो शमशेर बहादुर पठान पूवमे शक्तिशाली राज्य स्थापित कर सकेंगे। फिर भी यह स्वीकार करना होगा कि अभीतक अफगानिस्तानी प्रजा राजकीय प्रबन्धमे दखल नही देती हे। अमीर हबीबुल्ला खान बादशाह है। बहादुर योद्धा है और मुल्ला है। उन्होने भारतमे एक बार भी अपनी नमाज नही छोडी थी। १९०५ का सन्धिपत्र अमीर निभायेगे या नही, कहा नही जा सकता। अमीर हबीबुल्लाकी गिनती अब बादशाहोमे होती है। उन्हे २१ तोपोकी सलामी दी जाती है और ईरानके शाहके पास जितनी सत्ता है उतनी ही अब अफगानिस्तानके अमीरके पास है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ८–६–१९०७

२० पत्र[1] 'स्टार'को

पो० ऑ० बॉक्स ३५५३
[जोहानिसबर्ग]
जून ८, १९०७

सेवामे
सम्पादक
'स्टार'
[जोहानिसबर्ग]

महोदय,

मने आज 'गजट' मे छपी यह सूचना देखी है कि एशियाई कानून-सशोधन अधिनियमपर सम्राटकी स्वीकृति मिल चुकी है और वह एक निश्चित दिन, जो नियत करना है, लागू हो जायेगा। मै नही जानता कि इसका अथ क्या है, किन्तु इससे कुछ अवकाश रह जाता है, और इसलिए मै जनताके सम्मुख अधिनियमके व्यापारिक पक्षको रखना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ अपनी कहानी बतानी पडेगी। मै ट्रान्सवालमे पिछले १९ सालसे बसा हुआ हूँ और मुझे सुलेमान इस्माइल मिया एण्ड क० नामकी पेढीका प्रबन्धक साझेदारके रूपमे प्रतिनिधित्व करनेका सम्मान प्राप्त है। मेरी पेढीका यूरोपीय थोक पेढियोसे बहुत बडा लेनदेन

१ अनुमान है कि इसका मसविदा गाधीजीने बनाया था। यह **इडियन ओपिनियन**में १५–६–१९०७ को प्रकाशित किया गया था।

है। उन्हाने, कहना जरूरी हो तो, इस पेढीके साथ अपने कारोबारमे बहुत बडा आर्थिक लाभ उठाया है। जेमिसनके धावेके[1] समय पढीने भारी हानि उठाई थी और फिर भी अपने लेनदारोको रुपयेम सोलह आने चुकाये थे। बोअर युद्धमे भी उनकी ऐसी ही अग्नि परीक्षा हुई थी, तब भी लेनदारोका पूरा रुपया चुकाया गया था। और अब तीसरी बार उसके सामने पूरी बरबादी मुह बाये खडी है। पहले दो उदाहरणोमे कारण मानवीय शक्तिसे बाहरका था — कमसे-कम मेरी पेढीके नियन्त्रणसे परे तो था ही। आज उसका कारण अपना उत्पन्न किया हुआ हागा। क्या? सीधी सादी बात यह ह कि एशियाई कानून-सशोधन विधेयकको प्रत्येक भारतीय, जो उसे समझता हे, विशुद्ध दासताका चिह्न मानता हे। उमस ट्रान्सवाल, प्रत्येक भारतीयके लिए, जहातक मैं उनके विचार जानता हूँ, कारावास बन जाता हे। इसलिए भारतीयाने फैसला किया ह कि व ऐसे कानूनक आगे नही झुकेंगे, बल्कि उसकी अवज्ञाके जो भी परिणाम हो, उनको भोगेंगे। किसी कानूनकी अवज्ञा करना भारतीयाकी प्रवृत्तिके विरुद्ध हे। फिर भी इस कानूनक विरुद्ध उनकी भावना इतनी प्रबल है कि इसकी अवज्ञा करना अच्छाई और इसका पालन करना कायरता भरी बुराई माना जाता हे। एक भारतीय व्यापारीके रूपमे जो स्थिति मेरी हे वैसी स्थिति मेरे जैसे बहुत से लोगाकी हे। क्या आप मानते हैं कि ऐसे सभी भारतीय यह पूरी तरह नही जानते कि काननकी अवज्ञा करनेपर सासारिक दृष्टिकोणसे उनकी कितनी हानि होती है? किन्तु हमने आपक देशवासियाके पास रहकर यह सीखा ह कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको खाने और अपमान स्वीकार करनमे ऐसी हानिको सहन करना अधिक अच्छा है। मै अपन मिल्कियतनामकी मसूखी क्यो मजूर करू और अपनी इज्जत खोकर परवाना दफ्तरमे क्यो जाऊ एव ऐसा नया मिल्कियतनामा क्यो माँगू जिसमे कई प्रतिबन्ध हो? इसके अतिरिक्त मुसलमान होनेके कारण मैं इस बातपर अत्यधिक रोष प्रकट करता हूँ कि तुर्की साम्राज्यक मुस्लिम प्रजाजन अधिनियमके अपमानास्पद जुएसे मुक्त नही ह जब कि उसी साम्राज्यके गर-मुस्लिम प्रजाजन मुक्त हैं। मैं आपसे और जनतासे इन तथ्योको अच्छी तरह तौलनेकी प्रार्थना करता हूँ।

यदि सरकारने यह अधिकार अपने हाथमे न रखा होता कि भारतीयाके दृष्टिकोणसे जो स्थिति अनुचित है, उससे वह अब भी हट सकती है, तो मैंने आपको कष्ट न दिया होता। स्वच्छासे फिर पजीयन करानेका प्रस्ताव मान लिया जाये और यदि वह सफल न हो तो जो उसे कार्यान्वित न करे उनके अनिवाय पजीयनके लिए एक दिन नियत कर दिया जाये। यह सच है कि स्वेच्छासे पजीयन करानेमे भारतीय बच्चोपर 'ठप्पा न लगेगा', किन्तु मैं साफ तौरपर मजूर करूँगा कि चाहे मुझे कितनी ही हानि क्यो न उठानी पडे, मैं उस कानूनकी अवज्ञा करनेस न रुकूगा जिसका अथ यह होता है कि मै अपने एक दिनके बच्चेका हुलिया लिखाऊँ और यह मौन स्वीकृति दे दू कि वह दुधमुहा बच्चा भविष्यका भयकरतम अपराधी है। मैंने अपने कई यूरोपीय मित्रोसे बातचीत की है। उन सबका यह खयाल है कि हमारी माँग बहुत ही उचित है। मैं आपसे और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ट्रान्सवालमे सम्मानपूण जीवन बितानेके सघषमे हमारा समथन कर। ईसा जितने ईसाइयोके नबी हैं उतने ही मुसलमानोके भी हैं। उन्होंने एक जगह कहा है "दूसरोके साथ वैसा बरताव करो जैसा

1 १८९५ में, देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१८।

तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करे।" क्या मै इस ईसाई सरकारसे इस बुद्धिमत्तापूण उक्तिके अनुसरणकी प्राथना करूँ ?

आपका, आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ

[अग्रेजीसे]

स्टार, ११–६–१९०७

२१ पत्र प्रधान मन्त्रीके सचिवको

जोहानिसबग
जून १२, १९०७

कायवाहक सचिव
प्रधान मन्त्री
[प्रिटोरिया]

महोदय,

आपके इसी मासकी ४ तारीखके पत्र स० १४/१ के सम्बन्धमे, मुझे इस बातपर खेद है कि प्रधान मन्त्री एशियाई पजीयन अधिनियमके[१] बारेमे मेरे सघके शिष्टमण्डलसे मिलना अनावश्यक समझते है।

किन्तु यह देखते हुए कि अभी कानूनको लागू करनेकी तारीख 'गजट' मे प्रकाशित नही हुई है, मेरा सघ सरकारसे एक बार फिर प्राथना करता है और सादर सुझाव देता है कि स्वेच्छया पजीयनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाये और यह अधिनियम बादमे, एक छोटे विधेयकके द्वारा, उन लोगोपर लागू कर दिया जाये जो स्वेच्छया पजीयनके प्रस्तावपर अमल न करे।

आपका, आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ
कायवाहक अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २२–६–१९०७

१ प्रधान मन्त्रीका खयाल था कि इससे कोई 'उपयोगी उद्देश्य' सिद्ध न होगा, क्योकि अधिनियमसे सम्बद्ध सम्राट्की स्वीकृतिकी घोषणापर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं।

२२ पत्र छगनलाल गाधीको

जोहानिसबग
जून १२, १९०७

प्रिय छगनलाल,[1]

माटेग्यू जायदादमे, उनके द्वारा किये गये विस्तारके कारण, हमे अतिरिक्त कुछ नही मिलनेवाला है।

मुझे हप हे कि कठिनाइयाँ आगेके काय और आगेकी प्रवृत्तियोके लिए एडका काम करती हैं। नि सन्देह उनका इसी अथमे समझना उचित हे। ऐसे लोग पीछे हटना या निराश होना नही जानते। तुमने इस साधारण कहावतको उद्धृत किया हे कि जो कर्त्तव्यकी प्रेरणाओके अनुसार काय करते हैं उन्हे सफलता मिलनी ही चाहिए, और ऐसा ही होता है। परन्तु हमे सतक रहना चाहिए कि हम 'सफलता' शब्दका गलत अथ न लगाये। जहा बहुत सी चीजे, जो धार्मिक नही होती, गलतीसे वैसी मान ली जाती हैं वहा बहुत-सी बात, जिन्हे हम असफलताएँ समझते है, वास्तवमे सफलताएँ होती हैं। इसलिए, इस कहावतकी सत्यताको तो हम स्वीकार कर सकते है परन्तु हम सदैव जो काय करना है उसपर दृष्टि रखनी चाहिए और परिणामकी परवाह नही करनी चाहिए।

जहातक मेरा सम्बन्ध है, तुम 'इडियन ओपिनियन' मे इस अधिनियमके[2] तमिल, हिन्दी और उर्दू अनुवाद छाप सकते हो और मेरे पास अलगसे पत्रक भेज सकते हो। इनको हम जितना ही बाटेगे उतना ही अच्छा होगा। यह अधिनियम अपनी निन्दनीयता आप ही बताता हे। मैं देखता हूँ कि यहाँ भी लोगोपर इसका ऐसा ही प्रभाव पडा है। यद्यपि तुमने मेरे पास चालू अककी ३५० प्रतियाँ भेजी थी, बहुत कम प्रतिया बच रही हैं। व्यासने प्रिटोरियाके लिए ६० प्रतिया मँगवाई थी, और अन्दरूनी इलाकोसे आज मेरे पास १५ प्रतियाकी माँग आई है।

गुजराती टाइपके बारेमे मुझे कोई उत्तर नही मिला हे। गोकलदासने[3] मुझे लिखा था कि वह इधर ध्यान देगा, परन्तु उसने मुझे हर तरहसे निराश ही किया है। वह काहिल, लापरवाह और अविश्वासी हो गया है।

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मो० क० गा०

गाधीजीके सक्षिप्त हस्ताक्षर युक्त टाइप की हुई मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४७५४) से।

१ गांधीजीके चचेरे भाई खुशालचन्द गांधीके पुत्र। ये इंडियन ओपिनियनके गुजराती विभाग तथा फीनिक्समें छापाखानेकी देख-रेख करते थे।

२ एशियाई पंजीयन अधिनियम।

३ गांधीजीकी बड़ी बहन रलियातबेनके पुत्र।

२३ शाही स्वीकृति

पजीयन अधिनियमके लिए बहुत दिनोसे टलती आई शाही स्वीकृति अब 'गजट' मे प्रकाशित हो गई है। जनरल बोथाने यद्यपि लार्ड एलगिनको इस बातका आश्वासन दिया है कि वे ब्रिटिश भारतीयोकी भावनाओका खयाल रखेगे तथापि उन्होने ब्रिटिश भारतीयोके एक शिष्ट मण्डलसे मिलना अस्वीकार कर दिया है और कहा है कि उससे कोई फायदा नही हो सकता क्योकि वह कानून पिछले सप्ताह 'गजट' मे छप जानेवाला था। लेकिन हम देखते हैं कि यद्यपि कानन 'गजट' मे छप गया है, तथापि उसके अमलकी तिथि अनिश्चित कालके लिए बढा दी गई है। वह या तो अभी तय होगी या फिर कभी नही होगी। ब्रिटिश भारतीय सघके कायवाहक अध्यक्ष श्री ईसप मियाका पत्र[1], जो 'स्टार' मे छपा है और जिसे हमने भी उद्धत किया है, बहुत ही समयोचित है। श्री ईसप मिया, जो बहुत पुराने व्यापारी हैं और जिनके बहुत बडे स्वाथ दावपर हैं, जनतासे कहते है कि उन्होने इस कानूनके अपमानको इतने मार्मिक रूपसे अनुभव किया है कि अगर इस कानूनके सामने न झुकनेके लिए उन्हे यही कीमत चुकानी पडे, तो वे अपना सब-कुछ बलिदान करनेके लिए तैयार है। इसके बाद उन्होने बहुत ही तकसगत प्रस्ताव रखे हैं कि कानूनको लागू करनेकी तिथि अभी निश्चित न की जाये और ब्रिटिश भारतीयोको और अन्य एशियाइयोको अपनी नेक-नीयतीका सबूत देनेके लिए इस बातकी छूट दी जाये कि वे स्वेच्छासे अपना पुन पजीयन कराये। अगर यह प्रयोग असफल साबित हो तो वह कानून उन लोगोपर लागू किया जाये जिन्होने स्वेच्छासे अपना पुन पजीयन न कराया हो। हमे आशा है कि ट्रान्सवाल सरकार इस स्पष्टतया उचित सुझावको मान लेगी। जनरल बोथाने ट्रान्सवालकी जनताकी तरफसे कई बार साम्राज्य सरकारके प्रति, ट्रान्सवालको दिये गये उदार विधानके लिए, गहरी कृतज्ञता व्यक्त की है, और अपनेको सम्पूण साम्राज्यके लिए चिन्तित बताया है। अगर वे भारतको भी साम्राज्यका अग मानते हैं तो इस बातकी आशा की जा सकती है कि इस आखिरी क्षणमे भी वे भारतीय समझौतेको स्वीकार करके ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोकी भावनाओको दुखाना टाल देगे।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १५–६–१९०७

१ देखिए "पत्र 'स्टार' को", पृष्ठ ३५ ३७।

२४ कानूनका अत्याचार

जो पार उतारे औरोको, उसकी भी नाव उतरनी है ।
जो गक करे फिर उसको भी याँ डबकु-डबकु करनी है ।
शमशीर तबर बन्दूक सना और नश्तर तीर नहेरनी है ।
याँ जैसी-जसी करनी है, फिर वैंसी वैसी भरनी है ।

कविने यो गाया है। 'जैसी करनी वैसी भरनी,' यह जगतप्रसिद्ध कहावत है। इस तरहका जो नियम है वह भारतीय समाजके लिए कुछ वदल नही जायेगा। जैसे कडवी बेलमे मीठा फल नही लग सकता, पलासमे आम नही लग सकता, वैसे ही ट्रान्सवालके भारतीय करेंगे कुछ, और होगा कुछ—सो भी नही हो सकता। वे लोग मर्दानगी दिखायेंगे तो मदके समान रह सकेंगे। सम्मानके योग्य बात करेंगे तो सम्मान भोगेंगे। दिया हुआ वचन पालेंगे और कहा हुआ करके दिखायेंगे तो उनकी शोभा बढ़ेगी। किन्तु यदि स्वार्थ, डर या अन्य किसी कारणसे प्रतिज्ञा-भ्रष्ट होंगे तो समझ लीजिए कि ट्रान्सवालसे भारतीय समाजके अधिकार लद गये। इतना ही नही, ट्रान्सवालवालोंके साथ दूसरे भी पिस जायेंगे। ट्रान्सवालमें भारतीय समाजने ऐसा ही बडा काम अपने सिर लिया है।

इसके अलावा कवि कहता है कि जो दूसरोको पार उतारेंगे वे स्वय भी पार जायेंगे, यह भी दुनियाका—प्रकृतिका या खुदाका कानून है। यदि हम दूसरेका काम इस तरह करेंगे तो हमारा अपने आप हो जायेगा। बाकी तो पक्षी और जानवर भी करते हैं। किन्तु मनुष्य और पशुमे मुख्य अन्तर यह है कि मनुष्य परोपकारी प्राणी है। जहाँ लोग प्रजाके सुखमे अपना सुख मानते है वहाँ सब सुखी रहते हैं। जहाँ सब अपना-अपना देखते है, वहा सब बर्बाद हो जाते है। क्योकि "जो गक करे फिर उसको भी या डबकु डबकु करनी है।" यह विचार गम्भीर है और सोचे तो सही भी है। जो माँ दुख उठाकर बच्चेकी परवरिश करती है, वह अन्तमे सुखी होती है, कुटुम्बमे जहाँ सब आपसमे एक-दूसरेका दुख बँटाते है और अपने दुखकी परवाह नही करते, वहाँ कुटुम्ब व्यवस्था निभती चलती है, समाजमें लोग स्वय दुख उठाकर समाजकी रक्षा करते हैं और उसके द्वारा अपनी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार जहाँ लोग देशके लिए दुख उठाते ह, मरते हैं, वहाँ वे जिन्दा रहते हैं और देशका नाम चमकाते है। इस तरहके गूढ नियमको तोडकर कौन भारतीय सुख भोगना चाहता है? ये उदाहरण स्पष्ट रूपसे सिद्ध कर दते हैं कि यदि ट्रान्सवालके भारतीय कौमके लिए—अपनी प्रतिष्ठाके लिए—सारे दुख सहनकर, आपत्तियाँ उठाकर, हाथमें लिया हुआ काम पूरा करेंगे तो उनकी विजय होगी। वे अपने बन्धन काटेंगे और इतिहासम अपना नाम अमर करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-६-१९०७

२५ रोडेशिया और ट्रान्सवाल

रोडेशिया विधानसभामे चर्चा शुरू हुई हे कि जब ट्रान्सवालमे एशियाइयोके लिए कानून बन गया है तब यहा भी बनाया जाना चाहिए तथा भारतीयोको आनेसे रोकना और उनका पजीयन करना चाहिए। सभी सदस्य इस सम्बन्धमे जोरोसे बोले थे। वे सारी बाते हमने ब्योरेके साथ अग्रेजी विभागमे दी है। उनसे हमे यही देखना है कि यदि ट्रान्सवालका कानून कायम रह गया और भारतीय समाज उसके सामने झुक गया तो हर जगह वैसा ही कानून बनाया जायेगा। रोडेशियाके भारतीयोको केवल इसी तरह मदद दी जा सकती हे कि ट्रान्सवालके भारतीय पीछे पैर न रखे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १५–६–१९०७

२६ गिरमिटिया भारतीय मजदूर

थॉनविल जक्शनमें एक गोरेने एक भारतीय गिरमिटियेको बुरी तरह पीटा और वह भारतीय मर गया। गोरेपर मुकदमा चलाया गया, जिसमे उसे १० पौड जुर्माना हुआ। इसका पूरा विवरण हम अन्यत्र दे रहे है। यह मामला रोगटे खडे कर देनेवाला है। भारतीय मर गया और गोरा दस पौड देकर छूट गया, इसे सन्तोषजनक नही माना जा सकता। फिर भी हमे बदला लेनेके सम्बन्धमे नही सोचना है। गोरेको जगतकर्ताके समक्ष खडा होना पडेगा। उसे कठोर दण्ड दिया जाता तो न उससे भारतीयकी जान वापस आती और न दूसरे गिरमिटिये ही वैसे व्यवहारसे बच पाते।

रोग दूर करनेके लिए उसका कारण ढूढना चाहिए। उसी प्रकार इस स्थितिका कारण खोजेगे तो पता चलेगा कि गिरमिटकी प्रणाली ही बुराईकी जड है। यदि गिरमिटकी प्रणाली ही समाप्त हो जाये तो उपर्युक्त अत्याचार भी समाप्त हो सकता है। क्योकि स्वतन्त्र नौकरीमे मनुष्य गिरमिटियाके समान बँध नही जाता। उसे पूरा न पडे तो वह अलग हो सकता है।

श्री राबिन्सनने अपने भाषणमे कहा है कि गिरमिट द्वारा भारतीयोका आना बन्द होना चाहिए। हम भी ऐसा ही मानते है। और इसके लिए काग्रेसको कारगर उपाय काममे लाना चाहिए। गिरमिट बन्द करनेके हमारे और श्री रॉबिन्सनके कारण अलग-अलग है, किन्तु इसमे कुछ हर्ज नही।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १५–६–१९०७

२७ पूर्वका ज्ञान

जलालुद्दीन रूमी

'पूर्वका ज्ञान' नामक पुस्तकमाला इस समय विलायतमे छापी जा रही है। उसमे से दो पुस्तके हमारे पास समालोचनार्थ आई है । पहलीका नाम 'बुद्ध शिक्षा'[१] और दूसरीका 'ईरानी सूफी'[२] है। लेखकने 'ईरानी सूफी'मे प्रथम स्थान जलालुद्दीन रूमीको[३] दिया है, उसमे सूफी लोगोका वर्णन, जलालुद्दीनका जीवन वृत्तान्त और उनकी कुछ कविताओका अनुवाद दिया गया है। लेखकका कथन है कि सूफियोको खुदाके बन्दे माना जा सकता है। उन लोगोकी प्रवृत्ति मुख्यत हृदय शुद्धि और ईश्वर-भक्तिकी ओर है। कहा जाता है कि एक बार जलालुद्दीन रूमी एक मृत्यु सस्कार देखकर नाचने लगे। इसपर जब कुछ लोगोने उनसे पूछा कि ऐसा क्यो तो उत्तरमे वे महात्मा बोल उठे "जब पिजडेसे जीव बाहर आता है, अपने दुःखसे छुटकारा पाता है और अपने सिरजनहारसे मिलने जाता है तब मैं क्यो न खुश होऊँ ?" मालूम होता है कि पुराने जमानेमे स्त्रिया भी ऐसी बातोमे स्वतन्त्रतापूर्वक भाग लिया करती थी। राबिया बीबी स्वय सूफी थी। उनमे ईश्वरके प्रति प्रेम इतना गहरा था कि जब किसीने उनसे पूछा कि "आप इबलीसकी निन्दा करती है या नही," तब उन्होने तुरन्त जवाब दिया, "मै ईश्वरका भजन करनेमे इतनी लीन रहती हूँ कि मेरे पास दूसरेकी निन्दा करनेका समय ही नही रहता।" सूफी सम्प्रदायके उपदेशोके अनुसार कोई भी धर्म जिसमे नीति हो बुरा नही होता। किसीके पूछनेपर जलालुद्दीनने उत्तरमे कहा था, "जितने जीव है, ईश्वरको याद करनेके उतने ही मार्ग है।" वे फिर कहते है "ईश्वरका नूर एक है, परन्तु उसकी किरणे अनेक है। हम जिस शाखासे चाहे, सच्चे हृदय और शुद्ध वृत्तिके साथ ईश्वरका भजन कर सकते है।"

सच्चा ज्ञान क्या है— इस सम्बन्धमे जलालुद्दीन कहते है कि "खूनका दाग पानीसे धोया जा सकता है, परन्तु अज्ञानका दाग तो केवल ईश्वरके प्रेमरूपी जलसे ही मिटाया जा सकता है।" इसके उपरान्त कवि कहता है कि "सच्चा ज्ञान तो केवल ईश्वरका ज्ञान है।" ईश्वर कहाँ है— इस प्रश्नके उत्तरमे कवि कहता है, "मने क्रूस तथा ईसाई लोगोको देखा, परन्तु मैंने ईश्वरको क्रूसमे नही देखा। मै मन्दिरोमे गया, वहाँ भी उसे नही देखा, हिरात और कन्दहारमे भी वह नही मिला, और न मिला कन्दरामे। अन्तमें मैंने उसे अपने हृदयमे ढूढा तो मुझे वह वहाँ दिखाई दिया। अन्यत्र कही नही।" यह पुस्तक बहुत पठनीय है। यदि इससे ऊपरके जैसे बहुत से वाक्य उद्धृत किये जाये, तो भी वे खतम होनेवाले नही है। हम इस पुस्तकको मँगवानेकी सबसे सिफारिश करते है। इसे पढकर हिन्दू तथा मुसलमान बहुत लाभ उठा सकते है । इसका मूल्य विलायतमे २ शिलिंग है।

१ द वे ऑफ द बुद्धा ।
२ पर्शियन मिस्टिक्स ।
३ (१२०७-७३), ईरानके सूफी कवि ।

शेख सादीका 'गुलिस्ता'[1] भी वहींसे अंग्रेजीमे प्रकाशित हुआ है। उसका मूल्य १ शिलिंग है। 'कुरान शरीफका सार' नामकी पुस्तक भी है। उसकी कीमत १ शिलिंग है। 'बुद्ध शिक्षा'का मूल्य २ शिलिंग और 'जरथुस्त्रके उपदेश'का भी २ शिलिंग है। अन्य पुस्तके भी प्रकाशित होनेवाली हैं। इनमे से यदि कोई पुस्तक हमारे पाठकोको चाहिए तो उसके उपयुक्त मूल्यमे प्रति पुस्तक ६ पेनीके हिसाबसे जोडकर हमे रकम भेज दी जाये। हम पुस्तक खरीदकर भेज देंगे। छ पेनी आवश्यक डाकखर्चके लिए हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५–६–१९०७

२८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नया कानून

जनरल बोथाने 'खोदा पहाड मारा चूहा'के अनुसार काम किया है। उन्होंने सघको लिखा है कि कानूनको लागू करनेकी सारी तैयारी हो चुकी है, अत शिष्टमण्डलके मिलनेकी आवश्यकता नही। इसलिए सभी 'गजट' देखनेमे लग गये। उसमे कानूनके लागू होनेकी तारीख वगैरह छपनेकी राह देखी। लेकिन 'गजट'मे वैसी कोई बात नही मिली। 'गजट'मे सिर्फ इतनी ही खबर है कि कानूनको सम्राट्ने स्वीकार कर लिया है। यह कोई नई खबर नही है। इसके अलावा उसमे दूसरी खबर यह है कि कानूनको लागू करनेकी तारीख बादमे निश्चित की जायेगी। इसका क्या अर्थ? मै तो यह अर्थ करता हूँ, सरकार इस चक्करमे पडी है कि भारतीय समाजने जेल जानेका जो निर्णय किया है उसका क्या किया जाये और कानूनको किस प्रकार अमलमे लिया जाये। अर्थ यह हो या दूसरा, इतना तो निश्चित है कि सरकार जेलके प्रस्तावके सम्बन्धमे सोचमे पड गई है।

कुछ प्रश्न

इस तरह, स्थिति डावाडोल है। इस बीच भारतीय समाजके लिए अनिवार्य है कि वह अपने हथियार सजाकर तैयार रखे। अब भी प्रश्न पूछे जाते है, यह अच्छा लक्षण है। एक प्रश्न तो यह पूछा गया है

हमारे विलायतके हितचिन्तक जेलका प्रस्ताव नापसन्द करे तो?

यह प्रश्न ठीक किया गया है। इसका उत्तर भी सीधा है। समितिके सदस्य अथवा विलायतके अन्य सज्जनोको वहीतक अपना हितचिन्तक समझा जाये जहातक वे हमे अपनी प्रतिष्ठा और अधिकारकी रक्षा करनेमे मदद करे। उनके विचारोका हम आदर करे किन्तु जब उनके विचार हमारे अधिकारके विरुद्ध जाते हो तब हम उन विचारोसे बँधे हुए नही हैं। मान लो कि हमे कोई ईसाई बननेके लिए विवश करता है तो उसका हम विरोध करेगे। मान लो कि हमारे आजतक हितचिन्तक माने जानेवाले लोग हमे सलाह देते है

१ देखिए 'वीर क्या करें?' पृष्ठ ३५।

कि हम ईसाई हो जाये। मुझे विश्वास हे कि हम ऐसी सलाहको मान्य नही करेगे, और इसमे हर हिन्दू और मुसलमान मुझसे सहमत होगा। यह कानून भी लगभग उसी तरहका है। यह हमे नामर्द बनाता हे, यह स्पष्ट हे, और नामर्द बननेकी सलाहका हम कभी नही मान सकते। हम सच्चे है और खुदा हमारे पक्षमे है इतना काफी है। अन्तमे सत्यकी ही विजय होगी।

जिन्हे सूचनापत्र मिल चुके है वे क्या करे?

नेटालसे एक भाई पूछते है कि उन्हे ट्रान्सवाल जानेका आदेश मिला हे। उन्हे जाना चाहिए या नही? इतना तो सब जानते होगे कि यह आदेश अनुमतिपत्र नही हे। इस आदेशके आधारपर अभी ट्रान्सवाल जाना बेकार है। कौमके निर्णयके अनुसार अनुमति-पत्र-कार्यालयमे व्यवहार मात्र बन्द है। इसलिए वह आदेश किसी कामका नही है। जिनके पास पुराने अनुमतिपत्र न हो, उनके लिए जरूरी है कि वे ट्रान्सवालमे पैर न रखे।

अनुमतिपत्र खो गया हो तो क्या करे?

जिनके अनुमतिपत्र खो गये हो उन्हे पुराने कानूनके अनुसार प्रतिलिपि नही दी जाया करती थी। नये कानूनमे प्रतिलिपि देनेकी व्यवस्था है, किन्तु वह नये अनुमतिपत्रकी प्रति-लिपि होगी। जिसका अनुमतिपत्र खो गया हो उसे कुछ भी कारवाई नही करनी है। उसे दूसरे अनुमतिपत्रवालोके समान निर्भय होकर बैठना चाहिए।

जिसका अनुमतिपत्र खो गया हो वह प्रवेश कर सकता है?

एक व्यक्तिका अनुमतिपत्र खो गया। उसे अनुमतिपत्र-कार्यालयकी ओरसे प्रमाणपत्र मिला हुआ है। क्या वह भारतसे लौटनेपर वापस प्रवेश कर सकता है? उत्तर वह व्यक्ति अनुमतिपत्रवालोके समान प्रवेश कर सकता है। किन्तु आखिर जेल जाना है, इस बातको याद रखे। जिसे जेलसे डर लगता हो उसके पास अनुमतिपत्र हो या न हो, उसे फिलहाल ट्रान्सवालमे प्रवेश नही करना चाहिए।

परवानेके लिए श्री चैमनेके हस्ताक्षर?

एक व्यक्तिने बॉक्सबर्गमे परवाना माँगा। उसे परवाना अधिकारीने श्री चैमनेके हस्ताक्षर लानेको कहा। अधिकारीने ऐसा कहा हो तो उसे गैरकानूनी समझा जाये। नया कानून जबतक लागू नही होता तबतक अनुमतिपत्र बनवाना भी अनिवार्य नही है, तब श्री चैमनेकी अनुमतिकी तो बात ही कौन-सी?

परवानेके सम्बन्धमें जवाब देते हुए मुझे यह भी बतला देना चाहिए कि एक सवाद-दाता लिखता है कि कोई कोई बिना परवानेके व्यापार करते है। परवाना किसीके नामका और व्यापार किसी औरका, वगैरह। सवाददाताने ऐसे लोगोके नाम भी भेजे है। सच-झूठकी मैं जाँच नही कर पाया। किन्तु ऐसे लोगोको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। यदि सवाददाताकी दी हुई खबर सही हो तो मै ऐसे लोगोको सलाह देता हूँ कि वे यह समझकर अपनी बुरी आदत सुधार ले कि कुछ भारतीयोके गलत कामोके कारण सारे भारतीयोको दुःख भोगना पडता है, और ऐसा आचरण करनेवाले व्यक्तिको भी देर-अबेर सजा भोगनी ही पडती है।

चीनियोंकी एकता

चीनियोंने नये कानूनके सामने न झुकनेका निर्णय किया है। इस सम्बन्धमें लिख चुका हूँ। वैसा निर्णय करके वे बैठे न रहे इसलिए उन्होंने एक प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये हैं कि इस प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर करनेवाला नया अनुमतिपत्र नहीं लेगा, जेल जायेगा और जो कोई नया अनुमतिपत्र लेगा उससे भोजन पानीका व्यवहार नहीं रखेगा। इस प्रतिज्ञापत्रपर लगभग नौ सौ चीनियोंने हस्ताक्षर कर दिये हैं, सिर्फ एक सौ हस्ताक्षर लेने बाकी हैं। वह काम भी जोरोंसे चलता दिखाई दे रहा है[1]।

एक सुझाव

इस प्रस्तावके सम्बन्धमें कि दूकानका चालू रखनेके लिए दरख्वास्त देनेके अन्तिम दिन, या जेलसे छूटनेके बाद प्रत्येक दूकानसे एक व्यक्ति अनुमतिपत्र ले सकता है, दूकानदारोंको सुझाव दिया गया है कि इस प्रकार जो अपना व्यापार चालू रखना चाहते हैं वे अपनी कमाईमें से सारा खर्च निकालकर जो बचत हो उसे कानून निधिमें डाल दें। यदि दूकानदार उक्त सुझावको स्वीकार करते हैं तो उनका यह कार्य अत्यन्त देशभक्तिपूर्ण होगा।[1]

एक हजूरियेपर मुकदमा

एक भारतीय हजूरियेपर पंजीयन कार्यालयके मुख्य कारकुनको रिश्वतमें ५० पौंड देनेके अपराधमें प्रिटोरियामें मुकदमा चलाया जा रहा है। एक भाई टीका करते हुए पूछते हैं कि क्या इस तरह रिश्वत देनेवाले आज ही तैयार हुए हैं? इतने दिन तक किसीने रिश्वत देनेका प्रयत्न नहीं किया? यदि प्रयत्न किया गया हो तो उनपर मुकदमा क्या नहीं चलाया गया?

जोहानिसबर्गके निवासियोंको चेतावनी

पुलिस कमिश्नरने सूचना निकाली है कि आजकल बत्ती निरीक्षक बनकर बहुतेरे ठग घरमें घुसनेका प्रयत्न करते हैं। यदि वे नगरपालिकाका पास न दिखायें तो उन्हें कोई अपने घरोंमें न आने दे।

फेरीवालोंका कानून

फेरीवालोंके कानूनके विषयमें अब भी विवाद जारी है। 'स्टार' में एक महाशय लिखते हैं कि फेरीवालोंसे हर नगरपालिकाकी हदमें परवाना मांगा जाये और हदके बाहर भी मांगा जाये। इससे हर फेरीवालेको हर वर्ष ८० पौंड तक देने होंगे। इस तरह जुल्म किया जानेपर फेरीवाले मर जायेंगे और लोगोंको फेरीवालोंसे जो सुविधा मिल सकती थी वह, दूकानदारोंके लाभके लिए, नहीं मिलेगी। इससे कोई यह न समझ ले कि यह लेखक भारतीयोंका पक्ष ले रहा है। भारतीयोंके अलावा और भी फेरीवाले हैं। किन्तु ये नियम सबपर लागू होते हैं, इसलिए इसमें भारतीयोंका बचाव अपने आप हो जाता है।

१ चीनी सघने बादको लदन स्थित चीनी राजदूतके पास एक याचिका भेजी थी जिसमें अधिनियमके खिलाफ आपत्ति की गई थी। देखिए परिशिष्ट २।

साराश यह ह कि जो नियम विशेषकर भारतीयोके लिए बनाये जाये उन्हे उनका विरोध करना चाहिए।

शिक्षाका कानून

इस महीनेमे फिर ससदकी बैठक होगी। उसमे नई सरकार शिक्षा विषयक विधेयक पेश करनेवाली हे। उस विधेयकमे एक धारा यह हे कि गोरे लडकोकी पाठशालामे काले लडके नही जा सकेगे। यानी यदि कोई निजी शाला शुरू करके उसमे गोरे और काले लडकोको एक साथ पढाना चाहे तो नही पढा सकता। काले लडकाके लिए सरकारकी इच्छा होगी तो अलगसे शाला शुरू करेगी। यह एक नया ही खेल है। नया कानून स्वीकार करनेके बाद भारतीयोको क्या मिलनेवाला है, यह हमे शिक्षा विधेयकसे मालूम हो जाना है।

मलायी बस्ती

मलायी बस्तीकी गन्दगीके सम्बन्धमे 'स्टार' मे एक भाईने लिखा हे। उससे मालूम होता है कि उसमे भारतीयोका नही, बल्कि नगरपालिकाका दोष हे। क्योकि, नगरपालिका न गन्दा पानी उठवाती है और न पीनेके पानीके नल लगवाती हे। इसके उत्तरमे नगरपालिकाने लिखा है कि गन्दा पानी उठाया जाता हे और बहुत जगहोपर पानीके नल भी ह। लोग पैसा खर्च कर तो दूसरी जगह भी दिये जा सकते है। इसके अतिरिक्त नगरपालिकाके अधिकारीका कहना है कि यह नही कहा जा सकता कि मलायी बस्तीके निवासी गन्दे नही है। कुछ लोगोपर गन्दगीके लिए मुकदमा भी चलाया जा चुका है। मुझे भी स्वीकार करना चाहिए कि गन्दगीके आरोपसे हम इनकार नही कर सकते। बहुतेरे घरोमे कूडा रहता हे, खिडकियाँ गन्दी रहती हैं, बाडा गन्दा रहता हैं, पाखानेकी स्थिति बडी भयानक होती हे और रसोई घर बहुत ही खराब होता है। मैं यह सब पाप मानता हूँ। उसके लिए हमे बहुत सजा भोगनी पडती है और आगे भी भोगनी पडेगी। लोग सुघरता, खुली हवा और प्रकाशका मूल्य समझने लगे तो हमे बहुत लाभ हो सकता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १५-६-१९०७

२९ पत्र उपनिवेश सचिवको

[जोहानिसबग]
जून १८, १९०७

माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

परममाननीय प्रधान मन्त्रीके कायवाहक सचिवने मुझे सूचना दी हे कि मेरा इस माहकी १२ तारीखका पत्र, जो एशियाई पजीयन अधिनियमके बारेमे हे, आपके विभागको भेज दिया गया है।

मेरा सघ इस बातकी उम्मीद करता हे कि इस पत्रमे जिस मसलेका जिक्र है उसपर आप अनुकूलतापूवक विचार करेगे।

आपका, आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ
कायवाहक अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २२-६-१९०७

३०. नये कानूनसे सम्बन्धित पुरस्कृत कविता

पुरस्कार प्राप्तकर्ता अम्बाराम मगलजी ठाकर

नये कानूनके सम्बन्धमे गीत लिखवानेके लिए हमने पुरस्कारकी योजना[1] शुरू की थी। उसकी जो प्रतिक्रिया हुई उसे कुल मिलाकर सन्तोषजनक माना जा सकता है। प्रतियोगितामे शामिल होनेवाले २० व्यक्ति थे। सभी कवियोने सूचित किया है कि उन्होने पुरस्कारके लिए नही, बल्कि अपना उत्साह दिखाने तथा देशसेवाके लिए ही प्रतिस्पर्धामे भाग लिया है। यह उत्साह और भावना प्रशसनीय हे। किन्तु फिर भी हमे कहना चाहिए कि पुरस्कारके लिए लिखनेमे भी देशाभिमानका समावेश नही होता, सो बात नही। पुरस्कार लेनेमे हमे झेपना नही, बल्कि गव महसूस करना चाहिए।

बीस प्रतियोगियोमे कोई तीन व्यक्तियोके गीत लगभग समान जान पडे। इसलिए यह समस्या खडी हो गई थी कि किसे पहला स्थान दिया जाये। आखिर नेटाल सनातन धम

१ देखिए "एक पौंडका इनाम", पृष्ठ ५।

सभाके अध्यक्षका गीत लगभग पहले स्थानके योग्य मालूम हुआ, इसलिए हमने उन्हे एक पौडका पुरस्कार भेज दिया है। श्री अम्बाराम ठाकरका हम बधाई देते ह और आशा करते है कि गीतमे जो उद्देश्य रखा गया है उसके अनुसार स्वय चलकर वे दूसरोके सामने आदश पेश करेगे और देशकी सेवा करेगे। भक्तिमे शौयका और शौयमे भक्तिका समावेश हो तभी उन दोनोकी शोभा बढती है। इसलिए दोनो हथियार पास रखकर हम अपने कतव्यका पालन करते रहेगे तभी प्रत्येक सकटसे गुजरकर अ तमे विजयी होगे।

बीस गीतोके रचयिताओम से कुछने अपने नाम हमे भी नही बताये। कुछने एकसे ज्यादा गीत भेजे ह। उनमे से जानने योग्य गीत जिन नामोमे आये है उन नामोके साथ हम हर सप्ताह प्रकाशित करते रहेगे। हम किन कविताओको जानने योग्य मानते ह और वे किनकी है, यह जाननेकी इच्छा यदि पाठकोको हो तो हम उन्हे धीरज रखनेकी सलाह देते है।

इतना लिखनेके बाद हमे यह भी लिखना चाहिए कि गीत लिखनेमे कवियोने ज्यादा लगनसे काम लिया होता तो वे और भी अच्छे बन सकते थे। एक भी गीतम कोई विशेष ओज या कला नही दिखाई दी। यदि और भी ज्यादा शोध की जाती तथा विशेष लगनसे काम लिया जाता तो अच्छे शब्द और उदाहरण मिल सकते थे। पाठकोको हमारी सलाह है कि वे अधिक श्रम करे और अधिक कुशलता प्राप्त करे।

श्री अम्बाराम मगलजी ठाकरका गीत[1]

'या होम' [बलिदानकी पुकार] करके कूद पडो। आगे विजय ही विजय है।

ससारमें जितने शूरवीर भक्त या दाता पैदा हुए ह और जिन्होने अपने कतव्यका पालन किया है उनकी माताएँ धन्य है। मालिकपर सच्चा और पूरा भरोसा रखकर मेरे मनमें यही बात छा जाये कि बस जेल ही जाना है, इसके सिवा कुछ नहीं। यदि दिलमें प्राणसे भी प्यारा देश प्रेम प्रकट हो जाये तो दोस्तो, खुदा सदा हिम्मतवालेकी मददपर रहता है। सब हिलमिलकर यदि एक टेक मनमें रखे तो जेलका कड़वा फल तो खाना पडेगा, लेकिन उसके बाद सारे ससारमें सुख ही सुख है।

१ मूल गीत इस प्रकार है

या होम करीने पडो फतेह छे आगे — तज

जग जनम्या जे शुरवीर, भक्त कां दाता
कर्तव्य आचरे धन्य, तेहनी माता ॥ टेक ॥

राखी पूरो विश्वास धणीनो साचो
बस जेल, जेलने-जेल एम उर राचो ॥ जग ॥

जे प्रगटे दिलमां प्रेम प्राण शुं प्यारो
हिंमतनी मददे खुदा, सदा छे यारो ॥ जग ॥

सौ हळीमळी लो टेक, एक उर राखो
कडवुं ओसड छे जेल, सुख भव आखो ॥ जग ॥

धिक चोर चाडिया, ठक धूता थई रहेवुं
मरदो हक मळवा माट, जेल दु ख सहेवुं ॥ जग ॥

जनम्या ते मरवा माट हिमत नहि हारो,
समरथ छे मालिक साथ रहम करनारो ॥ जग ॥
या होम तणो ए अर्थ तर्त तैयारी
हक मेळववा बहु लडे युरोपमां नारी ॥ जग ॥
जापान करावे भान, दाखलो ताजो
हक मागो ठामो ठाम, लेश नहि लाजो ॥ जग ॥
जुओ अकबरनो इतिहास सिकन्दर पूरो
मड विक्रम, भोज, प्रताप, नेपोलियन शूरो ॥ जग ॥
जग जाहेर पाम्या मान अमीरने बोथा
बहादुर तणी ये सान, अवर ते थोथा ॥ जग ॥
रक्षक भक्षक बनी जाय कहो क्यां केवुं
महाराज एडवर्ड, हवे केटलु सहेवुं ? ॥ जग ॥

चोर, चुगल, ठग, धूर्त बनकर रहनेमें धिक्कार है। मर्दो, हकोंकी प्राप्तिके हेतु जेलके दुःख सहो। जिनका जन्म हुआ है उन्हें मरना ही है, इसलिए हिम्मत मत हारो। रहम करनेवाला समर्थ मालिक तुम्हारे साथ है, बलिदानके लिए तुरन्त तयार हो जाओ। हक प्राप्त करनेके लिए यूरोपमें औरतें भी बहुत लड रही है। जापानका उदाहरण ताजा है। वह हमें अपनी भूली हुई शक्तिकी याद दिला रहा है और कह रहा है कि हर जगह हम अपने हक मागें। उसमें लज्जित होनेकी कोई बात नहीं है।

अकबर और सिकन्दरका पूरा इतिहास देखो। विक्रम, भोज और राणा प्रताप बहादुर थे। नेपोलियन शूर था। इनका सारे संसारमें नाम है। ऐसे ही अफगानिस्तानके अमीर और हमारे प्रधान मन्त्री जनरल बोथा है। बहादुरोंकी शान यही है, और सब बेकार है।

जब रक्षक ही भक्षक बन जाये तब कहा जाकर फरियाद करे। महाराज एडवर्ड, अब हम और कबतक सहन करें?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–६–१९०७

३१ नेटाल भारतीय कांग्रेस

नेटाल भारतीय काग्रेसने चन्दा इकटठा करना शुरू किया था, लेकिन देखते है कि काम अब ढीला पड गया है। कॉग्रेस अभी कर्जदार है, यह मन्त्रियोंकी सूचनासे ज्ञात हो सकता है। काग्रेसकी उगाहीमें जो ढील होती है उसे हम नुकसानदेह मानते हैं। यह समय ऐसा नही जब ढील सहन हो। काग्रेसको परवानेके सम्बन्धमें बडी लडाई लडनी है, गिरमिटिया कानूनके बारेमें झडा उठाना है, और समय आनेपर ट्रान्सवालके भारतीयोकी मदद करनी है। ये तीनो काम बडे है। व्यापारिक परवानोके बिना व्यापारी परेशान होंगे, इसलिए स्वार्थकी दृष्टिसे भी काग्रेसको अपने खजानेकी हालत अच्छी रखनी चाहिए। काग्रेसने १८९४ से अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये है उनमें गिरमिटियोके कष्टोमें हाथ बटाना मुख्य है।[1] अतः थानविलमें जो घटना हुई है उसके बाद काग्रेस चुप नही बैठ सकती।[2] मुह खोलनेके लिए भी इस देशमें महमूदी[3] लगती है — खर्च लगता है। ट्रान्सवालके भारतीयोंकी मददके लिए काग्रेस बँधी हुई है, क्योकि काग्रेसने उन्हें लडाईमें लगे रहनेकी सलाह दी है। इसके अतिरिक्त ट्रान्सवालकी लडाईमें हर भारतीयका स्वार्थ समाया हुआ है। इसलिए हम आशा करते है कि उपर्युक्त तीनो बातोका खयाल करके काग्रेस कार्यकर्ता कमर कसेंगे और पैसे रूपी शस्त्र तुरन्त ही जमा करेंगे, यह काम कलपर टाला नही जा सकता।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–६–१९०७

१ देखिए खण्ड १, पृष्ठ १३०–५।

२ देखिए "गिरमिटिया भारतीय मजदूर", पृष्ठ ४१।

३ चांदीका एक पुराना सिक्का।

३२ नेटालमें जेलका कानून

हमारे नेटालके विधायकोंने जो कानून बनाया है वह "एकको गुड और दूसरेको गोबर" वाली कहावतको चरितार्थ करता है। नेटालके सरकारी 'गजट'से मालूम होता है कि कैदियोंके चार वर्ग हैं: एक गोरा, दूसरा वर्णसंकर, तीसरा भारतीय और चौथा काफिर। गोरों और वर्णसंकरोंसे यदि सरकार कुछ काम कराये तो वह उन्हें इनाम देगी। किन्तु यदि भारतीय और काफिर काम करें तो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, गोरों और वर्णसंकरोंको एक-एक गमछा मिलता है। किंतु भारतीयों और काफिरोंको वह भी नहीं — मानो उन्हें गमछे की जरूरत ही नहीं है। इस प्रकार कैदियोंमें भी सरकारने जातपातका भेद किया है। वर्णसंकर कैदियोंमें केप बॉय, अमरीकी हब्शी, हॉटेंटॉट वगैरहका समावेश होता है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–६–१९०७

३३ हेजाज रेलवे

'टाइम्स ऑफ इण्डिया' के संवाददाताने इस रेलवेकी[१] व्यवस्थापर जो आक्रमण किया था उसका सारांश जब हमने दिया तब कहा था कि हमने उस संवादमें बताये विवरणकी श्री किदवई तथा श्री कादिरसे हकीकत पूछी है। श्री कादिर भारत पहुँच गये हैं। श्री किदवईको हमारा पत्र मिला। उन्होंने जो उत्तर दिया है वह हम नीचे दे रहे हैं। श्री किदवई स्वयं इस्लामिया अंजुमनके[२] मन्त्री हैं:

> आपके पत्रके लिए आभारी हूँ। मैं इस समय श्री रिचके पास हूँ। आपने 'टाइम्स' का जो अंश भेजा है वह उन्होंने मुझे दिया है। उसे ठीक तरहसे पढ़ लेनेपर मैं आपको लिखूँगा कि उसमें कौनसी बात सच है। उसमें जो बात गलत होगी उसका उत्तर देनेके लिए मैं कदम उठाऊँगा और जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वह भी आपको बताऊँगा। मेरे सहधर्मी भाइयोंका जिसमें बहुत ही हित समाया हुआ है, ऐसे कार्यमें आप इतने व्यस्त हैं, इसके लिए आपका उपकार मानता हूँ। हम भारतके हिन्दू और मुसलमानोंको एक-दूसरेसे सम्बन्धित बातोंमें इसी प्रकार मेहनत तथा परस्पर सहायता करनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–६–१९०७

१ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४८४-८६।

२ अखिल इस्लाम अंजुमन, लन्दन।

३४ यूसुफ अली और स्त्री-शिक्षा

श्री यूसुफ अलीने भारतकी हालतके सम्बन्धमे एक पुस्तक लिखी हे। वह बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमे उन्होने स्त्री शिक्षाके बारेमे जो विचार व्यक्त किये है वे जानने योग्य है। उन्होने लिखा है कि जबतक भारतमे स्त्रियोको आवश्यक शिक्षा नही मिलती तबतक भारतकी हालत सुधर नही सकती। स्त्री पुरुषकी अर्धांगिनी मानी जाती हे। यदि हमारा आधा शरीर मुर्दा हो जाये तो हम मानते है, हमे लकवा हो गया है ओर हम बहुतसे कामोके लिए अयोग्य हो जाते है। तब स्त्रीका जो उपयोग होना चाहिए वह न हो, तो सारे भारतको लकवा हो गया हे, यही मानना पडेगा। और ऐसी हालतमे यदि भारत दूसरे देशोके आगे टिक न सके तो उसमे आश्चर्यकी बात कौनसी हे? इस तरहका विचार हर माता पिताको अपनी लडकीके बारेमे और सारे भारतवासियोको स्त्री समाजके बारेमे करना चाहिए। हमे ऐसी हजारो स्त्रियोकी जरूरत है जो मीराबाई और राबियाबीकी बराबरी करे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–६–१९०७

३५ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

ट्रान्सवालकी ससद्

नई ससदका दूसरा सत्र १४ तारीखको प्रारम्भ हुआ। स्थानीय सरकारके कामके ढगके बारेमे जनरल बोथाने जो भाषण दिया है, वह भारतीय समाजके लिए समझने योग्य है। इसलिए उसका मुख्य हिस्सा नीचे देता हूँ।

चीनी जानेवाले है

इस समयके गिरमिटिया चीनियोको गिरमिट पूरा हो जानेपर वापस भेज दिया जायेगा और बदलेमे दूसरे गिरमिटिया चीनियोको नही आने दिया जायेगा। इस हिसाबसे देखनेपर इस वर्षके अन्तमे १६,००० चीनी ट्रान्सवाल छोडेगे और जो बचेगे वे लगभग १९०७ के[1] अन्ततक चले जायेगे।

चीनियोके बदले कौन?

चीनियोके चले जानेसे खानोमे मजदूरोकी तगी होगी। इसका उपाय एक तो यह है कि जहासे भी मिले वहासे काफिरोको जुटाया जाये और उनके द्वारा काम कराया जाये। इसके लिए पुर्तगीज सरकारसे बातचीत चल रही है। दूसरा उपाय यह है कि जैसे नैसे गोरे मजदूरोको खानोमे काम करनेके लिए प्रोत्साहित किया जाये और अन्तमे ट्रान्सवालको सफेद बनाया जाये। गोरे मजदूर कम वेतनपर काम कर सके, इसके लिए ट्रान्सवाल चुगी (कस्टम) के

१ यह १९०८ के बदले भूलसे दे दिया गया है। देखिए ‘ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी ”, पृष्ठ ५९।

इकरारनामेसे निकल जायेगा और यदि आवश्यक हुआ तो वह दूसरा इकरारनामा कर लेगा। इसका उद्देश्य यह है कि आज जो जकात देनी पडती है उसे बहुत ही घटाकर जरूरी चीजोंके दाम गिराये जायें, जिससे गोरे विलायतमें जितने खर्चमें गुजर कर लेते हैं लगभग उतने ही कम खर्चमें यहाँ रह सकें। आज ट्रान्सवालकी सम्पन्नता केवल खान उद्योगपर निर्भर है। खेतीको आवश्यक प्रोत्साहन देकर यह स्थिति दूर की जायेगी। खेतीको प्रोत्साहन देने और खेतोंके बाँध बनानेमें सहायता देनेके लिए एक विशेष बैंक खोला जायगा।

यह बैंक किसानोंको पैसा उधार देगा। इस रकमकी पूर्तिके लिए बड़ी सरकार स्थानीय सरकारको ५०,००,००० पौंड कर्ज देगी।

इस भाषणका असर

इस भाषणसे खान मालिक बड़ी उलझनमें पड गये हैं। यह सम्भव नहीं कि उन्हें काफिर ज्यादा तादादमें मिल सकें। इसलिए डर है कि जोहानिसबर्गकी आज जैसी हालत कुछ वर्षो तक बनी रहेगी। किन्तु इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि शायद भारतीयोंके लिए बोरिया बिस्तर बाँधनेका समय आ जाये। स्थानीय सरकारका दृढ निश्चय जान पडता है कि ट्रान्सवालके मजदूरोंके सिवा किसी भी काले आदमीको न रहने दिया जाये। अतः यदि भारतीय कौम जरा भी पस्तहिम्मत दिखाई दी तो उसे भगानेमें वह पीछे रहेगी, सो बात नहीं। भारतीय समाजके सामने यह समय "मरूँ अथवा मारूँ" का है।

मजदूर रक्षक कानून

जान पडता है, मेरी पिछली चिट्ठीका जिक्र देनेवाला एक और कानून इस सत्रमें पास होगा। विभिन्न कारखानोंमें काम करनेवाले मजदूरोंको यदि काम करते समय चोट लग जाये तो उन्हें या उनके बाल-बच्चोंको हर्जाना देनेका कानून 'गजट' में प्रकाशित हुआ है। यह कानून केवल गोरे मजदूरोंपर लागू होता है। यानी, मान लें कि खानमें या दूसरी जगह गोरे और भारतीय मजदूर साथ साथ काम करते हों और दोनोंके हाथ या पैर यन्त्रमें फँसकर टूट जायें तो इस कानूनके अनुसार खान मालिक, गोरे मजदूर और उसके कुटुम्बके निर्वाहके लिए तो बँधा हुआ है, किन्तु भारतीय मजदूरकी कोई बिसात नहीं। उसके ऊपर यदि खुदा न हो तो उसका सर्वनाश हो जायेगा। इसके अलावा कोई यह भी खयाल नहीं कर सकता कि उपर्युक्त बैंकसे भारतीयोंको एक कौड़ी भी मिलेगी। वह तो केवल गोरे किसानोंके लिए है। यह सब बोअरोंकी बहादुरीकी बलिहारी है। उनके जाति-भाइयोंने ट्रान्सवालकी भूमिको बोअर रक्तसे सींचा है, इसलिए इस समय वे पूरी सुनहरी फसल काटें तो इसपर किसीको आश्चर्य क्या हो? हम यदि अपनेपर बोअरोंकी बहादुरीका थोड़ा सा भी रंग चढ़ा सकें तो हमारे लिए भी धूम मच सकती है।

वीनेनका पत्र

श्री कैलनबैकने जेलके सम्बन्धमें भारतीय समाजकी जो प्रशंसा की है, जान पडता है वह संक्रामक बन गई है। श्री वान वीनेन नामक एक गोरेने 'स्टार' में एक पत्र लिखा है। उसका सारांश नीचे दिया जाता है

> **विवेकशील लोग भारतीयोंके बारेमें लिखे गये श्री कैलनबैकके पत्रका समर्थन किये बिना नहीं रह सकते। यदि कुछ भारतीय ट्रान्सवालमें आरामसे रहें और व्यापार करें तो**

उससे क्या ट्रान्सवाल नष्ट भ्रष्ट हो जायेगा? जब हम जगली थे उस समय जो प्रजा सभ्य थी, उसकी सन्तानको हम अपराधी कहकर निकालते हैं, यह हमें शोभा नही देता। भारतीयोके लिए पजीयन? जो गोरे स्वय अपराधी हैं वे ही भारतीयोके गलेमे यह फदा डालना चाहते होगे। मुझे तो भारतीयोका एक यही दोष दिखाई देता है कि वे उद्यमी हैं। उनपर आलसी गोरे जुल्म करे, यह समझमे आ सकता है। किन्तु यदि वे अपनी प्रतिष्ठा रखनेके लिए ऐसे कानूनका विरोध करे तो उन्हे दोषी कैसे माना जा सकता है? श्री कैलनबैकके समान मुझे भी अच्छे भारतीयोका अनुभव हुआ है। श्री गाधीके पत्रसे मालूम होता है कि उनकी माग बहुत ही उचित है। उनकी माग मजूर न हो और वे अपमान सहन करनेके बजाय यदि जेल जानेका निश्चय करे तो उसके लिए उन्हे बधाई दी जानी चाहिए।

ईसप मियॉका पत्र

श्री ईसप मियाने 'स्टार'के नाम एक पत्र[1] लिखा है। उसका साराश नीचे देता हूँ

जनरल बोथाको पत्र

ब्रिटिश भारतीय सघकी ओरसे श्री ईसप मियाने जनरल बोथाको पत्र[2] लिखा है कि सरकारने कानूनको लागू नही किया, इसलिए भारतीय समाजकी सूचनाको स्वीकार करना ठीक होगा। उस पत्रके उत्तरमे जनरल बोथाने कहा है कि उसके लिए उपनिवेश सचिवको लिखा जाये। इसपर उपनिवेश सचिवको भी लिखा गया है। उसका जवाब, सम्भव है, इस पत्रके छपने तक आ जायेगा।

'गजट'के बारेमे गडबडी

सम्राटने कानूनको स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्धमे जो सूचना जारी की गई है उसमे कुछ गलतफहमी मालूम होती है। कुछ लोग मानते हैं कि कानून दो वष तक लागू नही होगा। यह भूल है। सूचनामे बताया गया है कि किसी भी कानूनको सम्राट दो वषके अदर रद कर सकते हैं। यह कानून जब सम्राट्के सामने पेश किया गया तब उन्होंने कहा था कि वे इस कानूनको रद करना नही चाहते। अत इसका यह अथ हुआ कि इस कानूनको दो वषके अदर रद करनेकी सम्राट्की जो सत्ता थी उसे उन्होंने छोड दिया है। यानी यह कानून सदाके लिए कायम रहा। किन्तु सदाके लिए कायम रहा कहनेमे मैं भूल कर रहा हूँ। यदि भारतीयोको यह कानून स्वीकार नही है तो इसपर सम्राटके हस्ताक्षर हो जानेपर भी यह उनके लिए तो रद ही है।

फ्रीडडॉर्पके व्यापारी

जान पडता है, इस सम्बन्धमे श्री रिच विलायतमे जो लडाई लड रहे हैं उसका फल चखनेका समय आ गया है। निगमने जिन दो व्यापारियोको भारतीय दूकानोका स्टॉक जाचनेके लिए नियुक्त किया है, उन्होंने सरसरी तौरसे पूछताछ की है। उन सारे आकडोपर

१ इसके बाद गांधीजीने पत्रका गुजराती अनुवाद दिया है जो यहाँ नहीं दिया जा रहा है। मूलके लिए देखिए "पत्र 'स्टार'को", पृष्ठ ३५ ३७।

२ देखिए "पत्र प्रधान म त्रीके सचिवको , पृष्ठ १४ १५।

अब सरकार विचार करेगी। इसी बीच एक और नई बात सामने आई है। फ्रीडगॉप अध्यादेश[1] कुछ गोरोंको पसन्द नहीं है। अतः उस रास्ते भी शायद हम बच सकते हैं।

नये कानूनमें परिवर्तन नहीं होगा

सर जॉर्ज फेरारने[2] जनरल बोथासे पूछा कि सुना जाता है, नये कानूनमें कुछ परिवर्तन करनेके लिए बड़ी सरकारसे कहा जायेगा, वे परिवर्तन कौन-से हैं? उसके उत्तरमें जनरल बोथाने कहा: "जब भारतीयोंका शिष्टमण्डल मुझसे मिला था और बड़ी सरकारने भी सलाह दी थी, तब मैंने कहा था कि इस कानूनको इस तरह लागू किया जायेगा कि जिससे भारतीय भावनाओंको चोट न पहुँचे।" इसपर सर जार्जने कहा: "यह कोई मेरे सवालका जवाब नहीं है। कानूनकी कौन-सी आपत्तिजनक बात हटानेका विचार है?" जनरल बोथाने कहा: "एक भी नहीं।"

मैं ऊपर लिख चुका हूँ कि ब्रिटिश भारतीय संघने उपनिवेश सचिवको लिखा है। जनरल बोथाके उत्तरसे मालूम होता है कि जो लोग कानूनमें परिवर्तनकी आशा रखते हैं उनकी आशा व्यर्थ है। कानून कब लागू होगा और भारतीय कौमकी सूचना मंजूर होगी या नहीं, यह दूसरी बात है। किन्तु 'दूसरेकी आशा सदा निराशा' इस बातकी अपने मनमें गाँठ बाँधकर भारतीय समाजको ट्रान्सवालमें अपनी टेक निभानेके लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २२–६–१९०७

३६. पैगम्बर मुहम्मद और उनके खलीफा

प्रस्तावना

अपने विचारके अनुसार इस सप्ताहसे हम उपर्युक्त विषयपर एक लेखमाला प्रारम्भ कर रहे हैं। हिन्दू और मुसलमान किस भाँति एक दिल बनें और रहें, यह सदा हमारा उद्देश्य रहेगा। ऐसा करनेके अनेक मार्गोंमें से एक यह है कि वे एक-दूसरेकी अच्छाइयोंको जानें। इसके सिवा हिन्दू और मुसलमान अवसर आनेपर बिना दिखावेके एक-दूसरेकी सेवा करें। ऊपरकी लेखमाला शुरू करनेमें हमारे दोनों उद्देश्य निहित हैं।

हमारा उद्देश्य भारतीय समाजमें शिक्षा और सद्ज्ञानका प्रसार करना भी है। इसकी पूर्तिके लिए हमारा इरादा अलगसे पुस्तकें छापनेका था और अब भी है। हमें आशा है कि न्यायमूर्ति अमीर अलीकी इस्लाम सम्बन्धी पुस्तकका अनुवाद तथा दक्षिण आफ्रिकामें भारतीयोंके दुःखकी कथाका प्रकाशन हम कर सकेंगे। किन्तु इसमें कुछ बाधाएँ हैं, जो अभी हटी नहीं हैं। और इसलिए इसमें कुछ देर लगेगी।

इस बीच हमने प्रख्यात लेखक वॉशिंगटन इर्विंग रचित पैगम्बरका जीवन-चरित्र प्रति सप्ताह प्रकाशित करना निश्चित किया है। यह प्रत्येक हिन्दू मुसलमानके पढ़ने योग्य है। अधिकतर हिन्दू पैगम्बरके कार्यकलापोंसे अपरिचित हैं और अनेक मुसलमान यह नहीं जानते कि अंग्रेजोंने

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४७८-७८।
२. ट्रान्सवाल विधान परिषदके नामजद सदस्य।

शोध करके पैगम्बरके विषयमे क्या लिखा हे। वार्शिगटन इरविग कृत इतिहास इन दोनो वर्गोके लोगोके लिए लाभदायक हो सकता है। हम सारेका अनुवाद न देकर उसका मुरय भाग दे रहे ह्। वाशिगटन इरविग कृत यह पुस्तक बडी अच्छी मानी जाती है। इसके लेखकने अ य गोरे लेखकोकी तरह इस्लामकी बुराई नही की है, तथापि सम्भव है कि हमारे वाचकोको उसके विचार कही कही पसन्द न आये। समझदार लोगोको वे विचार भी जानने चाहिए। किसी भी रचनाको पढकर उससे ज्ञान और सार ग्रहण करना पढनेका हेतु होता है। हम यह बात ध्यानमे रखकर नीचेके प्रकरण[1] पढनेकी सलाह देते है।

वाशिगटन इरविग कौन थे?

हमे अब इस प्रश्नका उत्तर देना है। सन् १७८३ मे अमेरिकाके न्यूयॉर्क नगरमे उनका जन्म हुआ था। वे कई वर्षो तक यूरोपमे रहे। वे अमेरिकाके प्रमुख लेखकोमे से एक थे। उन्होने अनेक पुस्तके लिखी है। पैगम्बरके विषयमे लिखी गई पुस्तक उनमे से एक है। उनकी लेखन-शक्ति बडी अच्छी मानी जाती है। उनकी रचनाओका दूर दूर तक नाम है। वे नीतिमान व्यक्ति थे। उन्होने जिस महिलासे विवाहका विचार किया था, उसका देहावसान हो जानेके कारण उसकी यादमे वे आजन्म अविवाहित रहे। सन् १८५९ मे नवम्बरकी २८ तारीखको अपने निवास स्थानपर इन महान लेखककी मत्यु हुई।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २२–६–१९०७

१ ये प्रकरण यहाँ नहीं दिये जा रहे हैं। ये **इडियन ओपिनियन**के जुलाई ६ और अगस्त १७के बीचके अकोंमें प्रकाशित हुए थे। यह लेखमाला ६ठे अध्यायका एक अश प्रकाशित होनेके बाद बन्द कर दी गई थी। देखिए "हजरत मुहम्मद पैगम्बरका जीवन वृत्तान्त" क्यों बन्द हुआ?", पृष्ठ २०५ ०६।

३७. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[जून २६, १९०७]

नया कानून

ट्रान्सवाल सरकारने शोक संवाद सुना दिया है। उसने श्री ईसप मियाँके पत्रके उत्तरमें लिखा है कि जैसा पहले उत्तर दिया जा चुका है, भारतीयोंका सुझाव मंजूर नहीं किया जा सकता। यानी सरकार कानूनको अमलमें लाना चाहती है। अब तारीखकी ही राह देखना शेष है। इसे मैं शोक संवाद कहता हूँ, किन्तु इसे शुभ संवाद भी माना जा सकता है। हिम्मतवाले तो इसे शुभ संवाद ही मानेंगे।

नई नियुक्ति

सरकारी 'गजट' में समाचार है कि नये कानूनके अनुसार श्री चैमनेको पंजीयक नियुक्त किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि भारतीय समाज ऐसा वक्त ला देगा कि श्री चैमने साहब जम्हाई लेते बैठे रहें। इस संवाददाताका नाम तो उस रजिस्टरमें कभी दर्ज नहीं होगा, किन्तु खुदासे मेरी निरन्तर यह प्रार्थना है कि ऐसी ही सारे भारतीयोंकी भावना हो।

बाजारमें छुआछूत

जोहानिसबर्ग बाजारमें यूरोपीय लोग भारतीयोंको छूनेसे परहेज करते मालूम होते हैं। इसमें नगरपालिकाने प्रस्ताव किया है कि यूरोपीय और काले लोगोंके लिए अलग-अलग विभाग रखे जायें। चीनियोंसे ज्यादा किराया लेनेका निर्णय भी किया गया है। हमने अपने देशमें भंगी रखे हैं, इसलिए हम भी यहाँ भंगी बन गये हैं और अब अनुमतिपत्ररूपी चिट्ठी गलेमें बाँधकर बिलकुल बेहाल हो जायेंगे। मुझे याद है कि पोर्ट एलिजाबेथके भारतीयोंपर बाजारमें इसी तरहका जुल्म शुरू किया गया था। उस समय भारतीयोंने बाजारमें जाना बन्द कर दिया था। यदि भारतीय फेरीवाले जोहानिसबर्गमें उतनी ही हिम्मत दिखायें तो इस भंगीपनसे मुक्ति मिल सकती है। तुच्छ कहलाकर पेट भरनेसे तो दर छानना बेहतर माना जायेगा।

डच पंजीयनपत्रका प्रश्न

लाठी स्टेशनसे एक पत्र लेखक पूछता है कि उनके पास डचोंके समयका पुराना पंजीयनपत्र है। डच गवाह भी है। फिर भी उन्हें अनुमतिपत्र नहीं मिलता। इसका क्या किया जाय? जान पड़ता है उन भाईने 'इंडियन ओपिनियन' नहीं पढ़ा। मैं कह चुका हूँ कि ऐसा भारतीय नये कानूनके लागू होनेके बाद जबतक रह सकना चाहता हो तो ट्रान्सवालमें रहे, नहीं तो ट्रान्सवाल छोड़ दे।

लेनर्डका मत

कुछ भारतीयोंको डर है कि जो भारतीय नया अनुमतिपत्र नहीं लेंगे उन्हें सरकार जबरदस्ती निर्वासित कर सकती है। ऐसी ही शंका चीनियोंको भी हुई थी। इसलिए उन्होंने श्री लेनर्डकी[1] राय ली थी। श्री लेनर्डने जो राय दी वह निम्नानुसार है:

१. एक बैरिस्टर।

मुझसे जो प्रश्न पूछा गया है उसके सम्बन्धमें मेरी यह राय है कि नये कानूनमें या दूसरे किसी कानूनमें कानूनका विरोध करनेवालेको जबरदस्ती निर्वासित करनेका अधिकार नहीं है। मेरी जानकारीमें ऐसा एक भी कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत जबर-दस्ती निर्वासित करनेका किसीको अधिकार हो। अनुमतिपत्र-कानूनकी[1] सातवीं और आठवीं धारामें बताई गई सजाके सिवा और कोई सजा नहीं दी जा सकती। (सातवीं-आठवीं उपधाराओंमें जो देश न छोड़े उसे जेलमें भेजनेका अधिकार है)।

अतः यही समझना चाहिए कि निर्वासनकी बात दरकिनार हो गई है।

अफवाह

अफवाह है कि नये कानूनके १ जुलाईसे लागू होनेकी सूचना प्रकाशित होनेवाली है। यानी जिन लोगोंको गुलामीकी छाप लगवानी हो, उन्हें उस तारीखसे लगा दी जायेगी। अब रंग जमेगा।

भारतीय 'बाजार'

'गज़ट' में सूचना आई है कि भारतीय 'बाजार' — वास्तवमें भंगी मुहल्ले — अब नगरपरिषदके सुपुर्द किये गये हैं। यह सूचना अभी तो बिलकुल बेकार है, क्योंकि उन 'बाजारों' में भारतीयोंको कोई जबरदस्ती नहीं भेज सकता। यह सब नये काननके पीछे घूम रहा है। नया कानून भारतीय कौम रद कर दे — रद समझ ले — तो बस्ती सम्बन्धी कानूनों तथा वैसे ही दूसरे कानूनोंको तुरन्त निद्रा रोग हो जायेगा।

फेरीवालोंपर आक्रमण

व्यापारमण्डलने सरकारको लिखा था कि भारतीयोंको आनेसे रोका जाये। इसके उत्तरमें उपनिवेश सचिवने लिखा है कि थोड़े ही दिनोंमें जब प्रवास-कानून प्रकाशित हो जायेगा तब भारतीय व्यापार बहुत कुछ रुक जायेगा, क्योंकि, फेरीवालोंके लिए सख्त कानून बनाये गये हैं। अतः जो नये कानूनकी चोर छाप लगवाना चाहते हों वे इससे समझ लें कि उनका क्या हाल होगा। अगले सप्ताह यदि प्रवास विधेयक प्रकाशित हुआ तो उसका अनुवाद देनेका इरादा है। चारों ओर अच्छी तरह आग लग रही है। मैं इन सबको शुभ लक्षण मानता हूँ। रोगके गहरे होनेपर सच्ची बीमारीकी पहचान की जा सकती है।

कर्टिस[2] और नया कानून

श्री कर्टिसने नये कानूनके सम्बन्धमें जो प्रयत्न किये उनके लिए पाचेफस्ट्रम व्यापार-मण्डलने आभार माना है। उसके उत्तरमें श्री कर्टिसने निम्नानुसार लिखा है :

> आपके मण्डलके ११ मईके पत्रके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। इस प्रश्नका महत्त्व किसीको न दिखाई दे, यह मेरी समझमें नहीं आ सकता। एशियाइयोंसे मेरा निजी कोई झगड़ा नहीं है। किन्तु मुझे विश्वास है कि गोरे और एशियाइयोंका घुलना मिलना दोनोंके लिए खराब है। जिस देशमें अलग-अलग रहना दोनोंके लिए लाभदायक हो वहाँ दोनोंको अलग-अलग रहना चाहिए। एशियाई प्रश्न व्यापारका प्रश्न है, यह केवल मोटे तौरसे सोचनेपर ही कहा जायेगा। वास्तवमें यह प्रश्न बहुत ही बड़ा है और वैसा ही समझा जाना चाहिए।

१ सन् १९०३ का अध्यादेश ५।

२ लॉयनेल कर्टिस, सहायक उपनिवेश सचिव।

मैं आशा करता हूँ कि कोई यह न समझेगा कि श्री चर्चिलने[1] घोषणा की ह इसलिए अविनियम पूण हो चुका है। जबतक यह कानून यहा लागू नही हुआ है तबतक विलायतमे दबाव डालनेसे यदि कुछ परिवतन हो जाये तो कोई आश्चयकी बात नही। और यह भी हो सकता ह कि परिवतनके कारण कानून निकम्मा बन जाये। इस कानूनका उद्देश्य यह है कि हर साधिकार भारतीयको पजीकृत किया जाये उसकी अँगुलियोकी छाप ली जाये, जिससे पजीयनपत्रका हस्तान्तरण न किया जा सके।

लेकिन हमे यह न मानना चाहिए कि कानूनके प्रकाशित हो जानेसे काम हो गया। वह कानून ठीक तरहसे अमलमे आता हे या नही, इस बातपर बहुत-कुछ निभर है। मैंने जो देखा है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि सरकारको जो-कुछ करना चाहिए उसमे उसने कुछ भी उठा नही रखा हे। आशा है कि इस कानूनको प्रभावशाली बनानेमें समाचारपत्र और जनता मदद करेगी। यह कानून ठीक तरहसे अमलमे आ सके, इसलिए समाचारपत्रोका कतव्य हे कि वे अधिकारियोंकी हिम्मत बढाये। अधिकारियोका काम आसान नही है। उनपर जनता यदि भरोसा न रखे तो उनका काम बिलकुल बिगड जानेकी सम्भावना है। मै आशा करता हूँ कि अधिकारियोपर आरोप लगाये जाये तो उनके बारेमे जनता बहुत ही सावधानीसे काम लेगी। उनका काम बहुत कठिन है। उनसे बहुत द्वेष किया जायेगा। आरोप लगाये जानेपर यदि वे खुले आम बचाव कर सकते तो कोई बात न थी। किन्तु यह नही हो सकता। उनकी कठिनाई उनके वरिष्ठ अधिकारी ही समझ सकते है। मुझे यह कहना चाहिए कि उनपर आरोप लगाये जाये तो उनकी ओर जनता बिलकुल ध्यान ही न दे, क्योकि उपनिवेश-सचिव उनकी छानबीन कर सकते है। जबतक उपनिवेश सचिव अधिकारियोपर भरोसा रखते है तबतक जनताको भी रखना चाहिए। मै बडा अधिकारी था और छोटे अधिकारियोपर आरोप लगाये जाते थे तो मै उनकी जाँच करता था। अधिकारी बहुत ही उद्यमी और अपना फज अदा करनेवाले है। उनपर जो आरोप लगाये जाते है उन्हे जनताको महत्त्व नही देना चाहिए।

श्री कर्टिसका यह तमाशा अजीब है। एक ओर तो इन महाशयने काननका पास करवानेमें बडी मेहनत की, और अब कानूनको अमलम लानेवाले अधिकारियापर कुछ न गुजरे, इसलिए जनताको पहलेसे चेतावनी दे रहे है, मानो अधिकारी चाहे जितना जुल्म करे, उसकी जनताको परवाह नही करनी चाहिए। सौभाग्यसे भारतीय समाजको अधिकारियाकी कतई जरूरत नही होगी। किन्तु यदि होती, तो श्री कर्टिसके पत्रका यह अथ हुआ कि जैसे जैक्सनपर मुकदमा चलाया गया था, वैसे ही यदि कोई दूसरा अधिकारी करे तो उसपर मुकदमा चलानेके लिए जनता कुछ न करे। क्योकि, उपनिवेश-सचिवको उस सम्बन्धमे सारी जानकारी मिलती रहेगी। श्री कर्टिस साहब भूल गये है कि सर आर्थर लालीके[2] पास जब कई बार शिकायत गई तब कही उन्हे अपने अधिकारीकी स्थितिका ज्ञान हुआ था।

१ (१८७४–) ब्रिटिश राजनीतिज्ञ, सैनिक तथा लेखक। उपनिवेश उपमन्त्री, १९०५–८। इंग्लैंडके प्रधानमन्त्री १९४०–४५ तथा १९५१–५५।

२ ट्रान्सवालके लेफ्टिनेंट गवर्नर १९०२–५। १९०५ में मद्रासके गवर्नर नियुक्त किये गये थे। देखिए खण्ड ४, पृष्ठ २०१ और खण्ड ५, पृष्ठ १६०।

चीनियोंकी लडाई

चीनी सघके श्री क्विममिगने 'स्टार'को निम्नानुसार पत्र लिखा हे

चीनियोकी भावनाओकी जरा भी परवाह किये बिना यह शम-भरा कानून अमलमे लाया जानेवाला है, इससे चीनी समाजको आश्चय हुआ हे।

हम कौन है? चीनियोने जो प्रस्ताव पहले पास किया था उसीको फिर यहा पेश करता हूँ कि हम स्वेच्छया पजीयन करवानेको तयार है, कि तु गोरे लोग हमे गुलाम बना ले, यह कभी नही हो सकता। हम यह व्यवहार सहन नही करेगे। इस शमनाक कानूनके सामने हम नही झुकेंगे। इससे भले वे हमारा कुछ भी करे, चूकि हम सच्चे ह इसलिए अ ततक लडते रहेगे। हम कोई अनुचित बात नही, बल्कि शुद्ध याय माग रह है।

अग्रेजोको हम अपने देशमे भले आदमियोके रूपमे जानते है। यहा यदि वे हमपर जुल्म करेगे तो हम उन्हे सम्मान देना ब द कर देगे, जिससे चीनमे भी उन सबकी प्रतिष्ठा चली जायेगी।

मिडेलबर्ग-बस्ती

मिडेलबग नगर परिषदने सूचित किया है कि मिडेलबगके भारतीय न बस्तीसे निकलते है, न जिन बाडोका इस्तेमाल करते है उनका किराया देते है, और बिना हक उनका उपयोग करते रहते है। इसलिए नगर परिषदने उनपर मुकदमा चलानेका निणय किया है। मिडेलबगकी बस्तीमे रहनेवाले भारतीयोको इस विषयमे सोचना चाहिए। यदि किराया न देनेकी बात सच हो तो यह ठीक नही कहा जा सकता। दोष हमारी ओर तो जरा भी नही होना चाहिए।

समितिकी भूल

समितिका तार आज (बुधवारको) मिला। उसमे लिखा हे कि कानूनके विरोधमे जेल जानेके निणयको समिति नापसन्द करती है। मुझे आशा है कि इससे कोई भारतीय परेशान नही होगा। समितिकी पस दगीका हम निर्वाह कर पाते तो अच्छा होता। किन्तु समितिने नापस दगी जाहिर की है, उसे भी समझा जा सकता है। समितिके प्रमुख सदस्य भारतके पुराने प्रसिद्ध अधिकारी है और आगे भी अधिकारी बन सकते है। वे हमे कानूनका विरोध करनेकी सलाह दे, इसीमे आश्चय होगा। वे हमे कानून स्वीकार करनेको कहे, इसमे कुछ आश्चय नही है। समितिकी सलाहको हमे वकीलकी सलाहके समान समझना चाहिए। वह हमे कानून भग करनेको नही कह सकती। जिनपर कष्ट पडा हो वे ही यह इलाज कर सकते है तथा उसकी जिम्मेदारी उठा सकते है। इस तारकी खबर देनेके लिए सघकी बैठक की गई थी, जिसमे सघने नीचे लिखे अनुसार तार भेजनेका निणय किया है।

कानूनके सामने झुकनेमे और किसी बातका विचार न करे तब भी इतना तो सोचना ही होगा कि भारतीय समाजने जो खुदाकी शपथ ली हे, वह टटती है और उसे तोडनेको तो समितिकी ओरसे सलाह नही मिलनी चाहिए। आशा हे, भारतीयोके प्रति समितिकी सहानुभूति बनी रहेगी।

यह तार ठीक गया है। किन्तु यदि इससे समिति भग भी हो जाये तब भी यह तो हो ही नही सकता कि भारतीय समाजने जो काम शुरू किया हे वह ब द हो। भारतीय

समाजका खुदा — ईश्वर — सच्चा मददगार है। उसे बीचमें रखकर शपथ ली गई है और उसीके भरोसे हम पार होंगे।

संशोधन

अपनी पिछली चिट्ठीमें मैं लिख चुका हूँ कि बचे हुए चीनी १९०७ में जायेंगे। इसकी ओर एक पाठकने मेरा ध्यान आकर्षित किया है। मैं उसका आभार मानते हुए अपनी भूल सुधारता हूँ कि १९०७ की जगह १९०८ होना चाहिए।

[गुजरातीसे]
इंडियन ओपिनियन, २०–६–१९०७

३८ भेंट 'रैंड डेली मेल' को[1]

[जून २८, १९०७]

उपर्युक्त घोषणाकी आगाहीपर ट्रान्सवालके भारतीय समाजके रुख और प्रतिक्रियाके सम्बन्धमें मेल'के एक प्रतिनिधिने भारतीय समाजके अग्रणी तथा पथप्रदर्शक श्री मो० क० गांधीसे मुलाकात की थी।

[गांधीजी] यह कहना कठिन है कि इस कानूनके लागू होनेका अन्तिम परिणाम क्या होगा, परन्तु जहाँतक मेरा और मेरे सहयोगियोंका सम्बन्ध है, हम प्रस्तावित पंजीयनको न माननेके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, बल्कि उसके अन्तर्गत मिलनेवाले सबसे बड़े दण्डको भोगनेके लिए तैयार हैं।

अपने इस भावमें हम किन्हीं राजद्रोही इरादोंसे या विरोधकी साधारण भावनासे प्रेरित नहीं हैं। इसके पीछे केवल आत्मसम्मानका विचार है।

दूसरे शब्दोंमें, उन्होंने एक बड़े सत्याग्रह संग्रामकी भविष्यवाणी की, जिसके बारेमें उन्होंने अनुमान किया था कि उसमें कमसे कम ट्रान्सवालके आधे ब्रिटिश भारतीय भाग लेंगे।

निःसन्देह परिणामकी भविष्यवाणी करना अत्यन्त कठिन है, क्योंकि वर्षों अप्रयोगके कारण विधानके प्रति विरोध प्रकट करनेका ऐसा ढंग मेरे देशवासियोंके लिए नया है। परन्तु साथ ही ट्रान्सवालके समस्त भागोंसे मुझे जो पत्र मिले हैं, और 'इंडियन ओपिनियन'के सम्पादकको जो पत्र भेजे गये हैं, उनसे मेरा यह खयाल होता है कि विधानको न माननेकी नीतिपर ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंमें से पूरे ५० प्रतिशत दृढ़ रहेंगे। मैंने अभीतक एक भी ऐसे भारतीयका नाम नहीं सुना जिसने इस कानूनका समर्थन किया हो। बहुतेरे अनुभव करते हैं कि उनकी कठिनाइयोंको सहन करनेसे अच्छा यह होगा कि वे देशको छोड़ दें, परन्तु मैं ऐसे एक भी आदमीको नहीं जानता जिसने कभी कहा हो कि वह इस कानूनके अन्तर्गत नया पंजीयन प्रमाणपत्र लेगा।

श्री गांधीने कहा, भारतीय बहुत नाराज हैं और उन्होंने हिसाब लगाया कि नये कानूनके अनुसार पंजीयन करानेसे कमसे-कम ६,००० इनकार करेंगे।

१. ता० २८–६–१९०७ के **गवर्नमेंट गज़ट**में एशियाई कानून संशोधन अधिनियम तथा तत्सम्बन्धी विनियमोंके प्रकाशन और यह ऐलान हो जानेपर कि उक्त अधिनियम १ जुलाई १९०७ से अमलमें लाया जायेगा, यह मुलाकात हुई थी। **रैंड डेली मेल**में इन शीर्षकोंके साथ रिपोर्ट छपी थी "जेल जाना अनिवार्य अध्यादेशपर भारतीय ८००० अनाक्रामक प्रतिरोधी सोमवारसे कानून लागू प्रिटोरियासे प्रारम्भ"।

यदि सरकार मुकदमा चलानेपर तुली रही तो ये लोग जेल जायेंगे। इसके कारण निश्चय ही उन्हे बहुत हानि होगी, क्योंकि उनमे से बहुतोंके बडे बडे स्वाथ ह। परन्तु अपना आत्मसम्मान सुरक्षित रखनेके लिए वे सवस्वकी बलि करनेको तैयार ह।

हम अनुभव करते है कि देशके विधानमे, उस दशामे भी जब हम स्वय उससे प्रभावित हो, हमारी कोइ आवाज न होनेके कारण उसके प्रति विरोध प्रकट करनेका एक ही माग रह जाता है कि हम उसको माननेसे सादर इनकार कर दे। यदि कानूनको न माननेके परिणामस्वरूप सरकार अनिवाय पजीयन लागू करनेकी जिद करती है तो हो सकता हे कि ट्रान्सवालमे भारतीयोके निवासका प्रश्न उपनिवेशियोके सतोषके मुताबिक सुलझ जाये, अर्थात भारतीयोको अन्तमे इस देशसे चले ही जाना पडे। यदि ऐसा हो तो उपनिवेशियोके इस सन्तोषसे मुझे तबतक ईर्ष्या नही होगी जबतक वे उसी साम्राज्यके सदस्य होनेका दावा करते है जिसमे सम्बन्धित होनेका मुझे भी सम्मान प्राप्त हे। ऐसे दावोंसे उनके व्यवहारका बिलकुल ही मेल न बैठेगा। खासकर तब, जब इस बातको ध्यानमे रखा जाये कि भारतीयोने सरकारसे किये गये किसी भी वादेके अनुसार आचरण करनेमे अपने आपको समथ सिद्ध कर दिया हे।

भारतीयोने स्वेच्छया पजीयन करानेका वचन दिया हे। वह उतना ही कारगर होगा जितना कि अनिवाय पजीयन। इस बारेमे बहुत कुछ कहा गया हे कि कानून नरम है ओर उसमे एशियाइयोकी भावनाओपर चोट करनेवाली कोई बात नही हे। परन्तु मै इतना ही कह सकता हूँ कि उपनिवेशोमे स्वीकार किये गये समस्त प्रतिबन्धक कानूनोको मने पढा है और म जानता हूँ कि जैसा अपमानजनक ओर गिरानेवाला यह पजीयन अधिनियम है वैसा कोई ओर नही हे।

पुराने एम्पायर नाटकघरमे हुई विराट सभाका हवाला देते हुए श्री गाधीने अपना भाषण समाप्त किया। उन्होने कहा कि समाचारपत्रोके अनुमानके अनुसार सभामे २,००० भारतीय उपस्थित थे और उन्होने सब सम्मतिसे यह गम्भीर घोषणा की थी कि वे बलात पजीयनको कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होने कहा कि वे महसूस करते ह, उस घोषणाका सच्चाईके साथ पालन किया जायेगा[१]।

[अंग्रेजीसे]

रड डेली मेल, २९–६–१९०७

१ यह विवरण निम्नलिखित सम्पादकीय टिप्पणीके साथ समाप्त किया गया था पिछली मर्दुमशुमारीके अनुसार ट्रान्सवालमें ९,९८६ भारतीय है, जिनमे ८ ६४७ पुरुष है। प्रिटोरियाके नगरपालिका क्षेत्रमें १,६८१ भारतीय है जिनमें १ ४४५ पुरुष है। ३१ चीनी भी है जो सब पुरुष है।

३९ लॉर्ड ऐम्टहिल

लार्ड ऐम्टहिलने दक्षिण आफ्रिकामें एक निराश्रित पक्षका साहस और उद्यमके साथ समर्थन करके दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोंकी चिर कृतज्ञता अर्जित की है। एशियाई पंजीयन अधिनियमपर विवादका आरम्भ करते हुए लार्ड महोदयने लॉर्डसभामें जो भाषण दिया, उसमें प्रकट होता है कि उनके लिए सारी दुनियाकी ब्रिटिश प्रजा समान है और ब्रिटिश राजनयिकोंका वचन, यद्यपि वह उन जातियोंको दिया गया है, जो उसके भंग होनेपर किसी प्रकारकी नाराजगी व्यक्त करनेमें असमर्थ हैं, किसी प्रतिज्ञापत्रसे कुछ कम नहीं है। हमें आशा है लॉर्ड महोदयने जिस प्रकार प्रारम्भ किया है उसी प्रकार वे आगे बढ़ते रहेंगे और तबतक शान्त नहीं होंगे जबतक इस प्रथम कोटिके प्रश्नको उचित स्थान तक नहीं पहुँचा देंगे।

वह इतने महत्त्वका प्रश्न है कि सर जॉर्ज फेरारको भी मानना पड़ा है कि यह ट्रान्सवालमें चीनियोंकी गिरमिट खतम करने या साम्राज्य सरकारसे ट्रान्सवालमें कृषिके विकासके लिए कर्ज प्राप्त करनेसे बहुत अधिक महत्त्व रखता है। भारतीय समाचारपत्रोंकी जो कतरनें हालमें हमारे पास आई हैं उनमें पता चलता है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंसे सम्बन्धित घटनाओंने भारतीय जनताके मनपर गहरा असर डाला है। इसलिए यह खेदकी बात है कि ऐसे महत्त्वके प्रश्नपर लार्ड एलगिनने, जो इसके सही निबटारेके लिए जिम्मेवार हैं, इसपर ठीक तरह गौर नहीं किया। हमें यह देखकर दुःख होता है कि लॉर्ड महोदयने, शायद अनजानेमें, ट्रान्सवाल-सरकारके भुलावेमें आकर प्रवासके सवालको ट्रान्सवालके अधिवासी भारतीयोंके प्रति होनेवाले बरतावके सवालके साथ उलझा दिया है। ब्रिटिश भारतीय संघने हमारे खयालसे निर्णायक रूपमें सिद्ध कर दिया है कि एशियाई पंजीयन अधिनियम ब्रिटिश भारतीयोंके प्रवासका नियमित नहीं करता और अगर शान्ति रक्षा अध्यादेशको वापस ले लिया गया, जैसा कि लार्ड सेल्बोर्नने[1] कहा है कि इसे वापस ले लेना चाहिए, तो एक नया कानून बनाना पड़ेगा और, दरअसल, उसकी योजना बन भी गई है। पंजीयन अधिनियम प्रवासके मामलेको किसी प्रकार हल तो नहीं करता, लेकिन ट्रान्सवालमें रहनेवाले ब्रिटिश भारतीयोंको अपमानित जरूर करता है और अपने परिणामरूपमें ब्रिटिश संविधानके चिर-पोषित सिद्धान्तका — अर्थात् इस सिद्धान्तको कि प्रत्येक मनुष्यको तबतक निर्दोष समझना चाहिए जबतक वह अपराधी नहीं साबित हो जाता, और एक निर्दोष व्यक्तिको दण्ड मिले इसकी बजाय यह अच्छा है कि अपराधी बिना दण्ड पाये बच निकले — बदल देता है। यह कानून प्रत्येक भारतीयको अपराधी मान लेता है और यह साबित करनेका भार उसीपर डालता है कि वह अपराधी नहीं है, अर्थात् वह ट्रान्सवालमें कानूनी तरीकेसे दाखिल हुआ है। फिर, यह ट्रान्सवालके तमाम एशियाई समुदायको बुरी तरह दण्डित करता है, ताकि कुछ धोखेबाज एशियाई चोरीसे ट्रान्सवालमें न चले जायें, और तब भी

१ दक्षिण आफ्रिकामें उच्चायुक्त और १९०५ से १९१० तक ट्रान्सवाल तथा ऑरेंज रिवर उपनिवेशके गवर्नर।

कानूनका यह उद्देश्य पूरा नही होता, क्योकि पजीयन उन एशियाइयोको रोक नही सकता जो धोखेबाज है और इस देशमे चोरीमे दाखिल होना चाहते है और यहा तबतक रहना चाहते है जबतक कि वे पकड न लिये जाये। यह अधिनियम वैसा ही हे जैसे ईमानदार लोगोको इसलिए जेलमे ब द कर दिया जाये कि चोर चोरी न कर सके।

इसके अलावा, लॉड एलगिनने इस कथन मात्रको सही मान लिया हे कि अनुमतिपत्रोका नाजायज व्यापार हुआ हे। ब्रिटिश भारतीय सघने कई बार इसका सबूत मागा है, लेकिन वह आजतक नही मिल सका। श्री चैमनेका प्रतिवेदन[1], जैसा कि हमने बताया हे एशियाइयोके कथनका पूरा समथन करता हे। इस प्रकार यह कानून एशियाई समुदायके साथ दोहरा अ याय करता हे। एक तो, यह एशियाई समुदायके विरुद्ध झूठे इलजामपर आधारित है और दूसरे, प्रभावमे यह एक दण्ड देनेवाला विधान है। इसलिए अगर ट्रा सवालके चीनो और भारतीय निवासियोने यह तय कर लिया हो कि अनिवाय पजीयन और उसके साथ लगी हुई अ य सब बातोके सामने नही झुकेगे तो इसमे आश्चयकी कोई बात नही। अगर एशियाई दरअसल इस कानूनको बुरा समझते है, तो चाहे इसमे जितना माली नुकसान सहना पडे, इसे न मानना ही उनके लिए सीधा रास्ता हे और हमे विश्वास है कि अपने इस सघषमे उ हे लाड ऐम्टहिल और उनके साथियोको सहानुभूति मिलेगी। इस सघषसे उ हे कोई ख्याति या लाभ नही मिलनेवाला है, पर तु दीन और असहाय लोगोकी सच्ची दुआएँ उ हे मिलेगी।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २९-६-१९०७

४० अगद-वार्ता

कहा जाता है कि रामचन्द्रजीने रावणसे लडाई शुरू की, उसके पहले समझौतेकी वार्ताके लिए अगदको रावणके पास भेजा था। उस जमानेके रिवाजके अनुसार सच्ची बहादुरी इसमे होती थी कि युद्ध करनेके पहले शत्रुको उसकी गलती सुधारनेका पूरा मौका दिया जाये। शत्रुके सामने झुकते भी थे। झुकनेमे कोई हलकापन नही है। किन्तु इतना करनेपर भी यदि शत्रु नही मानता था तो पूरी ताकत दिखाते थे और सकल्पित काय करते थे। पुराने जमानेमे सारी दुनियाके लोग ऐसा ही करते थे। आज भी ऐसा करना अच्छा माना जाता है।

रामने रावणके साथ जैसा व्यवहार किया था वैसा ही व्यवहार भारतीय समाजने ट्रा सवाल सरकारके साथ किया है। जितनी नम्रता बरती जा सकती थी उतना बरती गई है। फिर भी जबतक कानून सारे भारतीय समाजपर लागू नही हो जाता तबतक ट्रा सवाल सरकार सुखी नही होगी।

रामने अगदको समझौता-वार्ताके लिए भेजा था। अगदके बहुत समझानेपर भी रावण नही माना। और चूकि अ याय उसका था इसलिए अन्तमे उसे हारना पडा। ब्रिटिश भारतीय सघकी मारफत सरकारसे अनुनय विनय करनेपर श्री स्मट्सकी ओरसे भारतीय

१ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४२८ २९।

समाजका अब अन्तिम उत्तर मिला है कि सरकारको भारतीय समाजका स्वेच्छया पंजीयनका सुझाव मंजूर नहीं है। यानी अब यही जानना शेष रहा कि कानूनको लागू करनेकी तारीख कब प्रकाशित होती है। इसीके साथ हम यह भी मान लेना होगा कि सरकार अपने मनके कानून बनाती है। कानून बनानेमें अंगुलियोंकी निशानी लेनेके बारेमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन इससे भारतीय समाजका कुछ काम नहीं होगा। इसलिए भारतीय समाजको अब लड़ाईकी ही तैयारी करनी रही। लड़ाईके लिए भारतीय समाजको और कुछ नहीं, केवल जेलके प्रस्तावपर अटल रहनेकी दृढ़ता चाहिए। इसके सिवा और किसी बातकी जरूरत नहीं। हमारे नाम जो पत्र आये हैं उनसे प्रकट होता है कि भारतीय समाज उसके लिए बिलकुल तैयार बैठा है। ट्रान्सवाल सरकारने जो हमारी बात नहीं मानी, इसके लिए तब तो नाराज होनेके बजाय खुश होना चाहिए। सच झूठकी परीक्षा अब हो जायेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-६-१९०७

४१ दक्षिण आफ्रिकामें अकाल

दक्षिण आफ्रिकामें वर्तमान समय बहुत ही खराब बीत रहा है। हर जगह तंगी दिखाई देती है। गोरे और काले सबकी हालत खराब हो गई है। उसमें जमीनवालों और व्यापारियोंकी ज्यादा मुश्किल है। इस समय दूरदर्शी व्यक्तिको सोचना चाहिए कि क्या किया जाय। व्यापार और भी कमजोर होगा। जमीनका मूल्य और भी घटता जायेगा। यह कहाँतक निभेगा? इस मुल्कका यह संकट वर्षाकी कमीके कारण नहीं, न फसल बिगड़नेसे है, बल्कि इसलिए है कि जहाँसे पैसा आता था वह जगह बेकार हो गई है। इससे हम देख सकते हैं कि खेतीमें नुकसान नहीं है। इसलिए हम प्रत्येक भारतीयको सलाह देते हैं कि इस अवसरका लाभ उठाकर जिससे जितना बन सके उतना वह खेतीपर ध्यान दे। व्यापारी और दूसरे सब भारतीय खेती कर सकते हैं। उसमें बहुत पैसेकी आवश्यकता नहीं रहती, न उसमें परवाने वगैरहका सवाल उठता है। हमारी निश्चित राय है कि यदि भारतीय समाज खेतीकी ओर अधिक ध्यान देगा तो उसे लाभ होगा। इतना ही नहीं, खेतीका धंधा इस मुल्कमें भारतीयके विरुद्ध जो आपत्ति है उसे दूर करनेमें भी मदद कर सकता है। यह मुल्क नया है। इसलिए यहाँ बहुत प्रकारकी फसलें पैदा की जा सकती हैं। और यदि वे यहाँ न खपें तो उन्हें बाहर भेजा जा सकता है। ट्रान्सवालमें डच लोग खेतीके द्वारा देशको सम्पन्न बनानेका प्रयत्न कर रहे हैं। वही नेटालमें भी हो रहा है। इससे प्रत्येक भारतीयको चेतना चाहिए कि वह जमीन जोतनेकी ओर ध्यान दे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९-६-१९०७

४२ लॉर्ड ऐम्टहिल

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति अभी नये कानूनके सम्बन्धमे जोर लगा रही है। लॉड ऐम्टहिल, जो इस समितिके अध्यक्ष बनाये गये है, बहुत मेहनत कर रहे ह। लॉडसभामे उन्होने जो भाषण[1] दिया है उसकी ओर हम पाठकोका ध्यान खीचते ह। उससे ज्ञात होता हे कि नये कानूनसे विलायतमे बहुत ही उत्तेजना फैल गई हे। सभी समझने लगे है कि भारतीय समाजपर बहुत जुल्म हो रहा हे। अब उस जुल्मकी वास्तविकता सिद्ध करनेके लिए भारतीय समाजकी जिम्मेदारी है कि वह जेलवाले प्रस्तावपर दढतापूवक डटा रहे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २९–६–१९०७

४३ इग्लैडकी बहादुर स्त्रियाँ

इग्लैडकी स्त्रिया अपने लिए मताधिकार प्राप्त करना चाहती है।[2] उनकी सभाकी अधिकृत रिपोट प्रकाशित हुई है। उससे मालूम होता हे कि वह सभा अपने कामके लिए हर सप्ताह करीब १०० पौड खच करती है और आजतक, यानी दो वषके अन्दर, सब स्त्रियोने मिलकर अपनी बहनोके अधिकारोके लिए लगभग छ वषकी कैद भोगी हे। सभाके मन्त्रीने लिखा है कि उस सभाका काम चलानेके लिए अभी २०,००० पौडकी जरूरत हे। उसने प्रत्येक सदस्यसे यह रकम इकट्ठी करनेके लिए कहा है।

जब अग्रेज स्त्रियोको उनके ही समाजसे हक प्राप्त करनेमे इतना पसा खच करना और इतना दुख उठाना पडता है तब भारतीय कौमको दूसरी कौमसे अधिकार प्राप्त करनेमे कितना खच करना और कितना दुख उठाना होगा? यह हिसाब प्रत्येक भारतीय समझ ले और फिर सोचे कि यदि पूरे १३,००० भारतीय जेल चले जाये और यदि वे १३,००० पौड खच करे तो उससे इस कायमे कोई बडा खच नही होगा। कुल मिलाकर ट्रान्सवालकी भारतीय कौमने अभी तो २,००० पौड भी खच नही किये है, न कोई जेल ही गया है। इतनेपर भी यह मानना कि अधिकार मिल ही जाने चाहिए, सरासर भूल मालूम होती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २९–६–१९०७

१ यहाँ नही दिया जा रहा है।

२ यह उल्लेख इग्लैंडमें चलनेवाले स्त्रियोके ससदीय मताधिकार आन्दोलनके सम्बन्धमें है। श्रीमती एमलिन पैंकहर्स्ट (१८५८–१९२८)के नेतृत्वमें महिलाओने जो सघर्ष चलाया था उसमें धरना देना अनशन करना, और जेल जाना शामिल था।

४४ भारत और ट्रान्सवाल

इस समय भारतकी नजर ट्रान्सवालपर है। मद्रासमें दस हजार भारतीयोंकी सभाने प्रस्ताव किया है कि भारतीयोंको दक्षिण आफ्रिकामें कष्ट सहना पड़ता है, इसलिए उपनिवेशोंके गोरोंको भारतमें कोई नौकरी अथवा अन्य अवसर नहीं मिलना चाहिए। लाहौरका 'ट्रिब्यून' लिखता है कि यदि भारतीय समाज अन्ततक अपना उत्साह कायम रखे तो बहुत लाभ होगा। अनेक भारतीय अखबारोंमें चर्चा हो रही है और सभी सहानुभूति प्रदर्शित कर रहे हैं। लॉर्ड लैन्सडाउन जैसे अधिकारी सोच रहे हैं कि यहाँके भारतीय समाजके ऊपर जो जुल्म होता है उसका भारतपर बहुत गहरा असर पड़ता है। इन सब लक्षणोंसे प्रकट होता है कि भारतीय कौमके हाथ अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करनेका अमूल्य अवसर लगा है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९–६–१९०७

४५ कन्याओंकी शिक्षा

अलीगढ़में कुछ समय पहले मुस्लिम जनाना नामक गर्ल्स स्कूलकी स्थापना हुई थी और उसकी दिनोदिन तरक्की होती जा रही है। उस स्कूलको सहायता देनेके लिए सरकारसे प्रार्थना की गई है। उस स्कूलके लिए खास जगह ली गई है और उसके साथ छात्रालय बनानेकी भी योजना है। किंडरगार्टन पद्धतिके अनुसार उर्दूमें खास पुस्तकें तैयार की गई हैं। मुसलमान आचार्या न मिलनेके कारण अभी एक गोरी महिलाको २०० रु० वेतनपर नियुक्त किया गया है। इस स्कूलके लिए आजतक १३,००० रु० एकत्र किये गये हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २९–६–१९०७

४६ भाषण : प्रिटोरियाकी सभामें[1]

प्रिटोरिया
३० जून, १९०७

श्री गांधीने कानूनका असर समझाते हुए कहा कि हर भारतीयको, चाहे वह गरीब हो या अमीर, स्वतन्त्र होना चाहिए। यह कानून [साम्राज्यीय] सरकारने मंजूर कर लिया, इससे कुछ नहीं। भारतीय समाजके द्वारा मंजूर होना अभी बाकी है।

१. एशियाई कानूनके प्रति विरोध व्यक्त करनेके लिए श्री ईसप मियाँकी अध्यक्षतामें भारतीयोंकी एक सभा हुई थी। उसमें दिये गये गांधीजीके भाषणका यह सारांश है।

जबतक भारतीय समाज कानूनको मजूर नही करता तबतक वह पास माना ही नही जा सकता। यदि कोई बडे या छोटे भारतीय कानूनकी गुलामीका पट्टा ले लेते ह तो उनका किसीको अनुकरण नही करना है। जो मुक्त रहेगे सो जीतेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ६–७–१९०७

४७ पत्र 'रैंड डेली मेल' को[1]

जोहानिसबर्ग
जुलाई १, १९०७

सेवामे
सम्पादक
['रैंड डेली मेल']

महोदय

आपने एशियाई पजीयन अधिनियमके तथाकथित "अनाक्रामक प्रतिरोध" के सम्बन्धमे जो सौम्य और सदभावपूर्ण टिप्पणी की है, उसकी आलोचना मुझे करनी पड रही है जो, सम्भव है, कृतघ्नता प्रतीत हो। भारतीय समाजको जो प्रतिरोध करना है उसको म "तथा-कथित" कहता हूँ, क्योकि वह मेरी सम्मतिमे वस्तुत प्रतिरोध नही, बल्कि सामूहिक कष्ट-सहनकी नीति है। अधिनियमके विनियमोको पढ लेनेपर भी आप इसको भावुकताकी बात समझते है।

यदि मेरे आठ वर्षके लडकेको एक ऐसे अधिकारीके सामने, जिसे उसने अपने जीवनमे शायद पहले कभी नही देखा, बिना किसी अपराधके, पहले अलग अलग और फिर एक साथ, अगुलियो और अँगूठोके निशान देनेकी अत्याचारपूर्ण प्रक्रियासे गुजरनेको बाध्य किया जाये और मै पिताके नाते उस दृश्यको देखनेके बजाय गोलीसे मार दिया जाना अच्छा समझू तो क्या यह भावुकता है? यदि म इस देशमे अपने अस्थिर निवासके मूल्यके रूपमे अपनी माका नाम और ऐसे ही दूसरे विवरण देना नामजूर करूँ तो क्या यह भावुकता है?

लॉर्ड एलगिनको भले ही अपनी गद्दीदार कुर्सीपर बैठकर कलमके बजाय अँगूठेसे निशान बनानेमे कोई अन्तर न दिखाई दे, किन्तु मै जानता हूँ कि वे उस राष्ट्रके ह जो वैयक्तिक स्वतन्त्रतापर किये गये आक्रमणका विरोध करनेके लिए एक सिरेसे दूसरे सिरे तक विद्रोह कर देगा और वे स्वय पहले व्यक्ति होगे, जो अपने हस्ताक्षरोके बलात अक्स किये जानेका भी चिल्लाकर विरोध करेगे। जो चीज चुभती है वह है जबदस्ती, न कि अँगुलियोकी निशानी।

सरकारके मनमे हमे गिरानेकी कोई इच्छा नही है, यह बात तभी सत्य हो सकती है जब यह मान लिया जाये कि इस देशमे, जहाँ एशियाइयोके अतिरिक्त अन्य सबको स्वतन्त्रता प्राप्त है, मेरे देशवासी पहले ही इतने गिरा दिये गये है कि वे उससे अधिक

१ यह ६–७–१९०७ के **इडियन ओपिनियन**में भी उद्धत किया गया था।

गिरावटका अनुभव कर ही नही सकते। किन्तु यह समय तक करनेका नही है। वीर शासकापर, जो कथनीका नही, करनीका मूल्य समझते है, वीरता और ठोस कायकी ही प्रतिक्रिया हो सकती है।

जैसा आप कहते है, यदि प्रिटोरिया कमजार है और सरकारने "सापकी बुद्धिमे", जिसका आप उसे श्रेय देते ह, अपने प्रति किसी भी विरोधका तोडनेके लिए सबसे कमजार जगहको चुना है, और यदि इस अधिनियमके विरुद्ध आवाज उठानेवाला अकेला मैं और सम्भवत मेरे थोडे से साथी कायकर्ता ही रह जाये, तब भी हम यह कह सकगे कि इस गिरावटको स्वीकार करनेमे हमारा काई हिस्सा नही है। किन्तु प्रिटोरियाके सम्बन्धमे आपकी जो सम्मति है, उसे मैं नही मानता। कल स्थानीय मन्त्री श्री हाजी हबीबके मकानपर ब्रिटिश भारतीयाकी जो आम सभा[1] हुई थी उसमे एक वक्ता मै भी था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मेरे देशवासिया द्वारा व्यक्त भावनाएँ उनके हृदयासे उद्भूत हुई है—और मेरा विश्वास है, बात ऐसी ही है—ता प्रिटोरियाका प्रत्येक भारतीय अनिवायत पुन पजीयन करानेसे इनकार करेगा, फिर परिणाम चाहे जा हो।

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति जब यह कहती है कि "स्थानीय सरकार इस सदेहकी पुष्टि करती है कि वह उग्रतम कानूनाको लादने और इस प्रकार ब्रिटिश भारतीयाको गिराने और अपमानित करनेके लिए व्यग्र है," तब आप उसपर मुँह-फट भाषामें, असत्य नही ता आत्यन्तिक अत्युक्तिका आरोप लगाते हैं। आत्यन्तिक अत्युक्ति या असत्य, चाहे जिस बातका भी दोषी हानेकी जोखिम हो, मैं उसी कथनको दुहराता हूँ, और उसके समथनमे आपके सम्मुख जानबूझकर किये गये अपमानका वह ताजा उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ जो प्रिटोरियाकी सभामे प्रकाशमें आया है। वहा एक धम-प्रचारकने मध्य दक्षिण आफ्रिका रेलवेका एक कागज[2] दिखाया, जिसमे कहा गया था कि रेलकी यात्राके सम्बन्धमे धम-प्रचारकाको जो रियायत है वह ईसाई और यहूदी धम प्रचारकोके लिए ही है। धम-प्रचारककी इस सूचनासे सभामें दुखद सनसनी फैल गई। क्या यह नया भेदभाव भी एशियाइयाकी भरमारके विरुद्ध आवश्यक चौकसी है?

आपका, आदि,
मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]

रड डेली मेल, २–७–१९०७

१ देखिए "प्रिटोरियाकी आम सभा", पृष्ठ ८० ८२।

२ देखिए "आममें घी", पृष्ठ ७१ ७२।

४८ जोहानिसबर्गके ताजे समाचार[1]

जोहानिसबर्ग
बुधवारकी शाम, [जुलाई ३, १९०७]

नया प्रवासी विधेयक[2] पेश किया जा चुका है। इस विधेयकके अनुसार कोई भी अंग्रेजी जाननेवाला व्यक्ति [ट्रान्सवालमें] प्रवेश कर सकता है, किन्तु भारतीय नहीं। जान पड़ता है कि जिनपर खूनी कानून लागू होता है, वे अंग्रेजी जानें या न जानें, दाखिल नहीं हो सकते। इसके अलावा इस कानूनके अनुसार सरकार जिसे बुरा समझती है उसे जबरदस्ती निर्वासित कर सकती है और निर्वासित करनेका खर्च उसकी जायदादमें से ले सकती है। अब भारतीय अवश्य फंदेमें आये हैं। यह विधेयक पास होगा या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, किन्तु इसमें शंका नहीं कि ट्रान्सवालकी सरकार भारतीयोंको खदेड़ना चाहती है। मुझे आशा है कि हर भारतीय इज्जतके साथ यहाँसे जायेगा, बेइज्जती लेकर नहीं।

एशियाई भोजनालय

जोहानिसबर्गकी नगरपालिका प्रत्येक भारतीय भोजनगृहवालेके लिए यूरोपीय मैनेजर रखना अनिवार्य करना चाहती है।

फोक्सरस्टमें सभा

फोक्सरस्टमें मंगलवारको सभा हुई थी। श्री काछलिया सभापति थे। श्री गांधी, श्री भट तथा श्री काजी और श्री काछलियाके भाषण हुए। सबने जेल सम्बन्धी प्रस्तावपर दृढ़ रहना स्वीकार किया। उसी समय चन्दा इकट्ठा किया गया। करीब २० पौंड चन्देके लिए नाम लिखवाये गये और ११ पौंड नकद मिले।

प्रिटोरिया

प्रिटोरियाके भारतीय बहुत जोर दिखा रहे हैं। अभीतक एक भारतीय भी नया अनुमतिपत्र लेने नहीं गया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–७–१९०७

१ यह "हमारे जोहानिसबर्ग प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित" रूपमें प्रकाशित किया गया था।
२ पाठके लिए देखिए परिशिष्ट ३।

४९. पत्र 'स्टार'को

जोहानिसबर्ग
जुलाई ४, १९०७

सेवामें
सम्पादक
'स्टार'
[जोहानिसबर्ग]

महोदय,

आपने अपने पाठकोंको जो जानकारी दी है उससे भारतीय समाजको बहुत आश्चर्य हुआ है। आपने कहा है कि भारतीय लगभग किसी निर्योग्यतासे पीडित नहीं हैं और अँगुलियोंके निशान देनेके प्रश्नपर तो विचार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारतीय सिपाही अपनी पेंशन लेनेसे पहले स्वेच्छासे अपने अँगूठोंके निशान देते हैं।

मैं सोचता हूँ कि क्या आप अब प्रवासी विधेयकका, जो कल प्रकाशित किया गया है, समर्थन करेंगे और यह कहेंगे कि, जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है वह कानून निर्दोष है। एशियाइयोंको अत्यन्त चालाक बताया गया है। किन्तु जो चालाकी इस विधेयकके निर्माताओंने दिखाई है वह, यदि असमाजित भाषामें कहें तो, सबसे बाजी मार ले जाती है। यदि खण्ड २ के उपखण्ड ४ को मैंने ठीक तरह समझा है तो मेरा विश्वास है, उसके द्वारा एशियाई पंजीयन अधिनियमके विरोध करनेवाले अनाक्रामक प्रतिरोधियोंको एक उत्तर दिया गया है और ट्रान्सवालके भारतीयोंमें आत्मगौरवकी अवशिष्ट भावनाको भी कुचलनेके लिए राजकीय ढंगकी प्रणाली स्थापित की गई है, क्योंकि उक्त खण्डके अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक एशियाई, जो नया पंजीयन प्रमाणपत्र नहीं लेगा, एक वर्जित प्रवासी हो जायेगा और वर्जित प्रवासीको जेलकी सजा दी जा सकती है, उसके बाद उसे उपनिवेशसे जबरदस्ती निकाला जा सकता है तथा उसके निष्कासनका व्यय उसकी सम्पत्तिसे, जो उपनिवेशमें होगी, वसूल कर लिया जायेगा। इस प्रकार कानून बहुत ही चतुराईसे तरीकेसे वर्जित प्रवासीका निर्माण करता है। जिस व्यक्तिने ट्रान्सवालको अपना देश बना लिया है, किन्तु जो अतिरिक्त दण्ड भोगकर अपने ऊपर लागू किसी कानूनका उचित या अनुचित विरोध करता है, वह व्यक्ति अपने अंगीकृत देशमें कानूनके संरक्षणसे वंचित कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह खण्ड केवल 'एशियाई और दुराचार अधिनियमों'का ही अमल करा सकता है, अर्थात् वेश्याएँ, गुण्डे और वे एशियाई जो अपना सम्मान खानेसे इनकार करते हैं, एक ही श्रेणीमें रखे जायेंगे।

इसके अतिरिक्त, इससे जो अपमान उद्दिष्ट है उसकी निरंकुशता दिखानेके लिए, मैं जनताका ध्यान इस बातकी ओर दिलाना चाहता हूँ कि यदि कोई भारतीय — उदाहरणार्थ, सर मंचरजीको ही ले लीजिए — अत्यन्त कड़ी परीक्षामें उत्तीर्ण हो जाये, और ट्रान्सवालमें

आना चाहे तो उसको अवश्य ही अपना और अपने अवयस्क बच्चोका पजीयन प्रमाणपत्र लेना होगा और यदि वह वर्जित प्रवासीकी श्रेणीमे आना और निष्कासित होना न चाहे तो उसके आठ सालसे अधिक आयुके जो बच्चे हो उन्हे भी अलग अलग और एक साथ अँगुलियोके निशान देने पडेगे। कहा यह जाता हे कि पजीयन अधिनियम सिफ शिनाख्ती कारवाईके लिए है। एशियाई अधिनियम न होनेपर जो व्यक्ति अपनी शिक्षा सम्बन्धी योग्यताके कारण ट्रान्सवालमे रहनेके अधिकारका दावा कर सकता हे, उसकी शिनाख्त करानेका क्या कोई अथ है? वह चाहे उपनिवेशमे हो चाहे उसके बाहर, उसके किसी एक यूरोपीय भाषाके ज्ञानकी परीक्षा किसी भी समय की जा सकती है। तब क्या उसकी शिनाख्तके निशान उसके व्यक्तित्वमे ही समाहित नही है?

जनरल बोथाने तो, जब वे लन्दनमे थे, सारे साम्राज्यके कल्याणकी इतनी चिन्ता प्रकट की थी और लाड ऐम्टहिलको आश्वासन दिया था कि सम्राटकी भारतीय प्रजाको नीचा दिखानेका उनका कोई इरादा नही है। उनके उन भाषणोका[1] क्या हुआ? क्या स्वशासनका अथ एशियाइयोकी समस्त स्वतन्त्रताके मनमाने अपहरणका परवाना हे? सर जाज फेरारने प्रगतिवादी दलकी ओरसे बोलते हुए कहा था कि एशियाई पजीयन अधिनियमके पीछे बहुत ही महत्त्वपूण प्रश्न है, इसकी स्वीकृतिसे लाखो भारतीय अकारण ब्रिटिश साम्राज्यके विरुद्ध उत्तेजित हो जायेगे। फिर भी उन्होने सरकारकी सहायताके लिए, बहुत ही बेमौके, सम्राट एडवडकी भारतीय प्रजाकी भावनाओको चोट पहुँचानेकी जोखिम उठाकर भी, एशियाई पजीयन अधिनियमका समथन किया। क्या प्रगतिवादी दल अपनी साम्राज्य-हितकी डीगोके बावजूद मेरे द्वारा बताई गई घणित धाराके रहते हुए इस प्रवास-विधेयकका समथन करेगा?

आपका, आदि,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
स्टार, ५-७-१९०७

५० आगमें घी

प्रिटोरियाकी आम सभाकी कारवाईका विवरण भेजते हुए हमारे प्रिटोरियाके सवाददाताने लिखा है कि मौलवी मुख्तियार अहमद द्वारा मध्य दक्षिण आफ्रिका रेलवे (सी० एस० ए० आर०)[2] का एक पत्र पेश किया जानेपर बहुत सनसनी फैली। उस पत्रको हम एक बहुत जरूरी प्रलेख मानते हैं। वह इस तरह है

आपके २४ तारीखके पत्रके उत्तरमे, जिसमे ट्रासवालके मुस्लिम समाजकी धार्मिक आवश्यकताओकी पूर्ति करनेवाले एक मुल्लाके यात्रा सम्बन्धी खचका जिक्र है, म कहना चाहता हूँ कि चूँकि इस रेलवेमे धम प्रचारकोको दी जानेवाली रियायत ईसाई

१ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४६०-६१, ४८३।
२ देखिए 'पत्र रैंड डेली मेल को' पृष्ठ ६७-६८।

या यहूदी धर्मोंके अलावा दूसरे धर्मोंको नहीं दी जाती है, इसलिए म आपकी माँगी हुई विशेष सुविधाएँ देनेमें असमर्थ हूँ।

इसपर स्वय मुख्य यातायात प्रबन्धकके हस्ताक्षर है। इससे, हमारी सम्मतिमे, न्यायपूण व्यवहारकी, जिसका वचन जनरल बाथाने दिया था, सब आशाएँ समाप्त हो जाती है। इस पत्रसे यह शेखी भी खत्म हो जाती है कि साम्राज्यके भीतर कोई धार्मिक भेदभाव नही है। दुभाग्यसे हम जाति-भेदके तो अभ्यस्त हो गये है। किन्तु एशियाई अधिनियमने एक धार्मिक भेदभाव करके पहल की है और रेलवे विभागने उनका अनुसरण किया है। ट्रान्सवालमे रहनेके इच्छक भारतीय जानते है कि उन्हे अधिकारियोंसे क्या आशा रखनी है। हमारी समझमे नही आता कि जिन लोगोका आधार ही धम है और जो — हिन्दू और मुसलमान दोनो — अपने धमपर आक्रमण होते ही विचलित हो उठते है, उन लोगोकी धार्मिक भावनाओके अकारण अपमानके इस नवीनतम उदाहरणका लाड एलगिन क्या औचित्य बतायेंगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–७–१९०७

५१ एक टेक

माननीय अमीर 'महाविभव' से 'महामहिम'[1] सहज ही नही बन गये। उन्होंने सच्ची टेक रखी तब प्रतिष्ठा मिली और अंग्रेजोने उनका स्वागत किया। वे भारतकी यात्रापर इस शतपर आये थे कि उनकी प्रतिष्ठाकी पूरी तरहसे रक्षा की जायेगी और सरकार कोई राजकीय विषय नही छेडेगी। उन्हे लाड कर्जनने[2] भी आनेका निमन्त्रण दिया था, किन्तु उन्होने साफ इनकार कर दिया था। उसका कारण श्री मॉर्लेने[3] अपने बजट-भाषणम दिया है। काबुलमे भाषण करते समय उन्होने कहा "इस समय भारत सरकारके अधिकारियोने राजकीय विषयकी कोई बात नही छेडी। उन्होने अपना वचन निभाया। इसलिए जब मेरी इच्छा हुई तब मैंने खुद होकर इस सम्बन्धमे बातचीत की। उसका उन्होने दुरुपयोग नही किया। लॉड मिंटोका[4] निमन्त्रण सभ्यतापूण था, इसलिए मैंने उसे स्वीकार किया। दिल्ली दरबारके समय दिये गये आमन्त्रण और लाड मिटोके आमन्त्रणमे बडा भेद था। इसीलिए मैंने दिल्ली दरबारमे न जानेका निश्चय किया था। मैंने सोचा था कि इतना बेहूदा आमन्त्रण स्वीकार करनेकी अपेक्षा मेरा राजपाट चला जाये, मैं भिखारी बन जाऊँ, मुझे प्राण देने पड, यह सब सहन करनेको तैयार हूँ।" अपनी इसी टेकके कारण अमीरको मान मिला और लाड कर्जनको पीछे हटना पडा।

१ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ५०५।
२ (१८५९–१९२५), भारतके वाइसराय और गवर्नर जनरल, १८९९–१९०५, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ५०।
३ (१८३८–१९२३), भारत-मन्त्री, १९०५–१०।
४ (१८४५–१९१४), भारतके वाइसराय और गवर्नर जनरल, १९०५–१०।

ट्रान्सवालके भारतीय समाजको इसी प्रकार सोचना चाहिए। "सवस्व चला जायेगा तब भी नया कानून मजूर नही करेगे"——यह टेक रखना आवश्यक हे। इस कानूनकी धाराएँ प्रकाशित हुइ हैं। उनका तजुमा हम इस अकमे दे रहे हैं। वे धाराएँ इतनी सरत और कठोर ह कि उनकी किसीको स्वप्नमे भी कल्पना नही हो सकती। जनरल बोथाने विलायतमे जो मीठी मीठी बाते की थी उनपर पानी फिर गया हे। इससे हमे बहुत खुशी है। यदि इस जहरकी गोली रूपी कानूनपर चादीका वक चढा हुआ होता तो भी भारतीय भुलावेमे आकर धोखा खा सकते थे। कि‍तु अब तो एक भी भारतीय ऐसा नही होगा जो इस कानूनको स्वीकार करे।

इस कानूनके सामने झुकनेवाले भारतीयको क्या लाभ होगा, यह भी जरा हम देखे। एक तो यह कि वह अपने खुदाको भूलेगा, दूसरा यह कि उसकी प्रतिष्ठा बिलकुल समाप्त हो जायेगी, तीसरा यह कि उसे सारे भारतका शाप मिलेगा, चोथा यह कि उसके लिए बस्तीमे जानेकी नौबत आयेगी, और आखिर ट्रा सवालमे कुत्तेकी जि‍दगी बितानी होगी। कानूनके सामने झुककर कौन भारतीय ऐसे लाभ भोगना चाहेगा? अब न झुकनेवालेकी भी बात ले। वह खुदासे डरनेवाला माना जायेगा, वह खुदाके साथ किये हुए इकरारका पालन करनेवाला माना जायेगा, शूर माना जायेगा। भारतीय उसका स्वागत करेगे, जेल उसके लिए महल माना जायेगा। उसे ज्यादासे ज्यादा यदि कोई दु ख होगा तो यह कि उसकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो जायेगी और अ‍तमे शायद ट्रान्सवाल भी छोडना पडे। यदि ट्रान्सवाल छोडना पडा तो क्या दूसरी जगह खुदा नही है? जिसे दात दिये हैं उसे चबेना देनेवाला मालिक हर जगह बैठा हुआ है। उस मालिकको खुशामद नही चाहिए। वह हमारे कानमे केवल यह कहता रहता है कि मुझपर भरोसा रख। यदि उसकी मधुर वाणी हमे सुनाई नही देती तो कानोके होते हुए भी हम बहरे हैं। यदि वह हमे अपने पास बैठा हुआ दिखाई नही देता तो आखोके होते हुए भी हम अ‍धे हैं।

यदि भारतीय समाज अपनी टेक निभायेगा तो हम मानते हैं कि कोई भी भारतीय बरबाद नही हो सकता। ट्रान्सवालके भारतीयोकी तो बात ही दूर, सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोको मुक्ति मिल जायेगी। क्योकि भारतीय जनता अपनी ताकत पहचान जायेगी और बहादुर बोअरोको हमारी बहादुरीका पता चल जायेगा।

एक बार एक सिह बचपनसे भेडोके बीच पलनेके कारण अपना भान भूल गया और अपने आपको भेड ही मानने लग गया। किन्तु दूसरे सिहोका यूथ देखकर उसे अपना कुछ भान हो आया। यही स्थिति भारतीय सिहकी समझनी चाहिए। बहुत समयसे हम अपना भान भूले, पामर बने बैठे हैं। यह भान करानेवाला समय आया हे इसलिए

राखी पूरो विश्वास धणीनो[1] साचो।
जवु[2] जेल, जेलने[3]-जेल एम[4] उर राचो।[5]

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ६–७–१९०७

१ स्वामीका। २ जाना है। ३ और। ४ ऐसा।
५ ये पक्तियाँ पुरस्कृत कविता 'जेल-यात्रा' की है।

५२ समितिकी सलाह

समितिके पाससे ट्रान्सवालके सम्बन्धमें आया हुआ तार हम प्रकाशित कर चुके हैं।[1] श्री रिचके पत्रसे समझमें आ सकता है कि समितिके तारसे हमें जरा भी डरना नहीं है। समिति हमें बहुत भला बुरा कहे तब भी जेलके सम्बन्धमें हमने जो बहुत ही सोच समझकर निर्णय किया है उससे पीछे पैर नहीं रखा जा सकता। साहस करनेवालेको दूसरेकी सीख काम नहीं देती।

डा० जेम्सिननें ट्रान्सवालपर हमला किया तब किसीसे सीख नहीं ली थी। हमलेको तो लोग भूल गये, किन्तु उनकी बहादुरीकी आज भी प्रशंसा की जाती है। वे स्वयं इस समय बोथाके मित्र हैं और केपका कारोबार चला रहे हैं।

इंग्लैंडके प्रधान मन्त्री[2] सर हेनरी कैम्बेल बेनरमैननें बहुत ही विनयपूर्वक अंग्रेज महिलाओंको सलाह दी थी कि वे अपनी जेल जानेकी बात छोड़ दें। इन महिलाओंमें जनरल फ्रेंचकी बूढ़ी बहन भी हैं।[3] किन्तु उन बहादुर महिलाओंने उस बुद्धिमानीकी सीखको माननेसे इनकार कर दिया। मताधिकारके अभावमें उन्हें जो वेदना हो रही है उसे सर हेनरी क्या समझ सकते हैं? जब बहादुर अंग्रेज महिलाएँ अपने नये अधिकार प्राप्त करनेकी लड़ाई किसीकी सीखकी परवाह किये बिना लड़ रही हैं, तब क्या भारतीय मर्द अपने जाते हुए हकोंको — अपनी स्वतन्त्रताकी रक्षाकी लड़ाईको — भले कोई समिति या कोई महापुरुष सीख दे, छोड़ दें?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–७–१९०७

५३ कैसी दशा!

यदि ट्रान्सवालपर बादल छाये हैं तो नेटाल छूट जायेगा, सो बात नहीं। गोरोंकी कालोंपर चढ़ाई होती ही रहती है। अब नेटालकी संसदमें ऐसा विधेयक पेश हुआ है कि अपनी जमीन स्वयं जोतनेवाला भारतीय अगर वह जमीन किसी दूसरे भारतीय या काफिरको जोतनेके लिए दे तो उसे उस जमीनपर गोरोंकी अपेक्षा दुगुना कर देना होगा। ऐसा इन्साफ तो दक्षिण आफ्रिकाके गोरे ही कर सकते हैं। परन्तु गिरे हुएको ठोकर मारनेका रिवाज तो सदासे चलता आया है। इसलिए गिरे हुए भारतीय उठेंगे तभी उनके दुःख मिटेंगे। कांग्रेसका लिखा पढ़ी आदि तो करनी ही होगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–७–१९०७

१ देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ५९-६०।

२ १९०५–८।

३ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ३५४।

५४ नेटाल, तू जागता है या सोता?

ट्रान्सवालके भारतीय नेटालके भारतीयोका दरवाजा खटखटाकर उपयुक्त प्रश्न पूछ रहे है। ट्रान्सवालके भारतीय कहते है कि "हम केसरिया बाना पहनेंगे और रणमे जूझेंगे।" तब नेटालके भारतीय भाई रणमे आहतोकी सार सँभाल करेंगे या दूर रहेंगे? इस प्रश्नका उत्तर प्रत्येक नेटालवासी भारतीयको अपने मनमे सोच लेना है।

यदि ट्रासवालकी मदद करनेमे ईमानदारी हो तो नेटालके भारतीयोको भी अपनी टेक निभानी चाहिये। नेटालके नेताओने ट्रासवालके भारतीयोको हिम्मत बँधाई है वह तो पत्र और तार द्वारा। कहे और लिखे हुए शब्दोपर चलनेका समय अब आया है। इसलिए हम नेटालके भारतीयोको सावधान होनेकी सलाह देते है। नही तो सभी नेटालके बारेमे यही गायेंगे कि

बिना टेकवाला बहु बोली बोले
पछी आपी टेक एके न पाले।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६-७-१९०७

५५ खूनी कानून

खूनी धाराएँ

जो सोचा था वही हुआ। 'ट्रान्सवाल गजट' मे ऐलान किया गया है कि जुलाई १ से नया कानून अमलमे आयेगा। इस कानूनके अतर्गत जो धाराएँ बनाई गई है वे इतनी कठोर, खूनी है कि उनके अनुसार कोई भी भारतीय चल सकेगा, सो नही मालूम होता। उन धाराओका सम्पूर्ण साराश हम नीचे दे रहे है

१ इस धारामे पृथक पृथक व्याख्याएँ दी गई है।

२ एशियाईका पंजीयनपत्र किस प्रकार रखा जाये, यह बताया है।

३ सोलह वर्षसे अधिक आयुवाले व्यक्तिको पंजीयनके लिए 'ख' फार्मके अनुसार आवेदन देना चाहिए। सोलह वर्षसे कम और आठसे अधिक आयुवाले लडकेको 'ग' फार्मके अनुसार आवेदन देना चाहिए।

४ प्रत्येक वयस्क व्यक्तिको उपनिवेश सचिव द्वारा नियुक्त व्यक्तिके पास उपस्थित होना होगा और उसे 'ख' फार्मके अनुसार अर्जीमे देने योग्य सारी हकीकत भरकर देनी होगी। इसीके साथ अपनी अर्जीके समर्थनमे यदि उसे अपना अनुमतिपत्र, तीन पौडवाला पंजीयनपत्र तथा अन्य कोई दस्तावेज देने हो, तो देगा। आठ वर्षसे अधिक आयुवाले लडकेके आवेदनके लिए उसके पिता अथवा अभिभावकको अपने लडकेके साथ उपस्थित होना होगा और ऊपर बताये गये

दस्तावेज यदि हो तो उन्हे पेश करना होगा तथा 'ग' फाममे भरी जानेवाली बाते देनी हागी। उपनिवेश-सचिव द्वारा निश्चित किये गये स्थानपर प्रत्येक अर्जी देनी होगी।

अर्जियाँ लेनेके लिए जिस व्यक्तिको नियुक्त किया जाये उसे अर्जी बनाकर आवेदकको रसीद देनी चाहिए और अर्जी पजीयकके पास भेज देनी चाहिए।

५ यदि पजीयक वयस्क व्यक्तिकी उपयुक्त तरीकेसे दी हुई अर्जीको खारिज कर दे तो उसे आवेदकके पास खारिज करनेकी सूचना भेजनी चाहिए और उसकी एक प्रतिलिपि न्यायाधीशके पास भेजनी चाहिए।

६ पजीयनका प्रमाणपत्र 'फ' फामके अनुसार दिया जाये।

७ प्रत्येक वयस्क व्यक्तिको जब भी उससे देखनेके लिए पजीयनपत्र मागा जाये, दिखाना होगा, और पुलिसके माँगनेपर उसे निम्न जानकारी देनी होगी

(१) अपना पूरा नाम,

(२) उस समयका पता,

(३) अर्जी देनेके समयका पता,

(४) अपनी उम्र,

(५) अपने हस्ताक्षर, यदि उसे लिखना आता हो तो,

(६) और दोनो अँगूठाकी निशानिया, अथवा अँगूठो और अँगुलियोकी निशानियाँ।

८ सोलह वर्षसे कम आयुवाले लडकेके पिता या अभिभावकको जब भी उससे माँगा जाये अपना प्रमाणपत्र दिखानेके अतिरिक्त निम्न जानकारी देनी चाहिए

(१) अपना पूरा नाम।

(२) उस समयका पता।

(३) अर्जी देनेके समय उसके अभिभावकका पूरा नाम और उसका पता।

(४) उस बालककी आयु।

(५) और उस बालकके अँगूठोके निशान अथवा अँगूठे और अँगुलियोकी निशानियाँ।

९ आठ वर्षसे कम आयुवाले लडकेके प्रमाणपत्रके लिए आवेदन देते समय अभिभावक या पिताको निम्न हकीकत देनी चाहिए,

(१) लडकेका पूरा नाम,

(२) उसकी आयु,

(३) उसका रिश्ता,

(४) उसका जन्मदिन,[1]

(५) उसके ट्रान्सवालमे प्रविष्ट होनेकी तारीख।

१० खोये गये पजीयनपत्रके लिए आवेदन[2] करते समय प्रत्येक एशियाई निम्नलिखित हकीकत पेश करे

१ मूल अंग्रेजी पाठमें है "प्रत्येकका जन्म-स्थान"।

२ मूल अंग्रेजीमें यह वाक्य दिया गया है "पंजीयन प्रमाणपत्रको नया करानेके लिए प्रार्थनापत्र देते समय"।

(१) पजीयनपत्र क्रमाक,
(२) अपना पूरा नाम,
(३) अपना पता,
(४) और यदि बालकका पजीयापत्र खो गया हो तो उसका पूरा नाम,[१]
(५) अपने अँगूठे ओर अँगुलियोकी निशानिया,
(६) और यदि बालककी ओरसे अर्जी दी हो तो अपने अगूठोकी निशानी और बालकके अँगूठो तथा अँगुलियोकी निशानिया।

११ व्यापारीका परवाना अथवा अन्य कोई परवाना लेते समय आवेदकको अधिकारियोके समक्ष अपना पजीयनपत्र पेश करना होगा ओर इसके अतिरिक्त अधिकारी जिस प्रकार कहे, उस प्रकारसे उसे अँगूठे तथा अँगुलियोकी निशानिया देनी होगी।

१२ यदि कोइ एशियाई कुछ समयके लिए ट्रासवालसे बाहर गया हो और उसकी ओरसे अन्य कोइ एशियाई परवानेके लिए आवेदन करे तो उसे अधिकारीके पास निम्न बाते पेश करनी चाहिए,
(१) अपना पजीयन पत्र,
(२) जिसके लिए अर्जी दी हो उसका पूरा नाम,
(३) उस एशियाईका उस समयका पता,
(४) उस व्यक्तिके दाहिने अँगूठेकी छाप लगा हुआ मुखत्यारनामा,
(५) ओर अपने दाहिने अँगूठेकी निशानी।

१३ मुद्दती अनुमतिपत्र 'छ' फामके अनुसार दिया जाये।

फार्म ख

वयस्क व्यक्तिका आवेदनपत्र

पूरा नाम	कौम	
जाति या उपजाति	आयु	ऊँचाई
निवास स्थान	व्यवसाय	
शरीरके खास खास चिह्न		
जन्म देश		
ट्रासवालमें पहले-पहल आनेकी तारीख		
मई १९०२ में कहाँ था		
पिताका नाम	माताका नाम	
पत्नीका नाम	कहाँ रहता है	

आठ वर्षसे कम उम्रके बच्चो आदिके नाम, आयु, निवास स्थान और रिश्ता

आवेदकके हस्ताक्षर
आवेदन प्राप्त करनेवालेके हस्ताक्षर
तारीख कार्यालय

१ मूल अंग्रेजी पाठमें है "बालकका पूरा नाम तथा उसकी आयु (यदि सरक्षक किसी बालकके लिए प्रार्थनापत्र दे)"।

दाहिने हाथकी निशानियाँ

अंगूठा	पहली अँगुली	बिचला	तीसरी	अन्तिम अँगुली

ऊपरके अनुसार बायें हाथकी अलग अलग निशानियाँ

सम्मिलित निशानियाँ

बायें हाथकी चार पूरी अँगुलियोंका निशानी	दाहिने हाथकी चार पूरी अँगुलियोंका निशानी

वयस्क व्यक्तिकी निशानियाँ लेनेवालेका नाम

तारीख

फार्म ग

बालकके लिए आवेदनपत्र

अभिभावकका विवरण

पूरा नाम जाति
निवास स्थान
अभिभावकका रिश्ता
प्रमाणपत्र क्रमांक

बालकका विवरण

पूरा नाम प्रजाति
जाति या शाखा आयु
पता व्यवसाय
३१ मई १९०२ को कहाँ था
पिताका नाम माताका नाम
शरीरके खास खास चिह्न
जन्म-देश
ट्रान्सवालमें आनेकी तारीख

अभिभावकका दाहिना अँगूठा

अभिभावकके हस्ताक्षर
बालकके हस्ताक्षर
आवेदनपत्र लेनेवालेके हस्ताक्षर
कार्यालय
तारीख

'ख' फार्मके अनुसार बालकके दाहिने तथा बायें हाथके अँगूठों तथा अँगुलियोंकी अलग अलग निशानियाँ और दाहिने तथा बायें हाथकी निशानी लेनेवाले अधिकारीके हस्ताक्षर

फाम च

पजीयनपत्र

पूरा नाम
प्रजाति आयु ऊँचाइ
वर्णन

दाहिना अँगूठा

पंजीयकके हस्ताक्षर
तारीख
मालिकके हस्ताक्षर

फार्म छ[1]

मुद्दती अनुमतिपत्र

सूचना

'गजट'मे यह सूचना हे कि पहली जुलाईको प्रिटोरिया या उसके प्रदेशमे रहनेवाले एशियाईको अपने नये पजीयनपत्रके लिए जुलाई ३१, १९०७ स पहले रिचड टेरेन्स कोडीके पास ७०, चच स्ट्रीटमे आवेदनपत्र देना चाहिए।

श्री कोडी सोमवारसे शुक्रवार तक सबेरे ९ बजेसे शामके ४ बजे तक उपयुक्त स्थानपर रहेगे। और शनिवारको दोपहरके २ बजे तक रहेगे।

धाराओका प्रभाव

धाराओमे अनपेक्षित बाते ज्यादातर निम्न प्रकार दिखाई देती है

(१) भारतम अपनी माके प्रति हिदू और मुसलमान दोनो इतना अधिक आदर रखते है कि यदि उसका नाम कोई लेनेके लिए कहे तो कत्ल हो जाता हे। उस माताका नाम आवेदनपत्रोपर चढेगा।

(२) यह स्वप्नमे भी खयाल नही किया गया था कि लडकोकी सब अँगुलियोकी निशानिया ली जायेगी। अब उनकी अठारह अँगुलियोकी निशानिया ली जायेगी। अनुवादकका अनुभव है कि नौ वषके कमजोर बालकको अनजान मनुष्य हाथ लगा दे तो वह रो पडता है। ऐसे कोमल भारतीय बालकोको अब जालिम हाथ लगेगा। उनकी अँगुलिया लगाई जायेगी और बाप बैठा हुआ देखेगा।

(३) सब अँगुलियोकी निशानी एक बार ही नही दो बार देनी होगी। इकटठी और अलग-अलग।

(४) पुलिसको अँगुलियोकी निशानी लेनेका आदेश है, बडे छोटे सबकी।

(५) व्यापारी बाहर जाये और उसका मुनीम परवाना मागे तो उसके हाथमे व्यापारीके दाहिने अँगूठेकी निशानीवाला मुखत्यारनामा होना चाहिए, यह अपमानकी हद है। आगेसे भारतीय मुखत्यारनामेमे हस्ताक्षर पर्याप्त नही, अँगूठेकी निशानी चाहिए।

(६) सारे आवेदनपत्र अधिकारी लिखेगे। वकील या एजेटसे कोई नही लिखवा सकेगा। सरसरी तौरसे देखनेपर यह धारा पैसा बचानेवाली है। किन्तु गहराईसे देखनेपर

१ इस फार्मका विवरण उपर्युक्त च फार्मके अनुसार है।

शेरको सामने बिठाकर खीर खिलानेके समान है। प्रौढ भारतीय भी अधिकारीके सामने घबरा जाते हैं तब दुबले पतले बालककी तो बात ही क्या की जाये।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–७–१९०७

५६ प्रिटोरियाकी आम सभा[1]

नया कानून पहली जुलाईसे प्रिटोरियामें अमलमें आनेवाला था। इसलिए वहाँ रविवार, ३० जूनको एक विराट आम सभा की गई थी। वहाँ जोहानिसबर्गसे खास खास भारतीय अपने खर्चसे गये थे। उनमें कार्यवाहक अध्यक्ष श्री ईसप मियाँ, मौलवी साहब अहमद मुख्त्यार, श्री एम० एम० कुवाडिया, श्री इमाम अब्दुल कादिर, श्री उमरजी साले, श्री मकनजी, श्री झीणाभाई, श्री गुलाबभाई कीकाभाई, श्री मोरारजी देसाई, श्री गुलाबभाई पटेल, श्री भूला, श्री रणछोड नीछाभाई, श्री नादिरशाह कामा, श्री मुहम्मद इशाक, श्री खुशाल, श्री पीटर मूनलाइट, श्री नायडू, श्री ए० एस० पिल्ले, श्री गांधी वगैरह थे। प्रिटोरियाके लोगोंमें श्री हाजी हबीबके अलावा वहाँकी मसजिदके मौलवी साहब, श्री हाजी कासिम जूसब, श्री हाजी उस्मान, श्री काछलिया, श्री अली, श्री हाजी इब्राहीम, श्री गौरीशंकर व्यास, श्री प्रभाशंकर जोशी, श्री मोहनलाल जोशी, श्री उमरजी वगैरह कुल मिलाकर लगभग चार सौ भारतीय थे।

जोहानिसबर्गके प्रतिनिधियोंके खाने पीने, ठहरने आदिकी व्यवस्था श्री हाजी हबीब और श्री व्यासने की थी।

सभा ठीक तीन बजे शुरू होकर शामके सात बजे तक चलती रही थी। श्री हाजी हबीबने सबका स्वागत करते हुए कहा कि नया कानून अत्यन्त ही अत्याचारपूर्ण है। जबतक वह प्रकाशित नहीं हुआ था तबतक तो लगता था कि यदि उसकी धाराएँ ढंगकी हों तो उसे स्वीकार भी किया जा सकता है। किन्तु धाराओंको देखनेके बाद तो यही लगा कि कानूनको कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय समाजको एकताके साथ कानूनका विरोध करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने श्री ईसप मियाँसे सभापतिका आसन ग्रहण करनेका निवेदन किया।

श्री ईसप मियाँने श्री हाजी हबीबका उपकार माना कि उन्होंने अपना मकान दिया। उन्होंने कहा कि कानून जहरी है। वह हमसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। मैं स्वयं अपना काम छोड़कर समाजकी सेवा करनेको तैयार हूँ। सभी भाइयोंको हिलमिलकर रहना है। आज तक हम झुकते आये हैं। किन्तु, अब वैसा नहीं हो सकता। दुनियामें माँका नाम कोई नहीं पूछता। केवल कयामतके दिन ही हमारा माँके नामसे परिचय दिया जायेगा। अब सरकार हमसे माँका नाम पूछनेवाली है। भारतीय समाज इस तरहकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगा।

श्री गांधीने यह समझाया कि कानूनका क्या असर होगा, और कहा कि हर भारतीयको — फिर वह गरीब हो या अमीर — स्वतन्त्र होना चाहिए। [साम्राज्य] सरकारने इस कानूनको

१ मूल गुजराती रिपोर्ट "इंडियन ओपिनियनके लिए विशेष विवरण"के रूपमें इन शीर्षकोंसे छपी थी, "प्रिटोरियाके भारतीयोंकी विराट् आम सभा   खूनी कानूनका जोरदार विरोध   सब जेलके लिए तैयार।"

मजूर कर लिया हे, उससे कुछ नही होता। अभी तो भारतीय समाज द्वारा उसकी मजूरी बाकी है।

जबतक भारतीय समाज इसे स्वीकार नही करता तबतक माना ही नही जा सकता कि यह कानून पास हो गया है। यदि कोई बडे या छोटे भारतीय इस कानूनकी गुलामी स्वीकार कर ले तो भी दूसरोको उनका अनुकरण नही करना चाहिए। जो स्वतत्र रहेगे वे जीतेगे।

मौलवी साहब अहमद मुरत्यारने बडे जोशसे भाषण देते हुए समझाया कि मुसलमान और हिदू सबको हिल मिलकर चलना हे। सच्चा मुसलमान तो वह हे जो दीन और दुनिया दोनोके काम सँभालता हे। हजरत यूसुफ अबेसलामपर जब बला आई थी तब उन्होने खुदासे प्राथना की थी कि हे खुदा, मुझे इस बलाकी अपक्षा जेल देना। किसी भी भारतीयको जुल्मी कानूनके सामने झुकना नही चाहिए। उन्होने कहा कि एक समितिको गाव गाव घूमकर लोगोको इस बातका भान कराना चाहिए। यदि ऐसी कोई समिति बनी तो म भी उसके साथ जानेको तैयार हूँ।

श्री नायडूने तमिल भाषामे समझाकर कहा कि मेरी जान चली जाये तब भी नये कानूनके सामने नही झुकूगा।

श्री उमरजी सालेने भी भाषण करते हुए कहा कि सभी भारतीयोको हिलमिलकर चलना चाहिए ओर अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार करना चाहिए।

श्री एम० एस० कुवाडियाने पहले वक्ताओका समथन किया। श्री कामाने कहा कि यह कानून इतना खराब हे कि इसके सामने एक भी भारतीय झुक नही सकता। मेरा सब कुछ चला जाये तब भी मै इस कानूनको स्वीकार नही करूँगा।

इमाम अब्दुल कादिरने कहा कि कोई भी भारतीय इस कानूनको स्वीकार करे, म तो स्वीकार नही करूँगा। यह कानून आजीवन कारावाससे भी बुरी सजा देता है। मौलवी साहबने स्वय प्रस्तावका समथन किया और गाव गाव जानेके लिए अपनी उद्यतता दिखाई।

श्री मकनजीने कहा, मुझे आशा थी कि कानूनमे जरा सी भी गुजाइश होगी तो म उसे स्वीकार कर लूगा। लेकिन अब तो मैने निश्चयकर लिया है कि कोई भी उसे स्वीकार करे, मै नही करूँगा।

श्री हाजी इब्राहीमने भाषण देते हुए अन्तमे कहा कि यह कानून स्वीकार नही किया जा सकता।

श्री नूर मुहम्मद अय्यूबने कहा कि भारतीयोके लिए अपना जोश दिखानेका यह स्वण अवसर है।

श्री इस्माइल जुम्मा, श्री मनजी नथू, श्री त्र्यम्बकलाल और श्री हाजी उस्मान हाजी अबाने भी ऐसे ही भाषण दिये।

श्री काछलियाने कहा कि निन्यानवे प्रतिशत सूरतियोके बारेमे तो म विश्वास दिला सकता हूँ कि वे जेल जायेगे।

श्री उमरजीने उनका समथन किया।

श्री गौरीशकर व्यासने कहा कि ईमानदारोके लिए तो सितम्बर माहकी शपथ काफी बन्धनकारी है।

श्री नीमजी आनदजीने कहा कि कानून हर्गिज स्वीकार नही किया जाना चाहिए।

श्री पिल्लेने भी जोशीला भाषण दिया।

श्री गुलाब रुद्र देसाई, श्री खुशाल छीता, श्री गुलाम मुहम्मद और श्री मूसा सुलेमानने कहा कि यदि कोई आदमी अनुमतिपत्र कार्यालयमें जायेगा तो वे उसे समझाकर रोकेंगे।

श्री हाजी कासिमने कहा कि कानून भारतीय समाजको स्वीकार हो ही नहीं सकता।

मौलवी साहब अहमद मुख्त्यारने कहा कि धर्म गुरुओंका काम केवल नमाज पढ़ाना ही नहीं, लोगोंके दुःखमें पूरी तरह हाथ बटाना भी है। गोरे लोग हमारे धर्मका अपमान करना चाहते हैं, इसलिए वे रेल किरायेमें भेद करते है। रेलवेवालोंने कहा है कि ईसाई और यहूदी पादरी आधे किरायेपर रेलमें यात्रा कर सकते हैं, किन्तु हिन्दू और मुसलमान धर्म-गुरु नहीं कर सकते। भारतीय समाज इस प्रकारकी गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगा।

श्री ईसप मियाँने अन्तिम भाषण देते हुए श्री गुलाब रुद्र देसाईको उनकी हिम्मतके लिए अपनी शाल दी और कहा कि मैं अपना निजी काम छोड़कर लोकसेवाके लिए तैयार हूँ। इस समय प्रिटोरियाके भारतीयोंपर जिम्मेदारी आई है। मुझे विश्वास है कि वे उसे अच्छी तरह निभायेंगे। श्री हाजी हबीबके आतिथ्यके लिए सारा भारतीय समाज उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है।

इस प्रकार बहुत उत्साहके साथ काम पूरा हुआ और सात बजे सभा समाप्त हुई।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ६–७–१९०७

५७ भेंट 'रैंड डेली मेल'के प्रतिनिधिको

ट्रान्सवालके सरकारी 'गज़ट'में प्रकाशित हुआ है कि १ जुलाईसे एशियाई कानून लागू होगा। इस नये कानूनसे सम्बन्धित वे धाराएँ भी प्रकाशित हुई हैं जिनके अनुसार सभी अँगुलियोंकी अलग अलग और इकट्ठी छाप ली जायेगी। धाराओंके प्रति भारतीयोंका रुख जाननेके लिए 'रैंड डेली मेल' के एक प्रतिनिधिने श्री गांधीसे भेंट की थी और तारीख २९के 'रैंड डेली मेल' में निम्नलिखित विवरण प्रकाशित हुआ है[1]

> एशियाइयोंके लिए बनाया गया जो नया कानून प्रकाशित हुआ है उसे मैं या मेरे साथी कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। किन्तु कानूनमें जो अन्तिम सजा कही गई है उसे भोगेंगे। इस कानूनको कोई भी स्वाभिमानी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। मुझे और 'इंडियन ओपिनियन'के सम्पादकको जो पत्र प्राप्त हुए हैं उनसे मालूम होता है कि ट्रान्सवालकी भारतीय आबादीमें से लगभग ५० प्रतिशत व्यक्ति कानूनका विरोध करेंगे। मैंने अभीतक एक भी ऐसा भारतीय नहीं देखा जो कानूनको ठीक समझता हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इस देशको छोड़कर चले जायेंगे। किन्तु ऐसा किसीने नहीं कहा कि हम नया पंजीयनपत्र लेंगे। भारतीयोंमें बहुत ही रोष फैला हुआ है और

१. इसके बाद जो विवरण दिया गया है वह "भेंट 'रैंड डेली मेल'को", पृष्ठ ६०-६१ का सारांश है।

कमसे कम ६,००० व्यक्ति नया पजीयनपत्र लेनेसे इनकार करेंगे। यदि सरकार उनपर मुकदमा चलायेगी तो वे लोग जेल जायेंगे, भले उससे उन्हे नुकसान उठाना पडे। लेकिन वे स्वाभिमानके लिए अपना सर्वस्व योछावर करनेको तत्पर है। हमे लगता है कि जब हमारे सम्बन्धमे कानून बनानेमे हमे बोलनेका अधिकार नही हे, तब हमारे लिए एक ही उपाय शेष रह जाता हे कि किसी भी कानूनके सामने घुटने न टेके जाये।

कहा गया हे कि कानून नरम हे। किन्तु मुझे कहना चाहिए कि मने बहुतेरे उपनिवेशोके कानून पढे है, लेकिन एक भी उपनिवेशमे इस कानूनके समान अपमान जनक ओर कलकित करनेवाला कानून नही देखा। एम्पायर नाटकघरवाली सभामे दो हजारके लगभग लोग उपस्थित थे ओर उन सबने सर्वसम्मतिसे शपथ ली थी कि वे कभी भी अनिवार्य पजीयन नही करवायेंगे। मुझे आशा हे कि लोग उस शपथका अवश्य पालन करेंगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ६–७–१९०७

५८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नया कानून

बहुत समयसे भारतीय जिनका रास्ता देख रहे थे वे नियम प्रकाशित हो गये ह। "जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बड, वैसी जड", इस कहावतके अनुसार जैसा कानून है वैसे ही उसके नियम ह। जो लोग नियमोमे कुछ नरमीकी आशा रखते थे, उनकी वह आशा भग हो गई है। मै स्वय इसलिए बहुत खुश हूँ कि नियम अनपेक्षित रूपमे सख्त हैं। इससे प्रत्येक भारतीय दृढ हो गया है और अब तो सब कहने लगे ह कि जेलके बिना चारा नही है।

घासमे साँप

अग्रेजीमे कहावत हे कि हरी घासमे प्राय हरे साप होते है, जो दिखाई नही देते। वे काटते ह तभी उनकी उपस्थितिका ज्ञान होता है। यह कानून भी वैसा ही है। इसमे कुछ साप छिपे हुए थे, जिनका पता मुझे अभी लगा है। इन नियमोको मैने पहले भी पढा था। उस वक्त मुझे इसके कुछ प्रभावोका ज्ञान नही हो सका था। म समझता था कि जबतक नया अनुमति पत्र — गुलामीका पट्टा — नही लिया जाता तबतक किसीसे पूछताछ करना सम्भव नही है। अब विचार करनेपर देखता हूँ कि इसमे पुलिसको जो सत्ता दी गई है उसके अनुसार वह चाहे जिस भारतीयसे अँगुलियोकी निशानी माग सकती है और उसकी वशावली पूछ सकती है, और वह भी जितनी बार चाहे उतनी बार। इस सापसे डरकर चलना है। और यदि सरकारने उस चाबीको ऐंठा तो उससे भारतीय समाज शायद परेशान हो जायेगा। रास्ता सीधा हे। किसी भारतीयको किसी भी तरह अँगुलियोकी निशानी देनी ही नही है। इतने दिन अँगूठा लगाते रहे। किन्तु अँगूठा लगाना भी अनिवार्य हो गया है, इसलिए उसे लगानेसे भी इनकार कर देना चाहिए। इसका नतीजा क्या होगा? उत्तर है

जेल। जेलका विचार प्रत्येक भारतीयके लिए सामान्य बन जाना चाहिए। पुलिस यदि प्रश्न पूछती है अथवा निशानी मांगती है और उसका उत्तर नहीं दिया जाता है तो नये कानूनके अनुसार उसकी सजा जेल अथवा जुर्माना है। जुर्माना तो देना ही नहीं है। इसलिए जेल ही बची। मेरी सलाह यह भी है कि फाक्सरस्टसे आनेवाले किसी भी भारतीयको अब पुलिसको अंगूठे या अंगुलियोंकी निशानी नहीं देनी चाहिए। परिणामस्वरूप यदि उसे मजिस्ट्रेटके पास ले जायें, तो वहां [अपना अधिकार] सिद्धकर देना चाहिए, और उतनेपर भी मजिस्ट्रेट उसे जेल दे तो वह भोगी जाय। किन्तु यह लड़ाई केवल सच्चे लोगोंके लिए है। जिनके पास अपने अंगूठेकी निशानीवाले अनुमतिपत्र हैं, उन्हींपर यह बात लागू होती है। इसमें हिम्मत बड़ी चाहिए। किन्तु उसे रखना है और रखेंगे।

दूसरा साँप

यह तो एक साँप हुआ। दूसरा साँप परवानोंसे सम्बन्धित है। मैं मानता था कि परवानोंके सम्बन्धमें अँगुलियोंके निशान लगवानेका काम जनवरीमें शुरू होगा। किन्तु अब देखता हूँ कि वह आजसे ही शुरू है। अतः यदि कोई परवाना लेने जायेगा तो उससे अँगुलियोंकी निशानी माँगी जा सकती है। किन्तु यह बात राजस्व-अधिकारियोंको भी मालूम नहीं हुई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि सब भारतीयोंने अपना अपना परवाना ले लिया होगा। लेकिन इस प्रकार हम कबतक चल सकेंगे? सरकारने जगह जगह अँगुलियोंकी बात लागू की है। अतः अब बहुत ही सख्त होकर चलना है। मैं यह मानता था कि हर बड़ी दूकान पीछे एक व्यक्ति कानूनके निबाहके लिए अनुमतिपत्र लेकर बैठ सकता है। लेकिन गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर देखता हूँ कि एक व्यक्ति व्यापार कर सकेगा, ऐसी आशा करना दुराशा मात्र है। इसलिए मुझे यह कहना चाहिए, आवश्यक हो तो व्यापारियोंके लिए व्यापारका लालच छोड़ देना ठीक होगा। देशके लिए, अपने आत्मसम्मानके लिए, व्यापारको छोड़ देनेके लिए तत्पर रहनेमें ऐन वक्तपर घबराहट नहीं होगी। इसके अलावा व्यापारके लिए भी अँगुलियोंकी निशानी देकर कैदी बनना ठीक नहीं मालूम होता। सुन्दर और एकमात्र रास्ता यही है कि खुदापर पूरा भरोसा रखकर देश-हितमें सब-कुछ कुर्बान कर दिया जाये। विजयके लिए हममें इतना निर्मल साहस होना चाहिए।

प्रिटोरियाके लिए अवसर

गुलामीका पट्टा देना पहले प्रिटोरियामें शुरू हुआ है। इसलिए प्रिटोरियापर बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है। साथ ही बहादुरी दिखानेका अवसर भी उसके हाथ आया है। सारे भारतीय यही चाहते और खुदासे यही प्रार्थना करते हैं कि प्रिटोरिया वही करे जो उसे शोभा दे।

'डेली मेल' की टीका

पिछले शुक्रवारको [रैंड] 'डेली मेल'के एक संवाददाताने श्री गांधीसे मिलकर कुछ जानकारी प्राप्त की।[1] श्री गांधीने बताया कि कमसे-कम ६,००० भारतीय तो निश्चय जेल जायेंगे। भारतीय समाजने खुदाकी शपथ ली है। उससे वह विमुख नहीं हो सकता। कानूनका विरोध करनेमें बेवफाई नहीं होगी। कानूनका विरोध करके भारतीय समाज केवल अपनी टेक व

१ देखिए "भेंट 'रैंड डेली मेल'को", पृष्ठ ६०-६१।

आत्मप्रतिष्ठा रखना चाहता है। इस तरह विरोध करनेसे छुटकारा कैसे होगा, यह कहा नही जा सकता, किन्तु बहादुर उपनिवेशियोको भारतीयोकी बहादुरीका पता चल जायेगा। यदि वैसा न हो तब भी भारतीय समाज जेल जायेगा और आखिर ट्रान्सवाल छोडकर चला जायेगा, किन्तु गुलामीकी हालतमे यहा नही रहेगा।

इसपर टीका करते हुए 'डेली मेल' सहानुभूति व्यक्त करता है और कहता है कि भारतीय समाजको कानून स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योकि उसमे सरकारका उद्देश्य अपमान करना नही है। अँगुलिया लगवानेमे सरकारका उद्देश्य दूसरे भारतीयोको आनेसे रोकना है। इसीके साथ 'डेली मेल' का सवाददाता लिखता हे कि सरकारने जान बूझकर पहले प्रिटोरियाको लिया हे, क्याकि वह सबसे निबल हे, इसलिए वहाके भारतीय तो निश्चय ही नया पजीयनपत्र ले लेगे, और तब दूसरे तो अपने आप लेगे। मुझे विश्वास हे कि प्रिटोरिया इस चुनौतीको झेल लेगा और बहादुरी दिखायेगा।

श्री गाधीका उत्तर

'डेली मेल'के उपर्युक्त पत्रका श्री गाधीने नीचे लिखा उत्तर दिया हे [१]

'स्टार' की टीका

'स्टार' पत्रने बहुत टीका की हे और उसे डर भी लग रहा है, इसलिए वह लिखता है कि भारतीय समाजको दस अँगुलियोकी निशानी देनेके सिवा और कोई कष्ट नही है। फ्रीडडापसे बिना हर्जाना दिये उन्हे कोई नही निकालेगा। ट्राममे उन्हे छूट है ही, और अँगुलियोकी निशानी तो भारतीय सिपाही भारतमे भी देते है।

स्पष्ट ही यह सब सरासर झूठ है। फ्रीडडॉपमे हर्जाना मिले तबकी बात तब, ट्राममे भारतीयोको अभी तो धक्के दिये जाते है, और भारतीय स्वेच्छापूवक अँगुलियोकी निशानी दे और अपढ सिपाही व्यापारीसे जबरदस्ती अँगुलिया लगवाये, इन दोनोमे अन्तर नही है, यह बात तो 'स्टार' ही कह सकता है। किन्तु 'मेल' और 'स्टार' दोनोकी टीकाओसे मालूम होता है कि भारतीय कौमकी लडाईकी तैयारीसे डर पैदा हो गया है। तब, भारतीय समाज यदि सच्ची बहादुरी बताता है तो क्या नही कर सकता?

नेटाल कांग्रेसकी सहानुभूति

नेटाल काग्रेसकी ओरसे भारतीय समाजके नाम एक तार आया है, जिसमे जेलके निणयपर डटे रहकर अपनी टेक बनाये रखने और आर्थिक सहायता देनेके बारेमे कहा गया है। यह सहानुभूति बहुत कामकी है। लेकिन समय ऐसा है कि जो आर्थिक सहायता देनी हो वह अभी पहुँच जानी चाहिए। भारतीय समाज यदि सचमुच पुरुषाथ दिखाता हे तो निस्सन्देह पैसेकी बहुत जरूरत होगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ६–७–१९०७

१ इसके बाद गाधीजीने पत्रका गुजराती अनुवाद दिया है जो यहाँ नही दिया जा रहा है। मूलके लिए देखिए "पत्र 'रेड डेली मेल को पृष्ठ ६७ ६८।

५९ पत्र 'रैंड डेली मेल' को[1]

जोहानिसबर्ग,
जुलाई ६, १९०७

सेवामें
सम्पादक
['रैंड डेली मेल']

महोदय,

मैं विश्वास करता हूँ, एशियाई प्रश्नकी पुनः चर्चा करनेके लिए मुझे क्षमा याचनाकी आवश्यकता नहीं है।

मैंने आपके भेंटकर्तासे यह नहीं कहा था कि "अनाक्रामक प्रतिरोध" मेरे देशवासियोंके लिए एक नया मार्ग है। मैंने यह कहा था कि हम पीढ़ियोंसे, खास तौरसे बड़े पैमानेपर, इसका अभ्यास नहीं रहा है, इसलिए मैं इसके परिणामके सम्बन्धमें पहलेसे कुछ नहीं कह सकता। मुझे, व्यक्तिगत रूपमें, यह देखकर गर्व होता है कि सामूहिक हितके लिए कष्ट सहनेकी क्षमता केवल सुप्त पड़ी थी और परिस्थितियोंके दबावसे वह पुनः शीघ्रतासे क्रियाशील होती जा रही है। धरना भारतीय मानसके लिए कोई नई वस्तु नहीं है। भारतमें विभिन्न जातियोंका जो जाल फैला हुआ है वह इस अस्त्रका उपयोग और मूल्य प्रदर्शित करनेवाला है, बशर्ते कि उसका उचित उपयोग किया जाये। आज भी सामाजिक बहिष्कार और जातीय बहिष्कार दो बहुत शक्तिशाली अस्त्रोंका प्रयोग भारतमें किया जाता है, किन्तु दुर्भाग्यवश छोटे मोटे मामलोंमें ही। और यदि अब पंजीयन अधिनियमके कारण मेरे देशवासी इस भयंकर अस्त्रका प्रयोग एक ऊँचे उद्देश्यके लिए करना जान सकेंगे तो लॉर्ड एलगिन और ट्रान्सवालकी सरकार दोनों ही मेरे देशवासियोंकी कृतज्ञताके पात्र होंगे।

इसलिए भारतीय धरनेदार असाधारण (उनके लिए असाधारण) आत्मत्याग और साहस दिखाकर अपने अज्ञानी और निर्बल देश बन्धुओंको कर्तव्य पथ दिखानेका प्रयत्न कर रहे हैं तो, सचमुच, इसमें कोई अनौचित्य नहीं है। इसके साथ ही आज पश्चिमी और पूर्वी, या यों कहिए कि भारतीय धरनेदारोंमें, उतना ही अंतर है जितना प्रकटतः पूर्व और पश्चिममें है। आतंक फैलानेकी हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम बहुमतकी इच्छा जबरदस्ती मनवाना नहीं चाहते, किन्तु मुक्ति-सेनाकी अदम्य बालाओंकी भाँति, अपने नम्रतापूर्ण ढंगसे, समझाने

१ यह "भारतीयोंका धरना" शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था और १३-७-१९०७ के इंडियन ओपिनियनमें उद्धृत किया गया था।

२ देखिए "भेंट 'रैंड डेली मेल' को", पृष्ठ ६०-६१।

३ सन् १८६५ में विलियम बूथ द्वारा लन्दनमें स्थापित एक धार्मिक संगठन, जिसे "साल्वेशन आर्मी" कहा जाता था। बादमें संगठनने अर्ध-सैनिक रूप ले लिया था। मूलतः यह ईसाई धर्मके सिद्धान्तोंसे सहमत था, लेकिन इसके उपदेश-आदेश व्यावहारिक और सीधे-सादे होते थे। उनमें दूसरोंकी मुक्तिके लिए कष्ट-सहन तथा आत्मबलिदानपर जोर दिया जाता था।

बुझानेकी अपनी समस्त सम्भव शक्तिको काममे लाकर, हम उन लोगोको, जो जानते नही, एशियाई पजीयन अधिनियमके उस रूपसे परिचित कराना जरूर चाहते हैं, जिसे ठीक माना जाता है। इसके बाद यह बात उन्ही लोगोपर छोड दी जाती है कि वे हमारी सलाहको माने या इस अपमानजनक कानूनको स्वीकार कर इस देशमे दीन हीन जीवन व्यतीत करनेके लिए अपने आपको बेच दे। जैसा मैने पहले कहा है, यदि उपनिवेशियोको मालूम हो जाये कि इस कानूनका अर्थ क्या है तो वे स्वय इस कानूनको माननेवाले भारतीयोको ठोकर मारने और घृणा करने योग्य कुत्ते कहकर पुकारेगे।

भारतमे अँगुलियोके निशानोके प्रयोगके सम्बन्धमे आपने श्री हेनरीके कथनको — मेरा खयाल है, भारतीयोके हितको ही दृष्टिगत करके — उद्धृत किया है। किन्तु हमने उनके सत्प्रयोगसे कभी इनकार नही किया। मेरा और मेरे देशवासियोका विरोध तो इस प्रथाके दुरुपयोगके प्रति है।

आप आशा करते है कि मेरे देशवासियोमे समझ आ जायेगी और वे इस कानूनको मान लेगे। इसके विपरीत मै आशा करता हूँ कि यदि मेरे देशवासी उपयुक्त साहस करेगे और अपना सम्मान और स्वाभिमान खोनेके बजाय अपने सर्वस्वका त्याग करनेके लिए तैयार हो जायेगे तो आप अपने विचार बदलेगे और उन्हे अपनी बातके पक्के मानकर उनका आदर करेगे। मै आपको याद दिला दू कि भारतीयोने ईश्वरको साक्षी बनाकर शपथ ली है कि वे इस कानूनको न मानेगे। न्यायालयमे ली गई झूठी शपथका प्रायश्चित्त न्यायाधीशके दिये हुए दण्डको भोगनेसे हो सकता है। किन्तु जो परम न्यायाधीश कभी भूल नही करता उसके सामने झूठी शपथ लेनेका क्या प्रायश्चित्त हो सकता है? यदि हम उसके सामने ली हुई शपथ झूठी कर देगे तो सचमुच हम किसी भी सभ्य समाजमे रहनेके अयोग्य होगे, और पुराने जमानेकी चाण्डाल बस्तिया ही हमारे लिए उचित और उपयुक्त स्थान होगी।

आपका, आदि,

मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

रड डेली मेल, ९–७–१९०७

६० पत्र 'स्टार' को

पो० ऑ० बाक्स ५७
प्रिटोरिया
जुलाई ७, १९०७

सेवामें
सम्पादक
'स्टार'
[जोहानिसबर्ग]

महोदय,

आपके प्रिटोरियाके संवाददाताने भारतीय समाजको यह कहकर उचित श्रेय दिया है कि ब्रिटिश भारतीयोंने इस उपनिवेशमें एशियाई पंजीयन अधिनियमको स्वीकार न करनेका जो संघर्ष आरम्भ किया है उससे "किसी गम्भीर उत्पातकी आशंका नहीं है"। महान्यायवादीने भी यह कहकर हमारी बड़ाई ही की है कि उन्हें कानूनके पालक भारतीयोंसे कानूनके विरोधकी आशा नहीं थी। अन्तर केवल यह है कि जहाँ कानूनके पालनकी सहज बुद्धि दंगों और स्थूल प्रतिरोधको असम्भव कर देती है, वहाँ उसका अर्थ यह नहीं होता कि कानूनको कितना ही अरुचिकर होनेपर भी स्वीकार कर लिया जाये। वह सहज बुद्धि हमें बताती है कि अगर हम कानून द्वारा लादा गया जुआ सहन न कर सकें तो हमें कानून भंग करनेके परिणामोंको शान्तिपूर्ण गौरव और समर्पणके भावसे सहन करना चाहिए।

आपके संवाददाताने धमकी दी है कि यदि मेरे देशवासियोंने अपना रवैया न बदला तो दण्ड विधानकी धाराएँ कड़ाईसे लागू की जायेंगी और उन्हें निष्कासित कर दिया जायेगा। यह धमकी अनावश्यक थी, क्योंकि हमने इस कानून भंगके परिणामोंको सोच समझ लिया है। पंजीयन अधिनियम द्वारा, जिससे समूचे समाजपर अपराधी होनेकी छाप लग जाती है, बलात् लादी गई दासताकी तुलनामें जेल हमें तनिक भी भयभीत नहीं करती। जिसे हमें अपना घर समझना सिखाया गया वहीं कुत्तेकी जिन्दगी बसर करनेके मुकाबले तो देश निकाला एक मनपसन्द राहत होगी। यदि इस कानूनका हमपर उतना ही भयंकर असर पड़ता है जितना हम बताते हैं तो हम जितना अधिक बलिदान करेंगे, उतना ही कम होगा।

हमें साम्राज्य भावना और साम्राज्यके सब समाजी स्वरूपका अनोखा अनुभव हो रहा है। यह माना जाता है कि साम्राज्यका हाथ बलवानोंसे निर्बलोंकी रक्षा करेगा। अब ट्रान्सवालके भारतीयोंको यह देखना है कि वह हाथ निर्बल भारतीयोंकी सबल गोरोंसे — अंग्रेजों और दूसरोंसे — रक्षा करता है या नहीं, अथवा उसका उपयोग दुबलों और असहायोंको कुचलनेमें अत्याचारीके हाथोंको मजबूत करनेके लिए किया जायेगा। इस शब्दका प्रयोग करनेके लिए क्षमा करें, किन्तु क्या हमारी प्रत्येक भावनाकी और हमारे धर्मोंकी अवहेलना करना अत्याचार नहीं है, क्योंकि यह प्रवासको नियन्त्रित करनेका प्रश्न नहीं है? पुनःपंजीयनके सिद्धान्तको हमने मान लिया है, उसकी विधिपर हम तीव्र रोष प्रकट करते हैं। किन्तु

प्रिटोरियामें आम सभा

exceedingly well there.

I have written to Mr. West about jobs. The Customs Forms, as I have said to Mr. West, are to be sent to the address in your possession of Ebrahim Mahomed. He is one of the subscribers.

I am certain that it is a short-sighted policy not to print Hindi. We are really not even using our capital. "Ramayana" is bound to sell, and, in my opinion, it will be a work of very considerable merit, for the simple reason that thousands of people who cannot possibly study the whole work will gladly avail themselves of the condensation. If, therefore, a good man is available, you should certainly not hesitate to incur the expense. The reasoning which tells you that, according to the expenses here, the book will be dear is faulty to a degree. It should be plain to us that, if the expenses are high, the prices charged are correspondingly high. The term "high", therefore, is merely relative. The Bhagavad-Gita which we would issue in India for one anna, we charge one shilling for, because the expenses were comparatively high. I am perfectly certain that, whenever we think of having things done cheaply outside the country of our adoption, we bring into play the ordinary weakness, namely, to drive the hardest bargain possible, and it is for that reason that I have condemned in my mind the idea of having the South African book printed in Bombay, and I feel this so keenly, that I have not yet summoned up sufficient zeal for writing out the book. I would ask you to reason this thing out for yourself. Never mind whether we employ an extra hand or not and whether we publish the book or not; that is a matter of detail. The first thing is to lay down the principle. If we cannot enforce it, or if we have not sufficient courage to do it, then we cease to worry about it, and cease to think of enlarging the scope of our work. If you need money, please let me know in time.

Yours sincerely,

सरकार जान बूझकर हमें अपमानित करना चाहती है। यदि भारतीय इस कानूनको सहन करनेके बजाय अपनी भौतिक सम्पत्तिको खोनेके लिए तैयार है तो क्या उनको दोष दिया जायेगा ? समचा गोरा ट्रान्सवाल हमारे विरुद्ध है तो ईश्वर हमारे साथ है।

आपका आदि,

हाजी हबीब

मन्त्री,

ब्रिटिश भारतीय समिति, प्रिटोरिया

[अंग्रेजीमें]

स्टार, ९–७–१९०७

६१ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

सोमवार [जुलाइ ८, १९०७]

धन्य प्रिटोरिया !

प्रिटोरियाने तो हद कर दी। वहाँपर जिन लोगोंसे शायद ही किसीको कोई हिम्मतकी आशा थी, उन लोगोंने भयानक दुःख उठाकर तथा अपना सब कुछ छोड़कर लोकसेवा शुरू की है और सभी, किस प्रकार लाज रहे, इसके सिवा कुछ नहीं माँचते।

स्वयंसेवकोंपर न्योछावर जाऊँ !

स्वयंसेवकों उर्फ धरनेदारों उर्फ चौकीदारों उर्फ देशसेवकोंने तो अपना नूर चमका दिया है। ट्रान्सवालके भारतीयोंके इतिहासमें उनका नाम अमर रहेगा। वे अपना सारा समय केवल धरना देनेमें बिताते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं

सर्वश्री ए० एम० काछलिया, गौरीशंकर प्राणशंकर व्यास, गुलाम मुहम्मद, अब्दुल रशीद, कासिम सिद्धू, खुशाल छीता, मेमन इब्राहीम नूर, गोविन्द प्राग, हुसन बीबा, मुहम्मद वली, अर्देशर फरामजी, चाउल बेग, गुलाब रुद्र देसाई, मूसा सुलेमान और इब्राहीम नूर।

इतने देशभक्त बारी बारीसे सारे दिन अनुमतिपत्र कार्यालयके आसपास फिरते रहते हैं और जो कोई भारतीय कार्यालयके अन्दर जाता है उसे विनयपूर्वक समझाकर रोकते हैं। वे इस समय अपना कामधन्धा छोड़कर केवल देश-सेवापर तुले हुए हैं। चाहे जैसी आफत आये, उसकी उन्हें परवाह नहीं है। वे अपने कामके चाहे जैसे परिणाम झेलनेको तैयार हैं। जहाँ इतनी देशभक्ति हो वहाँ यदि अन्तमें जीत हो तो उसमें आश्चर्य कौन-सा ?

इस बहादुरीका सबक

स्वयंसेवकोंके इस कार्यका अनुकरण ट्रान्सवालके प्रत्येक गाँवको करना चाहिए। आज प्रिटोरियामें जो कुछ हो रहा है वह ट्रांसवालके प्रत्येक गाँवमें हो सकता है। कुछ समयमें पंजीयनपत्रकी अर्जी देनेके लिए प्रत्येक गाँवमें अधिकारियोंकी नियुक्ति हो जायेगी। उस समय प्रिटोरियासे सबक लेकर हर गाँवके भारतीयोंको स्वयंसेवक खोजने होंगे। मेरी रायमें तो वे बाढ़ आनेके पहले ही बाँध बाँध लें और स्वयंसेवक तैयार कर लें। जिनके लिए सम्भव हो

वे प्रिटोरिया जाकर यह देख आयें कि कितनी तेजीसे काम किया जा रहा है। अनुमतिपत्र-कार्यालयका बहिष्कार यदि ठीक तरहसे किया जा सके तो बादकी लड़ाई बहुत आसान हो सकती है।

व्यापारियोंको सलाह

मैंने सुना है कि कुछ व्यापारियोंने, जो विलायत वगैरह जगहोंसे माल मँगवाते हैं, नये कानूनके कारण माल मँगवाना बन्द कर दिया है। वे लोग धन्यवादके पात्र हैं। जान पड़ता है, उन्होंने जेलका कष्ट झेलनेकी पूरी तैयारी कर ली है। मुझे लगता है कि इस प्रकार यदि हर व्यापारी अपने लेनदारको लिख भेजे या तार भेज दे तो बहुत लाभ हो सकता है। एक तो यह होगा कि स्वयं व्यापारीमें बहुत हिम्मत आ जायेगी और, दूसरे, यूरोपके व्यापारी डरकर स्वयं भी हमारे लिए काम करने लग जायेंगे। यह सब काम वही व्यापारी कर सकेंगे जिनपर देशप्रेमका रंग चढ़ा हो, जिन्हें खूनी कानूनसे होनेवाले नुकसानकी पूरी कल्पना हो गई हो तथा जिन्हें खुदापर पूरा भरोसा हो।

प्रवासी विधेयक

इस विधेयकके सम्बन्धमें श्री गांधीने 'स्टार' में यह पत्र[1] लिखा है

फेरीवालोंके लिए कानून

फेरीवालोंके जिन नियमोंके सम्बन्धमें मैं पहले लिख चुका हूँ, वे पास हो चुके हैं। अब जुर्माना किया जानेके पहले जोहानिसबर्गके फेरीवालोंको चेत जाना चाहिए। पिछले अंकोंमें उन नियमोंको देख लिया जाये।

भारतीयकी गिरफ्तारी

पॉचेफ्स्ट्रूमसे तार द्वारा समाचार मिला है कि वहाँके हाजी उमरको, उनपर धोखेबाजी और दूकानमें आग लगानेका इलजाम लगाकर, गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी जमानत १,५०० पौंड ठहराई गई है।

मंगलवार

खूनी कानूनके सम्बन्धमें विशेष समाचार

'रैंड डेली मेल' तथा 'लीडर' में बड़े-बड़े लेख आने लगे हैं। उनमें बताया गया है कि जोहानिसबर्गके भारतीय दबाव डालते हैं, इसलिए प्रिटोरियामें कोई पंजीयन नहीं करवाता। उन अखबारवालोंने यह भी कहा है कि जुलाईके अन्तिम दिनोंमें सब जाकर छाप लगा आयेंगे हम आशा है कि प्रिटोरियाके भारतीय दृढ़ रहकर इस इलजामको झूठा साबित कर देंगे। यदि अन्तिम दिनोंमें लोग टिड्डीके समान प्रिटोरियाके दफ्तरपर टूट पड़े तो सब किया कराया धूलमें मिल जायेगा।

इसपर विचार

भारतीय समाजको इस समय बहुत ही सावधान रहना चाहिए। बहुत जगहोंसे मैं यह भी सुनता हूँ कि नेताओंके गिरफ्तार होते ही लोग डरके मारे पंजीयन करवा लेंगे।

१ इसके बाद गांधीजीने पत्रका गुजराती अनुवाद दिया है जो यहाँ नहीं दिया जा रहा है। मूलके लिए देखिए "पत्र 'स्टार' को", पृष्ठ ७०-७१।

यदि ऐसा होना हो तो "लेने गई पूत, खो आई भरतार" वाली कहावत चरिताथ हो जायेगी। यह समय नेता या किसी दूसरेपर निभर रहनेका नही है। सबको अपनी अपनी हिम्मतपर निभर रहना हे। इस मामलेमे वकील या किसी औरका काम भी नही है। हम सब होलीमे पडे हुए है। वहा हमे एक दूसरेकी ओर नही देखना हे। मैने सुना हे कि कुछ ही दिनोमे श्री गाधीको गिरफ्तार किया जायेगा और सम्भव हे, नेताओमे मे भी किसी एकको। यदि ऐसा हो तो लोगोको घबडानेके बजाय खुश होना चाहिए ओर उनके जेल जानेसे लोगोको ज्यादा हिम्मत आनी चाहिए। हकीकत यह हे कि अब हम भेड नही, बल्कि स्वतन्त्र है और किसीपर निभर नही रहना चाहते। जेल डरकी चीज नही हे, यह जब मनमे समा जायेगा तभी मामला मुकामपर आयेगा। सबकी ढाल एक खुदा है, और उस ढालको लेकर रणमे जूझना है, यही सबको मनमे रखना चाहिए।

"दूसरे लेंगे तो मै लूँगा"

बहुतेरे गोरे भारतीयोको सीख देने लगे है। वे पूछते ह आप क्या करेगे? उत्तरमे बहुत से भारतीय कहते है — "हमारे नेता जैसा करेगे वैसा हम करेगे।" कोई कहते है — "दूसरे करेगे वैसा करेगे"। ये शब्द कायरोके ह ओर इसलिए इनसे नुकसान हे। सभी लोगोको यह उत्तर देना चाहिए कि "मुझे कानून पसन्द नही हे, इसलिए मै इसे कभी स्वीकार नही करूँगा। मैने खुदाकी शपथ ली है, इसलिए भी इसे स्वीकार नही करूँगा। यह कानून मुझे गुलाम बनाता है, इसलिए उसके बजाय मै जेलको ज्यादा अच्छा मानता हूँ।" जो ऐसा उत्तर नही दे सकता वह आखिर पार भी नही हो सकता। दूसरेके तबेके सहारे पार नही हुआ जाता। अपने बलपर पार होना हे। मै धूल खाऊँ तो क्या पाठक भी खायेगे? मै गडहेमे गिरूँ तो क्या पाठक भी उसमे गिरेगे? मै अपना धम छोडू तो क्या पाठक भी छोड देगे? मै अपनी माका अपमान सहन करूँ, अपने लडकेको चोर बनाऊँ और अपनी तथा अपने लडकेकी अँगुलिया काटकर द तो क्या पाठक भी वैसा करेगे? सभी यही कहेगे कि कभी नही। वैसा ही जोश रखकर उत्तर देना है कि "दूसरे क्या करते है, इसकी परवाह नही। हम तो कानूनके सामने घुटने बिलकुल नही टेकेगे।" इतना सीधा और स्पष्ट उत्तर सब नही देते, इसीलिए अखबार इस प्रकारकी टीका करते है कि हम आज तो उत्साह दिखा रहे है किन्तु आखिर घुटने टेक देगे। इन सब बातोपर प्रत्येकको विचार करना चाहिए। यह समय डरका नही है, न कुछ छिपानेका है। हमे न कुछ छिपाकर रखना है, न छिपकर रहना है। जिस प्रकार सूरज अपना तेज प्रकट करता है, उसी प्रकार हमे अपना हिम्मत-रूपी सूय प्रकट करना है।

चीनियोका जोर

चीनियोने पिछले रविवारको सभा की थी। उसमे श्री पोलकको बुलाया गया था। श्री पोलक द्वारा सारी बाते समझा दी जानेके बाद उन लोगोने फिरमे अपने निणयको पुष्ट किया कि कोई भी चीनी नये कानूनके सामने नही झुकेगा और यदि झुका तो उसे समाजसे बाहर कर दिया जायेगा।

एशियाई भोजनालय

जोहानिसबगकी नगर परिषद ऐसा कानून बनाना चाहती हे कि एशियाई भोजनालयोके प्रबन्धक गोरे ही हो सकते है। तब क्या ट्रान्सवालमे हिन्दू मुसलमानोके भोजनालयोमे गोरे

परोसेंगे और भारतीय देखा करेंगे? यह सब गुलामीका पट्टा लेनेवालेपर लागू होगा। मुक्त रहनेवालोंको कोई हाथ नहीं लगा सकता।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३-७-१९०७

६२ प्रार्थनापत्र ट्रान्सवाल विधानसभाको

जोहानिसबर्ग
जुलाई ९, १९०७

सेवामें
माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण
ट्रान्सवाल विधानसभा

ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघके कार्यवाहक अध्यक्षका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

१ ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिकी इच्छानुसार इस सदनके विचाराधीन प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके सम्बन्धमें आपका प्रार्थी यह निवेदन करता है।

२ उपर्युक्त संघ यद्यपि इस विधानके सिद्धान्तका समर्थन करता है, तथापि उसकी नम्र सम्मतिमें भारतीय दृष्टिकोणके अनुसार उसके निम्नलिखित कुछ पहलू गम्भीर रूपसे आपत्तिजनक हैं

(क) यह विधेयक भारतीय भाषाओंको, जिनमें भारी मात्रामें साहित्य है, मान्यता नहीं देता।

(ख) यह उनके दावेको, जो पहले ट्रान्सवालके अधिवासी रह चुके हैं, मान्यता नहीं देता। (बहुत-से भारतीय, जिन्होंने १८९९ से पहले १८८६में संशोधित १८८५के कानून ३ के मातहत ३ पौंड इस देशमें बसनेके लिए अदा किये थे, लेकिन जो इस समय उपनिवेशसे बाहर हैं और जिन्हें शान्ति रक्षा अध्यादेशके मातहत अनुमतिपत्र नहीं मिले हैं, इस विधेयकके द्वारा इस देशमें तबतक पुन प्रवेश नहीं कर सकते जबतक कि उनमें शिक्षा सम्बन्धी वे योग्यताएँ न हों जिनके बारेमें इस विधेयकमें व्यवस्था की गई है)।

(ग) खण्ड २ की धारा ४, जैसा कि इस संघको समझाया गया है, उच्च शिक्षा प्राप्त ब्रिटिश भारतीयोंका भी, जबतक वे एशियाई पंजीयन अधिनियमकी शर्तोंको पूरा नहीं करते, ट्रान्सवालमें प्रवेश करना प्राय असम्भव कर देती है। (संघकी नम्र रायमें विधेयक द्वारा जो शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षाएँ लाजिमी करार दी गई हैं उनके पास कर लेनेके बाद किसी व्यक्तिका, उपनिवेशमें प्रवेश करनेके लिए, आगे और शिनाख्त देना कोई अर्थ नहीं रखता)।

(घ) जैसा कि सघको समझाया गया हे, धारा ४ ब्रिटिश भारतीयोको अनैतिकता अध्यादेशके अ तगत आनेवाले लोगोकी श्रेणीमे रख देती हे ओर इसलिए ब्रिटिश भारतीय समाज इसे बहुत ही अपमानजनक समझता हे।[१]

(ङ) यह विधेयक, आशाके विपरीत, एशियाई पजीयन अधिनियमको बरपा करता ह।

३ यह सघ माननीय सदनका ध्यान नम्रतापूवक इस बातकी तरफ खीचना चाहता हे कि ब्रिटिश भारतीयाका माननीय सदनमे प्रतिनिधित्व नही हे और इसलिए वे माननीय सदनसे आदरपूवक इस बातकी आशा रखते हैं कि वह उनकी बातपर विशेष गौर करेगा।

४ अ तमे, इस सघका विश्वास हे कि इसके प्राथनापत्रपर उचित विचार किया जायेगा और जो राहत इन हालतामे दी जानी सम्भव हो, वह दी जायेगी। और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए आपका प्रार्थी कतव्य मानकर सदा दुआ करेगा, आदि।

मूसा इस्माइल मियाँ
कायवाहक अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकडस, सी० ओ० २९/१२२

६३ ट्रान्सवालका नया प्रवासी विधेयक

[जुलाई ११, १९०७के पूव]

यह विधेयक अभी कानून तो नही बना, फिर भी इसमे सरकारका इरादा व्यक्त हो जायेगा, इसलिए इसका सक्षिप्त विवरण हम नीचे दे रहे हैं

(१) इसके द्वारा अनुमतिपत्रका कानून [१९०३ का शान्ति रक्षा अध्यादेश] रद हो जाता है। किन्तु एशियाइ-पजीयन कानूनके द्वारा जो सत्ता दी गई है, उसमे से कुछ भी इस विधेयकके द्वारा रद नही होती।

(२) नये विधेयकके लागू होनेकी तारीखसे जिन्हे ट्रान्सवालमे प्रवेश करनेकी अनुमति नही है वे लोग निम्नानुसार हैं

(क) जिन्हे किसी भी यूरोपीय भाषाका अच्छा ज्ञान न हो,
(ख) जिनके पास अपने निर्वाहके योग्य पैसा न हो,
(ग) वेश्या और उनके भडवे,
(घ) जो प्रवेशकर्ता उस कानूनकी अवहेलना करे जिसके द्वारा सरकार निवासित कर सकती है,
(ङ) पागल, कोढी या छूतकी बीमारीवाले,

१ ट्रान्सवाल विधान सभाके सदस्य श्री विलियम हॉस्केनके जिनकी माफत यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया था, मूल प्रार्थनापत्रसे यह अनुच्छेद निकाल दिया था।

(च) जिनके बारेमे विलायत या दूसरी जगहासे सूचना मिली हो कि वे खतरनाक लोग है,
(छ) जिन्हे सरकार राज्यका नुकसान पहुचानेवाले मानती है,
(ज) जिन्हे उपयुक्त मर्यादाओके अनुसार प्रवेश करनेका हक हो उनकी पत्नी तथा बच्चोपर यह विधेयक लागू नही होगा। इसी प्रकार काफिरो और यूरोपीय मजदूरोपर भी।

(३) इस काननका अमलम लानेके लिए प्रवासी-कार्यालय खोला जायेगा।

(४) इस काननका [दक्षिण आफ्रिकाम] अमलम लानेके लिए गवनर दूसरे उपनिवेशोके साथ इकरार कर सकेगा।

(५) यदि कोई प्रतिबन्धित व्यक्ति प्रवेश करेगा तो उसपर १०० पौड जुर्माना किया जायगा अथवा ६ महीनेकी सजा दी जायेगी और निर्वासित किया जायेगा।

(६) जो [१९०३ की] भड़वाईकी धाराके अतगत अपराध करेगा अथवा जो राज्यकी शान्ति भग करनेवाला समझा जायेगा, उसे भी निर्वासित करनेका सरकारका अधिकार है।

(७) जो व्यक्ति प्रतिबन्धित व्यक्तिको प्रवेश करनेमे मदद करेगा उसे १०० पौड दण्ड अथवा ६ महीनेकी जेलका हुक्म दिया जायेगा।

(८) प्रतिबन्धित व्यक्तिको परवाना या पट्टेपर जमीन लेनेका हक न होगा।

(९) प्रतिबन्धित व्यक्तिके सम्बन्धमे जानकारी मिलनेपर उसे बिना वारट पकडा जा सकेगा।

(१०) इस काननकी अनभिज्ञता बचाव नही मानी जायेगी।

(११) जिस व्यक्तिको सीमा पार करना पडे, उसे निकालनेका खर्च, उसकी उपनिवेशमे जो जायदाद होगी, उसमेसे वसूल किया जायगा।

(१२) होटलमे जो लोग आते है, होटल मालिकको उन सबका नाम, देश, पता वगैरह दर्ज करना होगा। उस पुस्तिकाकी जाँच करनेका सरकारको हक है।

(१३) यदि किसी व्यक्तिपर प्रतिबन्ध नही है तो इसे सिद्ध करनेका दायित्व उस व्यक्तिपर है।

(१४) हर मजिस्ट्रेटको सारी सजाएँ देनेका हक है।

विधेयकका अर्थ

यह विधेयक बडा भयकर है। इससे बडी सरकार धोखा खा सकती है। सरसरी तौरसे देखनेपर इसमे कुछ भी नही दिखाई देता, किन्तु भीतर जहरके समान है। इसके द्वारा अनुमतिपत्र रहित निराश्रितोका हक बिलकुल समाप्त हो जाता है। जिनके पास अनुमतिपत्र है किन्तु नये काननके अनुसार जिन्होने बदलवाये नही हो, यदि वे लोग ट्रान्सवालसे बाहर जाते है तो उन्हे भी वापस आनेका अधिकार नही रहता।

पढे लिखे भारतीयोको एक ओरसे अधिकार मिलता है किन्तु दूसरी ओरसे छिन जाता है। क्योकि शिक्षणके आधारपर प्रवेश करनेवालोको खूनी काननके अनुसार आठ दिनके अन्दर अँगुलियाँ आदि लगाकर अनुमतिपत्र ले लेना चाहिए। यदि उन्होने ऐसा नही किया तो उन्हे निर्वासित कर दिया जायेगा।

अत इस काननसे भारतीयोको जरा भी लाभ होना सम्भव नही है।

हस्ताक्षरके लिए इस कानूनको लाड एलगिनके पास भेजना होगा। यदि यह हुआ तो भारतीय समाजको वहा [लन्दनमे] टक्कर लेनी चाहिए। यह तो लिखा जा चुका, किन्तु इसके छपनेके पहले, यानी गुरुवार, तारीख ११ को, विधेयकके बारेमे ओर भी बाते मालूम होगी। वे सब दूसरे अकमे दी जा सकेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १३-७-१९०७

६४ पत्र छगनलाल गाधीको

[जोहानिसबग
जुलाई ११, १९०७के पूव][1]

[चि० छगनलाल,]

तुम्हारा पत्र मिला। काजीके सम्बन्धमे तुमने जो लिखा वह मने ध्यानमे रख लिया है। श्री पोलक[2] प्रिटोरियासे अभी लौटे ह। वहा उनका काम बहुत ही अच्छा रहा।

मैने फुटकर छपाईके बारमे श्री वेस्टको[3] पत्र लिखा हे। जैसा मै उनसे कह चुका हूँ, इब्राहीम मुहम्मदका जो पता तुम्हारे पास है, चुगीके फाम उसपर भेजने है। वे ग्राहक है।

मुझे निश्चय हे कि हिन्दी न छापना अदूरदर्शितापूण नीति है। हम दरअसल अपने मूल धनका भी उपयोग नही कर रहे है। 'रामायण की बिक्री निश्चितरूपसे होगी और मेरी सम्मतिमे यह काय बडा मूल्यवान होगा। इसका सीधा सादा कारण यह है कि हजारो लोग, जो पूरी रचनाका अध्ययन नही कर सकते, इस सक्षिप्त सस्करणका लाभ प्रसन्नतापूवक उठायेगे। इसलिए यदि कोई अच्छा आदमी मिले तो तुम्हे निश्चय ही खच करनेमे झिझकना न चाहिए। जिस तकसे तुम इस परिणामपर पहुँचते हो कि यहाकी लागतके अनुसार किताब महँगी होगी, वह एक हद तक गलत हे। हमारे सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि यदि खच अधिक आता हे तो हम मल्य भी उतना ही अधिक लेते ह। यहा "अधिक" शब्द सापेक्ष है। जिस 'भगवदगीता' को[4] हम भारतम एक आनेमे बेचते उसीका हम यहा एक शिलिग लेते है, क्योकि लागत अपेक्षाकृत अधिक हे। मुझे पूरा निश्चय है कि हम, जिस देशमे रहते है,

१ स्पष्ट है गांधीजीने यह अपने ११ जुलाईके पत्रसे पूर्व लिखा था। अगला शीर्षक देखिए, जिसमें गाधीजीने **रामायण**के प्रकाशनके बारेमें लिखा है।

२ **इडियन ओपिनियन**के सम्पादक और गाधीजीक साथी, देखिए खण्ड ४ पृष्ठ ३५२, **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास,** अध्याय १९, २३ ४५ और **आत्मकथा** भाग ४, अध्याय, १८, २१।

३ अल्बर्ट एच० वेस्ट, **इडियन ओपिनियन**के मुद्रक और फीनिक्स आश्रमके निवासी, देखिए खण्ड ४, पृष्ठ ३५२, **दक्षिण आफ्रिकाके सत्याग्रहका इतिहास,** अध्याय २३, ४७ और **आत्मकथा** भाग ४ अध्याय १६, १८ आदि।

४ यह श्रीमती बेसेंटके अनुवादके सस्करणका उल्लेख है जो १९०५ में प्रकाशित किया गया। देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४५९।

जब भी उससे बाहर कम खर्चसे काम करनेका खयाल करते हैं, तब हम अत्यन्त कसकर सोराबजी करनेकी सामान्य दुर्बलताका परिचय देते हैं। इसी कारण मैंने अपने मनमें दक्षिण आफ्रिकाकी किताब प्रकाशमें छापनेके विचारको बुरा माना है। और मैं उसको इतनी बारबार अनुभव करता हूँ कि अभीतक किताब लिखने योग्य उत्साह संचित नहीं कर पाया हूँ। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम खुद सोच विचार कर यह खयाल अपने मनसे निकाल दो। हम अतिरिक्त आदमी नियुक्त करें या न करें और किताब छापें या न छापें उसकी चिन्ता मत करो, यह तो तफसीलकी बात है। पहली बात सिद्धान्त स्थिर करनेकी है। यदि हम उसको कार्यान्वित नहीं कर सकते या ऐसा करनेके लिए हममें पर्याप्त साहस नहीं है तो हम उसके सम्बन्धमें चिन्ता करना ही छोड़ दें और अपने कार्यके क्षेत्रको बढ़ानेका विचार भी न करें। यदि तुम्हें रुपयेकी आवश्यकता हो तो मुझे समयपर सूचित करना।

तुम्हारा शुभचिन्तक,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४६७८)से।

६५. पत्र : छगनलाल गांधीको

जोहानिसबर्ग
जुलाई ११, १९०७

प्रिय छगनलाल,

मैं प्रागजी खंडूभाई देसाईका पत्र साथ भेज रहा हूँ। यदि वह जरा भी वाञ्छनीय जान पड़े तो मेरा सुझाव है कि तुम उसे ३ पौंडपर परीक्षाकी शर्तपर रख लो और गुजराती कम्पोज़र लगा दो, जिससे कि तुम 'रामायण' का काम जारी रख सको। गुजराती विभागमें हमारे पास निश्चय ही कार्यकर्ताओंकी कमी है। परन्तु मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूँ। हो सकता है कि यह सर्वथा अव्यावहारिक हो। इसलिए तुम जो सर्वोत्तम समझो वही करना।

तुम्हारा शुभचिन्तक
मोहनदास[2]

श्री कार्डीज कैसे लगते हैं आदि हकीकत लिखना।[4]

गांधीजीके हस्ताक्षरयुक्त मूल अंग्रेजी टाइप प्रतिकी फोटो नकल (एस० एन० ४७५७) से।

१. विचार था कि इंडियन ओपिनियन दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी मुसीबतोंपर एक पुस्तक प्रकाशित करे। देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४३०।

२. मूल प्रतिमें हस्ताक्षर गुजरातीमें हैं।

३. एक जर्मन थियॉसफिस्ट जो गांधीजीके साथी बन गये थे। वे कुछ समय तक फीनिक्स स्कूलके प्रबन्धक रहे थे। उनका देहान्त १९६० में सेवाग्राममें हुआ था।

४. मूल प्रतिमें यह पंक्ति गांधीजीकी गुजराती लिखावटमें है।

६६ भारतीयोकी कसौटी

आजतक भारतीय समाजका मूल्याकन नही हुआ। मुटठी बधी रही हे और किसीने उसका अन्दाजा नही लगाया। सामान्य विचार यह रहा है कि भारतीय निमाल्य ओर जीवन-रहित है।

किन्तु सौभाग्यसे अब ट्रान्सवालमे भारतीयोकी कसौटी हो रही हे। यह अवसर लॉर्ड एलगिन, जनरल बोथा और उनके भाइयोने दिया हे। यह लिखते समय तो भारतीय कसौटीपर चढ चुके है। हम जो चिट्ठिया प्रकाशित करते है उनसे मालूम होता हे कि प्रिटोरियाने, जिसे गोरे निबल मानते थे, एकाएक जोर दिखाया है। वहा एक भी भारतीयने खूनी चिटठी नही ली। एक मद्रासी गया था। किन्तु अँगुलियोकी निशानीकी बात देखते ही उसने भी अर्जी फेक दी और कहा "अँगुलिया तो म हर्गिज नही लगाऊँगा।" एक मद्रासी पोस्ट मास्टरने अपनी नाकरी छोडना मजूर किया, किन्तु नया अनुमतिपत्र लेनेसे इनकार कर दिया। जहातक हमने सुना हे, श्री चमनेके पजाबी नौकरने नया अनुमतिपत्र लेनेसे साफ इनकार कर दिया हे। इस सबसे जाहिर होता ह कि परीक्षाके समय भारतीय प्रजा कमजोर साबित होगी, सो बात नही।

जाको राखे साइया, मारि सकै नहि कोय। भारतीय समाज आस्तिक हे, ईश्वरको माननेवाला हे। वह ईश्वरपर भरोसा रखकर हाथमे लिया हुआ काम सहज ही पूरा कर सकेगा। कहा जाता हे कि नरसिह मेहताने[1] अपनी आस्थाकी बदौलत पसा न होते हुए भी ममेरा[2] चढाया था। पैगम्बर मूसाने खुदाकी मददसे महान सकटोका सामना करके दुश्मनोपर विजय प्राप्त की थी। वही जगत-कर्ता भारतीय समाजकी सहायता करेगा।

ट्रान्सवालके भारतीयोपर इस समय हर भारतीयकी नजर है, और सब मुह फाडे यही प्रश्न कर रहे है कि भारतीय अपने उठाये हुए बीडेको बनाये रखेगे या नही। प्रिटोरिया जवाब दे रहा है कि भारतीय समाज अब पीछे पैर रख ही नही सकता।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १३–७–१९०७

१ गुजरातके सुप्रसिद्ध सन्त कवि।

२ सतवाँसा पुत्रीके प्रथम गभके सातवे मासमें एक धार्मिक सस्कार होता है जिसे सतवाँसा' कहते हैं। उस अवसरपर माता पिता पुत्रीको कुछ भेट देते है। कहा जाता है कि भगवान अपने भक्त नरसिंह मेहताकी सहायताके लिए एक व्यापारीका रूप धरकर आये थे।

६७ डर्बनका कर्तव्य

प्रिटोरियाके काम और वहाँके भारतीय स्वयंसेवकोंका जोश देखकर किस भारतीयको हृदयमें रोमांच न होता होगा? शाबाशी देना आसान है। सच्ची शाबाशी तो इसमें है कि उनके समान काम करके दिखाया जाय। जिस प्रकार ट्रान्सवालमें अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार किया जा रहा है, उसी प्रकार डर्बनमें भी किया जाना चाहिए। इस समय डर्बनमें एक भी भारतीयका टापवार आना दूधमें मक्खी गिरनेके समान है। ट्रान्सवालके भारतीयोंको आज स च बलिदानके लिए तैयार होना है। जो भारतीय खास तौरसे ट्रान्सवालमें मदद करनेके लिए नहीं, बल्कि अपने कामके लिए आता है वह यहाँ आकर भारतीयोंका बल नहीं बढ़ाता बल्कि उलटे उन्हें कमजोर बनाता है। इसके अलावा चूँकि वह डर्बनके अनुमतिपत्र कार्यालयमें जानेके बाद ही ट्रान्सवालमें प्रवेश कर सकता है, इसलिए यही माना जायगा कि बहिष्कारका भंग हुआ है। किन्तु यदि कोई भी भारतीय अनुमतिपत्र कार्यालयमें नहीं जाये तो डर्बनका अनुमतिपत्र कार्यालय चल नहीं सकता। इसलिए डर्बनके भारतीयोंको प्रिटोरियाका अनुकरण करना चाहिए।

नेटाल भारतीय कांग्रेसने ट्रान्सवालके लोगोंको आर्थिक सहायता देनेके बारेमें लिखा है, सार्वजनिक सभा करके जोश भरा है। चन्दा इकट्ठा करनेकी बात भी हाथमें ली है। यह प्रशंसनीय है। इसके अलावा डर्बनके अनुमतिपत्र कार्यालयके बहिष्कारका काम भी हाथमें लेना जरूरी है। बहिष्कार तीन तरहसे किया जा सकता है। एक तो डर्बनके कार्यालयपर धरना दिया जाय जिससे वहाँ कोई भारतीय न जा सके। दूसरे, ट्रान्सवालकी रेल पहुँचे तब वहाँ उस ट्रेनकी जाँच की जाय कि वहाँ कौन भारतीय उतर रहा है, और वह नया अनुमतिपत्र लेकर जा रहा हो या पुराना, यदि वह जेल जानेको तैयार न हो तो उसे रोकनेके लिए आजिजी की जाय। तीसरे इस बातकी व्यवस्था की जाये कि जहाजपर कोई भी भारतीय अँगुलियोंकी निशानी न दे। इस तरहसे डर्बनकी बड़ी सहायता होगी और छुटकारा मिलनेमें शीघ्रता होगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १३–७–१९०७

६८ पूर्व ज्ञानमाला[1]

ये पुस्तके अभी अभी अग्रेजीमे छपी है। किसीने इनका गुजराती अनुवाद नही किया। किन्तु ज्यो ज्यो समय बीतेगा, हम इस प्रकारकी पुस्तकोका साराश देते जायगे। इसी हेतुसे पैगम्बरका जीवन चरित्र देना आरम्भ किया है।[2] इस बीच अग्रेजी जाननेवाले उपयुक्त पुस्तके मँगवा सकते है।

सम्पादक
इडियन ओपिनियन

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १३–७–१९०७

६९ भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें[3]

जोहानिसबर्ग
जुलाई १४, १९०७

श्री गाधीने उस तारीख तकके मामलोकी स्थितिका सक्षेपमे साराश दिया और नये कानूनकी अन्यायपूर्ण धाराओका अन्ततक विरोध करनेके लिए अपने श्रोताओको एक बार फिर प्रोत्साहित किया और कहा कि उन्हे किसी भी अवस्थामे दबावके कारण कदापि पुन पजीयन नही कराना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २०–७–१९०७

१ यह गाधीजीने नारखुडवासी एम० एच० उगतके १९ जून १९०७ के पत्रके उत्तरमें लिखा था। श्री उगतने **पूर्वका ज्ञान** (पृष्ठ ४२ ४३) का उल्लेख करते हुए इस प्रकार लिखा था "गत १५ तारीखके अकमें **पूर्वनु ज्ञान, जलालुद्दीन रूमी, कुरान शरीफनो सार, बुद्ध शिक्षा, जरथुस्त्रना शिक्षण** आदि पुस्तकोके सम्बन्धमें ध्यान दिलाकर उन्हे मँगानेकी जो सिफारिश की है वह शुभ है। परन्तु हमारा समाज चूँकि कमोबेश गुजराती जाननेवाला है इसलिए मेरा खयाल है कि उपयुक्त पुस्तकें गुजरातीमें हो तो थोडी बहुत खपेगी। आशा है आप खुलासा करेंगे।"

२ देखिए "पैगम्बर मुहम्मद और उनके खलीफा" पृष्ठ ५४ ५५।

३ गाधीजीने भारतीय बस्तीमें आयोजित हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें भाषण दिया था। यह उनके भाषणका सारांश है।

७० जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

सोमवार [जुलाई १५, १९०७]

प्रिटोरियाकी टेक

अभी प्रिटोरियाका जोश कायम है। उसकी टेक निभ रही है। दूसरा सप्ताह सकुशल बीत रहा है। काली साहबको दूसरे सप्ताह भी "छुट्टी" मिली और बहादुर धरनेदारों — स्वयंसेवकोंने अपना नाम उज्ज्वल कर दिया। गोरे दाँतों तले अँगुली दबाये हैं और परेशान हैं कि 'यह क्या है? क्या हमारी ठोकर खानेवाले भारतीय मूछोंपर ताव दे सकेंगे?' कोई-कोई अंग्रेज औरतें सब्जीके फेरीवालोंसे पूछती हैं कि क्या वे अनुमतिपत्र लेंगे। बहादुर फेरीवाले साफ इनकार करते हैं। यदि यही जोश अन्ततक रहा तो भारतीय समाजका नाम ऊँचा चढ़ जायेगा और नया कानून सलाम ठोकने लगेगा। और इसका श्रेय प्रिटोरियाके भारतीयों और उनके धरनेदार स्वयंसेवकोंको है, यह बात सब एक स्वरसे कह सकेंगे।

गोरेकी शरारत

मैंने सुना है कि श्री स्टीफन फ्रजरका एक आदमी विशेष तौरसे गाँव-गाँव घूम रहा है। वह प्रत्येक भारतीयको भड़काता है। पीटर्सबर्गके भारतीयोंको उसने इस तरह डराया है कि यदि भारतीय समाज श्री गांधीकी सलाह मानेगा और इस तरह कानूनके सामने नहीं झुकेगा तो वह बरबाद हो जायेगा, और उसका माल सरकार जब्त कर लेगी। जैसे-जैसे आखिरी दिन निकट आयेगा वैसे-वैसे शत्रुओं या स्वार्थी गोरों द्वारा निस्सन्देह ऐसे षड्यन्त्र रचे जायेंगे। मुझे कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्तिको झिड़क देना हर भारतीयका कर्तव्य है। अभी जनानी सीख सुननेका भी समय किसी भारतीयको नहीं है। सरकार माल जब्त कर लेगी, यह सरासर झूठ है। माल जब्त करनेका अधिकार उसे बिलकुल नहीं है। और बरबाद होनेके बारेमें तो हम जानते हैं कि हाजी हबीबने 'स्टार'को वैसी सूचना दे दी है। बात यह है कि बरबाद भले हो जायें, हमारी नाक बनी रहेगी और हम टेकवाले कहलायेंगे। अतः हम कानूनका विरोध श्री गांधीकी सलाह मानकर करते हैं सो बात नहीं, हम तो अपनी मर्दानगीकी रक्षाके हेतु विरोध कर रहे हैं। यदि हम मर्द होंगे तो जहाँ ठोकर मारेंगे वहाँ पैसा निकलेगा। किन्तु यदि मर्द होते हुए भी औरत बन गये तो बचे-खुचे धनको भी बचाना मुश्किल होगा और वह धन भी खाने दौड़ेगा। इंग्लैंडका पुराना राजा तीसरा रिचर्ड अपने सम्बन्धियोंको मारकर गद्दीपर बैठा था। किन्तु उससे गद्दीको पचाया नहीं जा सका। सम्बन्धियोंके खूनमें सनी तलवारको हाथमें पकड़ते हुए वह काँपता था और आखिर घुल-घुलकर बुरी मौत मरा। ऐसा कौन भारतीय है जो अपने भाईकी बेइज्जतीकी परवाह न करके पैसेके लोभमें सबका काम बिगाड़ेगा? ऐसा व्यक्ति रिचर्डके समान घुल-घुलकर पश्चात्तापमें ही मर जायेगा। ऐसे नाजुक समयमें गोरा मुँह लेकर और काला दिल रखकर यदि कोई सलाह दे तो मैं चाहता हूँ कि भारतीय कौम उसे ठुकरा दे।

दो अन्य गोरे

श्री स्टीफेन फ्रेजरके आदमियोंने उपयुक्त नालायकीकी बात कही है तो दूसरे दो गोरे, जिनका भारतीयोंके साथ बडा व्यापार है, सीधी बात करते हैं और स्वीकार करते हैं कि भारतीय समाजको प्रतिष्ठाकी खातिर तो जेलके निर्णयपर अटल रहना ही चाहिए। यदि सभी उसपर अटल रहें तो निस्सन्देह जीत होगी। कोई कहेगा कि इसमें "यदि" शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण है। किन्तु "यदि" शब्द महत्त्वपूर्ण केवल कायरोंको मालूम होगा। बहादुर तो दूसरोंको भी बहादुर मानकर यही कहेंगे कि इस बार भारतीय समाज निश्चय ही अपनी टेक निभायेगा।

जोहानिसबर्गमें सभा

हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके सभा भवनमें पिछले रविवारको एक बहुत बडी सभा हुई थी। सभाका समय २-३० बजेका था। किन्तु उसके पहले ही भवन खचाखच भर गया था। जो भीतर न आ सके वे लोग बाहर थे। जर्मिस्टनके भी बहुत लोग आये थे। हाफिज अब्दुल सैयद अध्यक्ष पदपर आसीन थे। श्री फैन्सी द्वारा कार्य विवरण पढा जानेके बाद श्री गांधीने खूनी कानूनकी बातें समझाइं। और बादमें जर्मिस्टनके श्री रामसुन्दर पण्डितने एक सुन्दर और जोशीला भाषण दिया। उन्होंने कहा कि जर्मिस्टनमें लोगोंमें बहुत ही जोश है। और स्वयंसेवक भी तैयार हैं। जैसा प्रिटोरियाने कर दिखाया है, वैसा ही जर्मिस्टन करेगा। प्रिटोरियामें स्वयंसेवकोंने बहुत ही स्वदेशाभिमान व्यक्त किया है। इमाम अब्दुल कादिरने कहा कि इस कानूनको कोई भी एशियाई स्वीकार नहीं कर सकता। प्रिटोरियाकी सभामें उन्हें जिस जोशका दर्शन हुआ था, उसका उन्होंने वर्णन भी स्वयं सुनाया।

श्री नवाब खाने कहा कि नया कानून छोटे या बडे किसी भी भारतीय द्वारा मंजूर नहीं किया जा सकता। विलायतकी औरतोंमें जब इतना जोश है तब भारतीय मर्द क्या जेल या किसी नुकसानसे डर सकता है? श्री अब्दुरहमानने कहा कि पाचेफस्ट्रूमके भारतीय बहुत ही सतर्क हैं। स्टीफेन फ्रेजरके आदमीने मुझसे कहा कि स्टीफेन माल तभी उधार देंगे जब मैं कानून स्वीकार करनेका वचन दूंगा। इसके उत्तरमें मैंने स्वयं कहा कि हजार स्टीफेन फ्रेजर भी माल उधार देना बन्द कर देंगे, तब भी मैं कानूनकी गुलामी मंजूर नहीं करूँगा। पाचेफस्ट्रूमके व्यापारी चाहे जितना नुकसान सहन करेंगे, किन्तु इस जुल्मी कानूनके सामने नहीं झुकेंगे।

श्री उमरजीने बहुत ही जोशीला भाषण दिया और "सतिया सत नव छोडिए"[1] वाला दोहा सुनाया। फिर श्री शहाबुद्दीन और श्री कामाने कुछ प्रश्न पूछे और सभा समाप्त हुई। इस सभामें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसके मनमें कानूनको स्वीकार करनेकी जरा भी इच्छा हो। इस सभामें श्री पोलकने भी भाषण दिया, जिसमें प्रिटोरियाके जिस स्वयंसेवकको उन्होंने स्वयं देखा था उसकी तारीफ की।

हुजूरियोंकी सभा

श्री डेविड अर्नेस्टने ट्रान्सवाल फुटबाल संघके सदस्योंकी बैठक एबनेजर विद्यालयमें बुलाई थी। उसमें लगभग ५० हुजूरिये उपस्थित हुए थे। वह बैठक सोमवारकी शामको

१ पूरा दोहा इस प्रकार है

सतिया सत नव छोडिये सत छोडे पत जाय।
सतकी बाँधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आय ॥

साढ़े तीन बजे हुई थी। श्री गांधीने उस बैठकमें कानून सम्बन्धी बातें कहीं। उनके बाद श्री नायडूने वही बात तमिल भाषामें कही। फिर श्री पादरूने भाषण दिया। श्री पादरूने कहा कि पुराने जमानेमें एक जानवर था। उसकी यह विशेषता थी कि यदि कोई उसका सिर काटता तो बदलेमें दो सिर हो जाते थे। उस प्रकार जब उसका सिर कटता तब दो सिर रहते थे। इस बातका जब लोगोंको पता चला तब कोई उसे छूता तक न था। भारतीयोंको इस समय वैसा ही करना है। उन्हें किसी नेतापर भरोसा करके नहीं बैठना है। सभी नेता हैं यह समझना चाहिए और यदि सरकार एकको जेलमें बन्द करे तो बदलेमें दो व्यक्तियोंको नेता बनने जेल या निर्वासन भोगनेके लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह होनेपर सरकार बिना हारे नहीं रह सकती। हजूरियोंको समझना चाहिए कि वे नौकर होनेके पहले मर्द हैं। इस प्रकार संकटको समझकर नौकरीका भय रखे बिना उन्हें दृढ़तापूर्वक कानूनका विरोध करना है।

सरकारी दुभाषिये श्री डेविडने कहा कि सरकारने उन्हें पंजीयन करानेके लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया।

इसके बाद श्री गांधीने प्रश्न पूछा तो हजूरियोंने खड़े होकर बताया कि हमारी नौकरी जायेगी तब भी हममें से कोई पंजीयन करवाने नहीं जायेगा। पौने पाँच बजे सभा समाप्त हुई।

जर्मिस्टनमें सभा

जर्मिस्टनके भारतीय बड़ा जोश दिखा रहे हैं। पण्डित रामसुन्दर महाराज आगे रहकर बेधड़क काम करते हैं और लोगोंको समझाते हैं। उन्होंने विशेष सभा करके यह प्रस्ताव पास किया है कि चाहे जितना जोखिम उठाना पड़े, उनमें से कोई नये कानूनके सामने नहीं झुकेगा। उस प्रस्तावमें दो सौसे ज्यादा व्यक्तियोंने हस्ताक्षर किये हैं। इसके अलावा कुछ बहादुर लोग फेरीवालोंके समान स्वयंसेवक बननेको भी निकल पड़े हैं।

प्रवासी कानून

प्रवासी विधेयकका दो बार वाचन किया जा चुका है। श्री स्मट्सने विधेयकके पेश किये जानेका उद्देश्य बताया था। उसमें श्री हॉस्केन, श्री लिंडसे, श्री बाउवर, श्री लसर और श्री ह्वाइटसाइड आदि सदस्योंने भाग लिया था। श्री हॉस्केनने भारतीयोंके पक्षमें बोलते हुए कहा कि नया विधेयक तो रूसमें शोभा दे सकता है। इस कानूनकी कुछ धाराएँ तो अंग्रेजी राज्यमें होनी ही नहीं चाहिए।

संघकी अर्जी

इस विधेयकके विरोधमें संघने अर्जी दी है। वह अंग्रेजी विभागमें दी जा चुकी है। उसका सारांश इस प्रकार है:

यह संघ यद्यपि आव्रजनपर अंकुश रखनेकी नीतिके विरुद्ध नहीं है फिर भी नम्रतापूर्वक निम्न आपत्तियाँ पेश करता है, (क) इस विधेयकमें भारतकी एक भी भाषाको स्वीकार नहीं किया गया। (ख) ट्रान्सवालके पुराने निवासियोंके अधिकारोंकी यह विधेयक रक्षा नहीं करता,

१ ट्रान्सवालके खान-आयुक्त।

२ देखिए "प्रार्थनापत्र: ट्रान्सवाल विधान सभाको", पृष्ठ ९२-९३।

उदाहरणार्थ बहुतेरे भारतीयोंने ट्रान्सवालमें रहनेके लिए बोअर सरकारको ३ पौंड दिये थे, किन्तु उनमें से बहुतोंको अनुमतिपत्र नहीं मिले। ऐसे लोगोंके हक, यदि उन्हें यूरोपीय भाषाका ज्ञान न हो तो, नष्ट हो जाते हैं। (ग) दूसरी धाराकी चौथी उपधाराके अनुसार जिन्हें कानूनन आनेका अधिकार है, ऐसे लोगोंपर भी नया एशियाई कानून लागू होता है। इस तरह कानूनके लागू किये जानेका कुछ भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ज्यादा पढ़े हुए लोगोंकी पहचान तो उनका ज्ञान ही है। (घ) इसके अतिरिक्त उसी धाराके द्वारा भारतीय समाजको वेश्या और भड़वोंकी श्रेणीमें रखा गया है। (ङ) पहले बहुत आश्वासन दिये गये थे किन्तु उनके विपरीत इस विधेयकके द्वारा एशियाई पंजीयन कानून कायम रहता है।

संसदको ध्यानमें रखना चाहिए कि एशियाई समाजके पास मताधिकार नहीं है और इसलिए उसकी अर्जीपर ध्यान देना उसका दुहरा कर्तव्य है। अतः संघ प्रार्थना और आशा करता है कि उसकी अर्जीपर पूरा ध्यान दिया जायेगा तथा न्याय किया जायेगा।

यह अर्जी श्री हास्केनने पेश की है। समितिमें इस विधेयककी बुधवारको छानबीन की जायेगी। यह पत्र मैं सोमवारको लिख रहा हूँ। इसलिए कुछ परिवर्तन होता है या नहीं, यह 'इंडियन ओपिनियन' के प्रकाशित होनेके पहले ही मालूम हो जायेगा।

जेलमें अखबार मिलेगा?

एक भाईने यह प्रश्न किया है। उत्तरमें यही कहना है कि यह इस बातपर निर्भर है कि जेल किस प्रकारकी मिलती है। यदि कड़ी सजा मिली तो अखबार नहीं मिलेगा। किन्तु हर कैदीसे उसके सगे सम्बन्धी महीनेमें एक बार मिल सकेंगे। उन सगे सम्बन्धियोंको मेरी सलाह है कि वे "इंडियन ओपिनियन' का सारांश याद करके जेल महलमें रमनेवाले भारतीयको सुना आयें।

सुनवाई नहीं हुई

प्रिटोरियाके कुछ भाइयोंको यह लगा है कि स्थानीय सरकारसे कुछ माँग करें और यदि वह दे दे तो जेलकी झंझटसे छूट जायें। किन्तु खुदा हमें पूरी तरह कसना चाहता है। इसलिए माँगका कुछ भी नतीजा नहीं निकला। उन लोगोंने श्री स्मट्ससे निम्नानुसार माँग की थी

(१) दस अँगुलियाँ न लगवाई जायें,
(२) माँका नाम छोड़ दिया जाये,
(३) बड़ोंका पंजीयन किया जाये और बच्चोंको परेशान न किया जाये,
(४) काफिर पुलिस जाँच नहीं कर सकेगी,
(५) तुर्कीके ईसाई और मुसलमानके बीच भेदभाव किया गया है, वह समाप्त किया जाये,
(६) ऑरेंज रिवर कालोनीका नाम अनुमतिपत्रपर है, उसे रहने दिया जाये,
(७) बच्चोंकी उम्र कितनी है, इसे तय करना पंजीयकके हाथमें नहीं, अदालतके हाथमें रखा जाये,
(८) व्यापारीके नौकरोंको आने-जानेके मियादी अनुमतिपत्र उदारतापूर्वक दिये जाने चाहिए,

(९) इसके बाद और कानून नहीं बनाया जायेगा, इसका आश्वासन मिलना चाहिए।

श्री स्मटसने लम्बा उत्तर दिया है। उसमें एक बड़ी खूबी है। मीठे शब्दोंसे कोई मर सकता हो तो उसे मार डालना चाहते हैं। वे मांगके उत्तरमें कहते हैं कि यदि सभी भारतीय पंजीयन करवा लें तो माँका नाम बतलानेके लिए मजबूर नहीं किया जायेगा, काफिर पुलिस सिपाही अँगुलियोंकी निशानी नहीं माँगेगा — यानी अनुमतिपत्र तो माँग सकेगा, और कानून बनाया जायेगा या नहीं यह भारतीय समाजपर निर्भर है। यदि वे ठीक तरह कानूनके अनुसार चलेंगे तो स्मट्स साहबका कहना है कि शायद ज्यादा सख्ती नहीं बरती जायेगी।

खून खौलता है

इस उत्तरका ब्योरा देते हुए मेरा खून खौलता है। अगर सीधे चलेंगे तो ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? खूनी कानूनके द्वारा हम जीते-जी मुर्दे बनाकर क्या अब मुर्देको ठोकर मारनेके लिए नया सुधार करेंगे? देखनेकी बात यह है कि श्री स्मट्सने किसी भी बातमें अपनी हठ नहीं छोड़ी है। क्योंकि, माँका नाम न दिया जाये, यह भी वे नहीं कहते। सभी भारतीय पंजीयन करवा लें, तब वह पवित्र नाम बतलाना या न बतलाना हमारी इच्छा पर निर्भर है। काफिर पुलिस अँगुलियोंकी निशानी नहीं माँग सकती, पर पास तो माँग ही सकेगी। यदि नया कानून स्वीकार कर लिया गया तो "ऊफी पास" का गीत भारतीयोंके सिर जड़ा ही समझिए।

किन्तु ठीक हुआ

इस तरहका जुल्मी वार रेशममें लपेटकर किया गया, यह ठीक ही हुआ है। अब भारतीय समाज और भी ज्यादा जोर करेगा। जिस तरह खतरनाक कानूनके अन्तर्गत खतरनाक नियम ही बन सकते हैं, उसी प्रकार उसका उत्तर भी खतरनाक ही होगा। खतरनाक नियमोंसे भारतीय उत्तेजित हुए थे, किन्तु यह उत्तर उस उत्तेजनाको और भी मजबूत कर देगा। खुदाको बीचमें खड़ा करके हमने कानूनका बहिष्कार किया है। उसी खुदाको बीचमें रखकर हमें हिम्मत रखनी है।

सुधार

स्वयंसेवकोंमें एकने श्री ईसप मियाँका शाल उढ़ाया था। एक सज्जन सूचित करते हैं कि उक्त व्यक्तिका नाम देनेमें मुझसे भूल हुई है। मैं उनका आभार मानता हूँ। शाल श्री गुलाम मुहम्मदने उढ़ाया था। मैं इसके लिए श्री गुलाम मुहम्मदसे माफी माँगता हूँ।

ट्रान्सवाल प्रवासी विधेयक[1]

प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक परिषदमें दूसरी बार पढ़ा गया। और बुधवारको उसका तीसरा वाचन हुआ।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

१. यह "विशेष तार द्वारा" भेजा गया था।

७१ पत्र उपनिवेश सचिवको

२५ व २६, कोट चेम्बस
रिसिक स्टीट
जोहानिसबग
[जुलाई १६, १९०७[१]]

सेवामे
माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

मेरे सघकी समितिकी इच्छा हे कि मै सरकारका ध्यान सघके उस प्राथनापत्रकी[२] ओर आकृष्ट करूँ जो सघने प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके [विषयमे] माननीय विधान [सभा][३]की सेवामे प्रस्तुत किया हे। इसमे जो मुद्दे उठाये गये है वे मेरे सघकी विनम्र रायमे उस समाजके लिए अत्यन्त महत्त्वपूण है जिसका कि मेरा सघ प्रतिनिधित्व करता है। मेरे सघका खयाल है कि यदि प्राथनाके अनुसार राहत बख्शी गई तो भी विधेयकके सिद्धान्त ज्योके त्यो बने रहेगे।

इस बातका कोई कारण मेरे सघकी समझमे नही आता कि सुशिक्षित भारतीयोसे पजीयन अधिनियमका पालन करानेकी आवश्यकता क्यो हे? जिन ब्रिटिश भारतीयोने ट्रान्सवालमे बसनेके लिए ३ पोडका कर चुका दिया है, परन्तु जिन्हे शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तगत परवाने नही मिले ह, उन्हे अपने अपनाये हुए देशमे लौटनेके अधिकारसे वचित रखना बडा गम्भीर अन्याय प्रतीत होता है।

इसलिए मेरे सघको भरोसा है कि सरकार उसकी प्राथनापर अनुकूल विचार करनेकी कृपा करेगी।

आपका आदि,
मूसा इस्माइल मियाँ
कायवाहक अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २०–७–१९०७

१ यह पत्र **इडियन ओपिनियन**में बिना तारीखके छपा है, परन्तु ट्रान्सवाल विधानसभाके अभिलेख संग्रहालयमें प्राप्त सरकारी कागजोंसे इसी तारीखका सकेत मिलता है।

२ देखिए "प्रार्थनापत्र ट्रान्सवाल विधानसभाको" पृष्ठ ९२ ९३।

३ चौकोर कोष्टकोंमें दिये गये शब्दोके पर्याय मूलमें नही है।

७२ घोर मान-हानि

ट्रान्सवालके एशियाई अधिनियमके बारेमें आगे जो पत्र-व्यवहार हुआ है और जो लॉर्ड ऐम्टहिलकी मांगपर संसदमें पेश किया गया है, अब हमें प्राप्त हो गया है। लॉर्ड सेल्बोर्नने लॉर्ड एलगिनका ध्यान उस विधानकी ओर आकर्षित करनेके लिए निम्नलिखित उद्गार प्रकट किये हैं:

> **मुझे आशा है कि आप यथाशीघ्र मुझे यह सूचना दे सकेंगे कि महामहिमको यह सलाह नहीं दी जायेगी कि वे इस अधिनियमको अस्वीकृत करनेके अपने अधिकारका प्रयोग करें, जिससे अधिनियम तुरत अमलमें आ सके और इस प्रकार *गैर-कानूनी तौरपर एशियाइयोंका ट्रान्सवालमें आव्रजन, जो इस समय बड़े जोरोंके साथ बढ़ रहा है, रोका जा सके।***

तिरछे अक्षर हमारे हैं।

हमें यह कहनेमें जरा भी संकोच नहीं है कि गैरकानूनी आव्रजनके बारेमें लॉर्ड सेल्बोर्नका जोरदार कथन हमारी साफ और सच्ची मानहानि है। लॉर्ड महोदयने एशियाइयोंके गैरकानूनी आव्रजनके बारेमें अपने सामने पेश किये गये बयानोंको निस्संकोच भावसे स्वीकार कर लिया है, हालाँकि ये बयान एकतरफा ही हो सकते थे। भारतीयोंने कहा है कि ऐसा कोई आव्रजन नहीं हो रहा है। और उन्होंने इसकी जाँच करनेके लिए चुनौती भी दी है[1]। लेकिन अभीतक कोई जाँच नहीं की गई और फिर भी लॉर्ड सेल्बोर्नने, अपने कन्धोंपर भारी दायित्वोंका बोझ होनेपर भी, इस बेबुनियाद इलजामपर अपने अधिकारकी मुहर लगा देना ठीक समझा है।

यह आरोप सहज ही झूठा है। अगर ऐसा दाखिला प्रत्यक्ष रूपमें होता रहा है तो ऐसे प्रवेशकर्ताओंको उपनिवेशमें रहने ही क्यों दिया गया? या तो लॉर्ड महोदयको सूचना देनेवाले लोग यह जानते थे कि इस प्रकार किन लोगोंने प्रवेश किया है, या वे नहीं जानते थे। अगर वे जानते थे तो शान्ति-रक्षा अध्यादेशके मातहत उनके पास सारे आवश्यक उपाय थे कि वे उन लोगोंको अदालतके सामने पेश करते। इसलिए लॉर्ड सेल्बोर्नने जो तौहीन की है, वह इस बातको साबित करती है कि दक्षिण आफ्रिकामें, सिवाय अदालतके, कहीं भी एशियाइयोंकी सच्ची सुनवाई होना अगर असम्भव नहीं तो कितना कठिन है। और इस तरहके मामलेमें तो उनके लिए अदालत भी बन्द है। इसलिए उन्हें चुप होकर बैठना पड़ता है और अपनी मुसीबतोंको यथाशक्ति हँसकर सहना पड़ता है।

जब हम लॉर्ड एलगिनके जवाबपर विचार करते हैं तब देखते हैं कि वह ब्रिटिश भारतीयोंको निराशासे भर देनेके लिए काफी है। उपनिवेश-मन्त्रीने इस विधानको मंजूरी इसलिए नहीं दी कि वे इसे न्यायोचित समझते हैं, बल्कि इसलिए दी है कि इसके पीछे गोरोंके अधिकारका बल है। तो इसका यही अर्थ हुआ कि यदि किसी उपनिवेशकी विधानसभाका कोई भी कानून सर्वसम्मत हो तो साम्राज्य सरकार भी, बिना उस कानूनके औचित्य-अनौचित्यको

१. देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४१८, ४३३-३४ और खण्ड ६, पृष्ठ १, ३, ६, और ५२।

देखे उससे बँध जायेगी। और अगर यह मसला आलोचनासे परे है तो लार्ड एलगिनका यह वक्तव्य — कि "महामहिमकी सरकारकी अब भी यही राय है कि एशियाइयोंपर इस समय जो पाबन्दियाँ लगी हुई हैं उनमें संशोधन करनेकी आवश्यकता है," — एक सदिच्छामात्र है, जिससे ब्रिटिश भारतीय बहुत आशा नहीं रख सकते। और हो सकता है जबतक वह कानून, जिसके खिलाफ लड़नेके लिए ट्रान्सवालवासी भारतीयोंने अपना सर्वस्व दावपर लगा दिया है, उनके सामने एक कठोर वास्तविकता बनकर खड़ा है तबतक यह इच्छा कभी फलित न हो। विनियमोंमें सुधार करनेके लिए जनरल बोथाने जो वचन दिये हैं उनसे भारतीयोंका कोई विशेष सम्बन्ध नहीं। परन्तु प्रसंगवश यह बता दिया जाये कि जिस उग्र पूर्वग्रहसे स्थानीय सरकार ओतप्रोत है उसका ही यह एक लक्षण है कि जनरल अपने वचनको पूरा नहीं कर सके। उपनिवेश सरकारके विचारोंमें भारतीयोंकी भावनाओंका कोई महत्त्व नहीं है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०–७–१९०७

७३. ट्रान्सवाल प्रवासी-विधेयकपर बहस

ट्रान्सवालकी विधान सभामें प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके दूसरे वाचनपर जो विवाद हुआ, वह कई बातोंमें आँखें खोल देनेवाला है। श्री स्मट्सने विधेयकको सदनमें बहुत ही सरसरी तौरपर पेश किया। माननीय महानुभावने ब्रिटिश भारतीयोंको प्रभावित करनेवाले मुद्दोंको छुआतक नहीं। उन्होंने उन बातोंको इस लायक भी नहीं समझा कि उनमें सदस्यों या जनताकी दिलचस्पी हो सकती है। उन्होंने इसे निश्चित मान लिया कि एशियाई पंजीयन अधिनियमको ट्रान्सवालके कानूनका एक स्थायी अंग होना चाहिए। श्री डंकनने इस विधानके पेश होने पर जो कुछ कहा था[1] उसके विपरीत, उन्होंने इसे भी निश्चित मान लिया कि जहाँतक एशियाई समुदायोंका सम्बन्ध है, प्रवासी विधेयक उसका स्थान लेनेके लिए नहीं, बल्कि उसकी कठोरतामें जो कमी रह गई थी उसको पूरा करनेके लिए बनाया गया है। उन्होंने सदस्योंको यह सूचित करनेका कष्ट नहीं किया कि इस विधेयक द्वारा सन १८८५ के कानून ३ की, जो बोअर सरकारको ३ पौंड देनेवाले एशियाइयोंको निवास सम्बन्धी संरक्षणकी गारंटी देता था, अवहेलना होगी, और उन्हें इस धारामें कुछ भी आपत्तिजनक बात दिखाई नहीं दी, जिसके अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त एशियाई भी उपनिवेशमें आनेपर एशियाई पंजीयन अधिनियम द्वारा निश्चित अग्नि परीक्षामें से जबतक गुजर नहीं जाते तबतक वर्जित प्रवासी माने जायेंगे।

श्री नेसरके इस नम्र कथनके उत्तरमें, कि किसी व्यक्तिका बिना मुकदमा चलाये, उसके अपने ही खर्चेसे उपनिवेशसे निकाल देनेका असाधारण अधिकार सरकारको देना बड़ी खतरनाक चीज होगी, श्री वाइबर्गने अत्यधिक रोष प्रकट किया। किन्तु श्री वाइबर्गके उद्गारोंको हम सिर्फ आत्म विस्मृति जनित मूर्खता कह सकते हैं। यही बात कोई दूसरा व्यक्ति कहता तो वह बहुत बड़ी गुस्ताखी होती। इस धारापर विचार करते हुए और सरकारसे उसपर दृ

१ देखिए खण्ड ६ पृष्ठ १५७। श्री पैट्रिक डंकन १९०३ से १९०६ तक उपनिवेश सचिव थे।

रहनेका अनुरोध करते हुए उन्होंने भारतमें हुई हालकी घटनाओंका जिक्र किया। हम इस विवादके गुण-दोषोंकी चर्चामें नहीं पड़ना चाहते, परन्तु हम यह आशा रखते हैं कि श्री वाइबर्ग जैसा एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ विधानसभामें अपने आसनसे दक्षिण आफ्रिकाकी जनतासे ऐसे निहायत गैरजिम्मेदार तरीकेसे बात न करेगा। अगर उन्होंने भारतीय समस्याओंका विशेष अध्ययन न किया हो तो यह साफ जाहिर है कि वे सिर्फ उतना ही जान सकते हैं जितना समुद्री तारों द्वारा भेजे गये घटनाओंके सारांशोंसे संसारको विदित हो पाता है। और अगर वे यह नहीं मानते कि सभी सरकारें भूल-भ्रान्तियोंसे परे हैं तो उन्हें यह माननेका कोई हक नहीं है कि भारतीय नेताओंको निर्वासित करनेकी अधिकारियोंकी कार्यवाही या तो अपने आपमें अच्छी थी या उसका कोई शान्तिजनक परिणाम हुआ है। शायद हम माननीय सदस्यकी अपेक्षा कुछ अधिक जाननेका दावा कर सकते हैं फिर भी ब्रिटिश साम्राज्यके उस भागमें जो घटनाएँ घट रही हैं उनके निकट सम्पर्कमें न होनेके कारण हमने कुछ न कहनेमें ही बुद्धिमानी समझी है।

श्री वाइबर्गने एक नासमझी और की है कि उन्होंने भारतमें होनेवाली घटनाओंसे यह नतीजा निकाला कि ट्रान्सवालमें अनाक्रामक प्रतिरोधके लिए भड़कानेवाले भारतीयोंको निर्वासित करनेके लिए इस धारा द्वारा दिये गये अधिकार उपयोगी हो सकते हैं। यहाँ उन्होंने यह प्रकट कर दिया कि उनमें विषयको समझनेकी क्षमता नहीं है। भारतकी घटनाओंको बगावतका रंग दिया गया है और उनका अर्थ ब्रिटिश राजके विरुद्ध विद्रोह लगाया गया है। ट्रान्सवालके भारतीयोंके धर्मयुद्धकी किसी भी विद्रोही आन्दोलनसे जरा भी समानता नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है कि यह समुदाय अपनी नैतिक भावनाको नष्ट होने देनेके बजाय घोर शारीरिक कष्ट सहन करनेको तैयार है। यह ट्रान्सवालके भारतीयोंका नाजरथके देवदूतके इस उपदेशपर चलनेका प्रयत्न मात्र है कि "बुराईका विरोध न करो"।

निःसन्देह इस बातकी ब्रिटिश भारतीयोंको जरा भी परवाह नहीं कि श्री वाइबर्ग सदनको उनके विरुद्ध भड़का रहे हैं। वे किसी धमकीसे कर्तव्य विमुख होनेवाले नहीं हैं। उन्होंने बुरेसे-बुरा परिणाम पहले ही सोच लिया है। उनका साहस उद्देश्यकी पवित्रता और आत्मसम्मानको कलंकित न होने देनेके निश्चयसे पैदा हुआ है। हम श्री वाइबर्गके उद्गारोंकी चर्चा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम उन्हें सच्चा, किन्तु गुमराह व्यक्ति मानते हैं और यह दिखाना चाहते हैं कि पूर्वग्रहपूर्ण वातावरणमें एक सन्तुलित मानस भी कैसे विचलित हो जाता है। विधानसभाके सब सदस्योंमें अकेले श्री हास्केन ही ऐसे थे जिन्होंने श्री वाइबर्गके भाषणकी प्रतिशोधध्वनिकी जोरदार भर्त्सना की। श्री हास्केनको यह कहनेमें कोई संकोच नहीं हुआ कि यह विधेयक रूसी या जर्मन इलाकेमें ही सम्भव है ब्रिटिश भूमिपर नहीं। श्री वाइबर्ग क्या जानें कि किसी विशेष वर्गके लोगोंका दमन करनेके लिए ग्रहण किये हुए निरंकुश अधिकार उलटकर उन लोगोंपर असर करते हैं, जिनके बारेमें स्वप्नमें भी नहीं सोचा जाता। परन्तु हमें आशा है कि शान्त होकर सोचनेपर उन्हें अपनी भूलपर पश्चात्ताप हुआ होगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

७४ गिरमिटिया प्रवासी

हम इस सप्ताह उस महत्त्वपूण पत्रको छाप सकते हैं जो भारतीय प्रवासी न्यास निकाय सचिवने गिरमिटिया भारतीयोके मालिकोको भेजा हे। उसमें इन मजदूरोको नेटालमे लानेके खचके सम्बन्धमें जानकारी दी गई हे। यह कागज सवश्री इवान्स और राबिसनके देखने योग्य हे, जिन्होन पूरी तरह विचार करनेके बाद यह निष्कष निकाला है कि नेटालमे गिरमिटियोका प्रवास बन्द किया जाना चाहिए। हम चूकि श्री हेगरको जानते ह, इसलिए उनका उल्लेख इसी श्रेणीमे नही कर सकते। यद्यपि हम सयोगसे गिरमिटिया भारतीयोका प्रवास बन्द करनेके प्रयत्नमे उनसे सहमत ह, किन्तु हमारे हेतु एक नही ह और भारतीय समाजका उस सदस्यसे बहुत कम सरोकार हो सकता है, जो उनकी मानहानि करनेमे तनिक भी सकोच नही करता, और जब उसे अपने कथनको सिद्ध करनेकी चुनौती दी जाती है तब उसमें उसे सिद्ध करनेकी या क्षमा मागनेकी मर्दानगी भी नही होती। श्री राइक्राफ्टने जो पत्र लिखा ह उसमें यरोपीयोके दष्टिकोणसे इन मजदूरोका आव्रजन बन्द करनेका प्राय पूरा औचित्य बताया गया हे। यह प्रत्यक्ष हे कि मालिक उनको लानेका खच मुश्किलसे ही उठा सकते हैं। अनिवाय प्रत्यावतन, यदि भारत सरकार अपनी सरक्षकता छोडकर ऐसी किसी शतको मान भी ले तो, उनके लिए और अधिक बुरा होगा। यह बताया गया है कि १९०५ मे मालिकोने जहा मजदूरोको लानेके खचमे केवल २० पोड दिये वहा वास्तविक व्यय प्रति वयस्क पुरुषपर ३१ पौड १० शिलिग ९ पेस आया। और, जैसे जैसे ३ पौडी करके भारके कारण अधिकाधिक भारतीय बिना किरायेके भारत-वापसीका लाभ उठायेंगे, वैसे वैसे यह खच बढेगा ही। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि विशुद्ध आर्थिक दष्टिकोणसे गिरमिटिया मजदूरोको लाना जितना जल्दी बन्द कर दिया जाये, उतना ही दोनो पक्षोके लिए अधिक अच्छा होगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

१ वकील।

७५. जनरल स्मट्सका हठ

एशियाई पंजीयन अधिनियमके कारण सरकारने अपने आपको जिस गड्ढेमें फिलहाल डाल लिया है, उससे निकलनेके लिए ब्रिटिश भारतीयोंने उसे एक मौका और दिया था। वह पत्र-व्यवहार लम्बा है और दुर्भाग्यवश हम इस अंकमें उसको शामिल करनेमें असमर्थ हैं। पंजीयन अधिनियमकी अत्यन्त आपत्तिजनक धाराओंके बारेमें सम्बन्धित भारतीयोंके वकीलोंने बहुत ही उचित सुझाव दिये थे। उपनिवेश-सचिवने प्रायः प्रत्येक प्रार्थनाको साफ-साफ शब्दोंमें अस्वीकार कर दिया है। हम स्पष्ट रूपसे स्वीकार करते हैं कि सरकार इससे भिन्न कुछ कर भी नहीं सकती थी। हमारी रायमें उसे उस पत्रका यह अर्थ लगानेका अधिकार था कि भारतीयोंमें अपने जेल-सम्बन्धी प्रस्तावको कार्यान्वित करनेकी पर्याप्त शक्ति नहीं है। इसलिए सरकारने प्रत्यक्षतः उस अत्यन्त उचित पत्रका गलत अर्थ किया है। उसने अधिनियमके अनुरूप नियम स्वीकार कर लिये हैं, और ब्रिटिश भारतीय प्रार्थियोंको अपना उत्तर उसी नीतिके अनुसार भेजा है। इस पत्र-व्यवहारसे कुछ लाभ होगा, क्योंकि इससे भारतीय समाजका अनिवार्य पंजीयन स्वीकार न करनेसे होनेवाले कष्टोंको सहन करनेका निश्चय दृढ़ होगा।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

७६. द० आ० ब्रि० भा० समितिका काम

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति इस समय भी बड़ी मेहनत कर रही है। कुछ ही दिन पहले सर विलियम बुल और डॉ० रदरफोर्डने लोकसभामें प्रश्न पूछे थे। उससे मालूम हो सकता है कि समितिने यद्यपि ट्रान्सवालके कानूनका विरोध न करनेकी सलाह दी है और भारतीय समाजने उसे नहीं माना है फिर भी उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। समिति अपना काम किये जा रही है, और ऐसा होना भी चाहिए। समितिकी प्रत्येक सलाह माननेके लिए भारतीय समाज बाध्य नहीं है। समितिके सदस्य उदार हृदय हैं और वे अपना काम किये जाते हैं।

सर मंचरजी भावनगरी इतनी सावधानी और दूरन्देशीसे चलनेवाले व्यक्ति हैं कि उनकी अध्यक्षतामें समिति भारतीयोंका काम छोड़ नहीं सकती। उसके अलावा श्री रिचने लॉर्ड ऐम्टहिलके नाम जो पत्र लिखा है उससे मालूम होता है कि वे समितिके सामने भारतीय विचारोंको साफ-साफ रखनेमें कभी संकोच नहीं करते।

डेलागोआ-बे

सर विलियम बुलके प्रश्नोंसे डेलागोआ-बेके भारतीयोंको मालूम हो गया होगा कि उनका प्रश्न भी भुलाया नहीं गया है। 'इंडियन ओपिनियन' में श्री कोठारीका पत्र प्रकाशित

किया गया तो उसके आधारपर सर विलियम बुलने तुरन्त भारतीयोपर होनेवाले जुल्मोंकी शिकायत की। हमें यहाँ कहना चाहिए कि डेलागोआ बेके भारतीयोंकी ओरसे समितिको बिलकुल मदद नहीं दी गई है। उनपर इस समय ज्यादा मुसीबत नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि समितिके खर्चमें उन्हें हाथ बँटाना चाहिए।

रोडेशिया

जिस तरह डेलागोआ बे नहीं भुलाया गया, उसी तरह रोडेशियाका भी हुआ है। हमारे पाठकोंको खयाल होगा कि भारतीयोंके प्रति रोडेशिया परिषदके जो विचार थे उन्हें हमने इसी बीच प्रकाशित किया था। विलायत पहुँचते ही श्री रिचने उनका उपयोग किया है और सम्भव है कि रोडेशियामें अधिक सख्त कानून नहीं बन पायेंगे। इस विषयमें विचार करते हुए सबको स्वीकार करना होगा कि क्या रोडेशिया और क्या डेलागोआ बे, दोनों देशोंकी इज्जत वास्तवमें ट्रान्सवालके भारतीयोंकी लड़ाईपर निर्भर है। वे लाज रखेंगे तो रहेगी, नहीं तो समिति या अन्य कोई ऐसी स्थितिमें नहीं रहेगा कि कुछ सहायता कर सके।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०–७–१९०७

७७ लोबिटो-बे

हमारे संवाददाताने समाचार भेजा है कि लोबिटो बेके मजदूरोंकी हालत बहुत बुरी है। उसके आधारपर हमने ग्रिफिथ पेढ़ीके एजेंटकी मारफत पूछताछ की। उसका नीचे लिखा उत्तर आया है :

> **रिपोर्ट बे-बुनियाद है। डाक्टरी सहायता बहुत मिल रही है। मजदूरोंके लिए विशेष चिकित्सालय और डाक्टरकी व्यवस्था है। यदि आवश्यक समझें तो आप नेटाल-सरकारसे कहियेगा कि जाँच करनेके लिए किसी व्यक्तिको भेजे। मजदूरोंकी स्थिति अच्छी है। उन्हें सन्तोष है। पानी उत्तम है। खाद्य-सामग्री बहुत है।**

हमारे संवाददाता द्वारा भेजे गये समाचारमें और इसमें विरोध है। हमारा संवाददाता बहुत ही सावधानीसे काम लेनेवाला और निःस्वार्थ व्यक्ति है। इसलिए उसका समाचार बेकार नहीं है। हम दोनों समाचारोंको मिलाकर यह अर्थ करते हैं कि जब मजदूर वहाँ पहुँचे तब उन्हें बहुत कष्ट थे और वह समाचार हमारे संवाददाताको मिला। इस समय उनकी हालत उतनी खराब नहीं है। साधारणतः वे सुखी होंगे। फिर भी इतना तय है कि अभी भारतीयोंके लिये साहस करके वहाँ जानेका विचार करना बेकार है। बेंगुएला पहुँचने तक निःसन्देह बहुत कष्ट है, और बेंगुएला पहुँच जानेके बाद भी कोई स्वतन्त्र रहकर कुछ कारोबार कर सके, सो स्थिति अभी नहीं है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०–१७–९०७

७८ नेटालमें परवाने और टिकटका विधेयक

राजस्व परवानेके सम्बन्धमें कुछ संशोधन करनेके लिए एक विधेयक १२ जुलाईके नेटालके सरकारी 'गजट' में प्रकाशित हुआ है। उसमें से महत्त्वपूर्ण बात हम नीचे दे रहे हैं:

(१) १८९७का व्यापार कानून अबसे काफिर भोजनालयपर लागू होगा।

(२) मजिस्ट्रेटके एक विभागमें फेरी लगानेका परवाना मिला हो तो उसका दूसरे विभागमें उपयोग नहीं किया जा सकता।

(३) कोई फेरीवाला एक फार्मपर १२ घंटेसे ज्यादा नहीं ठहर सकता, और उसी जगह-पर चार दिन तक दूसरी बार नहीं जा सकता।

(४) नगर परिषदमें परवानेपर उसकी कीमतके अलावा उसके दसवें हिस्सेके दूसरे टिकट लगाने होंगे। वह दसवाँ हिस्सा परवानेवाला देगा और सरकारको मिलेगा।

(५) विदेशी पेढ़ीके एजेंटको परवाना लेना होगा। और यदि नीलाम करनेवाला वैसा माल बेचे तो उसे भी परवाना लेना होगा।

(६) अपने व्यापारका परवाना लेते समय हर व्यक्ति, यदि उसके पास एजेंसी हो तो, अधिकारीके सामने यह बात कहनेके लिए बाध्य है।

(७) वतनी अथवा भारतीयको किरायेकी रसीद दी हो तो उसके लिए अलगसे रसीद-बुक रखी जाये, उसपर क्रम संख्या डाली जाये और पन्नोंपर मुहर उभरी हुई होनी चाहिए। चिपकाई हुई मुहरसे काम नहीं चलेगा।

यह विधेयक अभी कानून तो नहीं बना है, किन्तु माना जा सकता है कि कानून बन जायेगा। उसमें कुछ परिवर्तन होना सम्भव है, लेकिन बहुत छोटे मोटे यह सबपर लागू होता है, इसलिए इसका विरोध करना कठिन है। इस विधेयकका मतलब यह है कि उपनिवेशमें इस समय पैसेकी तंगी है, इसलिए जहाँ-तहाँसे पैसा इकट्ठा किया जाये। गुस्सा आनेपर कुम्हार गधीके कान खींचता है, उसी प्रकार सरकारके पास पैसेकी कमी है इसलिए उसने फेरीवाले जैसे गरीबोंपर हमला किया है। संक्षेपमें सारा दक्षिण आफ्रिका इस समय कंगाल बन गया है। इसलिए सरकार पैसेके लिए इधर-उधर भटक रही है। परवानाकी जो विभिन्न दरें रखी गई हैं उन्हें हम इस समय नहीं दे रहे हैं, किन्तु यदि विधेयक पास हुआ तो आवश्यकता मालूम होनेपर प्रकाशित करेंगे। उपर्युक्त सारी उपधाराओंमें किरायेकी रसीदकी उपधारा भयंकर है। उसके सम्बन्धमें लड़ाई लड़नी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २०-७-१९०७

७९ गिरमिटिया भारतीय

भारतीय प्रवासी यास निकाय (इडियन इमिग्रेशन ट्रस्ट बोड)के सचिव श्री राइ क्रॉफ्टने गिरमिटिया भारतीयोके मालिकोके नाम जो पत्र लिखा हे उसे हम अग्रेजी विभागमे पूरा पूरा प्रकाशित कर रहे ह। उससे पता चलता हे कि भारतीय गिरमिटियोको दाखिल करवानेका खच सेठोको भारी पडता है और यदि भारतीय मजदूर अपने इकरारके वष पूरे हो जानेपर स्वदेश लोटते है तो बहुत ही ज्यादा खच हाता हे। इससे श्री राइक्राफ्टका कहना हे कि मजदूरोको यदि बलात लौटा देनेका कानून बनाया गया तो सेठोका नुकसान होनेकी सम्भावना हे।

इस दष्टिसे गिग्मिटियोके सेठोकी हालत साप छछदरकी सी हो गई हे। अगर मजदूरोको जाने दे तो उनके बमीठे बैठ जाये। यदि वे रोक ले ओर इधर उन मजदूरोको भारत भेजनेका कानून बन जाये तो उन्हे बहुत ज्यादा खच उठाना होगा। इस सकटमे क्या किया जाये, यह एक जवरदस्त सवाल पैदा हो गया है। इस लडाईसे भारतीय मजदूरोको किसी प्रकारका लाभ होनेका सम्भावना नही है। मजदूर न बुलाये जाये यह कहनेवाले ओर बुलाये जाये यह कहनेवाले दोनोमे से किसीको भी भारतीयोकी चिन्ता नही हे। यदि भारतीय मजदूर और भी कम वेतनपर आये और गिरमिटके अन्तमे चाहे उन्हे लौटना पडे फिर भी कोई कुछ कहेगा सो बात नही। दोनो पक्ष प्रसन्न होगे। भारतीय समाजका एक ही तरीकेसे लाभ हो सकता है और वह है, मजदूरोको बुलाना बिलकुल बन्द हो। मजदूर यहा आकर गुलामीकी हालतमे अपना स्वाथ सिद्ध नही कर सकते, उनकी स्वतन्त्र रहनेकी कोई स्थिति नही है। हमे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि गिरमिटियोपर पडनेवाले कष्टोसे सारे भारतीय समाजको सहानुभूति हो रही है। यह हमारी जागृतिका लक्षण हे। इसलिए यदि हम अब एक कदम आगे बढकर गिरमिटपर आनेवाले भारतीयोको रोक सके तो भारतीयोकी गुलामी समाप्त होगी और इस समय दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय समाजके जितने लोग रह रहे ह उन्हे कुछ राहत मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन २०-७-१९०७

८० भाषण नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें[1]

डरबन
जुलाई २०, १९०७

तेरह वर्षोंकी लड़ाईमें आजकी लड़ाई ही बड़ी आनबानकी है। इसलिए इसका परिणाम भी उतना ही भारी होना चाहिए। इस कानूनका सारे दक्षिण आफ्रिकापर समान असर पड़ेगा। रोडेशिया और जर्मन आफ्रिकामें तो इसके छींटे उड़े ही हैं, किन्तु भारतमें भी इसका बुरा असर पहुँचे बिना नहीं रहेगा। नेटालके भारतीयोंको तो ज्यादा डरना है। [यहाँ १८ मई तथा ६ जुलाईके 'ओपिनियन' से कुछ उदाहरण दिये गये थे]। गोरे कहते हैं कि भारतीय नौकर तो मंजूर हैं लेकिन स्वतन्त्र भारतीय नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त झूठके साथ सच्चेको बैठाते हैं। पोरबन्दरके किसी गरीब हाशिमका मामला मुझे याद आता है। अपनी लगभग १०० रुपयेकी मौरूसी जमीन छिन जानेके कारण वह बम्बईमें मेरे पास आया। मैंने सलाह दी कि १०० रुपयेकी जमीनके लिए ५०० रुपयेपर पानी क्या फेरता है? उसने जवाब दिया कि मेरे पुरखोंकी जमीन है। चाहे जो हो, मैं उसे वापस लूँगा। मैं अपना पट्टा झूठा नहीं होने दूँगा। किन्तु ट्रान्सवालके सम्बन्धमें तो कामका पट्टा है। एक है, उसे छीनकर दूसरा अपनी मर्जीके मुताबिक देना चाहते हैं। और वह भी केवल भारतीयोंको ही। उसके अगला पट्टा देते समय, जैसा नाटकमें[2] देखा है, बाप, माँ, पत्नी आदिके नाम तथा पहले दस अँगुलियोंकी और उसके बाद आठकी छाप माँगते हैं। उतना सब लेनेके बाद मर्जी हो तो मर्जीके अनुसार पट्टा देनेकी बात कहते हैं। ऐसी गुलामी कौन सहन करेगा? तीन चार पौंड कमानेवाला आदमी जहाँ ठोकर मारे वहीं अपना पेट भर सकता है, तो उतनी आमदनीके लिए ट्रान्सवालमें बेइज्जतीके साथ रहना क्या पसन्द करेगा? इसके अलावा ४०० पौंड कमानेवालेको पैसेसे इज्जत प्यारी होती है। शायद गरीब अमीर सभी लोग हजूरिये बनकर बेइज्जती सहन कर लें, लेकिन यदि उनके आठ-दस वर्षके लड़केपर जुल्म हो तो वह उनसे कदापि सहन नहीं होगा। बोअर लोग बहादुर हैं। उनका विरोध नहीं किया जा सकता। किन्तु यदि वे गलत हुक्मके सामने झुकनेके लिए कहें, यानी गुलाम बननेके लिए कहें, तो इनकार किया जा सकता है। हम लोग खोटे सिक्केके रूपमें जानते हैं। सच्चा सिक्का बननेका यह अच्छा अवसर है। यदि इस कसौटीपर सच्चे उतर जायें तो दुनियामें कहीं भी रहनेवाले भारतीयोंको इससे लाभ होगा। भारतमें आज बन्दर-न्याय हो रहा है। मुसलमान और हिन्दू इन दो बिल्लियोंको लड़ाकर सरकार अपना काम बना रही है। यहाँ वह हालत नहीं है। दोनों कौमें एक हैं, इसलिए हमारा साहस सफल होगा। इन सारी बातोंका विचार करके सितम्बरकी सार्वजनिक सभामें[3] मैंने जेलकी सलाह दी। इसमें सबने खुदाको बीचमें रखकर हाथ ऊँचे करके जेल जानेकी शपथ ली। उस दिनसे आजतक की हकीकत सब जानते हैं। अब यदि शपथ नहीं निभाते हैं तो हम खुदाके चोर माने जायेंगे। एकके बाद एक नये-नये कानून बनेंगे, हम बिना पानीके मारे जायेंगे। तबतक कुत्तोंकी

१ नेटाल भारतीय कांग्रेसकी आम सभा शनिवारको श्री दाऊद मुहम्मदकी अध्यक्षतामें हुई थी। उसमें एशियाई अधिनियमके फलितार्थोंपर गांधीजी बोले थे।

२ विक्टोरिया इंडियन थियेटर, डरबनमें १३ जुलाई १९०७ को खेला गया एक प्रहसन।

३ देखिये खण्ड ५, पृष्ठ ४३०–३४।

जिन्दगी रह गई। एक बार एक गोरी महिलाने कहा कि लात खानेवाला झल्लीवाला (बास्केटिया) मान अपमान क्या समझे ? मैंने जवाब दिया कि एक बार यदि उसे यह हल्का पन महसूस हो गया तो फिर जिन्दगीभर पंजीयन नहीं करवायेगा। इसका निश्चय करनेके लिए वह जो भी फेरीवाला उसके आगनमें आता उससे पूछती थी कि तू नया पंजीयन करवायेगा या नहीं ? उस महिलाको जवाब मिलता कि पंजीयन नहीं करवाऊँगा। आज उसे मालूम हो गया है कि भारतीयोंमें कुछ तो बहादुर हैं। इसलिए अब वह कहती है कि जब भारतीय जेलमें होंगे तब वह उनकी खबर लेती रहेगी और यथासम्भव सार सँभाल करती रहेगी। श्री हास्केन कहते हैं कि सारे भारतीय यदि जेल चले जायें तो सरकारकी ताकत नहीं कि फिर अँगुली उठाये। इससे हमें समझना चाहिए कि यदि हम टेक रखें, तो हमारा दिन निकला ही समझिए। इस समय तो हमारे प्रति यह खयाल है कि हम कोरे शोर मचानेवाले हैं। इसलिए प्रवासी कानूनके खिलाफ की गई हमारी अपील रद्दीकी टोकरीमें फेंक दी गई है। यह सब आपके सामने इसलिए कहना आवश्यक है कि इन उदाहरणोंसे आप सीखें और तैयार रहें। आप और हम एक ही हैं, इसलिए यदि आप हमारे दुःखमें हाथ बँटायें तो कोई नई बात नहीं होगी। बातें करके यानी प्रस्ताव पास करके तथा पत्र व्यवहार करके मदद दें, सो काफी नहीं है। खास मदद तो वह भीख मुझे देना है जिसके लिए मैं आया हूँ। ट्रान्सवालमें सारे भारतीय चाहे जो नुकसान उठानेको तैयार हैं, तब आपको पैसेसे मदद करनेमें पीछे नहीं रहना है। आप उसमें कुछ अधिक नहीं कर रहे, बल्कि अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। बहुत-से लोग जब जेल चले जायें, तब उनके पीछे रहनेवालोंका भरण पोषण आपको करना होगा। अतः पानी आनेके पहले बाँध बाँध लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप मदद करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

८१ प्रार्थनापत्र[1] ट्रान्सवाल विधान-परिषदको

जोहानिसबर्ग
जुलाई २२, १९०७

माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण
ट्रान्सवाल विधान-परिषद

ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघके कार्यवाहक अध्यक्ष ईसप इस्माइल मियाँका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि

१ आपका प्रार्थी ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघका कार्यवाहक अध्यक्ष है।

२ उक्त संघ माननीय सदनसे उस विधेयकके सम्बन्धमें प्रार्थना करता है जो इस देशमें वर्जित प्रवासियों और अन्य लोगोंके प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगाने, उनको देशसे निकाल बाहर करने और एक 'प्रवासी विभाग' स्थापित करने और कायम रखनेके उद्देश्यसे अब माननीय सदनके सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है, या जल्दी ही प्रस्तुत किया जायेगा।

१ इसकी एक नकल एल० डब्ल्यू० रिचको १४ अगस्तको उप उपनिवेश मन्त्रीको भेजी थी। वह "आवेदनपत्र उपनिवेश मन्त्रीको" (पृष्ठ १८३ ८८) के साथ भी संलग्न की गई थी।

३ प्रार्थी सघ जहा प्रवासपर प्रतिबन्ध लगानेके सिद्धान्तकी पुष्टि करता है, वहा माननीय सदनका ध्यान सादर निम्न बातोकी ओर आकर्षित करता है

(क) विधेयक एशियाई कानून सशोधन अधिनियमको स्थायित्व प्रदान करता है।
(ख) उसमे किसी भी प्रमुख भारतीय भाषाको मान्यता नही दी गई है।
(ग) उससे उन ब्रिटिश भारतीयोके अधिकार समाप्त हो जाते है जिन्होने गत युद्धसे पूर्व ट्रान्सवालमे अधिवासका अधिकार प्राप्त करनेके लिए तीन पौड दिये थे और जिनको, शरणार्थी होनेके कारण, शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत अनुमतिपत्र नही मिले है।
(घ) उसकी धारा २ की उपधारा घ के द्वारा, वे भारतीय भी, जो शिक्षा-सम्बन्धी परीक्षा पास कर ले और अन्यथा वर्जित न हो, एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके अन्तर्गत आ जाते है। (सादर निवेदन है कि शिक्षा सम्बन्धी योग्यता प्राप्त भारतीयोको आगे शिनाख्तकी आवश्यकता नही रहनी।)

४ प्रार्थी सघ सविनय निवेदन करता है कि ऊपर गिनाई गई आपत्तियाँ माननीय सदनके लिए विचारणीय है।

५ प्रार्थी सघ माननीय सदनको सादर स्मरण दिलाता है कि जिस समुदायोको इस उपनिवेशकी ससदमे प्रतिनिधित्व नही है उनके हितोकी रक्षा करना उसका विशिष्ट कर्तव्य है और प्रार्थी सघ एक ऐसे ही समुदायका प्रतिनिधित्व करता है।

६ प्रार्थी सघ इसी कारण सादर प्रार्थना करता है कि माननीय सदन जितनी सहायता उचित समझे उतनी दे। और इस कार्यके लिए हम कृतज्ञ होगे, आदि, आदि।

[आपका आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ]
कार्यवाहक अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स सी० ओ० २९१/१२२

८२ प्रार्थनापत्र नेटाल विधान-सभाको

डबन
जुलाई २५, १९०७

सेवामे
माननीय अध्यक्ष और सदस्यगण
नेटाल उपनिवेशकी विधान सभा
पीटरमरित्सबग

नेटाल भारतीय काग्रेसके प्रतिनिधियोके रूपमे उसके अध्यक्ष और सयुक्त मन्त्रियोका प्राथनापत्र

नम्र निवेदन हे कि,

१ आपके प्रार्थी नेटाल भारतीय काग्रेसके, अध्यक्ष और सयुक्त मन्त्रियोके रूपमे उसका प्रतिनिधित्व करते है।

२ आपके प्रार्थियोने गत २५वी जूनके सरकारी 'गजट'मे प्रकाशित, भूमि कर लागू करनेवाला विधेयक पढा हे।

३ आपके प्रार्थी इस सम्बन्धमे इस माननीय सदनका ध्यान आकृष्ट करते है और उस भेद भावका जो इस विधानमे, जहातक करकी दरका सम्बन्ध है यूरोपीय और भारतीय किरायेदारोके बीच किया जानेको हे विरोध करते है।

४ आपके प्रार्थियोकी विनम्र सम्मतिमे उद्दिष्ट भेद जातिगत होनेके कारण ब्रिटिश भारतीयोके लिए अपमानजनक तो है ही, यह उनपर अनावश्यक कठिनाइया भी लाद देता है।

५ इसलिए आपके प्रार्थी नम्र निवेदन करते है कि यह माननीय सदन इस विधानमे ऐसा सशोधन करे कि उपयुक्त कठिनाई दूर हो जाये, और न्याय और दयाके इस कायके लिए आपके प्रार्थी कतव्य समझकर सदा दुआ करेंगे, आदि।

दाउद मुहम्मद
दादा उस्मान
एम० सी० आँगलिया

[अंग्रेजीसे]

नेटाल आर्काइव्ज पीटरमैरित्सबग विधानसभाके वोट्स ऐड प्रोसीडिग्ज़, १९०७

८३ परवाना-कार्यालयके बहिष्कारका भित्तिपत्र[1]

[प्रिटोरिया
जुलाई २९, १९०७ के पूर्व]

बहिष्कार करो, परवाना कार्यालयका बहिष्कार करो। जेल जाकर हम प्रतिवाद नहीं करते, अपने सामूहिक हित और आत्मसम्मानके लिए कष्ट सहते हैं। बादशाहके प्रति वफादारी बादशाहोंके बादशाहके प्रति वफादारी चाहती है।

भारतीयो! स्वतन्त्र हो!

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

८४ प्रिटोरियाकी लड़ाई[2]

जोहानिसबर्ग,
शुक्रवार, २ बजे
[जुलाई २६, १९०७]

अन्तिम समाचारसे मालूम होता है कि अनुमतिपत्र कार्यालयमें पंजीयनके लिए अभीतक एक भी अर्जी नहीं दी गई है, परन्तु ऐसी अफवाह है कि अनुमतिपत्र अधिकारी एक निजी मकानमें पंजीयनके लिए रातको अर्जियाँ लेने लगे हैं।

गुरुवारको दोपहरमें भारतीयोंकी एक सभा बुलाई गई थी। उसमें यह बताया गया कि कानूनके सामने न झुकनेके लिए हर वैधानिक रीतिसे समझानेका प्रयत्न किया जायेगा। उसके बाद सभी अपनी मर्जीके मुताबिक चल सकते हैं। एक निजी मकानमें रात्रिके समय पंजीयनके लिए अर्जियाँ देना और अनुमतिपत्र अधिकारियोंका इस प्रकारसे चलना कलंककी बात है। सभा जेलके बारेमें दृढ़ है तथा बड़े उत्साहसे काम कर रही है।

नगरके मुख्य स्थानोंसे सरकारने बहिष्कारके भित्तिपत्रोंको[3] उखड़वा डाला है। अनुमतिपत्र कार्यालयके द्वारपर लगे हुए भित्तिपत्रने बड़ा मजा दिया। सरकारके यह पूछनेपर कि भित्तिपत्र किसने बनाया है, उसकी सारी जिम्मेदारी श्री गांधीने अपने सिर ले ली है।

१ इस सन्देशके भित्तिपत्र अनाक्रामक प्रतिरोध संघर्षके दिनोंमें प्रिटोरियामें लगाये गये थे। सरकारने उनको प्रमुख स्थानोंसे हटवा दिया था और उनके लेखकके सम्बन्धमें पूछताछ की थी। उनका उत्तरदायित्व गांधीजीने स्वीकार किया था। देखिए अगला शीर्षक।

२ यह 'विशेष तार द्वारा प्राप्त ताजा समाचार' शीर्षकसे प्रकाशित किया गया था।

३ देखिए पिछला शीर्षक।

तारीख ३१को विराट सभा होगी। सारे कारोबार बन्द रखने हैं। विज्ञप्तिया निकाली जा रही है। इसके लिए एक समय समिति नियुक्त की गई है। जैसा पहले कहा गया था, चार दिन तक दूकाने बन्द नही रखनी है। पजीयनपत्र ले लेनेकी अवधिका अन्त निकट आ रहा हे, इसलिए गम्भीरता हर क्षण बढती जा रही है। महीना पूरा होनेसे पहले सम्भव है जानने योग्य कई नई-नई बाते सामने आये।

डबनके हमदद भाइयोकी ओरसे हिम्मत और मदद देनेके सम्ब धमे ढेरके ढेर तार आये है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

८५ "मानवजातिका विस्मय"

कहा जाता है कि भूतपूव राष्ट्रपति क्रूगरने[1] एक शक्तिशाली साम्राज्यके साथ असमान लडाई छेडकर 'मानवजातिको विस्मित कर दिया" था। उन्हीके भूतपूव देशमे — यद्यपि वह अब नामभरको ब्रिटिश हे — ट्रान्सवालके भारतीयो द्वारा इतिहास दोहराया जायेगा। लेकिन यह तुलना पूण रूपसे सही नही है। भूतपूव राष्ट्रपति एक रक्तरजित युद्धमे लडे थे। ट्रान्सवालके भारतीय एक बूद खून गिराये बिना ही मानवजातिको विस्मित कर देगे। हम बिना किसी अनादर भावके कहना चाहते है कि भारतीय भूतपूव राष्ट्रपतिसे भी अधिक करके दिखानेवाले ह। अपने सम्मानके लिए — कुछ लोग इसे निरी भावुकता कह सकते है — वे अपना सवस्व न्योछावर करनेको तैयार है। उनका यह दान विधवाका सा श्रेष्ठ और अक्षय दान होगा।

बहुत से मित्र कहते है कि स्थानीय सरकार एशियाई अधिनियमको हर तरहसे लागू करनेपर तुली हुई है और उनकी बुरीसे-बुरी आशकाओके सही उतरनेकी सम्भावना है। भारतीय इसके जवाबमे कहते है कि वे इस सम्भावनाके लिए तैयार है। उन्हे जेल भेजेगे? वे तयार ह। उन्हे जबरदस्ती देश निकाला देगे? इसके लिए भी वे तैयार है। वे अपराधियोकी तरह जिये और ईश्वरके सामने विश्वासघाती बने, इससे तो कुछ भी, यहातक कि — मौत भी ज्यादा अच्छी होगी।

हो सकना है कि वे गुमराह हो और उनका ध्येय वास्तवमे सही न हो। अगर ऐसा है तो वे फिर उसी उदाहरणका सहारा लेते है, जिसका हमने उल्लेख किया है, और जवाब देते ह कि यद्यपि बहुत से लोगोके विचारसे भूतपूव राष्ट्रपति क्रूगरने ब्रिटिश सरकारके विरुद्ध खडे होकर बडी गलती की थी, तथापि उनमे अपने विश्वासोपर दढ रहनेका साहस था इस लिए प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रशसा करता है। इतना ही काफी है कि वे एक ऐसे ध्येयके लिए लडे जिसे वे सही समझते थे। लेकिन राष्ट्रपति पुरानी धम पुस्तिका (ओल्ड टेस्टामेट) की प्रेरणाके अनुसार उसी पवित्र ग्रन्थके वीरोके आदशपर लडे थे। भारतीय, जो इस देशमे ईमानदारीकी रोजीकी खोजमे आकर बसे ह और जिनके सामने नागरिक और सामाजिक विनाश मुह बाये खडा है, नई धम पुस्तिका (न्यू टेस्टामेट)की प्रेरणासे लड रहे है। दुनियाके सबसे बडे अनाक्रामक प्रतिरोधी करुणावतार ईसा उनके आदश है। अगर ट्रासवालके शासक

१ एस० जे० पॉल क्रूगर (१८२५–१९०४), ट्रान्सवालके राष्ट्रपति, १८८३–१९००।

उनके प्रस्तावोको ठुकरा देते है, अगर उनके परम प्रभु सम्राट् एडवर्ड, महमूद गजनवीकी[1] तरह, उनकी रक्षा कर सकनेमे अपनेको असमर्थ घोषित करते है, तो इसमे उनका क्या बनता-बिगडता है? ईसाको ठुकराया गया, उन्हे चोरो और डाकुओंके साथ ऐसी मौतका भय दिखाकर जो उनके उत्पीडकोकी दृष्टिमे लज्जाजनक थी, उनसे ईश्वर निन्दा करवानेका प्रयत्न किया गया, फिर भी क्या उन्होने अन्ततक उसका विरोध नही किया? लेकिन काटोका ताज उस लहूलुहान मस्तकपर आज जितना फब रहा है उतना बढियासे बढिया हीरोसे जडा ताज भी किसी सम्राटके मस्तकपर नही फबता। वे मरे इसमे शक नही, लेकिन फिर भी ईश्वरके सच्चे भक्तोकी स्मृतिमे वे आज भी जीवित है, और उसके साथ वे चोर भी जीवित है, जिन्होने उस विनम्र नाजरथवासी और उसके उपदेशोको ग्रहण किया था।

इसी प्रकार, ट्रान्सवालके भारतीय, अगर वे अपने परमात्माके प्रति सच्चे बने रहे तो अपनी उन सन्तानो और देशवासियोकी स्मृतिमे जीवित रहेगे, जो उनके इस क्षणभगुर ससारको छोड जानेपर कह सकेगे कि "हमारे बापदादाने रोटीके एक टुकडेके लिए हमारे साथ विश्वासघात नही किया।"

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

८६ श्री पारसी रुस्तमजीकी उदारता

श्री रुस्तमजीने[2], जिनका नाम दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोका बच्चा बच्चा जानता है, हमे एक मार्केका पत्र गुजरातीमे लिखा है। उसका अनुवाद हम नीचे देते है

> यद्यपि मैंने अक्सर ट्रान्सवालमे रहनेवाले अपने देशवासियोकी दशाके बारेमे अपने विचार जनताके सामने प्रकट किये है, फिर भी शायद आप मुझे अपने पत्र द्वारा उन्हे प्रकट करनेका मौका देगे। ट्रान्सवालके भारतीय जिस सघर्षमे लगे हुए है, उसके फलका दक्षिण आफ्रिकाका प्रत्येक भारतीय भागीदार होगा। हम लोग, जो उस देशसे बाहर है उनके शारीरिक कष्टोमे सम्भवत हिस्सा नही बँटा सकते। उन्हे सिर्फ जेलकी ही मुसीबतें नही झेलनी पडेगी बल्कि बहुतेरोको अपना सर्वस्व गँवा देना होगा। अगर हम जेल नही जा सकते तो कमसे कम उनके उच्चादर्शका अनुकरण करके सर्वसाधारणकी भलाईमे अपनी माल मिल्कीयत तो कुर्बान कर ही सकते है। इसलिए मै, पूर्ण नम्रताके साथ और ईश्वरको साक्षी रखकर, ट्रान्सवालमे रहनेवाले अपने देशवासियोको सूचित करता हूँ कि मेरी यह आन्तरिक अभिलाषा है कि मै उनके दुखमे हाथ बटाऊँ, इसलिए आजसे इस दुनियामे माल मिल्कीयतके नामपर मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तबतक ट्रान्सवालमे रहनेवाले मेरे देशवासियोकी धरोहर होगी, जबतक कि इस सघर्षका अन्त न हो जायेगा। मुझे इसमे जरा भी सन्देह नही है कि दक्षिण आफ्रिकामे मेरे

१ सन् ९९७ ई० में गजनीकी गद्दीपर बैठनेके बाद उसने भारतपर १७ बार चढाई की, किन्तु अपनी विजयको स्थायी नहीं बना सका। देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३९०।

२. नेटालके प्रमुख भारतीय व्यापारी, देखिए खण्ड १, पृष्ठ ३९५।

बहुत से मित्र अपना कतव्य समझकर ट्रासावलके भारतीयोको इसी प्रकारकी आर्थिक सहायता देनेको तैयार है। सचमुच, प्रिटोरियाने हमारे दिलोको आशासे भर दिया है। हमे भरोसा है कि वहा बसनेवाले और ट्रान्सवालके दूसरे हिस्सोमे रहनेवाले हमारे देशवासी अपने सकल्पको अततक निबाहेगे।

इस पत्रसे सारी बाते स्वय ही प्रकट है। हम तो सिफ अपनी रायके तौरपर इतना कहना चाहते है कि जो लोग श्री रुस्तमजीको जानते है, उन्हे मालम हे कि इस वचनका अथ कितनी बडी ठोस सहायता हे। यह ऐसा पत्र हे जिससे प्रत्येक भारतीयका हृदय नये साहस और उमगसे भर जाना चाहिए।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

८७ श्री आदमजी मियाँखाँकी मृत्यु[१]

गुलाम हुसेन मियाखा ऐड कपनी, डबनकी पेढीके मालिक और नेटाल इडियन काग्रेसके उपसभापति श्री आदमजी मियाखाका, इसी महीनेकी २० तारीखको अहमदाबाद, भारतमे ४१ वषकी अपेक्षाकृत अल्पायुमे देहान्त हो गया। श्री आदमजी गत फरवरीमे भारतकी यात्राको गये थे और डबनमे उनके भाईको उनके पत्र नियमित रूपमे मिल रहे थे। किन्तु किसी गम्भीर बीमारीकी शिकायत नही मिली थी। श्री आदमजीने नेटालके भारतीय समाजकी बडी सेवाएँ की है और उनकी भलाईसे सम्बन्धित सभी मामलोमे उनकी योग्य तथा स्वेच्छाजनित सहायताकी कमी बहुत महसूस की जायेगी। गुजरातकी राजधानीमे गोटाकिनारीके व्यापारियोके एक प्रसिद्ध घरानेमे जन्म लेकर, श्री आदमजी मियाखा अपने पिता और अपने भाई श्री गुलाम हुसैनके साथ १८ वषकी आयुमे, सन १८८४ मे, दक्षिण आफ्रिकामे आकर बस गये थे। उनके अग्रेजी ज्ञानने भारतीयो और अनेक यूरोपीय मित्रोके बीच प्रसिद्धि प्राप्त करनेमे उनकी बडी सहायता की थी। किन्तु भारतीय सावजनिक मामलोसे उनका निकट सम्पक १८९६ से पहले नही हुआ था। काग्रेसके तत्कालीन अवैतनिक मन्त्रीके कुछ दिनोके लिए अलग हो जानेपर श्री आदमजी, अपने काय और सुनहले गुणोके कारण काग्रेस द्वारा अवैतनिक मन्त्रीके रूपमे काय करनेके लिए सवसम्मतिसे निर्वाचित हुए। उनके इस कायकालमे श्री अब्दुल करीम हाजी आदम झवेरीने बडी योग्यतापूवक उनकी सहायता की। श्री आदमजीने काग्रेसकी पूजीको १०० पौडसे बढाकर १,१०० पौड कर दिया और १८९६ के अन्तमे तथा १८९७ के आरम्भमे, जब प्रसिद्ध भारतीय विरोधी प्रदशन डबनमे हुआ तब श्री आदमजी अपने धैय, शान्ति और दृढतासे समाजकी गम्भीर कठिनाइयोका सामना करनेमे सहायक हुए।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

१ अगला शीर्षक भी देखिए।

८८. आदमजी मियाँखाँका शोकजनक अवसान

ईश्वरकी गति गहन है। हमारे प्रसिद्ध नेता श्री आदमजी मियाँखाँको स्वदेश गये हुए केवल पाँच ही महीने हुए हैं। इतनेमें खबर आई है कि वे पीठके फोड़ेसे २० दिन बीमार रहकर २३[1] तारीखको अचानक अहमदाबादमें चल बसे। नेटाल और दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागोंमें जो उनके नाम और काममे परिचित होंगे वे इस शोक समाचारसे दुःखी हुए बिना नहीं रहेंगे। दक्षिण आफ्रिकामें ऐसा समय आता जा रहा है जब देशसेवकोंकी आवश्यकता दिनोंदिन महसूस होगी। ऐसे समयमें श्री आदमजी मियाँखाँ जैसे एक दक्ष और जीवटवाले नेताके अवसानसे जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति करना मुश्किल है। उनका स्वदेशाभिमान और दूसरे मूल्यवान सद्गुण सर्वविदित हैं। कांग्रेसके कार्यवाहक मन्त्रीके रूपमें तथा बादके सार्वजनिक जीवनमें उन्होंने बुद्धि, शान्ति, तत्परता और आत्मबलिदान आदि सद्गुणोंका जो परिचय दिया वह सब सबक लेने योग्य है। स्वदेश लौटते समय उनके सम्मानमें किये गये समारम्भोंमें उनकी लोकप्रियता प्रकट हुई थी। दक्षिण आफ्रिकाके रहनेवालोंके लिए भारतमें भी आवाज उठानेका उनका इरादा था। ऐसे लोकोपकारी सज्जनकी केवल ४१ वर्षकी आयुमें मृत्यु हो जानेसे खेद होना स्वाभाविक है। हम हृदयसे चाहते हैं कि मृतात्माके परिवारको शान्ति मिले, तथा उनपर श्रद्धा रखनेवालोंसे अनुरोध है कि वे उनके विशाल सद्गुणोंका अनुकरण करें।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

८९. खुदाई कानून

खूनी कानूनकी ताकत देखनेका समय नजदीक आता जा रहा है। पहली अगस्तको सरकार क्या करती है, उसे देखनेके लिए सारे भारतीय चिन्तातुर रहेंगे। लेकिन वास्तवमें चिन्ताके बजाय हिम्मतके साथ बैठना चाहिए। खूनी कानूनसे बचनेके लिए दूसरे चाहे जितने दुःख भोगने पड़ें, उन्हें सुखरूप समझना चाहिए, और हर भारतीयको यही मनाना चाहिए कि "मेरे भाइयोंका दुःख दूर करनेके लिए मुझे पहले जेल हो तो भले हो।"

खूनी कानूनके सामने न झुकनेके कारणोंकी तो हम बहुत छानबीन कर चुके हैं। खूनी कानूनका विरोध करके हम खुदाई कानूनको मानते हैं, यह समझने जैसी बात है। खूनी कानूनके सामने झुकनेमें पाप है, उसी प्रकार खुदाई कानूनको भंग करनेमें पाप है। खुदाई कानूनके सामने झुकनेवाला इस दुनियामें और दूसरी दुनियामें सुख भोगेगा। वह खुदाई कानून कौनसा है? वह है सुख भोगनेके पहले दुःख भोगना, और चूँकि परमार्थमें स्वार्थ है इसलिए दूसरेके लिए हम आत्मबलिदान करें, दुःख उठायें। उसके थोड़े उदाहरण लें :

मिट्टी धूल बन जानेपर पानीके साथ मिलकर साग-सब्जी पैदा करती है, और साग-सब्जी अपने-आपका बलिदान करके प्राणि मात्रका पोषण करती है, प्राणी अपना बलिदान करके

1. पिछले शीर्षकमें 'ता २०' का उल्लेख है।

अपने पीछे आनेवालेको सुख देता है। बच्चा पैदा होनेके पहले मा असह्य दु ख भोगती है और उस दु खको भोगनेमे ही वह सुख मानती हे। मा और बाप दोनो बच्चेके लालन-पालनमे कष्ट सहते है। जहा जहा कोमे और प्रजाएँ बसी ह वहा वहा उस उस प्रजा तथा उस उस कौमके लोगोने प्रजा हितमे दु ख सहन किये है। बुद्ध, ईसाके ६०० वप पूव, जगल जगल भटके, उन्होने सर्दी गर्मीकी परवाह नही की, दु ख उठाया और ज्ञान प्राप्त करके लोक कल्याण किया। १९०० वष पहले ईसा मसीहने ईसाई समाजकी मा यताके अनुसार अपना जीवन लोगोको समर्पित करके बहुतसे अपमान और अ य दु ख सहन किये। मुहम्मद पैगम्बरने बहुत दु ख झेले। लोग उनकी जान लेनेको भी तयार हो गये थे। उसकी उ होने परवाह नही की। इन सब महान ओर पवित्र पुरुषोने खुदाई कानूनके सामने झुककर मनुष्य समाजको सुख पहुँचाया। उ होने अपना स्वाथ नही देखा, बल्कि दूसरोके सुखमे अपना सुख माना।

राजनीतिक मामलोमे भी यही होता है। हैम्डन, टाइलर, क्रामवेल वगैरह अग्रेज इग्लैडकी प्रजाके लिए अपना सवस्व बलिदान करनेको तयार हुए। उनकी सम्पत्ति लुटी, उनकी जान खतरेमे पडी उसकी उन्होने परवाह नही की। इसीलिए अग्रेज प्रजा आज इतने बडे साम्राज्यपर राज्य कर रही हे। ट्रा सवालके शासनकर्ता राज्य भोग रहे है, क्योकि उ होने हमारे देखते देखते बहुत दु ख उठाये है। मैजिनी अपने देश इटली के लिए निर्वासित हुआ। आज वह पूज्य है। वह इटलीका राष्टनिर्माता माना जाता हे। जाज वाशिगटनने अपार मुसीबते उठाकर अमेरिकाका निर्माण किया। इससे भी यही सिद्ध होता हे कि सुखके पहले बिना दु ख भोगे काम नही चलता। लोक कल्याणके लिए मनुष्यको आजीवन दु ख भोगना पडता है।

और आगे चले। अपनी टेक छोडना ओर हमे जो मर्दानगीका गुण दिया गया है उसे छोडना, भी पाप है। यूसुफ अबेसलाम व्यभिचारसे बचनेके लिए जेल गया। इमाम हसन[१] और हुसैनने[२] यजीदकी[३] सत्ता स्वीकार नही की, क्योकि उसमे अधम था। अपनी टेक रखनेके लिए वे शहीद हुए। अपनी टेक रखनेके लिए भक्त प्रह्लादने धधकते हुए खम्भेको हिम्मतके साथ पकडा था। बालक सुध वा खौलती हुई कढाईमे बिना विचार किये लपककर कूद पडा था। सत्यके लिए हरिश्च द्र नीचके घर बिका था। उसने राजपाट छोडा और स्त्री पुत्रका वियोग सहन किया। पिताके वचनके लिए रामच द्रने बनवास भोगा। ओर हकके लिए पाण्डव चौदह[४] वष तक राजपाट छोडकर वनमे भटके।

आज ट्रान्सवालमे ऐसे ही महान खुदाई काननको पालनेकी जिम्मेदारी भारतीय समाजके सिर आई है। यह समझकर हम अपने भाइयोको बधाई देते है। उनके हाथमे सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय समाजको मुक्त करनेका अवसर आया है। ऐसा महान सुख महान दु ख भोगे बिना कैसे मिल सकता है? हमारी अर्जी अब मानव समाजके पास नही, खुदाके — ईश्वरके — पास है। वह चौबीस घटे सारी बाते सुनता है। अर्जी सुननेके लिए हमे उससे समय नही मागना है, न कभी मागना ही पडता हे। वह सबकी अर्जी एक साथ सुनता है। उसीपर भरोसा रखकर, निडर होकर, उसीका नाम स्मरण

१–२ ये अलीके पुत्र थे जो पैगम्बरकी पुत्री फातिमासे उत्पन्न हुए थे।

३ खलीफा, ६८०–८३। हुसैनने इसके खिलाफ बगावत की थी, किन्तु वे कर्बलामें पराजित हुए और मारे गये।

४ तेरह।

करते हुए अगस्त महीनेमें जो कुछ हो उसे सहन करनेके लिए हमारे भाई ट्रान्सवालमें तैयार रहें, यह हम अति पवित्र मनसे ईश्वरसे मांगते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

९० अलीकी भूल

इस बार श्री रिचके पत्रके साथ श्री अलीने न्यायमूर्ति अमीर अलीके नाम जो पत्र भेजा है वह भी आया है। दोनों पत्र पढ़ने और विचार करने योग्य हैं। इन पत्रोंको प्रकाशित किया जाये या नहीं, हमारे लिए यह प्रश्न था। आखिर विचार करनेपर देखा कि देशहितके लिए हमें उन्हें प्रकाशित कर ही देना चाहिए। यह समय इतना नाजुक है कि किसी व्यक्तिके मनपर क्या असर होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमें यही सोचना है कि जनसाधारणका भला किस तरीकेसे हो।

हम मानते हैं कि श्री अलीने न्यायमूर्ति अमीर अलीके नाम पत्र लिखनेमें उतावली और भूल की है। समितिकी ओरसे वह पत्र, जिसमें जेल भिजवानेवाली लड़ाई न लड़नेकी सलाह दी गई थी, क्यों आया, इसका कारण अब समझमें आ सकता है। श्री अलीके पत्रपरसे समितिने विचार किया कि इसमें मतभेद है और यदि मतभेद हो तो कोई भी व्यक्ति, जिसे पूरी बात न मालूम हो, यही सलाह देगा कि हम जेल भिजवानेवाली लड़ाई छोड़ देनी चाहिए। वास्तवमें कोई मतभेद नहीं था, तब न्यायमूर्ति अमीर अलीको ऐसा पत्र लिखनेकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा जनरल बोथासे मिलनेके सम्बन्धमें किसीने लापरवाही नहीं की, बल्कि ब्रिटिश भारतीय संघने पूरी मेहनत की। इतना करनेपर भी जब उन महाशयने मिलनेसे इनकार कर दिया तब उनसे एक लिखित निवेदन किया गया कि भारतीय समाजकी माँग स्वीकार की जानी चाहिए।

सारे भारतीय व्यापारी मुसलमान हैं और सभी फेरीवाले हिन्दू, वगैरह टीकाको हम जहरी समझते हैं। ऐसे शब्द श्री अलीकी कलमसे निकले, इससे हम कौमकी बेइज्जती देखते हैं। ट्रान्सवालकी लड़ाई हिन्दू और मुसलमान दोनोंके लिए एक समान है। दोनोंके हक डूबते हैं। और विचार करनेपर हम देख सकते हैं कि व्यापारियोंके बिना यह लड़ाई शोभा भी नहीं देगी। भारतीयोंके पीछे ऐसा खूनी कानून लगा हुआ है कि जितने ज्यादा इज्जतदार उतनी ही ज्यादा मुसीबत। जिस इज्जतकी जितनी ज्यादा परवाह है, वह कानून उसके द्वारा उतना ही ज्यादा धिक्कारा जाने योग्य है। अतः हिन्दू मुसलमानका प्रश्न ही नहीं उठता। इतना ही नहीं, दक्षिण आफ्रिकामें दोनों धर्मोंके बीच कोई कड़ुवाहट नहीं है। कुल मिलाकर सब हिलमिलकर रहते हैं। इस स्थितिमें समितिको, जो उपर्युक्त बातें लिखी गई हैं, उनका भारतीय कौमके लिए हम बहुत ही बुरा परिणाम देखते हैं। इसलिए यह पत्र छापकर तथा उसपर यह टीका करके हम सब भारतीयोंको चेतावनी देते हैं कि जब हमारे लिए स्वतन्त्र होनेका समय आया है तब कोई यह स्वप्नमें भी खयाल न करे कि हिन्दू और मुसलमानोंके बीच फूट है या फूट डालनी है।

इस विषयकी खुली चर्चा करके हम श्री अलीका दिल दुखाना नही चाहते। जिनका उनसे मतभेद हो उन्हे उनपर गुस्सा करनेके बजाय उनकी भूलके लिए उनपर दया करनी चाहिए। इसका मुख्य हेतु यह समझना चाहिए कि जो व्यक्ति सार्वजनिक काममे भाग ले उसे एक प्रतिज्ञा करनी होगी कि चाहे जो हो, वह ऐसा काम तो कर ही नही सकता जिससे सब लोगोका नुकसान हो। साथ ही हम श्री अलीको सलाह देते है वे अपनी भूल ठीक करे।

उपयुक्त पत्रोसे हम यह भी देख सकते है कि यदि श्री अलीका पत्र न जाता तो समितिकी ओरसे हमे रोका नही जाता। फिर भी समितिकी सलाह इस समय हमारे लिए बेकार हे, यह बात हमारे लिए सदा याद रखने योग्य हे। रणमे जानेवाले घरमे बैठनेवालोकी सलाह नही सुन सकते। हमे अब अपने बलपर जूझना है। यदि यह कानून हमे पापस्वरूप जान पडता हो तो हमे समिति या दूसरे कोई भी सलाह दे, हम पाप नही करने लगेगे। हमे हिसाब समितिको नही, खुदाको देना हे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

९१ केपके भारतीय

केप संसदका नया चुनाव, सम्भव हे, कुछ ही समयमे हो जायेगा। केपके काले और गेहुँए लोग अपने मताधिकारका किस प्रकार उपयोग करेगे, इस प्रश्नकी चर्चा हो रही है। यह चर्चा सिर्फ केपमे ही नही, दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे भागोमे भी हो रही है। हमे जो-कुछ कहना हे, वह विशेषकर भारतीय मतदाताओके लिए है।

हम मानते है कि केपके भारतीय मतदाताओने केप तथा अन्य जगहोमे भारतीयोकी स्थितिमे सुधार करनेका अवसर बहुत बार खोया हे। प्रसंग आनेपर यदि मताधिकारका ठीक सा उपयोग न किया जा सके तो वह अधिकार किसी कामका नही। केपके काले लोग और भारतीय लोग यदि अपने मताधिकारकी कीमत समझे तो वे आज भी कई परिवर्तन करवा सकते है।

इस सम्बन्धमे पहले तो इतना याद रखना जरूरी हे कि काले और भारतीय लोगोके मत हमेशा एक ही पक्षमे गिरे, ऐसा कोई नियम नही है। दोनोको अलग अलग प्रकारके हक चाहिए। दोनोकी लडाई भिन्न प्रकारकी हे। जैसे केपका प्रवासी कानून भारतीय समाजको रोकनेवाला है, उसका काले लोगोपर कम प्रभाव पडता है, उसी प्रकार व्यापारका कानून केवल भारतीयोपर ही असर करता है। इसके अलावा काले लोगोकी जन्मभूमि दक्षिण आफ्रिका है, इसलिए उन्हे हमसे ज्यादा अधिकार है। १८५८की घोषणाके कारण तथा भारतीयोकी सभ्यता चूंकि बहुत पुरानी है इसलिए वे काले लोगोकी अपेक्षा अधिक दृढताके साथ अधिकार माग सकते है। वैसे परस्पर लाभ दोनोको है, इसलिए भारतीय समाज किस प्रकार मत दे, इसपर अलगसे विचार करना हे।

दूसरी बात यह याद रखनी है कि मतदाता किसी एक या दूसरे पक्षको मत देनेके लिए बँधा हुआ नही है। कभी-कभी तो यह होता है कि मत न देकर बहुत जबरदस्त असर डाला जा सकता है। हमे मालूम हे कि डर्बनके इने गिने भारतीय मतदाताओने एक बार मत

बिल्कुल न देनेका निर्णय किया था। उसका असर इतना हुआ था कि एक बड़े अधिकारीने उन्हें बुलाकर कुछ आश्वासन दिये थे और उनका पालन भी किया गया था।

उपर्युक्त दोनों बातोंको ध्यानमें रखकर हम कपटी स्थितिपर विचार कर सकते हैं। केपमें दो दल हैं। बॉंड[1] या डच, प्रगतिशील (प्रोग्रेसिव) या ब्रिटिश और विदेशी (फॉरेन)। हमें स्वीकार करना होगा कि उन दोनों दलोंमें इस समय तो इतनी समानता है कि कठौत और कुंडमें क्या होगा? दोनों एक ही कूचीसे रंगे गये हैं। दोनोंमें से किसीका भी काले व्यक्तिके प्रति स्नेह नहीं है। स्वर्गीय श्री रोड्सने[2] जो वचन दिया था उसपर प्रगतिशील दलने पानी फेर दिया है। हम केपके भारतीय समाजको सलाह देते हैं कि वे दोनों पक्षोंके प्रमुखोंसे लिखकर पूछें कि वे प्रवासी कानून तथा व्यापार कानूनमें अमुक परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं। जो बेखटक और प्रामाणिकतापूर्वक साफ साफ बात कहें, उन्हें मत दिये जायें। किन्तु यदि दोनों स्पष्ट उत्तर देनेमें आगे पीछे देखें, व्यक्तिगत रूपमें एक बात कहें और सार्वजनिक रूपमें दूसरी, तो बस कपटी लोगोंको कतई सहारा नहीं दिया जाये, और साफ कह दिया जाये कि ऐसी स्थितिमें भारतीय समाज किसीको भी मत नहीं देगा।

इस तरह करनेमें हमें विश्वास है कि भारतीय समाजकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और दोनोंमें से एक दल, इस बार नहीं तो अगली बार निश्चय ही वचन देगा। हमारी केपके भारतीयोंसे प्रार्थना है कि उन्हें इस बार अपने भलेके लिए ही यह काम करना है। और यदि उनके मित्र दो अथवा पाँच साल भारतीयोंको कुछ अधिकार देना चाहते हैं तो उसकी वे परवाह न करें। कितना और क्या माँगा जाये, उसका विचार दूसरी बार करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

९२. धर्मपर हमला

पाठशालाओंमें हमें सिखाया जाता है कि अंग्रेजी राज्यमें

जहर चला गया, बैर चला गया और काला कहर भी चला गया। दूसरी जातिके लोग दूसरी जातियोंसे मेलजोल करके इस संसारमें चल रहे हैं। देख लो, रास्ते चलती हुई बेचारी बकरीका भी कोई कान नहीं पकड़ता। हे भारत, यह ईश्वरका उपकार मानकर अब तू खुशी मना।[3]

परन्तु अब इस कविताको निम्न प्रकार बदलकर गाना चाहिए या गा सकते हैं

विषाकी भरमार हो गई है और बैर बढ़ता ही चला जा रहा है, दूसरी जातिके लोग देशके लोगोंसे संसारमें दुश्मनी करते चल रहे हैं। देख लो, कोई भी

१ ऐफ्रिकांडर बॉंड।

२ (१८५३–१९०२), केप कालोनीके प्रधान मंत्री, १८९०–९६।

३ झेर गयां ने वेर गयां, वळी कालकेर गया करतार,
पर नातीला नातीला थी, सप करी चाले संसार।
देख बिचारी बकरीनो पण, कोई न झाला पकडे कान,
ऐ उपकार गणी ईश्वरनो पण, हरख हवे तुं हिन्दुस्तान।

बेचारी बकरीके कान जबरदस्ती पकड लेता है। इस सबका विचार करके हे भारत, अब तू हिम्मतके साथ कुछ उपाय कर।[1]

नेटाल रेलवेके मुख्य प्रबन्धकका जो पत्र हमने देखा है उसपरसे हमें ऐसा विचार आ रहा है। उस पत्रमें मुख्य प्रबन्धकने लिखा है कि अंग्रेजों अथवा गोरे पादरियोंको जैसे रियायती दरपर रेल टिकट दिये जाते हैं वैसी रियायत भारतीय पादरियोंको आइन्दा नहीं दी जायेगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय पादरी हिन्दू हो, मुसलमान हो या ईसाई भी हो तब भी रियायती टिकट नहीं मिलेगा।

ट्रान्सवालसे ये और एक कदम बढ़ गये। अब भारतके ईसाई भी गोरे ईसाइयोंसे पृथक हो गये। इसे हम अच्छा शकुन मानते हैं। क्योंकि ऐसे दुःखों और अपमानोंके कारण हम सारे भारतीय सदा एक दूसरेसे मिलकर रहेंगे।

एक ओरसे देखनेपर श्री रासका पत्र थोथा है। दो-चार भारतीय पादरियोंको रियायती टिकट मिले तो क्या और न मिले तो क्या? किन्तु दूसरी ओरसे देखें तो यह मामला बड़ा गम्भीर है। दक्षिण आफ्रिकासे भारतीयोंको हर प्रकारसे तिरस्कृत करके निकाल देनेकी जो तजवीज की जा रही है, उसके उदाहरणके रूपमें श्री रासके इस पत्रको मानकर उसका पूरे तौरसे विरोध करना चाहिए। भारतीय समाज और भारतीय धर्मोंका अपमान करनेमें यहाँके गोरे जरा भी आगे पीछे नहीं देखते।

हमें यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि इस सम्बन्धमें मुस्लिम संघके अध्यक्ष श्री पीरन मुहम्मदने श्री रासको पत्र लिखा है और आवश्यक कदम उठाये हैं। श्री रॉससे सन्तोषप्रद उत्तर आनेकी सम्भावना है। यदि ऐसा हो तो भी उसमें फूलने जैसी कोई बात नहीं।

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंकी मुक्तिकी डोर ट्रान्सवालके भारतीयोंके हाथमें है। वे यदि अपनी टेक बनाये रखकर जोर दिखायेंगे तो श्री रॉस और गोरे लोग भारतीयोंका अपमान करना भूल जायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

१ शेर वध्याने वेर वध्या वळी काळाकेर वध्या करतार,
पर नातीला जातीला थी, वेर करी चाले संसार।
देख बिचारी बकरीनो सहु जोर करीने पकडे कान,
ऐवो ख्याल करी हिम्मत थी उपाय कर तुं हिन्दुस्तान।

९३ ईस्ट लन्दनको चेतावनी

ईस्ट लन्दनके भारतीय एक शिष्टमण्डल केप ले गये थे। उसके कामके सम्बन्धमें विलायतके अखबारोंमें तार छपा है। उसमें यह कहा गया है कि 'कुली भारतीयों'के नियन्त्रणके लिए कानून बनाये जाने चाहिए, इस बातको भारतीय समाज स्वीकार करता है। किन्तु वह इज्जतदार भारतीयोंके लिए छूटके विशेष कानूनकी माँग करता है। उसमें यह भी कहा गया है कि जैसे काफिरोंको छूटके पत्र मिलते हैं वैसे कुछ भारतीयोंको भी दिये जायें।

हम नहीं मानते कि ईस्ट लन्दनके भारतीयोंने ऐसी कोई माँग की होगी। हमारे दुश्मन तो ऐसी भूलकी प्रतीक्षामें ही बैठे हुए हैं। क्योंकि हम यदि ऐसा भेदभावपूर्ण कानून माँग लें तो वह तो अपने हाथों अपने पैरोंपर कुल्हाड़ी मारनेके समान होगा। अच्छे और बुरे लोगोंके बीच दुनियामें सदा ही अन्तर रहा है, और रहेगा। किन्तु अच्छे कौन और बुरे कौन, नीच कौन और ऊँच कौन, यह मर्यादा कानून नहीं बाँध सकता। आज जो फेरी लगाता होगा वह कल व्यापारी बन सकता है। व्यापारी गरीब बन सकता है और नौकरी कर सकता है। यह होता ही रहता है। इसमें 'कुली' कौन कहलायेगा? भेद कैसे रह सकता है? ऐसा भेद कौन कर सकता है? सरकारी अधिकारीके हाथसे ऊँच या नीचका टीका लगवाने कौन जायगा? हमें निश्चित मालूम होता है कि कानून भेद बरतकर कुछ भारतीयोंको छूटके पत्र नहीं दे सकता। वैसा करना अपने हाथों गुलामीको निमन्त्रण देनेके समान होगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-६-१९०६

९४ रूसका उदाहरण

हमारे पाठकोंको मालूम है कि रूसके जारने ड्यूमा,[1] यानी संसद, की स्थापना की है। अंग्रेजी अखबारोंमें अभी यह खबर प्रकाशित हुई है कि ड्यूमाके बहुतेरे सदस्य देशहितके लिए कैद अथवा निर्वासन भोग चुके हैं। इसलिए इस संसदका प्यारका नाम 'कैदियोंकी सभा' भी है। ड्यूमाके सदस्योंके चुनावमें लोगोंने जेलसे लौटे हुए लोगोंको ज्यादा पसन्द किया। ये कोई बिना पढ़े-लिखे या ग्रामीण नहीं, बल्कि विद्वान लोग हैं। कोई-कोई बड़े वकील और चिकित्सक हैं। उनमें एक श्री गोबरनाफ नामक सदस्य हैं। उन्हें मौत तक की सजा हुई थी। श्री सिम्बमकको अनेक वर्षोंके लिए साइबेरियामें निर्वासित कर दिया गया था। ऐसे लोगोंके चुने जानेसे रूसके शासक बहुत बार नाराज होते हैं। किन्तु सदस्य

१. इसकी स्थापना १९०५ में की गई थी। इसके सदस्य सीमित मताधिकारके आधारपर चुने गये थे। १९१७ में इसे तोड़ दिया गया था।

तथा उनके निर्वाचक इसकी परवाह नही करते। डीमिट्रिअस पर्लेशिन नामक एक सदस्य सरदार घरानेके है। उन्होने दो वष जेलकी सजा भोगी हे। ऐसे हम अनेक नाम दे सकते ह। किन्तु पाठकोके लिए उपयुक्त नाम काफी है। इतना और याद रखना हे कि रूसकी जेले सचमुचमे कारागह है। उनमे कोई सुविधा नही होती। इसके अलावा रूसमे सर्दी बहुत ही सख्त होती है। जेलर बडे दुष्ट होते है। किन्तु ये बहादुर लोग जनताकी भलाईके लिए सब कष्ट सहते है। सर्दी गर्मीकी परवाह नही करते। उनके सम्राट खुश होगे या नाराज, इसकी परवाह नही करते। कि तु जिसमे उ हे अपने देशका कल्याण दिखाई देता हे उसे बेधडक किये जाते है। इतना होनेपर भी रूसी लोगोको स्वत त्रता नही मिली, इससे वे घबडाते नही है। अपना कतव्य पूरा करते जा रहे है, और वह भी इस भावनासे कि आखिर वे नही भोग सके तो उनके बादमे आनेवाली पीढी उनके कष्टोके लाभ भोगेगी और रूस स्वत त्र होगा।

ऐसे बलवान स्वदेशाभिमानी पुरुषोके उदाहरण सामने रखकर, खुदाकी ओर मुह करके उसके नामको निर तर अपने मनमे स्मरण करते हुए, ट्रान्सवालके भारतीय खूनी कानून रूपी वैतरणीको पार कर जायेगे, यह हमारी कामना हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

९५ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

खूनी कानून

इस अकके प्रकाशित होते समय जुलाईके चार दिन बाकी रहेगे। इसके बादके अकके लिए इस आशयके तार फीनिक्स भेजनेकी आशा करता हूँ कि नये पजीयनपत्र न लेनेके कारण सरकारने भारतीयोको पकडना शुरू कर दिया हे। कि तु यह मानना गलत न होगा कि जैसे मै आशा कर रहा हू वैसे कुछ लोग डर भी रहे होगे।

प्रिटोरियासे प्रार्थना

इस बीच प्रिटोरियाके भाइयोसे मै विनती करता हूँ कि अबतक आपने अपनी और भारतीय कौमकी इज्जत रखी है, ऐसे ही अ ततक रखिए। मुझे विश्वास है कि प्रिटोरियामे एक भी ऐसा भारतीय नही निकलेगा जो आखिरी दिन अनुमतिपत्र कार्यालय रूपी नरकसे कलकित होकर आयेगा। वहा कलकके सिवा और कुछ नही मिलना है। इसे ठीक मानकर मै समझता हूँ कि कोई वहा स्वप्न मे भी जानेका विचार नही करेगा।

आगे क्या होगा ?

इस प्रश्नका मै भिन्न-भिन्न अवसरोपर उत्तर दे चुका हूँ। कि तु फिर भी देना ठीक समझता हूँ। जुलाईमे जो बहादुरी दिखाई गई वह एक प्रकारकी है। अगस्तकी बहादुरी दूसरे प्रकारकी हे। जुलाईमे हमे घर सँभालकर बैठनेकी हिम्मत दिखानी थी। अगस्तमे हमे पकडकर जब न्यायाधीशके पास ले जायेगे तब हिम्मतसे जवाब देना हे। अदालतका

नाम आते ही हम डरते हैं। हमें अदालतमें खड़ा किया जायेगा तब क्या होगा? उस समय हिम्मत रखना अधिक मुश्किल है, फिर भी बिलकुल आवश्यक है।

पुलिस पकड़ेगी

पहले तो पहली अगस्तका किसी एकका अथवा सभी भारतीयोंको नये पंजीयनके लिए अर्जी न देनेके अपराधमें गिरफ्तार कर सकते हैं, तभी अपनी टेकका पता चल जायेगा।

जमानत न दी जाये

इस बार सभी भारतीयोंको याद रखना है कि गिरफ्तार किये जानेवालोंको जमानत देकर नहीं छूटना है, न किसीको छुड़वाना है। जेल महलकी तालीम यहींसे शुरू होगी। पकड़े गये भारतीयको उसी दिन या दूसरे दिन मजिस्ट्रेटके पास ले जाया जायेगा।

बचावका प्रश्न

सम्भावना यह है कि पंजीयनकी अर्जी न देनेके सम्बन्धमें उसपर मुकदमा चलाया जायेगा। उस वक्त यदि वह व्यक्ति सच्चा अनुमतिपत्रवाला होगा या लड़का होगा, जिसे अनुमतिपत्रकी जरूरत नहीं होती, तो उस व्यक्तिका श्री गांधी बिना शुल्कके बचाव करेंगे। वे तथा श्री ईसप मियाँ बयान देंगे कि भारतीय कौम शपथ और प्रस्तावके कारण नये कानूनके सामने न झुकनेके लिए बँधी हुई है। अभियुक्तने वह प्रस्ताव स्वीकार किया है। और यदि किसीको सजा दी जानी चाहिए तो वह पहले सघके पदाधिकारियोंको दी जानी चाहिए। बादमें यदि अभियुक्तके लिए बयान देना आवश्यक हुआ तो उसे कहना है कि नया पंजीयन करवानेका उसका इरादा नहीं है, वह सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे कौमके प्रस्तावका आदर करना है, बल्कि इसलिए कि उसे खुदको कानून पसन्द नहीं है और इसलिए नया पंजीयनपत्र लेनेका इरादा नहीं है, किन्तु यदि सरकार जेल भेजेगी तो वह जेल जायेगा। जुर्माना भी वह नहीं देगा।

बचावका नतीजा

उपर्युक्त बचाव किया जानेके कारण शायद ईसप मियाँ तथा श्री गांधीको पहले पकड़ा जाये और अभियुक्त छूट जाये। किन्तु यदि ऐसा न हो तो अदालत निश्चय ही अभियुक्तको सजा देगी। अदालतको जुर्माना करनेका अधिकार है। अतः शायद वह जुर्माना करे, और जुर्माना न देनेपर वह जेलमें भेजा जाये।

जुर्माना न दिया जाये

यह बिलकुल याद रखना चाहिए कि इस बार जुर्माना न देकर जेल जाना है। मेरी सलाह है कि कोई भी भारतीय पहली अगस्तसे अपनी जेबमें, जहाँतक सम्भव हो, पैसे न रखे और सोना तो कभी न रखे। लालच बुरी चीज है। जेलकी आदत न होनेके कारण जुर्मानेकी आवाज सुनकर अभियुक्तके हाथ अनजाने जेबमें चले जायेंगे और उसकी नजर अपने दोस्तोंपर पड़ेगी। ऐसा हो तब भारतीयको मनमें तत्काल खुदासे माफी माँगकर सावधान हो जाना चाहिए और जेबमें से हाथ निकालकर गला साफ करके कहना चाहिए कि मुझे जुर्माना नहीं देना है। मैं कारावास भोगूँगा। साथमें यह भी याद रखा जाये कि विलायतकी

बूढी और जवान औरतोने आधे क्राउनका[1] जुर्माना देनेसे इनकार करके अधिकारके लिए कारावास पसन्द किया है।

दूसरे क्या करे?

हम सामान्यत मान ले कि सारे भारतीयोको एक साथ तो पकडा ही नही जायेगा। अत जेलके बाहर रहनेवाले क्या करे? इसका उत्तर सरल हे। जो भाई हिम्मत करके जेल गया हे उसे बधाई दे, उसके सगे सम्बन्धियोकी मदद करे और स्वय डरकर पजीयन लेनेके लिए जानेके बजाय यह प्राथना करे कि दूसरी बार जेल जानेका सौभाग्य उन्हे प्राप्त हो।

श्री गाधीको ही पहले पकडा जाये तो?

ऐसा हो तो बचाव करनेका कोई काम नही रहता। उनपर मुकदमा चलेगा तब साफ हो जायेगा। और यदि उनके जेल जानेके बाद अथवा निर्वासित किये जानेके बाद भारतीय समाज कानूनका विरोध करनेवाले प्रस्तावपर डटा रहेगा तो तुरन्त ही नतीजा सामने आयेगा। चाहे जिस व्यक्तिको जेल हो, चाहे जिसका निर्वासन हो, भारतीय समाज दढ बना रहेगा तभी आजतक की लडाईकी शान रहेगी।

यदि पजीयन पत्र लिये गये तो?

किन्तु यदि भारतीय समाज डरकर पजीयन पत्र ले लेगा अथवा जुर्माना देकर जेलसे बच जायेगा तो आजतक की लडाईपर पानी फिर जायेगा। यह निश्चय हो जायेगा कि हमारा साहस मिथ्या था। और माना जायेगा कि नेता लोग केवल भडकानेका काम करते थे। आजतक जो चमक दमक दिखाई दे रही थी वह ऊपरी कलई थी। वह कलई खुल जायेगी और जाहिर हो जायेगा कि हम सच्चा सोना नही, बल्कि ताबा है और हमारी कीमत पाईके बराबर हो जायेगी।

सरकारके दूसरे हथियार

मै ऊपर कह चुका हूँ कि सरकार यह इलजाम लगानेके बजाय कि नये पजीयनके लिए अर्जी नही दी, दूसरे कदम भी उठा सकती है। जैसे मौजदा अनुमतिपत्र व पजीयनपत्र तो सबके रद हो गये है। इसलिए उनपर बिना अनुमतिपत्रके रहनेका आरोप लगाया जा सकता है। यदि यह आरोप लगाया जाये तो, जैसा मैने पहलेके पत्रोमे कहा है, पहला मुकदमा चलते समय अभियुक्तको अमुक समयमे देश छोडनेकी सूचना मिलेगी। उस अवधिमे यदि देश न छोडे तो उसे कमसे कम एक महीनेकी सजा हो सकती है। इस प्रकार मुकदमा चले तब भी बचाव तो ऊपर लिखे अनुसार ही किया जायेगा। ऐसे मुकदमेकी सूचना मिलनेपर किसीको चले नही जाना है, बल्कि सूचनाकी अवधि पूरी करके गिरफ्तार होकर जेल जाना है।

क्या व्यापारी डरे?

इसमे बडे व्यापारियोको डरना नही है। एक ही दूकानके सभी व्यक्तियोका एक साथ पकडा जाना सम्भव नही है। दूकाने लुटवा दी जाये सो भी नही होगा। अधिकसे

१ ढाई शिलिंग।

अधिक नुकसान यही होगा कि कुछ दिन दूकान बन्द रहेगी। इसके अलावा और कुछ भी होना सम्भव नहीं। किन्तु सब व्यापारी अपना स्टॉक वगैरह ले रखें, इसमें बुद्धिमानी मानी जायेगी। इसका उद्देश्य केवल इतना ही कि लेनदार व्यापारी अधीर हों तो उनका हिसाब तुरन्त साफ किया जा सके।

मण्डलोंका कर्तव्य

इस बार ट्रान्सवाल तथा ट्रांसवालके बाहरके मण्डल, जैसे संघ, कांग्रेस, वगैरहका कर्तव्य है कि सार्वजनिक तौरसे फिरसे सहानुभूतिके प्रस्ताव पास करें, गिरफ्तारशुदा व्यक्तिके पीछे रहनेवाले लोगोंकी सार-सँभाल करनेके लिए पैसे भेजें, और देश परदेशमें यथासम्भव इस आन्दोलनकी चर्चा करें।

'संडे टाइम्स' का प्रश्न

'संडे टाइम्स' के सम्पादकने कानूनपर टीका करते हुए पूछा है कि जिन लोगोंने अगस्त महीनेमें नया पंजीयनपत्र न लिया हो उन्हें जेलमें बन्द करनेके लिए सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है? क्या नये जेलखाने बनायेगी? यह प्रश्न मजाकके रूपमें पूछा गया है। किन्तु इसमें यह भी प्रकट होता है कि वे भारतीय समाजके आन्दोलनसे घबड़ा रहे हैं।

मिडलबर्गके भारतीय

मिडेलबर्गकी भारतीय बस्तीको वहाँकी नगर परिषदने फिरसे निकालनेका प्रस्ताव किया है। उसका यह इरादा है कि किसी एक भारतीयपर मुकदमा चलाकर देख लिया जाये कि नगर-परिषदका अधिकार है या नहीं।

चेतावनी

कुछ भारतीयोंके मनमें यह विचार है कि यदि एक भी भारतीय नया अनुमतिपत्र ले ले तो फिर दूसरेका रुकना कठिन है। ऐसे सोचनेवाले, साफ है, लड़ाईको नहीं समझते। एक आदमी कुएँमें गिरेगा या बुरा काम करेगा तो क्या उसके पीछे सारा समाज कुएँमें जा गिरेगा या बुरा काम करने लगेगा? यदि ऐसा नहीं करेगा तो फिर नया कानून, जो कि बुरा है, भौंडा है, कुएँसे ज्यादा भयानक है, उसमें कैसे गिरा जा सकता है? इसके अलावा, यह मान लेना कि एक भी भारतीय गुलाम नहीं बनेगा बहुत ही ज्यादा अपेक्षा रखना है। यदि भारतीय समाजमें इतना जोश हो तो आज दक्षिण आफ्रिकामें या दूसरी किसी भी जगह उसका हलका दर्जा क्यों होगा? इतना याद रखना चाहिए कि इस लड़ाईमें हर भारतीयको अपनी स्वतन्त्र बुद्धिका उपयोग करना है। एक-दूसरेके मुँहकी ओर नहीं देखना है। नया पंजीयनपत्र कोई लड्डू नहीं है जिसे यदि एक छू ले तो दूसरे उसपर टूट पड़ें। जबतक इस बातका ध्यान नहीं रखा जाता तबतक हमारी जीत कभी नहीं होगी। इसे अच्छी तरह लिख लें। मैं तो यह सलाह देता हूँ कि यदि कोई भारतीय अपनी नामर्दी या कमजोरी या अज्ञानके कारण नया पंजीयनपत्र बिना लिये न रह सके तो उसे अपनी उस कमजोरीको मंजूर करना चाहिए और दूसरेको वैसा न करनेकी सलाह देनी चाहिए तभी ठीक माना जायेगा।

प्रिटोरियाकी सभा

प्रिटोरियामे मगलवार शामको विशेष सभा की गई थी। उसमे श्री रूज वकील भी हाजिर थे। उन्होने कहा कि जनरल स्मटस यह जाननेके लिए आतुर ह कि उनके पत्रका क्या असर पडा। उन्हे वहम है कि भारतीय नेता जनरल स्मटसके पत्र जाहिर नही करते। इसलिए सभाकी क्या राय है, यह जाहिर हो तो अच्छा। श्री गाधीने श्री रूजको 'इडियन ओपिनियन' देकर बताया कि जनरल स्मटसके पत्रका अथ प्रत्येक भारतीयके सामने पेश किया जा चुका है। वह श्री रूजने श्री स्मटसको बतानेके लिए कहा। इस सभामे श्री गाधीके अलावा जोहानिसबगसे श्री ईसप मिया और श्री उमरजी सालेजी आये थे।

श्री गाधीने श्री स्मटसके पत्रका अनुवाद करके सुनाया और सभाको सलाह दी कि कोई भी व्यक्ति नये कानूनके सामने हरगिज न झुके।

श्री हाजी हबीबने यह प्रस्ताव किया कि यदि जनरल स्मट्स श्री रूजके पत्रमे व्यक्त की गई मागको स्वीकार नही करेगे तो नया कानून कभी नही माना जायेगा। इसके अलावा उन्होने जनरल स्मटसके साथका पत्र व्यवहार प्रकाशित करनेकी सूचना दी। श्री हाजी हबीबके प्रस्तावका श्री सूजने समथन किया। श्री अयूब बेग मुहम्मद तथा श्री उमरजीने भी समथन किया। श्री रूजने भाषण देते हुए बताया कि कानून स्वीकार किया जाना चाहिए और फिर जो माग करनी हो वह कायदेसे करनी चाहिए। इतना होनेपर भी श्री हाजी हबीबका प्रस्ताव सर्वानुमतिसे पास हुआ।

सभाने इतना जोर दिखाया है। फिर भी दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे स्थिति जरा गम्भीर होती जा रही है। अन्ततक सारा समाज सावधान रहेगा या नही, इस सम्बन्धमे तक-वितक होता रहता हे।

इस समय सब भारतीयोको एक बात याद रखनी है कि चाहे जितने लोग नया अनुमतिपत्र ले, जिनमे हिम्मत है वे तो कभी न ले।

स्मट्सका इरादा

श्री स्मटसने उत्तरमे कहा है कि तटवर्ती अनुमतिपत्र कार्यालयकी जरूरत है। इतने दिन तक अग्रेज सरकार हस्तक्षेप करती थी इसलिए पुराने डच कानूनोपर अमल नही होता था। अब अग्रेज सरकार हस्तक्षेप नही कर सकती। अत जो 'कुली' एक दफा बाहर जायेगा वह वापस न आ सके, इसके लिए तटवर्ती कार्यालयकी जरूरत है। इस तरहके जवाब होते हुए भी भारतीय समाज नये काननको स्वीकार करता है, तो उससे बुरा और क्या होगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २७–७–१९०७

९६ पत्र उपनिवेश-सचिवको[1]

प्रिटोरिया
जुलाई २७, १९०७

सेवामें
माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

मेरी समितिको यह जानकर खेद हुआ है कि सरकारी कर्मचारी एशियाइयोंके पंजीयनके आवेदनपत्र बहुत रातमें और व्यक्तिगत दूकानों या दूसरी जगहोंपर ले रहे हैं। मेरी समितिको यह भी पता चला है कि यह तरीका सरकारको दी गई इस आशयकी दर्खास्तोंकी बिनापर अख्तियार किया गया है कि जो ब्रिटिश भारतीय अधिनियमके अन्तर्गत आवेदन देना चाहते हैं उनको मारपीट आदिकी धमकी दी जाती है।

मेरी समिति जहाँतक जानती है, समाजके किसी भी उत्तरदायी सदस्यने ऐसी कोई धमकी नहीं दी है। समितिकी कारवाई अधिनियमकी धाराओंको स्वीकार करनेमें जो अप्रतिष्ठा और हानि है उसको बताकर जोरदार प्रचार करने तक ही सीमित है।

यह स्वीकार किया जायेगा कि स्वयंसेवकोंने सेवाव्रत ही निभाया है। मेरी समितिने खुल्लमखुल्ला और जोरदार शब्दोंमें ब्रिटिश भारतीयोंको सूचित कर दिया है कि अगर कोई सदस्य आवेदन देना चाहे तो उसे किसी प्रकारकी हानि न पहुँचाई जायेगी, बल्कि यदि वह चाहेगा तो, पंजीयन कार्यालय तक सुरक्षित पहुँचा दिया जायेगा।

समितिकी विनम्र रायमें, उन भारतीयोंने, जिन्होंने गुप्त रूपसे और रातमें आवेदन दिये हैं, ऐसा इसलिए किया है कि जिस बातको, समाजके दूसरे सदस्योंके साथ-साथ, उन्होंने भी अपने सम्मानके विरुद्ध माना है, उसको वे दूसरे ब्रिटिश भारतीयोंसे छिपा सकें।

मेरी समितिकी विनम्र रायमें, दफ्तरके वक्तके बाद और निजी दूकानोंमें गुप्त रूपसे पंजीयन कराना, यदि गैरकानूनी न भी हो, तो भी, गौरवास्पद नहीं माना जा सकता। कुछ भी हो मेरी समिति सरकारको सादर आश्वासन देती है कि भारतीय समाज जिस संघर्षको अपने जीवन और मृत्युका संघर्ष मानता है उसमें डराने धमकानेका या ऐसे उपायोंका, जो किसी भी तरह निन्दनीय माने जायें, आश्रय लेनेका कोई विचार नहीं रखता।

आपका, आदि,
हाजी हबीब
अवैतनिक मन्त्री,
ब्रिटिश भारतीय समिति

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, ३–८–१९०७

१ इसे अनुमानतः गांधीजीने तैयार किया था।

९७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[जुलाई २९, १९०७]

नया कानून घोर विश्वासघात

मुझे लगता है कि जितने खेदके साथ मै यह चिटठी लिख रहा हूँ, उतने खेदसे मैंने शायद ही कोई चिटठी लिखी हो। मै जो खबर देनवाला हूँ वह दू या नही, यह भी विचारणीय प्रश्न बन गया हे। फिर भी मै समझता हूँ कि, यदि हमे सत्यकी रक्षा करनी हो और बहादुर बनना हो तो प्रिटोरियाके भारतीय समाजमे जो एक घटना हो गई है उसका लेखा मुझे लेना ही होगा।

जुलाईका अन्तिम सप्ताह दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय समाजको बहुत याद रहेगा। जहा यह आशा थी कि हमारे जीतनेका समय साफ आ गया है, वहाँ भारतीय समाजके साथ विश्वासघात हुआ है और यह प्रश्न खडा हो गया है कि जीत होगी भी या नही। बुधवार तारीख २४को रातको १० बजेके बाद प्रिटोरिया स्टेशनपर अनायास इस धोखेकी खबर मिली। श्री गाधी आनेवाले थे और उन्हे मिलनेके लिए श्री काछलिया, श्री व्यास, श्री बेग ओर दूसरे भारतीय हाजिर थे। उन्हे पता लगा कि श्री खमीसाकी दूकानमे कुछ गडबडी हो रही हे। उसमे गोरे हैं, और दूकानके पास खुफिया पुलिस है। यह खबर पाते ही उपर्युक्त सज्जनोने सोचा कि श्री खमीसाकी दूकानका दरवाजा खटखटाया जाये और यदि दरवाजा खुले और वहा नये कानूनके सामने झुकनेकी कोई कारवाई हो रही हो तो उन्हे समझाया जाये। श्री गाधीने दरवाजा खटखटाया। श्री व्यासने भी खटखटाया। एक व्यक्तिने आकर पूछा कौन है? श्री गाधीने जवाब दिया और अन्दर आनेकी इजाजत मागी। दरवाजा किसीने नही खोला। इस बीच खुफिया पुलिसका एक आदमी आया और उसने कुछ पूछताछ शुरू की। श्री बेगने आवेशसे जवाब दिया। फिर श्री गाधीने उससे बात की। इसपर उसने कहा "आप कानून जानते हैं। जो ठीक हो वह कीजियेगा।" यो कहकर वह चला गया। कुछ मिनट बाद वह और दूसरे दो अधिकारी आये। इस बीच श्री व्यास श्री हबीबको लेने गये थे। खुफियाने उपर्युक्त लोगोमे से प्रत्येकपर हाथ रखकर वहासे रास्ता नापनेको कहा। सब चले गये। सब समझ गये, श्री खमीसाकी दूकानमे जरूर कुछ दगा शुरू हुआ है।

सारी रात बहुतेरे भारतीय जागते रहे। गुरुवारको सवेरे सारे भारतीय समाजमे खलबली मच गई। गाव गाव पत्र और तार भेजे गये। कहा जाता है कि श्री खमीसाकी दूकानमे आधी रातको करीब बीस व्यक्तियोने अपने हाथ और मुँह काले करके भारतीय समाजको बट्टा लगाया है।

इसमे दोष किसका?

यह प्रश्न सब भारतीयोके मनमे उठेगा। मै स्वय मानता हूँ कि जिन्होने पजीयनके लिए अर्जी दी है, उन्हे हम निर्दोष नही कह सकते। नया कानून अच्छा है और उसके

सामने झुकनेमें जरा भी अपमान नहीं है यह समझकर यदि वे खुले आम गुलामीका पट्टा लेनेके लिए अर्जी देने जाते तो उन्हें कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। किन्तु उन्होंने बहुत ही लज्जाजनक काम करनेकी बात सोची और इसीलिए चोरीसे रातका अनुमतिपत्र लेना चाहा। इससे सिद्ध होता है कि उन्हें अपने अपराधका पता था और इसलिए वे भारतीय समाजके प्रति अपराधी हैं। किन्तु जैसे उपर्युक्त भारतीय दोषी हैं वैसे ही और उनसे भी ज्यादा दोषी अधिकारियोंको माना जा सकता है। लोगोंकी दूकानोंमें जाकर रातको चोरीसे अर्जी लेनेसे सिद्ध होता है कि वे लोगोंको नये कानूनके सामने झुकानेकी बहुत कोशिश कर रहे हैं। और यदि लोग न झुके, तो उन्हें डर है कि उनकी स्थितिको धक्का पहुँचेगा। यदि सरकार इस हद तक गिरती है और उसमें यदि लोग लालचमें फँसते हैं तो उसमें आश्चर्य ही कौनसा?

जलेपर नमक

इस प्रकार चोरीसे पंजीयन करनेका कारण यह बताया गया मालूम होता है कि भारतीय समितिने धमकी दी है कि जो लोग नये पंजीयनपत्र लेंगे उन्हें नुकसान पहुँचाया जायेगा। यह इल्जाम सरासर झूठ है। दगाबाज लोगोंने पंजीयनपत्र लेनेके साथ ही अपनी निर्लज्जता ढाकनेके लिए सारे समाजपर यह गलत आरोप लगाया है, और असत्य गढ़ा है।

हाजी हबीबका पत्र

यह इल्जाम सहन करके बैठा नहीं जा सकता, इसलिए श्री हाजी हबीबने उपनिवेश सचिवके नाम निम्नानुसार पत्र लिखा है[1]

किन्तु बुरेमें से अच्छा

इस प्रकार विश्वासघात हुआ है फिर भी चूँकि भारतीय समाजकी लड़ाई सच्ची है, इसलिए जान पड़ता है कि उसमें भला ही हुआ है। चोरीसे अनुमतिपत्र लेनेमें निर्दोष भावनासे जानेवाले एक अब्दुल करीम जमाल नामक भारतीय भी थे। उन्होंने भय तथा प्रलोभनके वशमें अनुमतिपत्रकी अर्जी दी थी। किन्तु चूँकि वे दगाबाज दलमें नहीं थे इसलिए उन्हें अर्जीमें झूठे तथ्य देनेके अपराधमें पकड़ लिया गया है। उन्हें १०० पौंडकी जमानतपर छोड़ा गया है। उनपर मुकदमा चलेगा। इससे सारा प्रिटोरिया आतंकित हो गया है। भारतीय समझ गये हैं कि नये कानूनके अन्तर्गत अनुमतिपत्रके लिए अर्जी देनेसे केवल यही डर नहीं है कि अनुमतिपत्र नहीं मिलेगा, बल्कि सच्चे कैदीकी जेल भोगनेका भी समय आ सकता है। श्री अब्दुल करीम जमालने अपराध किया या नहीं, यह बात अलग है। किन्तु इतना तो साफ है कि निरपराध लोगोंको घसीटनेमें भी देर नहीं लगेगी। यह कानून इतना भयंकर है। और इस कानूनसे मुक्त रहनेमें ही प्रतिष्ठा और सुरक्षा है। यह मामला सबके लिए चेतावनी स्वरूप है। गुलामीका पट्टा लेनेके बाद भी कोई ट्रान्सवालमें रह ही सकेगा इस सम्बन्धमें कोई विश्वास नहीं दिला सकता।

१ इसके नीचे पत्रका पाठ दिया गया है, देखिये पिछला शीर्षक।

"दया धर्मको मूल है"

इस प्रसिद्ध दोहेकी याद करके उन लोगोके साथ दया बरतनी चाहिए जिन्होने भारतीय समाजके साथ विश्वासघात किया है। हमारे मनमे रोष आना स्वाभाविक है। किन्तु उस रोषको दबाकर हमे यही समझना चाहिए कि उन्होने अज्ञानवश काला दाग लगाया है। इसके अलावा हमे यह भी याद रखना है कि इस लडाईमे हमने किसी भी भारतीयपर हाथ उठाया अथवा किसीको नुकसान पहुँचाया तो उससे सारी लडाईको धक्का पहुँचेगा। इस विचारके सिलसिलेमे मुझे खेदपूवक बतलाना होगा कि श्री खमीसाने अपने प्रत्येक भारतीय देनदारके नाम सन्देश भेजा है कि यदि वह सोमवारको सवेरे गुलामीके नये पट्टेके लिए अर्जी न दे तो उसपर जो रकम निकलती हो वह चुका दे। नही तो उसपर तत्काल समन्स जारी किया जायेगा। इससे खलबली मच गई है। किन्तु श्री ईसप मिया, श्री अस्वात, तथा श्री उमरजीने श्री खमीसाको समझाया, इसलिए उन्होने अपनी सूचना वापस लेना स्वीकार कर लिया है।

सहानुभूतिके तारोकी वर्षा

प्रिटोरियामे प्रमुख भारतीयोके नाम तार आया ही करते है। कोई-कोई विश्वासघातकी सख्त टीका करते है। श्री पारसी रुस्तमजी तथा डबनके स्वयसेवकोने हर स्वयसेवकको बधाईके तार भेजे है। नाइयोकी ओरसे नाइयोके नाम दृढ रहनेके लिए तार आये है। उसी प्रकार बलेर, टौगाट, डेलागोआ बे, डडी, लेडीस्मिथ, एस्टकोट केप टाउन आदि विभिन्न स्थानो और विभिन्न व्यक्तियोकी ओरसे तार आते ही रहते है।

आज सोमवारकी शाम तक किसी भी भारतीयने अनुमतिपत्र कार्यालयसे अनुमतिपत्र नही लिया।

हमीदिया सभा

जोहानिसबगकी हमीदिया इस्लामिया अजुमनके सभाभवनमे रविवारको एक भारी सभा हुई थी। उसमे बहुत उत्साह दिखाया गया था। श्री पोलकने सारी बाते समझाईं। इमाम अब्दुल कादिर बावजीर सभापति थे। मौलवी हाजी अब्दुल मुख्तारने एक लम्बा और प्रभावशाली भाषण दिया। उपयुक्त सभामे पजीयनपत्र लेनेवालोके कामको दगाबाजी और फन्देबाजी कहकर उसकी बहुत ही छीछालेदर की गई। श्री पोलकने बताया कि सम्भव है अब जोहानिसबगकी बारी आयेगी, इसलिए हमे स्वयसेवक नियुक्त कर देना चाहिए। फलत कौन कौन लोग स्वयसेवक बननेको तैयार है, यह पूछा गया। इसपर नवाबखान जमालदार सबसे पहले आगे आये और उन्होने जोशीला भाषण दिया। बादमे निम्नलिखित नाम दिये गये

मुहम्मद हुसैन, मीर अफजुलखान काबुली, नुरुद्दीन, इमामुद्दीन, जामाशाह, साहेबदीन, मूसा मुहम्मद, अलीभाई मुहम्मद, ईसप दासू, अलीभाई इस्माइल, उमर हसन, मूसा आनन्दजी, रामलगन, अली उमर, इस्माइल मुहम्मदशाह, मुहम्मद इस्माइल, सुलेमान आमद सूरती। इतने नाम आ जानेके बाद यह घोषित किया गया कि और नाम नही चाहिए। सभामे बहुत उत्साह था।

मद्रासियोंकी सभा

मद्रासियोंने उसी दिन शामको सभा की। उन्हें भी श्री पोलकने ठीक तरहसे समझाया। लोगोंमें बहुत उत्साह और जोश है। सब यही कहते हैं कि दूसरे लोग कुछ भी करें, वे स्वयं तो नये पंजीयनपत्र लेकर कलंक लगाना कभी स्वीकार नहीं करेंगे। स्वयंसेवकोंके रूपमें सभामें श्री पी० के० नायडू, डब्ल्यू० जे० आर० नायडू, एस० मैथ्यूज, एम० लिंगम्, डी० एन० नायडू, एस० कुमार स्वामी, एम० वीरासामी, तम्बी नायडू, एम० पी० पडियाची, आर० के नायडू, आर० दण्डपाणि, के० के० सामी, क० एन० दादाभानी, जे० के० देसाई, वगैरह आगे आये थे।

डर्बनसे आनेवालोंको चेतावनी

फोक्सरस्टसे एक भाईने सूचित किया है कि नेटालकी ओरसे आनेवाले लोगोंके पंजीयन-पत्र व अनुमतिपत्र अधिकारी ले लेते हैं और फिर लोगोंसे कहते हैं कि वे अपने अनुमतिपत्र प्रिटोरियामें ले लें। यह बिलकुल अनुचित है, और लोगोंको खर्चमें डालनेवाला तथा उन्हें अनुमति कार्यालयमें जानेके लिए मजबूर करनेवाला है। अतः सभी भारतीयोंको सूचना दी जाती है कि फिलहाल ट्रान्सवालमें कोई न आये। उपर्युक्त बात नये कानूनसे निकलती है। इसपरसे नये कानूनकी बारीकियोंपर विचार करना जरूरी है।

फ्रीडडॉर्पके भारतीय

फ्रीडडार्प अध्यादेश तुरन्त नहीं लागू किया जायेगा इतना तो निश्चित है। किन्तु यह न समझा जाये कि इसमें भारतीयोंका निश्चित लाभ हुआ है। क्योंकि वह अध्यादेश गोरे साहबोंको पसन्द नहीं है। इसके द्वारा जो अधिकार प्राप्त हो रहे हैं उतने पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए अधिक माँगते हैं। वे अधिकार सरकारने देने स्वीकार किये हैं। इसलिए अध्यादेश नया बनेगा। उसमें भी भारतीयोंके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। तूतीकी आवाज सुननेवाला कोई है ही नहीं। फ्रीडडॉर्पके डच गरीब हैं, फिर भी उन्हें निर्वाचन अधिकार है, और वे शमशेर बहादुर हैं। अतः उनके लिए सब कुछ किया जायेगा। भारतीयोंको मताधिकार भी नहीं है। समशेर तो देखी भी नहीं होगी। किन्तु यदि वे हिम्मतके साथ खूनी एशियाई अधिनियमको जेलरूपी अग्निमें जला दें तो उनकी कीमत जरूर हो सकती है। नहीं तो भारतीयोंके हक राम नाम बोल जायेंगे इसमें मुझे तो जरा भी शक नहीं।

लोकसभामें एशियाई कानून

स्थानीय अखबारोंमें ऐसा तार छपा है कि बड़ी सभामें सर विलियम बुलने ट्रान्सवालके भारतीयोंके सम्बन्धमें प्रश्न पूछा था। उत्तरमें श्री चर्चिलने सूचित किया कि ऐसा मालूम हुआ है कि पंजीयनमें अँगुलियोंकी निशानीके सिवा कोई चारा नहीं है। लॉर्ड एलगिनने ट्रान्सवालके रुखपर खेद प्रकट किया किन्तु उन्होंने बताया कि ट्रान्सवालकी ओरसे यह हो जानेके बाद कि सिद्धान्ततः इस तरीकेमें आपत्ति करने जैसी कुछ बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं फिरसे विचार करनेके लिए दबाव डाल सकूँगा।

लॉर्ड एलगिनने खेद व्यक्त किया इससे साफ मालूम होता है कि वे स्वयं इस कानूनको सख्त मानते हैं। अतः जब भारतीय जेल जायेंगे, उनकी सहानुभूति भारतीयोंकी ओर रहनी चाहिए।

रेलवेमें तकलीफ

ब्रिटिश भारतीय संघके कार्यवाहक मन्त्री श्री पोलकके हस्ताक्षरसे निम्नलिखित पत्र रेलवे अधिकारीके पास भेजा गया है

> संघके भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अब्दुल गनी और श्री गुलाम मुहमदको एक तार मिला था। इसलिए जरूरी कारणसे उन्हें कल ४–४० की रेलसे प्रिटोरिया जाना था। किन्तु उन्हें टिकट देनेसे इनकार कर दिया गया। मेरा संघ इसका निश्चय करनेको आतुर है कि कहीं रेलवे विभाग भारतीय समाजके आम हकोंपर अब विशेष अंकुश तो नहीं लगाना चाहता? इस सम्बन्धमें जाँच पड़ताल करनेकी कृपा करें।

रेलगाड़ियोंकी तकलीफोंका यह ताजा उदाहरण साफ बताता है कि अधिकारियोंकी आँख खोलनेके लिए किसी भी भारतीयको जेल जानेका अवसर हाथसे नहीं छोड़ना चाहिए। जबतक यह न दिखा दिया जायेगा कि भारतीयोंमें पानी है तबतक सम्भव है, ये सारे कष्ट दिनोंदिन घटनेके बजाय बढ़ते ही रहेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३–८–१९०७

९८ भाषण प्रिटोरियामें[1]

[प्रिटोरिया
जुलाई ३१, १९०७]

श्री गांधीने कहा कि श्री हॉस्केनने[2] अध्यादेशके बारेमें बहुत सी बातें समझाई हैं। उन्होंने इस संकटके समय भारतीयोंके साथ सहानुभूति भी प्रकटकी है। परन्तु उनका खयाल है कि यद्यपि हमारे संघर्षका आरम्भ सही विचारोंसे हुआ है, तथापि हम गुमराह कर दिये गये हैं, हमें अध्यादेशको मान लेना चाहिए, अर्थात अध्यादेशके पीछे छिपी जबदस्ती तथा दसों अँगुलियोंकी छापवाले हुक्मके सामने भारतीयोंको अपना सर झुका देना चाहिए। श्री हॉस्केनने अपनी इस सलाहकी पुष्टिमें बहुत-सी दलीलें दी हैं। उनमें से एक यह भी है कि जो बात अवश्यम्भावी है, उसे मान लेना चाहिए। श्री गांधीने आगे कहा मैं इस अवश्यम्भावी[3] बातकी दलीलको लेकर ही कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा खयाल है और मैं इस बातको बहुत गहराईसे महसूस करता हूँ कि न तो श्री हास्केन और न पश्चिमी जातिका कोई सदस्य यह समझ सकता है कि पूर्वके मानसमें 'अवश्यम्भावी' का वास्तविक अर्थ क्या है, और यह बात मैं अत्यन्त नम्रताके साथ कह रहा हूँ। श्री हॉस्केनने हमें बताया है कि एशियाई पंजीयन कानूनके पीछे गोरे निवासियोंके लोकमतका

१ एशियाई अधिनियमके अन्तर्गत प्रार्थनापत्र देनेकी अन्तिम तारीख ३१ जुलाईको प्रिटोरियामें सारे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंकी एक सभा हुई थी। गांधीजीके भाषणकी तार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट ३–८–१९०७ के **इंडियन ओपिनियनमें** छपी थी यह उसकी पूरी रिपोर्ट है।

२ विलियम हॉस्केन जनरल बोथाके अनुरोधपर सभामें आये थे और उन्होंने भारतीयोंसे कहा था कि सरकार अध्यादेशको लागू करनेकी नीतिपर दृढ़ है।

३ देखिए 'श्री हॉस्केनकी अवश्यम्भावी", पृष्ठ १५१-५२।

बल है, इसलिए उसको पलटा नहीं जा सकता। उसके सामने झुकना ही होगा। परन्तु म उसे अवश्यम्भावी नहीं मानता। अवश्यम्भावी तो यह है कि जिन ब्रिटिश भारतीयोको इस देशमें मताधिकार नहीं है, जिनकी कोई पूछ नहीं है, जिनके प्राथनापत्र रद्दीकी टोकरीमें फेंक दिये जाते ह और जिनके लिए विधान-सभामें एक आदमीने भी अपनी आवाज नहीं उठाई है — और तो और खुद श्री हॉस्केन भी जिनके पक्षमें एक शब्द नहीं कह सके, क्योकि वे जानते थे कि उन्हे सुसगठित और ठोस विरोधका मुकाबला करना पडेगा — वे भारतीय इस कानूनका विरोध करे। ऐसी स्थितिमें अवश्यम्भावी है, ईश्वरकी इच्छाके सामने ही अपना सर झुका देना। अगर उसकी यह इच्छा है कि पूरेके-पूरे १३,००० भारतीय अपने सवस्वका बलिदान कर दें, इस ससारमें हमें आर्थिक लाभ पहुँचानेवाली जो भी चीजें ह उन सबको छोड दें, तो भारतीयोको इस नियतिके सामने सर झुकाना है। परन्तु इस अपमान और नीचे गिरानेवाले कानूनको हरगिज नहीं मानना है। श्री हॉस्केनके प्रति पूण आदर रखते हुए भी मेरा विचार है कि वे अपनी चमडीका रग नहीं बदल सकते। और न ही वे इस देशमें रहनेवाले भारतीयोको उनके जीवन-मरणके प्रश्नके सम्बन्धमें सलाह दे सकते ह।

मैं इस देशमें तेरह वषसे रह रहा हूँ और अपने देशभाइयोकी सेवा करता आया हूँ (करतल ध्वनि)। म अपने-आपको दक्षिण आफ्रिकाके शान्ति प्रेमियोमें गिनता हूँ। और बहुत सोच विचार और सलाह-मशविरेके बाद ही मने यह धम-युद्ध छेडा, अपने देशभाइयोको इसमें शामिल होनेकी सलाह दी। मने एशियाई कानूनकी एक एक धारा पढ़ी है और उपनिवेशके प्राय सारे कानून भी पढ़ लिये हैं। उसके बाद ही म विचारपूवक इस निश्चयपर पहुँचा हूँ। और मुझे नहीं लगता कि म इस निणयको बदलूगा, क्योकि यदि एशियाई इस कानूनको मान लेते ह तो उनकी स्थिति शुद्ध गुलामोकी सी हो जायेगी। इससे जरा भी कम नहीं।

सो कसे? जब म लन्दनमें था तब श्री हास्केनके देशभाइयोको मैंने एक मिसाल सुनाई थी। मैंने कहा था, "यहाँ राह चलता हर आदमी एक रेशमका टोप पहनता है। अब मान लीजिए कि लन्दनमें इस आशयका एक कानून जारी किया जाता है कि हर अंग्रेजके लिए रेशमका टोप पहनना अनिवाय होगा तो क्या सारा लन्दन टोप पहनना छोड नहीं देगा?" वहाँके मित्रोके सामने मने यही स्थिति रखी थी। यह एक बहुत तुच्छ-सा उदाहरण है। यहाँ यह केवल एक प्रकारका टोप पहननेकी बात है। परन्तु अंग्रेज जाति अपनी स्वतन्त्रताको इतना कीमती समझती है कि यदि उसके अपने देशमें कोई ऐसी जबरदस्ती करनेवाला कानून बनाया जाये, फिर उसका उद्देश्य कुछ भी हो, तो हर अंग्रेज निश्चय ही उसका विरोध करेगा। दक्षिण आफ्रिकाका प्रश्न टोप जैसा छोटा नहीं है। यहाँ तो बाँहों और पेशानीपर गुलामीकी निशानी धारण करनेकी बात है। म आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप यह निशानी कदापि धारण न करें।

आपको यह सलाह देनेके लिए मैं अपने-आपको पूरी तरहसे जिम्मेवार मानता हूँ। परन्तु उसके साथ मैं यह कह देना चाहता हूँ, कि इस कानूनके पीछे छिपी मानहानिको मेरे भाई मेरी अपेक्षा कहीं अधिक अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो इस कानूनकी उन खामियोंको जानता हूँ जो मेरे देशभाइयोंके पक्षमें जाती हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसे देशमें रहते हुए हमें कुछ पूर्वग्रहोंकी गुंजाइश तो रखनी ही पड़ेगी। इसलिए हमने कुछ अपमान और थोड़ी बेइज्जती चुपचाप बरदाश्त भी कर ली। परन्तु अब तो प्याला लबालब भर गया है। ब्रिटिश

भारतीय अब जान गये हं कि इस कानूनमें जो अपमान और गिरावट निहित है उसे सहकर इस देशमें रहना अब हमारे लिए सम्भव नहीं है। हम खुद सोच विचारके बाद इस नतीजे तक पहुँचे हं कि अब हमारे लिए इस देशमें रहना सम्भव नहीं है। अगर कानूनके बारेमें मेरे देशभाइयोंके ये विचार और ये भावनाएँ न हों तो मं सबसे पहिले अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। मं इस कानूनका पालन करूँगा और खुले तौरपर ऐलान कर दूंगा कि इस मामलेमें मुझसे भूल हो गई है और हम इस अध्यादेशके पात्र हं।

श्री ईसप मियाने सारी स्थिति बड़ी स्पष्टताके साथ हमारे सामने रखी है, अधिनियम और स्वेच्छया पंजीयनका अंतर बताया है। अब सारी स्थिति हमारे सामने है। स्वेच्छया पंजीयन करवानेसे और इस अध्यादेशके अंतर्गत अनिवार्य पंजीयन करानेसे हमारी स्थिति कैसी हो जायेगी, हम इन दोनों तस्वीरोंकी कल्पना कर लें। इस कानूनकी तफसीलोंमें जाना मेरा काम नहीं है। परन्तु मौलवी साहबने हमें समझानेके लिए एक दो मिसालें बताई हं। श्री हॉस्केन मौलवी साहबकी भाषा नहीं जानते थे। इसलिए उन्होंने समझ लिया कि वे कोई निजी शिकायत सुना रहे हं। परन्तु जो लोग कौमकी सेवा करना चाहते हं उनके लिए निजी शिकायत जैसी कोई चीज ही नहीं हो सकती। मौलवी साहबने तो कहा था कि वह कानून घृणाके लायक है। और मं पूरी नम्रता, किन्तु और भी अधिक जोरके साथ कहता हूँ कि वह अत्यन्त घृणित और अपमानजनक है और मुसलमानों और ईसाइयोंमें भेद करता है। तुर्कीके मुसलमानोंपर तो वह लागू किया जा रहा है, परन्तु वहांके ईसाइयों और यहूदियोंको उससे मुक्त रखा गया है। मैं ऐसे किसी तुर्की मुसलमानको नहीं जानता जिसका तुर्किस्तानके किसी ईसाई या यहूदीसे कोई झगड़ा हो। इस अपमानको, इस कड़वी घूंटको, पीना तो उनके लिए भी मुश्किल है।

परन्तु मान लीजिये कि इस देशमें किसी तरह अपना पेट पालनेके लिए हम इन सब बातोंको बरदाश्त कर लेते हं तो भी इसका क्या भरोसा कि हमारी माली हालत निश्चित रूपसे सुधर ही जायेगी, और हमारे जो अधिकार पहले ही से छिन गये हैं वे हमें वापस मिल जायेंगे? कहीं कुछ गौण फेरफार कर भी दिये जायें तो भी हमसे सम्पत्तिका अधिकार छिन ही जायेगा, अलग बस्तियोंमें भी रहना होगा, और पता नहीं क्या क्या हो। इन सारी परिस्थितियोंका सामना हमें करना है। इसीलिए मं अपने देशभाइयोंको सलाह देता हूँ कि वे इस अधिनियमको न मानें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

९९. प्रिटोरियाकी सार्वजनिक सभाके प्रस्ताव[1]

[प्रिटोरिया
जुलाई ३१, १९०७]

प्रस्ताव १. प्रिटोरियामें की गई ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सार्वजनिक सभा इस प्रस्ताव द्वारा अत्यन्त खेदके साथ उल्लेख करती है कि भारतीय समाजमें कुछ ऐसे लोग पाये गये हैं, जिन्होंने अपने आपको और अपनी परम्पराओंको बिलकुल भुला दिया है और जो, भलीभाँति यह जानते हुए भी कि एशियाई कानून संशोधन अधिनियमका पालन करना कितना अपमानास्पद है, पहले गुप्त रूपसे और फिर खुल्लमखुल्ला, उसके अन्तर्गत प्रमाणपत्रोंके लिए आवेदन करते हैं।

प्रस्ताव २. प्रिटोरियामें की गई ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सार्वजनिक सभा एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके अधीन न होनेपर और उसके अधीन न होनेके गम्भीर परिणामोंका सामना करनेपर प्रिटोरियावासी भारतीयोंकी भारी बहुसंख्याको बधाई देती है। और जिन साहसी भारतीयोंने इस अधिनियमकी धाराओंके सम्बन्धमें समाजके सदस्योंको सच्ची जानकारी देनेका पुण्यकार्य करके अन्याय और अत्याचारका ऐसा उल्लेखनीय सामना करनेकी स्थिति सम्भव बना दी है, उनको भी बधाई देती है।

प्रस्ताव ३. प्रिटोरियामें की गई ब्रिटिश भारतीयोंकी इस सार्वजनिक सभाकी नम्र सम्मतिमें अधिनियम अपने अभीष्ट उद्देश्यकी सिद्धिके लिए अनावश्यक है। इसलिए सभा प्रार्थना करती है कि सरकार कृपा करके अध्यक्षके भाषणमें उल्लिखित स्वेच्छया पुनःपंजीयनके प्रस्तावको स्वीकार कर हमारे समाजको उस अधिनियमके आगे नहीं झुकनेसे होनेवाले कष्टमें न डाले।

प्रस्ताव ४. प्रिटोरियामें की गई ब्रिटिश भारतीयोंकी यह सार्वजनिक सभा इस प्रस्ताव द्वारा अध्यक्षको अधिकार देती है कि वे पहलेके तीन प्रस्ताव सरकारको भेज दें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३-८-१९०७

१. यद्यपि इन प्रस्तावोंको भारतीय समाजके विभिन्न प्रवक्ताओंने प्रस्तुत और अनुमोदित किया था, फिर भी यह स्पष्ट है कि ये गांधीजीने तैयार किये थे।

१०० भेट[1] 'रैंड डेली मेल'को

[प्रिटोरिया
जुलाई ३१, १९०७]

यदि सरकार स्वेच्छया पजीयनके लिए कुछ काल, उदाहरणाथ दो मासका, देनेके लिए तैयार हो जाये तो भारतीयोका बहुमत इन शर्तोको मान लेगा, यद्यपि अँगुलियोके निशान देनेका तरीका फिर भी मुश्किल पदा करेगा। उन्होने स्वीकार किया कि यह एक गम्भीर बाधा है, और उनकी राय थी कि भारतीयोकी शर्ते तभी मानी जायेगी जब वे, या उनमे से बहुतसे, अध्यादेशके अतगत कष्ट सहेगे।

[अग्रेजीसे]

रड डेली मेल, १-८-१९०७

१०१ ट्रान्सवालकी लडाई

जुलाई महीना पूरा हो गया है। ट्रान्सवाल और शायद सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके इतिहासमे यह सदैव महत्त्वपूण समझा जायेगा। ३१ तारीखकी विराट सभा ऐसे महत्त्वपूण महीनेके अतके लिये उचित पूर्णाहुति रही। यह देखकर हमे प्रसन्नता हुई है कि ट्रासवालके इस सम्मेलनने, जिसमे हर जगहसे प्रतिनिधि आये थे, सवसम्मतिसे फिर उस अध्यादेशकी भत्सना की है। अर्थात् समूचा ट्रान्सवाल आज एक स्वरसे जेल, जेल और जेलके लिए तैयार खडा है, यद्यपि कुछ लोगोने सारे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके भविष्यपर असर डालनेवाली इस लडाईके मूल्यको भुलाकर समाजके साथ दगा किया है। यह काय भारी देशद्रोहके समान है, यद्यपि ऐसे लोगोकी सख्या बहुत ही थोडी है, इसके अतिरिक्त उनमेसे बहुतेरोको जो पछतावा और खेद हुआ है तथा एकाध हकदार व्यक्तिके अनुमतिपत्रको झूठा ठहरा कर उसकी जो दुदशा की गई है, हम आशा करेगे कि उससे सचेत होकर ट्रान्सवालमे हर जगह जो भी डगमगाता रहा हो, वह दढ हो जायेगा। प्रिटोरियाने जो कर दिखाया उससे भी बढिया अब पीटसबग और अय जिलोको करके दिखानेका समय आया है। और यदि ऐसा कर दिखाया तो इस लडाईका परिणाम एक ही होगा, और वह है विजय। इस समय प्रिटोरियाके बहादुर भाइयोसे हम इतना ही कहेगे कि उन लोगोने जुलाईमे जो कुछ करके दिखाया है उसे निभानेके लिए कारावास भोगने, सरकार चाहे तो कठोर कारावास भोगने, निर्वासित होने, सक्षेपमे, चाहे जो सहन करनेके लिए बेधडक तैयार रहना है। इस समय हम रण सग्रामके मध्यमे है। इसलिए पीछे मुडकर देखनेका समय नही है। हमारी लडाई न्यायकी है, इसलिए स्वय जगतका महान कर्ता हमारे पक्षमे है। अबतक की लडाईमे सरकारने नीचे उतरनेमे कोई कसर नही रखी है। यह विजय हमारी अबतक की दृढताका परिणाम है। और भी क्या नही किया जा सकता, यह हम कूत नही

१ सभाके समाप्त हो जानेपर गाधीजीने एक भेंट दी थी जिसकी यह संक्षिप्त रिपोर्ट है।

सकते। प्रिटोरियाने जो कुछ किया है, उसके लिए उसे हम हार्दिक बधाई देते हैं और खुदासे इबादत करते हैं कि वह सदा जेल जानेवालोंकी पीठपर रहे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३–८–१९०७

१०२ नेटालके भारतीयोंमें जागृति

हम बार बार नेटालके भारतीयोंसे जागते रहनेके लिए कहते आये हैं। हमें खुशीके साथ कहना चाहिए कि वे अब सोते हुए नहीं जान पड़ते। वे ट्रान्सवालके भारतीयोंको तन, मन, धनसे मदद देनेकी कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेसके अग्रगण्य लोगोंमें से श्री दाउद मुहम्मद, पारसी रुस्तमजी, दादा उस्मान, इस्माइल गोरा, डा० नानजी, डा० हीरा माणिक, वगैरह इनमें चन्देके लिए हमेशा कोशिश करते हैं। श्री एम० सी० आँगलियाने अब्दुल कादिर, पीरन मुहम्मद, तैयब मूसाके साथ जाकर मैरित्सबर्गमें दो ही दिनमें चन्देकी बहुत बड़ी रकम इकट्ठा की है। इससे सबक लेकर नेटालके सब भारतीयोंको अपने अपने विभागमें शक्तिभर चन्दा इकट्ठा करना चाहिए। कांग्रेसके नेता जब यह कोशिश कर रहे हैं तब साधारण वर्गके लोग भी पीछे नहीं हैं, रेलवेसे जोहानिसबर्ग जानेवाले मुसाफिरोंका पता रखनेवाले तीन स्वयंसेवकोंके अलावा सर्वश्री हुसेन दाउद (श्री दाउद मुहम्मदके लड़के), यू० एम० शेलत, छबीलदास बी० महेता, रुकनुद्दीन तथा डी० के० गुप्तेने भी अपना सारा समय कांग्रेसको अर्पित किया है। इधर कुछ दिनोंसे दिन भर यहाँसे प्रिटोरियाको तार भेजे जाते रहे हैं। और वहाँके तारोंकी आतुरतासे प्रतीक्षा की जाती है। नेटालके भारतीयोंकी इस हमदर्दीसे ट्रान्सवालके भारतीयोंको समझना चाहिए कि यहाँ की लड़ाईमें वे अकेले नहीं हैं, बाहरके भारतीय भी तन-मन धनसे, निर्भयतापूर्वक उनके साथ खड़े हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३–८–१९०७

१०३ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[अगस्त ५, १९०७]

पीटर्सबर्गपर बला

अनुमतिपत्र कार्यालय रूपी बला पीटसबग गई हे। इस पत्रके छपते छपते मालूम हो जायेगा कि पीटसबगके भारतीय सिंह है या सियार। यह पत्र सोमवारको लिख रहा हू, फिर भी मै मानता हूँ कि वे सिंह है। अनुमतिपत्र कार्यालय केवल ७ तारीखसे १० तारीख तक गुलामीका पट्टा देनेके लिए पीटसबगमे रहेगा। यह मालूम होते ही वहाके नेता प्रिटोरिया जा पहुँचे। अत्यन्त जागरूक सेक्रेटरी श्री हाजी हबीब जो कामसे जोहानिसबग आये हुए थे तत्काल वापस प्रिटोरिया गये और उन्होने पीटसबगके नेताओको उत्साह दिलाया। उन्होने बीडा उठाया है कि पीटसबगमे अनुमतिपत्र कार्यालयका बिलकुल बहिष्कार होगा।

पीटर्सबर्गमे बला क्यो गई?

यह प्रश्न सबके मनमे उठेगा। मुझे खेदपूवक कहना चाहिए, इसमे दोष पीटसबगके भारतीय भाइयोका है। वे ३१ जुलाईकी प्रसिद्ध सावजनिक सभामे नही आये। उनका भेजा हुआ तार कमजोर था और उस दिन जहा सारे ट्रान्सवालकी दूकाने — श्री खमीसा की दूकान भी — बन्द रही, वहा पीटसबगके भारतीयोकी दूकाने खुली थी। इससे सामान्यत सरकारने अनुमान लगाया कि पीटसबगके भारतीय बहुत आसानीसे गलेमे गुलामीकी जजीर डाल लेगे और खूनी पट्टा रूपी पजीयनपत्र ले लेगे। इसके अलावा चूकि श्री खमीसा और हाजी इब्राहीमने मेमन लोगोके नामपर बट्टा लगाया है और, दूसरे, पीटसबगमे मेमन लोगोकी बस्ती हे, इसलिए सरकारने सोचा कि पीटसबगमे उनका गोला बारूद कामयाब हो जायेगा और भारतीय स्वतन्त्रताका किला पीटसबगमे ढह जायेगा।

किन्तु पीटसबगकी जमात श्री खमीसा तथा हाजी इब्राहीमसे आदश ग्रहण करेगी, यह माननेमे सरकारने भूल की है। मै मानता हूँ कि ये दोनो भारतीय भी अब पछताते है। उनके नये पजीयनपत्र उन्हे भारी पड गये है। यद्यपि भारतीय उनसे सम्बन्ध विच्छेद नही कर रहे है और न वे उन्हे सताते है, फिर भी वे अब लज्जित हो गये है और उन्हे लोगोके कडुवे शब्द सुनने पडते है। इसलिए किसी भारतीयकी यह हिम्मत नही कि कोई उनका अनुकरण करे। इसके अलावा जाहिर तौरपर तो वे यही कहते दिखाई देते है कि "हमने तो हाथ और मुह काले किये किन्तु हमारे जैसा दूसरे भारतीय न करे।"

प्रिटोरियाको रियायत

पीटसबगके नोटिसमे सरकारने यह भी कहा है कि प्रिटोरियाके भारतीयोको भी वहा नये पजीयनपत्र लेनेकी छूट है। इसे मै बन्धन मानता हूँ। लालच बुरी चीज है। नये पजीयनपत्र लेना मै अपराध मानता हूँ। प्रिटोरियाके भारतीयोको इस अपराधमे फसानेके लिए सरकारने जो दरवाजा खोला है उसे छूट मानना गलत हे। यह तो एक फन्दा है। म तो विश्वासपूवक मानता हूँ कि उस प्रलोभनमे फँसनेके लिए कोई भी भारतीय प्रिटोरियासे नही जायेगा।

करीम जमालका मुकदमा

करीम जमालके मुकदमेसे भारतीय लोग नये कानूनके प्रति और भी ज्यादा सतर्क हो गये हैं। उसके सामने झुकना उन्हें नींद बेचकर जागरण मोल लेनेके समान मालूम हुआ है। श्री करीम जमालका मुकदमा वापस ले लिया गया है। सरकारी वकीलने स्वीकार किया है कि यह मुकदमा भूलसे दायर हुआ था। इससे श्री करीम जमालको क्या लाभ? उन्हें तो तकलीफ उठानी ही पड़ी और धनकी बरबादी भी हुई। इस बरबादी और मुसीबतसे तंग आकर उन्होंने पंजीयनकी अर्जी वापस ले ली है। (इस सम्बन्धमें पंजीयकके नाम लिखा हुआ पत्र दूसरी जगह दिया गया है। वह देखिए)।[1]

इस पत्रसे सबको चेत जाना चाहिए कि यह कानून गरीब आदमीपर कितनी मुसीबत ढा सकता है।

एक गोरेकी निशानी लगानेके विरुद्ध लड़ाई

एक गोरेको चोरीके अभियोगमें गिरफ्तार किया गया है। जेलका कानून ऐसा है कि जो भी व्यक्ति जेल जाये, वहाँ पुलिसको उसकी अँगुलियोंकी निशानी लेनेका अधिकार है। इस अधिकारके कारण पुलिसने गोरेसे जेलमें अँगुलियोंकी निशानी माँगी। गोरेने देनेसे इनकार किया। उसे मजिस्ट्रेटके सामने खड़ा किया गया। फिर भी गोरेने निशानी लगानेसे साफ इनकार कर दिया। कानूनमें जबरदस्ती हाथ दबाकर निशानी लगवानेकी सत्ता तो है नहीं। इसलिए मजिस्ट्रेटने उस गोरेको तीन दिन अंधेरी कोठरीमें बन्द रखनेकी सजा दी। वह उसने बहादुरीसे भोगी, किन्तु अँगुलियोंकी निशानी देनेसे इनकार किया।

लड़ाईमें पैसेकी सहायता

बॉक्सबर्गसे श्री भटने संघको लिखा है कि वहाँ भारतीयोंमें बड़ी हिम्मत है और वे चन्दा उगाह रहे हैं। कोई जेल जायेगा तब यदि मददकी आवश्यकता हुई तो देंगे। यह खबर बहुत ही सन्तोषजनक है। मुझे इस सम्बन्धमें कहना चाहिए कि नेटालमें जितना धन इकट्ठा हो वह कांग्रेसके मन्त्रीको भेज दिया जाये। और इसी प्रकार जहाँ भी चन्दा जमा हो, वह वहाँके संघको भेज दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने पास या गाँवमें ही किसी नेताके पास चन्देकी रकम रखे रहेगा तो आवश्यकताके समय उसे पहुँचाना कठिन हो जायेगा। ट्रान्सवालमें एक ही जगहसे पैसा माँगना पड़े — ऐसी व्यवस्था होना जरूरी है। इस समय किसीको इसमें न बड़प्पन मानना चाहिए और न उसकी अपेक्षा रखनी चाहिए, बल्कि सबको अपना-अपना फर्ज अदा करना चाहिए।

सार्वजनिक सभा

प्रिटोरियाकी सार्वजनिक सभा बहुत ही अच्छी रही। कह सकते हैं कि एम्पायर नाटकघरकी और गेइटी नाटकघरकी सभा उसके सामने कुछ नहीं थी। इसके अलावा वह चूँकि मसजिद जैसे पवित्र स्थानके मैदानमें हुई, इससे जान पड़ता है, भारतीय समाजकी विजय निश्चय ही मिलेगी। इस सभामें "प्रिटोरिया न्यूज" के सम्पादक स्वयं उपस्थित थे, जब कि अन्य सभाओंमें केवल संवाददाता ही आते थे। पहली दो आम सभाओंमें यहाँके संसद-सदस्य नहीं थे।

1. यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

हॉस्केनकी उपस्थिति

इस सभामे प्रसिद्ध ससद सदस्य श्री हॉस्केन आये थे। श्री हास्केनके भाषणसे हमे उत्साहित होना चाहिए। उन्होने जो सीख दी है उसके अलावा वे और कुछ कह ही नही सकते। किन्तु वे इसलिए आये कि उन्हे जनरल बोथा, जनरल स्मटस और श्री हलने भेजा था। इससे मालूम होता है, सरकारपर जुलाई महीनेके कामका प्रभाव पडा है। दो पक्ष लडते है तब सामान्यत अततक दोनो अपनी अपनी तरफ खीचते है। उसमे जिसका पक्ष सच्चा होता है और जो अततक जोर दिखाता है वह विजयी होता है। अत सरकार यदि यह सन्देश भेजती है कि कानूनमे सशोधन बिलकुल नही होगा और स्वेच्छया पजीयनकी बात स्वीकार नही की जायेगी, तो इसमे कोई आश्चय नही। आजतक हमारी बात कोई नही सुनता था। उसके बदले अब सरकारको सुननेकी इच्छा हुई, इसे विजयकी ओर पहला कदम मानना चाहिए।

दूसरे शुभ शकुन

जैसे मै मसजिदकी सभा और श्री हास्केनकी उपस्थितिको अच्छे लक्षण मानता हूँ, वैसे ही श्री हाजी कासिमकी लाई हुई इस खबरको भी, कि सरकार तत्काल किसीको जेल भेजनेवाली नही है, शुभ शकुन मानना होगा। वास्तवमे तो यह बिलकुल बेकार बात है। सरकार जितनी जल्दी हमपर हाथ डालेगी उतनी ही जल्दी फैसला होगा। किन्तु यह खबर सभाके दिन मिली इस सयोगको मै अच्छा मानता हूँ। सबसे अच्छा शकुन तो यह है कि कि ३१ तारीखको सबेरे विलायतसे तार मिला है कि दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति सर हेनरी कैम्बेल बेनर मैनसे मिलनेकी तजवीज कर रही है। इस तारसे सबको प्रसन्नता हुई है। सबको सन्तोष हुआ है कि समिति हमे बिलकुल छोड देनेवाली तो नही है।

रायटरको तार

सभा समाप्त हो जानेके बाद प्रिटोरिया समितिने रायटरको लम्बा तार भेजा तथा एक तार सीधा समितिके नाम भेजा। इसमे लगभग ७ पौड खच हुए। तारके उत्तरमे समितिकी ओरसे सूचना मिली है कि इस प्रश्नपर लोकसभामे बहस की जायेगी और ट्रान्सवालको जो पचास लाख पौडका कज चाहिए उसके सिलसिलेमे हमारा प्रश्न उठेगा। इससे आशा तो है कि हमे लाभ होगा, किन्तु ऐसी मददपर किसीको ज्यादा भरोसा नही रखना चाहिए। इसमे यदि निराशा हो तो आश्चयकी कोई बात नही। मुख्य बात यह है कि सब कुछ हमारे बलपर निभर है और यह निश्चय मानना चाहिए कि जेलके दरवाजेसे गुजरे बिना हमारा छुटकारा नही होगा।

और भी सहायता

श्री मोतीलाल दीवान लिखते है कि ट्रान्सवालके भारतीय आत्म बलिदान करके सेवा करनेको तैयार है। यदि कोई भारतीय जेल जाये तो वे उसके बाल बच्चोकी व्यवस्था करने और उसका स्वागत करनेके लिए चाल्सटाउन तक जानेको तैयार है। ऐसे उदाहरणोसे हमे बहुत ही मदद मिलती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१०४ तार सी० बर्डको

मक्युरी लन
[डर्बन]
अगस्त ८, १९०७

श्री सी० बर्ड,[1] सी० एम० जी०
पी० मैं० बर्ग[2]

महामहिम सम्राटने आपको मान[3] प्रदान किया तदर्थ बधाई देता हूँ।

गाधी

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ३८७७) से।

१०५ पत्र जनरल स्मट्सके निजी सचिवको

जोहानिसबर्ग
अगस्त ८, १९०७

जनरल स्मट्सके निजी सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

मुझे एकाधिक सूत्रोंसे यह सूचना मिली है कि जनरल स्मट्सकी रायमें एशियाई कानून संशोधन विधेयकके विरुद्ध आन्दोलनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और मेरे कामको वे बहुत नापसन्द करते हैं। यदि इस आरोपका मतलब यह है कि मेरे देशवासी कानूनका बिलकुल विरोध नहीं करते लेकिन मैं बेजरूरत उन्हें भड़काता हूँ, तो मैं इससे कतई इनकार करनेकी धृष्टता करता हूँ। दूसरी ओर, यदि इसका यह अर्थ है कि मैंने उनके भावोंको प्रकट किया है और पूरी योग्यताके साथ उनके सामने ठीक ठीक यह रखनेका प्रयत्न किया है कि कानूनका क्या उद्देश्य है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि, चूँकि मेरे माता-पिताने मुझे व्यापक ढंगकी शिक्षा दी है और मैंने भी एक खास हद तक आधुनिक इतिहास पढ़ा है, इसलिए यदि मैं इतना भी नहीं करता तो अपने प्रति और अपने देशके प्रति सच्चा नहीं उतरूँगा।

श्री डी' विलियर्सस अपने पेशेसे सम्बन्धित मेरे ताल्लुकात रहे हैं। इसलिए उनपर भरोसा करके मैं उनसे निजी तौरपर मिला और कठिनाईका कोई हल ढूँढ़नेके खयालसे मैंने उनसे गैर-सरकारी तौरपर दखल देनेके लिए कहा। उन्होंने जनरल स्मट्ससे मिलकर मुझे सूचित करनेका वचन दिया था। उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन मैं उनसे स्वयं फिर नहीं मिल सका। वे इस आशयका सन्देश अपने सचिवके पास छोड़ गये थे कि, यद्यपि उनसे मेरी

१. ट्रान्सवाल उपनिवेश-सचिवके निजी सचिव।
२. पीटर्समैरित्सबर्ग।
३. कम्पेनियन ऑफ़ (दि ऑर्डर ऑफ़) सेंट माइकेल एंड सेंट जार्ज।

सुझाई हुई दिशामे किसी सहायताके मिलनेकी बहुत कम आशा है तथापि मुझे सीधा जनरल स्मट्ससे निवेदन करना चाहिए।

मुझे विश्वास है कि मै सरकारकी सेवा करनेके लिए उतना ही उत्सुक हूँ जितना अपने देशवासियोकी सेवा करनेके लिए। और मै समझता हूँ कि यह प्रश्न बडा महत्त्वपूण है और साम्राज्यके लिए भी महत्त्वका है। इसलिए मै इसके साथ प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके सशोधनका एक जल्दीमे तैयार किया हुआ मसविदा सलग्न कर रहा हूँ। मेरी विनम्र रायमे इसमे सरकारका दष्टिकोण पूरी तरहसे आ जाता है और इससे वह लाञ्छन भी मिट जाता है जो, सही या गलत मेरे देशवासियोकी रायमे एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके आगे झुक जानेसे, उनपर लगता हे।

मैने दक्षिण आफ्रिकी ब्रिटिश भारतीय समितिको भेजे हुए जनरल स्मटसके उत्तरका तारसे प्राप्त सार भेजा है। उन्होने यह कहनेकी कृपा की है कि भारतीय समाजके नेताओसे सहयोग करना सम्भव नही है, क्योकि उन्होने मुकाबला करनेका रुख अख्तियार किया है। मै आदरपूवक कहूँगा कि हमारे रुखमे मुकाबला करनेका भाव नही है, बल्कि ईश्वरकी इच्छा पर सब कुछ छोड देनेकी भावना है, क्योकि उसके नामपर भारतीयोने शपथ ली है कि वे अपने पौरुष और स्वाभिमानको नही छोडेगे, जिसपर, उनकी रायमे, पजीयन अधिनियम द्वारा गम्भीर आक्रमण होता है।

म आशा करता हूँ कि इसके साथ भेजा हुआ प्रस्ताव उसी भावनासे ग्रहण किया जायेगा जिस भावनासे वह पेश किया गया है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

मो० क० गाधी

[सलग्न पत्र]

एशियाई पजीयन अधिनियम सम्बन्धी कठिनाई हल करनेके लिए प्रस्ताव

निवेदन है कि प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक, जो अब भी वापस लिया जा सकता है और सशोधित किया जा सकता है, सम्पूण कठिनाईको नीचे लिखे अनुसार दूर कर सकता है

१ विधेयकके खण्ड १ मे "किन्तु" से "दिये जा चुके है" तक छोड दिया जाये।

२ खण्ड २ मे निम्न बाते जोड दी जाये "वर्जित प्रवासी" शब्दोके अन्तगत उन एशियाइयोका समावेश न होगा और उनसे वे पुरुष एशियाई न समझे जायेगे जो इसकी उपधारा (क), (ख), (ग) और (घ) के अन्तगत आते है, इसके बावजूद कि इनसे उपखण्ड १ की शर्तें पूरी न हो सकती हो

(क) कोई भी एशियाई, जिसने नियमानुसार क्षतिपूर्ति और शान्ति रक्षा अध्यादेश १९०२ या उसके किसी सशोधनके अन्तगत दिये गये परवानेके द्वारा या १ सितम्बर १९०० और कथित अध्यादेशके पास होनेकी तारीखके बीच दिये गये परवाने द्वारा, जबतक वह परवाना जाली तौरपर लिया हुआ न हो, उपनिवेशमे आने और रहनेका उचित अधिकार प्राप्त किया हो, व्यवस्था की जाती है कि ऐसे परवानेमे किसी एशियाईको केवल सीमित समय तक इस उपनिवेशमे रहनेका अधिकार बताया गया हो तो वह इस उपखण्डके सशोधनके भीतर परवाना न समझा जायेगा,

(ख) कोई भी एशियाई जो इस उपनिवेशका निवासी हो और ३१ मई १९०२ को प्रत्यक्षत यहा रहा हो,

(ग) कोई भी एशियाई जो ३१ मई १९०२के वाद इस उपनिवेशमे उत्पन्न हुआ हो, किन्तु इस उपनिवेशमे १९०४ के श्रम आयात अध्यादेशके अ तगत लाये हुए किसी मजदूरका बच्चा न हो,

(घ) कोई भी एशियाई, जिसने ११ अक्तूबर १८९९ से पूव १८८६ मे सशोधित रूपमे १८८५ के कानूनके अनुसार ३ पौडकी रकम दे दी हो।

व्यवस्था की जाती है कि ऐसा एशियाई उस तारीखसे पूव, जिसे उपनिवेश-सचिव निश्चित करेगा, नियमके द्वारा, विहित फामके अनुसार अधिवासी प्रमाणपत्र ले लेगा और यह व्यवस्था भी की जाती है कि १६ वषकी आयु तक के बच्चे इस धाराके अमलमे मुक्त होगे, १६ वषके होनेपर वे अधिवासी-प्रमाणपत्र लेनेके लिए बाध्य होगे जिससे वे पहले उल्लिखित छूटकी माँग कर सके।

३ एशियाई शब्दका अथ होगा ऐसा कोई भी पुरुष जैसा कि १८८५ के कानून ३ की धारा १ म बताया गया है, किन्तु वह उपनिवेशमे १९०४ के श्रम आयात अध्यादेशके अन्तगत लाया हुआ व्यक्ति न हो।

४ ससदके प्रस्ताव, १२ अगस्त १८८६ की धारा १४१९ और १० मई १८९० की धारा १२८ द्वारा सशोधित रूपम १८८५ के कानून ३ की धारा २ का (ग) उपखण्ड और एशियाई कानून सशोधन अधिनियम इसके द्वारा रद्द किये जाते ह।

५ उपखण्ड १५ म जोडा जाये। उपखण्डके अन्तगत अधिवासी प्रमाणपत्रके फाम और उसके लिए प्राथनापत्र देनेकी विधि एव वह समय जिसके भीतर १६ वषसे कम आयुका एशियाई बच्चा १६ वषका होनेपर अधिवासी प्रमाणपत्रके लिए प्राथनापत्र देगा, भी बताये जाये।[१]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-८-१९०७

१ गांधीजीने गुजराती स्तम्भोंमें प्रस्तावको संक्षिप्त रूपमें दिया था और उसके मुख्य मुद्दे ये बताये थे यह निवेदन है कि प्रवासी-प्रतिबन्धक विधेयकसे, जिसमें संशोधन किया जा सकता है, समस्त कठिनाइ निम्न प्रकार दूर की जा सकती है

(१) नया अधिनियम वापस ले लिया जाये।

(२) "निषिद्ध प्रवासी" शब्दोंमें निम्न वर्गोंके लोग सम्मिलित न होंगे, जिनके पास वैध परवाने हों और जो उनको बताये गये समयके भीतर बदलवा कर नये ले लें।

(३) कोई एशियाई, जिसके पास कोई परवाना नहीं है, किन्तु जिसने ११ अक्तूबर १८९९ से पूर्व डच-सरकारको ३ पौंडकी रकम दे दी थी, बशर्ते कि ऐसा एशियाई उपनिवेश सचिव द्वारा नियत की जानेवाली तारीखसे पहले नियम द्वारा निश्चित फार्मके अनुसार अधिवासी प्रमाणपत्र ले ले।

(४) अपने परवानोंको बदलवानेकी यह बाध्यता सोलह वर्ष तक की आयुके बच्चोंपर लागू न हो। वे जब सोलह वर्षके हो जायें तब अधिवासी प्रमाणपत्र ले सकते हैं, ऐसा नियम कर दिया जाये।

(५) "एशियाई" शब्दमें सब एशियाइयोंका समावेश हो।

(६) ३ पौंडकी अदायगीसे सम्बन्धित उपधारा रद कर दी जाये।

(७) सरकारको अधिवासी प्रमाणपत्रोंके फार्म और उनके लिए प्रार्थनापत्र देनेकी विधि निश्चित करनेका अधिकार हो।

१०६ तार प्रिटोरिया समितिको[1]

जोहानिसबग
[अगस्त १०, १९०७ के पूव]

[प्रिटोरिया समिति
ब्रिटिश भारतीय सघ
प्रिटोरिया]

सघ की समितिने तथा हाइडेलबग, पाचेफस्ट्रूम, फ्रेनीखन (वेरीनिगिग), मिडेलबग, क्रूगसडाप और अन्य शहरोके प्रतिनिधियोने भी, अपनी बैठकमे दासताके प्रमाणपत्रोके लिए प्राथनापत्र देनेके समस्त विचारपर घणा व्यक्त की। बैठकने प्रिटोरियाके भारतीयोसे आग्रहपूवक अनुरोध किया कि वे अन्ततक मजबूत और वफादार रहे जिससे उनकी कायरता और स्वाथपरता उनके देश और देशवासियोके प्रति विश्वासघातका कारण न बने। यदि सब मजबूत रहे, जीत हमारी हे। प्रिटोरियाको सब भारतीयोके सम्मुख उत्साहवद्धक उदाहरण रखना है।

[ब्रि० भा० स०]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१०७ श्री हॉस्केनकी "अवश्यम्भावी"

सारे दक्षिण आफ्रिकामे श्री हॉस्केन अश्वेत जातियोके मित्र समझे जाते है। वे दक्षिण आफ्रिकाके उन गिने चुने लोगोमे से है जो अपने विचारोपर दढ रहनेका साहस रखते है। इसलिए प्रिटोरियाके भारतीयोकी आम सभामे उन्होने जो बाते कही, वे बहुत ध्यान देने लायक है।

आइये, हम उनके बताये हुए सिद्धान्तका विश्लेषण करे। सिद्धा त यह है कि भारतीयोको प्राच्य जातीय होनेके नाते "अवश्यम्भावी" को मान्य करके उसके सामने सिर झुका देना चाहिए। इस शब्दसे श्री हास्केन यह समझाना चाहते है कि यह अधिनियम चूकि ट्रान्सवालके गोरोकी मागपर स्थानीय ससदने सवसम्मतिसे स्वीकार किया है, इसलिए इसे उन्हे ईश्वरीय विधानके समान समझना चाहिए। श्री हॉस्केनके इस प्रस्तावपर हम आपत्ति करनेके लिए विवश है। माननीय महानुभावने स्वीकार किया है कि वे स्वय इस कानूनको पस द नही करते और अगर उनके लिए सम्भव होता तो वे स्वय भारतीयोकी प्राथना स्वीकार कर लेते। उन्होने यह भी स्वीकार किया है कि "अनाक्रामक प्रतिरोध" अपनी सच्ची शिकायतोको दूर करनेका सही

१ यह ब्रिटिश भारतीय सघ द्वारा भेजा गया था और इसका मसविदा अनुमानत गाधीजीने बनाया था।

तरीका है। इसलिए श्री हॉस्केनका यह कथन कि यह कानून ईश्वरीय कानूनके समान है, स्वय उन्हीकी बातोमे कट जाता है। लेकिन हम तो इससे भी आगे जाते हैं। प्राच्य लोगोके विचारानुसार कोई भी मानवीय कृत्य, जबतक कि वह वास्तवमे न्यायोचित न हो, दैवी होनहार नही समझा जाता। और जब-कभी कोई प्राच्य व्यक्ति किसी जाहिरा होनहारके सामने झुक जाता है तो उसके इस आचरणके पीछे हमेशा दैवी हाथकी मान्यताका भाव नही होता, बल्कि नीच स्वार्थपरता होती है। तब आत्मा चाहती है, पर देह साथ नही देती।

वह कौन-सी बात है जिसे श्री हॉस्केन भारतीयोसे करवाना चाहते हैं? क्या यह कि वे इस देशमे बने रहनेके लिए गुलामीके कानूनको मान ले? दूसरे शब्दोमे, श्री हॉस्केन, जो ईश्वरके भक्त है, भारतीयोको यह सलाह देना चाहते हैं कि वे पार्थिव लाभके लिए अपने पवित्र सकल्प और सम्मानको लात मार दे। हम उनके प्रभुकी भाषामे जवाब देते है, "तुम पहले ईश्वरके राज्य और सदाचारके पथकी खोज करो, फिर तुमको सब-कुछ मिल जायेगा।" हमारा विश्वास है कि इस निकम्मे कानूनका विरोध करके भारतीय "ईश्वरका राज्य" खोजेगे।

श्री हॉस्केन कहते हैं कि शपथ बन्धनकारी नही है क्योकि वह गलतीमे ली गई है। लेकिन वह पवित्र घोषणा तो भारतीयोने बहुत सोच विचार कर की है और उन्होने इस कानूनका विरोध करने और कैद या उससे भी अधिक कष्ट सहन करनेका जो निश्चय किया है वह केवल अपने ही सम्मानके लिए नही, बल्कि अपने प्रियजनो और स्वदेशकी प्रतिष्ठाके लिए भी किया है।

इसलिए, हमे विश्वास है कि श्री हॉस्केन, असहायोके प्रति अपने स्वाभाविक उत्साहके साथ, एशियाई-प्रश्नको समझनेका प्रयत्न करेगे और हम निश्चय है कि भारतीय समुदायके सम्पूर्ण पक्षको मान लेगे। वे सभामे सरकारकी ओरसे शान्तिदूत बनकर गये थे। हमे इसमे जरा भी सन्देह नही कि अगर वे भारतीय दृष्टिकोणको ठीक ठीक समझ लेगे तो एक सच्चे मध्यस्थका कर्तव्य पूरा करेगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१०८ श्री अलीका विरोध[1]

श्री अलीने अखबारोको जो पत्र लिखा है उसकी तरफ हम ट्रान्सवाल सरकारका ध्यान खीचना चाहते है। पाठकोको याद होगा कि श्री अली उस शिष्टमण्डलके एक सदस्य थे जो लार्ड एलगिनसे एशियाई अध्यादेशके सम्बन्धमे मिला था। 'रैंड डेली मेल' उसे एक कटु विरोध कहता है, और वह है भी। शायद, श्री अलीका मामला असाधारण हो, लेकिन इससे यह साफ जाहिर है, ऐसा और किसी तरह जाहिर नही हो सकता था कि इस कानूनमे भारतीय समुदायको कितना कष्ट होनेवाला है। भारतीयोकी आपत्तिको कोरी भावुकता कहकर दबा दिया गया है। श्री डकनने बिना यह जाने कि इस कानूनका मतलब क्या है, यह कहनेकी कृपा की है कि एशियाइयोके एतराजको दबा देना चाहिए। लेकिन हम पूछते है कि क्या श्री अलीने सिर्फ भावुकताके कारण ही यह रवैया अपनाया है? क्या भारतीय समुदायसे यह कहा जायेगा कि श्री अली एक मूर्खताभरी भावुकताके पीछे ही, कदाचित, भुखमरीका सामना करने जा रहे है? या लॉर्ड एलगिनकी आखे खुलेगी कि आखिरकार, ब्रिटिश प्रजाको, भले ही वह भारतीय हो, जहा कही ब्रिटिश झडा लहराता हो वहा वैयक्तिक स्वतन्त्रता और सुरक्षाका अधिकार है?

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

१०९ ट्रान्सवालके भारतीय

सरकारने पीटसबर्गके सम्बन्धमे जो सूचना प्रकाशित की है वह निःसन्देह नब्ज टटोलनेके लिए है और ऐसा लगता है कि सरकारको अब भी शक है कि एशियाई अधिनियमके खिलाफ जो विरोधकी भावना है, वह व्यापक और आम लोगोमे फैली हुई है या सिर्फ मुट्ठी भर "आन्दोलनकारियो" तक सीमित है। इस दृष्टिसे पीटसबर्गकी सूचना न्यायोचित है। पीटसबर्गके भारतीयो द्वारा दिये गये जवाबसे जनरल स्मटसके दिमागमे जो भी शका हो, वह दूर हो जानी चाहिए। पीटसबर्गके भारतीय अपने शहरमे पजीयन कार्यालयका भेजा जाना एक ऐसी आफत समझते है, जिससे बचना चाहिए। उन्होने सरकारको प्रार्थनापत्र भेज कर जो बहादुरी दिखाई है, उसपर हम उन्हे बधाई देते है, लेकिन हम उन्हे और सारे ट्रान्सवालवासी भारतीयोको भी, सावधान कर देना चाहते है कि सरकारने पूर्वग्रहोकी जो अभेद्य दीवार उनके सामने खडी कर दी है, उसमे दरार करनेके लिए उन्हे बहुत ही कठिन और लम्बी लडाई लडनी पड सकती है। खून बहाये बिना पापका प्रायश्चित्त नही हो सकता। ब्रिटिश भारतीयोके लिए इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि जेल और निर्वासन तक के कष्ट भोगे बिना उन्हे आजादी नही मिल

१ देखिए "अलीका पत्र", पृष्ठ १५६।

सकती। जिन राहतोको पानेके लिए वे लड रहे है, उन्हे पानेसे पहले उन्हे अपने आपको उनके योग्य साबित करके दिखलाना होगा।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

११० अब क्या होगा?

सावजनिक सभा[1] समाप्त हो गई। प्रिटोरियाने बहादुरी दिखाई। अगस्तके दिन बीत चले, लेकिन अभी तक किसीको पकडा नही गया। अब क्या होगा? यह प्रश्न बहुत जगह किया जा रहा है। ऐसा दिखाई देता है कि प्रिटोरियाके नोटिसके आधारपर सरकारने कोई कदम उठानेका इरादा नही किया था। सरकारका यह इरादा जान पडता है कि ट्रान्सवालके सारे भारतीयोको गुलामीका पट्टा लेनेका मौका मिल जानेके बाद ही जेल भेजना शुरू किया जाये। अब पीटमबर्गमे बहिष्कार सफल होना सम्भव है। इसलिए यदि दफ्तर कही खुल सकता है तो वह जोहानिसबर्गम ही, और वहाँ नोटिसकी अवधि पूरी हो जानेके बाद गिरफ्तारियाँ शुरू होगी। जो खबरें मिली है उनसे मालूम होता है कि सरकार सबसे पहले नेताओको गिरफ्तार करेगी। यह निणय ठीक माना जायेगा। यदि उसे यह सन्देह हो कि केवल नेताओके बहकानेसे लोग नये कानूनका विरोध कर रहे है, तो नेताओकी गिरफ्तारीके बाद भी यदि समाज दृढ रहे तो वह सन्देह दूर हो जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

१ देखिए "भाषण प्रिटोरियामें", पृष्ठ १३९-४१।

१११. समितिकी लडाई

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिने फिर कानून सम्बन्धी लडाई शुरू की है और इसमे कोई शक नही कि वह सावजनिक सभाका फल है। श्री चर्चिलने श्री राबटको जवाब देते हुए कहा है कि बडी सरकार मानती है, यह मामला बहुत ही गम्भीर हो गया है। बडी सरकारने लॉड सेल्बोनसे हमेशा तार भेजते रहनेको कहा है। और यह भी सूचित किया है कि वे ऐसी सब कारवाई करे, जिससे स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशके हकोको धक्का न पहुँचे।

उधर, श्री काक्सने[1] नोटिस दिया है कि यदि भारतीयोके हकोकी रक्षा न की जा सके, तो ट्रान्सवालको पचास लाख पौण्ड कजकी सहायता नही दी जानी चाहिए।

इन घटनाओसे पता चलता हे कि बडी सरकार ट्रान्सवालके भारतीयोको छोड नही देगी। किन्तु इसमे खुली शत यह है कि ट्रान्सवालके भारतीय अपने आपको न छोडे। उनकी जेल जानेकी शक्तिपर सब कुछ निभर है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

११२ जनरल स्मट्सका उत्तर

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिने जनरल बोथाके नाम जो पत्र भेजा था उसका उत्तर जनरल स्मटसने दिया है। उसका साराश 'स्टार' आदि समाचारपत्रोको तार द्वारा प्राप्त हुआ है। यह उत्तर एक मास पुराना है, इसलिए इसे अधिक महत्त्व देनेकी जरूरत नही। इसके बाद तो बहुतसी घटनाएँ हो चुकी है, और उनका क्या प्रभाव पडा है यह अभी नही कहा जा सकता। परन्तु श्री स्मट्सका एक महीने पहलेका उत्तर बता रहा है कि यदि उनका वश चले तो वे एक भी भारतीयको नही रहने देगे। भूमि सम्बन्धी अधिकार वे देगे नही, अँगुलियोकी छाप तो देनी ही है, ट्रामका कानून भारतीयोके हितके लिए है, वैसी ही रेलवेकी बात है। तब फिर शेष क्या रहा? इतनेपर भी जनरल स्मटस कह रहे है कि भारतीय नेतागण कानूनके सामने झुकना नही चाहते, इसलिए वे उन लोगोकी सलाह नही लेना चाहते, यानी भारतीय समाजको किस प्रकार गुलाम बनाया जाये, इसे वे महानुभाव खुद अच्छी तरह जानते ह।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

१ पत्रकार, ब्रिटिश ससदके सदस्य। देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ११।

११३ अलीका पत्र

श्री अलीने समाचारपत्रोको पत्र लिखा है, इसे हम उचित कदम समझते है। हम मानते है कि श्री अलीका मामला बहुत ठोस है। उसका प्रभाव विलायतमे और दक्षिण आफ्रिकामे पडे बिना नही रहेगा। श्री अलीने समितिको जो पत्र[1] लिखा था उसमे हुई भूल इस पत्रके द्वारा कुछ मात्रामे सुधर जाती है। श्री अली केप जानेवाले है। वहाँ वे चाहे तो देश सेवा कर सकते है। केपके भारतीयाने ट्रान्सवालकी लडाईमे काफी भाग लेना शुरू किया है। उसे श्री अली बल दे सकते है। हम आशा करते है कि श्री अली केपमे पूरी तरह लडाई लडेगे और केपके भारतीय भाई उनसे सहायता प्राप्त करेगे। इस सम्बन्धमे हमे इतना कहना चाहिए कि जो सहायता करनेके लिए तैयार है उन्हे जेलके प्रस्तावका समर्थन करना है, ट्रान्सवालको जोश दिलाना है और जिनपर मुसीबत आये उन्हे आर्थिक सहायता देनी है। इससे भिन्न जो कुछ भी किया जायेगा वह सहायक होनेके बदले नुकसान करनेवाला होगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

११४. हमारा कर्तव्य

हम इस अकमें दो पत्र ऐसे प्रकाशित कर रहे है जिनमे उन लोगोके नाम है जिन्होने ३१ जुलाईको अपनी दूकानें बन्द नही की। इसके अलावा जिन्होने प्रिटोरियामें गुलामीके पट्टेके लिए अर्जी दी थी उनके जो नाम हमारे पास पहुँचे है, उन्हे भी हम छाप रहे है। यह सब हमने अत्यन्त खेदके साथ प्रकाशित किया है। किन्तु हम समझते है कि जब एक महान लडाई लडी जा रही है तब हमें अपराधियोके नाम छिपाने नही चाहिए। उनमे से एकपर भी हमे रोष नही है। किन्तु हम मानते है कि नामोको इस प्रकार प्रकाशित करके हम देशसेवा कर रहे है। इस समय जरूरत यह है कि सारे भारतीय पूरी ताकत पकड ले और स्वार्थको छोडे। इसलिए कमजोर लोगोके नाम प्रकाशित करनेमे हमारा उद्देश्य यह है कि दूसरे बलवान बने। जिन लोगोके नाम दिये गये है उन्हे कुछ सफाई देनी हो और वह सक्षेपमे हो तो उसे भी प्रकाशित किया जायेगा। जिन्हे अपनी भूल दिखाई दे और वे पश्चात्तापके पत्र लिखे तो उन्हे भी हम छापेंगे। वे भी हमारे ही देशके है, यह समझकर हमें उनके कल्याणकी इच्छा करनी है और आशा है, इसी तरह हमारे पाठक भी चाहेगे। हमारी लडाईमें गुस्सा, द्वेष, अहकार, स्वार्थ-भावना, मारपीट, ये सब निकम्मे ही नही, हानिकारक भी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

१ देखिये "अलीकी भूल", पृष्ठ १२४ २५।

११५ केपके भारतीय

हम अपने २७ जुलाईके अकमे[1] लिख चुके है कि केपके भारतीयोको क्या मागना चाहिए, इसपर बादमे विचार करेगे। अब यहा विचार करे।

केपमे एक कष्ट तो प्रवासी कानूनका हे। उसमे केपसे बाहर जानेवाले भारतीयोपर एक वषकी अवधिका पास लेनेका बन्धन है। यदि वे यह पास न ले और उन्हे अग्रेजी न आती हो तो वे वापस नही आ सकते। इस कानूनको हम बहुत ही सख्त मानते है। ऐसा अनुमतिपत्र लेना स्वतन्त्र व्यक्तिका काम नही है। जिन्हे केपमे रहनेका हक हे वे यदि एक बार परवाना ले ले तो वह हमेशा कायम रहना चाहिए। एक वषसे अधिक समय तक यदि कोई व्यापारी बाहर रहे तो क्या वह अपना व्यापार सँभालनेके लिए केप वापस नही आ सकता? इसलिए अवधिकी यह उपधारा निकल जानी चाहिए।

इसके अलावा मियादी पास लेनेवालोसे फोटो मागा जाता है। अँगुलियोकी छापकी अपेक्षा फोटो देना हम अधिक लज्जाजनक मानते है। ऐसी धाराएँ खत्म की जानी चाहिए।

दूसरा कानून व्यापारी परवानेका हे। इस सम्बन्धमे परवाना अधिकारीके फैसलेपर अन्तत सर्वोच्च न्यायालयमे अपील करनेका हक होना चाहिए। फेरीवालोपर हर मुहल्लेके लिए अलग अलग परवाना लेनेका जो बधन है, वह भी दूर होना चाहिए।

ईस्ट लदनमे पैदल पटरियो तथा बस्तियोके विशेष नियम है। उनमे परिवतन करनेके लिए कहा जाना चाहिए। शिक्षाके सम्बन्धमे भारतीय समाजको पूरी सुविधाएँ देनेके लिए हलचल की जानी चाहिए।

इतनी बातोके बारेमे जो सवथा सन्तोषजनक उत्तर दे उन्हीको मत दिया जाये। यदि ऐसा कोई न मिले तो किसीको मत न दिया जाये। हम समझते है कि इसमे भारतीय समाजकी प्रतिष्ठा है और ऐसा करना उसका कतव्य है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

---

१ देखिए ‘ केपके भारतीय ”, पृष्ठ १२५–२६।

११६ एस्टकोर्टकी अपील

एस्टकोर्टके भारतीयोंने नगरपालिका मताधिकारके सम्बन्धमें जो अपील दायर की थी, उसका निर्णय उनके पक्षमें हुआ है। उसके लिए हम एस्टकोर्टके भारतीय बन्धुओंको बधाई देते हैं। इस अपीलका यह निर्णय हुआ है कि भारतीय समाजको एस्टकोर्ट नगरपालिकाके चुनावमें मत देनेका अधिकार है। अब सवाल यही रह जाता है कि उसके लिये आवश्यक सम्पत्ति आवेदकोंके पास है या नहीं। इस विजयमें बहुत फूलनेकी बात नहीं है, क्योंकि अभी नगरपालिका विधेयक तो विलायतमें वैसा ही विचाराधीन है। परन्तु समितिके प्रयत्नसे मालूम होता है, उस विधेयकपर बड़ी सरकारकी स्वीकृति नहीं मिलेगी। फिर भी जिन्होंने अर्जी दी है वे अपने नाम मतदाता सूचीमें दर्ज करवा दें। इसके अतिरिक्त और कोई कदम उठाना हम उचित नहीं समझते।

[गुजरातीमें]

इंडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

११७ रॉसका पत्र

नेटाल रेलवेके मुख्य प्रबन्धक श्री रॉसने भारतीय समाजको अँगूठा दिखा दिया है। इस पत्रके कारण हम भारतीय समाजको बधाई देते हैं। जैसे जैसे ये लोग हमारे धर्मोंका अधिकाधिक अपमान करेंगे, हमारे रंगका अधिकाधिक तिरस्कार करेंगे वैसे-वैसे, यदि हम सच्चे होंगे तो, हम अधिक जोर कर सकेंगे। जैसा पत्र श्री रॉसने लिखा है वैसे पत्रोंसे हमें ज्ञात होता है कि दक्षिण आफ्रिकामें हमारी स्थिति कितनी दयनीय है। यदि हमें बाकायदा हक नहीं मिलते, तो हमारा धन हमें खाने दौड़ेगा। समझदार व्यक्तिके लिए उसका धन प्रतिष्ठाके बिना काँटेके समान बन जाता है। सहाराके रेगिस्तानमें किसीकी जेबमें सोनेकी ईंटें हों, किन्तु पानीकी बूंद न मिले तो वे ईंटें जहरके समान लगेंगी। उसी प्रकार इस देशमें बिना मानके हमारा धन जहरके समान बन जायेगा। श्री रॉसके पत्रके आधारपर तत्काल कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं दिखाई देती। हमारी रायमें इन प्रश्नोंका निर्णय ट्रान्सवालकी लड़ाईके परिणामपर निर्भर है। बहुत आजिजी करनेसे हमारे मौलवियों, पादरियों और पुजारियोंको आधी कीमतमें टिकट मिल सकते हैं, किन्तु हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है कि टिकट मिलेंगे या नहीं। सच्चा प्रश्न तो यह है कि गोरोंकी नजरोंमें हमारी कोई गिनती नहीं है, और यही बात नुकसानदेह है। गिनतीमें आनेका यही रास्ता है कि ट्रान्सवालके भारतीय अन्ततक — मृत्यु पर्यन्त — जूझें और प्रतिष्ठा प्राप्त करें। तब हम बिना मताधिकारके भी मताधिकारी हो जायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

११८ डर्बनकी कृषि-समितिका ओछापन

हमारे अंग्रेजी विभागमें एक भारतीय व्यापारीने लिखा है कि समितिने भारतीयोंको डर्बन प्रदर्शनीकी प्रतियोगितामें भाग लेनेसे मना कर दिया है। यह बात बहुत ही बुरी है। गोरे भारतीयोंके परिश्रमसे डरते हैं, यह हम जानते हैं। मालूम होता है, वे भारतीयोंकी कुशलतासे भी डरते हैं और इसलिए नादमें बैठे हुए कुत्तेका अनुकरण करते जान पड़ते हैं। वे न खाते हैं और न खाने देते हैं। समितिके इस कामसे सिद्ध होता है कि इस समय हमारा एक ही कर्तव्य है और वह है मान मर्यादा प्राप्त करना। यह बात अभी तो ट्रान्सवालके भारतीयोंके हाथमें है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

११९ उमर हाजी आमद झवेरी

जून १८ के 'अखबारे सौदागर'[1] से मालूम होता है कि श्री उमर झवेरीने बम्बईके किनारे-पर पैर रखते ही भारतकी सेवा शुरू कर दी है। उनके सम्मानमें श्री जगमोहनदास सामलदासने अपने बंगलेमें समारोह किया था। उसमें श्री उमर झवेरीने[2] भारतीयोंकी हालतका चित्र खींचा। इसके अलावा उसी अखबारमें संवाददाताने उनके साथ मुलाकातका विवरण भी दिया है। वह तीन कालमोंमें छपा है। उसमें दक्षिण आफ्रिकामें होनेवाले कष्टोंका सारा विवरण दिया गया है। उपायके रूपमें बताया गया है कि दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय तीस करोड़ भारतीयोंकी मददपर भरोसा रखते हैं। श्री उमर झवेरीने अपने भाषणमें देशके भलेके लिए बैरिस्टर बननेका अपना इरादा फिर व्यक्त किया।

इस सबपर टीका करते हुए 'अखबारे सौदागर' के सम्पादकने श्री उमर झवेरीकी मांगका समर्थन किया है और भारतीय समाजसे मदद करनेकी सिफारिश की है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०–८–१९०७

१ बम्बईसे प्रकाशित होनेवाली एक गुजराती पत्रिका।

२ भूतपूर्व संयुक्त अवैतनिक मंत्री, नेटाल भारतीय कांग्रेस, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४७४-५।

१२० एक पारसी महिलाकी हिम्मत

श्रीमती भीकाईजी रुस्तमजी के० आर० कामाने 'सोशियालॉजिस्ट' मे एक पत्र लिखा था, जो 'जामे जमशेद' मे उद्धृत किया गया है। उसके इन जोरदार शब्दोकी ओर हम अपने ट्रान्सवालके पाठकोका ध्यान आकर्षित करते है

> भारतके पुरुषो और महिलाओ, मेरे शब्दोपर ध्यान दो और इस पाप कर्मका सामना करो। यह एक पुरानी कहावत है कि जो अपनी आजादी खोता है वह अपने आधे सद्गुण खोता है। इसलिए आजादी, इन्साफ और सच्चाईके लिए लडनेको बाहर निकल पडो। भारतके लोगो, अपने मनमे निश्चय करो कि ऐसी गुलामीमें जीनेके बजाय सारी जनता मर जाये, वही अच्छा। यदि आप गुलामीम जीते है तो भारत, ईरान और अरबिस्तानके प्राचीन स्वर्ण युगकी बाते करना बेकार है। बहादुर राजपूतो, सिक्खो, पठानो, गुरखा, देशाभिमानी मराठा और बगालियो, चचल पारसियो, बहादुर मुसलमानो और आखिरमें नम्र जैनो और धैर्यवान तथा महान बहुसख्यक जनसमाजकी सन्तान हिन्दुओ, अपने प्राचीन इतिहासके अनुसार जिन्दगी क्या नही बिताते? इस तरह गुलामीम क्या जी रहे हो? बाहर निकलो।

श्रीमती भीकाईजी कामाको राजनीतिक जीवनका २० वर्षका अनुभव है। वे इस समय पेरिसमें रहती है। उन्हे अपने देशके लिए दर्द है। उन्होने ये शब्द यद्यपि भारतके प्रति कहे है, फिर भी इस समय तो ट्रान्सवालके भारतीयोपर लागू हो रहे है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १०-८-१९०७

१२१ भाषण[1]: हमीदिया इस्लामिया अंजुमनमें

जोहानिसबर्ग
अगस्त ११, १९०७

हमीदिया इस्लामिया अंजुमन लगभग दो महीनेसे हर हफ्ते बैठक बुलाकर लोगोमें साहस और उत्साह भर रही है। प्रिटोरियाकी सार्वजनिक सभाके लिए प्रिटोरियावालोकी मदद करनेके विचारसे एक विशेष ट्रेनका इन्तजाम करके लगभग छः सौ व्यक्ति वहाँ गये थे। अंजुमनका समाजपर यह एहसान है। हम आशा करते हैं कि अंजुमन हमेशा ऐसे ही कदम उठाती रहेगी। यद्यपि प्रिटोरियामें कुछ लोगोने पंजीयन करा लिया है, किन्तु वे पछता रहे हैं। इसलिए हमारी बाजी बिगडी नही है। प्रिटोरियावालोने लाज रखी है और उनसे भी अधिक पीटर्स-

१ गांधीजीने हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी एक बैठकमें पंजीयन अधिनियम विरोधी आन्दोलनका विवरण दिया था। यह उन्हींके भाषणकी रिपोर्ट है।

बर्गवालोंने अपना कर्तव्य किया है। वहाँ किसी भी सज्जनने पंजीयन नहीं कराया, यह बधाईकी बात है। सरकार जहाँ जहाँ कमजोरी देखती है, वहाँ वहाँ पंजीयन कार्यालयका भेज देती है। मुझे लगता है कि श्री चैमनेको शायद यह खबर भी मिली हो कि पीटसबर्गमें लोग कमजोर हैं और वे सार्वजनिक सभामें भी शामिल नहीं हुए। इसलिए कार्यालय वहाँ गया था, किन्तु सौभाग्यसे श्री जुसब हाजी वली और दूसरे लोगोंने मिलकर साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार स्वेच्छया पंजीयन कराने देगी, तभी वे उसे माँगेंगे, नहीं तो भले ही वह उन्हें देश निकाला या जेल दे, वे इस जहरीले कानूनको नहीं मानेंगे। अब सरकार शिथिल पड़ गई लगती है, क्योंकि पीटसबर्गकी जेलमें जो दो आदमी थे, उन्हें फुसलाकर अँगुलियोंकी छाप ली गई है। यह बड़ी शर्मकी बात है।

'जूटपॉसबर्ग रिव्यू' लिखता है कि भारतीय समाज चतुर और योग्य है। उसके साथ सोच विचार कर बर्ताव किया जाना चाहिए। हमारी लन्दनकी समिति भी इस समय बड़ी मेहनत कर रही है। यह सार्वजनिक सभाओंका फल है। इस प्रकार हमें सभी स्थानोंसे मदद मिलनी शुरू हो गई है। फिर भी, हमें इतना तो याद रखना ही चाहिए कि कुछ व्यक्तियोंको जेलमें तो जाना ही है और यह सम्भव है कि सरकार उनमें से पहले मुझे पकड़े। दूसरे नेताओंके विषयमें ऐसा ही है। सरकार चाहे मुझे और दूसरे नेताओंको पकड़े, किन्तु यदि आप लोगोंने जो हिम्मत की है उसे कायम रखा, तो अन्तमें हमारी जीत है ही। अधिकारी परवानोंके बारेमें धमकी देते हैं, किन्तु यह उनकी गलती है। हम बिना परवानोंके व्यापार कर सकते हैं। इसके कारण वे हमपर जुर्माना कर सकते हैं और यदि हम जुर्माना न दें, तो हमें जेल भेज सकते हैं। किन्तु परवाना काननमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमें देश निकाला दिया जा सके। इसलिए हमारे लिए इसमें डरनेकी भी कोई बात नहीं है। अब पंजीयन कार्यालय पाँचेफस्ट्रूम और क्लार्क्सडार्प जायेगा। यदि वहाँके लोगोंने बुलाया, तो हम जायेंगे, नहीं तो जाना आवश्यक नहीं है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७–८–१९०७

१२२ तार[1] पीटर्सबर्गके भारतीयोंको

[जोहानिसबर्ग
अगस्त ११, १९०७]

अंजुमन पीटर्सबर्गके भारतीयोंको उनके शानदार बेदाग कामों और वीरताके साथ डटे रहनेपर बधाई देती है। यदि हम अन्त तक दृढ़ रहेंगे तो परमात्मा हमें सफलता प्रदान करेगा।

[हमीदिया इस्लामिया अंजुमन]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०७

१२३ तार पॉचेफस्ट्रूमके भारतीयोंको

[जोहानिसबर्ग
अगस्त ११, १९०७]

आशा है वहाँके भारतीय अनुमतिपत्र कार्यालय रूपी मगमार्गीसे बचेंगे। उसका स्पर्श हमारी राष्ट्रीयताको भ्रष्ट और हमारे मर्मपर आघात करता है।

[हमीदिया इस्लामिया अंजुमन]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०७

१ गांधीजी हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी सभामें, जो ११ अगस्तको हुई थी, शामिल हुए थे और बोले थे। इस सभामें तय हुआ था कि पीटर्सबर्ग और पॉचेफस्ट्रूमके भारतीयोंको तार भेजे जायें (देखिए अगला शीर्षक)। अनुमानतः इन तारोंकी जिम्मेदारी गांधीजीपर थी।

१२४ पत्र 'रैंड डेली मेल'को

जोहानिसबग
अगस्त १२, १९०७

सेवामे
सम्पादक
[रड डेली मेल]

महोदय,

आपने एशियाई अधिनियमपर अपने विशेष लेखको इस उत्तेजक शीषकसे आरम्भ किया हे "भारतीय कज नही चुकायेंगे"। इस लेखकी सयत भाषा प्रकट करती हे कि यह किसी बुरे इरादेसे नही लिखा गया हे। साथ ही यदि आप तबतक । --नि-- -ग। दीखनेवाली इस बातको छापनेसे हाथ रोके रहते, जबतक ब्रिटिश भारतीय समाजके नेताओसे मिल न लेते, त। यह आपके पाठकोकी अवश्य ही अधिक अच्छी और अधिक उपयोगी सेवा हुई होती। जाहिर हे कि आपको उन नेताओकी राये मालूम नही है।

अब मुझे यह कहनेकी इजाजत दी जाये कि, जहातक मै जानता हूँ, एक भी प्रतिष्ठित भारतीय ऐसा नही हे जिसने कभी इस आशयका बयान दिया हो कि प्रत्येक भारतीय "जो अनाक्रामक प्रतिरोधके कारण जेलमे जायेगा अथवा अपने व्यापार या फेरीके परवानेसे वचित किया जायेगा, अपना ऋण चुकानेसे इनकार कर देगा।' यह हमारे सघषकी भावनाके सवथा विरुद्ध होता। हमने ईश्वरके ऊपर पूरा भरोसा करके स्वय कष्ट सहन करनेकी दष्टिसे इस आ दोलनको आरम्भ किया है। इसलिए, अपने वाजिब कजसे इनकार करनेका विचार रखना और उसे देनेसे इनकार करना हमारे लिए दुष्टताकी बात होती। चाहे हम हि दू हो या मुसलमान, हमारा विश्वास है कि जो कर्जे हम इस जि दगीमे अदा नही कर सकते वे दूसरे ज ममे कठोर दण्डके साथ हमे चुकाने होगे। कयामतके दिन हमे अपने पापोका जवाब देना होगा और कज न चुकाना उन पापोमे कोई छोटा पाप नही है।

हम अवश्य ही हर तरफसे जोर डालना चाहते है। हम बेशक शाही सरक्षण चाहते है और उपनिवेशियो और सरकारकी सहानुभूति भी उससे कम नही चाहते, परन्तु हम यह किसी ऐसे उपायसे नही प्राप्त करना चाहते जो बिलकुल स्वच्छ ओर प्रामाणिक न कहा जा सके। हम जिसे अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और प्रतिष्ठापर अकारण आक्रमण मानते है उसके विरुद्ध हमारे बचावका केवल एक ही अस्त्र हे कि हम दक्षिण आफ्रिकाके लागो और उस विशाल साम्राज्यके नागरिकोको, जिसके अग होनेका गोरोके समान हमारा भी दावा है, दिखा दे कि जिसे हम हृदयसे महा अ याय समझते है उसके लिए कष्ट उठानेकी मर्दानगी हममे हे।

मै अपने साथी व्यापारियोसे, जिनसे जल्दीमे मै मिल सकता था, मिला हूँ। वे ह —— सवश्री एम० सी० कमरुद्दीन ऐंड कम्पनी, एम० एस० कुवाडिया, एम० ए० करोडिया ए० एफ० कमे ऐंड कम्पनी, आमद मूसाजी ऐंड कम्पनी, एम० पी० फैंसी, मुहम्मद हुसैन ऐंड कम्पनी और जुसब इब्राहीम। ओर हम लोग पिछले महीनेसे अबतक लगभग १८,००० पोड यहाकी और लन्दनकी

थोक व्यापारी फर्मोंका चुकता कर चुके हैं। हममें से कुछने आकस्मिक जरूरतोंकी तैयारी करनेके लिए अवधिसे पहले ही अपने ऋण चुका दिये हैं। यह सत्य है कि हममें से बहुतोंने इस संघर्षके कारण अपने माल खरीदनेके आदेश रद कर दिये हैं। उन थोक व्यापारी फर्मोंके लिए और हमारे लिए उचित भी यही है। हमें अफसोस है कि हमारे ऐसा करनेसे उन थोक व्यापारी फर्मोंको हमारे साथ साथ हानि उठानी पड़ेगी, परन्तु वह अनिवार्य है।

आपका, आदि

ईसप इस्माइल मियाँ

सुलेमान इस्माइल मियाँ व कम्पनीके प्रबन्धक साझी

और कार्यवाहक अध्यक्ष

ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

रैंड डेली मेल, १३–८–१९०७

१२५. पत्र : जनरल स्मट्सके निजी सचिवको

जोहानिसबर्ग

अगस्त १५, १९०७

जनरल स्मट्सके निजी सचिव

प्रिटोरिया

महोदय,

आपने एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके सम्बन्धमें मेरे ८ तारीखके पत्रके उत्तरमें १४ तारीखका जो पत्र भेजा है, मुझे उसकी प्राप्ति स्वीकार करनेका सम्मान प्राप्त हुआ। मैं सम्बन्धित अधिनियमके सम्बन्धमें अपने विचार[1] स्पष्ट रूपसे बतानेके लिए जनरल स्मट्सको धन्यवाद देता हूँ।

मेरी विनीत सम्मतिमें, मेरे सुझाये हुए संशोधनोंसे एशियाई कानून संशोधन अधिनियमका प्रधान मन्तव्य कार्यान्वित हो जायेगा, अर्थात् उनसे उपनिवेशमें रहनेके अधिकारी प्रत्येक एशियाईकी शिनाख्त हो जायेगी।

१. जनरल स्मट्सके निजी सचिवने गोपनीय रूपसे लिखा था : "मुझे आपको यह सूचित करनेका निर्देश दिया गया है कि श्री स्मट्स उन संशोधनोंको स्वीकार करनेमें असमर्थ हैं जो आपने प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकमें रखे हैं, क्योंकि उस विधेयकमें ऐसे संशोधनोंसे, यदि वे सम्भव हों तो, १९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके सब विधान बिलकुल समाप्त हो जायेंगे और इसके अतिरिक्त चूँकि विधेयकमें इस स्तरपर इन संशोधनोंको स्वीकार करना असम्भव है। उपनिवेश-सचिव एशियाई कानून संशोधन अधिनियमकी सब धाराओंको पूरी तरह अमलमें लायेंगे और यदि इस देशके निवासी भारतीयोंके प्रतिरोधसे वे परिणाम निकलते हैं, जो इस समय उनके सामने गम्भीर रूपमें प्रस्तुत नहीं हैं, तो इसमें दोष केवल उनका और उनके नेताओंका होगा।"

मैंने जनरलका ध्यान अधिनियमके सम्बन्धमें ब्रिटिश भारतीयोंकी गम्भीर घोषणाकी ओर आकर्षित किया, इसके लिए मैं कोई क्षमा-याचना नहीं करता। जहाँतक मैं अपने देशवासियोंको सलाह दे सकता हूँ, परिणाम जो भी हो, मेरे लिए उनको अपनी ऐसी विचारपूर्वक की गई घोषणाको त्याग देनेकी सलाह देना सम्भव नहीं है। और यदि ऐन वक्तपर जनरल स्मट्सके लिए अधिनियमके मन्तव्यको किसी प्रकार सीमित किये बिना उस घोषणाको मान लेना सम्भव हो तो मैं उनकी सहानुभूति और सहायताका प्रार्थी हूँ। मैंने अपने देशवासियोंको जो सलाह दी है उसपर चलनेके सम्भावित परिणामोंसे कभी अपनी आँखें बन्द नहीं की हैं अर्थात् यदि प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक उपनिवेशकी विधि संहितामें सम्मिलित हो जाये तो प्रत्येक भारतीयको जेल भेजा जा सकता है, व्यापारियों और फेरीदारोंके व्यापारिक परवाने छीने जा सकते हैं और नेताओंको निर्वासित किया जा सकता है। किन्तु मैं सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ कि अधिनियमका पालन करना उन सब जोखिमोंसे अधिक बुरा होगा जो उसका पालन न करनेसे उनपर आ सकती हैं।

मेरा यह पत्र व्यवहार जनरल स्मट्ससे व्यक्तिगत अनुरोधके रूपमें है और खानगी है, किन्तु चूँकि मैं इस बातके लिए उत्सुक हूँ कि सरकारके इरादे यथासम्भव मेरे देशवासियोंके सम्मुख व्यापक और यथार्थ रूपमें रखे जायें, इसलिए यदि जनरल स्मट्सको कोई आपत्ति न हो तो मैं इस पत्र व्यवहारको प्रकाशित करना चाहूँगा।[1]

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४–८–१९०७

१ यह २४–८–१९०७ के **इंडियन ओपिनियन**में प्रकाशित हुआ था। देखिए "पत्र 'इंडियन ओपिनियन' को", पृष्ठ १७७।

१२६ भारतीय प्रस्तावका क्या अर्थ?

अब अनुमतिपत्र कार्यालय गाँव गाँव भटकता फिर रहा है। अधिकारी लोग घर घर दलालोंके समान घूम रहे हैं। वे लोगोंको बहकाते और समझाते हैं कि उन्हें नये कानूनके अनुसार पंजीयन पत्र लेना चाहिए। इसके अलावा वे उल्टे लोगोंसे ही पूछते हैं कि उनकी माँग क्या है। इसलिए यह जरूरी है कि स्वयंसेवक प्रत्येक भारतीयको पंजीयनका अर्थ समझाएँ। हम देखकर खुशी है कि इस प्रकार लोगोंकी परीक्षा हो रही है। नये कानूनके बारेमें प्रत्येक भारतीयकी पूरी और स्वतन्त्र बूझ होनी चाहिए। हमें आश्चर्य लोगोंकी परीक्षामें नहीं, बल्कि तब होगा जब हम जवाब न दे सकेंगे। अतः अब हम स्वेच्छया पंजीयनके अर्थपर विचार करें।

कानूनके अनुसार सरकार लोगोंको नये पंजीयनपत्र लेनेके लिए विवश कर सकती है। इतना ही नहीं वह उन पंजीयनपत्रोंको बार बार बदलवानेके लिए भी विवश कर सकती है। साथ ही वह लोगोंसे चाहे जब अँगुलियाँ लगवा सकती है। दसों अँगुलियाँ भी लगवा सकती है। और परवाना देते समय अँगुलियाँ लगवा सकती है। संक्षेपमें नये कानूनकी सारी खूनी उपधाराएँ लागू हो सकती हैं। यह हमें मंजूर नहीं है। इसके बदलेमें हम सरकारसे कहते हैं कि उसका शक दूर करनेके लिए हम मौजूदा अनुमतिपत्र बदलनेको तैयार हैं। इस प्रकार जो खुशीसे पंजीयनपत्र बदलवा लें उनपर नया कानून लागू नहीं हो सकता और न कोई उपधारा ही लागू हो सकती है। यानी हमें जगह जगह अँगुलियाँ नहीं लगानी पड़ेंगी। और यदि प्रत्येक भारतीय स्वेच्छया पंजीयनपत्र ले ले तो खूनी कानून बिलकुल रद हो जायेगा। यदि कोई भारतीय गफलतमें या जान बूझकर अनुमतिपत्र न बदलवाये तो केवल उसीपर नया कानून लागू होगा। इस प्रकार हमारी माँग और सरकारी कानूनमें जबरदस्त अन्तर है। सरकारी कानून तो गधेकी सवारी है। और उस सवारीसे भारतीय समाजकी फजीहत होती है। हमारी माँग हाथीकी सवारी है और उससे हम बादशाही और मान भोगते हैं।

इस माँगके अलावा प्रिटोरियाके कुछ लोगोंने वकीलकी मारफत श्री स्मट्सको जो पत्र लिखा है उसपर जरा विचार करें। श्री स्मट्ससे कुछ परिवर्तन करनेकी माँग की गई है। उसे हम सहलाना कहते हैं। भगदरको साधारण फोड़ा मानकर यदि कोई खरोंच डालता है तो कभी-कभी जख्म ऊपर ऊपर सूख जाता है। इससे भगदरका रोगी कभी-कभी मान लेता है कि उसका रोग मिट गया। किन्तु वास्तवमें भगदर तो भीतर ही भीतर काम करता रहता है और भ्रममें पड़ा हुआ रोगी थोड़े दिनोंमें दूसरी जगह फोड़ा देखता है और जबतक वह भगदरका इलाज नहीं करता, फोड़े होते और मिटते रहते हैं। यही बात हम उपर्युक्त कागजके सम्बन्धमें समझते हैं। भगदरके रोगरूपी इस कानूनके लिए दो चार चीजें निकाल देना कतई कोई इलाज नहीं है। यह केवल मन बहलावेके लिए है और हम मानते हैं कि इससे आखिर अधिक दुःख सहन करना होगा। इस भगदरी कानूनके लिए जबरदस्त शल्य प्रक्रिया किये बिना और कोई चारा नहीं है। यह बात प्रत्येक भारतीय को जाननी चाहिए। अतः कानूनके बारेमें जब भी पूछताछ हो तो हमारी यही माँग होनी चाहिए कि कानून बिलकुल रद किया जाये, यह हमें साफ तौरसे समझ लेना चाहिए। और यदि यह कानून रद हो तो

हम झूठ लोगोको छिपाना नही चाहते, यह सिद्ध करनेके लिए हम स्वेच्छया पजीयन करवाने को तैयार है, किन्तु उतना करवा लेनेके बाद हम अपनेपर कानूनका हमेशाका सिर दद नही रखना चाहते।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १७–८–१९०७

१२७ पीटर्सबर्गको बधाई

प्रिटोरियाने ठीक कर दिखाया। लेकिन पीटसबगने तो हद कर दी। वहा एक भी "कल पगा या कल मुहा" नही निकला। अनुमतिपत्र कार्यालयका शत प्रतिशत बहिष्कार किया गया, और अनुमतिपत्र कार्यालयको बिना कलेवा, खाली पेट लौटा दिया गया। वह बला फिर पीटसबगमे कदम न रखे, इसके लिए सरकारके पास पहले ही आवेदन भेज दिया गया है कि हमे कार्यालय नही चाहिए। इससे अधिक कोई भी गाव नही कर सकता और इससे कम एक भी गावको करना नही चाहिए।

कैदमे पडे हुए दो व्यक्तियोका जबरदस्ती अनुमतिपत्र दिया गया उससे पीटसबगका सम्मान रत्ती भर भी नही घटता। देशमे अकाल आता हे तो अकाल पीडित लोग पेट भरनेके लिए अखाद्य वस्तुएँ खा जाते ह। भूखे कुत्ते पाखाना चाटते है। उसी तरह खूनी कानूनके अधिकारीने भक्ष्य न मिलनेपर जेलमे जाकर जबरदस्तीसे जो नया अनुमतिपत्र दिया उसमे उसने अकाल पीडितके समान ही काम किया है और वह बताता हे कि नये अनुमतिपत्र लेनेमे सम्मान नही बल्कि अपमान हे। हम पीटसबगके लोगोको बधाई देते है। उन्होने जुलाईकी अतिम तारीखको दूकाने बद न करनेका जो महान अपराध किया था वह इसके द्वारा धुल गया हे और वे बहादुर भारतीयोकी दूसरी पक्तिमे आ बैठे है। अपनी इस तरक्कीमे उन्हे यह याद रखना हे कि वास्तविक लडाई अब आनेवाली है। जेलमे जाने और यह दिखानेका समय चला आ रहा है कि धनसे मान व देश अधिक प्यारा है। उस समय भी, हमे आशा है, पीटसबग हिम्मतभरा उत्तर देगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १७–८–१९०७

१२८ हनुमानकी पूँछ

कहा जाता है कि लंका जलाये जानेके पहले जैसे जैसे वानर हनुमानजी आगे बढ़ते गये वैसे वैसे उनकी पूँछ लम्बी होती गई थी। उसी प्रकार हमारे पंजीयनका दफ्तर भी जैसे-जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसका वजन बढ़ता जा रहा है। प्रिटोरियासे नोटिस निकला तब प्रिटोरियाके सब भारतीयोंका पंजीकरण होना था। कार्यालय जब पीटर्सबर्ग पहुँचा तब प्रिटोरियाको पीटर्सबर्गमें पंजीकृत होनेका अधिकार मिला। पॉचेफस्ट्रूममें बताते हैं [illegible] प्रिटोरिया तथा पीटर्सबर्गके भारतीय भी पंजीकृत हो सकेंगे। और क्लार्क्सडॉर्पमें उपर्युक्त तीनों शहरोंके भारतीयोंको गुलामीका पट्टा लेनेका अवसर दिया जायेगा। इस प्रकार पंजीयन कार्यालयकी पूँछ लम्बी होती जा रही है। हम प्रिटोरियाके भाइयोंके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं, क्योंकि जबतक कार्यालय आखिरी जगहपर नहीं पहुँचेगा तबतक उनकी पीड़ा नहीं छूटेगी। यह सजा उन्हें इसलिए तो नहीं दी गई है कि प्रिटोरियामें गद्दार अधिक मिले हैं? किन्तु हनुमानजी और कार्यालयमें बहुत अन्तर है। हनुमानजीकी पूँछपर जितना तेल डाला गया तथा चीथड़े लपेटे गये उतनी ही लंकामें ज्यादा आग लगी किन्तु हनुमानजीको आँच नहीं लगी। पंजीयन कार्यालयका काम खूनी कानूनको अमलमें लाना है। इसलिए इसकी यात्रासे जो गर्मी पैदा होगी उससे, सम्भव है यह कानून और कार्यालय दोनों जलकर भस्म हो जायेंगे, क्योंकि भारतीय समाजरूपी लंकाको जलाना सम्भव नहीं है। भारतीय समाज निर्दोष है और जलानेवाला कानून दोषी है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७–८–१९०७

१२९ नेटालके व्यापारियोंको चेतावनी

नेटाल सरकारके 'गज़ट' में एक विधेयक प्रकाशित हुआ है। उसके पास हो जानेपर यदि कोई व्यापारी अपना दूकान बेचना चाहेगा तो उसे 'गज़ट' में और अपने आसपास प्रकाशित होनेवाले अखबारमें चौदह दिन पहले सूचना छपवानी होगी। नये परवाने लेनेवालोंको भी वैसी ही सूचना छपवानी होगी। ये दोनों शर्तें कड़ी हैं, फिर भी भारतीय कौम इनका विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि ये सबपर लागू होती हैं। उसी विधेयकमें एक शर्त यह भी है यदि किसी कर्जकी मीयाद पूरी हो गई हो और कोई विशेष इकरार न हो तो उसपर अदालत आठ प्रतिशतसे ज्यादा ब्याज नहीं दिला सकती। किसी व्यापारीने किसी चीजकी बहुत ज्यादा कीमत ली हो तो उसके कारण इकरार रद नहीं हो सकता। यह विधेयक सरकारी है और सम्भव है पास हो जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७–८–१९०७

१३० धोखा ?

इस अकको बहुत-कुछ सामग्री लिखी जा चुकी थी तब हमने सुना कि प्रिटोरियाके गद्दारोकी जो सूची हमने प्रकाशित की है वह पूरी नही है। पिछले अकमे हमने कुछ मेमन लोगो और एक हिन्दूका नाम प्रकाशित[1] किया है। हमे अभी मालूम हुआ है कि उनमे कुछ कोकणी भी है। उनके नाम हम यहा दे रहे है[2]

साथ ही हमने यह भी सुना है कि पीटसबगमे जेलके अन्दरके दो व्यक्ति ही नही तीन-चार और भी पजीकृत हुए है। यदि यह बात सच है तो बहुत खेदजनक है। समाजमे ऐसे लोग मौजूद जान पडते है जो काला मुह करनेके बाद भी मनुष्य होनेका पाखण्ड करते है। कोकणियोने प्रिटोरियामे साफ साफ कहा है कि एक भी कोकणीने अर्जी नही दी। पीटसबगमे तो उपनिवेश सचिवको जो अर्जी दी गई है उसमे उपर्युक्त चारो व्यक्ति शामिल है। इसलिए दगाबाजीके ये दोनो मामले बहुत बडे माने जायेगे। सौभाग्यकी बात यही है कि ऐसे दगाबाज लोग बहुत थोडे है। फिर भी समाजमे ऐसे लोग मौजूद है, इससे अच्छे लोगोको बहुत चेतकर चलना चाहिए। ये सब कुल्हाडीके बेटकी बात याद दिलाते है। इस समाजको ऐसे लोगोके द्वारा जितना नुकसान पहुँचेगा, उतना खूनी कानून या सरकारसे नही। जो खुले आम जाकर पजीयन करवायेगा वह एक प्रकारसे मद माना जायेगा। किन्तु जो चोरीसे पजीयन करवाकर साहूकार बनेगा उसे हम कौनसी उपमा दे ?

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १७–८–१९०७

१ देखिए "हमारा कर्तव्य", पृष्ठ १५६।
२ मूलमें दिये गये नौ नाम यहाँ नही दिये जा रहे है।

१३१ मोरक्कोमें उपद्रव

मोरक्कोमें अभी होली सुलग रही है। रैसूलीने आतंक फैला रखा है। तेंजियरमें लूटपाट मची है। बहुत लोग कत्ल हो गये हैं। दो सौ औरतें गिरफ्तार की गई हैं। बलात्कार भी हो रहा है। यहूदियोंको ज्यादा नुकसान पहुँचा है। सारे मोरक्कोमें अंधेर हो रहा है। ऐसे तार रायटरके आये हैं। रायटरने यह भी कहा है कि मोरक्कोके सुलतानका कहना है कि यदि यूरोपीय सेनाएँ आ जायेंगी तो जितनी कौमें उनके काबूमें हैं वे भी नहीं रहेंगी। इसमें कितना सच है यह हम नहीं जान सकते। कहा जाता है कि रैसूलीने सर हैनरी मैक्लीनको छोड़ दिया है। रैसूलीके बारेमें एक जर्मन लेखकका कहना है कि वह तेजस्वी और बहादुर योद्धा है। बचपनसे उसे मवेशी लूटनेकी आदत थी। कुछ समयके लिए वह तंजियरका सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। किन्तु अभी कुछ वर्षोंसे लुटेरे डकैतका काम कर रहा है। उसने बहुत-से गोरोंको पकड़ रखा है। वह सैनिकोंको साथ लेकर फिरता है और उसका कहना है कि उसकी मृत्यु किसीकी चोटसे नहीं होनी चाहिए। रैसूलीको मारनेका बहुत लोगोंने प्रयत्न किया है, किन्तु वह इतना सतर्क और फुर्तीला है कि सबके हाथसे बच जाता है। हमें आशा है कि हम आगे चलकर बतायेंगे कि मोरक्कोमें कैसा अंधेर हो रहा है। इससे हमारे पाठकोंको वहाँकी स्थिति और भी अच्छी तरह मालूम हो सकेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०७

१३२ हेगर साहबका नया कदम

हेगर साहब भारतीयोंके पीछे पड़े हुए हैं। एक बात समाप्त हुई तो दूसरी खड़ी ही है। अब वे महाशय उन गरीब भारतीयोंके पेटपर लात मारना चाहते हैं जो इंजनके काममें रोटी कमाते हैं। वे संसदमें ऐसा विधेयक पेश करना चाहते हैं जिससे नेटालमें कोई भी भारतीय किसी गोरे अधिकारीकी देखरेखके बिना इंजनका काम कर ही न सके। यदि यह कानून अमलमें आया तो कुछ भारतीयोंकी रोजी जाना सम्भव है। किन्तु आशा तो की जा सकती है कि यह विधेयक मंजूर नहीं होगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७-८-१९०७

१३३ कच्ची उम्रमें बीडी पीना रोकनेका कानून

कुछ ही दिन हुए नेटाल ससदमे उपयुक्त कानून पास हुआ है। उसका अनुवाद धारा-प्रति धारा नीचे दिया जाता हे

(१) १६ वषसे कम उम्रके लोगोका तम्बाकू सिगरेट या सिगार पीना गर कानूनी माना जायेगा। [ऐसे लोगोके पास] तम्बाकू, चिलम सिगार, सिगरेट या सिगरेट होल्डर दिखाई दे तो गोरा पुलिस अधिकारी उसे जब्त करके सरकारको सोप दे।

(२) पाठशालामे जानेवाले किसी बच्चेके पास उपयुक्त सिगरेट आदि जो भी चीजे मिलेगी, उन्हे पाठशालाका शिक्षक छीनकर उसके अभिभावकको सौप देगा। यदि शालामे जानेवाले बच्चे तम्बाकू पीते मालूम होगे तो उन्हे शालाके नियमके विरुद्ध काम करनेके अपराधमे दण्ड दिया जा सकेगा।

(३) माता पिता, अभिभावक या मालिककी चिटठी न हो तो १६ वषसे कम उम्रके बच्चेको तम्बाकू, सिगार या सिगरेट न दी जाये या न बेची जाये। चिटठी अथवा हुक्ममे यह लिखा होना चाहिए कि सिगरेट वगैरह चीजे १६ वषसे अधिक उम्रके लोगोके उपयोगके लिए है, और वे हमना ग्रन्नाको सोप दी जायेगी। इस तरहका लिखित पत्र प्राप्त हुए बिना १६ वषसे कम उम्रके बच्चोको सिगरेट वगैरह देना या बेचना गर कानूनी माना जायेगा। इस धाराके उल्लघन करनेवालेको प्रति अपराधके लिए ५ पौड तक जुर्मानेकी अथवा एक महीने तक की कैदकी सजा दी जा सकेगी।

(४) जो माता पिता, अभिभावक या मालिक न होते हुए भी १६ वषसे कम उम्रके लडकेको सिगरेट वगैरह खरीदने भेजेगा उसे ५ पौड तक का जुर्माना अथवा एक महीने तक की सजा दी जा सकेगी।

(५) इस कानूनके सम्बन्धमे उम्रका प्रश्न खडा होनेपर अन्य सन्तोषजनक सबूतोके अभावमे अदालत व्यक्तिके चेहरेपर से उम्र निश्चित करेगी ओर वह ठीक मानी जायेगी।

(६) इस कानूनको १९०७ का धूम्रपान निरोधक कानून कहा जायेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १७–८–१९०७

१३४ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

पीटर्सबर्गकी बहार

पीटर्सबर्गकी बहादुरीकी सब जगह प्रशंसा हो रही है। अब धावा पाचेफस्ट्रूम और क्लार्क्सडॉर्पपर है। ये दोनों नगर पीटर्सबर्गसे आगे बढ़ जायेंगे सो नहीं, किन्तु पीटर्सबर्गसे कम तो किसीको करना ही नहीं है। पीटर्सबर्गके जाने अखबारों और गाँवोंमें खलबली मची हुई है। भारतीयोंका उत्साह बढ़ गया है। पीटर्सबर्ग हमारी सफलताको दो कदम आगे ले गया है। प्रिटोरियाके समान पीटर्सबर्गमें भी स्वयंसेवक बने थे। उनके नाम ये हैं

श्री हंसराज, श्री ए० गोकल, श्री डी० एच० जुमा, श्री तैयब एन० मुहम्मद, श्री कासिम सुलेमान, श्री ए० देसाई, श्री गुलाब तथा मुख्य स्वयंसेवक श्री हासिम मुहम्मद काला।

ये बहादुर बधाईके पात्र हैं।

'कलेवाके बिना'

जोश भरे तार बहुत-से भारतीयोंको भेजे गये थे। उनमें से एकने तुरन्त जवाब दिया है कि पंजीयन कार्यालय पीटर्सबर्गसे कलेवा बिना जायेगा, यानी उस कार्यालयका भक्ष्य भारतीय हैं, और भारतीय पंजीयन न करायेंगे तो कार्यालय भूखा ही कहलायेगा। उसका उपवास टूट ही नहीं पाया, तो वह बिना कलेवेके गया इसके अलावा क्या माना जायेगा? जेलके अन्दर पंजीयनके लिए जो अर्जी दी गई है, उसे गिनतीमें नहीं लिया जा सकता।

पीटर्सबर्गको तार

संघ और हमीदिया अंजुमनने बधाईका तार भेजा है। अंजुमनने बधाई देते हुए कहा है "अगर हम आखिर तक जोर कायम रखेंगे तो खुदा हमें फतह देगा।"[1]

पॉचेफस्ट्रूम और क्लार्क्सडॉर्प

कार्यालय इन दोनों शहरोंमें इस सप्ताहके अन्ततक पहुँच जायेगा। इससे हमीदिया अंजुमनने निम्नलिखित तार भेजा है

आशा है कि अनुमतिपत्र कार्यालय रूपी महामारीसे आप मुक्त रहेंगे। उसके स्पर्शसे हमारे समाजको धब्बा लगता है और हमारी धर्म भावनाको चोट पहुँचती है।[2]

इन दोनों जगहोंसे तारपर तार आये हैं कि दोनों स्थान बहुत दृढ़ हैं। नया पंजीयनपत्र लेनेवाला कोई नहीं है। दोनों जगहोंके लोगोंका कहना है कि "हमें जोहानिसबर्गसे किसीकी मदद नहीं चाहिए। हम सब एम्पायर नाटकघरमें ली हुई शपथपर दृढ़ हैं।" हम चाहते हैं कि सारे भारतीय ऐसा जोश अन्ततक रखें।

१ देखिए "तार : पीटर्सबर्गके भारतीयोंको", पृष्ठ १६२।
२. देखिए "तार : पॉचेफस्ट्रूमके भारतीयोंको", पृष्ठ १६२।

लडाईका असर

कह सकते है, आज तक की लडाईका असर अच्छा हुआ है। 'रड डेली मेल' मे प्रकाशित हुआ है कि भारतीयोपर गोरोका कज हे। यदि भारतीय जेल गये अथवा उन्हे परवाना नही मिला तो वे वह रकम नही चुकायेगे। 'मेल' वाला यह उडती हुइ बात लिख कर कहता हे कि भारतीय नेताओके विचारोका कुछ पता नही है। इस खबरसे गोरे व्यापारी घब डाये जान पडते है। यह असर अच्छा मानना है। अब कोई भारतीयोका मजाक नही उडाता बल्कि लोग मानते है कि मामला नाजुक हे। 'मेल' वाले ने यह भी लिखा है कि भारतीय समाजको विलायतके कई बडे-बडे लोगोकी मदद है। श्री रिच काम कर रहे है और लोक सभाके सौ सदस्योने कहा हे कि यदि भारतीयोके साथ न्याय नही किया गया तो ट्रान्सवालको जो ५०,००,००० पौडकी सहायता दी जानेवाली है उसका विरोध किया जायेगा।

ईसप मियॉका जवाब

उपर्युक्त लेखका श्री ईसप मियाने निम्नानुसार जवाब दिया हे [१]

'स्टार' की टीका

'स्टार' समाचारपत्रने 'डेली मेल' के लेखपर तुरन्त ही एक लम्बी टिप्पणी प्रकाशित की हे। उसका साराश निम्नानुसार है

> ब्रिटिश भारतीय सघका अनाक्रामक प्रतिरोध अभीतक बहुत सफल रहा हे। भारतीय नेता मानते है कि कानूनपर उसकी अन्तिम सीमा तक अमल नही किया जायेगा यानी जिन्होने अनिवाय पजीयन कानूनके अन्तगत पजीयन न करवाया हो, उन्हे कैद या निर्वासित नही किया जायेगा। प्रलोभनमे आकर पजीयन करवानेवाले भारतीयोकी सख्या राजधानीमे ७० हे। पीटसबग और जूटपान्सबगके भारतीयोने पजीकृत होनेसे इनकार कर दिया है। पाचेफ्स्ट्रूम और क्लाक्सडॉपके लोगोने भी इसी तरहका निणय जाहिर किया है। जोहानिसबगमे बहुत भारतीय है। उनमे कुछ धनवान है। उन सभीने कानूनका विरोध करनेका निणय किया है। सरकार जोहानिसबगमे कार्यालय खोलेगी या नही, इस विषयमे भारतीय अनेक अनुमान लगा रहे है। सरकार धीरे धीरे चल रही है। श्री चैमनेकी रिपोट पहुँचनेपर निश्चित कदम उठाये जायेगे। जोहानिसबगमे सरकार कार्यालय न खोले, ऐसे लक्षण तो अभी दिखाई नही दे रहे है।
>
> देश छोडनेका समय आ जाये तो उसके लिए भी भारतीय व्यापारी धीरे धीरे तैयारी करने लगे है। कामा और कम्पनी ('स्टार' द्वारा भूलसे लिखे अनुसार चैमने और कम्पनी) के बडे साझेदार एक पारसी सज्जन श्री कामासे 'स्टार' का प्रतिनिधि मिला था। उस समय बताया गया कि उक्त कम्पनीने अपने विदेशोके आडर रद कर दिये है, और स्टाक कम करना शुरू कर दिया है, जिससे जब भी उसे ठिकाने लगाना हो, आसानीसे लगाया जा सके। और यही बहुतसी जगहोमे हो रहा है। एक सहयोगीने प्रकाशित किया है कि वे कजकी रकम चुकानेसे इनकार करते है। इस बातका भारतीय व्यापारियोने पूरी जिम्मेदारीसे खण्डन किया है। एक व्यापारीने आज कुल ४३७ पौडका

१ यहाँ **रैड डेली मेलको** प्रेषित पत्र छपा था, देखिए पृष्ठ १६३।

बिल चुकाया है। दूसरे व्यापारीने आज सबेरे ५०० पौंड दिये। इनकी रकम न लौटानेकी सलाह मैंने नहीं दी। अखबारमें इस तरहकी गलत खबर छपनेसे उन्हें आश्चर्य हुआ था।

अनाक्रामक प्रतिरोधके इस आंदोलनके नेता प्रसिद्ध भारतीय बैरिस्टर श्री मो० क० गांधी हैं। जान पड़ता है, सचमुच ही उन्होंने अपनी सेनाको अच्छी तालीम दी है। सामान्यतः भारतीय अनेक उनके पीछे चलनेको तैयार हो गये हैं।

इस सबसे सिद्ध होता है कि भारतीयोंने जो शक्ति दिखाई है उसे फल लगने लगा है।

फ्रीडडॉर्प अध्यादेश

यह अध्यादेश अब ठिकाने लग गया है। पहला अध्यादेश रद हो गया है और नया पास किया गया है। उसके अनुसार भारतीयोंको चार वर्ष तक नहीं निकाला जा सकता और चार वर्षके बाद भी उन्हें जो नुकसान होगा उसका हर्जाना दिया जायेगा। इस नुकसानके लिए चार वर्षोंका नोटिस रहना होगा। इसमें व्यापार और उधारीके नुकसानका तो समावेश नहीं है, किन्तु बने हुए मकानोंकी कीमतका समावेश है। अतः ऐसा मानना चाहिए कि फ्रीडडॉर्पके भारतीय व्यापारियोंको चार वर्षकी अवधि मिली है। इस जीतका श्रेय श्री रिचको दिया जाना चाहिए। उन्होंने विलायतमें बहुत परिश्रम किया। उसीका यह परिणाम है। केवल यही एक उपाय रह गई है कि चार वर्ष बाद नौकर वगैरहके सिवा और कोई काले लोग नहीं रह सकेंगे। लेकिन इसे रद करना सम्भव नहीं था। श्री रिचको उसपर भरोसा किया जाय। लेकिन चार वर्ष लम्बे होते हैं। 'जेल महलमें जायें हिन्दके हीरे।'[1] फिर भारतीय फ्रीडडॉर्पमें भी रह जायें तो इसे दक्षिणामें सोनेकी थाल समझ लेना चाहिए।

एम० एस० कुवाडिया

स्वदेशसे खबर आई है कि सघके कार्याध्यक्ष श्री एम० एस० कुवाडियाकी पत्नीका स्वर्ग-वास हो गया है। यह खबर मैं शोकके साथ प्रकाशित करता हूँ और श्री कुवाडियाके प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूँ।

मुहम्मद ईसप शहरी

श्री मुहम्मद ईसप, जो हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके सदस्य हैं इस मासके अन्तमें हज करनेके लिए मक्का शरीफ जानेवाले हैं। उनकी मुराद पूरी हो यह मेरी कामना है।

हमीदियाकी बैठक

हमीदिया इस्लामिया अंजुमन नये कानूनके सम्बन्धमें पूरी ताकतसे काम कर रही है। हर हफ्ते बैठक बुलाई जाती है जिसमें सभी कौमोंके भारतीय भाग लेते हैं। पिछले रविवारकी बैठकके अध्यक्ष इमाम अब्दुल कादिर थे। श्री गांधीने सारी हकीकत समझाई। उनके बाद ईसप मियाँ बोले। उन्होंने कहा कि इस मौकेपर श्री गांधी जेल जायें या निर्वासित हों फिर भी लोगोंको पूरी हिम्मतके साथ रहना चाहिए। धनकी भी जरूरत होगी। अतः जिनके पास धन हो उन्हें धन देना चाहिए। अन्तमें मौलवी अहमद मुख्त्यार तथा महाराज रामसुन्दर पण्डितने

१ प्रतियोगितामें भेजी गई एक कविताका उद्धरण "जेल-महलमें जायें हिन्दके हीरे"। देखिए "नये कानूनसे सम्बन्धित पुरस्कृत कविता", पृष्ठ ४७-४८।

विवचन किया और श्री आमद कुवाडियाने श्री पोलककी मेहनतके सम्ब धमे दो शब्द कहे। इसके बाद अध्यक्ष महोदयने सभा बरखास्त की।

जेल जानेवालेके पीछे क्या होगा ?

इस प्रश्नका उत्तर म पहले भी इस चिटठी मे दे चुका हूँ। कि तु फिर पूछा गया है, इसलिए देता हूँ। मेरी समझमे जो जेल जानेको तैयार बैठे है वे यथासम्भव सारी व्यवस्था कर ही लेगे, यानी समाजपर उनका बोझ कम ही रहेगा। एक ही मुहल्ले या एक ही दूकानके सभी व्यक्ति एक साथ पकड लिये जाये सो तो नही होगा। यदि यह विचार ठीक हो तो गिरफ्तार किये जानेवालोके सगे सम्ब धी या दोस्त उनके बाल बच्चो और जायदादकी रक्षा कर लेगे। जो लोग दूसरे कानूनोके अ तगत गिरफ्तार किये जाते ह हमने देखा हे, उनकी, इसी प्रकार व्यवस्थाकी जाती हे। फिर भी इतना पर्याप्त नही है। जो व्यक्ति नये कानूनके अ तगत गिरफ्तार किया जायेगा उसकी सार सँभाल सघ करेगा। उसके बाल बच्चे कहा है, तथा किस हालतमे है, उ हे कोई देखनेवाला हे या नही, सघ इन बातोकी जाच-पडताल करेगा और निर्वाहकी व्यवस्था करेगा। अत नये कानूनके अ तगत गिरफ्तार किये जाने-वाले व्यक्तिके लिए दुहरी मदद मोजूद है। जेल जानेवाले व्यक्तिकी मर्जीके मुताबिक उसकी दूकान तथा बाल बच्चोकी व्यवस्था हो सकेगी। श्री पारसी रुस्तमजी जैसे वीरोने जो पत्र लिखे है ऐसे अवसरपर उनका लाभ हमे मिलेगा। इस लडाईमे हम सत्यके लिए मरनेवाले है। इसलिए कदम-कदमपर हमे खुदाकी मदद मिलेगी। ऐसी मदद वह खुद नीचे उतरकर नही करता, बल्कि इ सानके दिलमे बैठकर उससे परोपकारके रूपमे करवाता है। उपयुक्त प्रश्न उठते रहते है, इससे मालूम होता हे कि हमने इतना बडा कौमी काम पहली बार हाथमे लिया है, इसलिए डर लग रहा है। यह बात समझमे आ सकती है। कि तु विचार करनेपर सब देख सकेगे कि घबडाने जैसी कोई बात नही हे। यह भी प्रश्न उठा हे कि कही १३,००० भारतीयोको एक साथ जेलमे भेज दे तो क्या होगा ? फिर बाल बच्चोकी सार सँभाल कौन करेगा ? यह सवाल केवल डरके कारण ही उठता है। खुदापर तिल मात्र भी भरोसा रखने-वाला ऐसा प्रश्न नही उठा सकता, फिर भारतीय मानस, जो कि खुदा या ईश्वरसे सदा डरनेवाला है ऐसे प्रश्न कैसे उठा सकता है ? १३,००० भारतीय एक साथ जेल जाये ऐसा शुभ अवसर एक तो आनेवाला नही है और यदि आ गया तो सबको मानना चाहिए कि उनके पीछे रहनेवालोको सँभालनेवाला महबूब बडा हे। इसके अलावा यदि उपयुक्त प्रश्न उठता है तो हम यह भी प्रश्न उठा सकते है कि यदि भूकम्पमे सारेके सारे १३,००० भारतीय मर जाये तो उनके पीछे रहनेवालोको कौन सँभालेगा ? उ होने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो केवल उनके बाल बच्चे अथवा जायदाद अनाथ बन जाये। कि तु यदि अनाथ ही होना हे तो उतनी देशसेवा हम क्यो न करे ? यदि देशसेवा न करेगे तो हमे इज्जत कैसे मिलेगी ? देशकी सेवा किसे कहा जायेगा ?

> **"प्रगटे जो दिलमा प्रेम प्राण शु[1] प्यारो**
> **हिमतनी[2] मददे खुदा सदा छे[3] यारो"**

१ क्या।
२ की।
३ है।

एक बहादुर भारतीय

कलकत्ताकी ओरके बख्तावर नामक एक भारतीयको अनुमतिपत्र कार्यालयने अँगुली लगानेको कहा, किन्तु उसने इनकार कर दिया। फिर उससे नये कानूनके अन्तर्गत अर्जी देनेको कहा गया। किन्तु उसने उसके लिए भी इनकार कर दिया। ऐसी हिम्मत प्रत्येक भारतीयमें होनी चाहिए।

लन्दनमें हलचल

खूनी कानूनके बारेमें लन्दनमें जोरोंसे हलचल हो रही है। बहुतेरे सदस्य प्रश्न पूछते रहते हैं। एक प्रश्नके उत्तरमें श्री चर्चिलने कहा है कि कानूनके अमलके सम्बन्धमें बड़ी सरकार हस्त-क्षेप नहीं कर सकती। इस उत्तरसे मैं लोगोंमें कुछ घबड़ाहट देखता हूँ। किन्तु घबड़ानेका कारण नहीं है। क्योंकि, पहली बात तो यह है कि हम अपनी हिम्मतके बलपर लड़ रहे हैं। इसमें बड़ी सरकार दखल नहीं देगी। किन्तु हम जिसे खराब काम मानते हैं उसे नहीं करते। दूसरे, बड़ी सरकार भले कानूनके अमलमें हस्तक्षेप न करे। किन्तु कानूनके जुल्मके समय तो हस्तक्षेप किये बिना चल ही नहीं सकता। यदि हस्तक्षेप नहीं करेगी तो उसकी आबरू दो कौड़ीकी हो जायेगी। और आखिर ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जायेगा। अतः श्री चर्चिलके उत्तरका मैं यही अर्थ करता हूँ कि जाहिरा तौरसे वे चाहे कुछ भी करें, किन्तु नाजुक समय आनेपर बिना हस्तक्षेप किये काम नहीं चलेगा। लेकिन नाजुक समयका अर्थ है हमारे जेल जानेके बादका समय।

चेत कर चलो

बुधवारको क्रूगर्सडॉर्पके श्री सुलेमान वाडीपर एक काफिरको शराब बेचनेका मुकदमा चला। दो गोरों और दो काफिरोंने खुफिया पुलिसको यह प्रमाण दिया कि श्री सुलेमानने आधी बोतल शराब बेची थी। श्री स्टैगमान तथा श्री गांधी वकील थे। बहुत मेहनत की गई। बयानमें साबित हुआ कि शराब बेचना धर्मके विरुद्ध है। बैंकके हिसाबनवीस और दूसरे गोरोंने बयान दिया कि श्री वाडी बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं। हकीकत भी ऐसी ही मालूम होती है कि श्री वाडीपर जाली मुकदमा चलाया गया है। वे निर्दोष हैं। फिर भी मजिस्ट्रेटने उन्हें दोषी ठहराकर छः महीनेकी सजा दे दी है। श्री वाडीने अपील की है। नतीजा जो भी होना होगा, होगा। लेकिन सभी भारतीयोंको चेतकर चलना चाहिए। गोरे और काफिर अपने स्वार्थके लिए लोगोंको फँसानेसे हिचकनेवाले नहीं हैं। श्री वाडी निर्दोष हैं। अतः उनके लिए लज्जित होनेकी कोई बात नहीं है। जेल जानेमें शर्म नहीं है, शर्म है अपराध करनेमें। वे बेकार खर्चेमें पड़े, यह बुरा हुआ। और अनजान लोग बदनाम करते हैं सो अलग।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १७–८–१९०७

१३५ पत्र 'इंडियन ओपिनियन'को

जोहानिसबर्ग
अगस्त १७, १९०७

सम्पादक
'इंडियन ओपिनियन'

महोदय,

एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके बारेमें मेरे और जनरल स्मट्सके बीच जो पत्र व्यवहार[1] हुआ है उसकी प्रतिलिपि प्रकाशनके लिए इसके साथ भेजता हूँ। मेरी विनम्र रायमें इस प्रश्नने स्थानीयसे अधिक महत्त्व प्राप्त कर लिया है। मैं आखिरी दम तक यह मानता रहूँगा कि उपनिवेशियोंकी मानवता उनके विद्वेषभावपर विजय प्राप्त करेगी और यदि मेरे देशवासियोंने वे कष्ट सहन कर लिये, जिनका उन्होंने निश्चय किया है, तो उनकी माँग न्यायपूर्ण मान ली जायेगी। लेकिन बात ऐसी हो या न हो, मैं केवल एक सलाह दे सकता हूँ, और वह है कि, हमें स्वार्थ की पूर्ति करनेके बजाय निडर होकर अपनी शपथपूर्ण घोषणाको पूर्ण करनेमें लग जाना चाहिए।

इसलिए आवश्यक है कि जनरल स्मट्सने अपने पत्रमें जो जोरदार चेतावनी[2] दी है, उसको मेरे देशवासी समझें। शायद उस जनताके लिए, जिसके नामपर यह कानून पास किया गया है और लागू किया जा रहा है, यह जानना भी जरूरी है कि मैंने उसके बदलेमें जो सुझाव देनेका विनम्र साहस किया है उससे यह कठिनाई पूरी तरह हल हो सकती है। उससे उपनिवेशमें रहनेवाले प्रत्येक एशियाईकी शिनाख्त हो जाती है और, एशियाई अधिनियमके विपरीत, उन एशियाइयोंकी संख्या हमेशाके लिए निश्चित हो जाती है जो (उन थोड़ेसे लोगोंको छोड़कर, जो प्रवासी विधेयककी शैक्षणिक धाराका लाभ उठानेके योग्य हो सकते हैं) उपनिवेशमें रहनेके अधिकारी होंगे। इसीलिए असली सवाल, जहाँतक मैं समझ सकता हूँ, अँगुलियोंके निशानोंका अथवा दूसरे ब्यौरोंका नहीं है, बल्कि मोटे रूपमें यह है कि सरकार भारतीयोंकी भावनाओंकी, यद्यपि उनको मत देनेका अधिकार नहीं है, कद्र करेगी या नहीं, या यदि सरकार भारतीयोंकी भावनाकी कद्र नहीं करती तो भारतीय अपने ईश्वर और अपने प्रति सच्चे रहेंगे या नहीं और अपने सर्वस्व का बलिदान करेंगे या नहीं।

आपका आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१ देखिए "पत्र: जनरल स्मट्सके निजी सचिवको" पृष्ठ १४८-४९ तथा १६४-६५।
२ देखिए "पत्र: जनरल स्मट्सके निजी सचिवको" पृष्ठ १६४ के साथ दी गई पादटिप्पणी।

१३६ पत्र 'स्टार' को[1]

जोहानिसबर्ग
अगस्त १९, १९०७

सेवामें
सम्पादक
'स्टार'
[जोहानिसबर्ग]

महोदय,

आपने उस विषयको, जिसे आप एशियाई कानून संशोधन अधिनियमसे सम्बन्धित मेरी 'योजना'[2] कहते हैं, एक सम्पादकीय टिप्पणीसे गौरवान्वित किया है। किन्तु, ऐसा करते समय आपने उसे सरसरी तौरपर पढ़कर उसके और मेरे प्रति न्याय नहीं किया। मेरे मसविदेमें बताई गई धाराओंको प्रवासी विधेयकमें शामिल कर लेनेसे सरकारको हर अनुमतिपत्र वापस लेने और उसके स्थानपर तामसवालके प्रत्येक वास्तविक एशियाई निवासीको अधिवासी प्रमाणपत्र जारी करनेका कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। और यदि आप मेरा मसविदा दुबारा पढ़ें तो देखेंगे कि इन प्रमाणपत्रोंके स्वरूपका विनियमन सरकारपर छोड़ दिया गया है। अतः, अँगुलियोंके निशानोंके प्रश्नको कभी विवाद विषयक नहीं बनाया गया है, और न ही, जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, यह कभी कोई बुनियादी सवाल रहा है। मुख्य आपत्ति विधेयकमें निहित अनिवार्यता और उसके उस रुखके प्रति है जिसमें भारतीयोंके साथ जरायमपेशा लोगोंकी तरह बर्ताव करनेकी बू आती है। मेरे द्वारा प्रस्तुत मसविदेसे सरकार उपनिवेशमें अधिवासाधिकारकी माँगके हकदार एशियाइयोंकी ठीक संख्या मालूम कर सकेगी और ऐसे एशियाइयोंकी शिनाख्त भी पूरी तरह हो जायेगी। मसविदा जिन बातोंको छोड़ देता है वे हैं एशियाई पंजीयन अधिनियममें निर्दिष्ट विस्तृत तन्त्र और दण्ड विधान। मसविदा १६ वर्षसे कम आयुके बच्चोंको भी तबाहीसे बचाता है और उस कष्टप्रद निरीक्षणको टाल देता है, जो पंजीयन अधिनियमके अन्तर्गत अपेक्षित शिनाख्तके सिलसिलेमें आते-जाते कहीं भी किया जा सकता है। किन्तु मैं यह कह दूँ कि यह बच्चोंके जाली प्रवेशका निराकरण पूर्ण रूपसे कर देता है, क्योंकि मसविदेमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अधिवासी प्रमाणपत्रोंपर १६ वर्षसे कम आयुवाले बच्चोंकी संख्या लिखी जायेगी और १६ वर्षके होनेपर उन्हें अधिवासी प्रमाणपत्र लेना पड़ेगा। फिर भी यदि मेरी योजनाको सदोष माना जाय तो कमसे कम प्रवासी विधेयकमें शिनाख्त सम्बन्धी विधान शामिल करनेके सिद्धान्तको तो सदोष नहीं माना जा सकता, और उन सारे दोषोंका निराकरण किया जा सकता है जिनपर मेरी निगाह नहीं पड़ी है। इसलिए, अब भी प्रश्न यही है कि महामहिमकी भारतीय प्रजाके कल्याणकी दृष्टिसे जनता इस वैकल्पिक प्रस्तावका गम्भीरतापूर्वक अध्ययन करेगी या नहीं।

१ यह २४-८-१९०७ के **इंडियन ओपिनियन**में उद्धृत किया गया था।

२ यहाँ जनरल स्मट्सके निजी सचिवके नाम लिखे पत्रके साथ भेजे गये प्रस्तावकी ओर संकेत किया गया है। देखिए पृष्ठ १४९-५०।

आपकी सम्पादकीय टिप्पणीके दूसरे हिस्सेके[1] बारेमे मै इतना ही कह सकता हूँ कि यदि मेरे देशवासियोको सम्मानास्पद दर्जेका आश्वासन [नही][2] दिया गया तो, चाहे वे कितने ही गिरे हुए हो, अपने आत्माभिमानकी बलि देने और अपनी गम्भीर प्रतिज्ञाको तोडनेके मुकाबले जेल, देश निकाला और उसी प्रकारकी अन्य विपत्तिया उनके लिए वरदान-स्वरूप होगी। और एक बातके लिए मै आपको जोर देकर आश्वस्त कर सकता हूँ कि ऐसा एक भी भारतीय नही है जो इस अधिनियमको अपने हृदय तलसे नापसन्द नही करता। मै उनमे से अधिकाश लोगोको जानता हूँ जिन्होने प्रिटोरियामे इस अधिनियमके अन्तगत पजीयन स्वीकार किया है, और मै यह भी जानता हूँ कि वे इसे अपनी राष्ट्रीयता और ईश्वरके प्रति अपराध मानते है, और फिर भी उन्होने ऐसा किया, क्योकि, उनके ही शब्दोमे, उन्होने पसेकी कीमत प्रतिष्ठासे ज्यादा आकी।

आपका आदि,
मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]

स्टार, २०-८-१९०७

१३७ भारतीय मुसलमानोसे अपील[3]

जोहानिसबग
अगस्त १९, १९०७

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता मुसलमान व्यापारी और ट्रान्सवालके हमीदिया इस्लामिया अजुमन के अध्यक्ष, मन्त्री और सदस्य, इसके द्वारा आपको उस स्थितिका खयाल कराना चाहते है, जो एशियाई कानून सशोधक विधेयकके अन्तगत मुसलमान भारतीयोकी हो जायेगी। हम माने लेते है कि अधिनियमके विरुद्ध हमारी जो मुख्य आपत्तिया है उनको आपने जान लिया है। किन्तु हम आपका ध्यान विशेष रूपमे एक आपत्तिकी ओर आकर्षित करेंगे, जिसका प्रभाव हमपर मुसलमान होनेके नाते पडता है। यह वह खण्ड है जो तुर्कीके मुसलमानोपर लागू होता है, जब कि तुर्कीके ईसाई और यहूदी उससे मुक्त है।

१ वह इस प्रकार था श्री गाधी और उनके सहयोगी नेताओने यह माननेकी भयकर भूल की है कि इग्लिश रैडिकल नानक्कफर्मिस्ट लोगोसे उधार लिये हुए उनके दाँवपचोका ब्रिटिश उदारदलीय सज्जन किसी भी हद तक जाकर समर्थन करेंगे। उन्होने अब अपनी भूल देख ली है और इसलिए हमें भरोसा है कि वे अपने असगत रवैयेसे बाज आयेंगे, या कमसे कम भविष्यमें अपने देशभाइयोके असस्कृत हिस्सेको उसकी अपनी सामान्य बुद्धिके मुताबिक चलनेके लिए छोड देंगे। अगर उसमें से ज्यादातर लोग कानूनकी मुखालिफत करना और उसके परिणाम — जिनमें व्यापार करनेके अधिकारोका खात्मा भी शामिल है — भोगना पसन्द करें तो ट्रान्सवाल सरकार कानूनी और नैतिक दृष्टिसे कसूरवार नही ठहरेगी ।

२ **इडियन ओपिनियन**के पाठमें यह शब्द आया है। स्पष्ट है **स्टार**में यह भूलसे छूट गया।

३ कदाचित् यह गाधीजा द्वारा लिखी गई थी क्योकि वे इसको भारतमें प्रचारित कराना चाहते थे, देखिए 'पाठकोको सूचना' पृष्ठ १९० और 'हमीदिया इस्लामिया अजुमनका पत्र' पृष्ठ १९४।

वस्तुतः यह अधिनियम समस्त भारतीयोंपर लागू होता है, और इसीलिए इसका सम्बन्ध समस्त भारतीय जनतासे है। किन्तु यह मुसलमानोंपर दुहरी कठोरतासे लागू होता है क्योंकि उससे हमारे धर्मका विशेष रूपसे अपमान होता है, और दूसरोंकी अपेक्षा भारतीय मुसलमानोंके आत्मसम्मानको अधिक आघात लगता है, क्योंकि वे समाजके अधिक धनी और सम्मानित अंग हैं।

हम कह सकते हैं कि सौभाग्यसे, दक्षिण आफ्रिकामें मुसलमानों और हिन्दुओंमें कोई विरोध भाव नहीं है। हम सब मिलकर भारतीयोंके रूपमें शान्ति और मित्रभावसे रहते हैं, आपसमें स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहार करते हैं, और अपने प्रति विद्वेष और अत्याचारसे मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए यदि हम उस शिकायतपर, जो हमें प्रभावित करती है, जोर देते हैं तो हम ऐसा केवल अपनी अनिश्चित स्थितिकी ओर समस्त भारतके मुसलमानोंका ध्यान आकर्षित करनेके लिए करते हैं, ताकि हम अपने संघर्षमें आपकी अत्यन्त सक्रिय सहायता प्राप्त कर सकें। और हम आपसे मुसलमानों और भारतीयोंके रूपमें यह प्रार्थना करनेका साहस करते हैं कि आप हमारा मामला सरकारके सम्मुख प्रस्तुत करके और अन्य तरीकोंसे भी, जिन्हें आप वाञ्छनीय समझें, हमारे साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करें। जब कि हमें इंग्लैंडसे बहुत सहायता मिल रही है, तब हम वे गोरे उपनिवेशी भी, जिनकी हमारे साथ सहानुभूति है, पूछते हैं कि हमारा देश भारत हमारे लिए क्या कर रहा है।

भवदीय

इमाम अब्दुल कादिर सालिम बावजीर (अध्यक्ष)
एम० पी० फैन्सी (मन्त्री)
इब्राहीम सालेजी कुवाडिया (कोषाध्यक्ष)
ईसप इस्माइल मियाँ (संरक्षक)
अब्दुल गनी, एम० सी० कमरुद्दीनकी पेढ़ी (संरक्षक)
[और ३३ अन्य]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१–८–१९०७

१३८ पत्र 'स्टार' को[1]

जोहानिसबग
अगस्त २०, १९०७

सेवामे
सम्पादक
'स्टार'
[जोहानिसबग]

मै एक बार फिर, अनिच्छापूवक, आपके सोजन्यका लाभ उठानेके लिए विवश हुआ हूँ। क्या मै कह सकता हूँ कि आपने अब भी पूरी तरहसे मसविदेको[2] नही पढा है? मैने जो सुझाव दिये है उनका अथ यह नही है कि एशियाई अधिनियमकी कुछ धाराओको रद कर दिया जाये और इस प्रकार कुछ अश तो उस अधिनियमसे और अधिकाश प्रवासी विधेयकसे रख लिये जाये, बल्कि यह है कि पहलेवाले अधिनियमका सवथा अन्त कर दिया जाये, क्योकि, मेरी रायमे, मेरे प्रस्तावसे, मेरे देशवासियोको बहुत नाराज किये बिना ही, उपनिवेशियोको सब कुछ मिल जाता है। मेरे लिए यह सम्भव नही है कि मैने और मेरे साथियोने जो कुछ लिखा है, उसके लम्बे उद्धरणोके अध्ययनका भार आपपर डालकर यह दिखाऊँ कि यद्यपि इस अत्यन्त आपत्तिजनक अधिनियममे अँगुलियोके निशानोका सवाल हमेशा एक बडी गम्भीर बात मानी गई है, तथापि जबतक उसका प्रयोग एक अनिवाय शतके रूपमे नही होगा तबतक यह प्रश्न कोई सर्वोपरि महत्त्वका विषय नही रहेगा। आपको यह भी आसानीसे याद आ जायेगा कि हमने स्वेच्छासे उन अनुमतिपत्रोपर अँगुलियोके निशान दिये थे, जो लार्ड मिलनरकी सूचनाके अनुसार जारी किये गये थे।[3] उस समय यह स्वेच्छासे करनेकी बात थी और वह भी सिफ एक अँगूठेका निशान लगानेकी। एशियाई अधिनियममे दसो अँगुलियोके निशान देनेका प्रश्न है और वह भी एक बार नही, बल्कि जितनी बार अधिकारीगण लेना चाहे। यदि मै अपने देशवासियोको दसो अँगुलियोके निशान स्वेच्छासे देनेकी सलाह दे भी दू तो मै समझता हूँ कि मेरी सलाह तुरन्त अस्वीकार कर दी जायेगी। लेकिन मुझे और कुछ कहनेकी जरूरत नही है। मुझे खेद है कि भारतीयोके पक्षको अब भी गम्भीर और निर्विकार भावसे नही समझा जा रहा है। मेरे देशवासी केवल इतना कह सकते है कि भले ही सारा गोरा ट्रान्सवाल हमारे विरुद्ध हो, ईश्वर अब भी हमारे साथ है।

आपका आदि,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
स्टार, २१-८-१९०७

१ यह बादमें २४-८-१९०७ के **इडियन ओपिनियन**में उद्धत किया गया था।
२ देखिए 'पत्र जनरल स्मट्सके निजी सचिवको", पृष्ठ १४८ ४९।
३ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ २२४ ३१।

१३९. पत्र 'रैंड डेली मेल' को

[जोहानिसबर्ग]
अगस्त २०, १९०७

सेवामें
सम्पादक
'रैंड डेली मेल'
[जोहानिसबर्ग]

महोदय,

जनरल स्मट्सके भेजे गये प्रस्तावको आपने सम्पादकीय टिप्पणी लिखकर मान प्रदान किया है, उसमें एशियाई आबादीको सलाह दी है कि वह अपने निश्चयपर और विचार करे, क्योंकि वह निश्चय एक जोशके क्षणमें और शायद उस बातको पूरी तरह समझे बिना किया गया है कि एक ऐसे देशमें, जहाँकी बहुत बड़ी आबादी अश्वेत लोगोंकी है, कानूनका संगठित विरोध करना कितनी गम्भीर बात है।" यह एक विचित्र बात है कि आप एक ऐसे संकल्पको, जिसपर पिछले दस महीनोंसे लोग दृढ़ हैं "जोशके क्षणमें किया गया" समझते हैं।

फिर भी, मैं ये चन्द पंक्तियाँ यह मालूम करनेके लिए लिख रहा हूँ कि क्या आप जनताको बता सकते हैं कि "कानूनका संगठित विरोध करनेकी गम्भीरता" और "बहुत बड़ी अश्वेत आबादी" के बीच क्या सम्बन्ध है? क्या इस आबादीसे ब्रिटिश भारतीयोंपर हमला कराया जायेगा, क्योंकि ब्रिटिश भारतीय ऐसे कानूनको माननेके लिए तैयार नहीं हैं जो उन्हें नामर्द बनानेवाला है?

आपका आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
रैंड डेली मेल, २२-८-१९०७

१४० आवेदनपत्र उपनिवेश मन्त्रीको[1]

पो० ऑ० बाक्स ६५२२
जोहानिसबग
अगस्त २३ १९०७

सेवाम
परममाननीय उपनिवेश मन्त्री
लन्दन

साम्राज्य सरकारको ट्रासवालके ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्षका प्राथनापत्र
सविनय निवेदन है कि

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय सघकी समिति ट्रासवालकी ससद द्वारा पास किये गये प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके बारेमे महामहिमकी सरकारकी सेवामे सविनय निवेदन करती है कि

उक्त समितिने इस कानूनके बारेमे ट्रासवाल ससदके दोनो भवनोके सम्मुख विनयपूवक अपना प्राथनापत्र प्रस्तुत किया। इन प्राथनापत्रोको देखनेसे यह विषय और भी अच्छी तरहसे साफ हो जायेगा। इसलिए उक्त दोनो भवनोमे प्रस्तुत किये गये प्राथनापत्रोकी नकले इस प्राथनापत्रके साथ नत्थी कर दी गई है। उनपर क तथा ख[2] चिह्न लगा दिये गये है।

उक्त समिति सविनय निवेदन करती है कि उक्त विधेयकपर निम्नलिखित कारणोसे एतराज किया जा सकता है

(१) यह एशियाई कानून सशोधक अधिनियमको स्थायित्व प्रदान करता है।

(२) यह उन भारतीयोके अधिवास अधिकारकी अवहेलना करता है जो ट्रान्सवालमे युद्धसे पूव बस चुके थे और जिनमे से अनेक १८८५ के कानून ३ के अन्तगत अपने अधिवासके मूल्य स्वरूप तीन पौडकी रकम भी दे चुके है किन्तु अभीतक ट्रान्सवाल नही लौट सके है। इसका कारण या तो यह है कि उनके प्राथनापत्र देनेपर भी उनको लौटनेके अनुमतिपत्र नही मिले है अथवा उन्होने शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अधीन ऐसे अनुमतिपत्रोके लिए प्राथनापत्र ही अबतक नही दिये है।

(३) इसमे विधेयककी शतके अनुसार किसी भी भारतीय भाषाको शिक्षा सम्बन्धी योग्यताका अग नही माना गया है।

(४) इस विधेयकके खण्ड २ के उपखण्ड ४ के[3] अनुसार विधेयक द्वारा निश्चित शिक्षाकी परीक्षा पास करनेवाले भारतीयोपर भी एशियाई कानून सशोधन अध्यादेश लागू होता है।

१ यह आवेदनपत्र **इडियन ओपिनियन** के ३१–८–१९०७ के अकमें और इसका गुजराती अनुवाद २४–८–१९०७ के अकमें छपा था।

२ ये पहले तिथि क्रमानुसार दिये जा चुके है, देखिए क्रमश ‘ प्रार्थनापत्र ट्रासवाल विधानसभाको’’ पृष्ठ ९२ ९३ और प्रार्थनापत्र ट्रान्सवाल विधान परिषद्को ’, पृष्ठ ११५ ११६।

३ देखिए आवेदनपत्रके साथ दिया गया परिशिष्ट ‘ग ।

(५) ट्रान्सवालमें पहलेसे बसे हुए भारतीय व्यापारियोंको उसके अंतर्गत यह सुविधा नहीं दी गई कि वे अपने विश्वासी क्लार्कों, सहायकों व घरेलू नौकरोंको अस्थायी रूपसे बाहरसे बुलवा सकें।

(६) इस विधेयकके खण्ड ६ के उपखण्ड ग द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि एशियाई कानून संशोधक अधिनियमकी सीमामें आनेवाले लोगोंको पकड़कर जबरदस्ती निर्वासित किया जा सकेगा।

उपर्युक्त विषयपर दलीलें

उक्त समिति अब एतराजके उपर्युक्त कारणोंके बारेमें क्रमशः चर्चा करनेकी सविनय अनुमति माँगती है।

प्रथम कारण

जैसा कि सम्राट्‌महिमकी सरकारको पता है, एशियाई कानून संशोधक अधिनियम ट्रान्सवालमें रहनेवाले भारतीयोंमें अधिकसे अधिक सन्ताप पैदा कर रहा है, उसकी बात उस समाजके स्वाभिमानके लिए इतनी अपमानजनक तथा हानिप्रद महसूस की जा रही है कि उसके बहुतसे सदस्य उसके अधीन पंजीयन स्वीकार करनेकी अपेक्षा अपनी समस्त सांसारिक सुख सुविधाओंके छिन जानेका खतरा मोल लेकर भी दृढ़तापूर्वक अपना पंजीयन न करानेका दण्ड भुगतनेको तैयार हैं। पहले पहल पेश किये जानेपर इस विधानको अस्थायी रूप देनेकी बात थी और कहा गया कि उसे एशियाइयोंके प्रवासके बारेमें जनता द्वारा निर्वाचित सभाका अभीसे निर्णय न माना जाये। साथ ही यह भी कहा गया था कि वर्तमान विचाराधीन विधेयकको केवल इसलिए उपस्थित किया जा रहा है कि इस सम्बन्धमें कोई और कानून मौजूद नहीं है। इस विधेयकका पहला खण्ड ही एशियाई कानून संशोधक अधिनियमको स्थायी बना देता है और शान्ति रक्षा अध्यादेशकी शर्तोंको भी वहाँतक बनाये रखता है जहाँतक एशियाई कानून संशोधक अधिनियमके अमलके लिए उसकी आवश्यकता पड़े।

दूसरा कारण

यह सर्वविदित है कि बहुतसे भारतीय जो युद्ध आरम्भ होनेपर ट्रान्सवालसे चले गये थे, अपने अपनाये हुए देशमें अभीतक वापस नहीं आये हैं। इस देशमें बस जानेके उद्देश्यसे उनमेंसे अनेक पुरानी डच सरकारको ३ पौंड दे चुके हैं। शान्ति रक्षा अध्यादेशके कारण उनके अनुमति पत्र मिलनेके मार्गमें इतनी गम्भीर बाधाएँ खड़ी हो गई हैं — यद्यपि पराये यूरोपीय भी उन्हें माँगते ही पा जाते हैं — कि वे ट्रान्सवालमें अभीतक वापस नहीं आ सके हैं। उनमें से कुछने तो अभी अर्जियाँ भी नहीं दी हैं। इन शरणार्थियोंको इस विधेयकके अनुसार कोई यूरोपीय भाषा न जाननेके कारण ट्रान्सवालमें वर्जित प्रवासी करार दे दिया जायेगा। यह निषेध निहित स्वार्थ रखनेवाले सुपात्र ब्रिटिश प्रजाजनोंके विरुद्ध बहुत सख्तीसे लागू किया जायेगा। इस प्रकार स्थायी निवासके अधिकारको मंसूख करनेमें यह विधेयक केप उपनिवेशमें प्रचलित ऐसे कानूनोंसे आगे निकल जाता है।

तीसरा कारण

भारतीय भाषाओंको मान्यता देनेसे इनकार करके यह विधेयक अनुचित तथा अन्यायपूर्ण भाव उत्पन्न कर रहा है।

चौथा कारण

उक्त समितिकी नम्र सम्मतिमे खण्ड २ का उपखण्ड ४ अत्यन्त अस्पष्ट है और उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। तो भी यह स्पष्ट है कि वह, दूसरी बातोके अलावा योग्य भारतीयोको निशाना बनाता है। एशियाई कानून सशोधक अधिनियमकी शर्तोको उनसे पूरा करानेका विधान करके वह जो कुछ एक हाथसे देता है उसे दूसरे हाथसे छुडा लेता है, क्योकि यह कल्पना भी नही की जा सकती कि कोई भारतीय व्यापक शिक्षा पानेके बाद कभी इस अधिनियमकी शर्तोको स्वीकार करेगा। ऐसे भारतीयोको ऐसे अधिनियमका शिकार बनानेके लिए कोई दलील भी दिखाई नही देती जिसका उद्देश्य ट्रान्सवालमे रहनेवाले भारतीयोकी शिनाख्त करना है, क्योकि ऐसे भारतीय तो यूरोपीय भाषाके अपने ज्ञानके कारण अपने आप पहचानके चिह्न रखते ही है। एशियाई कानून सशोधक अधिनियम इसलिए जरूरी माना गया है कि इस उपनिवेशमे रहनेवाले अधिकाश एशियाइयोको अक्षर ज्ञान भी नही है। शिक्षित भारतीयोसे इस अधिनियमका पालन कराना उक्त समितिकी नम्र सम्मतिमे उनका अकारण अपमान है, साथ ही वह भारतीयोको इस विधेयककी शिक्षा सम्बन्धी धाराके लाभसे वचित करनेका अप्रत्यक्ष ढग है।

पाँचवाँ कारण

इस बातसे इनकार नही किया जा सकता कि जिन भारतीयोको ट्रान्सवालमे रहनेका हक है उनको अपने अस्थायी सहायक बाहरसे बुला सकनेकी सुविधासे वचित करना एक गम्भीर शिकायत है।

छठा कारण

मूल मसविदेमे खण्ड ६ का उपखण्ड (ग) नही था। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ट्रान्सवालके भारतीय एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके बारेमे, जीवन मरणके युद्धमे लगे हुए है। अनुमान है कि हजारो भारतीय उक्त अधिनियमके सामने सिर झुकानेकी अपेक्षा जेलकी कठिनाइया सहनेको तैयार है। उनमेसे बहुतोके लिए ट्रान्सवाल उनका अपना घर है, जहा वे ईमानदारीसे अपनी रोजी कमाते है। उनको देशसे निकाल देना, शायद उनको भुखमरीका सामना करनेको — निश्चय ही, अपने भावी जीवनकी सम्भावनाओको नष्ट कर देनेको विवश करना है। जहा एशियाई कानून सशोधक अधिनियमके अनुसार पजीयनका प्रमाणपत्र न लेनेपर उसे उपनिवेशसे निकल जानेकी सूचना दी जा सकती है, वही इस प्रकारकी सूचनाकी उपेक्षा करनेपर अपराधीको जेल भेजा जा सकता है। ऊपर जिस उपखण्ड (ग) का उल्लेख किया गया है उसके अनुसार स्थानीय सरकारको यह **अधिकार मिल जाता है** कि वह एशियाई कानून सशोधक अधिनियमके अधीन दी गई सूचनाकी अवहेलना करनेवाले किसी भी व्यक्तिको **उसीके खर्चपर जबरदस्ती पकडकर देशसे बाहर निकाल सके।** इस प्रकार नम्रतापूर्वक निवेदन किया जाता है कि उक्त खण्ड अपने आपमे न केवल एक निर्दय नियम है वरन वह अत्यधिक अन्यायपूर्ण भी है, क्योकि वह अप्रत्यक्ष रूपसे एशियाई कानून सशोधक अधिनियममे इस तरहका परिवर्तन करता है जिससे सम्बन्धित व्यक्तियोको बहुत ही असुविधा होगी। उक्त समितिको इस बातका विश्वास है कि यदि ऐसा सशोधन स्वय इस अधिनियममे ही किया गया होता तो उसे शाही स्वीकृति नही मिलती। अतएव उक्त समितिको विश्वास है कि महामहिम सम्राट्की सरकार उक्त अधिनियमके अनुसार असाधारण अधिकार देनेवाले उक्त

उपखण्डको अपेक्षाकृत बहुत अधिक आपत्तिजनक मानेगी। इसके अलावा जबरदस्ती देश निकासनका यह असर होगा कि निर्वासितकी सम्पत्ति जप्त हो जायेगी। और उसमें यह व्यवस्था नहीं है कि निर्वासित व्यक्ति कहाँ भेज जायेंगे। केप और नेटाल तो ऐसे व्यक्तियोंको अपने यहाँ नहीं आने देंगे। इसलिए उनको अवश्य जबरदस्ती भारत भेजा जायेगा। अतएव इस मन्तव्य अपराध (यदि इसे अपराध माना ही जाये) के लिए दिया जानेवाला वह निर्वासित दण्ड भयंकर अपराधके लिए दिये हुए निर्वासित दण्डसे कहीं अधिक बुरा होगा, क्योंकि इस दूसरे निर्वासनमें अपराधीको कमसे कम निवास स्थान तथा भोजन तो दिया जाता है।

सामान्य बातें

उक्त समितिकी यह नम्र राय है कि देशपर ब्रिटिश अधिकार होनेके समयसे लगातार अबतक महामहिम सम्राटकी सरकारने भारतीयोंके स्वत्वोंकी उपेक्षा की है अथवा उनपर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि वे निर्बल थे। वह स्वार्थी लोगोंकी चिल्लाहटके सामने झुकती रही है, क्योंकि वे बलवान थे। और ऐसा उसने भारतीयोंको बार बार दिये हुए वचनों और आश्वासनोंकी परवाह न करते हुए किया है। साथ ही उक्त समिति विनयपूर्वक महामहिमकी सरकारका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करती है कि विधानसभामें भारतीयोंका लेशमात्र भी प्रतिनिधित्व नहीं लिया गया है, कि जब प्रार्थियोंकी ओरसे उस सम्माननीय सदनको प्रार्थनापत्र दिया गया तब उसके पक्षमें किसी सदस्यने एक शब्द तक नहीं कहा, और इस प्रकारके प्रार्थनापत्रकी ऐसी ही गति विधान परिषदमें भी हुई और उस दशामें जब कि — उसकी रचना ही — अन्य बातोंके साथ साथ उन स्वार्थोंकी रक्षाके लिए की गई है, जिनका बृहत् तथा निर्वाचित सदनमें प्रतिनिधित्व न हो। उक्त समिति विनयपूर्वक निवेदन करती है कि इन परिस्थितियोंमें ब्रिटिश भारतीयोंको यह अधिकार होना चाहिए कि साम्राज्यकी केन्द्रीय सत्ताके रूपमें महामहिमकी सरकारसे उनको विशेष संरक्षण मिले।

प्रार्थना

अतएव उक्त समिति अनुनयपूर्ण प्रार्थना करती है कि उक्त विधेयकको अस्वीकार कर दिया जाय और महामहिमकी सरकार अपना प्रभाव डालकर उस विधेयकमें ऐसा संशोधन कराये जिससे एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके कारण महामहिम सम्राटकी भारतीय प्रजापर बुरा असर डालनेवाला मौजूदा तनाव कम हो।

लेकिन अगर, जिस समाजकी प्रतिनिधि यह समिति है, उसका कष्ट निवारण करना महामहिमकी सरकारके लिए असम्भव प्रतीत हो तो उसकी नम्र रायमें उसके लिए साम्राज्यके अन्दर शान्ति बनाये रखनेकी दृष्टिसे यह अच्छा होगा कि सम्राटकी समस्त भारतीय प्रजाको ट्रान्सवालसे हटा लिया जाय और उसके निहित तथा प्राप्त अधिकारोंका स्थानीय या साम्राज्यीय कोषसे पूरा हरजाना दिया जाय।

और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी, कर्तव्य मान कर, सदा दुआ करेंगे।

[आपका, आदि]
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय संघ

परिशिष्ट ग

उपर्युक्त प्रार्थनापत्रमें विधेयकके जिन अंशोंकी चर्चा की गई है उनके उद्धरण नीचे दिये जाते हैं

खण्ड १ शान्ति रक्षा अध्यादेश, १९०३ को मसूख किया जाता है किन्तु उसमें यह व्यवस्था है कि ऐसी किसी मसूखीसे एशियाई कानून संशोधक अधिनियम १९०७ से मिले हुए उन अधिकारों अथवा अधिकार क्षेत्रपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस अधिनियमको अमली जामा पहनानेके लिए दिये जा चुके हैं। परन्तु उक्त अध्यादेश उस अधिनियमके सभी उद्देश्योंके लिए पूरी तरहसे अमलमें लाया जायेगा।

खण्ड २ उपखण्ड १ और ४ वर्जित प्रवासी से अभिप्राय यह है कि उसमें निम्नलिखित वर्गोंके उन व्यक्तियोंको शामिल किया जायेगा जो इस अधिनियमके लागू होनेके बाद उपनिवेशमें प्रवेश करनेकी इच्छा करें या प्रवेश करें।

१ कोई भी व्यक्ति जो इस उपनिवेशके अन्दर अथवा इसके बाहर नियमानुसार अधिकार प्राप्त अधिकारीके समक्ष किसी यूरोपीय भाषाके अल्प ज्ञानके कारण (इमला अथवा दूसरे प्रकारसे) किसी यूरोपीय भाषाके अक्षरोंमें इस उपनिवेशमें आनेके लिए प्रार्थनापत्र या कोई दस्तावेज जो उक्त अधिकारी चाहे लिखनेमें अथवा उसपर हस्ताक्षर करनेमें असमर्थ होगा। इसमें यह व्यवस्था है कि इस उपखण्डके उद्देश्यके लिए यीडिश भाषाको यूरोपीय भाषा माना जायेगा।

२ कोई भी व्यक्ति जो इस उपनिवेशमें प्रवेश करने अथवा प्रवेश करनेके प्रयत्नकी तारीखको किसी ऐसे कानूनके अधीन हो या प्रवेश करनेपर हो जाये जो उस तारीखको अमलमें हो और जिसके अनुसार उसको उस तारीखको या उसके बाद वहाँ पाये जानेपर उपनिवेशसे निकाला जा सके अथवा उसे उस उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा दी जा सके, चाहे वह ऐसे कानूनके विरुद्ध जेलकी सजा दी जानेपर या उसकी शर्तोंका उल्लंघन करनेपर अथवा उसकी शर्तोंके अन्तर्गत और किसी कारण हो। इसमें यह व्यवस्था है कि ऐसी सजा उस व्यक्तिको उस उपनिवेशके अलावा किसी और जगह किये हुए अपराधको करनेपर न दी गई हो जिसके लिए उसको बिना शर्त माफ कर दिया गया हो।

खण्ड ६ कोई व्यक्ति जो

(क) इस अधिनियमके अमलमें आनेकी तारीखके बाद अनैतिकता अध्यादेश, १९०३ का **तीसरी, तेरहवीं** या **इक्कीसवीं** या उन धाराओंके किसी संशोधनका उल्लंघन करनेके कारण सजा पा चुका हो, या

(ख) मन्त्री द्वारा यहाँ रहनेपर इस उपनिवेशकी शान्ति, व्यवस्था और सुशासनके लिए माकूल कारणोंसे खतरनाक माना गया हो, या

(ग) किसी कानूनके अधीन इस उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा दी जानेपर उस आज्ञाका पालन करनेमें असमर्थ रहा हो, उसको मन्त्रीके हाथसे निकाले हुए वारंटपर गिरफ्तार करके इस उपनिवेशसे निकाला जा सकता है और गिरफ्तार होनेके बाद निकाले जानेके समय तक ऐसी हिरासतमें रखा जा सकता है जिसे नियमों द्वारा निश्चित किया जाये। इसमें यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद (ख) के अधीन इस उपनिवेशसे ऐसे किसी व्यक्तिको नहीं निकाला जायेगा जबतक उसके बारेमें राज्यपालकी आज्ञा न हो। इसमें यह व्यवस्था और है कि यदि इस प्रकार गिरफ्तार किये हुए किसी व्यक्तिकी गिरफ्तारीसे दस दिनके अन्दर अन्दर राज्यपालने उसके निर्वासनकी आज्ञा न दे दी तो उसे हिरासतसे छोड़ दिया जायेगा।

खण्ड ११ किसी व्यक्तिको जिसे इस अधिनियमके अन्तर्गत इस उपनिवेशसे निकाले जानेकी आज्ञा दी गई हो और किसी अन्य व्यक्तिको जिसे इस उपनिवेशमें प्रवेश करने या रहनेमें सहायता करने या उस अधिनियमका उल्लंघन करनेके कारण खण्ड ७ के अन्तर्गत सजा दी गई हो वे सब खर्चे देने पड़ेंगे जो सरकारको उसको उपनिवेश या दक्षिण आफ्रिकासे निकालनेमें उठाने पड़े हों अथवा उपनिवेशके अन्दर

कहीं और हटाने तक नजरबन्द रखनेमें उठाने पड़े हों। विभागका एक अधिकारी इस प्रकारके खर्चोंकी मदों तथा उनका कुल योग बनाकर उसका एक प्रमाणपत्र बनायेगा। वह प्रमाणपत्र जिलाधिकारीके सामने उपस्थित किया जायेगा जो इसको उस व्यक्तिकी उपनिवेशके अन्तर्गत सम्पत्तिसे उसी प्रकार वसूल करेगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये हुए निर्णयको इजरा किया जाता है। जिलाधिकारी ऐसी सम्पत्तिकी कुर्कीकी रकमको खजांचीके पास जमा कर देगा। खजांची सरकारके उपर्युक्त खर्च तथा कुर्कीके खर्चको उसमें से काटकर शेष रकम उस व्यक्तिके पास भेज देगा, जो सम्पत्तिका मालिक था, अथवा वह उस रकमको किसी ऐसे व्यक्तिको दे देगा, जिसे सम्पत्तिके मालिकने उस रकमको लेनेके लिए मुकर्रर किया हो।

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स सी० ओ० २९१/१२२

१४१ तार द० आ० ब्रि० भा० समितिको[1]

[जोहानिसबर्ग
अगस्त २३, १९०७ के बाद]

सेवामें
दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति
[लन्दन]

प्रवासी विधेयक शाही स्वीकृतिके लिए प्रेषित। प्रार्थनापत्र[2] चला गया। विधेयक अधिवासी भारतीयोंके लिए अहितकर। सत्याग्रहियोंको बलात् निवासनकी धारा विशेष रूपसे सम्मिलित। प्रार्थना है, अस्वीकार किया जाये या साम्राज्यीय कोषसे मुआवजा दिया जाये।

[ब्रिटिश भारतीय संघ]

[अंग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स सी० ओ० २९१/१२२

१. एल० डब्ल्यू० रिचने यह तार अगस्त ३१ को उपनिवेश कार्यालयको भेज दिया था।
२. देखिए पिछला शीर्षक।

१४२ प्रस्तावित समझौता

ट्रासवालके उपनिवेश सचिव और श्री गाधीके बीच हुए पत्र व्यवहारको हम अन्यत्र छाप रहे है।[1] यह बडी दयनीय बात है कि जनरल स्मटसने श्री गाधीके सुझावको स्वीकार नही किया यद्यपि वह समाजके नामसे नही किया गया, फिर भी हमारा खयाल हे कि यह दोनो दलोको एक गम्भीर कठिनाईसे बाहर निकल आनेकी साफ राह देता हे। जनरल स्मट्स कानूनको लागू करनेकी अपनी योग्यतापर पूरी तरहसे भरोसा रखते है ओर इसलिए श्री गाधीके प्रस्तावको अस्वीकार करते है। हम यह कहे बिना नही रह सकते कि ऐसे युक्तिसगत हलको अस्वीकार कर देनेसे प्रकट होता हे कि जनरल स्मटस ट्रासवालके भारतीयोके बारेमे कितनी ओछी राय रखते है। तदनुसार हम सोचते है कि अब ट्रासवालके भारतीयोका पहलेसे कही अधिक कतव्य हो गया हे कि वे अपने आखिरी दम तक कानूनके आगे न झुकनेके आदोलनको जारी रखे। ट्रान्सवालकी सरकारके दढ निश्चयसे उन भारतीयाकी कोई हानि नही हो सकती जो पहले ही से बडेसे बडे त्यागके लिए तैयार है। न तो जेल और न निर्वासनसे उन भारतीयोके दिलामे जरा भी डर पैदा होना चाहिये जो अपनी इज्जतको सबसे बडी चीज समझते है।

श्री गाधीने अपना मसविदा भेजते हुए एक खास मुद्दा उठाया हे, अथात क्या स्थानीय सरकार ट्रान्सवालमे रहनेके हकदार भारतीयोकी शिनारत करानेमे भारतीय समुदायकी इच्छा और भावनाओको जान लेनेकी कृपा करेगी। जनरल स्मटस कहते है, 'नही'। इसका जवाब देना अब भारतीयोका काम है। अब यह उनकी मर्जीपर है कि वे ट्रान्सवालमे एक सवथा अपमानभरा जीवन बिताये अथवा ब्रिटिश साम्राज्यके नागरिक और मानव गिने जानेके लिए एक सर्वोपरि प्रयत्न करे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१ देखिए 'पत्र जनरल स्मट्सके निजी सचिवको", पृष्ठ १८८ ८९ और १६४ ६५।

१४३ खुले दिलकी सहानुभूति

ब्लूमफाँटीनके 'फ्रेंड' ने एक सार्वजनिक सेवा की है और ब्रिटिश भारतीयोंकी हार्दिक कृतज्ञता अर्जित की है। क्योंकि जिस ढंगसे हमारे ट्रान्सवालके भाइयोंने अपने आत्मसम्मानको ठेस पहुँचानेवाले कानूनके प्रति अपनी घृणा प्रकट की है, उसका 'फ्रेंड' ने सहृदयतापूर्वक समर्थन किया है। 'फ्रेंड' ने उस विषयपर विचार करनेके लिए एक सम्पादकीय लेखमाला छापकर अपने साहस और जनहितकी भावनाका परिचय दिया है। अन्तमें वह इस परिणामपर पहुँचा है कि एक अपमानजनक कानूनके बारेमें सत्याग्रह द्वारा अपनी नाराजगी जाहिर करके ब्रिटिश भारतीय बिलकुल ठीक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ट्रान्सवालके सहयोगी 'फ्रेंड' के अन्यत्र प्रकाशित उद्गारोंपर[1] ध्यान दें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-८-१९०७

१४४ पाठकोंको सूचना

हमारी दृष्टिमें इस समय 'इंडियन ओपिनियन' के गुजराती विभागकी कीमत नहीं आँकी जा सकती। इस कथनमें अतिशयोक्ति मालूम हो सकती है, फिर भी यह उचित है। ट्रान्सवालके भारतीय इस समय जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं। यह पत्र संघर्षमें पूरी तरह मदद देनेमें रत है। अतः हम हरएक भारतीयका कर्तव्य मानते हैं कि वह संघर्षसे सम्बन्धित प्रत्येक पंक्ति पढ़े। पढ़कर उसका उपयोग करना है। पढ़नेके बाद पत्रको फेंक न दिया जाये। उसे सँभालकर रखनेकी जरूरत है। कुछ लेख और अनुवाद तो हम बार बार पढ़नेकी सिफारिश करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतमें हमारे प्रश्नकी चर्चा घर-घर होनी चाहिए। उसमें हमारे पाठक बहुत मदद कर सकते हैं। सब अपने मित्रोंको 'इंडियन ओपिनियन' की आवश्यक प्रतियाँ भेजकर पढ़नेके लिए कह सकते हैं तथा इस सम्बन्धमें जितनी भी मदद दी जा सकती हो, माँग सकते हैं। इस अंकमें हमीदिया इस्लामिया अंजुमनका मुसलमानोंके नाम पत्र[2] है। हम मानते हैं कि इस अंककी सैकड़ों प्रतियाँ भारत जानी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-८-१९०७

१. इन्हें यहाँ नहीं दिया गया। देखिए "सच्चा मित्र", पृष्ठ १९३ भी।

२. देखिए "भारतीय मुसलमानोंसे अपील", पृष्ठ १७९-८०

१४५ दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति

यह समिति बहुत बडा काम कर रही है। फ्रीडडापवालोंकी निभ गई सो केवल इसीकी मन्दसे। आज भी इसकी मदद मिलती रहती है। श्री रिचका श्रम अपार है। स्पष्ट ही इस समितिको अपने कामके लिए अधिक धनकी जरूरत है। ट्रान्सवालसे बहुत सा पसा गया है। अभी वहासे ज्यादा भेजे जानेकी अपेक्षा नही रखनी चाहिए। ट्रान्सवालकी लडाई सारे दक्षिण आफ्रिकाकी लडाई ह। अत हम नेटाल भारतीय काग्रेससे सिफारिश करते है कि वह ज्यादा पैसा भेजे। केपके भाइयोने इस मामलेमे अपने कतव्यका जरा भी पालन नही किया। अब यदि वे, या डेलागोआ-बेके भारतीय, थोडा चन्दा करके भेजे तो अनुचित नही होगा, और यह सिद्ध हो जायेगा कि वे मदद देनेको तैयार है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २४–८–१९०७

१४६ श्री गाधीकी सूचना

जनरल स्मटसने श्री गाधीको जो पत्र लिखा है ओर उसपरसे जो प्रश्नोत्तर[1] हुए है उनकी चर्चा 'लीडर' तथा 'डेली मेल' मे हो चुकी है। जनरल स्मटसका पत्र साफ धमकी है। उनके पत्रसे मालूम होता है कि कानूनको अमलमे लाना बडा कठिन काम है। दस-बीस व्यक्तियाको सजा दी जा सकती है, किन्तु हजारो व्यक्तियोको सजा देनेकी हिम्मत, बहादुर होते हुए भी, जनरल स्मटस नही कर सकेगे। इसीलिए वे कहते ह कि कानूनको पूरी तरह अमलमे लायेगे। यदि यही बात थी तो आजतक क्यो बैठे रहे? प्रवासी कानूनमे क्यो परिवतन कर रहे ह? उनके अधिकारी नये पजीयनपत्रकी प्रतीक्षा क्यो कर रहे ह? उनकी धौस और व्यवहारम बहुत फक पडता दिखाई दे रहा है। उन्होने जो उत्तर दिया है उससे भिन्न उत्तर वे दे ही नही सकते। क्योकि अभी तो, जबतक सग्राम चल रहा है, गालोपर तमाचे लगा लगा कर भी अपने मुहकी ललाई कायम रखनी पडती है। भारतीय समाज कसौटीपर खरा उतरे तब देखना होगा कि वे क्या कर सकते है।

अखबारोकी टीकाओसे भी मालूम होता है कि पहले जिस प्रकार वे गालिया देते या मजाक उडाते थे, वह सब बन्द हो गया। अब धमकीका खेल शुरू हुआ है। अखबार समझा रहे है कि जनरल स्मटस अपनी हठ नही छोडेगे, इसलिए भारतीय समाजको अपने खुदाको छोड कर जनरल स्मट्सके गुलामीके कानूनकी शरण जाना होगा। 'डेली मेल' तो यह भी धमकी दे रहा है कि ट्रान्सवालमे जगली काफिर बहुत रहते है, यह बात भारतीयोको याद रखनी चाहिए।[2] इसे हम बुढापेका सठियाना कहते है। कानूनको अमलमे लाते लाते गोरे बूढे हो गये है यह कहा

१ देखिए 'पत्र जनरल स्मट्सके निजी सचिवको पृष्ठ १४८ ४९ और १६४ ६५।

२ देखिए 'पत्र 'रड डेली मेल को पृष्ठ १८२।

जा सकता है, फिर भी उनकी आशा पूरी नहीं हुई। इसलिए अब बकवास शुरू हुई है। नहीं तो, हमारी लड़ाई और काफिरोंके बीच क्या सम्बन्ध है? क्या उनसे भारतीय समाजपर आक्रमण करवाना है? ऐसा कहकर तो बिस्तरसे लगे हुए एक मुँहसे ही निकल सकता है।

लेकिन जनरल स्मट्सके उत्तरसे हमें जो एक बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए सो यह है कि ट्रान्सवालके भारतीय दरअसल दृढ़ रहेंगे, अपने धनका त्याग करेंगे, जेलके दुःख भोगेंगे और निर्वासित होनेमें अपनी प्रतिष्ठा समझेंगे, तभी हमारी जीत होगी। यह सारा बलिदान हम तभी कर सकेंगे जब खुदापर हमारा सच्चा भरोसा होगा। यानी, हिन्दू या मुसलमान प्रत्येक भारतीयके लिए ईमानपर बात आ टिकी है। ईमान रूपी तलवार हर दुश्मनको काट सकेगी, और वह ईमान हम बोलकर नहीं, करके दिखाना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–८–१९०७

१४७ क्या हम न्याय परिषदमें जा सकते हैं?

सर रेमंड वेस्टने श्री रिचके नाम जो पत्र लिखा है वह पढ़ने योग्य है। श्री वेस्ट बम्बई उच्च न्यायालयके न्यायाधीश थे। वे कानूनके प्रसिद्ध हिमायती हैं। उनकी राय है कि भारतीय समाज [न्याय परिषद (प्रिवी कौन्सिल) में] प्रश्न उठा सकता है कि चूँकि नया कानून ब्रिटिश विचारधाराके विरुद्ध है इसलिए निःसत्व है। यदि यह किया जा सकता हो तो यह कदम निस्सन्देह उठाने योग्य है। किन्तु हमें खेदपूर्वक कहना होगा कि इसमें कुछ सार नहीं। ट्रान्सवालके सब बड़े वकील इस विचारके विरुद्ध हैं। इसलिए सर रेमंडकी रायके आधारपर हम कोई आशा नहीं बाँध सकते। भारतीयोंकी सच्ची न्याय परिषद उनकी हिम्मत है। उनकी सुनवाई करनेवाला केवल खुदा है। और उस खुदाका भरोसा ही उनका जबरदस्त वकील है। उसकी हिमायत कभी निष्फल नहीं हो सकती। इतना होनेपर भी समाजकी सुविधाके लिए समितिको सूचित किया गया है कि वह विलायतके बड़े वकीलोंकी राय ले। इसमें धनकी जरूरत होगी। अब हमारे कथनानुसार यदि समितिको सहायता भेजी जायेगी तो परीक्षणात्मक मुकदमा लड़ा जा सकता है या नहीं, इस शंकाका निराकरण किया जा सकेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–८–१९०७

१४८ क्या नेटालमें खूनी कानून बन सकता है?

हेगर साहबके प्रश्न करनेपर मूअर साहबने जवाब दिया है कि नेटाल सरकार भी नेटालमे ट्रान्सवालके समान ही कानून बनानेके सम्बन्धमे विचार करेगी। खूनी कानूनकी यही विशेषता है। उसकी बदबू केवल ट्रान्सवालमे ही नही, सडते हुए मुर्देकी बदबूके समान चारो ओर फैल रही है। इस हलचलसे निम्न बाते प्रकट होती है

१ ट्रासवालके भारतीयोपर बडी जिम्मेदारी हे,
२ यदि ट्रासवालके भारतीय पीछे हट गये तो फिर हर जगह ऐसा कानून बन जायेगा,
३ ओर ट्रासवालका सवाल सारे दक्षिण आफ्रिकाका हे।

इसलिए ट्रासवालके भारतीयोको हर सकट झेलकर दढ रहना चाहिए और इस प्रश्नको अपना व्यक्तिगत प्रश्न मानकर अन्य भारतीयोकी पूरी मदद करनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१४९ सच्चा मित्र[1]

हम ब्लूमफॉटीनके 'फ्रेड' नामक अखबारसे एक लेखका अनुवाद दे रहे है। हमारी सलाह है कि उसे सब ध्यानपूवक पढे। 'फ्रेड' का अथ मित्र होता हे और इस अखबारने भारतीय कौमके मित्रका काम किया हे। उसने जो लिखा है उससे विशेष अच्छा होना सम्भव नही है। उस अखबारका प्रभाव बहुत है और जैसा असर उसके सम्पादकके मनपर पडा हे वैसा हजारो गोरोके मनपर पडा है। किन्तु अभी वे बोल नही रहे ह। हम जब सच्चा रूप दिखायेगे तब वे बोलने लगेगे। 'फ्रेड' के लेखसे इतना समझना चाहिए कि भारतीय समाज यदि इस समय जरा भी पीछे हटा तो कौमकी बदनामी होगी और तीस करोड भारतीयोकी कीमत तेरह हजार भारतीयोपर से आकी जायेगी। 'फ्रेड' ने हर्जाना देनेकी बात उठाई हे। सम्भव है, यह बात आगे भी उठे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २४-८-१९०७

१ देखिए "खुले दिलकी सहानुभूति", पृष्ठ १९०।

१५० हमीदिया इस्लामिया अंजुमनका पत्र

ट्रान्सवालकी हमीदिया इस्लामिया अंजुमनने भारतीय मुसलमानों और अंजुमनोंके नाम एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण पत्र[1] भेजा है। उसकी ओर हम भारतीय अखबारों और नेताओंका ध्यान आकर्षित करते हैं। ट्रान्सवालके भारतीय इतनी गम्भीर लड़ाईमें लगे हैं कि उन्हें भारतसे कान कानमें मदद दी जानी चाहिए। आजतक जितनी मदद मिली है उतना काफी नहीं है। हमारे भाई स्वदेशके ही प्रश्नोंमें उलझे हुए हैं, अतः उन्हें दूसरा काम करनेके लिए कम अवकाश रहता है। फिर भी हम आशा करते हैं कि वे हमारे लिए थोड़ा बहुत समय निकालेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–८–१९०७

१५१ एस्टकोर्टकी अपील[2]

एस्टकोर्टके स्थानिक निकायने सम्राट्की न्याय परिषद्में अपील करनेका विचार किया था। उसे सर्वोच्च न्यायालयने ठण्डा पानी डालकर खत्म कर दिया है। सम्राट्की न्याय परिषद्में अपील करनेके लिए जो अनुमति लेनी चाहिए वह सर्वोच्च न्यायालयने नहीं दी, इसलिए स्थानिक निकायका पानी उतर गया है। इसके लिए हम एस्टकोर्टके भारतीयोंको बधाई देते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–८–१९०७

१ देखिए "भारतीय मुसलमानोंसे अपील", पृष्ठ १७९-८०।

१५२ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

पॉचेफ्स्ट्रूम और क्लार्क्सडॉर्प

पजीयन कार्यालय इन दोनो स्थानोसे जैसा गया था वैसा ही लौट आया है। पाचेफ्स्ट्रूमके अखबार लिखते है कि पजीयकोने सारा समय बीडी पीनेमे बिताया। एक कैदी तक पजीकृत नही हुआ। पाचेफ्स्ट्रूममे स्वयसेवक काममे लग गये थे। प्रिटोरियासे पीटसबग, पीटसबगसे पाचेफस्ट्रूम और पाचेफस्ट्रूमसे आगे क्लाक्सडॉप बढ गया है, क्योकि क्लाक्स डापके भारतीयोने स्वयसेवक भी नही रखे। बाहरसे भी उन्होने किसीकी मदद नही ली। जो मदद दी गई उन्होने उसे लेनेसे भी इनकार कर दिया। हर भारतीयने अपने आप ही पजीयन कार्यालयका बहिष्कार किया। इस प्रकार क्लाक्सडॉप सबसे आगे बढ गया। अब दूसरे गाव किससे आगे बढेगे? और यदि बढना चाहेगे तो किस तरह? इन दोनो जगहोपर तार[1] पहुँच गये थे। ओर उन्होने उनके उत्तर भी दिये हैं। पॉचेफस्ट्रूमके पुराने निवासी श्री ई० एन० पटेल दोनो जगहोपर पहुँच गये थे।

स्मटसको भेजे गये पत्रपर टीका

श्री गाधीने जनरल स्मट्सके नाम जो पत्र लिखा हे, वह प्रकाशित हो गया हे और उसपर 'लीडर' और 'स्टार' ने टीका की है। दोनो अखबारोका कहना हे कि जनरल स्मटसके उत्तरको निर्णायक मानकर श्री गाधीको भारतीय समाजसे यह सिफारिश करनी चाहिए कि वह कानूनकी शरण हो जाये, नही तो उसे परेशान होना पडेगा। यह सीख तो ठीक ही है। किन्तु ऐसा लिखनेवाले यह भूल जाते है कि भारतीय समाज जनरल स्मटसके भरोसे नही बैठा है। उसका सरक्षक तो परमेश्वर है, जनरल स्मटस नही, न ट्रान्सवालके गोरे ही। इन गोरोकी कानूनके वश करानेकी आतुरतासे मालूम होता है कि भारतीय समाजके विरोधसे ये डर रहे है।

जनरल स्मट्सका उत्तर

स्वय जनरल स्मटसका उत्तर भी एक ऐसी ही धमकी है, जिससे भारतीयोको रत्ती भर भी नही डरना चाहिए। उनका काम हमसे किसी भी प्रकार कानून स्वीकार कराना है। इसलिए वे तरह तरहकी धमकिया दे रहे है। वे कहते है कि वे कानूनको पूरी तरह अमलमे लायेगे। इसका क्या मतलब? कोई भी यह नही सोचता कि कानून पूरी तरह अमलमे नही लाया जायेगा। यह तो सभी जानते है कि कानूनकी एक भी उपधारा रद नही होगी, किन्तु प्रश्न यह है कि जो उसके वश नही होगे उनपर वह किस प्रकार लागू किया जायेगा? उन्हे सजा देकर? यदि यह बात हो तो भारतीय कहते है कि उन्हे जेल या निर्वासनका डर नही है। डरनेवालोपर वह अवश्य लागू किया जा सकेगा, किन्तु उन्हे तो

१ देखिए "तार पॉचेफस्ट्रूमके भारतीयोको", और "तार पीटर्सबर्गके भारतीयोको", पृष्ठ १६२।

मरा हुआ ही समझना चाहिए। हम जानते हैं कि यह उनपर लागू किया जायगा इसीलिए तो कहते हैं कि भारतीय मेहरबानी करके कानूनके सामने न झुकें। किन्तु इतना तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि तेरह हजार भारतीयोंको गिरफ्तार या निर्वासित करना जनरल स्मट्स या किसीसे नहीं हो सकता। यह स्वाभाविक नियम है। हर कानून वहीं अमलमें आ सकता है जहाँ बहुत लोग उसे माननेको तैयार हों। मैं यह कह सकता हूँ कि जहाँ सभी चोर हों वहाँ चोरी सम्बन्धी कानूनपर अमल नहीं किया जा सकता। उदाहरणके लिए, भारतके कुछ हिस्सोंमें ठग कहलानेवाले लोग ठगीका धन्धा करते हैं, उन्हें किसी भी कानूनसे वशमें नहीं किया जा सका है। जब अपराधी लोग इस प्रकार मुक्त रह सकते हैं, तब भारतीय कौम जैसे निर्दोष लोगोंका क्या हो सकता है?

व्यापारियोंकी स्थिति

कुछ भारतीय विचारमें पड़ गये हैं और बहुतसे लोगोंको शक है कि वे आखिर तक टिक सकेंगे या नहीं। यह समय ऐसा है कि जिसके पास जितना धन है उसको पीड़ा भी उतनी ही अधिक है। प्रश्न यह है कि धनका मोह कैसे छूटे। उसके अतिरिक्त, गोरे व्यापारी [उधार] माल देना बन्द कर रहे हैं। इसे मैं तो एक अच्छा लक्षण मानता हूँ। इतने दिन तक तो गोरे मजाक करते थे और मानते थे कि भारतीय जेल नहीं जायेंगे। अब वे समझने लगे हैं कि हमारा बाना सच्चा है। फिर भी भारतीय व्यापारी स्वयं क्या मानते हैं उसका विचार किया जाना चाहिए। गोरे व्यापारी यदि माल न देंगे तो क्या होगा? यह एक प्रश्न है। इसका सीधा उत्तर यह है कि नये कानूनको मान लेनेपर भी यदि वे माल न दें तो हम क्या करेंगे? उस वक्त तो ऐसा प्रश्न भी नहीं उठ सकता। तब फिर आज यह प्रश्न भी नहीं उठता। और वे माल न दें तथा व्यापार न चले अथवा व्यापारको कम करना पड़े तो इसमें कतई आश्चर्य नहीं। यदि कोई भारतीय यह मानता हो कि समाजके लिए बिना नुकसान उठाये कानून रद हो सकता है या कोई भी लाभ हो सकता है तो वह बड़ी भूल करता है। कष्ट या नुकसान उठानेके लिए तो हम बैठे ही हैं। यदि वह हम आज खुशीसे नहीं उठायेंगे, तो आखिर कानून द्वारा अपमानित होकर नुकसान उठानेके लिए बाध्य होना पड़ेगा। और उसके बाद जो हाल होना है उसका नुकसान भी उठाना ही होगा। ऐसी चिन्ता करनेवाला व्यक्ति बताता है कि उसने अभी शपथका अर्थ नहीं समझा है। जेलके लिए तैयार रहनेवाले लोगोंको मालके न मिलनेकी चिन्ता ही क्या होगी? वास्तवमें उन्हें आजसे ही माल लेना अपने आप बन्द कर देना चाहिए, जिससे पीछे कष्ट न हो, कोई रुकावट न रहे, तथा लेनदारोंकी रकम उनके पास पहुँच जाये। धनका त्याग किये बिना इज्जत नहीं मिलेगी। और न यह कष्ट सहे बिना राहत ही मिलेगी। जैसे-जैसे दिन गुजरेंगे हमें तरह-तरहके रंग देखनेको मिलेंगे। कई धमकियाँ मिलेंगी। बहुत नुकसान भी होगा। जैसे खुद मरे बिना स्वर्ग मिलनेवाला नहीं है, वैसे ही धन, जेल और निर्वासनकी जोखिम उठाये बिना नया कानून रद होनेवाला नहीं है।

मनिकका निवेदन

श्री मनिकने श्री स्मट्ससे निवेदन किया है कि भारतीय व्यापारियोंको अलग बस्तीमें खदेड़ने तथा उनका व्यापार घटानेके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। श्री स्मट्सने जवाब दिया है कि नये कानूनका परिणाम जाने बिना दूसरे कौनसे कानून बनाये जायें, यह

कहा नही जा सकता। किन्तु इस निवेदनका जवाब मै दे सकता हूँ। मान ले कि सारे भारतीय ट्रासवालसे चले गये और साढे तीन कलमुहे रह गये। उस हालतमे कलमुहोको तो हलके दर्जेका मानकर जैसे तैसे रहने दिया जायेगा, किन्तु उन्हे दूसरे लोगोको लानेकी अनुमति नही होगी। इसका मतलब है कि उन्हे कुत्तेकी तरह जीवन बिताने दिया जायेगा। और थोडे दिनोमे उनके पैर अपने आप ही उखड जायेगे। अब मान ले कि बहुतेरे भारतीयोने पैसेको प्यारा समझकर कानून स्वीकार कर लिया। तब बाजार तो उनके सिरपर खडा ही है। उस कानूनका कौन विरोध कर सकता है? यदि किसीने किया तो नक्कार-खानेमे तूतीकी आवाज कौन सुनेगा? किन्तु यदि भारतीय बहुत बडी सख्यामे कानूनके विरोधमे जूझे तो वे निस्सन्देह जहा चाहेगे वहा इज्जतके साथ व्यापार कर सकेगे, तथा कानून भी ऐसे बनाये जायेगे जो सब गोरे काले व्यापारियोपर लागू हो। इसके अलावा भारतीय व्यापारी बहुत इज्जतके साथ रहेगे।

निर्वासन कानून

प्रवास कानून दोनो ससदोमे पास हो गया है। सम्भव है वह शुक्रवारके 'गजट' मे प्रकाशित हो। वह अभी लागू नही किया जा सकता, क्योकि हस्ताक्षरके लिए विलायत भेजा जायेगा। उसमे एक उपधारा ऐसी देखनेमे आती है कि जिन्हे नये कानूनके अन्तर्गत ट्रान्सवालसे निर्वासित होनेकी सजा हो उन्हे सरकार जबरदस्ती निर्वासित कर सकती है। यह उपधारा नई है। इसके आधारपर जिस भारतीयको नोटिस मिलेगा उसे सरकार जबरदस्ती निकाल सकती है। यह नई परेशानी है। इस कानूनपर विलायतमे सही होगी या नही, कह नही सकते। किन्तु यदि हो गई तो निर्वासन कानून सबपर लागू हो सकता है। परन्तु इसका अर्थ विशेष कुछ नही है। यदि ट्रासवालकी सरकार भारतीयोको जबरदस्ती जेलमे बन्द कर सकती है तो जबरदस्ती उनका निर्वासन भी कर सकती है। किन्तु मानना यही होगा कि यह धारा केवल नेताओपर ही लागू की जायेगी। ब्रिटिश भारतीय सघ इस कानूनके खिलाफ एक अर्जी[1] विलायत भेज रहा है और बहुत करके इस पत्रके छपनेके पहले ही वह रवाना कर दी जायेगी।

रस्टनबर्गसे

रस्टनबर्गसे तार आया है कि खुदाकी मेहरबानीसे सारे भारतीय पजीयन करवानेके खिलाफ दृढ है।

'स्टार' को पत्र

श्री गाधीने 'स्टार' की टीकाके सम्बन्धमे निम्नानुसार पत्र लिखा है[2]

'स्टार'

श्री गाधीके इस पत्रपर 'स्टार' ने बहुत ही टीका की है और लिखा है कि अँगुलियोका निशान लगाना यदि मुख्य आपत्ति नही थी तो उसपर आज तक क्यो इतना जोर दिया गया? 'स्टार' का कहना है कि बच्चोका पजीयन न करने और पुलिस द्वारा कोने-कोने न पुछवाने या अँगुलिया न लगवानेसे बहुत भारतीय घुस आयेगे, इसलिए श्री गाधीका सुझाव ठीक नही माना जा

१ देखिए "आवेदनपत्र उपनिवेश मन्त्रीको", पृष्ठ १८३ ८८।

२ पाठके लिए देखिए "पत्र स्टार' को", पृष्ठ १७८ ७९।

सकता। इसपर श्री गांधीने और उत्तर दिया[1] है कि अँगुलियाँ लगाना मुख्य आपत्ति तो नहीं, किन्तु आपत्तिजनक तो है ही। इसके अलावा अँगुलियाँ लगाना अनिवार्य हो ही नहीं सकता। लॉर्ड मिलनरके समयमें भारतीय समाजने स्वेच्छया एक अँगूठा लगाना स्वीकार किया था। भारतीय समाज दस अंगुलियाँ तो स्वेच्छापूर्वक भी नहीं लगायेगा। 'स्टार' ने निवेदनको ठीक तरहसे नहीं देखा है। जबतक गोरे ठीक तरहसे छानबीन नहीं करते, तबतक समझौता हो ही नहीं सकता। किन्तु प्रत्येक गोरा चाहे भारतीय समाजके विरुद्ध हो तब भी खुदा तो उसके साथ है, और इतना काफी है।

संघकी बैठक

बुधवारको संघकी बैठक हुई थी। उसमें श्री ईसप मियाँ, श्री अब्दुल गनी, श्री नायडू, श्री शहाबुद्दीन, श्री अस्वात, श्री सालिम मुहम्मद, श्री इमाम अब्दुल कादिर, श्री उमरजी साले, श्री गुलाम महम्मद, श्री एम० पी० फैन्सी, श्री कुवाडिया, श्री मूसा इसाकजी, श्री आई० ए० काजी, श्री अमीरुद्दीन, श्री वल्लभ राम, श्री अम्बाराम तथा अन्य उपस्थित थे। श्री गांधीने प्रवास विधेयक सम्बन्धी अर्जी पढ़ी तथा उसे और उसके सम्बन्धमें तार[2] भेजनेकी अनुमति माँगी। श्री शहाबुद्दीनके प्रस्ताव और श्री फैन्सीके समर्थनसे अनुमति दी गई। श्री मुहम्मद शहाबुद्दीनके प्रस्ताव और श्री कुवाडियाके समर्थनसे श्री ईसप मियाँ स्थायी अध्यक्ष बनाये गये और इमाम अब्दुल कादिरके प्रस्ताव और श्री नायडूके समर्थनसे श्री पोलकको सहायक अवैतनिक मन्त्री नियुक्त किया गया।

श्री फैन्सीके प्रस्ताव और श्री उमरजी सालेके समर्थनसे निर्णय किया गया कि संघका हिसाब हर माह, 'इन्डियन ओपिनियन' में प्रकाशित किया जाय।

अन्तिम तार

लोकसभामें ट्रान्सवालको कर्ज दिये जानेके सम्बन्धमें प्रस्ताव किया गया था वह मंजूर हो गया है। किन्तु उसपर टीका करते हुए सर चार्ल्स डिल्क, श्री लिटिलटन, श्री कॉक्स आदि सदस्योंने भारतीयोंको होनेवाले कष्टोंके सम्बन्धमें बहुत कहा। श्री लिटिलटनने, जो पहले सचिव थे, कहा कि कर्ज देनेसे पहले बड़ी सरकारका कर्तव्य था कि वह भारतीयोंके हकोंकी रक्षा करती। किन्तु उसमें वह चूक गई है। श्री कॉक्सने लोकसभामें सवाल उठाया है कि बड़ी सरकारको चाहिये कि वह डच सरकारको सलाह दे कि वह ट्रान्सवाल छोड़कर जानेवाले भारतीयोंको ५०,००,००० पौंडके इस ऋणमें हर्जाना दे। इस हलचलसे जान पड़ता है कि भारतीय यहाँ जितना जोर दिखायेंगे विलायतमें उनके पक्षमें उतने ही ज्यादा लोग होंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २४–८–१९०७

१ देखिए "पत्र 'स्टार' को", पृष्ठ १८१।

२ देखिए "तार द० आ० ब्रि० भा० समितिको", पृष्ठ १८८।

१५३ पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको

[जोहानिसबग
अगस्त २८, १९०७]

[टाउन क्लाक
जोहानिसबग
महोदय,]

मेरे सघकी समितिने समाचारपत्रोमे सामान्य प्रयोजन समितिका यह सुझाव देखा है कि माग यातायात उपनियमोमे ऐसे सशोधन कर दिये जाये कि दूसरोके साथ-साथ, ब्रिटिश भारतीय भी प्रथम श्रेणीकी किरायेकी बग्घियोका उपयोग न कर सके। मेरी समिति यह कहनेकी धष्टता करती है कि ऐसा उपनियम ब्रिटिश भारतीयोके विरुद्ध द्वेषपूण भेद उत्पन्न करेगा, और उस समाजके लिए अनावश्यक रूपसे अपमानजनक होगा जिसका मेरा सघ प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मुझे भरोसा है कि नगर परिषद सामान्य प्रयोजन समितिकी सिफारिशको स्वीकार न करेगी।

[आपका आदि
ईसप इस्माइल मियाँ]
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, ३१–८–१९०७

१५४ प्रवास-प्रार्थनापत्र

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय सघने ट्रान्सवालके प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके बारेमे जो २६ तारीखके 'गजट' मे इस रोककी धाराके साथ अधिनियमके रूपमे छपा है कि, "जबतक राज्यपाल 'गजट' मे यह घोषित न कर देगे कि महामहिमकी इच्छा उसे अस्वीकार करनेकी नही है, तबतक यह अधिनियम अमलमे न आयेगा," लॉड एलगिनको अविलम्ब प्राथनापत्र[1] भेज दिया है। जबतक शाही मर्जीका पता न चले, रोककी धारामे कोई बल नही है। इसलिए लॉड एलगिनके पास अब उस साम्राज्य सम्बन्धी भूलको सुधारनेका एक मौका है जो, हमारे विचारसे, उन्होने महामहिमको एशियाई पजीयन अधिनियम स्वीकार करनेका परामश देनेमे की थी। प्राथनापत्रमे श्री ईसप इस्माइल मियाने सम्बद्ध काननके उत्पन्न होनेवाले हर मुद्देकी चर्चा की है। तो भी फिलहाल हम अपनी चर्चाको कानूनके उस पहलू तक ही सीमित रखना चाहते है, जिसका असर ट्रान्सवालमे बसे भारतीयोपर पडता है।

१ देखिए "आवेदनपत्र उपनिवेश मन्त्रीको", पृष्ठ १८३ १८८।

हमें याद है कि श्री डंकनने जोर देकर कहा था कि एशियाई पंजीयन अधिनियमको इसलिए जरूरी समझा गया था कि उस समय कोई प्रवासी अध्यादेश लागू नहीं था, और उसको केवल एक अस्थायी कदम ही समझा जाना था। वह निस्सन्देह एशियाइयोंके प्रवासके तथाकथित ज्वारको रोकनेके लिए एक घबराहटका कानून भी था और, माननीय श्री कर्टिसके शब्दोंमें, यह प्रवास-रूपी ज्वार कमसे कम २०० व्यक्ति प्रतिमासकी दरसे आ रहा था। श्री डंकन तथा श्री कर्टिसके वक्तव्यकी यह एक अनोखी तारीफ है कि तत्कालीन उपनिवेश सचिवके प्रास्ताविक भाषणके एक वर्ष बाद भी अबतक पंजीयन नहीं हुआ। और यह भी कि एशियाई पंजीयन अधिनियम अबतक लगभग लागू ही नहीं हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि पंजीयन अधिकारी उन लाभोंके लिए एशियाई प्रार्थियोंकी तलाशमें उपनिवेशमें गश्त लगाते रहते हैं जो, लॉर्ड सेल्बोर्नके कथनानुसार, पंजीयन अधिनियम उन्हें प्रदान करता है। और यही वह अधिनियम है जिसे विचाराधीन विधान स्थायी बनाता है। और इस तरह जहाँ यह ट्रान्सवालके गोरे निवासियोंको शान्ति-रक्षा अध्यादेशसे मुक्त करता है, वहीं एशियाइयोंकी गर्दनका फन्दा और भी कस देता है।

इस प्रकार एशियाई देखते हैं कि सारी ब्रिटिश प्रजाको अधिक स्वतन्त्रता देनेका अर्थ एशियाई ब्रिटिश प्रजापर अधिकाधिक पाबन्दियाँ लगाना होता है। साम्राज्यके इस नये लाडले बच्चेको, दूसरे तथा अधिक पुराने स्वशासित उपनिवेशोंके विपरीत, उन भारतीयोंके अधिकारोंका अपहरण करने दिया जा रहा है जो पुरानी डच सरकारको तीन पौंड चुकानेके कारण पहलेसे ही ट्रान्सवालके स्थायी निवासी बन चुके हैं। क्योंकि, जैसा ब्रिटिश भारतीय संघका कहना है, प्रवासी अधिनियमके मातहत केवल उन्हीं एशियाइयोंको स्थायी निवासी होनेका अधिकारी माना जायेगा जो उस एशियाई अधिनियमके मुताबिक पंजीकृत होंगे।

संघ द्वारा उठाया गया यह आखिरी मुद्दा 'सर्वोत्तम' हमारे बतलाये हुए दूसरे दो मुद्दोंके भी कान काटता है। इसमें इस बातकी व्यवस्था की गई है कि जो ब्रिटिश भारतीय इस नये कानूनके अनुसार पंजीयनका प्रमाणपत्र न लें उनको पकड़कर उपनिवेशसे जबरदस्ती निकाला जा सकता है। अब, प्रमाणपत्र लेना अपनेमें एक ऐसी औपचारिकता है जिसमें गुलामीकी बहुत-सी बातें आ जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो लोग पंजीयनका प्रमाणपत्र नहीं लेते वे ट्रान्सवालके निवासी नहीं हैं। वास्तवमें एशियाई अधिनियमके विरुद्ध वीरतापूर्ण मोर्चा लेनेवाले अधिकतर भारतीय इस उपनिवेशके पुराने सम्मानित निवासी हैं। हमारे अध्यक्षकी तरह उनमें से कुछ तो बीस-बीस वर्षसे यहाँ रह रहे हैं। उनकी सभी सांसारिक सम्पत्ति, यहाँ तक कि, उनके परिवार, उनके पूजा-स्थान तथा ऐसी प्रत्येक वस्तु भी, जिसे वे संसारमें प्रिय समझते हैं, इसी उपनिवेशमें है। ये ही वे लोग हैं जो अपमानपूर्ण दस्तावेजोंको लेनेसे इनकार करनेके कारण अपने घरोंसे जबरदस्ती निकाले जानेवाले हैं, और यह निर्वासन निर्वासितोंके खर्चेसे ही किया जायेगा, इससे ट्रान्सवाल सरकारपर उनको भोजन तथा निवास देनेकी भी कोई जिम्मेदारी नहीं आयेगी। श्री मियाँ बखूबी कह सकते हैं कि यह निर्वासन घोर अपराधोंके लिए दिये हुए निर्वासन दण्डसे भी बुरा होगा।

लॉर्ड एलगिन जो हमारे साथ सहानुभूतिकी घोषणा कर चुके हैं और वाइसराय रह चुके हैं, यदि महामहिमको इस प्रकारके कानूनको स्वीकार करनेकी परामर्श देते हैं तो उससे

१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३९२-९३।

हमको दु ख और आश्चय होगा। वे कई बार कह चुके है कि उनको एशियाई अधिनियम पस द नही हे। अब ट्रासवाल सरकारसे निबटनेका सुनहरा मौका उनके हाथ लगा है। वे चाहे तो एशियाई अधिनियमको मसूख करा सकते है। और पुन पजीयन करानेके सिद्धातको सुधरे हुए रूपमे प्रवासी अधिनियममे शामिल करा सकते है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१–८–१९०७

१५५ केपके भारतीय[1]

केप उपनिवेशके प्रवासी अधिनियम और व्यापारिक परवाना अधिनियमके अमलके बारेमे केप टाउनके ब्रिटिश भारतीय सघने केपकी ससदके सामने जो तकसगत निवेदनपत्र पेश किया हे उसके लिए सघको बधाई दी जानी चाहिए। इस निवेदनपत्रमे जो मुद्दे उठाये गये है, उनको उठानेमे कोई जल्दी नही की गई हे ओर जैसा कि निवेदनकर्त्ताओने ठीक ही कहा हे, उनकी प्राथनाको केपके अनेक प्रमुख राजनीतिज्ञोने तकसगत और न्यायोचित समझा हे। मिसालके तौरपर जिन ब्रिटिश भारतीयोको इस प्रायद्वीपको छोडकर बाहर जानेका मोका पडता है उन्हे अस्थायी अनुमतिपत्र देकर बाहर जाने देना किसी भी सूरतमे न्यायोचित नही कहा जा सकता, क्योकि उस अनुमतिपत्रकी मियादके भीतर न लौटनेपर उनका आवास अधिकार छिन जाता हे। इस प्रकार तो वे पाबन्दीके साथ छूटे हुए कैदी हो जाते है और उनकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रतापर बिलकुल अनुचित और बेजा अकुश लग जाता है। और पुराने भारतीय फेरीवालोसे बिना किसी कारणके उनके परवाने छीन लेना भी न्यायोचित नही कहा जा सकता है। हमे विश्वास है कि ब्रिटिश भारतीयोने जो निवेदनपत्र भेजा है उसपर केप सरकार गम्भीरतापूवक विचार करेगी।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३१–८–१९०७

१५६ लेडी स्मिथके व्यापारी[2]

लेडीस्मिथका व्यापार सघ फिरसे उन ब्रिटिश भारतीयोका सुराग लगा रहा है जिनको लेडीस्मिथ निकायने अन्यायपूवक परवाने छीनकर क्लिप रिवरके जिलेमे व्यापार करनेसे वचित कर दिया है और जिनमे इतनी मजाल है कि वे बिना परवानोके अपने जीविकोपाजनके लिए अपना व्यापार जारी रख रहे है। जब हम कहते है कि लेडीस्मिथका व्यापारसघ ही इन गरीब भारतीयोके पीछे पडा हुआ है तब उसका इतना ही मतलब होता है कि यूरोपीय व्यापारी, जो अपने प्रतिस्पर्धियोसे ईर्ष्या करते है उन्हे इस जिलेसे निकाल बाहर करनेकी कोशिश कर रहे है। ऐसा लगता है कि सरकारकी तरफसे भी कुछ ऐसा समझौता हो गया है कि वह

१ देखिए ‘ केप टाउनके भारतीय ’ पृष्ठ २०६ ।

२ “लेडी स्मिथके परवाने ’, पृष्ठ २०४५ भी देखिए।

निर्दोष लोगोंपर मुकदमा चलानेकी मंजूरी न देकर लेडीस्मिथ निकायके आचरणपर अपनी नापसन्दगी जाहिर करेगी। लेकिन यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि संघने कार्रवाई करनेके लिए सरकारपर दबाव डाला है। क्योंकि ऐसा मालूम पड़ता है कि महान्यायवादीने, अगर ये लोग बिना परवानाके व्यापार करना जारी रखें तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनेके लिए सरकारी वकीलको अधिकार दे दिया है। नेटालके व्यापारी परवाना अधिनियमका अमल इस तरहका है कि साम्राज्य सरकारने उससे राहत देनेमें एक तरहसे अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली है। भारत सरकार, जो निश्चय ही सर्वशक्तिमान है अपने इस एकमात्र और कारगर उपायका, कि यदि भारतकी स्वतन्त्र प्रजाको न्यूनतम न्याय भी नहीं मिलता है तो गिरमिटिया भारतीय प्रवासको रोक दिया जाये, इस्तेमाल नहीं करती।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१–८–१९०७

१५७ दादाभाई जयन्ती

भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीकी जयन्ती सितम्बर ४ को आ रही है। उनके इस पृथ्वीपर रहनेके दिनोंका अन्त निकट आता जा रहा है। ज्यों ज्यों दिन बीत रहे हैं, इन पितामहका तेज बढ़ता जा रहा है। लन्दन उनके लिए अरण्य है। उस अरण्यमें देशके हितार्थ वे फकीरी लेकर रहते हैं। जिन्होंने विलायतमें उनका दफ्तर देखा है वे जानते हैं उनके दफ्तर और मढ़ीमें कुछ भी अन्तर नहीं। उसमें दो व्यक्ति मुश्किलसे बैठ सकते हैं। उसमें बैठकर करोड़ों भारतीयोंके दुःखोंका बोझ अपने सिर लिये हुए हैं। इतनी अधिक आयु हो जानेपर भी उनमें एक नौजवान भारतीयसे अधिक काम करनेकी ताकत है। उनकी दीर्घायुकी कामना करते हुए हम परमेश्वरसे प्रार्थना करते हैं कि वह हमें व हमारे इस पत्रके साथ सम्बन्ध रखनेवाले सब लोगोंको उनके निर्मल हृदयके समान हृदय दे। अपने पाठकोंसे हमारा अनुरोध है कि इन सच्चे पितामहका सच्चा स्मरण इसीमें है कि हम उनके देशप्रेमका अनुकरण करें। ट्रान्सवालके भारतीयोंको याद रखना चाहिए कि अमर दादाभाईने हमारे लिए जो टेक रखी है वैसी ही टेक हम भी रखें। हम मानते हैं कि उस दिन सभी भारतीय संघ सभा करके बधाईके तार भेजेंगे। हम प्रत्येक जयन्तीपर दादाभाईका चित्र प्रकाशित करना चाहते हैं। इसलिए अगले सप्ताह, अर्थात् जयन्ती बीतनेके बाद, पहली बार हम चित्र छापेंगे। आशा है सभी लोग उसे मढ़वा कर रखेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१–८–१९०७

१ देखिए खण्ड २, पृष्ठ ३८५-६ ।

१५८ बहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता

इस समय जब कि बहुत लोगोकी नजर ट्रासवालके भारतीयोकी ओर लगी हुई है, भारतीय समाजकी दुबलताकी सूचना मिली है। यह समय समाजके अन्दर छिपी हुई गन्दगीको प्रकट करनेका है, उसे दबानेका नही। हम मानते है कि दबानेवाला देशद्रोही होगा।

भारतीय समाजमे मुख्यत सूरती, मेमन, कोकणी, मुसलमान, पारसी तथा हिन्दू है। हमने जैसा सुना है उसके अनुसार मेमन लोगो तथा कोकणियोका बहुत बडा हिस्सा कानूनकी इस लडाईमे पस्त-हिम्मत हो गया है। कहा जाता है कि वे अब कानून स्वीकार करनेके लिए उद्यत है। किन्तु स्वीकार करनेके पहले वे कानूनमे सरकारसे कुछ सशोधन करवाना चाहते है। उन सशोधनोका मसविदा हमने देखा है। उसको छापनेमे भी हमे शर्म महसूस होती है। उस मसविदेको हम अपने हाथो अपनी गुलामी मागनेका चिट्ठा मानते है। उसमे जो सशोधन मागे गये है, वे सशोधन है ही नही। मागकी भाषा इतनी लचर है कि उसका अर्थ यही होता है कि भारतीय समाजके बहुतेरे अग्रणी नये कानूनके खिलाफ थे ही नही। अँगुलिया लगाना वे स्वीकार करते है। तुर्की मुसलमानोका अपमान हो उसमे उन्हे हर्ज नही है। माग केवल इतनी की गई है कि अच्छे भारतीयोकी जाचके लिए खास व्यक्ति नियुक्त किये जाये और वे उनकी अँगुलिया खानगी तौरसे लगवाये। पुराने परवानेवाले यदि हस्ताक्षर कर सके तो उनसे अँगुलिया न लगवाई जाये। मुद्दती अनुमतिपत्र जैसे आज दिये जाते है वैसे दिये जाये और बच्चोकी अँगुलियोकी निशानी १६ वर्षकी उम्र हो जानेके बाद ली जाये।

इन मागोमे एक भी माग ऐसी नही है कि जिसके लिए कानूनकी बात तो दूर रही, धाराओमे भी कही सशोधन करना पडे। ऐसे पत्रोके जवाब मे स्मट्स साहब कह सकते है कि "बहुत अच्छा"। अर्थात जो उस पत्रसे खुश हो वे तुरन्त गुलामीका पट्टा रूपी पजीयन पत्र ले ले। मसविदेमे यह भी कहा गया है कि कानूनके सामने भारतीय तो मोमके समान है। हम मानते है कि ईश्वर या खुदाके अस्तित्वपर विश्वास करनेवालेके मुहसे यह बात निकल ही नही सकती। मनुष्य केवल खुदाके सामने ही मोम है।

हमे यह कहते खुशी होती है कि उपर्युक्त पत्र श्री स्मट्सके नाम नही लिखा गया। न हम यही कहना चाहते है कि उस पत्रको मेमन, कोकणी या दूसरे किन्ही भारतीयोने मजूर किया है। इसे सार्वजनिक रूपसे प्रकट करनेका मतलब इतना ही है कि यह पौधा उगनेके साथ ही जला दिया गया है। फिर भी यह भरोसा नही कि अब और वैसा प्रयत्न नही किया जायेगा। डरा हुआ मनुष्य हवाको काटनेको तैयार हो जाता है। टेकडीसे लुढकनेपर डरके मारे कौन तिनकेकी ओर नही झपटता? ट्रान्सवालमे कुछ लोग उसी तरहके तिनके दिखाई दे रहे है। ऐसे भारतीयोको हम सलाह देते है कि वे कानूनकी खीचतान करनेके बजाय तुरन्त उसकी शरण हो जाये और पजीयन करवा ले। उसमे उनका दोष अधिक नही माना जायेगा। किन्तु यदि वे ऐसे पत्र लिखवायेगे जिनसे समाजको बट्टा लगता है, तो माना जायेगा कि उन्होने श्री हाजी इब्राहीम और खमीसाकी अपेक्षा ज्यादा नुकसान पहुँचाया है, और पहुँचायेगे भी। श्री हाजी इब्राहीम तथा उनके साथियोने डरके मारे तथा सह न सकनेके कारण काला मुह करवाया था। किन्तु जो उपर्युक्त पत्रके समान पत्र लिखवायेगे वे अपना मुह काला करवानेके साथ साथ

समाजको भी कलंकित करेंगे। वे यह सिद्ध कर देंगे कि भारतीय समाजकी लड़ाई कानूनके विरुद्ध नहीं बल्कि नगण्य सुविधाओंके लिए थी। उपर्युक्त पत्रमें यह भी बताया गया है कि कुछ मुसलमान व्यापारी अपनेको शेष भारतीय पंजीयन करवानेका ठेकेदार मानते हैं। यह कितना हास्यास्पद है।

इसके अलावा भारतीयोंकी ओरसे उपर्युक्त पत्र यदि जनरल स्मट्सके पास भेजा गया तो उससे प्रवासी कानूनके सम्बन्धमें जो अर्जी दी गई है उसे भी धक्का लगेगा। दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिकी लड़ाई बेकार हो जायेगी और भारतीय कौमको दिन दहाड़े लूट लिया जायेगा। इसलिए हमारी खास तौरसे प्रार्थना है कि जिस या जिस कौमको पंजीयन करवाना हो वह अथवा वह कौम खुशीसे कराये किन्तु अपने साथ दूसरेको न घसीटे। किन्तु कुछ मेमन, या कोंकणी या थोड़े बहुत हिन्दू या सूरती या पारसी नाक कटाते हैं तो उसके लिए सारे मेमन, या कोंकणी या हिन्दू क्या नाक कटायेंगे? क्या मेमनोंमें कोई ऐसा शूर नहीं जो हिम्मतसे कह सके कि "और मेमन जायें तो जायें मैं तो नहीं जाऊँगा?" कोंकणी भी ऐसा ही क्यों नहीं कह सकते? क्या भारतीय बुरे काममें दूसरोंकी होड़ करेंगे? किन्तु भेड़के समान हम अब भी एक-एक करके खाईमें गिरनेको तैयार हों तो निश्चित मानिये कि गुलामीका कानून हमारे सिरपर खड़ा हुआ ही है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०७

१५९. लेडीस्मिथके परवाने

लेडीस्मिथके जिन भारतीयोंको परवाने नहीं मिले, उनपर फिर बादल छाये हैं। वे लोग बिना परवानेके व्यापार कर रहे हैं इसलिए व्यापार संघने उनपर मुकदमा चलानेकी सिफारिश की है और श्री लैंग्रिस्ट्रनने उत्तर दिया है कि वे लोग अगर अब भी रोजगार करते रहेंगे तो उनपर मुकदमा चलाया जायेगा। कांग्रेसके नेताओंको इस प्रकारका आश्वासन दिया गया था कि जो लोग बिना परवानेके व्यापार करेंगे उन्हें रोका नहीं जायेगा। यह वचन न्याय बुद्धिसे दिया गया था। अब गोरे जोर लगा रहे हैं इसलिए न्यायबुद्धि दब गई है और सरकार जोरके सामने झुककर दूकान बन्द करना चाहती है। भारतीयोंपर कैसी मुसीबतें आनेवाली हैं उसका हूबहू दृश्य इसमें दिखाई दे रहा है। इन बादलोंको हटानेके तीन रास्ते हैं।

(१) शाही न्याय परिषद (प्रीवी कौंसिल) में अपील की जाये।

(२) अगर वह अपील न की जा सके तो कांग्रेसके मुखिया बड़ी सरकारसे मुलाकात करें। यह उपाय पहले उपायके साथ-साथ किया जा सकता है।

(३) हिम्मतके साथ दूकानें खुली रखी जायें। मुकदमा चलनेपर जुर्माना न देकर माल कुर्क करने दिया जाये।

पहला उपाय तभी किया जा सकता है जब कांग्रेसके पास १,००० पौंड जमा हो जायें। दूसरा उपया तो करना ही चाहिए। उससे हमेशाके लिए समस्या सुलझ जायेगी, सो बात नहीं। तीसरा उपाय सबसे सरल और अच्छा है। किन्तु उसे करना मर्दोंका काम है। वह किसीके सिखाने पढ़ानेसे नहीं आता। अपनेमें जोश चाहिए। वह हो तो सब कुछ हो सकता है। इस

कानूनमें जेल नहीं है। केवल जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न देनेपर वह माल कुर्क करके वसूल किया जा सकता है। हमारी विशेष सलाह है कि भारतीय लोग यह माँग स्वीकार करें। डॉक्टर रदरफोर्ड जैसे यह करते हैं और हम भी यही कर सकते हैं। किन्तु ऐसे काममें दूसरेकी दी हुई हिम्मत बेकार है। मनके अन्दरसे प्रेरणा होनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१–८–१९०७

१६० "हजरत मुहम्मद पैगम्बरका जीवन-वृत्तान्त" क्यों बन्द हुआ ?

इस प्रश्नका उत्तर देते हुए हमें खेद होता है। भारतीय समाज और खासकर मुस्लिम भाइयोंकी सेवा करनेके लिए अत्यन्त शुद्ध बुद्धि एवं प्रेमसे हमने इस अनुवादका प्रकाशन शुरू किया था। गोरों द्वारा लिखे गये जीवन-चरित्रोंमें वाशिंगटन इर्विंग द्वारा लिखित यह जीवन चरित्र बहुत ही अच्छा माना जाता है। उन्होंने कुल मिलाकर मुहम्मद साहबकी खूबियाँ बताई हैं। मुसलमान धर्मकी अच्छी बातें अच्छी तरह पेश की हैं। ऐसा हो या न हो, हम मानते हैं कि गोरे मुसलमान धर्मके बारेमें अथवा उसकी स्थापना करनेवालेके बारेमें क्या लिखते हैं इसे जानना प्रत्येक मुसलमानका कर्तव्य है। इस अनुवादको प्रकाशित करनेमें हमारा उद्देश्य अपने उसी कर्तव्यका निर्वाह करना था। किन्तु पाँचवें प्रकरणमें दिये गये मुहम्मद साहबकी शादीके विवरणसे हमारे कुछ पाठकोंको ठेस लगी, और उन्होंने हमें सूचना दी कि हमें उस वृत्तान्तका प्रकाशन बन्द कर देना चाहिए। हमें यथासम्भव यही सिद्ध कर दिखाना है कि यह अखबार समाजका है। हमें किसी भी प्रकार, बिना जरूरतके किसीको चोट नहीं पहुँचाना है। इसलिए हमने 'जीवनचरित्र'[1] देना बन्द कर दिया है और उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि एक तो उसके अनुवादमें बहुत मेहनतकी गई थी, और दूसरे अब हमारे पाठकोंको इर्विंगकी सुन्दर पुस्तकको समझनेका अवसर नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसी खबरें भी पहुँच रही हैं कि बहुत लोग इसलिए नाराज हो गये हैं कि हमने जीवन चरित्र देना बन्द कर दिया है। ऐसे लोगोंसे हम इतना ही कह सकते हैं कि यदि उन्हें उसका अनुवाद चाहिए तो हमें लिख भेजें।

१. गांधीजीके सेक्रेटरी महादेव देसाईने अपनी डायरीमें जुलाई २९, १९३२ को लिखा है :

बापूने ... अपने दक्षिण आफ्रिकाके अनुभव बताये। उन्होंने वॉशिंगटन इरविंगकी पुस्तक **लाइफ ऑफ द प्रॉफेट** (**पैगम्बरका जीवन-वृत्तान्त**) पढ़ी थी और **इंडियन ओपिनियन**के मुसलमान पाठकोंके लिए उसका सरल अनुवाद भी प्रकाशित करना शुरू किया था। लेकिन मुश्किलसे एकाध अध्याय ही छापा गया था कि मुसलमानोंने इस प्रकाशनका जोरोंसे विरोध करना शुरू कर दिया। इन अध्यायोंमें सिर्फ मूर्तिपूजा, अन्धविश्वास और उन बुरे रीतिरिवाजोंके विषयमें लिखा गया था, जो पैगम्बरके जन्मसे पूर्व अरबमें प्रचलित थे। परन्तु मुसलमान इसको भी सहन नहीं कर सके। बापूने यह समझानेका प्रयत्न किया कि ये अध्याय तो उन भारी बुराइयोंकी प्रस्तावना मात्रके हैं जिनसे लड़ने और जिन्हें दूर करनेके लिए पैगम्बरने जन्म लिया था। पर किसीने न सुनी। मुसलमानोंका कहना था 'हमें पैगम्बरका ऐसा कोई जीवन वृत्तान्त नहीं चाहिए।' बादके जो अध्याय लिखे जा चुके थे और कम्पोज भी हो चुके थे उनका प्रकाशन रोक देना पड़ा। (**महादेव देसाईकी डायरी** (अंग्रेजी संस्करण), नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद १९५३, देखिए खण्ड १, पृष्ठ २८९)। 'पैगम्बर मुहम्मद और उनके खलीफा", पृष्ठ ५४-५५ भी देखिए।

यदि बहुत पाठकोंकी इच्छा हुई तो जब हमारे छापाखानेको सुविधा होगी तब हम स्वतन्त्र पुस्तक प्रकाशित करके उन प्रेमियोंकी आशा पूर्ण करनेका प्रयत्न करेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१–८–१९०७

१६१. केप टाउनके भारतीय

ब्रिटिश भारतीय लीगकी अर्जी हम गत सप्ताह दे चुके हैं। उसमें बहुत-सी महत्त्वपूर्ण माँगोंका समावेश हो जाता है। हम लीगको बधाई देते हैं। हम आशा है कि लीग उस कामके पीछे यथासम्भव शक्ति लगाकर परिणाम अच्छा लायेगी। केपके भारतीयोंको अधिकार प्राप्त करने और उनको सँभालनेके जितने अवसर हैं उतने औरोंके पास नहीं हैं। हमें यह भी आशा है कि मर्फीकिंग तथा ईस्ट लन्दनके भारतीय लीग और संघमें मिलजुलकर काम करेंगे और सब मिलकर एक बड़ी निधि इकट्ठा कर लेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१–८–१९०७

१६२. बहादुरी किसे कहा जाये?

समाचारपत्रोंमें खबर है कि मूर लोगोंने, जो मुसलमान हैं, कासाब्लेंकामें बहुत ही बहादुरी दिखाई है।

> अपने लड़ाईके नारे लगाते हुए मूर भालेवाले फ्रेंच गोली और तोपवालोंपर छलांगें भरकर चढ़ बैठे। उनपर छर्रों, गोलियों और बमोंके टुकड़ोंकी वर्षा हो रही थी, किन्तु उन्होंने परवाह नहीं की। बहुत लोग घायल होकर गिर गये, फिर भी जितने बचे वे आगे बढ़ते गये और तोपोंके मुँह तक पहुँच गये। उसके बाद लौटे।

पाठक पूछेंगे कि तोपके मुँहसे वापस कैसे लौटा जा सकता था? बहादुरीकी यही खूबी है।

> उन्होंने इतना जोश दिखाया कि फ्रेंच तोपचियोंको उन बहादुर लोगोंपर तोप चलानेकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने उनका स्वागत किया और 'हुर्रे' का नारा लगाकर शाबाशी देनेके लिए तालियाँ बजाईं। बादमें बहादुर सिपाही सलाम करके वापस लौटे।

ऐसे बहादुरोंका अनुकरण सारी दुनिया कर सकती है। उनके गीत सब गा सकते हैं। किन्तु हमारे मुसलमान पाठकोंको इसमें खास तौरसे सबक लेना चाहिए। यदि इन मूर लोगोंकी, जो जंगली माने जाते हैं, बहादुरीका सौवाँ हिस्सा भी हम ट्रान्सवालके भारतीयोंमें होगा तो हम निश्चय जीतेंगे। इसमें मरना नहीं है, न मारना ही है। धनका त्याग करना है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१–८–१९०७

१६३ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नाइलस्ट्रूम तथा रस्टनबर्ग

इन दोनो जगहासे पजीयन कार्यालय जसा गया वैसा ही लौटा हे। नाइलस्ट्रूमवालोने तो एक दिन दूकाने भी बन्द रखी। एक भी व्यक्तिने पजीयन नही करवाया। दोनो स्थानोको ब्रिटिश भारतीय सघ और हमीदिया इस्लामिया अजुमनने बधाईके तार भेजे थे। यह सब बहुत ही शुभ मालूम हो रहा है। कितु फिर भी इससे हमे फूलना नही है। पजीयन कार्यालयका बहिष्कार करना आसान हो गया है। लोगोको चाहे जहा पजीयन करवानेका अवसर दिया जा रहा हे, इसलिए बहिष्कारमे विशेष जाखिम उठानेकी बात नही रही। कितु अन्तिम मुकाम और अन्तिम तारीखके आनेपर दौड मचती हे या नही यह देखना है। आजसे ही चर्चा चल रही हे कि तब गोरा हिम्मत रखेंगे या नही, और जो लोग हिम्मत रखेंगे वे जेलका समय आनेपर भी दढ रहेगे या नही।

रेलवेकी तकलीफ

श्री अब्दुल गनी तथा श्री गुलाम मुहम्मदको प्रिटोरिया जानेवाली शामकी ४–४० की गाडीमे जोहानिसवगसे जाने नही दिया गया था। इस सम्बन्धमे सघने जो कारवाई की थी वह समाप्त हो गई। मुख्य प्रबन्धकका कहना है कि उन्हे खेद है किन्तु गाडके डिब्बेमे भी उनके लिए जगह नही थी इसलिए उन्हे जाने नही दिया गया। जनरल स्मटसका कहना है कि ये सारी अडचने भारतीयोके भलेके लिए है। यह लडाई अब आगे नही चल सकती, क्योकि भारतीय कौम इस समय कसौटीपर चढी हुई हे। यदि कसनेपर वह सोना साबित हुई तो रेलवे आदिकी तकलीफे अपने-आप समाप्त हो जायेगी। और यदि वह राँगा निकली, तो फिर रेलके टिकट मिले तब क्या और न मिले तब क्या?

अलीकी विदाई

श्री हाजी वजीर अली शनिवारको परिवार सहित केपकी आर बिदा हुए है। उन्हे पहुँचानेके लिए श्री अब्दुल गनी, श्री शहाबुद्दीन हसन, श्री अमीरुद्दीन श्री गुलाम मुहम्मद, श्री मुहम्मद शहाबुद्दीन, श्री चैपमन, श्री पोलक, श्री गाधी आदि उपस्थित थे। श्री अली तथा श्रीमती अली दोनोकी आखोमे पानी आ गया था। श्री अलीके बिदाईके शब्द स्मरण रखने योग्य है। उन्होने कहा — "मुझसे भूल हुई हो या न हुई हो, उसे दर गुजर कर दे। मनुष्य मात्र भूल करता आया है। किन्तु जितना म करता हूँ उतना यदि दूसरे भारतीय भाई करे तो पर्याप्त माना जायेगा।" ये शब्द दरअसल याद रखने लायक है। हम श्री अलीकी गलतीको भूल जाये। उन्होने कानूनको न मानकर ट्रान्सवाल छोड दिया यह शाबाशी देने योग्य हे। यदि इतना करनेके लिए भी बहुत भारतीय खडे हो जायेगे तो अन्तमे हमारी जीत होगी।

दिवालियेपनके दंगेकी सजा

इस्माइल ईसा नामक एक दिवालिया व्यापारीपर फरेबका इल्जाम था। उसका मुकदमा श्री डी विलियर्सकी अदालतमें प्रिटोरियामें चला था। उसपर इल्जाम था कि दिवाला निकलनेवाला है इस बातको जानते हुए भी उसने अर्नेस्ट एबटकी पचीस तम्बाकू खरीदी थी। इसपर उसे तीन माहकी सजा हुई है। यह मुकदमा भारतीयोंके लिए लज्जाजनक है। हममें इतनी टेक रहनी चाहिए कि हमारे यहाँ एक भी दिवालिया न हो। किन्तु उसमें तो दिवालियापनके साथ ही जालसाजी भी दिखाई दी। ऐसे कामोंसे भारतीयोंको बिलकुल दूर रहना चाहिए।

रस्टनबर्गका पत्र

रस्टनबर्गके समाजने जो विजय प्राप्त की, उसके बारेमें संघके नाम एक पत्र आया है। उसमें लिखा है कि कैप्टन चैमने भारतीयोंको समझाने गये थे। किन्तु सबने दृढ़तापूर्वक यही जवाब दिया कि पंजीयन नहीं करवाना है। श्री चैमने भी गये थे, किन्तु उन्हें भी यही जवाब मिला। वहाँ श्री बापू इस्माइल, श्री रहीम भाई, श्री बगालिया, श्री मढी और श्री एम० ई० काजी स्वयंसेवक थे। दूकानें आधे दिन बन्द रखी गई थीं। श्री डीसाजा नामक पुर्तगीज भारतीयके पास श्री काडी गये थे। किन्तु पुर्तगीज भाईने पंजीयन करवानेसे साफ इनकार कर दिया।

फाक्सरस्ट तथा वॉकरस्ट्रूमके पत्र

फाक्सरस्ट तथा वॉकरस्ट्रूमसे पत्र आये हैं। उनमें वहाँके नेताओंने लिखा है कि एक भी भारतीय अनुमतिपत्र नहीं लेगा। सभीमें बहुत जोश है।

विशेष अपमान

जोहानिसबर्ग नगरपालिकामें अब यह हलचल हो रही है कि भारतीय, चीनी या दूसरे काले लोगोंको पहले दर्जेकी घोड़ागाड़ीमें न बैठने दिया जाये। संघने इस सूचनाके विरोधमें पत्र[1] लिखा है। किन्तु इस समय ऐसा होनेकी कम सम्भावना है। नगाड़ा केवल पंजीयन कानूनका बज रहा है। उसमेंसे अन्तमें जो आवाज निकलेगी उसीपर सब दारोमदार है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३१-८-१९०७

१. देखिए "पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको", पृष्ठ १९९।

१६४ पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको

[जोहानिसबग
सितम्बर १, १९०७ के पूव][1]

[टाउन क्लाक
जोहानिसबग
महोदय,]

पहले दर्जेकी किरायेकी घोडा-गाडियोसे सम्बन्धित यातायात उपनियमोमे प्रस्तावित सशोधनके बारेमे अपने इसी मासकी २८ तारीखके पत्रके[2] सिलसिलेमे मुझे मालूम हुआ हे कि परिषद विशिष्ट व्यवसायाके लोगोको भले ही वे रगदार व्यक्ति हो, पहले दर्जेकी घोडा गाडियोके उपयोग सम्बन्धी अयोग्यतासे मुक्त रखना चाहती हे।

मेरा सघ सम्मानपूवक निवेदन करता हू कि इस प्रकारकी छूट सराही जानेके बजाय जलेपर नमक ही छिडकेगी, क्योकि यदि किसी व्यक्तिके वस्त्रो और सामान्य व्यवहारको छोड दे तो यह समझना कठिन हे कि गाडीवान विशिष्ट व्यवसायो और दूसरे लोगोमे कैसे अन्तर करेगा, और मेरे सघको यह निश्चित प्रतीत होता हे कि कोई आत्मसम्मानी व्यक्ति ऐसे अधिकारका लाभ न उठायेगा जिसका उपयोग उसके उतने ही सम्मानित देशवासी नही कर सकते। इसलिए मेरा सघ यह आशा करता है कि नगर परिषद कृपाकरके मेरे पत्रोमे उल्लिखित सशोधनके सम्बन्धमे आगे कारवाई न करेगी।

आपका, आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, ७–९–१९०७

१ 'इसी मासकी २८ तारीखके' हवालेसे प्रकट होता है कि यह पत्र अगस्तमें लिखा गया था।
२ देखिए "पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको, पृष्ठ १९९।

१६५ तार[1] दादाभाई नौरोजीको

[डर्बन
सितम्बर ४, १९०७]

नटाल भारतीय कांग्रेसकी भारतके राष्ट्रपितामहको शुभ कामनाएँ। यह दिन बार बार आये। ईश्वर भारतीय प्रवीरको दीर्घायु करे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१६६ भाषण डर्बनमें[2]

[डर्बन
सितम्बर ४, १९०७]

गांधीजीने सुझाया कि सारे दक्षिण आफ्रिका और ट्रान्सवालसे बाहरके भारतीय चन्दा जमा करें और ऐसी किसी भी आकस्मिक आवश्यकताके लिए, जो ट्रान्सवालमें उठ खड़ी हो, कोष तैयार करें तो यह बहुत बड़ी सहायता होगी।

वक्ताने भारतीय समाजके स्वेच्छया पंजीयन करानेके प्रस्तावका और जनरल स्मट्सको भेजे अपने पत्रका भी अर्थ समझाया।[3]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१ यह दादाभाई नौरोजीके ८३ वें जन्मदिनपर भेजा गया था। देखिए "भाषण कांग्रेसकी सभामें", पृष्ठ २११-१३।

२ गांधीजीकी डर्बन यात्राके अवसरपर नेटाल भारतीय कांग्रेसकी एक विशेष बैठक बुलाई गई। अध्यक्ष श्री दाउद मुहम्मदकी विनतीपर वे ट्रान्सवाल-संघर्षकी तत्कालीन स्थितिके बारेमें बोले। उक्त बैठककी रिपोर्टके ये कुछ अंश हैं।

३ विस्तृत विवरणके लिए गुजरातीसे अनूदित अगला शीर्षक देखिए।

१६७ भाषण काग्रेसकी सभामे[1]

डबन
सितम्बर ४, १९०७

हमने जो लडाई शुरू की हे वह बहुत ही भारी हे, इसलिए उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। यदि जीत गये तो भारतीयोकी स्थिति ट्रासवालमे ही क्या, नेटाल, केप, और भारतमे भी बहुत कुछ सुधर सकेगी। और यदि हमने मुह फेरा तो उसका परिणाम भी उतना ही खराब होगा। नेटालमे श्री हेगर जैसा व्यक्ति ससदमे ट्रान्सवालके पजीयन कानून जैसा कानून बनानेकी बात उठाये, केपमे फेरीवाले तथा दूकानदारोको परवानोकी तकलीफ हो, डेलागोआ बेमे नये नये कानून व प्रतिबन्ध लगाये जाये, रोडेशियामे भी भारतीयोके लिए विशेष कानून बनाये जाये, और जमन [पूव] आफ्रिकामे भी भारतीयोकी प्रतिष्ठा गिरानेका विचार हो — यह सब, यदि हम अपना पानी बतानेको तैयार हो, तो रुक सकता है। ट्रासवालमे जो करना उचित है, वह हो रहा है। लन्दनकी समिति भी तेजीसे काम कर रही है। नेटालने भी कुछ मदद दी है। ३१ जुलाईको प्रिटोरियामे जो तार आये और उसके बाद हर प्रसगपर दूसरे गावोमे मण्डलो और व्यापारियोको अलग अलग तार भेजे गये, उनका प्रभाव बहुत अच्छा हुआ हे। उसके लिए म और ट्रासवालके भारतीय आपका आभार मानते है। मुझे मालूम है कि यहासे समितिने १०० पौड विलायत भेजे ह। यह ठीक किया हे। लेकिन नेटालको इसके बाद भी अभी बहुत करना है। यहासे अभी बहुत सा चन्दा इकटठा किया जा सकता है। यहा मै यह नही कहता कि इसी तरह दूसरे गावोसे धन एकत्र करके ट्रासवाल भेज दे, बल्कि मेरा कहना हे कि उसे एकत्र करके जमा रखे, जिससे जरूरतके समय उसका उपयोग किया जा सके। ट्रान्सवालके लोग भी चन्दा एकत्र करके अपना हिस्सा देते ह। ब्रिटिश भारतीय सघ इस लडाईमे लगभग १५०० पौड खच कर चुका हे, और अब भी बहुत खच करना हे। उसके पास आज केवल १०० पौडके करीब ही है। ऐसी गरीब स्थितिमे लोग मुझसे बार-बार पूछा करते है कि सब जेल जानेवालोके बाल बच्चोका भरण पोषण किस प्रकार कर सकेगा? इस सबका मेरे पास एक ही उत्तर है, और वह है कि हम सब खुदापर भरोसा रखनेवाले है, फिर यह सवाल क्यो उठायेगे कि अपने पत्नी-बच्चोका क्या होगा। इतनेपर भी हमे अपने कतव्यका पालन करना चाहिए। घर घर और गाव गाव जाकर चन्दा इकटठा करना चाहिए। लोगोको स्थितिसे परिचित कराना चाहिए। इससे वे खुशी खुशी चन्दा देगे, और उन्हे इसकी जानकारी भी हो जायेगी कि नये कानूनसे हमारी कितनी अधम स्थिति होनेवाली हे। मतलब यह कि हमे कुछ भी उठा नही रखना है। तभी हम खुदापर पूरा भरोसा रख सकते है। हमे जितना भी करना है वह करना चाहिए और उसीके साथ हर प्रसगपर खुदाकी इबादत करके अन्त करणसे मागना चाहिए कि "हे खुदा! हे ईश्वर! हमारी न्यायकी अर्जीकी यदि यहा कही सुनवाई नही होती तो हमे तेरा तो पूरा भरोसा है। तेरे दरबारमे किसी भी काममे जरा

1 यह 'और स्पष्टीकरण' शीषकसे छापा गया था।

भी अन्याय सहन नहीं होगा।" पिछले रविवारको हमीदिया अंजुमन [की एक बैठक] में मौलवी मुहम्मद मुख्त्यार साहबने भी यही कहा था कि हम तो अपना शिष्टमण्डल अब सुल्तानके दरबारमें ही भेजना है। पिछले रविवारको जर्मिस्टनमें जन्माष्टमीके उत्सवमें यही विचार सारे हिन्दुस्तान व्यक्त किया था। इस तरहकी प्रार्थना सब कर सकते हैं।

एक प्रश्नके उत्तरमें श्री गांधीने बताया

म्युनिसिपैलिटीके सम्बन्धमें हम अभी जो मौका मिला है उसके लिए 'आर्गेनियन'के पिछले अंकमें तीन मार्ग सुझाये गये हैं। उनमें से एक अपनाया जाना चाहिए। जिस मुकदमेकी अपील हम एक दफा विलायत ले गये थे उसमें और इसमें अन्तर है। इस मामलेमें हम निकायके समक्ष फरियाद कर सकते हैं और यदि वहाँ सुनवाई न हो तो सम्राट्की न्याय परिषदमें अपील कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए धनकी पूरी आवश्यकता है। हिम्मत रखकर दूकान खोल दी जाये इसे मैं ज्यादा अच्छा समझता हूँ। लेकिन लड़ाई शुरू करनेके बाद उसे आखिर तक निभाना चाहिए। दूकानदार जुर्माना न दें और अपने मालको बार-बार नीलाम होने दें। जिन व्यापारियोंको इस वर्ष परवाने मिल गये हैं उन्हें सरकारसे अर्जी करनी चाहिए कि हमारे भाइयोंपर इस तरह अन्याय होता है तो हम भी अगले वर्ष बिना परवानेके दूकान खोले रखेंगे। यदि इस तरह हिम्मत और दृढ़तासे हम सम्पत्तिका महान बलिदान करेंगे तो निश्चित ही जीतेंगे और तभी जो धन कमाया है और जो कमायेंगे उसकी गिनती होगी। नहीं तो कुत्तेकी तरह जीयेंगे।

ट्रान्सवालके प्रवासी कार्यालयमें गवाहके अंगूठेके निशान लिए जाते हैं। यह कानूनके विरुद्ध है। प्रवासी अधिकारी अँगूठेके निशान ले सकता है, यह कानूनमें है ही नहीं। इसलिए इस विषयमें यदि धीरज और दृढ़तासे लड़ाई की गई तो यह प्रथा मिट जायेगी। यह प्रथा अभी शुरू हो रही है। इसे अंकुरको फूटते ही जला देनेकी जरूरत है।

ट्रान्सवालमें कुछ लोग समझौता करके पंजीकृत होना चाहते हैं, इस सम्बन्धमें पूछे जानेपर श्री गांधीने बताया

प्रिटोरियामें कुछ सज्जन सरकारसे समझौता करके पंजीकृत होना चाहते हैं। इस समझौतेमें जरा भी लाभ नहीं है, बल्कि नुकसान है। हमारी लड़ाईके सच्चे स्वरूपको जिन्होंने समझ लिया है उन्हें ऐसे समझौतेसे सन्तोष नहीं होगा। संघने इस समझौतेके सम्बन्धमें जो पत्र भेजा है वही ठीक है। जिन्हें नाममात्रके समझौतेसे सन्तोष होता हो वे समझौता करनेके बजाय अभी ही पंजीयनकी अर्जी दें तो उससे समाजकी लड़ाई ढीली नहीं होगी।

नगरपालिका मताधिकारके कानूनको लॉर्ड एलगिनने नामंजूर कर दिया है। यह खबर उसी दिनके अखबारमें प्रकाशित हुई थी। इसको समझाते हुए श्री गांधीने कहा

इस जीतका यश लन्दनकी समितिको है। यह कानून यहाँसे बहुत ही पहले सम्राटकी स्वीकृतिके हेतु विलायत पहुँच गया था। वहाँ अबतक विचाराधीन पड़ा रहा। इसलिए कभी उसके रद होनेकी सम्भावना की जा सकती थी। लेकिन समितिने परिश्रमपूर्वक जो लड़ाई की, उसे न करके यदि वह चुप बैठी रहती तो जो परिणाम हम आज देखते हैं वह नहीं होता। आशा है, अब हम सब मताधिकारका लाभ भोगेंगे।

१. देखिए "हेडेलबर्गके परवाने", पृष्ठ २०४५।

एस्टकोटका निकाय श्री हाफिजीवाले मामलेमें सर्वोच्च "यायालयके निणयके खिलाफ सम्राटकी "याय परिषदमे अपील करनेके लिए अनुमति माँगना चाहता है, इसका खुलासा करते हुए श्री गाधीने कहा

निकाय अपील करनेकी अनुमति चाहता हे। वह नही दी जा सकती। क्योकि, उसमे खच ज्यादा होनेकी सम्भावना है और यह नही दीखता कि परिणाम कुछ होगा। फिर भी सम्राट्की न्याय परिषदमे अपील करनेकी अनुमति यदि कोई मागता है तो हम रुकावट नही डालेगे।

इतने स्पष्टीकरणके बाद श्री गाधीने बताया कि आज भारतके पितामह दादाभाई नौरोजीकी जयती है। उसके सम्बधमे एक तार[1] सवेरे भेज दिया गया हे। इस प्रसगपर टोगाटके भारतीयोने तार द्वारा सूचित किया कि हम दादाभाई नौरोजीकी दीर्घायुकी कामना करते है।

इसके बाद सब उठकर खडे हुए और उन्होने दादाभाईकी दीर्घायुके लिए कामना की तथा उनकी खुशहालीके लिए तीन नारे लगाये। रातके दस बजे सभा समाप्त हुई।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–९–१९०७

१६८ पत्र उपनिवेश-सचिवको

[जोहानिसबग
सितम्बर ७, १९०७ के पूव]

[उपनिवेश-सचिव
प्रिटोरिया
महोदय,]

मेरे सघको विश्वस्त रूपसे पता चला है कि सरकार एशियाई पजीयन अधिनियमके अतगत विलम्बित प्राथनापत्र लेनेसे पूव प्रार्थियोसे इस आशयके हलफनामे ले रही है कि उन्होने अभीतक सघके कुछ सदस्योके अनुचित दबावके कारण ये प्राथनापत्र नही दिये।

यदि मेरे सघको प्राप्त सूचना सत्य हे, तो मै आदरपूवक निवेदन करता हूँ कि जहातक मेरी जानकारी हे, सघके किसी सदस्यने कभी कोई ऐसा दबाव नही डाला है, और मेरा सघ नम्रतापूवक प्राथना करता है कि यदि किसी व्यक्तिने ऐसा आरोप लगाया है, तो जिसपर आरोप लगाया गया हे, उसे इस सम्बन्धमे उचित जानकारी देनेकी कृपा की जाये।

[आपका, आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–९–१९०७

१ देखिए "तार दादाभाई नौरोजीको", पृष्ठ २१०।

१६९ सविनय अवज्ञाका धर्म[1]

ऐसा लगता है कि ससदके दोनो सदनोने जो यह विधेयक पास कर दिया है कि मृत पत्नीकी बहनसे विवाह करना वध है, उससे ससदीय कानून द्वारा स्थापित गिरजो (एस्टैब्लिश्ड चर्च) के पादरी एक प्रकारके सत्याग्रहियोमें परिणत हो जायेंगे। कटरबरीके सर्वोपरि पादरी (आर्क बिशप) ने आज एक सदेश भेजा है जिसमे पादरियोसे अनुरोध किया है कि यद्यपि इस प्रकारके सम्बन्ध देशके कानून द्वारा जायज करार दिये गये है, वे मृत पत्नीकी बहनसे विवाह न करायें।

"डेली प्रेस"

इस विवादमे पडनेकी हमारी इच्छा नही है कि मृत पत्नीकी बहनसे शादी करना सही दिशामे सुधार है या नही। हमने उपर्युक्त समुद्री तार यह बतानेके लिए उद्धृत किया है कि सत्याग्रह खास परिस्थितियोमे अपनी शिकायतें दूर करानेका एक सर्वमान्य उपाय है और कानूनपर चलनेवाले और शान्तिपरायण लोग अपनी अन्तरात्माका हनन किये बिना सिर्फ यही रास्ता अपना सकते है। तात्पर्य लगता तो यह है कि यदि उनमे कोई अन्तरात्मा है और वह किसी खास कानूनके खिलाफ बगावत करती है तो यह तरीका उन्हे अपनाना ही चाहिए। जवाबमे कहा जा सकता है कि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयो द्वारा किये गये और कैंटरबरीके आर्क बिशप द्वारा सुझाये गये सत्याग्रहमे कोई समानता नही है। हमारा यही मतभेद है और हम दावा करते है कि अगर कैंटरबरीके आर्क बिशपके लिए मृत पत्नीकी बहनके कष्ट निवारणवाले कानूनकी अवहेलना करना वैध है तो ब्रिटिश भारतीयोके लिए तो यह और भी अधिक वैध है कि वे एशियाई पजीयन अधिनियमको माननेसे इनकार करे। अगर ऐसे पादरियोके लिए, जो शादी करानेसे इनकार करके कानूनको न माने, इस कानूनमे कोई सजा नही है तो यह उनका दुहरा कर्तव्य है कि वे कानूनको माने। लेकिन आर्क बिशप तो जान-बूझकर विपरीत सलाह देते है, क्योकि वे एक ऊँचे कानूनकी ओर बढे है और वह है अन्तरात्माका कानून। सही या गलत, पर कृपामूर्ति आर्क बिशपका विश्वास है कि इस प्रकारकी शादियोके लिए इजीलमे कोई विधान नही है और ससदने ऐसा कानून बनाकर ईश्वरीय कानूनको भग किया है। इस बातको बर्दाश्त करना पादरियोके लिए अधम होगा। दूसरे शब्दोमें, आर्क बिशपने थोरोकी इस बातको स्वीकार कर लिया है कि हमे प्रजा होनेसे पहले मनुष्य होना चाहिए और हमारी अन्तरात्माकी ऐसी कोई आज्ञा नही है कि हम किसी भी कानूनको, उसके पीछे चाहे जो ताकत या बहुमत हो, अन्धे होकर मान ले।

१ इस विषयपर गुजरातीमें यह और आगेके लेख लिखनेमें गांधीजीने अमेरिकी दार्शनिक, प्रकृतिवादी तथा ग्रंथकार हेनरी डेविड थोरो (१८१७-६२) के निबन्ध सविनय अवज्ञाका धर्म (ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिस-ओबिडिएन्स) की सहायता ली थी। उक्त निबन्ध सर्वप्रथम १८४९ में 'नागरिक शासनका प्रतिरोध', (रेजिस्टैन्स टु सिविल गवर्नमेंट) शीर्षकसे प्रकाशित हुआ था।

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोकी भी यही स्थिति है। वे कानूनपरायण है और अबतक उन्हे जो प्रमाणपत्र मिला हुआ है उसमे, इस एशियाई कानूनके मातहत पजीयन न करानेसे कोई कमी नही आयेगी, क्योकि इसे उनकी अतरात्मा उनके पौरुषके लिए अपमानजनक और उनके धमके हकमे घणित समझकर अस्वीकार करती है। यह सम्भव है कि सत्याग्रहके सिद्धातकी अतिकी जाये, लेकिन यह बात कानून माननेके सिद्धान्तपर भी उतनी ही लागू होती है। हम शब्दोमे इस विभाजन रेखाको उतने सही तौरपर नही दे सकते जितना कि थोरोने अमरीकी सरकारके बारेमे बोलते हुए कहा था

> **अगर कोई मुझसे कहे कि यह [अमरीकी] सरकार बुरी हे, क्योकि यह अपने बन्दरगाहोमे आनेवाले कुछ विदेशी वस्तुओपर कर वसूल करती है तो, सम्भव है, म इस बारेमे कोई बखेडा न करूँ, क्योकि म उन वस्तुओके बगर काम चला सकता हूँ। सभी यत्रोमें घषण[1] होता है [वसे ही सब शासन यत्रोमे भी होता है] और शायद इससे बुराईको कम करनेमें काफी सहायता मिलती है। बहरहाल, इसी बातको लेकर हलचल करना एक बहुत बुरी बात है। लेकिन, जब घषण अपने [शासन] यत्रपर हावी हो जाये और जुल्म और लूटका बोलबाला हो तब तो म यही कहूँगा कि हमें ऐसे [शासन-] यत्रकी अब जरूरत ही नही है।**

एशियाई पजीयन अधिनियम ब्रिटिश भारतीयोके लिए सिफ ऐसा कानून ही नही है जिसमे थोडी सी बुराई हो या, थोरोके शब्दोमे, यह एक ऐसा यत्र है जिसमे घषण है, लेकिन यह तो बुराईको ही वैध बनाना है, या घषणका साधन बनाना है। इस तरह बुराईका विरोध करना एक ऐसा पवित्र कतव्य है, जिसकी ओरसे कोई भी मनुष्य निरपेक्ष भावसे अपना मुह नही मोड सकता है। और केटरबरीके आक बिशपकी तरह ब्रिटिश भारतीयोके लिए भी इस बातका फैसला उनकी अतरात्माको ही करना चाहिए, और उन्होने फैसला कर भी लिया है, कि वे एशियाई कानूनको माने या न माने, चाहे उसके लिए जो भी कीमत चुकानी पडे।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–९–१९०७

१ स्वय गाधीजीने इसका अनुवाद 'जग किया है। देखिए "कानूनका विरोध — एक कर्तव्य [२]", पृष्ठ २३१, अनुच्छेद २।

१७० 'इंडियन ओपिनियन' का परिशिष्टांक

हमने गतांकमें सूचित किया था कि हम इस अंकमें माननीय दादाभाई नौरोजीका चित्र उनके जन्मदिवसके उपलक्ष्यमें देंगे। उसके अनुसार पाठक इस अंकमें उनका चित्र देखेंगे। यह चित्र गत वर्ष, जब भारतके पितामह स्वदेश गये थे, लिया गया था और 'इंडिया' में छापा गया था। हमने यहाँ उसकी नकल की है। हमारी सलाह है कि सब इसे मढ़वाकर रखें। किन्तु हम इसकी सच्ची मढ़वाई तो तब समझेंगे जब यह हमारे हृदयोंमें अंकित हो जाये। कागजके टुकड़ेको मढ़वाकर रखने और उसके पीछे जो अर्थ छिपा है, उसका तनिक भी स्मरण न रखनेका नाम ही मूर्तिपूजा या बुतपरस्ती माना जा सकता है। इस चित्रको अपने कमरेमें टाँगनेका उद्देश्य मात्र यही है कि उसको देखकर हमें अपने कर्तव्यका नित्य नया ज्ञान होता रहे। इस समय दक्षिण आफ्रिकामें और वैसे ही भारतमें ऐसी स्थिति है कि दादाभाई जैसे सैकड़ों वीर निकल आयें तो भी पर्याप्त न होंगे। जबतक ऐसे लोग नहीं निकलते तबतक राजनीतिक और सामाजिक जीवनके अन्य क्षेत्रोंमें हमारा उद्धार न होगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७–९–१९०७

१७१ सुस्वागतम्

नेटालके नये गवर्नर सर मैथ्यू नेथन आ गये हैं। उनकी उम्र पैंतालीस वर्षकी है। वे अविवाहित हैं। वे यहूदी हैं और अपनी जातिके पहले व्यक्ति हैं जिन्हें दक्षिण आफ्रिकामें गवर्नर नियुक्त किया गया है। कहा जाता है कि वे बड़े प्रेमी, परिश्रमी और अनुभवी हैं। हांगकांगमें सभी कौमोंका चित्त उन्होंने चुरा लिया था। इस समय नेटालकी हालत बड़ी खराब है। ऐसी परिस्थितिमें यद्यपि स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशमें वे बहुत हस्तक्षेप नहीं कर सकते, फिर भी अपनी एक सज्जनोचित सलाहसे और व्यक्तिगत आचरणसे बहुत सहायता कर सकते हैं। उनके सम्बन्धमें जो आशाएँ रखी गई हैं भगवान करे, वे सफल हों। उनके साथ उनकी बहन कुमारी नेथन भी हैं। वे गवर्नरके सामाजिक जीवनसे सम्बन्धित कार्य सँभालती हैं और समारोहोंके समय पत्नीका अभाव खटकने नहीं देती।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७–९–१९०७

१७२ अनाक्रामक प्रतिरोधके लाभ

एक स्मरणीय उदाहरण

आजकल आयर्लैंडवासी अपने हक प्राप्त करनेके लिए बहुत बेचैन हो रहे हैं। वहांके कुछ नेता मानते हैं कि जैसे भारतीयोंमें चमड़ीके रंगका दोष है वैसे ही आयर्लैंडकी जनतामें भूमिका दोष है। इसलिए भारतीय प्रजा भारतमें और भारतके बाहर दुःख उठाती है और अंग्रेजोंसे हलके दर्जेकी गिनी जाती है। आयर्लैंडवासियोंकी अपने देशमें तो कोई गिनती नहीं है, क्योंकि अंग्रेज शासक उनपर जुल्म करते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपना देश छोड़कर बाहर जाते हैं अंग्रेजोंके समान ही अधिकार भोगने लगते हैं। लोकसभामें आयर्लैंडके ८६ सदस्य हैं। फिर भी अंग्रेज लोग अपने स्वार्थमें अन्धे होकर इतना जोर दिखाते हैं कि आयरिश प्रतिनिधियोंको कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए आयर्लैंडके कुछ नेता सुनवाईका दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। उसका नाम 'सिन फेन'[1] है। इसका यदि गुजरातीमें हूबहू अर्थ किया जाये तो उसे 'हमारा स्वदेशी आन्दोलन' कहा जा सकता है। 'सिन फेन' दलका जोर दिनोंदिन बढ़ रहा है। उसने अपने आन्दोलनमें शान्तिपूर्ण प्रतिरोध या अनाक्रामक प्रतिरोधको मुख्य हथियार बनाया था। आजतक वे लोग मार काटकी प्रवृत्तिको प्रोत्साहन देते थे। आयर्लैंडकी जनता किरायेदार है और मालिक अंग्रेज यानी परदेशी हैं। इसलिए किरायेदार प्रजा परदेशी मालिकको मारने-पीटनेकी तरकीब करती थी। किन्तु अब यह निर्णय किया गया है कि लोगोंको ऐसी तालीम दी जाये जिससे धीरे-धीरे ब्रिटिश लोकसभासे आयरिश सदस्य निकाल लिये जायें, आयर्लैंडकी अदालतोंमें आयरिश लोगोंके मुकदमे न जायें और असुविधाएँ होनेपर भी ब्रिटिश मालका उपयोग न किया जाये। इन्हीं उपायोंके साथ स्वदेशीका आन्दोलन चलाया जाये, जिससे बिना युद्धके विवश होकर अंग्रेज या तो आयर्लैंडको स्वायत्त शासन दे दें या फिर आयर्लैंड छोड़कर चले जायें और आयरिश प्रजा स्वतन्त्र राज्य करने लगे।

इस आन्दोलनकी बुनियाद यूरोपके दक्षिण आस्ट्रिया हंगरीमें पड़ी थी। आस्ट्रिया और हंगरी दो अलग अलग देश थे। लेकिन हंगरी आस्ट्रियाके अधिकारमें था, जिससे उसे सदा ही आस्ट्रियाका शिकार बनना पड़ता था। इसलिए डिक नामक एक हंगेरियनने आस्ट्रियाको तंग करनेके लिए लोगोंमें यह विचार फैलाया कि आस्ट्रियाको कर न दिये जायें, आस्ट्रियाके अधिकारियोंके यहां नौकरी न की जाये और आस्ट्रियाका नाम तक भुला दिया जाये। यद्यपि हंगेरियन बहुत ही निर्बल थे फिर भी इस बलके कारण अन्तमें आस्ट्रियाको उनके साथ न्याय करना पड़ा और अब हंगरी आस्ट्रियाके अधिकारमें नहीं माना जाता। वह अब आस्ट्रियाके मुकाबलेका राज्य है।

इन उदाहरणोंसे ट्रान्सवालवासियोंको बहुत सबक लेना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहासमें जो बातें पहले की जा चुकी हैं, वही भारतीयोंके सम्बन्धमें ट्रान्सवालमें की जानी

१. आयरिश भाषाके इस शब्दका अर्थ है 'हम ही', यह नाम १९०५ में प्रारम्भ हुए उस आन्दोलनको दिया गया था, जो बादमें एक सार्वजनिक गणतन्त्रीय दलके रूपमें विकसित हुआ और जिसके प्रयासोंसे आयरिश फ्री स्टेटकी स्थापना हुई।

चाहिए। मतलब यह कि हजारों लोगोंको कोई कैद नहीं कर सकता, न निकाल सकता है। लेकिन कैद भोगने या देशके बाहर निकाले जानेके लिए प्रत्येक भारतीयको तैयार रहना चाहिए। भारतीय जेल भोगने और देशके बाहर जानेको तैयार है, यह साबित करनेके लिए उनमें से कुछको जेल भोगनी पड़ेगी और देशके बाहर भी जाना पड़ेगा। जिसके हिस्से देश निकाला अथवा जेल आयेगी, विजय उसी भारतीयकी हुई, जिन्दगी उसीने जी, ऐसा माना जायेगा। उसका नाम अमर होगा और उसने अपने देशके प्रति शत प्रतिशत कर्तव्य निर्वाह किया, यह माना जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७–९–१९०७

१७३ प्रधानमन्त्रीके विचार

सर हेनरी कैम्बेल बैनरमैनने श्री रिचको उत्तर भेजा है कि वे दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके शिष्टमण्डलसे नहीं मिलेंगे। उनके दिये हुए उत्तरका सारांश रायटरने तारसे भेजा है। इस तारके अनुसार प्रधानमन्त्रीने सूचित किया है कि वे ट्रान्सवाल सरकारको लिख चुके हैं कि नया कानून खराब है। किन्तु चूँकि अब ट्रान्सवाल स्वतन्त्र है इसलिए वे उस अधिनियमको लागू करनेके सम्बन्धमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते और तत्काल ट्रान्सवालपर अधिक दबाव भी नहीं डाल सकते। इस उत्तरके लिए, जान पड़ता है, सर हेनरीने लगभग बीस दिन लिये हैं। इसका अर्थ हम यह लगाते हैं कि ट्रान्सवालसे बड़ी सरकारके पास कोई सूचना गई है कि भारतीय समाज आखिरमें बिना जबरदस्तीके पंजीयन करवा लेगा। हम मानते हैं कि इसी तरह लिखनेमें जनरल स्मट्सको इस बातसे बल मिला है कि कुछ लोगोंने पंजीयन करा लिया है और दूसरे करानेको तैयार हैं। यदि हमारा अनुभव सही हो तो सर हेनरीके उत्तरसे निराश होनेका कोई कारण नहीं रहता। सर हेनरीके हस्तक्षेपका समय तब आयेगा जब हमारी सच्ची लड़ाई शुरू होगी जब भारतीय जेलमें जाने अथवा निर्वासित होनेपर भी दृढ़ रहेंगे और कानूनके सामने नहीं झुकेंगे। सर हेनरी अगर ऐसे समयमें भी हस्तक्षेप नहीं करते तो हम समझते हैं कि ब्रिटिश राज्यका सूर्य अस्त हो गया है। क्योंकि निर्दोष मनुष्यों पर अत्याचार हो और बड़ी सरकार उन्हें न बचाये तो साधारण बुद्धि कहती है कि ईश्वर उसके हाथसे सत्ता छीन लेगा। जो रक्षा न करे उसे राजा कैसे कहा जाये?

किन्तु सर हेनरी हस्तक्षेप करें या न करें, भारतीयोंकी लड़ाईका सम्बन्ध इससे ज्यादा नहीं है। इस बारकी लड़ाई आत्मबलकी लड़ाई है। जिस कानूनको हम इस समय हेय कर रहे हैं उसे बड़ी सरकारकी निर्बलता देखकर स्वीकार नहीं कर लेंगे। यदि असली समयपर बड़ी सरकार हाथपर हाथ धरे हमारी होली होती देखती रहती है तो उस हालतमें उपनिवेशमें भारतीय अपने बलपर ही रह सकते हैं, और यदि कैद आदिकी उपेक्षा करेंगे तो वे उपनिवेशसे तबाह होकर बुरी मौत मरेंगे, क्योंकि कुत्तेकी तरह जीनेको हम मौतकी अपेक्षा हेय समझते हैं।

सर हेनरीके पत्रपर विलायतके सुप्रसिद्ध 'पाल माल गजट'ने आलोचना की है कि सर हेनरीने भारतीयोके अधिकार डुबानेमे कायरता और कमीनापन दिखाया है और इस कायरताका परिणाम बडी सरकारको भोगना पडेगा। इस प्रकारका तार जोहानिसबगके 'सडे टाइम्स'मे छपा है। इससे माना जा सकता है कि विलायतमे जो लडाई चल रही है उसका अत अभी आया नही है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–९–१९०७

१७४ नेटाल नगरपालिका मताधिकार अधिनियम

इस बातको लेकर कि नेटालमे भारतीयोको नगरपालिकाका मताधिकार मिलेगा या नही, बहुत दिनोसे बहस मुबाहसा हो रहा है। अतिम परिणाम क्या होगा, इसका अभीतक निणय नही हो सका अब समाचारपत्रोमे जो खबर छपी है उससे मालूम होता है कि लाड एलगिनने उक्त अधिनियम अस्वीकृत कर दिया है। कारण यह दिया गया है कि परवानोकी बाबत नेटालकी सरकार [illegible]। सतुष्ट नही कर सकी। इसमे कोई सदेह नही है कि यह उत्तम निणय दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके अस्तित्व ओर उसके द्वारा चलाये गये जबरदस्त सघषका परिणाम है। हमारे पाठकोको याद होगा कि कई बार श्री रिचने उक्त समितिकी ओरसे लाड एलगिनके नाम इस विधेयकको लेकर पत्र लिखे है। इस जीतमे कुछ खास खुश होने जैसी बात नही है। हम स्वय नगरपालिकाओके अधिकारकी प्राप्तिको महत्त्व नही देते। यदि हममे उस अधिकारको काममे लानेका ज्ञान या शक्ति न हो, तो बहुधा वह एक बोझ ही हो जाता है। कानूनकी दष्टिसे गोरो और गेहुँए लोगोको समान हक होनेपर भी उन दोनोमे जो लोग अधिक उत्साही, शिक्षित, चतुर और परोपकारी बुद्धि रखनेवाले है, वही आगे बढ सकते ह, ऐसा हम आज अमेरिकामे देख सकते ह, और उसी तरह केप उपनिवेशमे भी। केपमे भारतीय, वतनी और गोरे, तीनोको एक जसा मताधिकार है, फिर भी भारतीय समाज दिनपर दिन पिछडता जा रहा है। मतरूपी बन्दूकपर जग लग गई है ओर गोरे व्यापारिक परवानोके विषयमे जैसा चाहे, वैसा कानून बनाते रहते ह। इसका पहला तात्पय हम यह समझते है कि भारतीय गरीब हो, चाहे अमीर उनके मनमे मनुष्यताकी तीव्र भावना पैदा होनी चाहिए। अपने समाजमे हकोको अक्षुण्ण रखनेके लिए उनमे लडने अथवा अय रीतिसे कष्ट सहन करनेकी हिम्मत और शक्ति आना जरूरी है। इन गुणोके हमारे बीच उत्पन्न होनेका समय आ गया है अथवा हमे उसकी प्रतीक्षा अभी वर्षो तक करनी पडेगी, यह बात ट्रान्सवालके भारतीयोके कामसे प्रकट हो जायेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–९–१९०७

१७५. डॉक्टर नंडीकी पुस्तिका

डॉक्टर नंडीने[1] नये कानूनके बारेमें एक पुस्तिका लिखी है। उसका मूल्य एक शिलिंग रखा है। उसमें लॉर्ड सेल्बोर्न, श्री कर्टिस, श्री चैमने, श्री काडी इत्यादिकी बड़ी निन्दा की गई है, और उसी प्रकार श्री गांधीके विषयमें भी लिखा गया है। उस सारी आलोचनाका सारांश यहाँ देना जरूरी नहीं जान पड़ता। उन्होंने इस पुस्तिकामें यह सुझाव दिया है कि नया कानून रद करके एक आयोगके द्वारा भारतीय समाजके अधिकारोंकी जाँच करानेके बाद नया पंजीयन कराया जाना चाहिए। इस सुझावमें और स्वेच्छया पंजीयनके प्रस्तावमें कोई अन्तर नहीं है। इस हद तक डॉक्टर नंडीकी पुस्तिका हमारे लिए सहायक हो सकती है। किन्तु इस पुस्तिकाका इतना ही अर्थ है, या कानूनको अमलमें रखते हुए सिर्फ पंजीयनपत्रोंको बदलनेकी माँग की गई है, यह ठीक-ठीक स्पष्ट नहीं किया गया। किन्तु इस पुस्तिकाका कोई महत्त्व हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमें उसमें कोई नई बात दिखाई नहीं पड़ती। इसके सिवा श्री चैमने, तथा श्री काडीपर जो हमला किया गया है, उससे उन्हें कोई हानि पहुँचेगी ऐसा भी नहीं जान पड़ता। उस पुस्तिकामें डॉक्टर नंडीने स्वीकार किया है कि जेल जानेका प्रस्ताव ही भारतीय समाजके लिए लाभदायक है। डॉक्टर नंडीने 'रैंड डेली मेल'के आधारपर शिक्षित भारतीयोंको अँगुलियोंके निशान देनेकी शर्तसे मुक्त करनेकी सूचना निकलनेकी बात भी की है। किन्तु ऐसी सूचना तो कभी नहीं दी गई, और यदि आगे दी भी जाये तो उससे कानून सम्बन्धी संघर्षका अन्त होनेकी सम्भावना नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ [सुझाव[2]] भी देखनेमें आते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७–९–१९०७

१७६. कानूनका विरोध — एक कर्तव्य[3] [१]

अमरीकामें बहुत वर्ष पहले हेनरी डेविड थोरो नामक एक महापुरुष हो गये हैं। उनके लेख लाखों मनुष्य पढ़ते व मनन करते हैं तथा कुछ उनका अनुसरण करते हैं। थोरो जो कहते उसपर आचरण भी करते थे, इसलिए उनके लेखोंको बहुत महत्त्व दिया जाता है। उन्होंने स्वयं अमरीकाके विरोधमें अर्थात् अपने देशके विरोधमें कर्तव्य समझकर बहुत-कुछ लिखा है। अमेरिकाके लोग बहुतसे लोगोंको गुलाम बनाकर रखते थे, इसे वे बड़ा पाप मानते थे। परन्तु इतना लिखकर ही वे सन्तोष नहीं कर लेते थे, बल्कि अमरीकी नागरिककी हैसियतसे इस रोजगारको रोकनेके लिए जो भी उपाय अख्तियार करना उन्हें योग्य दिखाई देता उसे वे

१. डॉक्टर एडवर्ड नंडी, देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४६०-६१।

२. इंडियन ओपिनियनकी जो प्रति उपलब्ध है उसमें गांधीजी द्वारा प्रयुक्त शब्द ठीक पढ़ा नहीं जाता।

३. इसमें तथा १४–९–१९०७ (पृष्ठ २३१-३३) के दूसरे लेखमें गांधीजीने गुजराती पाठकोंके लिए हेनरी डेविड थोरोके विचारोंका सरल रूपान्तर प्रस्तुत किया था।

करते थे। उनमे से एक उपाय यह था कि जिस राज्यमे गुलामीका व्यापार चालू हो उस राज्यको कर न दिया जाये। जब उ होने अपना कर देना ब द किया उन्हे जेलमे भेज दिया गया। जेलमे उनके मनमे जो विचार आये वे बहुत दढ और स्वत त्र थे तथा पुस्तकके रूपमे प्रकाशित हुए है। उस पुस्तकके अग्रेजी नामका भावाथ हमने इस लेखके शीषकके रूपमे दिया हे। इतिहासकार कहते है कि अमेरिकामे गुलामी ब द होनेका मुरय कारण था थोरोका जेल जाना ओर जेलसे निकलनेके बाद उपयुक्त लेख सग्रह प्रकाशित करना। थोरोका अपने आचरण द्वारा पेश किया हुआ उदाहरण और उनके लेख दोनो ट्रा सवालके भारतीयोपर इस समय बिलकुल यथाथरूपमे लागू हो रहे ह। इसलिए हम उनका साराश नीचे द रहे ह

मै स्वीकार करता हूँ कि राज्यमे लोगोपर जितना कम शासन होगा उतना ही वह राज्य अच्छा है। अर्थात राज्य शासन एक प्रकारका रोग है, ओर उस रोगसे प्रजा जितनी मुक्त रह सके उतना ही वह राज्य शासन प्रशसनीय हे।

बहुतेरे लोगोका कहना हे कि अमेरिकामे सेना न हो अथवा कम हो तो अच्छा रहे। यह बात ठीक हे। किन्तु ऐसी बाते कहनेवालोका खयाल गलत हे। उनका कथन यह हे कि राज्य-शासन लाभदायक है। उसकी सेना ही नुकसान पहुचानेवाली है। ये मूख लोग यह नही समझते कि सेना राज्य शासनका शरीर हे और उसके बिना उसका काम घडी भर भी नही निभ सकता। किन्तु हम स्वय चूकि राज्य शासनके मदमे अ धे ह, इसलिए इस बातको नही देख सकते। सचमुच देखा जाये तो सेना एव राज शासन दानोको हमने यानी प्रजाने ही बनाये रखा हे।

इस तरह हम देखते ह कि हम अपने आपसे ठगे जा रहे ह। अमेरिकाका सविधान अमेरिकी जनताको स्वतन्त्र रखता अथवा स्वत त्रताकी तालीम देता है, ऐसा कुछ भी नही। जिस राज्यको हम देख रहे है वह कुछ कुछ अमेरिकी जनताके गुण और दोषोका परिणाम है। अर्थात यद्यपि हम सुसस्कृत और होशियार ह फिर भी राज्य-शासनके कारण हमारे विकासमे न्यूनता है।

इतना होनेपर भी म राज्यका उन्मूलन करना नही चाहता। पर तु तत्काल तो अच्छी राज्य-व्यवस्था चाहता हूँ और ऐसी अपेक्षा रखना प्रत्येक मनुष्यका कतव्य है। जिस देशमे सभी बाते बहुमतसे की जाती हो वहा न्याय ही होता है यह मानना निरा भ्रम है। और इस भूलको न देख पानेके कारण बहुतेरे अ याय होते रहते ह। अधिक मनुष्य जो काम करते है वह सही ही होता है, यह मा यता एक बेकारका वहम हे। क्या ऐसा राज्य नही हो सकता जहा बहुमतकी रायका पालन होनेके बजाय सत्यका ही पालन हो? क्या मनुष्यको अपनी रू अथवा आत्मा हमेशाके लिए शासकोके सुपुद कर देनी चाहिए? म तो यह कहता हूँ कि पहले हम मनुष्य है, और बादमे प्रजा। मुझे कानूनका आदर करनेके गुणका विकास करनेकी कुछ भी आवश्यकता नही दीखती। सच्चेका आदर करनेकी आवश्यकता सदैव है। मुझसे केवल एक ही कतव्य अपनाया जा सकता है, ओर वह है कि जो सच्चा हो वही मै करूँ। कानूनके द्वारा मनुष्यको अधिक न्यायी बना हुआ मैने कभी नही देखा। कि तु मने यह तो देखा है — और अब भी देखता हूँ — कि सामान्य न्याय बुद्धिवाले मनुष्य अपने भोलेपनके कारण अ यायके प्रसारके दूत बन जाते है। काननको बेहद सम्मान देनेका परिणाम हम सब लोग देखते है कि हम ब दरो जैसे सैनिक बन जाते ह ओर बिना कुछ पूछताछ किये य त्रके

समान, हमारा अधिकारी जैसा कहता है, वैसा करते रहते हैं। बहुत से लोग इस कामको अपना पेशा बना लेते हैं। और फिर अमुक कार्रवाई बुरी है, यह निश्चित रूपमें समझते हुए भी वे लोग उसमें पड़ पड़ते हैं। इन्हें क्या हम मनुष्य समझेंगे या इमारती हाथका कुल्हाड़ा? ऐसे लोग लकड़ीके टुकड़े अथवा ईंटके समान बन जाते हैं। तब उन्हें आदर किस प्रकार दिया जा सकता है? उनका मूल्य कुत्ते बिल्लीसे अधिक कैसे समझा जाये? फिर कुछ लोग कानूनके समर्थक बनते हैं, राजदूत बनते हैं, वकील बनते हैं। उन्हें अपनी बुद्धिके द्वारा राज्यकी रक्षा करनेका घमण्ड रहता है। परन्तु मैं देखता हूँ कि वे बिना सोच-विचार किये अनजानमें शैतानकी भी सेवा करते हैं। जो अपनी न्याय-बुद्धिको कायम रखकर राज्यकी बागडोर अपने हाथमें रखते हैं, वे वास्तवमें हमेशा राज्यका विरोध करते हुए मालूम होते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१७७ डर्बनमें अँगुलियोंकी छाप देनेका आतंक

कुछ दिनोंसे चर्चा चल रही है कि स्वदेश जानेवाले जो भारतीय अपने देश जाना चाहते हैं उनसे अधिवास प्रमाणपत्र देनेके पहले प्रवासी अधिकारी उनके गवाहोंसे अँगूठे लगवाता है। कुछका यह भी कहना है कि इस सम्बन्धमें कांग्रेसको झगड़ा करना चाहिए। ऐसा कानून अभी बना तो नहीं है, फिर भी, हम मानते हैं, उस तरहसे उसकी शुरुआत हो रही है। उस सम्बन्धमें कांग्रेस जो-कुछ भी मदद कर सकती है, उससे बहुत ज्यादा लोगोंको मदद करना चाहिए। जब भी अँगूठे माँगे जाते हैं लोग यदि अपनी गरज निकालनेके लिए दे देते हैं, तो कांग्रेस उसका इलाज नहीं कर सकती। अधिवास प्रमाणपत्रके लिए आवश्यक प्रमाणके सम्बन्धमें निर्णय करनेका काम प्रवासी अधिकारीको दिया गया है। वह बिना अँगुलियोंकी छाप लिये प्रमाणपत्र देनेसे इनकार भी कर सकता है। और यदि कोई आजिजीके साथ माँगे तो वह उसकी गरजका लाभ उठाकर उससे अँगूठे लगवा सकता है। यहाँ हम यह नहीं कहना चाहते कि उसका यह काम उचित या न्यायपूर्ण है, न हम यह कहना चाहते हैं कि अमुक परिस्थितिमें बाकायदा नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि हमें यही कहना है कि इस तरहकी लड़ाईमें यदि हम जीत भी गये तब भी सम्भव है हार ही होगी। जबतक भारतीय झूठा शपथ लेते रहेंगे और गलत तरीकेसे अधिवास प्रमाणपत्र लेनेकी इच्छा रखेंगे तबतक इस तरहके कष्ट हुआ ही करेंगे। लेकिन इसपर ध्यान देनेकी आवश्यकता इस समय हमें नहीं दिखाई देती। हम तो निश्चित रूपसे मानते हैं कि यदि ट्रान्सवालकी लड़ाईमें हमारी जीत होगी यानी भारतीय समाज अपनी शपथका निर्वाह करेगा और लाख कष्ट उठाकर भी खूनी कानूनकी शरण नहीं जायेगा, तो हमपर जुल्म करनेका जो पौधा ट्रान्सवालमें रोपा गया है, वह फूटते ही जल जायेगा। इसके बाद हम नहीं मानते कि कोई दूसरा उपनिवेश इस तरहके कानून बना सकेगा। बड़ी सरकारकी हालत साँप-छछूँदरकी-सी हो गई है। और यदि ट्रान्सवालमें हम अन्ततक जूझते रहे तो एलगिन साहब सम्राटको ऐसे कानूनपर सही करनेकी सलाह देना भूल जायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-९-१९०७

१७८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

अनुमतिपत्र कार्यालयरूपी महामारी अमुक गाव गई और वहासे बगर किसीको छूत लगाये मिट गइ, भारतीय कैदियोको नी उसकी छूत नही लगी। महामारीको भगानेवाले वैद्य (स्वयसेवक) उपस्थित थे। जहा सभी स्वस्थ थे वहा वैद्योकी जरूरत ही न पडी।

यह रिपोट अब सामान्य हो गई है। इसलिए मै स्टैडटन, हाइडेलबग तथा फोक्सरस्टको इतनी जल्दी मुबारकबाद नही देता। अब हम इस बीमारीके आदी हो गये ह। इसकी दवा भी जानने लगे हैं। डबनसे सबको एक ही दवा मिलती रहती है। ओर जहा दवासे या बिना दवाके सभी स्वस्थ हो वहा मुबारकबाद किसे दिया जाये? जहा सभी एक जसा काम करते हो वहा प्रशसा किसकी की जाये? इसलिए म तो अब खुदाकी ही प्रशसा करूँगा कि उसने आजतक इन सब गाववालोको अच्छी बुद्धि दी है और सब एकदिली और हिम्मतसे अपने कतव्यपर डटे हुए हैं। लेकिन मुझे बार बार कहना चाहिए कि यद्यपि ऊपर बताया हुआ काम जरूरी है, फिर भी उससे ज्यादा कीमती काम अभी करना बाकी है। जो यह मानते हो कि हम बिना मुसीबत उठाये, बिना जेल गये, बिना देश निकाला भोगे केवल बहिष्कारके बलपर जीत जायेंगे तो यह बडी भूल है। "दु ख भोगे सुख होय" इस बातको हमे याद रखना है। दु ख भोगे बिना सुखकी कीमत भी नहा हो सकती। जिसने ठण्डका अनुभव न किया हो, उसे धूपकी कीमत कैसे मालूम होगी? यदि सभी ककर हीरे होते तो हीरोको कौन छूता?

हमीदिया अजुमन

यह अजुमन अपना काम बडी हिम्मतसे किये जा रही है। मै देखता हूँ कि हम जिस युद्धमे लगे हैं, वह धमयुद्ध है। ईमानकी बात आकर खडी हुई है। मसजिदमे इबादत की जा रही है कि "हे खुदा, हम यदि सच्चे हो तो हमारी मदद करना।" लोगोके सामने अब एक ही प्रश्न पेश किया जाता है। कानून चाहिए या ईमान? मौलवी साहब अहमद मुख्त्यारने पिछले रविवारको इसी आशयका एक जोशीला भाषण दिया था। उन्होने कुरान शरीफ'की आयतो द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि मुसलमानोका एक यही कतव्य है कि अब वे केवल खुदासे ही अर्जी करे। सच्चा शिष्टमण्डल वही ले जाना है। वह महान न्यायाधीश किसीका लिहाज नही करता, किसीकी शक्तिके सामने नही झुकता। उसपर चमडीके रगका कुछ भी प्रभाव नही पडता। वह तो केवल दिलका रग देखता है। जिसने उसे अपने पक्षमे रखा है, उसकी कभी हार नही होती। मेरी सिफारिश है कि मौलवी साहबके इन शब्दोको सभी भारतीय भाई अपने हृदयमे अकित कर रखे।

जर्मिस्टनकी सभा

सनातन वेद धम सभाने जन्माष्टमीके उत्सवके सिलसिलेमे सभा की थी। वहा भी यही आवाज सुनाई पडती थी। हिन्दू बडी सख्यामे आये थे। श्री गाधी, श्री पोलक,

श्री मैकिटायर भी उपस्थित थे। सभी हिदुओको महाराज रामसुदर पण्डितजीने समझाया था कि आस्तिक हिदू तो एशियाई कानूनको कभी स्वीकार नही कर सकता। इस सभाको खत्रियो, बाबू तालेवतसिह और खडेरियाकी ओरसे भेटे दी गई थी।

कुछ डरपोक भारतीय

कुछ डरपाक भारतीयोकी आरसे प्रिटोरियाके एक वकीलकी मारफत जनरल स्मटसको एक पत्र[१] लिखा गया हे। मालूम हुआ हे कि यदि सरकार थोडा-सा भी आश्वासन दे दे तो वे लोग फिसलनेको तैयार है। मेरा कहना है कि ऐसे पत्रोसे हमारी लडाई कमजोर होती है। किंतु मै यह नही मानता कि इससे अतमे नुकसान होगा। यदि भारतीय बडी सख्यामे अपनी टेकपर डटे रहे तो आखिर हमे विजय मिलनी ही चाहिए। मै यह भी कहता हूँ कि इस तरहके डरपोक पत्रोके कारण हमे ज्यादा हानि उठानी पडेगी। इसके अलावा, हमने जो तुच्छ माग की हे उससे प्रकट होता हे कि हमे सच्ची लडाइका भान नही हे। हमारी लडाई भारतीय समाजकी नाक बनाये रखनेके लिए हे, हमारे ईमानकी रक्षाके लिए हे। यदि हम उसे रोटी कहे तो यह डरपोक पत्र उस रोटीके बदले रेत लेकर सतुष्ट होनेकी बात करता है। पुलिस सावजनिक तौरसे अनुमतिपत्र न देखे, या दस अँगुलियोकी छापकी जगह सही करवाये तो इसमे यह नही माना जायेगा कि हम जीत गये या हमारी प्रतिष्ठा रह गई। वह घणित कानून तो रह ही जायेगा। इसका अथ केवल यही हुआ कि लोहेकी बेडीकी जगह किसी हलकी धातुकी बेडी पहनाई जायेगी। हमारी लडाई तो बेडी तोडकर चूर चूर कर देनेके लिए हे।

मेरी अर्जी

अब उपयुक्त पत्र तो गया। लेकिन उस पत्रको भेजनेवाले भाइयो ओर दूसरे भारतीयोसे मेरी प्राथना हे कि यदि आपको धीरज न हो, आपसे अपना पैसा न छूटता हो तो आपको मेहरबानी करके बिना अर्जी कानूनकी शरण चले जाना चाहिए। इससे आपके द्वारा समाजका कम नुकसान होगा और आप स्वय कम डरपोक कहलायेगे। यदि सभी भारतीयोकी बुद्धि पलट जाये और सबके सब डर जाये तब भी मै तो यही सलाह देनेवाला हूँ।

पत्रका असर कैसे दूर हो?

उपयुक्त पत्रसे होनेवाला नुकसान कम या दूर कैसे हो, इसका उपाय खोजे। इस पत्रमे कहा गया है कि ब्रिटिश भारतीय सघ जो लडाई लड रहा है उसमे सभी भारतीय शामिल नही ह। दरअसल यह बात है भी ठीक। इससे अब यह दिखाना सघका कतव्य हो गया कि सघके कितने लोग एकमत है। समय आनेपर 'पीतल हे या सोना' यह अपने-आप साबित हो जायेगा। लेकिन सच्चे मनुष्यको अपनी सच्चाई ढाकनी नही पडती। इस विचारसे हमीदिया इस्लामिया अजुमनमे श्री गाधीने सुझाया कि हम कानूनके पूरी तरह खिलाफ है, वह हमे मजूर नही हे, ऐसी एक छोटी सी अर्जी हर भाषामे तयार करवाई जाये और उसपर सब भारतीयोके हस्ताक्षर करवाये जाये। ऐसा करनेसे निसन्देह लडाईको बहुत बल मिलेगा।

१ सर्वश्री स्टैगमान एसेलेन और रॉस द्वारा लिखा गया पत्र, देखिए "भीमकाय प्रार्थनापत्र", पृष्ठ २३७-४०।

इस विचारको मौलवी साहब, श्री उमरजी साले वगैरह सज्जनोने स्वीकार किया। लेकिन एम० एस० कुवाडियाका मत विरुद्ध होनेसे इसे अगले रविवार तक मुल्तवी रखा है। मै आशा करता हूँ कि अगले रविवारको यह सर्वानुमतिसे पास हो जायेगा। इसी खयालसे आप सबको नीचे लिखे अनुसार सूचना देनेकी अनुमति मागता हूँ। यदि प्रस्ताव मजूर होगा तो

१ अर्जी हर गावमे भेजी जायेगी।
२ हस्ताक्षर दो कागजोपर लिये जाये और हस्ताक्षरकर्ताका नाम, धधा और उसका पता दिया जाये।
३ हस्ताक्षर लेनेवाले भाईका नाम अर्जीके कोनेमे लिखा हो। यह हस्ताक्षर लेनेवालेकी गवाही होगी।
४ अर्जीको ठीक तरहसे पढाये बिना किसीसे हस्ताक्षर न लिये जाये।
५ अर्जीको साफ रखा जाये और जैसे जैसे मूल और प्रतिलिपि दोनोपर हस्ताक्षर होते जाये वे कागज सघको भेजे जाये।
६ इस अर्जीपर हस्ताक्षर करवानेका काम १० दिनमे समाप्त होना चाहिए।
७ हस्ताक्षर करवानेके लिए स्वयसेवक तैयार रखे जाये, जिससे समय बरबाद न हो।
८ इस अर्जीपर हस्ताक्षर करनेवालेका मन दृढ हो और वह अततक टिकना स्वीकार करे तब वह हस्ताक्षर करे।
९ यदि कुछ ही हस्ताक्षर होगे तो यह अर्जी सरकारको भेजी ही नही जायेगी।
१० इस सूचनाको देखते ही हर गाववाले अपने गावकी भारतीय आबादीकी सख्या तार या पत्रके द्वारा सघको सूचित कर देगे तो बहुत अच्छा होगा और समयकी बचत होगी।

यह अर्जी यदि सरकारको न भी भेजी जाये तो भी हस्ताक्षर लेनेसे हमे यह पता तो चल ही जायेगा कि लोगोमे सचाई और हिम्मत कितनी है। यदि ज्यादातर लोगोमे सचाई नही होगी तो हम हर्गिज नही जीतेगे। इसके साथ मै यह भी स्वीकार करता हूँ कि एक दफा अर्जीकी बात उठाई जानेके बाद यदि हम उसे न भेजे तो उससे हमारी उतनी ही कमजोरी जाहिर होगी। लेकिन जो खुदापर भरोसा रखते है वे अपनी कमजोरी जाहिर होनेसे डरनेके बजाय खुश होते है। खरे और खोटे रुपयोके ढेरमे से खोटे रुपयोको निकाल डालनेमे बुद्धिमानी है। उतना बोझ कम उठाना होगा। ये सब बिलकुल सीधी बाते है। इसलिए तुरन्त ही समझमे आ जानी चाहिए।

हमारे कुकृत्य

हमीदियाकी पिछली सभा देखकर मुझे यह विचार आता है कि हमारी नामर्दीके साथ हमारे कुकृत्य भी प्रकट हो जायेगे। यह तो हो ही नही सकता कि कानूनके बारेमे एक तरफ तो हम खुदापर यकीन रखे और दूसरी तरफ लुच्चे और धोखेबाज रहे। हमारी लडाई इतनी शुद्ध है। प्रिटोरियामे एक हिदू है। उसके सम्बधमे कहा जाता है कि उसने शराबकी दूकानमे एक भारतीयको इतनी बुरी तरह मारा कि वह बेसुध हो गया। मारनेवाले-पर अबतक मुकदमा नही चला है। इसका नतीजा क्या होगा, मै नही जानता। लेकिन उसने मारा है, यह बात सब जानते है। जोहानिसबगमे कुछ भारतीयोपर एक गरीब

भारतीयको लूटनेका आरोप है। भारतीय लुटा, इसमे तो कोई शक नही। जिनपर इल्जाम लगाया गया है, उनका निश्चित कहना है कि वे निर्दोष है। एक और भारतीय पकडा गया है। उसपर नकली सिक्के बनानेका आरोप हे। इन घटनाओसे यह सिद्ध होता हे कि हममे से कुछ लोगोमे चरित्रकी कमी हे। इसप मियाने समितिमे भाषण देते हुए कहा कि इस तरहकी बाते होनी ही नही चाहिए। और दीवानी दावे तथा झगडे हो तो उन्हे भी वकील या सरकारका खजाना भरे बिना अपने घरमे निबटा लेना चाहिए। मै मानता हूँ कि इस बातपर बहुत ही सावधानीसे अमल किया जाना चाहिए। इस लडाइके परिणामस्वरूप यदि हम हिन्दू मुसलमानका भेद भूल जायेगे, आन्तरिक झगडे खत्म कर देगे, और यदि हुए भी तो उन्हे घर ही घरमे निबटा लेगे और दूसरे कुकम भी छोड देगे, तो तेरह हजार भारतीयोकी सारे ससारमे तारीफ होगी और उनके नाम खुदाकी बहीमे सदाके लिए दज हो जायेगे। एक भारतीय सिफ बदला लेनेके लिए ही दूसरे भारतीयपर दोषारोपण करता है, यह मामूली बात नही मानी जा सकती। एक आदमी दूसरेको पीटता है, यह कोई छोटी क्रूरता नही हे। कोई भी भारतीय शराब पीता है, यह कम बेइज्जतीकी बात नही। जरासे प्रयाससे इन बुरी आदतोको मिटाया जा सकता हे। नये कानूनका खात्मा करनेके लिए इस गन्दगीको दूर करना भी मै जरूरी मानता हूँ।

पहले दर्जेकी बग्घी

जोहानिसबर्ग नगरपालिका पहले दर्जेकी बग्घीमे भारतीयोको न बठने देनेके लिए नियम बना रही है। उसके विरोधमे ईसप मियाने सख्त पत्र[1] लिखा है। उस नियममे अब और यह सुधार (या बिगाड) किया जानेवाला है कि जो भारतीय वकील या डाक्टर हो वह उस बग्घीमे बैठ सकता है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय वकीलको गलेमे पटिया लगाकर पहले दर्जेकी गाडीमे बैठने जाना चाहिए? यदि वह ऐसा न करे तो गाडीवान उसे किस तरहसे पहचान सकेगा? वकील भले फटेहाल हो, फिर भी वह पहले दर्जेकी बग्घीमे बैठ सकता है, लेकिन अच्छी पोशाकवाला व्यक्ति, यदि वह वकील या डॉक्टर नही है तो नही बैठ सकता। इस बेहूदे सशोधनके विरोधमे श्री ईसप मियाने दूसरा पत्र[2] लिखकर कहा है कि इस तरहके सुधार करना जलेपर नमक छिडकनेके समान है। ऐसे सशोधन भारतीय नही चाहते। नये पजीयन लेनेवाले इस कूडा प्रस्तावसे चौक जायेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–९–१९०७

१ देखिए "पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको", पृष्ठ १९९।
२ देखिए "पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको", पृष्ठ २०९।

१७९ पत्र [1] एशियाई पजीयकको

[जोहानिसबग
सितम्बर ११, १९०७]

[सेवामे
एशियाई पजीयक]

महोदय,

सवश्री मुहम्मद इब्राहीम, बूसा कारा, करावली और इसा इस्माइलको पिछले महीनेकी २७ तारीखको शाति रक्षा अध्यादेशके अन्तगत उपनिवेशसे चले जानेका १४ दिनका नोटिस मिला था। तदनुसार मेरे मुवक्किलोने इस मासकी २ तारीखको डेलागोआ बेके तीसरे दर्जेके टिकट खरीद लिए और इस प्रकार नोटिसोकी शर्ते पूरी करनेकी कारवाई की। किन्तु वे कोमाटीपूटमे हिरासतमे ले लिये गये और पुतगाली प्रदेशमे घुसनेसे रोक दिये गये। ट्रान्स वालकी सीमापर जो सार्जेंट था उसने डेलागोआ बेमे उनका प्रवेश करानेका प्रत्यन किया, उसका कोई फल नही निकला। इसके बाद मेरे मुवक्किल कोमाटीपूटमे, जैसा वे कहते हैं, पाच दिन तक जेलमे रखे गये। उसके बाद सार्जेंट उनके लिए डबनके टिकट लाया। उनके डबन होकर गुजरनेके लिए नौरोहण पासोके प्राथनापत्र देनेपर उन्हे हुक्म हुआ कि वे ११ पौड जमा करे और अपना टिकट जोहानिसबगमे खरीदे। मेरे मुवक्किल मुझे सूचित करते है कि वे बहुत गरीब ह, इसलिए वे न यह रुपया जमा कर सकते हैं और न जोहानिसबगमे अपने टिकट खरीद सकते हैं। उनके रेलवे टिकिट मेरे पास है। यदि आप मुझे कृपा करके यह बता देगे कि मेरे मुवक्किलोको अब क्या करना है तो मै कृतज्ञ हूँगा। वे देशसे जानेके लिए बिलकुल तैयार ह, बशर्ते कि उनके लिए व्यवस्था की जा सके। म नम्रतापूवक यह भी जानना चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किलोको कोमाटीपूट जेलमे क्यो रखा गया।[2]

[आपका, आदि,
मो० क० गाधी]

[अग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकड्स सी० ओ० २१९/१२१

१ यह १४-९-१९०७के **इडियन ओपिनियन**में छपा था। इसकी एक प्रतिलिपि श्री रिचने ७ अक्टूबरको भारत उपमन्त्रीको भेजी थी।

२ पजीयकने इसका उत्तर दिया था कि "चूँकि इन लोगोको कोई ऐसी जगह नही मालूम थी जहाँ वे रह सकें", इसलिए उनको पुलिसकी कोठरीके उपयोगकी अनुमति दी गई थी, और पुलिसका यह कार्य बिलकुल भारतीयोके हितमें था। आवश्यक व्यवस्था होनेपर ये लोग बादमें डर्बनको रवाना हो गये, देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ २७०।

१८० न घरके न घाटके

हम अन्यत्र एक पत्र[1] छाप रहे है जो एशियाइयोके पजीयकको उन कतिपय भारतीयोके बारेमे लिखा गया है, जो ट्रासवाल खाली कर देनेकी सूचना मिलनेपर और डेलागोआ बेमे प्रवेश करते हुए, बाहर निकाल दिये गये है। उन लोगोको ट्रासवालमे रहते हुए कमसे कम एक महीनेके कारावासकी सजा होनेका खतरा है। उनका कहना है कि वे इतने गरीब है कि नेटाल जानेके जहाजी-पासोके लिए रकमे जमा नही करा सकते। अब वे क्या करे? इसपर अपनी राय देनेसे पूव हम सरकारी जवाबके इन्तजारमे है। इसी बीच, जो तथ्य सामने आये है उनसे पता चलता है कि एशियाई पजीयन अधिनियमका भारतीयोके लिए क्या मतलब है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४–९–१९०७

१८१ क्या दशा होगी?

यदि इतनी मेहनत करनेके बाद भारतीय कणधार तूफानी लहरोको देखकर जेलकी लडाई रूपी नौका छोड देगे तो क्या दशा होगी, इसका उदाहरण श्री रिचकी ओरसे प्राप्त पत्रसे सब समझ सकेगे। फिर भी यह किस तरह, इसपर विचार कर ले।

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिका हमपर विश्वास जम गया है। इसलिए वह समिति अब खुलेआम सहानुभूति बताने लगी है। समितिके नामसे श्री रिचने प्रधानमन्त्रीको पत्र[2] लिखा है। उसमे हम जो-कुछ माग रहे है उसका हूबहू चित्र खीचा है। यह लडाई मामूली फेरफारके लिए नही लडी जा रही है। लोहेकी बेडीपर जरा सा मुलम्मा चढानेके लिए हम पानीके समान पैसा नही बहा रहे है। श्री रिचने साफ कहा है कि कानून रद किया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी जो मागे की है उन्हे पाठक ध्यानपूवक देख ले। अब किनारेपर पहुँची हुई नौकाको यदि भारतीय कणधार छोड देगे तो उन्हे कितनी हाय लगेगी! वे भारतीयोके नामके — भारतीयोकी लाजके रखवाले है। उन्होने आगसे बाजी लगाई है। उसमे यदि थोडा बहुत चटका लगता है तो डरना नही चाहिए। डरेगा सो मरेगा।

'सटरडे रिव्यू' के सम्पादकने जो कुछ कहा है उसपर विचार करे। वह बहुत ही प्रभावशाली और पुराना अखबार है। वह यद्यपि अनुदार दलका है, फिर भी जोशके साथ लिखता है कि भारतीय समाजने कानूनके वश न होने और जेल जानेका जो प्रस्ताव पास किया है, वह ठीक है। अंग्रेजी राज्य उन्हे छोड दे तो यह बडी बदनामीकी बात होगी। यहाँतक पहुँच जानेके बाद क्या अब भारतीय नेता यह दिखायेगे कि उनकी लडाई ऊपर

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२ देखिए परिशिष्ट ५।

ही ऊपर थी ? क्या अपने पैसेके लोभमे अधे होकर वे हजारोके पेटमे भाले भोकेगे और सारी प्रजाको जनानी और नकटी साबित करेगे ?

'नेशन' बहुत स्वतन्त्र अखबार माना जाता है। उसका उदार दलपर पूरा प्रभाव है। उसके नाम एक परिचित लिखावटवाले अग्रेजने लिखा हे कि भारतमे जितनी हाय तोबा और नाराजी ट्रान्सवालके भारतीयोपर होनेवाले जुल्मोके कारण हो रही है उतनी और किसी बातसे नही हुई। इससे सिद्ध होता है कि इस लडाईमे यदि भारतीय कायर बनेगे तो वे भारतको नुकसान पहुँचायेगे। ट्रासवालके भारतीयोने जो निश्चय किया है और जिसके बारेमे इतना प्रचार हुआ है, वैसा पहले कभी भारतमे भी नही हुआ। अत भारतीय नेताओके लिए बहुत जरूरी है कि वे अपनी जिम्मेदारी समझे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–९–१९०७

१८२ "कानूनके सामने मोम"

प्रिटोरिया आदि नगरोके "अग्रणी भारतीयो" की ओरसे जो अर्जी[1] भेजी गई है उसे हम बहुत शम और अफसोसके साथ इस अकमे प्रकाशित कर रहे है। इस कदमको हम बहुत कमजोर मानते ह, और इसका मुख्य दोष श्री हाजी कासिमको देते है। उनका नाम प्रत्येक भारतीय मण्डलमे आता रहता हे इसलिए उसे प्रकाशित करनेमे हमे झिझक नही है, बल्कि प्रकाशित करना हम एक कतव्य समझते है। यद्यपि हम श्री हाजी कासिमको दोष दे रहे है फिर भी हम समझते है कि उनकी जैसी स्थितिके दूसरे भारतीय इस प्रकार कदापि न करते, सो नही कहा जा सकता। इसलिए उनकी बदनामीको हम सभीकी बदनामी समझते है।

अर्जीकी भाषा दीनताभरी और गुलामोको फबनेवाली है। हम "कानूनके सामने मोम" है इस प्रकारके शब्दोका उपयोग करनेमे, हम समझते है, हमने खुदाके प्रति अपराध किया है। हमारी बागडोर थामनेवाला वह एक ही है, तब उसीको शोभा देनेवाली भाषा हम अत्याचारी शासकोके लिए कैसे बरत सकते है ?

जो मागे की गई है वे बेसिर-पैरकी है। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तविक लडाईको हमने समझा ही नही है। ऐसा ही लेख हम पहले भी दे चुके है।[2]

अब हम श्री हाजी कासिम तथा उनके साथियोसे इतना ही पूछते है कि क्या उनकी समझमे इतनी सी बात नही आती कि उनकी तुच्छ अर्जीके कारण भारतीयाकी प्रतिष्ठा घटती है और उनकी टेकको धक्का पहुँचता है ? यदि यह बात ठीक हो तो ऐसा काम करनेके बाद बचे हुए पैसेको वे किस कामका मानेगे ? इसलिए अब भी यदि समय हो तो हमारी उनसे विनती है कि समाजकी भलाईके लिए वे अपना बलिदान दे। क्या जैसे सरकार भारतीयोकी अर्जी नही सुनती श्री हाजी कासिमकी सरकार भी नही सुनेगी ?

१ यहाँ नही दी गई है।

२ देखिए जोहानिसबर्गकी चिट्ठी , पृष्ठ २२३ २६ ।

यदि ऐसा ही हो तो, श्री हाजी कासिमकी प्रजासे, यानी उनके शब्दोपर चलनेवाले भारतीयोसे, हमारा कहना है कि इस समय दूसरोकी ओर न देखकर अपनी ही हिम्मत और खुदापर नजर रखनी है। हरएकको किसी भी भारतीयका पक्ष न लेकर खुदाका पक्ष लेना है। उसीके हाथमे अपनी लाज और आबरू रखकर जमकर काम करना है। हमे आशा है कि प्रत्येक भारतीय स्वतन्त्र रूपसे विचार करेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–९–१९०७

१८३ रिचका प्रयास

श्री रिचने हद कर दी है। उनका परिश्रम अगाध है। उन्होने 'टाइम्स' के नाम एक पत्र लिखा था जो तारसे प्राप्त हुआ हे। उसका अनुवाद[1] अन्यत्र दिया गया है। वह पढने योग्य है।

एक ओरसे कोई-कोई भारतीय लडाई छोडकर ढीले पडने लगे है। दूसरी ओरसे श्री रिच और समिति हमारे लिए पूरी ताकतसे प्रयत्नरत है। श्री रिचके पत्रपर टीका करते हुए 'लन्दन टाइम्स' ने ट्रान्सवाल सरकारको जो कोडे लगाये है उनका प्रभाव होना ही चाहिए। विलायतमे जब इतने सुन्दर ढगसे लडाई की जा रही है तब ट्रान्सवालके भारतीयोको तो हिल मिलकर साहसके साथ खुदापर भरोसा रखकर अपने निर्णयको निबाहना ही है। यह स्पष्ट हिसाब है। हमारी प्रार्थना है कि इस बातको कोई भारतीय न भूले।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–९–१९०७

१८४ भारतीयोकी परेशानी

चार भारतीयोको ट्रान्सवाल छोडनेका आदेश दिया गया था। डेलागोआ बे जाते हुए उनको ट्रान्सवालकी सीमासे आगे नही बढने दिया गया और जेलमे रखकर उन्हे बडा कष्ट पहुँचाया गया। इसके बारेमे श्री गाधीने पजीयकको पत्र[2] भेजा है। वह हमने अन्यत्र दिया है। ये लोग ट्रान्सवालसे बाहर जानेके लिए राजी ह, फिर भी जा नही सकते। यदि ट्रान्सवालमे रहते है तो एक महीनेकी जेलकी सजाके पात्र बनते ह। इस हालतमे वे क्या करे? भारतीयोको ढीला समझकर सरकार उन्हे परेशान करना चाहती है, इसके सिवा इसका और क्या अर्थ हो सकता है? एशियाई पजीयन कानूनको लागू करके सरकार क्या करना चाहती है यह इस मामलेसे साफ हो जाता है। क्या भारतीय लोग अब भी नरम रहकर यह सब सहन करते रहेगे?

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–९–१९०७

१ यहाँ नही दिया गया।
२ देखिए "पत्र एशियाई पजीयकको", पृष्ठ २२७।

१८५ कानूनका विरोध — एक कर्तव्य [२]

इस शीर्षकसे थोरोके लेखका कुछ भाग[१] हम दे चुके है। शेष निम्न प्रकार हे

समझदार व्यक्ति मदकी तरह ही काम करेगा। दूसरेके हाथका खिलौना नही बनेगा। अमेरिकाके इस शासनको टिकाये रखनेका जो मनुष्य प्रयत्न करता है उसे नामद समझा जाये। जो राज्य गुलामोपर शासन करता हे उसे मै अपना राज्य नही मान सकता। जब बहुत अत्याचार हो तब अत्याचारी राज्यका मुकाबला करना मनुष्य जातिका अधिकार हे। कुछ लोगोका कहना है कि अमेरिकाका वतमान शासन उतना अत्याचारी नही है। अर्थात स्वय उनपर आक्रमण नही हो रहा है। और यदि दूसरोपर हो रहा है, तो ऐसा कहनेवालोको इस बातकी परवाह नही है।

जिस प्रकार प्रत्येक यत्रमे थोडा बहुत जग[२] लगा रहता है उसी प्रकार प्रत्येक शासनमे जग रहता है। उस जगको दूर करनेके लिए विरोध करनेकी आवश्यकता भले कभी न पडे, परन्तु जब जग ही यत्र बन जाये, जब जुल्म ही कानूनका रूप ले ले तब वह राज्य मर्दोको बर्दाश्त नही हो सकता।

प्राण देना पडे तब भी न्याय एव सत्यका पालन करना चाहिए। मैने यदि डूबते हुए व्यक्तिसे तूबा छीन लिया हो, तो मुझे अपनी जान देनी पडे तब भी वह तूबा उसे वापस देना चाहिए। उसी प्रकार यदि अमेरिकाका राज्य डूबता हो तब भी गुलामोको मुक्त किया जाना चाहिए।

हम कहा करते है कि किसी काममे सुधार करनेके लिए लोग हमेशा तैयार नही होते। परन्तु सुधार करनेमे हमेशा समय लगता है, क्योकि सुधारक लोग, जो ज्यादा नही होते, एकदम बहादुर नही बन जाते। इस बातकी चिन्ता नही कि आपके जसे सभी मनुष्य भले नही बन सकते। किन्तु समाजमे कुछको तो बिलकुल स्वच्छ होना चाहिए। जिस प्रकार खमीरकी एक बूद सारी रोटीको खमीर चढा देती है, उसी प्रकार वे अपनी सात्विकता समाजपर चढा देते है। ऐसे तो हजारो है जो विचारसे गुलामीके विरुद्ध है परन्तु व्यवहार बिलकुल उलटा करते है। वे सब वॉशिग्टनके वशज कहलाते है, परन्तु जेबमे हाथ डाले हुए मौज उडाते रहते है। अधिक किया तो अर्जिया और भाषण दे दिया करते है।

ससारमे सत्यके पीर — माननेवाले — तो हजारमे नौ सौ निन्यानवे व्यक्ति होते है, आचरण करनेवाला एक ही होता है। किन्तु सत्यको माननेवालेसे सत्यका आचरण करनेवालेका, भले वह एक हो तो भी, मूल्य अधिक होता है। खजानेकी रक्षा करनेवाले बहुतेरे खडे हो तो भी वे उसमे से एक पाई भी नही दे सकते, जबकि मालिक एक ही हो तो वह सारा खजाना लुटा सकता है।

मनुष्य सत्यके पक्षमे मत दे तो वह सत्यका आचरण करनेके बराबर नही है। जब बहुत से लोग गुलामी रद करनेके लिए मत दे तब यह समझिये कि गुलामी रद करना

१ देखिए "कानूनका विरोध — एक कर्तव्य [१]", पृष्ठ २२०-२२।

२ गाधीजीने 'फ्रिक्शन' (घर्षण) के लिए इस शब्दका प्रयोग किया है। देखिये उद्धरण, "सक्रिय अवज्ञाका धर्म", पृष्ठ २१५।

शेष रहा ही नही। उससे यह समझना चाहिए कि रद करनेवाले सच्चे व्यक्ति उसकी नीव पहले ही डाल चुके थे।

मै यह नही कहता कि प्रत्येक मनुष्यको जहा कही भी झूठ दीख पडे, उसे दूर करना ही चाहिए। कि‍तु इतना मै निश्चित रूपसे कहता हूँ कि उसे स्वय तो असत्यमे हाथ बँटाना ही न चाहिए। निश्चय कर लेनेके बाद जबतक मनुष्य मात्र उसके अनुसार आचरण नही करता, तबतक उसमे क्या मजा आयेगा?

यदि कोई मेरा माल चुराकर ले जाता है, तो म यह कहकर नही बैठा रहता कि यह चोरी हुई सो ठीक नही हुआ, बल्कि चुराये गये मालको वापस प्राप्त करने और दुबारा चोरी न हो इसके लिए प्रयत्न करता हूँ। जो मनुष्य अपने कथनके अनुसार आचरण करता है वह और ही प्रकारका बनता है। वह न देशकी परवाह करता है, न सगे सम्बन्धीकी परवाह करता है, न मित्रोकी, बल्कि सत्यकी सेवा करते हुए उपर्युक्त सभी लोगोकी सेवा करता है।

हम स्वीकार करते है कि कानून अत्याचारपूण है। क्या हम उसका विरोध करेगे? साधारणतया लोग कहते है कि जब बहुमत उन कानूनोको नापसन्द करेगा तब वे रद होगे। उनका कहना है कि यदि वे विरोध करे तो कानूनसे होनेवाली बुराईकी अपेक्षा विरोधसे उत्पन्न बुराई अधिक बुरी होगी। किन्तु वैसा हो तो वह दोष विरोध करनेवालेका नही है, अधिकारीका है।

मै बेखटके कह सकता हू कि मैसाच्युसेटसमे गुलामीके विरुद्ध, भले वह एक ही मनुष्य हो, उसे गुलामीको बनाये रखनेमे कर देकर अथवा और किसी भी तरहसे मदद नही करनी चाहिए। दूसरे उसकी राय नही अपनाते तबतक उसे खराब काम नही करते रहना चाहिए। क्योकि वह अकेला नही है। खुदा सदा उसके साथ है। यदि मै दूसरोकी अपेक्षा सच्चा हूँ तो मै उन सभीकी तुलनामे बढकर हूँ। मुझे हर वष एक बार इस राज्यका अनुभव होता है। मेरे पास कर लेनेवाला आता है। उस समय मुझे कर देनेसे इनकार कर ही देना चाहिए।

मै जानता हूँ कि इस मैसाच्युसेटसमे एक ही **सच्चा** वीर गुलामीके विरोधके निमित्त कर न देकर जेल जाये तो उसी दिनसे गुलामीकी बेडी टूटने लग जायेगी। जो चीज सही तरीकेसे की जाये उसे ही वास्तविक रूपमे सफल माना जायेगा। कि‍तु हम तो लम्बी लम्बी बाते करके मान लेते ह कि बाते करना ही हमारा काम है। गुलामी समाप्त करनेके आन्दोलनका समथन करनेवाले बहुतसे समाचारपत्र ह, परन्तु उनमे मद एक भी नही है।

जिस राज्यमे लोगोको गलत आधारपर जेलमे रखा जाता है उस राज्यमे न्यायी और भले लोगोका घर जेल है। इसलिए मसाच्युसेटमे भले मनुष्योको आज जेलमे होना चाहिए। जिस राज्यमे गुलामीकी प्रथा हो वहा मनुष्य जेलमे ही स्वतन्त्र है। वही उसकी प्रतिष्ठा है। जो लोग यह मानते है कि भले मनुष्य यदि जेल चले जायेगे तो पीछे अन्यायके विरोधमे आन्दोलन करनेके लिए कोई नही रहगा, उन्हे पता नही है कि आन्दोलन किस प्रकार चलता है, न उन्हे इस बातका ही भान है कि सत्य असत्यसे कितना जोरदार होता है। जेल भोगनेवाले तथा अन्यायके जुल्मका अनुभव करनेवाले जेलमे रहकर जितना काम कर सकेगे उतना जेलसे बाहर रहकर नही कर सकते। विरुद्ध राय रखनेवाले थोडेसे लोग जबतक दूसरी रायके बहुजन समाजके साथ घुलते मिलते रहेगे तबतक उन्हे विरुद्ध विचारके नही कहा जा सकता। उन्हे तो अपनी सारी शक्ति विरुद्ध गति पैदा करनेमे लगानी चाहिए।

मैं अपने पडोसियोसे बातचीत करता हूँ तो उनके कथनसे पता चलता है कि उन्हे भय है, यदि वे विरोध करे तो उनका सब कुछ चला जायेगा और उनके पत्नी बच्चे दर दरकी ठोकरे खायेगे। यदि मुझे स्वय अपने लिए या अपने परिवारके लिए राज्यपर निभर रहना पडे तो मैं निराश हो जाऊँगा।

मुझे लगता है कि अत्याचारी राज्यके सामने झुकना लज्जाजनक है। उसका विरोध करना आसान और अच्छा है। आज छ वषसे मैंने कर नही दिया। इस कारण एक बार एक रातके लिए मुझे जेलमे रखा गया था। मैंने जब इस कैदखानेकी दीवारो और लोहेके दरवाजोको ध्यानसे देखा तब मुझे राज्यकी मूखताका अनुमान हुआ। क्योकि मुझे कैद करनेवालोकी तो यही धारणा होगी कि मै केवल हड्डी और मासका बना हुआ हूँ। वे मूख यह नही जानते कि मै दीवारोसे घिरा हुआ होनेपर भी औरोकी अपेक्षा मुक्त हूँ। मुझे नही लगा कि मै कैदमे हूँ। मुझे तो यही लगा कि जो बाहर हैं उन्हीकी स्थिति कैदीकी है। वे मुझ तक नही पहुँच सके इसलिए उन्होने मेरे शरीरको सजा दी। ऐसा करनेसे मै अधिक मुक्त हो गया और राज्य-शासनके प्रति मेरे विचार और भी भयकर बन गये। मने देखा कि छोटे बालक जब किसी मनुष्यका कुछ नही बिगाड सकते तब उसके कुत्तेको सताते है। उसी प्रकार राज्य मेरा कुछ नही बिगाड सकता इसलिए मेरे शरीरको तकलीफ देता है।

मैंने यह भी देखा कि शरीरको तकलीफ देनेमे भी राज्य डरता था। इसलिए राज्यके प्रति मेरे मनमे जो कुछ सम्मान था वह चला गया।[1]

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४-९-१९०७

१८६ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

अभागे भारतीय

भारतीय जहा भी हो वही उनकी दुदशा है। अभी अमेरिकासे आवाज आई है कि वाशिग्टामे काम करनेवाले मजदूर भारतीयोकी नामद गोरोने पिटाई की है। उनमे से चार भारतीय जरमी हुए ह और शेषमे भगदड मची हुई है। मारनेवाले इन गोरोको मैं नामद मानता हूँ। क्योकि, उनमे से हजारो लोग निरपराध मजदूरोपर चढ दौडे, यह कोई बहादुरीका काम नही माना जायेगा। जो अपनेसे कमजोरपर जुल्म करता है वह नामद है। हमारी कहावत है कि कुम्हार नाराज होता है तो गधेके कान उमेठता है। ये नामद गोरे भी वैसे ही है। ये लोग चूकि उन गोरोका कुछ नही कर सकते जो इन भारतीयोको नौकर रखते है, इसलिए नौकरोपर अत्याचार करते ह। बहादुर तो उसे ही कहेंगे जो अपनेसे ज्यादा बलवानका मुकाबला करता है।

वाशिग्टनके महापौरने भारतीय मजदूरोसे कहलवाया है कि वे उनकी रक्षा करेंगे, वे अब खुशीसे अपनी नौकरियोपर वापस चले जाये। उन्होने इन मजदूरोकी रक्षाके लिए विशेष

१ इसके बाद यह सम्पादकीय टिप्पणी दी गई थी 'चालू तथा गताकमें आया हुआ यह लेख पुस्तिकाके रूपमें आगामी सप्ताहमें प्रकाशित होगा। मूल्य ६ पेनी, डाकखच सहित ७ पेनी ।

पुलिस तैनात की हे। इससे महापौर महोदयकी प्रतिष्ठा बढती है। यह भी खबर मिली है कि इग्लैडका वैदेशिक विभाग भी उनकी सार-सँभाल करता हे।

इस हमलेका अथ इतना ही होता है कि भारतीय स्वय बहादुर होगे तभी विदेशोमे निभा सकेंगे। गोरे तो हमेशा लाते मारते ही रहेंगे और उनसे बडी या दूसरी कोई सरकार उन्हे बचानेवाली नही है। जो भीरु होकर बैठ जायेंगे, उनकी खुदा भी सहायता नही करता। हम यदि शेर चीतोके बीच बसे तो दो ही बाते हो सकती ह। सच्ची हिम्मत तो यह कहलायेगी कि उनसे डरा न जाये। शेर-चीतोको भी भगवानने पदा किया हे। उनकी ओरसे निभय वही रह सकते है जो सच्चे बहादुर ह, या फिर जो सच्चे भक्त है। सच्चे भक्त अपनी भक्ति द्वारा लम्बे समयमे यह सिद्धि प्राप्त कर सकते ह। दूसरे वगकी हिम्मत है — शेर चीतोके सामने हथियार लेकर खडे होना। उसमे भी शरीरकी जोखिम तो उठानी पडती ही हे। गोरोके बीच बसनेवालोकी स्थिति ऐसी ही हे, और आगे भी ऐसी ही रहेगी। जिन लोगोको इसका भय हो, उ हे अपने पेटके लिए परदेश नही जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हमे साधारणत दूसरे वगकी हिम्मतकी जरूरत है। श्रीमती एनी बेसेटकी[१] नीतिके अनुसार छोटे बडे सभी भारतीयोको कुश्ती आदि व्यायाम सीखकर शरीरसे स्वस्थ बनना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हमारे मनमे स्वाभिमानकी भावना जागे और हम भी मद है इसका भान हो।

पोलकका पत्र

'स्टार' समाचारपत्रमे एक अग्रेजी लिखनेवाले भाईने लिखा है कि भारतीय व्यापारी कुल मिलाकर और दूसरोकी तुलनामे विश्वसनीय है। इसलिए उन्हे गोरे व्यापारी रकम दिया करते ह। लेकिन इस पत्र लेखकने यह भी कहा है कि चूकि भारतीय व्यापारियोके पैसोका उपयोग ट्रान्सवालमे नही होता इसलिए उन्हे निकालकर बाहर कर देना चाहिए। इसके उत्तरमे श्री पोलकने एक लम्बा पत्र लिखा है। उसमे उन्होने बताया है कि भारतीयोको भूमि सम्बन्धी और दूसरे अधिकार नही है इसलिए उनके पैसेका ज्यादा उपयोग इस देशमे नही होता। उन्होने इसका उदाहरण दिया है कि पाचेफस्ट्रूमके अग्निकाण्डके समय जो च दा एकत्रित किया गया था उसमे मदद देनेके लिए भारतीयोने क्या कहा था। समूचे भारतीय प्रश्नकी उन्होने अच्छे ढँगसे चर्चा भी की है।

पजीयन कार्यालय

पजीयन कार्यालयकी यात्रा होती ही रहती है। दूसरे गावोको अब बधाई देनेकी भी आवश्यकता नही रही। सवत्र एक ही हलचल चल रही है। सभी लोग अनुमतिपत्र कार्यालयका बहिष्कार कर रहे है। यह कदम सही रहा है। इसमे अब ज्यादा हिम्मत करनेकी जरूरत नही। जो अ तिम कसौटीपर खरे उतरेंगे वे बधाईके पात्र होगे।

अफवाहे

आये दिन तरह तरहकी अफवाहे उडा करती है। कोई कहता है मेमनोने पजीयनपत्र ले लिये है, कोई कहता है कोकणी कायर हो गये ह, फिर कोई कहता है कि प्रिटोरियामे

१ एनी बेसेंट, (१८४७–१९३३) सुप्रसिद्ध थियोंसफिस्ट, १९१७ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसकी अध्यक्ष, 'रिलीजस प्रॉब्लेम इन इडिया' (भारतकी धार्मिक समस्या) तथा अन्य पुस्तकोंकी लेखिका।

सूरती मुसलमानो और हिन्दुओमें काला टीका लगवानेकी हलचल हो रही है। कसौटीका समय जैसे जैसे नजदीक आयेगा, वैसे वैसे ये अफवाहे उडती ही रहेगी। डरपोक अपने डरकी छूत दूसरेको लगा देते है।

बेहूदा धमकी

देखनेमे आता है कि हममे ऐसे भी भारतीय है जो अपने घरवालोसे नाराज होते है तो कहते है "यदि तू अमुक काम नही करेगा तो मै पजीकृत हो जाऊँगा।" ऐसी धमकीपर हँसना और रोना दोनो आ सकते है। मेरे लिए यदि तुम कुछ न करोगे तो मै गढेमे गिर पडूगा। इसमे तुम्हारा क्या बिगडेगा सो समझमे नही आता। इसलिए जिन्हे ऐसी धमकी दी जाये वे उन शूरवीरो'से साफ कह दे कि गुलामीके कार्यालयका दरवाजा सदा ही खुला है। मै स्वय तो चाहता हूँ कि जो अपनी मर्दानगी खो बैठे है वे पजीकृत हो जाये। इससे सच्चे शत प्रतिशत सच्चे उतरेगे। 'ब्लूमफॉटीन फ्रेंड' नामक पत्रने सच कहा है कि ट्रान्सवालके जहरी कानूनके सामने कायर झुक जायेगे और मद खुले सिर जूझेगे। हमने जेल सम्बन्धी पुरस्कृत गीतमे देखा है कि "क्या हम चोर, चुगलखोर, ठग, बदमाश बनकर रहे?" मुझे अत्यन्त ही खेदपूवक कहना पडता है कि वह समय आ रहा है जब कानूनकी शरण जानेवालोकी कतार यही मानी जायेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४-९-१९०७

१८७ पत्र डब्ल्यू० वी० हल्स्टेनको

[जोहानिसबग]
सितम्बर १७, १९०७

सर विलियम वॉन हल्स्टेन, ससद-सदस्य
पो० आ० बॉक्स ४६
जोहानिसबग

महोदय,

गत १४ तारीखको ब्रिटिश भारतीय सघके अवतनिक सहायक मन्त्रीने जो पत्र आपकी सेवामे भेजा था, उसके बारेमे आपके गत १६ तारीखके पत्रकी प्राप्ति स्वीकार करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।

मेरा सघ जिस समाजका प्रतिनिधि है उसको आपने यह सलाह देनेकी कृपा की है कि वह इस उपनिवेशके कानूनोके पालन करनेमे सहायता करे। मै इस सत्यकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि अभीतक इस समाजने वैसा ही किया है और तबतक वैसा ही बराबर करता रहेगा, जबतक कि ऐसे कानून उस समाजकी धार्मिक भावनाओको ठेस नही

पहुँचाते और उसका अकारण अपमान नही करते। एशियाई पजीयन अधिनियमके बारेमे ब्रिटिश भारतीयोको मेरे सघने बेशक यह सलाह दी है कि वे उसके आगे न झुके, क्योकि, मेरी नम्र रायमे, उनका प्रथम कतव्य यह है कि वे उस उच्चतर धमके आगे सिर झुकाये जो मानव जातिको आत्मसम्मान और सच्चाई तथा गम्भीरतासे की हुई घोषणाओका आदर करनेका आदेश देता है। पजीयन अधिनियमको स्वीकार करनेसे, मेरी रायमे, भारतीयोकी सारी मर्दानगी छिन जाती है और वे नास्तिक बनते है, और इस बुनियादी सवालकी ओर आपका ध्यान दिलानेके विचारसे ही १४ तारीखका पत्र आपकी सेवामे भेजा गया था। किसी जिम्मेदार ब्रिटिश भारतीयके लिए अँगुलियोके निशान देनेसे बचनेके लिए समाजको जीवन मरणके सघषमे उतर पडने और समस्त सासारिक सम्पत्तिका त्याग कर देनेकी सलाह देना लडकपन होगा।

मेरे सघको उस धमकीका पूरा पता है, जिसका आपने अपने भाषणमे, जो इस पत्र-व्यवहारका विषय है, इस्तेमाल करना उचित समझा है और जिसे आपने अपने इस पत्रमे भी दुहराया है। लेकिन मै यह कहनेके लिए क्षमा चाहता हूँ कि उस धमकीका उन लोगोपर कोई असर नही होगा जिन्होने अपने-आपसे यह सत्य कभी नही छिपाया कि सरकार कानून पालन करानेकी शक्ति ही नही रखती बल्कि कह भी चुकी है कि वह पालन करायेगी। कानूनका इस तरह अमल कराना उसके लिए श्रेयस्कर होगा अथवा मेरे देशवासी यदि दढ रहे तो अकारण कष्ट सहन करनेके कारण यह सारा श्रेय उन्हीको मिलेगा, यह ऐसा प्रश्न है जिसे भावी सन्ततिके निणयके लिए बखूबी छोडा जा सकता है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गाधी
अवैतनिक मन्त्री
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

१८८ तार गो० कृ० गोखलेको

[जोहानिसबग,
सितम्बर २१, १९०७ के पूव]

[सेवामे
गो० कृ० गोखले[१]
कलकत्ता]

तारके[२] लिए ब्रिटिश भारतीय सघका धन्यवाद। बहुत प्रोत्साहन मिला। प्रतिष्ठा, धम और गम्भीरतापूवक ली गई शपथको रखनेके लिए अन्ततक लडेंगे। जितनी सहानुभूति मिल सके सब चाहिए। सब दलोकी सवसम्मत स्वीकृति और सहायता मागते है। सघष अबाध प्रवेशका नही, बल्कि जो यहा रहने ओर आनेके अधिकारी है उनके आत्मसम्मानका है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–९–१९०७

१८९ भीमकाय प्रार्थनापत्र[३]

[जोहानिसबग
सितम्बर २१, १९०७ के पूव]

सेवामे
माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

हम नीचे हस्ताक्षर कर्ता ट्रान्सवालवासी भारतीय उस पत्रसे अपना पूण मतभेद प्रकट करते है जो आपको प्रिटोरिया, पीटसबग, स्टैंडटन और मिडलबगके कुछ प्रमुख भारतीयोकी ओरसे स्टैगमैन एसेलेन और रूजकी पेढीने ३० अगस्त १९०७ को एशियाई कानून सशोधक विधेयक सख्या २ सन १९०७ के सम्बन्धमे भेजा है।

१ महान भारतीय राजनीतिज्ञ माननीय गोपाल कृष्ण गोखले (१८६६–१९१५)। देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१७-१८।

२ देखिए 'भारतसे कुमुक", पृष्ठ २४३ ४४।

३ हस्ताक्षरोके लिए यह प्रार्थनापत्र हिन्दी, गुजराती, तमिल तथा अग्रेजीमें प्रसारित किया गया था ऐसा प्रतीत होता है। यह वस्तुत १ नवम्बरको ४५५२ भारतीयोके हस्ताक्षर करवानेके बाद दिया गया था, देखिए "पत्र उपनिवेश सचिवको", पृष्ठ ३२० २१।

हम सादर निवेदन करते है कि जो विषम स्थिति उत्पन्न हो गई हे उसका प्रतिकार केवल इस अधिनियमको पूरी तरह रद करनेसे ही हो सकता हे, उससे कम किसी कार-वाईसे नही। हमारी विनीत सम्मतिमे अधिनियम हमारे आत्मसम्मानको गिराने तथा हमारे धर्मोपर प्रहार करनेवाला है और इसको खतरनाक मुजरिमोके सम्ब धमे ही लागू करनेका खयाल किया जा सकता हे। इसके अतिरिक्त हमने जो गम्भीर शपथ ली हे उसके कारण हमारे लिए, साम्राज्यके सच्चे नागरिको और ईश्वरसे भय करनेवाले लोगोके रूपमे, अधिनियमके विधानके सम्मुख न झुकना आवश्यक हो गया है, भले ही हमे इसके परिणाम कुछ भी क्यो न भुगतने पडे, और जो, हम समझते है, जेल, निर्वासन, और हमारी जायदादकी बरबादी या जप्ती या इनमे से कोई भी हो सकते ह।

हमने यह ऊपरकी बात इसलिए नही कही है कि हम बडे पैमानेपर ब्रिटिश भारतीयोके गुप्त प्रवेशके आरोपोकी जाच कराना नही चाहते, या उन कागजातको पास रखनेसे इनकार करते है जिनसे सरकारकी सम्मतिमे हमारी काफी शिनाख्त हो सकती है।

इसलिए हम सादर प्राथना करते है कि सरकार कृपा करके ट्रा सवालके भारतीयोको मनुष्याके रूपमे और इस स्वत त्र एव स्वशासित उपनिवेशके योग्य नागरिकोके रूपमे मा यता दे।

आपके आज्ञाकारी सेवक,

उक्त प्रार्थनापत्रपर हस्ताक्षर प्राप्त करनेके सम्बन्धमे निर्देश

१ सब हस्ताक्षर स्याहीसे किये जाये।

२ प्रत्येक कागजपर ५० व्यक्तियोके हस्ताक्षरोकी जगह है। इसलिए प्रत्येक कागजपर ५० से अधिक व्यक्तियोके हस्ताक्षर न लिये जाये।

३ हस्ताक्षर दो प्रतियोपर लिये जाये।

४ पतेके खानेमे गलीकी और जहा सम्भव हो बाडेकी क्रम-सख्या दे। जिस शहरमे हस्ताक्षर कराये जाये उसका नाम केवल एक बार दिया जा सकता है।

५ कागजको मैला न होने देनेकी बहुत सावधानी रखी जाये।

६ हस्ताक्षर यथासम्भव ऐसे किये जाये कि वे स्पष्ट पढे जा सके। जो नाम अग्रेजीमे न हो, उनको हस्ताक्षर करानेवाला व्यक्ति नीचे अग्रेजीमे लिख दे। जहा हस्ताक्षरकर्ता केवल गुणाका चिह्न लगाये वहा हस्ताक्षर करानेवाला व्यक्ति उस गुणाके चिह्नकी साक्षी दे।

७ हस्ताक्षरकर्त्ताको प्राथनापत्र पढाये बिना, या यदि वह कोई भाषा न पढ सकता हो तो उसको पढकर सुनाये बिना, हस्ताक्षर कदापि न कराये जाये।

८ हस्ताक्षर करानेवाला व्यक्ति कागजके नीचे अपने हस्ताक्षरोके लिए खिची हुई रेखापर हस्ताक्षर करे।

९ दोनो प्रतिया यथासम्भव शीघ्र म त्री, ब्रिटिश भारतीय सघ बॉक्स ६५२२, जोहानिसबगको भेज दी जाये।

१० सब हस्ताक्षर अधिकसे अधिक ३० सितम्बर तक भेज दिये जाये।
११ लोगोपर कोई दबाव न डाला जाये ओर जो बिलकुल अततक अधिनियमको न माननेके निश्चयका पालन करनेके लिए तैयार न हो, उसको हस्ताक्षर करनेकी आवश्यकता नही हे।
१२ कागजोकी घडी बनाई न जाये, बल्कि वे पुलिन्दा बनाकर रखे जाये और पुलि दे के रूपमे ही भजे भी जाये।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१९० भीमकाय प्रार्थनापत्र

ट्रा सवालके भारतीय सरकारको एक भीमकाय प्राथनापत्र देनेका आयोजन करनेके लिए बधाईके पात्र है। पिछले सप्ताह दुर्भाग्यसे हमे जो पत्र[1] उद्धत करना पडा था, उसका यह पूरा जवाब है। प्राथियोने हमेशाके लिए मुख्य मुद्देको, जहातक सम्भव हो सका है, सक्षेपमे लिपिबद्ध कर दिया हे। उ होने स्पष्ट कि तु आदरपूण भाषामे स्थानीय सरकारको आगाह कर दिया है कि सिवा एशियाई पजीयन कानूनको वापस लेनेके किसी और तरह इस मुसीबतसे पार पा जाना सम्भव नही है। इसके साथ ही वे यह भी कहते है कि कानूनको वापस लेनेकी दरखास्तका यह मतलब नही है कि वे एशियाइयोके चोरीसे भर आनेके इल्जामकी जाचसे डरते है। और न वे उन अनुमतिपत्रोको, जो इस समय उनके पास ह, बदलनेसे इनकार ही करते है। इसलिए बुनियादी मुद्दा यह हे कि भारतीय लोग साम्राज्यके आत्माभिमानी नागरिक स्वीकार किये जाये या नही। हमारे सहयोगी 'स्टार' ने अभी उस दिन भारतीयोको ताना दिया था कि उ होने अपने इग्लैडके मित्रोको आ दोलनके सही मुद्देसे गुमराह कर दिया है, और उसने बताया था कि ब्रिटिश भारतीय सिफ अँगुलियोके निशान देनेके खिलाफ लड रहे ह। जब 'स्टार' ने यह लिखा था लगभग तभी श्री रिचने, जो दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके अथक परिश्रम करनेवाले म त्री है, इस बारेमे लकाशायर डेली पोस्ट' को एक पत्र लिखा था। उसमे से निम्नलिखित अश हम यहा दे रहे है

> **बेशक यह सच है कि एशियाई पजीयन कानून यह चाहता है कि ब्रिटिश भारतीय और अ य एशियाई शिनाख्तके लिए पजीयन कराये। और इस कानूनको लागू करनेकी शर्तोमे दसो अँगुलियोके निशानोका देना भी शामिल है, जो एक ऐसी एहतियात है जिसका सम्ब ध पूण रूपसे अपराधियोसे है। लेकिन इस कानूनकी वजहसे ट्रा सवालके हमारे भारतीय साथियोको जिस अपमानका बोझ उठाना पडता है उसे पूरी तरहसे समझनेके लिए यह जान लेना जरूरी है कि यह खास अपमान एक सयोगमात्र है और अगर हम उस बडे सिद्धा तसे इसकी तुलना करे जिसके अनुसार साम्राज्यकी सभ्य प्रजा होनेके नाते ट्रा सवालके ब्रिटिश भारतीय समाजको सभ्य व्यवहार पानेका अधिकार है, तो यह इतनी महत्त्वकी नहीं प्रतीत होगी। और इस कारण भारतीय उन मौलिक**

१ यह संकेत सर्वश्री स्टैगमान, एसेलेन और रूज द्वारा लिखे गये पत्रकी ओर है। देखिए पिछला शीर्षक।

अधिकारोंमें दस्तंदाजी और उनके छिननेकी आशंका होनेपर अपने शासकोंसे उनकी रक्षाकी आशा रखते हैं।

भारतीयोंका दावा इससे अधिक स्पष्ट भाषामें पेश नहीं किया जा सकता।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१९१ वीनेन परवानेकी अपील

ऐसा कभी कभी ही होता है कि व्यापारिक परवाना अधिकारियों और परवाना निकायके निर्णयोंसे हम सहमत हो सकें, लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि श्री भायातका मामला[1] कठिन था तब भी परवाना अधिकारी और निकायका निर्णय सिद्धान्त रूपमें निर्दोष था। परवाना अधिकारी श्री इंग्रामने अपने निर्णयके पक्षमें पूरी और स्पष्ट दलीलें दी थीं और हमें भी उनके इस कथनपर विश्वास है कि अगर प्रजातिकी दृष्टिसे स्थिति इससे उलटी होती तो भी उनका निर्णय यही होता। उपनिवेशमें जिस पूर्वग्रहका बोलबाला है उसको देखते हुए हमारे देशवासियोंको यह बात पक्की तरह समझ लेनी चाहिए कि दक्षिण आफ्रिकामें नहीं तो कमसे-कम नेटालमें उनके लिए अबाध व्यापारकी सहूलियतें मिलना असम्भव है। हमारी रायमें कमसे कम जिस सुविधाका आश्वासन दिया जा सकता है, और जिसपर किसी भी कीमतपर जोर देना चाहिए, वह यह है कि मौजूदा परवानोंकी पवित्र वस्तुकी भांति हिफाजत की जाये, लेकिन नई अर्जियोंके बारेमें, जैसी कि हमारी समझमें श्री भायातकी अर्जी थी, यही कह सकते हैं कि स्थानीय लोकमत, परवानोंके वितरण और मांग तथा उसकी पूर्तिकी मात्रासे परवाना अधिकारीको बहुत कुछ मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसमें शक नहीं कि कानूनकी सहायताके बिना भी किसी जातिके लिए यह छूट है कि वह किसी भी वर्ग या कितने ही व्यापारियों या दूसरोंका, जिन्हें वह नहीं चाहती, बहिष्कार कर दे। लेकिन जब द्वेषकी आगको भड़कानेके लिए कानूनकी मदद ली जाती है, तब बहिष्कार असहनीय हो जाता है और उस बुराईको दूर करनेके लिए और मजबूत हाथोंकी जरूरत होती है। साथ ही, श्री भायातके जैसे मामले बिना सहानुभूति उत्पन्न किये नहीं रह सकते। यहां एक ऐसा व्यक्ति सामने आता है, जिसका सब वर्गोंके लोग आदर करते हैं, जो एक लम्बे अर्सेसे योग्य व्यापारी रहा है, जिसने ब्रिटिश सरकारकी, उसी प्रदेशमें जिसमें वह व्यापारी-परवाना चाहते हैं, काफी मदद की है और ऐसी कोई नैतिक या आर्थिक बात नहीं है, जिसकी बिनापर उसकी अर्जी नामंजूर कर दी जाये। लेकिन जहां विरोधी स्वार्थ उठ खड़े होंगे और जहां निजी स्वार्थको सामने रखकर कोई खास नीति अपनाई जायेगी, वहां ऐसे कठिन मामले हमेशा होते रहेंगे। इसलिए इसके शिकार होनेवाले लोगोंके लिए यही दूरदर्शिता है कि वे वस्तुस्थितिको पहचानें और अपनी ताकतको इस तरह साधें कि अपने मौजूदा अधिकार और आत्मसम्मानके अपहरणका मुकाबला कर सकें।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३७०१, ३७४५ और ३८४५।

१९२ ट्रान्सवालकी लडाई

इस बार हमने श्री रिच द्वारा भेजे गये पत्रोका अनुवाद दिया है। उसपर प्रत्येक पाठकको पूरा ध्यान देना चाहिए। विलायतके नये कानूनके सम्बन्धमे बहुत बडी लडाई चल रही हे। इस लडाईकी जडमे केवल भारतीयोका साहस हे। विलायतके मुख्य व्यक्तियोको कुछ कुछ भरोसा होने लगा हे कि भारतीय जो कुछ कह रहे हैं उसे करेगे भी। ऋण विधेयक (लोन बिल) के समय भारतीय सवालोको लेकर जैसी चर्चा हुई वैसी चर्चा हमने कभी नही देखी। यदि हम कहे कि दोनो पक्षोके अधिकारोके सम्बन्धमे इतने जोशसे बोलनेका पिछले पचास वर्षामे यह पहला उदाहरण है, तो कोई अत्युक्ति नही होगी। श्री लिटिलटन अनुदार दलके नेता हैं। वे कभी उपनिवेश मन्त्री थे। उन्होने बहुत ही जोशसे हमारे हकोका समथन किया था। सर चार्ल्स डिल्क सुविख्यात उदारदलीय सदस्य हैं। एक बार उनके प्रधान मन्त्री बननेकी सम्भावना थी। उन्होने स्पष्ट कहा कि बडी सरकारको बीचमे आना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त श्री बोनरला, श्री काक्स, श्री ओ० ग्रेडी आदि सदस्योने जो भाषण दिये वे सब हमे प्रोत्साहित करनेवाले ह।

समाचारपत्रोको देखा जाये तो 'लन्दन टाइम्स', 'याकशायर पास्ट', 'आब्जवर', ओर 'पाल माल गजट' आदि समाचारपत्रोने हमारे पक्षमे सरत लेख लिखे ह। सर चार्ल्स ब्रूसने तो हद कर दी हे। उन्होने बडी सरकारको जबरदस्त तमाचा लगाया है।

भारतीय समाजने पजीयन कार्यालयका बहिष्कार किया हे। उतने ही से यदि यह सब हुआ है तो जब भारतीय जुल्मी तरीकेसे जेल ले जाये जायेगे तब क्या विलायत भरमे शोर न मच जायेगा? फिर, सर हेनरीके उत्तरपर विचार करे तो भी स्पष्ट है कि उन्होने बीचमे पडनेसे इनकार नही किया है, बल्कि इतना कहा है कि फिलहाल वैसा समय नही आया है। इसका अथ यही होगा कि भारतीय समाज यदि आखिरतक जोर कायम रखकर जेल या निर्वासनका कष्ट सहन करेगा, तो बडी सरकार चुप नही बैठेगी। इन लक्षणोसे भी, जिन्हे सरसरी तोरसे देखनेवाला व्यक्ति भी देख सकता है, यदि हम न समझे और हिम्मत न रखे तो हमारी जितनी बेइज्जती की जाये उतनी कम है। इसीके साथ हमे यह भी याद रखना चाहिए कि यदि हम इस लडाईको अब छोड देगे तो जो शक्ति हमारे पक्षमे लगाई जा रही हे वही शक्ति हमारे विरोधमे लगाई जायेगी। हमे इसमे खुदाका हाथ दिखाई दे रहा है। खुदा सदैव मनुष्य अथवा अन्य साधनोके द्वारा ही मदद करता है। अत भारतीयो जागते रहो।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१–९–१९०७

१९३ नेटालका परवाना कानून

वीनेनमे श्री भायातने परवाना निकायके सम्मुख परवानेके लिए अपील[1] की थी। खेद है कि उसमे वे हार गये। श्री भायातका मुकदमा बडा मजबूत था। वे वसीलेवाले व्यापारी है। लडाईमे उन्होने सरकारको सहायता दी थी। उनके पास दोलत हे। ऐसे व्यक्तिको, यह हो ही नही सकता कि किसी भी कानूनके अन्तगत, परवाना न मिले।

फिर भी हमे स्वीकार करना चाहिए कि परवाना निकायका निणय वतमान परिस्थितिको देखते हुए अन्यायी नही माना जा सकता। हम लोगोको इतना याद रखना जरूरी हे कि नेटाल अथवा दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय समाज बिलकुल स्वतत्रतासे व्यापार नही कर सकता। परवाना-अधिकारी आसपासके लोगोकी मनोदशाको और व्यापारियोकी सख्याको देखकर भारतीय व्यापारीको परवाना दे अथवा न दे, वतमान स्थितिमे इसका विरोध करना निरथक हे। समझदार मनुष्यका काम यह है कि परिस्थितिपर विचार करके कदम उठाये, और अपने आसपास जो घटनाएँ घटे उनका खयाल रखे। भारतीय समाजपर बहुतेरी आफते टूट रही है। उनमे से किसको अधिक महत्त्व दिया जाये यह पहले ही निश्चित कर लेनेकी बात हे। हमारे लिए इस समय मुख्य आवश्यकता प्रतिष्ठा की हे। वह मिलेगी, तो ओर सब आसानीसे मिल जायेगा। प्रतिष्ठाकी रक्षा करते हुए जिन अधिकारोका इस समय हम उपभोग कर रहे है उन्हे हमे बनाये रखना चाहिए। इसलिए इस समय जो परवाने वापस लिए गये है उनपर डटे रहे, ओर अन्य हानि सहन करके एव जेलमे जाकर भी मौजूदा परवानोको कायम रखे। यदि भारतीय समाज इतना प्रयास करेगा, तो हमे भरोसा हे कि नये परवानोका माग अपने आप निकल आयेगा। जबतक हमे कायर समझा जाता है, हमारी निश्चित राय हे कि हमारे अन्य प्रयत्नोका परिणाम कुछ भी नही होगा। इसका मतलब यह नही कि नये परवाने मिलेगे ही नही। जहा परवाना अधिकारी दयालु होगे, अथवा जहा गोरे खिलाफ न होगे वहा निसन्देह नये परवाने मिलते रहेगे। इसका अथ यह है कि मित्रता या प्रीति वहा नही हो सकती जहा एक पक्ष दूसरेको नीचा समझता हे। इसलिए पहला प्रयत्न यह करना होगा कि अपनी प्रतिष्ठाको बनाये रखकर हम मद बने।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २१-९-१९०७

१ देखिए "वीनेन परवानेकी अपील" पृष्ठ २४०।

१९४ भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय

श्री शेलतने कुछ दिनो तक बडे मनोयोगके साथ पुस्तकालयकी देखरेख की और अब दूसरी जगह जानेके कारण इस्तीफा दिया है। उनकी जगहकी पूर्ति श्री तार मुहम्मद सुमारने की है, और श्री जूसब उस्मानने उनकी सहायता करना स्वीकार किया है। हम इन दोनोको बधाई देते हैं। समाजसे बिना कुछ लिए सामाजिक काम करनेवाले बहुतसे लोग सामने आने चाहिए। यह हमारी कमजोरीका लक्षण है कि हमे यह खयाल बना रहता है कि अमुक व्यक्तिके चले जानेके बाद काम किस तरहसे चलाया जा सकेगा। श्रम करने ओर नियमित रहनेकी दृष्टिसे श्री दीवानकी जगह भरना बहुत कठिन बात है, फिर भी हम आशा करते हैं कि श्री तार मुहम्मद तथा श्री जूसब उस्मानने जो काम लिया है, उसे वे पूरे मनो योगके साथ करेंगे।

पुस्तकालय शिक्षणका एक प्रतीक है। यह सिद्ध करना जरूरी नही है कि उससे बहुत लाभ होता है, इसलिए इस पुस्तकालयको चलाते रहना हरएक भारतीयका कतव्य है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–९–१९०७

१९५ भारतसे कुमुक

माननीय प्रोफेसर गोखलेका समुद्री तार

माननीय प्रोफेसर गोखलेका नीचे लिखा समुद्री तार जोहानिसबग ब्रिटिश भारतीय सघके नाम आया, सो हमे प्रकाशनाथ प्राप्त हुआ है

> **आपकी लडाई म सतत देखता रहता हूँ। चिंतातुर होकर मन उधर ही लगा रहता है। अत्यत सहानुभूति है। लडाईकी तारीफ करता हूँ। दढ़ मनसे खुदाकी मर्जीपर भरोसा रखना।**

माननीय प्रोफेसर गोखलेको हर भारतीय देशभक्त जानता है। वे भारतके केन्द्रीय विधान-मण्डलके सदस्य हैं। उनके तारसे प्रत्येक भारतीयको लाख गुना और जोश आना चाहिए। प्रोफेसर गोखलेने तार भेजा है, इसका अथ यह हुआ कि अब सारे भारतमे रग जमेगा और भारत पूण रूपसे मदद करेगा।

तारका उत्तर

तार मिलते ही ब्रिटिश भारतीय सघकी बैठक बुलाई गई। उसमे श्री ईसप मिया, श्री कुवाडिया, श्री अहमद मूसाजी, श्री फैंसी, श्री उमरजी साले, इमाम अब्दुल कादिर,

श्री मुहम्मद आदमजी, श्री अली उमर, श्री अहमद हलीम, श्री कासिम मूसा, श्री अलीभाई आकुजी, श्री शाह, श्री मूसाजी अहमद, श्री दाऊद इस्माइल, श्री अहमद ईसे, श्री इस्माइल सुलेमान, श्री डाह्या रामा, श्री कामा और श्री मोमणियात उपस्थित थे। प्रोफेसर गोखलेको निम्न तार[1] भेजनेका प्रस्ताव सवसम्मतिसे स्वीकार किया गया

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१–९–१९०७

१९६ अँगूठा निशानीका कानून

इसमें और ट्रान्सवालके कायदेमें हाथी और घोड़े जैसा अन्तर है।[2]

सम्पादक
इंडियन ओपिनियन

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१–९–१९०७

१ यहाँ तार गो० कृ० गोखलेको का अनुवाद दिया गया है देखिए पृष्ठ २३७।

२ गांधीजीने यह वाक्य गुजराती साप्ताहिक दैनिक समाचारपत्र **सांझ वर्तमान**से निम्नलिखित उद्धरण प्रस्तुत करते हुए लिखा था

बम्बईमें अंगूठा निशानी

'बम्बई गजट'के पाठकोंके विचार स्तम्भमें एक शिकायत की गई थी और वह हमने अपने पत्रमें उद्धृत की थी। शिकायत यह थी कि उच्च न्यायालयके पंजीयन विभागको लक्ष्यमें रखकर एक कानून लागू किया गया है जिसके अनुसार सब गैर-यूरोपीयोंको अंगूठेकी निशानी देना आवश्यक होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शिकायत निराधार है। यह कानूनकी उस प्रतिसे प्रकट हो जाता है जिसे सरकारने व्यवस्थापिका परिषद्में श्री ओ० पी० दीक्षितके प्रश्न करनेपर अवलोकनार्थ मेजपर रखा है। इस कानूनके अन्तर्गत, यदि कोई व्यक्ति किसी किस्मके दस्तावेजको इस विभागमें पंजीयित कराना चाहता है तो उसे उस दस्तावेजपर सीधे हाथके अंगूठेकी निशानी लगानी होगी और अंगूठा निशानीकी सरकारी पंजिकामें भी निशानी देनी होगी। इस सम्बन्धमें निम्न नियम बनाये गये हैं

(१) दस्तावेजको पंजीयित करानेवाला व्यक्ति शिक्षित और पंजीयकका परिचित व्यक्ति हो तो उसकी अंगूठा निशानी नहीं ली जायेगी।

(२) जो दस्तावेजका पंजीयन कराये वह कोई यूरोपीय महिला हो या कोई ऐसा सज्जन या सम्मानित व्यक्ति हो जिसकी शिनाख्तके बारेमें कोई शक न हो सके तो अंगूठा निशानीकी आवश्यकता न होगी।

(३) जिन व्यक्तियोंके दायें हाथके अंगूठेका उपयोग किसी कारण नहीं हो सकता उनको बायें हाथके अंगूठेकी या वह सम्भव न हो तो किसी अंगुलीकी ही निशानी देनी होगी।

(४) यह निशानी पंजीयकके सामने ली जायेगी।

१९७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

नया कानून

क्रूगसडॉर्प और जीरस्टने दूसरे शहरोंके समान ही कर दिखाया है। मैं कहना चाहता था कि उन्होंने भी वैसी ही बहादुरी बताई है। लेकिन यदि बहादुरी शब्दका प्रयोग हम बहिष्कारके लिए करेंगे तो जब सच्चे बहिष्कारका समय आयेगा तब कौन-सा शब्द काममें लायेंगे? हम सब जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एक गाँवमें गुलामीका टीका नहीं लगवाता तो दूसरे किसी गाँवमें लगवा सकता है। काला टीका किसीको भी प्यारा नहीं लग सकता। इसलिए सब राह देखते बैठ सकते हैं कि देखें, जोहानिसबर्ग क्या करता है। इस तरहकी प्रतीक्षामें यदि अधिकांश लोग बैठे होंगे तो हमारे पापका घड़ा अवश्य फूट जायेगा और उसके नीचे भारतीय कुचल जायेंगे। जोहानिसबर्ग चाहे कुछ भी करे लेकिन जो आजतक हिम्मत रखकर बैठे हैं, वे आखिरतक बैठे रहेंगे तभी ठीक होगा। इसलिए क्रूगसडॉर्प और जीरस्ट यद्यपि अपनी दृढ़ताके लिए धन्यवादके पात्र हैं, फिर भी उनकी और सबकी सच्ची कसौटी अब होनेवाली है।

बाकी कौन रहा?

बॉक्सबर्गमें कार्यालय १७, १८, १९ और २० को रहेगा। जर्मिस्टनमें २४, २५, २६ और २७ को तथा बेनोनीमें १७, १८, १९ और २० को। इन जगहोंपर सरकारकी कृपा मालूम होती है। क्योंकि, हर जगह भारतीयोंको गुलामीका पट्टा लेनेके लिए चार दिन मिलेंगे। लेकिन इन स्थानोंके भारतीय सचेत हैं। इसलिए ऐसा नहीं मालूम होता कि उनमें से कोई अन्यायी पट्टे लेने जायेगा। बॉक्सबर्ग और जर्मिस्टनमें सभाएँ भी की जा चुकी हैं और सभीने हाथ काला करनेका विरोध किया है। इसलिए अधिकारियोंकी "छुट्टीमें" अब भी खलल पड़ना सम्भव नहीं दीखता।

क्या हवा बदली है?

आजतक हर जगह श्री चैमने, श्री जेम्स कोडी, श्री रिचर्ड कोडी तथा श्री स्वीट हवा खाने गये थे। अब चौकड़ी बदली है। ब्लूमहॉफ, वुलमरनस्टाड, लिखतनबर्ग, पीट रिटिफ, अरमीलो, करोलीना, और बेथलमें ये लोग नहीं जायेंगे। वहाँके लिए दूसरे साहब नियुक्त हुए हैं। हर जगह १७, १८ व १९ तारीखको नये अधिकारी हाजिर रहेंगे। ब्लूमहॉफमें श्री हल, वुलमरनस्टाडमें श्री हॉग, लिखतनबर्गमें श्री ज्यूटा, पीट रिटिफमें श्री लेवी, अरमीलोमें श्री केरसवील, कैरोलिनामें श्री जॉन और बेथलमें श्री बैंगले नियुक्त किये गये हैं। यह क्यों किया गया, इस सम्बन्धमें मैं अनुमान नहीं लगाना चाहता। स्पष्ट कारण तो यह मालूम होता है कि वहाँ भारतीयोंकी संख्या ज्यादा नहीं है। दूसरे, ये जगहें अलग अलग हैं और यदि उपर्युक्त चौकड़ीको सब जगह घुमाया जाये तो जोहानिसबर्गपर अक्तूबर महीनेमें धावा नहीं किया जा सकता।

जोहानिसबर्ग पकड़में आया

जोहानिसबगपर १ अक्तूबरको चढाई होगी। यहा त्रिमूर्तिको नियुक्त किया गया है। दो तो कोडी है और तीसरे स्वीट साहब। इसलिए जो जोहानिसबग आजतक शेखी मारता आया हे, उसकी परीक्षाका समय नजदीक आ गया हे। श्री गाधीने प्रिटोरियामे शेखी मारी थी कि कार्यालय पहले जोहानिसबगमे आया होता तो ठीक होता।[1] श्री ईसप मिया और श्री कुवाडियाने भी ऐसा ही कहा था। इसके अलावा श्री ईसप मियाने तो श्री रूसको एक जोरदार पत्र भी लिखा है कि "नेताओ" की ओरसे श्री रूसने जो बेहूदा पत्र लिखा है उससे सघका और खासकर जोहानिसबगका कुछ भी सम्ब-ध नही है। जोहानिसबग सघका केद्रीय स्थान है। वहाके भारतीयोने काननके विरोधमे बहुत-कुछ कहा हे। वही एम्पायर और गेटी नाटकघरोमे दो सभाएँ हुई है।[2] इतना सब होनेके बाद भी क्या जोहानिसबग हार जायेगा? लेकिन अभी तो बडी देर हे। एक पूरा महीना सामने हे। प्रिटोरियामे अतिम दिनोमे ही लोग फिसले थे। इसलिए जोहानिसबगमे अक्तूबरके तीन सप्ताह तो आसानीसे निकल जाना सम्भव है। लेकिन यदि अतिम सप्ताह भी ऐसा ही निकल जाये और एक भी भारतीय पजीयन कार्यालयका नाम न ले तो? इसका जवाब देना जरा मुश्किल है। भैस अभी तो जगलमे ही हे तब इधर सौदेकी बात कसी? लेकिन मै इतना अनुमान तो कर सकता हूँ कि यदि जोहानिसबग पूण बहिष्कार कर सका तो सरकारको कुछ तो विश्वास हो ही जायेगा कि हम आखिरी दम तक लडाई चालू रखना चाहते है। हमे यह अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिए कि यह लडाई हमारी सचाई साबित करनेके लिए है। आज सरकार या किसीको भी यह विश्वास नही है कि हम सच्ची हिम्मतसे लड रहे है। और जबतक हमारे बीच श्री शेख अहमद इशाक जैसे दोनो ओर ढोल बजानेवाले मौजूद है, तबतक विश्वास कैसे हो सकता हे?

पीटर्सबर्गके 'बहादुर'

श्री शेख मुहम्मद इशाककी बात करते समय ही मुझे दूसरी खबर मिली है। वह भी मै पाठकोके सामने रखता हूँ। पीटसबगसे जिन चार 'बहादुर' भारतीयोने गुलामीका पट्टा ले लिया है उसके नाम है ।[3] वहीसे ८६ भारतीयोके हस्ताक्षरोके साथ जो अर्जी भेजी गई थी, मालूम हुआ है, उसपर भी इन चारो महाशयोने हस्ताक्षर किये थे। जबतक यह होता रहे तबतक सरकार किस भारतीयका विश्वास कर सकती है? हम अर्जीमे जो कुछ लिखते है उसे सच्चा कैसे माना जा सकता है? यह भी सुननेमे आया है कि इन महाशयोसे कुछ हलफनामे भी लिये गये है। इस तरहकी गप्पे तो बहुतसी है। कोई कहता है कि उन्होने यह लिखवाया है कि उन्हे श्री गाधीने रोका था, इसलिए उन्होने गुलामीकी अर्जी नही भेजी। कोई कहता है कि उन्होने अपने समाजकी शमके मारे अर्जी नही दी। यदि यह सच हे तो इन हलफनामे देने-वालोको सोचना चाहिए कि क्या उस डर और शमको वे अब नही महसूस करते? इस सबके बावजूद डरपोक विरोधी दलमे भी जा घुसे तो उससे कुछ नही बिगडेगा। यह लडाई ऐसी है कि इसके द्वारा डरपोक बहादुरसे अलग दिखने लगेगे। इसके अलावा यह भी मालूम हो

१ देखिए "भाषण प्रिटोरियामें", पृष्ठ १३९ ४१।

२ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४११ २३।

३ यहाँ मूलमें चार नाम हैं।

जायेगा कि हमे वास्तवमे कौनसा रोग है? आजतक जिस तापमापक यत्रसे गर्मी नापी जाती थी उससे गर्मीका ठीक पता नही चलता था। जेलरूपी तापमापक लगनेसे सबके तापमानका पता चल जायेगा।

इन सब नामोको देते और टीका करते हुए मुझे बहुत दु ख होता हे। क्योकि मेरे भाइयोकी शम मेरी शम है। मेरे भाई यदि चोरी करते ह तो उसका कलक मुझे लगेगा ही। हमारे ही भाइयोकी गलतीसे हमे सारे दक्षिण आफ्रिकामे कष्ट भोगना पड रहा हे। कुछ भारतीय ग दे रहते ह, उससे सबको दु ख उठाना पडता हे। कुछ कजूस ह, तो उसका दाष भी सबपर आता है। कुछ चोरीसे प्रवेश करते ह, इसलिए नया कानून बना हे, और उसका परिणाम हम सबको भोगना पड रहा हे। यह अवसर इतना गम्भीर हे कि इस समय अपने दोषोको छिपानेमे पाप है। हममे जो सडाध हो वह जब ऊपर आ जायेगी तभी हम ठिकाने लगेगे। हमारी चाशनी पक रही है। उसमे ग दगी ऊपर आनी ही चाहिए। यदि गन्दगीको हम दबा देगे तो उबल जानेके बाद सारी चाशनी बिगड जायेगी। इसलिए मेरे नाम प्रकाशित करनेसे यदि किसीको गुस्सा आये तो मै उसके लिए माफी मागता हूँ। मुझे अपना यह कतव्य तो निभाना ही पडेगा।

पीटसबगके चार साहब गुलामीके पट्टे लेनेको टूट पडे तो मेफेकिगके श्री कासिम हाजी तारको लगा कि वे रह गये। अब वे भी पिघल गये है। तब फिर डबनके लजारस (तमिल) और ज़ोजफ (तमिल)की तो बात ही क्या? ये दोनो तमिल भाई भी पजीयनका कलक लगवा चुके है।

पजीयन कार्यालयकी बेचैनी

भारतीय लोग गुलामीका थोडा बहुत दाग लगवा लेते है, इसलिए पजीयन कार्यालय बेचैन हो रहा हे। बारबटनमे एक भारतीयके पास एक भूतपूव अधिकारीका दिया हुआ झूठा अनुमतिपत्र था। उससे वह पकडा गया। वह छ महीनेकी जेल काट रहा हे। बारबटनसे कोरा न जाना पडे इसलिए उस जेलवासीसे अर्जी ली गई हे। हम पूछ सकते है कि ऐसे व्यक्तिसे अर्जी लेनेके पीछे क्या हेतु होगा? जिसके पास अनुमतिपत्र नही है, जिसे रखनेका हक नही है, क्या ऐसे व्यक्तिकी अर्जी लेकर उसका पजीयन किया जायेगा? या फिर 'ब्लूमफॉटीनके मित्र' ['द फ्रेड ऑफ ब्लूमफॉटीन'] के कहे अनुसार सरकार जेलवासी भारतीयोको ट्रा सवालमे रखकर, हकदार और पुराने निवासियोको निकाल देना चाहती है? देखना हे कि ट्रा सवालकी सरकार हकदारके हकोको कैसे डुबाती है।

ॲंगुलियोकी निशानीका नया कानून

इस बारके 'गजट'मे इस आशयका कानून प्रकाशित किया गया है कि जिस व्यक्तिको जेलमे रखा गया हो, वह यदि गवाही दे या दीवानी मामलेके सिलसिलेमे सजा न भोग रहा हो तो, अधिकारी अपनी मर्जीके मुताबिक उसका फोटो, उसकी ॲंगुलियोकी निशानी, और उसका नाम वगैरह ले सकते है। इस सम्ब धमे यहाके यायालयमे इस तरहका एक मुकदमा चल चुका है और उसीपर से यह कानून बनाया गया है। इससे भारतीयोका विशेष सम्ब ध नही है। लेकिन इससे मालूम होता हे कि ऐसा कानून फोजदारी अपराधोपर लागू किया जा सकता है।

क्या स्त्रियोंके अँगूठे लिये जा सकते हैं?

फोक्सरस्टसे श्री मूसा इब्राहीम मसूर लिखते हैं कि एक भारतीय स्त्रीसे पुलिसने अनुमतिपत्र मांगा। वह उसने दिखा दिया। फिर उससे अँगूठेकी निशानी मांगी गई। वह भी उसने अपने सेठके हुक्मसे दे दी। उस स्त्रीने अनुमतिपत्र कहांसे दिया, यह समझमें नहीं आया। स्त्रियोंकी अँगूठा निशानी लेनेका पुलिसको बिलकुल अधिकार न था। पूनियाके मामलेमें[1] निर्णय हो चुका है कि स्त्रियोंको अनुमतिपत्रकी जरूरत नहीं है। इस सम्बन्धमें दूसरी कार-वाई करनेकी आवश्यकता मैं नहीं समझता। लेकिन जहां इस प्रकार होता हो वहां चेतावनी देना ठीक है।

नुकसान कैसे सहन हो?

मुझसे कहा गया है कि नये कानूनकी लड़ाईमें जो नुकसान होगा वह किस प्रकार सहन किया जाये, इस सवालका मैं जवाब दूं। पहले तो जिसे हम नुकसान मानते हैं वह नुकसान नहीं, बल्कि फायदा है। हम सौ रुपयेकी गाड़ी लेते हैं तो उसे नुकसान नहीं मानते, बल्कि यह कहते हैं कि हमें अपने पैसेके बदलेमें यह चीज मिली है। उसी प्रकार हमें अपने पैसे देकर अपने हक खरीदने हैं। जिसे यह विश्वास हो कि ये हक मिलेंगे ही, वह पैसे देनेमें हिचकेगा नहीं। क्योंकि उसे अपने पैसेका बदला मिलनेका भरोसा है। यह ठीक है कि किसी-किसीको यह भरोसा नहीं होगा कि उसे हक मिलेंगे ही। किन्तु फिलहाल तो ऐसे व्यक्ति भी पैसे छोड़ेंगे ही, और सो भी हकोंकी आशामें ही। हम व्यापारमें सदा ही ऐसी जोखिम उठाते हैं। सट्टेमें हार जाते हैं, तो उससे व्यापार बन्द नहीं कर देते। इस कुंजीको याद रखकर यदि हम लड़ाईमें शामिल होंगे तो नुकसानकी बात नहीं करेंगे। महत्त्वकी बात यह है कि हककी लड़ाई समाजके लिए है, लेकिन संकुचित मनके कारण हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि समाजका फायदा हमारा फायदा है। इसके अलावा और भी विचार करें तो देखेंगे कि जेमिसनके हमलेके[2] समय भारतीय अपने पैसे खो बैठे थे, और वैसा ही लड़ाईके[3] समय हुआ था। किन्तु वह लाचारीके कारण हुआ था, इसलिए किसीने विचार नहीं किया। तब क्या अब पैसेकी जोखिमके कारण समाजके भलेकी लड़ाई हम छोड़ दें?

अखबार पढ़कर क्या करें?

इस सवालका जवाब देनेके लिए भी मुझसे कहा गया है। मेरी रायमें तो 'ओपिनियन' इस समय इतना महत्त्वपूर्ण है कि हरएकको उसकी फाइल रखनी चाहिए। लेकिन जिन्हें फाइल रखनेका शौक न हो, या जिन्हें आलस्य आता हो, ऐसे लोगोंको अखबार पढ़कर तुरन्त ही अपने सगे-सम्बन्धियोंको भेज देना चाहिए। यह आवश्यक है। क्योंकि भारतमें हमारी वास्तविक स्थिति जाहिर करनेका यही सरल और सस्ता उपाय है।

हलफनामा कैसा होता है?

जो बहादुर 'पियानो बजाने' [अँगुलियोंकी छाप देने] के लिए पंजीयन कार्यालयमें प्रिटोरिया जाते हैं उनसे हलफनामे लिये जाते हैं। उन हलफनामोंका सारांश मेरे हाथ

१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४६३-६४ और खण्ड ६ पृष्ठ १२६।

२ दिसम्बर १८९५ में, देखिए खण्ड २, पृष्ठ ४१८।

३ १८९९-१९०२ का बोअर युद्ध, देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३७३।

लगा है। उसमें निम्नलिखित शब्द होते हैं "श्री गाधीके सिखानेसे, और एशियाइयोंने पजीयनपत्र नही लिये इससे, मै जुलाई महीनेमे नये पजीयनपत्र लेने नही आया। क्योंकि मुझे डर लगता था। अब मै निवेदन करता हूँ कि मुझे पजीयित कीजिए।" इस प्रकारके कागजपर सही करनेकी किसी भारतीयकी कैसे हिम्मत हुई, समझमें नही आता। इससे पजीयन कार्यालयको क्या फायदा होता हे सो भी मालूम नही होता। चाहे जो हो, लेकिन क्या अब वह डर मिट गया है? श्री गाधीकी सीख तो आज भी वैसी ही हे, और उनका कहना हे कि आखिरी दम तक वैसी ही रहेगी। भारतीय समाजका विचार भी अभी अटल है। लेकिन जिसे गुलामीका पट्टा लेना है उससे दलील किस प्रकार की जाये?

भीमकाय प्रार्थनापत्र

भीमकाय प्राथनापत्रकी[1] नकल और सूचना इसके साथ भेज रहा हूँ। इसके अनुसार अर्जी तेजीसे तैयार होनी चाहिए, जिससे ऊपर बताये हुए हलफनामे आदि खत्म हो जाये। जिसे सही करनेके लिए अर्जी न मिले वह मन्त्रीसे लिखकर मँगवाले। यहा मुझे जो एक उदाहरण याद आ रहा है, वह देता हूँ। सन १८९४ मे जब मताधिकार विधेयक नेटालमे लागू किया गया था तब १०,००० भारतीयोके हस्ताक्षरयुक्त एक अर्जी लाड रिपनको भेजी गइ थी[2] और तब वह विधेयक रद्द किया गया था। इस बातको याद रखे। दूसरी बात यह कि तब अर्जीपर हस्ताक्षर लेनेके लिए सब बडे बडे लोग निकल पडे थे, ओर पन्द्रह दिनमें सारे हस्ताक्षर हो गये थे। किन्तु जब यह मालूम हुआ कि उसकी दा प्रतिया चाहिए तो बीस स्वयसेवकोने बैठकर रातोरात नकल तैयार की थी। नेटालकी लडाई उस लडाईके सामने कुछ नही है। इस अर्जीमे हस्ताक्षर करवानेके लिए निश्चय ही बहुत समथ व्यक्तियो और स्वयसेवकोकी जरूरत है। अर्जीपर हस्ताक्षर लेकर ३० के पहले उसे पहुँच जाना चाहिए। मुझे तभी लाभ दिखाई देता है। आशा है कि कमसे-कम १०,००० भारतीयाके हस्ताक्षर हो जायेंगे।

माननीय प्रोफेसर गोखलेके तारके सम्बन्धमे सघकी बैठक हुई थी। उसमे यह प्रस्ताव भी हुआ था कि अर्जी सब जगह भेजी जाये। श्री कुवाडिया, श्री कामा, श्री फैन्सी, इमाम अब्दुल कादिर और श्री शाहने अध्यक्ष महोदयके बाद भाषण दिये थे।

एक प्रसिद्ध अंग्रेज बहनका पत्र

नीति सुधारक मण्डलकी एक प्रसिद्ध बहन[3] विलायतसे लिखती है

२७ जुलाईका 'इडियन ओपिनियन' मैंने अभी पढा। अब तो मुझसे आपको सहानुभूतिका पत्र लिखे विना नही रहा जा सकता। जब-जब मैंने अखबार पढा है, मेरा मन भर आया है। मैं आपकी लडाईको जबरदस्त और पवित्र मानती हूँ। और जिस ढगसे आप लिखते, बोलते और चलते है उससे मुझे पूरी हमदर्दी है। जिस हिम्मतसे आप लोग वहा आन्दोलन कर रहे हैं उसके लिए मै आपको बधाई देती हूँ।

१ देखिए "भीमकाय प्रार्थनापत्र" पृष्ठ २३९४० ।

२ देखिए खण्ड १, पृष्ठ ११७-२८ ।

३ फ्लॉरेंस विंटरबॉटम ।

छूटे हुए स्वयसेवक

श्री मुहम्मद इस्माइल कानमिया लिखते ह कि हमीदिया अजुमनमे उन्होंने अपना नाम दिया था लेकिन फिर भी वह 'इडियन ओपिनियन' मे प्रकाशित नही हुआ। इससे वे दुखी ह। वह नाम क्यो प्रकाशित नही हुआ, इसका कारण तो सम्पादक और रिपोट भेजनेवाले भाइ जाने। कामकी भीडमे जब सब व्यस्त हो, और ऐसा कोई नाम छूट जाये तो उसे दरगुजर करना चाहिए। लेकिन श्री मुहम्मद इस्माइलको उनके उत्साहके लिए शाबाशी देनी चाहिए। मुझे आशा हे कि ऐसा ही जोश दूसरे भी रखेगे। जोशकी कीमत काम करते समय होगी, इस बातको सभी भारतीय याद रखे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–९–१९०७

१९८ पत्र प्रधानमन्त्रीके सचिवको

जोहानिसबग
सितम्बर २१, १९०७

निजी सचिव
परममाननीय प्रधानमन्त्री
प्रिटोरिया

महोदय

मेरे सघकी समितिकी यह इच्छा हे कि मै प्रधानमन्त्रीका ध्यान समाचारपत्रोमे प्रकाशित निम्नलिखित समाचारकी ओर आकर्षित करूँ—

> **उन्होंने खेद प्रकट किया कि एशियाई अँगुलियोका निशान देने जसी तुच्छ बातका बहाना करके पजीयनका विरोध कर रहे ह। यह गोरे लोगोके लिए लागू किया गया था और म नही समझता कि इस नियमसे किसी को भी कष्ट होगा।**

अगर यह रिपोट ठीक है तो मै परममाननीय महानुभावका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करनेकी धष्टता करता हूँ कि पजीयन अधिनियमके विरोधका मुख्य कारण अँगुलियोके निशान कभी नही रहे ह। यद्यपि इस अधिनियमके बारेमे बहुतसे एतराजोमे यह भी निसन्देह एक गम्भीर बात है, फिर भी मेरा सघ इस बातको खुले दिलसे मजूर करता है कि अपने आपमे अकेली यही बात उस बडे भारी असन्तोषका उचित कारण कदापि नही हो सकती, जिसे इस अधिनियमने जन्म दिया हे। जिन कारणोसे आपत्तिया की जाती ह, उन्हे मै नीचे उद्धत कर रहा हूँ

१ यह महामहिमके प्रतिनिधियोकी पिछली घोषणाओके स्पष्ट रूपसे विरुद्ध है।
२ यह ब्रिटिश एशियाइयो तथा अन्य एशियाइयोके बीच कोई भेद स्वीकार नही करता।

३ यह ब्रिटिश भारतीयोका दर्जा दक्षिण आफ्रिकाकी वतनी और रगदार जातियोसे भी नीचा कर देता है।

४ यह ट्रासवालके भारतीयोकी स्थिति, जैसी १८८५ के कानून ३ के अन्तगत बोअर शासन कालमे थी, उससे भी बुरी कर देता है।

५ यह परवानो तथा जासूसीकी एक ऐसी प्रणाली चलाता है, जिसका अस्तित्व और किसी भी ब्रिटिश इलाकेमे नही है।

६ जिन जातियोपर इसे लागू किया गया है, उनको यह अपराधी अथवा सन्दिग्ध करार दे देता है।

७ भारतीयोके तथाकथित अनधिकार प्रवाससे इनकार किया जाता है।

८ यदि ऐसे इनकारको स्वीकार नही किया जाता तो इस दमनकारी तथा अनावश्यक विधानको अमलमे लानेसे पहले ब्रिटिशो द्वारा इसकी अदालती और खुली जाच होनी चाहिए।

९ अन्य प्रकारसे भी यह विधान ब्रिटिश परम्पराके विरुद्ध है और निर्दोष ब्रिटिश प्रजाजनोकी स्वतन्त्रतापर अनावश्यक पाबन्दी लगाता है और ट्रासवालके भारतीयोको अनिवाय रूपसे देश छोडकर चले जानेका निमन्त्रण देता है।

इस तरह यह ध्यान देनेकी बात है कि इस कानूनको जब पिछले वष पहले पहल पेश किया गया था तब उसपर मुख्य आपत्तियोमे अँगुलियोके निशानोका जिक्र तक नही था। मेरी नम्र रायमे इस अधिनियममे शुरूसे आखिरतक अपराधीपनकी बू आती है और इसके सामने सिर झुका देनेसे ट्रान्सवालके भारतीयोका जीवन असहनीय बन जायेगा।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

ईसप इस्माइल मिया

अध्यक्ष

ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

१९९ पत्र जे० ए० नेसरको

[जोहानिसबर्ग
सितम्बर १४, १९०७]

[श्री जे० ए० नेसर, संसद-सदस्य
पो० आ० बाक्स २२
क्लार्क्सडार्प]

प्रिय महोदय,

खबर है कि आपने एशियाई अधिनियमके बारेमें नीचे लिखे विचार प्रकट किये हैं

एशियाइयोंके बारेमें यह कानून बहुत जरूरी है। अँगुलियोंके निशान लेनेके बारेमें भारतीयोंके एतराजोंको मैं समझ नहीं सकता, क्योंकि उसमें कुछ भी पतनकारी नहीं है। इसका मैं एक ही कारण समझ सकता हूँ कि भारतीय अपनी बिरादरीके उन लोगोंको बचाना चाहते हैं, जो गैरकानूनी ढंगसे ट्रान्सवालमें आये हैं और अब भी आ रहे हैं।

मेरे संघको खेद है कि आपने एशियाई अधिनियमपर भारतीय समाजके एतराजोंको समझनेका कष्ट नहीं किया। मैं अपने संघकी ओरसे जनरल बोथाको भेजे हुए पत्रकी[1] ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरे संघकी रायमें यह अधिनियम केवल सारी पुरुषोचित भावनाओंको ही चोट नहीं पहुँचाता, बल्कि भारतके महान धर्मोंका अपमान भी करता है।

मेरे संघको इस बातपर आश्चर्य है कि आप उस समाजपर, जिसकी नुमाइंदगी मेरा संघ करता है, यह दोष लगाना उचित समझते हैं कि वह उपनिवेशमें अवैध रीतिसे आनेवाले लोगोंको बचानेकी इच्छा रखता है। मुझे विश्वास है कि आप यह नहीं सोचते होंगे कि ब्रिटिश भारतीय समाज अपराधियोंकी रक्षाके लिए वह सब कुछ बलिदान करनेको तैयार है, जो उसे प्यारा है। इसके अलावा, ब्रिटिश भारतीयोंके स्वेच्छया पंजीयन सिद्धान्तको मान लेनेसे ही जाहिर होता है कि भारतीय समाजके लिए अपराधियोंको बचाना सम्भव नहीं है।

[आपका आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय संघ]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

१ देखिए पिछला शीर्षक।

२०० जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[सितम्बर २५, १९०७]

प्लेग-कार्यालयका दौरा

अनुमतिपत्र कार्यालय — मैं भूला, 'प्लेग कार्यालय' — बॉक्सबर्गका चक्कर लगा आया, किंतु एक कैदीके सिवा और कोई भक्ष्य उसे नहीं मिला। 'लीडर' तथा [रैंड] 'डेली मेल' के संवाददाता लिखते हैं कि वहाँके भारतीयोंमें बड़ा जोश है। उनके धरनेदार मजबूत हैं और कार्यालयमें जानेवाले भारतीयको समझाते हैं। कुछ भारतीय कार्यालयके खुलनेतक पहुँच भी गये थे। लेकिन, उन्होंने जब देखा कि क्या हाल होंगे तब वे बिना नाक कटाये वापस हो गये। यह पत्र छपेगा, तबतक जर्मिस्टनमें भी कार्यालय पहुँच जायेगा। लेकिन वहाँ भी किसीके जानेकी बिलकुल सम्भावना नहीं है।

हमीदियाकी सभा

जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, जोहानिसबर्गमें 'प्लेग' के आनेका समय नजदीक आता जा रहा है। इसलिए रविवारको हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी एक जबरदस्त सभा हुई थी। सभाभवन खचाखच भर गया था। इमाम अब्दुल कादिर अध्यक्ष थे। श्री गांधीने बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जीका[1] तार[2] पढ़कर सुनाया और सारी बातें समझाईं। [उन्होंने कहा,] बड़ी अर्जीमें तेजीसे हस्ताक्षर करवानेकी जरूरत है। उसके लिए स्वयंसेवक नियुक्त किये जाने चाहिए। पंजीयन कार्यालयके लिए जो स्वयंसेवक नियुक्त किये गये हैं, उन्हें बहुत ही सावधानी और धीरजसे काम करना चाहिए। किसीको डाँटकर कहना या किसीपर हाथ चलाना स्वयंसेवकोंका काम नहीं है। श्री गिब्सनसे श्री ईसप मियाँकी जो बातचीत हुई थी वह उन्होंने सुनाई और कहा कि श्री गिब्सन और दूसरे गोरे जो कुछ भी कहें, उसे हम बिलकुल न मानें। मौलवी साहब अहमद मुख्त्यारने जोशीला भाषण दिया और कुरान शरीफमें से आयतें सुनाईं, जिनका अर्थ यह है कि ईमानदारको खुदाके दुश्मन या अपने दुश्मनपर एतबार नहीं करना चाहिए। इस समय गोरे दुश्मनका काम कर रहे हैं। इसलिए उनकी पंजीयित होने वगैरहकी सलाहपर बिलकुल भरोसा न किया जाये। उन्होंने आगे कहा हजरत मूसा जैसे पैगम्बरको अपने लगभग एक लाख आदमियोंके साथ बारह वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ा था। उसके बाद ही उन्हें सुख मिला। उसी तरह भारतीय कौमको भी कष्ट उठानेके बाद ही सुख मिलेगा। फिर, पैगम्बर मूसाने खुदापर यकीन रखकर ही फीरोजपर चढ़ाई की थी। उसी तरह यह भारतीय कौम भी खुदाके ऊपर यकीन रखकर ही अपनी शपथका निर्वाह कर सकेगी। नाम, इज्जत और ईमानके लिए सारा धन भी खोना पड़े तो क्या हुआ? इसके बाद अध्यक्ष महोदयने कहा कि भारतसे आज प्रोफेसर गोखले, बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे महापुरुष हमें उत्साह-

१ (१८४८-१९२५), वक्ता और राजनीतिज्ञ, सन् १८९५ और १९०२ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्ष। देखिए खण्ड १ पृष्ठ ३९३-९४।

२ देखिए पृष्ठ २५४ और "तार: सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको", पृष्ठ २५६।

भरे तार भेज रहे हैं। यदि अन्तिम समयमें हम अपनी बाजी बिगाड़ देंगे तो हमें सारे भारतकी लानत सहनी पड़ेगी। इस सभामें यह भी जाहिर किया गया कि ट्रान्सवालमें रहने-वाली तुर्कीकी मुसलमान प्रजाने अर्जी देनेका इरादा किया है। श्री नवाबखाने[1] स्वयंसेवकोंके सम्बन्धमें भाषण दिया। क्लार्क्सडॉर्पसे श्री पटेल आये थे। उन्होंने कहा कि क्लार्क्सडार्पसे हस्ताक्षर आ जायेंगे, इसमें सन्देह नहीं है। श्री अस्वातने कहा, रोजेका महीना अनुमतिपत्रके महीनेमें ही आ रहा है। इसलिए यह न हो कि मुसलमान एक ओर तो रोजा रखें और दूसरी ओर हाथ मुँह काले करके ईमान गँवायें। इस बातका ध्यान रखना है।

सरकारकी चिन्ता

सरकार बहुत चिन्ता दिखा रही है कि भारतीय लोग पंजीयित हो जायें। इस बातसे हमें डरना भी चाहिए और हिम्मत भी लेनी चाहिए। डरने जैसी बात यह है कि सरकार जिस बातके लिए इतनी चिन्ता दिखा रही है वह हमें नहीं करनी है। हिम्मत इसलिए कि सरकारकी चिन्ता उसका भय भी व्यक्त करती है। सरकार चाहे कितने ही कठोर दिलकी हो, फिर भी यह नहीं हो सकता कि सारे भारतीयोंको देश निकाला दे दे या उनके परवाने छीन ले। सरकारने बेलफास्टके मजिस्ट्रेटको जो पत्र भेजा है उसकी प्रतिलिपि श्री सालूजीने भेजी है। उससे मालूम होता है कि मजिस्ट्रेट हर भारतीयको सूचना देगा कि जो लोग पंजीयित न हुए हों वे जोहानिसबर्ग जाकर अक्तूबर महीनेमें गुलामीका चिट्ठा लेकर आ सकते हैं। इससे ज्यादा भीरुता और किसे कहा जाये?

बोथा साहबकी गलतफहमी

बोथा साहबका कहना है कि अँगुलियोंकी छाप देनेके लिए भारतीय समाज इतना लड़ रहा है, यह तो ठीक नहीं। इससे भी यही मालूम होता है कि यदि भारतीय दृढ़ रहे तो सरकार क्या करेगी, वह स्वयं नहीं जानती। लेकिन फिर भी इस गलतफहमीको दूर करनेके लिए श्री ईसप मियाँने संघकी ओरसे नीचे लिखा पत्र[2] भेजा है

बाबू सुरेन्द्रनाथका तार

बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जीका कलकत्तेसे यह तार आया है

> **"बंगालको आपके कष्टों और लड़ाईके प्रति सहानुभूति है और वह आपकी विजय चाहता है।"**

इस तारसे बहुत ही हर्ष हो रहा है। बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको बंगाली विद्यार्थी पूजते हैं। आज २५ वर्षसे वे भारतीयोंके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वे भारतीय प्रशासन सेवाके लगभग पहले भारतीय सदस्य हैं। वे रिपन कॉलेजके आचार्य और 'बंगाली' नामक प्रसिद्ध पत्रके मालिक हैं। कलकत्तेके ब्रिटिश भारतीय संघके वे कई वर्षोंसे मन्त्री हैं। पूना और अहमदाबादमें जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ था तब वे अध्यक्ष थे। भारतमें उनके जैसे भाषण देनेवाले कुछ ही लोग होंगे। उनकी आवाज इतनी बुलन्द है कि दस हजार आदमियोंकी

१ मूलमें नवाबदाख है।

२ यहाँ मूलमें "पत्र प्रधानमन्त्रीके सचिवको", का अनुवाद है देखिए पृष्ठ २५०-५१।

सभामे भी वह सब ओर पहुँच जाती है। स्वदेशी आन्दोलनमे[1] उन्होने बडा काम किया हे। भारतसे ऐसे तार आने लगे है, इसे शुभ चिह्न मानना होगा।

गद्दारोका सघ

इन भाई साहबोकी सख्यामे कुछ न कुछ वद्धि होती जा रही है। सवश्री[2] पवित्र हो चुके है। मुझे लगता हे इन लोगोको जनाना लिबास पहिन लेना चाहिए।

श्री स्टॉकेन्स्ट्रूम

हाइडेलबगमे भाषण देते हुए श्री स्टाकेन्स्ट्रूमने कहा हे कि भारतीय यदि पजीयित नही होते है तो उन्हे परवाने नही दिये जायेगे। कलई खुल चुकी है। पहले जेल थी। जेल मिटकर देश-निकाला हुआ। अब परवानेकी बात चल रही है। भारतीय जब परवानेका डर छोड देगे तब बोथा साहब क्या करेगे?

श्री नेसर

क्लाक्सडॉपमे श्री नेसरने श्री स्टाकेन्स्ट्रूमकी तरह भाषण दिया हे। वे अँगुलीकी निशानीकी लडाईका खण्डन करते हुए कहते है कि भारतीय कोम गैर कानूनी तोरसे आये हुए लोगोको बचानेके लिए लड रही हे। उन्होने यह भी कहा हे कि भारतीय कौम लडाई ही करती रहेगी, तो सरकार उनके व्यापारी-परवाने बन्द कर देगी। धमकी तो सुन ली। लेकिन भोकनेवाला कुत्ता काटता नही। इस कहावतके अनुसार, जैसे जैसे धमकिया दी जा रही है वैसे वैसे भारतीय समाज निभय होता जा रहा हे। लेकिन श्री नेसर जैसे व्यक्तिकी नादानी विचार करने योग्य हे। अभीतक इसी बातका प्रचार चल रहा है कि हम अँगुलियोकी निशानीके लिए ही लड रहे है। इसलिए श्री ईसप मियाने नीचे लिखे अनुसार जवाब[3] भेजा हे।

विलियम वॉन हल्स्टेन

सर विलियम वॉन हलस्टेनने एक भाषणमे कहा था कि भारतीय सिफ अँगुलियोकी निशानीके विरोधमे आन्दोलन कर रहे हैं। इसपर ब्रिटिश भारतीय सघके मन्त्रीने इस ओर उनका ध्यान खीचते हुए इस प्रकार लिखा हे[4]

भारतीयोकी लडाई सिफ अँगुलियोकी निशानीके खिलाफ नही, बल्कि समूचे कानूनके खिलाफ हे। इस कानूनको अनिवाय रूपमे स्वीकार करनेमे भारतीय अपनी गुलामी मानता है, और अपनी उस गुलामीसे छूटनेके लिए —न कि सिफ अँगुलियोकी निशानीसे बचनेके लिए—वह अपना सवस्व होम देनेको तेयार है। सरकारने धमकिया देना शुरू किया है इस बातको भी हम जानते हैं। ऐसे कानूनको अमलमे लानेसे सरकारका नाम होगा, या दुख भोगकर भी कानूनका विरोध करके दुनियामे भारतीयोका नाम होगा यह तो अभी देखना है।

१ विदेशी मालके (खासतौरसे कपड़ेके) बहिष्कारका आन्दोलन।
२ यहाँ मूलमें पाच नाम दिये गये हैं।
३ देखिए "पत्र जे० ए० नेसरको" पृष्ठ २५२।
४ देखिए "पत्र डब्ल्यू० वी० हल्स्टेनको', पृष्ठ २३५ ३६।

भूल सुधार

पीटसबगके बहादुरोकी मैंने टीका की है। उसके बारेमे पीटसबगके एक प्रतिष्ठित सज्जन लिखते है कि जिन साहबोके नाम मैंने दिये है उनके हस्ताक्षर पीटसबगकी प्रसिद्ध अर्जीमे नही थे, क्योकि उस वक्त वे बाहर गये हुए थे। अत मुझे अपनी गलतीके लिए खेद है। इसके साथ यह भी कह दू कि जिन साहबोने अपने हाथ काले किये है, उनका अपराध यद्यपि अक्षम्य है, फिर भी वह जितना बडा दीखता था उतना नही है। उपयुक्त पत्रका मै यह अथ करनेकी अनुमति लेता हूँ कि जिन्होने अर्जीपर हस्ताक्षर कर दिये है वे तो इस गुलामीके पट्टेको छुएँगे तक नही।

जर्मिस्टनमे युद्ध

जर्मिस्टनमे पजीयन कार्यालयने काम शुरू किया है। इससे वहाके भारतीयोमे बडा जोश है। आज (बुधवार) तक उन्होने काम-धधा छोड रखा है और सब स्वयसेवकका काम कर रहे है। जर्मिस्टनके एक भी व्यक्तिने अर्जी नही दी। होटलके हजरियोने भी इनकार कर दिया है। केवल प्रिटोरियाका कासिम नामक एक मद्रासी धरनेदारोकी बातको न मानते हुए पजीयित हुआ है। पाच मेमन आये थे। लेकिन उन्होने धरनेदारोकी बात मानकर पिआनो बजाने [अर्थात् पजीयन करवाने] का अपना विचार छोड दिया। जर्मिस्टनमे स्वय सेवकोको आवश्यकतासे अधिक उत्साह बतलानेके कारण शान्त करना पडा था। अब वहा सिफ उतने ही लोग काम करते है जितने जरूरी है और सो भी नम्रता और धीरजके साथ।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

२०१ तार[१] सुरेन्द्रनाथ बनर्जीको

[जोहानिसबग,
सितम्बर २५, १९०७ के बाद]

भारतीयोका धन्यवाद। कतव्य पूरा करेंगे।

[ब्रिभास]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

१ यह सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके तारके उत्तरमें दिया गया था, देखिए पृष्ठ २५३-५४।

२०२ भारतसे सहायता

ट्रान्सवालवासी भारतीयोके प्रति उनके जीवन-मरण सघषमे सहानुभूति दिखानेमे माननीय सुरेन्द्रनाथ बनर्जीने माननीय प्रोफेसर गोखलेका तत्काल अनुकरण किया है। भारतकी जनताके इन विश्वासपात्र प्रतिनिधियोके समुद्री तार पाना कोई छोटी बात नही है। दोनोने भारतके लिए अपना जीवनोत्सग कर दिया है और दोनोका भारतमे अनुपम प्रभाव है। इसलिए, यह सोचना उचित ही है कि ट्रान्सवालके भारतीयोका सवाल भारतीय राजनीतिमे जल्दी ही अत्यन्त प्रमुख स्थान प्राप्त कर लेगा। उस दिन लाड ऐम्टहिलने ठीक ही कहा था कि भारतीयोकी भावनाको जितना गहरा आघात दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोके कष्टोने पहुँचाया है, उतना किसी और चीजने नही पहुँचाया। भारतसे जो प्रोत्साहन मिला है उसकी हमे आवश्यकता है। इस सवालपर भारतमे कोई दलबन्दी नही है, कोई मतभेद नही है। हिन्दू मुसलमान, पारसी और ईसाई — सब समानरूपसे ट्रान्सवालके भारतीयोकी अत्यन्त दु खपूण और अपमानजनक परिस्थितिका अनुभव करते है। आग्ल भारतीयोकी राय भी उतनी ही ठोस है जितनी कि भारतीयोकी। इस व्यवहारके खिलाफ किसीने इतनी सख्तीसे नही कहा जितना कि कलकत्तेके 'इग्लिशमैन' और बम्बईके 'टाइम्स आफ इडिया' ने कहा है। इसलिए आवश्यकता इस बातकी है कि भारतकी तमाम सस्थाओ और लोकमतके मुख्य पत्रोकी शक्ति केन्द्रित करके लाड मिटोपर पूरा जोर डाला जाये तब भारतीय सवाल न्यायोचित और मानवोचित सिद्धान्तोके अनुसार हल हुए बिना नही रह सकता।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

२०३ धरनेदारोका कर्तव्य

जोहानिसबगके भारतीयोको जल्दी ही अपना जीवट दिखाना होगा। इसमे जरा भी सन्देह नही कि एशियाई कानूनके प्रति अन्तिम कदम क्या उठाया जाये। इसका निणय बहुत-कुछ इस बातसे होगा कि पजीयन दफ्तर द्वारा जोहानिसबगके एशियाइयोको पजीयित करनेके प्रयत्नका क्या परिणाम निकलता है। ट्रान्सवालकी एशियाई आबादीका प्राय आधा भाग जोहानिसबगमे है। सभी विभिन्न एशियाई जातियोके लोग भी बडी सख्यामे जोहानिसबगमे है और अगर वे एशियाई कानूनके विरोधमे दढ रहे तो इससे स्थानीय सरकारको गम्भीरतासे सोचनेके लिए जरूर कुछ मसाला मिल जायेगा। चाहे जितनी धमकिया क्यो न दी जाये, पर आजकल जब कि रुपयेकी इतनी तगी है, जेलकी इमारते बनाना कोई हँसी-खेल नही है। हजारो निर्दोष लोगोको निर्वासित करना भी व्यावहारिक राजनीति नही होगी, क्योकि इससे बोथा और स्मटस जैसे जनरलोकी अन्तरात्मा भी प्रभावित होगी। इस प्रकार, अब हमे एशियाई परवानोके रद करनेकी धमकियोका सामना करना पड रहा है। लेकिन अगर यह बात सम्भव

हो तो सरकार अपने आपको मूख साबित करेगी, क्योकि इस प्रकार इससे एशियाइयोकी बहुत बडी सख्या अछूती रह जायेगी। इसलिए जोहानिसबगके एशियाई जो भी कदम उठायेंगे उसीसे इस प्रश्नका बहुत कुछ निणय होगा। अत जोहानिसबगके प्रमुख भारतीयो ओर दूसरे प्रमुख एशियाइयोके कधोपर जो जिम्मेवारी हे, वह बडी गम्भीर और महान हे।

इस बातसे इनकार नही किया जा सकता कि अबतक भारतीय धरना देनेवालो या सेवाव्रतियोके प्रयत्नसे ही पजीयन दफ्तरका बहिष्कार इतना सफल रहा है। उन्होने अपना काम शान्ति, दढता और शिष्टताके साथ किया है। जोहानिसबगमे बहुतसे गडबडी पैदा करनेवाले तत्त्व है। जिन्होने सेवा काय करनेका बीडा उठाया है, उनमे कुछ लोग आगके गोले है। फिर, जोहानिसबगमे सभी वर्गोके लोग रहते है। इसलिए हम भारतीय स्वयसेवकोको आगाह करते है कि वे किसी तरह जल्दबाजी या क्रोध न दिखाये। शारीरिक हिसासे पूरा पूरा बचा जाये और इसी तरह सख्त भाषा भी इस्तेमाल न की जाये। जो लोग एशियाई अधिनियमके जुएको टालनेके लिए चिन्तित है, उन्हे इस बातकी भी फिक्र करनी चाहिए कि वे नासमझी-भरी धौस और धमकियोके रूपमे कही उससे भारी जुआ न लाद ले। अगर भारतीयोको इस बातका विश्वास है कि यह कानून उनको गिराता हे और उनके पौरुषका हरण करता है तो उन्हे सिफ यही करना चाहिए कि वे इस दृष्टिकोणको उन दूसरोके सामने रखे जो इसे नही जानते। ऐसा करते ही उनका कतव्य समाप्त हो जाता हे। फिर वे इसे पजीयन करवानेवाले भावी आवेदनकर्तापर छोड दे कि वह इसमे से क्या चुनाव करता है। अगर वह इस कानूनकी गुलाम बनानेवाली शर्तोको माननेके लिए रजामन्द होता है तो यह उसीकी हानि हे, न कि समाजकी।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२०४ जनरल बोथा और एशियाई कानून

यह देखकर बेचैनी होती है कि ट्रान्सवालके प्रधानमन्त्री, जिन्हे अपनी स्मरणीय लन्दन-यात्रामे सेमिल होटलमे मिलनेवाले भारतीय शिष्टमण्डलसे मीठी और नम्रतापूण बाते कहनेमे कोई सकोच नही हुआ था, अभीतक यह नही जानते कि एशियाइयोके सघषका वास्तविक आधार क्या है। उनका खयाल है, और वह ठीक ही है, कि ट्रान्सवालके एशियाइयोने सिफ अँगुलियोके निशानोके बारेमे जो भारी आन्दोलन चला रखा है, उसका कोई उचित कारण नही हो सकता। किन्तु जनरल बोथाका यह विश्वास, कि आन्दोलनका आधार सिफ अँगुलियोके निशानोपर होनवाली आपत्ति ही हे, बताता है कि वे भारतीयोकी स्थितिके सम्बन्धमे कितने अज्ञानमे ह। जब सन् १९०६ मे यह कानून पहली बार विचारके लिए पेश किया गया तब इसके विरुद्ध ब्रिटिश भारतीय सघने कुछ आपत्तिया[1] लेखबद्धकी थी। उनमे से कुछ तत्परतासे जनरल बोथाको भेज दी गई ह। हमारे बहादुर जनरलने यह देखनेका कष्ट भी नही उठाया कि यदि ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोकी आपत्तिया अँगुलियोके

१ देखिए "पत्र प्रधानमन्त्री सचिवको", पृष्ठ २५०५१।

निशान देने तक ही सीमित होती तो क्या वे विश्वव्यापी सहानुभूति प्राप्त कर सकते थे। ट्रान्सवालके राजनयिकोको उन बहुत ही गम्भीर मुद्दोकी उपेक्षा करनेमे सुविधा हो सकती है, जो भारतीय समाजने अपनी धार्मिक भावनाओ, अपने दर्जे और अपमानजनक वर्गीय विधानके सम्बन्धमे उठाये है। किन्तु ऐसी चिर अभ्यस्त उपेक्षासे अन्तमे एशियाइयोका गहरा क्षोभ बढेगा एव उनका विरोध और भी कडा होगा। अब उनका साहस निराशासे उत्पन्न साहस है। वे अपने सवस्वके अपहरणके अभ्यस्त हो गये है। इसलिए, ट्रान्सवालकी सरकारके लिए बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता इसीमे होगी कि वह कमसे कम भारतीयोकी आपत्तियोपर उनके गुण दोषोकी दृष्टिसे तो विचार करे और उनकी ओरसे अपनी आखे बन्द न करे।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

२०५ भारतीय फेरीवालोके खिलाफ लडाई

नेटालकी विधानसभामे फेरीवालोके परवानोकी फीस बढानेके प्रस्तावपर जो बहस हुई, वह बडी ज्ञानवधक है। नेटालके फेरीवालोपर लगनेवाली इस भारी फीसकी किसीने परवाह नही की, क्योकि फेरी करके रोजी कमानेका काम अधिकाशत एशियाइयोके हाथमे हे और, जैसा कि न्याय मन्त्रीने कहा, "इस देशमे फेरी लगानेका धधा श्वेत जातिके लोगोके योग्य नही है।" रगदार जातियोके लोगोसे ताल्लुक रखनेवाले सवालोपर इसी तरीकेसे बहस करते हुए एशियाइयोके परम विरोधी श्री हैगरने प्रस्ताव रखा है कि "सावजनिक हितमे यह बात अवाञ्छनीय है कि नेटाल गवनमेट रेल प्रणालीमे जिन पदोपर साधारणत गोरे लोग काम करते है, उनपर एशियाइयोको नियुक्त किया जाये।" सच पूछा जाये तो इस महान विधान-सभा सदस्यको "सावजनिक हित"के बजाय "श्वेत जातिके हित" कहना था। यह भी बता दिया जाये कि यह प्रस्ताव रेलवे और बन्दरगाह मन्त्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया और उन्होने कहा कि अगर मै "कुलियो"को, जिस नामसे वे रेलगाडियोका माग बदलनेवाले भारतीय कमचारियोको पुकारते है, लात मारकर निकाल बाहर नही करता तो इसका कारण यह है कि मुझे सदनके सदस्योसे छँटनीके बारेमे आदेश प्राप्त है। इस प्रकार इन दोनो अवस्थाओमे इतना भी नही किया गया कि भारतीय फेरीवालो और भारतीय रेलवे कमचारियोके यदि कोई दावे थे तो उनकी जाच कर ली जाती। जहातक उपनिवेशोका ताल्लुक है, "ब्रिटिश प्रजा होनेका" सिद्धान्त थोथा साबित हो चुका है। उपनिवेशी इस पुराने ब्रिटिश झण्डेके सम्बन्धमे मिलनेवाले सारे लाभ तो उठाना चाहते है, लेकिन उस झण्डेको अपनानेसे जो असुविधाएँ और जिम्मेदारिया आती है उनसे कोई सरोकार नही रखना चाहते।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

२०६ हमारा परिशिष्ट

इस बार हम प्रिटोरियाके बहादुर स्वयसेवकाकी तस्वीरे दे रहे है। कुछ सज्जनोके विचारकी कद्र करके हमने आजतक यह परिशिष्ट नही निकाला था। लेकिन हम मानते है कि इससे हमने प्रिटोरियाके स्वयसेवकोके साथ अन्याय किया है। हमारी निश्चित राय है कि यदि ये स्वयसेवक बाहर न निकलते और यदि इन्होने धीरज, मिठास तथा हिम्मतका आदर्श न खडा किया होता तो यह लडाई यहातक नही पहुँच सकती थी।

अब जोहानिसबगकी बारी आई है। इस समय इस परिशिष्टको प्रकाशित करना हमने अपना कर्तव्य समझा है। जोहानिसबग यदि इन युवकोका अनुकरण करेगा, शान्ति और नम्रतासे काम लेगा, तो हम समझ लेगे कि हमारी लडाईका अन्त निकट आ गया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

२०७ स्वयसेवकोका कर्तव्य

ट्रान्सवालकी लडाईमे हमने देखा है कि स्वयसेवको (वॉलटियस) ने चाहे हम उन्हे स्वयसेवक, धरनेदार (पिकेट), सेवाव्रती (मिशनरी) या चौकीदार, किसी नामसे पुकारे — बहुत बढिया काम किया। उनकी सहायताके बिना कुछ भी हो नही सकता था। इस लडाईका श्रेय सचमुच प्रिटोरियाके धरनेदारोको देना चाहिए। उन्होने धीरज, मधुरता और हिम्मतका जो उदाहरण पेश किया, उसका अनुकरण प्रत्येक स्थानपर होता आ रहा है।

अब जोहानिसबग शेष रहा है। इस शहरमे हर तरहके भारतीय रहते है। कोई ऐसे भी होगे जिन्हे लाज शरम न हो। ऐसे लोग पजीयनपत्र लेने जाये तो उसमे आश्चय नही माना जा सकता। फिर, यह भी हो सकता है कि कोई दूसरे शहरोसे हाथ मुह काले करवाने आ जाये। इन सबको धरनेदार कैसे सँभालेगे? यदि कोई भारतीय अपने हाथ काले करनेके लिए जायेगा तो साधारणतया हमारे मनमे उसके प्रति तिरस्कार पदा होगा। परन्तु तिरस्कारके बदले उसपर दया करना हमे अधिक शोभा देगा।

चौकीदारका काम पहरा देनेका है, हमला करनेका नही। यदि जोहानिसबगमे पजीयन करवानेके लिए जानेवालोपर हमला किया गया तो हम नि सकोच कहते है कि किनारे लगी हुई नैया डूब जायेगी। हमारी सारी लडाई कष्ट सहन करनेकी है किसीको कष्ट देनेकी नही, फिर चाहे वह भारतीय हो या गोरा हो। यह बात प्रत्येक चौकीदारको बहुत सावधानीसे याद रखनी चाहिए। गलती करनेवालोको समझाना, उनसे बिनती करना, उनकी आजिजी करना हमारा काम है। इसपर भी उन्हे यदि दासता ग्रहण करनी हो तो उन्हे छूट दे देनी चाहिए। क्योकि यदि हम उन्हे कानूनके अत्याचारसे बचाकर अपने अत्याचारसे दबाये तो उसमे हमे कुछ भी लाभ नही दिखाई देता। हम अपने लिए जितनी स्वतन्त्रता चाहते है उतनी ही दूसरोको भी दे, यह हमारा कतव्य है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

२०८ क्या भारत जाग गया?[1]

माननीय प्रोफेसर गोखले तथा माननीय बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जीके समुद्री तारोसे हमे जबरदस्त प्रोत्साहन मिला है। ये दोनो महानुभाव केवल सहानुभूतिके तार भेजकर बैठे रहे, सो बात नही। इनके तारोसे मालूम होता है कि भारतसे हमे अब पर्याप्त सहायता मिलेगी। इसका बहुत गहरा अथ हो सकता है। ट्रासवालका प्रश्न छोटा नही रहेगा। उसकी चर्चा सारी दुनियामे होगी। भारतसे अर्जिया भेजी जायेगी, और वहा सभाएँ होगी। मेरी यह मान्यता निराधार नही हे। यदि ऐसा होता है तो बडी सरकार बठी नही रह सकती। लाड ऐम्टहिल महोदय कह चुके है कि ट्रासवालके सवालसे भारतको जितनी ठेस लगी है उतनी अन्य किसी बातसे नही लगी। हर जगह शोर मचा है। तब भारतको नाराज करनेका इतना जबरदस्त कारण [साम्राज्य] सरकार कैसे रहने दे सकती है?

इतनी सहायता मिलनेका कारण एक ही है। वह है, भारतीयोकी हिम्मत। आजतक हमने एक होकर जोर दिखाया है। उसका बडा प्रभाव पडा है। हमे बहुत ही प्रतिष्ठा मिली है। उसकी रक्षा करना अब ट्रान्सवालके भारतीयोके हाथ है। और ट्रान्सवालके भारतीयोकी दृष्टि अब जोहानिसबगपर है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

२०९ "बीच रुई जरि जाय"

कहावत है कि "लडे लोह पाहन दोऊ, बीच रुई जरि जाय"। नेटालमे गोरोके दो पक्ष खीचा-तानी करते है, जिसका परिणाम भारतीय मजदूरोको भोगना पड रहा है। हैगर साहब और उनके जैसा विचार रखनेवाले गोरोका कहना है कि रेलवे लाइन पार करनेकी चौकियो-परसे भारतीय कुलियोको हटाकर गोरोको रखना चाहिए। यह नही माना जा सकता कि हैगर साहब यह हलचल किसी विशेष परोपकार बुद्धिसे कर रहे है। उनका विचार तो जैसे-तैसे आगे बढना है। नेटालकी सरकार जानती है कि भारतीय मजदूरोको चालू रोजीसे वचित करके ऊँची तनख्वाहवाले गोरोको रखना ठीक न होगा। लेकिन, वह अपनी इस प्रामाणिकताको प्रकट करनेमे झेपती है, इसलिए कहती है कि जहा भी भारतीय मजदूरोको अलग किया जा सकेगा, वहा किया जायेगा। यह मनसूबा यदि कार्यान्वित किया गया तो इसके परिणामकी दोमे से किसी भी पक्षको परवाह नही है। इसको वे लोग "सुधार" कहते है। यदि सच्ची शिक्षा और सुधार इसीका नाम हो तो हम चाहते है कि भारतीय इस बलासे छूट जाये, यही अच्छा है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–९–१९०७

१ देखिए "भारतसे सहायता", पृष्ठ २५७।

२१० मिस्रमे स्वराज्यका आन्दोलन

'रैंड डेली मेल' के एक पत्रसे मालूम होता है कि मिस्रमे स्वराज्यके आन्दोलनने एकदम बडा रूप ले लिया है। कहा जाता है कि यह मुस्तफा कामेलपाशाके[1] कामका प्रभाव है। मिस्र ससदके उमराव सदस्योमे से लगभग ११६ सदस्योने स्वराज्यके लिए प्रस्ताव किया है। उनका कहना है कि वे अग्रजोकी मदद लेनेसे इनकार नही करते। लेकिन राज्यकी लगाम वे अपने ही हाथोमे रखना चाहते है। वे चाहते है कि लोक शिक्षण विभाग पूरी तरहसे जनताके ही हाथोमे होना चाहिए। मुस्तफा कामेलपाशा कहते है कि यदि अग्रेज सरकार इतना अधिकार दोस्तीसे और प्रेमपूवक न दे तो मिस्रकी जनता लडकर ले लेगी, लेकिन अब मिस्र पराधीन नही रहेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-९-१९०७

२११ पत्र जे० ए० नेसरको

[जोहानिसबग]
सितम्बर २८, १९०७

श्री जे० ए० नेसर, ससद-सदस्य
पो० आ० बाक्स २२
क्लाक्सडॉप

महोदय,

आपका इस मासकी २७ तारीखका पत्र प्राप्त हुआ। आपके इस अत्यन्त शिष्ट, स्पष्ट और पूण पत्रके लिए मै आपको अपने सघकी ओरसे धन्यवाद देता हूँ। भारतीय प्रश्नके ठीक तरहसे हल होनेमे सबसे बडी बाधा निसन्देह यह रही है कि लोक सेवक उसके प्रति अत्यन्त उदासीन रहे और, इसलिए, उन्हे उसकी जानकारी नही है।

आपने मेरे देशवासियोके प्रति, जिनके हित इस देशमे निहित है, जो हमदर्दी जाहिर की है, उसके लिए मै हृदयसे आभारी हूँ, और चूकि यह लडाई पूरी तरह उन्ही हितोकी रक्षाके लिए है, इसलिए मुझे आपके रुखमे एक ऐसी बात दिखाई देती है, जिसपर हम सहमत हो सकते है।

मेरा सघ न केवल भारतीयोके सामूहिक आव्रजनपर की जानेवाली आपकी आपत्तिके साथ सहानुभूति रखता है, वरन् इस प्रकारके आव्रजनके विरुद्ध साधारण विद्वेषको ध्यानमे

१ (१८७४-१९०८), इन्होंने दिसम्बर, १९०७ में मिस्रमें राष्ट्रीय दलकी स्थापना की थी।

रखते हुए उसने उसकी वैधताको स्वीकार किया है और इस उद्देश्यकी प्राप्तिके लिए सरकारके साथ सदा ही सहयोगकी तत्परता दिखाई है।

अब एशियाई अधिनियमपर उसके गुणावगुणकी दृष्टिसे विचार करनेके लिए माग साफ है। मैं आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करनेका साहस करता हूँ कि जब सितम्बर १९०६ मे अध्यादेशके मसविदेपर — उस समय यह अधिनयम इसी रूपमे था — एतराज किये गये थे, तब उनमे अँगुलियोके निशानोका जिक्र तक नही था, यद्यपि उस समय यह पता चला था कि सरकार अँगुलियोके निशानोपर जोर देना चाहती है। इसलिए यदि अँगुलियोके निशानोके बदलेमे हस्ताक्षर रख दिये जाते तो मेरे सघका रुख किसी प्रकार भी नही बदलता। सारे अधिनियममे व्याप्त अनिवायताका डक ही भारतीय समाजको चोट पहुँचाता है और उसपर इतना भारी बोझा बना हुआ है। अँगुलियोके निशानोसे किसीकी भी धार्मिक भावनाको चोट नही पहुँचती, किन्तु अधिनियममे जो तुर्की-ईसाइयो और तुर्की यहूदियोके लिए छूट दी गई है वह बेशक धार्मिक भावनाओको उग्रतम चोट पहुँचानेवाली है।

यह अधिनियम अपनी विभिन्न शर्तोंके भग होनेपर कठोर दण्डोसे भरा पडा है, किन्तु विरोध सजा या उसकी सख्तीका नही किया जाता, बल्कि उसके अन्दर छिपी हुई इस धारणाका किया जाता है कि भारतीयोका वगका वग अपने गलत नाम बतानेकी जालसाजी करनेमे तथा धोखाधडीसे अनुमतिपत्रोकी अदलाबदली करने और देशके अन्दर अनधिकृत प्रवासियोको लानेमे समथ है। और मैं समझता हूँ, कि यह विरोध ठीक ही है। जब कभी किसी देशमे किसी विशेष अपराधके लिए असाधारण सजाओका विधान किया जाता है, तब, जैसा कि आप जानते हैं, यह मान लिया जाता है कि उस देशमे इस अपराधका अस्तित्व सव-साधारण रूपमे है। इस बातको भली भाति जानते हुए कि ब्रिटिश-भारतीय, वगके रूपमे ऊपर बताये हुए अपराध नही करते, वे उस धारणाके, जिसे यह अधिनियम मौन रूपसे तथा विधि निर्माता खुलेआम उनका अपराध बतला रहे हैं, परिहारके लिए दिलेरीसे सघष कर रहे हैं। इसके अलावा, यह बात ध्यानमे रखनेकी है कि यह कानून एक घृणित ढगका वग कानून है। यह भारतीयोको मलायी लोगोकी, जिनके साथ उनके नजदीकी रिश्ते हैं, केपके रगदार लोगोकी, जिनके निकट सम्पकमे वे आते ह, और काफिर जातियोकी भी, जिनको वे बहुत बडी सख्यामे नौकर रखते हैं, निगाहमे गिराता है। जब कि इन तीनोको उपनिवेशके अन्य निवासियोके साथ उनकी व्यक्तिगत आजादीपर ऐसी पाबन्दियोसे छूट दी गई है, एशियाइयोको ही विशेष रूपसे पाबन्दियोके लिए छाट लिया गया है।

आपके अन्तिम एतराजका स्वभावत साफ जवाब यह है कि भय एशियाइयोकी प्रतियोगितासे है, रगदार जातियोकी प्रतियोगितासे नही। इस तथ्यको जानते हुए ही मेरे सघने यह प्रस्ताव किया था कि अनिवाय विधानके बदलेमे स्वेच्छया शिनाख्त या पजीयनका विधान किया जाये। इस प्रकारके स्वेच्छया पजीयनसे शेष समाजसे अलग कर दिये जानेपर भी भारतीयोका अपमान नही होगा, यूरोपीयोके एतराजोका पूरा समाधान हो जायेगा, और निहित अधिकारोकी रक्षा होगी। आप यह सोचते हुए मालूम होते हैं कि स्वेच्छया पजीयनसे बेईमान भारतीय साफ बच जायेंगे। उनके अस्तित्वसे मैं इनकार नही करता। किन्तु मेरा निवेदन है कि आपका यह खयाल गलत है। प्रस्तावके अन्तगत सरकारसे यह कह दिया गया है कि स्वेच्छया पजीयनके अनुसार दोनो पक्षोकी सहमतिसे एक छोटा सा विधेयक पास करके

इस कानूनको उन लोगोपर लागू किया जा सकता है जो अपने आप पजीयन न करायें। नि सन्देह, एक निश्चित समयपर सभी भारतीयो या एशियाइयोकी एक साथ जाच की जा सकती है, और जिनके पास पहचानके नये प्रमाणपत्र न मिले उनको शान्ति रक्षा अध्यादेशके अधीन उपनिवेशसे निकाला जा सकता है, या शान्ति रक्षा अध्यादेशके बदलेमे एक आम प्रवासी कानून पास करके उसके अधीन उन्हे निकाला जा सकता है।

म आपका समय अधिक न लेते हुए केवल यह कहकर अपने वक्तव्यको समाप्त करूँगा कि जहा मेरे देशवासियोने ईमानदारीसे यूरोपीयो द्वारा उठाये हुए माकूल एतराजोकी जाच करके उनको पूरा करनेका प्रयत्न किया है, वहा यूरोपीय सामूहिक रूपमे उसका उसी रूपमे उत्तर देनेमे पूणतया असफल रहे है और भारतीय स्थितिकी जाच करनेकी परवाह किये बिना अपनी विद्वेषपूण विरोधी नीतिपर अडे रहे है। चूकि आप अपने पेशेके कारण ब्रिटिश भारतीयोसे अत्यधिक सम्बन्धित रहे है, इसलिए मै आपसे प्राथना करता हूँ कि आप अपने-आपको हमारी स्थितिमे रखे और सारी बातोपर हमारे दृष्टिकोणसे विचार करे और देखे कि क्या थोडे वैय तथा कुछ सहयोगसे एक माकूल समझौता होना सम्भव नही है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

२१२ पत्र:[1] 'रैंड डेली मेल'को

[जर्मिस्टन]
सितम्बर, २८, [१९०७]

सेवामे
सम्पादक
['रैंड डेली मेल'
जोहानिसबग]

महोदय,

आपके सवाददाताने जनताको सूचित किया है कि जर्मिस्टनमे भारतीय धरनेदारोके डराने धमकानेसे ही वहाके बहुतसे भारतीयोने अपना पजीयन नही कराया। मै प्रधान धरनेदारकी हैसियतसे कहना चाहता हू कि आपको दी गई सूचना बिलकुल गलत है। मै आपको सूचित कर दू कि वास्तवमे दो दिन तक जर्मिस्टनकी तमाम भारतीय आबादी धरना देती रही थी, क्योकि उन सभी लोगोने काम बन्द कर दिया था। इस कानूनके विरुद्ध उनका उत्साह और इसके प्रति उनका विरोध ऐसा ही जोरदार था। जब नियुक्त धरनेदारोने अन्य भारतीयोको समझाया तभी उन्होने अपना काम फिर आरम्भ किया।

१ इसका मसविदा अनुमानत गाधीजीने तैयार किया था।

किन्तु यह बिलकुल सच है कि दूसरे स्थानोंसे कुछ भारतीय जर्मिस्टनमें पजीयन करानेके लिए आये थे और उन्होंने जर्मिस्टनके धरनेदारोका मैत्रीपूण विरोध और तक सुना और वे अपने आपको और अपने समाजको झुकाये बिना लौट गये। किन्तु जहा ऐसा उचित तक कारगर नही हुआ, वहा कडी हिदायते दे दी गई थी कि जो लोग कानून द्वारा लादी गई दासताको स्वीकार करना चाहे, उनको स्वय साथ जाकर पहुँचा दिया जाये, और ऐसा बाक्सबगसे आये हुए एक भारतीय जोसफ बहादुरके मामलेमे किया भी गया।

हमारी लडाईमे हमे डराने धमकानेकी आवश्यकता नही होती। जो लोग अधिनियमको और उसके सब परिणामोको समझते है वे अपने आप इस दासताको स्वीकार करनेसे हाथ खीच लेते है, इसमे अपवाद तभी होता है जब वे अपने स्वाथके कारण अपनी आत्म-सम्मानकी भावनाको भुला देते है। म आपके असख्य पाठकोकी जानकारीके लिए बता दू कि अस्पताली नौकरो और मजदूरो तक ने नौकरीसे बरखास्त कर दिये जानेकी धमकियोके बावजूद अपना पजीयन करानेसे इनकार कर दिया, और उनके मालिकापर उनकी इस सम्मान-जनक इनकारीका ऐसा स्पष्ट प्रभाव पडा कि उन्होने उन धमकियोको वापस ले लिया।

आपका, आदि,

रामसुन्दर पण्डित

प्रधान जर्मिस्टन धरनेदार

[अंग्रेजीसे]

रड डेली मेल, ३-१०-१९०७

२१३ भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमें

जोहानिसबग

[सितम्बर २९, १९०७]

मैं आज अजुमनकी बैठकमे आया हूँ, किन्तु मुझे कुछ खास नही कहना है। श्री बेगका पत्र आया है, अगर जरूरत हो तो वे धरनेदारके रूपमे मदद देनेके लिए तैयार है। जर्मिस्टनके भारतीय भाइयोने जो बहादुरी दिखाई थी, उससे जोहानिसबगके भारतीयोको सबक लेना चाहिए। श्री रामसुन्दर पण्डित उस विषयमे बतायेगे। यहाके धरनेदारोको अपना कतव्य अच्छी तरह करना चाहिए, जैसे बने वैसे लोगोको समझाना चाहिए। किसीके साथ जोर जबरदस्ती नही होनी चाहिए। यदि बाहरके कोई आये तो उनके साथ धीरजसे काम लिया जाये।

प्रिटोरियाकी अर्जीके बारेमे मुझे अभी इतनी ही खबर मिली है कि सरकार अनुमति-पत्रोकी जाँचके लिए निरीक्षक रखेगी। श्री कोडीने ट्रान्सवालसे निकाल देनेकी धमकी दी है, पर श्री पण्डित बडे जोरमे है। सरकार यदि इन्हीको गिरफ्तार करे तो अच्छा। जोहानिसबगमे हस्ताक्षरोका काम तेजीसे हो, यह जरूरी है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

२१४ प्रार्थनापत्र [1] तुर्कीके महा वाणिज्य-दूतको

[जोहानिसबर्ग
अक्तूबर ५, १९०७ के पूर्व]

महोदय,

हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता, जोहानिसबर्गवासी और तुर्कीके महामहिम सुल्तानके वफादार मुसलमान प्रजाजन, इसके द्वारा आपका ध्यान एशियाई पंजीयन-अधिनियमकी ओर आकर्षित करते हैं। इस अधिनियमके अन्तर्गत तुर्क साम्राज्यकी मुसलमान प्रजाको पंजीयन कराना पड़ता है। हमारी विनीत सम्मतिमें, यह अधिनियम अपमानजनक है और इससे तुर्कीके मुसलमानोंका विशेष रूपसे तिरस्कार होता है, क्योंकि इससे तुर्क साम्राज्यके मुस्लिम और गैर मुस्लिम प्रजाजनोंमें भेदभाव किया जाता है, जिससे मुस्लिम प्रजाजनोंकी हानि होती है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप कृपा करके स्थानीय सरकारसे आवश्यक निवेदन करेंगे और इस प्रार्थनापत्रकी प्रतिलिपि महामहिम सम्राटके सम्मुख प्रस्तुत करनेके लिए भेजेंगे।

आपके आज्ञाकारी सेवक,
सैयद मुस्तफा अहमद जैल
[और तुर्कीके १९ अन्य मुसलमान]

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

२१५ जॉर्ज गॉडफ्रे

श्री सुमान गॉडफ्रे और श्रीमती गॉडफ्रे अपने तृतीय पुत्रके इंग्लैंडसे उदार सांस्कारिक शिक्षा प्राप्त करके लौटनेपर और भी बधाईके पात्र हैं। अपने दो पुत्रोंको बैरिस्टर और एकको डाक्टर बनाकर किन्हीं भी माता-पिताको गर्व होगा, फिर उनके दूसरे बच्चे भी अभी स्कूलोंमें पढ़ रहे हैं। श्री जॉर्ज गॉडफ्रे[2] अपनी शिक्षा निर्विघ्न समाप्त करके सकुशल लौट आये हैं और उन्हें अपने मित्रों तथा देशवासियोंका स्वागत सत्कार प्राप्त हुआ है, अतः वे बखूबी अपने आपको कृतकार्य मान सकते हैं। परन्तु शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओंका महत्त्व बढ़ा चढ़ाकर बतानेको हमारा जी नहीं चाहता। जनताके लिए यह जानना ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि ऐसा भव्य लाभ अपनी शान शौकत बढ़ाने और धन संचयके काम आयेगा या राष्ट्रकी सेवामें अर्पण होगा। और इस उपर्युक्त प्रश्नके उत्तरकी अपेक्षा हम श्री गॉडफ्रेके वादोंसे नहीं, उनके जीवनक्रमसे करेंगे।

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

१ सम्भवतः इसका मसविदा गांधीजीने बनाया था। देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ २७०।
२ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ६।

२१६ गरीब किन्तु बहादुर भारतीय

कुछ गरीब भारतीय अपनी नौकरी छोडकर भिखारी बन जानेको तयार है, किन्तु वे खूनी कानूनके सामने न झुकेंगे। यह बात हम अपनी जर्मिस्टनकी रिपोटमे दे चुके है। जिन भाइयोने हिम्मतसे कानूनको ठुकराया है वे गरीब है, यह देखकर हम खुशीसे उछल तो नही पडते, फिर भी हम उन्हे नर वीर मानते है, और यदि कानूनके मामलेमे हम जीते तो उसका यश बहुत कुछ ऐसे गरीबोको ही मिलेगा। व्यापारियोमे जो लोग ढीले पड गये है उन्हे हम याद दिलाते है कि उनके व्यापारके प्रति [गोरोकी] ईर्ष्याके कारण ही सारे भारतीय समाजको दुःख उठाना पड रहा है। यह कानून मुख्यत उन्ही लोगोके लिए शर्मनाक है। अत उनके लिए लाजिमी है कि वे अपनी आबरूके लिए नही, तो देशके लिए ही अपनी टेक रखे।

परवानेके बिना व्यापारीका काम कैसे चलेगा, यह सवाल बहुत उठता है। लेकिन नौकरीसे अलग किये हुए भारतीयोका क्या हाल होगा, यह सवाल ज्यादा भयकर है। नौकरोको बचाना हम ज्यादा महत्त्वपूण मानते है। फिर भी हमारा कहना है कि कानूनके सामने घुटने टेकनेके बजाय नौकरी छोडकर भूख सहन करना नौकरोके लिए अधिक अच्छा है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ५-१०-१९०७

२१७. भारतीय मतदाता

"मतदाता" (वोटर) नामसे लिखनेवाले एक भारतीयका पत्र हम इस अकमे छाप रहे है। "मतदाता" ने जो सवाल उठाया है वह ऊपर ऊपर देखनेमे ठीक लगता है। यदि लेडी स्मिथ या डबनमे भारतीय मतदाता होते तो नगरपालिकाके सदस्य परवाने छीन नही लेते, यह दलील एक ही शतपर ठीक है कि मताधिकारका उपयोग करनेमे भारतीय लोग गोरोके मुकाबलेके हो। हमारा कहना है कि भारतीय ऐसा मुकाबला नही कर सकते, क्योकि उनमे स्वतत्रताका जोश नही है। केपमे बहुतेरे मतदाता है, लेकिन उन्होने अपने अधिकारका उपयोग नही किया। हमारे पाठकोको याद होगा कि बम्बई जैसे शहरमे भी चुनाव दलोने अपना स्वाँग रचा था, फिर नेटालकी तो बात ही क्या? हमे विश्वास है कि जबतक भारतीय समाजमे पश्चिमकी सच्ची शिक्षाका प्रवेश नही होता, तबतक हममे वह जोश नही आयेगा और तबतक मत-रूपी हथियार बेकार है। किन्तु इसका अथ यह नही कि मताधिकार खो दिया जाये। मताधिकारसे वचित करनेकी कारवाईके खिलाफ हमने सख्त लडाई लडी है और आगे भी लडेगे। लेकिन हम यह भी जानते है कि हम मताधिकारका उपयोग करने जाये तो वह खो जायेगा। किन्तु यदि रह जाये तो हम अवसर आनेपर उसका उपयोग कर सकते है। यह तलवार अभी तो म्यानमे ही शोभा देने लायक है। लेकिन लेडीस्मिथके परवानोका

पहला ओर सरल उपाय यह है कि बिना परवानेके व्यापार किया जाये। लोगोमे जबतक इतना जोश नही आ जाता तबतक हम मताधिकारकी बात बेकार समझते है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ५–१०–१९०७

२१८ केपमें सघ

केपका सघ श्री नूरुद्दीनकी अध्यक्षतामे जोर पकडता दीखता है। उसकी बैठककी काय वाही[1] हमने दी हे। वह पढने लायक है। जिस जोशसे यह सघ चल रहा है, उसी जोशसे यदि सावजनिक काम हो, तो खूबी मालूम होगी। नेताओको यह याद रखना चाहिए कि यह समय अधिकार भोगनेका नही, लोक सेवा करनेका है। तभी हमारे आसपास जो आग सुलग रही है, वह ठडी होगी।

केपमे दो मण्डल एक ही जगह ह, सभा (लीग) ओर सघ (असोसिएशन)। हम देखते है कि इन दोनो मण्डलोके बीच गलत होड चल रही है। हमारी सलाह है कि दोनो मिलकर काम करे।

सघको हम याद दिलाना चाहते ह कि उसके सदस्योने लदन समितिके प्रति अपने कतव्यका पालन नही किया। केपकी ओरसे ५० पौड आनेकी सम्भावना थी। परन्तु वह रकम आजतक नही मिली। समिति बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और कामके हिसाबसे खच भी होगा ही। उस खचमे मदद देना दक्षिण आफ्रिकाके सभी भारतीयोका कतव्य है। हम आशा करते है कि सघ यह काम उठा लेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ५–१०–१९०७

२१९ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

जनरल बोथाकी वर्षगाँठ

जनरल बोथाका जन्म-दिन शुक्रवारको था, इसलिए सघ और हमीदिया इस्लामिया अजुमनने बधाईके तार भेजे थे। गोरोकी ओरसे उन्हे एक बडी भेट अर्पित की गई थी। इन तारोका भेजा जाना भारतीय प्रजाके विवेकका सूचक है। हमारे तारोसे यह सिद्ध होता है कि वे हमारे साथ न्याय करे या न करे, हम अपना विवेक नही खोते।

हमीदिया अजुमनकी बैठक

नियमानुसार इस अजुमनकी बैठक रविवारको हुई थी। सभा भवन खचाखच भर गया था। यदि कानूनकी लडाई सफल हुई तो उसका श्रेय अधिकतर अजुमनको ही प्राप्त होगा। मैंने यहा "यदि" शब्दका उपयोग किया है, उससे किसीको डरना नही चाहिए। "यदि"का

१ यह यहाँ नहीं दी गई।

उपयोग मैंने इसलिए किया है कि इतनी बडी लडाईमे भारतीय प्रजा अन्ततक अपनी एकताको कायम रखकर कानूनका विरोध करती रहेगी, इसमे सामान्यत शका बनी रहती है। क्योकि इस जमानेमे हमारे लिए यह नया कदम है। हमारे मनमे इस वहमने गहरी जडे जमा रखी है कि कानूनकी मुखालफत नही की जा सकती। यदि यह वहम निकल जाये तो उसे कम उत्कष नही कहा जायेगा। यदि हम अन्ततक कानूनको माननेसे इनकार करते रहे तो यही माना जायेगा कि हम छोटे छोटे थोरो बन गये है। थोरो कौन है, इसे 'ओपिनियन' के पाठक अब जानते ही होगे।

अब हम फिर सभाका विषय ले। सभामे इमाम अब्दुल कादिर सभापतिके आसनपर विराजमान थे। मौलवी साहब मुहम्मद मुख्त्यारने प्रभावशाली भाषण दिया और जोशीले शेर पढकर सुनाये, जो सभी भारतीयोपर लागू होते है। उनके बाद श्री रामसुन्दर पण्डितने भाषण दिया। उसमे उन्होने जर्मिस्टनकी लडाईका बयान किया और बताया कि उनके अनुमतिपत्रकी अवधि ३० तारीखको समाप्त हो रही हे फिर भी लोगोकी मागपर उन्होने यहा रहना स्वीकार किया हे। सरकार उनके अनुमतिपत्रकी अवधि नही बढायेगी, तब भी यही रहकर वे जेल भोगेगे। अपने कर्तव्यका पालन करनेमे चूकेगे नही। उन्होने यह भी कहा कि जर्मिस्टनके स्वयसेवक जोहानिसबगमे मदद देनेको तैयार है। श्री गाधीने बताया कि धरनेदारोकी मददके सम्बन्धमे प्रिटोरियासे श्री बेगका पत्र आया हे। श्री उमरजी सालेने जोर देकर कहा कि मुसीबत आनेपर भी वे नये कानूनके सामने आत्मसमपण नही करेगे। नये कानूनके सम्बन्धमे 'गुजराती'[1] पत्रमे एक लेख छपा था। श्री इब्राहीम कुवाडियाने वह पढकर सुनाया। श्री वल्लभ भाईने कहा कि कुर्मियो (कुनवियो) में से एक भी हिन्दू पीछे नही रहेगा। अर्जीपर करीब करीब सभी हिन्दुओने हस्ताक्षर कर दिये है। श्री नवाब खाने भी भाषण दिया। सभापति महोदयने श्री बेग और श्री रामसुन्दर पण्डितके तत्परता दिखाने और श्री पण्डितके जोशके लिए आभार माना। नेताओको अर्जीपर हस्ताक्षर पूरे करवानेकी प्रेरणा देकर बैठक समाप्त हुई।

चीनियोकी सभा

चीनी सघकी सभा भी इसी रविवारको हुई थी। उनका सभा भवन भी खचाखच भर गया था। श्री क्विन सभापति थे। श्री गाधीने कानूनके बारेमे सारी बाते समझाई और कहा कि चीनी लोग डटकर कानूनका विरोध करे।

नये कानूनके आधारपर मुकदमा

ईलू मुथु नामक एक मद्रासीने नये कानूनके अन्तगत गुलामीका पट्टा लेनेके लिए अर्जी दी है। उसकी अर्जी ठीक न होनेके कारण पजीयकने कानूनके अनुसार प्रिटोरिया न्याया-लयमे नोटिस लगवाया है कि उसे नया पजीयनपत्र न दिया जाये और वह न्यायालयमे आकर जवाब दे। कच्ची मिट्टीके घडोको याद रखना चाहिए कि नये पजीयनपत्र लेने-वालोका यही हाल होगा।

"भारतीयोका बहिष्कार करो"

प्रिटोरियामे महिला-मण्डली इस तरहकी आवाज उठा रही है। इन महिलाओने प्रस्ताव किया है कि भारतीय फेरीवाले और भारतीय व्यापारियोसे किसी तरहका व्यवहार न रखनेके

१ बम्बईसे प्रकाशित एक साप्ताहिक।

सम्बन्धमे गोरी महिलाएँ आन्दोलन करे और गोरोसे ही माल ले। वास्तवमे हमे नये कानूनकी अपेक्षा ऐसी हलचलसे डरना चाहिए। यदि गोरे लोग भारतीयोसे सम्बन्ध तोड ले तो बिना कानूनके हमे यहासे जाना पडेगा। इस परिस्थितिको रोकनेका एक उपाय यही है कि भारतीय समाज परिश्रमी बने और प्रामाणिकता बनाये रखे। साथ ही मेरा तो यह भी खयाल है कि इस समय हम जो हिम्मत दिखा रहे ह उससे खुश होनेवाली महिलाएँ नि सन्देह व्यापार चालू रखेगी। किन्तु यदि हमने नामर्दी दिखाई तो वे भी तिरस्कारपूवक हमे छोड देगी। मेरी इस बातका यदि फेरीवालोको अनुभव हुआ हो तो वे समथन कर सकेगे।

कोमाटीपूर्टसे लौटे हुए भारतीय

इन चार भारतीयोके बारेमे श्री चैमनेको जो पत्र लिखा गया था[1] उसके उत्तरमे वे लिखते ह

> मुहम्मद इब्राहीम, मूसा कारा, कारा वली और ईसा इस्माइल, इन चारोने पुतगीज देशसे होकर [ट्रासवालमे] प्रवेश किया, इसलिए इ हे रोक दिया गया था। जहाजके टिकट नही थे, इसलिए इ हे डेलागोआ बे नही जाने दिया गया। इनके पास रहनेकी जगह न होनेके कारण जाचके समयके लिए पुलिसने एक कोठरी दी थी जो केवल गुजर-भरके लिए थी। इन लोगोको ट्रान्सवालमे आनेका हक नही हे। इसलिए अब इन्हे चले जाना चाहिए, नही तो मुकदमा चलाया जायेगा।

इन चार "बहादुरोने" डबनके टिकट ले लिये है। इसलिए अब ये चैमने साहबको विशेष तकलीफ नही देगे, न अब विशेष टीकाका कारण ही रहा है।

तुर्कीकी प्रजा

जोहानिसबगमे रहनेवाले तुर्कीके कुछ मुसलमानोने मौलवी साहब अहमदकी मददसे तुर्कीके वाणिज्य दूतको एक अर्जी भेजी है। उसमे बीस व्यक्तियोके हस्ताक्षर है। उसका अनुवाद निम्नानुसार है[2]

इस अर्जीपर तुर्कीके बीस मुसलमानोने हस्ताक्षर किये है।

नेसरका पत्र

श्री ईसप मियाने श्री नेसरको पत्र लिखा था। उसका उत्तर नीचे लिखे अनुसार आया हे[3]

> आपने जो रिपोट दी है वह सही है। और उस वक्तके प्रत्येक शब्दपर मै दृढ हूँ। जो एशियाई यहा नियमानुसार बसे हुए है उनसे मुझे बहुत हमदर्दी है। उनके लिए मै पहले न्यायालयमे लड चुका हूँ और भविष्यमे प्रत्येक योग्य प्रसगपर लडनेको तैयार हूँ। लेकिन एशियाइयोके प्रवेशको मै और अधिक जारी रखनेमे असमथ हूँ। इस प्रवेशको रोकनेमे हर तरहकी मदद देनेका मैने निश्चय किया है। आत्मरक्षाके

१ देखिए "पत्र एशियाई पजीयकको", पृष्ठ २२७।

२ पाठके लिए देखिए "प्राथनापत्र तुर्कीके महा वाणिज्य-दूतको", पृष्ठ २६६।

३ मूल पत्र ५-१०-१९०७ के **इडियन ओपिनियन**के अग्रेजी विभागमें प्रकाशित किया गया था।

लिए उतना जरूरी है। अँगुलियोकी निशानीके सम्बन्धमे क्या आपत्ति हो सकती है, यह समझमे नही आता। उसमे मुझे कोई आपत्ति नही मालूम होती। अँगुलियोकी निशानीसे किसीकी धार्मिक भावनाको किस तरह चोट पहुँच सकती है? आप स्वेच्छया पजीयनके बारेमे बहुत कह रहे है। लेकिन उसमे और अनिवाय पजीयनमे क्या अन्तर है, कृपया लिखे। स्वेच्छया पजीयनमे बेकार समय जायेगा। भले लोग तो पजीयन करवा लेगे, लेकिन बदमाश तब भी बच जायेगे। जैसे मै यह नही कह सकता कि गोरे या उनके समाजका हरएक व्यक्ति ईमानदार है, वैसे ही आप भी यह नही कह सकते कि आपके भी सभी लोग ईमानदार है।

ईसप मियाँका उत्तर

इसपर श्री ईसप मियाने निम्नलिखित उत्तर दिया है[1]

आपके विवेकपूण और खुले दिलसे लिखे गये पत्रके लिए हमारा सघ कृतज्ञ है। भारतीय प्रश्नका निराकरण करनेमे मुख्य कठिनाई यह हे कि गोरे नेता भारतीय प्रश्नकी वास्तविकतासे परिचित नही है।

इस उपनिवेशमे रहनेवाले भारतीयोके प्रति आपकी सहानुभूतिके लिए मै कृतज्ञ हूँ। उन लोगोके लिए ही यह लडाई है, इसलिए आपकी और हमारी लडाई मिलती जुलती है।

भारतीय बडी सख्यामे प्रवेश करे, इसपर आपने आपत्ति प्रकट की हे, जिससे सघको सहानुभूति है। गोरे आव्रजनके विरुद्ध है, इसलिए इस आपत्तिके सम्बन्धमे हमे कुछ कहना नही है। और इस विषयमे सघ हमेशा सरकारको मदद देनेको तैयार है।

अब हम एशियाई कानूनके गुण दोषोका विवेचन करे। सितम्बर १९०६ को जब एशियाई कानून बनाया गया था तब अँगुलियोकी निशानीकी बात नही थी। अँगुलियोकी निशानीकी जगह यदि हस्ताक्षरकी बात की जाती तो भी सघ कानूनका विरोध करता। हमे जो चीज चुभती है, और जिससे वेदना होती है वह यह है कि कानून हमे पजीकृत होनेके लिए मजबूर करता है। अँगुलियोकी निशानी देनेसे हमारी धार्मिक भावनापर चोट नही पहुँचती। किन्तु यह कानून तुर्कीके यहूदियो और ईसाइयोपर लागू नही होता, इस धार्मिक भेदभावसे हमारी भावनाको चोट जरूर लगती है।

कानूनमे विधिवत् शर्ते बनाई गई है। उनके भग होनेपर हर बातके लिए सख्त सजा रखी गई है। ऐसी सजाओसे कानून भरा हुआ है। लेकिन हम जो विरोध करते है, वह इसलिए कि आप भारतीय प्रजाके साथ ऐसा व्यवहार करते है, मानो वह बदमाश समाज हो, ठग हो, उसने अनुमतिपत्रोकी अदला बदलीका धधा ही उठा रखा हो और गैरकानूनी तरीकेसे लोगोका प्रवेश कराता हो। भारतीय समाजका विरोध इससे है, और वह बिलकुल वास्तविक है। सामान्यत, सख्त सजाएँ रखनेका अथ ही यह होता हे कि ऐसे अधम अपराध होते है। भारतीय समाज ऐसे अपराध करनेका धधा नही करता, और इसलिए बदमाशोमे शरीक किये जानेपर वह उसके विरुद्ध लडता है। दूसरी बात यह भी याद रखनी चाहिए कि यह अधम कानून सिफ

१ मूल अंग्रेजी पत्रके हिन्दी अनुवादके लिए देखिए "पत्र जे० ए० नेसरको", पृष्ठ २६२ ६४।

भारतीयोके लिए ही बनाया गया हे। मलायी लोगोके साथ बहुत से भारतीयोका सम्बन्ध है, रगदार लोगोके साथ उनका स्नेहभाव हे, काफिरोको वे अपने यहा नौकर रखते है। एशियाई कानून उपयुक्त सभी लोगोकी नजरमे भारतीयोको नीचे गिराता है। उपनिवेशमे दूसरे लोगो तथा मलायी, रगदार और काफिरोपर कोई प्रतिबन्ध नही हे, सिफ भारतीयोको उनकी बदनामी करनेके लिए अलग किया गया हे।

अन्तिम आपत्तिका उत्तर एशियाई प्रतिस्पर्धाका डर है। यह स्पष्ट है। इस बातको मेरा सघ स्वीकार करता है और इसलिए कहता है कि हम स्वेच्छया पजीकृत होगे, या अपनी अँगूठा निशानी या शिनाख्त देगे। इससे हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, गोरोका काम हो जायेगा और यहाके निवासियोको सरक्षण मिल जायेगा। आपकी यह मान्यता मालूम होती हे कि स्वेच्छया पजीयनसे झूठे प्रवेशकर्त्ताओपर अकुश नही लगता। ऐसे लोगोके अस्तित्वको स्वीकार करनेसे मेरा सघ इनकार नही करता। लेकिन आप जो मानते है कि ऐसे लोग बच जायेगे, यह भूल है। क्योकि जो स्वेच्छया पजीकृत नही होते उनपर आप नया कानून लागू कर सकते है। इसके अलावा एक निश्चित अवधिके बाद सबके प्रमाणपत्र एक साथ भी देखे जा सकते है। उस वक्त जिसके पास नया पजीयनपत्र न हो, उसे प्रवासी अधिनियमके अन्तगत उपनिवेशके बाहर निकाला जा सकता हे।

अन्तमे मै इतना कहता हूँ कि उचित शिकायतोके सम्बन्धमे मेरे देशभाइयोने गोरोकी इच्छाके अनुसार चलनेका प्रयत्न किया है, जबकि गोरोने भारतीयोका असन्तोष दूर करनेके लिए कुछ नही किया। उन्होने आखे मूदकर भारतीयोका विरोध करना ही अपना कतव्य समझा है। भारतीय क्या चाहते है, उन्होने इसे जानने तक की परवाह नही की। आप अपने धधेके कारण भारतीयोके सम्पकमे काफी आये है तो क्या आप जरा इस मामलेमे पडेगे? हमारी दष्टिसे सम्पूण प्रश्नको देखेगे? इस प्रकार छानबीन करके देखिए कि जरा धैय और परस्पर सहायतासे समझौता किया जा सकता है या नही।

झूठे गवाहोको सूचना

जोहानिसबगमे श्री वेडरबगके पास पाच भारतीयोपर एक लूटका मुकदमा चला था। उसमे फरियादी तथा कुछ दूसरे भारतीयोने जो गवाही दी वह मजिस्ट्रेटको झूठी मालूम हुई। इसपर उसने गवाहोको फटकारा और अभियुक्तोको बिना जाच किये छोड दिया। उसने खुली अदालतमे, जहा बहुत से भारतीय थे, सबसे कहा कि आजकल भारतीयोमे झूठे मुकदमे बहुत होते है। यदि ऐसे मुकदमे फिर लाये गये तो झूठी गवाहीके लिए मुकदमा चलाया जायेगा। इस बातको प्रकाशित करते हुए मुझे दुख होता हे। लेकिन इसकी ओर सबका ध्यान आकर्षित करना जरूरी समझता हूँ। इस तरहके मुकदमोसे भारतीयोकी इज्जत जाती है, और हम दूसरोकी नजरमे गिरते है। मेरा खयाल है कि गवाह तो खिलाडियोके हाथके मोहरे थे, सच्चे गुनहगार खिलाडी है। उनसे मुझे कहना है कि थोडे से पैसोके लालचमे गरीबोको बरबाद करना और अपने साथ अपने समाजको भी कलकित करना शोभा नही देता। झूठे मुकदमे बनाकर कमाई करनेके बजाय कमाईके और भी दूसरे तरीके हो सकते है।

अनुमतिपत्र खो जानेपर क्या किया जाये?

एक भाईने यह प्रश्न पूछा है। इसका उपाय आसान है। और वह है, बिना अनुमतिपत्रके घूमे-फिरे। जेलका डर रहा नही, इसलिए यदि मजिस्ट्रेटके पास खडा किया जाये तो बेधडक जाये। जॉच होनेपर उन्हे छोड दिया जायेगा। अन्तिम नोटिस निकल जानेके बाद वर्तमान अनुमतिपत्र खोयेके समान हो जायेगा, क्योकि पुराना अनुमतिपत्र दिखानेसे कोई किसीको छोडनेवाला नही है। इसलिए नये कानूनका विरोध करनेवाले अनुमतिपत्र खो जानेका डर क्यो रखे?

नई बला

स्वर्ण कानून (गोल्ड लॉ) के अन्तर्गत व्यापारका परवाना नही दिया जा सकता, इस तरहका एक मुकदमा चल रहा है। मेरा खयाल है, सरकार ऐसा मुकदमा चलाकर सरासर गलती कर रही है। यह मामला उच्च न्यायालयमे ले जाया जायेगा, इसलिए इसके बारेमे विशेष कहना अनावश्यक है। सरकार स्वर्ण कानून लागू करना चाहती है। इसका मतलब यह हुआ कि इस नये कानूनके सामने घुटने टेकनेवालोके लिए चैन नही है। लेकिन यदि यह खूनी कानून गया तो मेरे विचारमे स्वर्ण-कानून अपने आप मर जायेगा।

स्मट्सका उत्तर

प्रिटोरियाके कुछ लोगोने गुलामीकी अर्जी दी थी और श्री स्मट्सने उसका उत्तर भी ऐसा ही दिया है जो गुलामोको फबे। उन्होने कहा है कि जो एशियाई कानूनके अनुसार चलेंगे उनकी बेडीकी जॉच काफिरोकी जगह गोरे करेंगे। शेष बाते स्वीकार नही की जा सकती। सम्भव हुआ तो अगले सप्ताहमे उस उत्तरका पूरा अनुवाद दूगा। वह जानने योग्य है। आशा है, उसके साथ जोहानिसबर्गके आन्दोलनकी और भी महत्त्वपूर्ण बाते दूगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ५–१०–१९०७

२२० पत्र मगनलाल गांधीको

[जोहानिसबर्ग]
अक्तूबर ६, १९०७

चि० मगनलाल,

मने श्री बद्रीके[2] कागजपत्र अब खोज लिये है। उन्होने श्री लोगनसे जो जायदाद खरीदी थी उसका पंजीयन हो चुका था और हस्तान्तरणका दस्तावेज मेरे पास है। क्या वे यही चाहते थे? पता लगाकर मुझे लिखो।

तुम्हारा शुभचिन्तक,

टाइप की हुई दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस० एन० ४७६७) से।

१ देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ २८४।
२ गांधीजीके एक मुवक्किल। देखिए खण्ड ६, पृष्ठ ४५०।

२२१ पत्र उपनिवेश सचिवको

जोहानिसबग
अक्टूबर ७, १९०७

माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

मेरे सघकी समितिने मुझे निर्देश दिया है कि मै आपके उस भाषणके बारेमे आपको अत्यन्त विनयपूवक कुछ शब्द लिखू जो आपने अपने निर्वाचकोके सामने दिया था और जिसमे आपने एशियाई कानून सशोधन अधिनियमका उल्लेख किया था। यदि पत्रोमे छपा हुआ विवरण ठीक है तो मेरी नम्र रायमे उसमे तथ्योके सम्बन्धमे कई गलत बयानिया है।

मेरे सघको इस बातसे बहुत दु ख पहुँचा हे कि आप एक ऐसे उत्तरदायित्वपूण पदपर आसीन होकर भी मन्दीके कारणके बारेमे जन साधारणमे प्रचलित भ्रान्तिका ही प्रचार करे। व्यापार करनेवाले इस बातको जोर देकर कह चुके है कि इस भारी मन्दीका कारण कुछ और है। कुछ भी हो, उसका प्रभाव भारतीयोपर उतना ही पडा है जितना यूरोपीयोपर।

मेरा सघ इस वक्तव्यका पूणतया खण्डन करता है कि इस समय उपनिवेशमे १५,००० भारतीय है। मेरे सघको अकोका जो विश्लेषण प्राप्त हुआ है, वह शीघ्र ही आपको भेज दिया जायेगा। उससे आपको पता चलेगा कि इस समय ट्रान्सवालमे ७,००० से अधिक भारतीय नही है।

आपने यह कहनेकी कृपा की है कि पुराने कानूनके अन्तगत जो प्रमाणपत्र जारी किये गये थे उनकी दूसरी जाली प्रतिया तैयार करके उनको बेचा गया है और बम्बई, जोहानिसबग और डबनमे ऐसे स्थान मौजूद है जहा ऐसे जाली प्रमाणपत्र अमुक रकम देकर खरीदे जा सकते ह। मेरा सघ आपके इस वक्तव्यका पूरी तरह खण्डन करता है और विनयपूवक निवेदन करता है कि इस मामलेकी सावजनिक जाच की जाये। किन्तु मेरे सघको इस बातका पता है कि पजीयन कार्यालयका एक मुशी जाली अनुमतिपत्रोका व्यवसाय करता था और उसने नि सन्देह कुछ भारतीयोको, जिनको न तो अपनी राष्ट्रीयताका और न अपने सम्मानका ध्यान था, अपना साधन बनाया। परन्तु वह बात, आपने जनताके सामने जो कुछ रखा हे उससे, बिलकुल अलग है।

आपने यह भी कहनेकी कृपा की है कि भारतीयोने अँगुलियोके निशानोके कारण इस अधिनियमका विरोध किया है। मेरा सघ सरकारसे कई बार निवेदन कर चुका है कि भारतीयोके विरोधका मौलिक कारण अँगुलियोका निशान नही, बल्कि अनिवायताका सिद्धान्त तथा कानूनका वह सम्पूण उद्देश्य है जो भारतीयोको अपराधी करार देता है। इस कानूनके खिलाफ जब पहले-पहल एतराज पेश किये गये थे तब अँगुलियोके निशानोका जिक्र तक नही किया गया था। साथ ही मै यह भी बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय ट्रान्सवाल आये है उनसे भारतमे

कभी भी न तो अँगुलियोके और न ही अँगूठोके निशान लगवाये गये थे। भारतमे निश्चय ही कुछ मामलोमे अँगूठोके निशान लिये जाते ह, किन्तु उनका सम्बन्ध अपराधोसे नही होता। अँगुलियोके निशान केवल अपराधियोसे अथवा उनसे ही लिये जाते है, जिनका अपराधोसे कोई सम्बन्ध होता है। अँगूठेका निशान जहा लिया जाता है वहा वह नियम केवल निरक्षरोपर ही लागू होता है।

मेरे सघको सरकारकी इस इच्छाका हमेशा ही पता रहा हे कि वह इस कानूनको पूरी तरह और कठोरतासे अमलमे लाना चाहती हे। किन्तु मुझे एक बार फिर यह कहनेकी अनुमति दी जाये कि इस कानूनके सामने झुकने तथा सोच विचार कर की गई अपनी शपथको तोडनेसे हमारे समाजका जो पतन होगा, उसके मुकाबले कानूनका कठोरसे कठोर प्रशासन भी कुछ नही है। मेरा सघ यह अनुभव करता है कि यद्यपि आपने यह घोषणा कर दी है कि आपने इस प्रश्नके भारतीय दष्टिकोणका विशेष रूपसे अध्ययन किया है, फिर भी विरोधकी मूल भावना और साथ ही मेरे सघ द्वारा उठाये हुए अत्यन्त महत्वपूण मुद्दोपर आपने बिलकुल ही ध्यान नही दिया।

अन्तमे मै इस बातको फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि भारतीयोके अत्यधिक सख्यामे आव्रजन तथा व्यापारमे अनियन्त्रित प्रतियोगिताके विरुद्ध आपके एतराजकी मेरे सघने सदा ही कद्र की हे। और समाजकी नेकनीयती प्रकट करनेकी दृष्टिसे उसने विनम्रतापूवक ऐसे प्रस्ताव पेश किये है, जिनसे दोनो एतराज दूर हो जाये। किन्तु, भारतीयोके लिए यह असम्भव हे कि वे इस कानूनको स्वीकार कर अपना रहा सहा सम्मान भी खो बैठे, क्योकि यह कानून सही वस्तु-स्थितिसे अनभिज्ञताके कारण बनाया गया है, कायरूपमे एक हद तक दमनकारी है और मेरा सघ जिस समाजका प्रतिनिधित्व करता है उसकी धार्मिक भावनाओको चोट पहुँचाता है।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–१०–१९०७

२२२ पत्र 'रैंड डेली मेल'को

जोहानिसबग
अक्तूबर ९, [१९०७]

सेवामे
सम्पादक
['रड डेली मेल'
जोहानिसबर्ग]

महोदय,

आपने श्री सुलेमान मगा[1] तथा पूनिया[2] नामक एक भारतीय महिलाके, जिनके साथ घोर दुव्यवहार किया गया था, मामलोको उत्साहपूवक उठा लेनेकी कृपा की थी। मै आपका ध्यान एक तीसरे मामलेकी ओर आर्कषित करता हूँ, जो मेरे देखनेमे आया है। इस मामलेमे जो अकारण अपमान किया गया हे, वह पहले दोनो मामलोसे अधिक नही, तो कम भी नही हे।

श्री ए थनी पीटस जन्मत भारतीय ईसाई और नेटालके एक पुराने सरकारी नौकर ह। इस समय वे पीटरमरित्सबगके मुरय न्यायाधीशकी अदालतमे दुभाषियेका काम कर रहे ह। रविवारकी बात हे, वे शनिवारको पीटरमैरित्सबगसे चलनेवाली जोहानिसबग मेलसे जोहानिसबग जा रहे थे। उनके पास रियायती टिकट और रेलवेकी ओरसे मिला हुआ एक प्रमाणपत्र था, जिसमे उनके सरकारी पदका विवरण था। फोक्सरस्टमे जाच करनेवाले पुलिस-अधिकारीने उनसे कडी जिरह की। श्री पीटसने अपना अनुमतिपत्र दिखलाया, जो उन्हे भारतीयाके स्वेच्छया अँगूठा निशान देनेसे पहले दिया गया था। इससे अधिकारीको सतोष नही हुआ। अत श्री पीटसने वह रियायती टिकट दिखलाया, जिसका मने उल्लेख किया हे, अपने हस्ताक्षर देनेका प्रस्ताव किया, किन्तु कोई फायदा नही हुआ। और अधिकारीने उनका यह कहकर अपमान किया कि शायद आप और किसीका रियायती टिकट लेकर आये है। इसपर श्री पीटसने अपनी छडी तक दिखलाई, जिसपर उनके नामके प्रथम अक्षर अकित थे। फिर, उन्होने अपनी कमीज भी दिखलाई, जिसपर उनका पूरा नाम था। किन्तु यह भी सन्तोषजनक नही समझा गया। तब उन्होने तीन दिन बाद लौटनेकी जमानतके लिए रुपया जमा करनेका प्रस्ताव किया, किन्तु अधिकारीने एक काफिर पुलिसको आज्ञा दी कि वह श्री पीटसको अक्षरश डिब्बेसे बाहर घसीट ले। जब श्री पीटसको सार्जेंट मैंसफील्डके सामने पेश किया गया तो उसने उस भयकर गलतीको अनुभव करते हुए माफी मागी और उनको छोड दिया। लेकिन इतनेसे ही भला सन्तोष कैसे होता? इस अपमानके अलावा उन्हे फोक्सरस्टमे, जहा वे किसीका जानते नही थे, लम्बी तथा थका देनेवाली प्रतीक्षा करनी पडी और साथ ही उनकी तीन दिनकी छोटी सी छुट्टीका भी बडा सा हिस्सा बेकार गया। श्री पीटस आज रातको नौकरीपर लौटेंगे। इस घटनाके बारेमे मुझे टिप्पणी करनेकी आवश्यकता नही हे। मुझे केवल यही कहना है कि इस देशमे

१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ २८८-८९ और २९४।
२ वही, पृष्ठ ४६३-६४।

यात्रा करनेमे भी अनेक सम्मानित भारतीयोको जो-कुछ सहन करना पडता है, यह उसका एक नमूना है। यहा साधारण कानून बनानेका प्रश्न नही है, एशियाइयोका बडी सख्यामे आनेका भी प्रश्न नही है, बल्कि मनुष्य और मनुष्यके बीचमे साधारण शिष्टता तथा न्यायका प्रश्न है। अथवा, 'ग्लासगो हेरल्ड' मे उस दिन लिखनेवाली श्रीमती वॉगलके शब्दोमे, क्या रगदार चमडी होना ट्रान्सवालमे श्वेत लोगोके विरुद्ध जुर्म है?

आपका, आदि,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]
रड डेली मेल, १०–१०–१९०७

२२३ केपके भारतीय

केपके सर्वोच्च न्यायालयमे प्रवासी कानूनसे उत्पन्न एक महत्त्वपूर्ण परीक्षणात्मक मुकदमेकी सुनवाई हुई थी, जिसका विवरण[1] 'केप टाइम्स' ने प्रकाशित किया था। कुछ विलम्ब हो जानेपर भी हम उसे इस अकमे अन्यत्र उद्धृत कर रहे हैं। केपकी ससदमे जब प्रवासी अधिनियम पास किया जा रहा था उस समय वहाके प्रमुख भारतीयोने जो सुस्ती दिखाई उसपर हम पहले भी खेद प्रकट कर चुके हैं। हमे विश्वास है कि फरियाद की जाती तो इस प्रकारके कानूनमे निश्चय ही काफी सशोधन कर दिया जाता। यद्यपि मुकदमेके तथ्योको उक्त विवरणमे पूरी तरहसे दिया गया है, तथापि हम दुबारा उनको यहा दे रहे है। केपमे बसा हुआ एक भारतीय, जिसकी वहा कुछ जमीन जायदाद थी, और जो १८९७ से वहा सामान्य विक्रेताका रोजगार करता था, भारत जाना चाहता था, और भारतसे लौटते समय होनेवाली असुविधासे बचनेके इरादेसे एक निश्चित अवधि तक उस उपनिवेशसे अनुपस्थित रहनेका अनुमतिपत्र चाहता था। प्रवासी अधिकारीने ऐसा अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया और ऐसा अनुमतिपत्र देना चाहा जिसकी अवधिका निश्चय वह स्वय करता। यहा प्रश्न यह नही है कि प्रवासी-अधिकारीका निर्णय उचित था या नही, क्योकि एक ओरसे अधिकार पानेका तथा दूसरी ओरसे उसे न देनेका प्रयत्न किया जा रहा था। प्रवासी अधिकारीका कहना था कि एक एशियाईको उपनिवेशसे अनुपस्थित रहनेका अनुमतिपत्र देना एक रियायत है। किन्तु एशियाईका कहना था कि यह उसका अधिकार है। अब सर्वोच्च न्यायालयने यह निर्णय दिया है कि कानूनके अनुसार एशियाइयोको अनुपस्थितिका अनुमतिपत्र पानेका निहित अधिकार नही है। साराश यह कि यह मामला निरा स्वाग है, क्योकि इससे एशियाइयोको दासताकी अवस्थामे पहुँचा दिया गया है, जिसके लिए वहाके प्रमुख भारतीयोके अलावा और किसीको दोष नही दिया जा सकता। इसके अलावा, दलीलोमें उठाया गया सबसे दिलचस्प मुद्दा अनिश्चित ही छोड दिया गया है। प्रवासी अधिनियमकी पहली धारा १९०२ के प्रवासी अधिनियमके द्वारा दिये गये अधिकारोकी रक्षा करती हुई

१ विवरण यहाँ नही दिया जा रहा है।

मालूम होती है, जिसे उक्त अधिनियमने मसूख कर दिया है। इसमें कहा गया है कि

> **इस मसूखीका इस अधिनियमके लागू होनेके समय पूरे किये गये अथवा शुरू किये गये कामो, किन्हीं अधिकारो, सुविधाओ या प्राप्त सरक्षणो, किन्ही सजाओ या देनदारियोकी जिम्मेदारी, किन्ही वतमान निर्योग्यताओ, किसी किये हुए अपराध अथवा की हुई कायवाहीपर कोई प्रभाव न पडेगा।**

इधर, १९०२ का अधिनियम ४७ दक्षिण आफ्रिकामे आकर बसनेवाले दूसरे लोगोके साथ एशियाइयोके अधिकारोकी भी रक्षा करता था। इससे ऐसा लगता है कि १९०२ से पहले केपमे, या दक्षिण आफ्रिकामे भी, बस जानेवाले भारतीयोके अधिकारोपर १९०६ के अधिनियमका कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडता। न्यायमूर्ति मैसडापने साफ कहा कि उस भारतीयके सम्बन्धमे ही यह मुद्दा उठाया जा सकता है और उसका फैसला किया जा सकता है जो १९०२ से पूव केपका निवासी रहा हो और अनुपस्थितिका अनुमतिपत्र लिये बिना केपसे बाहर जाकर फिर वहा वापस आये। यह बहुत ही सहज है और हमारा विश्वास है कि केपमे रहनेवाले भारतीय अपने इस अधिकारकी परीक्षा करा लेनेमे समय न खोयेंगे। अनुपस्थितिका अनुमतिपत्र जारी करनेकी प्रथा अत्यधिक दमनकारी है, और वह निसन्देह उस स्वतन्त्रतामे हस्तक्षेप करती है, जिसका हर आजाद आदमीको अधिकार है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–१०–१९०७

२२४ 'इडियन ओपिनियन' के बारेमें

हमारे पाठकोने देखा होगा कि हम गुजरातीमे पहले चार पष्ठ देते थे, फिर आठ हुए, उसके बाद बारहपर पहुँचे, और कुछ सप्ताहसे तेरह, चौदह और पन्द्रह पष्ठ चल रहे है। अब हमने हमेशा सोलह पष्ठ देनेका इरादा किया है। सम्भव है, कभी किसी असुविधाके कारण इतने न दिये जा सके। इस तरह कलेवर बढानेसे खच बढता जाता है। फिर भी हम विचार बदलनेवाले नही ह, क्योकि हमारा हेतु सेवा करके अपनी रोटी कमाना है। मुख्य उद्देश्य है सेवा करना। कमाई उसके बाद है। 'इडियन ओपिनियन' जबसे शुरू हुआ है[1] तबसे आजतक इससे मालदार बननेका लक्ष्य न तो किसीका रहा, और न आगे रहेगा। इसलिए आमदनी जितनी ज्यादा हो उतना ही पाठकोको फायदा पहुँचे, इसकी हम व्यवस्था करना चाहते है। इस पत्रमें काम करनेवालोकी आमदनी एक सीमा तक पहुँचनेके बाद जो-कुछ भी रकम बच रहेगी, और ऐसी बचतका समय आयेगा तो, वह सब रकम सावजनिक कायमे खच की जायेगी।

हमारी निश्चित मान्यता है कि 'इडियन ओपिनियन' की बिक्रीमे जितनी वृद्धि होगी, उतनी ही हमारी शिक्षा और स्वाभिमानमे वद्धि होगी। फिलहाल 'इडियन ओपिनियन' के ग्राहक सिफ ग्यारह सौ है, यद्यपि उसके पाठकोकी सख्या बहुत ज्यादा है। यदि सभी पाठक

१ जून, १९०३, देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३३६ ३७।

अपनी अपनी प्रति ले तो 'ओपिनियन' आज जितनी सेवा कर रहा है उससे तिगुनी ज्यादा सेवा कर सकता है। हम जिस तरह पृष्ठसख्या बढाते हैं उसीके अनुपातमें प्रोत्साहन भी चाहते हैं, यह ज्यादा तो नही माना जायगा। जो इस पत्रकी कीमत पूरी तरहसे जानते है, वे यदि एक एक ग्राहक बना दे तो भी हमे प्रोत्साहन मिलेगा और पृष्ठ बढानेसे जो खर्च बढता है, उसमे मदद मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–१०–१९०७

२२५ दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति

इस समितिको अब एक वर्ष पूरा हो रहा है।[१] इसे दूसरे वर्ष चालू रखा जाये या नही, यह दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोपर निर्भर है। श्री रिचने यह सवाल उठाया है। उनके पत्रकी ओर हम प्रत्येक भारतीयका ध्यान खीचते हैं।

समितिने काम बहुत किया है और उसका परिणाम बहुत ही अच्छा हुआ है, इस बातको प्रत्येक भारतीय समझ सकता है। अभी हमारी नाव बीच समुद्रमे है। इस बीच समितिको तोडना हम नावको डुबानेके समान मानते हैं।

समितिके कामसे केवल ट्रान्सवालको ही नही, समूचे दक्षिण आफ्रिकाको लाभ है। फ्रीडडार्पके कानूनका लाभ केवल जोहानिसबर्ग ही भोगेगा सो बात नही। उस कानूनमे जो परिवर्तन हुआ और जन-मतपर जो असर पडा है उसका लाभ सबके लिए समझना चाहिए। नये कानूनकी लडाईकी सफलतामे समस्त भारतीयोका लाभ समाया हुआ है। समितिने बस इतना ही नही किया है। नेटालका नगरपालिका कानून रद सा है। उसका श्रेय समिति ही ले सकती है। परवानेके सम्बन्धमे समिति अभी लड रही है। डेलागोआ बेके बारेमे, हमारा विचार है, समितिकी लिखा-पढीका असर हुआ है। और यदि केपके भारतीयोकी नीद खुल जाये तो उनके कानूनके लिए भी समिति लड सकती है।

समितिमे कई प्रसिद्ध लोग हैं। लेकिन यदि उसका काम करनेवाले श्री रिच न हो तो वह चल ही नही सकती। सर मचरजी भावनगरी बहुत परिश्रम करते ह। परन्तु यह काम उनके बहुत से कामोमे एक है। श्री रिचका तो सारा समय समितिके काममे ही जाता है। इस-लिए उनके बिना समितिको चलाना मुश्किल होगा। उनका दक्षिण आफ्रिका लौट आनेका समय आ गया है, फिर भी जान पडता है कि वे वहा रुकनेमे खुश हैं।

अब खर्चके सम्बन्धमे विचार करे। समितिकी स्थापनाके समय हमने कमसे कम ३०० पौड खर्चका अनुमान लगाया था। लेकिन काम इतना बढ गया कि समितिको जो ५०० पौड भेजे गये वे भी कम पडे। इतने खर्चमे भी काम इसलिए चल गया कि श्री रिचने नाममात्रको वेतन लिया है। वे तो वह भी न लेते, लेकिन उनके लिए और कोई चारा नही था। अब हमें उनका पूरा खर्च उठाना चाहिए। यानी उनके हिसाबसे एक वर्षका खर्च १,००० पौड होगा। यदि समिति पूरी ताकतसे एक वर्ष काम करे तो ५०० पौड उसके लिए मानना चाहिए

१ यह नवम्बर, १९०६ में स्थापित की गई थी, देखिए खण्ड ६, पृष्ठ २४३-४४।

और ५०० पौंड श्री रिचको देनेके लिए। इस तरह हिसाब लगानेसे १,००० पौंड होते हैं। फुटकर खर्चमें कटौती की जा सकती है, किन्तु श्री रिचके खर्चमें नहीं, क्योंकि उतना खर्च तो विलायतमें सहज ही हो जाता है।

यह प्रश्न हर भारतीयके लिए विचार करने योग्य और हर संघके लिए हाथमें लेने योग्य है। समितिका खर्च दक्षिण आफ्रिकाके प्रत्येक हिस्सेसे पूरा किया जाना चाहिए।

यदि केप, रोडेशिया, डेलागोआ बे, नेटाल और ट्रान्सवाल मिलकर इतना खर्च उठा लें तो अधिक नहीं होगा। इतना खर्च किया जानेपर भी सामान्यतः ऐसी समिति, और ऐसा काम मिल नहीं सकता। श्री रिच समितिके कामको वेतन भोगी नौकरकी तरह नहीं, बल्कि अपना काम समझकर करते हैं, इसलिए उपयुक्त रकमसे काम चल सकता है।

इस सम्बन्धमें पाठकोंके जो भी विचार संक्षेपमें आयेंगे, उन्हें प्रकाशित किया जायेगा। यदि कोई इस सम्बन्धमें पैसे भेजना चाहे तो हम स्वीकार करेंगे। भेजनेवालोंको आखिरमें संघकी रसीद मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२–१०–१९०७

२२६. स्मट्सका भाषण

श्री स्मट्सने प्रिटोरियामें जो भाषण दिया उसका पूरा अनुवाद हमने अपनी जोहानिसबर्गकी चिट्ठीमें दिया है। वह बहुत ही पढ़ने व विचार करने योग्य है। श्री स्मट्स बड़े गर्वसे बोले हैं। किन्तु ईश्वर किसीका गर्व टिकने नहीं देता। वही हाल श्री स्मट्सके गर्वका होना सम्भव है।

उन्होंने जितना गर्व किया है उतना ही उनका अज्ञान है। श्री ईसप मियाँने उन्हें समुचित उत्तर दे दिया है, यह देखकर हम उन्हें बधाई देते हैं।

श्री स्मट्स ऐसे बोलते हैं, मानो ब्रिटिश सरकारकी उनके मनमें कोई बिसात नहीं। उनके इन शब्दोंका, सम्भव है, उदारदलीय पक्ष भी विरोध करेगा — यद्यपि हमें इसकी कुछ भी परवाह नहीं कि वह पक्ष उनका विरोध करता है या नहीं करता।

श्री स्मट्सके अज्ञानके उदाहरण लें। उनका कहना है कि हम लोग अँगुलियोंकी छापके सम्बन्धमें ही लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बात बिलकुल बेहूदा है। यह ठीक है कि अँगुलियोंकी छापकी बात भी एक प्रश्न है, लेकिन हमारी लड़ाई उसीपर आधारित नहीं है। लड़ाईका मुख्य कारण यह है कि यह कानून हमें अपराधी और झूठा मानकर हमारे व्यक्तित्वपर हमला करता है, हमें गोरे तथा अन्य काले लोगोंके सामने गिराता है और निर्माल्य समझकर हमें कुचल देना चाहता है। इन सब बातोंको नजरअंदाज कर, केवल अँगुलियोंकी छापकी बातपर जोर देकर, श्री स्मट्स हमारा मजाक उड़ाते हैं और गोरोंको हँसाते हैं। इस असत्य तथा अन्य आरोपोंका श्री ईसप मियाँ तीखे शब्दोंमें श्री स्मट्सको जवाब दे चुके हैं। उन्होंने हमपर यह आरोप लगाया है कि बम्बई, जोहानिसबर्ग तथा डर्बनमें झूठे अनुमतिपत्र बेचनेके लिए भारतीय कार्यालय चल रहे हैं। यह छोटी मोटी बात नहीं है।

परन्तु हमारे लिए श्री स्मट्सकी इस सरासर झूठकी अपेक्षा उनके विचार अधिक समझ लेने योग्य हैं। श्री स्मट्सके कथनसे हम समझ सकते हैं कि यह सारा आक्रमण व्यापारियोंपर है। भारतीय व्यापारी उनकी आखोंमें खटकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वे व्यापारियोंको बस्तीमें ही भेजेंगे। चाहे जितनी मुसीबतें भोगनी पड़े, वे ट्रान्सवाल केवल गोरोंके लिए ही रखना चाहते हैं। इस समयकी व्यापारिक मन्दीका दोष भारतीय व्यापारियोंपर थोप रहे हैं, और जबतक भारतीय व्यापारियोंकी जड़ें नहीं उखाड़ देंगे तबतक वे चैन नहीं लेंगे। वे समझते हैं कि यदि हम लोग इस कानूनको मान लें तो फिर उन्हें जो कुछ करना हो वह कर सकेंगे। जबरदस्त टक्कर लेकर और शपथें खाकर यदि हम सो जायें तो फिर लात मारना आसान है। इससे खासकर व्यापारियोंको समझ लेना चाहिए कि यदि व्यापारी पंजीयन करवायेंगे तो उनका दोहरा नुकसान होगा। उनकी प्रतिष्ठा जायेगी, उन्हें भारतीय धिक्कारेंगे और हाथ मुँह घिसनेके बाद भी उन्हें बस्तीमें जाकर बरबाद होना पड़ेगा। यदि वे दृढ़ रहकर लड़ेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, और प्रतिष्ठा ही सच्चा धन है। इतना ही नहीं, दृढ़ रहनेसे लड़ाई जीतनेकी पूरी सम्भावना है। अर्थात् उनका व्यापार बच जायेगा। बचनेका एक ही रास्ता है और वह है कानूनके खिलाफ जूझना। अन्यथा हम आजसे ही मरे हुए हैं।

फिर, श्री स्मट्सके शब्दोंको हम धमकीके रूपमें ही लेते हैं। जो करता है वह बकता नहीं। काटनेवाला कुत्ता भौंकता नहीं। फन उठानेवाला साँप डसता नहीं केवल फुफकारता है। श्री स्मट्स एक ओर तो कहते हैं कि दिसम्बर महीनेमें प्रत्येक भारतीयको निर्वासित करेंगे, दूसरी ओर कहते हैं कि जनवरीमें परवाने छीनकर दूकानें बन्द कर देंगे। इसमें सच क्या है? यदि दिसम्बरमें सबको निकाल बाहर करेंगे तो फिर दुकानें किसकी बन्द करेंगे? ऐसे शब्द तो क्रोधका मारा पागल मनुष्य ही बोलेगा। फिर, निर्वासित करनेकी सत्ता तो उनके हाथमें आई नहीं है, पहले ही निर्वासित करनेकी धौंस दे रहे हैं। इसे हम बच्चोंका खेल समझते हैं। आखिर निर्वासित करें और जेलमें बन्द कर दें, इसका डर उसे क्यों लगेगा जिसने अपनी प्रतिष्ठाको श्रेयस्कर माना है? और अन्तमें भारतीय समाजको खुदापर भरोसा है, इसलिए वह हजार स्मट्सोंसे भी नहीं डरेगा।

श्री स्मट्स एक ही बातकी रट लगाये जा रहे हैं, किन्तु दूसरी ओर, हम देख रहे हैं कि, इंग्लैंडमें हमारा समर्थन बढ़ता जा रहा है। मंगलवारके तारोंसे ज्ञात होता है कि काले मनुष्योंकी संरक्षक समिति और नैतिक समिति संघने मिलकर प्रस्ताव किया है कि एशियाई कानून बुरा है और इस सम्बन्धमें भारतीय सरकार, उपनिवेश मन्त्रालय तथा ट्रान्सवालकी सरकारको नरमीसे काम लेना है। ये सब समितियाँ और सारे संसारके समाचारपत्र हमारे पक्षमें हैं। इसके सामने श्री स्मट्स चाहे जितना जोर करें और चाहे जितना घमण्ड करें, उनसे क्या होना है? जिसका खुदा रक्षक है उसका भक्षण किस इन्सानके बूतेका है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२–१०–१९०७

२२७ वाईबर्गका भाषण

श्री वाईबगने ब्लूमफा टीनमे जो भाषण दिया है उसका साराश[1] हमने अ यत्र दिया है। श्री वाईबगने कहा है कि गोरोको यदि उन्नति करनी है तो काले लोगोको बिलकुल अलग देशमे रखा जाये, जिससे गोरोका कालोसे जरा भी ससग न हो। यह कहना आवश्यक नही है कि काले लोगोको अलग निकाल देनेमे एशियाइयोका अलग किया जाना भी शामिल है। श्री वाईबगके शब्दोमे ऐसा अथ समाया हुआ है। भारतीय लोग गोरोसे अधिक सभ्य ही नही है, उनसे बहुत ही प्राचीन सभ्यताका दावा करते है। श्री वाईबगको स्वाथवश इस बातका खयाल तक नही। इसलिए स्पष्ट रूपसे कहा जाये तो इसका अथ यह होता है कि यदि श्री वाईबगका वश हो तो कल सबेरे वे भारतीयोको अकेले रहनेके लिए रवाना कर देगे। वे या उनके अ य साथी इस कामको कर सकेगे या नही, यह बहुत कुछ इसपर निभर है कि भारतीय इस समय कितना बल दिखाते है। यदि वतमान लडाईमे भारतीय पीछे हट गये तो गोरे उन्हे बेदम समझकर अलग रहनेके लिए निकाल देगे, इसकी भनक अभीसे सुनाई पड रही है। तब क्या भारतीय इस स्थितिको समझकर सतक नही रहेगे ? एक ओर श्री स्मट्सने कहा है कि कानूनके सामने नही झुकोगे तो यह करेगे और वह करेगे, दूसरी ओर श्री वाईबगने चेतावनी दी है, यद्यपि घुमा फिराकर, कि यदि हम कानूनके सामने झुक गये (अर्थात निर्माल्य ह, इसका निश्चय होने दिया) तो हमे अलग रहनेके लिए निकाल देनेमे कुछ भी देर नही लगेगी। श्री स्मटसकी धमकीसे यदि कोई डर गया हो तो उसके लिए श्री वाईबगके शब्द कम ध्यान देने योग्य नही है। उपाय केवल एक ही है, और वह है कि भारतीय इस लडाईमे अटल रहकर अपना पानी दिखा दे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १२-१०-१९०७

२२८ केपके भारतीय

केपका प्रवासी कानून ज्यो-ज्यो हम पढते है त्यो-त्यो उसके लिए हम केपके भारतीय नेताओको दोषका पात्र समझते है। फ्राईबगके श्री धारशीकी ओरसे जो मुकदमा चलाया गया था उसे हम बहुत महत्त्वपूण मानते है। उसका आवश्यक विवरण हमने अग्रेजीमे दिया है और उसपर टिप्पणी भी लिखी है।[2] यहा उसकी उतनी ही हकीकत दे रहे है जितनी समझमे आ सके।

श्री धारशी १८९७ से केपमे व्यापार करते है। उन्होने भारत जानेके लिए अठारह महीनेकी अवधि वाला अनुमतिपत्र मागा। अधिकारीने वह अनुमतिपत्र देनेसे इनकार कर दिया और एक वषकी अवधिका अनुमतिपत्र देनेकी रजाम दी दिखाई। श्री धारशीने अधिकारके आधारपर अनुमतिपत्रकी माग की। अधिकारीने कहा कि उन्हे अधिकार कुछ भी नही है। अनुमतिपत्र देना या न देना अधिकारीपर निभर है। इसपर श्री धारशीने अदालतमे मुकदमा दायर किया।

१ यहाँ नहीं दिया गया।

२ देखिए "केपके भारतीय", पृष्ठ २७७-७८।

सर्वोच्च न्यायालयने श्री धारशीकी अर्जी नामजूर कर दी और निर्णय दिया कि भारतीय लोग अनुमतिपत्र देनेके लिए अधिकारीको बाध्य नहीं कर सकते।

इस फैसलेका अर्थ यह हुआ कि केप छोड़कर यदि कोई भारतीय बिना स्वीकृतिके जाता है तो लौटकर नहीं आ सकता। अनुमतिपत्र देनेकी सत्ता अधिकारीके हाथमें रहनेके कारण भारतीय सदाके लिए केपमें पराधीन हो गये। इस समय अनुमतिपत्र सभीको दिया जाता है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। परन्तु अनुमतिपत्र लेना पड़ता है, यही जुल्मकी बात है। ऐसा कानून कहीं नहीं है। नेटालमें एक बार प्रमाणपत्र मिलता है, वह हमेशाके लिए पर्याप्त होता है। ट्रान्सवालमें भी जो प्रमाणपत्र देना चाहते हैं वह एक बारका है। केपसे जब कोई भारतीय जाना चाहे तब उसे अनुमतिपत्र लेना चाहिए। यदि वह न ले और उसे अंग्रेजी न आती हो तो वह वापस नहीं आ सकता। इस कानूनको हम अत्यन्त अत्याचारपूर्ण मानते हैं। इसके अलावा, इस अनुमतिपत्रके लिए एक पौंड शुल्क और लगता है। इसमें और गुलामीमें अधिक अन्तर नहीं है। केपसे अनुमतिके बिना क्यों नहीं जाया जा सकता?

अब भी उपाय है। एक तो यह कि केपके नेता जबरदस्त आन्दोलन करके कानूनमें परिवर्तन करायें। दूसरा यह कि केपके चुनावोंके समय वे अपनी ताकत बतायें। इस कानूनमें और एक डंक है, यह भी स्मरण रखनेकी बात है। प्रत्येक भारतीयके लिए अपना फोटो देना अनिवार्य है। कुछ लोगोंसे फोटो नहीं लिये जाते। इससे उन्हें फूलना नहीं है। वसीलेवाले व्यक्ति यदि छूट जाते हैं तो उससे भारतीय समाजको क्या लाभ? उससे हमारी प्रतिष्ठाकी रक्षा नहीं होती।

जो तीसरा माग है उसपर भी विचार कर लें। उपर्युक्त मुकदमेकी दलीलके समय एक प्रश्न यह उठा था कि १९०२ से पहले केपमें बसे हुए भारतीयोंपर १९०६ का कानून लागू नहीं होना चाहिए। यह प्रश्न मुकदमेमें नहीं उठा था, इसलिए न्यायालयने इसके सम्बन्धमें निर्णय नहीं दिया और कह दिया कि जब ऐसा मुकदमा आयेगा तब न्यायालय देख लेगा। १९०२ के कानूनके अनुसार दक्षिण आफ्रिकामें बसनेवाले प्रत्येक भारतीयको केपमें न जानेका अधिकार था। इससे यह समझा जाता है कि १९०२ के पहलेसे बसे हुए भारतीयपर १९०६ का कानून लागू नहीं होना चाहिए। यदि यह दलील ठीक है तो ऐसे भारतीयके लिए अनुमति-पत्रकी आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकारका मुकदमा न्यायालयमें लानेके लिए १९०२ के पूर्वसे बसनेवाले भारतीयको केपसे बाहर जाकर वापस आनेका प्रयत्न करना चाहिए। यदि प्रवासी अधिकारी उसपर रोक लगायें, तो उपर्युक्त प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयमें उठाया जा सकता है। यह प्रश्न उठाने योग्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इस प्रकार केपके भारतीय तीन माग अपना सकते हैं और हमें आशा है कि वे तीनों माग अपनायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १२–१०–१९०७

२२९ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

स्मट्सने तुच्चे पत्रका उत्तर दिया

मैं कह चुका हूँ कि श्री स्मटसने उस पत्रका उत्तर दे दिया है, जो श्री रूजने कुछ भारतीय नेताओकी ओरसे लिखा था। अब उस उत्तरका अनुवाद दे रहा हूँ [१]

नये कानूनके अन्तगत बनाये गये नियमोके सम्बन्धमे आपका ३० अगस्तका पत्र मुझे मिला। ट्रान्सवालमे रहनेवाले एशियाई लोग कानूनके सामने झुक जायेंगे तो उन भारतीयोके अनुमतिपत्र जाचनेके लिए, जिनपर कोई सन्देह नही है तथा जिन्होने कोई अपराध नही किया, खास तौरसे चुने हुए कुछ गोरे अधिकारी नियुक्त किये जायेंगे।

परवाना देनेवाले कारकुनको इसकी जाच करनेका अधिकार नही दिया जा सकता कि अजदारोके अनुमतिपत्र सच्चे है या झूठे। परवाना अधिकारीके समक्ष पजीयन पत्र पेश करना होगा और केवल दाहिने हाथके अँगूठेकी निशानी देनी होगी। वह निशानी पजीयकके पास भेजी जायेगी। यदि वह पहलेकी निशानीसे मिल गई, तो फिर विशेष जाच नही की जायेगी।

गुमाश्तोको मियादी अनुमतिपत्रोके द्वारा बुलानेके बारेमे अपने विचार पहले व्यक्त कर चुका हूँ। उनमे परिवतन नही किया जा सकता।

माता पिताओसे उनके बच्चे अलग कर देनेका इरादा नही है। और सोलह वषसे कम उम्रके बालकोको बाहर भेजनेका हुक्म नही दिया जा सकता। लेकिन पिता या अभिभावकको कानूनके अनुसार बालकका हुलिया, अँगुलियोकी निशानी आदिका नियम पालना होगा।

चीनी राजदूत आदिके अँगुलियोके निशान नही लेनेका नियम है। उनके सिवा इस नियमसे किसीको मुक्त नही किया जा सकता।

'जैसी बोनी वैसी कटनी'

इस कहावतके अनुसार जिन साहबोने श्री स्मटसको पत्र लिखवाया था उन्हे उपयुक्त ही उत्तर मिला है। यह उत्तर बताता है कि श्री स्मटसने एक भी बात नही मानी, गोरे अनुमति पत्र निरीक्षक भी तभी मिलेंगे जब सभी भारतीय पजीकृत होना स्वीकार करेंगे, कुछ खास लोगोके पजीकृत हो जानेसे काम नही चलेगा। यदि मैं अपने हाथ काले करता हूँ तो मुझे तो कहना चाहिए कि मेरा पजीयनपत्र काला देखे या गोरा, उसमे कुछ भी फक नही पडता। काला आदमी देखे तो शायद कुछ विवेक भी बरत सकता है, लेकिन किसी गोरे अधिकारीने गुलामोके प्रति विवेक बरता हो और उसका कोई उदाहरण हो तो कृपया पाठक मेरे पास भेजे, जिससे इस पत्रमे उन गोरे साहबका नाम जितना भी अमर किया जा सकेगा, करूँगा।

१ मूल अंग्रेजी जवाब ५-१०-१९०७के इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित हुआ था।

शेष मागोके लिए श्री स्मटस साहबने साफ इनकार कर दिया हे, और वह भी गुलामी लेनेवालेको फबे वैसी भाषामे। कुछ मागे बेकार है, यह भी उन्होने कह दिया है। जैसे, बालकोके सम्बन्धमे। स्मटस साहब चाहे तो भी नये कानूनमे परिवतन किये बिना १६ वषसे कम उम्रवाले बालकपर हाथ नही उठा सकते। बालक यदि अँगुलियोकी भी निशानी न दे तो उसे सजा नही दी जा सकती। लेकिन जो पिता अपने लडकेको गुलामीका ककहरा बचपनमे न सिखाये उसके लिए सजा है। गुलामोके बालक स्वतन्त्र मिजाजके हो, यह सरकारको कैसे बरदाश्त हो सकता है? अग्रेजोके बालक आठ वषकी उम्रसे कवायद सीखते और बन्दूके उठाते है। लेकिन हम तो गुलाम ठहरे। इसलिए हमारे बालकोको गुलामीकी तालीम ही दी जा सकती है। जैसा बाप वैसा बेटा, यह तो चला ही आ रहा है, और चलेगा भी। अब इस जवाबके बारेमे ओर अधिक क्या कहूँ? सिफ इतना ही कहना काफी हे कि इस काले पत्रसे कही प्रिटोरियाके भाइयोमे जान आ जाये तो वे अब भी अपने धनका मोह छोडकर कुछ जोशके साथ श्री स्मटसको अनुरूप उत्तर देगे तथा अपनी गलती सुधार कर, भारतीय प्रजा जो आन्दोलन कर रही है, उसमे पूरी ताकतसे शामिल होगे। वास्तवमे श्री स्मटसका पत्र प्रत्येक भारतीयमे जोश भरनेवाला है। उसे पढनेके बाद प्रत्येक भारतीयको लगना चाहिए कि "यदि श्री स्मटसको अपने पत्रमे लिखी शर्तोपर ही ट्रान्सवालमे रहने देना हो, तो मुझे ट्रान्सवाल नही चाहिए। अन्न-जल देनेवाला खुदा महान हे। वह सूखा टुकडा कही भी देगा।" यह जोश आ जाये तो कैसा रग जमता है, यह देखनेवाले देखेगे। नर रत्न थोरोके समान उनके लिए जेल महल ही बन जायेगी और जेलमे पडे हुए भारतीयोकी पुकार श्री स्मटसको दहला देगी।

हाजी कासिमका स्पष्टीकरण

श्री रूजके पत्रका उत्तरदायित्व श्री हाजी कासिमके ऊपर डाला गया है। इसलिए उन्होने उसे अपने साथ अन्याय माना है और निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया हे, जिसे मै समाजके समक्ष रख रहा हूँ। श्री हाजी कासिम लिखते ह

> जो अर्जी उपनिवेश-सचिवको दी गई वह कुछ लोगोने मिलकर दी थी। अर्जीकी भाषा नम्र रखनेका कारण यह नही था कि मैने वैसा करनेको कहा था, बल्कि वकीलकी वैसी सलाह थी और हमे भी सरकारसे नम्रतापूण अर्जी करना ठीक मालूम हुआ था। इसके अलावा नम्रतापूण अर्जी करनेसे सरकार हमारी मागकी पूर्ति करेगी, यह सोचकर ही हम सब भाई उसमे शामिल हुए थे, और सबने अपनी सम्मति दी थी। वह अर्जी खासकर मैने ही भिजवाई हो, सो बात नही। 'इडियन ओपिनियन' मे मुझपर व्यथ ही दोष मढा जाता है। वह सरासर गलत है। पजीकृत होना या न होना, यह सबकी अपनी इच्छापर निभर है। किसीने आपको गलत लिखा होगा। उसके आधारपर अखबारमे गलत तरीकेसे मेरा नाम प्रकाशित करना ठीक नही। मने स्वय पहले ही ब्रिटिश भारतीय सघके नेताओसे जाहिरा कहा है कि जहातक खुदा हिम्मत देगा वहा तक सब भाइयोके साथ चलता रहूँगा और यदि हिम्मत टूट गई, तो भी भाइयोकी सलाह और मददसे ही जो कुछ करना उचित होगा, करूँगा।
>
> यदि मुझपर यह आरोप लगाया जाता कि अर्जी देनेमे जो लोग शामिल थे मैने उनका साथ दिया तो वह बिलकुल अलग बात हे। वास्तवमे मै नरम प्रकृतिका आदमी हूँ, और मानता हूँ कि सरकारसे समझौता करके चलनेवाला पक्ष अक्लमन्द है। यह

मानकर ही म इस अर्जीमे शामिल हुआ। क्योकि औरोकी तरह मै भी मानता हूँ कि कानून रद नही हो सकता। इसलिए बेहतर रास्ता यही था कि सरकारसे समझौता करके उसमे परिवतन कराये जाये, और इस तरह समझौतेसे काम चलाया जाये। ब्रिटिश भारतीय सघका आन्दोलन सच्चा हे। उससे मेरी पूरी सहानुभूति है। और मै चाहता हूँ कि खुदा सघकी पूरी मदद करे।

स्मट्स साहबका भाषण

स्मटस साहबने अपने मतदाताओके समक्ष भाषण[1] दिया हे। उसमे उन्होने नये कानूनपर भी टीका की है। उसका अनुवाद नीचे देता हूँ

> एक दूसरा एशियाई प्रश्न भी हे, और वह है ट्रान्सवालमे रहनेवाले भारतीय और चीनियोके बारेमे। दक्षिण आफ्रिकाकी स्थायी आबादीको तोडनेवाले ये लोग है। पुराने राज्यमे यदि भारतीय १८८५ के कानूनके अनुसार पजीकृत होकर निर्धारित रकम न देते तो रह नही सकते थे। सभी भारतीयोका उस कानूनके अन्तगत पजीयन किया जाता था। उन्होने व्यापारमे प्रतिस्पर्धा की, इसलिए डच ससदने निणय किया था कि उन्हे 'बाजार' मे ही व्यापार करनेकी अनुमति दी जाये। लेकिन ब्रिटिश सरकार बीचमे आई और उसने कहा कि ये लोग ब्रिटिश प्रजा है और लन्दन समझौतेके अनुसार सारी ब्रिटिश प्रजाके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इसलिए 'बाजार' का कानून अमलमे नही आ सका। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय व्यापारी सब जगह फैल गये। वे बिना परवानेके व्यापार करने लगे और, इसलिए, गोरे व्यापारियोसे उनकी स्थिति अच्छी हो गई। इतनी खराब हालत थी, फिर भी ब्रिटिश सरकारकी लिखा पढीके कारण लडाईके पूव तक चलती रही। उसका नतीजा आप प्रिन्सले स्ट्रीट, पीटसबग, पाचेफ्स्ट्रूम और दूसरी जगहोमे देख सकते है। इन जगहोका व्यापार भारतीयोके हाथमे हे। लोग पूछा करते ह कि देशमे भुखमरी क्यो आई? व्यापार क्यो बैठ गया है?
>
> इसका एक कारण भारतीय व्यापार है। जैसा नेटालमे हो रहा है वैसा ही भारतीय प्रजा यहा भी करना चाहती है। वह सब व्यापार ले लेना चाहती है। उसका इलाज हमने किया है। उसके लिए हमने पजीयन कानून पास किया है। उस कानूनको पास करते समय किसी सदस्यने उसका विरोध नही किया। मै जानता हूँ कि इस कानूनके मागमे अडचने आयेगी, इसलिए यह क्या है, इसके बारेमे कहना चाहता हूँ। यहा भारतीय अधिक सख्यामे है, इसलिए हमने कानूनको सरल बनाया है। ट्रान्सवालमे १५,००० भारतीय और १२,०० चीनी व्यापारी है। पहलेके कानूनके आधारपर दिये गये प्रमाणपत्रोकी जाली प्रतिया निकाली जाती है और बिकती है। बम्बई, जोहानिसबग और डबनमे ऐसे स्थान है जहासे ऐसे जाली प्रमाणपत्र अमुक कीमत देनेपर प्राप्त किये जा सकते ह। और भारतीय भारतीयके बीचका अन्तर जाना नही जा सकता, इसलिए अँगुलियोकी निशानी लेकर पजीयन करनेका निणय किया गया है। भारतीय प्रजा इसे

१ भाषणकी मूल अग्रेजी रिपोर्ट १२-१०-१९०७ के **इंडियन ओपिनियन**में प्रकाशित हुई थी। देखिए स्मट्सका भाषण", पृष्ठ २८०-८१ भी।

अपमानजनक मानती है। (हँसी)। भारतीयोका शिष्टमण्डल ब्रिटिश सरकारके पास गया था। लेकिन फिर भी बडी सरकारने इस कानूनको मजूर कर दिया है। भारतीयोकी दलीलको मैंने स्वय देखा है। उसमे क्या है? उन्ही लोगोको भारत छोडनेके पहले अँगुलियोकी निशानी देनी पडती है। पेशनयाफ्ता सिपाही या अधिकारी अँगुलियोकी निशानी देनेके बाद ही पेशन प्राप्त कर सकते है। भारतीय शिष्टमण्डलके इग्लैड जानेपर ये सारी बाते प्रकट हुईं। भारतीय सोचते है कि वे सरकारको बेवकूफ बना देगे, लेकिन कुछ ही समयमे उनका भ्रम दूर हो जायेगा।

भारतीयोको पजीकृत होनेके लिए समय दिया गया है। सरकारको मालूम हुआ है कि पजीयन कार्यालयके पास धरना दिया जाता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि बहुत कम लोग पजीकृत होते है। किन्तु यह कह देना उचित होगा कि हर चीजकी सीमा होती है। कानून सरतीसे अमलमे लाया जायेगा और जो भारतीय अवधिके अदर पजीकृत नही होगे उन्हे निर्वासित किया जायेगा। नया नोटिस निकाला जा चुका है कि जिनके पास पजीयनपत्र नही है, उन्हे दिसम्बरके बाद परवाने नही दिये जायेगे और सारी दूकाने बन्द होगी। (तालियाँ)। भारतीय मानते है कि आखिर सरकार ढीली पड जायेगी। लेकिन मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार बिलकुल ढीली नही पडना चाहती। मै भारतीयोको चेतावनी देता हूँ कि हम कानूनको बराबर अमलमे लायेगे। मुझे आशा है कि अखबारवाले स्पष्ट कर देगे कि दिसम्बर ३१ के बाद हमेशाके लिए दरवाजे बन्द हो जायेगे। मेरा भारतीयोसे कोई झगडा नही। हम उनपर जुल्म करना नही चाहते है। हम तो आनेवाले भारतीयोको रोकना चाहते है और इस मुल्कको गोरोका मुल्क बनाना चाहते है। चाहे जो भी कठिनाइया आये, इसके लिए हम कृतनिश्चय है और इससे हमारी सरकार पीछे नही हटेगी। (खूब तालिया।)

ईसप मियाँका उत्तर

श्री ईसप मियाने इस भाषणका जवाब दिया है। उसका अनुवाद नीचे दिया जाता है[1]

सघकी बैठक

पिछले रविवारको हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी अनुमतिसे अजुमनके सभा-भवनमे सघकी बैठक हुई थी। श्री ईसप मिया सभापति थे। सभा भवन खचाखच भर गया था। चीनी सघके प्रमुख श्री क्विन और दूसरे चीनी भी उपस्थित थे। श्री ईसप मियाके भाषणके बाद श्री गाधीने धरनेदारोके सम्बन्धमे कहा कि उन्हे बिलकुल नम्रता बरतनी चाहिए। धरनेदार कभी एक जगह घेरा बनाकर न खडे रहे। वे सिपाहीके समान है। और सिपाहीका काम यह है कि जो हुक्म दिया जाये उसके अनुसार बताव करे, नियमोका निर्वाह करे और अपनी जगहसे कही न जाये। सिपाहीको अपनेसे बडेके अनुशासनमे भी रहना चाहिए। जिन धरने-दारोके नाम श्री गाधीके पास होगे, वे यदि अपने कतव्यका पालन करते हुए गिरफ्तार किये गये तो उनका बचाव श्री गाधी करेगे। लेकिन यदि उन्हे जुर्माना हो तो जुर्माना न देकर उन्हे जेल जाना है। बुरा बर्ताव करनेवाले अथवा मारपीट करनेवाले स्वयसेवकोका बचाव

१ पाठके लिए देखिए "पत्र उपनिवेश-सचिवको", पृष्ठ २७४-७५।

बिलकुल नही किया जायेगा। इसके बाद श्री गाधीने दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिको बनाये रखनेके सम्बन्धमे समझाया और श्री रिचके पत्रकी बाते कही। बादमे इमाम अब्दुल कादिर, श्री टी० नायडू, श्री अब्दुल रहमान (पॉचेफ्स्ट्रूमवाले), श्री नवाबखा, श्री कुवाडिया श्री अली मुहम्मद, श्री जोजेफ, श्री उमरजी साले आदिके भाषण हुए। उन्होने कहा कि समिति तो कायम ही रहनी चाहिए। श्री जोजेफने प्रश्न किया कि जो नौकरीसे अलग कर दिये जायेगे उनका क्या होगा। इसके उत्तरमे श्री गाधीने कहा कि जेल जाने तक जो तकलीफे होगी वे तो सबको उठानी है। नौकरीवालेको यदि इज्जतकी परवाह होगी तो वह नौकरीकी परवाह नही करेगा। नौकरी एक जगहसे दूसरी जगह मिल सकती है, लेकिन गई हुई इज्जत नही मिल सकती। देशके सामने नौकरीकी क्या कीमत? परवानेके नोटिसके सम्बन्धमे पूछे गये श्री कुवाडियाके प्रश्नके उत्तरमे श्री गाधीने कहा कि परवाना न मिले तो जेल जाना ही ठीक है। लेकिन परवानेके बिना व्यापार करनेमे कोई हर्ज नही। फिर भी यदि भारतीय प्रजा डर जाये तो परीक्षात्मक मुकदमा दायर किया जा सकता है। उसमे धनकी जरूरत होगी।

धरनेदारोकी बैठक

उपर्युक्त बैठकके पहले धरनेदारोकी एक अलग बैठक हुई थी। उसमे बडी हिम्मतसे काम किया गया। हर स्टेशन और वान ब्रेडिस चौककी जाच करनेके लिए आदमी नियुक्त किये गये थे। हरएकके लिए फीता बनवाया गया है जिससे धरनेदारोको तुरन्त पहचाना जा सकता है। धरनेदारोके नामोमे थोडा परिवर्तन हुआ है। लेकिन अभी मै नाम नही देना चाहता। क्योकि बादमे और भी परिवर्तन हो सकता है। महीना पूरा होनेपर जितने लोगोने काम किया होगा, उतने नाम दे दूगा। पिछली बार जो नाम दिये गये है, उनमे दो नामो से एक ही व्यक्तिका बोध होता है। उन्हे नरोत्तम अमथाभाई पटेल वाझवाला और नाराणजी करसनजी देसाई छीनावाला समझा जाये।

क्रूगर्सडॉर्पके भारतीयोकी सूचना

मै देखता हूँ कि, क्रूगर्सडॉर्पके भारतीय अब भी 'रैंड डेली मेल'के सवाददातासे काम लेते रहते है। उन्होने ॲंगुलियोकी निशानीपर बहुत जोर दे रखा है। लेकिन हमे समझना चाहिए कि वह कानून हमे अस्वीकार इसलिए है कि वह हमपर ही लागू होता है, और हमे अपराधी साबित करता है। ऐसे भारतीयोको 'इडियन ओपिनियन'के पिछले अक देखकर सारी बाते जान लेनी चाहिए।

फेरीवालोका मुकदमा

बॉक्सबर्गमे फेरीवालोपर मुकदमा चल रहा है। उसमे मजिस्ट्रेटको इस विषयपर निर्णय देना है कि यदि कोई फेरीवाला किसीके निजी मकानके सामने २० मिनटसे ज्यादा रुके तो वह अपराध है या नही। मजिस्ट्रेटका रुख एक फेरीवालेकी ओर था, इसलिए उसने उसे छोड दिया है। नये कानूनके सम्बन्धमे भी ऐसा ही होना सम्भव है।

धरनेदार गिरफ्तार

श्री भाणा छीनिया नामक एक धरनेदारको पुलिसने यह आरोप लगाकर पकड लिया था कि वह पदल पटरीपर खडे होकर आने जानेवाले लोगोके मार्गमे रुकावट डालता था। वह

मुकदमा श्री क्रासके सामने चला। श्री गाधीने नि शुल्क पैरवी की और मजिस्ट्रेटने उसे निर्दोष ठहराकर छोड दिया। तैयारी इतनी थी कि यदि उसपर जुर्माना किया जाता तो वह जुर्माना न देकर जेल जाता। इससे कोई यह न समझ ले कि चाहे जिस पैदल पटरीपर खडा रहा जा सकता है। श्री भाणाके छूटनेका कारण यह था कि उनके खडे रहनेसे दूसरे राहगीरोको रुकावट नही होती थी। सरल तरीका यह है कि यदि पुलिस किसी जगह खडे रहनेको मना करे तो दूसरी जगह जाकर खडे हो जाये।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १२–१०–१९०७

२३० द० आ० ब्रि० भा० समितिको पत्र[1]

[जोहानिसबग
अक्तूबर १४, १९०७के पूव]

आप जाब्तेसे सूचित कर सकते है कि सर हेनरी कैम्बेल बैनरमैनके नाम जो पत्र भेजा गया हे वह यहाके भारतीय समाजके विचारोको ठीक व्यक्त करता हे और यदि जो अनुमति मागी जा रही हे वह प्रदान की गइ तो भारतीय निश्चय ही महसूस करेगे कि वे साम्राज्यके अग समझे जा रहे ह। आज तो वे नि सन्देह अनुभव करते है कि वे सौतेली सताने है।

[मो० क० गाधी]

[श्री एल० डब्ल्यू० रिच
२८, क्वीन ऐस चेम्बस
ब्राडवे, वेस्ट मिन्स्टर
लन्दन, एस० डब्ल्यू०]

[अग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकड्स सी० ओ० २९१/१२२

१ एशियाई पजीयन अधिनियमके सम्बन्धमें दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके मन्त्री एल० डब्ल्यू० रिचने १४ अगस्तको ब्रिटिश प्रधानमन्त्री सर हेनरी केम्बेल बैनरमैनके नाम एक पत्र भेजा था (देखिए परिशिष्ट ५)। सरकारी उत्तरमें, दूसरे विषयोके साथ-साथ कहा गया था 'प्रधानमन्त्रीको ज्ञात नही है कि स्वय ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोने जो रुख अपनाया है वह इन प्रस्तावो द्वारा सही सही व्यक्त होता है या नही।' जाहिर है कि यह गाधीजीको सूचित किया गया था। रिचने प्रधानमन्त्रीके नाम अपने १४ अक्तूबरके पत्रमें उपयुक्तको, 'ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय संघके अवैतनिक मन्त्रीसे प्राप्त एक पत्र" के रूपमें उद्धृत किया था। मूल उपलब्ध नही है।

२३१ पत्र मगनलाल गांधीको

[जोहानिसबग]
अक्तूबर १४, १९०७

चि० मगनलाल,

तुम्हारा पत्र मिला। श्री बद्रीसे कहना कि मैंने उन फीसोको बहुत सावधानीसे दज किया है। वे अनुपस्थित थे, इसलिए उनके लिए लिखे गये बहुत-से पत्रोका मैंने कुछ नही लिया। फिर भी उनसे कहना कि वे मेरी लगाई हुई फीसोकी कोई भी रकम काट सकते है। मै उनका निणय स्वीकार कर लूगा। जहातक उनके कागजोका सम्बन्ध है, मै इस मामलेमे विचार कर रहा हूँ। मेरे बिलके विषयमे तुम उनसे बहुत स्पष्ट बात कर सकते हो। मनमाने ढगसे फीस लेकर मै कभी उनके साथ विश्वासघात कर सकता हूँ, ऐसा वे सोचे तो मुझे उनके लिए अफसोस होगा। मै चाहूँगा कि वे हर मदको देख जाये और जो उनको अनुचित लगे उसके आगे काटेका निशान लगा दे।

बँटवारेका जो हिसाब श्रीमती डोमनने भेजा है वह मुझे मिल गया है।

तुम्हारा शुभचिन्तक,

टाइप की हुई दफ्तरी अग्रेजो प्रति (एस० एन० ४७६९) से।

२३२ पत्र पुलिस कमिश्नरको[1]

[जोहानिसबग]
१५ अक्तूबर, १९०७

पुलिस कमिश्नर
जोहानिसबग

महोदय,

सयोगसे उस समय मै अदालतम मोजूद था, जब श्री अलेक्जैडरने अपने दो भारतीय मुवक्किलोकी ओरसे कहा था कि वे वान ब्रैडिस स्क्वेयरके धरनेदारोसे डरते है और इसी कारण उन्होने पजीयन प्रमाणपत्रके लिए प्राथनापत्र नही दिये। मने इस बयानका तब भी खण्डन किया था और अब भी करता हूँ। नि सन्देह पजीयन कार्यालयमे जानेवालोपर कुछ भारतीय नजर रखते है। ऐसा वे उनको यह समझानेके खयालसे करते है कि एशियाई कानून सशोधन अधिनियमको मान लेनेपर उनकी स्थिति कैसी हो जायगी। साथ ही वे अपना प्रभाव डालकर उनको कार्यालयमे जानेसे रोकते भी है। किन्तु इस प्रकार समझानेपर भी यदि कोई कार्यालयमे जाना चाहता है, तो उसको बिलकुल तग नही किया जाता। श्री अलेक्जैडर जब मजिस्ट्रेटके सामने बयान दे रहे थे तब ऐसा एक मामला हुआ था। एक

१ यह प्रथम १६-१०-१९०७ के **स्टारमें** प्रकाशित हुआ था।

नौजवान भारतीय अपना पजीयन कराना चाहता था। वह अपनी मालकिनके साथ था और उसे किसीने नही रोका। कुछ समय पहले एक और भारतीय भी वान ब्रैडिस स्क्वेयरके पजीयन कार्यालयमे इसी तरह गया था। म आपके सामने यह तथ्य इसलिए पेश कर रहा हूँ कि श्री अलेक्जैडरने यह सुझाव दिया था कि उनके मुवक्किलोको पुलिस सुरक्षा दी जाये। और वास्तवमे मुझे बतलाया गया कि उनको पुलिस-सुरक्षा मिल भी गई थी।

अपने सघकी ओरसे मै यह आश्वासन देनेकी धष्टता करता हूँ कि ब्रिटिश भारतीय सघ किसी डराने धमकानेकी बातका समथन नही करेगा और मेरा सघ इस बातका पूरा खयाल रखेगा कि पजीयन कार्यालयमे जानेके इच्छुक किसी भी आदमीको सघसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति तग न करे। जहातक मुझे पता है, मुझे इस बातका यकीन है कि श्री अलेक्जैडरको उनके मुवक्किलोने गलत खबर दी, क्योकि उन्हे किसी प्रकारकी शारीरिक हानिकी अपेक्षा भारतीय जनमतका अधिक भय था।

आपका आज्ञाकारी सेवक,
मो० क० गाधी
अवैतनिक मत्री,
ब्रिटिश भारतीय सघ

[अंग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, १९–१०–१९०७

२३३ पत्र 'स्टार'को[1]

जोहानिसबग
अक्तूबर १८, १९०७

सेवामे
सम्पादक
'स्टार'
[जोहानिसबग]

महोदय,

भारतीय धरनेदार पूणतया निर्दोष है, फिर भी बिना लेशमात्र प्रमाणके उनपर यह दोष लगाया जा रहा है कि वे उन लोगोको डराते धमकाते है जो पजीयन प्रमाणपत्र लेना चाहते है। इसलिए कृपा होगी, यदि आप मुझे इस आरोपके थोथेपन और साथ ही उस जवाबी धमकीकी ओर भी, जो एक वास्तविकता है, जनताका ध्यान आकर्षित करनेकी सुविधा दे।

कल एक ऐसा मामला हुआ जिसमे धरनेदारोने पीटसबगसे आये तीन भारतीयोके साथ रक्षक दल भेजनेकी रजामन्दी जाहिर की किन्तु वह अस्वीकृत कर दी गइ। बात दरअसल यह

१ यह २६–१०–१९०७के **इडियन ओपिनियन**में भी उद्धृत किया गया था।

हे कि आतककी कहानिया गढकर और पुलिस सुरक्षाकी माग करके धरनेदारोकी बदनामी करनेकी कोशिश की जा रही हे। लेकिन, हमारे अपने "राष्ट्रीय चर" भी ह और, नि सन्देह, वे अपनी सख्यामे वद्धि करना चाहते है। धमकीका आरोप इसी उद्देश्यसे अपनाया गया एक तरीका है। यदि इस आरोपमे कोई सचाई हे तो किसीपर मुकदमा क्यो नही चलाया गया हे? इसे साबित करना तो सबसे आसान बात होनी चाहिए, क्योकि ऐसा माना जाता है कि धमकिया वान ब्रडिस स्क्वेयरमे, आते जाते सकडो लोगोकी उपस्थितिमे, दिन दहाडे दी जाती है।

जहातक जवाबी धमकीकी बात है, अनेक भारतीयोका विश्वास हे कि जिन भारतीयोके पास अनुमतिपत्र है — चाहे वे कप्तान हेमिल्टन फाउलके दिये हुए हो या श्री चैमनेके — वे पजीयन अधिनियमके आगे न झुकनेके कारण अब सरकारी दबावसे बर्खास्त किये जा रहे है। ऐसा दबाव हो या न हो, मेरे सामने जर्मिस्टनके मुख्य मेटकी एक चिटठी पडी हे, जिसमे इस सूचनाकी पुष्टि की गई है कि नौ भारतीय इसलिए बर्खास्त कर दिये गये कि उन्होने नये अधिनियमके अधीन पजीयन करानेके लिए प्राथनापत्र नही दिये। यह देखते हुए कि जनरल स्मटस इस बातमे खुद ही अगुआ बने हुए है, इस घटनासे कोई आश्चय नही होता। उन्होने सभी तरहकी सजाओकी धमकी दी है — और जिन्हे देश-निकालेकी धमकी दी गई है उन्हीको परवाने छीन लेनेकी भी धमकी दी गई है। समझमे नही आता कि दोनो सजाएँ एक साथ कसे दी जा सकती ह। प्रवास अधिनियमके बिना जबदस्ती देश-निकाला मुमकिन नही हे, और प्रवासी अधिनियमपर अभी शाही मजूरी मिलनी बाकी है। भारतीय न्यायपूण युद्धसे नही डरते, और जहातक मै समझ पाया हूँ, वे अन्यायपूण युद्धके लिए भी तयार है, यद्यपि वह सवथासे अ-ब्रिटिश होगा। भारतीयोको गुलामीके चिट्ठे लेनेपर मजबूर करनेके लिए यरोपीय मालिकोकी सहायता क्यो ली जानी चाहिए? अबतक अनेक मालिकोने इस प्रकारके दबावका विरोध किया है और भारतीयोको अपनी नौकरीसे निकालनेसे साफ इनकार कर दिया है। यह दोनोके लिए श्रेयकी बात है — मालिकोके लिए इसलिए कि वे अनैतिक रूपसे चोट करनेकी प्रक्रियामे भाग नही लेना चाहते, और भारतीयोके लिए इसलिए कि वे इतने उपयोगी तथा स्वामिभक्त सेवक है कि उनको बर्खास्त नही किया जा सकता।

मुझे अभी पता लगा हे कि जिन चार भारतीयोकी ओरसे कहा गया था कि उनको धमकी दी गई हे और जिनके बारेमे यह मान लिया गया था कि उनके पास अनुमतिपत्र नही है, उन्हे आज छोड दिया गया और खुली अदालतमे यह भरोसा दिलाया गया कि उन्हे पजीयन प्रमाणपत्र मिल जायेगे। गुलामोको तो उनके पट्टे मिलने ही चाहिए। मेरे विचारमे जिनके पास पुराने डच पास ह — और कहा जाता हे, इन लोगोके पास ह — उनके साथ भी वसा ही बरताव किया जाना चाहिए, जसा शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तगत अनुमतिपत्र लेनेवालोके साथ किया जाता है। लेकिन सभी जानते है कि श्री जाडनको ऐसे सभी आदमियाको उपनिवेश खाली करके चले जानेका आदेश देनेके कष्टप्रद कतव्यका पालन करना पडा था। ऐसे एक आदमीको उसी दिन आदेश मिला जिस दिन उपयुक्त चार आदमियोने यह कहा था कि वे नये पजीयन प्रमाणपत्रोके लिए दर्खास्त देगे। इस प्रकार जनरल स्मट्स वास्तवमे अवैध निवासियोमे से वैध निवासियोकी तलाश कर रहे ह। ये अवध निवासी पजीयन अधि-नियमके अनुसार वाञ्छित लोग बन जायेगे, क्योकि वे उसके अन्तगत प्रमाणपत्रोके लिए

प्राथनापत्र दे देंगे और दूसरे लोग सासारिक समद्धिसे अपनी मनुष्यताका मूल्य अधिक लगानेके कारण अवैध निवासी बना दिये जायेंगे।

आपका, आदि,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

स्टार, १९–१०–१९०७

२३४ रिचकी सेवाएँ

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके एक सदस्य श्री रिचके बारेमे इस प्रकार लिखते है

इस योग्य, सक्षम तथा स्वाथत्यागी पुरुषके भगीरथ काय और लगनके लिए भारतीय समाज जितनी कृतज्ञता और प्रशसाभाव प्रकट करे, थोडा ही होगा।

दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय न केवल ऊपर प्रयुक्त प्रत्येक विशेषणका समथन करते है, बल्कि वे यह भी अनुभव करते हैं कि उनकी सेवाएँ जितनी मूल्यवान आज है उतनी और कभी नही हो सकती। ट्रासवालके भारतीय एक ऐसे सघषमे लगे हुए ह, जैसा इस पीढीमे फिर कभी नही होगा। इसलिए यह अति आवश्यक है कि लाड ऐम्टहिल ट्रान्सवालमे भारतीयोके कष्टोको दूर करनेके जो प्रयत्न कर रहे हैं उनमे उन्हे सतत जागरूक तथा अथक परिश्रमी श्री रिचकी सहायता मिलती रहे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–१०–१९०७

२३५ जनरल बोथाका अनुकरण

यद्यपि ट्रान्सवालमे भारतीय समाज बहुत जोर दिखा रहा है, फिर भी भीतर ही भीतर यह डर बना हुआ है कि अन्त कैसा होगा। इतना तो स्पष्ट है कि इस तरहका डर रखनेवालेको सत्य, और खुदा या ईश्वरपर कम भरोसा है। इस कारण या और किसी कारणसे हम डर रखनेवालेके सामने ट्रान्सवालके वतमान राज्यकर्ताओका उदाहरण पेश करते है। पाठकोको याद होगा कि ट्रान्सवालके गोरोको जब स्वराज्य मिला उसके पहले ही श्री लिटिलटनने लाड मिलनरकी सलाहसे आधा स्वराज्य दे दिया। उसमे जनरल बोथा जनरल स्मटस वगैरह काम कर सकते थे। लेकिन उतने अधिकारोको अपर्याप्त मानकर जनरल बोथाने लाड मिलनरको लिखा था कि "हमारा विचार आपके राज्य शासनमे हिस्सा लेनेका बिलकुल नही है। हमे जो सविधान दिया गया हे उसे हम सन्तोषजनक नही मानते।" लाड मिलनर इसपर चिढ गये। वाडरर सभाभवनमे भारी सभा हुई। उसमे लाड मिलनरने भाषण दिया और

जनरल बोथाको धमकी दी कि यदि बोअर लोग राज्य सचालनमे भाग नही लेगे तो उनके बिना ही राज्य चलाया जायेगा। जनरल बोथा ऐसी धमकीसे डरे नही। अब नतीजा यह हुआ कि बोअर लोगोको पूण स्वराज्य मिल गया है। यह उदाहरण महान बहिष्कारका है। बोथाने बहिष्कार किया और विजय प्राप्त की।

इस उदाहरणमे हमे इतना याद रखना चाहिए कि बोअर अधिक अधिकार माग रहे थे। अधिक अधिकार नही मिले, इसलिए वे बहिष्कारपर आमादा हुए। हम ज्यादा अधिकार नही मागते, बल्कि हमपर गुलामीका जो जुआ रखा जा रहा है उसका विरोध कर रहे है। उसमे हमारे लिए डरनेकी क्या बात है? बोथाका बहिष्कार सफल हुआ, क्योकि उनमे पूरी हिम्मत थी, और लाड मिलनरको विश्वास हो गया था कि वे राज्य सचालनमे भाग न लेनेकी निरी धमकी नही दे रहे है बल्कि बात सत्य है। हमारी लडाईका अबतक जनरल स्मट्सपर यह प्रभाव नही पडा कि भारतीयोका जोर पूरा और सच्चा है। हम आशा करते है कि जनरल बोथाका उदाहरण लेकर भारतीय जनता अन्ततक उत्साह कायम रखेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९-१०-१९०७

२३६ पीटर्सके मुकदमेसे लेने योग्य सीख

श्री पीटसको फोक्सरस्टमे मुसीबत क्यो उठानी पडी? यह प्रश्न प्रत्येक भारतीयके मनमे उठना चाहिए। यदि कोई गोरा अच्छे कपडे पहनकर प्रथम या द्वितीय श्रेणीमे यात्रा कर रहा हो तो अनुमान यह किया जायेगा कि वह प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा फिर वास्तवमे भले वह जबरदस्त अपराधी ही क्यो न हो। काली चमडीवाला व्यक्ति भले प्रतिष्ठित हो, उसके बारेमे अनुमान यह किया जायेगा कि वह ठग ही होगा। श्री पीटसके सम्बन्धमे ऐसा ही हुआ है। जाच-अधिकारीने मान लिया कि श्री पीटसके पास झूठा अनुमतिपत्र होना चाहिए। उसमे अधिकारीका अधिक दोष नही है। दोष सरकारका है। भारतीयोको झूठे समझकर उसने खूनी कानून पास किया है। जाच अधिकारीने उसका अनुसरण किया। इस प्रकार आज भारतीयोका सम्मान नही है। किन्तु यदि भारतीय समाज खूनी कानूनके सामने झुक जाये तो फिर प्रतिष्ठा तो एक ओर रही यदि गोरे बिना ठोकरके भारतीयसे बात न करे तो उसमे आश्चयकी कोई बात नही। ऐसे ठोस कारणोको लेकर भारतीय समाज कानूनका विरोध कर रहा है, उसकी लडाई किसी धारा या अँगुलियोकी निशानीके खिलाफ नही है। जहापर कानूनकी जड ही खराब हे, वहा उसकी शाखाओका विरोध करनेसे क्या होगा? जडपर कुल्हाडी मारनेकी आवश्यकता हे, और वह कुल्हाडी है भारतीयोकी हिम्मत तथा उनकी मर्दानगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९-१०-१९०७

२३७ रिचकी सेवाएँ

श्री रिचने भारतीय समाजकी सेवामे हद कर दी। समितिके एक सदस्य लिखते है

म लदन समितिका उल्लेख करता हूँ तब आप उसे श्री रिचका उल्लेख समझे। इस समझदार, परोपकारी और आत्मत्यागी व्यक्तिका भारतीय समाज कभी पूरा अहसान नहीं मान सकेगा। म मानता हूँ कि यदि आप समितिको बनाये रखेगे और श्री रिचको फिलहाल लदनमे रहने देगे तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। म समझता हूँ कि खासकर समितिकी उपस्थितिके कारण ही ट्रान्सवाल सरकारके पैर ढीले हो गये ह। यदि समितिको अधिक खच करनेकी अनुमति हो तो वह बहुत ही काम कर सकती है।

इन शब्दोमे हमे कोई अतिशयोक्ति नही मालूम होती। हमे यह देखना है कि ऐसी मूल्यवान सेवाको हम धनकी कमीके कारण छोड न दे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–१०–१९०७

२३८ ट्रान्सवालमे दूकान बन्द करनेके समयका कानून

नेटालके समान ट्रान्सवालमे दूकाने बन्द करनेके सम्बन्धमे कानून बनेगा यह सब जानते थे। वह कानून अब प्रकाशित हुआ है और उसके आवश्यक अशोका अनुवाद हम अन्यत्र दे रहे है। हम ट्रान्सवालके भारतीय व्यापारियो और फेरीवालोसे सिफारिश करते है कि वे उन धाराओको पूरी सावधानीसे पढे। उनसे भारतीय व्यापारको थोडा बहुत नुकसान होगा। परन्तु वह बरदाश्त कर लेने जैसा है। प्रत्येक व्यापारी ओर फेरीवालेसे हमारा अनुरोध है कि वह इन कानूनोका पूरा पूरा आदर करे। ऐसी बातोमे यदि भारतीय कानून भग करते है तो वे लोगोकी नजरोपर चढ जाते ह, और हमारे दुश्मनोको हमारे विरुद्ध हथियार मिल जाते है। जहा सभीको एक जैसे समयपर बन्द करनेका आदेश हो वहा किसीके लिए भी अपनी दूकान अधिक समय तक खुली रखनेकी गुजाइश नही रहती।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–१०–१९०७

२३९. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

हमीदिया अजुमनकी सभा

इस अजुमनका जोर बढता जा रहा है। लोगोका उत्साह भी बढता जा रहा है, और हिदू मुसलमान सभीकी एक स्वरसे माग है कि काननको मिटाया जाये। रविवारको इमाम अब्दुल कादिर सभापति थे। मौलवी साहब और दरवेश साहबने बहुत विस्तारसे भाषण दिये। श्री कुवाडिया, श्री उमरजी साले वगैरह भी बोले। श्री एच० ए० कुवाडिया तथा दूसरे सज्जनोने विषय छेडा कि श्री एस० हेलूने हाथ मुह काले करके पजीयनके लिए अर्जी दी, इसलिए उनका बहिष्कार किया जाये। इसे सारी सभाने स्वीकार किया। इसपर अजुमनने सलाह दी है कि श्री हेलूसे सारा व्यवहार बन्द किया जाये, उनके नौकर नोटिस देकर नौकरी छोड दे और दूसरे भारतीय उनसे किसी प्रकारका लेन देन न करे। इसके बाद क्लाक्सडाप अजुमनके एक सदस्य श्री दावजी पटेलने, जो देश जा रहे थे, अपना सारा बकाया चदा चुकाया और उनके देशमे रहनेकी अवधिमे भी उनकी सदस्यता कायम रहे, इसलिए १० शिलिग और जमा कर दिये। इसके बाद अजुमनकी ओरसे उन्हे चादीका एक पदक भेट किया गया। कुछ लोगोने उनकी तारीफमे भाषण दिये। श्री दावजी पटेल स्वदेशके लिए रवाना हो चुके है।

दूसरे दिन सोमवारको श्री हेलू श्री गाधीके दफ्तरमे पजीयन अर्जीके सम्बन्धमे स्वय खेद प्रकट करनेके लिए आये। धरनेदारोको तुरन्त इसकी खबर मिल गई और उन्होने श्री गाधीके नाम निम्नलिखित सूचना भेजी "यदि श्री हेलू भविष्यमे आपके दफ्तरमे आये तो, निश्चित समझिए, आपका भी बहिष्कार किया जायेगा।"

इसके उत्तरमे श्री गाधीने अपना कर्तव्य बजानेके लिए धरनेदारोका उपकार माना है और उन्हे शाबासी दी है। मै चाहता हूँ कि ऐसा उत्साह सभी भारतीय सदा रखे। श्री हेलू यदि नियमानुसार माफी मागे और पश्चात्ताप करे तो माफ करना चाहिए या नही, इसका इस उत्साहसे कोई सम्बन्ध नही है। की हुई प्रतिज्ञाका पालन करना और आये हुए कर्तव्यका निर्वाह करना समझने और अमल करनेकी बात है। जबतक श्री हेलूको माफ नही किया गया, तबतक उपयुक्त कार्य करना धरनेदारोका कर्तव्य था।

रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा

श्री रामसुन्दर पण्डितके पास उनकी हिम्मतके लिए हर जगहसे बधाईके तार आ रहे है। उनमे हिम्मत है और जर्मिस्टनके सारे भारतीय उन्हे हिम्मत दिला रहे है। उन्हे अभीतक पकडा नही गया है। और जैसे श्री अब्दुल कादिर कोकाटीको नही पकडा जा सका वैसे ही यदि श्री पण्डितको भी न पकडा जा सके तो कोई आश्चर्य नही। इस सम्बन्धमे शुक्रवार तक जो भी होगा उसका तार भेजूगा।

पीटर्सका मुकदमा

श्री ऐथनी पीटसपर जो अत्याचार हुआ उसकी चर्चा अब भी चल रही है। जिस सिपाहीने उनपर अत्याचार किया वह अब बदल गया है और कहता है, उसने उनके

प्रिटोरियामें भारतीय सत्याग्रही

इब्राहीम नूर   गोविन्द प्राग   गुलाब रुद्र देसाई   मूसा सुलेमान   हुसेन बिया   वली

ए० एफ० सी० बेग   बाबू गंगाराम   गुलाम मुहम्मद अब्दुल रशीद   अहमद एम० काछलिया   जी० पी०

PASSIVE RESISTERS.

Sta 25/10/07

on Von Brandis Square.

25/10/07

Gandhi's Explanation.

THE EDITOR, OF "THE STAR."

regret that I have to trespass
ur courtesy again with reference
Asiatic Registration Act. Your
of to-day's happenings on Von
Square bears evident traces of in-
n.
s by the description of Indian
as "pickets of coolies" as merely
rant description of inoffensive and
able men.
l maintain that neither the pickets
y other Indians have exceeded the
of moral suasion in preventing regis-
. The Indian referred to by your
r was in the witness-box to-day,
ertainly said that there was no
ation. He was taken hold of by
m, and, when he said that he want-
go to the registration office, he was
l to go. That was his own evidence,
orated by his co-registrant and the
d. I do not know whether this can
stretch of imagination be described
oughly collared outside the office."
nen—there were two Indians—who were met by the accused Indian, who, by the way, was not a picket, did not know what the law was. All they knew was that they got a letter from their master to go to some office in Johannesburg to sign. Why should any exception be taken to people at least informing such men of the trap into which they were about to fall? The opinion of the registration officer that Dr. Mathey's client must have been intimidated because he did not appear to register may, perhaps, be counterbalanced by another and more probable opinion—that the client has listened to the remonstrances of his friends, and not been intimidated. I am free to admit that there are many Indians who, but for the pickets, would allow themselves to be registered. The real thing they fear is not intimidation but Indian public opinion. These are men who know the law to be bad, but who cannot rise superior to their worldly ambition, and they would undoubtedly register if there were no pickets. To mention the priest case in connection with the matter betrays either very great ignorance or equally great prejudice on the part of your reporter, because that case was entirely a religious quarrel, and the priest who was assaulted, in giving his evidence, himself expressed exceeding regret that he had ever filed his affidavit. I do not wish to defend the Dervish who committed the assault, but I fancy that all communities have such men and al[l] are proud of them. They do not live for a nationality but for a principle.—I am etc.,

M. K. GANDHI.

Johannesburg, October 24.

'स्टार' को पत्र

(देखिए पृष्ठ ३०१-०२)

साथ कुछ नही किया था। अब श्री पीटसका हलफनामा मॅगवाया गया है। मुकदमा और चलेगा।

ईलू मुथुका मुकदमा

ईलू मुथुका मुकदमा बहुत ही जानने योग्य है। उसके सम्बन्धमे श्री व्यास द्वारा लिखा हुआ एक प्रभावशाली पत्र मैं नीचे दे रहा हूँ

> मजिस्ट्रेटकी ओरसे ईलू मुथुको दो दिनमे चले जानेका आदेश मिला है। उसे १८९७ मे यहा बुलाया गया था। लडाईके पहले वह जोहानिसबगमे कुककी खेतीपर काम करता था। एक माह उसने राबिन्सन खानमे काम किया था। कुछ दिन हुए उसे बुलुवायोके पागलखानेमे रख दिया गया था, परन्तु डाक्टरने हवा पानी बदलनेके लिए यहाके अस्पतालमे भेज दिया। पजीयकके आदेशसे पागलखानेका सिपाही उसे पजीयकके कार्यालयमे ले गया। वहा उससे उसका सारा हाल पूछा गया, जो उसने ऊपरके अनुसार बताया। अन्तमे पजीयक महोदयने उसे देश छोडनेका नोटिस दिया, जिसका परिणाम उपयुक्त हुआ है। ईलू मुथुका दिमाग अभी फिरा हुआ ही है। उसके पास तीन लुगियोके अलावा कुछ नही है। भाडापत्तीके लिए पजीयकने अँगूठा दिखा दिया है। मजिस्ट्रेटका कहना है कि यह हमारा काम नही है। पागलखानेसे भी रुखसतनामा दे दिया गया है।

यह मुकदमा बहुत ही त्रासदायक है। ईलू मुथु भिखारी है। यहाका पुराना रहनेवाला है। यदि वह पजीयनके लिए अर्जी न देता, तो उसे कोई नही बुलाता। उससे जबरदस्ती अर्जी दिलवाई गई और अब उसे नोटिस मिला है कि वह देश छोडकर चला जाये। कहा जाये? पसे कहासे लाये? किस कारणसे जाये? जिस कानूनके द्वारा ऐसा जुल्म हो उसके सामने यदि कोई भारतीय घुटने टेकेगा तो उससे भारतीय प्रजा भी पूछेगी और खुदा भी पूछेगा। बिना अनुमतिपत्रवाले यदि पजीयनके लिए अर्जी देगे तो उनका भी ईलू मुथु जैसा ही हाल होगा और वैसा किया जाना उचित भी है। उनकी सुरक्षा अँगुलिया घिसनेमे नही, बल्कि ट्रान्सवाल छोडनेमे है। और यदि उनका मामला मजबूत हो तो जेल जानेमे है। अब जेल भले और सच्चे लोगोके लिए है।

चीनियोकी एकता

यहाके बडे व्यापारी हार्विन और पेटसन चीनियोसे बहुत व्यापार करते है। वे हर महीने लगभग ५,००० पोडका माल उधार देते है। चीनियोको उन्होने नोटिस दिया कि यदि वे नये पजीयनपत्र न लेगे तो उन्हे माल उधार देना बन्द कर दिया जायेगा। इसपर चीनियोने डरनेके बजाय ज्यादा हिम्मत की। उन्होने कहा "हमारे बिल दीजिए। हम आपके पैसे चुका देना चाहते है। आपके मालकी हमे जरूरत नही। हम आपके साथ कारोबार बन्द करेंगे।"

यह सुनकर हार्विन साहब शान्त हो गये। उन्होने चीनियोसे माफी मागी और स्वीकार किया कि भविष्यमे पजीयनपत्र या हिसाबके सम्बन्धमे कोई बात नही की जायेगी। हमारे व्यापारियोको कुछ गोरे व्यापारी धमकाते है तो वे डर जाते है, और जैसे उनके गुलाम हो, पजीयनपत्र लेनेको तैयार हो जाते है। उस समय यह भूल जाते है कि उन्होने कानूनके आगे घुटने न टेकनेकी शपथ ली है।

धरनेदारोंका काम

धरनेदार बहुत परिश्रम कर रहे है। और इसमे शक नही कि उनके प्रयत्नोसे बहुतेरे कमजोर भारतीय रुक जाते है। पाक, फोडूजबग, ब्रामफाटीन डानफाटीन और जेपी स्टेशनपर धरनेदार बठते है। वैसे ही, अनुमतिपत्र कार्यालयके आसपास भी। इस व्यवस्थाके कारण रुडीपूटसे आनेवाले तीन भारतीय मजदूर हाथ आये थे। उन्हे उनके वरिष्ठ अधिकारीने जबरदस्ती पजीयन करवानेके लिए भेजा था। धरनेदारोसे भेट होनेपर उन्हे समझाया गया, इसपर वे यह कहकर वापस चले गये कि नौकरी छोड देगे मगर नये पजीयनपत्र नही लेगे।

इमाम कमाली लोगोको गुमराह करते है और बीचमे पडते ह, इससे लोगोमे बहुत क्षोभ और खेद पैदा हो गया है। इमाम कमाली भारतीय नही, मलायी है, इसलिए सबको यही लगता है कि उन्हे भारतीय मामलेमे दखल नही देना चाहिए।

भीमकाय प्रार्थनापत्र[1]

यह प्राथनापत्र अभीतक सरकारके पास नही गया है। एक दो जगहसे फाम सही होकर नही आये है, इसलिए रुका हुआ हे। इसमे लगभग सभी प्रमुख भारतीयोके हस्ताक्षर हो चुके है। श्री अब्दुल गनी, श्री हाजी हबीब, श्री ईसप मिया, श्री दादाभाई, श्री कुवाडिया वगैरह सज्जनोके हस्ताक्षर है। विशेष समाचार अगले सप्ताह देनेकी आशा करता हू।

मोहलत मिलेगी या नही?

यदि दिसम्बरमे लोगोपर प्रहार हो और उन्हे मजिस्ट्रेटके समक्ष खडा किया जाये तो मोहलत मिलेगी या नही? यह प्रश्न पूछा गया है। नये पजीयनपत्र न लेनेके कारण यदि किसीको मजिस्ट्रेटके सामने पेश किया जाये, तो वह जानेके लिए मोहलत माग सकता है। कितनी मोहलत दी जाये, यह मजिस्ट्रेटके हाथमे है। यानी वह एक घटेसे एक वष तक की या इससे भी ज्यादा मोहलत दे सकता है। लम्बी मोहलत देगा ही यह मै नही कहता, परन्तु इसमे शक नही कि उसे लम्बी मोहलत देनेका अधिकार प्राप्त है। फिर भी मै जानता हूँ कि इस तरह मोहलत मागनेमे हीनता हे। और मै किसीको इसकी सलाह नही दे सकता। जो जेलसे डरकर अपना कारोबार समेटना चाहे वे कुछ मोहलत माग सकते है और मै नही समझता कि थोडी बहुत मोहलत देनेसे भी मजिस्ट्रेट इनकार करेगा। ये सब बाते हरएक मुकदमेपर, मजिस्ट्रेटपर और समयपर निभर ह।

ईसप मियाँका शोक

श्री ईसप मियाकी पत्नीका प्रसूतिकी बीमारीसे शुक्रवारकी रातको देहान्त हो गया। उससे बडा शोक फैल गया है। श्री ईसप मियाका इरादा अपनी पत्नीको लेकर हज करने जानेका था। किन्तु उन्हे खूनी कानूनकी लडाईके कारण रुक जाना पडा। इसी बीच यह खेदजनक घटना हो गई। इससे उन्हे बहुत दुख हुआ है। खुदा श्री ईसप मियाको हिम्मत बख्शे, यह मेरी प्राथना है।

बेगका पत्र

श्री बेग अखबारोमे जोरसे लिखा करते है। प्रिटोरिया न्यूजमे उन्होने श्री स्मटसके भाषणके उत्तरमे लम्बा पत्र लिखा ओर श्री स्मट्सको उनकी बातोका अनौचित्य दिखा दिया

१ देखिए "भीमकाय प्रार्थनापत्र", पृष्ठ २३९।

है। श्री ब्रिटलबैकने भी उसी अखबारमे लम्बा पत्र लिखा है। उसमे ट्रान्सवालकी सरकारको फटकारा है। श्री बेगका एक पत्र 'लीडर' मे भी प्रकाशित हुआ है।

'सडे टाइम्स'

अनाक्रामक प्रतिरोधके बादसे यह अखबार हर सप्ताह कोई न कोई चित्र छापा करता है। इस बार जो चित्र छपा है उसमे बिना काम मुफ्तकी तनख्वाह लेनेवाले पजीयन अधिकारियोके दफ्तरका दृश्य है। उसके परिचयमे सम्पादकने लिखा है सरकारको चाहिए कि वह "कुलियो" को जरूर बाहर निकाल दे।

हाजी हबीब

श्री हाजी हबीब डबनसे प्रिटोरिया आ गये है।

सारा नवम्बर क्यो कोरा रखा गया?

बहुत से लोगोने मुझसे पूछा है कि क्या सरकारको इतनी भूख लगी है कि वह सारा नवम्बर खा जायेगी? जब भारतीयोपर मुकदमा ही चलाना है तो क्यो पहली नवम्बरसे शुरू नही करती? जान पडता है कि ये प्रश्न करनेवाले भाई 'इडियन ओपिनियन' ठीक तरहसे नही पढते। नही तो, जहा मैने नोटिसके बारेमे समझाया है वही यह बात भी आ गई है। अब मै पाठकोको सलाह देता हूँ कि वे 'इडियन ओपिनियन' बहुत ध्यानसे पढा करे। उसे पढनेमे बहुत दिन नही लगते। और मुझे विश्वास है कि उसमे जानने योग्य कुछ-न कुछ तो उन्हे मिलेगा ही। इतना कह देनेके बाद अब मै प्रश्नका उत्तर देता हूँ। जो नोटिस निकाले गये है उनके अनुसार जिन लोगोके पास पहली दिसम्बरसे नये पजीयनपत्र नही होगे, उनपर मुकदमा चलाया जायेगा। सारा अक्तूबर महीना पजीयनपत्रोकी अर्जी लेनेमे बीतेगा। अर्जी प्राप्त होते ही पजीयक महोदय उसका फैसला नही कर देते। अर्जी प्राप्त होनेके बाद जाच करनेका उन्हे अधिकार है। जाच करनेके लिए उन्हे कुछ समय चाहिए ही। सरकारने अर्जियोकी जाच करनेके लिए चैमने साहबको नवम्बर महीना दिया है। इस बीच जिसने गुलामीकी अर्जी दी होगी, उसे गुलामीका पुरस्कार मिलेगा या नही, इसका फैसला होगा। अर्थात् दिसम्बर महीनेमे सबके पास पजीयनपत्र हो, यह व्यवस्था हो गई। कोई पूछ सकता है कि भारतीय समाजने जब बहिष्कार किया है तब एक महीना और क्यो दिया गया? इसका उत्तर यह है कि सरकार बहिष्कारकी ओर ध्यान नही दे सकती। कही ३१ अक्तूबरको आसमान फट पडे और पजीयन कार्यालयमे अर्जियोकी वर्षा हो जाये, तो उन अर्जियोका फैसला करनेके लिए पजीयकको समय तो मिलना ही चाहिए। इसीलिए दुर्भाग्यसे नवम्बरकी खाई पडी है।

धरनेदारोकी आफत

मगलवारको वकील श्री अलेक्जैडर और श्री डी'विलियसके पास दो दो कोकणी मुवक्किल थे। उनपर बिना अनुमतिपत्रके रहनेका आरोप था। दोनो वकीलोने श्री जाडनसे कहा कि इन कोकणियोको धरनेदार डराते है, इसलिए ये पजीयन कार्यालयमे नही जा सके। ये जानेको तैयार है। श्री अलेक्जैडरने कहा कि अदालतको धरनेदारोको हटाना चाहिए। इसपर श्री गाधीने, जो वहाँ मौजूद थे, कहा कि धरनेदार बिलकुल धमकी नही देते और यदि कोकणियोका पजीयन कार्यालयमे जानेका विचार हो तो मै स्वय उन्हे ले जाऊँगा। यह बात

सम्भव है कि पुलिस अब आयुक्त (कमिश्नर) के पास जायेगी। इससे सघके मन्त्रीकी ओरसे पुलिस आयुक्तको निम्नानुसार पत्र लिखा गया है।[1]

इस किस्सेसे धरनेदारोको ध्यान रखना है कि वे बहुत शातिसे काम करे। धरनेदारोका काम लोगोको समझानेके सिवा और कुछ नही है और जब उनके साथ पुलिस हो तब तो किसीको बीचमे बिलकुल ही नही पडना चाहिए। जो लोग गुलाम बनना ही चाहे, उन्हे किसीके रोकनेकी जरूरत नही है। ऐसे भी भारतीय मौजूद है जो कहते है कि धरनेदार धमकाते है। इससे मै लज्जित हूँ और मानता हूँ कि हमारा कितना दुर्भाग्य है। हर भारतीयको समझा दिया गया है कि यदि उसे हाथ घिसना ही हो तो धरनेदार स्वय उसे ले जायेगे। इस चिट्ठीके छपनेके बाद अक्तूबरके और भी बारह दिन बचेगे। इतने दिनोमे बहुत रग देखनेको मिलेगा। जोहानिसबगके प्रत्येक भारतीय व धरनेदारको मर्दानगी, ओर साथ ही धीरज, नम्रता और मिठास दिखाना है। सामान्य लोगोका काम है कि वे पजीयन कार्यालयका बहिष्कार करे। नेताओका काम है कि वे समझ व हिम्मत दे, और अपने पैसोका त्याग करे। और धरने दारोका काम है कि वे धीरजसे अपना फर्ज अदा करे। उनके दबावकी जरूरत नही है, उनकी हाजिरीकी जरूरत है। हर स्टेशन और हर जगह, जहासे भारतीयोका आना सम्भव हो, धरनेदार होने चाहिए। यदि धरनेदारको सरकार गिरफ्तार करे तो डरना नही है। यदि कोई धरना देते हुए पकडा जाये तो उसे याद रखना चाहिए कि जमानत नही देना है। और यदि सजा दी जाये तो जुर्माना न देकर जेल जाना है।

नौकरी छोडी लेकिन हाथ नही घिसे

श्री मुरगन, श्री अरमुगम, श्री हेरी, श्री व्यकटापन, श्री मुथु, मिट्टीके बरतनोके कारखानेमे काम करते थे। उन्हे हुक्म दिया गया कि उन्हे पजीयन न करवाना हो तो नौकरी छोड दे। उन्होने नौकरी छोड दी, किन्तु हाथ नही घिसे। ऐसा उत्साह हर भारतीयमे होना चाहिए। इन लोगोको मै हीरा समझता हूँ।

नामर्द पर्दानशीन हो गये

चार नामर्द कहीसे आये थे। वे पर्देवाली गाडीमे बैठकर पजीयन कार्यालयमे घुस गये और वहा उन्होने अपने हाथ घिसाये। बुधवारको इस तरह चार आदमियोने जोहानिसबग कार्यालयमे अपनी इज्जत बेचकर स्वय गुलामीका रुक्का लेनेके लिए अर्जी दी।

चेतो ! चेतो ! चेतो !

पजीयन कार्यालय चाहे जिस तरहसे भारतीयोको पजीकृत करना चाहता है। मुझे आशा है कि इसका अर्थ प्रत्येक भारतीय समझ जायेगा। श्री स्मट्स जानते है कि यदि भारतीय मजबूत रहे तो किसीको बलात जेल भेजकर पजीकृत नही किया जा सकता। परवानेकी तकलीफ भी हजारो भारतीयोको नही दे सकते और इसलिए आखिर उन्हे कानून रद करना ही होगा। इस बातको ठीक समझकर हर भारतीयको चेतना चाहिए और हिम्मतसे काम लेना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १९–१०–१९०७

१ देखिए "पत्र पुलिस कमिश्नरको", पृष्ठ २९०-९१।

२४० पत्र 'स्टार' को[1]

जोहानिसबर्ग
अक्तूबर २४, १९०७

सेवामें
सम्पादक
'स्टार'
[जोहानिसबर्ग]

महोदय,

मुझे खेद है कि एशियाई पंजीयन अधिनियमके बारेमें आपके सौजन्यका लाभ पुनः उठा रहा हूँ। आपने वान ब्रैंडिस स्क्वेयरकी आजकी घटनाओंकी जो रिपोर्ट दी है उसमें इसके साफ चिह्न दिखाई देते हैं कि वह किसीके उकसानेसे लिखी गई है।

इस बातको तो मैं नजरअन्दाज किये देता हूँ कि भारतीय धरनेदारोंको "कुलियोंके धरनेदार" कहा गया है, क्योंकि यह निर्दोष और प्रतिष्ठित व्यक्तियोंका ज्ञानशून्य चित्रण है।

मेरा अब भी यह खयाल है कि पंजीयनको रोकनेके लिए न तो धरनेदार और न ही कोई अन्य भारतीय नैतिक रूपसे समझाने बुझानेकी सीमासे आगे बढ़े हैं। जिस भारतीयका आपके संवाददाताने उल्लेख किया है वह आज अदालतमें गवाही दे रहा था, और उसने निश्चय ही यह कहा है कि उसे किसी प्रकार परेशान नहीं किया गया। उसकी बाँह पकड़ ली गई थी और जब उसने कहा कि वह पंजीयन कार्यालयमें जाना चाहता है तो उसे जाने दिया गया। यह उसका अपना ही साक्ष्य था और उसकी पुष्टि उसके पंजीयन करानेवाले साथी तथा अभियुक्तने भी की। मैं नहीं जानता कि इसे किसी प्रकार कल्पनाकी खींचातानसे भी "दफ्तरके बाहर बुरी तरह गरदनिया देना' कहा जा सकता है। मैं प्रसंगवश कह दूँ कि जिस भारतीय अभियुक्तने उन लोगोंको — वे दो भारतीय थे — रोका था, वह कोई धरनेदार नहीं था, और उन दोनोंको भी पता नहीं था कि कानून क्या है। वे बस इतना ही जानते थे कि उनके मालिकने एक पत्र देकर कहा कि वे जोहानिसबर्गके अमुक कार्यालयमें जाकर हस्ताक्षर कर आयें। यदि कोई ऐसे आदमियोंको कमसे कम इतना बता दे कि वे किस जालमें फँसने जा रहे हैं तो इसपर किसी प्रकारकी आपत्ति क्या होनी चाहिए? डाक्टर मेथेका आदमी पंजीयन नहीं कराने पहुँचा, और पंजीयन अधिकारी मान बैठे कि उसे अवश्य ही डराया धमकाया गया होगा। लेकिन उनकी इस धारणा जैसी ही वजनी और और अधिक सम्भावित तो यह बात भी हो सकती है कि उसने अपने मित्रोंके उलाहनेपर ध्यान दिया, और उसे डराया नहीं गया। मैं इस बातको खुले दिलसे मंजूर करता हूँ कि यदि धरना नहीं दिया जाता तो बहुत-से भारतीय पंजीयन करा लेते। वास्तवमें वे जिस बातसे डरते हैं वह धौंस धमकी नहीं है, बल्कि भारतीय जनमत है। वे ऐसे आदमी हैं जो जानते

१ यह २-११-१९०७ के **इंडियन ओपिनियन**में उद्धृत किया गया था।

है कि कानून बुरा हे, फिर भी अपनी सासारिक अभिलाषाओसे ऊपर नही उठ सकते, और यदि धरनेदार न होते तो वे पजीयन जरूर करा लेते। इस सम्बन्धमे मुल्लाके मामलेका उल्लेख या तो आपके सवाददाताका घोर अज्ञान या वैसा ही भारी पूवग्रह प्रकट करता है, क्योकि यह मामला पूरी तरहसे धार्मिक झगडेका था और जिस मुल्लापर हमला किया गया था उसने अपनी गवाहीमे अपने हलफिया बयान देनेपर भारी खेद प्रकट किया था। मै हमला करनेवाले फकीरकी ओरसे कोई सफाई देना नही चाहता। किन्तु मै समझता हूँ कि सभी समुदायोमे ऐसे आदमी होते है, और सम्बन्धित समुदायके लोग उनपर गव करते है। वे किसी राष्ट्रीयताके लिए नही, बल्कि एक सिद्धान्तके लिए जीते है।

आपका, आदि,
मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]
स्टार, २५-१०-१९०७

२४१ पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर' को

[जोहानिसबग
अक्तूबर २६, १९०७ के पूव]

[सम्पादक
'ट्रान्सवाल लीडर'
जोहानिसबग]

महोदय,

एशियाई अनाक्रामक प्रतिरोधियोकी कथित धमकियोके सम्बन्धमे आपने जो सयत अग्रलेख लिखा है उसके लिए मेरा सघ आपका आभारी है। भारतीय आन्दोलनमे किसी भी प्रकारकी हिंसाके प्रयोगके विरुद्ध आपने जो-कुछ कहा है उसके प्रत्येक शब्दका समथन करनेमे हमे कोई सकोच नही हो सकता। एशियाई अधिनियमके बारेमे हमारा लक्ष्य हमेशा यह रहा हे कि स्वय कष्ट भोगकर, न कि दूसरोको दुःख पहुँचाकर न्याय प्राप्त करे।

आपके स्तम्भोमे जो अनुच्छेद प्रकाशित हुआ है वह स्पष्ट ही किसीकी प्रेरणासे लिखा गया है। आतक-राज्यका अस्तित्व अस्वीकार करनेमे मुझे कोई सकोच नही हे। यह बात दूसरी है, अगर अधिनियमके विरुद्ध ट्रान्सवालवासी समस्त भारतीय जनतामे व्याप्त अत्यन्त प्रबल भावनाने उन भारतीयोके बीच आतक फला रखा हो जो अपने आपको समाजके अलग कर इस अधिनियमके अनुसार प्रमाणपत्र लेना चाहते है, और सो भी इसलिए नही कि उनको यह प्रणाली पसन्द है, बल्कि इसलिए कि वे पैसेको प्रतिष्ठासे बढकर मानते है। मै इस बातको स्वीकार करता हूँ कि अनेक एशियाई अपना पजीयन करानेकी पूरी इच्छासे ही अपने कामकी जगहोसे निकले थे, लेकिन बादमे उन्होने उन चौकस धरनेदारोके समझाने बुझानेपर ऐसा न करनेका फैसला किया। धरनेदारोने पजीयन करानेवालोके सामने कानूनका सही रूप खोलकर रख देनेकी

कारगर दलीलसे काम लिया और उनके मस्तिष्कसे उन सूक्ष्म प्रलोभनोको निकाल दिया जो पजीयनके पुरस्कारस्वरूप उनके सामने प्रस्तुत किये गये थे। सरकार पजीयन करानेके लिए समाजको बहकानेके जो घोर प्रयत्न कर रही है उनके बारेमे जनताको कोई जानकारी नही हो सकती। धरनेदारोने कभी भी धमकियोसे काम नही लिया और समाजके जिम्मेदार लोग उन धरनेदारोकी गतिविधियोपर बराबर नजर रखते ह।

दुर्भाग्यवश, एक मुल्लापर आक्रमण किया जानेकी सूचना सच हे, किन्तु उसपर कई भारतीयोने मिलकर हमला नही किया था। वास्तविक घटना इस प्रकार हे उक्त मुल्ला भारतीय नही, बल्कि एक मलायी हे। हमारे बीच एक फकीर है, जो पैगम्बरका पक्का भक्त हे। वह अपना पूरा वक्त तीनो मस्जिदोमे से किसी न किसीमे गुजारता हे और जब कभी वह ठीक समझता है, एक खानमे पत्थर तोडनेका काम करके, अपनी रोटी कमाता है। वह किसीकी नही सुनता और शायद दक्षिण आफ्रिकामे सबसे ज्यादा आजाद तबीयतका आदमी है। उसे ओर उसकी सादी जिन्दगीको देखनेवाला हर आदमी उसकी इज्जत करता हे। जब उसने यह सुना कि इस मलायी मुल्लाने भारतीयोको, विशेषकर भारतीय मुसलमानोको, अपनी शपथकी पवित्रता भग करके कानूनके आगे झुकनेको प्रोत्साहित किया है तब वह गुस्सेसे भर गया। वह इरादतन मलायी मस्जिदमे जा पहुँचा, उक्त मुल्लासे मिला और उसके साथ जहस मुबाहसा करने लगा। उसने कुरानकी एक आयतका उदाहरण देते हुए मुल्लाको यह समझाया कि कमसे-कम उसे तो भारतीय मामलोमे दखल देने और लोगोको कुरानकी तालीमसे मुकर जानेके लिए फुसलानेसे दूर ही रहना चाहिए, खास तौरपर इसलिए कि वह भारतीय नही हे। फिर तू-तू मैं मै की नौबत आ गई, जिसका परिणाम हुआ यह दुर्भाग्यपूण आक्रमण। आप इस बातको स्वीकार करेगे कि इस मामलेकी जिम्मेदारी भारतीयोपर डालना नितान्त अनुचित है। हममे से अनेकने उस फकीरको समझानेकी कोशिश और उससे सयम बरतनेके लिए अनुनय विनय की है, किन्तु वह अपने व अपने खुदाके बीच किसीकी दस्तदाजी मुनासिब नही मानता। कहनेकी आवश्यकता नही कि उसके लिए घर और जेल बराबर हैं। और दलील दी जानेपर उसने कहा कि वह अदालतके सामने जाकर अपने कायका औचित्य सिद्ध करनेके लिए बिलकुल तैयार है।

जहातक कुत्तेको जहर देनेका मामला है, वह इल्जाम शरारत भरा है। मने बडी सावधानीसे जाच की है, लेकिन मुझे जहर देने और कुत्तेके मालिकके पजीयनके बीच कोई सम्बन्ध नही मिल सका। पिछले दिनो भारतीयोके अनेक कुत्तोको जहर दिया गया है। आम तौरपर ऐसा खयाल है कि काम चोरोका है, जो इन कुत्तोके भौकनेके कारण पकडे जानेसे बचना चाहते थे। अगर भारतीय-गद्दारोके साथ होनेवाली हरएक दुघटनाको भारतीय अनाक्रामक प्रतिरोधियोके मत्थे मढा जायेगा तो यह बडी भयकर बात होगी। महोदय, आप विश्वास कीजिए, अल्पसख्यकोको बहुसरयक भारतीयोकी इच्छाके सामने झुकानेके लिए किसी आपत्तिजनक तरीकेको अपनानेकी हमारी कोई इच्छा नही हे। हम, जो अपने आचार-व्यवहारमे स्वतत्र रहना चाहते है और इसीलिए एशियाई अधिनियमको माननेसे इनकार करते है उन दूसरे आदमियोपर पाबन्दी लगा भी कसे सकते हैं जो हमारे जैसा नही सोचते ? हम, जो अपने लिए स्वतत्रता तथा आत्मसम्मानका दावा करते है, अगर दूसरोको उतनी ही स्वतत्रता देनेसे इनकार करते है तो अपने आदर्शोके प्रति झूठे साबित होगे।

और जहातक आपके सवाददाता द्वारा उल्लिखित सागर तटपर बसे नगरके हिन्दू पुजारी की बात है, जर्मिस्टनमे निश्चय ही दगा नही हुआ हे। यह बिलकुल सच है कि उक्त पुजारीने उपनिवेशके अन्य हर पुजारीकी तरह ही, चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान, एक ऐसे प्रश्नमे दिलचस्पी ली हे जो पूरे भारतीय समुदायके कल्याणसे सम्बन्धित है। अपने धमसे प्रेम करनेवाले किसी भी भारतीयका आचरण इससे भिन्न नही होगा। क्या ऐसे मामलेमे, जिसमे ईश्वर और कुबेरमे से एकको चुनना हो, एक पुजारी अपने श्रोताओसे यह अनुरोध नही कर सकता कि वह कुबेरकी ओर देखनेकी अपेक्षा ईश्वरकी ओर देखे ?

[आपका, आदि,
ईसप इस्माइस मियॉ
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–१०–१९०७

२४२ स्वर्गीय श्री अलेक्जैंडर

डबनके भूतपूव मुरय पुलिस अधिकारीकी[1] मत्युके समाचारसे वहाके पूरे समाजको दु खद आघात पहुँचा है। जरसीके लिए रवाना होते समय श्री अलेक्जैंडरका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था और यह आशा की जाती थी कि वे अभी अनेक वर्षोतक जीवित रहकर सु-अर्जित विश्रामका उपभोग करेगे। इस बातको याद कर अत्यधिक कष्ट होता है कि डबन नगरके सर्वोच्च पुलिस अधिकारीको जो थैली भेट की गई थी वह ठीक ऐसे समयपर मिली थी कि उससे वे घर जा सके। वे डबनकी सवसमाजी आबादीके इतने प्यारे हो गये थे कि उसको बहुत समय तक याद आते रहेगे। हम उनकी विधवाकी इस क्षतिमे हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते है। दरअसल तो यह समाजकी भी क्षति है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–१०–१९०७

१ देखिए खण्ड ६, पृष्ठ २८८ और ४३० ।

२४३. अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके लिए[1]

राजकीय आवश्यकताका सिद्धान्त, ईश्वरीय नियमका उल्लंघन करनेके लिए केवल उन्हीं लोगोंको बाँध सकता है जो सांसारिक लाभोंकी प्राप्तिके लिए अमान्यको भी मान्य करनेकी कोशिश करते हैं। किन्तु एक ईसाई, जो ईसा मसीहकी शिक्षाके अनुसार आचरण करनेसे मोक्ष पानेमें सच्चा विश्वास रखता है, उस सिद्धान्तको कोई महत्त्व नहीं दे सकता। — टॉल्स्टाय

डेविड थोरो एक महान लेखक, दार्शनिक, कवि और साथ ही अत्यन्त व्यावहारिक पुरुष भी था। अर्थात् वह ऐसी कोई शिक्षा नहीं देता था जिसपर वह स्वयं आचरण करनेके लिए तैयार न हो। वह अमरीकाके महानतम और सबसे सदाचारी व्यक्तियोंमें से एक था। दासता उन्मूलन आन्दोलनके समय उसने "सविनय अवज्ञाके कर्तव्य" के बारेमें अपना प्रसिद्ध निबन्ध लिखा था। अपने सिद्धान्तों तथा पीड़ित मानवताके लिए वह जेल भी गया। इसलिए उसका निबन्ध कष्ट सहन द्वारा पवित्र हो चुका है। इसके अलावा वह हमेशाके लिए रचा गया है। उसकी पैनी दलीलोंका जवाब नहीं दिया जा सकता। जिन एशियाई अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके मूक कष्टकी कहानी अब समस्त सभ्य संसारके कानों तक पहुँच चुकी है उनके लिए अक्तूबरका महीना कष्टकर प्रलोभनोंसे पूर्ण था — इसी महीनेके अन्तिम सप्ताहमें हम थोरोके निबन्धसे कुछ उद्धरण नीचे दे रहे हैं। मूल निबन्ध एक जेबी पुस्तकके तीस पृष्ठोंसे कुछ अधिक है। इस पुस्तकको श्री ऑथर सी० फिफील्ड, ४४ फ्लीट स्ट्रीट, लन्दन, ने अपने 'सादा जीवन' नामक सुन्दर पुस्तकमालामें प्रकाशित किया है। इसका मूल्य तीन पेंस है।

उद्धरण

मैं इस आदर्श वाक्यको हृदयसे स्वीकार करता हूँ कि वही सरकार सबसे अच्छी होती है जो कमसे कम शासन करती है, और मैं चाहता हूँ कि इसपर जल्दी और ढंगसे अमल किया जाये। अमलमें उसका अन्तिम रूप यह हो जाता है और इसपर भी मेरा विश्वास है "वही सरकार सबसे अच्छी है, जो बिलकुल शासन नहीं करती," और जब मनुष्य इसके लिए तैयार हो तो वे ऐसी ही सरकार बनायेंगे। सरकार अधिकसे अधिक एक कार्य-साधक संस्था है, किन्तु प्रायः बहुतेरी सरकारें और कभी कभी सभी सरकारें कार्य-साधक नहीं होतीं।

आखिरकार, जब सत्ता एक बार जनताके हाथों चली जाती है तब बहुसंख्यकोंको जो शासन करने दिया जाता है, और वह भी लम्बे अर्से तक के लिए, सो इसलिए नहीं कि उनके सही रास्ते जानेकी अधिकसे-अधिक सम्भावना रहती है और न ही इसलिए कि वह अल्पसंख्यकोंको सर्वाधिक उचित जान पड़ता है, बल्कि इसलिए कि

[1] अनाक्रामक प्रतिरोधके सिद्धान्तमें गांधीजीकी जो दिलचस्पी थी वह बादमें इंडियन ओपिनियनमें प्रकाशित एक घोषणाके रूपमें व्यक्त हुई। घोषणामें उक्त विषयसे सम्बन्धित निबन्ध माँगे गये थे। देखिए परिशिष्ट ६।

वे अधिक बलवान होते ह। लेकिन जो सरकार हर बातमे बहुसख्यकोकी ही सुनती हो वह यायपर आधारित नही हो सकती, उस सीमा तक भी नही जिस सीमा तक लोग वैसा समझते ह।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–१०–१९०७

२४४ राष्ट्र-पितामह

हमारे पाठकोको यह जानकर दु ख होगा कि श्री दादाभाई नोरोजी अचानक बीमार पड जानेके कारण, उस शानदार विदाई भोजमे उपस्थित न हो सके जो उनके सम्मानमे दिया गया था। अभी मुझे 'इडिया' पत्र प्राप्त हुआ हे, जिसमे उस समारोहका पूरा विवरण छपा हे। उससे ज्ञात होता हे कि समारोहमे सभी राजनीतिक विचारोके लोगोने भाग लिया था। किसी समुद्री तारके न आनेसे जान पडता हे कि राष्ट्र-पितामहकी तबीयत अव अच्छी हो गइ हे और उनके सयमी, तपस्वी तथा निग्रही जीवनने, जिसका सर मचरजीने इतनी वाग्मितासे वणन किया, उनका अच्छा साथ दिया है। हमे आशा हे कि जिस देशको वे इतना अधिक प्यार करते है उसके लिए वे दीघकाल तक जीवित रहेगे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–१०–१९०७

२४५ मेमन लोगोकी विपरीत बुद्धि

हममे एक कहावत है, विनाश कालमे बुद्धि विपरीत हो जाती है। यही हाल ट्रासवालके मेमन लोगोका हो गया हे। उनमे गुलामीका पट्टा न लेनेवाले बहुत कम लोग बचे होगे। जो बचे है उन्हे हम सिहके समान मानते है। जिन्होने दुमति बरती हे उन्हे चोट पहुँचानेके लिए हम यह लेख नही लिख रहे, बल्कि इसलिए लिख रहे ह कि उनके बुरे कामसे दूसरे भारतीय अच्छा सबक ले।

मेमन लोगोने पजीयनपत्र ले लिये ह, इससे दूसरी कौमोको डरना नही चाहिए। डरना बेहिम्मतकी निशानी है। कोई यह न समझ ले कि चूकि मेमन लोगोने खूनी कानूनके चिटठे ले लिये, इसलिए वे ट्रान्सवालमे सुखसे व्यापार करेगे और ज्यादा कमायेगे, तथा दूसरे भारतीयोको भागना पडेगा। वास्तवमे जहा थोडे से मेमन गुलाम बन गये है, वहा सैकडो भारतीय मुक्त है। इस बातको समझकर हमे खुदाकी बन्दगी करनी चाहिए। जो यह आशा करते हो कि गुलामीका पट्टा लेनेके बाद मेमन सुखसे व्यापार कर सकेगे उन्हे हम नासमझ मानते है। और यदि दूसरे भारतीयोको ट्रासवाल छोडना पडा तो मेमन लोगोको जो ठोकरे पडेगी वह गोरे तो देख ही पायेगे। उनकी स्थितिकी कल्पना करके हमे कँपकँपी छूटती है।

लेकिन हम मानते है कि यदि दूसरे भारतीयोका अच्छा-खासा भाग दढ रहकर जेल जानेको तैयार रहा तो किसीको ट्रान्सवाल नही छोडना पडेगा। सभी हकदार भारतीय शान्तिपूवक ट्रान्सवालमे रह सकेंगे और नया कानून रद हो जायेगा। जो लोग मानते है कि वह रद नही होगा उन्हे, हम समझते है, खुदाकी सचाई और उसके अति पवित्र न्यायपर भरोसा नही है। इसलिए हम शेष भारतीयोसे प्राथना करते है कि "आप भारतकी नाक रखे, सारी तकलीफे उठाये, किन्तु कानूनके सामने न झुके।" 'कुरान शरीफ' के अन्तिम सूरेमे जो कहा गया है उसके अग्रेजी अनुवादका गुजराती भाषान्तर हम नीचे दे रहे है

> कहो कि मै उस खुदाकी शरण जाता हूँ जो सारे आलमका बादशाह है। वह मुझे शैतानके, दुष्टोके तथा मनुष्योके पजेसे बचायेगा।

ये शब्द हर भारतीयको अकित कर लेने चाहिए। अभी कायरोके पजोंसे बचनेका समय है। उपयुक्त आयत हिन्दू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, सबपर लागू होती है। सत्य तो एक ही है और खुदा भी सबका एक ही है। "आकार पानेपर नाम रूप भिन्न है, सोना तो अन्तमे सोना ही है।"[1]

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–१०–१९०७

२४६ ट्रान्सवालके भारतीयोका कर्तव्य

इस शीषकसे हम कई बार लिख चुके है तथा और भी कई बार लिखना पडेगा। हमने श्री रिचका पत्र और सलग्न पत्रोका अनुवाद करके दिया है। हम ट्रान्सवालके प्रत्येक भारतीयसे उसे पढनेका अनुरोध करते है। समितिका हर सदस्य उनके साथ है। हमीदिया इस्लामिया अजुमनका पत्र भी श्री मार्ले तक पहुँच गया है। उस पत्रकी चर्चा विलायनमे हो रही है। सर जॉज बडवुड भारतके बहुत ही समझदार, पुराने और जाने-माने सेवक है। उनका बहुत समय भारतीय परिषदकी नौकरीमे बीता है। उन्होने लिखा है कि भारतीयोकी लडाई उचित है। इसमे से कुछ भारतीयोको कमजोर देखकर श्री रिच सोच विचारमे पड जाते है। मतलब यह कि समिति चाहती है कि हमे लडाई अन्ततक लडनी चाहिए। अपनी लडाईका इस तरह प्रचार करनेके बाद जो भारतीय अपने स्वाथ या पैसेके लोभके कारण डरकर कानूनकी शरण चला जाये उसे हम अपना और अपने देशका दुश्मन मानते है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–१०–१९०७

१ सुप्रसिद्ध गुजराती कवि नरसिंह मेहताके एक भजनसे। इन्हीकी एक रचना 'वैष्णव जन तो ' बादमें गाधीजीकी प्रिय प्रार्थना हुई। इस भजनमें सच्चे ईश्वर भक्तके लक्षणोका वर्णन है।

२४७ लेडीस्मिथके भारतीय व्यापारी

लेडीस्मिथ तालुकेमे बारह भारतीय दूकाने ब द हो गई ह । इस खबरको हम बहुत ही बुरा मानते हैं । इन व्यापारियोने परवानेके लिए फिर अर्जी दी थी । कि तु उ हे परवाने नही मिले, उलटे सूचना मिली कि यदि दूकाने ब द न होगी तो मुकदमे चलाये जायेगे । इस सूचनासे डरकर व्यापारियोने दूकाने ब द कर दी है । हमारी तो खास तोरसे सलाह हे कि अब भी वे अपनी दूकाने हिम्मतसे खुली रखे ओर व्यापार करे । बिना परवानेके व्यापार करनेपर यदि सरकार मुकदमा चलाये तो चलाने दिया जाये । मुकदमा चलनेपर यदि जुर्माना हो तो वह न दिया जाये । इसपर माल नीलाम होगा । हमारी राय हे कि इस तरह माल नीलाम होने दिया जाये । इसमे हिम्मतकी जरूरत हे । लेकिन यदि मद हिम्मत न दिखायेगे तो कौन दिखायेगा ? कोई कहेगा कि माल नीलाम होगा तो लोग बर्बाद हो जायेगे । तो क्या दूकान बन्द होनेसे लोग बबाद नही होगे ? सरकार एक वक्त माल नीलाम करेगी, क्या हमेशा करेगी ? सरकार एक व्यापारी-पर मुकदमा चलायेगी, क्या सबपर चलायेगी ? ओर यदि ऐसा करेगी तो क्या बडी सरकार हस्तक्षेप न करेगी ? बडी सरकार द्वारा हस्तक्षेप किये बिना काम न होगा । यदि उसे हस्तक्षेप करना ही नही हे तो उसका भी अनुभव हो जाना चाहिए । यदि भारतीय प्रजा एकताके साथ लडाई लडेगी तो हमे विश्वास है कि नेटालका व्यापारी कानून रद होकर रहेगा । डबनके नेताओसे हमारी सिफारिश हे कि वे लेडीस्मिथके व्यापारियोसे मिलकर एकताके साथ लडाई लडनका निश्चय करे । यह आवश्यक हे । हमारा दढ मत हे कि इसमे हिम्मतकी जितनी जरूरत हे, उतनी पसेकी नही । इस तरहकी लडाई लडनेकी हिम्मत रखनेवालेको इतना याद रखना चाहिए कि (१) लडाई पुराने भण्डारोके सम्बन्धमे लडी जा सकती हे, (२) दूकाने साफ होनी चाहिए, (३) दूकानदारोपर कलक न होना चाहिए । ऐसे दुकानदार हिलमिलकर लडेगे तो सिवा जीतके और कोई परिणाम हो ही नही सकता ।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २६–१०–१९०७

२४८ भारतके राष्ट्र-पितामह

पूज्य दादाभाई नौरोजी इस समय विलायतमें हैं। अपनी अति वृद्धावस्था तथा बीमारीके कारण उन्होंने अपनी उत्तरावस्था देशमें बितानी चाही। इसलिए उनके सम्मानमें लन्दनमें बहुत बड़ा सम्मेलन किया गया था। दुर्भाग्यसे उसी दिन उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। वे सम्मेलनमें नहीं जा पाये और उनका स्वदेश लौटना भी रह गया। यह समाचार विलायतसे पिछली डाकसे आया है। इस प्रसंगको अब लगभग एक महीना होने जा रहा है। आजतक कोई तार नहीं आया है। इससे माना जा सकता है कि भारतके पितामह अभी सकुशल हैं और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। आगामी डाकसे विशेष समाचार प्राप्त होने चाहिए। इस बीच हम सबको ईश्वरसे यह प्रार्थना करनी है कि वह पितामहको दीर्घायु करे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–१०–१९०७

२४९ स्वर्गीय अधीक्षक अलेक्जैंडर

सुपरिटेंडेंट अलेक्जैंडरका इंग्लैंडमें देहावसान हो गया यह तार समाचारपत्रोंमें छपा है। यह समाचार हमारे लिए बड़ा खेदजनक है और हम मानते हैं कि इससे प्रत्येक भारतीयको खेद होगा। सुपरिटेंडेंट अलेक्जैंडरने भारतीयोंके प्रति कृपालु दृष्टि रखी थी। इस अवसरपर स्मरण किया जा सकता है कि भारतीय समाजकी ओरसे उन्हें जो थैली मिली थी, वह इंग्लैंड जानेमें उन्हें बड़ी काम आई थी। श्री अलेक्जैंडर अपने पीछे अपनी पत्नी छोड़ गये हैं। हमारी उनसे सहानुभूति है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–१०–१९०७

२५० जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

हमीदिया अंजुमनकी सभा

हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी बैठक नियमानुसार गत रविवारको हुई थी। सभा भवन खचाखच भर गया था और लोगोंमें बहुत ही जोश था। इमाम अब्दुल कादिर सभापति थे। श्री रामसुन्दर पण्डितने जोशीला भाषण दिया और रेलवे सेवामें लगे भारतीयोंके साथकी भेंटका बयान किया। मौलवी साहब अहमद मुख्त्यारने 'कुरान शरीफ' की आयत सुनाकर बताया कि खुदाकी कसम खानेके बाद मुसलमान कानूनके सामने झुक ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि श्री हेलूके नौकर यदि उन्हें प्रोत्साहन दें तो उनका भी बहिष्कार किया जाना चाहिए। समाजके आदमीको समाजके अन्दर गन्दगी फैलाने नहीं दी जा सकती।

श्री गांधीने प्रिटोरियासे आया हुआ हाजी हबीबका पत्र और क्लाक्सडापके पत्र पढ़कर सुनाये और कहा कि किसीको बहिष्कारकी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि बात निकले ही तो फिर उसके अनुसार काम करना चाहिए।

श्री अली भाई आकूजीने कहा कि यदि सभी गद्दारोंका बहिष्कार किया जाना तय हो, तो वे स्वयं श्री हेलूके कानमियां लोगोंको खींच लेनेकी तजवीज करेंगे। श्री एम० एस० कुवाडियाने कहा कि श्री हाजी हबीबने लिखा है कि जोहानिसबर्गके नेताओंमें से कोई एक चोरीसे पंजीकृत हो गया है। किन्तु मुझे विश्वास है कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सभी गद्दारोंका बहिष्कार करनेकी बात पसन्द की। उन्हें ५० पौंडका लाभ होनेकी सम्भावना थी। फिर भी जब एस० बुचरने यह सूचना भेजी कि पंजीकृत हो जाओ तो आटा भेजूंगा, तब उन्होंने आटा लेनेसे साफ इनकार करके नुकसान उठाना मंजूर किया।

श्री उमरजी सालेने बहिष्कारका समर्थन किया। श्री इब्राहीम कुवाडियाने 'अल इस्लाम' का 'अनुमतिपत्रका पियानो' (परमिट पियानो) लेख और कविता पढ़कर सुनाई। मौलवी साहबने फिरसे उठकर निवेदन किया कि हमीदिया इस्लामिया अंजुमनको राष्ट्रीय कांग्रेसके अध्यक्षके पास इस कानून सम्बन्धी लड़ाईके बारेमें लिखना चाहिए। यूरोपकी ओर जानेवाले जर्मन लाइनके जहाजोंके लिए पहले, दूसरे और तीसरे दर्जेके टिकट नहीं मिलते, इस सम्बन्धमें समाजकी ओरसे कुछ किया जाना चाहिए। बहिष्कारका रास्ता सरल है।

श्री इब्राहीम कुवाडियाने कांग्रेसको पत्र लिखनेके सम्बन्धमें मौलवी साहबके निवेदनका समर्थन किया। बादमें कुछ और सज्जनोंने भाषण दिये, और अन्तमें अध्यक्ष महोदयके भाषणके बाद सभा समाप्त हुई।

मद्रासियोंकी सभा

मार्केट स्ट्रीटमें मद्रासियोंकी सभा हुई थी। लगभग सौ व्यक्ति इकट्ठे हुए थे। श्री गांधीने उन्हें सारी हकीकत समझाई और सबने कानूनके विरोधमें अन्ततक दृढ़ रहनेका निश्चय किया।

'ट्रान्सवाल लीडर' में लेख

पिछले शनिवारके 'ट्रान्सवाल लीडर' में सवाद है कि जान पडता है, भारतीय समाजका जोर घट रहा है, क्योकि कुछ भारतीयोने एक इमामको इस कारण पीटा कि वह एक भारतीयको अनुमतिपत्र कार्यालयमे ले गया था, उस भारतीयके कुत्तेको जहर दे दिया जिसने अनुमतिपत्र लिया, और जर्मिस्टनके हिन्दू पुरोहितने जर्मिस्टनमे उपद्रव खडा कर दिया। इसपर टीका करते हुए 'लीडर' कहता है कि यद्यपि मारपीट वगैरहमे भारतीय नेता शामिल नही होगे, फिर भी भारतीय समाजके कोई भी व्यक्ति मार पीट वगैरहके काम करेगे तो उनकी ओर किसीकी सहानुभति नही रहेगी और उनका नुकसान होगा।

ईसप मियाँका पत्र

इसके जवाबमे श्री ईसप मियाने निम्न पत्र[१] लिखा है

महोदय,

अनाक्रामक प्रतिरोधी डराने धमकानेका काम करते है, इस तथाकथित बातपर आपने जो नम्रतापूर्ण टीका की है उसके लिए मेरा सघ आभारी है।

किन्तु आपके पत्रमे प्रकाशित विवरण द्वेषभरा मालूम होता है। इस बातसे इनकार करनेमे मुझे जरा भी सकोच नही है कि लोगोको डरा-धमकाकर उनमे आतक पैदा किया गया है। पजीयनको अच्छा न समझनेपर भी पैसेके लोभमे फँसकर कुछ लोग पजीकृत होना चाहते होगे। किन्तु उससे उन्हे सारे समाजसे बहिष्कृत होना पडेगा, और इसलिए काननके खिलाफ सारे समाजमे जो तिरस्कार फैला हुआ है उसे यदि बहिष्कृत होनेवाले लोग आतक मानकर डरते हो तो उससे मै इनकार नही करता। यह सही है कि कुछ पजीकृत होने जा रहे थे और बादमे नही हुए। इसका कारण यह है कि धरनेदारोने मिलकर जब उन्हे कानूनकी गुलामीका अर्थ समझाया और लालचकी बुराई स्पष्ट कर दी तभी उन्होने पजीकृत न होनेका निश्चय कर लिया था। भारतीय समाजको पजीयनके लिए फुसलानेमे सरकार कितना अथक परिश्रम कर रही है, इसे लोग नही जानते। धरनेदाराने कभी भी धमकीका उपयोग नही किया। भारतीय समाजके जिम्मेदार लोग उनकी गतिविधिपर निगरानी रखते है।

दुर्भाग्यसे यह सच है कि एक इमामपर हमला हुआ, किन्तु भारतीयोकी टुकडीने हमला नही किया था। हकीकत इस प्रकार है

उक्त इमाम भारतीय नही, बल्कि मलायी है। हम लोगोमे एक दरवेश साहब है। धर्मके मामलेमे वे बहुत ही कट्टर है। वे अपना सब समय मसजिदमे बिताते है। और रोटीके लिए, जब इच्छा होती है, खानोपर पत्थर तोडनेका काम करते है। वे किसीकी बात नही सुनते और सारे दक्षिण आफ्रिकामे शायद सबसे स्वतन्त्र मिजाजके है। जिन्होने उन्हे और उनकी सादगीको देखा है वे उनका आदर करते है। उन्हे जब मालूम हुआ कि सदर मलायी इमाम भारतीय मुसलमानोको अपनी पवित्र शपथ तोडनेको बहका रहा है, उनका खून खौल उठा। वे जानबूझकर मलायी मसजिदमे गये और इमामसे

१ मूल अंग्रेजी पत्रके अनुवादके लिए देखिए "पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर'को", पृष्ठ ३०२-०४।

मिलकर उन्होंने उससे वादविवाद किया। उन्होंने इमामको विश्वास दिलानेके लिए कुरानकी एक आयत सुनाई और कहा "आप तो इमाम हैं, इसके अलावा आप भारतीय नहीं, मलायी हैं, आपको भारतीय मामलेमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और इमाम होकर कुरानकी आयतोंको तोड़नेके लिए लोगोंको नहीं बहकाना चाहिए।" समझाते समझाते दोनों गरम हो गये, बोलचाल शुरू हुई और उससे मारपीट हो गई। इस प्रकार यह घटना घटी। इसमें भारतीयोंपर खतरनाक होनेका आरोप लगाना बहुत ही अनुचित होगा। हममें से बहुतेरोंने दरवेश साहबको समझाया तथा शान्त होनेके लिए उनसे मिन्नतें की। लेकिन उनका कहना है कि खुदा और मेरे बीच किसीको नहीं आना चाहिए। कहनेकी जरूरत नहीं कि उनके लिए घर और जेलखाना दोनों एक जैसे हैं। उन्हें समझाया गया तो उन्होंने कहा है कि मैं अदालतमें जाकर अपनी बात समझानेको तैयार हूँ।

कुत्तेको जहर देनेका आरोप लगाना निर्दयतापूर्ण है। मैंने इस बातकी बहुत ही बारीकीसे जाँच की है। लेकिन कुत्तेको जहर देने और उसके मालिकके पंजीकृत होनेमें कोई सम्बन्ध नहीं है। लोग मानते हैं कि कुत्तेके भौंकनेके कारण पकड़े जानेसे बचनेके लिए किसी चोरने वैसा किया होगा। किसी भारतीय गद्दारका नुकसान हो और उसका दोष आप अनाक्रामक प्रतिरोधीके सिर थोपें तब तो बड़ी भयंकर बात होगी। नहीं महोदय, बहुसंख्यक भारतीयोंकी इच्छाका पालन करनेके लिए अल्पसंख्यकोंको लाचार करनेके अनुचित उपाय काममें लानेका हमारा जरा भी इरादा नहीं है। जैसे हम स्वतन्त्र रहनेके लिए कानूनके वश नहीं होते, उसी तरह दूसरोंके अपनी इच्छाके अनुसार चलनेकी स्वतन्त्रता भोगनेमें हम आड़े आना नहीं चाहते।

जर्मिस्टनके हिन्दू धर्मगुरुके सम्बन्धमें आपके संवाददाताने जैसा लिखा है वैसी कोई घटना नहीं घटी। हाँ, यह बात बिलकुल ठीक है कि उक्त धर्मगुरु कानूनके मामलेमें उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। और ऐसा तो इस उपनिवेशके सभी हिन्दू व मुसलमान धर्मगुरु करते हैं क्योंकि यह सवाल समस्त भारतीय समाजपर लागू होता है। यदि भारतीयोंको अपना धर्म प्यारा हो तो उनसे लड़ाईमें उत्साह दिखाये बिना रहा ही नहीं जा सकता। जहाँ यह विकल्प खड़ा हो कि इन्सान रहें या हैवान बनें, वहाँ अपनी इन्सानियतको कायम रखनेकी सलाह क्या धर्मगुरु नहीं दे सकता?

इस किस्सेपर टीका

यह किस्सा बहुत ही विचार करने योग्य है। इमाम कमाली तथा श्री हेलूने पंजीयन अधिकारीसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर झूठी बातें कही हैं, इसमें कोई शक नहीं। ईसप मियाँने सिद्ध कर दिया है कि बहुत से भारतीयोंके मारपीट करनेकी बात बिलकुल झूठी है। फकीरकी पिटाईकी जिम्मेदारी भारतीय कौमपर डालना बिलकुल गलत है। श्री हेलूके कुत्तेको किसी भी भारतीयने जहर दिया होगा यह बिलकुल असम्भव है। लेकिन इस उदाहरणसे इतनी बात बिलकुल समझ ही ली जानी चाहिए कि हमारी लड़ाईमें मारपीटके लिए कोई स्थान नहीं है। मारपीट करके हमें विजय प्राप्त करना नहीं है। और जो खुदापर भरोसा रखकर लड़ते हैं उन्हें मारपीट आदिके साधनोंकी आवश्यकता होती ही नहीं। मैं तो किसी भी दिन नहीं मानूँगा कि सत्यकी हार हो सकती है। भारतीयोंका मामला बिलकुल सच्चा है, इसलिए हमें निर्भय होकर रहना

चाहिए। जो खूनी कानूनके सामने घुटने टेकेंगे उनके नये पजीयनपत्र उनके लिए ही कच्चे पारेकी तरह फूट निकलेंगे और फिर वे हाथ मलते रह जायेंगे।

धरनेदारोंके बारेमे पुलिस आयुक्तका पत्र

पाठकोको याद होगा कि धरनेदार बिलकुल बल प्रयोग नही करते, ऐसा एक पत्र लिखा गया था। पुलिस आयुक्तने उसका जवाब निम्नानुसार दिया है[1]

> इस विषयमे कि आपके सघने वान ब्रैडिस स्क्वेयरमे अपने धरनेदार तैनात कर रखे है, आपका पत्र मिला। आप विश्वास दिलाते है कि पजीयन कराने जाने वालोको कोई व्यक्ति परेशान नही करेगा। इससे मुझे खुशी हुइ है। मै आशा करता हूँ कि उसके अनुसार आपकी कोशिश जारी रहगी।

इस पत्रसे इतना स्पष्ट हो जाता है कि धरनेदार नियुक्त करनेमे दोष नही है। यदि वे हाथ चलाये या धमकी दे तो उसमे दोष है।

जनवरीमे परवाने बन्द ?

यह सूचना 'गजट' मे आ गई है कि जो पजीयन नही करवायेंगे उन्हे जनवरीमे परवाने नही दिये जायेंगे। फिर भी हर शहरमे मुख्य मुख्य भारतीयोको लिखित सूचना दी जा रही है कि यदि वे ३१ अक्तूबरके पहले नये पजीयनके लिए अर्जी नही दे देंगे, तो फिर नही दे सकेंगे और जनवरीमे परवाने भी नही मिलेंगे। इस तरहकी सूचना देकर रसीद भी ली जाती है। इसका क्या मतलब है? स्पष्ट है कि सरकार स्वय डर गई है कि यदि भारतीय समाज कानूनके सामने नही झुकता तो फिर उसका कुछ भी बिगाडा नही जा सकता। इसलिए अब गडबडी शुरू की गई है और सरकार धमकी देकर या फुसलाकर गुलामीका पट्टा दिलवाना चाहती है। इस तरहके चिह्न दिखाइ दे रहे है फिर भी ऐसे भारतीय मौजूद है जो अब भी नही चेतते और पैसेके मोहमे फँसकर पतगोके समान खूनी काननरूपी चिरागपर कूद पडते है, और जल मरते है। मै आशा करता हूँ कि दूसरे भारतीय इन चिह्नोसे सचेत होकर अन्ततक मजबूत रहेंगे।

जर्मन पूर्व आफ्रिका लाइन[2]

मौलवी साहबने हमीदिया सभामे कहा था कि इस कम्पनीके यूरोपकी ओर जानेवाले जहाजोके लिए भारतीयोको छत (डेक) के सिवा दूसरे स्थानोके टिकट नही मिलते। यह मामूली बात नही है। इस विषयमे कुछ समयसे विवाद चला आ रहा है। मौलवी साहबके कथनानुसार इसमे मुख्य तकलीफ हाजियोको हो सकती है। उपाय बहुत ही सीधा है। एक तो यह कि लाइनमे भिन्न भिन्न जगहोपर जो भारतीय एजेंट है वे ठीक प्रबन्ध करे, दूसरा उपाय सीधे बहिष्कारका है। इस लाइनको भारतीय यात्रियोसे बहुत ही आमदनी होती है। यदि भारतीय यात्रियोके साथ जानवरके समान व्यवहार होता रहा तो वह आमदनी बन्द हो सकती है। उसके लिए भारतीयोमे भारी पैमानेपर प्रयास किया जाना चाहिए। ब्रिटिश इडियन स्टीम नेविगेशन कम्पनी तथा दूसरी कम्पनियोके साथ व्यवस्था की जा सकती है तथा पहले मुगल लाइनके जो जहाज आते थे वे फिरसे शुरू किये जा सकते है। ऐसे कई उपाय है।

१ मूल अंग्रेजी पत्र २६-१०-१९०७ के **इंडियन ओपिनियन**में प्रकाशित हुआ था।
२ देखिए "जर्मन पूर्व आफ्रिका लाइन", ४२४ २५ भी।

'स्टार' को पत्र

भारतीय धरनेदारोंपर जो धमकीका इल्जाम लगाया गया है वह तो बिलकुल झूठ है। लेकिन यह सच है कि कुछ गोरे लोग अधिकारियोंकी सिखावनसे भारतीयोंको परेशान करते हैं और गुलामीका पट्टा लेनेके लिए धमकियाँ देते हैं। इसपर श्री गांधीने 'स्टार'को निम्न पत्र[1] लिखा है :

महोदय, जो पंजीकृत होना चाहते हैं उन्हें डरानेका आरोप सर्वथा निर्दोष धरनेदारोंपर बिना किसी सबूतके लगाया जाता है। इस आरोपके खोखलेपनकी ओर तथा पंजीकृत न होनेवालोंको जो सचमुच डराया-धमकाया जा रहा है उसकी ओर मैं लोगोंका ध्यान खींचना चाहता हूँ।

कलकी बात है। उसमें पीटसबर्गसे आये हुए तीन भारतीयोंको धरनेदारोंने स्वयं पंजीयन कार्यालयमें ले जानेको कहा था। किन्तु वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। फिर भी धरनेदारोंको बदनाम करनेके लिए यह ढोंग रचा जा रहा है कि डर लगता है। इस आधारपर पुलिसका संरक्षण प्राप्त करनेके प्रयत्न भी किये जा रहे हैं। यदि इस आरोपमें कुछ भी सचाई है तो फिर अभीतक किसीपर मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? यदि वह सच ही है तो उसे सिद्ध करना सबसे आसान काम है। क्योंकि यदि डराने धमकानेका काम होता होगा तो वह तो ब्रैंडिश स्क्वेयरमें सरेआम सैकड़ों राहगीरोंके सामने होता होगा।

अब मैं इस विषयकी बात करूँगा कि जो लोग पंजीयन नहीं करवाना चाहते उन्हें धमकी दी जाती है। बहुतेरे भारतीयोंको लगता है कि जिनके पास कैप्टन फाउल अथवा श्री चैमने द्वारा दिये गये अनुमतिपत्र हैं उन्हें, नये पंजीयनपत्र न लेनेके कारण, आड़े टेढ़े तरीकोंसे अधिकारीवर्गका दबाव पड़नेके कारण नौकरीसे अलग कर दिया जाता है। जर्मिस्टनमें भारतीयोंको नये कानूनके मुताबिक पंजीकृत न होनेके कारण नौकरीसे अलग कर दिया गया है। यह बात सच है — इस आशयका एक पत्र जर्मिस्टनके मुख्य धरनेदारके पाससे मुझे मिला है। दबावकी बात सच है या झूठ, यह उपर्युक्त पत्रसे मालूम हो सकता है। इससे हमें बहुत आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि स्वयं जनरल स्मट्सने इस प्रकारकी धमकियाँ देनेमें पहल की है। उन्होंने हर प्रकारकी सजाकी धमकियाँ दी हैं। वे निर्वासित करने और परवाना छीनने — दोनों प्रकारकी सजाएँ एक साथ देनेको कह चुके हैं। ये दोनों सजाएँ एक ही व्यक्तिको एक साथ कैसे दी जा सकती हैं, यह मेरी समझमें तो नहीं आता। प्रवासी कानूनके बिना निर्वासित करना सम्भव नहीं है, और उस कानूनको मंजूरी तो अभी मिलनी ही बाकी है। भारतीय शुद्ध लड़ाईसे नहीं डरते, और जैसा मैं देख रहा हूँ, यदि सरकार अशुद्ध लड़ाई लड़ना चाहेगी तो उसमें जूझनेको भी वे तैयार हैं। लेकिन सरकारका ऐसा करना तो अंग्रेजोंके लिए अशोभनीय है। गुलामीके प्रमाणपत्रके लिए भारतीयोंपर जोरो-जबदस्ती करनेमें गोरे मालिकोंकी मदद क्यों ली जानी चाहिए? बहुत मालिकोंने ऐसे दबावका विरोध किया है और अपने भारतीय नौकरोंको बर्खास्त करनेसे साफ इनकार कर दिया है। इसके लिए दोनों आदरके पात्र हैं — मालिक

१. मूल अंग्रेजी पत्रके अनुवादके लिए देखिए "पत्र : 'स्टार'को", पृष्ठ २९१-९३।

इसलिए कि वे दगाबाजीमे शामिल नही होना चाहते, और भारतीय नौकर इसलिए कि वे इतने लायक और नमकहलाल ह कि उनके मालिक उन्हे छोड नही सकते।

मुझे अभी ही मालूम हुआ है कि जिन चार भारतीयोकी ओरसे यह कहा गया था कि उन्हे धमकी दी गई है और जिनके पास अनुमतिपत्र बिलकुल थे ही नही, वे आज छूट गये ह, और उन्हे भरी अदालतमे विश्वास दिलाया गया हे कि उन्हे पजीयन प्रमाणपत्र मिलेगे। इसमे कोइ शक नही कि गुलामोको नये पजीयन प्रमाणपत्र रूपी पट्टे मिलने ही चाहिए। मेरी रायमे जिन लोगोके पास पुराने डच पास हो (जैसा कि कहा गया हे, चार व्यक्तियोके पास है) उन्हे शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अनुसार दिये हुए अनुमतिपत्रवालोके समान मानना चाहिए। लेकिन यह सब जानते है कि उन लोगोको तो श्री जाडनने उपनिवेश छोडकर जानेके लिए नोटिस दिया था। जिस दिन उपयुक्त चार व्यक्तियोने नये पजीयनपत्र लेनेके लिए अर्जी देनेको कहा उसी दिन उन जैसे पासवाले एक भारतीयको नोटिस मिला था। इसलिए जान पडता हे कि जनरल स्मटस इस खोजमे लगे ह कि कोन कायदेके मुताबिक रह रहा है और कौन बेकायदे।

चिदेसे सहायता

चिदेके भारतीयोने सहानुभूतिके तार ही नही साथमे पैसे भी भेजे है। चिदेसे श्री इब्राहीम हाजी सुलेमान सघके नाम निम्नानुसार लिखते है[1]

वहाकी मुसीबतोमे हमारी पूरी सहानुभूति व्यक्त करनेवाला २२ अगस्तका हमारा तार आपको मिला होगा। हमे आशा हे कि हमारे भाई अन्ततक उत्साह कायम रखेगे।

२१ तारीखको हमारी सभा हुई थी। उसका विवरण न देकर मै इतना ही सूचित करता हूँ कि उस सभामे बहुत से भारतीय उपस्थित हुए थे ओर उत्साह बहुत था।

हमने उसी समय चन्दा भी वसूल किया और कुल मिलाकर ३३ पौड १५ शिलिग ९ पेस जमा हुए। यह रकम यद्यपि हम बहुत कम मानते ह, फिर भी आपको भेज रहे है। स्वीकार करे।

चन्दा देनेवालोके नाम इसके साथ भेज रहा हूँ। बहुत से लोगोकी सलाह है कि इस सूचीको 'इडियन ओपिनियन' मे प्रकाशित किया जाये। यह सूचना इसलिए नही दी गई कि वे अपना नाम अखबारमे देखना चाहते है बल्कि इस आशासे दी गई है कि इसे देखकर दूसरे लोग भी मदद करेगे।

यह माग ऐसी नही कि जिसे साफ नामजूर कर दिया जाये। इसलिए वह सूची खुशी खुशी प्रकाशनके लिए भेज रहा हूँ। चन्दा देनेवालोके नाम इस प्रकार ह[2]

चिदेके सघको आभारका पत्र भेज दिया गया है।

१ मूल अग्रेजी पत्र २६-१०-१९०७ के **इडियन ओपिनियन**में प्रकाशित किया गया था।

२ इसके बाद मूलमें ४६ नामोकी सूची दी गई थी, जो यहाँ नही दी जा रही है।

एक कुत्तेकी बहादुरी

यहाके धरनेदारोने एक प्रसिद्ध चित्रकारका बनाया चित्र खरीदा हे। वह बहुत ही प्रभावोत्पादक और हर भारतीयको जोश दिलानेवाला हे। उसमे एक कुत्ते ओर दो बालिकाओका दृश्य हे। बालिकाओने जूते उतार दिये है ओर उनमेसे एक कुत्तेको रस्सी बाध कर खीचती हे और दूसरी उसे धक्का देती हे। लेकिन वह बहादुर अपनी जगहसे टससे मस नही होता। इसका नाम हे अनाक्रामक प्रतिरोध [पैसिव रेजिस्टेन्स]। चित्रकारने भी इस चित्रको अनाक्रामक प्रतिरोधी कहा है। वह कुत्ता इतना बलवान चित्रित किया गया हे कि यदि काटना चाहे तो काट सकता हे। लडकिया हठीली तो है किन्तु वच्चिया है। लेकिन कुत्ता सिफ अपनी जगह नही छोडना चाहता। वह कहता हे "मै तुम्हारा गुलाम कदापि नही बन सकता। तुम मुझे रस्सीसे खीचो या धक्के मारो, पर म नही हटूगा। स्वेच्छासे तुम्हारे साथ चलू तो बात अलग हे। तुम्हारी जबदस्ती नही चलेगी। न मै ही तुमपर कोइ बल प्रयोग करूँगा।" भारतीयोकी लडाई इसी प्रकारकी है। हमे किसीपर बल प्रयोग नही करना हे। लेकिन हमने जो प्रतिज्ञा की हे उसे भी नही छोडना हे।

गद्दारोकी सूची

आजतकके गद्दारोकी — उन्हे काले पैरवाले कलमुहे, पियानो बजानेवाले, कुछ भी कहिए — जो सूची मेरे हाथमे आई हे, वह यहा दे रहा हूँ[1]

इस सूचीको प्रकाशित करते हुए मझे शम आती है। लेकिन कतव्य समझकर, शमको दबाकर, प्रकाशित कर रहा हूँ। इनमे से श्री हासिम मुहम्मद पीटसबगमे मुख्य धरनेदार थे। उन्होने कलक लगवाया, यह कम खेदकी बात नही है। इनमे पहल करनेवाले श्री अबू ऐयबजी माने जाते है। लेकिन वे श्री खमीसाकी शतरजकी वाजीमे एक प्यादे थे। उन्हे क्या दोष दिया जाये? ये महाशय इतने शरमाते थे कि इन्होने पहले नम्बरका पजीयन लेनेमे आनाकानी की। इसलिए पजीयन अधिकारीने इन्हे १२७ वा नम्बर दिया। इतनी बेहूदगी होते हुए भी भारतीय डरता है, यही हमारी अधमताका चिह्न हे। इस सूचीसे मालूम होता हे कि पजीयन करवानेवालामे मुख्यत मेमन लोग है। कुछ कोकणी है और शेषमे एक गुजराती हिन्दू ओर दो तीन मद्रासी है। इसमे श्री हेलू और दूसरे चार-पाच कोकणी आदिके, जो जोहानिसबगमे अर्जी दे चुके है नाम नही है। अब ज्यादा दिन नही ह। बाजे-गाजेके साथ बरात मडवेमे पहुच जायेगी। उपयुक्त सूची बडी मुश्किलसे मिली है। प्रिटोरियाके व्यापार सघको वह मेहरबानीके तौरपर दी गई थी। लेकिन जहा बात एक कानसे दूसरे कानपर जाती है कि हवामे उडने लगती हे वहा यदि सघको लिखित सूची मिले और वहासे दूसरेके पास चली जाये तो उसमे आश्चय कोन-सा? और यदि दूसरेको मिलती है तो फिर बेचारे 'इडियन ओपिनियन'का क्या दोष? इसपर यदि कोई यह माने कि ये नाम मुझे व्यापार सघसे मिले है तो यह उसकी भूल होगी। कहासे मिले, इसे जाननेकी इच्छावालेको फिलहाल तो हवा खानी पडेगी।

क्लार्क्सडॉर्पका अखबार

यह अखबार कानूनके बारेमे जो आलोचना करता हे उसे देखकर हँसी आती हे। उसने कहा कि श्री गाधी जैसे उपद्रवी आदमीका क्या लगता हे? वह तो थैली उठाकर दूसरी

१ इसके बाद ७४ नामोकी सूची दी गई थी, जो यहाँ नही दी जा रही है।

जगह जा बैठेगा। लेकिन जिनके धन दौलत हे उन्हे तो गुलाम बन ही जाना चाहिए। क्याकि सरकार तो कह ही चुकी है कि भारतीयाको निर्वासित कर दिया जायेगा, ओर उन्हे परवाने भी नही दिये जायेगे। क्लाक्सडापके अखबारके सम्पादकने यह सीख आप्त जनकी तरह दी हे। सम्पादक महोदय यह भूल जाते है कि लोग सम्पत्ति गुलाम बननेके लिए नही बल्कि आजाद रहनेके लिए रखते है। कटार म्यानमे रखी हुई तो शाभा बढाती हे, किन्तु यदि छातीमे खास ली जाये तो मौत हो जाती हे, उसी प्रकार सम्पत्ति इज्जतदार आदमीको ही शोभा देती हे। गुलामके लिए तो वह छातीमे खोसी हुई कटार हे। जिन्होने सम्पत्ति कमाई हे उन्हे उसे बबाद करनेका हक हे। ओर भारतीय समाज उन्ही हकोको बरत रहा हे। यह सयानेपनकी शिक्षा देनेवाले गोरे अपने देश और सम्मानके लिए कई बार स्वय अपनी सम्पत्ति गॅवा चुके ह। और उन्होने उतनी ही आसानीसे फिर कमा भी ली हे। अब यदि अपने सम्मान और धमके लिए भारतीय समाज अपनी सम्पत्तिको लात मारता हे तो उसमे आश्चय कोन सा ?

बहुत ही महत्वपूर्ण मुकदमा

मै लिख चुका हूँ कि श्री दुलभ वीराका परवाना सम्बन्धी मुकदमा रूडीपूटमे चला था। उसमे मजिस्ट्रेटने यद्यपि श्री दुलभ वीराके प्रति सहानुभूति व्यक्त की, फिर भी फैसला उसके विरुद्ध दिया। मुकदमा दो व्यक्तियोपर था। एक उनपर और दूसरे उनके नोकरपर। श्री दुलभ वीराके पास परवाना नही था। नौकरने माल बेचा था, इसलिए मुकदमा उसपर भी था। मजिस्ट्रेटने फसला दिया कि यद्यपि श्री दुलभ वीराको परवाना पानेका हक हे, फिर भी चूकि आदाताने परवाना नही दिया, इसलिए उन्हे दूकान खोलनेका हक नही हे। नोकरने चूकि माल बेचा था, इसलिए वह व्यापार हुआ, और इसलिए उसे भी गुनहगार ठहराया गया। नौकरको सजा नही दी गई। श्री दुलभ वीराको एक शिलिग जुर्माना किया गया।

सर्वोच्च न्यायालयमे जो अपील की गइ थी उसमे ये कारण बताये गये थे

(१) नौकरने माल बेचा, यह गुनाह नही हे। कानून सिफ मालिकको ही गुनहगार ठहरा सकता हे।

(२) श्री दुलभ वीराने परवानेके लिए अर्जी दी थी, किन्तु उनका हक होते हुए भी चूकि आदाताने परवाना नही दिया इसलिए उसमे श्री दुलभ वीराका दोप नही माना जा सकता। अत, उनको दण्ड न दिया जाना चाहिए।

अदालतने अपीलका निणय यह किया कि बिना परवानेके व्यापार करनेवाले मालिकको कानून सजा देता हे। वह नौकरको सजा नही दे सकता। इसलिए नौकर निर्दोष है। उसका कुछ नही हो सकता।

श्री दुलभ वीराको [न्यायालयके अनुसार] परवाना लिये बिना दूकान खुली रखनेका हक नही था। उन्हे आदाताको फिरसे अर्जी देनी चाहिए। उसके बाद यदि न्यायालयको मालूम होगा कि आदाता जान-बूझकर परवाना नही दे रहा हे, तो न्यायालय उसे खच दिलवायेगा और अजदारकी नुकसानीकी पूर्ति भी करवायेगा।

यह फैसला बहुत ही महत्त्वपूण हे। इसमे से कइ रास्ते निकल सकते ह। यह ट्रान्सवालकी लडाईमे लोगोको बहुत हिम्मत देनेवाला है। बहुतेरे भारतीयोको डर है कि जनवरीमे परवाना नही मिला तो दूकाने बन्द कर देनी चाहिए। किन्तु अब वह डर नही

रहा। सजा सिर्फ दूकानके मालिकको ही हो सकती है। कानूनमें दूकान बन्द करनेका अधिकार नहीं है। और दूकानमें नौकर काम कर सकते हैं। इसलिए दूकान बन्द करनेका प्रश्न नहीं रहता। सिर्फ दूकानके मालिकको जेलकी असुविधा (मेरे हिसाबसे सुविधा) भोगनी होगी। मैं इस फैसलेको बहुत कीमती मानता हूँ।

आदातासे हर्जाना और खर्च मिल सकता है, यह बात भी बहुत प्रोत्साहन देनेवाली है।

इस मुकदमेका फैसला मालूम हो जानेपर भी यदि कोई भारतीय व्यापारी डिगता है तो मानना होगा कि हम इस खूनी कानूनके योग्य ही हैं।

शाहजी साहबको दण्ड

इमाम कमालीने शाहजी साहबके खिलाफ मारपीट करनेकी फरियाद की थी। उस मुकदमेकी सुनवाई बुधवारको अदालतमें हुई थी। इमाम कमालीने उसमें बयान देते हुए कहा कि उन्होंने हलफनामा दिया, इसका उन्हें पछतावा है। कानूनके सम्बन्धमें दोनोंके बीच धर्म विवाद हुआ था और शाहजी साहबने डंडा मारा था। परन्तु अब वे नहीं चाहते कि इसपर कोई सजा दी जाये। शाहजी साहबने भी उपर्युक्त मारपीटकी बातको स्वीकार किया। अदालत ठसाठस भरी हुई थी। मजिस्ट्रेटने ५ पौंड जुर्माने या सात दिन जेलकी सजा दी। शाहजी साहबने जुर्माना देनेसे साफ इनकार कर दिया, लेकिन श्री गुलाम कडोदियाने जबरदस्ती वह दे दिया।

ब्रिटिश भारतीय संघकी समितिकी बैठक

संघ और भारतीय विरोधी कानून निधिकी बैठक बुधवारको बारह बजे हुई थी। श्री ईसप मियाँ अध्यक्ष थे। श्री गांधीने कहा कि अब समाजको श्री दुलभ वीराका मुकदमा हाथमें लेना चाहिए। दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिको कायम रखनेकी व्यवस्था की जानी चाहिए और चूंकि समाजकी स्थिति डावाडोल है इसलिए बेहतर होगा कि भारतीय विरोधी कानून निधिकी रकम उनके हाथमें रखनेका निर्णय किया जाये। श्री उमरजी, श्री नायडू, श्री आमद मसाजी और श्री फैंसी उस सम्बन्धमें बोले और उसके बाद सर्वानुमतिसे निम्न प्रस्ताव पास किये गये

(१) दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिको एक वर्ष चलाया जाये और नेटालसे पहले छः महीनेके लिए सहायता माँगी जाये।

(२) श्री दुलभ वीराका मुकदमा संघ आगे बढ़ाये तथा उसपर २० पौंड तक खर्च किया जाये।

(३) भारतीय विरोधी कानून निधिका हिसाब उठाकर वह रकम श्री गांधीके सुपुर्द की जाये।

और गद्दार

[१]ने पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र दिये हैं। मुझे यह सूचना देते हुए खेद है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६–१०–१९०७

१ मूलमें यहाँ चार नाम दिये गये हैं।

२५१ पत्र सर विलियम वेडरबर्नको

[जोहानिसबग
अक्तूबर ३१, १९०७के पूव]

सेवामे
सर विलियम वेडरबन
अध्यक्ष
ब्रिटिश समिति, भारतीय राष्ट्रीय महासभा
लन्दन

[महोदय,]

एशियाई पजीयन अधिनियमके सम्बन्धमे जो नाजुक स्थिति यहा उत्पन्न हो रही है उसकी ओर मै आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पजीयनके लिए अन्तिम तिथि आगामी ३० नवम्बर है। उसके पश्चात, विशेष मामलोको छोडकर, कानूनके अन्तगत दिये जानेवाले पजीयन प्रमाणपत्रोके लिए भेजी गई अर्जियोको सरकार स्वीकार नही करेगी। मेमन समाजको छोडकर, भारतीय सामान्यत पजीयन कार्यालयमे नही गये है, और १३,००० अनुमतिपत्र-स्वामियोमे से केवल २५० ने ही कानूनकी अधीनता स्वीकार करनेके सम्बन्धमे प्राथनापत्र भेजे है। इसमे भावनाकी तीव्रता प्रकट होती है। राहत पानेका हमारे पास यह तरीका है कि कानूनको भग करनेके सब परिणामोको सहन किया जाये। सम्भव है, कुछको, जो बहुत बडे व्यापारी ह अपना सवस्व बलिदान करना पडे। उनमे से बहुतेरे तो इस दु खका अभी ही अनुभव कर रहे है, क्योकि यूरोपीय थोक विक्रेताओने भारतीय व्यापारियोको, यदि वे पजीयन प्रमाणपत्र पेश न कर सके, उधार माल देना बन्द कर दिया है। गरीब भारतीय अपनी नौकरियोसे हाथ धो बैठे है, और तब भी कानूनके प्रति वही विरोध और वही दढता बनी हुई है।

मेरे सघकी रायमे यह प्रश्न साम्राज्यीय महत्त्वकी दृष्टिसे प्रथम श्रेणीका तथा भारतके लिए राष्ट्रीय महत्त्वका है। अतएव मेरा सघ आशा करता है कि यह मामला काग्रेसके आगामी अधिवेशनमे उत्साहके साथ उठाया जायेगा और भारतकी सवसाधारण जनता भी इस प्रश्नपर यथोचित ध्यान देगी। और इस उद्देश्यसे मेरा सघ सम्मानपूवक आपकी सक्रिय सहानुभूति और प्रोत्साहनके लिए अनुरोध करता है। मेरे सघको लगता है कि प्रत्येक भारतीय, आपके काग्रेसी पदसे अलग, आपको भारतका एक सबसे बडा शुभचिन्तक मानता है। मै आशा करता हूँ कि हमारे इस वतमान सघषमे भी आप भारतमे भारतीय विचारका वैसा मागदशन करेगे जो वाञ्छनीय प्रतीत हो।

[आपका
ईसप इस्माइल मिया
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २-११-१९०७

२५२ पत्र उपनिवेश-सचिवको[1]

जोहानिसबग
नवम्बर १ १९०७

सेवामे
उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया

महोदय,

मै आपकी सेवामे डाक पासलसे एशियाई पजीयन काननके विपयमे ट्रान्सवाल भरके ब्रिटिश भारतीयोका प्राथनापत्र भेज रहा हूँ। साथमे अनुयाचकोको दी गई हिदायतोकी[2] एक प्रति भी हे।

कुछ भारतीयोने उक्त कानूनके अ तगत बनाये गये विनियमोमे सशोधनकी माग करते हुए सरकारको एक पत्र लिखा था। जब --नि-- फाम बाटे गये उस समय तक उस पत्रका कोई उत्तर नही आया था ओर न ही उसे वापस लिया गया था। लेकिन तबसे यद्यपि सवश्री स्टगमान, एसेलेन व रूजके मुवक्किलोको कोई सतोषजनक उत्तर नही मिला हे और फलत उन्होने अपना पत्र वापस भी ले लिया है तथापि मेरे सघकी समिति चाहती हे कि मै उक्त प्राथनापत्र प्रेषित करूँ क्योकि उसमे उसपर हस्ताक्षर करनेवाले लोगोकी भावनाएँ सन्निहित है। मेरे सघकी नम्र सम्मतिमे, प्राथनापत्र उसके द्वारा अपनाये गये रुखका औचित्य पूरा पूरा सिद्ध कर देता हे, और उससे यह प्रकट होता है कि वह उपनिवेशमे रहनेवाले भारतीयोके भारी बहुमतका प्रतिनिधित्व करता हे। प्राथनापत्र कुछ दिनोसे तैयार पडा था, लेकिन सघने इसे पेश करना रोक रखा, क्योकि वह पजीयन-कार्यालयके जोहानिसबगमे खुले रहनेकी अवधिमे समाजकी गतिविधियोकी परख करना चाहता था।

प्राथनापत्रपर ४,५२२ हस्ताक्षर है, और वे हस्ताक्षरकर्ता ट्रान्सवालके २९ नगरो, गावो और जिलोमे से है। केद्रोके अनुसार विश्लेषण इस प्रकार हे जोहानिसबग, २०८५, न्यूक्लेयर, १०८, रूडीपूट, १३६, क्रूगसडॉप, १७९, जर्मिस्टन, ३००, बाक्सबग १२९, बिनोनी, ९१, माडरफॉटीन, ५१, प्रिटोरिया, ५७७, पीटसबग और स्पेलोनकेन ९०, वेरीनिगिग, ७३, हाइडेलबग, ६६, बैलफर, १४, स्टैडटन, १२३, फोक्सरस्ट, ३६, वाक्स्ट्रूम, १२, पीट रिटीफ, ३, बेथाल, १८, मिडलबग, २९, बेलफास्ट, मेकाडोडाप और वाटरवाल, २१, बाबटन, ६८, पाचेफ्स्ट्रूम, ११४, वेन्टसडाप, १२, क्लाक्सडाप, ४१, क्रिश्चियाना, २४, लिखतनबग, ७, जीरस्ट, ५९, रस्टनबग, ५४, अरमीलो, २।

ट्रान्सवालमे भारतके हिदू, मुसलमान, ईसाई और पारसी ह, तथा मुसलमान तीन हिस्सोमे बँटे हुए है सूरती, कोकणी तथा मेमन। उसी प्रकार हिदू भी गुजराती, मद्रासी

१ नवम्बर २, १९०७ के **इंडियन ओपिनियन**में इस पत्रका सारांश प्रकाशित किया गया था।

२ देखिए 'भीमकाय प्रार्थनापत्र', पृष्ठ २३७-३८।

और उत्तरके, जिन्हे साधारणतया कलकतिया कहते है, रूपमे विभक्त है। सिखो ओर पठानोका अलग वर्गीकरण न करना पडे इस विचारसे यदि हिदू है तो उन्हे उत्तरी लोगोमे और मुसलमान है तो सूरती लोगोमे शामिल कर लिया गया है। ईसाइयोका अलगसे वर्गीकरण नही किया गया, क्योकि एक तो लगभग वे सबके-सब मद्रासी है और, दूसरे, वे कुल मिलाकर २०० से अधिक नही है। अत, धम और प्रातके हिसाबसे वर्गीकरण इस प्रकार किया गया हे सूरती, १,४७६, कोकणी, १४१, मेमन, १४०, गुजराती हिदू, १,६००, मद्रासी, ९९१, उत्तरी, १५७, पारसी, १७।

मै यह भी कह दू कि मेमनोको छोडकर शायद ही कोई हस्ताक्षर देनेसे रहे हो, किन्तु हस्ताक्षरोकी अनुयाचनाके लिए हमे जितना समय मिला था उसमे ट्रान्सवालके कोने अँतरोके हिस्सो — जैसे फारम आदिमे बसे हुए हर भारतीय तक पहुँच पाना मेरे सघके बूतेसे बाहरकी बात थी। अनुयाचकोने — जिनमे सब जिम्मेदार ओर प्रातिनिधिक व्यक्ति ह — खबर दी हे कि समाजको जो सघष करना पड रहा हे उसके कारण भारतीय एक बडी तादादमे ट्रासवाल छोडकर जा चुके है। सभी मानते है कि शाति रक्षा अध्यादेशके अन्तगत ब्रिटिश भारतीयोको १३,००० अनुमतिपत्र दिये गये है, और जब गत वष सितम्बर मासमे दुर्भाग्यसे यह सघष शुरू हुआ तब लगभग इतने ही भारतीय ट्रान्सवालमे रहते थे। आज मेर सघको प्राप्त जानकारीके अनुसार ट्रासवालमे ८००० से अधिक ब्रिटिश भारतीय नही है, बल्कि यह सख्या, सम्भवत, ८,००० की अपेक्षा ७,००० के अधिक करीब है। मेरे सघको यह ज्ञात है कि थोक व्यापारियोके दबाव डालने या ऐसे ही दूसरे कारणोसे कुछ मेमनो ओर अन्य लोगोने, जिनकी सख्या ३० स अधिक नही है, दस्तखत वापस ले लिये है और कानूनके अन्तगत पजीयनकी दरख्वास्त की है। इसके अतिरिक्त मेरे सघ द्वारा प्राप्त जानकारीके अनुसार जिस अवधि तक — अर्थात १ जुलाईसे ३१ अक्तूबर तक — पजीयन चलता रहा, उसमे सारे ट्रासवालमे ३५० से ज्यादा भारतीयोने पजीयनके लिए दरख्वास्त नही की है, और इन प्रार्थियोमे से ९५ प्रतिशत मेमन है।

अन्तमे मेरा सघ सरकारका ध्यान एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके विरुद्ध उस समाजकी तीव्र भावनाकी ओर आकर्षित करता हे जिसका कि मेरा सघ प्रतिनिधि हे। समाजको इसके प्रति जो रुख अख्तियार करना पडा है उसमे उसका इरादा सरकार अथवा देशके कानूनको अमान्य करनेका नही रहा है। बल्कि बात यह है कि इस कानून द्वारा समाजपर जो ज्यादती की गई है उसकी अनुभूति तथा कानूनके समस्त निहित अर्थोने भारतीयोको वे मुसीबते झेलनेके लिए तैयार हो जानेपर मजबूर कर दिया है, जो अनाक्रामक प्रतिरोधके लिए, जिस रूपमे ब्रिटिश भारतीयोने उसे समझा हे, उन्हे झेलनी पडेगी।

[आपका, आदि
ईसप मियाँ
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अग्रेजीसे]

ट्रासवाल लीडर, २-११-१९०७

२५३ पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर' को

[जोहानिसबर्ग]
नवम्बर १, [१९०७]

[सम्पादक
'ट्रान्सवाल लीडर'
जोहानिसबर्ग]

महोदय,

अपने आजके अंकके अग्रलेखमें आपने ब्रिटिश भारतीय संघपर एशियाई पंजीयन अधिनियमके बारेमें यह वक्तव्य देनेका आरोप लगाया है कि जिन चार सौ व्यक्तियोंने अपना पंजीयन करवाया है, उन्हें ट्रान्सवालमें रहनेका कोई अधिकार नहीं है। संघके किसी पदाधिकारी द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया जानेका मुझे कोई पता नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारे कुछ धरनेदारोंने कतिपय ऐसे वक्तव्य दिये थे लेकिन यह केवल दुःसाहस था। मुख्य धरनेदार श्री नायडूने तत्काल इसका सुधार कर दिया था। लेकिन भूल-सुधारका प्रकाशन आपकी रिपोर्टमें नहीं किया गया। संघने जो अधिकृत वक्तव्य दिया था वह यह है कि कमसे-कम ऐसे चार व्यक्तियोंने, जिन्हें कानूनकी सरकारी व्याख्याके अनुसार इस देशमें रहनेका अधिकार नहीं है, पंजीयन-प्रमाणपत्रके लिए अर्जियाँ दी हैं और, कदाचित, उन्हें प्रमाणपत्र मिल भी गये हैं, संघ तो इन लोगोंको भी प्रमाणपत्रोंके अधिकारी नहीं समझता।

यदि सरकार अर्जियाँ लेनेके लिए दफ्तर खुला रखती है तो मुझे विनयपूर्वक इस बातसे इनकार करना होगा कि यह कोई भलमनसाहत भरी रियायत है क्योंकि यह अधिकांश भारतीयोंकी रायमें सरकार द्वारा अपनी कमजोरीको मंजूर करना होगा। ब्रिटिश भारतीय संघने अत्यन्त नम्रतापूर्वक तथा उच्चतर प्रेरणाके वशीभूत होकर सरकारको चुनौती दी है कि वह जितना बुरा कर सके, कर ले। हमें पंजीयनकी चिकोटियोंकी जरूरत नहीं है और यदि धरनेदारोंकी सतर्कताने भारतीयोंको उस चीजसे दूर रखा है जो उनकी नजरोंमें एक संकटका मूल है, तो यह सतर्कता प्रिटोरियामें भी बरती जायेगी।

आप पूछते हैं कि उस दशामें भारतीय विरोधसे क्या लाभ हो सकता है, जब कि जनरल स्मट्स धौंस धमकी दे रहे हैं और साम्राज्य सरकार हस्तक्षेप करनेसे इनकार कर रही है। जहाँतक मुझे पता है, भारतीयोंका अन्तिम उपायके रूपमें न डाउनिंग स्ट्रीटके हस्तक्षेपमें विश्वास है और न ही जनरल स्मट्स द्वारा मानवताके सिद्धान्तके स्वीकार किये जानेमें। यद्यपि भारतीय समाज आज जो प्रयास कर रहा है, वह यदि सफल हो गया तो, निःसन्देह, भारतीयोंको उपनिवेशमें एक प्रतिष्ठा प्राप्त होनेकी आशा है, तथापि उन्हें यह भी अच्छी तरह मालूम है कि इस युद्धमें उनका सर्वस्व नष्ट हो जा सकता है। किन्तु अगर ऐसा हो जाये, जिसका मुझे यकीन नहीं है, तो कमसे-कम उन्हें आत्म लाभ तो अवश्य ही होगा। और यदि उस लाभको तराजूके एक पलड़ेमें रखकर, दूसरे पलड़ेमें उस सम्पूर्ण लाभको रखा जाये

जो जनरल स्मट्स तथा उनका अधिनियम भारतीय समाजको दे सकता है, तो मुझे अपने देशवासियोसे यह कहनेमे कोई हिचक नही होगी कि वे किसी भी कीमतपर दूसरे लाभको लेनेसे इनकार कर दे। और तब आप देखेगे कि कानून द्वारा मिलनेवाली सारी सुविधाओको तो हम प्राप्त करेगे, लेकिन प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक या उससे भी सख्त कोई और कानून हमारे समाजको इस सीधे और तग रास्तेसे नही हटा सकेगा। यदि उसने हटा दिया, और मै यह नही कहता कि वह ऐसा नही करेगा, तो प्रत्येक भारतीय जानता है कि दोनो ओर खाई है।

आपका, आदि,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

ट्रान्सवाल लीडर, २-११-१९०७

२५४ पत्र सर विलियम वेडरबर्नको

[जोहानिसबर्ग
नवम्बर २, १९०७के पूर्व]

सेवामे
सर विलियम वेडरबर्न
अध्यक्ष,
ब्रिटिश समिति, भारतीय राष्ट्रीय महासभा
लन्दन

[महोदय,]

एशियाई पजीयन अधिनियमके सम्बन्धमे मेरा सघ बडी सरगर्मीसे काम कर रहा है। कहनेकी आवश्यक्ता नही कि दक्षिण आफ्रिकामे हमारे अपने बीच कोई जातिगत भेदभाव नही है। विभिन्न प्रान्तोके हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई — सब मिलजुलकर सबके हितके लिए काम करते है। कुछ बातोमे एशियाई पजीयन अधिनियम भारतीय मुसलमानोको विशेष रूपसे प्रभावित करता है। हमने सभी दलो और वर्गोसे अपील की है, अत मेरा सघ आपको इग्लैडमे भारतीय राष्ट्रीय महासभाका प्रतिनिधि मानकर आपसे भी अपील करता है तथा विश्वास करता है कि ट्रान्सवाल पजीयन अधिनियमको, सामान्य दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नसे पृथक, काग्रेसके समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत प्रश्नोमे प्रमुखता प्रदान की जायेगी। जैसा कि आपको विदित है, ट्रान्सवालकी विशेष कठिनाइयोका सामना करनेके लिए हमने जो मार्ग अपनाया है उसे शायद साहसिक ही कहा जा सकता है। दक्षिण आफ्रिकामे दूसरे कानूनोको बर्दाश्त किया जा सकता है और अबतक उनको बर्दाश्त किया भी गया है, परन्तु ट्रान्सवाल कानून तो असह्य है। दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे कानूनोके अन्तर्गत भारतीयोने उनके आगे झुकनेके बजाय उनका विरोध करके अपना सर्वस्व गँवा देनेकी प्रेरणाका अनुभव नही किया,

लेकिन ट्रासवाल कानूनके अतर्गत यह कदम नितात आवश्यक समझा गया है और हो भी गया है। दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे कानून हमे सामान्य रूपसे धनोपार्जनके साधनोसे वञ्चित करते है, ट्रान्सवाल पजीयन अधिनियम हमे पुसत्वहीन बनाता है और हमे लगभग गुलामोकी स्थितिमे पहुँचा देता है। और चूकि यह प्रश्न मुसलमानोको खास तौरसे प्रभावित करता है, इसलिए यदि राष्ट्रीय काग्रेस ट्रान्सवालके मामलेको विशेष महत्त्व दे तो यह उसके लिए, शायद, शोभनीय ही होगा। कदाचित दिसम्बर मासके अततक बहुत से भारतीय एक सिद्धान्तके लिए कारावासका दण्ड भी पा चुकेगे, और इस प्रकार महासभाका अधिवेशन प्रारम्भ होने तक बहुत ही नाजुक हालत पैदा हो जायेगी।

[आपका, आदि,
इमाम अब्दुल कादिर सालम बावजीर
कार्यवाहक अध्यक्ष
हमीदिया इस्लामिया अजुमन]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २-११-१९०७

२५५. जनरल स्मट्सकी बहादुरी (?)

बहुतेर भारतीय औरतो जैसे डर गये है कि जनरल स्मट्स तो ऐसे है कि जो कहा है वह करेगे ही। गत सप्ताह हम यह सूचित कर चुके है कि उन्होने दूकाने बन्द करनेके सम्बन्धमे कानून बनाया और लगे हाथ वापस ले लिया। वह कानून एक सप्ताह भर 'गजट'मे रहा था, इसी बीच बहुतेरे गोरे दूकानदारोने उसका विरोध किया और जनरल स्मट्स ठडे पड गये। उन्होने प्रकाशित करनेके दस दिनके अन्दर ही उस कानूनको खीच लिया। इसी प्रकार उन्होने बीयर विधेयक (बीयर बिल) तथा काफिरो-सम्बन्धी कानून वापस लिये थे। दूकान सम्बन्धी कानून उन्होने ट्रासवालके गोरोके भयसे वापस लिया था, और दूसरे दो कानून इसलिए वापस लिये थे कि इग्लैडमे उनका घोर विरोध हुआ था।

भारतीय भाइयोको ये तीन उदाहरण अच्छी तरह याद रखने चाहिए। उसका तात्पर्य यह है कि बहादुरसे तो जनरल स्मट्स डरते है। किन्तु जिस प्रकार कोई डरपोक पति अपनी पत्नीपर पूरी बहादुरी दिखाता है उसी प्रकार जनरल स्मट्स भी उन्ही लोगोपर बहादुरी बताते है जो उनसे डरते है, अर्थात जो स्त्री जैसे है। उन्हे गोरे व्यापारियोसे डरना पडता है, क्योकि उनकी सत्ता गोरोपर अवलम्बित है। वे भारतीयोसे क्यो डरने लगे? भारतीयोका रूप तो स्त्रियोके समान दिनमे दस बार बदलता है। वही भारतीय धरना देनेवाला बनता है और वही गुलामीका पट्टा लेता है, वही कानूनका विरोध करनेके लिए अध्यक्ष पद ग्रहण करता है और वही हलफनामा देकर गुलामीकी साडी पहनता है, वही एक कलमसे हस्ताक्षर करता है कि खुदाकी कसम मै कानून स्वीकार नही करूँगा, और दूसरी कलमसे कहता है कि मुझे गुलामी तो चाहिए ही। अब बताइए, जनरल स्मट्स क्यो डरेगे? एक गुंजाइश अब भी है सही। वह है, जो भारतीय अभीतक फिसले नही है वे अततक, बरबाद

होनेपर भी, जनरल स्मटससे जूझते रहे। फिर देखेंगे कि बीयर विधेयक-जैसी दशा खूनी कानूनकी होती है या नही। जगके बिना रग जगतमे कही भी नही जमा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–११–१९०७

२५६ सच्ची मित्रता

नि सन्देह ब्लूमफॉटीनके 'मित्र (फ्रेंड)' की हमारे प्रति सच्ची मित्रता है। 'फ्रेंड' के सम्पादकने अपने २४ तारीखके अकमे एशियाई कानूनपर कडी टीका[1] की है। उसमे बताया है कि जो भारतीय विरोध करते है उन्हे धन्यवाद दिया जाना चाहिए। कुछ भारतीय डरके मारे पजीयन करवा ले तो उससे कुछ भी नही बनता। किन्तु जो विरोध करते है अथवा देश छोडकर चले जाते है वे सिद्ध करते है कि कानून बुरा है।

'फ्रेंड'के सम्पादकने ट्रासवाल सरकारको सलाह दी है कि उसे सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। यदि एशियाइयोको निकाल बाहर करना हो तो उसके लिए लाजमी है कि वह उन्हे हर्जाना दे। हम अपने पाठकोसे सारा लेख[2] पढनेका अनुरोध करते है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २–११–१९०७

२५७ ब्लूमफॉटीनका 'मित्र' फिर भारतीयोकी सहायतापर

"कानून नासमझी-भरा और अन्यायपूर्ण है"

ब्लूमफॉटीन 'फ्रेंड'के २४ तारीखके अकमे ट्रासवाल भारतीयोके समर्थनमे एक अग्रलेख निम्न प्रकार है

> प्रिटोरियासे खबर मिली है कि सरकारको लग रहा है, भारतीयोका अनाक्रामक प्रतिरोध अपने-आप ही टूटने लगा है। इस मान्यताका कारण यह बताया गया कि प्रिटोरियामे लगभग ४८ भारतीय पजीकृत हो चुके है, जिनमे कुछ तो समाजके बहुत ही माने हुए लोग है। परन्तु जोहानिसबगमे, जो कि भारतीयोका प्रधान केन्द्र है, केवल १६ व्यक्तियोने पजीयन करवाया है, जिनमे एक व्यक्ति स्थानीय है और अन्य बाहरके गाँवोके है। हमारा खयाल है कि इन आकडोकी अपेक्षा नीचेकी बातमे अधिक अर्थ समाया हुआ है। मालूम हुआ है, कल सवेरे डबनसे लगभग १०० भारतीय, जो ट्रासवालके ही होने चाहिए, भारतके लिए रवाना होनेवाले है।

१ ऐसा लगता है कि यह लेख प्रकाशित होनेसे कमसे कम दो दिन पहले अक्तूबरमें, लिखा गया था।

२ देखिए अगला शीर्षक।

भारतीयोमे भी थोडे बहुत नामर्द

यदि जुल्मपर जुल्म करके परेशान किया जाये तो फिर भारतीयोमे भी थोडे बहुत नामर्द निकल ही आयेंगे। ऐसा तो गोरे हो या काले, सबमे होता है। जिस कानूनको स्वय ही अपमानजनक और अत्याचारपूर्ण मानते है उसके सामने डरके मारे यदि ४० या ५० भारतीय झुक जाते है तो इससे हमे कुछ भी नही लगता। हमे जो बात खास तौरसे ध्यानमे लेने योग्य लगती है, सो यह है कि डर जानेवालोकी अपेक्षा आत्मसम्मानके हेतु देश छोडकर जानेवालोकी सख्या बहुत अधिक है। ट्रान्सवाल सरकारने जो धधा अख्तियार किया है उसमे नैतिकता नही है। ऐसे कारोबारको मूर्खता पूर्ण कहना चाहिए। जिन ब्रिटिश भारतीयोने कानूनका विरोध किया है उनको ट्रान्स वालमे बसनेका पूरा वैधानिक अधिकार है, जिसमे कोई सन्देह नही। यह हक उन्हे इसलिए प्राप्त हुआ है कि वे लम्बे समयसे यहा रहते आ रहे है। सरकारने निश्चय किया है कि यदि वे अब आगे ओर भी उस अधिकारका उपभोग करना चाहते हो तो उन्हे इस कानूनके सामने झुकना होगा — एक ऐसे कानूनके सामने जो उन्हे आवारे और लफगेका खिताब देता है। हमे तो नही लगता कि सरकारको ऐसा करनेका जरा भी अधिकार है। सब जानते है कि ट्रान्सवालमे अँगुलियोकी छाप लेकर पजीयन करनेकी व्यवस्था केवल कैदियो और चीनी गिरमिटियोपर ही लागू होती है। किसीको शायद यह लगे कि भारतीय भी हलके दर्जेके लोग है, इसलिए उनपर भी यह पजीयन लागू किया जा सकता है। मान ले कि वे हलके दर्जेके है, तो क्या अपना ऊँचा दर्जा दिखानेके लिए उनपर जुल्म किया जाये?

भारतीय निम्न कोटिके है?

परन्तु कौन कहता है कि भारतीय हलके दर्जेके है? हमारी भारतीय सेनामे ऐसी टुकडिया है जो गोरी सेनाकी चुनिदासे चुनिदा टुकडीके समकक्ष मानी जाती है। हमारे विश्वविद्यालयोके श्रेष्ठ श्रेष्ठ पारितोषिकोको भारतीय विद्यार्थी बार बार जीतते है। तत्त्वज्ञान और ऐसी ही अन्य विद्याओमे एशियाइयोके सामने यूरोपीय केवल बच्चोके समान है। यदि व्यापार वाणिज्यकी योग्यताके आधारपर परीक्षा करे तो कुल मिलाकर स्पर्धामे एशियाईको गोरा कभी हरा नही सकता। ट्रान्सवालमे जिस ढगसे भारतीयोको रखा जा रहा है उससे हम निसन्देह कह सकते है कि उसका यथार्थ कारण व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है। हा, युद्ध विद्यामे निसन्देह गोरे लोग एशियाइयोसे बढकर है।

यह विशेषता कितने दिन निभेगी?

परन्तु यह विशेषता कितने दिन निभेगी, इस विषयमे गोरे राजनीतिज्ञ बडे चिन्तित है। सम्भव है कि एशियाके असख्य लोग अपनी शताब्दियोकी निद्रासे कुछ ही वर्षोमे जाग जायेंगे और पश्चिमके लोगोको पछाड देंगे। पहले भी एक नही, कई बार वे पश्चिमको पछाड चुके है। वे जगे नही, यह अलग बात है। किन्तु उन्हे जगानेके लिए

ट्रासवाल सरकार तो अपनी ओरसे जितना बन पाया, कर चुकी है। ट्रान्सवाल सरकारके जुल्मोके कारण जिन भारतीयोको भारत वापस लोटना पडेगा उन सबके मनमे ऐसा घाव हो जायेगा जो कभी भर नही सकता। और तब यदि ऐसा प्रत्येक मनुष्य आदो-लनकारी बन जाये और गोरोके राज्यके विरुद्ध लोगोको उभाडे तो उसमे कहना ही क्या हे? यह हम जानते है कि ट्रासवाल बडी सरकारकी चिताओमे वद्धि करना नही चाहता था, फिर भी कोइ इनकार न कर सकेगा कि ट्रासवालने अपना एशियाई प्रश्न ऐसे ढगसे निपटाना शुरू किया हे कि उससे बडी सरकारकी एशियाइ प्रश्न विषयक मुसीबतमे वद्धि हुए बिना रह ही नही सकती।

नासमझी भरा और अन्यायपूर्ण कानून

अत, हम पजीयन कानूनको नासमझी भरा और अयायपूण मानते है। हम यह नही मानते कि भारतीय सरकारके दबावमे आकर बडी सरकार ट्रान्सवाल सरकारपर जोर डालेगी और एशियाई कानूनमे सशोधन करनेके लिए कहेगी अथवा, (जसा कि कुछ लोगोको डर हे), शायद यह कहेगी कि हमारे देशमे भारतीयोको आने दिया जाये। इग्लड उपनिवेशोके बतावको बहुत ही सहन करता है, उसके निजी लाभको आच आ रही हो तो भी वह उपनिवेशोको उनकी इच्छाके अनुसार चलने देता हे। और न वह अपने व्ययसे और अपनी नौसेना द्वारा उपनिवेशोका सरक्षण करनेका उत्तर-दायित्व अपने सिरसे उतार फेकता है। ट्रान्सवाल यह सब स्वीकार करता हे। जनरल बोथाकी सरकार यद्यपि बडी सरकारके प्रति मत्रीभाव रखती हे, फिर भी एशियाइयोके प्रति उन्होने जो नीति अपना रखी है उसके कारण उनके इग्लडके मित्र उलझनमे पड गये ह। तो क्या कोई अच्छा माग नही है?

अच्छा मार्ग

इतना कहनेके बाद अब हम उचित माग सुझाते है। पहला यह है कि ऐसा कानून बनाया जा सकता हे, जिसके द्वारा नये आनेवालोको आनेसे सवथा रोक दिया जा सके। दूसरा यह हे कि ऐसे नियम बनाये जा सकते है जिन्हे उन सारे एशि-याइयोको पालना होगा जो ट्रान्सवालमे रहना चाहते हो। यदि कोई एशियाई ऐसे कानूनका पालन करनेकी अपेक्षा ट्रासवाल छोडना पसन्द करे और यह सिद्ध कर दे कि छोडनेसे उसे हानि होती है तो उसे पूरा हर्जाना दिया जाना चाहिए। मान ले कि इस तरह ट्रासवालके सभी भारतीय जाना चाहे तो भी उनके हक खरीदनेमे हमे जो खच आयेगा वह किसी भारतीय बलवेके खचसे कम ही होगा। फिर इस सवालके उचित निराकरणमे मदद देनेके लिए इस प्रकारके खचमे बडी सरकार भी योग तो देगी ही। भारतीयोकी परेशानिया भी बोअर युद्धका एक कारण है, इस कथनके लिए स्वय बडी सरकार जिम्मेदार है। फिर, यदि दक्षिण आफ्रिकाको एक करना हे तो सभीको एशियाई प्रश्न तो उठा ही लेना होगा। इसमे नेटालका विशेष सम्बन्ध है, क्योकि उसका काम भारतीय मजदूरोके बिना चल नही सकता। जैसा कि हम पहले बता चुके है, नेटालके लिए माग यह है कि वह भारतीयोके लिए एक अलग ही हिस्सा निश्चित कर दे। उस हिस्सेमे भारतीयोको गोरोके बराबर ही अधिकार होगे। तब उन्हे उससे

कुछ अफवाहें

एक ऐसी बात उडी है कि श्री गाधीने जोहानिसबगके बहुत से प्रमुखोको गुप्त रूपसे पजीकृत करा दिया हे ओर खुद भी हो गये ह। पाठक खुद समझ ले कि इसको कितना महत्त्व दिया जा सकता हे। अफवाह तो यह भी हे कि इस बातको उत्तेजन जरनल स्मटसने दिया हे। यदि ऐसी बात हो तो यही कहना होगा कि जनरल स्मटस डरके मारे नाहक हाथ-पाव पटक रहे है ।

दूसरी गप्प यह उडी है कि जनरल स्मट्स दिसम्बरमे अ पजीकृत लोगोको निश्चित रूपसे गाडीमे बिठा देगे। उन्होने नेटालके मन्त्रीके साथ यह व्यवस्था कर ली हे कि गाडी बन्दर गाहपर पहुँचाई जायेगी और वहासे उन्हे बालाबाला स्टीमरमे भरकर भारत पहुँचा दिया जायेगा। यह बात बेबुनियाद हे क्योकि झूठ है। जबरदस्ती देशनिकाला देनेका कानून अभी पास नही हुआ है। श्री लेनड राय दे चुके है कि ऐसा एक भी कानून ट्रान्सवालमे नही है जिसकी रूसे पजीयन न करानेवाले भारतीयको जबरदस्ती निर्वासित किया जा सके। इसके अलावा यह भी सोचना चाहिए कि यदि ऐसी सत्ता खूनी कानूनमे होती तो सरकार प्रवासी विधेयकमे वह धारा विशेष तौरसे न रखती। इतनी बात निश्चय हे कि सरकारको जबरदस्ती निर्वासित करनेका अधिकार नही है। फिर, जिन्हे नेटालमे रहनेका हक हे उन्हे जहाजमे जबर दस्ती कौन बिठा सकता है?

तीसरी गप्प यह हे कि जोहानिसबगके बहुतसे भारतीयोने पजीयन करवा लिया हे। इसपर अरमीलो, क्लाक्सडॉप और पाचेफस्ट्रूमसे अगुवा लोग पता लगानेके लिए यहा आ गये है। यहा स्थितिको देखकर उन्हें हिम्मत बँधी हे। श्री हेलू श्री मुहम्मद शहाबुद्दीन, श्री अब्दुल गफर और दूसरे दो या तीन व्यक्तियोके सिवा जोहानिसबगके किसी भी व्यक्तिने पजीयन नही कराया। और अन्य शहरोके सिफ पन्द्रह लोग आकर यह कालिख लगवा गये है। इस सारी स्थितिसे उपर्युक्त नेता खुश हुए है और कानूनका विरोध करनेका उनमे फिरसे पूरा उत्साह भर आया हे।

प्रिटोरिया कमजोर

यह जो डर था कि प्रिटोरिया सबसे कमजोर है वह अब सच्चा साबित हो चुका हे। अधिकतर वहीके लोक पजीकृत हुए है। मेमन तो सभी पजीकृत हो चुके । इससे दूसरी जातियोमे भी खलबली मची हे और यही विचार हो रहा हे कि दूसरे क्या करे। किन्तु इसमे विचार किसलिए किया जा रहा हे यह समझमे नही आता। कानून बुरा है और उसका विरोध करनेकी हमने शपथ ली हे, इतना प्रत्येक व्यक्तिके लिए काफी होना चाहिए।

खेदजनक घटना

शाहजी साहबने इमाम कमालीके ऊपर हाथ डाला, यह खबर तो अभी ताजी ही है। इस बीच उनका हाथ श्री मुहम्मद शहाबुद्दीनके ऊपर पड चुका हे। सोमवारको लगभग दस बजे श्री मुहम्मद शहाबुद्दीन मार्केट स्क्वेयरमे थे। इतनेमे शाहजी साहबने आकर उनको पजीयन करानपर उलाहना दिया और पीटा। उनकी उँगलीमे खासा जरम आया। वहा जो यहूदी मौजूद थे, उन्होने बीच बचाव कर दिया, अन्यथा ज्यादा चोट लगती। इससे हाहाकार मच रहा है। सभीको इसमे खेद होता हे। श्री ईसप मिया और श्री गाधी श्री मुहम्मद

शहाबुद्दीनके पास सहानुभूति प्रकट करनेके लिए गए थे। श्री मुहम्मद शहाबुद्दीनने शाहजी साहबके विरुद्ध कोई कारवाई न करनेका निश्चय किया है। फिर भी जब पुलिस कमिश्नरको इस बातकी खबर मिली तो उन्होंने उसके सम्बन्धमे पूछताछ की है। उन्होने श्री शहाबुद्दीनका बयान मँगवाया है। श्री शहाबुद्दीनने उसपर हस्ताक्षर करनेसे इनकार कर दिया है। नेतागण शाहजी साहबको समझा रहे है। इस घटनासे सभीको दुख हुआ है।

मै अनेक बार इस चिट्ठीमे लिख चुका हूँ कि यदि इस लडाईके दौरान कौममे मार-पीट हुई तो हमारा जीतना कठिन है। यह लडाई मारपीटकी नही है। जो "पियानो बजाता"[1] है उसका बचाव नही किया जा सकता। ऐसे लोग देशद्रोही है इसमे शक नही। किन्तु उनको नम्रतासे और तर्कसे समझाना है। परन्तु यदि वे न माने तो उनको मारनेसे हमारा काम नही चलेगा। उसमे भारी नुकसान है। शाहजी साहबको कोई कुछ कह नही सकता। उनकी बात ही न्यारी है। किन्तु सभी भारतीयोको सोचना चाहिए कि यह काम प्रत्येक भारतीयकी हिम्मतसे पूरा हो सकता है। मारपीटसे कदापि नही। जिनको कानूनसे बेइज्जती नही मालूम होती वे यदि अपना पंजीयन भी करा लेंगे तो उसमे क्या होना जाना है? मै तो मानता हूँ कि जबतक समाजका बडा हिस्सा दृढ रहेगा तबतक कुछ नही होगा।

कुछ प्रश्न

सवाल उठाया गया है कि मालिककी गैरहाजिरीमे मैनेजरको परवाना मिल सकता है या नही। इस सवालका जवाब सर्वोच्च न्यायालयसे राम मकनके मुकदमेमे मिल चुका है। सो यह है कि परवाना मिल सकता है। यह सवाल भी उठा है कि यहाके निवासी भारतीयोको नये कानूनके अनुसार मुख्त्यारनामेपर अँगूठा लगाना चाहिए या नही। यह तो स्पष्ट है कि उसपर तो लगाना चाहिए। ये सारे सवाल उनके लिए है जिनको कानून स्वीकार करना हो। जिन्हे काननके सामने न झुकना हो वे तो बिना परवानेके व्यापार करते हुए लडेंगे और अन्तमे कानूनको रद करायेंगे।

गद्दारोंकी संख्यामें वृद्धि

मै पिछली बार जो सूची[2] भेज चुका हूँ उसमे अब जो वद्धि हुई है, वह दुखके साथ यहा दे रहा हूँ

[प्रिटोरियासे २७, पीटसबर्गसे २१ पाचेफस्ट्रूमसे १२, मिडेलबर्गसे ४, जोहानिसबर्गसे ५, और लुई ट्रिचाट, जीरस्ट मेफिकिंग और क्रिश्चियाना — प्रत्येकसे १।][3]

भारतीय कांग्रेसकी लन्दन समितिको पत्र

सर विलियम वेडरबर्न कांग्रेसकी ब्रिटिश समितिके प्रमुख है। श्री ईसप मिया तथा इमाम अब्दुल कादिरने उन्हे पत्र[4] लिखे है कि आगामी कांग्रेसमे इस कानूनके सम्बन्धमे बात जरूर उठाई जाये।

१ अँगुलियोकी छाप देनेपर व्यंग्यात्मक शब्द प्रयोग।
२ देखिए जोहानिसबर्गकी चिट्ठी, पृष्ठ ३१६।
३ यहाँ गांधीजीने विभिन्न स्थानोंके गद्दारोंके नाम दिये थे जिन्हें इस रूपमें संक्षिप्त कर दिया गया है।
४ देखिए पत्र सर विलियम वेडरबर्नको' पृष्ठ ३१९ और ३२३ २४।

बहादुर मुलतानी व्यापारी

"स्टार"मे निम्नलिखित विज्ञापन प्रकाशित हुआ है

"अनाक्रामक प्रतिरोधी पंजीयन नही करायेंगे। मालटी फीता 'टेनेगीफ' माल, जापानी और भारतीय रेशम आदि-आदि नीलाम करना है।"

यह विज्ञापन एक बहादुर मुलतानी व्यापारीने प्रकाशित कराया है। वह पंजीयनकी अपेक्षा जेल जाना ज्यादा अच्छा मानता है। यह कदम व्यवसायमे निवृत्त होकर सरकार जो भी करे उसको बर्दाश्त करनेकी तैयारीके तौरपर है।

अधिकारियोंकी व्यर्थ दौड़-धूप

अधिकारीगण अर्जियां लेनेके लिए इतनी बेकार दौड़ धूपकर रहे हैं कि उनका व्यवहार हास्यास्पद हो जाता है। इसका एक उदाहरण पिछले सप्ताह गिरफ्तार किये गये दो चीनी धरनेदारोंके मामलेसे मिलता है। अदालतमे यह बयान दिया गया था कि पुलिसके एक सिपाहीने (जो पंजीयन अधिकारीके हाथका हथियार बन गया था), दो जुदा जुदा वक्तोंपर एक चीनी धरनेदारको गाली दी थी और उसके ऊपर हाथ आजमानेका प्रयत्न भी किया था। न्यायाधीशने अभियुक्तोंको निरपराध मानकर छोड़ दिया। इस मुकदमेके दौरानमे प्रकट हुए गोरोंका व्यवहार और चीनियोंकी चतुरताको देखकर बहुतसे गोरोंका हृदय अनाक्रामक प्रतिरोधियोंकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रहा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २–११–१९०७

२६० पत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको

जोहानिसबर्ग
नवम्बर ८ १९०७

[श्री रासबिहारी घोष[1]
निर्वाचित अध्यक्ष,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
श्रीमन,]

मैं आपका तथा कांग्रेसका ध्यान ट्रान्सवालमे एशियाई पंजीयन अधिनियमको लेकर भारतीयोंकी जो नाजुक स्थिति हो गई है उसकी ओर आकर्षित करता हूँ। ब्रिटिश भारतीयोंको सूचना दी गई है कि उस घृणित कानूनके अन्तर्गत पंजीयन सम्बन्धी प्रार्थनापत्र लेनेकी अन्तिम तारीख ३० नवम्बर है। उसके बाद खास मामलोंके अलावा सरकार पंजीयनका कोई प्रार्थना-पत्र नही लेगी। सम्भवत आपको यह पहले ही पता चल गया होगा कि समाजके कुछ थोड़े से आदमियोंके अलावा समूची भारतीय जनताने इस कानूनके अन्तर्गत पंजीयन करानेसे इनकार कर दिया है। मेरे संघका दावा है कि १३,००० अनुमतिपत्र धारियोंमे से पंजीयन करानेके

1. सन् १९०७ के सूरत कांग्रेसके २३ वें अधिवेशनके अध्यक्ष।

लिए अबतक ३५० से अधिक भारतीयोने अर्जिया नही दी। इससे आप अनुमान लगा सकते है कि इस मामलेमे भावना कितनी तीव्र हे।

आपको पता लग गया होगा कि हमपर जो अयाय हुआ हे उसको दूर करानेके लिए हमने अनाक्रामक प्रतिरावका रास्ता अपनाया हे। हमने कानून तोडनेके सभी नतीजोको सहन करनेका निश्चय किया हे। हममे से अनेक लोग अभी ही बडे बडे नुकसान उठा चुके है, ओर आगे भी बहुत-से लोगोको सवस्व गॅवाना पडेगा। यहातक कि कइ यूरोपीय थोक व्यापारियाने भारतीय व्यापारियोको, जबतक वे नये कानूनके अनुसार पजीयन प्रमाणपत्र नही दिखलाते उधार देना बन्द कर दिया हे। नोकर या मजदूरके रूपमे काम करनेवाले अनेक भारतीयोने पजीयन करानेके बजाय अपने मालिका द्वारा नोकरीस निकाल दिया जाना मजूर कर लिया हे।

जैसा कि आप भली भाति जानते है, ट्रान्सवालके भारतीय समाजमे मुसलमान, हिन्दू, इसाई और पारसी, मद्रासी, गुजराती, सिख, पठान, हिन्दी-भापी ओर कलकत्तेके लोग — सभी शामिल है। इस अयायपूण कानूनका विरोध करनेमे सब कन्धेसे कन्धा मिलाकर खडे है, क्योकि इससे हर भारतीयकी धन दोलत छिन जानेका भय हे ओर जिस आत्म-सम्मानको उसने पिछले दमनकारी कानूनसे बडी कठिनाइस बचाया हे उसके पुन नष्ट हो जानेका खतरा है।

मेरा सघ इस समय काग्रेसकी सेवामे इस आशासे निवेदन कर रहा हे कि ट्रासवाल पजीयन अधिनियमको काग्रेसके विचारणीय विपयामे प्रमुखता प्राप्त हो सके ओर वह, सामान्य दक्षिण आफ्रिकी प्रश्नसे पथक, उसके कायक्रमोका मुख्य विपय बन सके। आज ट्रान्सवालमे भारतीयोकी भयानक स्थितिके सिवाय दक्षिण आफ्रिका सम्बन्धी ओर कोई प्रश्न नही हे। जो-कुछ आज हमारे ऊपर बीत रहा हे वही कल दक्षिण आफ्रिका भरमे हमारे भाइयोपर बीतेगा। बल्कि, हमारे विचारमे, हमारा प्रश्न साम्राज्यके लिए सबसे अधिक महत्त्वका और भारतके लिए राष्ट्रीय महत्त्वका हे, क्योकि दक्षिण आफ्रिकाके उपनिवेश हमारे विरुद्ध जो कुछ करनेमे यहा कामयाब हो जायेगे, साम्राज्यके दूसरे उपनिवेश उसीको अयत्र बसे हुए हमारे भाइयोके विरुद्ध आजमायेगे। यह कहा जा सकता हे कि ट्रासवालमे विशेष कठिनाईका सामना करनेके लिए हम लोग वीरोचित माग अपना रहे है, किन्तु हम अपने आपको इस दशमे अपनी मातृ-भूमिका प्रतिनिधि मानते है, ओर देशभक्त भारतीयाके रूपमे हमारे लिए अपनी जाति तथा राष्ट्रके सम्मानके अपमानको पी सकना असम्भव हे। दक्षिण आफ्रिकामे इन बातोको लेकर हमपर किसी और कानूनने इतनी भीषणतासे प्रहार नही किया, लेकिन ट्रान्सवाल एशियाई पजीयन अधिनियम तो असह्य है। दक्षिण आफ्रिकाके अन्य सभी कानून आम तौरपर हमे धन-पाप्तिके साधनोसे वचित करते ह। ट्रान्सवाल पजीयन अधिनियम तो हमे अपने पौरुषसे ही वचित कर देता है और हमे गुलामीके दर्जेपर पहुँचा देता हे। दिसम्बरके अन्ततक सम्भवत अनेक भारतीय एक सिद्धान्तके लिए जेलके कष्ट सह चुके होगे और पहली जनवरीको उन भारतीयोको व्यापारिक परवाने देनेसे इनकार कर दिया जायेगा जिन्होने नये कानूनके अनुसार अपना पजीयन करानेसे इनकार कर दिया ह। इस प्रकार काग्रेसका अधिवेशन आरम्भ होनेतक परिस्थिति अत्यन्त नाजुक हो जायेगा। हमारी मान्यता हे कि हमारे अनाक्रापक प्रतिरोध आन्दोलनको सभी धार्मिक व्यक्तियो, सभी सच्चे देशभक्तो और सभी ईमानदार ओर

विवेकशील व्यक्तियोका समथन मिलना चाहिए। इस आदोलनमे ऐसी शक्ति निहित है कि हमारे प्रतिरोध न करने ओर खुशीसे कष्ट सहनके कारण ही हमारे विरोधियोको हमारा आदर करना पडेगा। इस विरोधके बारेमे हमारा सकल्प इसलिए ओर भी दढ है कि हमारे खयालसे इस उपनिवेशमे छोटे पमानेपर हमारा यह प्रयोग सफल हो या असफल, किन्तु प्रत्येक अत्याचार-पीडित जनता, प्रत्येक अत्याचार-पीडित व्यक्ति इसका अनुकरण कर सकेगा, क्योकि अन्यायको दूर करानेके लिए इससे अधिक विश्वस्त और सम्मानपूण अस्त्र आजतक नही अपनाया गया।

[ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ९–११–१९०७

२६१ पत्र अखबारोको[1]

[जोहानिसबग
नवम्बर ६, १९०७]

[महोदय,]

आपने अपने पत्रके आजके अकमे एक वक्तव्य प्रकाशित किया हे। आशयत, वह वक्तव्य एशियाई अधिनियम सशोधन कानूनके प्रशासनके सम्बन्धमे आपके प्रिटोरिया-स्थित सवाद दाताको दिया गया सरकारके वतमान रुखका अधिकृत स्पष्टीकरण हे। लेकिन मेरे सघको यह देखकर खेद हुआ है कि उस वक्तव्यमे इतनी अधिक गलतफहमियाँ तथा गलतबयानिया है कि लगता हे, शायद आपका सवाददाता उस स्पष्टीकरणकी तफसीलोको, जो उपनिवेश सचिवके दफ्तरसे जारी किया गया था, समझ ही नही सका। अपने सघकी ओरसे मै उसमे दिये हुए कुछ तथ्योका परीक्षण करनेके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ।

पहली बात उसमे यह कही गई है कि भारतीय समाजकी ओरसे उपनिवेश सचिवको ऐसे प्राथनापत्र दिये गये हैं जिनका उद्देश्य कानूनके प्र[illegible] विनियमोमे कुछ सुधार कराना हे। मेरा सघ इस बातका पूणत खण्डन करता हे। तथ्य ये हे ३० अगस्तको सवश्री स्टैगमान, एसेलेन व रूजने विनियमोमे कुछ सशोधन करानेकी दृष्टिसे "प्रिटोरिया, स्टैंडटन, पीटसबग और मिडेलबगके कुछ प्रमुख भारतीयो" की ओरसे माननीय उपनिवेश सचिवको एक प्राथनापत्र दिया था। सवश्री स्टगमान, एसेलेन व रूजके मुवक्किल यह दिखलाना चाहते थे कि वे बहुत-से प्रतिनिधि भारतीयोकी ओरसे बात कर रहे है। मेरे सघने इन तथ्योका पता चलते ही प्रिटोरियाके इन सॉलिसिटरोको एक पत्र लिखकर इस बातका खण्डन किया कि उन

1 यह **ट्रान्सवाल लीडर** तथा **स्टार**को लिखा गया था।

लोगोको भारतीय समाजकी तरफसे और, इसलिए, मेरे सघकी ओरसे बोलनेका अधिकार है। ऊपर मैने जिस पत्रका हवाला दिया हे उसकी भाषा यह सिद्ध करनेके लिए काफी हे कि सरकारको जो प्राथनापत्र भेजे गये वे कुछ व्यक्तियोने अपनी निजी हेसियतसे भेजे थे, ओर अबतक उनमे से अधिकतर व्यक्तियोका पजीयन हो चुका हे। इन प्राथनापत्रोके उत्तरमे मान-नीय उपनिवेश सचिवने प्रार्थियोका सूचित किया था कि वे उनकी प्राथना स्वीकार करनेमे असमथ है, परन्तु उन्होने विनियमोमे कुछ छोटे छाटे सशोधन कर दिये थे जिनका लगभग कोई मूल्य नही था। प्रिटोरियाके सालिसिटरोने जिन लोगोकी ओरसे यह काम किया था वे इस उत्तरसे इतने असन्तुष्ट हो गये थे कि उन्होने सवश्री स्टैगमान, एसेलेन व रूजकी मारफत इस आशयका उत्तर भेजा कि वे अपने ३० अगस्तके पत्रमे की गई प्राथनाको वापस लेना चाहते है, और माननीय उपनिवेश सचिवने जो सुविधाएँ देनेकी कृपा की हो उन्हे वे चाहे तो वापस ले ले। इस प्रकार यह साफ हे कि भारतीय समाजने विनियमोके मामलेमे माननीय उपनिवेश सचिवके पास कोई प्राथनापत्र नही भेजा, और जो प्राथनापत्र भेजे गये वे कुछ विशेष व्यक्तियो द्वारा भेजे गये, तथा उन्हे भी उन्होने पिछले महीनेकी १२ तारीखके पत्र द्वारा वापस ले लिया हे।

अपने सघकी ओरसे मै यह भी कहना चाहता हूँ कि यह आरोप बिलकुल गलत हे कि भारतीय समाजने अब वह रुख अपनाया है कि जिसको अपनानेका, आन्दोलनकी प्रारम्भिक स्थितिमे, उसे साहस नही था। अगर उपनिवेश सचिवके विभागको इस बातका पता नही हे कि इस कानूनका अनाक्रामक प्रतिरोध सितम्बर १९०६ से ही किया जा रहा हे तो समझना चाहिए कि उसे कुछ भी मालूम नही हे। अनाक्रामक प्रतिरोधकी शपथ जोहानिसबगकी साव-जनिक सभामे उसी माह ली गई थी और एशियाइयोका पजीयक खुद वहा मौजूद था। अधिनियमके मातहत बनाये गये विनियमोके सवालमे किसी तरह भी पडनेसे मेरे सघने बराबर इनकार किया है। मेरे सघने स्वय इस अधिनियमकी वैधताको आरम्भसे ही नही माना हे, इसलिए यदि वह इसके छोटे मोटे ब्यौरेमे जाता तो यह उसकी शानके बहुत खिलाफ होता। मेरे सघने जब इन नियमोके अस्तित्वकी ही उपेक्षा की है तो यह किसी तरह नही कहा जा सकता कि उसने उन कथित सशोधनोका खण्डन किया होगा जो माननीय उपनिवेश-सचिवने समाजकी तथाकथित प्राथनापर ब्रिटिश भारतीयोके हकमे किये थे। यह मान बैठना बिलकुल गलत हे कि मेरे सघ और भारतीय समाजने अनाक्रामक प्रतिरोधका जो आन्दोलन छेडा है वह पजीयनकी घोषणा होनेपर पिछले जुलाई मासमे शुरू किया गया। हमने तो पिछले साल आन्दोलन छेडनेके समयसे ही इस अधिनियमको पूरी तरह रद करनेकी माग कर रखी है।

मेरे सघने माननीय उपनिवेश सचिवको अभी हालमे जो प्राथनापत्र भेजा हे उसके बारेमे एक गौण प्रश्न उठाया गया है। इस प्राथनापत्रमे और बातोके साथ साथ यह भी लिखा गया था कि इसपर हस्ताक्षर करनेवाले अपनेको उस पत्रसे पूणतया असम्बद्ध घोषित करते है जो सवश्री स्टैगमान, एसेलेन व रूजने अपने मुवक्किलोकी ओरसे माननीय उपनिवेश सचिवको दिया था। इस प्रार्थनापत्रपर हस्ताक्षर करनेवालोने विनयपूवक यह भी कहा था कि जो कठिन परिस्थितियाँ पैदा कर दी गई है वे इस अधिनियमको बिलकुल रद कर देनेसे ही दूर हो सकती है। इसमे कोई नई बात नही थी। आपके सवाददाताको सरकारी सूचना देनेवालेका

मंशा यह जाहिर करना था कि माननीय उपनिवेश-सचिवने पिछले सितम्बरके अपने पत्र द्वारा विनियमोंमें जो मामूली सुधार सूचित किये थे उनके कारण भारतीय समाजने एक कथित रियायतका फायदा उठाया और इस अर्जीको इसलिए घुमाया कि जो काय निःसन्देह कृपाका समझा जाना चाहिए था उससे और फायदा उठाया जाये। तथ्य तो यह है कि जैसे ही मेरे संघको इस बातका पता चला कि सवश्री स्टैगमान, एसेलेन व रूजका ३० अगस्तका पत्र उपनिवेश सचिवको भेजा गया है, मेरे संघने पाच विभिन्न भाषाओंमें प्रार्थनापत्रके फार्म जारी किये और उनको सारे उपनिवेशमें भेज दिया। यह सितम्बरके आरम्भकी बात है। सितम्बरके अन्ततक जब माननीय उपनिवेश सचिवका उत्तर प्रिटोरियाके सोलिसिटरोंके पास आया, वे सभी फार्म ठीक तरहसे भरकर मेरे संघको लौटाये जा चुके थे। लेकिन चूकि पंजीयनका काम अन्तमें जोहानिसबर्गमें होना था और इस कामके लिए आखिरी महिना अक्तूबर था, मेरे संघने यह तय किया कि अक्तूबरके अन्ततक दरख्वास्तको रोक लिया जाये, जिससे सरकारके सामने एशियाई कानून संशोधन नियमके विरोधमें भारतीय समाजकी एकताका प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित किया जा सके, और यह काम सवश्री स्टैगमान, एसेलेन व रूजके मुवक्किलोंका पत्र १२ अक्तूबरको वापस ले लिया जानेके बावजूद किया गया।

अब मैं पंजीयनकी अवधिको नवम्बरके अन्ततक बढ़ानेके सवालकी संक्षेपमें चर्चा करूँगा। मेरा संघ इस बातको जोर देकर कहता है कि यह फैसला अन्तिम क्षणमें किया गया था और मेरे संघके इस कथनका समर्थन वे वक्तव्य करते हैं जो मन्त्रि परिषदके कमसे कम तीन मन्त्रियों द्वारा किये गये थे। यदि इसकी और पुष्टिकी जरूरत हो तो वह उस परिपत्रसे हो जायेगी जो १६ अक्तूबरको उपनिवेश सचिवके दफ्तरसे उपनिवेश-भरके आवासी मजिस्ट्रेटोंके पास भेजा गया था और जिसपर एशियाई पंजीयकके हस्ताक्षर थे। उसमें कहा गया था कि आवासी मजिस्ट्रेट एशियाइयोंको सूचना दे दें कि "निश्चय किया गया है, पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र देनेकी अवधि, जो ३१ अक्तूबरको समाप्त होती है, आगे नहीं बढ़ाई जा सकती", और विभिन्न जिलोंमें रहनेवाले सभी एशियाइयोंको इस बातकी सूचना दे दी जाये कि वे पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र ३१ अक्तूबरको या उससे पहले जोहानिसबर्ग स्थित वान ब्रैंडिश स्क्वेयरके पुराने डच गिरजाघरमें दें। ये सूचनाएँ बहुत स्पष्ट थीं। और यह साफ जाहिर है कि माननीय उपनिवेश सचिवने जब यह देखा कि सम्पूर्ण ट्रान्सवालसे २५ से अधिक प्रार्थनापत्र जोहानिसबर्गमें नहीं आये हैं तब उन्होंने, अन्तिम क्षणमें, प्रार्थनापत्र देनेकी अवधिको एक मास और बढ़ानेका निश्चय किया। इस तरह यह बात ध्यान देनेकी है कि पिछली ४ तारीखके 'गजट' में प्रकाशित हुई क्रम-संख्या १९०७ की सरकारी विज्ञप्तिमें उस अवधिको बढ़ानेकी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसमें पहलेसे पंजीयन न करानेवाले एशियाई नये कानूनके अनुसार पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र दे सकते थे।

आखिरमें मेरा संघ एक और बातकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है। प्रत्येक नगरके निवासी एशियाइयोंके उसी नगरमें अर्जी देनेकी अवधि निश्चित करनेके बजाय यह विज्ञप्ति निकाल दी गई कि जिन नगरोंका दौरा पंजीयन अधिकारी कर चुके हैं उन नगरोंके एशियाइयोंने यदि पहले अर्जियाँ न दी हों तो वे नव-विज्ञापित नगरमें अर्जियाँ दे सकते हैं। और चूँकि जोहानिसबर्ग वह अन्तिम विज्ञापित स्थान था, जहाँ ट्रान्सवाल-भरके एशियाई अपना पंजीयन करा सकते थे, तथा अन्य किसी स्थानपर नहीं, इसलिए मेरा संघ पंजीयक-

कार्यालयके अफसरोपर यह आरोप लगाता है कि उन्होने कुछ ऐसे कायरोसे गुप्त रूपसे प्रिटोरियामे प्रार्थनापत्र लिये, जिन्होने जाली तरीकेसे झूठे हलफनामे पेश किये और झूठे बयान दिये कि कुछ व्यक्तियोके, जिनके नाम नही बताये गये, डराने धमकानेसे वे पहले प्रार्थनापत्र नही दे सके थे। मेरा सघ एक बार फिर यह बतला देना चाहता है कि भारतीय लोग इस युद्धमे निश्छल रूपसे लड रहे हैं, अतएव उनको धोखे या असत्यका आश्रय लेनेकी कोई आवश्यकता नही है। भारतीयोके विरुद्ध यह कहा गया है कि वे, दूसरे सभी प्राच्य लोगोके समान, दुरगी चाल चलते है, जिसके लिए 'प्राच्य" शब्दका प्रयोग किया गया है। आपके सवाददाताके तारमे तथ्योको जिस विचित्र ढगसे तोडा मरोडा गया है उसका चित्रण करना बहुत कठिन है।

[आपका, आदि,
ईसप इस्माइल मियाँ
अध्यक्ष
ब्रिटिश भारतीय सघ]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ९–११–१९०७

२६२ श्री लैबिस्टर

श्री लैबिस्टरके दुःखद अवसानसे नेटाल और भी दरिद्र हो गया है। श्री लैबिस्टरके रूपमे नेटालके वकील सघका एक चतुर तथा प्रसन्नचित्त सदस्य सरकारका एक विश्वस्त सेवक और भारतीयोका एक सच्चा मित्र उठ गया। न्यायाधीशोने उन्हे जो श्रद्धाजलि अर्पित की उसके वे योग्य पात्र थे। जब वे नगर परिषद्के सदस्य थे, तब विक्रेता परवाना अधिनियमके सम्बन्धमे उन्होने जो वीरतापूर्ण रुख अपनाया था[1] उसके लिए भारतीय सदा उन्हे कृतज्ञतापूर्वक याद करते रहेगे। यहा यह भी कहा जा सकता है कि यद्यपि जनताको इस बातका पता नही, किन्तु वे श्री लैबिस्टर ही थे जिन्होने भारतीयोके प्रवेशको नियमित करनेके बारेमे अपनी नीतिपर दृढ रहते हुए भी अपनी व्यवहार कुशलतासे अनेक भारतीय व्यापारियोको बरबादीसे बचाया था, क्योकि उन्होने उन भारतीयोपर मुकदमा चलानेसे इनकार कर दिया था जिनके परवाने उनके पुराने व्यापारी होते हुए भी, व्यापारिक ईर्ष्याके कारण छीन लिये गये थे।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ९–११–१९०७

१ देखिए खण्ड ३, पृष्ठ ३३ और ४७४।

२६३. ईद मुबारक

हम कामना करते ह कि हमारे मुसलमान पाठकोको ईद मुबारक हो। मनुष्य बहुत बातोकी कामना करता हे, किन्तु सारी कामनाएँ पूरी नही हो सकती। इसी प्रकार यद्यपि हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयोको ईद मुबारक हो, फिर भी जितना हमे ज्ञान हे उसके अनुसार खुदाई नियम तो यह हे कि जिसने रमजान शरीफका उच्च तरीकेसे पालन किया हो उसीको ईदका फल मिल सकता हे। हमने तो यह पढा और देखा है कि केवल रोजा रखनेसे यह नही माना जा सकता कि रमजान शरीफका पालन हो गया। रोजा तो मन तथा शरीर दोनोसे रखा जाना चाहिए। यानी अन्य महीनोमे नही तो कमसे कम रमजानके महीनेमे पूरी तरहसे नीतिके नियमोका निवाह करना चाहिए, सत्यका पालन करना चाहिए और क्रोधमात्रका त्याग करना चाहिए। जिसने इतना किया होगा उसके लिए हमारी कामना विशेष रूपसे सफल हो सकेगी, ऐसी हमारी धारणा है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२६४ नया वर्ष शुभ हो

जसे हमने अपने मुसलमान भाइयोको ईदकी मुबारकबादी दी है, वैसे ही हम अपने हिन्दू पाठकोके लिए कामना करते ह कि उन्हे नया वष फले। नया वष शुरू होनेके बाद यह हमारा पहला अक हे। हम देखते हैं कि ट्रान्सवालमे ओर, सच कहा जाये तो, सारे दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय प्रजा कष्ट भोग रही है। उन कष्टोके परिणामस्वरूप लोगोमे जैसे स्वदेशाभिमानका उत्साह बढा है, वैसे ही उनकी दृष्टि देशकी ओर ज्यादा गई है, ओर धमकी ओर भी कुछ झुकाव हुआ है।

हिन्दू हिन्दूधमकी ओर अधिक आकर्षित दिखाई देते ह मुसलमान इस्लामकी ओर और दूसरे भारतीय अपने अपने धर्मोकी ओर। यही ठीक भी है। हमारा दढ मत हे कि यदि भारतका कल्याण होना होगा तो इसी मागसे होगा। हर धमवाले यदि अपने-अपने धमका सच्चा रहस्य समझ जाये, तो आपसमे द्वेष कर ही नही सकते। जलालुद्दीन रूमीके कहे अनुसार, या जैसा श्रीकृष्णने अजुनसे कहा हे उसके अनुसार नदिया बहुत है और अलग अलग दिखाई देती हैं, फिर भी सबका मिलाप समुद्रमे होता है। उसी प्रकार धम भले ही बहुत हो, फिर भी सबका सच्चा उद्देश्य एक ही है, खुदा या ईश्वरका दशन कराना। अत उद्देश्यकी दष्टिसे धर्मोमे भेद नही हे। हम लिखते हुए ऊपर कह गये हैं कि भारतीयोका नया वष फलीभूत हो। किन्तु जैसे ईद कुछ शर्तोका निर्वाह करनेपर ही मुबारक हो सकती हे — यह साफ मालूम होता हे, उसी प्रकार नया वष भी अमुक शर्तोपर ही फल सकता हे। इतना कहनेके बाद इस सम्बन्धमे विवेचन करनेकी आवश्यकता नही रहती कि वे शर्ते कौन-सी हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२६५ समझदारके लिए इशारा

हममे एक कहावत हे कि समझदारके लिए इशारा काफी हे। चारा ओर जो लक्षण दिखाई दे रहे ह उनसे यही प्रकट होता कि यदि भारतीय समाज आखिरतक लडता रहा तो जीतेगा। जीता हुआ तो आज ही हे। किन्तु प्रतिष्ठापूवक ट्रा सवालमे रह सकेगा। 'फ्रैड' का लेख हम देख चुके ह।[1] अवधि नवम्बर तक बढा दी गई हे, यह हम देखते है। इससे सरकारकी कमजोरी प्रकट होती हे। जो गोरे पहले भारतीय प्रश्नकी बात शायद ही कभी करते थे व अब उसीकी बात करते रहते है। 'लीडर' जैसा अखबार सरकारको चेतावनी दे रहा हे कि वह धीरज रखे, ब्रिटिश नीतिको याद करे, अपनी जिम्मेदारी समझे और भारतीयोके साथ न्याय करे।

जैसे एक ओरसे ये सब शकुन दिखाई दे रहे है, वैसे ही दूसरी ओरसे सच्ची कसौटीका समय नजदीक आता जा रहा हे। बोलनेमे हम हमेशा होशियार कहलाये है। आरम्भ-शूर भी कहलाये है। अब अन्तिम समयमे हम ठिकानेपर रहेगे या नही, यह देखना हे। यदि आखिरी ताकत नही लगायेगे तो आजतकके किये करायेपर पानी फिर जायेगा। जो लडाई भारतीयोके बिना मागे हाथ आ गई हे, वैसी फिर आनेवाली नही हे। लक्ष्मी जब तिलक लगाने आई हे तब यदि भारतीय मुह छिपायेगे तो फिर कभी ऐसा मोका हाथ नही आयेगा। लडाई जोखिम हे भी और नही भी। जो पैसेसे चिपटे हुए है, उन्हे सहज ही जोखिम मालूम होगी। किन्तु जो सिफ देशके सेवक है, जो टेकवाले ह, उनके लिए तो जोखिम रत्ती भर भी नही हे। कानून उनके लिए हे ही नही। कानूनके खिलाफ जूझनेपर भी यदि वह रह जाये तो इसमे उनकी हार नही होगी। व परीक्षामे सौ टका खरे उतरेगे और जहा जायेगे वही उनका मूल्य ऊँचा होगा। इतना जोश रखे बिना जीत हो ही नही सकती। जो सिरपर कफन बाध कर जाते है वे ही जीत कर आते है। इस लडाईमे सच्चा सहारा खुदा — ईश्वर — का है। उसके सामने कोई शत नही रखी जा सकती। शत रखनेके बाद भरोसा नही रखा जा सकता। इस विचारको ठीक मानकर भारतीय समाज अन्ततक एक टेकवाला बना रहे, यही हमारी ईश्वरसे प्राथना है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ९–११–१९०७

१ देखिए "ब्लूमफॉटीनका मित्र फिर भारतीयोकी सहायतापर", पृष्ठ ३२५ २८।

२६६ बढाई गई अवधि

ट्रान्सवाल सरकारने 'पियानो बजाने' की अवधि बढा दी है, सो क्यो ? इस प्रश्नका उत्तर सरकारी नोटिसमे ही है "सरकारके सामने यह बात पहुँची है कि डर या अन्य कारणोसे भारतीय पजीयनके लिए अर्जी नही दे सके।" इसलिए अवधि बढाई गई है। सरकारके पास इस प्रकारकी अर्जी भेजनेवाले भारतीयको क्या कहा जाये ? क्या उसे भारतीय कहा जा सकता है ? उसे मनुष्य कहा जा सकता है ? अर्जी भेजनेवाला जानता है कि ऐसा करके उसने एक बहुत बडे झूठका काम किया है। कोई भी व्यक्ति डर नही दिखाता और यदि डर दिखाया ही हो तो क्या वह अब बन्द है ? धरनेदार अपना काम करते ही रहेंगे। समझानेवाले समझाते ही रहेंगे। फिर यदि अक्तूबरमे डरके कारण नही जाया जा सका तो नवम्बरमे कैसे जाया जायेगा ? यदि मियाद मागनी ही थी तो सीधे रास्ते मागी जा सकती थी। मियाद न मिल सकती तो भी जिन्हे मुह काला करना होता वे तो कर ही सकते थे। फिर भी इस सम्बन्धमे कुछ भी कहना बेकार है। एक गलतीके पीछे हमेशा कई गलतिया हुआ करती है। सरोवरका बाध टूट जाये तो दरार बढती ही जाती है। पजीयनपत्र लेना गुनाह है, इसे लेनेवाला समझता है। इसलिए वह दूसरे अपराध करनेसे शरमाता नही, न डरता ही है। इतनी अधम स्थिति खूनी कानूनके सामने झुकनेवालेकी हो जाती है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

२६७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

हमीदिया इस्लामिया अजुमन

हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी बैठक नियमानुसार रविवारको हुई थी। बहुत लोग उपस्थित थे। इमाम अब्दुल कादिर अध्यक्ष थे। श्री मुहम्मदखाने श्री हाजी हबीबका पत्र पढकर सुनाया। वह पत्र प्रिटोरियाकी अजुमनकी ओरसे आया था, और उसमे इस अजुमनको इसके कामके सम्बन्धमे और धरनेदारोको उनकी बहादुरीके सम्बन्धमे बधाई दी गई थी। बादमे श्री गाधी श्री उमरजी साले तथा श्री एम० एस० कुवाडियाने कुछ बाते समझाइ और यह विचार पेश किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सगे सम्बन्धियोको लिखे कि नवम्बर महीनेमे कोई भी प्रिटोरिया न जाये, और यदि किसी कामसे जाना ही पडे तो भी पजीयन कार्यालयमे तो जाये ही नही। इस बातको सबने स्वीकार किया।

चीनियोकी सभा

चीनियोकी अपनी सभा हर रविवारको होती है। इस बार चीनी वाणिज्य दूत उपस्थित थे। श्री गाधीको विशेष तौर से बुलाया गया था। उन्होने नवम्बरकी बात सुनाई और सभाने प्रिटोरियाको चीनी स्वयसेवक भेजनेकी व्यवस्था की।

नवम्बरमे "महामारी"

सबको डर था महामारी स्वरूप पजीयन कार्यालय शायद नवम्बरमे खुलेगा। हमने पिछले सप्ताहके 'इडियन ओपिनियन' मे देख लिया कि यह सत्य निकला। इस तरह कार्यालय खोलकर सरकारने साफ अपनी कमजोरी बताइ हे। यदि जारल स्मटममे भारतीयोको देश निकाला देनेकी हिम्मत होती तो वे नवम्बरमे अर्जी देनेकी मोहलत कभी न देते। कहा गया अक्तूबरका वह नोटिस जिसमे लिखा गया था कि इस महीनेकी ३१ तारीखक बाद किसीका पजीयन नही किया जायेगा? कहा गये गाव गावको लिखे वे पत्र जिनम सूचित किया गया था कि सबके लिए अक्तूबरमे अर्जी देनेका अतिम मोका हे? हम बताया — ममझाया — जाता हे कि जनरल स्मटम अपना हठ कभी नही छोडते। किन्तु ['इडियन आपिनियन' के] सम्पादक महोदयने हमे बताया हे कि स्मटस साहब तीन बार दवावके कारण अपना हठ छोड चुके है। अब फिर यह चौथी बार अक्तूबरका नोटिस छूटा है। कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि इस बार उन्हे किस वातका डर था? इसका उत्तर सीधा हे। उनपर बडी सरकारकी ओरसे निजी तौरपर यह दबाव होगा कि वे किसी भारतीयपर हाथ नही डाल सकते। यह अनुमान ठीक न हो तो शायद यह ठीक होगा कि श्री स्मटसको अपनी इज्जत जानेका डर लग रहा है। चीटीको कुचलनेमे हाथीको बहुत विचार करना पडता हे। स्मटस साहब अपने मनमे हाथी हैं ओर हम चीटी हैं। इसलिए चीटीको कुचलनेमे शरम आती हे।

कमजोरीका दूसरा उदाहरण

पिछले सप्ताह मैं बता चुका हूँ कि अफवाह ऐसी है कि श्री गाधीपर सबसे पहले वार किया जायेगा, और सबको निर्वासित करनेकी तैयारा की जा रही हे। अब मेरे हाथमे इस प्रकारका पत्र आया है।

काछलिया और रूजके बीच हुई बाते

श्री काछलिया कहते है

> श्री रूजके साथ मेरी बातचीत हुई थी। उन्होने कहा था कि यहाकी सरकारकी योजनाके अनुसार नेटाल सरकारने स्वीकृति दी हे कि जब ट्रान्सवाल सरकार लोगोको निर्वासित करेगी उस समय गाडीको बालाबाला बन्दरगाहपर ले जाकर उन्हे सीधे जहाजपर चढा दिया जायेगा। फिर उन्होने विशेष जोर देकर कहा कि श्री गाधीको तो निर्वासित करना सरकार तय कर चुकी है।

यदि श्री गाधीको सबसे पहले निर्वासित किया जाये तो उनके समान भाग्यवान और कौन होगा? और यदि वैसा हो तो भारतीय समाजम घबडाहट पदा होनेके बजाय हिम्मत ही पदा होगी। किन्तु इस प्रकार देश निकाला देनेकी सत्ता अभी तो ट्रान्सवालको प्राप्त नही है और उसे मिलनेमे देर लगेगी। श्री रूजकी कही बात सरकारको फूका हे यह साफ नजर आता है।

कैदी और गुलामीकी चिट्ठी लेनेवालेमे क्या अन्तर है?

ऐसी खबर मिली है कि अठारह अँगुलीवाले कागज पजीयकके दफ्तरमे नही रहते। वे सब पुलिसके सुपुर्द कर दिये जाते ह। जिस पुस्तकमे अपराधियोका नाम दज रहता है, उसीमे इन

'बहादुर' भारतीयोका नाम भी दर्ज रहेगा। यानी हर प्रकारसे कानूनके सामने झुकनेवाला अपराधी सिद्ध हो जाता है। अन्तर केवल इतना ही है कि चोर तो चोरी करके अपराधी ठहरता है और गुलामीका चिटठा लेनेवाला भारतीय केवल अपनी नामर्दीके कारण गुनहगार माना जाता है। इन दोनोमे अधिक खराब कौन है, इसका निर्णय पाठक स्वय करे। अठारह अँगुलियोकी याद करते हुए बचपनकी एक कविता याद आ जाती है 'ऊँटके टेढे-मेढे शरीरमे अठारह बल होते हैं, बताओ उसे ढका जाये तो वह ढका कैसे रहे?'[1] ऐसा ही कुछ हाल अठारह अँगुलिया लगानेवाले भारतीयका भी मानें।

पूछताछ बिना

देशमे जब वर्षा बहुत होती है तब हरी सब्जी सस्ती हो जाती है। उसी प्रकार इस समय पजीयन कार्यालयकी वर्षा हो रही है, इसलिए पजीयन पत्रोका भाव सस्ता हो गया है। कहा जाता है कि लडकोको बिना पूछे ही पजीयक महोदय पजीकृत कर लेते है। इसमे मै कोई दोष नही देख रहा हूँ। गुलाम बननेमे कही भी कठिनाई नही होती। परन्तु यह सब तो शिकारको पकडनेके लिए लार टपक रही है, ऐसा समझकर इससे दूर रहना चाहिए। इस टीकाकी आवश्यकता नही है। किन्तु मै कभी कभी सुनता हूँ कि "फला व्यक्ति पजीयन कराकर काम निकाल आया।" यह खयाल उसीको होता है जो कानून और हमारी लडाईको नही समझता। बाकायदा पजीकृत होनेमे लाभ हो तो हमारी लडाई गलत है और पजीयन करवाना कर्तव्य हो गया है ऐसा कहा जायेगा। किन्तु पजीयन करवानेमे नुकसान है, पाप है, प्रतिज्ञासे भ्रष्ट होना है, इसलिए हम पजीकृत नही होते। फिर, पजीयनपत्र लेनेमे "काम निकाल लिया", यह कैसे कहा जा सकता है? हमारी लडाई मर्द बनने और मर्द बने रहनेकी है। फिर यदि कोई औरत बन जाये तो उसे हम "काम निकालना" क्यो समझे? हमे अपने मनमे इतना लिख रखना चाहिए कि जो पजीकृत नही हुए वे आजाद है और आजाद रहेगे। और ट्रान्सवालमे सम्मानपूर्वक रहा जा सकेगा तभी रहेगे। तब जिन्होने पजीयन करवाया है उन्होने तो अखण्ड गुलामी स्वीकार की है।

'ट्रान्सवाल लीडर' द्वारा सहायता

जिस प्रकार ब्लूमफॉटीनका 'फ्रेड' मदद कर रहा है, उसी प्रकार ट्रान्सवालके अखबार भी आखिर मदद करने लगेगे, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे है। बहुत-से गोरे तो सहानुभूति दिखाने लगे है। अखबार हमारी मदद करे या न करे, 'लीडर' ने अपने सोमवारके अकमे जो लेख लिखा है वह हमे हिम्मत बँधाने लायक है। उसका साराश नीचे देता हूँ

कैसे?

कुछ भारतीयोकी मागके कारण सरकारने पजीयनकी अर्जीके लिए एक महीनेकी अवधि और बढाई है। महीना बीत जानेपर सरकार क्या करेगी, यह नही बताया गया। अवधि बढानेका प्रस्ताव बहुत ही देरसे किया गया होगा, क्योकि नोटिस दिया जानेके एक दिन पहले ही श्री सॉलोमनने घोषित किया था कि अवधि नही बढाई जायेगी। क्या आखिरी घडी तक इस निर्णयका पता नही चला था? भारतीयोकी अवधि बढाने

[1] अढारे वळ्या ऊँटना अग वाका, कहो, ढांकिये तो रहे केम ढाक्या?

सम्बन्धी सारी अर्जियां शुक्रवारके दिन ही भेजी गई थी। सरकारकी इस मेहरबानीके लिए किन्ही प्रमुख एशियाइयोने एहसान माना हो तो उनके नाम प्रकाशित किये जाये। इससे दूसरोपर भी उसका असर पडेगा। हमारा खयाल है कि ऐसा आभार किसीने नही माना और प्रमुख तो विरोधपर दृढ ही है। उनका यह भी कहना है कि सरकारको देश निकाला देनेका अधिकार है ही नही। वे अपने समर्थनमे श्री ग्रेनडकी राय पेश करते है।

इसके अतिरिक्त, श्री रेमड वेस्ट जैसे योग्य व्यक्ति भी मानते है कि कानून ब्रिटिश नीतिके विपरीत है। सरकार यदि प्रवासी अधिनियमपर भरोसा रखती हो तो क्या वह मानती है कि भारतीय समाज उस कानूनको सम्राटकी न्याय परिषद तक नही ले जायेगा? फिर, यदि सरकारको निर्वासित करनेकी सत्ता मिल जाये तो उस सत्ताके बलपर उसे भारतीयोको भारतमे भेज देना चाहिए। ऐसा होगा तो क्या भारत सरकार उसमे हस्तक्षेप नही करेगी? मोटे तौरसे देखे तो मालूम होता है कि श्री हास्केनके सिवा सभी गोरे भारतीयोके विरुद्ध है। किन्तु गहराईसे देखनेपर मालूम होता है कि एशियाइयोको निकाल भगानेका सरल रास्ता गोरे ग्रहण नही करते। यदि वे भारतीयोसे व्यवहार बन्द कर दे तो भारतीय कैसे रह सकते है? भारतीय नौकर पंजीयनपत्र ले या न ले इसपर उनके गोरे मालिक कोई आपत्ति नही करते। कोई यह नही कह सकता कि भारतीयोका विरोध सामान्य गोरे करते है। अतः वास्तविक स्थिति प्रेक्षकको एकदम मालूम नही हो सकती। यह सवाल बडा उलझन भरा जान पडता है। इसलिए यदि इसपर फिरसे विचार करना आवश्यक हो तो सभी बडे लोगोका निष्पक्ष तरीकेसे विचार करना चाहिए। जनरल स्मटस और श्री गांधीको एक बहुत ही कठिन प्रश्नका हल खोजना है। मुसाफिरीकी सुविधाओके बारेमे पूर्व और पश्चिमके सम्बन्धोमे बहुत ही परिवर्तन हुआ है। एशियाई जो पहले यात्राएँ नही करते थे अब निकलने लगे है। वे मितव्ययी और विनयी है। वे इतनी सादगीसे रहते है कि उतनी सादगी यूरोपीयोसे नही निभ सकती। हम उनके देशमे जाते है। किन्तु उनके हजारोकी जगह हमारे जानेवाले लोग अँगुलियोपर गिने जा सकते है। और जब उनका वश चलता है, वे उन्हे जानेसे रोकते है। किन्तु एशियाई स्वयं स्वीकार करते है कि ट्रान्सवालमे भारतीयोको बे रोकटोक नही आने देना चाहिए। यहाके गोरे स्वीकार करते है कि जो भारतीय यहा आ गये है और हकदार है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। अतः यह प्रश्न रहता है कि दूसरोको आनेसे किस प्रकार रोका जाये। एशियाइयोका कहना है कि सरकारने जो तरीका निकाला है वह अनुचित और हलके दर्जेका है। क्या सरकारने सभी तरीके आजमा कर देख लिये है? हस्ताक्षरोसे फोटोसे, या ऐसे ही तरीकोसे काम नही चलेगा? भारतीय तौर तरीके समझनेवालोके साथ सरकारने मशविरा किया है? यदि सरकारको मदद चाहिए तो बहुत लोग मदद करेगे। यदि उठाये हुए कदम वापस लेने पडे तो हमे आशा है कि सरकार प्रतिष्ठाका खयाल करके आगा पीछा नही करेगी। यूरोपीय और अधिक एशियाइयोको आनेसे रोकना चाहते है किन्तु साथ ही यह भी चाहते है कि ट्रान्सवाल ब्रिटिश राज्यका अंग है, इसे न भूला जाये। सरकारको हमारी परम्परासे चली आ रही न्यायीकी न्याय बुद्धिको कायम रखना चाहिए। यदि सरकार

अन्याय करेगी और वह भी निरपराध और निबलोंके साथ तो उसकी राजनीतिको बट्टा लगेगा और सरकार हार जायेगी।

इस सुन्दर लेखमें केवल एक ही भूल यह है कि 'लीडर' का लेखक मानता है, लड़ाई केवल अँगुलियोंकी निशानी लेने देनेके सम्बन्धमें ही है। इस भूलसे कुछ नहीं बिगड़ता। 'लीडर' जैसा अखबार सरकारको पीछे हटने और न्याय करनेकी सलाह देता है, इससे प्रकट होता है कि हवाका रुख बदलनेपर आ गया है। प्रश्न केवल यह है कि भारतीयोंको अब जो जोर दिखाना है, वह दिखायेंगे या बैठे रहेंगे?

नाइयोंको चेतावनी

जोहानिसबर्ग नगरपालिकाने नाइयोंके लिए नियम बनानेका प्रस्ताव किया है। और चूंकि नियमोंका पास हो जाना सम्भव है इसलिए उनका सारांश नीचे देता हूँ :

१. नाई अपनी दूकानें बिलकुल साफ रखें। उनकी बनावट ऐसी होनी चाहिए कि उनमें हवा आ जा सके।

२. बाल काटनेके यन्त्र, कैंची, उस्तरे, कंघे और ब्रश हमेशा साफ रखे जाने चाहिए।

३. हजामत करते समय नाईको झग्गा पहनना चाहिए। वह झग्गा गले तक पहुँचना चाहिए। नाईको अपने हाथ अच्छी तरह साफ रखने चाहिए।

४. स्वयं नाईको या उसके नौकरको कोई चर्म रोग या संक्रामक रोग हो तो वह हजामत न बनाये।

५. जनवरीकी पहली तारीखके बाद नाईकी हर दूकान पंजीकृत होनी चाहिए। परिषद यह पंजीयन मुफ्त करेगी।

६. सफाई निरीक्षक या डाक्टरको किसी भी नाईकी दूकानमें प्रवेश करनेका हक है।

इन नियमोंकी एक प्रति प्रत्येक नाईकी दूकानमें लगाई जाये। परिषदने निम्न बातोंकी सिफारिश की है :

१. हर मेजपर काँच, संगमरमर, स्लेट या जस्तेका पतरा बिछा होना चाहिए।

२. हर ग्राहकके लिए साफ रूमाल काममें लाया जाये और सिर टिकानेकी जगह हर बार साफ रूमाल अथवा साफ कागज रखा जाये।

३. हजामत बनानेके लिए दो ब्रश रखे जायें। उन्हें कृमिनाशक पानीमें रखा जाये और पानीमें रखे हुए ब्रशका उपयोग किया जाये।

४. साबुनका पानी, पाउडर या साबुनकी लम्बी टिकियाका उपयोग करना चाहिए।

५. उस्तरेको साफ कागजपर घिसा जाये और उस्तरा तथा दूसरे ओजारोंको काममें लानेके बाद चार पाँच मिनट तक जन्तुनाशक पानी में रखा जाये। दो छोटे चम्मच-भर सीलिव[1] या केरोल[2] एक क्वार्ट पानीमें मिलाकर जन्तुनाशक पानी तैयार किया जाये। या इतने ही पानीमें इजॉलके तीन चम्मच डाले जायें।

१, २. ये कृमिनाशक दवाओंके व्यापारिक नाम मालूम होते हैं।

६ हजामत बनानेके बाद फिटकरीकी गुल्लीका उपयोग न किया जाये, बल्कि फुहारी या साफ रुईको गीला करके उपयोगमे लाया जाये।

७ स्पञ्जका बिलकुल उपयोग न किया जाये, बल्कि उसकी जगह रुई आदिका उपयोग किया जाये।

८ पाउडर लगानेके फूलकी जगह रुईका उपयोग किया जाये।

९ ब्रशके बाल सफेद होने चाहिए और उसे दिनमे एक बार पानी साबुन और सोडेमे धोया जाना चाहिए।

१० बाल बारीक काटते समय गर्दनपर गिरते है। उन बालोको हज्जाम मुहसे फूक कर न उडाये, बल्कि झाड दे।

११ कटे हुए बाल झाडकर एक कानेमे लगानेके बजाय किसी ढक्कनवाले बतनमे रखे जाये।

उपर्युक्त नियम तथा सूचनाएँ सभी नाइयोको ध्यानमे रखनी चाहिए। इन नियमोके अनुसार जो व्यक्ति काम नही करेगा उसको दण्ड होगा इतना ही नही, बल्कि हमे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि इतनी सफाई रखना प्रत्येक नाइका कतव्य हे। देशमे नाइयोकी लापरवाही अथवा गदगीसे परस्पर छून लगनेके कारण दाद, खुजली आदि बीमारिया होती है। जो नाई उपयुक्त नियमोके अनुसार चलेगे उनका फायदा होगा और माना जायेगा कि उन्होने सच्ची एव आवश्यक तालीम ले ली है। इसमे खचकी नही, इच्छाकी जरूरत हे।

सरकारी स्पष्टीकरण

नवम्बरका नोटिस आगे क्यो बढाया गया, इसके बारेमे सरकारने स्पष्टीकरण किया हे। वह स्पष्टीकरण ही सरकारको दोषी साबित करता हे। सरकारको यदि डर नही था तो नवम्बर तक अवधि बढानेकी क्या जरूरत थी? सरकारने कारण बताया है कि नवम्बरमे बिलकुल काम ही न था इसलिए एशियाइयोपर मेहरबानी की। यह बात तथ्यानुरूप नही है। क्योकि नवम्बरमे गिरफ्तारिया नही करनी ह, यह सरकारको मालूम था। फिर यदि ऐसा ही था तो घर घर सिपाही क्यो भेजे गये? यह भी देखना है कि सरकारने अब भारतीयोकी अर्जीकी बात छोड दी है। इस विचित्र स्पष्टीकरणका उद्देश्य 'लीडर' के लेखका जवाब देना हे। 'लीडर' ने, जिन जिन 'मुखियो' ने अर्जी दी है, उनके नाम मागे है, किन्तु ऐसे नाम तो है ही नही। इसलिए सरकार दे कहासे? अन्तमे सरकार स्पष्टीकरणमे कहती है कि दिसम्बरसे तो कानून अमलमे आयेगा ही। यह चेतावनी कितनी बार दी जायेगी? बहुत बार 'भेडिया आया' का शोर मचाया जानेके कारण जैसे गडरिये निर्भय हो गये थे, वैसे ही भारतीयोका समाज भी निर्भर हो गया है। यहातक कि जब दरअसल भेडिया आया था तब किसी गडरियेने नही माना कि भेडिया आया है। किन्तु सच्चा कानून रूपी भेडिया आयेगा तब भी भारतीय डरे, इसके लिए कोई कारण नही मालूम होता। क्योकि जेल या देश-निकाला रूपी भेडियेको तो भारतीय-समाज फाडकर खा गया है। इसलिए सरकारका भेडिया भले आता रहे।

गोरे नरम होने लगे है

'रैंड डेली मेल' मे समाचार है कि श्री गाधी और दूसरे भारतीयोने प्रिटोरियाकी सार्वजनिक सभामे साफ कहा हे कि भारतीय समाज अँगुलिया लगाना कभी स्वीकार नही करेगा।

इस बातसे ट्रान्सवालके भारतीयोमे अधिक उत्साह पैदा होगा। क्योकि अब सरकार तथा गोरे सोचमे पड गये है कि किस प्रकार यह उलझन भरी समस्या हल हो, और इसलिए हम क्या चाहते है इसे समझनेका प्रयत्न करते है। अँगुलिया लगानेकी ओर यद्यपि हमने बहुत ही तिरस्कार दिखाया है और अँगुलिया लगानेकी शर्तके कारण हमारी लडाईको बल मिला है, फिर भी सबसे बातचीत करते समय हमे इतना अवश्य कहना चाहिए कि यह लडाई इस बातकी नही है कि अँगुलिया ली जाये या न ली जाये, बल्कि भारतीयोकी प्रतिष्ठाकी है। सरकार हमे पछाडना चाहती है और हम पछाडे जाना नही चाहते। सरकारने हमे गुलाम बनानेके लिए कानून बनाया है और उस कानूनको मरने तक हम स्वीकार नही करेगे, यह लडाई इस प्रकारकी है।

पीटर्सबर्गकी ओरसे पश्चात्ताप

पीटर्सबर्गसे श्री गनी इस्माइल और श्री हासिम मुहम्मद काला लिखते है कि नये पंजीयन पत्रके लिए जोहानिसबर्गमे अर्जी देनेके बाद दोनोको पश्चात्ताप हो रहा है। उस पश्चात्तापकी सीमा नही रहती। कानूनके लागू हो जानेपर उनकी क्या हालत होगी, इसे सोचकर उनका दिल फटने लगता है। ये शब्द उन दोनो भारतीयोके है। उन्होने विशेष यह लिखा है कि उन्हे केवल पहुँच मिली है गुलामीकी चिटठी नही मिली। अर्जी वापस लेनेका यदि कोई उपाय हो तो वे जानना चाहते है। यदि अर्जी वापस लेनी हो तो मै कह सकता हूँ कि वह बात अत्यन्त सरल है। जिस प्रकार श्री चेनटाग (पंजीकृत चीनी) ने पंजीयनपत्र फेंक दिया था, उसी प्रकार उन्हे भी अपनी अर्जी वापस ले लेनी चाहिए। यदि खूनी पंजीयनपत्र न लेना हो, तो मार्ग बहुत ही सरल है। पंजीयनपत्र लेनेके लिए प्रिटोरियाकी यात्रा फिर करनी होगी और पंजीयनपत्रोंपर अँगूठेकी निशानी देनी होगी। इन दोनो बातोके लिए वे साफ इनकार कर सकते है। इस तरह वे मुक्त रह सकेंगे। पंजीयनपत्र लेने जानेके लिए वे बँधे हुए नही है और यदि न जाये तो सहज ही बिना गुलामीके चिट्ठेके रह सकेगे। मुझे आशा है कि यह पश्चात्ताप वास्तविक है, केवल ऊपरी भावावेश नही है। और यदि वह वास्तविक ही होगा तो इससे दूसरे भारतीयोको भी बल मिलेगा। इन दोनोको मेरी सलाह है कि वे श्री शेख मुहम्मद इशाकका[1] उदाहरण याद रखे।

कायरका प्रेम शत्रुता है

मुझे खबर मिली है कि श्री इस्माइल हाजी आमद कोडथाने मेफिकिंगसे जुलाईमे मेमन लोगोके नाम तार भेजकर हिम्मत दिलाई थी कि वे दृढ रहे और अपना मुँह काला न करे। यही भाई प्रिटोरियामे पधारकर और गुलामीका पट्टा लेकर इस पत्रमे "अमर" हो गये है। ऐसे बडे-खां प्रोत्साहनके लिए तार देते रहे तो ऐसे तारोसे किसे और कैसे जोश आ सकता है? यह उदाहरण बाहरके सभी भारतीयोके लिए नोट करने योग्य है। श्री अली खमीसा गुलाम बननेके पहले बहुत बार जो बाते किया करते थे, वे याद रखने योग्य है। जब प्रिटोरियाके बाहरका कोई व्यक्ति हिम्मत रखनेके लिए कहता तो वे कहते थे कि जो इस संघर्षमे शामिल नही है वह मिट्टी है [इसलिए उसे उपदेश नही देना चाहिए]। और

१ देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी" पृष्ठ २४६।

डबनसे तार भेजनेवाले भाइयोको यह बात याद रखनी है, और याद रखना है कि कही "मिट्टी" की धूल न बन जाये।[1]

ईसप मियाँका सख्त जवाब

श्री ईसप मियाने जनरल स्मटसके स्पष्टीकरणके सम्बन्धमे 'लीडर' और 'स्टार' को सख्त पत्र लिखा है। उसका अनुवाद अगले सप्ताह दूगा। उसमे सिद्ध कर दिया गया है कि सरकारके झूठकी तो सीमा ही नही रही।

ठीक हुआ है

जोहानिसबगमे जिन लोगोने गुलामीके पट्टेके लिए अर्जी दी थी उनमे से एक कोकणी और एक मद्रासीको देश छोडनेकी सूचना मिल चुकी है।

दयालजीको कैदकी सजा और उसकी अपील

दयालजी प्रागजी देसाईपर गोविन्दको मारनेके सम्बन्धमे मुकदमा चला था। प्रिटोरिया अदालतने उसका फैसला दे दिया है। उसमे उन्हे ४ महीनेकी सख्त सजा मिली है। उसके खिलाफ उन्होने अपील दायर की है।

गद्दार

पिछले शनिवार तक पंजीयन करानेवालोकी सूची प्रिटोरियासे [३०] पीटसबगसे [१६] लुई ट्रिचडटसे [३] मिडेलबगसे [३] पाचेफस्ट्रूमसे [४], स्टैंडटनसे [५] और जोहानिसबगसे [१]।

एक दयनीय मामला

मिराडा नामक पोर्तुगीज भारतीयको बगैर अनुमतिपत्रका समझकर १० अक्तूबरके पहले ट्रान्सवाल छोडनेका हुक्म मिला था। उस मीयादके बीत जानेके कारण पिछले शनिवारको फिर उसे अदालतमे खडा किया गया। अभियुक्तने बताया कि उसके पास ट्रान्सवालसे बाहर जानेके लिए पैसे नही है, तो कैसे जाये? न्यायाधीशने अभियुक्तको दोषी ठहराकर एक महीनेकी सख्त कैदकी सजा दी। और कैद पूरी होनेके बाद सात दिनमे देश छोडनेका आदेश दिया, और यदि वह न छोडे तो छ महीनेकी दूसरी कैदकी सजा सुनाई। यह मुकदमा वास्तवमे दयाजनक है। अब उस व्यक्तिको सरकारके सिर चढकर बार बार जेल भोगनी चाहिए। तभी सरकारकी अक्ल ठिकाने आयेगी। कहना आवश्यक नही कि यदि यह लडाई अन्ततक लडकर सरकारको थका न दिया जायेगा तो ऐसे दुःख ट्रान्सवालके भारतीयोके भाग्यमे हमेशाके लिए जड दिये जायेगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९–११–१९०७

१ मूल गुजरातीमें "माटी" शब्द आया है जिसका अर्थ बहादुर भी होता है। उस दृष्टिसे इन दो वाक्योंका अर्थ यह भी हो सकता है "जो संघर्षसे दूर हैं वे अपनेको बहादुर ही समझते हैं। डर्बनसे तार भेजने वाले भाइयोंको यह बात याद रखनी है और याद रखना है कि अवसर आनेपर कहीं उनकी बहादुरीका दिवाला न निकल जाये।"

२६८ पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर'को

जोहानिसबर्गके 'लीडर' मे श्री गांधीका एक पत्र प्रकाशित हुआ हे वह इस प्रकार हे[1]

महोदय,

आपने अपने आजके अकमे लिखा हे कि जो ४०० के करीब भारतीय पजीकृत हुए है उन सबको ट्रासवालमे रहनेका कुछ अधिकार नही है, ऐसा ब्रिटिश भारतीय सघने कहा हे। परतु मुझे कहना चाहिए कि सघके किसी पदाधिकारीने ऐसा कहा हो — यह मेरी जानकारीमे नही हे। मुझे इतना मालूम हे कि हमारे धरनेदारोमे से किसीने ऐसा कुछ कहा था, परतु वह केवल शेखी मारनेके लिए था। यह बात कही गई तभी धरनेदारोके मुखिया श्री पी० नायडूने उसे ठीक कर दिया था। परतु वह समाचार आपके अखबारमे नही छपा। सघके पदाधिकारीकी ओरसे जो बात कही गई हे सो यह है कि, सरकारने कानूनका जो अर्थ किया हे उसके अनुसार जिन्हे यहा रहनेका कुछ भी अधिकार नही है ऐसे कमसे कम चार व्यक्तियोने पजीयनके लिए अर्जी दी हे, ओर सम्भवत उनको पजीयनपत्र प्राप्त भी हो गये है। सघ यह नही मानता कि इन लोगोको पजीयनपत्रका अधिकार नही है।

अर्जिया लेनेके लिए सरकार अब भी कार्यालय चालू रखना चाहती हो तो वह कोई मेहरबानी कर रही हे, इसे माननेसे मै आदरपूवक इनकार करता हूँ। क्योकि इससे तो अधिकाश भारतीय केवल यही समझेगे कि इसमे सरकारकी निबलता ही प्रदर्शित होती है। भारतीयोने बहुत ही शालीनतासे खुदाके नामपर ली हुई शपथकी खातिर बता दिया है कि सरकारसे जो भी बने, कर ले, किन्तु पजीयनकी परेशानी हमे नही चाहिए। कहा गया है कि धरनेदारोके कारण भारतीय 'प्लेग' कार्यालयमे नही जा पाये है और इसी कारण अवधि बढाई गई हे। परन्तु धरनेदार तो अब भी प्रिटोरियामे निगरानी रखेगे ही।

आप यह कह रहे है कि जनरल स्मटसने धमकिया दी है और बडी सरकारने हस्तक्षेप करनेसे फिलहाल इनकार कर दिया है, इसलिए भारतीयोके विरोध करनेसे क्या लाभ हे। परतु भारतीयोकी लडाई बडी सरकारके हस्तक्षेप अथवा जनरल स्मट्सकी दयापर निभर नही है। इसमे सदेह नही कि भारतीय समाजने जो लडाई छेड रखी हे वह सफल हुई तो अनुमान है कि उपनिवेशोमे उनकी प्रतिष्ठा बढ जायेगी। किन्तु वे यह भी जानते है कि लडाईमे उन्हे सवस्व खोना पड सकता हे। म मानता हूँ कि ऐसा होगा तो नही, किन्तु हुआ भी तो भारतीय अग्निमे तपे हुए सोनेकी तरह निखर उठेगे। यह एक लाभ ही हे। मै निसकोच कहता हू कि श्री स्मटस और उनका कानून दोनो मिलकर भारतीय समाजको जो कुछ देगे उसकी तुलनामे भारतीय समाजके लिए उपयुक्त लाभ बेहतर हे। उस समय आपको भी पता चल जायेगा कि प्रवासी कानूनसे उसे स्वीकृति प्राप्त हुई तो, अथवा अन्य चाहे जैसे, जुल्मी कानूनोसे डर कर भारतीय समाज अपने ग्रहण किये हुए मागसे पीछे हटनेवाला नही है। यदि वह पीछे हट गया — और वह नही हटेगा, यह कहनेका जिम्मा मै लेना नही चाहता — तो हर भारतीयको पता चल जायेगा कि ऐसा करना तो कडाहीसे निकलकर भट्टीमे गिरनेके समान है।

१ मूल अंग्रेजी पत्रके अनुवादके लिए देखिए पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर' को पृष्ठ ३२२-२३।

नवम्बर १ के 'लीडर' के लेखका तात्पय निम्न प्रकार था

अक्तूबर पूरा हो गया फिर भी ८,००० मे से केवल ४०० के लगभग पजीकृत हुए है। और ये ४०० भी, ब्रिटिश भारतीय सघने बताया हे, ऐसे है जि हे ट्रान्सवालमे रहनेका अधिकार नही हे। ट्रान्सवालमे १,१०० चीनी है। उनमे से केवल दोने ही पजीयन करवाया हे और ये दो भी वणसकर है। इतने लोगोने पजीयन नही करवाया फिर भी सरकार दृढ हे। धरनेदारोके द्वारा डराये धमकाये जानेके कारण पजीकृत होनेमे मुसीबते थी यह देखते हुए सरकारने अवधि बढा दी हे। यह समझ और दयाका काम हे। सही ढँगसे या फिर गलत ढँगसे भी जब कानून सरकारी पुस्तकमे चढ चुका है तब हमे यही अधिक उचित मालूम होता हे कि भारतीयोको उसके सामने झुक जाना चाहिए। प्रधानमत्रीने ससदमे हस्तक्षेप न करनेके सम्बन्धमे जो उत्तर दिया हे और जनरल स्मट्सने जो कहा हे वह जान लेनेके बाद भी भारतीय यदि और भी विरोध जारी रखते है तो उसमे क्या लाभ ?

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ९–११–१९०७

२६९ पत्र जनरल स्मट्सको

जो भीमकाय प्राथनापत्र हस्ताक्षरयुक्त फार्मोके साथ उपनिवेश सचिवके नाम भेजा गया हे और उसके साथ ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्ष श्री ईसप मियाने जो पत्र भेजा हे, उन दोनोका साराश पिछले सप्ताहकी खबरोमे छप चुका हे। अब हम वह पूरा पत्र[1] नीचे दे रहे है

महोदय,

एशियाई कानूनके सम्बन्धमे टान्सवालके भारतीयोका एक भीमकाय प्राथनापत्र पोस्ट पासल द्वारा आपके पास भेज रहा हूँ। हस्ताक्षर करनेवालोको जो सूचनाएँ दी गई थी उनकी प्रतिया भी साथ भेजता हूँ। ये फाम हस्ताक्षरके लिए जब ट्रान्सवाल भेजे गये तब कुछ भारतीयोकी ओरसे कानूनकी धाराओमे परिवतन करनेके लिए सरकारको प्राथनापत्र दिया गया था। सरकारने उसका उत्तर नही दिया। और तबतक वह प्राथनापत्र भी वापस नही लिया गया था। बादमे श्री स्टगमान, एसेलन और रूजके मुवक्किलोको सन्तोषजनक उत्तर नही मिला, इसलिए उन्होने वह पत्र तो वापस ले लिया है, फिर भी मेरे सघकी समितिने मुझे प्राथनापत्र आपको भेज देनेका निर्देश किया है। क्योकि, इससे आपको उसपर हस्ताक्षर करनेवालोकी भावनाका पता लगेगा। मेरे सघकी नम्र रायमे सघने कानूनके खिलाफ जो रुख अपनाया है, उसके [औचित्यका] यह आवेदनपत्र एक जबरदस्त सबूत है, और इससे उपनिवेशके अधिकाश भारतीयोके विचारोका पता चल जाता है। यह आवेदनपत्र कुछ समय पहले तैयार हो गया था,

१ मूल अग्रेजी पत्रके अनुवादके लिए देखिए पत्र उपनिवेश सचिवको , पृष्ठ ३२०२१।

किंतु जोहानिसबगमे दफ्तर खुलनेपर समाजका रुख कैसा रहता है, यह देखनेके लिए आजतक इसे भेजना स्थगित रखा गया था।

इसपर कुल ४,५२२ हस्ताक्षर हुए हैं। वे इस प्रकार कुल २९ स्थानोंसे लिये गये हैं जोहानिसबग, २,०८५, न्यू क्लेअर, १०८, रुडीपूट, १३६, क्रूगसडाप, १७९, जर्मिस्टन, ३००, बाक्सबग, १२९, बेनोनी, ९१, माइरफॉटीन, ५१, प्रिटोरिया, ५७७, पीटसबग तथा स्पेलोनकेन ८०, वेरिनिगिग, ७३, हाइडेलबग, ६६, बालफर, १४, स्टैंडटन, १२३, फोक्सरस्ट, ३६, वाकस्ट्रूम १२, पीट रिटीफ, ३, बेथल, १८, मिडेलबग, २९, बेलफास्ट, मेकाडोडॉप तथा बाटरवाल, २१ बारबटन, ६८, पाचेफ्स्ट्रूम, ११४, विटरडाप, १२, क्लाक्सडाप ४१, क्रिस्चियाना, २४, लिखतनबग, ७, जीरस्ट और मेरीको, ५९, रस्टेनबग, ५४, तथा अरमेलो, २।

वगके अनुसार हस्ताक्षर निम्नानुसार हैं सूरती, १,४७६, कोकणी १४१, मेमन १८०, गुजराती हिंदू, १,६००, मद्रासी, ९९१, कलकतियाके नामसे परिचित (उत्तर भारतीय), १५७, पारसी, १७। सिक्ख और पठानोंमेंसे हिंदुओंके हस्ताक्षर गुजराती हिंदुओंके साथ गिने गये ह तथा मुसलमानोंके हस्ताक्षर सूरतियोंके साथ गिने गये हैं। ऊपर ईसाइयोंका अलग वग नहीं बताया गया। वे लगभग २०० हैं और मद्रासियोंके साथ गिने गये हैं।

मेमन लोगोंको छोडकर शायद ही कोई कौम ऐसी बची हो, जिसने हस्ताक्षर न किये हों। एक तो समय बहुत कम था और दूसरे, भारतीय सारे ट्रांसवालके फार्मोंमें — कुछ एकमें, कुछ दूसरे फाममें — फैले हुए हैं, इसलिए सघके कायकर्ता हस्ताक्षरके लिए बहुत लोगोंके पास पहुँच ही नहीं सके। हस्ताक्षर करानेवाले सभी इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने बताया है कि बहुत जगहोंसे लोग यह देश छोडकर भारतको रवाना हो गये हैं। सितम्बर १९०६ को लडाई शुरू हुई तब १३,००० भारतीय अनुमतिपत्र थे। सघको मालूम हुआ है कि गुलाम बननेके बजाय देश छोडना ठीक समझनेके कारण इस समय ७–८ हजार बच रहे होंगे। बहुत करके तो ७,००० से बहुत ज्यादा न होंगे। मेमन लोगोंके अलावा जितने भी लोगोंने पजीयन करवाया हैं, उनमें बहुतेरोंपर गोरे मालिकोंने दबाव डाला था। सघको खबर मिली है कि १ जुलाईसे ३१ अक्तूबर तक ३५० से अधिक लोगोंने अर्जियाँ नहीं दी और उन अर्जी देनेवालोंमें ९५ प्रतिशत मेमन हैं।

एशियाई कानूनके खिलाफ भारतीयोंमें कितनी कटुता पैदा हुई है, उसकी ओर, आखिरमें, मेरा सघ आपका ध्यान आकर्षित करता है। भारतीय समाजने जो रुख ग्रहण किया है, वह सरकारको परेशान करनेके लिए नहीं, बल्कि उसे जो कष्ट हुआ है उसके सबूतके रूपमें है। कानूनसे भारतीयोंको इतनी तीव्र चोट लगी है कि वे उसके सामने झुकनेके बजाय अनाक्रामक प्रतिरोध करके कष्ट सहनेको तैयार हो गये हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ९–११–१९०७

२७० रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा[1]

[जर्मिस्टन
नवम्बर ११, १९०७]

श्री गाधीने कहा कि यद्यपि वे मोहलतकी अर्जीका विरोध नही करना चाहते, तथापि अदालतको सूचित करते है कि जहातक श्री पण्डितका सम्बन्ध है, औचित्य-समर्थनके लिए अदालतके सामने तथ्य पेश करनेके अलावा और कोई सफाई पेश नही करनी है। श्री पण्डित स्वीकार करेगे कि वे बिना अनुमतिपत्रके उपनिवेशमे है। मेरे मुवक्किल इस बातके लिए अत्यन्त उत्सुक है कि यह मामला जल्द समाप्त कर दिया जाये। कुछ भी हो, वे चार दिनसे हवालातमे बन्द है और यद्यपि बीसियो भारतीयोने उनकी जमानत लेनेकी तत्परता दिखाई है, श्री पण्डित जमानतपर छूटनेसे इनकार करते है। इसलिए श्री गाधीने सुझाया कि यदि इस मामलेमे मोहलत देना स्वीकार किया जाये तो भी पण्डितजी स्वय अपने वचनपर छोड दिये जाये। इसे अदालतने स्वीकार कर लिया।

[अंग्रेजीसे]
इडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२७१ भेट: 'ट्रान्सवाल लीडर' को[2]

[जर्मिस्टन
नवम्बर ११, १९०७]

श्री गाधीने मुझे बताया कि यह[3] भारतीयोके — मुख्यत मुसलमानोके — धर्मके विरुद्ध है, क्योकि इससे अधिनियमके अन्तर्गत आनेवाले प्रत्येक एशियाईकी निजी स्वतन्त्रता छिन जाती है, जिसके परिणामस्वरूप वह खुदाका बन्दा होनेके बजाय अधिनियमके अन्तर्गत नियुक्त अधिकारीका बन्दा हो जाता है, और जो व्यक्ति ईश्वरमे विश्वास करता है, वह ऐसे

१ रामसुन्दर पण्डित अपने अस्थायी अनुमतिपत्रकी अवधि पूरी होनेपर ट्रान्सवालमें गैरकानूनी ढगसे दाखिल होने और रहनेके लिए ८ नवम्बरको गिरफ्तार किये गये थे। एशियाई मुहकमेको सुझाया गया था कि उनकी गिरफ्तारीका भारतीयोपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके अन्तर्गत चलाया जानेवाला यह पहला मुकदमा था और यह सहायक अधिवासी मजिस्ट्रेटकी अदालतमें दायर किया गया था। सरकारी वकीलने जब एशियाई पजीयकको अदालतमें बुलानेके खयालसे मोहलत माँगी तब गाधीजीने यह दलील पेश की। देखिए **दक्षिण आफ्रिकामे सत्याग्रहका इतिहास**, अध्याय १८ भी।

१२-११-१९०७ के **ट्रान्सवाल लीडर**की एक रिपोर्टके अनुसार गाधीजीने कहा कि रामसुन्दर पण्डित 'अपने आपको सभी प्रकारसे निर्दोष समझते है तथा यह मुकदमा लड़नेको तैयार है और इसलिए जब भी बुलाये जायेंगे, अदालतके सामने आनेसे उपस्थित होगे।'

२ **ट्रान्सवाल लीडर**के एक संवाददाताने रामसुन्दर पण्डितके मामलेकी पहली सुनवाईकी समाप्तिपर उनकी रिहाईके बाद गाधीजीसे भेंट की थी।

३ पजीयन।

अधिनियमको माननेका खयाल सपनेमें भी नहीं कर सकता, जिससे वह वास्तवमें दासतामें बँध जाता हो।

अब चूँकि सब भारतीय पंजीयन अधिनियम अपने धर्मके विरुद्ध होनेके कारण उसे स्वीकार न करनेके लिए एक गम्भीर शपथके द्वारा बँधे हैं, इसलिए यहाँ धर्म अधिक प्रमुख रूपसे सामने आता है। और इसलिए यदि कोई भारतीय किसी ऐसे भौतिक लाभके लिए, जो उसे मिल सके, अधिनियमको स्वीकार करता है तो वह अपनी अन्तरात्माका हनन करता है। फलतः उक्त पुरोहितने इस बातमें सक्रिय दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है कि लोग पंजीयन न करायें और वे लौकिक सम्पदाको देखनेके बजाय पारलौकिक सम्पदाको देखें। यही कारण है कि जब जर्मिस्टनमें एशियाई पंजीयन कार्यालय खुला था तब उन्होंने मुख्य धरनेदारके रूपमें काम किया, जो विशुद्ध रूपसे समझाने-बुझानेसे सम्बन्ध रखता था।

[अंग्रेजीसे]

ट्रान्सवाल लीडर, १२–११–१९०७

२७२ रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा[1]

[जर्मिस्टन
नवम्बर १४, १९०७]

श्री गांधी द्वारा जिरह करनेपर गवाहने[2] कहा कि समझौता यह था कि अभियुक्त तारीख २८ अगस्त १९०६ तक रहेगा। तबसे उसके अनुमतिपत्रकी अवधि कई बार बढ़ाई जा चुकी है, क्योंकि मुझे यह विश्वास दिलाया गया, और मैंने विश्वास किया भी, कि अभियुक्तको उपनिवेशमें जिस कार्यके सम्बन्धमें रहनेकी अनुमति दी गई है, वह यहाँ उसीको करेगा।

[गांधीजी] क्या आपके पास इसमें सन्देह करनेका कोई कारण है कि अभियुक्त धर्म-पुरोहित है और वहीं रहा है?

[गवाह] यहाँ धर्म पुरोहित बहुत-से हैं और धर्म पुरोहित धर्मका प्रचार करते हैं। कोई पुरोहित ईसाई हो, या मुसलमान, या हिन्दू या किसी दूसरे धर्मका, जबतक वह अपने सिद्धान्तका प्रचार करता रहता है तबतक, मेरे विचारमें, वह वाञ्छनीय है, किन्तु जब वह अन्य सिद्धान्तोंका — मैं नहीं कहूँगा, राजद्रोहका — प्रचार करता है और अपने लोगोंको हिंसाके लिए भड़कानेके तरीके अख्तियार करता है, तब वह उससे भिन्न व्यक्ति हो जाता है, जैसा मैंने उसको उपनिवेशमें जानेकी अनुमति देते समय समझा था।

उन्होंने क्या प्रचार किया?

क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है कि उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धान्तोंके अलावा किसी दूसरी बातका प्रचार किया?

१ देखिए 'रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा', पृष्ठ ३५१।
२ एशियाई पंजीयक मॉटफोर्ड चैमने।

मेरा विश्वास है कि उसने ऐसा प्रचार किया है, और इस विश्वासके आधारपर मने उसका अनुमतिपत्र नया करनेसे इनकार कर दिया है।

क्या आप कहते है, आपका विश्वास है कि उन्होने पुरोहितके कतव्यसे भिन्न काय किया हे ?

मैंने यह नही कहा।

आपने अभी कहा हे कि आपके पास ऐसा माननेके कारण है कि वे धार्मिक सिद्धान्तासे भिन्न सिद्धान्तोका प्रचार कर रहे है। क्या आपके पास यह विश्वास करनेके पयाप्त कारण है ?

मुझे गोरो और रगदार, दोनोसे शिकायते मिली है।

क्या आपने उनको इन शिकायतोके सम्बन्धमे कभी चेतावनी दी है ?

निश्चय ही नही दी।

आपको शिकायते कब मिली ?

मुझे ठीक तारीखे याद नहीं आ रही, कितु ये एशियाइयोके पजीयनके सम्बधमें थी।

क्या आप इन शिकायतोको पश कर सकते ह ?

म पेश तो हर्गिज नहीं करूँगा।

तब, श्री चैमने, आप इन शिकायतोको पश करनेसे निश्चित रूपसे इनकार करते ह ?

म आपको उन व्यक्तियोके, जिन्होने शिकायतें की ह, नाम बतानेसे निश्चित रूपसे इनकार करता हूँ।

श्री गाधीके अनुरोधपर गवाहने पिछले २८ सितम्बरकी वह दरख्वास्त पेश की जो उसको जर्मिस्टनके भारतीयोसे प्राप्त हुई थी और जिसमे उससे अभियुक्तके अनुमतिपत्रकी अवधि, जो समाप्त होनेवाली थी, बढानेकी प्राथना की गई थी और कहा गया था कि अभियुक्त मात्र मन्दिरसे सम्बधित काममें लगा रहता है और अपने धार्मिक कर्तव्योका पालन करता है।

क्या आपने इस दरख्वास्तको अनुमतिपत्रकी अवधि बढानेके लिए पर्याप्त प्रेरणादायक नही समझा ?

नहीं, मुझे जो सूचनाएँ दी गई थीं उनको देखते हुए मने इसको पर्याप्त नहीं समझा।

आप मानते है कि अभियुक्तने जर्मिस्टनका हिदू मदिर खरीदा है ?

म इस सम्बधमे कुछ नही जानता। वह यहा कुछ सप्ताहका अनुमतिपत्र लेकर आया था, और हमने उस अनुमतिपत्रकी अवधि एक वषसे अधिक समयके लिए बढा दी, और म नहीं जानता कि उसने क्या किया।

और यदि यह नया अधिनियम न बना होता तो आप, कदाचित, उसकी अवधि निरन्तर बढाते जाते ?

बहुत सम्भव है, बढ़ाता जाता।

जब आप "राजद्रोह" की बात कहते है, आपका तात्पय क्या होता हे?

मने विशेष रूपसे कहा है कि मैं राजद्रोहकी बात नही कहता।

तब उन्होने अपने धार्मिक कतव्योके अलावा कुछ किया, यह कहनेसे आपका अभिप्राय क्या हे? क्या आपका अभिप्राय यह हे कि उन्होने लोगोसे पजीयन अधिनियमको न माननेके लिए कहा?

म कल्पनापर आधारित प्रश्नोका उत्तर नही दे सकता।

आप जानते है कि उन्होने एशियाई अधिनियमको माननेके विरुद्ध प्रचार किया हे। क्या यह उसका एक पहलू हे?

इसका उत्तर है "हॉ", किन्तु मेरी यह हॉ बिना शत नही है।

क्या मुल्लाओके अनुमतिपत्रकी अवधि भी बढाई गई हे?

हॉ, और ईसाई तथा दूसरे पुरोहितोके अनुमतिपत्रोकी भी।

आपका आशय एशियाइयोसे है?

जब म ईसाइयोकी बात करता हूँ तो, श्री गाधी, आपको समझना चाहिए कि मेरा तात्पय होता है असीरियाइयोसे।

न्यायाधीशने कहा कि प्रश्न यह नही है कि श्री गाधी क्या समझते ह, बल्कि यह है कि अदालत क्या समझती है।

श्री चैमनेके तरीके

गवाहने बताया कि जब कोई पुरोहित धम प्रचारके उद्देश्यसे ट्रासवालमे प्रवेश करनेके अनुमतिपत्रके लिए प्राथनापत्र देता है, वे (श्री चैमने) उसके मागमें कोई कठिनाई उत्पन्न नही करते, किन्तु असीरियाई और मुसलमान इतनी बडी सख्यामे आते ह कि उनसे इनको अनुमतिपत्र देना सीमित करनेका अनुरोध किया गया है। सरकारको ऐसे पुरोहितोको अस्थायी अनुमतिपत्र देनेमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि अनुमतिपत्र जिन शर्तोंपर दिये गये हो उन्हे वे पूरा करे।

क्या आपको उनके सम्बन्धमे जर्मिस्टनी भारतीयोसे कोई शिकायत मिली है?

म समझता हूँ, "जर्मिस्टनी भारतीय" से आपका मतलब जर्मिस्टनवासी भारतीयोसे है?

हा।

तब मुझे उनसे ही शिकायत मिली है।

क्या आपने शिकायतकी जाच की हे?

बेशक।

क्या आपने कभी इन शिकायतोके सम्बन्धमे अभियुक्तका उत्तर भी सुना है?

नहीं, निश्चय ही नहीं।

तो आपने उनका बयान सुने बिना ही उन्हे दोषी ठहरा दिया ?

मुझे उनका पत्र मिला है। यह बात न भूलें।

तब उसे पेश कीजिए।

म पेश कर चुका हूँ।

किन्तु वह पत्र शिकायतोका उत्तर तो नही हे ?

मैंने यह नही कहा कि वह उनका उत्तर है।

तब तो वही बात हुई जो मैंने कही, आपने सुनवाई किये बिना ही उन्हे दोषी ठहरा दिया।

मने उनको कुछ शर्तोके साथ ट्रान्सवालमे आनेकी अनुमति दी थी। इन शर्तोको उन्होने नहीं निभाया।

क्या आपने कभी उनको इसकी सूचना दी ?

अब देता हूँ।

उनको फासी देनेके बाद ?

नही, फासी देनेके बाद नही। म इस आक्षेपको पसन्द नहीं करता।

तब गवाहने गत ९ अक्तूबरका एक पत्र पढा जो उन्होने अभियुक्तको तत्काल उपनिवेशसे चले जानेकी सूचना देते हुए लिखा था।

श्री गाधी इससे मेरे प्रश्नका उत्तर बिलकुल नही मिलता।

मेरा उत्तर यही है।

इसके बाद अभियोग पक्षकी कारवाई समाप्त हो गई।

बचाव

सरकारी वकील अभियुक्तका धरनेदारोसे कोई सम्बन्ध नही रहा ?

श्री गाधी म मानता हूँ कि वे मुख्य धरनेदार थे।

तब श्री गाधीने अदालतको सम्बोधित किया। उन्होने स्वीकार किया कि कानून जैसा है उसके अनुसार सजा अवश्यम्भावी है, किन्तु उन्होने अनुरोध किया कि यह मामला ऐसा है जिसमे अदालतका मत व्यक्त करना आवश्यक है। उन्होने "ताज बनाम भाभा" के मुकदमेकी नजीर दी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालयने शान्ति-रक्षा अध्यादेशके प्रशासनके तरीकेके विरुद्ध तीव्र मत व्यक्त किया था। उन्होनें कहा, मेरे मुवक्किलपर मुकदमा इसलिए नहीं चलाया गया कि उनके पास अनुमतिपत्र नहीं ह, बल्कि, जैसा बिलकुल स्पष्ट है, इसलिए चलाया गया कि एशियाई अधिनियमके सम्बन्धमे उनके विचार तीव्र ह और उनको वे अपने देशवासियोके सम्मुख रखनेमें झिझके नहीं ह। यदि यह अपराध हो तो भारतीयोकी बहुसख्या अभियुक्तके समान ही अपराधी है। उचित या अनुचित, रामसुन्दर पण्डितका विश्वास यह है कि इस अधिनियमके सम्बन्धमे सच्ची बातोको अपने देशवासियोके सम्मुख रखना धर्म-प्रचारकके रूपमे उनके कर्तव्योका अग है। धार्मिक आपत्ति अँगुलियोके निशान देने और पत्नीका नाम

बतानेसे बहुत आगे जाती है। पण्डितजीने प्रचार किया है, क्योकि प्रत्येक आत्मसम्मानी भारतीय की भाँति उनकी सम्मतिमें भी इस अधिनियमको माननेसे भारतीयोके समस्त पुरुषोचित गुण चले जाते ह। मेरा खयाल है कि पण्डितजीने जो कुछ किया है उसको देखते हुए वे निन्दाके बजाय स्तुतिके पात्र ह। उन्होने न्यायाधीशसे अभियुक्तके इस वक्तव्यपर विश्वास करनेका निवेदन किया कि जो शिकायते कभी प्रकाशमे नही आई और जिनके सम्बन्धमे अभियुक्तको मुकदमेके दिन तक कोई जानकारी नहीं थी, उनमे कोई सत्य नही है। अभियुक्त पजीयकके आदेशका उल्लघन करनेके परिणामोसे परिचित ह, किन्तु उनके अपने ही शब्दोमे, उनको एक उच्चतर कर्तव्यका आह्वान मिला है और उसी आह्वानपर वे इस न्यायालयके सम्मुख कैदकी या उससे भी बडी सजा भुगतनेके लिए उपस्थित हुए ह।[1]

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२७३ प्रस्ताव सार्वजनिक सभामे[2]

[जर्मिस्टन
नवम्बर १४, १९०७]

एशियाई पजीयन अधिनियमके अन्तगत एकमात्र हिन्दू पुरोहित रामसुन्दर पण्डितको सजा सुनाई जानेके बाद जर्मिस्टनमे ब्रिटिश भारतीयोकी महत्त्वपूर्ण सावजनिक सभा हुई। महामहिम सम्राटसे दमनके विरुद्ध, जिससे निर्दोष भारतीय पीडित है, सरक्षण प्राप्तिके लिए आवेदनका प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। पण्डितजीने सिद्धान्तके बलिदानके बजाय जेल जाना स्वीकार किया है। हजारो इसके लिए तैयार ह।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

१ रामसुन्दर पण्डितको एक महीनेकी कैदकी सजा दी गई।

२ रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा खत्म हो जानेपर गाधीजीने एक सार्वजनिक सभामें भाषण दिया, देखिए पृष्ठ ३६६-६७। प्रस्ताव एक तारके रूपमें लिखा गया था जो स्पष्टतया दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके माध्यमसे भेजा जानेवाला था और अनुमानत गाधीजीने ही इसे तैयार किया था। यह भी तय किया गया था कि पण्डितजीके परिवारके प्रति बधाईके तार भेजे जायें और दूसरे दिन दूकानें तथा सब कारबार स्थगित रखे जायें।

२७४ पत्र गो० कृ० गोखलेको

जोहानिसबग
नवम्बर १४, १९०७

प्रिय प्रोफेसर गोखले,

इस पत्रका उद्देश्य श्री अमीरुद्दीन मुहम्मद हुसैन फजदारका[१] आपसे परिचय कराना है। ये, चार अन्य भारतीयोके साथ, आगामी राष्ट्रीय काग्रेसमे ट्रान्सवालके भारतीयोका प्रतिनिधित्व करनेके लिए नियुक्त हुए हैं। श्री फजदार ट्रान्सवालके सुप्रसिद्ध व्यापारी है और यहाँ लम्बे अरसेसे रह रहे है। मुझे विश्वास है कि आप इन्हे काग्रेसके सामने हमारा मामला रखनेके लिय प्रत्येक सुविधा प्राप्त करानेकी कृपा करेगे और अपनी सलाह तथा मागदशनका लाभ उठाने देगे।

आपका सच्चा,
मो० क० गाधी

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई मूल अग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१०८)से।

२७५ धरनेदारोके विरुद्ध मुकदमा

[प्रिटोरिया
नवम्बर १५, १९०७]

गौरीशकर व्यास, शरफुद्दीन, गोविन्द प्राग और फ्रक लछमनपर इसी १५ तारीखको यह आरोप लगाया गया था कि उन्होने मारपीट करने या जुर्मके लिए भडकानेका अपराध किया, क्योकि १३ नवम्बर १९०७ को (या उसके आसपास) उसी जिलेके प्रिटोरिया नगरमें (या उसके आसपास) प्रत्येक और सब अभियुक्तोने या उनमेंसे किसी-न-किसी ने अन्यायपूण और अवैध रूपसे लछमन नामके एक भारतीयको, जो वहीं रहता है, पीटा, उन्होने उसको वहीं घेर लिया और उसको अपनी (या किसी अन्यकी) इच्छाके अनुसार भारतीय पजीयन कार्यालयमें जानेसे रोका। उसी वक्त और उसी जगह प्रत्येक और सभी कथित अभियुक्तोने या उनमेंसे किसी-न किसीने अन्यायपूवक और गरकानूनी रूपसे उसको पजीयनका प्रार्थनापत्र, जिसे पेश करना सन् १९०७ के अधिनियम २ के[२] खण्ड १, २ और ८ के अन्तर्गत आवश्यक है, न देनेके लिए यह धमकी देकर भडकाया कि यदि उसने पजीयन कराया तो उसको पीटा जायेगा तथा उसका मुँह काला कर दिया जायेगा। अभियुक्तोने अपनेको निर्दोष बताया और और श्री गाधीने उनका बचाव किया। सरकारकी ओरसे श्री ग्राहमने पैरवी की। अदालत भारतीयोंसे खचाखच भरी थी और कई तो प्रवेश पा भी नहीं सके।

१ मूलमें 'वजिन्दार' शब्द आया है।
२ मूलमें 'अधिनियम २०/१९०७ है।

वादीने कहा कि अभियुक्तोंने उससे पंजीयन कार्यालयके बाहर बातकी थी और उसको सलाह दी थी कि हमारे लोग अनुमतिपत्र नहीं ले रहे हैं इसलिए तुम भी उन लोगोंसे सलाह कर लो जो तुमसे अधिक बुद्धिमान हैं। अभियुक्तोंने मुझसे मारपीट कभी नहीं की।

श्री ग्राहमने कहा कि गवाह [लछमन]को विरोधी गवाह माना जाये, किन्तु श्री गांधीने आपत्ति की। वह आपत्ति लिख ली गई और गवाहने कहा कि उसको रिपोर्ट लिखनेके दफ्तरमें ले जाया गया और श्री कोडीने उससे पूछा कि क्या अभियुक्तोंने उसके साथ मारपीट की है। उसने कहा, "नहीं"। श्री कोडीने कहा कि उन्होंने अभियुक्तोंको गिरफ्तार कर लिया है और गवाहने जब यह पूछा कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो उसको बताया गया कि यह उसकी इच्छा थी। गवाहने कहा कि ऐसी बात नहीं है। उसने कहा "ये मेरे देशवासी हैं और गिरफ्तार नहीं किये जाने चाहिए। मैं पासके लिए आया था और जब मुझे पास मिल जायेगा, तब मैं चला जाऊँगा। उन्होंने मेरे साथ मारपीट नहीं की है।"

श्री गांधी : यह प्रिटोरिया पास लेने आया, क्योंकि इससे एक गोरेने कहा था कि यदि यह पास न लेगा तो इसको निकाल दिया जायेगा। उस गोरेने इसके कागजात ले लिये थे और श्री कोडीको भेज दिये थे। यह विटबैंकका धोबी है। यह अपने मनमें सरकारसे भयभीत है और इसीलिए यहाँ आया था। इसको पंजीयन-कार्यालयमें दो गोरे ले गये थे, जो इसे स्टेशनपर मिले थे।

श्री गांधीके जिरह करनेपर एक गवाहने[१] कहा कि उसको सुपरिंटेंडेंट बेटसनने लछमनसे स्टेशनपर मिलने और उसको पंजीयन कार्यालयमें लाने एवं यदि उसको (लछमनको) तंग किया जाये तो उसकी खबर देनेकी हिदायत की थी। वह हिन्दुस्तानी अच्छी तरह जानता है। उसने कोई मारपीट होते नहीं देखा।

श्री ग्राहमने अपनी ओरसे मामला खत्म कर दिया और श्री गांधीने अभियुक्तोंको तुरन्त बरी करनेकी माँग की। श्री ग्राहमने कहा था कि वे मारपीटके आरोपकी पुष्टि नहीं कर सकते और उनको भड़कानेके आरोपपर निर्भर रहना होगा। श्री गांधीने कहा कि मेरे सामने अब कोई मामला सफाईके लिए नहीं है।

श्री मेलर[२] (मुसकराते हुए) : श्री ग्राहम, क्या आप इस आरोपकी पुष्टि करेंगे?

श्री ग्राहम : वस्तुतः मैं इस आरोपपर जोर नहीं देता। मेरे खयालमें मामला काफी मजबूत नहीं है।

श्री मेलर : उनसे कह दें कि वे बरी कर दिये गये[३]।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

१ आल्फ्रेड ऐंडर्सन, केन्द्रीय जेलका सन्तरी। उसने गवाहीमें कहा था कि वह जेलके गवर्नरके निर्देशसे रेलवे स्टेशनपर गया था और वादीसे मिला था। वादीने उसे बताया कि वह पंजीयन करानेके लिए आया है, किन्तु अभियुक्तोंने उसको पीटनेकी धमकी दी है।

२ सहायक आवासी मजिस्ट्रेट।

३ इसके पश्चात् धरनेदारोंको मालाएँ पहनाई गईं और वे जुलूसमें श्री व्यासके घर ले जाये गये, जहाँ श्री ए० एम० काछलिया, मुख्य धरनेदार श्री एम० एल० देसाई, गांधीजी और अन्य लोगोंने धरनेदारोंके वीरतापूर्ण रुखकी प्रशंसा करते हुए भाषण दिये।

२७६. पत्र 'इंडियन ओपिनियन' को[1]

जोहानिसबर्ग
नवम्बर १५, १९०७

सेवामें
सम्पादक
'इंडियन ओपिनियन'

महोदय,

क्या आप मुझे रामसुन्दर पण्डितके[2] मुकदमेके सिलसिलेमें सामने आये कुछ बहुत ही महत्त्वपूर्ण तथ्योंको जनताके ध्यानमें लानेकी इजाजत देनेकी कृपा करेंगे?

एशियाई पंजीयकने स्वीकार किया कि यह उसके कार्यालयका नियम है कि पुरोहितोंको अस्थायी अनुमतिपत्र ही दिये जायें, लेकिन साथ ही यह मूक समझौता भी है कि जबतक वे अपनेको पुरोहिताई तक ही सीमित रखते हैं तबतक अनुमतिपत्रोंकी अवधि, पंजीयकके शब्दोंमें, "जीवनके अन्ततक बढ़ाई जा सकती है।" आगे उसने यह बताया कि हिंदू पुरोहितने पुरोहिताईके अतिरिक्त कुछ और काम भी शुरू कर दिया, इसलिए पंजीयकके विचारमें वह अवधि बढ़वानेके अधिकारका पात्र नहीं रह गया। बड़ी मुश्किलसे मैं समझ पाया कि इस "कुछ और" में पुरोहित द्वारा एशियाई अधिनियमके विरुद्ध प्रचार भी शामिल था। उसकी अन्य "कुचालों" का भी एक धुंधला सा हवाला दिया गया, लेकिन पंजीयकने शिकायतोंके स्वरूप तथा शिकायत करनेवालोंके नाम बतानेसे साफ इनकार कर दिया। उसने यह स्वीकार किया कि पुरोहितको अपने निन्दकोंका मुकाबला करने या उनकी शिकायतोंका जवाब देनेका मौका कभी नहीं दिया गया। दूसरे शब्दोंमें, उसकी बात सुने बिना ही उसे सजा दे दी गई। युद्ध-कालके अलावा ऐसे किसी मनमाने, अनुचित तथा अन्यायपूर्ण कार्यका उदाहरण मुझे नहीं मिलता। इस कानूनके अन्तर्गत एक ऐसे व्यक्तिको, जो — जैसा कि उसने गवाहीके कठघरेमें खड़े होकर स्वीकार किया — उक्त कानूनके विषयमें कुछ नहीं जानता और फलतः गवाहीको तोल सकनेमें सर्वथा असमर्थ है तथा जिसे राजद्रोह और वैयक्तिक स्वतन्त्रतापर चोट करनेवाले कानून-विशेषके सादर तथा वीरतापूर्ण विरोधमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता, स्वतन्त्र तथा निरीह ब्रिटिश प्रजाजनोंपर असीम सत्ता प्राप्त है। वह किन शर्तोंपर धर्म प्रचारकोंको इस देशमें रहने देगा, यह उसकी मर्जीपर निर्भर है, और अगर कहीं वह उनसे नाराज हो गया तो उसे अधिकार है कि वह लगभग तत्काल मन्दिरोंको बन्द कर सम्बन्धित समुदायोंको धार्मिक समाधानसे वंचित कर दे।

और फिर भी एशियाइयोंसे प्रायः पूछा जाता है कि वे एक इतने सीधे सादे कानूनका, जिसका एकमात्र उद्देश्य उपनिवेशमें रहनेवालोंकी पहचान करना है, विरोध क्यों करते हैं।

श्री लिअंग क्विनने जनताका ध्यान एक शोकजनक घटनाकी ओर आकर्षित किया है। बृहस्पतिवारको जर्मिस्टनमें जो कुछ हुआ वह इतना भारी काण्ड था कि मजिस्ट्रेटको कहना

१ इस पत्रका गुजराती अनुवाद २३-११-१९०७ के **इंडियन ओपिनियन**में छपा था।

२ देखिए पृष्ठ ३५२-५६।

पडा कि वह अभियुक्तसे सहानुभूति प्रकट किये बिना नही रह सकता। किन्तु, न्यायालय लाचार था और एक निरीह व्यक्तिको अफसरके पूर्वग्रह, अज्ञान, अयोग्यता तथा उद्धतताकी वेदीपर — ऐसे दुर्गुणोकी वेदीपर जो निश्चय ही घोर रूपसे अ-ब्रिटिश है — बलिदान कर दिया गया।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, २३–११–१९०७

२७७ कैक्सटन हॉलकी सभा

श्री अमीरअली तथा ब्रिटेनवासी मुसलमान ट्रान्सवालके भारतीय समाजके पक्षके समर्थनके लिए उसके धन्यवादके पात्र है। हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी ओरसे भारतीय मुसलमानोको एक सर्वसामान्य पत्र[1] भेजनेका विचार सुन्दर था। समुद्री तारोंसे पता चलता है कि कार्यवाही उत्साहपूर्ण थी और सभामे अनेक प्रमुख यूरोपीयोने भाग लिया था। विचित्र संयोग है कि सभा ९ नवम्बरको, जो सम्राट्का जन्म-दिवस है, हुई। अगर श्री अमीरअली और उनके श्रोताओको यह मालूम होता कि जिस समय वे ट्रान्सवालके पददलित भारतीयोके पक्षमे न्याय और मानवताकी मांग कर रहे थे, उस समय ट्रान्सवाल सरकार एक भारतीय पुरोहितको अपने अत्याचारका शिकार बना चुकी थी, तो न जाने उनकी भावना क्या होती? हमको रायटरसे पता चला है कि एशियाई अधिनियमकी भर्त्सनाके भाषणोके बीच बीचमे "शम शम" और "अशोभनीय" की आवाज गूंज उठती थी। इस महत्त्वपूर्ण सभाकी अवहेलना करनेका एक तरीका यह है कि इसे स्थानीय स्थितिसे अनभिज्ञ लोगोकी राय कहकर टाल दिया जाये। एक दूसरा तरीका यह है कि इसे उस असंतोषका प्रतीक मान लिया जाये जो हजार हजार भारतीयोके हृदयमे व्याप्त है। यदि इसे दूसरे दृष्टिकोणसे देखा जाये तो इस सभामे पास किये हुए प्रस्तावपर ट्रान्सवाल सरकारको हार्दिक और सहानुभूतिपूर्ण ढंगसे गौर करना चाहिए। किन्तु हम यह महसूस करते है कि जबतक साम्राज्यीय सरकार कोई प्रभावकारी कारवाई नही करती, ट्रान्सवालके अधिकारी भारतीयोकी कही हुई हर बात अनसुनी कर देगे, चाहे वे भारतीय कितने भी प्रभावशाली तथा जानकार हो। कुछ भी हो, इस सभाने एक काम तो अवश्य ही किया है कि संसार भरके मुसलमान अब यह महसूस करने लगे है कि उनको महज अपने सहधर्मियोके प्रति ही सहानुभूति नही होनी चाहिए और न महज उनके लिए ही काम करना चाहिए, बल्कि उनको अपना कार्यक्षेत्र हिन्दुओ तक भी बढाना चाहिए। यह एक अच्छा लक्षण है और इससे पता चलता है कि हम उस समयकी ओर बहुत शीघ्रतासे अग्रसर हो रहे है जब जाति तथा धर्मका विचार किये बिना मनुष्य मनुष्यके लिए काम करेगा।

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, १६–११–१९०७

१. देखिए "भारतीय मुसलमानोंसे अपील", पृष्ठ १७९-८०।

२७८ लाजपतरायकी रिहाई

ट्रान्सवालके भारतीयोंके लेने लायक सीख

लाला लाजपतराय तथा उनके सेनापति अजीतसिंह छूट गये है। देश निकाला तो भोगा, किन्तु पजाबके जमीन सम्बधी कानूनको रद करवा दिया है। यह जीत अनाक्रामक प्रतिरोधकी सफलताका जबरदस्त सबूत है। यह ताजा उदाहरण सामने होते हुए भी क्या ट्रान्सवालके भारतीयोमे किसीके डगमगाते रहनेके लिए कारण रहेगा? हम आशा करते ह कि कदापि नही रहेगा। उलटे, जिन्होने अर्जी दी है वे भी यदि लाजपतकी जीतका अथ समझ सकेंगे, तो अर्जी वापस लेनेका अवसर, यानी नये पजीयनपत्र लेने न जानेका अवसर, होनेपर उसे चूकेंगे नही। क्योकि यह तो सब स्वीकार करते है कि एशियाई कानून खराब है। पजीकृत होनेवाले केवल स्वाथसे अधे होकर तथा जेलसे डरकर इस गुलामीके चक्रमे फँसे ह। लाजपतकी विजय बताती है कि डरनेवाले औरते है और हारे हुए है, जबकि लडनेवाले मद और जीते हुए है। आजकल जो लक्षण दिखाई पडते है उनसे भी यह प्रकट होता हे कि लडनेवाले जीते हुए है। शत केवल यह है कि लडना हो तो, जेल और देश निकाला भोग कर भी अततक लडे, और लाजपतका उदाहरण भी यही बताता है। इसलिए ट्रान्सवालके भारतीय "हिदके लाला" के देश-निकालेसे आवश्यक सबक लेगे और उसके अनुसार आचरण करनेके लिए छाती तानकर तैयार रहेगे तो हम बिना किसी सकोचके कहते है कि उन्हे विजय अवश्य मिलेगी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२७९ सम्राट्की सालगिरह

हम मानते है कि महाराज एडवडको उनकी सालगिरहपर भारतीयोकी ओरसे मुबारक-बादीका तार भेजा गया सो ठीक हुआ। हम सच्ची प्रजा है। विवेक हमारी हड्डियोमे रमता है। यदि तार न जाता तो माना जाता कि हम विवेकको भूल गये है। उसमे हमने गलत खुशामद नही की। हमने फायदेके लालचसे तार नही भेजा, बल्कि इसलिए भेजा है कि सम्राटकी मगल कामना करना हम अपना कतव्य समझते है।

फिर भी ऐसा तार क्यो भेजा जाये? हमे सालगिरहके दिन तीन भेटे प्राप्त हुई। रामसुदर पण्डित व्यर्थ पकडे गये। इसमे धमकी हानि हुई। वे हिन्दू है, फिर भी धक्का पूरे समाजको लगा है। हजके लिए जानेको पारपत्र (पासपोट) नही मिलते। जोहानिसबग आदिमे परवाने नही मिलते। मतलब यह कि जब सभी खुशी मना रहे है तब भारतीयोके लिए शोक मनाने जैसा रहा। तब भी क्या हम सालगिरहका तार भेजे?

काग्रेसके भूतपूव तीन अध्यक्षोके मनमे यह विचार उठा, और वह ठीक ही उठा। उन्होने कहा कि यदि तार भेजना ही हो तो हमे उपर्युक्त दुख भी साथमे रोना चाहिए।

उन्होने जो इस तरह आपत्ति की है, उसकी उपेक्षा नही की जा सकती। हमारी भावनाओको कितनी ठेस पहुँची है, यह उसका चिह्न है। इतना होनेपर भी यह गुस्सेकी निशानी है। हमें जो दु ख है, उसमे महाराजका दोष नही है। इलाज हमारे हाथमे है। दु ख आया है तो इलाज भी होगा। वह इलाज ट्रान्सवालके भारतीयोके हाथ है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८० लन्दनमे मुसलमानोकी सभा

अखबारोमे तार छपा है कि यह सभा ९ नवम्बरको लन्दनमे हुई। यह कोई मामूली समाचार नही है। न्यायमूर्ति अमीरअली सभाके अध्यक्ष थे। कई गोरे उपस्थित थे। नये कानूनसे और कोई लाभ न हो तो न सही, हिन्दू-मुसलमानके बीच मेल तो अवश्य बढेगा, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। सभामे यह साफ कहा गया हे कि हिन्दुओके लिए भी मुसलमान हक मागेगे। जो मुसलमान इकटठे हुए थे, वे केवल भारतके ही नही थे। भारतके मुसलमान हिन्दुओके लिए अधिकार मागे, तो यह उनका कर्तव्य ही है, क्योकि दोनो भारतकी सन्तान है। किन्तु विलायतमे रहनेवाले दूसरे देशोके मुसलमान भी उसमे शामिल हुए, यह बहुत ही खुशीकी बात हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८१ भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसका चन्दा

हर वर्ष हम काग्रेसका चन्दा इकट्ठा करते है। वैसा ही इस वर्ष भी होगा। अब हमारी ओरसे प्रतिनिधि जानेवाले हैं, इसलिए आशा है कि काग्रेस निधिके लिए बहुत से भारतीय हमे चन्दा भेजेगे। हम उसकी प्राप्ति स्वीकार करेंगे। लगभग २५ पौड तो जोहानिस बर्गमे जमा हो गये हैं। चन्दा देनेवालोके नाम अगले सप्ताह प्रकाशित करेंगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६-११-१९०७

२८२ बचे हुए मेमन

प्रिटोरियामे ४०, पीटसबगमे २७, पाचेफस्ट्रूममे २०, पीट रिटीफमे ३, इस प्रकार लगभग १०० मेमन बच गये है। इन्हे हम वीर समझते है। उनसे हमारी यह छोटी सी प्राथना है कि अब हिम्मत न हारे और मेमन लोगोकी तथा भारतीय समाजकी नाक रखे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–११–१९०७

२८३ पण्डितजीका जीवन-चरित्र

इतना शोर मचानेवाले भारतीयका इतिहास जाननेके लिए सभी भारतीय उत्सुक होगे। इस अकमे हम उनका चित्र दे रहे है। रामसुदर पण्डितकी आयु तीस वषकी है। उनके पिताजीका नाम कालिकाप्रसाद है। वे पुरोहिताई करते थे। पण्डितजीका जम बनारसमे हुआ था। बनारस सस्कृत पाठशालामे उन्होने हिन्दी और सस्कृतका अध्ययन किया था। इधर नौ वर्षोसे वे दक्षिण आफ्रिकामे पुरोहिताईका काम कर रहे है। उन्होने नेटालमे विवाह किया है और उनकी सतानोमे ढाई वषका एक लडका और एक वषकी एक लडकी है। उनके बाल-बच्चे ग्रेटाउनमे रहते है। सन १९०५मे पण्डितजी ट्रान्सवाल आये। उनके परिश्रमसे जर्मिस्टनमे मदिर बना और सनातन धम सभाकी स्थापना हुई। एशियाई कानूनके सम्बधमे उनके कामको सब भारतीय जानते है। अतमे हम इतना ही चाहते है कि पण्डितजी दीर्घायु हो और निरन्तर समाज-सेवा करते रहे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–११–१९०७

२८४ भारतके लालाजीने क्या किया?

हम मानते है कि लाला लाजपतरायने तो देश-निकाला भोगकर सैर की है, क्योकि उनकी मनोकामना फली है। उन्होने पजाबके भूमि-कानूनके विरुद्ध युद्ध मचाया, न कि अपनी सुख-सुविधाके लिए। वह कानून रद हो गया है। फिर लालाजी चाहे माडलेमे बसे या लाहौरमे, इसकी उनको क्या परवाह हो सकती है? गम्भीरतापूवक बोलना बहुतेरोको आता है। परन्तु उन सबकी बातोपर लोग ध्यान नही देते। लेकिन जो कहा हुआ कर दिखाता है — बोले हुए वचनोका पालन करता है — उसके वचन पागलके समान हो तो भी सब सुनते है। इसी कारण लाला लाजपतरायके भाषणका साराश हम नीचे दे रहे है। इसमे नई बाते नही हैं। फिर भी चूकि वे एक निर्वासित सेवकके विचार है इसलिए जानने योग्य है।

भाइयो, सरकारका कहना है कि यह (पजाबकी) जमीन उसने दी है, इसलिए इसपर हमे उसका अधिकार मानना चाहिए। सवाल यह है कि सरकारको जमीन मिली

कहासे? यह जमीन और ऊपरका आकाश दोनो तो शुरूसे ही है। इसके स्वामी पहले हिंदू थे। बादमे मुसलमान आकर बस गये। हम हिंदू और मुसलमान उन दोनोके उत्तराधिकारी है। तब सरकार हमे बताये कि वह इस जमीनको कैसे छीन सकती है। यह जमीन खुदाकी है। उसने हमे दी है। उसपर [शासन करनेवाला] बादशाह भले हो, परन्तु वह किसी बादशाहके नौकरकी नही है। ऊँची तनख्वाह लेनेवाले अधिकारी हमारे राजा नही, बल्कि नौकर है। वे हमारा नमक खाते है।

हम सोते हुए सिंहके समान है। नीदमे देखकर कोई हमारी पूछ खीचता है, कोई हमपर थूकता है, किंतु यदि हम अपना रुतबा जानते हो तो हमे कोई नही सता सकता। हमारे दुश्मन हिंदू-मुसलमानके बीच बैर करवाना चाहते है, सिक्ख और हिंदुओके बीच दरार डालना चाहते है। उनका बडेसे बडा हथियार है हमारे बीच फिसाद बनाये रखना। प्रत्येक वस्तुमे अपना अपना गुण रहता है। पानी बुझाता है। आग जलाती है। इसी प्रकार विदेशी शासकोका गुण हममे फूट डालकर हमपर अपनी सत्ता कायम रखना है। हमारा गुण यह होना चाहिए कि हम उनके इस हेतुको असफल कर दे। हमारा कतव्य यह है कि हममे यदि कोई देशद्रोही हो तो उसको समाजसे निकाल दिया जाये। हमे वाइसरायके पास जाना चाहिए। इंग्लैंड जाना भी ठीक होगा। और यदि हम सच्चे हृदयसे मान ले कि अधिकारकी लडाईमे हमारे लिए मरना और जीना दोनो एक समान है, तो अधिकारी लोग तुरंत कह देगे, "हा, यह भूमि तो आपकी ही है।"

इस ददका दूसरा कोई इलाज है ही नही। हम संगठित बने और रहे, यही है। यदि सरकार किसीकी जमीन छीनकर जमीनका नया कानून स्वीकार करनेवाले व्यक्तिको देना चाहे, और कानूनको स्वीकार करके जमीन लेनेवाला वह व्यक्ति हममे से ही कोई हो तो उसे हम समाजका दुश्मन तथा दगाबाज समझे। सरकार यदि किसीकी जमीन छीनती है, तो दूसरोके लिए यह शपथ लेना जरूरी है कि वे उस जमीनको नही लेगे। हम मद बने, औरत नही। *यदि आप अपनी शपथपर डटे रहेंगे तो आपको अर्जियाँ नहीं देनी पड़ेंगी। जब आप अपने शास्त्रों अथवा कुरान शरीफकी शपथ लेंगे और आपसमें एक दूसरेके प्रति वफादार रहेंगे तब इस दुनियामें ऐसा कोई नहीं जो आपका अपमान कर सके।*

भारतकी भूमि हिंदूके लिए स्वग है मुसलमानके लिए बहिश्त है। हम करोडो मन अनाज पैदा करते है। फिर भी भारतकी सात करोड सन्तान हमेशा भूखी रहती है।

इस रोगका सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम अपनी प्रतिष्ठाकी रक्षा करें। हजारों मनुष्य प्लेगसे सदा मरते हैं, किन्तु सच्ची मौत वह मरता है जो औरोंके लिए अपनी जान देता है फिर भले वह जेलमें दे या बाहर दे।

लालाजीने माडलेसे जो पत्र लिखा है वह हम आगामी सप्ताहमे प्रकाशित करेगे। वह जानने योग्य है। अपने पाठकोसे हमारा अनुरोध है कि वे उपयुक्त लेखको बार बार पढे तथा अपनी दक्षिण आफ्रिकाकी स्थितिपर इसे लागू करे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–११–१९०७

२८५ रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा

जर्मिस्टनमे विराट सभा

हम पिछल सप्ताहके तारमे बता चुके ह कि रामसुन्दर पण्डित शुक्रवार ८ तारीखको बिना अनुमतिपत्रके ट्रासवालमे रहनेके कारण गिरफ्तार कर लिये गये हैं। वे शुक्रवारको सवेरे स्वय जर्मिस्टनमे अदालतके सामने खडे थे। उस समय खुफिया पुलिसके आदमीने उनका नाम पूछा और अनुमतिपत्र मागा। उन्होने कहा, मेरे पास अनुमतिपत्र नही हे। इसपर खुफियाने उन्हे उसी वक्त पकड लिया। श्री पोलकको मालूम हुआ तो वे तुरन्त जर्मिस्टन गये। श्री पण्डितसे जेलमे मिले। पूछनेपर श्री पण्डितने उत्तर दिया कि *मुझे जमानतपर बिलकुल नहीं छूटना है। मै जेलमें ही रहूँगा।*

जेलमे जेलरने भी जमानतपर छूटनेके लिए उनपर बहुत दबाव डाला। किन्तु उन्होने साफ इनकार कर दिया ओर कहा कि मै अपनी कौमके लिए तथा अपने धमके लिए जेलमे ही रहूँगा।

जेलमे हालत

जेलमे हालत बहुत अच्छी थी। रहने, नहाने धोने आदिकी सारी व्यवस्था उनके लिए कर दी गई थी। पण्डितजीके कथनानुसार, जब वे जेल गये थे तब उन्हे बुखार आता था। अब बिलकुल नही हे। खाने पीनेकी व्यवस्था समाजकी ओरसे की गई थी और दूध तथा मेवा बराबर पहुँचाया जाता था। इन चीजाके अलावा और कुछ खाने से उन्होने इनकार कर दिया।

तारोंकी वर्षा

जेलमे उनके पास बधाईके और हिम्मत बँधानेके बहुत-से तार आये। नेटाल भारतीय काग्रेस, डबन इस्लामिया अजुमन, डबन मेमन समिति, हिदू धम सभा (डबन), पारसी समिति (डबन), व्यास (प्रिटोरिया), सूरत हिन्दू सघ (डबन) के पाससे तार मिले। सभी तारोमे पण्डितजीको धम और भारतीय समाजकी लडाईके लिए जेल जानेपर मुबारकबादी दी गई।

सोमवारको मुकद्मा

मजिस्ट्रेटके सामने सोमवारको मुकदमेकी सुनवाई होगी, इस आशासे बहुत सी जगहोसे नेता लोग आये थे। जोहानिसबगसे मौलवी साहब अहमद मुख्त्यार, श्री ईसप मिया, इमाम अब्दुल कादिर, श्री उमरजी सालेजी, श्री एम० एस० कुवाडिया, श्री जूसब इब्राहीम, श्री अहमद मूसाजी, श्री थम्बी नायडू, श्री पोलक, श्री मुहम्मद खा, श्री गुलाबभाई श्री भट, श्री नारायणजी, श्री नवाबखा, श्री अलीभाई आकुजी वगैरह आये थे। प्रिटोरियासे श्री काछलिया, श्री पिल्ले, श्री व्यास, श्री मणिभाई आदि थे। क्रूगसडॉपसे श्री वाजा, वेरीनिजिंगसे अस्वात वगैरह थे। पुकार होनेके पहले लगभग १५० भारतीय अदालतके दरवाजेपर हाजिर हो गये थे। बहुत-से लोगोके हाथोमे फूलोके हार वगैरह थे। साढे दस बजे श्री गाधीने खबर दी कि मुकदमा

स्थगित हो जायेगा, किन्तु सम्भव है, श्री रामसुन्दर पण्डित बिना जमानतके छूट जायेंगे। इसलिए लोग सड़कपर आतुरतापूर्वक पण्डितजीका स्वागत करनेके लिए खड़े थे।

ठीक ग्यारह बजे पण्डितजीको अदालतमें लाया गया। उनके आते ही अदालत भारतीयोंसे भर गई। सरकारी वकीलने मोहलत माँगी, जिससे प्रिटोरियासे श्री चैमने आ सकें। श्री गांधीने कहा

"मेरे मुवक्किल चार दिनसे जेलमें हैं। वे जमानतपर नहीं छूटना चाहते। वे उपनिवेश छोड़कर जानेवाले नहीं हैं, बल्कि कानूनके अन्तर्गत सजा भोगेंगे। इसलिए मुकदमा आज ही चल सकता है। प्रिटोरियासे गवाहोंकी आवश्यकता नहीं है। इतनेपर भी यदि मुकदमेको स्थगित करना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। किन्तु मेरे मुवक्किलको बगैर जमानतके उनकी ही जिम्मेदारीपर छोड़ दिये जानेकी आज्ञा दे दी जाये।"

सरकारी वकीलने कहा कि बगैर जमानतके छोड़नेके बारेमें मैं अपनी सम्मति नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे मामलेका ज्ञान नहीं है। श्री गांधीने कहा कि श्री पण्डित भागनेवाले नहीं हैं। भागें, यही तो सरकार चाहती है। फिर, ऐसे आदमीके लिए जमानत क्या हो सकती है, जो समाजके लिए ट्रान्सवालमें रहनेका अधिकार जताता हो और इसलिए सरकारके निकालनेपर भी निकलनेवाला न हो?

मजिस्ट्रेटने यह दलील स्वीकार की और पण्डितजीको उनकी जिम्मेदारीपर छोड़ दिया।

"हुर्रे" की आवाज

पण्डितजीके बाहर निकलते ही हुर्रेकी आवाजके साथ सैकड़ों लोगोंने उनका स्वागत किया। फूलोंकी वर्षा की गई और सबने हाथ मिलाये। बादमें बस्तीमें सभा करनेका निश्चय किया गया, इसलिए सब सनातन धर्म सभाके भवनकी ओर चल दिये।

सभा

सभामें श्री लाल बहादुरसिंह द्वारा प्रस्ताव किया जानेपर श्री मौलवी साहब अहमद मुख्त्यार सभापतिके आसनपर विराजमान हुए। मेहमानोंको सभा भवनके अन्दर बैठाकर जर्मिस्टनके लोग बाहर खड़े रहे। मौलवी साहबने भाषण देते हुए कहा कि पण्डितजी बधाईके योग्य हैं। उन्होंने सारे भारतीय समाजकी सेवा की है। जेल सच्चा महल है, यह उन्होंने सिद्ध कर दिया है। समय आनेपर मैं स्वयं भी जेल जानेको तैयार हूँ। मौलवियों और धर्मगुरुओंका कर्तव्य है कि ऐसे दुःखके समय वे लोग आगे बढ़ें।

श्री इमाम अब्दुल कादिरने कहा कि रामसुन्दर पण्डितके उदाहरणसे सबको बहुत हिम्मत बाँधनी चाहिए।

श्री ईसप मियाँने कहा कि सरकारसे किसीको जरा भी डरना नहीं चाहिए।

श्री गांधीने कहा कि अभी तो लड़ाईकी शुरुआत है। इसमें सबसे बड़ी जीत यह है कि हिन्दू-मुसलमान एक होकर सारे समाजके कामके लिए लड़ रहे हैं।

श्री अहमद मूसाजीने पण्डितजीकी तारीफ करते हुए कहा कि वे भी जान रहते पंजीयन नहीं करवायेंगे।

श्री मणिभाईने प्रिटोरिया हिन्दू धर्म सभाकी ओरसे आभार माना।

श्री थम्बी नायडूने कहा, पण्डितजी जेल जायेंगे तभी खरा रंग जमेगा। उनके समान सबको करना है।

श्री कुवाडियाने कहा, हमे कोई डर नही है। सरकार पण्डितजीको कुछ करेगी, यह नही दिखाई देता।

श्री मुहम्मद खाने कहा, मै स्वय स्वयसेवक हूँ, इसलिए जिन्होने स्वयसेवकका काम किया हे उनपर मुझे गव हे।

श्री उमरजीने निम्न लिखित गुजराती दोहा कहा

"हे मा, तू तीन प्रकारके लोगोको ही जन्म देना — दाताको, भक्तको या शूरको। नही तो, तू वन्ध्या ही रहना। व्यथ ही अपना तेज क्यो खोती हे?"[1]

इस सूक्तिके अनुसार, पण्डितजीकी माने शूर पण्डितजीको ज म दिया हे।

श्री अस्वातने कहा श्री पण्डितके उदाहरणसे सबको समझना चाहिए कि पजीयन कार्यालय एक जालके समान है। उसमे किसीको फँसना नही चाहिए।

श्री काछलियाने पण्डितजीका आभार माना और कहा कि प्रिटोरियामे जितने लोग बचे है, वे कभी पजीकृत नही होगे।

श्री अलीभाईने कहा कि अगर प्रिटोरियामे कानमिया स्वयसेवक तयार नही होगे तो वे स्वय वहा खास तौरसे जायेगे।

श्री व्यासने बताया कि पण्डितजीकी हिम्मत खरी उतरी है। उन्होने प्रिटोरियामे रहना स्वीकार किया था।

श्री लाल बहादुर सिहने सब सज्जनोका आभार माना। श्री पोलकने कामना व्यक्त की कि अब पण्डितजीके बाद मौलवी साहबकी बारी आये।

इसके बाद मौलवी साहबने थोडी देर और भाषण देकर सभा समाप्त की।

अ तमे सबको केले, स तरेका नाश्ता और चाय लेमोनेड वगैरह दिया गया।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १६–११–१९०७

२८६ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

बहादुर दर्जी और गोरा व्यापारी

यहाके दर्जियोकी मुसीबतका विवरण इस पत्रमे कुछ तो छप चुका है। किन्तु यह किस्सा इतना महत्त्वपूण हे कि मै और भी अधिक विवरण दे रहा हूँ। श्री टी० आलब्रेटने दर्जियोको निम्नानुसार पत्र लिखा है

> उपनिवेश सचिवके पिछले भाषणसे मालूम होता है कि ट्रान्सवाल सरकारने भारतीयोके लिए अभी-अभी जो कानून बनाया है उसके सामने यदि भारतीय नही झुकेगे तो ट्रान्सवालकी सरकार परवाना नही देगी, कानूनके अनुसार उन्हे गिरफ्तार करेगी और जेल भेजेगी। और आप लोगोने कानूनके सामने न झुकनेकी प्रतिज्ञा की है, इसलिए मौजूदा प्रसगसे बचनेके लिए हमे आपकी मददकी आवश्यकता है। अत हमे खेदपूवक कहना चाहिए कि आपको हमारी दूकानसे जिस मालकी भी जरूरत पडे वह आप नकद कीमत देकर ले तथा चालू खातेकी रकम दिसम्बरके पहले चुका दे।

१ 'जननी जणजे त्रणज जन, दाता भक्त का शूर। नहि तर रहेजे वांझणी, रखे गुमावे नूर।"

> इससे यह न समझें कि इसमें हमारा उद्देश्य कुछ और है। ईश्वर करे कि आपकी अव्यवस्थित स्थितिका परिणाम विजयपूर्ण निकले और समाधान हो जाये। उस हालतमें, हम चाहते हैं, हमारा जैसा व्यवहार चल रहा था वही फिरसे शुरू हो जाये।
>
> आपने हमें व्यापार तथा लेनेदेनमें जो सन्तोष दिया है उसके लिए हम आभारी हैं।

यह पत्र विनयपूर्ण है। इसमें अपमानका भाव नहीं है। फिर भी इसका अर्थ यही है कि यदि दर्जी पंजीयन न करवायें तो उन्हें माल उधार नहीं मिलेगा। इससे दर्जी चिढ़ गये हैं। वे डरपोक होते तो डरके मारे पंजीयन करवानेका विचार करते, किन्तु बहादुर हैं, इसलिए उन्होंने आलब्रेटके मालके सारे नमूने उसके यहाँ फेंक दिये और २१ व्यक्तियोंके हस्ताक्षरसे निम्नानुसार पत्र लिखा

> निवेदन है कि आपका गुजरातीमें लिखा हुआ नोटिस हमें मिला। हम अत्यन्त खेदपूर्वक सूचित करते हैं कि आज, अर्थात् तारीख ७ नवम्बर १९०७, से हममें से कोई आपसे किसी भी प्रकारका लेनदेन नहीं करना चाहता। हम आपसे एक पेनीका भी माल नहीं खरीदेंगे। कारण यह है कि हमने पंजीयन न करवानेकी शपथ ली है। हम उसे, कितनी ही हानि क्यों न हो, कभी तोड़ना नहीं चाहते। आपका जो भी पैसा निकलता है, वह हम सुविधा होते ही चुका देंगे।

इससे आलब्रेट घबड़ाये। बहिष्कार मजबूतीसे जमा। उनकी दूकानपर यह देखनेके लिए एक धरनेदार बैठाया गया कि यदि उनकी दूकानसे कोई आदमी कपड़ा लेकर सीनेके लिए दे तो वे वह काम लेनेसे भी इनकार कर दें। इसपर श्री आलब्रेटने बहुत अनुनय विनय की और निम्नानुसार माफी माँगी

> हमने अंग्रेजी तथा गुजरातीमें अपने ग्राहकोंके नाम जो नोटिस भेजा था उसका उन्होंने यह अर्थ किया है कि हमने उन्हें पंजीयन करानेको और, यदि पंजीकृत न हों तो, केवल नकद व्यवहार करनेको कहा है। इस प्रकारका अर्थ करके वे चिढ़ गये हैं और हमारा बहिष्कार कर रहे हैं।
>
> हमें शायद यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि उनकी भावनाको चोट पहुँचानेका हमारा स्वप्नमें भी इरादा नहीं था। हम समझ सकते हैं कि कानूनके सामने झुकनेके लिए उनपर जरा भी दबाव डाला जाये तो उन्हें गुस्सा आ जायेगा। ब्रिटिश राज्यमें सबको अपनी मर्जीके अनुसार चलनेका अधिकार है। इसलिए हम अपना पत्र और अपनी माँग बिना शर्त वापस लेते हैं, और आशा करते हैं कि भारतीय समाजकी जीत होगी और उसे न्याय प्राप्त होगा। हमारी भावना सच्ची है, यह दिखानेके लिए, और हम अपने ग्राहकोंको चाहते हैं, यह साबित करनेके लिए हम लड़ाईमें सहायतार्थ २५ पौंडका चेक भेज रहे हैं।
>
> हमें आशा है कि बहिष्कार बन्द हो जायेगा। किन्तु वह तो केवल दर्जियोंकी मर्जीपर निर्भर है। बहिष्कारके समाप्त होनेपर हम पहलेके समान व्यापार करके खुश होंगे और उन्हें खुश करनेका प्रयत्न करेंगे। किन्तु हमारे पत्रका इस बातसे सम्बन्ध नहीं है। हमने जो भूल की है उसे सुधारनेके लिए, और हमारा इरादा किसीको चोट पहुँचानेका नहीं था इसलिए यह पत्र लिखा है। हमारा जो पावना है वह हमें आशा है, समयानुसार चुकाया जायेगा।

मेरी जानकारीमे ऐसा क्षमा-याचना पत्र कभी गोराकी ओरसे नही लिखा गया। मैं मानता हूँ कि यह विवेकपूण ओर सन्तोषजनक हे। यह उदाहरण दर्जियोको मान प्रदान करनेवाला हे, ओर सबके शिक्षा लेने योग्य है। गोरासे हम नही डरेगे ता वे माल देना बन्द कर देगे, सो बात नही। ब द कैसे कर सकते है? क्या उन्हे पैसे नही चाहिए? मैने यह भी सुना हे कि इस पेढीने पिछले पाच वर्षोमे भारतीयोके साथ ६०,००० पोडका व्यापार किया है, और उसमे से आजतक केवल २३ पौड ही खोये है। भारतीयोमे प्रामाणिकता होगी तो माल घर बठे मिलगा।

मूसा इस्माइल मियाँ

श्री मूसा इस्माइल मिया हज करने गये है। मै उन्हे बधाई देता हूँ। उनके बडे भाई श्री ईसप मिया समाजकी सेवा करनेका धम काय कर रहे है। इसलिए कहा जा सकता है कि दोनो भाइ इहलोक और परलोककी साधना कर रह है। वे सदा धमनिष्ठ रहे ओर कौमकी सेवा करते रहे। लाखो कमानेसे यह कमाई अधिक बडी हे।

और दगा?

सुना है कि श्री खमीसाकी दूकानमे गुप्त तरीकेसे पजीयन पत्र दिये जाते है। ऐसे पजीयनपत्र नौ दिये जा चुके है। अर्जी नही ली जाती, परन्तु जिसने अर्जी दी हो उसे पजीयनपत्र दिया जाता हे।

कानूने जान ली

एक चीनीने पजीयनपत्र लेनेके बाद शमके मारे आत्महत्या कर ली है। इससे त्रास फैल गया हे। चीनी सघके प्रमुख श्री क्विनने अखबारोमे निम्नानुसार पत्र लिखा है

> एक चीनी द्वारा आत्महत्या की जानेकी खबर अखबारमे छपी है। उसे पढनेके पहले मेरे एक आदमीने मुझे एक पत्र दिया, जो चीनी भाषामे लिखा हुआ था तथा उसपर मरनेवालेके हस्ताक्षर थे। पत्रका अनुवाद इस प्रकार है
>
> > चाऊ क्वाईकी ओरसे चीनी सघके अध्यक्षको, १० नवम्बर १९०७
> >
> > मै इस दुनियाको छोडनेवाला हूँ। इसलिए मैने आत्महत्या क्यो की, यह लोगोकी जानकारीके लिए प्रकट कर देना चाहिए। जबसे मै दक्षिण आफ्रिका आया, घरेलू नौकरका काम कर रहा हूँ। मै हमेशा अपने सेठके घर रहता हूँ। मेरी बोली दूसरे चीनियोकी बोलीसे बिलकुल भिन्न हे। और मेरे देशबन्धुओके साथ मेरा बहुत ही कम व्यवहार है। मेरे सेठने पजीयन करा लेनेकी सलाह दी थी। पहले मैने पजीयन करानेसे इनकार किया। तब मेरे सेठने मुझे नौकरीसे बरखास्त करनेकी धमकी दी। नौकरी छूटनेका डर लगा इसलिए मुझे लाचारीसे पजीयन कराना पडा। किन्तु तबतक मुझे पजीयन करानेसे होनेवाली बर्बादीकी जानकारी नही थी। बादमे मेरे एक दोस्तने आकर मुझे सारी बाते समझाई और कानूनका चीनी अनुवाद मुझे पढाया। तब मुझे मालूम हुआ कि मेरी तो गुलामो जसी हालत हो जायेगी। गुलामी भोगना मेरे और मेरे देशब धुओके लिए कलकरूप है। ये सारी बाते पजीयन करानेके पहले मुझे मालूम नही थी। किन्तु अब पछतावा करूँ तो बेकार है। मै अपने देशभाइयोको कौन सा मुह दिखाऊँ? मुझे आशा है कि मेरी भूलसे मेरे दूसरे देशभाई चेतेगे।

इसके बाद श्री क्विन इसपर निम्नानुसार टीका करते ह

इस पत्रको पढनेके बाद मुझे कितनी पीडा हुई होगी, उसकी आप कल्पना कर सकेंगे। तुरत ही मने अखबार पढा, तो मालूम हुआ था कि चाऊ क्वाईने जैसा कहा था वसा कर डाला। उसकी लाशके लिए मेरे सघने तुरत ही अर्जी दी और अभी मै उसकी दफन क्रिया करमे आ रहा हूँ। उस क्रियाके समय लगभग ७० चीनी सदस्य उपस्थित थे।

मेरे समाजके इस आदमीको धमकी दी गइ थी, इस आरोपको मै बिलकुल गलत कहता हूँ और उसे बिलकुल महत्त्व नही देता। इस खेदजनक घटनाका अथ क्या हुआ? उसे खुले आम कहनेमे मुझे जरा भी सकोच नही है। ऐसे अवसरपर मेरा खून गरम हुए बिना नही रहता। इसलिए मै सोच समझकर यह आरोप लगाता हूँ कि ट्रान्सवाल सरकारने निरपराध मनुष्यका खून करनेके समान काम किया हे, और इसका कारण केवल यही हे कि वह एशियाई था। एशियाई कानून पास हुआ तबसे हम बडी उलझनमे पड गये थे। और अब तो एशियाई कानूनने एक आदमीकी जान ले ली हे। जिस कानूनसे इतनी दु खदायी घटना हो सकती हे, क्या उसे ट्रासवालके गोरे न्यायपूवक चला सकेंगे? अथवा, क्या ट्रासवालके लोग अब भी कहेंगे कि एशियाई कानून कामका हे ट्रासवालके गोरोकी रक्षाके लिए आवश्यक हे, और यदि एशियाई ऐसा मान लेते ह कि एशियाई कानूनसे उनका अपमान होता हे तो इससे हमारा क्या बिगडा? या, अब लोग ऐसा नही कहेंगे? पश्चिमके लोगोको हम सभ्य मानते है, अत वे ऐसा समझेंगे यह हम कैसे मान सकते हैं?

शाहजी साहब

शाहजी साहबका मुकदमा बुधवारको अदालतमे आया था। सैकडो भारतीय उपस्थित थे। श्री मुहम्मद शहाबुद्दीनने मुकदमा वापस लेनेका बहुत प्रयत्न किया, किन्तु वैसा हो नही सका। उन्होने बयान देते हुए कहा कि उनका विचार फरियाद करनेका नही हे। धमका खण्डन करनेके कारण शाहजी साहबने मारा, किन्तु वह उस मारको अपने बापकी मारके समान समझता है। अदालतने शाहजी साहबको चेतावनी देकर छोड दिया।

व्यास और दूसरे धरनेदार पकडे गये

श्री गौरीशकर व्यास, श्री लछमन तथा श्री शरफुद्दीन धरना देते हुए पकडे गये ह। उन सबको बिना जमानतके छोड दिया गया है। उन्होने जमानत देकर छूटनेसे इनकार किया। मुकदमा १५ तारीखको होगा। प्रिटोरियामे शोरगुल मचा हुआ हे। सब जोशमे हैं। उनके लिए बधाईके तार गये हैं।

गोरोमे खलबली

गोरोमे अब खलबली मची हुई हे। कुछ गोरे सरकारके पास शिष्टमण्डल ले जाना चाहते हैं। विशेष खबर बादमे देनेकी आशा है।

काग्रेसके लिए प्रतिनिधि

श्री ईसप मियाकी अध्यक्षतामे बुधवारको ब्रिटिश भारतीय सघकी बैठक हुई थी। बहुत से सदस्य उपस्थित थे। श्री फैंसी, श्री कुवाडिया, श्री काछलिया, श्री अहमद मूसाजी, श्री मौलवी

साहब अहमद मुख्त्यार, इमाम अब्दुल कादिर और श्री गांधी आदिने भाषण दिये। बादमें श्री उमर हाजी आमद झवेरी, अमीरुद्दीन मुहम्मद हुसेन फजदार श्री हाजी इब्राहीम अहमद दीनदार, श्री अहमद सालेजी कुवाडिया, श्री सुलेमान मुदजी कासिम तथा श्री पीरन मुहम्मदको सूरत कांग्रेसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। उसी समय कांग्रेसके चन्देकी वसूली शुरू की गई। श्री अमीरुद्दीनने भाषण देते हुए खूब प्रयत्न करनेका कहा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–११–१९०७

२८७ डर्बनमें दीवाली-महोत्सव

ग्रे स्ट्रीटमें श्री अब्दुल लतीफके मकानमें दीवालीका त्यौहार मनानेके लिए हिन्दुओंका एक सम्मेलन हुआ। मकान अच्छी तरह रोशनीसे सजाया गया था और वादक इत्यादि भी बुलाये गये थे। मुहूर्तके अनुसार सरस्वती-पूजन होनेके बाद केशवलाल महाराजने दीवाली-महात्म्य पढ़कर सुनाया। श्री अम्बालालजीने आशीवचनके श्लोक सुनाये। उसके बाद सम्मेलनकी समितिका एक शिष्टमण्डल श्री गांधीको लेनेके लिए स्टेशन गया। लगभग साढ़े सात बजे श्री गांधी आये। उनके साथ सेठ अब्दुल करीम रुस्तमजी सेठ सेठ दाउद उस्मान इत्यादि भी पधारे थे। श्री अम्बारामने देश-सेवापर प्रभावशाली भाषण दिया। श्री गांधीने ट्रान्सवालके भारतीयोंकी स्थिति बताते हुए कहा कि आज तो ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी होली है, और जब वे संघर्षमें जीतेंगे तभी उनकी वास्तविक दीवाली कहलायेगी। श्री गांधीने ट्रान्सवालमें भारतीयोंकी स्थितिका विस्तारसे चित्रण किया और उससे सभी श्रोताओंमें गम्भीर भावना जाग्रत हुई। बादमें सेठ अब्दुल करीम श्री पारसी रुस्तमजी आदिने भी भाषण दिये। उसके बाद ट्रान्सवालकी मददके लिए थाली घुमाई गई, जिसमें पांच पौंडसे ऊपर रकम आई। तदुपरान्त प्रसाद इत्यादि बांटा गया और फिर संगीतके बाद सभा विसर्जित हुई।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १६–११–१९०७

२८८ भाषण हमीदिया इस्लामिया अजुमनमे

[जोहानिसबग
नवम्बर १७, १९०७]

इसके बाद श्री गाधीने डबनसे प्राप्त श्री हाजी हबीबका उत्साह देनेवाला पत्र पढा। बादमे उन्होने जेलके बारेमे, अखबार बेचनेवालोकी हडतालके बारेमे तथा प्रिटोरियाके धरनेदारोके मुकदमेवाले लछमनके सम्बन्धमे हकीकत बताई। आग उन्होने कहा कि श्री हास्केन, जो प्रिटोरियाकी सभामे हमे समझानेके लिए आये थे, आज सरकारको समझानेकी तजवीज कर रहे है। नेटालके सेठ पीरन मुहम्मद इस जहाजसे भारत नही जा सके। श्री रिच विलायतमे बहुत श्रम कर रहे है, उन्हे व्यक्तिगत खचके लिए अनुमति देनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके लिए श्री फन्सी चन्दा इकटठा कर रहे है, प्रत्येक सज्जनको चाहिए कि उन्हे यथा शक्ति चन्दा दे। पण्डितजीके मुकदमेके बारेमे श्री स्मटस फिरसे जाच कर रहे है, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार कितनी डर गई है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२८९ पत्र भारतके वाइसरायको

डबन
नवम्बर १८, १९०७

सेवामे
परमश्रेष्ठ वाइसराय महोदय, [भारत

श्रीमान् लाड महादय,]

हम आपकी अनुमतिसे इसके साथ उन प्रस्तावो और तारकी प्रतिया भेज रहे है, जो रामसुन्दर पण्डित नामक एक हिन्दू पुरोहितके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए काग्रेस भवन, पाइन स्ट्रीट, डबनमे आयोजित आमसभामे सवसम्मतिसे पास और स्वीकृत किये गये है। रामसुन्दर पण्डितको ट्रान्सवालके जर्मिस्टन नगरमे नये एशियाई अध्यादेशके अन्तगत एक मासकी सादी कैदकी सजा दी गई है।

इस अभियोगका न्याय-विरोधी रूप लॉड महोदयके सम्मुख प्रत्यक्ष है और लाड महोदयकी व्यक्तिगत सहानुभूतिका विश्वास रखते हुए हम सादर निवेदन करते है कि भारत सरकार

दक्षिण आफ्रिकाके ब्रिटिश भारतीयोको, जो तिरस्कृत और अपमानित किये जा रहे हैं, अपना सरक्षण और समथन दे। हमे विश्वास हे कि हमारे निवेदनपर ध्यान दिया जायेगा।

आपके, आदि,

दादा उस्मान

एम० आगलिया

सयुक्त अवैतनिक मन्त्री,

नेटाल भारतीय काग्रेस[1]

[सलग्न पत्र]

गुरुवार, १४ नवम्बर, १९०७ के साय नेटाल भारतीय काग्रेसके तत्त्वावधानमे आयोजित भारतीयोकी सावजनिक-सभामे निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किये गये।

नीचेके तारकी प्रति भी पास और स्वीकृत की गई। सभामे तय किया गया कि इसकी प्रतियाँ महामहिम सम्राट्के उपनिवेश मत्री और ट्रान्सवालके माननीय उपनिवेश सचिवको भेजी जाये।

प्रस्ताव स० १ — वफादार ब्रिटिश भारतीयोके प्रति ट्रासवालका विधान मण्डल जो अयाय और कठोरता बरत रहा हे उसको सुनकर नेटालकी भारतीय आबादीके प्रतिनिधि भारतीयोकी इस सभाको गहरा दु ख हुआ है।

प्रस्ताव स० २ — यह सघ निश्चय करता हे कि रामसुदर पण्डित और उनके परिवारको सहानुभूतिके पत्र तथा तार भेजे जाये और अपने समाजकी आध्यात्मिक आवश्यकताओकी पूर्तिके निमित्त अपने लिए पुरोहितके अधिकार प्राप्त करनेके उद्देश्यसे उन्होने जो रुख अख्तियार किया हे उसपर उनको बधाई दी जाये। आगे यह निश्चय किया जाता है कि नेटाल भरमे एक दिन कारोबार बद रखा जाये और इसको कायरूप देनेके लिए शनिवार, १६ तारीखको सब भारतीय दूकाने और व्यावसायिक स्थान बन्द रखे जाये, ताकि ट्रान्सवालमे भारतीयोके ऊपर जो निर्योग्यताएँ लगी हैं वे अधिक व्यावहारिक रूपमे दज हो सके। यह सभा हिदू समाजके साथ, उसके एक आध्यात्मिक नेता और मागदशकसे वचित कर दिये जानेपर, हार्दिक सहानुभूति प्रकट करती है और यह सोचकर दु ख अनुभव करती है कि कोई सरकार हिन्दुओको धार्मिक माग दशकसे वचित करके उनके धार्मिक कृत्यो और सस्कारोके उचित सम्पादनमे परोक्ष रूपसे हस्तक्षेप करनेका अविवेक दिखाये। इन प्रस्तावोकी प्रतिया उपनिवेश मन्त्री, ट्रान्सवाल-सरकार तथा ब्रिटेन और भारतके समाचारपत्रोको भेजी जाये।

तार नेटालके भारतीय रामसुन्दर पण्डितकी गिरफ्तारी और सजाका सादर विरोध करते हैं। यह एक ब्रिटिश उपनिवेशमे ब्रिटिश भारतीयोकी निजी स्वतन्त्रता और उनके धममे अनुचित हस्तक्षेप है। ब्रिटिश सरकारसे साम्राज्य हितके लिए हस्तक्षेपकी प्राथना है।

[अग्रेजीसे]

इडिया ऑफिस रेकड्स जे० ऐड पी०, ५९८/०८

१ मूलमें हस्ताक्षर सलग्न पत्रके नीचे दिये गये है।

२९० ट्रान्सवालके भारतीयोको सूचना

जोहानिसबग
बाक्स ६५२२
नवम्बर १९, १९०७

सघके आकडोसे[1] सभी भारतीयोने देखा होगा कि सघके पास इस समय बहुत कम पैसा हे और सघष जबरदस्त हे। यद्यपि बहुत-सा काम बिना दामके हो जाता है, फिर भी कुछ तो खच होना ही है, और होता है। तार दिये जाते हैं, सैकडो पत्र लिखे जाते हैं, बहुत सा टकनका काम होता हे कुछ छपाई होती है और अखबारोमे खच होता हे। ये सारे खच छोटे ह, फिर भी विचार करे तो कुल मिलाकर काफी खच हो जाता हे।

बहुत से शहरोमे थोडा बहुत च दा हुआ है, कि तु वह रकम सघको नही भेजी गई। जिनके पास रकम इकटठी हुइ हो, उ हे तथा दूसरे भारतीयोको भी चाहिए कि जैसे बने वैसे, जल्दी ही रकम सघको भेज दे। यह हमारी प्राथना हे। हरएकको बदस्तूर पहुँच भेजी जायेगी। हम आशा करते है कि इस विषयमे कोई ढील नही होगी। यदि पैसा व्यक्तिश भी भेजा गया, तो स्वीकार किया जायेगा। इतना ही।

ईसप मियाँ, अध्यक्ष
कुवाडिया, खजाची
मो० क० गाधी, मन्त्री

[गुजरातीसे]
इडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२९१ पत्र मणिलाल गाधीको

जोहानिसबग
नवम्बर २१, १९०७

प्रिय मणिलाल,

मेरा खयाल है, मने तुम्हे पहले कभी अग्रेजीमे नही लिखा। आज मुझे लाचारीसे गुजरातीके बजाय अग्रेजीमे लिखना पडता है। मै आज 'रामायण' और सशोधित[2] 'गीता' भेज रहा हूँ। 'रामायण' की जिल्द ठीकसे बँधवा लो। ध्यान रखो कि वह फिर खराब न हो। किताबो और दूसरी चीजोको[3], जो तुम्हारे पास हो, तुम्हे सावधानीसे काममे लाना सीखना चाहिए। अगली बार वहा जानेपर तुम्हारी परीक्षा लेकर सतोष प्राप्त करनेकी आशा रखता हूँ। तुम्हे जेलवाले भजन[4] जबानी याद होने चाहिए। मगनलालको चाहिए कि वे एक भजन

१ देखिए परिशिष्ट ७।
२ छन्दबद्ध ?
३ मूल अग्रेजीमें जो शब्द आया है उसका अर्थ होगा 'आसान चीज" या "आसान बात'
४ यह गुजरातीमें "जेलना काव्यो शीर्षकसे छपा था।

मण्डली तैयार करे। ऐसे काममें यदा कदा थोडा समय लगा देनेमें कोई दिक्कत नही होनी चाहिए। तुम उन्हें यह सुझाव दे सकते हो। यह पत्र उन्हें पढकर सुना दो। 'रामायण' का क्या उपयोग करनेका विचार है, सो लिखना। उसका अर्थ कौन बतायेगा, या तुम्हारा विचार[1] छन्दोको बिना समझे पढनेका है?

तुम्हारा शुभचिन्तक,
मोहनदास

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रति (सी० डब्ल्यू० ८२) से सौजन्य सुशीलाबहन गाधी।

२९२ पत्र गो० कृ० गोखलेको

जोहानिसबर्ग
नवम्बर २२, १९०७

प्रिय प्रोफेसर गोखले,

मैंने आपके नाम श्री अमीरुद्दीन फजदारके हाथ एक पत्र[2] भेजा है। श्री फजदार ट्रान्सवालके एक प्रतिनिधिके रूपमें सूरत कांग्रेसमें भाग लेंगे। क्या मैं आपका ध्यान इस बातकी ओर आकर्षित कर सकता हूँ कि हम यहा जिस सघर्षसे होकर गुजर रहे हैं, उसके परिणामस्वरूप हमने यह अनुभव किया है कि हम भारतीय पहले हैं और हिन्दू, मुसलमान, तमिल पारसी आदि पीछे। आप यह भी देखेंगे कि हमारे सब प्रतिनिधि मुसलमान हैं। मुझे स्वय इस बातसे प्रसन्नता है। और यह भी हो सकता है कि वहा कांग्रेसमें भाग लेनेवाले ऐसे बहुत से मुसलमान हो जायेंगे जिनके सम्बन्ध दक्षिण आफ्रिकासे रहे हैं। क्या मैं आपसे यह अनुरोध कर सकता हूँ कि आप उनके सम्बन्धमें दिलचस्पी लें और उनको पूरा आराम दें? हो सकता है, हिन्दू मुस्लिम एकता इस कांग्रेसकी एक विशेषताके रूपमें सामने आये। सघर्षके शेष समाचार आप समाचारपत्रोंसे जानते ही हैं।

आपका हृदयसे
मो० क० गाधी

गाधीजीके हस्ताक्षरयुक्त टाइप की हुई मूल अंग्रेजी प्रतिकी फोटो-नकल (जी० एन० ४१०९) से।

१ मूल अंग्रेजीमें यहाँ जो शब्द आये हैं उनका अर्थ होगा 'तुम्हारा उद्देश्य'।
२ देखिए "पत्र गो० कृ० गोखलेको" पृष्ठ ३५७।

२९३ पत्र 'ट्रान्सवाल लीडर'को

[जोहानिसबग
नवम्बर २३ १९०७ के पूव]

[सम्पादक
'ट्रान्सवाल लीडर'
जोहानिसबग

महोदय,]

मुझे अपने साथी पुरोहित रामसुदर पण्डितके मुकदमेमे उपस्थित होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक खयाल मेरे दिमागमे जोरसे आया कि ट्रासवालके कानूनोमे जरूर ही कोई बुनियादी खराबी है। जैसा कि अब हर कोई जानता है, मैंने इमाम कमालीकी उस कारवाईसे, जिसे मैंने कुरानकी हिदायतके खिलाफ समझा, गुस्सा होकर उसको पीटा था। मुझे इसपर ५ पौड जुर्मानेकी या कदकी सजा दी गई। एक बेरहम दोस्तने, जो अपनी शराफतकी वजहसे अपनेको मेरा शागिद बताता है, जुर्माना दे दिया और मै जेलसे बच गया। मैंने फिर मुहम्मद शहाबुद्दीनको पीटा, जिसने अपने बयानमे मजूर किया कि उसने अपनी कुरानकी कसम तोडी है और यह कहा कि उसको पीटनेमे मेरा खयाल वैसा ही था जैसा बापका बेटेके लिए होता है। इसलिए मुझे मेहरबान अदालतने यह चेतावनी देकर छोड दिया कि मुझे किसी भी वक्त सजाके लिए बुलाया जा सकता है।

रामसुन्दर पण्डितने, जहातक मै जानता हूँ, और मै उनके बारेमे कुछ जानता हूँ, कभी किसीको नही पीटा, फिर भी उनको एक महीनेकी कैदकी सजा दे दी गई, क्योकि उनके पास — एक ब्रिटिश प्रजाके पास — कागजका वह टुकडा न था जिसमे उनको एक ब्रिटिश उपनिवेशमे अपने देशभाइयोकी धार्मिक आवश्यकताएँ पूरी करनेका अधिकार दिया गया होता।

मने हमेशा जैसा समझा है उसके मुताबिक यदि कोई आदमी जेलके लायक था तो वह मै था, और फिर भी किसीके लिए यह सम्भव हो सका कि वह मेरे लिए उस चीजको खरीद ले जो उसकी नजरोमे मेरी आजादी थी, जब कि रामसुन्दर पण्डितको लाजिमी तौरपर एक महीनेके लिए उन लोगोके ससगसे, जिनसे उन्हे हर रोज मिलनेकी आदत थी, लगभग बिलकुल अलग कर दिया गया और उनके धार्मिक कामसे उनका सम्बन्ध तोड दिया गया। इस खयालसे मै बिलकुल काँप उठता हूँ। मै महसूस करता हूँ कि मै जेलमे हूँ और रामसुदर पण्डित आजाद है। खुदा उनको चैन और हिम्मत दे।

[आपका, आदि,
मुहम्मद शाह]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२९४ पण्डितजीकी देश-सेवा

यही माना जायेगा कि रामसुन्दर पण्डितने जेल जाकर जो सेवा की है वैसी सेवा जेलके बाहर रहनेवाले भारतीयोंने, फिर वे कितने ही बड़े क्यों न हों, नहीं की। पण्डितजीने हमारी स्वतन्त्रताका दरवाजा खोल दिया है। उस रास्तेसे हम सब प्रवेश कर सकते हैं। कांग्रेसके अध्यक्षका कहना है कि पण्डितजीने जेल जाकर उसे पवित्र कर दिया है। यह बिल्कुल ठीक है। जितने निरपराध लोग जेलमें जाते हैं उसे उतना ही पवित्र करते हैं।

पण्डितजी और उनके कुटुम्बको हम भाग्यशाली समझते हैं। उनका नाम आज सारे दक्षिण आफ्रिकामें गाया जा रहा है और भारतमें भी गाया जायेगा। यह सच्ची सेवाकी तासीर है। पण्डितजीने निडर होकर अपने जीवनका सुख देश-सेवापर न्योछावर किया है। इसे हम सच्ची सेवा मानते हैं।

अब समाज क्या करेगा? इस प्रश्नका उत्तर एक ही है। पण्डितजीको जेल भेजनेके बाद जो भी व्यक्ति खूनी कानूनके सामने झुकेगा उसे हम मनुष्य नहीं कह सकते। हमने जो युद्ध छेड़ा है वह खेल नहीं है। यह कोई दाल भातका कौर नहीं है। जो विजय प्राप्त करनी है वह मामूली नहीं है। विजयके हिसाबसे हमें कष्ट भी उठाना होगा। सरकारको जबतक विश्वास नहीं हो जाता कि हम दृढ़ हैं, बाहरी दिखावा नहीं कर रहे हैं, तबतक और उतने लोगोंको जेल भोगना पड़ेगा।

निर्वासित करनेकी जो बात सरकार कर रही थी वह झूठ है, यह इस मामलेसे प्रकट हो गया है। डरे हुए भारतीयोंको यह बात अच्छी तरह ध्यानमें रखनी चाहिए।

पण्डितजीके मामलेसे सबसे बड़ा लाभ हमें यह दिखाई देता है कि हिन्दू मुसलमान दोनों कौमोंके बीच दृढ़ एकता हो गई है। हर व्यक्ति समझ गया है कि यह काम हम सारे भारतीयोंके लिए है। इस लड़ाईका और इस मामलेका यदि इतना ही फायदा माना जाये तो हम उसे काफी समझते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–११–१९०७

२९५ धरनेदारोंका मुकदमा

प्रिटोरियामें गिरफ्तार किये गये स्वयंसेवकोंके मुकदमेमें हमें अनपेक्षित विजय मिली है। उन्हें गवाही भी न देनी पड़ेगी, ऐसी आशा किसीको नहीं थी। इसके अलावा उस मुकदमेमें सरकारी गवाहने ही स्वीकार किया कि लछमनपर किसीने हाथ नहीं उठाया था। इस मुकदमेसे सिद्ध होता है कि सरकारका बल बिलकुल क्षीण हो गया है। इसीलिए वह हाथ पाँव मार रही है। अब उसीके अखबार उसपर हँस रहे हैं।

धरनेदारोंने जो हिम्मत दिखाई है, आशा है वैसी ही हिम्मत दूसरे भी दिखायेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३–११–१९०७

२९६ काग्रेसके लिए प्रतिनिधि

ट्रासवाल ब्रिटिश भारतीय सघने [भारतीय राष्ट्रीय] काग्रेसमे प्रतिनिधि भेजनेका जो निणय किया हे, वह उचित हे। यहाके पाच प्रसिद्ध व्यापारी काग्रेसमे जाकर पुकार करेगे, उसका अच्छा प्रभाव पडे बिना रह ही नही सकता। इसके अलावा वह पुकार होगी भी ठीक समयपर — यानी जब ट्रासवालमे बहुत-से भारतीय जेलका मजा लूट रहे होगे तब।

प्रतिनिधियोपर जबरदस्त जिम्मेदारी हे। उन्हे सारे भारतमे आवाज उठानी चाहिए। श्री अमीरुद्दीनपर, जो यहासे सब कुछ देखकर जा रहे है, सबसे बडी जिम्मेदारी हे। काग्रेसका अधिवेशन समाप्त हो जानेके बाद भी उन्हे बहुत काम करना हे।

अगले अकमे हम श्री अमीरुद्दीनका फोटो देनेका विचार कर रहे है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २३–११–१९०७

२९७ केपके भारतीय कब जागेगे ?

हम बार बार कह चुके ह कि केपके भारतीयोका जागना बहुत जरूरी हे। केपमे भारतीय परवानेको रोकनेके लिए कितनी तजवीज की जा रही हे, उसका विवरण हमने पिछले अकमे दिया था। उसके आधारपर हम केपके भारतीयोसे एक बार फिर पूछते है कि आप कब तक सोते रहेगे ? अभी कुछ ही समय पहले हमे कहना पडा था कि केपमे प्रवासी कानूनका जुल्म भारतीयोकी लापरवाहीके कारण हो रहा है। उसके बाद वहा कुछ हलचल दिखाई पडी थी, लेकिन जान पडता हे, वह फिर बन्द हो गई हे। आव्रजनकी बीमारीका इलाज अभी हुआ ही नही था कि परवानेकी बीमारी घूर घूरकर देखने लगी है। हमे कहना पडता है कि सर्वोच्च न्यायालयमे जानेका हक छिन गया, उसकी जिम्मेदारी भी बहुत-कुछ भारतीयोपर हे। उसके बारेमे नेटालकी हालत देखकर केपवालोको सरत लडाई लडनी चाहिए थी। किन्तु वह नही हुआ, यह अफसोसकी बात है। कानून जब ससदमे था तब उन्हे नीद घेरे रही। दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके मनमे यह बात बैठ जानी चाहिए कि इस देशमे आकर नीदमे पडे रहनेसे काम नही चलेगा। हम हथियार बन्द फौजके बीच पडे हुए है। सभी लोग हमारे विरुद्ध है। हम आलस्यमे पडे रहेगे और अपने समाजको नही सँभालेगे तो भविष्यमे हमारा और हमारे समाजका बुरा हाल हो सकता हे। इसलिए हम केपके भाइयोसे एक बार फिर कहते है कि वे आजसे इस सम्बन्धमे सावधान हो जाये, नही तो जो दुश्मन हर रोज आपको सताया करते है तथा जो जडमूलसे उखाडनेपर तुले ह वे आपको भी, जैसा ट्रान्सवालमे आज हो रहा है, उस हालतमे न पहुँचा दे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २३–११–१९०७

२९८ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा

एक प्रश्न उठाया गया है कि यह मुकदमा नये कानूनके अ तगत चलाया गया था या पुरानेके अ तगत। कि तु इसका हल आसानीसे हो सकता है। उनके सम्मन्समे ही नये कानूनकी १७ वी उपधाराका उल्लेख था, ओर यदि वह उपधारा लागू नही होती तो पण्डितजी का बचाव अ य तरीकेसे किया जा सकता था। इसके अलावा, इस "चिटठी के पाठक जानते है कि पण्डितजीने अपने पत्रमे बताया था कि नये कानूनके अ तगत वे मीयादी अनुमतिपत्र भी नही ले सकते। अत मेरी रायमे यह मुकदमा नये कानूनके अ तगत ही नही है। यही नही, यह हमे बहुत दृढ करनेवाला भी है। क्योकि इसमे काननकी बहुत सी दलीलोका समावेश हो गया है, इसमे धमपर हमला हुआ है। इसके अलावा, यह भी जाहिर हो गया है कि अनुमतिपत्रकी अवधि न बढानेका कारण कितनी बेहूदगीसे भरा हुआ था। और चाहे जो कहे पण्डितजी एक नेता माने जाते ह, इसलिए नेतापर हाथ डाला गया है। फिर, वे धमगुरु ह, इसलिए किसीके बीचमे आनेवाले आदमी नही ह। इन सारी बातोको देखते हुए साफ है कि यह मामला बहुत ही सबल है। गोरोके मनपर भी ऐसी ही छाप पडी है।

'प्रिटोरिया न्यूज'की टीका

इसपर टीका करते हुए 'प्रिटोरिया न्यूज' लिखता है [१]

> पण्डितजीके अनुमतिपत्रकी मियाद न बढाने तथा उसके द्वारा हि दुओको धमगुरुसे वचित करनेमे सरकारने कोई बुद्धिमानी नही बरती। सारी हकीकतको देखते हुए यदि श्री स्मट्स अपनी धमकीको पूरा करना चाहते हो तो भारतीय कौमको अपने धम गुरुओकी जरूरत पडेगी। हमे लगता है कि सरकारने भूल की है। लोगोको दु खी करना ठीक नही है। आज श्री पण्डितको दु ख पाया हुआ कहा जा सकता है। उनका खयाल है कि उ होने जो किया है, वह उचित है। उनके सभी भाई उनका स्वागत करते है। ऐसा करनेमे सरकारको क्या लाभ हुआ, यह हमारी समझमे नही आता।

अब हमने देखा है कि पण्डितजीके मुकदमेसे गोरोकी सहानुभूति भी भारतीयोकी ओर खिची है। वह मुकदमा इतना महत्वपूण माना गया है कि यहाके अखबारोने उसे बहुत जगह दी है।

विशेष सहानुभूति

श्री फिलिप्स जोहानिसबगके प्रसिद्ध व्यक्ति है। वे स्वय पादरी है और पादरी समाजके प्रमुख ह। उन्होने अखबारमे एक पत्र लिखा है। वह जानने योग्य है। उन्होने भारतीयोकी स्वेच्छया पजीयन करवानेकी बातको स्वीकार किया है और सरकारसे स्वीकार करनेकी सिफारिश की है। वह पत्र हमने दूसरी जगह दिया है।[२]

१ मूल अग्रेजी टीका २३-११-१९०७ के **इंडियन ओपिनियन**में उद्धृत की गई थी।

२ यहाँ नही दिया जा रहा है।

इसके अलावा, श्री मकिटायरने 'लीडर' मे लिखा है कि यहा दस अँगुलियोकी छाप तो केवल अपराधियोसे ही ली जाती है। और यदि सरकार दस अगुलियोकी छापकी बात छोड दे तो उसे हर वष ५०० पौडका लाभ होगा। इस प्रकार चारो ओरसे मदद मिलने लगी है। स्वेच्छया पजीयन स्वीकार हो और दस अँगुलियोकी बात रद हो जाये, तब तो मागा हुआ मिल गया, यही माना जायेगा।

प्रिटोरियाके धरनेदारोका मुकदमा

इस मुकदमेकी टीका करते हुए 'प्रिटोरिया न्यूज' लिखता हे कि

> यदि पण्डितजीके मुकदमेसे सरकारको नुकसान हुआ है, तो फिर धरनेदारोके मुकदमेसे और भी ज्यादा हुआ है। उस मुकदमेमे साफ कहा गया हे कि धरनेदारोने तनिक भी धमकी नही दी, सरकार ही स्वय लोगोको डराकर पजीकृत करती है। इन लक्षणोको देखते हुए भी यदि कोई भारतीय काला मुह करता है तो उसे भारतीय माना ही नही जा सकता।

हडताल

पण्डितजीको जेलकी सजा हो जानेके बाद ट्रासवालमे सब जगह दूकाने बन्द रही। फेरीवालोने फेरी नही लगाई। अखबार बेचनेवालोने अखबार बेचना बन्द रखा और नुक्सानकी परवाह नही की। मालिकोने अखबार बेचनेवालोको दूसरे दिन अखबार देनेसे इनकार किया। ग्राहक नाराज हुए। आखिर अखबारवालोको ग्राहकोके नाम विनतीपत्र लिखना पडा, और अब भी कठिनाई पूरी तरह हल नही हुई। इस तरह जब एक ओर लोगोका सारा समुदाय कष्ट उठानेको तैयार हुआ तब ऑफटनमे श्री कमालखा नामक एक व्यापारीने अपनी दूकान खुली रखी। वैसे ही हाइडेलबगमे श्री खोटा, श्री अबुमिया कमरुद्दीन तथा श्री आदम मामूजी पटेलने अपनी अपनी दूकाने खुली रखी। इससे सारा भारतीय समाज बहुत ही क्षुब्ध हुआ है।

गद्दारोको शाबाशी

श्री खमीसा और उनके भाईबन्दके बारेमे मुझे कडवी बाते लिखनी पडी है। इस बार उनकी प्रशसा करनेका अवसर मिला है, इसलिए मुझे खुशी हे। श्री खमीसा और दूसरे सब लोगोने, जिन्होने अपने हाथ मुह काले किये है, समाजके लिए दूकाने बन्द की थी। पीटसबगमे भी सबने वैसा ही किया। इस बातसे प्रकट होता हे कि लकडी पीटनेसे पानी नही फटता। एक देशके आदमी एक दूसरेके बिलकुल विरोधी बन जाये, यह कभी नही हो सकता। स्वाथ रूपी जहर जब निकल जाता हे तव कौमी हमदर्दी हुए बिना नही रहती।

चैमनेके चोचले

कुछ लोगोसे अच्छा काम हो ही नही पाता। श्री चैमनेकी इस समय ऐसी ही हालत है। किसी भी बहाने हमे परेशान करके वे भाईसाहब हमसे पजीयनपत्र लिवाना चाहते है। उनका नया चोचला यह है कि अब वे पोर्तुगीज राज्यके साथ उन्होने व्यवस्था की है कि जिन्होने पजीयन-पत्र न लिया हो उन्हे परेशान किया जाये। पोतुगीज वाणिज्यदूतके कार्यालयमे यह नोटिस चिपकाया गया है कि डेलागोआ बे होकर भारत जानेवाले भारतीयोको डेलागोआ बे जानेका पास तभी मिलेगा जब वह नया पजीयनपत्र बतायेगा। और यदि नया पजीयनपत्र न दिखाये तो

भारतीय यह लिख दे कि वह भारतसे ट्रान्सवाल वापस नही आना चाहता। यह बात केवल परेशान करनेके लिए है। इससे प्रकट होता है कि चाहे जैसा प्रलोभन देकर भारतीयासे पजीयन पत्र लिवाना है। और कोई जोर चल नही सकता। डेलागोआ बेका पास न मिले तो भारतीयोको घबडाना नही चाहिए। जिसे भारत जाना होगा, वह दूसरे रास्ते जा सकता है। फिर भी इस सम्ब धमे कारवाई जारी है।

'ट्रान्सवाल लीडर' की सलाह

'ट्रासवाल लीडर' ने सलाह दी है कि सरकार भारतीय समाजके नेताओस मिले और उनसे परामश करके कानूनकी समस्याका हल निकाले। यदि सरकार वह हल नही निकालेगी तो बादमे पछताना होगा। पाठकाको याद रखना चाहिए कि 'लीडर' ट्रान्सवालका बहुत ही प्रभावशाली अखबार है।

शाहजी साहबकी बहादुरी

पण्डितजीके जेल जानेसे शाहजी साहबको बहुत ही दद हुआ है। इसलिए उन्होने अखबारोमे निम्नानुसार पत्र[1] लिखा है

> महोदय, अपने भारतीय धमगुरुके मुकदमेके समय म अदालतमे था। उस समय मेरे मनमे यह विचार आया कि ट्रान्सवालके कानून कुछ ओधे हैं। आवेशके कारण मैंने इमाम कमालीको कुरानके फरमानका उल्लघन करनेके कारण पीटा था। उसमे मुझे जेल अथवा ५ पौडके जुर्माने की सजा हुई थी। एक निदय मित्रने "मै आपका शिष्य हूँ" कहकर जबरदस्ती ५ पौड भर दिये। इससे मुझे जेल भोगनेका मौका नही मिला। दूसरी बार मैंने श्री मुहम्मद शहाबुद्दीनको मारा था। उसने बयान देते हुए स्वीकार किया कि उसने कुरानकी शपथ तोडी थी और इसीलिए मेरा मारना वैसा ही था जैसे बाप लडकेको मारता है। इससे दयालु न्यायालयने मुझे छोड दिया, किन्तु चेतावनी दी कि आगे ऐसा हुआ तो सजा होगी।
>
> इस दष्टिसे रामसु दर पण्डितको बेकार ही एक महीनेकी सजा दी गई है। मै उन्हे पहचानता हूँ। उन्होने कभी किसीको कष्ट नही दिया। वे ब्रिटिश प्रजा हैं और ब्रिटिश उपनिवेशमे अपने सहधर्मियोके धम सम्बन्धी कामकाज करते ह। ऐसे व्यक्तिको ट्रासवालमे रहनेका एक कागजका टुकडा न होनेके कारण जेलमे डाला गया है।
>
> मुझे तो लगता है कि यदि किसीको जेल दी जानी चाहिए तो वह मै हूँ। फिर भी एक आदमीने बीचमे आकर जबरदस्ती पैसे देकर मुझे जेल नही भोगने दी। उधर, श्री रामसु दर पण्डितको एक महीनेके लिए बन्द करके रखा जायेगा, उनके मित्र और सम्बन्धी उनसे नही मिल पायेंगे, और वे धम-सम्बन्धी काय नही करा सकेंगे। इससे मेरा हृदय फटता है। मुझे जेल हो ओर श्री रामसु दर पण्डित मुक्त हो तो कितना अच्छा। खुदा तू उन्हे बिलकुल सुखी रखना और हिम्मत देना।

केप टाउनसे सहानुभूति

केप टाउनके आफ्रिकी भारतीय सघने [ब्रिटिश भारतीय] सघके नाम सहानुभूतिका तार भेजा है। उच्चायुक्तके नाम भी एक तार भेजा है कि उन्हे हस्तक्षेप करके भारतीयोका कष्ट

१ मूल अग्रेजी पत्रके लिए देखिए पत्र ट्रासवाल लीडर को पृष्ठ ३७६।

दूर करना चाहिए तथा श्री रामसुन्दर पण्डितको छुडाना चाहिए। ऐसे तार कई जगहोंसे आये है। तार भेजनेवाले सब लोगोंके नाम और तारोंका सारांश अगले सप्ताह देनेकी आशा करता हूँ।

अमीरुद्दीनको तार

श्री अमीरुद्दीनके साझी श्री अब्दुल गफूरने उन्हें निम्नानुसार तार भेजा है

> आपकी जिम्मेदारी बडी है। अपना फर्ज हिम्मतके साथ निभाइये। आपसे बडी आशा रखते हैं। भारतकी प्रतिष्ठा यहांकी लडाईपर निर्भर है। जबतक हम स्वतन्त्र नहीं हो जाते और हमारे बाल बच्चोंकी स्वतन्त्रता सुरक्षित नहीं हो जाती तबतक आप आराम न लें।

पंजीयन कार्यालयके बेकार प्रयत्न

लछमन नामक व्यक्तिको, जिसने धरनेदारोंके बारेमें बयान दिया था, गलत बयान देनेके अपराधमें गिरफ्तार किया गया था। वास्तवमें मामला तो कुछ था नहीं। इसलिए छोड दिया गया। किन्तु लछमनका मामला बताता है कि जो भारतीय पंजीकृत होने जायेंगे वे अपने समाजको कलंकित करेंगे, अपने भाइयोंको गढेमें उतारेंगे और हो सकता है कि स्वयं भी न उबरें। करीम जमालका मामला जिस तरहका था वैसा ही लछमनका भी हो गया है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २३-११-१९०७

२९९ भाषण: हमीदिया अंजुमनकी सभामें

[जोहानिसबर्ग
नवम्बर २४, १९०७]

श्री गांधीने प्रतिनिधियोंकी[१] योग्यताकी चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेसमें भाषण करनेवाले अन्य लोग हैं, इसलिए इस समय अधिक व्यय करनेकी आवश्यकता न होगी। पैसेकी तंगीके कारण अधिक प्रतिनिधियोंकी नामजदगी स्थगित रखनी पडेगी। समय भी कम है। पंजाबियों और पठानोंके सम्बन्धमें कुछ समयमें लॉर्ड सेल्बोर्नको पत्र लिखा जायेगा। श्री गांधीने तुर्कोंको दृढ रहनेकी सलाह दी। उन्होंने कहा कि गोरोंकी सभा हुई थी। उसके विवरणसे जान पडता है कि सरकार शिथिल हो गई है। यदि भारतीय समाज दृढ रहा तो सभी गोरे हमारे पक्षमें हो जायेंगे। गोरोंका शिष्टमण्डल दिसम्बरमें जायेगा। भारतीय अन्ततक डटे रहेंगे, इसमें सरकारको सन्देह है। किन्तु, श्री गांधीने तर्कपूर्वक समझाया, जो साहसपूर्वक और परमात्मामें विश्वास रखकर प्रयत्न करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। उन्होंने प्रिटोरियाके धरनेदारोंकी वीरताके बारेमें बोलते हुए कहा कि मेजर फ्यूज़ उनसे हर दिन ही मिलते रहते हैं। मेजर कोडी आदि उनको उलटा समझाते हैं, किन्तु वे मानते नहीं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

१ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अधिवेशनके लिए चुने गये प्रतिनिधि।

३०० प्रार्थनापत्र गायकवाडको[1]

[जाहानिसबग]
नवम्बर २५ १९०७

सेवामे
महाविभव गायकवाड [बडोदा]

१ आपके प्रार्थी महाविभवकी प्रजा है और ईमानदारीसे कमाने खानेके लिए ट्रासवालमे आकर बसे ह।

२ ट्रान्सवालमे आपके प्राथियोमे से अधिकतरके बडे बडे हित दावपर चढे ह।

३ आपके प्रार्थी आप महाविभवका ध्यान ट्रान्सवाल ससद द्वारा पास किये गये एशियाई कानून सशोधन अधिनियमकी ओर सादर आकर्षित करते ह।

४ आपके प्रार्थी, जैसा कि कदाचित महाविभवको विदित होगा, रक्षित ब्रिटिश प्रजाके रूपमे ट्रासवालके अन्य ब्रिटिश भारतीयोके साथ मिलकर, साम्राज्य सरकारको निवेदन भेज चुके ह।

५ आपके प्रार्थी इसके साथ उस प्राथनापत्रकी एक प्रति सलग्न कर रहे है जो उन्होने परममाननीय उपनिवेश-मन्त्रीको इस अधिनियमके सम्बन्धमे भेजा हे ओर जिसमे सब आपत्तियोका विवरण दिया गया हे।

६ चूकि साम्राज्य सरकारने हस्तक्षेप करनेसे स्पष्ट इनकार कर दिया हे और चूकि उक्त कानून असामान्य रूपसे तिरस्कारपूण और अपमानजनक हे, तथा चकि प्रार्थी एक गम्भीर शपथसे इस अधिनियमको न माननेके लिए बँधे हुए है, इसलिए उन्होने अनाक्रामक प्रतिरोधके नामसे ज्ञात धमयुद्ध छेड दिया हे आर अपने सवस्वको दावपर चढा दिया हे। स्थानीय सरकारने जेल भेजने, निर्वासित करने और अन्य सजाएँ देनेकी धमकी दी है जिनमे से सभी, आपके प्राथियोके विचारमे, उक्त अधिनियमके जुएकी तुलनामे सह्य और झेल लेने योग्य ह।

७ आपके प्राथियोकी विनीत सम्मतिमे आप महाविभवकी सहानुभूति और सक्रिय हस्तक्षेपसे साम्राज्य सरकारको, और भारत सरकारको भी, बल मिलेगा तथा प्राथियोको बहुत हिम्मत बँधेगी।

८ इसलिए आपके प्रार्थी सादर विश्वास करते है कि श्रीमान उनको किसी भी वाञ्छनीय तरीकेसे अपना सरक्षण प्रदान करेगे, और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी कतव्य मानकर सदा दुआ करेगे, आदि।

[अग्रेजीसे]

कलोनियल आफिस रेकर्डस सी० ओ० २९१/१२२

१ यह ' महाविभव गायकवाड्की ट्रान्सवालवासी प्रजाने" भेजा था और ३०-११-१९०७के **इडियन ओपिनियन**में प्रकाशित किया गया था। इस प्रार्थनापत्रकी एक प्रति श्री एल० डब्ल्यू० रिचने २३ दिसम्बर १९०७को उपनिवेश-उपमन्त्रीको भेजी थी।

३०१ प्रार्थनापत्र उच्चायुक्तको[1]

[जोहानिसबर्ग
नवम्बर २६, १९०७ के पूर्व]

सेवामें
परमश्रेष्ठ उच्चायुक्त, दक्षिण आफ्रिका

निम्नांकित हस्ताक्षरकर्ताओंका प्रार्थनापत्र

नम्र निवेदन है कि,

१ आपके प्रार्थी पुराने भारतीय सैनिक हैं। हममें ४३ पंजाबी मुसलमान, १३ सिख तथा ५४ पठान हैं।

२ आपके सभी प्रार्थी ब्रिटिश प्रजाजन हैं, और उनमें से अधिकांशको इस उपनिवेशमें गत युद्धके समय परिवहन दलोंके रूपमें लाया गया था। प्रार्थियोंके दक्षिण आफ्रिकामें आनेपर उनके अफसरोंने उनसे कहा था कि युद्ध समाप्त होनेपर आप दक्षिण आफ्रिकाके किसी भी भागमें बस सकेंगे और आपको इज्जतके साथ रोजगार मिलेगा।

३ आपके प्रार्थियोंमें से कुछ चित्रालकी चढ़ाईमें[2], तीरा युद्धमें[3] और दूसरी लड़ाइयोंमें ब्रिटिश सरकार की ओरसे लड़े हैं।

४ आपके प्रार्थियोंमें से अधिकांशके पास शान्ति रक्षा अध्यादेश और १८८५ के कानून ३के अनुसार जारी किये हुए अनुमतिपत्र तथा पंजीयन प्रमाणपत्र हैं। प्रार्थी ट्रान्सवालके युद्ध पूर्व कालके बाशिन्दे नहीं हैं, बल्कि उनको ये अनुमतिपत्र उनके अपने अपने अफसरोंसे मिले हुए विमुक्ति प्रमाणपत्रोंके बदलेमें दिये गये हैं।

५ कुछको छोड़कर इस समय हममें से सभी बेरोजगार हैं। इसकी वजह ज्यादातर एशियाई पंजीयन कानूनके खिलाफ चलनेवाला संघर्ष है। कुछको उनके मालिकोंने पंजीयन न करानेकी वजहसे नौकरीसे अलग कर दिया है, दूसरोंके नौकरीकी अर्जी देनेपर उनसे कहा गया है कि अगर वे नये कानूनके मुताबिक अपना पंजीयन करा लें तो उनको नौकरी दी जा सकती है।

६ आपके प्रार्थियोंकी नम्र रायमें उनके लिए एशियाई कानूनके सामने सिर झुकाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इससे उनको इतना अधिक अपमान सहना पड़ता है, जिसका अनुभव उनको भारतमें पहले कभी नहीं हुआ। और यह उनको ऐसी हालतमें पहुँचा देता है, जो उनके आत्मसम्मान और सैनिक मर्यादाके अनुरूप नहीं है।

७ आपके प्रार्थी किसी भी अधिकारीके सामने, जिसे मुकरर किया जाये, यह गवाही देनेको तैयार हैं कि उन्होंने राजभक्त ब्रिटिश प्रजाजनोंके रूपमें साम्राज्यकी सेवा की है।

१ यह प्रार्थनापत्र गांधीजीने ११५ सेवा निवृत्त भारतीय सैनिकोंकी ओरसे ७ दिसम्बर १९०७ को उच्चायुक्तके नाम लिखे अपने पत्रके (पृष्ठ ४०९) साथ उन्हें भेज दिया था। श्री एल० डब्ल्यू० रिचने दिसम्बर २३, १९०७ को इसकी एक प्रति उपनिवेश-उपमन्त्रीके पास भेजी थी।

२ १८९५ में।

३ १८९७-९८ में।

८ आपके प्रार्थियोका भारत लौटना और वहा जाकर अपने गुजारेका कोई जरिया खोजना सम्भव नही हे।

९ आप दक्षिण आफ्रिकामे बडी सरकारके हितोके न्यासी तथा उच्चायुक्त है। अत, इस हेसियतसे, हम विनयपूवक आपसे रक्षा पानेके अधिकारका दावा करते है।

१० इसलिए आपके प्रार्थी विनयपूवक निवेदन करते है कि परमश्रेष्ठ हम लोगोको इस प्रकारकी राहत दिलाये जो ऐसी परिस्थितिमे सम्भव हो। और न्याय तथा दयाके इस कायके लिए प्रार्थी, कतव्य मानकर, सदा दुआ करेगे।

[आपका, आदि,
नवाबखाँ
फजले इलाही]

[अग्रेजीसे]

कलोनियल ऑफिस रेकर्ड्स सी० ओ० २९१/१२२

३०२ पत्र अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अध्यक्षको

[जोहानिसबर्ग
नवम्बर २६, १९०७ के पूव]

[अध्यक्ष
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग
कलकत्ता
महोदय,]

मेरा अजुमन एशियाई पजीयन कानूनको लेकर ट्रान्सवालके अन्य भारतीय सगठनोके साथ-साथ, जिस सघषमे लगा हुआ है उसके सिलसिलेमे उसने मुझे आपसे कुछ निवेदन करनेको कहा है।

मुझे यकीन है कि भारतीय मुसलमानोके नाम हमीदिया इस्लामिया अजुमनने जो गश्ती चिटठी[1] भेजी है उसे आप देख चुके होगे। हमने सभी भारतीय सगठनोसे उनके स्थानीय राजनीतिक विचार भेदका खयाल किये बिना, निवेदन किया है। एशियाई कानूनके अन्तगत ट्रासवालमे ब्रिटिश भारतीयोकी स्थितिके प्रश्नपर उनमे किसी प्रकारका मतभेद नही है, और खयाल यह है कि हमारे साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया जाता है उसका मिलजुल कर जोरदार विरोध किया जाये।

१ देखिए "भारतीय मुसलमानोसे अपील' पृष्ठ १७९ ८० ।

अत, मेरा अंजुमन इस बातका भरोसा करनेकी हिम्मत करता है कि आप ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंके एक हकमें लीगकी सहानुभूति हासिल करानेकी कृपा करेंगे।

[आपका, आदि,
इमाम अब्दुल कादिर सलीम बावजीर
कार्यवाहक अध्यक्ष
हमीदिया इस्लामिया अंजुमन]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

३०३. जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[मंगलवार, नवम्बर २६, १९०७]

संघका हिसाब

संघका हिसाब[1] सार्वजनिक सूचनाओंके साथ दिया गया है। उसकी ओर ट्रान्सवालके भारतीयोंका ध्यान आकर्षित करता हूँ। उससे मालूम होगा कि अब संघके पास केवल १४० पौं० १८ शिलिंग १ पैंस बचा है। उसमें भी २५ पौंड तो श्री आलब्रेटके दिये हुए हैं। संघने जबरदस्त काम उठाया है, किन्तु उस हिसाबसे पैसा कुछ भी नहीं है। इस संघकी तरह कम खर्चीसे किसी दूसरे संगठनका काम चलता हो, सो हमें नहीं मालूम। उसका चालू खर्च १० पौंडके अन्दर है। किन्तु अब तार आदिका खर्च बढ़ेगा। किराया कुछ लगता नहीं है। कोई फालतू खर्च नहीं है। खर्चका बहुत कुछ बोझ जोहानिसबर्गपर है। रस्टेनबर्गका अनुकरण दूसरे शहर करें तो भी संघको कुछ मदद मिल सकती है। रस्टेनबर्गसे हालमें ही १५ पौंडकी सहायता प्राप्त हुई है। इससे दूसरे शहरोंको सबक लेना चाहिए।

वह हमें कैसे घेरती है

मैं बता चुका हूँ कि चैमनें साहब पूरी व्यवस्था कर चुके हैं कि डेलागोआ बे जानेमें भारतीयोंको मुसीबतें हों। अब फोक्सरस्टपर मुसीबत आई जान पड़ती है। सुना है कि जो भारतीय नेटाल होकर जाना चाहें, उनके अनुमतिपत्रोंकी जाँच फोक्सरस्ट या चार्ल्सटाऊनमें की जायेगी, उनके अँगूठोंकी छाप ली जायेगी और तब उन्हें आगे बढ़ने दिया जायेगा। इसका उद्देश्य यह है कि संघर्षके समयमें भारत जानेवालोंका नाम दर्ज रहे और जब वे वापस आयें तब उन्हें परेशान किया जाये। इस सम्बन्धमें मुझे सूचित करना है, कि ट्रान्सवाल छोड़ते समय कोई भी अनुमतिपत्र बतलानेके लिए बँधा हुआ नहीं है। किसीको अँगूठेकी निशानी भी नहीं देनी है। इन दोमें से एक भी बात अपराध नहीं है। किन्तु यदि सरकार हैरान करना चाहे तो उसे उसका मौका नहीं देना है। ये सब लड़ाईके बीचके हंगामे हैं। इसलिए किसीको डरना नहीं चाहिए और न हमारे सामने यह सवाल ही उठाना चाहिए कि अब क्या होगा।

१ देखिए परिशिष्ट ७।

बहादुरीका उदाहरण

श्री मुहम्मद मूसा पारेख न्यूकैसिलसे लिखते हैं कि वे स्वय खास तौरसे कानूनका विरोध करनेके लिए ही दिसम्बरके शुरू होनेके पहले वाकरस्ट्रूममे आकर बैठेंगे। उन्होने यह भी लिखा है

ऐसे हजारो पजीयन दफ्तर खुले तो भी क्या? जिसने एक बार सच्चे दिलसे खुदा और उसके रसूलको सत्य मानकर शपथ ली हो वह हर्गिज गुलामीका टोकरा नही उठा सकता।

मेरी कामना है कि यह जोश श्री पारेख और सभी भारतीयोमे अन्ततक रहे।

एशियाई भोजनालय

पाठकोको याद होगा, कि इन भोजनालयोके नियमोमे नगरपालिकाने यही तय किया था कि मनेजर गोरा आदमी होना चाहिए। उसपर सघने अर्जी दी थी। अब सरकारने उसमे परिवतन करनेका आदेश दिया है और उसे नगरपालिकाने स्वीकार किया है।

बग्घीके नियम

बहुत समयसे बात चल रही हे कि ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे पहले दर्जेकी बग्घीमे काले आदमी न बैठ सके। अब नगरपालिकाने ऐसा नियम पास कर दिया है। उसमे कहा गया हे कि काला बैरिस्टर या डॉक्टर उसमे बैठ सकेगा। अर्थात शराबके नशेमे चूर या फटेहाल काला वकील या डाक्टर तो पहले दर्जेकी गाडीमे बैठ सकता है, किन्तु अच्छे कपडे पहननेवाला लखपति भारतीय व्यापारी नही बैठ सकता। और भी विशेषता यह है कि वकील तो बैठ सकता है किन्तु उसकी पत्नी या लडका नही बैठ सकता। इस नियमके बनानेवालेकी मूखताकी सीमा नही है। सघने इस कानूनके खिलाफ सरकारके पास अर्जी भेजी है।

स्टैंगरके भारतीयोका प्रस्ताव

रामसुदर पण्डितके जेल जानेके सम्बधमे कई जगह सभाएँ हुई और प्रस्ताव पास किये गये है। वैसा ही स्टैंगरमे हुआ है। श्री दाउद मुहम्मद सीदत, श्री अहमद मूसा मेतर, श्री मणिलाल चतुरभाई पटेल, तथा श्री अहमद मीठाके हस्ताक्षरसे सहानुभूतिके प्रस्ताव सघको प्राप्त हुए है।

सभी तार भेजनेवालो और प्रस्ताव पास करनेवालोको सघ आभार सूचक पत्र नही भेज सका, क्योकि वह लगभग असम्भव था। तथा, जहा सब लोग देशके कष्टोंसे उद्विग्न हो एव अपना कतव्य समझ कर कोई काम करते हो वहा उपकार माननेकी जरूरत भी नही होती। यह अवसर एक दूसरेके गुण गानेका या उपकार माननेका नही है। किये हुए कतव्यका ज्ञान ही उपकार मानना हे।

खोलवाड मदरसा

श्री गुलाम मुहम्मद आजम बम्बईसे लिखते है कि उन्हे ९२१ पौड १० शिलिग मिले है। वे उस रकमसे [मदरसेके लिए] मकान खरीदनेकी तजबीज कर रहे है। किन्तु उन्होने लिखा है कि रकम इतनी कम है कि उसमे अच्छा मकान मिलना मुश्किल है। उन्हे न्यास पत्र और मुख्त्यारनामा भी मिल गया है।

खानवाले क्षेत्रमे परवाने

जोहानिसबर्ग आदि जगहोपर स्वर्ण कानूनके अन्तर्गत सरकारने परवाने देनेसे इनकार किया था और यह स्थिति पैदा हो गई थी कि मुकदमा लडना होगा। किन्तु अब फिर सरकारी जवाब आ गया है कि नये कानूनकी लडाईके कारण सरकार इस सम्बन्धमे लडाई करना नही चाहती और जो परवाना मागेगा उसे दिया जायेगा। यह जवाब समझने योग्य है। ऐसा मुकदमा लडनेमे सरकारको बदनामीका डर लगता है। क्या ७,००० लोगोको कैद करते हुए बदनामीका डर नही लगेगा ?

कोकणियोकी सभा

खुद सब दृढ है, या नही यह देखनेके लिए पिछले रविवारको कोकणियोकी एक सभा हुई थी। हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके सभा भवनमे सब एकत्र हुए थे। श्री मालिम मुहम्मद सभाके अध्यक्ष थे। श्री अब्दुल गनीने अपने भाषणमे कहा था कि वे स्वयं बिलकुल दृढ रहेगे। जिस शपथको दिलवानेमे वे स्वयं शामिल थे, उसे वे तोडनेवाले नही है। श्री इस्माइल खा, श्री शहाबुद्दीन हसन, श्री हसन मिया (रूडीपूटके), श्री अब्दुल गफूर आदि सज्जनोने भाषण दिये और सभामे सबने यही राय व्यक्त की कि चाहे जितनी रुकावटे आये, फिर भी कानूनके सामने नही झुकना है। यह सवाल उठनेपर कि दूकानके हर व्यक्तिको पंजीकृत होना चाहिए या नही, यही निर्णय हुआ कि वैसा करनेकी कोई जरूरत नही है।

कांग्रेसका चन्दा

[भारतीय] राष्ट्रीय कांग्रेसके चन्देमे यहाँ ५० पौडसे ज्यादा रकम इकट्ठी हुई है। और भी इकट्ठा होनेकी सम्भावना है। सूची अगले सप्ताह भेजूगा। उपर्युक्त रकममे से अभी तो २५ पौड श्री अमीरुद्दीनको भेजे गये है। यदि अधिक रकमकी आवश्यकता मालूम हुई तो ५० पौड तक भेजनेका निर्णय हुआ है। प्रतिनिधियोके सम्बन्धमे यहासे भारतको जो समुद्री तार भेजे गये है, उनका खर्च भी हुआ है। यह हिसाब प्रकाशित किया जायेगा।

डेलागोआ-बेमे भारतीयोकी सुस्ती

यहाके अखबारोसे मालूम होता है कि डेलागोआ बेके भारतीय यदि नही चेतेगे तो उनका बुरा हाल होगा। वहाके व्यापार मण्डल (चेम्बर) ने निश्चय किया है कि अब भारतीय सदस्य मत नही दे सकते। वहाके भारतीय यदि यह सब चुपचाप सहते बैठे रहेगे तो बहुत ही बदनामी होगी। इसके अलावा, वहा ट्रान्सवालसे जानेवालोको तंग करनेकी तजवीज भी की जा रही है। इन सब बातोको लेकर डेलागोआ बेके भारतीयोमे यदि कुछ पानी आ जाये तो अच्छा होगा। वहाँके सेठोसे सम्बद्ध सभी भारतीयोको हम जोरोसे सलाह देते है कि उनसे जितना भी लिखा जा सके उतना लिखे।

गायकवाडको याचिका

महाराजा श्री सयाजीरावको उनकी प्रजाने नये कानूनके बारेमे निम्नानुसार याचिका दी है। उसमे लगभग १५० हस्ताक्षर हुए है।[1]

१ देखिए "निवेदनपत्र गायकवाड़को", पृष्ठ ३८३।

दिसम्बरमे क्या किया जाये?

इस प्रश्नका उत्तर पढनेके लिए बहुतेरे पाठक उत्सुक होगे। मेरी चिट्ठीमे यह प्रश्न अतिम रखा गया है, किन्तु इसकी आवश्यकता पहली है। क्या किया जाये, इसका विचार करनेके पहले क्या हो सकेगा, इसपर विचार करे।

क्या हो सकता है

हमने देखा कि सरकारको शरीरसे पकड कर निर्वासित करनेकी सत्ता तो नही है। फिर जेल भेजना ही बाकी रहा। कानूनके आठवे खण्डके अनुसार हर भारतीयसे पुलिस नया पजीयनपत्र माग सकती है। उसके न होनेपर वह उसे मजिस्ट्रेटके सामने ले जायेगी। वहा उसे सूचना दी जायेगी कि निश्चित अवधिके अन्दर देश छोड दे। उस आदेशका पालन न करनेपर उसे फिर पकडा जायेगा और उसे छ महीने तक की जेलकी सजा दी जा सकेगी। इस उपधाराके अनुसार मुकदमा चलनेपर अदालतको जुर्माना करनेका अधिकार नही है। कानूनको पढनेसे मालूम होगा कि अदालत पजीयनके लिए अर्जी देनेका हुक्म दे सकती है। इस प्रकार मुकदमा न चलाकर सरकार यह मुकदमा भी दायर कर सकती है कि अर्जी क्या नही दी गई। अर्जी न देनेके अपराधकी सजा १०० पौड जुर्माना या जेल है। ऐसा व्यवहार सरकार प्रत्येक भारतीयके साथ कर सकती है। यानी प्रत्येक भारतीयको जेल भेज सकती है। किन्तु कर सकने और करनेमे बहुत अन्तर है। सरकार प्रत्येक भारतीयको पकडे और जेलमे बन्द करे इसे मै लगभग असम्भव मानकर छोड देता हूँ। किन्तु कुछ भारतीयोको तो जरूर पकडेगी।

कुछ गिरफ्तारियाँ जरूर

मेरा अनुमान है कि पहले झपाटेमे अधिकसे अधिक सोके करीब भारतीय पकडे जायेगे।

कितना पानी है?

और हममे कितना पानी है यह देखनेके लिए, सम्भव है, गाव गावसे थोडे भारतीय पकडे जाये। यदि ऐसा हो तो हमारी लडाईका अन्त जल्दी होगा। यदि गाव-गावसे गिरफ्तारी की जाये तो किसीको घबडाना नही चाहिए। वैसा होगा तो श्री गाधीके लिए प्रत्येक गाव जाना सम्भव नही होगा, और न उसकी जरूरत ही है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाये उसके सम्बन्धमे सघ (बिआस) को जोहानिसबर्ग तार भेजा जाये।

जमानतकी अर्जी नही

गिरफ्तार किये जानेवाले व्यक्तिको जमानतपर नही छूटना है। वकील भी नही करना है। जिस दिन अदालतमे पेश किया जाये उसे कहना चाहिए

म कानूनका विरोधी हूँ। मै ट्रान्सवालका सच्चा निवासी हूँ। मेरे पास सच्चा अनुमतिपत्र है। कानूनसे हमारी मनुष्यता जाती है। उससे हमारा धर्म भी जाता है। इसलिए मै उसके सामने नही झुकूगा। हमारी सारी कौम उसके खिलाफ है। यदि सरकार मुझे चले जानेका नोटिस देगी तो वह भी माना नही जायेगा। इसलिए मुझे जो सजा देनी हो वह अभी ही दीजिए। और यदि नोटिस देना ही हो तो जितने थोडे समयका दिया जा सके उतने थोडे समयका दीजिए।

इतना अपने-आप या दुभाषियेकी मारफत कहा जाये।

नोटिस ही मिलेगा

इसपर बहुत करके तो नोटिस ही मिलेगा। उसकी अवधि समाप्त हो जानेपर भी वकीलकी जरूरत नही है। अवधि समाप्त होने तक तो वह व्यक्ति स्वतन्त्र रहेगा। इस बीच उसे अपनी कुछ व्यवस्था करनी हो तो करे।

नोटिस पूरा होनेपर

नोटिस पूरा हो जानेके बाद वह फिर पकडा जायेगा। इस समय कुछ अधिक बयान नही देना है। केवल इतना कहना है कि "मैने पहले जो कहा है उससे अधिक मुझे कुछ नही कहना।" उसके बाद जो सजा मिले उसे भोगा जाये। जो लोग बाहर रहे, उन्हे सजाके सम्बन्धमे तुरन्त तार करना चाहिए। सजा प्राप्त व्यक्तिके बाल बच्चे है या नही, वे कहा है, उसके भरण-पोषणका बोझ उस व्यक्तिने समाजपर डाला है या उसके पास पैसे है वगैरा बाते तारमे लिखी जाये।

इतना याद रखना चाहिए कि जिसके बारेमे उचित मालूम होगा, उसके बाल बच्चोका भरण पोषण जेलसे छूटने तक समाज करेगा। अच्छी बात तो यह है कि हर जगह लोग अपने अपने आदमियोका बोझ उठा ले, जैसे रामसुन्दर पण्डितके बाल बच्चोका बोझ जर्मिस्टनके भारतीयोने उठाया है। किन्तु यदि वैसा न हो सके तो सघ तो व्यवस्था करेगा ही।

यदि जोहानिसबगमे गिरफ्तार नही किया गया और रोक टोक न की गइ तो श्री गाधी बिना शुल्कके वहा जायेगे, जहा भारतीय (सच्चे अधिवासी) गिरफ्तार किये गये होगे। उनका किराया यदि वह गाव दे तो इसमे उसकी शोभा होगी, किन्तु यदि वहासे गाडी किराया न मिले, तो सघ देगा और श्री गाधी वहा पहुँचेगे।

जेल जानेवालेके व्यापारके बारेमे कुछ कहनेकी आवश्यकता नही रहती। उस व्यक्तिने अपने व्यापारके बारेमे पहलेसे बन्दोबस्त कर रखा होगा। सरकार किसीकी दूकानको बन्द नही कर सकती। जुर्माना वसूल करनेके लिए वह माल नीलाम कर दे, सो भी नही होगा। एक ही दूकानके सभी व्यक्ति एक ही साथ पकड लिये जाये, यह भी बहुत सम्भव नही दीखता। जेलमे बैठे बैठे भी वह आदमी अपने कामकी कुछ व्यवस्था कर सकता है, किसीको लिख सकता है या सन्देश भेजा जा सकता है।

बाहरवाले क्या करे?

एक या अधिक लोगोको जेलमे भेजकर दूसरे बैठे रहे, यह सरल रास्ता है। किन्तु इससे घबडाहट पदा हो और हमे भी गिरफ्तार किया जायेगा इस दहशतसे कोई पजीयन करानेको दौड पडे, तो वह देशका दुश्मन माना जायेगा और उसके द्वारा भारतीयोके नामको बट्टा लगेगा।

खरी कसौटी

खरी कसौटी इसीमे होगी कि नेताओके जेलमे चले जानेपर भी लोग घबडाये नही, बल्कि जोर दिखाये और कानूनको न माने। इतना जब साफ तौरसे साबित हो जायेगा तभी कानून रद होगा। यह हम खूब याद रखे।

दो दिसम्बरको

दिसम्बरकी २ तारीखको भारतीयोको अपने घरोमे घुसकर नही बैठना है। फेरीवालोको डर कर फेरी बन्द करनेके बजाय निर्भयतापूर्वक बाहर निकल कर अपने धन्धेमे लगना चाहिए। उस दिन और उसके बादके दिनोमे कुछ नही है यह समझकर हमेशाकी तरह काम करते रहना है। यह लडाई आजादीके लिए है। इसलिए कदम कदमपर हिम्मतकी आवश्यकता है। इसके बिना सफल होना सम्भव नही है।

हेलूने फिर मुँह फेरा

श्री हेलूने अपना मुह काला किया इसके लिए उन्होने मस्जिदमे माफी मागी है और पजीयकको निम्नानुसार पत्र[1] लिखा है

> मै १२ अक्तूबरको प्राप्त अपना पजीयनपत्र सादर वापस भेज रहा हूँ। मै जानता हूँ कि ऐसा करके मै नये कानूनका जुआ उतार नही सकता, फिर भी जिन परिस्थितियोमे मै हूँ, उनमे जब मै पजीयन कराने गया तब मेरे मनमे परस्पर-विरोधी भावनाएँ जोर कर रही थी। एक और तो मेरा लेनदार मुझे कानूनके सामने झुकनेके लिए विवश कर रहा था, और यदि मै न झुकू तो मेरा माल कुर्क कर देनेकी धमकी दे रहा था, दूसरी ओर कानूनके सामने झुकनेकी मेरी बेशर्मीका खयाल मुझे आ रहा था। मने बेशर्मीका पूरा अनुमान नही लगाया और धमकीके वश हो गया। अब म देखता हूँ कि मेरा जीवन बेकार हो गया है।
>
> मेरे देशभाई और सहधर्मी मुझे छोड रहे है। मेरी बहन और अन्य सगे सम्बन्धी मेरा तिरस्कार करते है और कहते है कि मने अपनी ली हुई शपथ तोडी है, इसलिए मै अपने कुटुम्बमे रहने योग्य नही हूँ। मेरी जायदाद तो शायद मेरे पास रहेगी। किन्तु मै देखता हूँ कि मेरे सगे सम्बन्धी और देशवासी भाई यदि मुझे छोड देते है तो वह जायदाद मेरे लिए बोझ रूप ही होगी। ३१ जुलाईको प्रिटोरियामे आम सभा हुई थी तब जिन मेमन लोगोने पैसेके मोहमे अपनी ली हुई शपथ भग करके कानूनकी गुलामी स्वीकार की थी, उनके खिलाफ सख्त बोलनेवाला केवल मै ही एक था। किन्तु जब उसी पैसेका लोभ मुझे हुआ तब मै भी फिसल गया। जो हो गया उसे तो मिटाया नही जा सकता। किन्तु यह पजीयनपत्र आपको भेजकर मै अपने आपको कुछ हदतक निष्कलक करनेका सन्तोष मान लेता हूँ।
>
> अन्तमे मै इतनी ही आशा करता हूँ कि मेरा उदाहरण मेरे भाइयोके लिए चेतावनी स्वरूप हो जायेगा। और जबतक आपके दफ्तरका काम नये कानूनपर अमल करवाना रहेगा तबतक वे आपके दफ्तरकी ओर देखेंगे भी नही।

इसके अलावा श्री हेलूने उपयुक्त पत्र अखबारोमे भेजते हुए यह भी लिखा है कि उनके कुत्तेको जहर देनेकी जो बात अखबारोमे प्रकाशित हुई है, वह झूठ है।

१ मूल अग्रेजी पत्र **इंडियन ओपिनियन** ता० ३०-११-१९०७ में प्रकाशित हुआ था।

हमीदिया इस्लामिया अंजुमनका पत्र

अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अध्यक्षके नाम इस अंजुमनने निम्नलिखित पत्र[1] भेजा है :

मेरा अंजुमन एशियाई कानूनकी ओर आपका ध्यान खींचता है। अंजुमनने भारतीय मुसलमानोंको जो पत्र लिखा है, उसे आप जानते ही होंगे। हमने राजकीय विषयोंमें उतरे बिना सभी प्रकारके संगठनोंके सामने अपनी फरियाद पेश की है। इस विषयमें मतभेद नहीं है। इससे हम चाहते हैं, कि इस सम्बन्धमें सभी संगठनोंकी ओरसे एक स्वरसे पुकार की जाये। इसलिए मेरा अंजुमन आशा करता है कि अखिल भारत मुस्लिम लीग इस सम्बन्धमें आवाज उठायेगी।

गोरोंके शिष्टमण्डलका क्या हुआ?

कुछ गोरे सरकारके पास शिष्टमण्डल ले जाना चाहते थे, यह खबर मैं दे चुका हूँ। शिष्टमण्डल अभी तक गया नहीं, इससे कुछ भारतीय अधीर हो गये हैं। मुझे कहना चाहिए कि यह अधीरता भीरुताका लक्षण है। शिष्टमण्डल जाये तो क्या और न जाये तो क्या? हम तो अपनी हिम्मतपर निर्भर हैं। इतनेपर भी भीरुओंको हिम्मत देनेके लिए मैं खबर देता हूँ कि शिष्टमण्डलके लिए तैयारी हो रही है। वह केवल यह देखनेके लिए आतुर है कि हममें कितना पानी है। दिसम्बरके पहले यह मालूम हो जानेकी सम्भावना नहीं है, इसलिए शिष्टमण्डल नहीं गया। फिर भी जो लोग बाहरकी मददके बलपर ही टिके हुए हैं, वे यदि निराश हों तो आश्चर्य नहीं।

एक धरनेदारका मामला

श्री पी० के० नायडू एक धरना देनेवाले स्वयंसेवक थे। उनकी एक मद्रासीसे पंजीयनपत्रके सम्बन्धमें तकरार हो गई थी। मद्रासीने पंजीयनपत्र ले लिया था, इसलिए श्री नायडूने उसे पीटा था। श्री नायडूके मुकदमेकी सुनवाई (मंगलवारको) हुई। उनको १० पौंड जुर्माना हुआ। वह जुर्माना उनके मित्रोंने दे दिया। इस सम्बन्धमें मजिस्ट्रेटने टीका करते हुए कहा कि यह मामला पंजीयनके सम्बन्धमें है, इसलिए सच देखा जाये तो उसे जुर्मानेके बजाय जेलकी सजा दी जानी चाहिए। मुझे स्वयं तो श्री नायडूसे कोई हमदर्दी नहीं है। ऐसे मामलोंसे हमारा ही नुकसान होता है। मारपीटकी बात इस लड़ाईमें है ही नहीं। इसके अलावा जुर्माना देकर छूटनेको मैं और भी खराब मानता हूँ। जुर्माना सगे सम्बन्धियोंने दिया, यह उन लोगोंके लिए भी बदनामीकी बात है। जो मारपीट करके या दबाव डालकर लोगोंको पंजीकृत होनेसे रोकनेकी बात सोचते हैं, वे इस भव्य धार्मिक स्वदेश हितकी लड़ाईको समझते ही नहीं।

पंजाबियोंकी याचिका

पंजाबियोंने लॉर्ड सेल्बोर्नके पास जो याचिका भेजी[2] है उसका अनुवाद निम्नानुसार है,

हम पुराने भारतीय सैनिक हैं। हममें ४३ पंजाबी मुसलमान, १३ सिख, तथा ५४ पठान हैं। हम सब ब्रिटिश प्रजा हैं। हमें बोअर युद्धके समय यहाँ लाया गया था।

१ यहाँ पत्रका सारांश मात्र दिया गया है। मूल अंग्रेजी पत्रके अनुवादके लिए देखिए "पत्र : अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके अध्यक्षको", देखिए पृष्ठ ३८५-८६।

२. मूल अंग्रेजी पत्रके अनुवादके लिए देखिए "प्रार्थनापत्र : उच्चायुक्तको", पृष्ठ ३८४-८५।

जब हम दक्षिण आफ्रिकामे आये, हमारे अधिकारियोने कहा था कि लडाईके बाद आप लोग ट्रान्सवालमे चाहे जिस हिस्सेमे रह सकेंगे ।

हममे से कुछ लोग चित्रालकी चढाई, तीरा मुहिम और दूसरी लडाइयोमे ब्रिटिश सरकारकी ओरसे लडे है ।

हममे से बहुत लोग एशियाई कानून सम्बन्धी लडाईके कारण अभी बेकार ह। कुछ लोगोको पजीकृत न होनेके कारण नौकरीसे बरखास्त हाना पडा है। कुछ लोगासे यह कहा गया है कि नये कानूनके अन्तगत पजीकृत हो जाओ तो नौकरी मिलेगी।

किन्तु हमारी नम्र रायमे एशियाई काननके सामने झुकना हमारे लिए असम्भव है। क्योकि उस तरहका अपमान हमने कभी नही भोगा। हम सैनिक होकर अपनी इज्जत और दर्जा क्यो गँवाये ?

भारत लौटना अब हमारे लिए सम्भव नही है।

इसलिए आदरपूवक निवेदन करते ह कि आप दक्षिण आफ्रिकामे बडी सरकारके न्यासीके समान है अत आपको हम सरक्षण देना चाहिए।

इसलिए हम आशा करते है कि आप हमे यथासम्भव सरक्षण प्रदान करेगे।

चीनीकी मृत्युपर शोक सभा [बुधवार]

एक चीनीने आत्मघात किया था। उसकी स्मतिमे चीनी सघने आज (बुधवारको) एक सभा की थी। इस सभाको देखनेवालेके मनमे चीनियोके प्रति सदविचार आये बिना रह ही नही सकते। इन लोगोने अपना सुन्दर सभा-भवन काले कपडोसे सजा दिया था। उसमे एक ओर मृत चीनीकी तसवीर रखी थी। बीचमे धरना देनेवाले स्वयसेवक खडे थे। आसपास कुर्सिया रखी गई थी, जिनपर आमन्त्रित लोगोको बैठाया गया था। लगभग एक हजार चीनी अपने हाथोमे फूलकी मालाएँ लिये बहुत धीरे-धीरे तसवीरके पास गये और मतात्माके लिए दुवा मागते हुए दूसरे दरवाजेसे निकल गये। ये सब लोग बहुत ही साफ-सुथरे कपडे पहनकर आये थे। बादमे उन्होने चीनी भाषामे मर्सिया गाया। मर्सिया गा चुकनेके बाद दूसरे सभा कक्षमे सभा हुई। सभा कक्ष पूरा भर गया था। वहा उनके प्रमुख श्री क्विनने चीनी और अग्रेजीमे भाषण दिया। फिर श्री गाधी और श्री पोलकने कानूनके बारेमे समझाया, और बैठक समाप्त हुई। उनकी एकता, उनका साफ सुथरापन और उनकी हिम्मत, तीनो बाते हमारे लिए अनुकरणीय है।

प्रिटोरियामे मारपीट

श्री हाजी इब्राहीम एक गद्दार है। उन्हे एक पठान श्री बनुतखानने मारा था। उस पठानपर मुकदमा चल रहा हे। उसकी पूरी खबर अभी नही मिली है। दिखाई यह पडता है कि पजीयन पत्र लेने ओर शपथ तोडनेके कारण बनुतखानने हाजी इब्राहीमको लकडी मारी। इसपर हाजी इब्राहीमने उसे पछाड दिया और वह उसपर चढ बैठा। बनुतखानने छूटनेके लिए उसका गाल नोच लिया। बनुतखानकी जमानत पहले १०० पौड रखी गई थी क्योकि श्री चैमनेने खबर दी थी कि उसने उन्हे भी धमकी दी थी। किन्तु आधा मुकदमा हो जानेपर जमानत ५० पौड कर दी गई थी। मजिस्ट्रेटने बनुतखानको २० पौड जुर्माना किया है और वह रकम उसने दे दी है।

मणिलाल देसाईका पत्र

प्रिटोरियाके मुख्य धरनेदार श्री मणिलाल देसाईने अखबारोंको पत्र लिखा है कि धरना देनेवाले मारपीट बिलकुल नहीं करते, न बल-प्रयोग करते हैं। वे बहुत ही धीरे और प्रेमसे कानूनकी बारीकियाँ समझाते हैं तथा उससे होनेवाली अड़चनोंका बयान करते हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०–११–१९०७

३०४ भाषण चीनी संघमें[1]

[जोहानिसबर्ग
नवम्बर २७, १९०७]

उन्होंने कहा कि ऐसे अवसरपर इस अधिनियमपर विचार करना धर्मभ्रष्टताका कार्य जैसा लगता है, परन्तु चूँकि अध्यक्षने एक उदाहरण[2] उपस्थित कर दिया है, मुझे उसका अनुसरण करना ही है, और विशेषकर इसलिए कि जिस संस्कारमें हम लोगोंने अभी हालमें भाग लिया है वह इस अधिनियमसे इतना अधिक सम्बद्ध है। मैंने प्रायः यह आक्षेप सुना है कि चीनी लोग मानव-जीवनकी वैसी कद्र नहीं करते जैसी कि अन्य लोग करते हैं। परन्तु यदि मुझे इस सम्बन्धमें कभी कोई भ्रम था तो वह आज अपराह्णमें मैंने जो-कुछ देखा, उससे दूर हो गया है। अच्छा होता, यदि जनरल स्मट्सने उस महान संस्कारको देखा होता जिसमें हम लोगोंने भाग लिया था। मेरा विचार है, उस दशामें जनरल स्मट्सने यह कहनेसे पहले, कि उन्होंने अपना चरण जहाँ रोपा है उसे वे वहीं रोपे रहेंगे, दुबारा सोचा होता। एशियाई अधिनियमसे लड़नेकी सलाह मैंने दी और मैं अब भी महसूस करता हूँ कि मैंने वही किया है जो ठीक, उचित और न्यायानुकूल है। मैंने अपने देशवासियोंको वह सलाह दी है और मुझे आपको भी, साथी एशियाइयोंके रूपमें, वही सलाह देनेमें कोई हिचक नहीं है। मैंने ब्रिटिश प्रजाजनों और गैर-ब्रिटिश प्रजाजनोंके बीच एक रेखा खींचनेका कठिन और सुदीर्घ प्रयास किया। मैंने यहाँकी सरकारसे, और साम्राज्यीय सरकारसे भी, जोरोंसे प्रार्थनाएँ कीं कि कमसे कम ब्रिटिश प्रजाजनों और अन्य एशियाइयोंमें कुछ भेद तो किया ही जाना चाहिए। साम्राज्यीय सरकार और स्थानीय सरकार, दोनोंने जोरके साथ उत्तर दिया, "नहीं"। और यद्यपि मैंने अपने देशवासियोंके लिए और स्वयं अपने लिए उन सब अधिकारोंकी माँग की जो ब्रिटिश प्रजाजनोंको समुचित रूपसे प्राप्त होने चाहिए, तथापि वह माँग शीघ्रतासे ठुकरा दी गई और ब्रिटिश भारतीय तथा अन्य एशियाई एक ही श्रेणीमें रख दिये गये।

१. चाउ क्वाई नामक एक चीनीने पंजीयनके सामने झुकनेसे होनेवाले अपमानका अनुभव करके आत्महत्या कर ली थी। उनकी स्मृतिमें एक सभा हुई। चीनी संघके अध्यक्ष श्री क्विनने गांधीजीको इस सभामें भाषण देनेके लिए आमन्त्रित किया था।

२. उन्होंने श्रोताओंको एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके लादे जानेका विरोध करनेके लिए प्रोत्साहित किया था।

मुसीबतने हमें इस सघषमें अजीब हम बिस्तर बना दिया है। यह सवथा सत्य है कि इस स्थितिके बावजूद ब्रिटिश भारतीय अब भी किसी न-किसी प्रकार ब्रिटिश प्रजावाली भावना-से चिपके हैं और उनका विचार है कि किसी-न-किसी दिन वे इस दलीलको फलीभूत करनेमें समर्थ हो जायेंगे। जहाँतक इस बातका सम्बध है, चीनी सघष ब्रिटिश भारतीय सघषसे भिन्न है, परन्तु जहाँतक इस काले कानूनके परिणामोका सम्बध है, चीनी सघष ब्रिटिश भारतीयोके सघष जसा ही है, और चूकि यह कानून दोनोको समान रूपसे पीसता है, इसलिए दोनो उससे लड रहे ह। यदि एशियाई अधिनियमके रद किये जानेके बारेमे कोई औचित्य ढूँढा जाये तो मेरी रायमे इसके दो उदाहरण दिये जा सकते ह। महत्त्वकी दष्टिसे निश्चय ही पहला है, आप चीनी श्रोताओके एक देशभाईकी मृत्यु। आपके देशभाईने, जिसे वह गलती समझता था, उसके लिए आत्म-बलिदान किया है। यह दिखानेका एक क्षुद्र प्रयत्न किया गया है कि उस आदमीने अय कारणोसे अपनी जान दी। परन्तु यह स्पष्ट तथ्य है कि उस आदमीने इस काले, क्षुद्र एशियाई अधिनियमके कारण अपने प्राण दिये। दूसरा उदाहरण, जिसका उहोने उल्लेख किया, स्वय (वक्ताके) अपने देशभाइयोमें से एकका था। [उन्होने कहा,] एक ऐसे आदमीको, जो कि पूणतया निर्दोष था और अपना जीवन अपनी समझके अनुसार सर्वोत्तम ढगसे बितानेका प्रयत्न कर रहा था तथा अपने देशवासियोकी आध्यात्मिक आवश्य कताओकी पूर्ति कर रहा था, जेल भेजा गया और वह आज भी मात्र इसी एशियाई अधि नियमके कारण जोहानिसबगमें अवहेलित है।[1] सब तरहके अभियोग उसके विरुद्ध लगाये गये ह और उन राजद्रोहात्मक अभियोगोके लिए रचमात्र भी सबूत नही है। म केवल इतना ही कह सकता हूँ कि चीनी और ब्रिटिश भारतीय, यदि वे अपने प्रति ईमानदार ह, अपने देश वासियोके प्रति ईमानदार हैं और अपने सम्मानको अय सारी चीजोसे मूल्यवान समझते ह तो, वे उस अधिनियमको, जो अभी ही उनपर इतनी ज्यादती कर चुका है, कभी सिर नही झुका सकते। यह सघष एक नतिक और धार्मिक सघष है। उहोने श्रोताओको स्मरण दिलाया कि सदाचार अपना पारितोषिक स्वय है और कहा कि यदि यह युरोपीयो और एशियाइयोके परस्पर विरोधी अधिकारोका प्रश्न होता तो सरकारने जो रुख अख्तियार किया है वह म समझ सकता था। परन्तु मुझे विश्वास है कि यह युरोपीयो और एशियाइयोके बीचका सघष नहीं है। जनरल स्मटसके बहुत दृढ़ होनेकी ख्याति है और वे ऐसे ह भी, परन्तु जहाँतक एशियाइयोका सम्बन्ध है, उस ताकतका सबूत मिलना अभी बाकी है। उन्होने कहा है कि वे [ट्रान्सवाल सरकारके सत्ताधारी लोग] तेरह हजार ब्रिटिश भारतीयो और तेरह सौ चीनियोकी आत्माकी पुकार नही सुन रहे ह और उहोने एक ऐसे कामको करनेके लिए अत्यन्त सडियल रास्ता चुना है जो बहुत पहले ही अच्छे तरीकेसे किया जा सकता था। दूसरी दिसम्बरके बाद उनकी स्वतत्रता उनकी न रहेगी, परन्तु वे गिरफ्तार हो या नहीं, वे अपने सामने उस मृत व्यक्तिकी भावनाको रखेंगे और इस सघषमे याद रखेंगे कि सदाचार अपना पारितोषिक स्वय है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन ७–१२–१९०७

१ यहाँ रामसुन्दर पण्डितसे तात्पर्य है, देखिए 'रामसुन्दर पण्डितका मुकदमा' पृष्ठ ३५२ ५६।

३०५ हम विरोध क्यो करते है

पिछले पन्द्रह महीनोमे मुश्किलसे ऐसा कोई सप्ताह गुजरा होगा जब इन पष्ठोमे एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके विरुद्ध कोई वक्तव्य प्रकाशित न हुआ हो। और तब भी इस तथ्यसे इनकार नही किया जा सकता कि अधिकाश यूरोपीय तथा अनेक भारतीय भी यह नही बता सकेंगे कि महज पजीयन कानूनका इतना तीव्र तथा सतत विरोध क्यो किया जाना चाहिए। कुछ लोगोका कहना है कि अधिनियम इसलिए आपत्तिजनक है कि उसके अनुसार एशियाइयो और उनके आठ सालसे ऊपरकी आयुवाले बच्चोको अपनी अँगुलियोके निशान देने पडते है, जब कि कुछ अन्य लोगोकी आपत्ति इस बातपर आधारित हे कि यह एशियाइयोको परेशान करनेके असीम अधिकार दे देता है। हम इन आपत्तियोका महत्त्व कम नही आकते, लेकिन हमको यह स्वीकार करनेमे तनिक भी सकोच नही हे कि अपने आपमे ये आपत्तिया नगण्य है ओर कमसे-कम उस बलिदानके योग्य तो नही ही ह, जिसकी भारतीयोने शपथ ली हे ।

तब यह जी तोड सघष किसलिए? इसका उत्तर यह हे कि यदि इस अधिनियमको उन घटनाओके सन्दभमे पढा जाये जो इसके पूव घटित हुई और जिन्होने इसको जन्म दिया, तो ज्ञात होगा कि यह एक ऐसा कानून हे जो भारतीयोको आदमी मानता ही नही हे, जब कि भारतीय भी जीवनकी सभी सारभूत बातोमे उतने ही सभ्य होनेका दावा करते है जितने कि स्वय कानून निर्माता। यह अधिनियम एक ओर तो ट्रासवाल सरकारको यह अधिकार देता है कि वह भारतीयोके साथ, उनके विचारो और भावनाओकी कोई परवाह किये बिना, जैसा चाहे वैसा बरताव कर सकती है। दूसरी ओर सरकार इस बातसे मुकर जाती है कि उसे ऐसा कोई सहज अधिकार प्राप्त है, विशेषकर उस दशामे जब कि उसके क्रिया कलापोका सम्बन्ध वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कम करने अथवा उसपर आघात करनेसे हो।

यदि हमसे यह बतानेको कहा जाये कि सरकारका ऐसा कोई मन्तव्य या दावा अधिनियमकी किस धारासे प्रकट होता हे तो अपनेको भावुकताके आरोपका भागी बनाये बिना किसी एक विशेष धारापर अँगुली रखना, शायद मुश्किल होगा। जिस प्रकार यह बताना सम्भव नही है कि अफीमके किस खास कणमे विष है, उसी प्रकार, शायद, यह बताना भी असम्भव है कि अधिनियममे यह विष कहा व्याप्त हे। किन्तु किसी भी आत्माभिमानी एशियाईके लिए पूराका पूरा अधिनियम, नि सन्देह, विषसे भरा हुआ है और ऊपर बताई हुई छोटी छोटी बातोको एक साथ मिलाकर देखनेसे यह तथ्य बिलकुल साफ हो जाता है। इस अधिनियमके सामान्य प्रभावको केवल अनुभव किया जा सकता हे उसे शब्दोमे व्यक्त नही किया जा सकता, और इसीलिए जनताने जिस भयकर भावनाको अनजाने ही, किन्तु सचमुच सदा अनुभव किया हे उसको प्रकट करनेके लिए प्रतीकोका उपयोग किया हे। इस अधिनियमके प्रशासनके लिए किये गये प्रयत्नोके सिलसिलेमे जो कुछ घटित हुआ — उदाहरणाथ, करीम जमालपर व्यथ ही मुकदमा चलाना, प्रार्थियोकी गुप्त जाच करना, भारतीय पुजारीके मुकदमेमे चौका देनेवाले रहस्योद्घाटन –[1] वह भारतीय जनता द्वारा अपनाये गये दष्टिकोणको भयकर रूपसे पुष्ट करता है और उसे सवथा उचित ठहराता है।

१ देखिए पृष्ठ १३६, १४६, ३५२ ५६ ।

ऊपर हमने जो कुछ कहा है उसके बाद यह दिखाना, शायद, अनावश्यक ह कि इसमे धार्मिक आपत्ति कहा है, किन्तु इसकी अधिक बारीकीसे जाच करना, सम्भवत आवश्यक हे, क्योकि सदभाव रखनेवाले मित्रोने भी यह प्रश्न किया हे। उच्चतम दृष्टिकोणसे परखते हुए हम उस कारगर दलीलसे काम नही लेग जो तुक मुसलमाना तथा अ य तुक प्रजाजनोके बीच किये जानेवाले मनमाने ओर द्वेषजनक भेदभावके रूपमे हमे प्राप्त हे, कि तु हम धमात्मा पुरुषोके सामने अपनी दलील एक सीधे सादे प्रश्नके रूपमे रखेगे यदि यह सच हो कि भारतीय लाग शुद्ध अन्त करणसे यह मानते है कि अधिनियम उनको पौरुषहीन बनाता हे, उनको गिराता है, उनको प्राय दास बना देता हे तो क्या जो मनुष्यताके दर्जेसे कम है वे कभी परमात्माकी पूजा कर सकते ह ? क्या वे मनुष्य, जो कानन विशेषके घातक परिणामाको अच्छी तरह जानते हुए भी उसे मात्र स्वाथपरता तथा सासारिक समद्धिके क्षुद्र उद्देश्योसे स्वीकार कर लेते है, कभी परमात्माकी सेवा कर सकते है ?

इस दृष्टिसे देखनेपर यह साफ हो जाता हे कि यह सघष अत्यधिक महत्त्वपूण है। मुटठी भर आदमी, जिनको आम तौरपर कोई खास बहादुर नही समझा जाता, अपनेसे अधिक शक्तिशाली और असीम सत्ता सम्पन्न सरकारके विरुद्ध सघष कर रहे है। क्या वे कामयाब हो सकते है ? हम जोर देकर कहते है, हा ''— बशर्ते कि वे, जैसा अबतक करते आये है, अभिप्रेत परिणामके अनुपातमे ही महान बलिदान करनेको इच्छुक ओर प्रस्तुत हो।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–११–१९०७

३०६. हम कानूनके विरुद्ध क्यो हैं ?

इस प्रश्नके उत्तरमे आज बारह महीनोसे कुछ-न-कुछ लिखा जाता रहा हे। इतना होनेपर भी हमे डर है कि लडाईकी जड इतनी गहरी है कि इने गिने भारतीय ही उसे ठीक तरहसे समझते है। यह आशा की जा सकनी है कि अब सच्चे खेलका प्रसग आ पहुँचा हे। हमे उम्मीद है कि सरकार डरी हुई हे तो भी सोके लगभग भारतीयोपर हाथ डालेगी ही। यदि न डाले तो हमे सचमुच खेद होगा। यो कहना सरसरी तोरसे देखनेपर कदाचित् उचित न माना जाये, फिर भी हम अपने कथनको न्यायोचित समझते है, क्योकि हमारी कसौटीका समय आ गया हे। लोग जोशमे है। इस अवसरको चुका कर सरकार हमारा डका नही बजने देगी। इसलिए फिर ऐसा अवसर और नही आनेवाला है। युद्धमे पहुँचा हुआ योद्धा बिना लडाई किये लौटनेपर जिस प्रकार निराश हो जाता हे, ट्रासवालके भारतीयोकी इस समय वैसी ही दशा है। इसलिए, और कुछ नही, तो सौके लगभग भारतीय जेल जाये तभी लडाई जमी मानी जायेगी। यह समाचारपत्र ट्रान्सवालके पाठकोके हाथमे पहली या दूसरी दिसम्बर तक ही पहुँच पायेगा। उस समय बहादुर लोग इस विचारसे आतुरतापूवक प्रतीक्षा कर रहे होगे कि हम पहले रणमे जाये, अर्थात बिना अपराधके पकड लिये जाये। और कायर घरमे दुबक कर 'हाय, पकड लेंगे तो' इस डरके मारे बिन मोतके 'मरे! मरे!' कर रहे होगे। और दोगलोके भाग्यमे तो ऐसे देश-प्रेमका अवसर होगा ही कहासे ? कायर और बहादुर दोनोके लिए दो

दिसम्बरका अवसर हम भव्य मानते है। डरपोकोको भी धन्यवाद देते है। क्योकि, डरते रहनेपर भी देशके हितका खयाल करके उन्होने पजीयन करवाकर अपने नामपर बट्टा नही लगने दिया।

ऐसा हम किस हेतुसे लिख रहे है? भारतीय समाजपर ऐसा कौन-सा भारी काम आ पडा है? कानूनका विरोध क्यो कर रहे है? अब इन प्रश्नोके उत्तरोका विचार करे। बहुतेरे लोगोका खयाल हे कि लडाई इसलिए चल रही हे कि हमे दस अँगुलियोकी निशानी देनेमे आपत्ति हे। कुछ लोगोकी आपत्तिका केवल इसीमे समावेश हो जाता है कि उन्हे मा और स्त्रीका नाम देना पडता हे। फिर, कुछ लोगोका कहना हे कि पुलिस घर-घरमे जाच करेगी यह तकलीफकी बात हे। यह भी सच हे कि ये सारी बाते अपमानजनक है। दस अँगुलियोकी निशानी केवल चोर ही देते ह। अपमान करनेके हेतु पवित्र माका नाम लेनेके लिए कहनेपर कमरसे तलवारे निकल पडी है। सदिग्ध समझकर पुलिसने किसीसे पास मागा तो अपमानसे जले भुने उस मनुष्यका घूसा खाकर पुलिसको धूल चाटनी पडी हे। इतनेपर भी यदि कोई कर्तव्य रूपसे नही बल्कि विवेकपूर्वक अँगुलियोकी निशानी देनेके लिए कहे और हम दे तो उसमे विशेष दु ख नही हे। जिस प्रकार माला फेरकर ईश्वर — खुदाका नाम हम लेते है उसी प्रकार खुशी-खुशी हम माका नाम लेगे। मतलब यह कि उपयुक्त बाते अपमान करनेके इरादेसे दाखिलकी गई है, इसीलिए आपत्तिजनक है। मूलत उनसे हमे आपत्ति नही है। सभी पीले मनुष्य पीलियाके रोगी नही होते। परन्तु साधारणतया अस्थिपजर जैसे शरीरमे हम पीलापन देखेगे तब हम मान लेगे — उस शरीरमे पीलियाका रोग है। वैद्य पीलेपनका इलाज नही करेगा, बल्कि पीलिया रोगका इलाज करेगा।

तब कानूनमे पीलिया कहा है, यह देखना है। पीलापन देख लिया। पीलिया तो यह हे कि इस कानूनको बनाकर गोरे लोग यह बताना चाहते है कि एशियाई लोग मनुष्य नही, पशु है, स्वतन्त्र नही, गुलाम है, गोरोकी बराबरीके नही, उनसे हलके दर्जेके है, उनपर जो कुछ हो वह सहन करनके लिए जन्मे है, उन्हे सिर उठानेका — विरोध करनेका अधिकार नही है, वे मर्द नही, नामर्द है। अँगुलियोकी निशानी आदि लक्षणोसे यह स्थिति — पीलिया — प्रकट हो रही है। कानून जो-कुछ करवाना चाहता हे वह जबरदस्ती करवाना चाहता हे। वह भारतीयोको, जो कि साहूकार है, चोर ठहराता है। हमे चोर ठहराकर तथा हमारे बच्चोको भी चोर मान कर उन्हे अशोभनीय तरीकेसे परेशान करता है और उनमे डर पैदा करता है। हमारे देशमे बालकोको जैसे "हौवा आया" यह कहकर बचपनसे डरा देते है, उसी प्रकार उन्हे यहा भी डरानेके लिए यह कानून है। हमसे कोई पूछे कि यह सब कानूनकी किस धारामे है तो वह बताना कठिन हो जायेगा। धतूरेके फूल देखकर कोई नही बता सकता कि उसमे जहर किस जगह है। उसकी परीक्षा जैसे खानेपर होती हे उसी प्रकार इस कानूनको समझा जाये। इस सारे कानूनको पढनेवाला और समझनेवाला मर्द हो तो उसके रोगटे खडे हुए बिना नही रहेगे। यह भारतीयोका पानी उतार देता हे। और बिना पानीकी तलवार जैसे निकम्मी हो जाती हे वैसे ही इस कानूनको स्वीकार करनेवाला भारतीय मर्दकी श्रेणीसे निकल जाता है।

अब कोई कहेगा कि धर्म-सम्बन्धी आपत्ति क्या है? यह तुर्कीके मुसलमानोपर लागू होता है और ईसाइयो तथा यहूदियोको छोड देता है। इस बातको हम भले छोड दे, परन्तु यह कानून यदि हमारा अपमान करनेवाला हो और हमे जानवरकी भाति रखनेवाला हो तो हम यह सवाल करते है कि क्या जानवर कभी खुदाको पहचानता है? क्या वह धर्म समझता है?

वास्तवमे यह कानून एशियाई और गोरोके बीचका युद्ध हे। गोरे कहते है," हम एशियाइयोको केवल यत्रके समान अपनी गधा-मजूरी करवानेके लिए ही रखेगे।" भारतीय लोग ट्रान्सवालमे कानूनका विरोध करके कहते ह, "हम रहेगे, तो स्वतत्र मदके रूपमे और सामान्य व्यवहारमे बराबरीवालोके रूपमे रहेगे?" वास्तवमे कानूनका मतलब यही है। ऐसी लडाईमे बलवानसे टक्कर लेकर जीतना कठिन और सरल दोनो है। कठिन इसलिए कि बडी मुसीबत उठानी पडती हे। सरल इसलिए कि मनुष्य देशकी भलाईके लिए, समाजके कल्याणके लिए कष्ट उठानेमे सुख मानता ह।

मै बिना किसी हिचकिचाहटके कहूँगा कि जा मनुष्य यह प्रश्न करता हे कि बलवान ओर सब प्रकारसे — धनसे, शरीरसे, शस्त्रसे समथ गोरोके मुकाबलेमे मुट्ठीभर भारतीय कसे जीतेगे, उसको खुदापर पूरा भरोसा नही हे। हम कैसे भूल जायेगे कि —

जनम्या ते मरवा माट हिमत नही हारो,
समरथ छे मालिक साथ, रहम करनारो।

फिर, समथ हानेपर भी जब कोई अत्याचार करता है तब क्या होता हे यह हमे बताया गया है

कहा मनसूर खुदा मै हूँ यू ही कहता था आलम को।
गया सूली प चढनेको, तेरा दुश्वार जीना हे।।

इस लडाईमे हमारी जीतके लिए एक ही शत हे, सो यह कि हमारी हिम्मत सच्ची होनी चाहिए। हमारी मुसीबत उठानेकी शक्तिरूपी तलवार लकडीकी नही, बल्कि पानी चढी फौलाद की होनी चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

३०७ हमारा परिशिष्ट

श्री अमीरुद्दीन फजदारका स्वदेश लौटनेका प्रसग आया इसलिए [भारतीय राष्ट्रीय] काग्रेसके प्रतिनिधिकी बात चली थी। श्री अमीरुद्दीनने शुरूसे ही कानूनके खिलाफ चुस्तीसे जोश बताया था। इसलिए जब उनके स्वदेश जानेकी बात हुई तब उनसे कुछ मित्रोने पूछा कि वे स्वय प्रतिनिधि बनेगे या नही। श्री अमीरुद्दीनने तुरत ही बीडा उठा लिया। वे यह कह कर गये हैं कि भारतमे पहला काम वे यही करेगे। इस बार हम उनका चित्र प्रकाशित कर रहे हैं।

श्री अमीरुद्दीनकी आयु छत्तीस वष है। उनके मातापिता जमीदार थे। इसीलिए उनका आस्पद फजदार है। वे प्रसिद्ध झटाम परिवारके हैं। सन १८८८ मे पहले पहल ट्रान्सवाल आये तब अहमद कासिम कमरुद्दीनकी प्रसिद्ध पेढीमे मुशीके रूपमे बहाल हुए। १८९३ तक उनके यहा नोकरी करनेके बाद उन्होने अपना व्यापार शुरू किया। उनकी पेढीका नाम है

मुहम्मद हुसैन कम्पनी। बहुतेरे गोरोंने उन्हें माल न देनेका डर दिखाकर पंजीयन करवानेके लिए प्रलोभन दिया। लेकिन उन्होंने अपनी एक ही टेक रखी।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०–११–१९०७

३०८ खूनी कानून तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियम

हम इस अंकमें नया कानून तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमोंका अंग्रेजी और गुजराती रूपान्तर दे रहे हैं। हम गुजराती अनुवाद पहले भी दे चुके हैं[1]। इस बारका अनुवाद कुछ विस्तारसे किया है। अब उसके साथ-साथ शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड भी दिये जा रहे हैं। इसके सिवा इस अंकमें दूसरी महत्त्वपूर्ण बातें भी हैं। इसलिए यह अंक प्रत्येक भारतीयको ध्यानसे पढ़ना और सँभालकर रखना चाहिए। हम यह जानते हैं कि नया कानून और उसके विनियम ही कानूनके विरोधमें सर्वश्रेष्ठ दलीलें हैं। इसलिए यह कानून तथा इसके विनियम हम पुस्तकके रूपमें गुजराती तथा अंग्रेजीमें भी प्रकाशित कर रहे हैं। उसकी कीमत ६ पेंस रखी गई है। हमें विश्वास है कि भारतमें भी यह अंक तथा इस कानूनकी पुस्तिका घर-घरमें पहुँचेगी।

१ १८८५ का कानून ३ निम्न परिवर्तनके साथ कायम रहेगा।

२ एशियाई, यानी कोई भी भारतीय कुली अथवा तुर्कीकी मुसलमान प्रजा। इसमें मलायियों और गिरमिटमें आये हुए चीनियोंका समावेश नहीं होता। (इसके अलावा, पंजीयन अधिकारी आदिकी व्याख्या दी गई है। उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं।)

३ ट्रान्सवालमें वैध रूपसे रहनेवाले प्रत्येक एशियाईको पंजीकृत हो जाना चाहिए। इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा।

निम्न व्यक्ति ट्रान्सवालमें वैध रूपसे रहनेवाले एशियाई माने जायँगे।

(क) जिस एशियाईको अनुमतिपत्र कानूनके अन्तर्गत अनुमति मिली हो, बशर्ते कि वह अनुमतिपत्र धोखेसे अथवा गलत ढंगसे प्राप्त किया गया न हो। (मुद्दती अनुमतिपत्रोंका समावेश इसमें नहीं होता।)

(ख) प्रत्येक एशियाई जो १९०२ के मई महीनेकी ३१ वीं तारीखको ट्रान्सवालमें रहा हो।

(ग) जो १९०२ के मई महीनेकी ३१ वीं तारीखके पश्चात् ट्रान्सवालमें जन्मा हो।

४ प्रत्येक एशियाई, जो इस कानूनके अमलमें आनेकी तारीखको ट्रान्सवालमें मौजूद हो, उपनिवेश सचिव द्वारा निश्चित की गई तारीखसे पहले निर्धारित स्थानपर निर्धारित अधिकारीके यहाँ पंजीयनके लिए आवेदनपत्र दे। कानूनके अमलमें लाये जानेकी तारीखके बाद ट्रान्सवालमें प्रवेश करनेवाला प्रत्येक एशियाई, यदि उसने इस कानूनके

१ देखिए "नया खूनी कानून", पृष्ठ १९-२५ तथा "खूनी कानून", पृष्ठ ७५-८०।

अन्तगत नया पजीयनपत्र न लिया हो, तो, पजीयनके लिए अपना आवेदनपत्र प्रविष्ट होनेके आठ दिनके अन्दर भेज दे। परन्तु

(क) इस धाराके अनुसार आठ वषसे कम उम्रके बालकके लिए आवदन करना आवश्यक नही है।

(ख) आठ वषसे सोलह् वष तक के बालकके लिए उसका अभिभावक पजीयनका आवेदनपत्र दे। और अगर वैसा आवेदनपत्र न दिया गया हो तो सोलह् वषकी आयु होनेके बाद बालक स्वय दे।

५ पजीयक वैध रूपसे रहनेवाले एशियाईके आवेदनपर ध्यान देगा। पजीयक उपर्युक्त एशियाईको तथा जिसे वह् मान्य करे ऐसे एशियाईको पजीयनपत्र दे।

यदि पजीयन अधिकारी किसी एशियाईके आवेदनको अस्वीकृत कर दे, तो उस एशियाइको न्यायाधीशके समक्ष उपस्थित होनेके लिए वह् कमसे कम १४ दिनका नोटिस दे, और यदि निश्चित तारीखपर वह् उपस्थित न हो, अथवा उपस्थित रहते हुए भी न्यायाधीशको अपने ट्रान्सवालमे रहनेके अधिकारके सम्बन्धमे सन्तुष्ट न कर सके ओर वह् १६ वषकी आयुका हो तो, उसे न्यायाधीश ट्रान्सवाल छोडनेका आदेश दे। ओर इस हुक्मपर १९०३ के शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड ६, ७ और ८ लागू होगे। यदि न्यायाधीशको विश्वास हो जाये कि उपयुक्त एशियाई वैध निवासी है तो उसे पजीयन अधिकारीको पजीयनपत्र देनेका आदेश देना चाहिए।

६ जो एशियाई आठ वषसे कम आयुके किसी बालकका अभिभावक हो, उसे अपना आवेदनपत्र देते समय कानूनके अनुसार पजीयन अधिकारीको उस बालकका विवरण ओर हुलिया दना चाहिए। यदि उस व्यक्तिका आवेदन स्वीकृत किया गया तो उसके पजीयनपत्रपर वह् विवरण और हुलिया लिख दिया जायेगा। फिर, उस बालकको आठ वषकी उम्र हो जानेपर एक वषके अन्दर पजीकृत करनेके लिए वह् अपने जिला न्यायाधीशके मारफत दुबारा अर्जी दे।

ट्रान्सवालमे जन्मे हुए बालकका एशियाई अभिभावक बालककी आठ वषकी आयु होनेपर एक वषके अन्दर उसे पजीकृत करनेके लिए अर्जी दे।

(क) यदि अभिभावक उक्त प्रकारसे आवेदन न दे तो पजीयन अधिकारी या न्यायाधीश जो समय निश्चित करे उस समय अभिभावक अर्जी दे।

(ख) यदि अभिभावक आवेदन न दे, अथवा आवेदन दिया गया हो किन्तु अस्वीकृत हो गया हो, तो १६ वषकी आयु हो जानेपर वह् बालक स्वय एक सालके अन्दर आवेदन करे। जिस न्यायाधीशके पास ऐसा आवेदनपत्र पहुँचे वह् उस आवेदनके साथ सभी कागज पजीयकको भेज दे और यदि पजीयक ठीक समझे तो, आवेदकको पजीयनपत्र दे दे।

७ अभिभावकने उपयुक्त प्रकारसे आठ वषके बालकका नाम और हुलिया दज न कराया हो और आठ वषके बाद बालकका पजीयनपत्र न लिया हो तो १६ वषकी उम्र हो जानेपर बालक स्वय एक महीनेके अन्दर आवेदन करे। और पजीयकको उचित मालूम हो तो वह् उसका पजीयन कर दे।

८ इस कानूनके अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने या बालकके पजीयनके लिए उपर्युक्त ढगसे आवेदन नही देगा तो उसपर १०० पौड तक जुर्माना होगा, ओर जुर्माना न देनेपर उसे तीन महीने तक की कडी या सादी कैदकी सजा दी जायेगी।

जो भी व्यक्ति ऐसे किसी सोलह् वषसे कम आयुवाले एशियाईको ट्रासवालमे लायेगा, जो यहाका वैध निवासी न हो, और जो व्यक्ति उस लडकेको नौकर रखेगा, वे दोनो अपराधी समझे जायेगे, और उन्हे उपयुक्त प्रकारसे सजा दी जायेगी, यदि ऐसे व्यक्ति एशियाई हुए तो उनका पजीयन खारिज कर दिया जायेगा आर उन्हे ट्रासवाल छोड देनेका आदेश दिया जायेगा। यदि वे ट्रासवाल नही छोडेगे तो उन्हे कानूनके मुताबिक जुर्माने या जेलकी सजा दी जायेगा, ओर शान्ति-रक्षा अध्यादेशके खण्ड ६, ७ और ८ उसपर लागू होगे।

सोलह् वषसे ज्यादा उम्रवाला जो भी एशियाई उपनिवेश सचिव द्वारा निश्चित की गई अवधिके पश्चात ट्रासवालमे बिना पजीयनके पाया जायेगा उसे ट्रासवाल छोडनेका आदेश दिया जायेगा ओर यदि वह ट्रासवाल नही छोडेगा तो उसे जुमाने अथवा कदकी सजा होगी।

उपयुक्त प्रकारसे पजीयनरहित एशियाई पजीयनका आवदन न देनेका न्यायालयको सन्तोषप्रद कारण बतायेगा तो उसे न्यायाधीश आवेदन करनेके लिए मोहलत दे सकता है। और उस अवधिमे यदि वह पजीयन न कराये तो उसे फिर ट्रान्सवाल छोडने या सजा भोगनेका आदेश दिया जायेगा।

९ सोलह् वषकी आयुवाला जो कोई एशियाई टासवालमे प्रवेश करेगा अथवा रहता होगा उसे कोई भी पुलिस या उपनिवेश सचिव द्वारा आदिष्ट व्यक्ति पजीयनपत्र दिखानेके लिए कह सकेगा, ओर इस कानूनकी धाराओके अनुसार निर्धारित विवरण तथा हुलिया माग सकेगा।

सोलह् वषसे कम उम्रवाले एशियाईका अभिभावक उस बालकका पजीयनपत्र दिखाने और विवरण तथा हुलिया प्रस्तुत करनेके लिए उपयुक्त प्रकारसे बाध्य है।

१० जिस व्यक्तिके पास इस कानूनके अनुसार प्राप्त किया हुआ नया पजीयन पत्र होगा उसे ट्रासवालमे रहने और प्रवेश करनेका हक है। किन्तु जिसे शान्ति-रक्षा अध्यादेशके खण्ड १० के अन्तगत हुक्म मिला हो, उसे यह हक नही है।

११ जिस व्यक्तिको किसी दूसरे व्यक्तिका पजीयनपत्र अथवा मियादी अनुमतिपत्र मिले उसे सारे दस्तावेज तत्काल पजीयकके पास भेज दने चाहिए। यदि वह नही भेजेगा तो उसका ५० पौड तक जुर्मानेकी अथवा एक महीनेकी कडी या सादी कैदकी सजा दी जायेगी।

१२ जिस व्यक्तिका पजीयनपत्र खो जाये उसे तुरन्त नये पजीयनपत्रके लिए अर्जी देनी चाहिए। उस अर्जीमे कानूनके मुताबिक सारा विवरण दिया जाये ओर उसपर पाच शिलिगके टिकट लगाये जाये।

१३ 'गजट' मे निर्धारित की गई तारीखके पश्चात किसी भी एशियाईको राजस्व या नगरपालिका कानूनके अनुसार तबतक परवाना नही दिया जायेगा जबतक वह अपना पजीयनपत्र न दिखाये तथा माँगी हुई हकीकत व हुलिया न दे दे।

१४ किसी भी एशियाईकी आयुका प्रश्न खडा होनेपर यदि वह प्रमाणोके साथ आर कोई आयु सिद्ध न कर सके तो पजीयक द्वारा निश्चित की हुइ आयु ही सही मानी जायेगी।

१५ इस कानूनके अ तगत जो हलफनामा देना पडेगा उसपर टिकटकी आवश्यकता नही हे।

१६ जो व्यक्ति पजीयन प्रमाणपत्रके सम्ब धमे कुछ धोखा देगा, अथवा झूठ बोलेगा, अथवा दूसरे व्यक्तिको झूठ बोलनेके लिए प्रोत्साहन देगा या सहायता करेगा, अथवा जाली पजीयनपत्र कामम लायेगा, अथवा वैसा पजीयनपत्र दूसराको काममे लानेके लिए देगा, उसपर ५०० पौड तक जुर्माना होगा, अथवा दा वष तक की कडी या सादी कैदकी सजा होगी।

१७ उपनिवेश सचिव अपनी इच्छानुसार किसी भी एशियाईको मुद्दती अनुमतिपत्र दे सकते है। उस अनुमतिपत्रकी अवधि समाप्त हो जानेपर वह व्यक्ति बिना अनुमति-पत्रका माना जायेगा। फिर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, इसपर शान्ति रक्षा अ यादेशके खण्ड ७, ८ ओर ९ लागू होगे, ओर उस कानूनकी रूसे उसे उपनिवेश छोडनेका हुक्म हो गया है, ऐसा मानकर सजा दी जायेगी। आजतक ऐसे जितने भी अनुमतिपत्र दिये जा चुके ह उन सबपर यह कानून लागू समझा जायेगा। मियादी अनुमतिपत्रवालेको शराबकी छूट मिल सकती हे। अलावा इसके, जिन एशियाइयोपर यह कानून लागू नही होता, उन्हे भी उपनिवेश सचिव शराबकी छूट दे सकते है।

१८ गवनर निम्न लिखित कामोके लिए नियम बना सकते है

(१) पजीयनपत्र किस प्रकारका रखा जाये।

(२) पजीयनपत्रके लिए अर्जी किस प्रकार की जाये, किस रूपमे दी जाये, उसमे दी जानेवाली हकीकते क्या हो, हुलियामे क्या-क्या लिखा जाये।

(३) पजीयन प्रमाणपत्र किस प्रकारका लिया जाये।

(४) आठ वषसे कम आयुवाले बालकका अभिभावक, वह एशियाई जिससे खण्ड ९ के अनुसार पजीयनपत्र मागा जाये, खोये हुए पजीयनपत्रकी प्रतिलिपि मागनेवाला एशियाई तथा व्यापारिक परवानेके लिए अर्जी देनेवाला कोई भी एशियाई क्या क्या हकीकते, और कौन कौनसा हुलिया दे।

(५) खण्ड १७ के अनुसार किस प्रकार अनुमतिपत्र दिया जाये।

१९ प्रत्येक एशियाई अथवा एशियाईके अभिभावकपर, यदि वह अपने लिए ऊपर निर्दिष्ट की गई बाते नही करता, और यदि इसके लिए कोई अन्य सजा निर्धारित नही की गई है, १०० पौड तक जुर्माना किया जायेगा अथवा उसे तीन महीने तक का सपरिश्रम या सादा कारावास दिया जायेगा।

२० चीनियोसे सम्बधित नौकरीका कानून [श्रम आयात अध्यादेश] एशियाइयोपर लागू नही होगा।

२१ १८८५ के कानूनकी तारीखसे पहले यदि किसी एशियाईने अपने नामपर जमीन खरीदी होगी तो उसके उत्तराधिकारीको वह जमीन पानेका अधिकार होगा।

२२ जबतक सम्राट् स्वीकृति न दे और वह स्वीकृति 'गजट मे प्रकाशित न हो जाये तबतक यह कानून अमल नही आयेगामे।

नये कानूनमें उल्लिखित १९०३ के शान्ति-रक्षा अध्यादेशके कुछ खण्ड

६ जो व्यक्ति पंजीयन न होनेके कारण गिरफ्तार किया जायेगा उसे सीधे मजिस्ट्रेटके पास ले जाया जाये। और यदि वह व्यक्ति उपनिवेशमें रहनेका अपना हक साबित न कर सके, तो उसे मजिस्ट्रेट अपनी मर्जीके मुताबिक निश्चित अवधिके भीतर उपनिवेश छोड़नेका नोटिस दे। परन्तु यदि वह व्यक्ति यह बता सके कि उसके पास अनुमतिपत्र है, किंतु उसे प्रस्तुत नहीं कर सकता, अथवा यह बता सके कि वह उस वर्गका व्यक्ति है जिसे अनुमतिपत्र रखनेकी आवश्यकता नहीं है, तो बादमें अधिक प्रमाण पेश करनेके लिए मजिस्ट्रेट उसकी जमानत लेकर उसे छोड़ सकता है। यदि वह जमानतकी शर्तें तोड़े, तो जमानतपत्रके मुताबिक उसका पैसा जब्त कर लिया जायेगा।

७ जिस व्यक्तिको उपनिवेश छोड़नेका हुक्म दिया गया हो, पर उसने उपनिवेश नहीं छोड़ा हो, तो उसे तथा जिस व्यक्तिने उसकी जमानत ली हो और जमानतकी शर्त उपर्युक्त धाराके अनुसार टूट गई हो तो उसे भी बिना वारंटके गिरफ्तार किया जा सकता है। गुनाह साबित होनेपर मजिस्ट्रेट उन्हें कमसे कम एक महीने और अधिकसे अधिक ६ महीनेकी सख्त अथवा सादी कैदकी सजा दे सकता है। साथ ही वह उसे ५०० पौंड जुर्माना कर सकता है। तथा जुर्माना न देनेपर ६ महीने तक की अतिरिक्त कैदकी सजा दे सकता है।

८ उपर्युक्त धाराके मुताबिक जेलकी सजा भोगकर छूटनेपर यदि कोई व्यक्ति [उपनिवेश-सचिवसे लिखित[1] आज्ञा लिये बिना] उपनिवेशमें ७ दिनसे अधिक रहेगा, तो उसपर फिरसे मुकदमा चलाया जायेगा और उसे कमसे कम ६ महीने और अधिकसे अधिक १२ महीनेकी जेलकी सजा देने अथवा ५०० पौंड तक जुर्माना करने और यदि वह न दे तो अतिरिक्त ६ महीने तक की जेलकी सजा देनेका मजिस्ट्रेटको अधिकार है।

९ जो व्यक्ति

(१) झूठे तरीकेसे अनुमतिपत्र लेगा अथवा दूसरेको लेनेमें मदद करेगा,

(२) और झूठे ढंगसे लिये हुए अनुमतिपत्रका उपयोग करेगा अथवा दूसरेसे करवायेगा,

(३) अथवा झूठे ढंगसे मिले हुए अनुमतिपत्रके सहारे, अथवा जो अनुमतिपत्र बाकायदा नहीं मिला हो उसके सहारे दाखिल होगा, अथवा दाखिल करानेका प्रयत्न करेगा, उस मनुष्यको ५०० पौंड तक का जुर्माना होगा, अथवा २ वर्ष तक की जेलकी सजा दी जायेगी, या दोनों सजाएँ मिलेंगी।

१० जब वाजिब कारणोंसे लेफ्टिनेन्ट गवर्नरको संतोषजनक ढंगसे इस बातका विश्वास हो जायेगा कि अमुक व्यक्ति उपनिवेशमें शान्ति अथवा सुशासनको खतरा पहुँचानेवाला है, तब वह उस व्यक्तिको निश्चित अवधिके भीतर उपनिवेश छोड़नेको हुक्म दे सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति अवधि बीतनेपर उपनिवेशमें देखा जायेगा तो उसके विरुद्ध ऊपर बताये गये खण्ड ७ और ८ के मुताबिक मुकदमा चल सकता है और उनके मुताबिक उसे सजा मिल सकती है।

१ ये शब्द अंग्रेजी पाठके आधारपर जोड़े गये हैं।

खूनी विनियम

यह कानून एक पुस्तिकाके आकारमे प्रकाशित हुआ है। कीमत है ६ पेनी, डाकखच आधा पेनी।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ३०–११–१९०७

३०९ पत्र उच्चायुक्तके निजी सचिवको

२१–२४ कोट चेम्बस
नुक्कड, रिसिक व ऐडसन स्ट्रीट
पो० आ० बॉक्स ६५२२
जोहानिसबग
दिसम्बर ३, १९०७

निजी सचिव
परमश्रेष्ठ उच्चायुक्त
जोहानिसवग

महोदय,

श्री डेविड पोलकने मुझे अभी श्री हास्केनका एक सदेश दिया है जिसमे मुझे सुझाया गया हे कि एशियाई कानून सशोधन विधेयकके सम्बन्धमे जो गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसके विषयमे मै परमश्रेष्ठसे निजी रूपमे मिलू और उनके सम्मुख वह बात रखू, जो मेरी समझसे एशियाई जातियोको मान्य हो और साथ ही सरकारके मुरय उद्देश्यको भी पूरा करे।

मै अब जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसकी प्रस्तावनामे यह कहना शायद जरूरी नही है कि इस मामलेमे मुझे जो रुख अपनानेकी आवश्यकता प्रतीत हुई है उसमे मेरी इच्छा जितनी अपने देशवासियोकी सेवा करनेकी है उतनी ही सरकारकी सेवा करनेकी भी है। मैने जिन बातोको इस साम्राज्यकी खूबी समझा है, उनके कारण मै अपनेको उसका भक्त मानता हूँ। इसीलिए मैने यह देखकर — चाहे मेरा देखना सही हो या गलत — कि एशियाई कानून सशोधन अधिनियममे साम्राज्यके लिए खतरेके बीज छिपे हुए है, अपने देशवासियोको किसी भी कीमतपर, अत्यन्त शान्तिपूण और, कहूँ तो, शिष्ट ढगसे इस अधिनियमका विरोध करनेकी सलाह दी है।

सरकारका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक भारतीयकी, जो इस उपनिवेशमे रहने और प्रवेश करनेका अधिकारी हे, शिनाख्त करना है। मेरी विनम्र सम्मतिमे यह उद्देश्य प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियममे सशोधन करके पूरा किया जा सकता है। इस अधिनियमपर अभी सम्राट्की स्वीकृति नही मिली है और मेरा विश्वास है कि उसके वतमान स्वरूपमे उसे स्वीकृति

१ इसके बाद खूनी धाराओका ब्योरा और फॉर्म दिये गये है, जिनके लिए देखिए "खनी कानून", पृष्ठ ७५ ८० और परिशिष्ट ४।

नही मिलेगी। मेरी विनम्र सम्मतिमे स्वेच्छया पजीयनका प्रस्ताव शान्ति रक्षा अध्यादेशके रद हो जानेकी सम्भावनाको देखते हुए, अधिक उपयोगी न होगा, क्योकि जो भी पजीयन प्रमाणपत्र लिये जायेगे वे शान्ति रक्षा अध्यादेशके बिना बेकार होगे। इसलिए मैं निम्न सुझाव देनेका साहस करता हूँ।

(क) सरकारी 'गजट' मे इस अधिनियमके अन्तर्गत पजीयनके सम्बन्धमे प्रकाशित सूचनाएँ वापस ले ली जायें,

(ख) ससदके अगले अधिवेशनमे प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियममे ऐसा सशोधन कर दिया जाये कि जो भारतीय उपनिवेशमे शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत रहने या प्रवेश करनेके अधिकारी हो, या जिनके पास १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत तीन पौडी पजीयन प्रमाणपत्र हो और जो उनके सम्बन्धमे अपना अधिकार सिद्ध कर सकें, उनको अधिवास प्रमाणपत्र देनेकी व्यवस्था हो जाये। अधिवास-प्रमाणपत्र पजीयन प्रमाणपत्रका स्थान लेंगे और उनमे पूरी शिनाख्त — हुलिया — दर्ज होगी। इसमे अधिवासी एशियाइयोके अवयस्क बच्चोंके प्रमाणपत्रोका समावेश नही होता, किन्तु किसी प्रकारकी जाली कारवाई न हो इसके लिए उनके नाम और आयु अधिवास प्रमाणपत्रोमे दे दिये जायेंगे। इससे ज्यादासे ज्यादा जो भी हो लेकिन उपनिवेशमे एशियाई बच्चोकी सख्यामे अवध वद्धि कदापि नही हो सकती बल्कि सम्भवत छद्म परिचय भी बहुत थोडे से मामलोमे होगा और उसके विरुद्ध भी प्रवासी-प्रतिबन्धक अधिनियमके अन्तर्गत कडी कारवाई की जा सकती है। सशोधनमे उन एशियाइयोके लिए भी जो शिक्षा सम्बन्धी परीक्षा पास कर सकेंगे, अधिवास-प्रमाणपत्र लेनेकी बात शामिल नही है। जैसी उपधारा इस समय है उसके अन्तर्गत यह परीक्षा काफी कडी है और इसलिए यह अपने आपमे शिनाख्तका पूरा साधन प्रस्तुत कर देती है। सशोधनसे एशियाई अधिनियम भी रद हो जायेगा।

यह देखते हुए कि पजीयनके बिना पन्द्रह महीने बीत गये हैं, कदाचित तीन या चार महीने और बीतनेसे कोई अन्तर नही पडेगा। किन्तु यदि सरकारका विचार दूसरा हो, तो सादर निवेदन है कि सूचनाएँ वापस लेनेपर वह, भारतीय समाजकी सदाशयताकी परीक्षा करनेके लिए ही सही, वर्तमान कागजोकी जगह पजीयन प्रमाणपत्र जारी कर सकती है। ये प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियममे सशोधनके समय अधिवास प्रमाणपत्र मान लिये जा सकते हैं।

मेरी सम्मतिमें, एशियाई अधिनियमको स्वीकृत करनेका मुख्य कारण "बडे पैमानेपर"[1] चोरीसे प्रवेश करनेका आरोप था। चूकि मैंने एकके बाद एक अनेक अधिकारियोके अधीन एशियाई विभागके सचालनको सदा निकटसे देखा है इसलिए मुझे यह बात सदा ही बहुत खटकी है। कप्तान फाउलने जिन प्रमाणोके आधारपर यह माना था कि बहुत कम भारतीय चोरी छिपे आते हैं, उन्ही प्रमाणोका प्रयोग करके श्री चैमनेने प्रतिकूल प्रतिवेदन दिया। मेरा अब भी विश्वास है कि श्री चैमने जिस पदपर हैं उसके लिये वे सर्वथा अयोग्य हैं, क्योकि उनमे प्रमाणोकी सूक्ष्म जाच करनेकी कानूनी योग्यता बिलकुल नही है। मेरे मनमे व्यक्तिश उनके विरुद्ध कुछ नही है। वे शिष्ट और सन्देहसे परे हैं, किन्तु इन दोनो गुणोसे उस अतिरिक्त योग्यताकी कमी पूरी नही होती जो उस पदके लिए, जिसपर वे हैं, अनिवार्य है। इसलिए

१ मूलमें ये शब्द रेखांकित हैं।

मै वतमान प्रमाणपत्रोके परियतनके विकल्पके रूपमे यह सुझानेका साहस करता हूँ कि चोरी-छिपे प्रवेशके आरोपकी जाचके लिए सर्वोच्च न्यायालयके न्यायाधीशको, या विटवॉटसरड जिलेके मुरय न्यायाधीशको या किसी दूसरे ऊँचे अधिकारीको जिसे कानूनी ज्ञान हो, नियुक्त किया जाये। वह ऐसी प्रत्येक बातके सम्बन्धमे, जो एशियाई विभागके अधिकारी उसके सामने रखे, प्रतिवेदन दे सकेगा, ओर यदि जाच जनताके लिए खुली हो ओर गवाहोसे खुली पूछताछ की जाये तो उससे ट्रासवालके लोगोकी चिन्ता दूर होगी जो प्रतिवेदन दिया जायेगा उस पर कोई सन्देह न कर सकेगा एव उससे कदाचित इस पत्रमे सुझाये गये सशोधनका माग प्रशस्त हो जायेगा।

मै शिनाख्तके तरीकोकी जाच करने ओर अँगुलियोके निशानोके प्रश्नपर जानबूझ कर नही विचार कर रहा हूँ क्योकि वह एक गौण प्रश्न हे। यदि एशियाई अधिनियमको रद करने ओर भारतीय समाजका सहयोग लेनेका विचार मान लिया जाये तो मुझे इसमे कोई सन्देह नही हे कि अन्य कठिनाइया दूर को जा सकती ह।

यदि आवश्यकता होगी तो मै कानूनी भाषामे प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके सशोधनोको प्रस्तुत करनेके लिए तैयार हूँ। मेरी विनम्र सम्मतिमे इनमे एशियाई अधिनियमका उद्देश्य जहातक शिनाख्तका सम्बन्ध हे, बिलकुल पूरा हो जाता हे और ब्रिटिश भारतीयोकी भावनाओको भी किसी तरह ठेस नही पहुँचती।

आपका आज्ञाकारी सेवक,

मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

आकाइव्ज ऑफ ट्रान्सवाल गवनर, प्रिटोरिया फाइल ५३ / ११ / १९०७।

३१० मुहम्मद इशाकका मुकदमा[1]

[फोक्सरस्ट
दिसम्बर ६, १९०७]

श्री गाधीने जो अपराधीके वकील थे, सोचा कि कानूनके महकमेके अनिणयका उसके मुवक्किलके प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडना चाहिए, और विशेषकर उस दशामे, जब वह गिरफ्तार है और जमानतपर छूटनेमे इनकार करता है। यदि उसके विरुद्ध कोई निश्चित अभियोग नहीं लगाया जा सकता तो उसे तुरन्त रिहा कर दिया जाना चाहिए। सरकारके लिए

१ मुहम्मद इशाक, जो पेशेसे एक बावर्ची था, भारतसे लौटनेपर फ़ोक्सरस्टमें गिरफ्तार किया गया। बोअर युद्धसे पहले वह ट्रान्सवालमें चार वर्ष रह चुका था। शान्ति रक्षा अध्यादेश और १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत उसे एक अनुमतिपत्र और एक पजीयन प्रमाणपत्र दिया गया था। वह डी'विलियर्स सहायक अधिवासी मजिस्ट्रेटके समक्ष पेश किया गया और उसने जमानतपर छूटनेसे इनकार किया। परन्तु सार्वजनिक अभियोक्ता श्री मेंज़ उस अपराधीके विरुद्ध अभियोग लगाये जानेके बारेमे हिदायतोकी तब भी प्रतीक्षा कर रहे थे।

उसको पुन गिरफ्तार करनेका माग तब भी खुला रहेगा, क्योकि उनके मुवक्किलकी यह देश छोडनेकी इच्छा नही है, वरन यहा[१] बने रहनेके अपने अधिकारका दावा करनेकी है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

३११ पत्र उपनिवेश-सचिवको

जोहानिसबग
दिसम्बर ७, १९०७ के पूव

सेवामे
माननीय उपनिवेश सचिव
[प्रिटोरिया
महोदय,]

मेरे सघने मुझे निर्देश दिया हे कि मै आपका ध्यान परिवहन-उपनियमोके उस सशोधनकी ओर आकर्षित करूँ, जो जोहानिसबग नगरपालिकाने प्रथम श्रेणीकी घोडागाडियोके सम्बन्धमे पास किया हे।[२] यदि सरकार इस सशोधनको स्वीकार कर लेती हे तो इससे ब्रिटिश भारतीयो द्वारा प्रथम श्रेणीकी घोडागाडियोके उपयोगपर रोक लग जायेगी। मेरे सघका निवेदन है कि इस प्रकारका भेदभाव सवथा अनावश्यक ओर क्षोभकारी होगा।

कुछ विशेष धधोमे लगे एशियाइयोको जो छूट दी गई है उससे तो समाजने अपमानका ही अनुभव किया है, और कुछ नही। प्रसगवश, मेरा सघ आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित करता है कि जहा किसी उदात्त धधेमे लगे लोग प्रथम श्रेणीकी घोडागाडियोका उपयोग कर सकते है, उनकी पत्निया तथा उनके बच्चे स्पष्टत इस सुविधासे वचित है।

मेरा सघ यह विश्वास करनेका साहस करता है कि सरकार कृपाकर उस समाजके साथ, जिसका मेरा सघ प्रतिनिधित्व करता है, न्याय करनेके लिए उक्त सशोधनको अस्वीकार कर देगी।

[आपका, आदि,
ईसप मियाँ
अध्यक्ष,
ब्रिटिश भारतीय सघ]

इडियन ओपिनियन, ७-१२-१९०७

१ और आगे बहसके बाद मजिस्ट्रेटने इस मामलेको जोहानिसबर्ग वापस भेज दिया जिससे खर्च और देरी बचाई जा सके। उसने मुहम्मद इशाकको स्वय अपने विवेकपर छोड दिये जानेकी आज्ञा दी। जब ११ दिसम्बरको जोहानिसबर्गमें यह मामला श्री जॉर्डनके समक्ष सुनवाईके लिए लाया गया तब उसी धाराके अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया जिसके अन्तर्गत ९ दिसम्बरको ३७ भारतीयोका मुकदमा सुना गया था। (देखिए "भारतीयोका मुकदमा", पृष्ठ ४१९ २०)। जो गवाहियाँ गुजरी वे भी उसी प्रकारकी थी। **इडियन ओपिनियनने** १४-१२-१९०७ को इसका यह विवरण छापा श्री गाधीने अपराधीकी ओरसे बिना कोई गवाह पश किये उसकी रिहाईकी माँग की। श्री जॉर्डनने एक विचारपूर्ण फैसला सुनाया। उसमें उन्होने शान्ति रक्षा अध्यादेशकी उन धाराओकी पूर्ण व्याख्या की जिनका इस मामलेसे सम्बन्ध था, और अपराधीको रिहा कर दिया। अदालत भारतीयोसे ठसाठस भरी थी।

२ देखिए "पत्र जोहानिसबर्ग नगरपालिकाको", पृष्ठ २०९।

३१२ पत्र उच्चायुक्तको

[जोहानिसबग
दिसम्बर ७, १९०७ के पूव]

[उच्चायुक्त
प्रिटोरिया

महोदय]

इस पत्रके साथ मै परमश्रेष्ठके विचाराथ सादर एक प्राथनापत्र[1] भेज रहा हूँ। इसपर जमादार नवाबखा और फजले इलाहीने उन लोगोकी ओरसे हस्ताक्षर किये है, जिनका ये प्रति निधित्व करते है। उन लोगोके नाम भी प्राथनापत्रसे सलग्न सूचीमे दिये गये है। यह प्राथना-पत्र मै उन पजाबी, पठान, और सिखोके अनुरोधपर भेज रहा हूँ, जो ट्रासवाल निवासी ब्रिटिश प्रजाजन ह।

इस प्राथनापत्रको भेजने हुए मै जानता हूँ कि यदि, कदाचित परमश्रेष्ठने इसमे हस्तक्षेप किया भी तो वह बडी कठिनाईसे ही ऐसा करना स्वीकार करेगे। परतु ये प्रार्थी पुराने सैनिक है, जो ब्रिटिश सरकारके लिए लडे है और बेशक आज भी उसके लिए और ब्रिटिश झडेके नीचे लडनेको तैयार ह। जहातक इनका सम्बध है, मुझे यह स्पष्ट करनेकी जरूरत नही कि इनकी स्थिति कितनी गम्भीर है। मेरी तुच्छ रायसे यह आवश्यक है कि जिन कष्टोसे वे गुजर रहे है उन्हे दूर करनेके कुछ कदम उठाये जाये। उन्हे स्थानीय सरकार द्वारा अथवा साम्राज्य सरकार द्वारा सरक्षण प्राप्त होना चाहिए।

मैने इनकी अर्जी लिखनेका काम बडे ही असमजससे हाथमे लिया था। परन्तु मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस साम्राज्यसे मेरा नाता है उसके प्रेमीकी हैसियतसे मेरा यह कतव्य है कि उनकी भावनाओको उपयुक्त अभिव्यक्ति प्रदान करूँ। उनमे से कुछ लोग दक्षिण आफ्रिकामे अपने सम्राटके सर्वोच्च प्रतिनिधिके समक्ष अपने दुख व्यक्तिगत रूपसे रखनेको आतुर थे, और अब भी है। तथापि मैने उन्हे समझा दिया हे कि ऐसी प्राथना स्वीकार होनेकी कोई सम्भावना नही है। इसका कारण न केवल परमश्रेष्ठपर कामका बहुत अधिक भार है, बल्कि शायद प्राथियो द्वारा ऐसी कोई प्राथना करनेका अनौचित्य भी हे।

[आपका इत्यादि,
मो० क० गाधी]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–१२–१९०७

1. देखिए 'प्रार्थनापत्र उच्चायुक्तको', पृष्ठ ३८४५।

३१३ रिचकी सेवाएँ

श्री रिच विलायतमें रहकर भारतीयोंके लाभके लिए जो अथक परिश्रम कर रहे हैं उसका सारे भारतीयोंको कदाचित ही पूरा अनुमान होगा। अभी अभी ट्रान्सवालके भारतीयोंकी मुसीबतोंकी हूबहू तस्वीर एक छोटी-सी पुस्तिकाके रूपमें प्रकाशित करके उन्होंने हमारे समाजका और भी अधिक उपकार किया है। प्रत्येक भारतीय जानता है कि श्री रिचकी सेवाका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। २३ पृष्ठकी अंग्रेजी पुस्तिकामें सारे विवरणका समावेश कर दिया है और सन् १८८५ से पड़नेवाली सारी विपत्तियोंका संक्षेपमें बड़ी खूबीसे सुन्दर वर्णन किया है। फिर हमें श्री रिचके परिश्रमका ही लाभ मिलता हो सो बात नहीं उनकी प्रतिष्ठाका भी लाभ मिलता है। अर्थात श्री रिच जैसे १८ वर्ष पुराने गोरे उपनिवेशवासी भारतीयोंके पक्षमें लड़ते हैं इस बातका गोरोंपर अधिक प्रभाव पड़ सकता है। और इसी कारण उन्होंने यह बात पुस्तिकाकी प्रस्तावनामें बताई है। इतनी छोटी पुस्तिकामें श्री रिचने जिस विस्तृत जानकारीका समावेश किया है उससे श्री रिचका परिश्रम प्रकट होता है।[1]

सन १९०३ में लार्ड मिलनरने भारतीय समाजको जो वचन दिये थे श्री रिचने उनकी याद दिलाई, यह ठीक किया। लॉर्ड मिलनरने कहा था[2]

> एक बार पंजीयन करवा लो, जिससे फिर कोई आपका नाम न ले सके। और न आपको फिरसे कभी पंजीयन करवाना पड़े, न अनुमतिपत्र ही लेने पड़े। इस समय पंजीयन करवानेसे आपका यहाँ रहनेका अधिकार पक्का हो जायेगा। इसके बाद आप लोग आने जानेके हकदार हैं।

अनिवार्य पंजीयन और स्वेच्छया पंजीयन दोनोंकी तुलना करके श्री रिचने उनके बीचका अन्तर दिखा दिया है। "स्वेच्छया पंजीयनमें अनिवार्यताका डंक नहीं रहता। गोरोंकी भावनाओंके निर्वाहके लिए स्वेच्छया पंजीयन करवानेमें निश्चय ही भारतीय समाजकी भलमनसाहत मानी जायेगी। अनिवार्य पंजीयन करवाया गया तो भारतीयमें और आफ्रिकीमें भेद नहीं रहता। फिर उस उदाहरणके आधारपर पड़ोसी उपनिवेशी भी ट्रान्सवालके कदमोंपर चलना सीखेंगे। इसके अलावा अनिवार्य रूपसे पंजीकृत होना पृथक बस्तियोंमें निकाल दिये जानेके लिए बीज बोनेके समान हो सकता है।

श्री रिचने अपने लेखमें लम्बी दलीलोंमें उतरनेके बदले महत्त्वपूर्ण घटनाओंको जगह-जगहपर इतनी अच्छी तरह रखा है कि पाठक भारतीय लड़ाईके औचित्यको स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता। अपनी पुस्तिकाके अन्तमें श्री रिचने जो बताया है उसके अनुसार युद्ध पूर्व वचन

१ देखिए परिशिष्ट ८।

२ देखिए खण्ड ३ पृष्ठ ३२७-२८।

और युद्धोत्तर कालके कामके बीचका अंतर देखकर पता चल जाता है कि सरकार किस प्रकार गोलमोल बात करनेवाली है। इसके अलावा श्री रिचके कथनानुसार

> मताधिकार रहित लोगोंकी रक्षा करना ट्रान्सवालका कर्तव्य है। इस बातको छोड़ दें तो भी ट्रान्सवालको चाहिए वह सारे राज्यके हितकी बातोंको पहला स्थान दे। केवल ढाई लाखके लगभग गोरोंके लिए जान बूझकर तीस करोड़ भारतीय प्रजाके लोगोंपर अपमान और मुसीबतें बरसानेसे बड़ी सरकारके राज्य और कीर्तिको कितना बट्टा लगा है यदि इसी बातका गोरे लोग विचार कर ले तो काफी होगा।

श्री रिचकी पुस्तिकासे विलायतमें और अन्यत्र गोरे लोगोंके लिए ट्रान्सवालकी भारतीय समस्याका समझना आसान होगा और भारतीय समाजके लिए वह बहुत ही लाभदायक है।

इस प्रकार जबरदस्त टक्कर ली जा रही है और जान पड़ता है कि समझौतेकी चर्चा भी शुरू हुई है। इसलिए यह कहनकी अब शायद ही आवश्यकता है कि सभी भारतीय दृढ़ रहेंगे और सरकार द्वारा जो भी जाल बिछाया जाये उससे सतर्क रहकर बेधड़क जेल जानेके लिए तैयार रहेंगे।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७–१२–१९०७

३१४ कानून स्वीकार करनेवालोंका क्या होगा?

इस प्रश्नका उत्तर हम तो अनेक बार दे चुके हैं। किन्तु अब श्री हिलने दिया है। श्री हिल एशियाई विरोधी मण्डलके एक नेता हैं। उनके लिखे हुए पत्रका सारांश[1] हमने दिया है। वह सबके पढ़ने योग्य है। श्री हिल कहते हैं कि नया कानून तो एशियाइयोंको निकाल बाहर करनेका आरम्भ मात्र है। कानून तो और भी बनाने ही हैं। इसलिए नये कानूनके विरुद्ध भारतीयोंने जो लड़ाई शुरू की है उसका सरकारको सीधा उत्तर देना है। अर्थात इस कानूनको पूरी तरहसे अमलमें लाकर एशियाइयोंको पछाड़ा जाये। उन्हें पछाड़नेके बाद गोरे जो भी करना चाहेंगे कर सकेंगे। ऐसे पत्रके बाद भी क्या कोई मान सकता है कि नये कानूनके सामने झुकनेवाला ट्रान्सवालमें सुखसे रह सकेगा?

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७–१२–१९०७

१ यहाँ प्रकाशित नहीं किया गया है।

३१५ रामसुन्दर पण्डित

हमारे पास ऐसे पत्र आये हैं जिनमे पण्डितजीके सम्बन्धमे कुछ प्रश्न पूछे गये हैं। उन पत्रोको हम प्रकाशित करना नही चाहते। क्योकि उनमे लेखकोने बडी गलतफहमीसे काम लिया है। पत्रोमे एक प्रश्न ऐसा उठा है, जिसका हम यहा खुलासा करेंगे। किसीने पूछा है कि पण्डितजी मीयादी अनुमतिपत्रकी मीयाद पूरी हो जानेपर भी यही रहे और जेल गये, इससे समाजका क्या फायदा? इस प्रश्नके पूछे जानेमे बडी भूल हुई है। सभी मीयादी अनुमति पत्रवाले पण्डितजीके समान लड नही सकते थे। मीयाद बीत जानेपर वे ट्रान्सवाल छोडनेके लिए बधे हुए थे। कि तु धमगुरुका काम करनेवाले मोहलत न मिलनेपर भी रह सकते थे। इसलिए, और समाजकी माग थी इसलिए, वे यहा रहे। उनके लिए जर्मिस्टनकी जमातने पत्र भी लिखा था। और उनपर जो मुकदमा चलाया गया वह नये कानूनकी १७वी धाराके आधारपर। हमारा खास मत है कि उनके मुकदमेसे कौमको बहुत ही लाभ पहुँचा है। उनके जेल जानेसे सबको जोश आ गया है। यह समय ऐसा है कि कानूनकी लडाईमे जो भी भारतीय जेल जायेगा उससे फायदा ही होगा। क्योकि यह पहला अनुभव है। कि तु पण्डितजी जैसे व्यक्ति जेल जाये, उसका असर और ही होगा, और हुआ है। इस असरके कारण ही शाहजी साहब आदि उनके पीछे जेल जानेको छटपटा रहे हैं, इसीलिए जर्मिस्टनमे सैकडो भारतीयोकी सभा भी हुई जिसमे पण्डितजीकी बहादुरीकी तारीफ की गई। कहना सबको आता है कि तु करना तो अबतक पण्डितजीको ही आया है। इतना काफी है कि उ होने कोमके हितमे अपना स्वाथ त्याग किया और बाहर निकलनेके बाद और भी ज्यादा करनेको तैयार हैं।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, ७-१२-१९०७

३१६ नेटालमें युद्ध-स्वयसेवक

जूलूलैंडमे फिर काफिरोकी बगावत शुरू हो गई है। इसलिए गोरी सेनाके हजारो आद मियोको भेजा गया है। ऐसे समयमे भारतीय समाजको आगे आना चाहिए। आगे बढनेमे अधिकार प्राप्त करनेपर नजर नही रखनी चाहिए। उसमे हमे केवल इस बातका विचार रखना चाहिए कि समाजका कतव्य क्या है। हक तो बादमे अपने-आप आते हैं। यह सामान्य नियम जान पडता है। भारतीय समाज इस बार फिर पिछले वषके समान प्रस्ताव[1] करेगा तो ठीक ही होगा। इस समय जो लोग युद्ध स्वयसेवक नही बने हैं उनसे अमुक कर लेनेकी प्रवत्ति चल रही है। इस करका बोझ केवल भारतीयोपर ही पडेगा। और उतना कर देनेके बाद भी भारतीय समाजकी भलमनसाहत नही मानी जायेगी। इससे हमे निश्चय हो

१ देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ३०२ और ३०३।

गया हे कि भारतीय समाजको फिरसे सहायताका प्रस्ताव करना चाहिए। हम मान लेते है कि इस समय वैसा करनेके लिए बहुत से भारतीयोमे उत्साह होगा। जो लोग पिछले वष लडाईमे गये थे वे फिरसे जा सकते ह। वे बहुत कुछ प्रशिक्षित हो चुके है और उन्हे कामकी जानकारी हे। हमे आशा है कि यह काम तुरन्त ही हाथमे ले लिया जायेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–१२–१९०७

३१७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

विराट सार्वजनिक सभा

भारतीयोकी आम सभाओका पार नही हे। और वे सभाएँ एकके बाद एक ज्यादा बडी होती जा रही हैं। प्रिटोरियामे जो पिछली सभा हुई थी वह उसके पहलेकी सभासे ज्यादा बडी थी। रविवारको जो सभा[1] जोहानिसबगमे हुई उसने प्रिटोरियाकी सभाको भी मात कर दिया —लोगोमे इतना जोश था, भीड इतनी अधिक थी। अब सभाएँ अपने आप होती है और सभीको उनकी हौस रहती है। किसी भी तरह देशकी सेवाकी जाये, यह उत्साह लोगोमे दिखाई दे रहा है।

दो हजारसे ज्यादा

इस सभामे २,००० से ज्यादा लोग उपस्थित थे। बहुत से गावोसे प्रतिनिधि आये थे। प्रिटोरियासे करीब चालीस थे। पाचेफ्स्ट्रूमसे लगभग सोलह थे। इसी तरह सब जगहोसे प्रतिनिधि आये थे।

सूरती मसजिदके प्रागणमे

सभा सूरती मसजिदके प्रागणमे हुई थी। मसजिदके चबूतरेपर, चादनीपर, छप्परपर लोग बैठे हुए थे। पहला विचार श्री ईसप मियाके नये मकानमे सभा करनेका था। किन्तु सभाके समयसे पहले ही इतने ज्यादा लोग आ गये कि उस घरमे समा नही सके। इसलिए तुरन्त खुलेमे सभा करनेका विचार किया गया।

ईसप मियाँ

अध्यक्षका आसन श्री ईसप मियाने ग्रहण किया था, यद्यपि उस समयकी परिस्थितिमे वे और जोहानिसबगके बहुत से लोग पूरे समय खडे ही रहे थे। आये हुए प्रतिनिधियोका श्री ईसप मियाने स्वागत किया और धरनेदारोका उनके कामके लिए आभार माना।

अन्य भाषणोका साराश

दिसम्बर महीनेमे क्या हो सकता है, इसका श्री गाधीने खुलासा किया और गोरोकी बढती हुई सहानुभूतिके सम्बन्धमे वस्तुस्थितिका वणन किया। भारतीयोके लिए यह समय स्वतन्त्र होनेका हे, इसलिए कोई भी व्यक्ति नेताकी ओर न देखे, बल्कि सभी अपने आपको नेता समझे और जेल वगैरहका जो भी कष्ट आये उसे निभयतापूवक सहन करे।

१ सभा जोहानिसबर्गके समीप फोर्डसबर्गमें हुई थी।

इमाम कादिरने बताया कि ईमानदारोके लिए डरनेका कोई कारण नही हे। वे स्वय धरना देनेवाले है और यदि सरकारने सबसे पहले उन्हे पकडा तो वे खुश होगे।

श्री मणिभाई देसाई (प्रिटोरिया) बोले कि धरना देनेवालोको यदि पहले गिरफ्तार किया गया तो वे उस बोझको बहुत खुशीसे झेल लेगे।

एक धरनेदार कानमियाने, जिनका नाम मुझे मालूम नही हे, कहा कि वे स्वय बिलकुल नही डरेगे।

श्री अब्दुल गनीने कहा कि इस लडाईमे खुदाकी मदद है, क्योकि लडाई सच्ची हे। हमे जेल जानेसे जरा भी नही डरना चाहिए।

श्री नायडूने तामिल भाषामे समझाया।

हजरत इमाम हुसैनको जो कुछ सहना पडा था उसका जिक्र करते हुए श्री शाहजी साहबने कहा कि रामसुन्दर पण्डितपर जो बीता हे वह मुल्ला मौलवियोके साथ भी हो सकता हे। ऐसा सोचकर उनसे रहा नही गया, और वे पण्डितजीके पीछे जेल जानेको तैयार हो गये।

श्री उमरजी सालेने कहा कि वे स्वय जेलसे डरनेवाले नही है।

श्री कुवाडियाने कहा कि सरकार दूकानदारोपर हाथ डाले और उन्हे दूकाने बन्द करनी पडे तो हज नही। इससे और भी जल्दी छुटकारा मिलेगा।

श्री खुरशेदजी देसाई (क्रूगसडॉर्प) ने बताया कि काफिराको पास प्राप्त करनेमे कितनी कठिनाई होती हे।

श्री अब्दुल रहमान (पाचेफस्ट्रूम) ने कहा कि पाचफस्ट्रूम एकदम जोरमे हे ओर सब लोग जेलमे जानेको तैयार है।

श्री उस्मान लतीफ (पॉचेफस्ट्रूम) बोले कि वे भी अपने स्त्री बच्चोको छोडकर जेल जानेको तयार है।

श्री क्विन (चीनी सघके अध्यक्ष) ने अग्रेजीमे कहा कि यह लडाई एशियाइयोको मुक्ति दिलानेवाली हे। सारे चीनी मत्युपयन्त लडनेको तैयार है।

श्री इब्राहीम अस्वातने कहा कि यदि भारतीय समाज इस समय धीरज छोड दे और डरके मारे पजीयन करवा ले तो उसे खुदाके दरबारमे आत्महत्या करनेवाले चीनीको जवाब देना होगा। क्योकि उक्त चीनीने भारतीयोमे पाये हुए उत्साहके कारण ही अपनी जान लडाई थी।

श्री नवाबखाने कहा कि समाजके कल्याणके लिए और धमके लिए हर भारतीयका अन्ततक लडना कतव्य हे।

श्री हाजी हबीबने अपने भाषणमे मेमन लोगोने जो पजीयन करवाया है उसके लिए खेद व्यक्त किया और सलाह दी कि जोश कायम रखा जाये।

श्री पोलकने कहा कि खरा समय अब आनेवाला है। श्री गाधीके जेल चले जानेके बाद उन्हे जितना भी करना चाहिए उसमे वे नही चूकेगे।

कुछ प्रश्नोके उत्तरमे श्री गाधीने कहा कि यदि किसीको गिरफ्तार किया जाये और जेलमे दस अँगुलियोकी निशानी मागी जाये तो वह दे दी जाये। यह लडाई दस अँगुलियोकी निशानीकी नही, गुलामीसे छूटनेकी है। दस अँगुलियोकी छाप देनेका कानून जेलमे सबपर लागू होता है। हमे उसका विरोध नही करना है। किन्तु जेलमे यदि कोई पजीयन करानेको कहे तो वह नही कराना चाहिए। यदि स्वय मुझे गिरफ्तार किया गया तो श्री पोलक तार

वगैरह भेजनेका सब काम कर सकेंगे। किसी भी व्यक्तिको नया पंजीयनपत्र न लेनेके कारण गिरफ्तार किया जाये तो उसे वकील नहीं करना चाहिए।

श्री मनजी लाखानी (प्रिटोरिया) ने कहा कि कुछ लोगोंने तो "कोडी" [कोडी] खेली, कुछ लोगोंने "चैमने" [चिमनी] का धुआं लिया, किन्तु वे स्वयं भिखारी भले बन जायें, पंजीयनपत्र नहीं लेंगे।

श्री काछलियाने कहा कि नेता लोग तत्पर रहें या न रहें किंतु जो लोग गुलामी नहीं चाहते वे तो जूझते ही रहेंगे।

'ट्रांसवाल लीडर' के सम्पादक श्री काटराइट सभाका पता चल जानेसे खास तौरसे देखनेके लिए आ गए थे। उन्हें भारतीयोंसे बहुत ही सहानुभूति है। वे बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और खुद भी सख्त लेख लिखनेके कारण जेल भोग चुके हैं। वे खुद बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, और सच्चेका बचाव करनेमें डरनेवाले नहीं हैं।

रामसुन्दर पण्डितका सन्देश

सोमवारको विशेष अनुमति लेकर श्री गांधी श्री रामसुंदर पण्डितसे मिले। गवर्नरका हुक्म था कि बातचीत अंग्रेजीमें की जाये, इसलिए सारी बातचीत मुख्य संतरीके सामने अंग्रेजीमें हुई। पण्डितजीने बहुत-सी बातें कीं। उनमें से केवल आवश्यक बातें यहां देता हूँ

> सबको खबर दीजिए कि मैं यहां सुखी हूँ। यदि सरकार कड़ी सजा देती तो अधिक अच्छा होता। छूटनेके बाद मैं समाजके लिए फिरसे जेलमें जानेको तैयार हूँ। जेलमें मैंने जेल सम्बन्धी सभी कविताएँ पढ़ी हैं। उन काव्योंसे मुझे बहुत उत्साह मिला है। श्री मेहताबकी कविताओंका असर मेरे मनपर अधिक पड़ा है। मुझे आशा है, जेलसे छूटनेपर इन कविताओंकी पुस्तकें प्रत्येक हाथमें देखूँगा। दिसम्बर लग गया है फिर भी अभीतक दूसरे भारतीय क्यों नहीं पकड़े गये? पकड़े जायेंगे तभी हमें मुक्ति मिलेगी। सबसे कहिए कि जेलमें कुछ भी कष्ट नहीं है। मैं तो जेलमें स्त्रियोंको भी देखता हूँ। मेरी कोई चिन्ता न करे। मैं अपने आपको महलमें बैठा हुआ मानता हूँ। चाहता इतना ही हूँ कि कोई भारतीय कानूनको स्वीकार न करे। गवर्नर और मुख्य संतरी मेरी बड़ी फिक्र रखते हैं।

इसमें जेल सम्बन्धी कविताओंके बारेमें पण्डितजीका कथन देते समय मुझे संकोच हुआ है। किंतु उन्होंने इस बातपर बहुत जोर डाला इसलिए फर्ज समझकर मैंने यह संदेश दिया है। किंतु इसका कोई यह अर्थ न निकाले कि उसमें 'इंडियन ओपिनियन' में काम करनेवाले लोगोंका पैसेका स्वार्थ है। वह अखबार बड़ी मुसीबतसे प्रकाशित होता है और उसमें काम करनेवाले लोग आज भी इतना लाभ नहीं कमा रहे हैं जो वह कुछ गिनतीमें आ सके।

पंजाबियोंका प्रार्थनापत्र

पिछले सप्ताह मैंने पंजाबियोंके प्रार्थनापत्रका अनुवाद दिया था। उसके साथ श्री गांधीने निम्नलिखित पत्र[1] लॉर्ड सेल्बोर्नके नाम लिखा है।

1 पत्रके पाठके लिए देखिए 'पत्र उपनिवेश-मंत्रीको', पृष्ठ ४०९। गुजराती अनुवादमें पत्रका पहला अनुच्छेद छोड़ दिया गया था।

नवम्बर महीनेके गद्दार

नवम्बर महीनेमे धरना देनेवालोने प्रिटोरियामे जोहानिसबगके समान ही काम किया। उनकी सावधानीसे बहुत ही कम भारतीय पजीकृत हुए थे। ओर प्रिटोरियासे तो एक भी नही हुआ, ऐसा माना जा सकता हे। कितु उपनिवेशसे कुछ कुछ लोग आ गये। इसमे हाइडेलबगने पहल की है। यह काम श्री रतिलालने किया जो पढे लिखोकी गिनतीमे आते ह। उनके बाद श्री अबू मिया कमरुद्दीनके कुछ लोग गये और आखिरमे श्री खोटाके लोग। श्री खोटाके लोगोके जानेसे सबको अफसोस हुआ। और उनका जाना सूरती समाजने कलक माना है। श्री रतिलालके जानेसे गुजराती हिदुओमे खलबली मची हे। गुजराती हिदू बिलकुल साफ बचे मालूम होते थे। लोग मानते थे कि श्री लक्ष्मीचन्दके सिवा कोई नही जायेगा। किन्तु रतिलालने उनके इस विश्वासको भग कर दिया है। अपने नौकरोके सम्बन्धमे श्री खोटाने लिखा हे कि नौकरोका दोष नही है। उन्होने स्वय दबाव डाला था इसलिए नौकरोको जाना पडा। नौकरोने साफ इनकार किया था किन्तु श्री खोटाके आग्रहसे वे गये। अब श्री खोटाको अफसोस हे और वे लज्जित ह। इसके अलावा, उन्होने लिखा हे कि उनकी चार दूकाने ह इसलिए उनके मनमे बहुत भय पदा हो गया था। किन्तु अब वे नही जायेगे। इतना ही नही, जेल जाने तक लडते भी रहेगे। श्री खोटाने अपने आचरणके बचावमे कुछ नही कहा इसलिए अब टीका करने जैसी स्थिति नही रहती। किन्तु उनके भयके लिए सबको खेद अवश्य होगा। उन्होने पूरी हिम्मत रखी होती तो बहुत ही शोभनीय होता। मुझे आशा हे कि श्री खोटाके उदाहरणका कोई अनुकरण नही करेगा।

अन्य गद्दारोमे गरीब मद्रासी ओर कलकतिया लोगोका समावेश हो जाता हे। उनका कोई प्रभाव नही हे। क्योकि वे एकदम अजनवी है और गुलामा-जैसी स्थितिमे रह रहे है। इसलिए नवम्बर महीनेमे पजीयन जारी रखनेके लिए कुछ नेताओकी मागकी जो बात निकली थी, वह भी गलत साबित हुई हे।

'सडे टाइम्स'

'सडे टाइम्स'मे यह टीका है कि यदि पहलेके अनुमतिपत्र अधिकारी रिश्वतखोर नही होते तो सरकारको नया कानून बनाना नही पडता। अर्थात, इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार अपने अधिकारियोके अपराधके लिए भारतीय समाजको सजा दे रही है।

दूसरे अखबार

दूसरे अखबारोमे जो लेख आते है उनसे हँसी आती है। सभी अखबार साफ लिख रहे ह कि यह नही दिखाई देता कि सरकार किसीको जेलमे बन्द करेगी। 'स्टार' तो साफ कहता है कि जेलमे बन्द करनेकी जरूरत नही है। सिफ परवाने रोककर लोगोको तग करके धीरे-धीरे पजीयनपत्र लेनेपर मजबूर कर देगे। 'स्टार' साफ कहता है कि मजिस्ट्रेटके सामने किसी भारतीयको खडा किया जायेगा तो वहा भी जेलकी सजा देनेके बजाय मजिस्ट्रेट उसे पजीयन करानेके लिए समय देगा। 'स्टार' का लेख सरकार-प्रेरित जान पडता है इसलिए सभी भारतीय ठीक तरह सावधान रहे।

सावधान रहो

मजिस्ट्रेटके सामने खडे होनेवाले भारतीय यदि डर जायेगे तो ठीक नही होगा। वसे भारतीयको देश निकालेका नोटिस देनेकी अपेक्षा मजिस्ट्रेट पजीयनकी अर्जी देनेके लिए

सिफारिश करेगा। यदि सरकार इस प्रकार जालमे फसाना चाहती हो तो भारतीयोको सावधान रहना चाहिए। एक 'नही' छत्तीस रोगोको दूर करता है। वैसा 'नही' ही मुहसे निकलना चाहिए। अब सरकारकी निबलताकी सीमा नही रही। सरकारको उसका जालिम-पना ही डरा रहा है। कहा गई जनरल स्मटसकी धमकी? कहा गया उनका देश निकाला? सरकार इतनी कमजोरी दिखाती है, फिर भी कुछ भारतीय तो डरते ही रहते हैं।

दूसरी चेतावनी

किसी भी भारतीयके पास बिना पोशाकके जासूस आकर नया अनुमतिपत्र मागे या दूकान बन्द करनेको कहे तो भारतीयको उसकी बात नही माननी चाहिए। जासूस होनके बहाने कोई दूसरा ही आदमी आ सकता है।

समझौतेके लिए हलचल

बहुत से प्रसिद्ध गोरे समझौतेके लिए हलचल कर रहे हैं। सर पर्सी फिट्जपैट्रिक तथा दूसरे लोगोकी मुलाकात होती रहती है। अभी तो लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि सरकार किसीको नही पकडेगी, और ऐसे ही समझौता हो जायेगा। यदि ऐसा हो तो उसका यश रामसुन्दर पण्डितको ओर आत्मघात करनेवाले चीनीको मिलेगा। उस घटनासे सबका भय छूट गया है और एशियाइयोको जोश चढा है। जो-जो बाते हो रही है उनकी हकीकत देनेका अभी समय नही आया है, इसलिए लाचार होकर यही बन्द करता हूँ। सभी अखबार अब लिखने लगे है कि सरकार इस कानूनको अमलमे नही लायेगी। जनवरीमे कुछ न कुछ करेगी। इस प्रकार वह सीढी-दर-सीढी उतरती जा रही है। अब काले हो या गोरे, ऐसी बात तो कोई नही करते कि सरकार सभी लोगोको जेलमे बन्द कर सकती है।

ठीक हुआ!

कुछ कलकतिया तथा मद्रासी फोक्सरस्टकी ओरसे दबाव आनेके कारण अथवा नौकरी चली जायेगी इस भयसे पजीकृत हुए, किन्तु अब वे नौकरी खो बैठे हैं। उनकी नौकरी छूटनेका कारण मालूम नही पडा। किन्तु लोग प्लेगकी छूतका विरोध करनेपर भी नही बच सके, यह जानने लायक बात है। वे अब बहुत पछताते है। नौकरी भी गई और लाज भी गँवाई। एक उदाहरण और भी मुझे मिला है। एक दो भारतीय इसलिए पजीकृत हुए कि उन्हे माल वगैरह मिल जायेगा। उन्होने अब अपने बहीखाते (माल देनेवाले) व्यापारीको सौप दिये हैं। खुदाकी कुदरत कोई जान नही सकता।

एक कोकणी अनाक्रामक प्रतिरोधी

श्री मुहम्मद इशाक नामक कोकणीके पास पुराने पजीयनपत्र तथा अनुमतिपत्र हैं। फिर भी उसे नये कानूनके अन्तर्गत नेटालसे फोक्सरस्ट आते हुए पकडा गया है और उसने जमानतपर छूटनेसे इनकार किया है। श्री गाधीने सरकारी वकीलको तार भेजा है कि उस आदमीको पकडा नही जा सकता। किन्तु यदि बिना मुकदमा चलाये नही छूटेगा, तो वे स्वय उसका बचाव करेगे। इस आदमीपर मुकदमा नही चल सकता, क्योकि वह अभी हालमे ही ट्रान्सवालसे नेटालमे दाखिल हुआ है। उसे आठ दिन तक गिरफ्तार करनेका अधिकार सरकारको नही

है। इस मुकदमेमे ऐसा ही बचाव किया जाना चाहिए। क्योकि बाहरसे आनेवाले आदमीको इस प्रकार आठ दिन खुले रहनेका मौका मिलना चाहिए। इस स्थितिमे मुकदमा जोहानिसबगमे ही चल सकता है और इससे अनाक्रामक प्रतिरोधको बल मिलेगा। यह अनाक्रामक प्रतिरोधी कोकणी हे, इसलिए मै सब कोकणियोको बधाई देता हूँ। मुकदमा जुम्मेके दिन चलेगा। मजिस्ट्रेटने १० पोडकी जमानत तय की हे। किन्तु किसीने जमानत नही दी। फोक्सरस्टसे तार आया हे। उसमे कहा गया हे कि श्री मुहम्मद इशाक बहुत ही हिम्मतवाला ओर बहादुर हे।

समझौतेके बारेमे

समझौतेकी बातचीत चलती रहती हे। लोगोमे जोश इतना ज्यादा हे कि वे अब स्वच्छया पजीयनसे भी मुक्त होना चाहते है और कह रहे ह कि सरकारसे अब बिलकुल कोई समझौता न करके लडाई ही लड ली जाये और जो कागज मिले है उन्हे जमा कर बठे रहे। यह जोश बहुत ही प्रशसनीय हे। समाजके लिए अब बहुत समझदारीसे चलनेका समय आया है। समझौतेके लिए जो बाते आज बारह महीनेसे कही जा रही ह उन्हे वापस नही लिया जा सकता। बुधवारको हमीदिया सभाभवनमे सभा हुई थी। किन्तु उस सभामे बहुतोका उत्साहपूण आग्रह यही रहा कि पुरान पजीयनपर दढ रहे और स्वेच्छया पजीयन न कर वाये। मुझे आशा है कि जब लोगोका यह जोश उतर जायेगा तब ठडे होनेपर वे फिर विवेकपूण माग करेगे। कानूनके टूटनेको मै महान विजय मानता हूँ। और यदि लोग एकमत रहेगे तो कानून टूटेगा ही। किन्तु इसीके साथ हमे यह भी बताना होगा कि हम ठीक रास्तेपर चलनेवाले और वचनका निबाहनेवाले है। जैसे हम ली हुई शपथको तोडना अप राध मानते है, वैसे ही स्वेच्छया पजीयनका वचन देकर उससे मुकरनेमे भी शम हे।

रविवारको सभा

फिरसे विचार करनेके लिए रविवारको सभा होनेवाली हे। अन्तमे समाज समझदारीसे काम लेगा तो यह जोश, जो दीख रहा है, शुभ लक्षण माना जायेगा।

पण्डितजी

श्री रामसुन्दर पण्डित तारीख १३ को सवेरे ९ बजे जोहानिसबग जेलसे छूटनेवाले है। आशा हे उस समय जोहानिसबगके बहुत से भारतीय उनका स्वागत करनेके लिए उपस्थित होगे। उनका स्वागत करनेके बाद सभा करनेका विचार है।[1] दूसरे शहरके लोगोके लिए उचित होगा कि वे बधाईके तथा ऐसे तार भेजे जिनमे कहा गया हो कि आवश्यकता पडनेपर वे फिर जेल जानेकी बहादुरी दिखायेगे।

पजाबी

एक गोरेने लॉड सेल्बोनको लिखा हे कि वे पजाबी आदि लोगोको जूलू लडाईमे नौकरी दे। लॉड सेल्बोनने पजाबियोके प्राथनापत्रका यह जवाब दिया है कि वह प्राथनापत्र स्थानीय सरकारको भेज दिया गया है।

१ देखिए "रामसुन्दर पण्डित", पृष्ठ ४३९।

भूल सुधार

मैने पिछले सप्ताह जब पत्र लिखा तब काग्रेसके प्रतिनिधियोके लिए केवल २५ पोड भेजनेकी बात थी। किन्तु बादमे ३५ पौड भेजनेका फैसला हुआ था, इसलिए ३५ पोडकी हुडी श्री अमीरुद्दीनको भेज दी गई हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ७–१२–१९०७

३१८ भारतीयोका मुकदमा[1]

[फोक्सरस्ट]
दिसम्बर ९, १९०७

जिरहमे गवाहने स्वीकार किया कि एशियाइयो द्वारा पेश किये गये अनुमतिपत्र अबतक के निर्देशके अनुसार उन्हे प्रवेश और पुन प्रवेशका अधिकार देनेके लिए पर्याप्त माने गये ह। उसे नही मालूम था कि पुन प्रवेश अनुमतिपत्रके अनुसार था या शान्ति रक्षा अध्यादेशके अनुसार। उसने एशियाइयोको पुन प्रवेश करने दिया। क्योकि उसे ऐसा ही निर्देश मिला था।

[गाधीजी] आपको अब क्या निर्देश दिये गये है ?

[गवाह] मुझे ये निर्देश दिये गये ह कि १६ वषसे अधिक आयुके सब एशियाई पुरुषोको, जो एशियाई अधिनियमके अन्तगत पजीयन प्रमाणपत्र या ऐसे अस्थायी अधिकारपत्र पेश न कर सकें जिनसे उनको पुन प्रवेशकी अनुमति प्राप्त होती हो, रोक लिया जाये और गिरफ्तार कर लिया जाये।

क्या ये निर्देश ऐसे एशियाइयोपर भी लागू होते है जिनके बारेमे आप जानते हो कि वे पुराने अधिवासी है, जिन्होने अनुमतिपत्र दिखाये होगे और हाल ही मे उपनिवेश छोडा होगा ?

हा, क्योकि इन निर्देशोके अनुसार मेरा कतव्य यही है। यदि एशियाई नये अधिनियमके अन्तगत अधिकारपत्र प्रस्तुत नही कर सकते तो मुझे उन सबको किसी भेदभावके बिना गिरफ्तार करना है।

१ फोक्सरस्टमें आनेपर ६ दिसम्बरको २० भारतीय और उससे अगले दो दिनोमें अन्य १७ भारतीय गिरफ्तार किये गये थे। उनपर सहायक आवासी न्यायाधीश श्री डी' विलियर्सके न्यायालयमें मुकदमा चलाया गया। पहले २० भारतीयोका मुकदमा लिया गया। सरकारी वकील श्री मेंजकी जिरहमें साजट मैन्सफील्डने बताया कि सब अभियुक्तोके पास अनुमतिपत्र और शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत पजीयन प्रमाणपत्र थे उनके अँगूठेके निशान विधिवत् है और उनको अनुमतिपत्रोंके अनुसार उपनिवेशमें प्रवेशका अधिकार है, किन्तु पुन प्रवेशका अधिकार नही है। अभियुक्तोने उसे कहा था कि वे एशियाई अधिनियमको मानना नही चाहते। गांधीजीने उससे जिरह की।

आगे प्रश्न करनेपर सार्जेंट मैंसफील्डने अनुमतिपत्र और पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये और कहा कि ये १८८५के कानून ३ के अंतर्गत लिये गये हैं। इसके साथ सरकारी पक्षकी कारवाई समाप्त हो गई।

श्री गांधीने जोर देकर कहा कि सरकारी गवाहने उनके मुवक्किलोंका पक्ष सिद्ध कर दिया है। न्यायाधीशके सम्मुख जो प्रश्न है वह विशुद्ध रूपसे यह है कि उनके मुवक्किलोंके पास शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अंतर्गत जारी किये गये अनुमतिपत्र हैं या नहीं। ये अनुमतिपत्र सार्जेंट मैंसफील्डने प्रस्तुत किये और यह स्वीकार किया कि वे विधिवत् हैं।

श्री डी' विलियर्स: तब आपका तर्क यह है कि प्रश्न विशुद्ध कानूनी बहसका है?

[श्री गांधी]: हां श्रीमान्, बिलकुल यही।

तब श्री मेजरने बहस की कि इन लोगोंके पास जो अनुमतिपत्र हैं उनमें केवल उपनिवेशमें आने और रहनेका अधिकार दिया गया है, किन्तु उपनिवेशसे जाने और फिर वापस आनेका नहीं। उन्होंने यह तर्क दिया कि जब एक बार ये लोग उपनिवेशसे चले गये तब उनके अनुमतिपत्र रद्द हो गये हैं।

श्री गांधीने उत्तरमें कहा कि प्रश्न फिर वापस आनेका भी नहीं है। न्यायाधीशको आरोपपत्रकी मर्यादाके भीतर रहना है। इसमें उनके मुवक्किलोंपर शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड ५ के अंतर्गत बिना अनुमतिपत्रके प्रवेश करनेका आरोप लगाया गया है। न्यायाधीशके सम्मुख जो साक्षी है उससे निर्विवाद रूपसे सिद्ध होता है कि प्रवेश करनेपर उनके पास वस्तुतः उनके अनुमतिपत्र थे। इसके अतिरिक्त वे सब १८८५ के कानून ३ के अंतर्गत ३ पौंड दे चुके हैं। सरकारी वकीलका तर्क भी उचित नहीं माना जा सकता। सर्वोच्च न्यायालयने भाभा बनाम ताजके मुकदमेमें यह निर्णय दिया था कि उपनिवेशमें आनेके अनुमतिपत्रमें उससे जाने और वापस आनेकी अनुमति भी सम्मिलित होती है। उस मामलेमें न्यायमूर्ति ब्रिस्टोवने करीब-करीब इन्हीं शब्दोंका प्रयोग किया है। इसलिए चाहे जिस प्रकारसे इस मुकदमेपर विचार किया जाये, उनके मुवक्किल बरी होनेके अधिकारी हैं। न्यायाधीशको विधि विभागके निर्देशोंसे या उसने शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड ५ की जो व्याख्या की है उससे कोई सरोकार नहीं है। मेरी सम्मतिमें, निश्चय ही उचित मार्ग यह होता कि यदि उनके मुवक्किलोंने नये अधिनियमका उल्लंघन किया था तो एशियाई विभाग उनपर उसके अंतर्गत मुकदमा चलाता।[1]

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

१ न्यायाधीशने गांधीजीके तर्कको मान लिया और अभियुक्तोंको बरी कर दिया। तब अन्य १७ व्यक्ति न्यायालयमें लाये गये, किन्तु उनपरसे आरोप उठा लिया गया।

३१९ पत्र 'इंडियन ओपिनियन' को

जोहानिसबग
दिसम्बर १२ १९०७

सेवामे
सम्पादक
'इंडियन ओपिनियन'

महोदय,

शायद आप मुझे अपने पत्र द्वारा जनताका ध्यान भारतीयोके उन ३८ मुकदमोसे[१] मिलनेवाले पाठकी ओर आकर्षित करनेकी सुविधा देगे जो देखनेमे शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तगत चलाये जानेपर भी वास्तवमे एशियाई पजीयन अधिनियमके अनुसार चलाये गये ह।

पाठ यह मिलता है कि एशियाई दफ्तरकी कायवाहिया एकदम गुप्त हुआ करती है। इस बातका पता पूनियाकी गिरफ्तारीसे चला कि भले ही भारतीय स्त्रिया अपने वैध रूपसे उपनिवेशमे प्रवेश करनेके हकदार पतियोके साथ हो, स्वय उन औरतोके पास अनुमतिपत्र न होनेपर उनकी गिरफ्तारीकी गैरकानूनी आज्ञाएँ दी गई थी।

एक बारह वषके लडकेकी गिरफ्तारीसे ही यह पता चला कि इस बातकी गुप्त तथा गैर कानूनी हिदायते जारी की गई थी कि अबोध बच्चोके पास अलग अनुमतिपत्र होने चाहिए।

यह बात पण्डित रामसुन्दरके[२] जेल जानेसे मालूम हुई कि एशियाइयोके खिलाफ तहकी कात करनेके लिए एशियाई दफ्तरपर साधारण तथा सवविदित नियम लागू नही होते।

अन्तमे यह रहस्योदघाटन अडतीस भारतीयोकी गिरफ्तारी और उनकी दोसे चार दिन तक की हिरासतसे हुआ कि एशियाई दफ्तरको, पाच सालसे चले आ रहे रिवाजके खिलाफ, अचानक यह पता लगा कि शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तगत जारी किये हुए अनुमतिपत्रोकी सीमामे उपनिवेशसे अस्थायी रूपसे चला जाना तथा वहा लौट आना शामिल नही हे। कानूनकी नई व्याख्याके बारेमे गुप्त रूपसे हिदायते जारी की गई थी और भारतीयोको उनके बारेमे पहलेसे कोई खबर नही दी गई। लोग यह नही जानते कि डबनमे तैनात ट्रान्सवालके एशियाई अधिकारीने वास्तवमे उन्ही आदमियोकी जाच की थी और उन्हे पास कर दिया था। इनमे से छत्तीस आदमी 'सुल्तान' जहाज द्वारा लौटे हुए यात्री थे। मुझे बतलाया गया हे कि एशियाई कार्यालयने उन आदमियोकी जाच करनेमे तीन दिन लगाये थे।

और इतनेपर भी श्री लिड्से, जिन्हे वकील होनेके कारण अधिक जानकारी होनी चाहिए, कह सकता हूँ, इस बातको सोचनेका कष्ट किये बिना कि उस बातका कोई भार-तीय पक्ष भी हो सकता है, बडी आसानीसे चोरी छिपे घुस जानेकी बाते करते है।

अनाक्रामक प्रतिरोधी जनमतका निर्माण करनेपर निभर करते है लेकिन अगर वे जन मतको अपने पक्षमे न कर सके तो भी वे अपने शुद्ध सकल्पसे पीछे हटनेवाले नही है। इस

१ देखिए "मुहम्मद इशाकका मुकदमा", पृष्ठ ४०७ ८ तथा पिछला शीर्षक।
२ देखिए "पत्र 'इंडियन ओपिनियन' को", पृष्ठ ३५९ ६०।

बातसे इनकार नही किया जा सकता कि उनके कष्टसहनसे उपनिवेशके कुछ नेताओको अन्तमे सोचना पडा है। क्या मै उनसे, और अभीतक भारतीय दष्टिकोणकी उपेक्षा करनेवाले दूसरे लोगोसे, पूछ सकता हूँ कि क्या भारतीयोका यह पवित्र कतव्य नही है कि वे एक ऐसे अधिनियमके सामने सिर झुकानेसे इनकार कर दे जो एक अकेले आदमीके हाथमे ऐसे निरकुश अधिकार देता हे कि वह खुफिया तौरसे पूछताछ करता हे, खुफिया तौरसे हिदायते जारी करता हे और लोगोकी बाते सुने बिना ही उन्हे सजा दे देता हे। यद्यपि कनल मैकेजीको[1] जूलूलडमे जगी कानूनकी घोषणाके अन्तगत निर्विवाद रूपसे पूरे अधिकार मिल गये है तथापि दीनूजूलूको[2] भी, जिसपर विद्रोही इरादोका सन्देह हे केवल सन्देहपर, उसकी सुनवाई किये बिना, सजा नही दी गई। तब भारतीयोसे यह आशा क्यो की जाये कि वे बिना शिकायत किये सगठित जाली प्रवेशके गलत इल्जामको सहते रहे और इस देशमे रहनेके अपने अधिकारके बारेमे एशियाई अधिनियमके अन्तगत गैर अदालती जाचको मान ले? अगर उनका इस आरोपका खण्डन करना खोखला होता तो क्या वे बार बार सारे मामलेकी खुली अदालती जाचकी माग करनेके बजाय यह पसन्द न करते कि उसे दबा दिया जाये?

आपका, आदि,
मो० क० गाधी

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २१-१२-१९०७

३२० स्वर्गीय आराथून

पिछले हफ्तेकी डाकसे श्री आराथूनकी शोकजनक मत्युका समाचार प्राप्त हुआ है। श्री आराथूनने पूव भारत सघके अवैतनिक मत्रीके रूपमे उसकी कई वष तक सचाईके साथ और भली भाति सेवा की थी। 'एशियाटिक क्वाटरली रिव्यू' के सम्पादकके रूपमे उनकी सेवाओका उन सभीको पता है, जिनका भारतके साथ कुछ भी सम्बन्ध हे। लेकिन दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोके बीच उनका नाम सबसे अधिक इसलिए है कि उनके प्रति श्री आराथूनको बहुत ज्यादा हमदर्दी थी और साथ ही जिस सघसे उन्होने अपनेको इतना एकरूप कर दिया था उसके कार्योके सिलसिलेमे वे दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोके प्रश्नमे बराबर दिलचस्पी लेते थे। वे इस प्रश्नको सघके और सघके द्वारा अधिकारियोके ध्यानमे लानेका मौका कभी नही चूकते थे। पिछले साल उन्होने शिष्टमण्डलकी अपने हार्दिक सहयोग द्वारा बहुत मूल्यवान सहायता की थी। हम श्री आराथूनके परिवारके प्रति अपनी समवेदना प्रकट करते है।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

१ एक धर्म प्रचारक (मिशनरी), जिसे १८८४ में बेचुआनालेडका आयुक्त नियुक्त किया गया था।

२ जूलुओंका एक मुखिया, जिसपर पचिन कर सम्बन्धी विद्रोहमें शामिल होनेके आरोपपर मुकदमा चलाया गया था।

३२१ फोक्सरस्टके मुकदमे

फोक्सरस्टमे श्री मुहम्मद इशाक तथा दूसरे भारतीयोके जो मुकदमे चले वे बहुत जानने योग्य है। उन मुकदमोको सरकार पहले तो नये कानूनके अन्तगत चलाना चाहती थी, किन्तु आखिर वह डर गई और वे शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तगत चलाये गये। इसमे श्री मुहम्मद इशाक सबसे आगे रहे इसलिए दूसरे भारतीय भी अनुसरण कर सके। उन्होने कोकणियोका नाम रख लिया है, और यदि कोकणियोपर कोई कलक आता हे तो वह अब टिक नही सकता। मजिस्ट्रेटने निणय दिया हे कि श्री इशाकको उनके अनुमतिपत्रके आधारपर रहनेका हक है और इस तरह उन्हे निर्दोष मानकर छोड दिया है।

इन मुकदमोसे लोगोकी हिम्मत अधिक प्रकट हुई है। जमानतपर नही छूटे, यह ठीक हुआ। और गिरफ्तार किये जानेवालोमे कई कौमोके लोग है, यह भी ठीक हुआ।

यह मुकदमा सरकारकी बहुत बडी कमजोरी प्रकट करता हे। सरकार हिम्मत हार गई हे। क्या करना चाहिए, यह उसे नही सूझता। उसकी हालत क्रोधसे पागल व्यक्तिके समान है। यदि ऐसे मुकदमे और चलाये जाये तो हमारा फायदा ही हे।

यदि सरकारमे सच्चा बल होता तो वह उन भारतीयोको पकडती जो ट्रान्सवालमे बसे हुए है और विरोध कर रहे है। किन्तु सो तो सरकार कर नही सकती। इसलिए बाहरसे आनेवालोको रोकनेका व्यथ प्रयास कर रही हे। किन्तु उसमे सरकार बिना हारे नही रह सकती। क्योकि नये कानूनमे जबरदस्त गुजाइश रह गई हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–१२–१९०७

३२२ नेटाल परवाना अधिनियम

इस अधिनियमके अन्तगत सरकारने नये खण्ड बनाये है। उनमे तीन खण्ड जानने योग्य ह। एक तो यह कि इसके बाद अब परवानेकी अर्जीकी विज्ञप्ति समाचारपत्रमे प्रकाशित करनी पडेगी। परवानेके कागजपर निशानी लेनेका अधिकारीको हक हे। ओर अपीलके समय १२ पौड १० शिलिग पेशगी चाहिए। यह सब बुरा है। परन्तु अब देखना यह है कि इनमे किस बातमे बचा जा सकता है। ऐसा नही लगता कि समाचारपत्रमे विज्ञप्ति देनेकी बात रद हो जायेगी। इस प्रकारका कानून केपमे है। अँगूठा निशानी लेनेकी बात अधिकारीकी मर्जीपर है। इसलिए ऐसा अथ हो सकता है कि जिन्हे हस्ताक्षर करना आता हो उनसे अँगूठा निशानी न ली जाये। उपर्युक्त दोनो विषयोके सम्बन्धमे सरकारको कुछ लिखा जाये, यह हम नही कह सकते। क्योकि इसे हम व्यथ समझते है। १२ पौड १० शिलिग देनेकी बात नई नही है। इसका उपाय केवल यही है कि जब भी किसीके लिए अपील करनेका प्रसग आये वह बिना रकम दिये अपील करे। हम मानते है कि यह शुल्क अवध हे, और सम्भव है कि

न्यायालय इसे अवैध करार देगा। सही मार्ग यह है कि इस कानूनकी परवाह न करके इसका विरोध किया जाये। जहा सामूहिक रूपसे परवाने न दिये जाये वहा मालके बिकनेकी परवाह न करके बिना परवानेके व्यापार किया जाये। ऐसे कष्टोके लिए अनाक्रामक प्रतिरोध सर्वोत्तम उपाय है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–१२–१९०७

३२३ स्वर्गीय नवाब मोहसीन-उल-मुल्क

नवाब मोहसीन उल मुल्कके जन्नतनशीन होनेकी खबर हम पहले दे चुके है।[1] इस अकमे उनका सक्षिप्त जीवन वृत्तान्त दे रहे है।[1] उन्होने शिक्षाके क्षेत्रमे जो सेवा की है वह प्रत्येक भारतीयके लिए, और विशेषत प्रत्येक मुसलमानके लिए, अनुकरण करने योग्य है। उन्होने शिक्षाको राजनीतिके मुकाबले पहला स्थान दिया। यह दृष्टिकोण बहुत हद तक, और विशेषकर उनके समयमे यथार्थ ही था। जहा शिक्षा सदाचरण तथा नैतिक जीवनकी सीखके साथ साथ मिलती है वहाका समाज बहुत लाभ उठा सकता है। लेकिन उच्च आचरण तथा उच्च नैतिकताके अभावमे शिक्षा भयकर है। वह वैसी ही है जैसी बिना बाडकी बेल—जो ऊपर नही चढ सकती। ऐसी नैतिकतापूर्ण शिक्षा लेना सभीका कर्तव्य है, और यह हम स्वर्गीय नवाबके जीवनसे सीख सकते है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४–१२–१९०७

३२४ जर्मन पूर्व आफ्रिका लाइन

आजकल जब कि भारतीयोमे मान मर्यादाकी हवा बह रही है तब श्री पीरन मुहम्मदपर जो बात गुजरी है वह जानने जैसी है। उन्होने उपयुक्त कम्पनीके यूरोपकी ओर जानेवाले जहाजका पहले दर्जेका टिकट मागा था, सो उन्हे नही मिला। इसे हम बहुत अपमानजनक मानते है। यह बात जर्मन कम्पनीको शोभा देनेवाली नही है। उसे भारतीय यात्रियोसे बहुत बडी कमाई होती है। किन्तु इसका खयाल न करके, भारतीय यात्री पहले दर्जेका टिकट मागते है तो उन्हे देनेसे इनकार किया जाता है। यह हमारे लिए लज्जाजनक है। वह कम्पनी हमारी जीवन विधिसे परिचित है। हम ऐसे लोग नही जो कुछ कर सके, इसलिए वह हमारा अपमान करती है। गोरे यात्रियोके साथ ऐसा बरताव करनेकी उसकी हिम्मत नही होती। इसके तीन उपाय है। ये तीन उपाय एक साथ किये जाने चाहिए

(१) कम्पनीको सख्त पत्र लिखा जाये।

(२) उसके एजेंट श्री उस्मान अहमद कम्पनीको सूचना दे कि ऐसा करनेसे कम्पनीको नुकसान पहुँचेगा।

(३) और यात्रियोको उसमे यात्रा करनेसे रोका जाये।

१ यहाँ नहीं दिये गये हैं।

तीसरी बात सबसे उत्तम है और वह की जा सके तभी पहली दो बाते शोभा देगी। हममे नई ताकत आई हे। उसे हमे हर चीजमे आजमाना चाहिए। ट्रान्सवालके कानूनका विरोध कर लेना काफी नही हे। उसे तो अपने कामका केवल प्रारम्भ समझना चाहिए।

जापानका उदाहरण लीजिए। स्वाभिमान आ जानेपर वह जाति अपनी शिक्षा व्यापार, आबरू सबका खयाल रखने लगी है। हमारा भी चहुँमुखी विकास होना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

३२५ भारतीयोपर हमला[1]

नये कानूनकी धूमधाम चल रही है। इसमे स देह नही कि लोग अब तो जेल जानेकी प्रतीक्षा कर रहे है। पिछले शुक्रवारको सवेरे डबनसे नौ भारतीय आये। उसी दिन शामको ग्यारह और आये, और शनिवार तथा रविवारको सत्रह आये। इन सबके पास अपने अपने अनुमतिपत्र और पजीयनपत्र थे। इनमे से पैंतीस 'सुल्तान' जहाजसे उतरे। शेष दोमे से एक मद्रासी थे जो कार्यवश जोहानिसबग जा रहे थे, और एक गुजराती थे जो अक्तूबरसे डबन गये हुए थे और अब लौटकर जोहानिसबग जा रहे थे। पहली बात तो यह थी कि ये सब नये कानूनके अनुसार अनुपतिपत्र न होनेके कारण गिरफ्तार किये गये थे। शुक्रवारको श्री गाधी न्यायालयमे उपस्थित हुए थे, तब इन लोगोको न्यायालयमे नही लाया गया था। पर तु पुलिस प्रिटोरियामे आदेशकी प्रतीक्षा कर रही थी। इन्हे शनिवारको हाजिर किया गया था और सोमवार तक मुकदमा स्थगित रहा। सोमवारको श्री गाधी फिर जोहानिसबग आये। पुलिस यह मुकदमा नये कानूनके अन्तगत चलाना चाहती थी। किन्तु प्रिटोरियासे यह आदेश आया कि अनुमतिपत्र अध्यादेशके अ तगत मुकदमा चलाया जाये। इसलिए अनुमतिपत्र अध्यादेशकी पाचवी धाराके अन्तगत यह कहकर मुकदमा दायर किया गया कि इन लोगोके पास अनु-मतिपत्र नही है।

सार्जेंट मैन्सफील्डकी गवाही

मैने इन भारतीयोको गिरफ्तार किया। क्योकि मुझे ऐसे भारतीयोको गिरफ्तार करनेका प्रिटोरियासे आदेश हे। इन लोगोके पास अपना अपना अनुमतिपत्र था, किन्तु इन्हे लौटकर आनेका हुक्म नही है। इनके पास नये कानूनके अनुसार अनुमतिपत्र नही ह, इसलिए गिरफ्तार किया।

जिरह

प्र० — इन लोगोके अनुमतिपत्रोकी आपने जाच की ?

उ० — हा, जाच करनेपर मुझे मालूम हुआ कि इनके अँगूठेकी निशानिया मिलती है।

१ यह लेख इन उपशीर्षकोंके साथ प्रकाशित हुआ था "नेटालसे ट्रान्सवाल जाते हुए सैंतीस व्यक्ति गिरफ्तार — न्यायालय द्वारा रिहा"।

प्र० — इन लोगोंके पास १८८५ के कानूनके अनुसार लिये हुए पंजीयनपत्र भी है ?
उ० — इन सबके पास वे पंजीयनपत्र है।
प्र० — प्रिटोरियासे आपको क्या आदेश है ?
उ० — मुझे यह आदेश है कि बाहरसे आनेवाले प्रत्येक भारतीयको यदि उसके पास नये कानूनके अनुसार पंजीयनपत्र या दूसरा अधिकार न हो तो गिरफ्तार किया जाये।
प्र० — यह आदेश जिस भारतीयको आप पहचानते है उसे भी पकड़नेके लिए है ?
उ० — हां अपने कर्तव्यके अनुसार मुझे तो सभीको पकड़ना चाहिए।
प्र० — जिन अनुमतिपत्रोंको आपने इन मुवक्किलोंके पास देखा उस प्रकारके अनुमति पत्रोंके आधारपर भारतीय अबतक बेरोक टोक आ जा सकते थे क्या ?
उ० — हां, उस समय मुझे ऐसा आदेश था कि ये अनुमतिपत्र पर्याप्त है।

इसके पश्चात सरकारी वकीलने मुकदमा रोक दिया। श्री गांधीने मांगकी कि सबूतके अभावमे इन लोगोंको छोड़ देना चाहिए।

सरकारी वकीलने स्वीकार किया कि उसका मुकदमा कमजोर है। परन्तु सरकारके आदेशसे उसने सम्मन्स बनाया है। जो अनुमतिपत्र प्रस्तुत किये गये है उनके आधारपर लोग प्रवेश करके रह सकते है, परन्तु जाकर लौट नहीं सकते।

श्री गांधीने कहा कि सरकारी गवाहने ही मेरे मुवक्किलोंके मुकदमोंको सिद्ध कर दिया है। उन्होंने जो अनुमतिपत्र प्रस्तुत किया है, वही मेरे मुवक्किलोंका प्रविष्ट होनेका अधिकार पत्र है। सम्मन्समे उनके विरुद्ध अनुमतिपत्रके बिना प्रवेश करनेका आरोप है। वह साबित नहीं हुआ। भाभाके मुकदमेमे न्यायालयने फैसला दिया है कि जिसे दाखिल होनेका अधिकार है उसको बाहर जाकर वापस लौटनेका भी अधिकार है। इसलिए मुवक्किलोंको छोड़ देना चाहिए। इनमे से बहुत से तो आज चार दिनसे कष्ट भोग रहे है।

न्यायाधीशने उपयुक्त दलीलको स्वीकार करके सबको छोड़ दिया। जिनपर मुकदमा चलाया गया था उनके नाम निम्न प्रकार है

उमर यूसुफ, नाथु गोविन्द माधा गलाल, लाला माधव, गोविन्द दादी [दाजी ?], रतनजी महाराज कुंवरजी मनोर, काला पेमा, नागर भवान, मोरार भीखा, समदरखां काना गोपाल, नाना वल्लभ, बाबा सुखा, परभु नारण, जसमत फकीर, फकीर लाखा हरि दाजी प्रेमा भाणा परभु छना, लल्ल खुशाल, रामसामी चोकलीग पिल्ले, मणि डाह्या, भीमा वसन, झीणा कीडिया, डाह्या पाँचा, वल्लभ गोविन्द धना हीरा, हरि भीखा, दयाल वल्लभ, मकन मोरार, माधव जीवण, गोविन्द डाह्या, बुधिया लाला, दाजी भाणा, रणछोड गोपाल, भीखा रतनजी।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि इनमे एक पठान, एक कोंकणी, एक मद्रासी और अन्य गुजराती हिन्दू इस तरह सभी जाति लोग है।

मुहम्मद इशाकका मुकदमा

यह मुकदमा फोक्सरस्टमे शुक्रवारको चला। सरकारी वकीलने कहा कि किस आरोपके सम्बन्धमे मुकदमा चलाया जाये, इसका उसे पता नहीं है। खबर मिलनेपर बताया जा सकता है। बहसके बाद न्यायाधीशने वह मुकदमा जोहानिसबर्ग भेजना स्वीकार किया और यह आदेश दिया कि उसे बुधवारको जोहानिसबर्गमे चलाया जाये।

श्री मुहम्मद इशाक और दूसरे भारतीयोने जमानतपर छूटनेसे इनकार कर दिया। इसलिए सबको ऐसे ही छोड दिया गया था। इन मुकदमोके कारण न्यायालयमे सरकारकी हँसी हुई।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, १४-१२-१९०७

३२६ नेटालमे परवाना सम्बन्धी अर्जीके विनियम

नेटाल 'गजट'मे नये परवानेके लिए अथवा परवानेके नवीनीकरण (प्रतिवर्ष नये करवाने) के लिए अथवा परवानेके हस्तान्तरणके लिए अर्जी देने और अपील करनेसे सम्बन्धित विनियम प्रकाशित हुए है। उनमे से सब उपयोगी खण्डोका साराश नीचे दिया जा रहा हे

२ अर्जी निश्चित फामके अनुसार निर्धारित न्यायाधीश अथवा नगर कायालयमे दी जाये, तथा आवेदक उसे अपने क्षेत्रके लिए समाचारपत्रमे प्रति सप्ताह कमसे कम एक दिनके हिसाबसे दो सप्ताह प्रकाशित कराये।

४ अर्जी मिलनेके बाद उसमे बताये गये मकानके सम्बन्धमे परवाना अधिकारीको स्वास्थ्य अधिकारी अथवा सफाई निरीक्षकसे स्वास्थ्य विभागकी रिपोट प्राप्त करनेका अधिकार होगा।

५ आवश्यक हो तो अजदार स्वय परवाना अधिकारीके पास उपस्थित हो ओर उसे दिखाये कि वह अग्रेजीमे बहीखाते रखने सम्बन्धी ७वी धाराकी शर्ते पूरी करनेकी योग्यता रखता है। इस सम्बन्धमे सन्तोष करवानेके लिए वह परवाना अधिकारीको अपने बहीखाते अथवा अन्य आवश्यक कागज पत्र भी दिखाये।

६ प्रत्येक अर्जीकी स्वीकृति या अस्वीकृति सम्बन्धी निणय परवाना अधिकारी प्रत्येक अर्जीपर लिख दे।

८ जबतक आवश्यक टिकट न लगाये जाये अथवा उनके बदलेमे पैसे न जमा किये जाये, तबतक परवाना नही दिया जायेगा।

९ परवाना अधिकारी जिस अजदारसे चाहेगा उससे परवाना देते समय, हस्ताक्षर, अथवा अँगूठेकी निशानी, अथवा अँगुलियोकी निशानिया ले सकेगा।

अपीलके विनियम

१० परवाना अधिकारी द्वारा निणय दिया जानेके पश्चात् दो सप्ताहके अन्दर अपील करने सम्बन्धी अपने इरादेकी निकाय या नगर-परिषदके क्लाकको सूचना दी जाये। परवाने सम्बन्धी अपीलकी अर्जीके साथ निकायके सदस्योके खचके लिए १२ पौड १० शिलिग क्लाकके पास जमा करने होगे। अजदारोकी सख्या एकसे अधिक होगी तो अपील निकायका खच हिस्सेके अनुसार आयेगा।

११ अपीलोकी सुनवाईकी तारीखकी सूचना और अपीलोकी सूची न्यायालय अथवा नगर-कार्यालयके दरवाजेपर निश्चित तिथिसे कमसे कम पाच दिन पहले चिपकाई जायेगी।

१३ लोगोंकी जानकारीके लिए निकाय खुले रूपमें मुकदमेकी सुनवाई करेगा।

१६ अजदारको और अर्जीसे सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्तिको ऐसे प्रतिनिधिके द्वारा, जिसे व्यक्तिगत अथवा लिखित रूपसे अधिकार दिया गया हो सबूत पेश करनेका अधिकार है। अपीलका विरोध करनेवालेको भी वैसे ही अधिकार है।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४–१२–१९०७

३२७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

पंजाबियोंकी याचिका

इस याचिकाके जवाबके बारेमें सरकार अभी विचार कर रही है। किन्तु दुनियाने इसका जवाब दे दिया है। इससे बहुत अंग्रेजोंका मन पंजाबी सैनिकोंके पक्षमें उत्तेजित हो उठा है। और सब चर्चा कर रहे हैं कि उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए। अभी इस याचिकाकी बात चलती ही रहती है। विलायतके 'डेली ग्राफिक' में इस सम्बन्धमें सख्त टीका की गई थी। इसका हम उल्लेख कर चुके हैं।

वापस ले लेता हूँ

श्री पारेखके जोशके बारेमें मैं लिख चुका हूँ।[1] लेकिन मैं देखता हूँ कि वह जल्दीमें लिखा गया था, इसलिए उसे वापस ले लेता हूँ। जब वह लेख लिखा गया तब श्री पारेख न्यूकैसिलमें थे। छपते समय वहीं होंगे या नहीं यह कहा नहीं जा सकता। किन्तु मैंने उन्हें खास रूपसे शूरोंमें शामिल करके उदाहरण दिया था कि दूसरे लोग उनका अनुसरण करें, किन्तु उसमें भूल हो गई। शूर वह है जो पहले रणमें चढ़े। श्री पारेख अभी ट्रान्सवालके बाहर हैं। इसलिए मेरे लेखसे जो यह भाव निकलता था कि वे हम सबमें विशेष बहादुर हैं वह अब नहीं रहा।

सरासर झूठ

श्री हसन अहमद कालाने सार्वजनिक रूपसे यह कहा था कि पंजीयनकी अर्जी देकर वे स्वयं पछताये हैं, और उसे वापस लेना चाहते हैं। किन्तु मुझे मालूम हुआ है कि जिस दिन अर्जी वापस लेनेके विचारके सम्बन्धमें उन्होंने पत्र लिखा उसी दिन उन्होंने अपने भाई बंदोंको ऐसा भी खानगी पत्र लिखा कि उन्हें जल्दीसे गुलामीके पट्टे मिल जायें तो अच्छा हो। उन लोगोंको इतने दिन तक पट्टे नहीं मिले उसके लिए उन्होंने चिन्ता व्यक्त की। हमारे बीच ऐसी बातें न हों इस दृष्टिसे मैं इस झूठको कर्तव्य समझकर प्रकट कर रहा हूँ। मुझे खेद है कि श्री काला पीटसबर्गमें धरनेदार रहे हैं। इसलिए श्री चैमनेको यह कहनेका मौका मिला है कि धरनेदारोंने भी पंजीयनके लिए अर्जी दी है।

स्वेच्छया पंजीयन यानी क्या?

इस सम्बन्धमें इस अखबारमें कई बार चर्चा हो चुकी है, फिर भी मैं देखता हूँ कि आज भी सब भारतीय उसका अर्थ नहीं समझते। जैसे गोरे तबतक नहीं समझते थे कि नया

१ देखिए "जोहानिसबर्गकी चिट्ठी", पृष्ठ ३८७।

कानून क्या है, जबतक कि समय नही आया, वैसा ही हाल हमारा हे। स्वच्छया पजीयन ओर कानूनके अनुसार पजीयनमे मुख्य अ तर यह ह कि कानून गुलाम बनाता हे ओर स्वेच्छया पजीयन मनुष्य बनाता हे। सरकारके दबावके कारण पजीकृत होना गवेकी सवारी हे, जब कि स्वेच्छया पजीयन हाथीकी सवारी है। स्वेच्छया पजीयनमे भले ही अनिवाय पजीयनक जितनी ही बात लिखनी पड, फिर भी उसे स्वीकार किया जा सकता है। पर तु अनिवाय पजीयनकी गुलामी सम्ब धी कोई खास बात छोड देनेसे गुलामी समाप्त नही होती। कानून बहुत कडा हे। इसीलिए स्थानीय सरकार उससे जाकके समान चिपटी हुई हे। ओर इसीलिए हम प द्रह महीने हो गये उसे चिपटने नही दे रहे है। इसका मतलब यह हुआ कि हम गोरोके साथ एक धरातलपर रहना चाहते है और गोरे हमे नीचे उतारना चाहते है। कानूनको स्वीकार करनेसे शपथ टूटती है और हमेशाके लिए काला टीका लगता हे। कोइ पूछ सकता हे कि स्वेच्छापूवक भी हम अपने पजीयनपत्र क्यो बदलाये ? इसका उत्तर बहुत ही सरल ओर सीधा हे

(१) जिस प्रकार कानूनका विरोध करनेकी हमने शपथ ली है, उसी प्रकार दस्तावेजको स्वेच्छापूवक बदलवानेकी बात भी हम कहते आये है। अत यदि अब हम वसा नही करते तो हमारी टेक जाती हे, ओर हम झूठे ठहरते है।

(२) भारतीय समाजपर यह आरोप है कि उसके बहुत-से लोग झूठे अनुमतिपत्रोके द्वारा अथवा बिना अनुमतिपत्रोके प्रविष्ट हुए है। यह आरोप गलत हे। इसे हम स्वेचछया पजीयनके द्वारा सिद्ध कर सकते ह, ओर वैसा सिद्ध करना कतव्य हे। और चूकि हम सिद्ध करनेको तयार है, इसीलिए दुनियाकी सहानुभूति अपनी और खीच सके है।

(३) स्वेच्छया पजीयनसे इनकार करनेका मतलब यह स्वीकार करना हे कि हम झूठे है।

(४) हमने जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त की है स्वेच्छया पजीयनसे हम उससे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते है। हमे यह नियम याद रखना चाहिए कि जब लोग अपने आप कोई काम नही करते, अर्थात कमजोरी बताते है, तभी कानून बीचमे आकर वह काम करनेके लिए मजबूर करता है। बहुतेरे काफिर अपने आप शराब पीनेसे नही रुकते, इसलिए जहा रोकना जरूरी जान पडता है वहा कानून बीचमे आकर विवश करके रोकता हे। जो आदमी कतव्य समझकर नही, बल्कि कानूनके ब धनके कारण ही शराब नही पीता वह गुणी नही कहा जाता, जो अपने आप नही पीता वह गुणी माना जाता हे। इसी प्रकार अनिवाय और स्वेच्छया पजीयनके बारेमे समझा जाये।

(५) स्वेच्छया पजीयनसे हम सदा खुले रह सकते है। क्योकि उसमे हम जितना बॅधना चाहे उससे ज्यादा हमे कोई बाध नही सकता। स्वयसेवक-सिपाहीको अच्छा लगता हे तभी वह लडाईमे जाता है और भूखका मारा वेतनभोगी सिपाही हमेशा लडाई करनेके लिए बॅधा हुआ है।

इसी प्रकार स्वेच्छया पजीयनके ओर भी बहुत से फायदे बताये जा सकते है। फिलहाल इतने काफी है। अँगुली आदिकी बातोका समावेश इसमे नही होता। क्योकि वह हमागी मर्जीकी बात है। कि तु दस अँगुली और दो अॅगूठोके बीच त्रैज्ञानिक दष्टिसे क्या अ तर हे इसपर अगले सप्ताह विचार करेगे। अभी तो स्वेच्छया पजीयन क्या हे, यह ठीक तरहसे समझना हे।

एक आपत्ति

अब किसी भी समय समझौता हो जाये, इसलिए सबने स्वेच्छया पंजीयनके बारेमें चर्चा शुरू की है। उसपर कुछ सज्जनोंने यह आपत्ति की है कि सबकी सलाह क्यों नहीं ली जाती। यह बात ठीक नहीं है। यदि स्वेच्छया पंजीयनकी बात नई होती तो अवश्य ही विभिन्न जगहोंसे प्रतिनिधियोंको बुलाना पड़ता। किन्तु एम्पायर नाटकघरमें जो सार्वजनिक सभा हुई थी उसमें सभी जगहोंसे बुलाये गये प्रतिनिधियोंने स्वेच्छया पंजीयन-सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया था तथा उसके सम्बन्धकी सारी बातें जान ली थीं। इसलिए अब सब जगहोंके प्रतिनिधियोंको बुलानेकी बात नहीं रहती। न उसके लिए समय ही है। फिर भी हर भारतीय चाहे जब अपने विचार प्रकट कर सकता है। इस कानूनकी लड़ाईके अंतमें हम चाहते हैं कि हमें राजकीय मामलोंकी बूझ हो जाये। सभाएँ किस प्रकार की जाती हैं, दूसरे संगठन किस प्रकार काम करते हैं और कौमी कामका किस प्रकार संचालन किया जाता है एवं उसे निभाया जा सकता है, यह भी आ जाना चाहिए। हम दरअसल सभ्य हैं यह कहकर हम नये कानूनको रद करानेका महा प्रयत्न कर रहे हैं, तब उपर्युक्त बातोंका ज्ञान भी सच्ची सभ्यताका चिह्न है।

परीक्षात्मक मुकदमा क्यों न चलाया जाये?

कुछ लोग आपसमें पूछताछ कर रहे हैं कि हम नये कानूनके सम्बन्धमें परीक्षात्मक मुकदमा क्यों न दायर करें। उसके बारेमें मैंने अपना जो विरुद्ध मत जाहिर किया है, उसके दो कारण हैं

एक तो यह कि हमारी लड़ाई मुकदमा लड़नेकी नहीं बल्कि जेल जाकर अपना बल दिखानेकी है। आत्मबलके समान दूसरी कोई चीज नहीं है। तब यदि परीक्षात्मक मुकदमा चलाया जाये तो उसमें हमारी लड़ाई बिगड़ जायेगी और हमारी हँसी होगी। गोरे तुरन्त कहने लगेंगे कि "जेल जानेवाले कहाँ गये?" इसलिए परीक्षात्मक मुकदमा लड़ना अपनी कमजोरी दिखानेके समान है।

दूसरा यह कि, नये कानून और उपनिवेशके दूसरे कानूनोंको सम्राट्की न्याय परिषद शायद ही रद कर सकती है। श्री लेनर्ड, श्री एसेलेन, श्री ग्रेगरोवस्की, श्री डक्सबरी, श्री वार्ड और श्री डी'विलियर्स हमारे विरुद्ध मत व्यक्त कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालयने तो ऐसे फैसले बहुत किये हैं। यदि नया कानून सम्राटकी न्याय परिषद रद कर दे तो उसका अर्थ यह होगा कि काफिरोंके खिलाफ जो कानून बनाये गये हैं वे भी रद हो जायेंगे। यह कभी होनेवाला नहीं है। और यदि हो भी तो उस स्थितिको सुधारनेके लिए तुरन्त ही दूसरे कानून बनाने होंगे। यानी यह आगे जाकर पीछे फिरनेके समान होगा। विलायतसे हमने राय मँगवाई थी, किन्तु श्री रिच अभीतक नहीं भेज पाये। क्योंकि सर रेमंड वेस्टके सिवा और कोई राय देता नहीं है। इसके अलावा, हमें याद रखना चाहिए कि सर रेमंड वेस्टने हमें कानूनका विरोध करनेके बजाय परीक्षात्मक मुकदमा लड़नेकी सलाह दी थी। अब वे भी अनाक्रामक प्रतिरोधियोंके पक्षमें आ गये हैं। इसलिए परीक्षात्मक मुकदमा कैसे हो? इसके अलावा, किसीको यह नहीं भूलना चाहिए कि परीक्षात्मक मुकदमेमें १,००० पौंडकी बात है। उतनी रकम इकट्ठा करनेकी ताकत किसमें है? इसीके साथ यह भी याद रखना चाहिए कि

परीक्षात्मक मुकदमेके दिनोमे सरकार किसीको परेशान नही करेगी, सो बात नही हे। उस अवधिमे कानून बन्द नही रह सकता।

हमीदिया अंजुमनकी सभा

रविवारको फिर एक जोरदार सभा हुइ थी। लोग इतने आये थे कि वे सभा भवनमे समा ही न सकते थे। इसलिए बाहर मैदानमे सभा हुइ थी। प्रिटोरियासे श्री काछलिया, श्री सूज, श्री मणिभाई देसाई, श्री पिल्ले, श्री गोपाल, श्री बेग तथा श्री व्यास खास तोरसे इसीलिए आये थे। इमाम अब्दुल कादिर सभापति थे। उन्होने तथा श्री सूज, श्री बेग, श्री काछलिया, श्री नायडू, श्री हजूरासिह, श्री अहमद खा, श्री अलीभाई आकूजी, आदि सज्जनोने भाषण दिये। श्री गाधीने हकीकत समझाई। श्री मोलवी अहमद मुरत्यारने भी, जो किसी कामसे डेलागोआ-बे जाकर अभी लौटे थे, लोगोको समझाया। अन्तमे सबने स्वीकार किया कि स्वेच्छया पजीयन तो करवाया ही जाये। किन्तु अँगूठोकी निशानी देनेमे पजाबी भाइयोको विरोध था। दूसरोका कहना था कि दोनो अँगूठोकी निशानी मर्जीसे देनेमे हज नही है। लोगोका यह जोश प्रशसनीय हे। इससे प्रकट होता हे कि लोग अपने विचार जाहिर करनेमे डरते नही हैं और हिम्मतसे बोलते है। जो छ महीने पहले कानूनको जरा भी नही समझते थे वे अब कुछ कुछ समझने लगे है। यह सब आत्मबल आजमानेका फल हे। मै जानता हूँ कि अन्तमे सब समझने लग जायेंगे, क्योकि दो अँगूठोकी निशानी देनेमे अप्रतिष्ठा नही है। किन्तु यदि वही काम अनिवाय रूपसे करना पडे तो उसमे अप्रतिष्ठा है। कानून समाप्त हुआ कि हम कह सकते है कि हम स्वतन्त्र हो गये ह।

डेलागोआ-बेकी दीन स्थिति

मौलवी साहब डेलागोआ बेसे खबर लाये ह कि जब सारे दक्षिण आफ्रिकामे भारतीय समाज जाग गया है और इज्जतके लिए लड रहा है तब डेलागोआ-बेके नेता सो रहे है। वहाकी सरकार उन्हे जितना मारती है उतना सब वे चुपचाप सहन करते ह। लोगोको इज्जतकी परवाह नही है। वे तो यही समझते हैं कि पैसा मिला तो परमेश्वर मिल गया। ओर सरकारके सामने तो जी हजूरी करते है। इस दीन स्थितिसे क्या डेलागोआ-बेके भारतीय उठेंगे नही?

भारतीयोका जोर

नये कानूनके सम्बन्धमे सरकार ढीली ही होती जा रही है। यह बात अब गोरे भी देख रहे ह। 'रैंड डेली मेल' तथा सडे टाइम्स'मे दो व्यग्य चित्र दिये गये है। एकमे दिखाया गया है कि स्मटस साहब भारतीयोपर नया कानून रूपी पिस्तौल छोड रहे है। भारतीय कहते है — "आपसे जितना बने उतना करे। हम तो कानूनके सामने नही झुकेंगे।" तब स्मटस साहब बोल उठते है, "अरे यार, ऐसा मत कहो, मेरी पिस्तौल काम नही देती।" दूसरे व्यग्य चित्रमे जनरल स्मट्स और अन्य सरकारी अधिकारी भारतीय समाजके नेताओके सिर भालासे उडाना चाहते है। परन्तु उनकी मेहनतसे उनके घोडे थककर चूर चूर हो गये है, और सवारोका दम निकला जा रहा है, फिर भी नेताओके सिर तो अभी कायम ही है। ये दोनो चित्र गोरोके मनकी स्थिति बताते ह। 'इंडियन ओपिनियन' के सम्पादक महोदय वे दोनो चित्र अपने ग्राहकोके लिए प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे है। इसलिए मै ज्यादा नही लिखूगा।

सघकी विजय

पहले वगकी बग्घीमे भारतीयोको न बैठने देनेके सम्बन्धमे नगरपालिकाने नियम बनाया था। श्री ईसप मियाने उसके खिलाफ पत्र[1] लिखा था। यह पाठकोको याद होगा। अब स्मटस साहब लिखते ह कि सरकार वह नियम मजूर नही करेगी। क्या स्मट्स साहब भी बदले है? इससे प्रकट होता हे कि भारतीय समाजके जोरसे लाभ ही होता है।

पासपोर्ट नही मिलेगे

श्री मूसा इस्माइल मिया तथा श्री दावजीको पासपाट न मिलनेसे उन्होने उस सम्बन्धमे लाड सेल्बोनको अर्जी दी थी। लॉड सेल्बोनने उसके जवाबमे लिखा हे कि यदि सरकार पासपोट दे देती हे तो इसका अथ इसके बराबर होगा कि दोनो भारतीय पजीकृत नही हुए, फिर भी सरकारने उनका वापस आनेका अधिकार स्वीकार कर लिया है। यह बात यही खतम नही होगी। श्री गाधीने फिर लाड सेल्बोनको पत्र[2] लिखा हे कि यदि उपयुक्त फैसला कायम रहा तो यह साबित होगा कि भारतीय समाज ब्रिटिश प्रजा बिलकुल नही हे। यदि ऐसा हो तो वह भी अच्छा हे। इससे हमारी लडाईको अधिक बल मिलता हे।

नये कानूनकी एक धारा

नये कानूनकी एक उपधारा स्वर्गीय श्री अबूबकरके उत्तराधिकारीके लिए लाभप्रद मानी जाती थी। उसपर लॉड सेल्बोन ओर लाड एलगिन सबने जोर दिया था। अब वह भी उड गई है। उस उपधाराके अन्तगत जमीन उत्तराधिकारियोके नामपर करनेका प्रयत्न किया गया तो स्मटस साहबने आपत्ति की और कहा कि वह उपधारा इस केसमे लागू नही होती, क्योकि जमीन तो गोरोके नामपर ही चढी हुइ हे। अदालतने इस आपत्तिको मान्य कर लिया हे, यद्यपि उसने सहानुभूति व्यक्त की हे। किन्तु वह सहानुभूति किस काम की? अत कानूनकी एक धारा भी अभी तो बेकार हो गई है। यह बात भी इतनेपर ही समाप्त हो जायेगी, सो नही। उत्तराधिकारियोका विचार आगे बढकर न्याय प्राप्त करनेका है। किन्तु इस बीच इस मामलेका विपक्षमे निणय हो जानेके कारण कानूनके खिलाफ एक दलील और बढ गई हे ओर उस सम्बन्धमे लिखा पढी शुरू हो गई हे।

कानूनका शिकार

नया कानून ऐसा काल-रूप हे कि हमेशा भक्ष्य लेता रहता हे। भारतीयोका खून इस राक्षसको प्रिय हे। कई हजूरिये बेरोजगार होकर बठे है। मजदूरोके पास काम नही हे। सिपाहियोकी पुकार हमने सुन ही ली है। अब श्री मोहनलाल जोशीपर आ बीती है। श्री मोहनलाल जोशी प्रिटोरिया न्यायालयमे अच्छे वेतनपर दुभाषियेकी नौकरी करते थे। पजीयन न करवानेके कारण सरकारने उन्हे काय विरत कर दिया है। यह जुल्म कम नही है। उनके बाल बच्चे है फिर भी श्री जोशीने देशके खातिर नौकरीकी परवाह नही की। परन्तु उन्होने अपनी और समाजकी आबरू रखी इसके लिए मै उन्हे बधाई देता हूँ। इस प्रकार बेरोजगार होनेवालोको नौकरी देना भारतीयोका काम है। जिन भारतीयोको मुशीकी जरूरत हो उनसे मेरी विशेष प्राथना हे कि वे श्री जोशी तथा उसी तरह बेरोजगार होनेवाले लोगोको काम दे।

१ देखिए "पत्र उपनिवेश सचिवको पृष्ठ ४०८।
२ यह उपलब्ध नही है।

शोक

यहाके प्रसिद्ध व्यापारी श्री दादाभाइका स्वदेशसे खबर मिली हे कि उनके बडे लडकेका प्लेगसे देहान्त हो गया। इससे वे अत्यन्त शोक ग्रस्त हो गये है। उन्हे बहुत-से लोगोकी ओरसे समवेदना प्राप्त हुई है। उनमे मै भी शामिल होता हूँ।

मुहम्मद इशाकका मुकदमा

यह मुकदमा[1] बुधवारको श्री जोडनकी अदालतमे पेश हुआ था। सैतीस भारतीयोपर जो आरोप लगा था वही श्री मुहम्मद इशाकपर भी लगाया गया। श्री चैमने भी उपस्थित थे। उनके विरुद्ध बयान देनेवाले अधिकारीने वैसा ही बयान दिया, जसा सतीस आदमियोके मुकदमेमे दिया था। श्री गाधीने श्री मुहम्मद इशाकको बिना बयान लिये छोड देनेकी माग की। श्री जोडनने लम्बा फैसला देते हुए कहा कि श्री मुहम्मद इशाकको अपने अनुमतिपत्रके आधार पर रहनेका पूरा हक हे। शान्ति-रक्षा अध्यादेशके आधारपर उन्हे बिलकुल निर्वासित नही किया जा सकता। इसलिए उन्हे निर्दोष मानकर छोड दिया गया।

लिड्जेका भाषण

श्री लिड्जे प्रगतिशील दलके एक नेता है। उन्होने भाषण देते हुए कहा कि सरकार भारतीयोपर कोई सख्ती नही बरतेगी। प्रवासी कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किये जानेके लिए नही बनाया गया है। भारतीयोको निकालनेका एक ही रास्ता है कि उनके परवाने बन्द किये जाये। यह काम जनवरी महीनेसे किया जा सकेगा। किन्तु इस सबको मै बकवास समझता हूँ। पहली बात जेलकी थी। फिर देश निकालेकी चली। अब परवानेपर आये हैं। इस तरह यदि भारतीय समाज अन्ततक हिम्मत और एकतासे रहा तो कानून अपने आप सो जायेगा।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, १४–१२–१९०७

१ देखिए 'मुहम्मद इशाकका मुकदमा", पृष्ठ ४०७-८।

३२८ पत्र उपनिवेश-सचिवको

[जोहानिसबग
दिसम्बर १४, १९०७]

[सेवामे
माननीय उपनिवेश सचिव
प्रिटोरिया
महोदय,]

निवेदन है कि कल मै जोहानिसबग जेलसे छोड दिया गया। मुझे एशियाई कानून सशोधन अधिनियम तथा शाति रक्षा अध्यादेशके अतगत एक मासका कारावास हुआ था, क्योकि गत तीस सितम्बरके बाद भी, जो मेरे अनुमतिपत्रकी अवधिका अतिम दिन था, मै उपनिवेशमे बना रहा। मैंने एशियाई पजीयककी इस आज्ञाका कि म उपनिवेशसे चला जाऊँ, उल्लघन किन कारणोसे किया, इसका उल्लेख मैंने उनके नाम लिखे अपने पत्रमे किया हे। जर्मिस्टनका हिदू मदिर आज जिस रूपमे हे सो मेरी ही बदोलत हे। मै उस मदिरका एकमात्र पुरोहित था और अब भी हूँ। कल वहाँ जानेपर मने उसे उजडी हुई दशामे पाया। मदिर पूरे माह बन्द पडा रहा। कल उस मदिरकी हालत देखकर मेरी जो मनोदशा हुई उसे मै यहा पर्याप्त रूपसे व्यक्त करनेमे असमथ हूँ।

मै जानता हूँ कि यदि मै कारावाससे बचना चाहता हूँ तो उपनिवेशके कानूनके अनुसार मुझे सात दिनोके अदर उपनिवेश छोड देना चाहिए। परतु उपनिवेशके कानूनोसे भी उच्चतर एक अन्य कानून मुझे दूसरा ही माग ग्रहण करनेको प्रेरित करता है। वह माग यह हे कि एक ब्रिटिश प्रजा और जर्मिस्टनके हिदू मदिरका पुरोहित ओर धर्मोपदेशक होनेके नाते, परिणामोका विचार किये बिना, मै अपने कतव्य पथपर दढ रहूँ। अत अत्यत विनय और आदरके साथ साम्राज्य सरकारके तथा स्थानीय सरकारके प्रति अपने कतव्योका पूरा खयाल रखते हुए मै आपको सूचित करना चाहता हूँ कि उपनिवेशसे बाहर चले जानेका मेरा इरादा नही हे। यदि सरकार अनुमतिपत्र प्रदान करके मुझे अपने मदिर तथा मदिरमे आनेवाले भक्त-समाजके प्रति अपने कतव्यका पालन करने दे — ओर मैं इसके निमित्त इसीके द्वारा आवेदन भी कर रहा हूँ — तो उक्त समाज और मै स्वय सरकारकी शक्तिकी सराहना करेगे।

इस सम्बधमे मै यह निवेदन किये बिना नही रह सकता कि जिन आरोपोका इशारा एशियाइयोके पजीयकने किया था और जिनकी बिनापर मेरे अनुमतिपत्रकी अवधि बढानेसे इनकार किया गया है, उनका अबतक मुझे कोई ज्ञान नही हे। जहातक मैंने उनका अनुमान किया है, वे निराधार थे। यदि मेरे विरुद्ध कोई आरोप हो तो मेरी प्राथना है कि वे सूत्रबद्ध कर लिये जाये और मुझपर मुकदमा चलाया जाये, और यदि मै अपने किसी भी काममे अपने धमसे, जैसा कि मै उसे समझता हूँ, अथवा धर्मोपदेशकके कर्तव्यसे डिग गया होऊँ तो मुझे तुरन्त और स्वयमेव उपनिवेश छोड देना चाहिये। यदि मुझपर लगाये गये आरोप इस प्रकारके हैं जिनके बलपर कानूनन मुझपर मुकदमा नही चलाया जा सकता तो भी मै

ऐसे किसी निष्पक्ष कानूनी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तिके सामने, जिसे सरकारने खास इसी कामके लिए नियुक्त किया हो, उनका जवाब देनेको तैयार हूँ। यह कमसे कम है, जो मैं एक सभ्य और शिष्ट सरकारसे मागनेकी धष्टता कर सकता हूँ।

[आपका, आदि,
रामसुन्दर पण्डित]

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, २१–१२–१९०७

३२९. पत्र उपनिवेश-सचिवको

जोहानिसबर्ग
दिसम्बर १८, १९०७

माननीय उपनिवेश सचिव
[प्रिटोरिया]
महोदय,

सदभ स्वर्गीय अबूबकर आमद [की] जायदाद

जैसा कि सरकारको मालूम है, एशियाई कानून सशोधन अधिनियमकी धारा १७ इसलिए जोड दी गई थी कि इस जायदादके उत्तराधिकारियोको राहत मिले और वे न० ३७३, चच स्ट्रीट, प्रिटोरियाकी जायदाद, जिसे स्वर्गीय अबूबकर आमदने १८८५ के कानून ३ के पास होनेसे पहले खरीदा था, अपने नाम रख सके। गत वष इस धाराका मसविदा तैयार होनेसे पहले वे परिस्थितिया, जिनके अ तगत यह जायदाद श्री पोलकको हस्ता तरित की गई थी, तत्कालीन महा यायवादीके सामने रखी गइ और ऐसा समझा गया कि यह धारा इस मामलेको सुलझानेके लिए प्रस्तुत की गई है। इस जायदादका पट्टा उत्तराधिकारियोके पक्षमे, जो भारतीय है, पजीयनके लिए तैयार किया गया और पट्टोके पजीयकके समक्ष पेश किया गया। पर तु उ होने हस्ता तरणको अस्वीकार कर दिया, क्योकि उनकी सम्मतिमे यह मामला इस धाराके अ तगत नही आता था। तब यह मामला यायमूर्ति वैसेल्सकी अदालतमे पेश हुआ। उ होने पजीयकके मतको बहाल रखा। इस तरह सम्बन्धित धारा उत्तराधिकारियोको राहत दनेमे बेअसर साबित हुई है। क्या मै भरोसा करूँ कि सरकार इन उत्तराधिकारियोको राहत देगी? मेरी विनम्र रायमे इसे करनेकी सबसे सत्वर विधि होगी उक्त स्ट्रीटको भारतीयो द्वारा कब्जा करने योग्य करार देना।[1]

आपका, आदि,
मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]
इंडियन ओपिनियन, १–२–१९०८

१ किन्तु इसे अधिकारियोने अस्वीकार कर दिया था।

३३० पत्र म० द० आ० रेलवेके महाप्रबन्धकको

[जोहानिसबर्ग]
दिसम्बर, २०, १९०७

महाप्रबन्धक
म० द० आ० रेलवे
जोहानिसबर्ग

महोदय,

मध्य दक्षिण आफ्रिका रेलवेमें नौकरी करनेवाले स्टैंडटनके भारतीयोंके जिस मामलेके बारेमें मैंने आपसे टेलीफोनपर बात की थी वह, जितना अधिक मैं सोचता हूँ, उतना ही अधिक महत्त्वपूर्ण दिखलाई देता है। फलतः मेरे संघका यह कर्तव्य होगा कि वह प्रयत्नपूर्वक सार्वजनिक सदाचार तथा, आवश्यकता पड़नेपर, कानूनके प्रश्नके रूपमें उसका समाधान ढूँढे। लेकिन मेरा संघ कानूनी संघर्षको टालनेके लिए अत्यधिक उत्सुक है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि यदि सम्भव हो तो आप उनको नोटिसके बदलेमें एक मासका वेतन दे दें। मेरी नम्र सम्मतिमें इन लोगोंको कमसे कम इतनी सी सुनवाईका हक जरूर है। शायद मुझे यह भी बतला देना चाहिए कि मैंने स्टैंडटनकी समितिको तार भेजकर उन आदमियोंको यह सलाह दी है कि वे एक माहके नोटिसके बदलेमें मजदूरीका दावा करनेका अपना अधिकार सुरक्षित रखते हुए, जो कुछ भी उन्हें दिया जाये, उसे स्वीकार कर लें।

आपका, आदि,
मो० क० गांधी
अवैतनिक मंत्री
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८–१२–१९०७

३३१ अधीरता

हम देखते है कि ट्रान्सवालके कुछ भारतीय अब लडाईका अन्त देखनेके लिए उतावले हो रहे है। किन्तु अभी लडाईका अन्त जरा दूर दिखाई देता है। बडे बडे काम एकाएक नही बन जाते। दक्षिण आफ्रिकामे सब जगह सब लोग समझते है कि यह लडाई भारतीयोकी प्रतिष्ठा रखनेके लिए है। हम सब एक प्रजा है, हमे हक मिलने चाहिए, हम स्वतन्त्र है, यह सब बाते दिखाना इस लडाईमे निहित है। इतनी बडी विजय प्राप्त करनेके लिए उतावली करनेसे क्या होगा? बहुत से जेल जाकर अपने आपको गढेगे और बाकी लोग प्रबल रहेगे, तभी किनारा लगेगा।

हमारी इस बारकी जोहानिसबगकी चिट्ठीसे मालूम होगा कि स्मट्स साहब अभीतक डिगे नही है। इससे प्रकट होता है कि उनके पास अब भी छिपी खबर है कि भारतीय अन्तमे हार जायेगे। परवानोका इलाज अभी उनके पास है जो आजमाना बाकी है। सारी बाते आजमाये बिना वे भारतीयोको परेशान करना क्यो छोड दे? लडाईमे सैनिक विवश हो जानेपर ही आत्मसमपण करते है। हमारी लडाईमे खून खराबी नही होती और सच्चे गोला-बारूदका उपयोग नही किया जाता, इसलिए कोई यह न समझ ले कि यह लडाई नही है। है तो हमारी भी लडाइ ही। अन्तर केवल इतना है कि इस लडाईमे हमारी ओर सत्य है। इसलिए परिणाम एक ही हो सकता है। किन्तु यदि हम अधीर बनेगे, तो समझ लीजिए कि सत्य उतना ही कम हो जायेगा। और जब सत्यको जीतना है तो वह धीरे धीरे ही जीता जा सकता है। वास्तवमे वह जीत बहुत ही कम समयमे मिली यही माना जायेगा। किन्तु ऊपर ऊपर देखनेसे हमे आभास होता रहता है कि उसमे हमे ज्यादा समय लगता है। जो अपना सब कुछ बलिदान करनेको तैयार है तथा अपनी शपथ और प्रतिष्ठाकी प्राणके समान रक्षा करते है उन्हे समय जानेसे कुछ खोना है ही नही।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २१-१२-१९०७

३३२. रामसुन्दर पण्डित

पण्डितजी छूट गये, और जबतक यह अक हमारे पाठकोके हाथमे पहुँचेगा तबतक फिर पकडे भी जा सकते है। पण्डितजीका जीवन अब अपना नही रहा, वह सावजनिक हे। उन्होने अपना जीवन समाजको समर्पित कर दिया है। अब वापस नही ले सकते। पण्डितजीका उत्साह बहुत ही प्रशसनीय है। उनपर बडी जिम्मेदारी है। वे खुद पुजारी ह और धमकी शिक्षा देते है। इसलिए हम उनमे वैराग्य या फकीरीका दशन पानेकी आशा करते है। वैसे पुरुषको वीतराग, सहज सुशील, शान्त, सत्यवादी और अपरिग्रही होना चाहिए। जबतक ऐसे लोग बडी सख्यामे पदा नही होते तबतक भारतकी मुक्ति भी नही होगी। पण्डितजीने जबरदस्त कदम उठाया है ओर जो सम्मान प्राप्त किया हे उसे वे सदा ही बनाये रखेगे, ऐसी आशा हे और ईश्वरसे प्राथना हे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–१२–१९०७

३३३ हाजी हबीब

श्री हाजी हबीबने ट्रान्सवाल छोड दिया है और अब वे डबनमे रहनेवाले है। इसलिए प्रिटोरियामे उन्हे भोज दिया गया था। उसका हाल हम इस अकमे छाप रहे है। समाजका यह समय इतना खराब हे कि ऐसे समयमे मान-सम्मान आदिका खयाल हो, यह सम्भव नही। नही तो क्या श्री हाजी हबीबकी विदाई भोजसे ही हो जाती? श्री हाजी हबीबकी [समाज] सेवा बहुत ही दीघकालीन हे। श्री हाजी हबीबने सकडो लोगोका इतना काम किया हे कि उसका बदला नही चुकाया जा सकता। और इतना सब करनेमे उन्होने अपना लाभ नही देखा। समाजके कामके लिए वे सदा तैयार ही रहे। उनमे जितनी आतुरता हे उतनी ही होशियारी भी है। उनके साथ बहस करनेमे गोरे अधिकारी मुसीबतमे आ पडते थे। हमे आशा है कि श्री हाजी हबीबने ट्रान्सवालमे जैसा काम किया है वसा ही वे डबनमे भी करेगे, और सावजनिक काममे पूरा हिस्सा लेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २१–१२–१९०७

३३४ रामसुन्दर पण्डित[1]

श्री रामसुन्दर पण्डित १३ तारीखको जेलसे छूट गये। उनका स्वागत करनेके लिए बहुत-से भारतीय जेलके दरवाजेपर हाजिर थे। उनमे श्री ईसप मिया, मौलवी साहब, श्री फैन्सी, श्री थम्बी नायडू, श्री उमरजी, श्री गाधी आदि थे। प्रिटोरियासे श्री काछलिया, श्री पिल्ले तथा श्री गोपाल आये थे। वे ठीक साढे आठ बजे जेलसे बाहर आये। चीनी सघकी ओरसे श्री क्विन आदि उपस्थित थे। पण्डितजीका स्वागत फूल मालाओ और गुलदस्तोसे किया गया।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २१-१२-१९०७

३३५ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

गद्दारोकी सख्यामे वृद्धि

एक बार तो एशियाई कार्यालय सच ठहरा है, उसके कथनानुसार कुल मिलाकर ५११ भारतीयोने गुलाम बननेके लिए अर्जिया दी है। भारतीयोके हिसाबसे केवल ३९९ लोगोने ही अर्जिया दी है। किन्तु मेरे पास वास्तविक खबर पहुँची है। उससे मै देखता हूँ कि ५११ ही सही सख्या हे। किन्तु उसमे जो ज्यादा खेदजनक खबर हे सो यह है कि सेठ एम० सी० कमरुद्दीनकी पेढीके श्री हसन मिया कमरुद्दीन झटाम भारतीय विरोधी कानून-निधिके कोषाध्यक्ष श्री गुलाम मुहम्मद हुरजुग तथा प्रिटोरियाके श्री हाजी कासिम, हाजी जूसब तथा श्री अली हबीब ये सब काला मुह करवा चुके है। श्री हसन मियाकी बात म छोड देता हूँ। मै समझता हूँ कि इस कानूनके बारेमे उनके मनमे एक पागलपन समाया हुआ हे। किन्तु श्री गुलाम मुहम्मदकी बात बहुत ही खेदजनक है। जान पडता है, इन दोनोने बहुत ही गुप्त तरीकेसे काला काम किया हे। इनके बारेमे कुछ समय पहले एक अफवाह उडी थी। किन्तु मैने उसपर भरोसा नही किया। वह अफवाह सच निकली यह देखकर मै लज्जित हूँ। श्री हाजी कासिम तथा श्री अलीने भी बहुत ही छिपे तरीकेसे अपनेको पजीकृत किया जान पडता हे। उनके शब्द मुझ यह लिखते समय भी याद आते है। उन्हे यहा लिखना यद्यपि बकार मानता हूँ, फिर भी इतना कहना तो अपना कतव्य समझता हूँ कि श्री हाजी कासिम तथा श्री अली जैसे लोगोको पजीकृत होना ही था तो हिम्मतके साथ सामने आकर होना चाहिए था। सूचीमे उनका नाम मै देखता हूँ। इससे प्रकट होता है कि उन्होने अन्तमे हाथ घिसे है। मेरे लिखनेसे उन्हे चोट पहुँचेगी। मै उन्हे विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी नामर्दीकी खबर सुनकर मुझे जो चोट पहुँची है उससे अधिक चोट उन्हे नही लगी होगी। समाजके भीतरसे झूठी शर्म, झूठा डर और झूठा काम निकल जाये, यही

१ यह 'विशेष रिपोर्ट' के रूपमें छपा था।

सोचकर मुझे ये नाम सावजनिक तौरसे प्रकट करने पडे है। इनके अलावा खोजा वेलजी केशवजी तथा खोजा मनजी केशवजीके नाम भी देखता हूँ। दूसरे नाम भी मेरे पास पहुँचे है, लेकिन उन्हे बादमे दूगा। विशेष तौरसे उल्लेखनीय नाम ही इस समय दे रहा हूँ।

गद्दारोसे विनती और उन्हे सलाह

दुनियाका रिवाज दु खोको भूल जानेका है। इसलिए मै मान लेता हूँ कि कलसे गद्दारोके काले कारनामे हम भूल जायेगे। उनका अपराध समाजके विरुद्ध हे। फिर भी वे भारतीय है, इस बातको हम याद रखेगे। यदि उन्हे सच्ची शर्म आई हो और वे समाजका भला चाहते हो, तो जनवरीमे शुरू होनेवाली लडाईमे वे भाग ले सकते है। परवाना लेते समय उन्हे गुलामीका पटटा दिखाना होगा। यदि वे वह पटटा न दिखाये तो उन्हे पटटा न लेनेवाले भारतीयो-जसा दु ख उठानेका लाभ मिल सकता हे। जिन गद्दारोको पश्चात्ताप हो वे इस प्रकार कर सकते ह, और मै आशा करता हूँ कि एसी हिम्मतवाले कुछ तो निकलेगे ही।

जनवरीमे क्या होगा?

उपर्युक्त सलाह देते समय जनवरीका प्रश्न तुरत उठ खडा होता हे। जिस प्रकार हमने दिसम्बरका विचार किया उसी प्रकार जनवरीका भी करना हे। दिसम्बरमे सरकारने जोर नही दिखाया — वह दिखा नही सकी। मै तो समझता हूँ वैसा ही जनवरीमे होगा किन्तु यह तो माना नही जा सकता था कि दिसम्बरमे वह किसीको नही पकडेगी। उसी प्रकार जनवरीमें किसीको परेशानी नही होगी यह भी मै नही मानता। इतना तो अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि जो लोग गुलामीका पटटा नही दिखा सकेगे उन्हे परवाना नही मिल सकेगा। उसमे सरकारके लिए ढील देनेकी भी बात नही रहती। वैसी विज्ञप्ति निकाली गई है, इसलिए वह तो अमलमे आयेगी ही। तब क्या किया जाये? उत्तर कई बार दिया जा चुका है और वह हे बिना परवानेके व्यापार किया जाये और जब सरकार पकडे तथा जुर्माना हो तब *जुर्माना न देकर जेल जायें*। जेल ही रामबाण दवा हे। सभी परवानोका काम सरकारके हाथमे नही है। काफिर भोजनगहो तथा फेरीवालोके परवाने नगरपालिकाके हाथमे है। अर्थात काफिर भोजनगहवालो और फेरीवालोको पकडनेका सरकारको अधिकार नही है। नगरपालिका जो हुक्म देगी उसके अनुसार होगा। अत यह सम्भव है कि कोई न कोई नगरपालिका तो वार करेगी ही। जसे, बॉक्सबगकी नगरपालिका। इससे डरना नही, बल्कि खुश होना चाहिए। सरकारने आजतक हमपर हाथ नही डाला, उसे मै अच्छा नही मानता। यह लडाई ऐसी हे कि इसमे हमारा छुटकारा हमारे हाथ हे। फिर जबतक बहुत लोगोने जेलका कष्ट नही भोगा तबतक हममे सच्ची हिम्मत नही आयेगी। इस प्रकार गिरफ्तार किये जानेवाले लोगोका बचाव श्री गाधी मुफ्त करेगे, यह लिखा जा चुका है। बचानेका अर्थ इतना ही है कि उस जैसे बहादुरको जेलके लिए बिदाई देने जायेगे। मुझे खेद है कि परवानेके बारेमे यदि कोई जुर्माना न दे तो उसे जेलकी सजा होगी। लालच बुरी चीज है और यदि कोई उस लालचमे आकर जुर्माना दे देगा तो बहुत बुरा होगा। इसलिए मै आशा करता हूँ कि सब भारतीय अन्त करणसे यह शपथ ले लेगे कि इस सम्बन्धमे वे अपना या दूसरोका जुर्माना नही देगे।

श्री गांधी : देशनिकाला देनेका अधिकार रहा नहीं है!
सरकार : "अरे! इसका सामना करना पड़ेगा, यह तो सोचा ही नहीं था! बुरे फँसे!" (भाग गये)

Resister.

DO :—Prepare to meet your end !

RESISTER (Mr. Gandhi) :—Yea, brother Smuts, I am prepared. Pray do your worst.

DO :—Heavens, man ! Don't say that. The blooming gun won't work !

Reproduced by kind permission of the *Rand Dail*

डाक और सत्याग्रही

समझौता कहाँ गया ?

जनवरीका विचार बताया इसलिए साधारण सवाल यह उठता है कि समझौता कहा गया ? उसके खुलासेके लिए कहता हूँ कि मैंने तो पानी आनेके पहले बाध बाधा है। समझौतेकी बात तो चल ही रही है। किन्तु म देखता हूँ कि सरकारके हाथमें जनवरीमे जो हथियार आनेवाला है उसकी आजमाइश हुए बिना समझौता नही होगा। इस बीच भारतीयोका जोर बहुत बढ गया है, यह तो किसीको भी दिखाई दे सकता है। गोरोके सारे अखबार सरकारको बहुत फटकारते हैं और भारतीयोकी जय बोलते हैं। तीन महीने पहले यदि कोई ऐसी बात कहता तो उसका मजाक उडाया जाता था। किन्तु जैसे गोरोके अखबार हमारे पक्षमे बोलने लगे हैं, उसी प्रकार यदि जनवरीमे बहुत से भारतीय जेल चले जायेगे तो गोरे स्वय भी तोबा करेंगे, और सरकारसे भारतीयोके छुटकारेकी माग करेंगे। समझौता तो केवल नाम है। समझौतेकी डोर हमारे हाथमे है। हम लायक — मद साबित होगे तब सभी समझौता करना चाहेंगे। सत्य और मदानगीकी यही महिमा है।

'क्रिटिक' मे व्यग्यचित्र

'क्रिटिक' मे इस बार हँसने योग्य व्यग्यचित्र आया है। एक तरफ एक भारतीय कोडा दिखाता हुआ कह रहा है कि आपको निर्वासित करनेकी सत्ता नही है दूसरी ओर जनरल बोथा और उनके मन्त्री भाग रहे है। इसको मिलाकर 'अनाक्रामक प्रतिरोध' सम्बन्धी कुल तीन व्यग्यचित्र निकल चुके हैं।

सरकारकी जिद्द

मालूम होता है कि समझौता करनेवालोको स्मट्स साहबने टका सा जवाब दिया है। वे कहते हैं कि कानून रद करने या नोटिस वापस लेनेका उनका कोई इरादा नही है। स्मटस साहबके इस कथनसे किसीको डरना नही चाहिए। उन्हे तो बोलनेकी आदत पडी हुई है। जब कानूनको अमलमे लायेगे तब पता चल जायेगा।

जूटनिक [यूटनहेग] से सहायता

जूटनिकके भारतीयासे लडाईमे जो मदद मिली है उसके लिए सघने उनका आभार माना है। मुझे आशा है कि दूसरे लोग भी उनका अनुकरण करेंगे। पोर्ट एलिजाबेथके भारतीयोने चन्दा इकट्ठा किया हो तो वह [सघको] भेज देना चाहिए।

द० आ० ब्रि० भा० समितिको मदद

पाचेफस्ट्रूमसे श्री रतनजी लखमीदासकी मारफत वहाके हिन्दुओकी ओरसे १६ पौड ८ शिलिंग और ६ पैस तथा श्री नानजी घेलाकी ओरसे ५ पौड दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समितिके लिए मिले है। इसी प्रकार दूसरे भारतीयोकी ओरसे भी मदद मिलती रहे तो समितिके काममे अडचन नही आयेगी। हालमे श्रीमती रिचकी सख्त बीमारीके कारण श्री रिचको जो खर्च करना पड रहा है, वह समितिके कोषसे किया गया है, यह सबको याद रखना चाहिए।

भीखा नारण

इस व्यक्तिके बारेमे कुछ बाते लिखी जा चुकी है। यह श्री डेल लेगके यहा नौकर था। इसे अब बहुत ही पश्चात्ताप हुआ है। इसने अपनी अर्जीकी रसीद सघको भेज दी है।

स्वय भारत चला गया हे, परन्तु गुलामीका पटटा लेने नही गया। इसकी गद्दारीसे इसके सगे-सम्बन्धी सब उत्तेजित हो गये थे और वे इसके साथ अपना व्यवहार बन्द करनेवाले थे। किन्तु अब यह स्वदेश चला गया है इसलिए मालूम होता है कि वे शात हो गये हैं। इस उदाहरणसे प्रकट होता हे कि "पराधीन सपनेहुँ सुख नाही।" प्राय यह पाया गया है कि गोरोकी निम्न नौकरी करनेसे स्वाभिमान खत्म हो जाता है। यह आदमी श्री लेसके यहा कपडे धोनेकी नौकरी करता था।

प्रिटोरियाकी मसजिदमे सिपाही

प्रिटोरियाकी मसजिदमे बनुतखान और हाजी इब्राहीमवाली घटना हो जानेके बाद, झगडा न हो, इसलिए हर शुक्रवारको पुलिस आती हे। इस प्रकार पुलिसके आनेसे कौमकी बदनामी होती हे। और यह मसजिदके मुतवल्लियोकी कमजोरी मानी जाती है। मुझे आशा हे कि इस सम्बन्धमे यदि कुछ भी उपाय न किया गया हो तो वह तुरत करके मुतवल्ली पुलिसका आना बन्द करा देंगे।

नये भारतीय वकील

श्री जॉर्ज गाडफ्रेने १३ तारीखको सर्वोच्च न्यायालयमे न्यायवादीके रूपमे प्रवेश किया है। बहुत करके वे जोहानिसबगमे वकालत करेंगे। मै उन्हे मुबारकबादी देता हूँ। श्री जॉर्ज गॉडफ्रेको मिलाकर श्री सुभान गाडफ्रेके तीन लडकोने विलायतमे शिक्षा प्राप्त की है। अब चौथेको डॉक्टरीके लिए भेजनेकी तजवीज की जा रही है।

एशियाई कार्यालय

श्री बर्जेसको ३१ जनवरी [१९०८]से छुट्टी दे दी गई है। इसी प्रकार प्रिटोरियामे तीन कारकुनोको छुट्टी मिली है। (उनके नाम बादमे दूगा)।

काग्रेसके प्रतिनिधि

श्री अमीरुद्दीन फजदारका तार आया है कि वे १७ तारीखको सकुशल बम्बई पहुँच गये।

जोहानिसबर्गका गोरा व्यापारी सघ

इस सघकी बैठक इस सप्ताह हुई थी। उसमे इस प्रकारका प्रस्ताव किया गया कि कानूनको अमलमे लानेमे सघको सरकारकी मदद करनी चाहिए और उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। एक वक्ताने कहा कि बडी सरकारकी ओरसे इस सम्बन्धमे बडा दबाव डाला जा रहा हे। इसलिए जोहानिसबगके लोगोको मदद करनी चाहिए।

एशियाई कार्यालय

एशियाई कार्यालयमे श्री बर्जेसके अलावा जिन कारकुनोको काय मुक्त किया गया है वे हैं श्री डॉबसन, श्री बारकर, श्री फाल्क, और श्री स्वीट।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २१-१२-१९०७

३३६. पत्र म० द० आ० रेलवेके महाप्रबन्धकको

[जोहानिसबर्ग]
दिसम्बर २१, १९०७

महाप्रबन्धक
म० द० आ० रेलवे
जोहानिसबर्ग

महोदय,

आज प्रातःकाल मुझे स्टैंडर्टनकी स्थानीय भारतीय समितिका पत्र मिला, जिसका स्वतन्त्र अनुवाद नीचे दिया जा रहा है :

> रेलवे कर्मचारियोंको महीनेके शुरूमें जो खुराक दी गई थी उसका साराका सारा अवशिष्ट भाग कल (इस मासकी १९ तारीखको) उनसे ले लिया गया और जिन कमरोंमें वे रहते थे उनकी छतें हटा दी गईं। इसलिए वे सभी यहाँ आ गये हैं। समितिने उनके रहनेका प्रबन्ध कर दिया है। उन्होंने कल दोपहर तक काम किया था, लेकिन उनको कलका कुछ भी पारिश्रमिक नहीं दिया गया। उन्होंने प्रार्थना की कि उनको निवासस्थान तलाश करने और बादमें अपने स्त्री-बच्चोंको ले जानेके लिए नगरमें जानेकी अनुमति दी जाये, मगर बच्चों तक को बाहर निकाल दिया गया है।

आपने कृपापूर्वक मुझे यह आश्वासन दिया था और समाचारपत्रोंके नाम आपकी विज्ञप्तिमें भी मैंने यही आश्वासन देखा है कि आपका महकमा किसी प्रकार "सख्तीसे कार्रवाही करना या किसी रूपमें अपने अधिकारोंका फायदा उठाना नहीं चाहता"। इसलिए अगर उपर्युक्त सूचनापत्रमें कोई सच्चाई हो तो जो अधिकारी हिदायतोंपर अमल कर रहे थे वे स्पष्टतया गम्भीर रूपसे कर्तव्यच्युत हो गये हैं। क्या आप इसके बारेमें आवश्यक जाँच करके मुझे सूचित करनेकी कृपा करेंगे ?

आपका, आदि,
मो० क० गांधी
अवैतनिक मन्त्री
ब्रिटिश भारतीय संघ

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३३७ भाषण हमीदिया इस्लामिया अंजुमनमें

[जोहानिसबर्ग
दिसम्बर २२, १९०७]

हमें इस विजयके कारण फूल नहीं जाना चाहिए।[1] युद्धके दिनोंमें डच लोगोंने पहले मैदान छोड़ भागनेका ढोंग रचा, बादमें वे अंग्रेजोंपर टूट पड़े। उसी प्रकार सरकार शायद पहले यह दिखाये कि वह हार गई है और आगे चलकर वार कर बैठे। इसलिए हमें तो ऐसा समझना चाहिए कि हमारा संघर्ष आज ही शुरू हुआ है। अगर सरकार परवाने न दे तो हम लोग बिना परवानेके ही व्यापार करते रहें और गिरफ्तार हो जानेपर जुर्माना अदा न करें, जेल भले चले जायें। इसके अतिरिक्त हमें एक एकता-भवनका निर्माण अवश्य करना चाहिए। यह काम बहुत थोड़े समयमें हो जायेगा। उसके द्वारा हम ऐसे भारतीयोंको, जो बेरोजगार हो गये हैं, काम दे सकते हैं। परवानाके बारेमें जो स्थिति है उसे लोगोंको समझानेके लिए फिर एक सार्वजनिक सभा करनी चाहिए।

चूंकि मौलवी मुख्त्यार साहबके परवानेकी मियाद समाप्त हो रही है, इसलिए श्री गांधीने उससे सम्बन्धित कुछ बातोंकी चर्चा की और फिर संघर्षके बारेमें बताया।

[गुजरातीसे]
इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३३८ भाषण हमीदिया इस्लामिया अंजुमनमें[2]

[फ्रीडडॉर्प
दिसम्बर २७, १९०७]

श्री गांधीने कहा : जब मैंने आज प्रातःकाल प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम सम्बन्धी घोषणा पढ़ी, तब पहली बात, जो अपने आप मेरी जुबानपर आई, यह थी कि लॉर्ड एलगिनने भारतीयोंकी राजभक्तिपर अनुचित भार डाल दिया है। भारतके भूतपूर्व वाइसराय लार्ड एलगिन भारतीय परम्पराओंको बिलकुल भूल गये हैं। वे महामहिम सम्राटको इस कानूनपर मंजूरी देनेकी सलाह देते समय यह बात बिलकुल भूल गये कि वे भारतके लाखों लोगोंके न्यासी हैं। वे बिलकुल भूल गये कि भारत एक ऐसे मार्गपर पग रखनेवाला है जो भारतीय इतिहासमें अज्ञात है। भारत कभी क्रान्तिकारी नहीं रहा, किन्तु आज हम देखते हैं कि कुछ भारतीयोंके मस्तिष्कोंमें क्रान्तिकारी भावना प्रविष्ट हो गई है। जिस दिन भारतमें तीव्र

१. गांधीजीने रामसुन्दर पण्डितकी रिहाईका जिक्र करते हुए हमीदिया इस्लामिया अंजुमनमें भाषण दिया था, देखिए "रामसुन्दर पण्डित", पृष्ठ ४३८ और ३९ भी।

२. हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके भवनमें गांधीजीने शामको एक भरी सभामें भाषण दिया। उसी दिन सुबह उन्हें टेलिफोन द्वारा ट्रान्सवालके कार्यवाहक पुलिस आयुक्त श्री एच० एफ० डी० पेपेनफसका सन्देश मिला था कि गांधीजी उनसे जाकर मिलें। वहाँ पहुँचनेपर उन्हें बताया गया कि उनकी तथा थम्बी नायडू (मुख्य धरनेदार, जोहानिसबर्ग) पी० के० नायडू (धरनेदार, जोहानिसबर्ग) सी० एम० पिल्ले, जमादार नवाबखाँ

क्रान्तिकारी भावना पर्याप्त जड़ पकड़ लेगी वह दिन भारतके लिए एक बुरा दिन होगा, किन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि लॉर्ड एलगिनने उसका बीज बो दिया है। यदि यह बीज छात्र जगत तक ही सीमित होता तो कदाचित भारतीय भूमिमें कदापि न पनपता। किन्तु मैं आज देखता हूँ कि व्यापारी, जो अंग्रेजीका एक शब्द नहीं जानता, एशियाई कानूनके सम्बन्धमें नई भावनामें सराबोर है। मुझे इस बातपर गर्व है कि मैंने इस मामलेमें इतना भाग लिया है। किन्तु इसके साथमें इतना और कहता हूँ कि मेरे विचार लोगोंके विचार हैं और उनको प्रकट करते समय मैंने अगर कुछ किया है तो नरमी बरती है। इस कारणसे ही मैंने यह भावना व्यक्त की है कि लॉर्ड एलगिनने इस प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमको मंजूर करके भारतीयोंकी राजभक्तिपर अनुचित भार डाला है। मेरे विचारसे यह विधान एक बर्बर विधान है। यह एक सभ्य सरकारका, जो अपने आपको ईसाई सरकार कहनेकी हिम्मत करती है, जंगली कानून है। यदि ईसा जोहानिसबर्ग और प्रिटोरियामें आयें और जनरल बोथा, जनरल स्मट्स और अन्य लोगोंके हृदयोंको टटोलें तो मेरा खयाल है कि उन्हें कोई अजीब, ईसाइयतकी भावनाके सर्वथा विपरीत, बात मिलेगी।" उन्होंने आगे कहा "मैं मानता हूँ कि इस कानूनके अनुसार कारवाई करनेके लिए जनरल स्मट्सने जिनको चुना है वे जाने माने लोग हैं और गरीब लोगोंपर हाथ नहीं डाला है। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि यदि उन लोगोंको, जिन्हें न्यायाधीशके सामने पेश होना है, कैदकी या देश निकालेकी सजाएँ दी गई तो बाकी लोग, जो पीछे रहेंगे, पंजीयन अधिनियमका विरोध दृढ़तासे करेंगे। किन्तु इस पंजीयन अधिनियमसे ऐसे अधिकार मिलते हैं जिनसे बेचारे पतियोंपर बहुत संकट आयेंगे। उनको अपने परिवारोंसे पृथक किया जा सकता है। हम श्री नायडूके, जो सारे आन्दोलनमें खूब चमके हैं, मामलेका उदाहरण ही लें। उनके पत्नी और पाँच बच्चे हैं, जो उपनिवेशमें पाँच सालसे रह रहे हैं। यदि श्री नायडूको देश निकाला दे दिया गया तो क्या होगा? उनकी पत्नी और उनके बच्चोंकी देखभाल कौन करेगा? मुझे कानूनमें एक भी ऐसी धारा नहीं मिल सकी है जिससे निर्वासितोंके परिवारोंकी रक्षा होती हो। सरकार करना क्या चाहती है? उसमें भारतीयोंसे इतना कहनेकी ईमानदारी क्यों नहीं है कि देशमें उनकी आवश्यकता नहीं है? वह अपने अधिकारोंको लागू करनेके लिए यह अप्रत्यक्ष तरीका क्यों काममें लाती है? मैंने कानूनकी कुछ धाराओंको जंगली और केवल एक असभ्य सरकारके योग्य कहा है। यदि इन अधिकारोंका इस प्रकार प्रयोग किया जाये और हम सबको निर्वासित

(धरनेदार, जोहानिसबर्ग) करवा (भूतपूर्व सिपाही जोहानिसबर्ग) ल्यूंग क्विन (अध्यक्ष चीनी संघ जोहानिसबर्ग), जॉन फोर्तोइन (चीनी धरनेदार), मार्टिन इस्टन (जोहानिसबर्ग), रामसुन्दर पण्डित (जर्मिस्टन), जी० पी० व्यास (प्रिटोरिया), ए० एफ० सी० बेग (प्रिटोरिया), एम० आई० देसाई (मुख्य धरनेदार प्रिटोरिया), ए० एम० काछलिया (प्रिटोरिया), इस्माइल सुलेमान सूज (प्रिटोरिया) गुलाम मुहम्मद अब्दुल रशीद (प्रिटोरिया), बी० गंगाराम (प्रिटोरिया) वी० यू० सेठ (प्रिटोरिया) इस्माइल जूमा (प्रिटोरिया) रहमत खाँ (प्रिटोरिया), एम० एम० खडेरिया (पीटर्सबर्ग), अमरशी गोकुल (पीटर्सबर्ग), और अम्बालाल (पीटर्सबर्ग), की गिरफ्तारीके हुक्म हो चुके हैं। गांधीजीने वचन दिया कि सभी दूसरे दिन शनिवार दिसम्बर २८को सुबह १० बजे अपने अपने न्यायाधीशोंके सामने हाजिर होंगे। श्री पेपेनफ़सने यह जमानत स्वीकार कर ली। देखिए **इंडियन ओपिनियन**, ४-१-१९०८।

या कद कर दिया जाये तो यह हमारे लिए सम्मानकी बात है। हमारे लिए सम्मानजनक यह नही होगा कि हम अपने पुनीत कर्तव्योको त्याग दे और अपने मनुष्यत्व और आत्म सम्मानको तिलाजलि दे दे — केवल इसलिए कि हम कुछ तुच्छ पेस या पौड कमा रहे ह। मने आपको जो सलाह दी है उसपर मुझे कभी खेद न होगा। आपने यह लडाई, जो १५ महीनेसे चालू है, अच्छी तरहसे लडी हे।[1] यह एक ऐसा कानून है जिसको कोई भी आत्म सम्मानी राष्ट्र या व्यक्ति स्वीकार नही कर सकता — सो इसके नियमोके कारण नही, बल्कि इस कारण कि यह निकृष्टतम ढगका वर्गीय कानून है, जिसका आधार हे समाजके प्रति सरासर अविश्वासका भाव और निराधार दोषारोपण। हमने लाड सेल्बोन और जनरल स्मटससे कहा है कि इन आरोपोको एक निष्पक्ष न्यायालयके सम्मुख सिद्ध किया जाना चाहिए। ये ऐसे व्यक्ति द्वारा लगाये गये ह जो पक्षपातमे डूबा हुआ है और तथ्यको परख सकनेमे असमथ है। सरकार यह बात क्यो नहीं मान रही है कि उन्हे जो कमसे-कम दिया जा सकता हे, वह है निष्पक्ष जाच। "श्री गाधीने इस तथ्यके सम्बन्धमे कुछ नही कहा कि भारतीयोको कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है, किन्तु उन्होने यह चर्चा अवश्य की कि सरकार उन लोगोकी भावनाओके सम्बन्धमे इतनी कठोर क्यो हे जिनका कोई प्रतिनिधित्व नही है। (उन्होने आगे कहा,) "मुझे यह मालूम होता है कि अब हमारे अलग अलग होनेका वक्त आ गया है। यदि साम्राज्य सरकार भारतके लोगोपर, सगीनकी नोकके बल नही, बल्कि उनके प्रेमके बल अपना आधिपत्य बनाये रखना चाहती है तो उसको झिझकना चाहिए। इग्लडको भारत और उपनिवेश दोनोमे से एकको चुनना पड सकता है। सम्भव है, ऐसा आज या कल न करना पडे, किन्तु मेरा खयाल है कि लॉड एलगिनके कायसे इसके बीज वपित हो गये ह। मने जब एशियाई अधिनियममे प्रवासी अधिनियम ऊपरसे जोडा हुआ देखा तब नम शब्द चुनना या अपनी आलोचनाको सयमित करना मेरे लिए सम्भव नही रहा। एक कहानी है कि मुहम्मद और उनके दो[2] अनुयायी एक बडी शत्रु-सेना द्वारा पीछा किया जानेपर एक गुफामें आश्रय ले रहे थे। उनके साथी निराश होकर पूछने लगे कि इतने बडे सैन्य बलके मुकाबले हम तीन क्या कर सकेंगे। मुहम्मदने कहा "तुम कहते हो, हम तीन ह, म कहता हूँ हम चार ह, क्योकि ईश्वर हमारे साथ है, और उसके हमारी ओर होनेसे हम जीतेगे।" ईश्वर हमारे साथ है, और जबतक हमारा उद्देश्य अच्छा है, तबतक हम यह खयाल तनिक भी नहीं करते कि सरकारको क्या अधिकार दिये जाते ह, या वे अधिकार कितनी बबरतासे प्रयोगमें लाये जाते ह। म तो तब भी यही सलाह दूगा जो मने पिछले १५ महीनेसे देनेकी हिम्मत की है।[3]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ४–१–१९०८

१ यह सघर्ष सितम्बर १९०६ में आरम्भ किया गया था। देखिए खण्ड ५, पृष्ठ ४२८ ३४।

२ मूलमें तीन है।

३ सभामें सवसम्मतिसे एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमका विरोध किया गया था और जिसकी नकल उच्चायुक्तकी मारफत साम्राज्य-सरकारको भेजी जानेवाली थी।

३३९ डेलागोआ-बेके भारतीय

हम अन्यत्र उन उल्लेखनीय नियमोका[1] पूर्ण पाठ प्रकाशित कर रहे है, जिन्हे डेलागोआ बेकी स्थानीय सरकारने एशियाइयोके आव्रजनपर प्रतिबन्ध लगानेके लिए बनाया है। ये नियम तीन प्रकारके प्रवासियो, अथवा यो कहिए कि एशियाई पर्यटकोके बारेमे है (१) डेलागोआ बेको छोडकर जानेवालोके बारेमे, (२) डेलागोआ बेमे बाहरी जिलोसे आनेवालोके बारेमे, (३) एशियाकी पुर्तगाल बस्तियोसे आनेवाले एशियाई लोगोके बारेमे। इन नियमोमे अवश्य ही ट्रान्सवालकी गन्ध है। गवर्नर जनरलके पास डेलागोआ बेके जो एशियाई गये उनसे कहा गया कि ये नियम इसलिए आवश्यक है "कि प्रान्तपर आसपासके उपनिवेशोसे एशियाई प्रवासियोकी भारी भीडके आनेका खतरा है, और ये नियम केवल अस्थायी है।" हमको विश्वास है कि गवर्नर जनरलके इस स्पष्टीकरणसे डेलागोआ बेके भारतीय सन्तुष्ट होकर नही बैठ जायेगे। वास्तवमे पुर्तगाली इलाकेमे ट्रान्सवालसे कोई भीड नही आती और यदि आती भी हो तो उस प्रान्तमे पहलेसे बसे हुए ब्रिटिश भारतीयोको तग करनेमे कोई औचित्य नही है। उदाहरणार्थ, वे बाहर जानेके लिए अपने पास एक विशेष अनुमतिपत्र क्यो रखे? हमे मालूम हुआ है कि उनको स्थायी दस्तावेज पहले ही दिये जा चुके है। फिर, भारतीय लोग परवानोके बिना अथवा इस बातका प्रमाण दिये बिना, कि वे न तो अपराधी है और न दिवालिए, डेलागोआ बेसे क्यो नही जा सकते? यह हो सकता है कि एक खास परिस्थितिमे इस प्रकारकी दूरन्देशी सम्भवत सार्वजनिक न्यायकी दृष्टिसे उचित हो, किन्तु एशियाइयोने अपराध तथा दिवालियेपनका ठेका तो नही ले लिया है। यूरोपीय बिना यह साबित किये, कि उन्होने न तो अपराधीके रूपमे कानूनोको तोडा है और न दिवालिये बने है, डेलागोआ-बेसे चाहे जितनी बार आ जा सकते है। इन कठोर नियमोका एकमात्र अच्छा पहलू यह है कि पुर्तगाल सरकारने उन एशियाइयोमे भेदकी विभाजक रेखा खीचना जरूरी समझा है जो उसकी अपनी प्रजा है तथा जो उसकी अपनी प्रजा नही है। अन्य उपनिवेशोकी ब्रिटिश सरकारोने ऐसा नही किया है। हमारा विश्वास है कि डेलागोआ बेके एक विदेशी राज्य होनेके कारण लार्ड एलगिन इन परेशान करनेवाली पाबन्दियोसे छुटकारा दिलानेका कोई न कोई तरीका खोज निकालेगे।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

१ यहाँ प्रकाशित नही किये गये। 'डेलागोआ बेके भारतीय' पृष्ठ ४५० भी देखिए।

३४० बेरोजगार लोगोका क्या किया जाये ?

हमारे इस बारके अकमे पाठक देखेगे कि स्टैडटन तथा हाइडेलबगमे रेलवेमे काम करने वाले भारतीय बेरोजगार हो गये है। और उसका कारण यह हे कि उन्होने खूनी कानूनके सामने झुकनेसे इनकार किया है। इस प्रकार यदि बहुतसे लोग बेरोजगार हो जाये तो क्या किया जाये यह विचार हर भारतीयको करना चाहिए। हम कइ बार कह चुके है कि जेल जानसे जो आर्थिक नुकसान हो वह जेल जानेवालेको स्वय बर्दाश्त कर लेना चाहिए। उसमे समाज मदद नही कर सकता। किन्तु जब सैकडो लोग भूखो मरने लगे तब हम कुछ विचार न करे तो यह बडी क्रूरता होगी। इसके अलावा, हमने पढा हे कि "पेट कराये बेगार, पेट बाजा बजवाये।" पेटके लिए भारतमे अकालग्रस्त लोग अपने बच्चोको बेच देते है। तब इस पापी पेटके लिए लोग पजीयनपत्र लेनेको तैयार हो जाये तो उसमे अनोखी बात नही होगी। यानी, यदि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाये तो उनकी मदद करना बिलकुल जरूरी हो जायेगा। इस विचारको समझकर हर भारतीयको, जितनी हो सके उतनी सहायता, सघके नाम जोहानिसबग भेजनी चाहिए। पैसा प्राप्त होनेके बाद क्या किया जाये यह दूसरा प्रश्न हे जिसपर हमे सोचना हे। यदि लोगोको, बिना कुछ काम लिये, रोजाना पैसा या भत्ता दिया जाता रहे तो उससे पाप बढेगा, और इतना निश्चित हे कि उसका असर पसा या भत्ता लेनेवालेपर बुरा होगा। इसलिए हम मानत है किसी न किसी सावजनिक काममे उनकी मदद अवश्य ली जाये। श्री गाधीने एक बडा सभा-भवन बनानेका सुझाव रखा हे। यह काम बडा है करने योग्य है और अधिकाश भारतीय मदद करे तो सहज ही हो सकता है। इससे तीन काम बनते ह। ट्रान्सवालमे कौमको राजकीय कामोके लिए एक बडा भवन मिल जायेगा, बेरोजगार भारतीयोका पोषण होगा ओर वैसा भवन बनानेसे भारतीय लडाईको जबरदस्त विज्ञापन मिलेगा। यदि ट्रासवालके भारतीय सभा-भवन बनवाये तो उसका लाभ उन्हे ही होगा यह समझकर ट्रासवालसे बाहरके भारतीय हाथपर हाथ धरे न बैठे रहे। सभा भवन बने या न बने, बेरोजगार लोगाको काम तो देना ही होगा। इसलिए हर भारतीयको इस बातका ध्यान रखना चाहिए। यदि सभा भवन बनाया जाता है तो बहुत-सा खच ट्रान्सवालके भारतीयोको स्वय ही उठाना होगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–१२–१९०७

३४१ बहादुर स्त्रियाँ[1]

इंग्लडकी स्त्रियोंने हद कर दी है। भारतीय समाजकी लडाई जब ट्रासवालके खूनी कानूनके खिलाफ शुरू हुई तब इंग्लैंडकी स्त्रियोकी मताधिकारकी लडाईको चले कई महीने बीत चुके थे। उन स्त्रियोकी लडाई अभी चालू है और वे जरा भी थकी नही है। उनकी बहादुरी और धीरजके सामने ट्रान्सवालके भारतीयोकी लडाई कुछ भी नही हे। इसके अलावा इंग्लैंडकी स्त्रियोको तो बहुत सी स्त्रियोके भी खिलाफ जूझना पडता है। मताधिकार मागने वाली स्त्रियोसे न मागनेवाली स्त्रियोकी सख्या बहुत ज्यादा है। इतना होनेपर भी वे मुट्ठी-भर स्त्रिया हार नही मान रही ह। रोज ब रोज वे जितनी ठोकरे खाती ह उनकी ताकत उतनी ही अधिक बढती जाती हे। उनमे से बहुत सी जेल जा चुकी ह। घणित और नामद मर्दोकी ठोकरो और पत्थरोकी मार ये स्त्रिया खा चुकी है। पिछले सप्ताह तार था कि उन्होने अपनी लडाईको और भी व्यापक बनानेका निणय किया है। स्त्रियो या उनके पतियोको सरकारको मकान आदिके कई कर देने होते है। यदि कर न दे तो उनका माल नीलाम किया जा सकता है और जेलमे भी जाना पडता है। अब स्त्रियोन निणय किया है कि "जबतक हमे अपने अधिकार नही मिलते तबतक हम कर वगैरा नही देगी, बल्कि अपना माल नीलाम होने देगी और जेल जायेगी।"

यह बहादुरी और धय ट्रान्सवालके भारतीय तथा सारे भारतीय समाजके लिए आदश हे। बिना परवानेके व्यापार करनेके कारण यदि नेटालके भारतीयोका माल नीलाम हो जाये तो वह उन्हे भारी मालूम होगा। किन्तु इस प्रकार सोचनेवाले यह नही समझते कि बहुत लोगोका माल सरकार नीलाम नही कर सकती। और नीलाम करे भी तो क्या हुआ? स्त्रिया मताधिकार जैसे हकके लिए अपनी जायदाद कुर्बान कर देती है तब हम जीविकाके लिए लडते हुए मोहके कारण लडाईमे इतना कष्ट भी नही सहन कर सकते? स्त्रियोकी लडाई कई वष चलेगी, परन्तु वे बिना हारे या बिना थके लडती रहेगी। आज लडनेवाली स्त्रिया उस अधिकारका उपयोग नही कर पायेगी, फिर भी ऐसा मानकर कि अगर वह बादकी पीढीको मिले तब भी हमे ही मिलने जैसा हुआ, वे सत्यके आधारपर जूझ रही ह। भारतीयोको भी इसी दष्टिसे लडना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इंडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

१ देखिए "इंग्लैंडकी बहादुर नारी", पृष्ठ ६५।

३४२ डेलागोआ-बेके भारतीय

डेलागोआ बेमें भारतीयोको रोकनेके लिए बनाये गये सारे कानून इस अकमे छाप रहे है। इसकी धाराएँ बहुत ही बुरी है। जान पडता हे इस सम्बन्धमे भारतीय लोग गवनरसे मिल चुके है। परन्तु इसका कोई सन्तोषजनक उत्तर नही मिला। यह कानून यदि कायम रहा तो प्रतिष्ठित भारतीयोको भी डेलागोआ-बे जाते समय अपनी तस्वीरवाला अनुमतिपत्र रखना पडेगा। ट्रान्सवालसे जानेवाले व्यक्तिको तभी अनुमतिपत्र दिया जाता है जब यह साबित हो जाये कि उसे वापस ट्रासवाल लौटनेका अधिकार हे। यह सारा पाखण्ड प्रिटोरियासे पैदा हुआ हे। किसी भारतीयको यदि सदाके लिए डेलागोआ-बे छोडना हो, तो भी वह बिना अनुमतिपत्रके नही छोड सकता। छोड तभी सकता हे जब वह साबित कर दे कि उसने स्वय कभी अपराध नही किया और वह दिवालिया नही हे। यह एक और तथा अलग प्रकारके जुल्मका श्रीगणेश माना जायेगा। इस कानूनसे भारतकी पुर्तगाली प्रजाको मुक्त रखा गया हे।

क्या डेलागोआ बेके भारतीय ऐसे कानूनके सामने झुकेगे? मौलवी साहब अहमद मुख्त्यार जब डेलागोआ-बेसे लौटे, उन्होने वहाके भारतीयोके आलस्य ओर लापरवाहीका बढिया चित्र खीचा था। यदि डेलागोआ-बेका भारतीय समाज अब भी आलस्य नही छोडेगा और आवश्यक कारवाई नही करेगा तो वह सारे भारतीयोके तिरस्कारका पात्र बन जायेगा।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३४३ दाउद मुहम्मदको बधाई

श्री दाउद मुहम्मदकी लडकी आशाबीबीका विवाह उनके भतीजे श्री गुलाम हुसैनके साथ हुआ। इसका सक्षिप्त विवरण हम पिछले सप्ताह दे चुके है। अब हम उन्हे, उनकी लडकीको और दामादको बधाई देते है ओर कामना करते है कि दम्पती सुखी और दीर्घायु हो। किन्तु सच्ची बधाई तो, श्री दाउद मुहम्मदने विवाहके समय जिस सादगीसे काम लिया और जो भाईचारा बरता, उसके लिए दी जानी चाहिए। धमके साधारण नियमोका लोग पालन करे तो उससे वे सुखी हो सकते है, सादगीका पालन किया जा सकता है और बेकार खचकी परेशानियोंसे बचा जा सकता हे। श्री दाउद मुहम्मदने विवाह शरीअतके अनुसार किया। नतीजा यह हुआ कि इस विवाहमे बेकारका आडम्बर बिलकुल नही था। इस उदाहरणका मतलब यह है कि गलत रिवाजोको छोडकर धार्मिक रीतिसे विवाह करे। यह सबके लिए अनुकरणीय है। श्री दाउद मुहम्मदने निकाहके समय जो भाईचारा बरता उसे भी हम ऐसा

ही मानते हैं। यदि इसी प्रकार सब करने लगे तो विभिन्न धार्मिक या राजकीय सगठनोको पैसेकी जो तगी होती हे वह नही भोगनी पडेगी ।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–१२–१९०७

३४४ कुछ अग्रेजी शब्द

स्वदेशाभिमानकी एक शाखा यह भी हे कि हम अपनी भाषाका मान रखे, उसे ठीक तरहसे बोलना सीखे और उसमे विदेशी भाषाके शब्दोका उपयोग यथासम्भव कम करे। गुजरातीके कोई अच्छे शब्द हमे नही सूझे, इसलिए हम कुछ अग्रेजीके शब्द जैसेके तैसे काममे लाते रहे है। उनमे से निम्नाकित कुछ शब्द हम पाठकोके सामने पेश करते है। जो कोई उनके लिए अच्छे शब्द बतायेगा ओर जिसके शब्द स्वीकार किये जायेगे उसका नाम हम प्रकाशित करेगे, और कानूनकी जो पुस्तक हमने प्रकाशित की है उसकी दस प्रतिया उसे भेटमे देगे, जिससे वह उनका प्रचार कर सके। पुस्तक भेट करनेका उद्देश्य प्रलोभन देना नही, बल्कि सम्मान देना और खूनी कानूनके बारेमे जानकारीका प्रचार करना हे। हम चाहते ह कि हमारे पाठक वह भेट पानेके लिए नही, बल्कि स्वदेश हितके लिए कष्ट उठाकर हमे इन शब्दोकी जानकारी दे। शब्द निम्नानुसार है

पैसिव रेजिस्टेन्स, पैसिव रेजिस्टर, कार्टून, सिविल डिसओबिडिएन्स।

इनके अलावा और भी शब्द है। किन्तु उनपर फिर विचार करेगे। उपयुक्त अग्रेजी शब्दोका हम शब्दार्थ नही उनका भावार्थ चाहते है। यह बात पाठक ध्यानमे रखे। शब्द सस्कृतसे निकले हुए हो या उर्दूसे, वे काम आयेगे।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–१२–१९०७

३४५. भारतकी दशा

जोहानिसबगवाले श्री दादाभाईके बडे लडकेकी मत्युके समाचारसे हमारे मनमे कई तरहके विचार आये है। भारतमे ऐसी मत्युएँ हर वष लाखोकी सख्यामे होती ह। प्लेगसे गावके गाव उजड गये है। कुटुम्बके-कुटुम्ब नष्ट हो गये है। मा बाप और बच्चे — सभीके महामारीसे खत्म हो जानेके समाचार बहुधा हमारे पढनेमे आया करते है।

और जगहोमे भी महामारी होती हे, किन्तु वहा भारत जितना नाश नही करती। इसका कारण क्या है? यह प्रश्न हर भारत हितेच्छुके मनमे आये बिना नही रहता होगा। हमारी रायमे इस प्रश्नके उत्तरमे भारतके सभी हितोका समावेश हो जाता है। प्रश्न करना सरल है किन्तु उत्तर देना कठिन है। और उत्तर देकर सुननेवालोका समाधान कर देना और भी मुश्किल है।

फिर भी कुछ हदतक उत्तर देनेका प्रयत्न करना ठीक समझकर उत्तर दे रहा हूँ। कई पहलुओसे विचार करके देखनेपर मालूम होगा कि भारतमे महामारी, भुखमरी वगैरह बढ गई है। इसका कारण भारतीय प्रजाका पाप है। यदि कोई कहे कि राज्यकर्ताओका पाप है तो यह बात हमे मान्य है। उनके पापके कारण प्रजा दु खी होती हे, यह सदाका अनुभव है। किन्तु याद रखने योग्य बात यह हे कि पापी सरकार पापी प्रजाको ही मिलती हे। इसके अलावा, सच्चा नियम यह हे कि दूसरोको दोष देनेके बदले अपने दोषोकी छानबीन करना अधिक लाभप्रद होता है।

हिन्दू-मुसलमानके बीच फूट और कटुता पाप ह। किन्तु ये असल पाप नही हैं। फूट मिट जाये और दोनो कौमे मिलकर रहने लगे तो विदेशी शासन हट जायेगा अथवा उसकी नीतिमे परिवतन होगा। किन्तु उससे प्लेग और अकाल भी मिट ही जायेंगे, ऐसा माननेका कोई कारण नही।

मुख्य पाप तो भारतीय प्रजाका असत्य है। महामारीके समय हम सरकारको तथा अपने आपको धोखा देते हैं। ऊपरसे सफाई रखनेका दिखावा करते ह, किन्तु सच्ची स्वच्छता नही रखते। घरको धुआ देकर शुद्ध करना हो तो उसका केवल दिखावा किया जाता हे। यदि उसके बिना चल सकता हो, सिपाहियोको रिश्वत दी जा सकती हो, तो वह देकर हम आवश्यक कामोसे बच जाते हैं। यह रोग बचपनसे ही चलता रहता हे। शालामे एक बात सिखाई जाती है। वहा बच्चा 'हा' कह देता हे। घर आनेपर उससे उलटा ही बरतता हे। वैसा करनेमे माता पिता सम्मत रहते है। स्वच्छता रखनी चाहिए या नही, इस सम्बन्धमे नियम बनाये जाते हैं। किन्तु उनका पालन किया जाये या नही, इस बातको हम ताकपर रख देते हैं। उसके बारेमे मतभेद भले हो, किन्तु यहा जो बात सिद्ध करना चाहता हूँ सो यह हे कि हम असत्यका सहारा लेते हैं। बहुतेरी बातोमे हम केवल आडम्बर करते है। इससे हमारे तन्तु ढीले पड जाते ह, हमारा खून पापकी गन्दगीसे बिगड जाता है और हर तरहके कीटाणुओके वशमे हो जाता हे। देखनेमे आता है कि अमुक वर्णोको महामारी वगैरह नही होती। इसका कारण यह हे कि वे स्वच्छताका या और किसी प्रकारका आडम्बर नही करते, बल्कि वे जैसे हैं वैसे ही दिखते ह। उन्हे आडम्बर करनेवालोकी अपेक्षा उस हद तक हम ऊँचा समझते ह। उपर्युक्त कथनका मतलब यह नही कि सभी इसी तरह करते हैं। लेकिन अधिकतर वैसा होता है।

उपर्युक्त पापमे से एक दूसरी लत पैदा हुई हे और वह सभी वर्गोंमे हे, और भयानक हैं, वह है विषय लोलुपता — व्यभिचार। इस विषयमे सक्षेपमे ही लिखा जा सकता हे। सामान्यत इसकी चर्चा करते हुए लोग हिचकते हैं, हम भी हिचकते ह। फिर भी अपने पाठकोके सामने यह विचार रखना हम अपना फर्ज समझते हैं। पर-स्त्री सग ही केवल व्यभिचार नही है। स्व-स्त्री सगमे भी व्यभिचार हे। यह सब धर्मोकी शिक्षा हे। स्त्री सग केवल प्रजा उत्पन्न करनेके लिए ही ठीक है। सामान्यत देखनेमे आता हे कि व्यभिचार भावनासे सग किया जाता है, और उसके परिणामस्वरूप सन्तान उत्पन्न होती है। हम मानते है कि भारतकी दशा इतनी खराब है कि इस समय बहुत ही कम सन्तान उत्पत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि सग हो तो वह बहुत-कुछ व्यभिचारमे ही शामिल होगा।

यदि यह मान्यता ठीक हो तो समझदार भारतीयका कर्तव्य है कि या तो वह बिलकुल शादी न करे और यदि वह उसके वशकी बात न हो तो स्त्री सग करनेसे मुक्त रहे। यह सब कठिन काम हे, फिर भी बिना किये छुटकारा नही हे।

नही तो पाश्चात्य प्रजाका अनुकरण करना होगा। पाश्चात्य प्रजा राक्षसी उपाय बरतकर सन्तान निरोध करती है। वह युद्धमे बहुत लोगोका नाश होने देती हे, ओर ईश्वरपर से आस्था छोडकर दुनियाई सुखोमे ही रची पची रहनेकी तजवीज करती है। इस तरह करके भारतीय भी उनकी ही तरह महामारी आदिसे मुक्त रह सकते है। किन्तु हम मानते है कि भारतमे पश्चिमका राक्षसी रग प्रवेश नही कर सकता।

यानी भारत या तो खुदा — ईश्वर — की ओर एक नजर रखकर पापमुक्त होगा और सुखी रहेगा या सदा गुलामीमे रहकर, जनाना बनकर, मौतसे डरते हुए, महामारी वगैरह बिमारियोमे सडकर बिना मौत मरता रहगा।

ये विचार किसीको आश्चयजनक, किसीको हास्यास्पद, किसीको अज्ञानपूर्ण मालूम होगे। फिर भी हम बेधडक लिख रहे है और समझदार भारतीयोसे प्राथना करते है कि वे इनपर पूरी तरह विचार करे। पागलपनके हो या सयाने, ये विचार लेखकने अपने गहरे अनुभवके आधारपर लिखे है। इनके अनुसार आचरण करनेसे नुकसान तो होगा ही नही। सत्यके सेवन और ब्रह्मचयके पालनसे किसीको नुकसान नही होता। कोई यह भी न माने कि एक दो व्यक्तियोके पालनेसे प्रजाको क्या लाभ होगा। ऐसा कहनेवाले व्यक्तिको नादान समझना चाहिए।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–१२–१९०७

३४६ अरबी ज्ञान

प्राच्य देशोके ज्ञानके विषयमे कतिपय पुस्तकोपर हम इसके पहले विचार[१] कर चुके है। सूचित विषयपर उन्ही लेखकोकी लिखी हुई उपयुक्त पुस्तक हमे देखनेको मिली है। यह बताना शायद ही आवश्यक है कि वह पुस्तक अग्रेजीमे है। उसकी कीमत सिफ एक शिलिग है। उसमे बहुत-से फिकरे 'कुरान शरीफ' से लिये गये है। विभिन्न विषयोपर अरबी विद्वानोके वचन दिये गये है। उदाहरणके लिए कुलीनताके विषयमे लिखा है कि "जो मनुष्य अपने मानकी रक्षा नही करता, उसकी कुलीनतापर कलक लग जाता है। नीच घरमे जन्म लेनेका दोष विद्या और उत्तम आचरणसे दूर हो जाता हे"।[२] मानपर आधारित सबषपर लागू होने-वाले वचन रत्न इस पुस्तकमे है। कवि कहता है, "जो व्यक्ति अपने सम्मानको अक्षुण्ण रखता हे, लोग उसके दोष नही देखते।" फिर कहा है, "यदि मनुष्योकी दष्टिमे लज्जाके योग्य कोई बात तुम्हारे दिलमे हो तो उससे शरमाओ।" फिर कहा है, "जो मनुष्य अपने सम्मानकी रक्षा नही कर सकता, वह दूसरेको सम्मान नही दे सकता।" आगे चलकर दूसरी जगह लिखा

१ देखिए 'पूवका ज्ञान' पृष्ठ ४२ ४३ और 'पूर्व ज्ञान माला', पृष्ठ ९९।

२ यहाँ दिये गये उद्धरणोको **इडियन ओपिनियन**मे प्रकाशित अग्रेजी समीक्षासे मिला लिया गया है।

है, "जो व्यक्ति अपने सम्मानको अक्षुण्ण नही रखता और बेशम होकर जीता हे, उसका जीवन व्यथ है और उसे इस जीवनमे सुख नही मिलता।" आचरणके विषयमे कहा है कि "जो मनुष्य सचमुचमे नीतिवान नही हे, वह धार्मिक नही कहा जा सकता।" ज्ञानके विषयमे लिखते हुए कहा है, "जिस प्रकार बिना हथियारके वीर पुरुष लाचार हो जाता हे, उसी प्रकार साधारण मनुष्य बिना विद्याके निकम्मा होता हे।" "राजा मनुष्योपर राज्य करते है। बुद्धिमान मनुष्य राजाओपर।" "बुद्धिमान मनुष्य वह हे जो गलत रास्तेपर पाव नही रखता। वह नही जो पहले दोषमे पडकर बादमे उससे निकलनेका रास्ता ढूढता हे।" सत्यके विपयमे कहा हे कि "जिस मनुष्यका मन साफ नही है, उसका कोई धम नही है और जिसकी वाणी निर्दोष नही है उसका हृदय स्वच्छ नही हे।" "जो नमाज पढता है और रोजा रखता है, पर साथ साथ झूठ भी बोलता है, वचनकी रक्षा नही करता, वह अपना कतव्य पूरा नही करता। उस मनुष्यको ढोगी समझो।" इस छोटी-सी पुस्तिकामे ऐसे स्वण वचन समाये हुए है। जो अग्रेजी समझ सक्ते है, ऐसे सभी व्यक्तियोको हम यह पुस्तिका खरीदनेकी सलाह देते है।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८-१२-१९०७

३४७ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

सार्वजनिक सभा

बुधवार, जनवरी १ को चार बजेसे सूरती मसजिदके सामने भारतीयोकी एक सावजनिक सभा होगी। उसमे जनवरी तथा उसके बादकी परवाने आदि सम्बन्धी लडाईकी बाबत विचार किया जायेगा। आशा हे हर जगहके भारतीय आकर उसमे शामिल होगे।

परवानेके बारेमे विचार

इस विषयमे कुछ विचार तो हम पिछले सप्ताह कर चुके है। किन्तु अभी और भी विचार करना चाहिए। सच्ची लडाई परवानेकी होगी, यह माना जा सकता है। इतना निश्चित है कि परवानेके बिना व्यापार करना होगा। विचार करनेपर मालूम होता है कि सभी धधोके लिए परवाना लेनेके पहले पजीयनपत्र दिखाना आवश्यक नही है। कानूनमे ट्रेडिंग लाइसेन्स यानी व्यापारिक-परवाना शब्द काममे लाया गया है। इस परवानेमे सायकिलके या धोबीके परवानेका समावेश नही होता। इसलिए धोबी पजीयनपत्रके बिना परवाना ले सकता है। जरूरत अधिकतर व्यापारियो और फेरीवालोको होगी। इन दोनो वर्गोके भारतीय बहादुरी दिखायेगे तो समाजकी मुक्ति जल्दी होगी। कानूनका अध्ययन करके यह भी देखता हूँ कि जनवरीके महीनेमे भारतीयोपर बहुत करके मुकदमा नही चल सकेगा। जिस व्यक्तिने परवाना न लिया हो उसपर एक महीने तक मुकदमा नही चल सकता। इसलिए जान पडता है कि मुकदमे केवल फरवरीके महीनेमे चलेगे। जिन व्यापारियोको डर हो और वे शादीशुदा हो तो वे अपनी पत्नीके नाम परवाना ले सकते है। इस तरह परवाना लेनेपर वे जेलसे बच सकते है। किन्तु हमारी लडाई बहादुर बनने और बहादुरी दिखानेकी है। इस-लिए इस तरह बचनेकी सलाह मै नही दे सकता। मेरी सलाह है कि परिपाटीके अनुसार

हर भारतीयको परवानेकी अर्जी देनी चाहिए। उसके लिए वकीलका खर्च उठानेकी जरूरत नही है। अर्जी देकर, पैसे भर देनेका वादा करके, बैठे रहना चाहिए।

मौलवी साहब

मौलवी साहब अहमद मुख्त्यारका मीयादी अनुमतिपत्र दिसम्बर ३१ को समाप्त हो रहा है। इसलिए उन्होंने मीयाद बढानेके लिए अर्जी दी है। मै आशा करता हूँ कि मीयाद नही बढेगी और मौलवी साहब जनवरी महीनेमे जेलमे विराजमान होगे। किन्तु मेरी यह आशा व्यर्थ दिखाई देती है। सरकारमे इतना दम नही है। समय ऐसा है कि वह मीयाद दे भी दे, और न दे तब भी स्वतन्त्र रहने देगी।

पण्डितजीको जवाब

स्मटस साहब पण्डितजीके पत्रका जवाब दे चुके है। उन्होंने लिखा है कि पण्डितजीको अनुमतिपत्र नही दिया जा सकता। इसके सिवा और कुछ नही लिखा। इसका अर्थ मै यह करता हूँ कि अनुमतिपत्र भी नही देगे और पकडेगे भी नही।

स्टैडर्टनके भारतीय

स्टैडर्टनमे रेलवेमे काम करनेवाले मजदूरोने पंजीयन नही करवाया, इसलिए उन्हे कार्यमुक्त कर दिया गया है। वे लगभग ४० व्यक्ति होगे। उन्हे नोटिस नही दिया गया है। श्री पटेल लिखते है कि जिस दिन उन्हे अलग किया गया उस दिनका वेतन नही दिया गया। उन्हे एक महीनेका खर्च दिया गया है। जितना बचा वह रेलवेवाले ले गये। और स्त्री बच्चोके लिए बिचारे मजदूर मिन्नते करते रहे, फिर भी उन्हे उसी दिन झोपडियोसे निकालनेके लिए छप्पर उतार लिये गये। इस सम्बन्धमे महाप्रबन्धकसे पत्र व्यवहार चल रहा है। महाप्रबन्धकने चालू महीनेके अन्ततकका वेतन चुकानेका हुक्म दिया है। संघने एक महीनेके वेतनकी माग की है। यह मामला हर भारतीयका खून खौलानेवाला है। स्वतन्त्र और बलवान भारतीयोसे सरकार डरती है, इसलिए गरीबोको डराती है। यह तो जुल्मकी हद हो गई। ये गरीब मजदूर व्यापारियो और ऐसे ही दूसरे प्रमुख भारतीयोके भरोसे बेरोजगार हो गये है। अत अब यदि आखिरी घडीमे वही व्यापारी और नेता पस्तहिम्मत हो जायेगे और जेल या नुकसानके डरसे गुलामी स्वीकार कर लेगे तो उन्हे गरीब भारतीयो और उनके बालबच्चोकी हाय लगेगी।

हाइडेलबर्गमे भारतीय मजदूर

हाइडेलबर्गमे भारतीय मजदूरोको डराकर मजिस्ट्रेटके सामने ले गये थे। तब अफवाह फैली कि वहा उन्होंने पंजीयन करवानेकी इच्छा व्यक्त की है। इसपर पण्डितजी और श्री नायडू वहा पहुँचे। लोगोसे मिले। उन लोगोका सरदार अब्दुल नामक एक पठान है। उसने बहुत हिम्मत दिखाई और कहा कि एक भी व्यक्ति पंजीकृत नही होगा। फिर पण्डितजी और नायडू फॉरच्यून गये। वहा रातमे श्री मोगलियाके घर रहे और सवेरे काम शुरू किया। दिन भर पैदल घूम कर भारतीयोको कानूनकी जानकारी दी। कही-कही उन्हे नदी नाले पार करने पडे। वह कष्ट उठाया। इन मजदूरोको भी कार्यमुक्त किया जायेगा या किया जा चुका होगा। विशेष

समाचार अगले सप्ताह मिलनेकी सम्भावना है। इस प्रकार जेलसे छूटनेके बाद पण्डितजी एक घडी बेकार नही बैठे।

'सडे टाइम्स' मे व्यग्य चित्र

'सडे टाइम्स' हमारी लडाईका बहुत प्रचार कर रहा है। उसमे 'श्री गाधीका स्वप्न' शीषकसे कानून और श्री स्मटसके बारेमे व्यग्य किया गया है। चित्रोमे एक स्मट्सका भी है। वे दोनो कुहनिया मेजपर रखे सिरसे हाथ लगाकर निम्नानुसार विचार कर रहे है

"रजिस्ट्रेशन" भारी कजा,
"रेजिस्टेन्स" है उससे बडी,
सी० बी० बुडढा तग किये है,
गाधीने पागल बना दिया।

इस प्रकार स्मटस बडबडा रहे है। सी० बी० यानी कैम्बेल बैनरमन, इग्लैडके प्रधानमत्री। दूसरे चित्रमे श्री गाधीको कवच पहनाया गया हे। कवचमे सब जगह नुकीली कीलिया लगी हुई है। चित्रपर नोटिस चिपका हुआ है कि "मुझे छुइए मत" और नीचे सही है। 'मै हूँ आपका दीन (पसिवली) गाधी।" कहनेका तात्पय यह हे कि कही भी स्पश करनेपर जब काटे चुभते है तब 'दीन कहकर सही करनेसे क्या मतलब? मतलब यह कि अनाक्रामक प्रतिरोध रूपी काटोके चुभते ही कानूनका जोर एकदम खत्म हो जाता हे।

जर्मिस्टनके भारतीयोपर आक्रमण

जर्मिस्टनकी नगरपालिकाने सभा की थी। उसमे उसने भारतीयोको मार्केट स्क्वेअरमे अधिकार न देनेके प्रस्तावपर विचार किया हे। श्री प्रैडीने उसका विरोध किया है। शेष सदस्य, जिनमे श्री ह्वाइट मुख्य है, हलचलके पक्षमे बोले।

गद्दारोकी सूची[1]

पिछले सप्ताह मने जो सूची देनेका वादा किया था, नीचे दे रहा हूँ। वहा दिये गये नाम यहा दुबारा दिये जा रहे है। ये नाम १९ अक्तूबरके बादके पजीकृत लोगोके है। उनके पते भी मेरे पास है। खेद है कि उनकी क्रमसख्याएँ मालूम नही ह। किन्तु, उनकी जरूरत भी नही है, क्योकि सूची प्रामाणिक है। इसमे मद्रास और कलकत्ताके लोगोके नाम नही है, लेकिन उनकी सख्या बहुत कम है।

प्रिटोरियाके गद्दार [इसके आगे ८४ नामोकी एक सूची है], जोहानिसबगके [१०], पीटसबगके [३५], लुई ट्रिचाटके [८] हाट्सवाटरका [१], क्रिश्चियानाके [२], पौचेफ्स्ट्रूम के [११], स्टैडटनके [५] मिडेलबगके [८], अरमीलोका [१] लीडेनबगके [२], हाइडेलबगके [८]।

अँगुलियो और अँगूठेमे भेद

इस सम्बधमे मैने बादमे लिखनेको कहा था।[2] इसलिए अब लिखता हूँ। भारतमे अँगूठेका उपयोग दीवानी कामोमे बहुत होता है। विलायतमे तो उसका फैशन चल पडा है। दोस्त

१ इस उपशीर्षककी सामग्री मूल गुजरातीके अग्रेजी अनुवादसे ली गई है

२ देखिए 'जोहानिसबर्गकी चिट्ठी, पृष्ठ ४३०।

आपसमे अँगूठेकी निशानी भेजते है। पेशन पानेवाले आदि लोगोसे रसीदपर अँगूठेकी निशानी ली जाती है। नेटालमे पी० नोट[१] पर अँगूठा लगानेका रिवाज हो गया हे। इस तरह अँगूठे लगानेका यह उद्देश्य है कि उससे मनुष्यकी पहचान तुरत की जा सकती हे। एककी जगह दो अँगूठे लगवानेका हेतु यह हे कि यदि एक अँगूठा बराबर न उठा हो या उसकी निशानी घिस गई हो अथवा ओर कोई दोष हो तो दूसरे अँगूठेकी निशानी काम दे सके। शिनाख्तमे इसके सिवा अँगुलियोकी निशानीकी जरूरत नही होती। दस अँगुलियोकी निशानी अपराधियोसे ली जाती ह। क्योकि अपराधी स्वय अपनी पहचान कराना नही चाहते। वे छिपकर रहना चाहते है। जिसकी दस अँगुलिया लगवाई गई हो उसका नाम न होनेपर भी उसे अँगुलियोके आधारपर पहचाना जा सकता हे। अन्वेषकोने एक कोष्ठक तैयार किया हे। उसके आधारपर अमुक प्रकारकी अँगुलीवालोको अमुक विभागमे रखा जा सकता है। कोई व्यक्ति अपना नाम रामजी दे ओर वह सरकारी बहीमे न हो तो भी यदि उसकी अँगुलियोकी निशानी हो तो अँगुलियोके कोष्ठकके आधारपर उसका पता लगाया जा सकता हे। इस तरहसे भारत तथा अन्य देशोमे बहुत से अपराधी पकडे गये है। इसका अथ यह हुआ कि अपराधी होनेके नाते दस अँगुलियोकी निशानी ली जाती हे।

भारतीयोको तो अपनी पहचान करवाना है। यदि वे स्वय अपनी शिनाख्त न देगे तो वे इस मुल्कमे रह नही सकते। इसलिए उनका सच्चा स्वाथ इसीमे है कि वे अपना सही नाम व पता दे। यदि उनका नाम पुस्तिकामे नही होगा तो वे इस देशमे रह नही सकते। इसलिए उनसे दस अँगुलिया लगवाना बेकार है। यह दलील इतनी मजबूत हे कि इससे आखिर सरकारके समक्ष सिद्ध किया जा सकता है कि दस अँगुलिया लगवाना बेकार और निकम्मा खच है। यह विज्ञान भी कहता है। इसलिए कानूनके समाप्त हो जानेके बाद भी सरकारसे दस अँगुलियोके सम्बन्धमे तय किया जा सकता हे और उसमे भारतीय समाजकी नादानी नही मानी जायेगी। दो अँगूठोके बारेमे यह दलील नही की जा सकती। हर लडाई महत्त्वपूण बातपर होनी चाहिए, नही तो लोकमत हमारे विरुद्ध हो जायेगा।

एक जापानी सज्जन

श्री नाकामूरा नामक एक जापानी आये हुए है। वे विज्ञानके विद्यार्थी ह। उनके पास लाड एलगिनका पत्र था। फिर भी अनुमतिपत्र अधिकारीने उन्हे तकलीफ दी थी। वे सारी दुनियाकी खानोकी जाच करते है। उनसे श्री पोलककी मुलाकात हुई। उसका विवरण अग्रेजीमे दिया गया है।[२] उन्होने कहा है कि वे अपनी सरकारको खूनी कानूनके बारेमे सारी बाते बतायेगे।

सशोधन

एक लेखकने सूचना दी है कि पिछली सावजनिक सभामे प्रिटोरियासे श्री इसे अली और बगस अमीजी आये थे। उनके नाम नही दिये गये थे। वे अब देता हूँ।

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, २८–१२–१९०७

१ प्रामिसरी नोट या कर्ज पटानेके वायदेका रुक्का।

२ यहाँ नही दिया गया।

३४८ जोहानिसबर्गमे मुकदमा[1]

[जोहानिसबग
दिसम्बर २८, १९०७]

गत शनिवारको ठीक १० बजे सवेरे जोहानिसबगके सभी व्यक्ति बी फौजदारी अदालत, श्री एच० एच० जोडनके इजलासमे हाजिर हुए। अधीक्षक वरनॉनने उनसे पूछा कि क्या उनके पास १९०७ के कानून २ के अ तगत बाकायदा जारी किये गये पजीयन प्रमाणपत्र ह। उनसे नकारात्मक उत्तर मिलनेपर, वे सब तुर त गिरफ्तार कर लिये गये और उनपर १९०७ के अधिनियम २, खण्ड ८, उपखण्ड २ के अ तगत अभियोग लगाया गया कि वे अधिनियमके अ तगत जारी किये गये पजीयन प्रमाणपत्रके बिना ट्रान्सवालमे ह। अदालत खचाखच भरी थी, और एक समय तो ऐसा जान पडता था कि जगला टूट जायेगा।

उपस्थित व्यक्तियोमें श्री जाज गाडफ्रे, डा० एम० ए० पेरेरा, 'इडियन ओपिनियन'के सम्पादक और अभियुक्तोके दूसरे अनेक मित्र तथा हितचि तक थे।

ताजकी ओरसे श्री पी० जे० शूरमनने मुकदमा पेश किया।

अभियुक्तोमे सबसे पहले इनर टेम्पलके बरिस्टर और ट्रा सवाल भारतीय सघके अवतनिक म त्री यायवादी श्री मो० क० गाधीका मामला पेश हुआ।

टी० टी० पी० विभागके, अधीक्षक श्री वरनॉनने गिरफ्तारीके बारेमें बयान दिया। उ होने कहा कि अभियुक्त १६ वषसे अधिक आयुका एशियाई है और ट्रान्सवालमें रहता है। वे उस दिन प्रात काल १० बजे श्री गाधीके यहाँ गये और उनसे अपना पजीयन प्रमाणपत्र दिखानेको कहा। कि तु वे दिखा नहीं सके और कहा कि उनके पास प्रमाणपत्र नहीं है।

श्री गाधीने कोई प्रश्न नहीं पूछा और वक्तव्य देनेकी तैयारीसे कठघरेमें गये। उ होने कहा कि म जो कुछ कहने जा रहा हूँ, वह बयान नहीं है, कि तु इस अदालतका एक कमचारी होनेके नाते म आशा करता हूँ कि अदालत बरायमेहर मुझे सफाईके रूपमें कुछ शब्द कहनेकी अनुमति प्रदान करेगी। म यह बताना चाहता हूँ कि मने इस आदेशको क्यो नहीं माना।

श्री जोडन म नहीं समझता कि मामलेसे इसका कोई सम्ब ध है। कानून है और आपने उसे तोडा है। मैं यहाँ किसी तरहका राजनीतिक भाषण नहीं चाहता।

श्री गाधी मै कोई राजनीतिक भाषण नही देना चाहता।

श्री जोडन सवाल यह है कि आपने पजीयन कराया है या नहीं। यदि आपने पजीयन नहीं कराया है तो मामला खत्म है। म जो फैसला सुनाने जा रहा हूँ, यदि आपको उसके

१ अदालतमें गाधीजीपर चलाया गया यह पहला मुकदमा था। यह विवरण "श्री गांधीको ट्रान्सवालसे निकल जानेका आदेश' शीर्षकसे **इडियन ओपिनियनमें** प्रकाशित हुआ था।

बारेमें, दया याचनाके रूपमें कुछ कहना हो तो बात अलग है। कानून मौजूद है जो ट्रान्सवाल विधान मण्डल द्वारा पास किया जा चुका है और साम्राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है। मुझे जो कुछ करना चाहिए और मैं जो कुछ कर सकता हूँ, वह केवल इतना है कि कानून जैसा भी हो उसे अमलमें लाऊँ।

श्री गांधीने कहा कि मैं सफाईके लिहाजसे कोई बयान नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ कि कानूनके मुताबिक मैं कोई बयान नहीं दे सकता।

श्री जोर्डन: मुझे सिर्फ कानूनी बयानसे सरोकार है। मेरे खयालसे आप यही कहना चाहते हैं कि आपको यह कानून नापसंद है और आप अपनी आत्माके आधारपर इसका विरोध करते हैं।

श्री गांधी: यह बिलकुल ठीक है।

श्री जोर्डन: यदि आप यह कहें कि आपको आत्मिक आपत्ति है तो मैं बयान ले लूँगा।

श्री गांधीने बताया कि वे ट्रान्सवालमें कब आये थे और यह भी कहा वे ब्रिटिश भारतीय संघके मन्त्री हैं। इसपर श्री जोर्डनने कहा: मेरी समझमें नहीं आता कि इससे मुकदमेमें क्या फर्क पड़ता है।

श्री गांधी: यह तो मैं पहले कह चुका हूँ। मैंने अदालतसे केवल पाँच मिनटकी अनुकम्पा चाही थी।

श्री जोर्डन: मैं नहीं समझता कि यह कोई ऐसा मामला है जिसमें अदालत रियायत दे। आपने कानून तोड़ा है।

श्री गांधी: बहुत अच्छा, श्रीमान, तब मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री शूरमैनने सूचित किया: अभियुक्तको और दूसरे सब एशियाइयोंको पंजीयन करानेके लिए पर्याप्त समय दिया गया था। जान पड़ता है, अभियुक्त पंजीयन नहीं कराना चाहता और इसलिए मैं नहीं समझता कि उसे देशसे चले जानेके लिए कोई लम्बा वक्त दिया जाये। यह निवेदन करना मेरा कर्तव्य है कि अभियुक्तको ४८ घंटेके भीतर देश छोड़नेका हुक्म दिया जाये।

श्री जोर्डनने अपना निर्णय देते हुए कहा: सरकार अत्यन्त नरम रही है और फिर भी जान पड़ता है कि इन लोगोंमें से किसीने पंजीयन नहीं कराया। उपनिवेशके कानूनकी अवज्ञाके परिणामस्वरूप सरकारने यह कारवाई की है। मुझे एशियाई पंजीयन अध्यादेश, शान्ति रक्षा अधिनियम और प्रवास-अधिनियमके अन्तर्गत अभियुक्तोंको एक निश्चित अवधिके अन्दर उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा देनेका अधिकार है। फिर भी इस मामलेमें कठोरता बरतनेकी मेरी कोई इच्छा नहीं है, और मैं श्री शूरमैनके ४८ घंटे सम्बन्धी सुझावको स्वीकार करना नहीं चाहता। मुझे न्यायसंगत आदेश देने चाहिए। श्री गांधी और अन्य लोगोंको अपना सामान और चीजें बटोरनेका समय देना चाहिए। साथ ही मुझे श्री गांधीको यह बतानेकी आवश्यकता नहीं है कि कानूनमें कुछ सजाओंकी व्यवस्था है। यदि आज्ञाका

पालन न किया जाये तो कमसे कम सजा एक महीनेकी सादा या सख्त कदकी है, और यदि अपराधी उस सजाके खत्म होनेके सात दिन बाद फिर उपनिवेशमें मिलता है तो कमसे कम सजा छ महीनेकी है। मुझे यह आशा जरूर है कि इन मामलोंमें थोड़ी समझदारी दिखाई जायेगी उपनिवेशके एशियाई यह समझ ले कि वे सरकारके साथ खिलवाड नही कर सकते। यदि वे ऐसा करे तो उन्हे पता चल जायेगा कि यदि कोई व्यक्ति राज्यकी इच्छाके विरोधमे खडे होनेकी जुरअत करता है तो व्यक्तिसे अधिक शक्तिशाली होनेके कारण क्षति राज्यकी नही, व्यक्तिकी होती है।

श्री गाधीने न्यायाधीशकी बातके बीचमे कहा कि वे ४८ घटेकी आज्ञा दे और यदि यह अवधि इससे भी कम की जा सके तो उन्हे अधिक सन्तोष होगा।

श्री जोडन यदि ऐसी बात है तो मै आपको कदापि निराश नही करूँगा। आप उपनिवेशसे ४८ घटेके अन्दर चले जाये, यही मेरा आदेश है।

[अंग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ४–१–१९०८

३४९ श्री पी० के० नायडू और अन्य लोगोका मुकदमा[1]

[जोहानिसबर्ग
दिसम्बर २८ १९०७]

[गाधीजी] क्या आप ब्रिटिश प्रजा है?

गवाह जी हा।

क्या आप लडाईसे पहले ट्रान्सवालमे थे?

जी हॉ, १८८८ से हूँ।

क्या आपने डच सरकारको ३ पौड कर दिया था?

मने कुछ नहीं दिया।

आपने कानूनके अन्तगत पजीयन-प्रमाणपत्र नही लिया है?

नहीं, किसी भी कानूनके अन्तगत नहीं।

क्यो नही लिया?

मेरे खयालसे उस कानूनके अन्तगत अनुमतिपत्र लेना मेरे लिए उचित नहीं था। वह मेरे लिए अत्यन्त अपमानजनक होता ।

१ गाधीजीने पहले अपने मुकदमेकी पैरवी की थी (देखिए पिछला शीर्षक) और फिर अन्य अभियुक्तोंके मुकदमोकी। अन्य अभियुक्तोमें सबसे पहले श्री पी० के० नायडूसे जिरह की गई थी।

श्री जोडन : क्यों ?

यदि अधिनियम मेरे सम्मुख होता तो मैं उसमें कुछ प्रविधियाँ बताता जिनको स्वीकार करना, मेरे खयालसे, ब्रिटिश प्रजाके लिए उचित नहीं। कानूनमें स्पष्ट कहा गया है कि हम अपनी दसों अँगुलियोंके निशान दें, और फिर अपनी आठ अँगुलियोंके निशान अलग अलग दें, तथा उनके अतिरिक्त अँगूठोंके निशान भी। फिर हमें अपने माँ बाप और बच्चोंके नाम भी बताने पड़ते हैं ।

श्री शूरमन द्वारा जिरह : आप यहाँ कबसे हैं ?

१८८८ से। १८९९ के १८ अक्तूबरको मैं चला गया था और १९०२में वापस आ गया। मैं नेटाल गया और जुलाई १९०७ में लौटा।

आपने इस अधिनियमके सम्बन्धमें सभाएँ कीं ?

मेरे लौटनेके बाद सभाएँ की गई थीं।

क्या आपने भारतीयोंसे पंजीयन न करानेका आग्रह किया ?

मैंने शपथ ली कि पंजीयन न कराऊँगा।

शपथ कहाँ ली ?

यदि मैं भूलता नहीं तो शपथ ब्रामफॉटीनके इनडिपेंडेंट स्कूलकी सभामें ली थी।

आप पंजीयन कराना नहीं चाहते ?

नहीं।

श्री जोडन : देशमें आनेके लिए आपके पास अनुमतिपत्र था ?

नहीं, मेरे पास एशियाई पंजीयकका अधिकारपत्र था।

श्री शूरमनने वह अधिकारपत्र देखनेको माँगा, जिसे श्री जोडनने मंजूर कर लिया।

श्री नवाबखाँ और समन्दरखाँके मुकदमे ३ जनवरीके लिए स्थगित कर दिये गये, क्योंकि कोई दुभाषिया नहीं था।

इसके बाद श्री सी० एम० पिल्लेका मुकदमा लिया गया। उन्होंने कहा, मैं ट्रान्सवालमें १८८३ में आया था, और लड़ाईसे पहले एशियाई पासों और परवानोंका निरीक्षक था। लड़ाईके दिनोंमें मैं रसद विभागमें एक अधिकारी और न्यायालयका सन्देशवाहक भी था।

श्री गांधी : आप पंजीयन क्यों नहीं कराते ?

मेरा खयाल है कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति अधिनियमकी धाराओंका पालन नहीं करेगा, क्योंकि उससे हमारी स्वतन्त्रता पूर्णतः एशियाई पंजीयकके, जो मेरी विनम्र सम्मतिमें इस पदके लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं हैं, हाथमें चली जाती है...

न्यायाधीशने यहाँ टोका ओर कहा, मैं ऐसी बेतुकी बातें नहीं सुनना चाहता। मेरा खयाल है कि कोई व्यक्ति यहाँ आये और इस प्रकार एक सरकारी अधिकारीको गालियाँ दे, यह नितान्त धृष्टता है। मैं इस प्रकार अपना समय नष्ट करना और न्यायालयकी प्रतिष्ठा घटाना नहीं चाहता। यह अत्यन्त अनुचित है।

श्री गांधीने कहा, मैं अभियुक्तके कथनके अनौचित्यके सम्बन्धमें न्यायाधीशसे सहमत हूँ और मेरा इरादा पंजीयक पदके लिए पंजीयककी अयोग्यताके सम्बन्धमें गवाही कराना नहीं है।

(अभियुक्तसे) आपकी आपत्ति अधिकारीके विरुद्ध है या अधिनियमके विरुद्ध ?

मुख्यत अधिनियमके विरुद्ध ।

सरकारी वकीलकी प्राथनापर वसा ही आदेश दिया गया ।

थम्बी नायडूने कहा, पजीयनपर आपत्ति इसलिए है कि वह मुझे काफिरसे भी नीचे दर्जेमे रख देता है और वह मेरे धमके विरुद्ध है। मै विवाहित हूँ और मेरे पाच बच्चे ह। इनमे सबसे बडा तेरह बषका है और सबसे छोटा डेढ वषका। म माल ढुलाईके ठेकोका व्यवसाय करता हूँ ।

श्री गाधीने प्राथना की कि अभियुक्तको केवल अडतालीस घटेका नोटिस दे दिया जाये। वह बस यही चाहता है

श्री जोडनने कहा, प्रश्न यह नही है कि अभियुक्त क्या चाहता हे, बल्कि यह है कि म क्या चाहता हूँ। अभियुक्त व्यवसायी हे और मुहलतकी मियाद चौदह दिन निश्चित की जायेगी ।

करवाने कहा, म ट्रान्सवालमे १८८८ से हूँ। म लडाईके दिनोमे सनिक विभागका ठेकेदार था और सर जाज व्हाइटके साथ लेडीस्मिथमे रहता था। म ट्रान्सवालमे एक सनिक दस्तेके साथ हैरीस्मिथके रास्ते प्रविष्ट हुआ था। मने १८८५ के कानून ३ के अन्तगत एक पजीयन प्रमाणपत्रपर मात्र अपने एक अँगूठेका निशान लगाया था। म अँगुलियोके निशान देनेसे इसलिए इनकार करता हूँ कि यह मेरे धमके विरुद्ध है

न्यायाधीश किन्तु आपने एक निशान लगाया हे ?

अभियुक्त (विरोधस्वरूप अपना हाथ हिलाते हुए) एक निशान देना ठीक है, किन्तु दस निशान देना मेरे धमके विरुद्ध है। (हँसी)

न्यायाधीश वास्तवमे मेरे खयालसे आप दस निशान देते ह या पाच, इसकी आप कोई परवाह नहीं करते। आपसे उसके लिए कहना-भर चाहिए।

पहले चीनी अभियुक्त एम० ईस्टनने कहा, म हागकागवासी ब्रिटिश प्रजा हूँ। म यहाँ लडाईसे पहले था और मने प्रमाणपत्रके लिए डच सरकारको ३ पौंड कर दिया था। म एक दूकानमें सहायकका काम करता हूँ। म पजीयनके विरुद्ध इसलिए आपत्ति करता हूँ कि वह अत्यन्त पतनकारी और मेरे धमके विरुद्ध है। मेरे धम, ताओवादमें कोई निशान देनेकी अनुमति नहीं है। उनको ४८ घटेके भीतर देश छोड देनेकी आज्ञा दी गई।

चीनी सघके अध्यक्ष श्री लिअग क्विनने कहा, म ब्रिटिश प्रजा नहीं हूँ, किन्तु म ट्रान्सवालमे १८९६ में आया था और मने डच सरकारसे अनुमतिपत्र लिया था। १९०१ मे म चला गया था और फिर १९०३ मे शान्ति-रक्षा अध्यादेशके अन्तगत अनुमतिपत्र लेकर लौट आया। मै दूकानदार हूँ। मने अनुमतिपत्र नहीं लिया, क्योकि वह एक ऐसा कानून है जो मेरे लिए और मेरी जातिके लिए अपमानास्पद है। मने अपने देशवासियोके लिए इस कानूनका अनुवाद किया है और म ऐसे मुकदमेकी प्रतीक्षा बराबर करता रहा हूँ। मुझे ४८ घटेके नोटिससे पूरा सन्तोष होगा, मने अपनी पूरी तैयारी कर ली है ।

यायाधीशने क्विनको भी १४ दिनका नोटिस, जसा उ होने भारतीय दूकानदारको दिया था, देनेपर जोर दिया।

गवाहोके कठघरमे जानेवाले अ तिम व्यक्ति थे जान फोर्तोएन। उ होने कहा, म ट्रा सवालमे लडाईसे १३ वष पहलेसे रहता हूँ, म अपने चाचाके साथ छुटपनमे ही आया था। म नही जानता कि मेरे चाचा कहा ह और न मुझे यही ज्ञात है कि मेरे माता पिता जीवित ह या नही। म छात्र हूँ और केप कॉलोनीके (ह्यूम सडापके पास स्थित) हकी इ स्ट टयूशनसे अभी आया हूँ। वहा म १९०४ से हूँ। म दक्षिण आफ्रिकाको अपना घर मानता हूँ और चीनमे किसीको नही जानता। म पजीयन प्रमाणपत्र लेना नहीं चाहता, क्योकि वह मेरे देश और सम्मानके लिए अपमानजनक है। मेरी आयु २१ वष है।

श्री गाधीने कहा, यह अदालतके सम्मुख कुछ कहनेका मेरा अ तिम अवसर होगा। म कुछ सामा य बाते कहना चाहता हूँ। मने अपने मुवक्किलोको जान बूझकर यह सलाह दी है कि वे अपने आपको निर्दोष बताये, ताकि अदालत स्वय उ हीकी जुबानी उनको जो कुछ कहना है, सुन सके। उन सभीने अँगुलियोके निशानोकी प्रणालीके सम्ब धमे थोडा बहुत कहा है। न्यायाधीश इस विचारको मनसे निकाल दे कि ये लोग क्या कर रहे ह, यह नही जानते। म जानता हूँ कि म जो कुछ कहने जा रहा हूँ उससे न्यायाधीशके निणयपर कोई प्रभाव नही पड सकता। कि तु मने यह स्पष्टीकरण देना अपने प्रति और अपने मुवक्किलोके प्रति अपना कतव्य समझा है। इस ससारमे कुछ ऐसी बाते ह जिनकी व्याख्या नही की जा सकती, और इस कानूनमे भी कुछ ऐसी बाते ह जिनको लोग अनुभव करते ह, किन्तु व्यक्त नही कर सकते। म अँगुलियोके निशान देनेकी प्रणालीके सम्ब धमे अभियुक्तोकी भावनाओको समझना यायाधीश महोदयपर छोडता हूँ

श्री जोडनने अपने उत्तरमे कहा, अभी जो मामला हमारे सामने प्रस्तुत है उसीके सम्ब धमे भारतीयोका एक शिष्टमण्डल साम्राज्य सरकारसे निवेदन करने इग्लैड गया था, कि तु वह शिष्टमण्डल व्यर्थ रहा। जिस अधिनियमपर इतनी आपत्ति की गई थी उसको ट्रान्सवालकी वतमान विधानसभाने पास कर दिया हे और उसपर सम्राट्की स्वीकृति मिल गई है। अ य सारी भावनाओकी बात छोडकर, मुझे अपनी शक्ति भर कानूनपर अमल करनेके सिवा और कुछ नहीं करना हे, और ऐसा करनेके लिए मने शपथ ली है। इन लोगो (अभियुक्तो)ने जानबूझकर सरकारको चुनौती दी है और एक बहुत ही गम्भीर रुख अपनाया है। मुझे इस देशमे किसीको भी ऐसा रुख अपनाते देखकर दु ख होता है। मुझे इसमे कोई स देह नहीं है कि यह कारवाई करके भूल की गई है और यह इग्लडमे शिक्षा सम्बन्धी विधेयकके अनाक्रामक प्रतिरोधियोका अनुकरण मात्र है। मुझे यह रुख किसी भी रूपमे कभी पस द नही आया। प्रत्येक देशके कानूनका उसके निवासियो द्वारा पालन होना चाहिए और यदि वे ऐसा न कर सके तो केवल एक माग रह जाता है——ऐसे लोग कही अ यत्र चले जाये। कि तु मेरी समझमे एक बात किसी भी तरह नही आ सकती कि जब एक व्यक्ति एक पजीयन प्रमाण पत्रपर अँगूठेका निशान लगा चुका, जसा पिछले सालोमे किया गया था, तब प्रत्येक हाथकी चार अँगुलियोके निशान लगानेपर उसके धमपर आघात कसे होता है।

आगे उन्होंने शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत जारी प्रथाका उल्लेख किया और जोर देकर कहा, यदि उन्होंने उस समय अँगूठेकी निशानीके विरुद्ध आपत्ति की होती तो उनकी स्थिति आज ज्यादा मजबूत होती। उनकी शिनाख्तका एकमात्र तरीका पंजीयन प्रमाणपत्र है, जिसपर अँगूठेकी निशानी आवश्यक होती है। ऐसा पिछली सरकार द्वारा जारी किये गये पीले पासोंके दिनोंमें भी होता था, किन्तु जब एशियाइयोंको नये रूपमें पंजीयन कराना पड़ा तब वे अकस्मात कानूनको सीधी चुनौती दे बैठे। श्री गांधीको जानना चाहिए कि ट्रान्सवालमें शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत मेरा अनुभव अन्य सब न्यायाधीशोंसे अधिक है। और श्री गांधीको यह भी मालूम होना चाहिए कि तब पीले प्रमाणपत्रोंकी अनुचित बिक्री बड़े जोरोंसे चल पड़ी थी, जिससे प्रमाणपत्रके असली मालिकका पता लगाना कठिन हो गया था और बहुत परेशानी और खर्च उठाना पड़ा था। उसके बाद न्यायाधीशने न्यायालयमें पेश युवकके मामलेपर वापस आते हुए यह आज्ञा दी कि वह उपनिवेशसे सात दिनके भीतर चला जाये।

श्री गांधीने संक्षेपमें उत्तर देते हुए कहा कि पुराने अनुमतिपत्रपर दी गई अँगूठेकी निशानी और नये कानूनके अन्तर्गत दी जानेवाली अँगुलियोंकी निशानियोंमें सदा अन्तर किया गया है। एक अनिवार्य है और दूसरा स्वेच्छाधीन था। न्यायाधीश भली भांति जानते हैं कि जिन मामलोंमें अँगूठेकी साफ निशानी ली जाती थी, उनमें आदमीको पहचाना जा सकता था और अनुमतिपत्रोंकी नाजायज बिक्री असम्भव हो गई थी।

उन्होंने न्यायाधीश, सरकारी वकील और पुलिसको मुकदमेमें दिखाई गई शिष्टताके लिए धन्यवाद दिया।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८

३५० भाषण सरकारी चौकमें[1]

[जोहानिसबर्ग
दिसम्बर २८, १९०७]

मुझपर या दूसरोंपर चाहे जो भी बीते, हम लड़ाई बराबर जारी रखेंगे। मैं अपने विचार हरगिज नहीं बदलूँगा और एशियाई समुदायोंसे अनुरोध करता हूँ कि वे पंजीयन अधिनियमके विरोधमें अपना संघर्ष जारी रखें, चाहे इसके लिए उन्हें देशसे निर्वासित ही क्यों न होना पड़े। हो सकता है, मैं बराबर गलतीपर ही होऊँ। यह भी सम्भव है कि आगे चलकर आप सब मुझे कोसें। परन्तु अभी तो मैं अपने उन्हीं विचारोंपर दृढ़ हूँ जो मैंने बताये हैं। यदि ईश्वरकी तरफसे मुझे ऐसा संकेत मिला कि मैंने भूल की है तो मैं अपनी

१ मुकदमेकी सुनवाई समाप्त होनेपर गांधीजीने सरकारी चौकमें भारतीयों, चीनियों और यूरोपीयोंकी एक विराट् सभामें भाषण दिया था। पहले हिन्दुस्तानीमें बोलते हुए उन्होंने मुकदमेकी कार्यवाहीके बारेमें बताया। उनके भाषणके उस अंशकी हिन्दी रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। यह रिपोर्ट भाषणके उस अंशकी है जो उन्होंने यूरोपीय श्रोताओंके लिए अंग्रेजीमें दिया था।

भूल स्वीकार करनेवाला सबसे पहला व्यक्ति हूँगा, और आपसे क्षमा याचना करूँगा। परन्तु म समझता हूँ, ऐसा सकेत कभी नही मिलेगा। मेरा निश्चित मत है कि उपनिवेशमे गुलामोकी तरह रहकर अपना सम्मान और स्वाभिमान खोनेके बजाय अच्छा हे कि हम उपनिवेश छोडकर चले जाये। यह एक धमयुद्ध है और म आपको वही सलाह देता हूँ, जो सदैव देता रहा हूँ, अर्थात् जान लगाकर आखिरतक लडते रहिए।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८

३५१ पत्र 'स्टार'को[1]

जोहानिसबग

सेवामे
सम्पादक
'स्टार'
[जोहानिसबग]

महोदय,

सरकारको इस बातके लिए बधाई मिलनी चाहिए कि उसने साहस और ईमानदारीके साथ मुरय रूपसे उन लोगोके खिलाफ ही मुकदमा चलाया है जिन्होने एशियाई कानूनके अनाक्रामक प्रतिरोधके आदोलनका नेतत्व किया हे। वास्तवमे यही एक तरीका है जिससे एशियाई भावनाकी व्यापकता ओर असलियतकी परख हो सकती है। लेकिन जो लोग गिरफ्तार किये गये है उनमे कुछ ऐसे है जिन्होने आन्दोलनमे कभी सक्रिय भाग नही लिया है, और साथ ही कुछ उल्लेखनीय लोग छोड भी दिये गये है। ये दोनो तथ्य अपनी कहानी आप कहते है। कुछ लोगोने यह भी सकेत किया है कि एक या दो गिरफ्तारिया निजी द्वेषके कारण हुई है। परन्तु, आपके सौजन्यका लाभ लेनेमे, मेरा उद्देश्य यह नही है कि प्रश्नके इस पहलूपर बहस करूँ।

ये गिरफ्तारिया कानूनपर राजकीय स्वीकृतिकी घोषणाके साथ ही हुई ह। इससे जान पडता हे कि सरकारको जो नये अधिकार प्राप्त हुए ह, उनका वह प्रयोग करना चाहती है। उसके धनुषमे अब तीन प्रत्यचाएँ लग गई है, अर्थात गिरफ्तारी, व्यापारिक परवानोकी मनाही और निर्वासन। ये सभी अधिकार इसलिए नही लिये या दिये गये है कि सरकार एशियाइयोकी बाढको रोके, क्योकि ऐसा कोई नही चाहता और पजीयन अधिनियम इसे रोक भी नही सकता। व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको टालना भी इनका उद्देश्य नही है, क्योकि जो भी भारतीय इस कानूनको स्वीकार करता हे वह जितने चाहे उतने, जहा चाहे वहा, परवाने ले सकता हे। ये अधि

१ यह ४-१-१९०८ के **इडियन ओपिनियन**में सम्पादकके नाम पत्रके रूपमें छपा था।

कार इसलिए दिये गये है कि सरकार भारतीयोको अपनी मर्जीके मुताबिक झुका सके, उन्हे अपने अन्त करणके विरुद्ध काम करनेपर मजबूर कर सके, सक्षेपमे इनका उद्देश्य हे एक घातक प्रहार करके भारतीयोको पुसत्वहीन बना देना जिससे वे उसके हाथोमे मोम जैसे बनकर रह जाये।

क्या उपनिवेशी जानते है कि प्रवासी अधिनियमके अन्तगत होनेवाला निर्वासन साधारण निर्वासनकी अपेक्षा बहुत बुरा हे? यदि मै हत्या करूँ और मुझे आजन्म निवासनकी सजा मिले तो मै एक ऐसे स्थानको भेजा जाऊँगा जहा मुझे रहनेका घर और खानेको दाने मिलेगे, जैसी सुविधा नेटालसे सेट हेलेनाको भेजे गये थोडे-से वतनी विद्रोहियोको भी दी जाती हे। किन्तु यदि मै एशियाई अधिनियमको सिर न झुकाऊँ ओर फलत मुझे निर्वासित कर दिया जाये ता उसका अथ यह होगा कि मुझे बिना एक पाईके सीमा पार कर दिया जायेगा ओर अगर मेरे पास व्यक्तिगत सम्पत्ति नही हो तो ऊपरसे, जैसे बने-वसे, निर्वासन व्यय चुकानेका प्रबन्ध करनेकी जिम्मेदारी लाद दी जायेगी। ओर यदि ट्रान्सवालमे मेरा परिवार हे तो जहातक सरकारकी बात हे, उसे भूखो मर जाने दिया जायेगा। और सोचिए कि यह सब उन लोगोपर बीतेगी जिन्होने जीविकोपाजनकी दष्टिसे ट्रान्सवालको अपना घर ओर भारतको विदेश मान लिया हे। गिरफ्तार किये गये भारतीयोमे से कुछ पन्द्रह वष पुराने व्यापारी ह, उनकी पत्निया दक्षिण आफ्रिकामे जन्मी है और ट्रान्सवालमे रह रही है। एक चीनी हे जो बिलकुल छुटपनमे ही दक्षिण आफ्रिका आया और चीनका नाम भर जानता हे। वह पाश्चात्य रीति रिवाजोके बीच जन्मा और पला हे। गिरफ्तार किये गये सभी एशियाई यहाके कानूनी अधिवासी है और उनके पास ऐसे दस्तावेज है जिनके आधारपर उन्हे इस देशमे रहनेका हक हे। ये लोग चूकि अपनी आत्माकी उपेक्षा न करके एशियाई अधिनियम का उल्लघन करते है इसलिए इन्हे न केवल जेलकी सजा दी जा सकती है बल्कि उपनिवेश-सचिवके हस्ताक्षरसे जारी किये गये वारटके बलपर उपर्युक्त तरीकेसे देश-निकाला भी दिया जा सकता हे। मै नही कहता कि जो लोग कानूनको नही मानते, चाहे ऐसा वे अपनी आत्माकी पुकारपर ही करते हो, उन्हे बिलकुल सजा ही नही मिलनी चाहिए, लेकिन म यह जरूर कहूँगा कि जब सजा जुमके अनुपातमे नही हो तो उससे बबरताकी तेज बू आती है। और यदि प्रवासी कानूनके अन्तगत प्राप्त अधिकारोका प्रयोग एशियाई अधिनियमके सदभमे किया जाता है तो इसका अथ होगा ट्रान्सवालके मतदाताओके नामपर एक बबर काय करना। क्या इस देशके लोग एक सम्पूण जातिके विनाशपर प्रसन्नतासे मुस्करायेगे? राजभक्त महिलाओका सघ (गिल्ड ऑफ लॉयल विमेन) पत्नियोको अपने स्वाभाविक सरक्षकोके बिना रखनेके बारेमे क्या कहेगा? मै अपनेको ब्रिटिश साम्राज्यका प्रेमी तथा ट्रान्स-वालका एक नागरिक (चाहे मताधिकारहीन ही सही) मानता हूँ, और और देशके सामान्य हित -साधनमे पूरी जिम्मेदारी निभानेको तयार हूँ। और मेरा दावा है कि अगर म अपने देश भाइयोको इस कारण एशियाई अधिनियमके आगे न झुकनेकी सलाह देता हूँ कि वह उसके पुसत्वके लिए अकीर्तिकर और उनके धमके लिए अपमानजनक है तो यह बात सवथा सम्मानपूण और मेरे उपयुक्त कथनसे मेल खाती हुई होगी। मै यह भी दावा करता हूँ कि इस बुराईका विरोध करनेके लिए अपनाया गया अनाक्रामक प्रतिरोधका माग सबसे स्वच्छ और निरापद है, क्योकि यदि प्रतिरोधियोका पक्ष सच्चा नही होगा तो इसका फल उन्हे और केवल उन्हे ही भोगना पडेगा। मै यह भली भाँति जानता हूँ कि एक ऐसे देशमे, जहा असमान रूपसे विकसित

अनेक जातिया रहती ह, किसी ईमानदार नागरिक द्वारा वहाके कानूनका विरोध करनेकी सलाह दिये जानेमे सुशासनको क्या खतरे है। किन्तु मै यह नही मानता कि विधायकोसे गलती हो ही नही सकती। मेरा विश्वास है कि प्रतिनिधि विहीन वर्गोके साथ व्यवहार करनेमे वे सदा उदार या कमसे कम न्यायपूण भावनासे भी परिचालित नही होते। मै यह कहनेका साहस करता हूँ कि यदि अनाक्रामक प्रतिरोधकी नीति आम तौरपर स्वीकार कर ली जाये तो हमारे विधायकोकी मूखतापूण भूलके कारण वतनी लोगोके धैय खो देनेपर (जो असम्भव नही हे) भयानक मत्यु सवष और रक्तपातका जो खतरा रहता हे वह सदाके लिए टल जा सकता है।

यह कहा गया हे कि जिन लोगोको कानून पसन्द न हो, वे देश छोडकर बाहर जा सकते है। गद्दीदार कुर्सीपर बैठकर यह सब कह देना बहुत सहज है, लेकिन लोगोके लिए न तो यह सम्भव हे और न शोभनीय ही कि अपने विरुद्ध बने कुछ कानूनोको न माननेके कारण वे अपने घर बारको छोड दे। बोअर कालमे जब डचेतर गोरोने कानूनके सख्त होनेकी शिकायतकी थी तब उनसे भी यही कहा गया था कि यदि कानून पसन्द नही है तो वे देश छोडकर जा सकते है, लेकिन उन्होने न जाना ही बेहतर समझा। क्या भारतीय जो अपने आत्म सम्मानके लिए लड रहे है, कैद या उससे भी कडे दण्डसे डरकर देशसे भाग जायेगे।

नही श्रीमन्, यदि मेरा बस चले तो पशु बलके सिवा और कोई शक्ति भारतीयोको इस देशसे हटा नही सकती। नागरिकका यह कोई कतव्य नही है कि अपने ऊपर लादे गये कानूनोका वह आख मूदकर पालन करे। और यदि मेरे देशवासियोका ईश्वरमे और आत्माके अस्तित्वमे विश्वास है तो उनके मस्तिष्क, इच्छाशक्ति तथा आत्माएँ आकाशके परिदोकी भाति उन्मुक्त और तेजसे तेज तीरकी पहुँचसे परे रहेगी, भले ही वे अपने शरीरपर राज्यकी सत्ता स्वीकार कर जेल जाये, देश निकाला भोगे। जनरल स्मटस, जिनकी एक नेकदिल उपनिवेश मन्त्री द्वारा मजूर किये गये दमनकारी कानूनोमे बडी आस्था हे, यह भूल जाते है कि जो एशियाई अन्त करणकी पुकार-पर आज लड रहे है, वे उनके किसी उपायसे झुकेगे नही। यदि नेताओके हटते ही मेरे देशवासी झुक गये, तब तो हम ऐसे ही कानूनके योग्य होगे। लेकिन तब भी अनाक्रामक प्रतिरोधकी अर्थात ईसा मसीहकी "बुराईका विरोध मत करो" वाली शिक्षाकी शुद्धता प्रमाणित हो ही जायेगी।

आपका, आदि,

मो० क० गाधी

[अंग्रेजीसे]

स्टार, ३०-१२-१९०७

३५२ भाषण चीनी सघमे[1]

[जोहानिसबग
दिसम्बर ३०, १९०७]

जो लोग समझते ह कि यह लडाई धमकी लडाई नही हे या इसमे धम नही है, वे नही जानते कि धमका क्या अर्थ है। मेरा विश्वास है कि मने बहुत से धर्मोके सम्ब धमे कुछ न-कुछ ज्ञान प्राप्त किया है। हर धमकी यह शिक्षा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा कुछ करता है जिससे उसके पुसत्वपर बटटा लगता है, तो उसमे कोई धम नही हे। अगर धमका अथ ईश्वरकी उपासना है, उसमे विश्वास रखना हे, तो मुझे यह कहनेमे जरा भी सकोच नही कि ट्रासवालमे कुछ पौंड या पेस पानेके लिए अपने आपको गिराना सवथा अधार्मिक कृत्य है। ऐसा करते हुए भी हम यह तो स्वीकार करेगे कि यह ठीक, उचित और याययुक्त नहीं हे। अगर इस देशके एशियाई ऑखे ब द करके अपने नेताओके पीछे चले, और जैसे ही नेता मदानसे हटे, वे अधिनियमको स्वीकार कर ले, तो मेरे विचारसे वे इस कानूनके पात्र ह। इसलिए स्थितिकी कुजी स्वय हमारे अपने हाथोमे है। अगर हमे अपने पक्षके औचित्यमें विश्वास है और हम मानते ह कि हम आगे बढ रहे ह तो परवाह नहीं कि आगे क्या होने-वाला है। जनरल स्मटस इस उपनिवेशमे जो चाहे करते रहे, और साम्राज्य सरकार भी महामहिमके नामपर जिस बातके लिए चाहे मजूरियाँ देती रहे, जिस पथपर हमने कदम बढाया है, उससे रचमात्र पीछे नहीं हटेगे।

ट्रासवालके अधिवासी एशियाइयोको सरकार सीमासे बाहर निकाल सकेगी, इसमे मुझे तो बडा स देह है, पर तु अब ट्रासवालके सबसे बडे वकीलके[2] युक्तियुक्त मतसे मेरा अपना मत और भी पुष्ट हो गया है।

परन्तु एकबार फिर मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप श्री लियोनाडकी रायका अथवा किसी अन्य कानूनी रायका भरोसा न करे। इस लडाईमे जिसपर आप अपनी श्रद्धा केन्द्रित कर सकते हैं, सम्भवत वह केवल आपके अपने विवेककी राय और परमात्माका साथ है। अगर आपने अन्य किसीका भरोसा किया तो वह बालूकी भीतका सहारा लेना होगा।

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ४–१–१९०८

१ ट्रान्सवालमें एशियाइयोपर आयी मुसीबतमें गांधीजीने उनकी जो सेवाएँ की थीं, उनके लिए उन्हे धन्यवाद देनेके हेतु यह सभा आयोजित हुई थी। उसमें अ य लोगोंके अतिरिक्त लगभग ४०० स्थायी निवासी चीनी उपस्थित थे। चीनी सघके कार्यवाहक अध्यक्ष श्री जे० एल० वेंग्सी इसके सभापति थे।

२ जे० डब्ल्यू० लियोनाड

३५३ भेंट रायटरको[1]

[जोहानिसबग
दिसम्बर ३०, १९०७]

शिनाख्तके मामलेमे भारतीयोने सरकारको बराबर सहायता देनेका प्रस्ताव किया परन्तु सरकारने उनकी सहायताके प्रस्तावोकी उपेक्षा की। भारतीय सदव इस बातसे सहमत रहे ह कि ट्रान्सवालको भावी प्रवासके नियमन और नियन्त्रणका अधिकार है। सबसे अधिक चिन्ता उन्हे उन भारतीयोकी स्थितिके बारेमे हे जो अब ट्रान्सवालके वध निवासी ह।

श्री गाधीने इस आरोपको अस्वीकार किया कि भारतीयोने सरकारके अधिनियमोका अत्यन्त सन्तापजनक अथ लगाकर सरकारका अपमान किया है। वे हृदयसे इस बातका स्वागत करेंगे कि उनका मामला साम्राज्यीय सम्मेलनमे उठाया जाये। उन्हे विश्वास है कि इसका परिणाम एक मानवीय सन्तोषजनक व्यवस्थाके रूपमे होगा, जिसका दोनो पक्ष पालन करेंगे। श्री गाधीने शिकायत की कि अनाक्रामक प्रतिरोधियोके साथ पेश आनेके लिए सरकारको प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके द्वारा अत्यधिक अधिकार दे दिये गये ह। उनके खयालसे अपराधको देखते हुए यह अधिकार सवथा असगत है। उन्होने आशका प्रकट की कि जिन भारतीयोने पजीयन करानेसे इनकार किया है उनके व्यापारिक परवाने १ जनवरीको अस्वीकृत हो जायेंगे। इसका परिणाम यह होगा कि वे बिना परवानेके व्यापार जारी रखेंगे।

श्री गाधीने कहा कि यहाँके भारतीयोको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके सूरत अधिवेशन और अन्य क्षेत्रोसे सहानुभूति और सहायताके तार मिले ह। —रायटर।

[अंग्रेजीसे]

इडिया, ३-१-१९०८

---

१ गांधीजीने यह भेंट सर रेमंड वेस्टके उद्गारोपर टीका करते हुए दी थी। सर रेमड वेस्टने लन्दनमें कहा था कि दोनो पक्ष ‘ बहुत दूर ’ चले गये हैं। ट्रान्सवाल सरकारने ‘ रूक्षतासे ” भारतीयोकी भावनाओकी उपेक्षा की है और भारतीयोंने सरकारके अधिनियमका कमसे कमके बजाय अधिकसे अधिक अपमानजनक अर्थ लगाया है। उन्होंने समझौतेका सुझाव दिया। भारतीयोको चाहिए कि वे “निर्दोष ढग” से शिनाख्त करनेके कार्यमें सहायता करें उपनिवेशके अधिवासियोके “निर्दोष पजीयन” की शर्तपर प्रवासके नियमनमें सहयोग करें। “एक सयुक्त समिति स्थापित की जाये और भारतीय नेताओंपर कुछ उत्तरदायित्व सौंपा जाये। यदि ऐसी व्यवस्था न हो तो भारतीयोको चाहिए कि वे ब्रिटिश प्रजाकी हैसियतसे इस कुप्रथाके विरुद्ध सम्राट्से रक्षाकी माँग करें, जो कि महामहिम उन्हें विदेशमें देनेके लिए बाध्य हैं।

३५४ जोहानिसबर्गकी चिट्ठी

[दिसम्बर ३१, १९०७]
मंगलवार,

एक साथ धर पकड़

प्रिटोरिया, पीटसबर्ग, जोहानिसबर्ग और जर्मिस्टनमें सरकारने दिसम्बर खाली नहीं छोड़ा। प्रिटोरियामें १२, जोहानिसबर्गमें ९, पीटसबर्गमें ३, और जर्मिस्टनमें १ वारंट निकाले गये। प्रिटोरियामें श्री सुलेमान सूज, श्री ए० एम० काछलिया, श्री अर्देसर बेग, श्री गौरीशंकर व्यास, श्री गुलाम मुहम्मद रशीद, श्री इस्माइल जुमा, श्री रहमत खां, श्री चुनीलाल शेठ, श्री तुलसी, श्री गंगादीन तथा श्री मणिलाल देसाई, जोहानिसबर्गमें श्री गांधी, श्री थम्बी नायडू श्री सी० एम० पिल्ले, श्री नवाब खां, श्री समदर खां, श्री कड़वा, श्री क्विन, श्री ईस्टन और श्री फोर्तोएन, पीटसबर्गमें श्री मोहनलाल खंडेरिया, श्री अमरशी गोकल और श्री अम्बालाल[1] तथा जर्मिस्टनमें रामसुन्दर 'पण्डित' के नाम वारंट निकाले गये थे। इनमें श्री रहमतखां नगरसे बाहर होनेके कारण गिरफ्तार नहीं हुए। श्री काछलिया खबर मिलते ही अपने कामको अधूरा छोड़कर सम्मनके स्वागतके लिए फोक्सरस्टसे प्रिटोरिया दौड़े गये, जब कि रामसुन्दर भाग गया। श्री चुनीलाल और तुलसीने मुकदमा स्थगित करवाया।

रामसुन्दरकी कहानी बताना आवश्यक है। शुक्रवारको जब पुलिस कमिश्नरकी सूचना आई तब उक्त भाई साहब श्री गांधीके कार्यालयमें मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि वे शनिवारको अदालतमें उपस्थित हो ही जायेंगे। लेकिन जर्मिस्टन जाकर उन्होंने अपने जो दो एक शिष्य थे उन्हें बुलाकर उनसे कह दिया कि वे और अधिक जेल स्वयं बर्दाश्त नहीं कर पायेंगे। इसलिए उनका विचार चले जानेका है। शिष्योंने बहुत समझाया किन्तु रामसुन्दरपर भय सवार हो गया था, इसलिए किसीकी न मानकर औरोंको खबर दिये बिना ही उन्होंने चुपकेसे नेटालकी ट्रेन पकड़ ली। इस प्रकार वे जैसे चढ़े थे वैसे ही गिर गये हैं। उनके सम्बन्धमें मैंने इस पत्रमें बहुत लेख लिखे। वे अब गलत हो गये। उनके सम्बन्धमें जो कविताएं थीं वे व्यर्थ हो गई। खोटा रुपया खरा हो ही नहीं सकता। यह लड़ाई ऐसी है कि सबका सत्त्व अन्तमें जाकर प्रकट हो ही जायेगा। कौमके हिसाबमें रामसुन्दर अब जीवित नहीं हैं। अब हमें उनको भूल जाना है।

इसके अतिरिक्त और सब तो दृढ़ दीखते हैं। गिरफ्तार होनेवालोंमें प्रायः सभी जातियां आ जाती हैं। अर्थात् चार सूरती मुसलमान, एक मेमन, दो पठान, एक पारसी, एक ब्राह्मण, तीन बनिये, एक कलकत्तेका हिन्दू, एक सिक्ख, दो ईसाई, एक लुहाणा, तीन मद्रासी हिन्दू और तीन चीनी इस प्रकार मिलकर तेईस एशियाई गिरफ्तार हुए हैं। उनमें से श्री सूज, श्री देसाई, श्री व्यास, श्री खंडेरिया, श्री नायडू, इन सबके बाल बच्चे ट्रान्सवालमें हैं। इनमें कई व्यापारी हैं, कई नौकर हैं। इस प्रकार प्रत्येक कौमके लिए प्रसन्न होनेकी बात है।

१ मूलमें अम्बाईलाल।

व्यापारी अधिक क्यो नही गिरफ्तार हुए ?

यह प्रश्न उठा है। मेरा खयाल है कि सरकारको परवानेके सम्बधमे व्यापारियोको सताना है, इसीलिए शायद श्री ईसप मिया आदिको फिलहाल छोड दिया हे। फिर उन्हे छोड देनेका यह कारण भी हो सकता है कि कुछ व्यापारियोने सरकारको लिखा है कि यदि धरनेदार आदि उपद्रवी लोग हट जाये तो वे कानूनके अधीन होनेको तैयार है। इस कारण उनको गिरफ्तार नही किया गया ऐसा जान पडता हे। कुछ ऐसोको पकडा है जिहोने लडाईमे कोई भाग नही लिया हे। इसके कारण खोजनेकी इस समय मुझे आवश्यकता नही दीखती।

प्रवासी कानूनपर हस्ताक्षर क्यो हुए ?

धर पकड हो जानेके कारण प्रवासी कानून मजूर होनेकी बात कुछ पीछे पड गई है। और उसके बारेमे लोगोका डर काफूर हो गया है। उस कानूनपर हस्ताक्षर होनेका कारण हम स्वय है, ऐसा मै मानता हूँ। जैसा कि मै ऊपर बता चुका हूँ, कई व्यापारियोने पत्र लिखा है कि यदि कुछ व्यक्ति हट जाये तो वे कानूनके अधीन हो जायेगे। फिर और कोई पजीयकके पास किसीकी दो-चार बाते कह आता है। यह सब बढा-बढाकर लाड एलगिनके पास पहुँचाई जाती है कि यदि प्रवासी कानून पास हो जाये तो सभी लोग पजीयन करा लेगे। ऐसी बाते लाड एलगिनके पास पहुँचे और कानूनपर हस्ताक्षर हो जाये तो इसमे क्या आश्चय ? सतोपकी बात यह है कि भारतीय कौम कानूनको डकार गई दीखती हे।

कुछ डरपोक

फिर भी कुछ डरपोक निकल आये ह। इनमे से कुछ थोडेसे मेमन पीटसबगमे बाकी रह गये थे, उनमेंसे कुछकी ओरसे अर्जी पहुँच गई है कि वे अब झुकनेके लिए तयार है। मै तो ऐसा ही मानूगा कि ज्यो ज्यो कष्ट बढेगा त्यो त्यो इस प्रकारका कूडा छँटता जायेगा और जो बच रहेगा वह खरा सोना रहेगा। वे ही कौमकी नावको बन्दरगाहपर पहुँचायेगे। जो लिहाजके मारे शूर बनते है किन्तु असलमे डरपोक है वे टिक पायेगे ऐसा माननेका कोई कारण नही है।

भय व्यर्थ है ?

परन्तु ऐसा भय अकारण हे। हजारो आदमियोको देश निकाला होनेवाला नही है। और सभी गोरे मानते है कि इस कानूनको माननेवालोकी ट्रान्सवालमे बुरी गत होगी।

प्रवासी कानूनके विनियम

इस अधिनियमके अन्तगत जो विनियम बनकर प्रकाशित हुए ह उनका अनुवाद सम्पादक अन्यत्र देगा। इस समय तो उस अधिनियमकी एक ही अनोखी बातकी चर्चा कर रहा हूँ। उसके अन्तगत जो अनुमतिपत्र, पास इत्यादि निकलनेवाले है उन सबपर दसो अँगुलिया लगानी है। ये विनियम गोरे काले सबपर लागू होते है। विलायतसे आनेवाले गोरे नौकरोके पास इस प्रकारका पास होगा तभी वे ट्रान्सवालमे आ सकेगे। अब सही सही समझमे आ सकेगा कि खूनी कानूनकी लडाई अँगुलियोकी लडाई नही है, बल्कि वह कानूनके गुप्त प्रहारके विरोधमे है। हम प्रवासकी धाराका विरोध करे सो तो है ही नही। फिलहाल तो वह कानून

हमारे लिए बेकार है। जो लोग खूनी कानूनके अधीन हुए हैं, वे ही उसका उपयोग कर सकते हैं। हम लोगोका तो इसके निर्वासनवाले खण्डसे ही सम्बन्ध है। लेकिन ऊपरकी बात ध्यान देने योग्य है। अँगुलियोकी बात हटा दी जाये तो भी खूनी कानून हम मजूर कर ही नही सकते। वह कानून ही विष रूप है। उसकी तुलना और कानूनोके साथ हो ही नही सकती।

गाधीकी अनुपस्थितिमे कौन ?

श्री गाधीकी अनुपस्थितिमे काम करनेवालेके बारेमे सवाल उठा है। मेरी मान्यता है कि श्री पोलकने भारतीय कौमको अपना जीवन अपण कर दिया है। उन्हे इस प्रश्नकी अच्छी जानकारी हो गई है। वे कुलीन व्यक्ति हैं। उनकी लेखनीमे तेज है। उनकी अग्रेजी बहुत अच्छी है। वे बहुत-से अग्रेजोके सम्पकमे आ चुके हैं। और हर भारतीय उन्हे जानता है। कई बातोमे उनसे सहायता मिल सकती है, इसमे कोई शक नही। इसलिए ब्रिटिश भारतीय सघके नाम जो पत्रादि आयेगे उनकी व्यवस्था भी वे कर सकेगे। यह अधिक ठीक होगा कि जहातक बने उन्हे पत्र अग्रेजीमे लिखे जाये।

अनाक्रामक प्रतिरोधका प्रचार

भारतीय मुकदमोका विवरण समाचरपत्रोमे बहुत आ रहा है और दीख पडता है कि हरएक अखबारका रुख पूरी तरहसे हमारे पक्षमे है। बहुत-से गोरे तो अब जनरल स्मट्सके कारण शर्मिन्दा हो रहे हैं। 'ट्रान्सवाल लीडर' ने इन नये मुकदमोको चलानेपर भारतीयोके पक्षमे सहानुभूतिपूण आलोचना की है।

अब क्या सम्भव है ?

जान पडता है, अब लडाईका अन्त जल्दी ही आनेवाला है। जो गिरफ्तार किये गये है उनके अतिरिक्त फिलहाल औरोको गिरफ्तार किया जायेगा, ऐसा नही दीखता। परवाना सम्बन्धी अडचने, एव श्री गाधी और दूसरोकी अनुपस्थितिसे उत्पन्न प्रभावको सरकार परखेगी और इसपर भी अगर कौम अधिकतर दढ रही तो जान पडता है माच महीनेमे निबटारा हो जायेगा। इसका सारा दारोमदार हमपर है।

'जाको राखे साँइयाँ'

जनरल स्मटसने भारतीयोके लिए जो जाल बिछाया था उसे हटाना पडा है। आज (मगलवारके) प्रात काल श्री नायडू, श्री पिल्ले, श्री ईस्टन, श्री कडवा तथा श्री गाधी जेल-महलमे पधारनेवाले थे। परन्तु दस बजेसे पहले टेलीफोन आया कि अदालत जानेकी बिलकुल जरूरत नही है। जब नोटिस मिले तब अदालतमे हाजिर हो। इसलिए इस समय तो ऊपर बताये हुए भारतीय जवान कारावासके सुखका स्वाद नही ले पायेगे। इससे फूल नही जाना चाहिए। अब तो सभी भारतीय समझ गये होगे कि सघर्ष कठिन होगा। जेल तो जाना ही पडेगा, इसमे कुछ सन्देह नहीं है। जिनको अभीतक गिरफ्तार नही किया है उनको आगे चलकर गिरफ्तार किया जायेगा, ऐसा ही मानना चाहिए।

अब तो सभीको अपने हथियार सँभालकर, तैयार होकर प्रतीक्षा करनी है। जनरल क्रौंजी और उनकी फौज एक बार चौबीसो घटे बख्तर पहनकर तैयार रहा करती थी,

वैसा ही हमे करना है। गिरफ्तार नही किये जायेंगे, यह खबर आनेपर लोग जोशमे आ गये श्री गाधीका कार्यालय घिर गया। भाषण हुए। इसी बीच रास्तेपर यह सभा हुई। इसपर सिपाहीने आकर सूचना दी कि नगरपरिषदकी इजाजतके बिना रास्तेपर सभा नही करनी चाहिए। इससे सब बिखर गये। इस समय तो सभी भारतीयोमे जोश दीख पडता हे।

देश निकालेकी आशका ही नही

प्रवासी कानूनके अ तगत दिये जानेवाले देश निकालेपर श्री लेनडने जो राय दी हे, पूरी तरह हमारे पक्षमे है, और उससे जाहिर होता हे कि भारतीयोको हरगिज देश निकाला नही दिया जा सकेगा। देनेका विचार किया गया, तो लडेगे। भारतीय अधीर न होकर घरमे जमकर बैठे रहेगे और जो हानि होगी उसे सहन कर लेगे तो सब कुछ ठीक हो जायेगा।

हॉस्केनकी सहानुभूति

मगलवारको श्री हॉस्केन विशेष रूपसे श्री गाधीके कायालयमे आये, और उन्होने गद गद् होकर अपनी सहानुभूति प्रकट की। वे भली भाति समझ गये है कि हमारी लडाई धार्मिक है। अनेक नामाकित गोरे आपसमे ऐसी ही चर्चा कर रहे है। अब तो प्राय सभी गोरे हितैषी डटकर लडनेको ही कह रहे है।

धोखेबाज भारतीय

डेलागोआ बेसे खबर आई है कि दो लुटेरे भारतीय ट्रासवालसे डेलागोआ बे गये है। वे लोगोसे कहते है कि प्रति व्यक्ति १२ पौड १० शिलिंग मिले तो वे श्री चैमनेको डलागोआ बे बुलाकर अनुमतिपत्र दिला देगे। इसे मै बिलकुल झूठ मानता हूँ। श्री चैमने इस प्रकार कभी पजीयन नही कर सकते। मै प्रत्येक भारतीयसे ऐसे व्यक्तियोसे सतक रहनेकी सिफारिश करता हूँ। ऐसे लोग अनुमतिपत्र नही दिला सकते और इस प्रकारके मनुष्य कौमको सरकारकी अपेक्षा अधिक हानि पहुँचाते है।

डर्बनमे सरकारकी दगाबाजी

तार आया है कि अपने देशसे आनेवाले भारतीयको डबनमे ही गुलामीका चिट्ठा दे दिया जाता है और [तब] वह भारतीय यहाँ आता है। डबनके भारतीय बहुत तार करते है, बाते करते है। मैने अनेक बार कहा है कि किसी व्यक्तिको देशसे आनेवाले सभी भारतीयोसे मिलना चाहिए, और उनको कानून समझाना चाहिए। फिर भी कोई इतना आसान काम करता हो, ऐसा नही जान पडता। तब फिर उनका ट्रान्सवालको ढाढस बँधाना किस काम का? मुझे आशा है कि डबनमे ऐसा एक भारतीय तो होगा ही कि जो स्टीमरसे उतरनेवाले भारतीयोसे मिलकर [उनकी योजनाके बारेमे] पूछताछ कर सके। आवश्यक जान पडे तो ऐसे भारतीयोसे डेलागोआ बेमे भी मिलना चाहिए।

पोर्ट एलिजाबेथ

पोट एलिजाबेथके सघने २५ पौडकी सहायता ब्रिटिश भारतीय सघको भेजी है। यह सधन्यवाद स्वीकृत की जाती है।

भारतीयोंकी सभा

शुक्रवारकी शामको हमीदिया भवनमे एक विशाल सभा हुई। करीब १,००० आदमी उपस्थित थे। लोगोमे बडा उत्साह था। प्रवासी कानूनकी निन्दाका प्रस्ताव पास किया गया और तार द्वारा विलायत भेजा गया।

चीनियोंकी सभा

उसी शाम चीनियोकी सभा हुई। श्री क्विनने अपने देश निकालेकी सम्भावनाके कारण अपनी मण्डलीके स्थानापन्न अध्यक्षके रूपमे श्री पोलकको नियुक्त करनेका प्रस्ताव किया,[१] जो स्वीकृत हो गया। श्री पोलकने भाषण दिया। सबके सब साहससे भरे हुए थे और सभीके मनोमे अन्ततक लडनेका उत्साह था।

अधिक सभाएँ

जोहानिसबगमे जगह जगह सभाएँ हुई है। सोमवारकी शामको चीनियोकी सभा हुई, इसके बाद मद्रासी लोगोकी सभा थी। दोनो सभाओका वातावरण जोश और हौसलेसे भरा हुआ था। श्री गाधी उपस्थित थे। सोमवारकी रातको भारतीयोकी एक विशाल सभा हुई। उसमे चीनी प्रतिनिधि उपस्थित थे। श्री ईसप मियाने व्यारयान दिया जिसमे उन्होने लोगोको दढ रहने ओर नेताओकी जगह भरनेकी सिफारिश की।

प्रिटोरियामे सभा

प्रिटोरियामे सोमवारको सभा की गई। ३०० आदमी उपस्थित थे। श्री हाजी हबीब प्रमुख थे। श्री गाधी और चार चीनी नेता खास तोरपर आये थे। श्री गाधीने भाषणमे कहा कि हमे चीनियोके ऐक्यका उदाहरण ग्रहण करना है। यदि हम अपना कतव्य पूरा करते रहे और ट्रान्सवाल सरकार या सारा राज्य हमारे खिलाफ रहा तो भी कुछ बिगडनेवाला नही है। मुझे तो जीतका विश्वास है। सही लडाई तो अब, इसी समय शुरू होने जा रही हे। श्री सूजने कहा कि चाहे जो हो, मै इस कानूनको नही मानूगा। श्री देसाईने बतलाया कि वे देश निकालेके लिए राजी है। श्री बेग बोले कि कुर्बानी देनेसे ही जीत मिलती हे, इतिहासमे इसके उदाहरण मिलते है। उपस्थित सज्जनोमे से श्री मनजी और दूसरे लोग भी बोले। श्री हाजी हबीबने कहा कि श्री गाधीके वचन सुननेका यह अन्तिम अवसर है। फिर भी देश निकाला हो जानेपर हम दढ रहकर उनको वापस बुला सकेगे। हम देश निकालेसे या परवाना रोके जानेसे डरनेवाले नही है।

इस सभामे ज्यादा आदमी नही थे यह बात गोरे अखबारवालोकी निगाहसे छूटी नही दीखती।

प्रिटोरियामे बाडेका मुकदमा

श्री रतनजी मकनके लिए एशियाई वाजारमे बाडेके पट्टेके वास्ते अर्जी दी गई थी। उसके उत्तरमे टाउन क्लार्कने कहलाया है कि "प्रार्थी पजीकृत न होनेके कारण ट्रान्सवालका

१ यह उस विवरणसे भिन्न पड़ता है जो इसी तारीखके **इंडियन ओपिनियन**के अंग्रेजी विभागमें दिया गया है। उक्त विवरणके अनुसार श्री क्विनने अपनी अनुपस्थितिमें एक कार्यवाहक अध्यक्षकी नियुक्तिकी घोषणा करते हुए बताया कि श्री एच० एस० एल० पोलक सबके अवैतनिक सलाहकार नियुक्त किये गये हैं।

अवैध निवासी माना जायेगा।" इस प्रकार सरकार एशियाई कानूनका विरोध करनेवालोको अधिक तग करना चाहती है। ये सब हमारी अवदशाके लक्षण है। और इसे समझकर ट्रासवालके भारतीय अपना बधन तोडनेके लिए अधिक दढ हुए बिना नही रहेगे।

कैनडलका पत्र

श्री जाडनने फैसला देते हुए जो आलोचना की थी उसके उत्तरमे श्री कैनडलने 'लीडर' मे पत्र लिखा है कि "पहले भारतीयोने एक अँगूठा लगाया था — और वह स्वेच्छासे। इस समय १८ निशान मागे जाते ह और सो भी अनिवाय रूपसे। इसे भारतीय सचमुच धार्मिक आपत्ति मान सकते है। सच्चा मुसलमान कभी अपनी सभी अँगुलिया नही लगायेगा। ऐसा करना मूर्ति चित्रित करनेके समान होगा और इस बातकी मुसलमानी मजहबमे मनाही है।"

[गुजरातीसे]

इडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८

३५५ पत्र एशियाई-पजीयकको

[जोहानिसबग]
दिसम्बर ३१, १९०७

सेवामे
एशियाई पजीयक
[प्रिटोरिया
महोदय,]

मुझे डेलागोआ-बेसे अभी अभी एक पत्र मिला है। उससे ज्ञात हुआ है कि ट्रान्सवालके कोई दो भारतीय इस समय डेलागोआ-बेमे लोगोको बरगला रहे है। उनका कहना है कि जो भारतीय ट्रान्सवालमे प्रवेशका अनुमतिपत्र पानेके इच्छुक है वे यदि उनको प्रति व्यक्ति १२ पौड १० शिलिग दे तो आप उहे डेलागोआ बेमे ही अनुमतिपत्र देनेको राजी हो जायेगे।

मुझे कहना न होगा कि मै उपयुक्त कथनको, जहातक आपका सम्बध है, अपमानजनक मानता हूँ। परन्तु यह निश्चित है कि उक्त भारतीय इस प्रकारकी बात सीधे सादे लोगोको अपना शिकार बनानेके लिए ही कहते रहे है। अतएव क्या मै आपसे यह प्राथना कर सकता हूँ कि आप जिस प्रकार भी मुनासिब समझे, डेलागोआ बेके ब्रिटिश भारतीयोको सूचित कर दे कि वे ऐसे किन्ही भी लोगोकी बात सच न माने। यह भी बता दे कि अनुमतिपत्र या प्रमाणपत्र केवल प्रिटोरियामे आपके कार्यालयमे ही प्राप्त किये जा सकते है। अपनी तरफसे मैने 'इडियन ओपिनियन' के स्तम्भो तथा अन्य जरियोसे लोगोको सावधान करनेकी पूरी कोशिश की है।

[आपका, आदि,
मो० क० गाधी]

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, ४-१-१९०८

परिशिष्ट

परिशिष्ट १

एशियाई कानून सशोधन अधिनियम

१८८५ के कानून ३ मे सशोधनार्थ

(२२ मार्च, १९०७ [को] स्वीकृत)

ट्रान्सवाल सरकार द्वारा प्रकाशित पूरा अधिकृत पाठ नीचे दिया जाता है

महामहिम सम्राट् द्वारा टा सवाल विधान परिषद और विधान सभाकी सलाह और अनुमतिसे निम्नलिखित कानून बनाया जाता है

निरसन

१ ससदके प्रस्तावो द्वारा १२ अगस्त १८८६ की धारा १४१९ और १६ मई १८९० की धारा १२८ से सशोधित सन् १८८५ के कानून ३ की धारा २ का उपखण्ड (ग) इसके द्वारा रद किया जाता है ।

परिभाषाएँ

२ इस अधिनियममें, जबतक वह मूल पाठसे असगत न हो,

एशियाई ' का अर्थ होगा १८८५ के कानन ३ की धारा एकमें बताया गया पुरुष जो मलायामें उत्पन्न और दक्षिण आफ्रिकाके किसी ब्रिटिश उपनिवेश या अधिकृत प्रदेशका अधिवासी न हो और न ही १९०४के श्रम आयात अध्यादेशके अन्तर्गत लाया गया व्यक्ति अथवा चीनी वाणिज्य दूतावासकी सेवामें नियुक्त कोई अधिकारी हो,

" एशियाई पजिका ' (रजिस्टर ऑफ़ एशियाटिक्स) का अर्थ होगा वह पजिका जो इस कानूनके अन्तर्गत विनियममें बताई गई विधिसे रखी जायेगी,

" पजीयक ' का अर्थ होगा वह अधिकारी जो गवनर द्वारा एशियाई पजिका रखनेके लिए नियुक्त किया जाये और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कानूनके अनुसार उस पदका कार्य वहन करे,

" आवासी न्यायाधीश ' में सहायक आवासी न्यायाधीश भी सम्मिलित होगा,

" विनियम ' का अर्थ होगा इस अधिनियमके खण्ड अठारहके अन्तर्गत बनाया गया कोई भी विनियम,

" अभिभावक " का अर्थ होगा सोलह वर्षसे कम आयुके एशियाइके पिता माता अथवा कोई दूसरा व्यक्ति जिसके सरक्षण या नियंत्रणमें ऐसा एशियाई उस समय रहता हो, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो तो ऐसे एशियाईका मालिक,

" पजीयन प्रार्थनापत्र " का अर्थ होगा ऐसा प्रार्थनापत्र जो एशियाई पजिकामें रखा जायेगा, वह विनियम द्वारा बताई गई विधिसे और विहित रूपमें दिया जायेगा और उसके साथ इस अधिनियम या विनियम द्वारा विहित विवरण और शिनाख्तके निशान होंगे,

" प्रार्थी " का अर्थ होगा वह व्यक्ति, जो अपनी ओरसे पजीयनका प्रार्थनापत्र देता है या जिसकी ओरसे उसका सरक्षक प्रार्थनापत्र देता है,

'पंजीयन प्रमाणपत्र " का अर्थ होगा इस अधिनियमके अन्तर्गत विनियमो द्वारा विहित रूपमें पजीयनका प्रमाणपत्र,

" वैध धारक ", किसी पंजीयन प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें प्रयुक्त अर्थमें वह व्यक्ति होगा जिसका पंजीयन उसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है ।

उपनिवेशके सब वैध अधिवासी एशियाइयोंका पंजीयन आवश्यक

३ (१) इसके बाद दिये गये अपवादोंको छोड़कर प्रत्येक एशियाई जो इस उपनिवेशका वैध अधिवासी है एशियाई पंजिकामें पंजीकृत होगा और उसके आधारपर पंजीयन प्रमाणपत्र पानेका अधिकारी होगा एवं उससे इस अधिनियमके खण्ड बारहमें दी गई व्यवस्थाके अतिरिक्त इस पंजीयनका या पंजीयन प्रमाणपत्रका कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(२) निम्न व्यक्ति इस अधिनियमकी उद्देश्यपूर्तिके लिए इस उपनिवेशके वैध एशियाई अधिवासी समझे जायेंगे,

(एक) कोई भी एशियाई जिसे १९०२ के क्षतिपूर्ति और शान्ति रक्षा अध्यादेश या उसके किसी संशोधनके अन्तर्गत दिये गये परवानेके द्वारा इस उपनिवेशमें आने और रहनेका विधिवत् अधिकार दिया गया हो, या जिसने १ सितम्बर १९०० और कथित अध्यादेशके पास किये जानेकी तारीखके बीचमें परवाना लेकर बशर्ते कि वह परवाना धोखाधड़ीसे न लिया गया हो उक्त अधिकार प्राप्त किया हो, व्यवस्था की जाती है कि जिस परवानेमें किसी एशियाईको सीमित अवधि तक रहनेका निर्देश किया गया हो वह परवाना इस उपखण्डके अर्थके अन्तर्गत परवाना नहीं समझा जायेगा।

(दो) कोई भी एशियाई जो इस उपनिवेशमें रहता हो और ३१ मई १९०२को प्रत्यक्ष यहाँ मौजूद हो।

(तीन) ३१ मईके बाद उत्पन्न कोई भी एशियाई, जो इस उपनिवेशमें १९०४के श्रम आयात अध्यादेशके अन्तर्गत लाये गये किसी श्रमिककी सन्तान न हो।

एशियाइयोंको निश्चित समयके भीतर पंजीयनका आवेदन देना आवश्यक

४ (१) प्रत्येक एशियाई जो इस उपनिवेशमें इस अधिनियमके लागू होनेके दिन रहता हो उस तारीख या उन तारीखोंसे पहले, उस स्थान या उन स्थानोंमें और उस व्यक्ति या उन व्यक्तियोंके सम्मुख जिसका या जिनका निर्देश उपनिवेश सचिव गजट में सूचना निकाल कर करे पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र देगा।

(२) प्रत्येक एशियाई, जो इस उपनिवेशमें इस अधिनियमके लागू होनेकी तारीखके बाद प्रविष्ट हो और जो इस अधिनियमके अन्तर्गत पहले पंजीकृत न हुआ हो इस उपनिवेशमें प्रवेश करनेपर आठ दिनके भीतर निर्धारित व्यक्तिको और निर्धारित स्थानपर पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र दे, बशर्ते कि वह खण्ड सत्रहके अन्तर्गत दिये गये परवानेके अनुसार प्रविष्ट न हुआ हो।

व्यवस्था की जाती है कि

(क) जिस तारीख तक पंजीयनका प्रार्थनापत्र दिया जाना है उसकी समाप्तिपर किसी एशियाई बच्चेकी आयु आठ वर्षसे कम हो तो इस खण्डके अन्तर्गत उसके लिए पंजीयन प्रार्थनापत्र देनेकी आवश्यकता नहीं होगी,

(ख) उस एशियाई बच्चेके मामलेमें, जो इस अवधिकी समाप्तिपर आठ वर्षका हो, किन्तु सोलह वर्षसे कम आयुका हो ऐसा प्रार्थनापत्र उस बच्चेकी ओरसे उसका संरक्षक देगा, और यदि इस प्रकार प्रार्थनापत्र न दिया जाये तो सोलह वर्षकी आयु पूरी होनेके बाद एक महीनेके भीतर उस बच्चेको स्वयं देना होगा।

पंजीयक मंजूर करेगा तो प्रार्थियोंको पंजीकृत करेगा और नामंजूर करनेकी हालतमें नोटिस देगा

५ (१) पंजीयक इससे पिछले खण्डके अन्तर्गत पंजीयनके प्रत्येक प्रार्थनापत्रपर विचार करेगा और प्रत्येक प्रार्थीको जो इस उपनिवेशका वैध अधिवासी हो या जिसका प्रार्थनापत्र उसने मंजूर किया हो पंजीकृत करेगा और ऐसे प्रार्थीको या संरक्षकको जिसने उसकी ओरसे प्रार्थनापत्र दिया हो पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करायेगा।

(२) यदि पंजीयकको यह प्रतीत हो कि कोई प्रार्थी इस उपनिवेशका वैध अधिवासी नहीं है तो वह उसको पंजीकृत करनेसे इनकार कर सकता है, और इनकारीकी हालतमें, प्रार्थीकी आयु सोलह सालकी या ज्यादा होनेपर उसको प्रार्थनापत्रपर दिये गये पतेसे डाक द्वारा इनकारीकी सूचना भिजवायेगा, और इस सूचनाकी एक प्रतिलिपि जिस जिलेमें वह प्रार्थनापत्र दिया गया था उस जिलेके न्यायाधीशके कार्यालयके मुख्य द्वारपर चिपका दी जायेगी, और पंजीयक इस सूचना द्वारा प्रार्थीको जिलेके आवासी न्यायाधीशके सम्मुख उसमें निर्धारित किये गये समयपर, जो इस सूचनाकी तारीखसे कमसे कम चौदह दिन बाद होगा उपस्थित होने और यह बतानेका निर्देश देगा कि उसको उस उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा क्यों न दी जाये, और यदि प्रार्थी उस सूचनामें दिये गये समयपर उपस्थित न हो या उपस्थित होनेपर आवासी न्यायाधीशको यह सन्तोष न दिला सके कि प्रार्थी उपनिवेशका वैध अधिवासी है तो आवासी न्यायाधीश यदि प्रार्थी सोलह साल या उससे अधिक आयुका हो, लिखित आज्ञा देकर उसे निर्दिष्ट अवधिके अन्दर उपनिवेशसे चले जानेका आदेश देगा। यह व्यवस्था सदा रहेगी कि यदि यह आदेश प्रार्थीकी अनुपस्थितिमें दिया जाये तो अवधिका आरम्भ उसको आदेश मिलनेकी तारीखसे होगा और यह आज्ञा १९०३के शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड छ के अन्तगत दी गई समझी जायेगी और इस अध्यादेशके खण्ड सात और आठ भी इसी प्रकार लागू होंगे। यह व्यवस्था भी की जाती है कि यदि आवासी न्यायाधीशको प्रार्थीके उपनिवेशका वैध अधिवासी होनेका विश्वास हो जायेगा तो वह पंजीयकको प्रार्थीका पंजीयन करने और उसे पंजीयन प्रमाणपत्र देनेका आदेश दे देगा।

संरक्षकको द्वारा विवरण देने और प्रार्थनापत्र भेजनेकी व्यवस्था

६ (१) कोई भी एशियाई जो आठ वर्षसे कम आयुके किसी एशियाई बच्चेका संरक्षक हो अपनी ओरसे पंजीयनका प्रार्थनापत्र देनेपर नियमके अनुसार बच्चेका विवरण और शिनाख्तके निशान देगा, और यदि संरक्षक स्वयं पंजीकृत है तो उसके द्वारा दिया गया पूर्वकथित विवरण अस्थायी रूपसे पंजिकामें दर्ज कर लिया जायेगा और संरक्षक बच्चेकी आयु आठ वर्षकी होनेके बाद एक वर्षके भीतर अपने निवासके जिलेके आवासी न्यायाधीशके कार्यालयमें उस बच्चेकी ओरसे पंजीयनका प्रार्थनापत्र देगा,

(२) इस अधिनियमके लागू होनेकी तारीखके बाद उपनिवेशमें पैदा हुए प्रत्येक एशियाई बच्चेका संरक्षक, बच्चेकी आयु आठ वर्षकी होनेके बाद एक वर्षके भीतर, उसकी ओरसे अपने निवासके जिलेके आवासी न्यायाधीशके कार्यालयमें पंजीयनका प्रार्थनापत्र देगा,

व्यवस्था की जाती है कि

(क) जहाँ कोई संरक्षक किसी एशियाई बच्चेकी ओरसे, जिसका वह संरक्षक है, इसके द्वारा निर्धारित समयके भीतर पंजीयनका प्रार्थनापत्र नहीं देता, वहाँ वह संरक्षक पंजीयक या किसी आवासी न्यायाधीश द्वारा माँगे जानेपर किसी बादकी तारीखमें यह प्रार्थनापत्र देगा,

(ख) जब कोई प्रार्थनापत्र, जो इस खण्डके अन्तर्गत एक एशियाई बच्चेके संरक्षक द्वारा दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाता है, या जब ऐसा प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर दिया जाता है तब पंजीयनका प्रार्थनापत्र ऐसे एशियाई बच्चेको सोलह वर्षकी आयु होनेके बाद एक मासके भीतर अपने निवासके जिलेमें आवासी न्यायाधीशके कार्यालयमें देना चाहिए।

वह आवासी न्यायाधीश, जिसके कार्यालयमें इस खण्डके अन्तर्गत कोई प्रार्थनापत्र दिया जाता है, उस प्रार्थनापत्रके कागजात और उससे सम्बन्धित सब दस्तावेज पंजीयकको भिजवा देगा, जो उसके नियमानुकूल होनेके सम्बन्धमें सन्तोष कर लेनेपर प्रार्थीका पंजीयन कर देगा, और उसको या उसके संरक्षकको पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करा देगा।

जिन एशियाइयोंके संरक्षक विवरण नहीं दे सके हैं उनके द्वारा सोलह वर्षकी आयु होनेपर प्रार्थनापत्र

७ जब संरक्षक द्वारा विवरण न देनेके कारण किसी एशियाई बच्चेके सम्बन्धमें, जो आठ वर्षसे कम आयुका है, ऐसा विवरण जिसका विधान पिछले खण्डमें किया गया है, पंजिकामें अस्थायी रूपसे दर्ज न किया गया हो तो भी पंजीयनका प्रार्थनापत्र बच्चेकी ओरसे संरक्षक द्वारा ही उस बच्चेकी आयु आठ वर्षकी होनेके बाद एक वर्षके भीतर दे दिया जाना चाहिए, और यदि यह न दिया जाये तो वह उस एशियाई बच्चेको सोलह वर्षकी आयु होनेके बाद एक मासके भीतर अपने निवासके जिलेके आवासी न्यायाधीशके कार्यालयमें स्वयं देना चाहिए, उस प्रार्थनापत्रके कागजात और उससे सम्बन्धित सब दस्तावेज पंजीयकको भिजवा दिये जायेंगे जो अपने विवेकाधिकारके अनुसार प्रार्थीके पंजीयनका निर्णय करेगा और उसको या उसके संरक्षकको पंजीयन प्रमाणपत्र देगा।

प्रार्थनापत्र न देनेपर दण्ड

८ (१) जो व्यक्ति किसी एशियाई बच्चेके बारेमें अपनी ओरसे या उस बच्चेके संरक्षकके रूपमें इस अधिनियमके अन्तर्गत प्रार्थनापत्र न देगा, वह अपराधी सिद्ध होनेपर अधिकसे अधिक सौ पौंड जुर्मानेका और जुर्माना न देनेपर अधिकसे अधिक तीन मासके सादे या सपरिश्रम कारावासके दण्डका पात्र होगा।

(२) जो व्यक्ति इस उपनिवेशमें सोलह वर्षसे कम आयुके ऐसे एशियाई बच्चेको लायेगा जो यहाँका वैध निवासी न हो और जो ऐसे बच्चेको किसी व्यापार या व्यवसायमें नियुक्त करेगा, वह अपराधी होगा और अपराध सिद्ध होनेपर नीचे लिखे दण्डोंका पात्र ठहरेगा

(क) इस खण्डके उपखण्ड (१) में बताये गये दण्डोंका, और

(ख) यदि ऐसे व्यक्तिको पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त हो तो पंजीयक उसके पंजीयनको रद कर सकेगा, इसपर उपनिवेश सचिव उसको उपनिवेशसे चले जानेका आदेश दे सकता है। ऐसी आज्ञा सन् १९०३ के शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड छ के अन्तर्गत जारी की गई आज्ञा समझी जायेगी और तदनुसार उक्त अध्यादेशके खण्ड सात और आठ लागू होंगे।

(३) सोलह वर्षसे अधिक आयुका कोई भी एशियाई, जो उपनिवेश सचिव द्वारा 'गज़ट' में घोषित की गई तारीखके बाद उपनिवेशमें पाया जाये और आगे बताई गई माँग करनेपर अपना पंजीयन प्रमाणपत्र जिसका वह वैध अधिकारी हो, प्रस्तुत न कर सके, बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है और आवासी न्यायाधीशके सम्मुख पेश किया जा सकता है एवं यदि वह उस न्यायाधीशको यह सन्तोष करानेमें असमर्थ रहे कि वह पंजीयन प्रमाणपत्रका वैध धारक है और जिस अवधिके भीतर उसको ऐसे प्रमाणपत्रके लिए प्रार्थनापत्र देना है, वह समाप्त नहीं हुई है, तो न्यायाधीश यदि अगले उपखण्डकी स्थिति लागू न होती हो तो उसको लिखित आज्ञा देकर उसमें दिये गये समयके भीतर उपनिवेशसे चले जानेका निर्देश करेगा और वह आज्ञा शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड छ के अन्तर्गत दी गई आज्ञा समझी जायगी और तदनुसार उक्त अध्यादेशके खण्ड सात और आठ लागू होंगे।

(४) यदि कोई एशियाई इस अधिनियममें दिये समयके भीतर पंजीयनका प्रार्थनापत्र देनेमें असमर्थ रहा हो और यदि वह न्यायाधीशके सम्मुख प्रस्तुत किया जानेपर उसको यह सन्तोष दिला सके कि उसकी इस असमर्थताका कोई न कोई सन्तोषजनक और पर्याप्त कारण था तो न्यायाधीश पहले बताई गई आज्ञा देनेके बजाय ऐसे एशियाईको तुरन्त पंजीयनका प्रार्थनापत्र देनेका निर्देश कर सकता है, और यदि ऐसा एशियाई उस निर्देशका पालन करेगा तो उसका प्रार्थनापत्र सब बातोंमें वैसा ही माना जायेगा मानो वह अधिनियममें दी गई अवधिके भीतर ही दिया गया हो, और इस अधिनियमकी सब धाराएँ वैसे ही लागू होंगी, जैसे प्रार्थनापत्र देनेपर लागू होतीं। किन्तु यदि वह ऐसे निर्देशका पालन करनेमें असमर्थ रहेगा तो न्यायाधीश उसके निष्कासनकी आज्ञा दे देगा जिसका उल्लेख ऐसे एशियाईके सम्बन्धमें पहले किया जा चुका है।

पंजीयन प्रमाणपत्र मांगनेपर पेश किया जाये

९ सोलह वर्ष या उससे अधिक आयुका प्रत्येक एशियाई, जो इस उपनिवेशमें प्रवेश करता या रहता है, उपनिवेशके कानून द्वारा स्थापित पुलिस दलके किसी भी सदस्य या उपनिवेश सचिव द्वारा अधिकार प्रदत्त किसी दूसरे व्यक्तिकी माँगपर अपना पंजीयन प्रमाणपत्र जिसका वह वैध धारक है, दिखायेगा और वैसे ही माँगनेपर विनियममें बताये गये विवरण और शिनाख्तके निशान देगा।

सोलह वर्षसे कम आयुके प्रत्येक एशियाई बच्चेका संरक्षक पहले कहे गये अनुसार माँग करनेपर पंजीयन प्रमाणपत्र, जिसका वह बच्चा वैध धारक है प्रस्तुत करेगा और इस अधिनियमके अनुसार या ऐसे बच्चेके सम्बन्धमें बनाये गये नियमके अनुसार आवश्यक विवरण और शिनाख्तके निशान देगा।

पंजीयन प्रमाणपत्रोंके प्रमाण

१० प्रत्येक पंजीयन प्रमाणपत्र सर्वत्र इस बातका निर्णयात्मक प्रमाण माना जायेगा कि उसका वैध धारक १९०३ के शान्ति रक्षा अध्यादेशमें आई किसी बातके बावजूद इस उपनिवेशमें आने और रहनेका हकदार है, सदा व्यवस्था यह रहेगी कि यह खण्ड उन लोगोंपर लागू न होगा जिनको १९०३ के शान्ति रक्षा अध्यादेशके खण्ड दसके अन्तर्गत उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा दी जा चुकी हो।

खोये हुए पंजीयन प्रमाणपत्र पानेवालेका कर्तव्य

११ जिस व्यक्तिको कोई पंजीयन प्रमाणपत्र या अन्य कोई अनुमतिपत्र मिले, जो खण्ड सत्रह के अन्तर्गत निकाला गया हो और जिसका वह वैध धारक न हो वह उसको यथासम्भव शीघ्र एशियाई पंजीयक, प्रिटोरियाको दे देगा या डाकसे पहुँचा देगा।

जो व्यक्ति इस खण्डके अनुसार कार्रवाई करनेमें असमर्थ रहेगा, वह अपराधी सिद्ध होनेपर अधिकतम पचास पौंड जुर्माने या जुर्माना न देनेपर अधिकतम एक मासके सादे या सपरिश्रम कारावासके दण्डका पात्र होगा।

पंजीयन प्रमाणपत्र खोने या नष्ट होनेपर व्यवस्था

१२ यदि कभी किसीका पंजीयन प्रमाणपत्र खो जाये या नष्ट हो जाय तो उसके वैध धारकको तुरन्त उसे नया करनेके लिए पंजीयकको प्रार्थनापत्र देना चाहिए और पंजीयक, ऐसे व्यक्ति द्वारा पंजीयन प्रमाणपत्रोंको नये करनेके प्रार्थनापत्रोंसे सम्बन्धित नियमोंकी पूर्ति की जानेपर, और पाँच शिलिंग शुल्क दिया जानेपर, उस प्रमाणपत्रको नया कर देगा। उक्त शुल्क प्रार्थनापत्रपर राजस्व टिकट लगाकर दिखाया जायेगा। और उस टिकटपर उस प्रार्थनापत्रको लेनेवाला अधिकारी मुहर लगा देगा।

एशियाइयोंको प्रमाणपत्र पेश करनेपर व्यापारिक परवाने दिये जायेंगे, अन्यथा नहीं

१३ उपनिवेश सचिव द्वारा 'गजट' में घोषित की गई तारीखके बाद किसी एशियाईको १९०६ के माल परवाना अध्यादेश या उसके किसी संशोधन या नगरपालिकामें लागू किसी उपनियमके अन्तर्गत व्यापारिक परवाना तबतक न दिया जायेगा, जबतक वह उस परवानेको देनेके लिए नियुक्त व्यक्तिके सामने अपना वैध पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत न करेगा और नियममें बताये गये विवरण और शिनाख्तके निशान न देगा।

एशियाईकी आयुका प्रमाण

१४ जब कभी इस अधिनियमके अन्तर्गत किसी मुकदमेमें या किसी कारवाईमें किसी एशियाईकी आयुका प्रश्न उठे, तब वह एशियाई, जबतक उसकी आयु अन्यथा सिद्ध न कर दी जाये तबतक, उसी आयुका माना जायेगा जिसे पंजीयकने अपने द्वारा दिये गये किसी प्रमाणपत्रमें अपने मतसे उसकी प्रत्यक्ष आयु प्रमाणित की हो।

शपथपत्र या शपथपूर्वक की गई घोषणा विनियम द्वारा स्टाम्प-करसे मुक्त

१५ विनियमके अन्तर्गत किसी व्यक्तिको, जो अपनी ओरसे या किसी अन्य व्यक्तिकी ओरसे पंजीयन प्रमाणपत्रका प्रार्थनापत्र देता है, कोई शपथपत्र देना हो या शपथपूर्वक घोषणा करनी हो तो वे स्टाम्प करसे मुक्त होंगे।

पजीयनके प्रार्थनापत्रो और पजीयन प्रमाणपत्रोसे सम्बन्धित अपराध

१६ कोई भी यक्ति जो

(१) पजीयनके प्रार्थनापत्रके उद्देश्यसे या उसके सम्ब धर्म या पजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करनेके उद्देश्यसे कोई जालसाजीका काम करता है या कोई झूठा बयान देता है या कोइ झूठा बहाना करता हे या किसी यक्तिको एसे काम या बयान या बहानेके लिए उत्तेजित करता सहायता देता या प्ररित करता है,

(२) कोई जाली पजीयन प्रमाणपत्र बनाता है,

(३) किसी पजीयन प्रमाणपत्रको, जिसका वह वैध धारक नही है या किसी जाली पजीयन प्रमाणपत्रको अपने प्रमाणपत्रके रूपमें काममें लाता या काममें लानेका प्रयत्न करता है,

(४) किसी व्यक्तिको उस पजीयन प्रमाणपत्रको जिसका वह वैध धारक नही है या किसी जाली पजीयन प्रमाणपत्रको अपने प्रमाणपत्रके रूपमें काममे लानेके लिए उत्तेजित करता सहायता दता और प्रेरित करता हे, अधिकसे अधिक पॉच सौ पौड जुर्मानेके या जुर्माना न देनेपर अधिकसे अधिक दो वर्षके सादे या सपरिश्रम कारावासके दण्डका या जुर्माने और कारावास दोना दण्डोका पात्र होगा ।

उपनिवेशमे एशियाइयोको सीमित काल तक रहनेके परवाने देनेका अधिकार

१७ (१) सन् १९०३ के शान्ति रक्षा अध्यादेशके किसी भी विधानके बावजूद उपनिवेशमें प्रवेशका परवाना देना न देना पूरी तरह उपनिवेश सचिवके निणयपर छोड दिया गया है, वह विनियमो द्वारा बताये गये रूपमें दिया जा सकता है एव उसके द्वारा किसी एशियाईको उपनिवेशमें प्रवेश करने और परवानेम बताई गई अवधितक निवास करनेका अधिकार होगा । इस अवधिकी समाप्तिपर यह माना जायेगा कि जिस यक्तिको उस परवानेके द्वारा उपनिवेशमें प्रवेशका अधिकार दिया गया है अब उपनिवेशमें रहनेका उचित अधिकारी नही है और यदि वह उसमें रहता हुआ मिलेगा तो बिना वारट गिरफ्तार कर लिया जायेगा और उक्त अध्यादेशके खण्ड **सात** और **आठ**का विधान उस व्यक्तिपर ऐसे लागू होगा, मानो उसको निर्दिष्ट अवधि बीत जानेपर उक्त अध्यादेशके खण्ड **छ** के अन्तर्गत उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा दी गई हो और वह उस आज्ञाका पालन करनेमें असमर्थ रहा हो ।

(२) उक्त अध्यादेशके खण्ड **नौ**का विधान इस खण्डके अन्तर्गत दिये गये सब परवानोपर लागू होगा ।

(३) इस अधिनियमके लागू होनेकी तारीखसे पहले किसी एशियाईको क्षतिपूर्ति और शान्ति रक्षा अध्यादेश १९०२ या उसके किसी सशोधनके अन्तगत जो परवाना दिया गया हो और जिसमें उसे उपनिवेशमें केवल एक सीमित समयतक रहनेका अधिकार बताया गया हो वह इस खण्डके अन्तगत दिया गया परवाना समझा जायेगा ।

(४) उपनिवेश सचिव अपने निर्णयसे आज्ञा दे सकता है कि वह यक्ति जिसे इस खण्डके अन्तर्गत दिये गये परवानेसे उपनिवेशमें प्रवेश और निवासका अधिकार मिला हो उस परवानेकी अवधिमें मद्य परवाना अध्यादेश १९०२ या उसके संशोधनके प्रयोजनके लिए रगदार यक्ति नही समझा जायेगा और ऐसी आज्ञा ऐसे परवानेपर दर्ज की जायेगी और वह ऐसे प्रयोजनोके लिए पूरी तरह लागू होगी ।

(५) उपनिवेश सचिव ऐसी आज्ञा जैसी पिछले उपखण्डमें बताई गइ है, एसे किसी भी व्यक्तिके सम्बन्धमें निकाल सकता है जो एशियाइ प्रजातिका हो और जो इस अधिनियमकी धाराओके अन्तगत न आता हो ।

विनियम बनानेका अधिकार

१८ सपरिषद गवनर नीचे दिये गये किसी भी प्रयोजनके लिए समय समयपर विनियम बना सकता है उनमें परिवतन कर सकता है और उनको रद कर सकता है

(१) इस अधिनियमके अन्तर्गत रखी जानेवाली पंजिकाका रूप निर्देश करनेके लिए,

(२) पंजीयनके लिए जो प्रार्थनापत्र दिया जायेगा उसकी विधि और उसका रूप और किसी प्रार्थी या प्रार्थीके संरक्षक द्वारा ऐसे प्रार्थनापत्रके उद्देश्यसे या उसके सम्बन्धमें जो विवरण या शिनाख्तके निशान दिये जायेंगे उनका निश्चय करनेके लिए,

(३) पंजीयन प्रमाणपत्रका रूप निर्देश करनेके लिए,

(४) यह निर्धारित करनेके लिए कि निम्न व्यक्तियों द्वारा अपने विवरण और शिनाख्तके चिह्न कैसे दिये जायेंगे,

(क) इस अधिनियमके खण्ड छ के अन्तर्गत आठ वर्षसे कम आयुके एशियाई बच्चेके संरक्षक द्वारा,

(ख) इस अधिनियमके खण्ड नौमें उल्लिखित माँगपर किसी एशियाई द्वारा,

(ग) किसी एशियाई द्वारा जिसने अपने खोये हुए या नष्ट हुए पंजीयन प्रमाणपत्रको नया करनेके लिए प्रार्थनापत्र दिया हो,

(घ) किसी एशियाई द्वारा जिसने व्यापारिक परवानेके लिए प्रार्थनापत्र दिया हो,

(५) इस अधिनियमके खण्ड सत्रहके अन्तर्गत दिये जानेवाले परवानेका रूप निश्चित करनेके लिए।

सामान्य दण्ड

१९. कोई भी एशियाई या किसी एशियाईका संरक्षक जो इस अधिनियमकी किसी शर्तको पूरा करनेमें असमर्थ रहा हो जहाँ अन्य विधान है उसके परे अपराधी सिद्ध होनेपर अधिकतम सौ पौंड जुर्मानेके या जुर्माना न देनेपर अधिकतम तीन मासके सादे या सपरिश्रम कारावासके दण्डका पात्र होगा।

कुछ सेवा सम्बन्धी शर्तनामोंके अन्तर्गत आये हुए एशियाइयोंके सम्बन्धमें व्यवस्था

२०. सन् १९०४के श्रम आयात अध्यादेशमें जो बात दी गई है उनके बावजूद ऐसे किसी भी एशियाईको जिसके पास वैध पंजीयन प्रमाणपत्र है और जो इस उपनिवेशका वैध अधिवासी है एवं जिसे उक्त अध्यादेशकी तारीखसे पहले उचित परवानेके अनुसार प्रवेशकी अनुमति दी गई है इसलिए उपनिवेशमें प्रवेश करने या रहने या उसमें लाये जानेसे न रोका जायेगा कि वह सेवा सम्बन्धी शर्तनामेके अन्तर्गत वहाँ है और उसने उक्त अध्यादेशके खण्ड आठमें उल्लिखित शर्तनामा नहीं किया है।

अचल सम्पत्तिके स्वामित्वके सम्बन्धमें व्यवस्था

२१. संसदके १२ अगस्त १८८६के प्रस्तावकी धारा १४१९ द्वारा संशोधित रूपमें १८८५के कानून ३ की धारा दोके (ख) उपखण्डमें दी गई किसी भी बातके बावजूद इस उपनिवेशमें किसी एशियाईने उस कानूनके लागू होनेसे पहले जो भी अचल सम्पत्ति ले ली है और जिसका पंजीयन उस कानूनके लागू होनेके पहले या पीछे उस एशियाईके नाम हो चुका है वह सम्पत्ति उस एशियाई द्वारा दूसरे एशियाईको वसीयतनामेसे या अन्य उत्तराधिकारके रूपमें हस्तान्तरित की जा सकती है।

नाम और लागू होनेकी तारीख

२२. यह अधिनियम सब प्रयोजनोंके लिए एशियाई कानून संशोधन अधिनियम १९०७ कहा जा सकता है और यह तबतक लागू न होगा जबतक गवर्नर गजट में यह घोषणा न करें कि महामहिम सम्राट् इसको अस्वीकृत करना नहीं चाहते, और उसके बाद यह उस तारीखको जिसको गवर्नर घोषणा द्वारा सूचित करेंगे लागू हो जायेगा।

शान्ति-रक्षा अध्यादेश

उक्त अधिनियममें १९०३ के शान्ति रक्षा अध्यादेश सख्या ५ के जिन खण्डोका उल्लेख है वे निम्न है

गिरफ्तार लोगोपर न्यायाधीशके सम्मुख मुकदमा

६ प्रत्येक व्यक्ति, जो इस प्रकार गिरफ्तार किया जायेगा, जितनी जल्दी हो सके, एक न्यायाधीशके सम्मुख पेश किया जायेगा और यदि वह न्यायाधीशको सन्तोष न दिला सकेगा कि इस अध्यादेशकी धाराओंके अन्तगत उसको इस उपनिवेशमें प्रवेश करने और रहनेका उचित अधिकार है, तो न्यायाधीश उसको लिखित आज्ञा देकर उतने समयमें जिसका उल्लेख उस आज्ञामें होगा, उपनिवेशसे चले जानेका आदेश दे सकता है। यह व्यवस्था की जाती है कि यदि ऐसा व्यक्ति परवाना ले चुकनेका शपथपूर्वक घोषणा करता है और उसको पेश करनेमें असमर्थताका सन्तोषजनक कारण देता है, या वह शपथपूर्वक यह कहता है कि वह सन्तोषजनक प्रमाण दे सकता है कि वह उन वर्गोका है जो इस कानूनके खण्ड दोकी व्यवस्थाके द्वारा परवाना लेनेकी शर्तसे मुक्त है तो वह जमानती या गैरजमानती मुचलका देनेके बाद छोड़ा जा सकता है वह किसी भी न्यायाधीशके सामने जिसका उल्लेख मुचलकेमें किया गया हो, और उसमें बताये गये समयमें ऐसा परवाना या सबूत जो भी हो, पेश करेगा। यदि वह व्यक्ति अपने मुचलकेकी शर्तोंको पूरा करनेमें असमर्थ रहेगा तो उसका मुचलका जप्त कर लिया जायेगा।

उपनिवेशसे जानेकी आज्ञाका पालन न करनेपर दण्ड

७ उस व्यक्तिको जिसे उपनिवेशसे जानेकी आज्ञा दी जाये और जो आज्ञापत्रमें दिये गये समयके भीतर न जाये और उस व्यक्तिको, जिसका मुचलका पिछले खण्डकी व्यवस्थाके अनुसार जप्त कर लिया गया हो बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है और न्यायाधीशके सामने पेश किया जा सकता है, एव उसका अपराध सिद्ध होनेपर कमसे कम एक मासकी और अधिकसे अधिक छ मासकी सादी या सख्त कैदकी सजा जुर्मानेके बिना या जुर्मानेके साथ जो ५०० पौंडसे अधिक न होगा, दी जा सकती है एव जुर्माना न देनेपर अधिकसे अधिक छ महीनेकी अतिरिक्त कैदकी सजा दी जा सकती है।

उपनिवेशमें रहनेपर अतिरिक्त दण्ड

८ यदि कोई व्यक्ति जो पिछले खण्डके अन्तर्गत कैदकी सजा पाता है, अपनी कैदकी या उसके बाद इस खण्डके अन्तगत दी गई कैदकी मियाद पूरी होनेके बाद उपनिवेश सचिवसे उपनिवेशमें रहनेकी लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना सात दिनसे अधिक समय तक रहता है—और लिखित इजाजत प्राप्त कर ली है, यह सिद्ध करनेका भार उसपर ही होगा—उसको बिना वारट गिरफ्तार किया जा सकता है और न्यायाधीशके सामने पेश किया जा सकता है, एव अपराध सिद्ध होनेपर उसको कमसे कम छ मासकी और अधिकसे अधिक बारह मासकी कैद, जुर्मानेके बिना या जुर्मानेके साथ जो पाँच सौ पौंडसे अधिक न होगा, दी जा सकती है, एव जुर्माना न देनेपर अधिकसे अधिक छ महीनेकी अतिरिक्त कैदकी सजा दी जा सकती है।

जाली परवाने

९ कोई व्यक्ति जो

(१) किसी धोखाधड़ी, गलतबयानी, झूठे बहाने, झूठ, या किसी दूसरे अनुचित साधनसे, परवाना प्राप्त करता है, प्राप्त करनेका प्रयत्न करता है या किसी व्यक्तिको उसे प्राप्त करनेके लिए उत्तेजित करता है, या प्राप्त करनेमे सहायता या सहमति देता है,

(२) ऐसे प्राप्त किये गये किसी परवानेका प्रयोग करता या प्रयोग करनेका प्रयत्न करता है, या किसी व्यक्तिको प्रयोग करनेके लिए उत्तेजित करता है या प्रयोग करनेमें सहायता या सहमति देता है।

(३) ऐसे प्राप्त किये गये परवानेसे या उचित अधिकारी द्वारा न दिये गये परवानेसे इस उपनिवेशमें प्रवेश करता या प्रवेश करनेका प्रयत्न करता है उसको जुर्मानेकी, जो पाँच सौ पौंडसे अधिक न होगा

या सादी या सख्त कैदकी जा दो सालसे ज्यादा न होगी, या जुर्माने और कैद दोनोंकी सजा दी जा सकेगी।

शान्ति और सुशासनके लिए खतरनाक व्यक्ति

१० अगर लेफ्टिनेंट गवर्नरको यह विश्वास हो जाये कि किसी व्यक्तिको उपनिवेशकी शान्ति और सुशासनके लिए खतरनाक माननेके लिए पर्याप्त कारण मौजूद है, तो उसके लिए उस व्यक्तिको उपनिवेश सचिवके हस्ताक्षरोंसे यह आज्ञा देना वैध होगा कि वह उपनिवेश छोड़कर चला जाये। उस व्यक्तिको उस आज्ञाके मिलनेके बाद उस समयके भीतर, जिसका उल्लेख आज्ञामें किया जायेगा, चला जाना होगा। यदि दिये गये समयकी समाप्तिपर वह व्यक्ति उपनिवेशमें रहता हुआ मिलेगा तो उसके विरुद्ध इस अध्यादेशके खण्ड **सात** और **आठमें** बताई गई विधिसे कारवाई की जायेगी और उसको वे सजाएँ दी जा सकेंगी जिनका विधान उन खण्डोंमें है।

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०-११-१९०७

परिशिष्ट २

प्रार्थनापत्र चीनी राजदूतको

जोहानिसबर्ग,
अक्तूबर १४, १९०७

सेवामें
परमश्रेष्ठ राजप्रतिनिधि असाधारण
और पूर्ण अधिकार-सम्पन्न मन्त्री राजदूत
महामहिम चीन सम्राट
लन्दन

ट्रान्सवालके चीनी संघके अध्यक्षकी हैसियतसे श्री लिअंग क्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र सविनय निवेदन है कि

१ आपका प्रार्थी उस चीनी संघका अध्यक्ष है जो ट्रान्सवालकी स्वतन्त्र चीनी आबादीका प्रतिनिधित्व करनेके लिए चार वर्ष पूर्व जोहानिसबर्गमें स्थापित किया गया था।

२ इस समय स्वतन्त्र चीनी आबादी अनुमानतः ११०० से ऊपर है। उनमेंसे अधिकांश जोहानिसबर्गमें बसे हैं।

३ ट्रान्सवालमें रहनेवाले अधिकांश चीनी अच्छी स्थितिके दूकानदार हैं और सभी इस उपनिवेशके पुराने अधिवासी हैं।

४ प्रार्थी परमश्रेष्ठका ध्यान एशियाई कानून संशोधन अधिनियमकी ओर आकर्षित करता है। इसे ट्रान्सवाल विधान सभाने पास किया है। इसकी प्रति संलग्न है।

५ यह विधान पहले गत वर्षके अन्तिम भागमें पास हुआ था और ट्रान्सवालका चीनी समाज इसपर इतना क्षुब्ध हुआ था कि परमश्रेष्ठके पूर्वाधिकारीके समक्ष चीनी पक्ष रखनेके लिए उसके एक विशेष प्रतिनिधिको लन्दन भेजना ठीक समझा गया था, जिससे कि ब्रिटिश सरकारके सामने उचित रूपसे सब मामला पेश किया जाये। और आपके प्रार्थीको यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि परमश्रेष्ठके पूर्वाधिकारीके प्रयत्नोंके परिणामस्वरूप महामहिम सम्राट्ने इस विधानको स्थगित कर दिया था।

६ अब ट्रान्सवालकी नव निर्वाचित ससदने इसे बड़ी जल्दीमें सर्वसम्मतिसे पुन पास कर दिया था ।

७ चीनी सघकी विनम्र सम्मतिमें यह विधान हमारी प्राचीन सभ्यताको और इस तथ्यको स्वीकार करनेमें सर्वथा असफल है कि हमारा राष्ट्र एक स्वत न्त्र और प्रभुसत्तात्मक राष्ट्र है ।

८ यह चीनी प्रजाजनोको उसी स्तरपर रख देता है जिसपर भारतसे आनेवाले ब्रिटिश प्रजाजन है । जहाँ ब्रिटिश सरकारके लिए यह उचित हो सकता है कि वह अपने भारतीय प्रजाजनोके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव करे वहाँ प्रार्थी सादर निवेदन करता है कि चीनी साम्राज्यके प्रजाजनोंके साथ ऐसे ढगका व्यवहार नही होना चाहिए जो उस साम्राज्यकी शानके खिलाफ हो जिससे सम्बन्धित होनेका परमश्रेष्ठके प्रार्थीको सम्मान प्राप्त है और विशेषकर इस तथ्यको सामने रखते हुए कि चीन एक ऐसा राज्य है जिसकी ग्रेट ब्रिटेनसे मैत्री है और ग्रेट ब्रिटेनके प्रजाजनोको चीनमें अतिप्रिय राष्ट्रका व्यवहार प्राप्त है ।

९ एशियाई अधिनियमका मशा है कि अन्योके बीच ट्रान्सवालका प्रत्येक चीनी अधिवासी अपमान और भारी जुर्मानोका शिकार बने और उसके पास पहलेसे जो दस्तावेज है उनके स्थानपर नया पजीयन प्रमाणपत्र ले । यह चीनियोको निरीक्षणकी एक ऐसी पद्धतिके अधीन करता है जो सर्वथा पतनकारी है । इसका मशा है कि माता पिता अपने १६ वर्षसे कम आयुके बच्चोका भी पजीयन अत्यन्त अपमानजनक ढगसे करायें । इसका मशा है कि बालिग चीनी पुरुष और उनके बच्चे अपनी अँगुलियोकी अठारह छापें दें । यह एक ऐसी माँग है जिसके लिए स्वाभाविक अपराधियोके बारेमें ही जोर दिया जाता है । यह विधान इस धारणापर आगे बढ़ता है कि चीनियोमेंसे बहुतेर छलपूर्ण आवेदनपत्र देनेमें सिद्धहस्त है । चीनी सघ इससे सर्वथा इनकार करता है । यह चीनियोको एक ऐसे स्तरपर गिरा देता है जो कि दक्षिण आफ्रिकाके वतनियो और दूसरे रगदार लोगोसे भी नीचा है । सक्षेपमें यह एक ऐसा विधान है जिसे स्वतन्त्र मनुष्य नही केवल गुलाम ही स्वीकार कर सकते हैं ।

१० चीनी समाजका भाव ऊपर लिखे अनुसार होनेके कारण, इसने निश्चित किया है कि यह इस अधिनियमके सामने नही झुकेगा और कानूनको इस प्रकार भग करनेके जो भी परिणाम हो सकते है उनको यह सहन करेगा । समाजका समझमें इस कानूनके प्रति सत्याग्रह करनेसे उनका पूर्ण सामाजिक विनाश हो सकता है और प्रत्येक चीनी निर्वासित भी किया जा सकता है । समाजके ९०० से ऊपर सदस्योने एक दृढ़ प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर किये है कि वे इस अपमानजनक कानूनको स्वीकार नही करेंगे ।

११ चीनी सघ स्वीकार करता है कि ट्रान्सवालमें प्रवास नियमित होना चाहिए और ट्रान्सवाल उपनिवेशमें नियम विरुद्ध प्रवेशको प्रभावशाली ढगसे रोक होनी चाहिए । और स्थानीय सरकारकी इस कार्यमें सहायता करनेके लिए चीनी समाजने स्वेच्छया पजीयन करानेका प्रस्ताव किया है केवल इसलिए कि चीनी समाजकी सत्यताकी परीक्षा हो जाये । इसके पीछे यह स्वीकार करनेकी भावना नही है कि ऐसा कोई पुन पजीयन आवश्यक है ।

१२ यदि स्वेच्छया पजीयनका प्रस्ताव स्वीकार नही किया जा सकता और ठोस सहायता नही दी जा सकती तो चीनी समाजकी रायमें ब्रिटिश सरकारको जोरदार निवेदनपत्र भेजा जाना चाहिए कि प्रत्येक चीनी इस शर्तपर चीन देशको वापस भेज दिया जाये कि उसके निहित अधिकारो जैसे व्यापार, निवास इत्यादिकी हानिके बदले उसे पूर्ण मुआवजा दिया जाये ।

१३ अन्तमें प्रार्थी सादर भरोसा करता है कि परमश्रेष्ठ द्वारा ट्रान्सवालमें रहनेवाले चीनी प्रजाजनोके अधिकारोकी पूर्ण रूपसे रक्षा होगी और न्याय तथा दयाके इस कार्यके लिए प्रार्थी कर्तव्याधीन होकर सदा दुआ करेगा ।

[आपका, आदि,]
लिअग क्विन
अध्यक्ष
ट्रान्सवाल चीनी सघ

[अग्रेजीसे]

इडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

परिशिष्ट ३

ट्रान्सवाल प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक

नीचे एक विधेयकका मसविदा दिया जाता है जो ट्रान्सवालके 'गवर्नमेंट गज़ट' में प्रकाशित किया गया है। यह "इस उपनिवेशमें प्रवासपर प्रतिबन्ध लगाने, इससे निषिद्ध प्रवासियोंको और अन्य लोगोंको निकालनेकी व्यवस्था करने और एक एशियाई विभाग स्थापित करने और चलानेके लिए" है।

महामहिम सम्राट् द्वारा और ट्रान्सवालकी विधान परिषद् और विधान सभाकी सलाह और अनुमतिसे निम्न विधान बनाया जाता है

१. १९०३ का शान्ति रक्षा अध्यादेश इसके द्वारा रद किया जायेगा और रद किया जाता है, शर्त यह है कि इस कारवाईसे १९०७ के एशियाई कानूनकी कोई सत्ता या कानूनी अधिकार क्षेत्र जो उस कानूनको अमलमें लानेके उद्देश्यसे दिया गया हो, प्रभावित या कम न होगा।

२. इस अधिनियममें या इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी विनियममें, जबतक संदर्भसे असंगत न हो,

"विभाग" का अर्थ होगा इस अधिनियमकी धाराओंके अन्तर्गत स्थापित और कायम प्रवासी विभाग,

"गवर्नर" का अर्थ होगा वह व्यक्ति जो उस समय इस उपनिवेशका शासन चला रहा हो और कार्यकारिणी परिषदकी सलाहसे कार्य कर रहा हो,

"कैद" का अर्थ होगा कड़ी या सादी कैद जो अपराधीको कैदकी सजा देनेवाले न्यायालय द्वारा दी जाये,

"न्यायाधीश" शब्दमें उपनिवेशके किसी भी जिलेका आवासी न्यायाधीश और सहायक आवासी न्यायाधीश भी सम्मिलित होगा,

"मन्त्री" का अर्थ होगा उपनिवेश सचिव या ऐसा कोई अन्य मन्त्री जिसे गवर्नर समय समयपर इस अधिनियमपर अमल करानेका काम सौंपे,

"अवयस्क" का अर्थ होगा सोलह वर्षसे कम आयुका कोई व्यक्ति,

"पुलिस अधिकारी" का अर्थ होगा उपनिवेशमें वैध रूपसे स्थापित पुलिस दलका कोई भी सदस्य,

"निषिद्ध प्रवासी" का अर्थ होगा और उसके अन्तर्गत सम्मिलित होगा, निम्न वर्गोंका ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियमके लागू होनेकी तारीखके बाद उपनिवेशमें प्रवेश करना चाहता हो, या प्रवेश कर रहा हो

१. कोई भी व्यक्ति जो उचित रूपसे अधिकृत अधिकारी द्वारा इस उपनिवेशमें भी इसके बाहर निर्देश देनेपर अपर्याप्त शिक्षाके कारण इस उपनिवेशमें प्रवेशको अनुमतिके लिए किसी यूरोपीय भाषामें आवेदनपत्र या कोई अन्य कागज जिसे उक्त अधिकारी लिखाना चाहे न लिख सके या उसपर हस्ताक्षर न कर सके, विधान किया जाता है कि इस उपखण्डके प्रयोजनोंसे यीडिश यूरोपीय भाषा मानी जायेगी, यह भी विधान किया जाता है कि,

(क) यदि मन्त्री 'गजट' में यह नोटिस प्रकाशित करे कि किसी देशकी सरकारसे उसके प्रजाजनों या नागरिकोंके इस उपनिवेशमें प्रवेशको नियमित करनेके सम्बन्धमें व्यवस्था की जा चुकी है, तो उन प्रजाजनों या नागरिकोंको जबतक वह नोटिस जारी रहे तबतक इस उपखण्डकी धाराओंका पालन करनेकी आवश्यकता न होगी,

(ख) मन्त्री ऐसा नोटिस तबतक न निकालेगा जबतक ऐसी व्यवस्था संसदके दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत न कर ली जाये

(ग) ऐसा नोटिस तभी अमलके बाहर हो जायेगा जब मन्त्री 'गजट' में दूसरा नोटिस निकाल कर उसे रद कर दे,

(२) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास या जिसके अधीन इस उपनिवेशमें उचित समय तक अपना निर्वाह करनेके साधन न हो, या जिसे उपनिवेशमें आने दिया जाये तो जिसका खर्च सरकारपर पड़नेकी सम्भावना हो,

(३) कोई भी वेश्या या ऐसा व्यक्ति जो वेश्यावृत्तिकी कमाईसे या अनैतिक कार्योंके लिए स्त्रियाँ उपलब्ध करके अपना गुजारा करता हो या कराता हो।

(४) कोई भी व्यक्ति जो इस उपनिवेशमे अपने प्रवेशकी या प्रवेशके प्रयत्नकी तारीखको लागू किसी कानूनके अन्तर्गत यदि उपनिवेशमें मिले तो, उपनिवेशसे निष्कासित किया जा सके या जिसे उपनिवेशसे जानेकी आज्ञा दी जा सके, फिर चाहे उसे उस कानूनके विरुद्ध अपराध करनेपर सजा दी जाये या उसकी धाराओंका पालन न करनेपर या अन्यथा, बशर्ते कि उसको वह सजा उसके द्वारा इस उपनिवेशके अतिरिक्त कहीं अन्यत्र किये गये अपराधपर जिसके लिए वह क्षमा पा चुका है न दी गई हो,

(५) कोई व्यक्ति जो १९०२ के उन्माद घोषणा [अधिनियम] या उसके किसी संशोधनके अर्थके अन्तर्गत पागल हो,

(६) कोई व्यक्ति जो कोढ़ी हो, या किसी घृणित या खतरनाक छूतकी या उड़ा बीमारीसे, जिसको विनियम द्वारा समय समयपर बताया जाये, पीड़ित हो,

(७) कोई व्यक्ति, जिसे मन्त्री किसी भी राज्य सचिवसे या किसी (ब्रिटिश या विदेशी) उपनिवेशी सरकारके सदस्यसे या किसी दूसरे देशके अधिकारीसे कूटनीतिक सूत्र द्वारा प्राप्त सूचनाके कारण अवांछनीय समझता हो,

(८) कोई व्यक्ति जिसके सम्बन्धमें मन्त्रीका उचित आधारपर विश्वास हो कि वह यदि उपनिवेशमें प्रविष्ट होगा तो वह उसकी शान्ति व्यवस्था और उसके सुशासनके लिए खतरनाक होगा,

किन्तु उसमें ये लोग सम्मिलित न होंगे

(क) महामहिमकी नियमित सेनाओंके सदस्य,

(ख) दूसरे देशके किसी सरकारी जहाजके अधिकारी और नाविक,

(ग) कोई व्यक्ति जो इस उपनिवेशमें महामहिमकी सत्ता द्वारा या किसी दूसरे देशकी सरकार द्वारा अपनी पत्नी अपने परिवार और नौकरो सहित प्रमाणित हो,

(घ) कोई व्यक्ति जो दक्षिण आफ्रिकामें महामहिमकी स्वयंसेवक सेनामें सेवा कर चुका हो और सेनासे नेकनामीके साथ मुक्त हुआ हो एवं जो निषिद्ध प्रवासीकी परिभाषाके उपखण्ड (३) (४), (५), (६) (७) या (८) के अन्तर्गत न आता हो,

(ङ) किसी व्यक्तिके जो निषिद्ध प्रवासी न हो पत्नी और अवयस्क बच्चे,

(च) भूमध्य रेखाके दक्षिणकी आफ्रिकी मूल जातियोंके वंशज जो निषिद्ध प्रवासीकी परिभाषाके उपखण्ड (३), (४) (७) या (८) के अन्तगत नहीं आते।

(छ) यूरोपीय लोग जो किसान या घरेलू नौकर कुशल कारीगर मिस्तरी मजदूर या खनक हैं, जो इंग्लैंडमें या अन्यत्र गवर्नर द्वारा इसके लिए नियुक्त इस उपनिवेशके एजेंट जनरलके हस्ताक्षरयुक्त इस आशयका प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकें कि उसमें उल्लिखित व्यक्ति इस उपनिवेशमें आते ही उसके किसी प्रख्यात नियोजककी सेवा पर्याप्त मजदूरीपर और उचित अवधिके लिए करनेके उद्देश्यसे नियुक्त किया गया है,

विनियम का अर्थ होगा इस अधिनियमके खण्ड पन्द्रहके अन्तर्गत बनाया गया विनियम।

३ (१) गवर्नर संसद द्वारा स्वीकृत धनसे एक विभाग स्थापित कर सकता है और कायम रख सकता है जो प्रवासी विभाग कहा जायेगा और मन्त्रीके नियन्त्रणमें और एक अधिकारीके अधीन रहेगा जिसकी नियुक्ति समय समयपर की जायेगी।

(२) इस विभागका कार्य उपनिवेशमें या उसके बाहर ऐसे सब काम करना होगा जो इस उपनिवेशमें निषिद्ध प्रवासियोंका प्रवेश रोकनेके लिए या उनको निष्कासित करनेके लिए आवश्यक हो या उससे सम्बन्धित हो। वह उन अधिकारोंका प्रयोग या कर्तव्योंका पालन भी करेगा जो उसको इस अधिनियम द्वारा या विनियम द्वारा दिये जायें।

(३) गवर्नर समय समयपर ऐसे अधिकारियोंको नियुक्त कर सकता या हटा सकता है जिनका नियुक्त करना या हटाना वह इस विभागकी व्यवस्थामें सहायता देनेके लिए आवश्यक या उपयुक्त समझे और उनको ऐसे अधिकार प्राप्त होंगे एवं वे उपनिवेशमें या उसके बाहर ऐसे कर्तव्योंका पालन करेंगे जो उनको इस अधिनियम द्वारा या विनियम द्वारा सौंपे जायें।

४ गवर्नर ऐसा काम या ऐसी बातें करनेके लिए जो इस अधिनियमके उद्देश्यों और अभिप्रायोंको कार्यरूप देनेके लिए आवश्यक या उपयुक्त हों दक्षिण आफ्रिकाके किसी उपनिवेश या प्रदेशकी सरकारसे समय समयपर समझौता कर सकता है।

५ ऐसा प्रत्येक निषिद्ध प्रवासी जो उपनिवेशमें प्रवेश कर रहा हो या उसके भीतर मिले अपराधी होगा और उसको ये सजाएँ दी जा सकेंगी

(१) जुर्मानेकी, जो सौ पौंडसे अधिक न होगा या जुर्माना न देनेपर कैदकी जो ६ महीनेसे अधिककी न होगी, या जुर्माने और कैद दोनोंकी, और

(२) किसी भी समय मन्त्रीके हस्ताक्षरयुक्त वारंट द्वारा उपनिवेशसे निष्कासित किये जाने और जबतक निष्कासित न किया जाये तबतक विनियममें बताये गये अनुसार नजरबन्द रखे जानेकी, परन्तु

(क) यदि ऐसा निषिद्ध प्रवासी इस उपनिवेशमें मान्य (सौ सौ पौंडकी) दो जमानतें इस उपनिवेशसे एक मासके भीतर चले जानेके सम्बन्धमें दे दे तो वह नजरबन्दीसे मुक्त हो सकता है,

(ख) यदि ऐसे निषिद्ध प्रवासीको कैदकी सजा दी जाये तो उसकी वह कैद उसको उपनिवेशसे निष्कासित करते ही समाप्त हो जायेगी।

६ कोई व्यक्ति, जिसे इस अधिनियमके अमलमें आनेके बाद १९०३ के अनैतिकता अध्यादेशके खण्ड **तीन**, **तेरह** या **इक्कीस**के या उनके किसी संशोधनके उल्लंघन करनेके अपराधमें सजा दी गई हो और कोई व्यक्ति जिसे मन्त्री यदि वह उपनिवेशमें रहता है तो उपनिवेशकी शान्ति व्यवस्था और सुशासनके लिए उचित आधार पर खतरनाक मानता है मन्त्रीके हस्ताक्षरयुक्त वारंटसे गिरफ्तार किया जा सकता है और जबतक निष्कासित न किया जाये तबतक विनियम द्वारा बताई गई विधिसे नजरबन्द रखा जा सकता है।

७ कोई व्यक्ति जो

(१) जानबूझकर किसी निषिद्ध प्रवासीको इस उपनिवेशमें प्रवेश करने या रहनेके लिए सहायता देता या उकसाता है, या

(२) जानबूझकर किसी व्यक्तिको जिसे खण्ड **छ** के अन्तर्गत निष्कासित किये जानेकी आज्ञा दी गई है इस उपनिवेशमें रहनेमें सहायता देता है या उसके लिए उकसाता है, या

(३) इस उपनिवेशसे बाहरके किसी व्यक्तिसे नियोजकके रूपमें इस इरादेसे कोई समझौता करता है, या करना चाहता है कि इस अधिनियमकी धाराओंसे बचा जाये या जो ऐसा समझौता करते समय या उसका इरादा करते हुए उन धाराओंका अपना हिस्सा पूरा न कर सकेगा या जिसे ऐसी कर सकनेकी कोई उचित आशा नहीं है,

वह अपराधी होगा और दोषी पाये जानेपर जुर्मानेका जो सौ पौंडसे अधिक न होगा, या जुर्माना न देनेपर कैदका, जो छ महीनेसे अधिककी न होगी या जुर्माने और कैद दोनोंका पात्र होगा।

८ कोई निषिद्ध प्रवासी इस उपनिवेशमें कोई व्यापार या धंधा करनेका परवाना लेने या उसमें कोई भूमि-सम्बन्धी स्वार्थ, लीजपर या जड़ खरीद या अन्य स्वार्थ प्राप्त करनेका अधिकारी न होगा, और ऐसा कोई परवाना

(यदि प्राप्त किया गया है तो) या कोई करार या अन्य दस्तावेज जिससे ऐसा स्वार्थ इस खण्डके विरुद्ध प्राप्त किया जाता है, इस अधिनियमके पाचवें खण्डके अन्तगत ऐसे प्रवासीके दण्डित होनेपर अवैध हो जायेगा।

९ प्रत्येक व्यक्ति जो इस उपनिवेशमें मिलता है और जिसपर उचित रूपसे निषिद्ध प्रवासी होनेका सन्देह है किसी भी न्यायाधीश नगर न्यायाधीश पुलिस अधिकारी या विभागके अधिकारी द्वारा वारट बिना गिरफ्तार किया जा सकता है और वह यथासम्भव शीघ्र कानूनके अनुसार कारवाई करनेके लिए प्रवासी न्यायाधीशके न्यायालयमें लाया जायेगा।

१० कोई भी निषिद्ध प्रवासी इस अधिनियमकी धाराओंसे इस कारण मुक्त न होगा और उपनिवेशमें रहने दिया जायेगा कि वह उपनिवेशमें प्रविष्ट नहीं हो सकता यह सूचना उसको नहीं दी गई हो या उसको सम्भवत असावधानीसे आ जाने दिया गया हो या यह कारण हो कि उसके निषिद्ध प्रवासी होनेकी बात मालूम न हुई हो।

११ उस व्यक्तिको जिसे इस अधिनियमके अन्तर्गत इस उपनिवेशसे निकालनेकी आज्ञा दी गई हो और उस अन्य व्यक्तिको जिसे खण्ड **सात**के अन्तर्गत उस व्यक्तिको इस अधिनियमके विरुद्ध इस उपनिवेशमें प्रवेश करने या रहनेमें सहायता देने या उकसानेके जुर्ममें सजा हो चुकी हो वह सब खर्च देना होगा जिसे सरकार उस व्यक्तिको उपनिवेशसे या दक्षिण आफ्रिकासे निष्कासित करनेमें या निष्कासनसे पूर्व उपनिवेशमें या अन्यत्र नजरबन्द रखनेमें करे, और उस खर्चेकी रकम विभागके अधिकारीका ऐसा प्रमाणपत्र, जिसमें उसकी विगत और पूरी रकम बताई गई हो शेरिफके सामने प्रस्तुत करनेपर उस व्यक्तिकी उपनिवेशमें जो सम्पत्ति होगी उसकी कुर्कीसे वसूल की जायेगी। इस कुर्कीकी विधि वैसी होगी जैसी सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयमें दी गई हो और उस कुर्कीसे जो रुपया मिलेगा शेरिफ द्वारा उपनिवेशके कोषाध्यक्षको सौंप दिया जायेगा जो उक्त खर्चेकी रकम और कुर्कीका खर्च काटनेके बाद शेष रुपया उस व्यक्तिको भेज देगा जिसके विरुद्ध कारवाई की गई हो या जो उस व्यक्ति द्वारा उस रुपयेको लेनेके लिए नियुक्त किया गया हो।

१२ (१) होटलों भोजन गृहों निवास गृहों या अन्य स्थानोंके जहाँ लोगोंको रुपया देकर या अन्य मूल्यवान कारणोंसे सोनेका स्थान दिया जाता है मालिकों या व्यवस्थापकोंका कर्तव्य होगा कि वे एक पुस्तिका रखवायें जिसमें ऐसा स्थान प्राप्त करनेवाला व्यक्ति पहले आते ही अपना नाम स्थायी निवास जन्म स्थान और वह जहाँसे अभी आया है उस स्थानको दर्ज करेगा।

(२) इस प्रकारकी प्रत्येक पुस्तिकाको पुलिसका या विभागका कोई भी अधिकारी सब उचित समयोंपर देख सकेगा।

(३) कोई भी व्यक्ति जो इस खण्डकी शर्तोंको पूरा न करेगा या ऐसे अधिकारीको उसके अन्तर्गत अपने अधिकारोंका प्रयोग करनेसे रोकेगा या उसमें बाधा डालेगा या उस पुस्तिकामें कोई बात गलत लिखेगा वह अपराधी होगा और दण्डित होनेपर जुर्मानेका, जो बीस पौंडसे अधिक न होगा, या जुर्माना न देनेपर कैदका जो एक माससे अधिककी न होगी, या जुर्माने और कैद दोनोंका पात्र होगा।

१३ कोई व्यक्ति इस अधिनियमके या किसी नियमके विरुद्ध इस उपनिवेशमें नहीं आया है या नहीं रहा है इसे सिद्ध करनेका भार प्रत्येक ऐसे मुकदमेमें जो इस सम्बन्धमें चलाया जाये अभियुक्तपर होगा।

१४ प्रत्येक आवासी न्यायाधीशके न्यायालयको इस अधिनियम या विनियमका उल्लंघन करनेपर अधिकतम सजा देनेका अधिकार होगा।

१५ गवर्नर निम्न सब उद्देश्योंसे या किसी एक उद्देश्यसे समय समयपर इस अधिनियमसे संगत नियम बना सकता है, उनको बदल सकता है या रद कर सकता है —

(क) विभागके अधिकारियोंके अधिकार और कर्तव्य निश्चित करनेके लिए,

(ख) इस उपनिवेशमें निषिद्ध प्रवासियोंका प्रवेश रोकनेके लिए

(ग) जिन लोगोंको इस अधिनियमके अन्तर्गत उपनिवेशसे निकालनेकी आज्ञा दी जाये उनको निकालनेके लिए,

(घ) जिन लोगोंको उपनिवेशसे निकालनेकी आज्ञा दी गई है वे जबतक निकाले न जायें तबतक उनकी नजरबन्दीके लिए,

(ङ) निषिद्ध प्रवासीकी परिभाषाके उपखण्ड (६) के प्रयोजनसे जो बीमारियाँ छूत की है या उड़ा है उनको बतानेके लिए,

(च) (१) जो लोग निषिद्ध प्रवासीकी परिभाषासे निकाल दिये गये है उनके वर्गोंके सम्बन्धमें उपखण्ड छ में उल्लिखित प्रमाणपत्रों, (२) खण्ड **पाँच** और **छ** के अन्तर्गत मन्त्री द्वारा निकाले जानेवाले वारन्टो और (३) खण्ड **बारह**के अन्तर्गत रखी जानेवाली पुस्तिकाके फार्म निर्धारित करते हुए

(छ) जिन स्थितियोंमें निषिद्ध प्रवासी उपनिवेशसे बाहर जाते हुए उपनिवेशमेंसे गुजरने दिये जा सकते हैं उनको निश्चित करते हुए,

(ज) सामान्यत इस अधिनियमके उद्देश्यो और प्रयोजनोको अधिक अच्छी तरह पूरा करनेके लिए, और वे ऐसे किन्ही विनियमोंसे उनके भंग करनेकी सजायें बता सकते है जो जुर्मानेके रूपमें सौ पौंडसे या जुर्माना न देनेपर कदके रूपमें छ महीनेकी कैदसे ज्यादा न होगी या जुर्मानेकी और कैदकी दोनो होगी।

१६ यह अधिनियम सब उद्देश्योसे १९०७ का प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियम कहा जा सकता है और यह उस तारीखको लागू होगा जिसका ऐलान गवर्नर गजट में घोषणा द्वारा करे।

परिशिष्ट ४

विनियम

एशियाई कानून संशोधन अधिनियम, १९०७ के खण्ड १८ के अन्तर्गत रचित

१ जबतक प्रसगसे असगत न हो तबतक इन विनियमोंमें —

'अधिनियम' का अर्थ होगा एशियाई कानून सशोधन अधिनियम, १९०७,

"वयस्क' का अर्थ होगा १६ वर्ष या उससे अधिक आयुका एशियाई पुरुष,

'प्रार्थी' का अर्थ होगा कोई व्यक्ति जो अपनी ओरसे पजीयनका प्रार्थनापत्र देता है या वह व्यक्ति जिसकी ओरसे उसका सरक्षक पजीयनका प्रार्थनापत्र देता है,

"पजीयन प्रार्थनापत्र का अर्थ होगा वह प्रार्थनापत्र जो एशियाइयोंकी पजिका (रजिस्टर) में दर्ज करा दिया हो और जो उस विधिसे और उस रूपमें एव उन विवरणो और शिनाख्तके निशानोके साथ दिया गया हो, जो नियम सख्या ३ के अनुसार आवश्यक है,

"क्षेत्र' का अर्थ होगा न्यायाधीशका जिला या उसका वह भाग जिसे उपनिवेश सचिव 'गजट में इस अधिनियमके खण्ड **चार**के उपखण्ड (१) के अन्तर्गत सूचना निकाल कर निर्धारित करे,

'एशियाई का अर्थ होगा ऐसा कोई भी पुरुष जैसा कि १८८५ के कानून ३ की धारा **एक**में बताया गया है जो मलायामें जन्मा और दक्षिण आफ्रिकाके किसी ब्रिटिश उपनिवेश या अधिकृत प्रदेशका अधिवासी न हो, और न कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उपनिवेशमें श्रम आयात अध्यादेश, १९०४ के अन्तगत लाया गया हो या चीनी वाणिज्य दूतके कर्मचारी मण्डलमें अधिकारी पदपर नियुक्त हो,

'पंजीयन प्रमाणपत्र' का अर्थ होगा इस अधिनियमके खण्ड **तीन**के उपखण्ड (१) के अन्तर्गत दिया गया पजीयन प्रमाणपत्र,

"सरक्षक' का अर्थ होगा सोलह वर्षसे कम आयुके किसी एशियाईका पिता या उसकी माँ या कोई अन्य व्यक्ति जिसकी देखरेख या जिसके नियन्त्रणमें उक्त एशियाई फिलहाल रहता हो या यदि ऐसा कोई व्यक्ति न हो तो उस एशियाईका मालिक,

"वैध पत्र धारक' शब्द यदि किसी पजीयन प्रमाणपत्रके सम्बन्धमें प्रयुक्त हो तो इसका अर्थ होगा वह व्यक्ति जिसका पजीयन उस प्रमाणपत्रके द्वारा प्रमाणित किया गया है,

' अवयस्क का अर्थ होगा ८ सालसे अधिक और १६ सालसे कम आयुका एशियाई पुरुष,

'पुलिस दल" का अर्थ होगा इस उपनिवेशमें कानून द्वारा स्थापित पुलिस दल,

"पुलिस अधिकारी' का अर्थ होगा पुलिस दलका कोई सदस्य

' पजीयक" का अर्थ होगा वह अधिकारी जो गवर्नर द्वारा एशियाइयोंकी पजिका रखनेके लिए नियुक्त किया गया हो, और उस हैसियतसे वैधरूपमें कार्य करनेवाला कोई भी व्यक्ति,

"आवासी न्यायाधीश शब्दके अन्तर्गत सहायक आवासी न्यायाधीशका समावेश होगा।

२ एशियाई पजीयनका फार्म वह होगा जो इसकी अनुसूची क म दिया गया है।

३ पजीयन प्रार्थनापत्रका फार्म निम्न प्रकार होगा,

(अ) वयस्क प्रार्थीके लिए इसकी अनुसूची ख' में दिया गया फार्म,

(आ) अवयस्क प्रार्थीके लिए इसकी अनुसूची ग में दिया गया फार्म,

४ (क) प्रत्येक वयस्क जो अपनी ओरसे पजीयनका प्रार्थनापत्र देगा उस व्यक्तिके सम्मुख प्रस्तुत होगा जिसे उपनिवेश सचिव गजट मे सूचना निकालकर उस क्षेत्रके लिए नियुक्त करे जिसमें वह प्रार्थी रहता है, और वह उक्त व्यक्तिको वे सारे विवरण देगा जो इसकी अनुसूची 'ख मे दिये गये फार्मके द्वारा आवश्यक बताये गये है, और उक्त व्यक्तिके सामने ये चीजे पेश करेगा और उसके सुपुर्द करेगा

१ कोई भी परवाना जो उसकी क्षतिपूर्ति और शान्ति रक्षा अध्यादेश (१९०२) या उसके सशोधनके विधानके अन्तर्गत ट्रान्सवालम प्रवेश करने और रहनेके लिए दिया गया हो,

२ कोई पजीयन प्रमाणपत्र या १८८५ के कानून ३ की, जिसका सशोधन बादमें हुआ धाराओंके अन्तर्गत पजीयनके लिए निधारित शुल्कके भुगतानकी रसीदे,

३ उसके पास मौजूद कोई अन्य कागजात जिन्हे वह अपने पजीयन प्रार्थनापत्रके समर्थनमे प्रस्तुत करना चाहे।

(ख) प्रत्येक सरक्षक, जो एक अवयस्ककी ओरसे पजीयनका प्रार्थनापत्र दे रहा हो उस अवयस्कको लेकर पूर्वोक्त व्यक्तिके सम्मुख पेश होगा और उस व्यक्तिको अपने सम्बन्धमें और उस अवयस्कके सम्बन्धमें इसकी अनुसूची (ग) में बताये गये फार्ममें निर्दिष्ट आवश्यक विवरण देगा और उस व्यक्तिको उस अवयस्कके सम्बन्धमें इससे पहले उपखण्डमें बताये गये कागजात देगा।

(ग) पजीयनका प्रत्येक प्रार्थनापत्र उस स्थानमें और उस तारीखसे पहले दिया जायगा जिसको उपनिवेश सचिव गजट' में सूचना निकाल कर निर्धारित करेगा,

(घ) प्रत्येक व्यक्ति, जो प्रार्थनापत्र लेनेके लिए पहले कहे अनुसार नियुक्त किया जायेगा किसी प्रार्थीके सम्बन्धमें प्राथनापत्रका फार्म पूरा होते ही प्रार्थीको या उसके संरक्षकको अपने हस्ताक्षरोंसे पजीयन प्रार्थनापत्र और उसके समर्थनमें पेश किये गये कागजातकी प्राप्तिकी लिखित स्वीकृति देगा। प्राप्तिकी स्वीकृति इसकी अनुसूची घ में दिये गये फार्ममें दो प्रतियोंमें होगी और उसकी दूसरी प्रति तुरन्त उस व्यक्ति द्वारा प्रार्थनापत्र और उसके समर्थनमें प्रस्तुत किये गये कागजातके साथ पजीयकको भेज दी जायेगी।

५ यदि पजीयक अधिनियमके खण्ड ५ के उपखण्ड (२) के अनुसार कारवाई करते हुए किसी वयस्कका पजीयन करना अस्वीकार करता है तो अस्वीकृतिकी सूचना उसी उपखण्डके अनुसार भेजी जायेगी और उसकी प्रतिलिपि आवासी न्यायाधीशको उसके कार्यालयके मुख्य द्वारपर चिपकानेके लिए भेजी जायेगी यह सूचना अनुसूची 'ङ में दिये गये रूपमें होगी।

६ पजीयन प्रमाणपत्र इसकी अनुसूची 'च में दिये गये रूपमें होगी।

७ प्रत्येक वयस्क किसी पुलिस अधिकारी या उपनिवेश सचिव द्वारा इसके लिए उचित रूपसे अधिकार दिये गये किसी भी व्यक्तिके माँगनेपर अपना वैध पजीयन प्रमाणपत्र पेश करेगा और इसके अतिरिक्त उस पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त व्यक्तिके माँगनेपर निम्न विवरण देगा

(१) अपना पूरा नाम,

(२) अपना वतमान निवास स्थान,

(३) पजीयनका प्रार्थनापत्र देनेके दिन अपना निवास स्थान,

(४) अपनी आयु,

और उस पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त अन्य व्यक्तिको या उनकी उपस्थितिमें ये चीजें देगा

(१) यदि लिख सकता हो तो अपने हस्ताक्षरोंका नमूना,

(२) अपने अंगूठोंके या अँगूठों और अँगुलियोंके निशान।

८ प्रत्येक अवयस्कका सरक्षक जिसे ऐसा पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त दूसरा व्यक्ति उस अवयस्कका वैध पजीयन प्रमाणपत्र पेश करनेके लिए कहे ऐसे प्रमाणपत्रको पेश करनेके अतिरिक्त पूर्वोक्त माँग करनेपर निम्न विवरण देगा

(१) अपना पूरा नाम,

(२) अपना वतमान निवास स्थान,

(३) उस व्यक्तिका पूरा नाम, जो अवयस्ककी ओरसे पजीयन प्रमाणपत्रका प्रार्थनापत्र देनेकी तारीखको उसका सरक्षक था, और उस तारीखको उस व्यक्तिका निवास स्थान,

(४) उस अवयस्कका आयु,

और उस पुलिस अधिकारी या पूर्वोक्त अन्य व्यक्तिको या उनकी उपस्थितिमें उस अवयस्कके अँगूठोंके या अँगूठों और अँगुलियोंके निशान देगा।

९ आठ वर्षसे कम आयुके एशियाई बच्चोंका प्रत्येक सरक्षक पजीयन प्रमाणपत्रका प्रार्थनापत्र देनेपर ऐसे सब बच्चोंके सम्बन्धमें निम्न विवरण देगा

(१) उनके पूरे नाम,

(२) प्रत्येककी आयु,

(३) प्रत्येकका सरक्षकसे सम्बन्ध,

(४) प्रत्येकका जन्म स्थान

(५) यदि अन्यत्र जन्मा हो तो प्रत्येककी ट्रान्सवालमें आनेकी तारीख।

१० प्रत्येक एशियाई अपने वैध पजीयन प्रमाणपत्रके या सरक्षकके रूपमें अवयस्कके वैध प्रमाणपत्रके खोने या नष्ट हो जानेपर उसे नया करनेका प्रार्थनापत्र देते समय पजीयकको निम्न विवरण देगा

(१) उस पजीयन प्रमाणपत्रकी सख्या,

(२) अपना पूरा नाम,

(३) अपना वर्तमान निवास स्थान,

(४) अवयस्कका पूरा नाम और उसकी आयु, (यदि प्रार्थनापत्र अवयस्ककी ओरसे सरक्षकने दिया हो तो)।

और वह पजीयकको या उस व्यक्तिको जिसे पजीयक इस कार्यके लिए नियुक्त करे निम्न चीजें देगा,

(१) अपने अँगूठों और अँगुलियोंके निशान, या

(२) यदि प्रार्थनापत्र अवयस्ककी ओरसे उसके सरक्षकने दिया हो तो अपने पजीयन प्रमाणपत्रकी सख्या, अपने दायें हाथके अँगूठेका निशान और उस अवयस्कके अँगूठों और अँगुलियोंके निशान।

११ प्रत्येक एशियाई, जो १९०५ के राजस्व परवाना अध्यादेश या उसके किसी संशोधन या नगरपालिकाके किसी चालू उपनियमके अन्तर्गत अपनी ओरसे व्यापारिक परवानेके लिए प्रार्थनापत्र देता है, उसे परवाना देनेके

लिए नियुक्त यक्तिके सम्मुख अपना वैध पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करनेके अतिरिक्त अपने सब अँगूठों और अँगुलियोंके या जिनके निशान वह व्यक्ति चाहे उनके निशान देगा।

१२ प्रत्येक एशियाइ जो ट्रान्सवालसे अस्थायी रूपसे अनुपस्थित दूसरे एशियाईकी ओरसे यापारिक परवानेके लिए प्रार्थनापत्र देता है ऐसा परवाना देनेके लिए नियुक्त यक्तिको नीचे लिखी चीजें देगा,

(१) अपना निजी पंजीयन प्रमाणपत्र,
(२) जिस एशियाईकी ओरसे प्रार्थनापत्र दिया जा रहा है उसका पूरा नाम,
(३) उस एशियाईका पूरा वर्तमान पता
(४) मुख्त्यारनामा या अन्य अधिकारपत्र जिसके अन्तर्गत उसको इस परवानेको लेने या अनुपस्थित यक्तिके यापारको चलानेका अधिकार दिया गया हो और उस मुख्त्यारनामे या अन्य अधिकारपत्र पर अनुपस्थित व्यक्तिके दायें हाथके अँगूठेका साफ निशान हो,

और वह उस व्यक्तिकी ओर उसके सम्मुख आवश्यकता हो तो अपने दायें हाथका निशान भी देगा।

१३ अधिनियमके खण्ड सत्रहमें उल्लिखित उपनिवेशमें सीमित अवधिके लिए आने और रहनेका परवाना इसकी अनुसूची, छ में दिये गये रूपमें होगा।

अनुसूची 'क'

एशियाई पंजिका

पंजीयन प्रमाणपत्रकी संख्या	जारी करनेकी तारीख	पूरा नाम	प्रजाति	जाति या सम्प्रदाय	ट्रान्सवालमें रहनेवाले परिवारका विवरण				वर्गीकरण	प्रमाणपत्रकी दूसरी प्रति देनेकी तारीख	विवरण
					पत्नियोंके नाम	पुत्र या आश्रित बालक जो ८ वर्षसे कम हो		संरक्षकसे सम्बन्ध			
						नाम	आयु				

[अग्र भाग]

अनुसूची 'ख'

वयस्क एशियाईके पंजीयनका प्रार्थनापत्र

पूरा नाम प्रजाति

जाति या सम्प्रदाय आयु ऊँचाई

निवास स्थान धंधा

शारीरिक विवरण

जन्म स्थान

ट्रान्सवालमें पहली बार आनेकी तारीख

३१ मई १९०२ को कहाँ रहते थे

पिताका नाम मातका नाम

पत्नीका नाम रहनेका स्थान

आठ वर्षसे कम आयुके पुत्र और आश्रित बालक

नाम	आयु	निवास स्थान	संरक्षकसे सम्बन्ध

प्रार्थीके हस्ताक्षर

प्रार्थनापत्र लेनेवाले व्यक्तिके हस्ताक्षर

तारीख कार्यालय

[पृष्ठ भाग]

नाम

दायें हाथके निशान

अँगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

बायें हाथके निशान

अँगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

एक साथ निशान

बायाँ हाथ	चार अँगुलियाँ	दायाँ हाथ	चार अँगुलियाँ

वयस्कके निशान लेनेवाला तारीख

[अग्रभाग]

अनुसूची 'ग'

अवयस्क एशियाईकी ओरसे दिया गया पंजीयनका प्रार्थनापत्र

सरक्षकका विवरण

पूरा नाम प्रजाति

निवास स्थान

सरक्षकका अवयस्कसे सम्बन्ध

प्रमाणपत्रकी सख्या

अवयस्कका विवरण

पूरा नाम प्रजाति

जाति या सम्प्रदाय आयु

निवास स्थान धन्धा

३१ मई १९०२ को कहाँ रहता था

पिताका नाम माताका नाम

शारीरिक विवरण

जन्म स्थान

ट्रान्सवालमें आनेकी तारीख

सरक्षकके दायें हाथके अँगूठेका निशान

सरक्षकके हस्ताक्षर

अवयस्कके हस्ताक्षर

प्रार्थनापत्र लेनेवाले

व्यक्तिके हस्ताक्षर

कार्यालय

तारीख

[पष्ठ भाग]

नाम

दायें हाथके निशान

अँगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

बायें हाथके निशान

अँगूठा	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

एक साथ निशान

बायाँ हाथ	चार अँगुलियाँ	दायाँ हाथ	चार अँगुलियाँ

अवयस्कके निशान लेनेवाला तारीख

अनुसूची 'घ'

प्रार्थनापत्र प्राप्तिकी स्वीकृति

१९०

सेवामें

मुझे आपके द्वारा की
ओरसे १९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके अन्तर्गत दिये गये पंजीयनके प्रार्थनापत्रकी और उस प्रार्थनापत्रके समर्थनमें पेश किये गये कागजातकी जिनका ब्यौरा नीचे दिया है, पहुँच स्वीकार करनेका सम्मान प्राप्त है।

हस्ताक्षर

कार्यालय

कागजातका ब्यौरा —

अनुसूची 'ङ'

प्रार्थनापत्र अस्वीकृतिकी सूचना

१९०

सेवामें

चूंकि आपने (महीना) की तारीख को (स्थान) में
वैध रूपसे ट्रान्सवालवासी एशियाइयोंकी पंजिकामें दर्ज किये जानेका प्रार्थनापत्र दिया था।

और चूँकि प्रार्थनापत्रपर विचार करनेके बाद मुझे यह प्रतीत होता है कि आप ट्रान्सवालके वैध निवासी नहीं हैं,

इसलिए आपको इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि मैं आपको ट्रान्सवालके वैध निवासीके रूपमें पंजीयित करना अस्वीकार करता हूँ और १९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके खण्ड पाँचके उपखण्ड (२) के अनुसार आवासी न्यायाधीशके सम्मुख में
की वीं तारीख सन् १९०७ को १० बजे दोपहरको उपस्थित होने और यह बतानेका निर्देश देता हूँ कि आपको उपनिवेशसे चले जानेकी आज्ञा क्यों न दी जाये।

हस्ताक्षर

एशियाई पंजीयक

अनुसूची 'च'

पजीयन प्रमाणपत्र

पूरा नाम

प्रजाति आयु ऊँचाई

विवरण

दाये हाथके अँगूठेका निशान एशियाई पजीयक

जारी करनेकी तिथि

धारकके हस्ताक्षर

इस प्रमाणपत्रके अग्रभागपर एशियाइ पजीयकके अतिरिक्त अन्य किसीको न कोई परिवर्तन करना चाहिए और न कुछ लिखना चाहिए।

अनुसूची 'छ'

अस्थायी अनुमतिपत्र

इसके द्वारा को, जिसका विवरण नीचे दिया जाता है, ट्रान्सवालमें आने और की अवधितक रहनेकी अनुमति दी जाती है जिसका आरम्भ से होता है।

विवरण

प्रजाति जाति या सम्प्रदाय

जन्म स्थान आयु ऊँचाई

निवास स्थान

ट्रान्सवालका नगर या स्थान जहाँ जा रहे हैं

शारीरिक विवरण

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

दायें हाथके अँगूठेका निशान एशियाई पजीयक

निशान लेनेवाला

स्थान

तारीख

परिशिष्ट ५

दक्षिण आफ्रिका ब्रिटिश भारतीय समिति

२८, क्वीन ऐंस चेम्बर्स, ब्रॉडवे
वेस्टमिन्स्टर, एस० डब्ल्यू०
अगस्त १४, १९०७

सेवामें
परममाननीय सर हेनरी कैम्बेल बैनरमैन जी० सी० बी०, पी० सी०, ऐंड सी०
प्रधान मन्त्री

महोदय

मेरी समितिका एक शिष्टमण्डल आपकी सेवामें उपस्थित होनेका इच्छुक है। उसके नामोंकी सूची मैं साथ बन्द कर रहा हूँ। उसका उद्देश्य यह है कि ट्रान्सवाल उपनिवेशमें अपने साथी भारतीय प्रजाजनोंकी स्थिति और उनके प्रति होनेवाले व्यवहारके बारेमें अपने विचार सादर आपके समक्ष रखे।

वे चाहते हैं कि मैं प्रस्तावनाके रूपमें निम्नलिखित तथ्य आपके सामने रखूँ

इस उपनिवेशकी ब्रिटिश भारतीय जनसंख्या हालकी जनगणनाके अनुसार १०,००० है। और जैसा कि आगे चलकर दिखाया जायेगा यह लगभग स्थिर है। इसमें अधिक संख्या व्यापारी वर्गकी है और वे दूकानदार और फेरीवाले हैं। शेष माली, देशी सुनार दर्जी इत्यादि दिखाये गये हैं। भारतीय कुली, खनिक या कारीगर नहीं से है।

आपको मालूम होगा कि 'एशियाई (ब्रिटिश भारतीयों सहित) भूतपूर्व ट्रान्सवाल सरकार द्वारा कतिपय निर्योग्यताओंके शिकार बनाये गये थे। ये उनके अतिरिक्त थीं जिनके गैर-एशियाई विदेशी भी भागीदार थे, और १८८५ का कानून ३ यद्यपि राज्यमें एशियाई प्रवासपर रोक नहीं लगाता था तथापि ३ पौंडका पंजीयन शुल्क लादता था नागरिकता प्राप्त करनेके अधिकारसे वंचित रखता था उनके अपने नामोंपर अचल सम्पत्तिका पंजीयन वर्जित करता था और कतिपय बाजारों कक्षों और बस्तियोंमें निर्वासित होकर रहनेके लिए जवाबदेह बनाता था। ये निर्योग्यताएँ विशेषकर नागरिकता प्राप्त करनेके अधिकारसे वंचित रखा जाना निस्सन्देह बहुत कुछ रंग विद्वेषके कारण थी। प्राचीन कानूनके अधीन श्वेत और रंगदार लोगोंके बीच स्पष्ट रूपसे एक रेखा खींच दी गई थी। उसमें यह लिखा है कि रंगदार और श्वेतके बीच कोई बराबरी नहीं बरती जायेगी।

इस भेद करनेवाले विधानके विरुद्ध महामहिमके मन्त्रियोंने, जिनमें लॉर्ड डर्बी और श्री चैम्बरलेन उल्लेखनीय हैं ट्रान्सवालकी सरकारके पास समय समयपर विभिन्न प्रस्ताव और प्रतिवाद भेजे हैं। २० जुलाइ, १९०४ के एक खरीतेमें, जिसे परममाननीय अल्फ्रेड लिटिलटनने उच्चायुक्तके नाम भेजा था, ये बहुत अच्छी तरह संक्षिप्त रूपमें वर्णित हैं

"इसलिए युद्धके आरम्भ तक ब्रिटिश सरकारने लगातार पहले अधिकारके रूपमें और फिर १८९५ के पंच फैसलेके अनुसार कूटनीतिक प्रयत्नोंसे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय अधिवासियोंके हितोंको कायम रखा, और सहप्रजाजनोंके प्रति व्यवहार विगत दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके विरुद्ध ब्रिटिश मामलेका एक अंग था।"

बेशक आपको यह स्मरण दिलाना भी अनावश्यक है कि युद्धके दिनोंमें दक्षिण आफ्रिकाके अधिवासी ब्रिटिश भारतीयोंने स्वेच्छापूर्वक कैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा-सेवा और अन्य सेवाएँ की थीं। जो ट्रान्सवालमें रहते थे

स्वभावत यह निश्चित आशा रखते थे कि ट्रान्सवाल प्रदेशके साम्राज्यमे सयोजित हो जानेसे अपनी निर्योग्यताओको तुरन्त दूर होते और अपने साथी प्रजाजनोंके साथ अपने आपको समानताका दर्जा प्राप्त करते देखेंगे । यद्यपि ट्रान्सवालपर अधिकार होनेके साथ ही गणतन्त्रके बहुत से पुराने कानून रद कर दिये गये, तथापि १८८५ का कानून ३ इस नये उपनिवेशकी कानूनकी पुस्तकमें बना रहने दिया गया । इससे उन्हें अवर्णनीय निराशा हुई । और फिर प्रवेश युद्धसे पूर्वके निवासियो तक ही सीमित कर दिया गया, शान्ति रक्षा अध्यादेश जिसे नई सरकारने नये राज्यके शत्रुओको बाहर रखनेके उद्देश्यसे पास किया था, भावी नवागन्तुक एशियाइयोको बाहर रखनेके लिए प्रयुक्त होने लगा । अधिवासी एशियाइयोकी वापसीको नियमित और व्यवस्थित करनेके लिए प्रथम बार एक खास महकमेकी स्थापना की गई और उन्हें अपने घरो और व्यवसायोमें वापस जानेके लिए अनुमतिपत्र प्राप्त करनेमें विभिन्न और शोचनीय अड़चनोका अनुभव हुआ । १९०३में उच्चायुक्तने १८८५के कानून ३ की दफाओको कड़ाईके साथ लागू करनेका निश्चय किया जो कि महामहिमकी सरकारकी लिखा पढीके कारण बोअर शासनमें बड़ी सीमा तक मृत प्रलेख बना हुआ था । उन समस्त एशियाइयोको, जो अधिकारियोको यह सन्तोष नही दिला सके कि वे ३ पौडका पजीयन शुल्क पहले दे चुके है रकम देनेके लिए मजबूर होना पडा । पॉच हजार छियासठ भारतीयो और पॉच सौ पन्द्रह चीनियोने कुल ९,०५९ पौड दिये । पजीयनका सम्पूर्ण स्वरूप ही बदल गया । गणतन्त्रम यह यदि आवश्यक था भी तो केवल इतनेके लिए कि प्रदाताको ३ पौडकी रसीद दे दी जाये । एशियाइयोके पजीयकने १९०४में घोषित किया कि भूतपूर्व बोअर सरकार द्वारा संकलित कोइ एशियाइ पजीयन प्रलेख (यदि ऐसे प्रलेख कभी रखे जाते रहे हो) किसी जिलेमें नही पाये गये । इसके तीन अपवाद मिलते है । पुन पजीयनने अब प्रथम बार शिनाख्तका रूप धारण कर लिया हे । अब जो प्रमाणपत्र जारी किये जा रहे है वे केवल ३ पौडकी रसीदे नही है । उनमें उनके मालिकोके नाम, उनकी पत्नियो बच्चोकी सख्या मालिकोकी आयु उनका स्पष्ट हुलिया और अँगूठोके निशान दिये रहते है । इस प्रस्तावित कदमका ब्रिटिश भारतीयोने इस आधारपर दृढ विरोध किया कि कानूनकी आवश्यकताओकी पहले ही पूर्ति कर चुकनेके बाद वे पुन पजीयनके लिए बाध्य नही हे । उच्चायुक्तकी सिफारिश द्वारा इसका खण्डन हो गया और उसमें उन्होने इसके लिए नई जरूरतके बारेमे अपनी सहमति प्रकट की । महानुभावने उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा

'मेरा खयाल है कि पजीयनसे उनकी रक्षा होती है । उस पजीयनके साथ ३ पौडका शुल्क जुड़ा हुआ है । यह केवल एक बार मॉगा जाता है । जिन्होने उसे पुरानी सरकारको अदा किया है उन्हे केवल यह सिद्ध करना है कि उन्होने ऐसा किया है और उन्हें यह शुल्क दुबारा नही अदा करना होगा । फिर पजीपर एक बार नाम आ जानेपर उनका दर्जा कायम हो जायेगा और आगे पजीयन करानेकी आवश्यकता नही होगी और न नये अनुमतिपत्रकी आवश्यकता होगी । वह पजीयन आपको यहाँ रहनेका, यहाँ आने जानेका अधिकार देता है ।'

इसपर ब्रिटिश भारतीय समाजने नये पुन पजीयनको स्वेच्छया स्वीकार कर लिया और बिना किसी कानूनी या अन्य बाध्यताके एक ओरसे सबने आवश्यक परवाने ले लिये । इन परवानोपर पूर्व वर्णित शिनाख्तके ब्योरे अंकित है और आज बिना किसी अपवादके लगभग प्रत्येक ब्रिटिश भारतीय अधिवासीके पास ये परवाने है ।

अचल सम्पत्ति रखनेके विरुद्ध पुराने नियन्त्रणोमें वस्तुत कोई ढिलाई नही हुई ।

एशियाइयोको (ब्रिटिश भारतीयो सहित) बाजारो या बस्तियोमें, जो उनके लिए खास तौरसे अलग बना दी गई है पृथक् करके रखने और उपनिवेशमें जहाँ चाहें वहाँ व्यापार करनेके लिए परवानोकी मॉग करनेके उनके अधिकारको घटानेके विचारसे भी १९०२ और १९०३ में महामहिमकी सरकार और ट्रान्सवाल उपनिवेशकी सरकारके बीच यथेष्ट पत्र व्यवहार हुआ था ।

प्रिटोरिया और पीटर्सबर्गके हबीब मोटनके दूकानके परवानेको १९०४में बदलनेसे इनकार करनेके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालयको एक निर्णय देना पडा, जिसमें बस्तियोके बाहर व्यापार करनेके उनके अधिकारको उचित माना गया ।

१९०३ में, ट्रान्सवालकी खानोंमें काम करनेके लिए कुलियोंके विषयमें ट्रान्सवाल सरकार और भारत सरकारके बीच पत्र व्यवहार हुआ। वह असफल रहा। भारत सरकारका आग्रह था कि उसकी स्वीकृतिके लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि पहले वे कतिपय निर्योग्यताएँ दूर की जायें जो उपनिवेशमें रहनेवाले भारतीय व्यापारी समाजको महनी पड़ रही है। ट्रान्सवाल सरकार इससे सहमत होनेमें अपनेको असमर्थ पा रही थी।

उसी वर्ष ट्रान्सवालकी सरकारने महामहिमकी सरकारके समक्ष एक खास प्रकारके विधानका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उसके अन्तर्गत ऐसे अधिकारोंके और भी कम कर दिये जानेका खतरा पैदा हो गया था, जो उस समय एशियाई समाजके पास बच रहे थे। इसका महामहिमकी सरकारने नीचे लिखे अनुसार उत्तर दिया था

'परन्तु इस देशमें अब जो ब्रिटिश भारतीय हैं जिनकी संख्या इस समय अपेक्षाकृत कम है और प्रवासके बारेमें प्रस्तावित नियन्त्रणोंके कारण उसी अनुपातसे घटती जायेगी उनके साथ व्यापारिक प्रतिस्पर्धाका भय इस प्रस्तावित विधानके लिए यथेष्ट कारण नहीं माना जा सकता। भूतकालमें महामहिमकी सरकारने इस भय द्वारा अपने विचारोंको दृढ़ताके साथ प्रभावित नहीं होने दिया। इसके विरुद्ध वर्षों तक उसने इस विषयके सम्बन्धमें भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणतन्त्रको नीति और कानूनोंके विरुद्ध साम्राज्य और सभ्य संसारके समक्ष बराबर प्रतिवाद किया है।

'ये कानून केवल आंशिक रूपसे लागू थे, जब कि महामहिमकी सरकारसे अब इनको कड़ाईके साथ केवल लागू करनेकी मंजूरी ही नहीं माँगी जाती बल्कि एक विधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालयके उस फैसलेको भी रद करनेके लिए कहा जा रहा है जिसने ब्रिटिश भारतीयोंको वे अधिकार दिये थे जिनका महामहिमकी सरकार बड़ी लगनके साथ समर्थन करती रही थी।

"महामहिमकी सरकार इस बातका विश्वास नहीं कर सकती कि ट्रान्सवालका ब्रिटिश समाज उस प्रस्तावके सच्चे स्वरूपकी कद्र करता है जिसके लिए, कुछ सदस्य आपपर दबाव डाल रहे हैं। ब्रिटिश होनेके नाते वे ब्रिटिश नामके सम्मानके उतने ही बड़े हिमायती हैं जितने कि स्वयं हम हैं, और उस सम्मानकी रक्षामें कुछ भौतिक बलिदानकी आवश्यकता पड़े तो, मुझे निश्चयपूर्वक लगता है कि, वे सानन्द उसे करेंगे। **महामहिमकी सरकारका मत है कि अधिवासी ब्रिटिश प्रजाजनोंपर उन निर्योग्यताओंको लादना, जिनके विरुद्ध हम प्रतिवाद कर चुके हैं, और जिनका शिकार, सही व्याख्याकी जानेपर, भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणतन्त्रके कानून भी उन्हें नहीं बनाते थे, राष्ट्रीय सम्मानको आघात पहुँचाने वाला है।** और महामहिमकी सरकारको इसमें सन्देह नहीं है कि जब यह बात समझमें आ जायेगी तब उपनिवेशका लोकमत उस माँगका समर्थन नहीं करेगा, जो पेश की गई है।

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंने अपने मनमें अत्यधिक विश्वास जमा रखा था कि वर्तमान शासनके अधिकारमें जानेके साथ यदि उनकी निर्योग्यताएँ दूर न हुई तो भी समाजकी कमसे कम उसके शेष अधिकारोंपर और आक्रमण होनेसे, दृढ़ताके साथ रक्षा की जायेगी।

आपको उन परिस्थितियोंका स्मरण होगा जिनके कारण १९०६ का एशियाई कानून संशोधन अध्यादेश वर्जित कर दिया गया था, और इसी तरह आपको यह भी पता होगा कि, विभिन्न प्रार्थनाओं और प्रतिवादोंके बावजूद, ट्रान्सवालकी वर्तमान उत्तरदायी सरकारने, महामहिमकी सरकारकी स्वीकृतिसे बिलकुल वैसा ही विधान पास कर लिया है।

महामहिमकी सरकार और जनरल बोथाको मेरी समितिके जो प्रतिवेदन व्यक्तिगत रूपसे दिये गये उनका इस आश्वासनके साथ स्वागत किया गया कि ट्रान्सवालकी सरकार द्वारा सम्बन्धित कानूनका अधिकसे अधिक नरमीके साथ और कमसे-कम कष्टदायी रूपमें प्रयोग होगा। यह दुःखकी बात है कि सरकारने प्रत्यक्षतः न तो उस कड़ाईको कम करना उचित समझा, जो मूल अध्यादेशमें विद्यमान थी और जिसको स्वीकृति नहीं दी गयी थी, और न अभी उन नियमोंको नरम बनाया जिनके अधीन इसका प्रयोग होना है।

नये अधिनियमसे सम्पूर्ण ब्रिटिश भारतीय समाजमें अत्यधिक रोष पैदा हो गया है और इसने इस साधारणतया विनम्र और कानून माननेवाली जातिको बिलकुल अभूतपूर्व ढगसे उभाड़ दिया है। वह समाज मुख्यतया निम्नलिखित आधारोंपर इसका विरोध करता है

(१) यह उस आश्वासनको तोड़ता है जो उच्चायुक्तने, उन्हें १९०३ में दिया था जब कि वे स्वेच्छया पुन पंजीयनके लिए तैयार हो गये थे।

(२) यह उनके इस देशमें रहनेके वर्तमान अधिकारको रद कर देता है और कलमके एक आघातसे वतमान अनुमतिपत्रों और प्रमाणपत्रोंको बेकार बना देता है, और जिनके पास वे है उनके ऊपर उनके अधिकारी होनेका सबूत देनेकी जिम्मेदारी डालता है।

(३) श्वेत उपनिवेशियोंके पूर्वग्रहोंका ध्यान रखते हुए उन्होंने जो स्वेच्छया पंजीयन स्वीकार किया था उसके स्थानपर यह उनके ऊपर अत्यन्त अपमानजनक स्थितिमें अनिवार्य पंजीयन लादता है। ब्रिटिश भारतीय जो कि भावुक है उनको यह विद्रोही बनाता है और समाजके रूपमें उन्हें दक्षिण आफ्रिकी जंगलियोंके स्तरपर ला देता है। वे कानून द्वारा एक निम्न कोटिकी अपराधी जातिके बना दिये जाते है।

(४) उन्हें भय है कि यह उनके ऊपर और उनकी स्वाधीनताके ऊपर और भी अधिक नियन्त्रण लागू करनेका पूर्वाभास है और दक्षिण आफ्रिकाके दूसरे उपनिवेशोंमें इसी प्रकारके विधान लागू करनेका बहाना है।

(५) यह पहलेसे ही उन्हें इस अपराधमें शामिल होनेका मुलजिम मान लेता है कि उन्होंने इस उपनिवेशको एशियाइयोंसे भर दिया है। इस इल्जामसे उन्होंने बराबर इनकार किया है और इसके बारेमें उन्होंने जाँच आयोगकी माँग की है।

(६) यह एक प्रतिक्रियावादी विधान है और सर्वोच्च ब्रिटिश परम्पराओंके विरुद्ध है।

इस प्रकार इस समाजकी आपत्ति पुन पंजीयन करानेपर नही है। उसके लिए तो उन्होंने स्वेच्छया पंजीयन करानेका वचन दिया है। दरअसल उन्हें आपत्ति है ऐसे भेदभावपूर्ण वर्ग विधानके परिणामस्वरूप उन्हें जो जातीय अपमान और पतनका अनुभव होता है, उसके विरुद्ध।

हाल ही में ब्रिटिश भारतीयोंकी सार्वजनिक सभाएँ हुई है जिनमें उपस्थिति दो हजार तक गई है। उनमें अच्छी स्थिति और महत्त्वके दूकानदारोंने और अच्छे व्यापारियों और फेरीवालोंने गम्भीरतापूर्वक प्रतिज्ञाएँ की है कि वे इस कानूनके अन्तिम दण्डको स्वीकार करेंगे और अपनी व्यक्तिगत स्वाधीनता ही नही बल्कि उनके पास जो कुछ भी सासारिक सम्पत्ति है उसका, नये विधानकी शर्तोंके अनुसार पुन पंजीयन करानेके बजाय, बलिदान कर देंगे। प्रिटोरियाके एशियाइयोंको सूचना दी गई थी कि उन्हें वर्तमान मासके प्रारम्भ होनेसे पहले नये प्रमाणपत्रोंके लिए अवश्य ही प्रार्थनापत्र दे देना चाहिए। उन्होंने भारी जुर्मानों और निर्वासनकी सजा भोगना पसन्द किया है परन्तु इससे कड़ाईके साथ दूर रहे है।

मेरी समितिके प्रतिवेदनोंके अतिरिक्त स्वयं ब्रिटिश भारतीयोंने ट्रान्सवालकी सरकारके समक्ष विभिन्न प्रार्थनापत्र भेजे है जिनमें उन्होंने प्रार्थनाएँ की है कि इस मामलेपर उनके दृष्टिकोणसे विचार किया जाये, परन्तु इसका कुछ परिणाम नही हुआ।

मेरी समितिका मत है कि वह समय आ गया है जब साम्राज्य सरकारको हस्तक्षेप करना चाहिए और उसका सादर निवेदन है कि उसकी विनम्र सम्मतिमें ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंको वे अधिकार अभीतक नही दिये गये है जिनके वे साम्राज्यकी सभ्य प्रजा होनेके नाते अधिकारी है और न अभी उन्हें महामहिमकी सरकारसे वह सरक्षण मिला है जो ट्रान्सवालपर ब्रिटेनका अधिकार हो जानेके बाद और अधिक निर्योग्यताओंके लादे जानेसे मिलना चाहिए।

ब्रिटिश भारतीयोंकी माँगें अत्यन्त साधारण है

(१) उस नये कानूनका रद किया जाना जिसके अनुसार नये सिरेसे पंजीयन अनिवार्य है, और उसके स्थानपर उनके स्वेच्छया पंजीयनके वचनका स्वीकार किया जाना। वर्तमान प्रमाणपत्रोंका नये प्रलेखके बदलेमें जो कि आपसी समझौते अनुसार हो, दे दिया जाना। स्वेच्छया पंजीयन न करानेकी

दशामें (यदि ऐसा कोई हो जिसकी सम्भावना बिलकुल नहीं है) एक छोटा सा अधिनियम होना चाहिए जिससे जिन एशियाइयोंके पास नये प्रमाणपत्र न हों, वे निर्वासित किये जा सकें।

(२) १८८५ का कानून ३ जहाँतक इसका ब्रिटिश भारतीयोंसे सम्बन्ध है, रद कर दिया जाये, परन्तु

(क) यूरोपीय उपनिवेशका एशियाइयोंकी बाढ़को रोकनेका अधिकार स्वीकार किया जाता है। ऐसा नियन्त्रण अब शान्ति रक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत हो रहा है और राजपत्रमें एक प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयककी सूचना छप चुकी है। इससे ऐसा प्रवास और भी सीमित किया जा सकेगा।

(ख) परवाना निकाय द्वारा (उसके निर्णयके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयमें अपीलके अधिकारके साथ) व्यापारी परवानोंके जारी करनेपर नियन्त्रणका सिद्धान्त इसी प्रकार स्वीकार किया जाता है।

(ग) श्वेत उपनिवेशियोंके वर्तमान पूर्वग्रहोंको ध्यानमें रखते हुए न तो राजनीतिक और न नगर पालिका सम्बन्धी किसी अधिकारकी माँग की जाती है।

कदाचित यहाँ यह कहना अनावश्यक होगा कि यह मामला केवल ऐसा घरेलू नहीं है कि इससे उपनिवेशका ही सम्बन्ध हो बल्कि यह सर्वोच्च साम्राज्यीय महत्त्वका है और इसके परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं।

हमें आशा और भरोसा है कि इस मामलेमें ब्रिटिश भारतीयोंकी ओरसे महामहिमकी सरकार द्वारा ट्रान्सवालकी सरकारके साथ मैत्रीपूर्ण लिखा पढ़ी वाञ्छनीय प्रभाव पैदा करेगी। मुझे यह भी निवेदन करनेके लिए कहा गया है कि यदि आप शिष्टमण्डलसे मिलना स्वीकार करें, तो कृपापूर्वक वैकल्पिक तारीख दें, क्योंकि समितिके कुछ सदस्योंके पास विभिन्न व्यवसाय हैं जिनको स्थगित करना उनके लिए असम्भव हो सकता है।

आपका आदि,
एल० डब्ल्यू० रिच
मन्त्री

[अंग्रेजीसे]

इंडिया ऑफिस रेकर्ड्स, जे० ऐंड पी० ३९२७/०७

परिशिष्ट ६

दस गिन्नियोंका पारितोषिक

'अनाक्रामक प्रतिरोधका नीतिशास्त्र' पर एक निबन्धके लिए

भारतीय इस समय ट्रान्सवालमें एक ऐसे अधिनियमके विरुद्ध अनाक्रामक प्रतिरोध संग्राम लड़ रहे हैं जो उनकी सम्मतिमें उनकी आत्माको चोट पहुँचाता है और इस पत्रने उस अनाक्रामक प्रतिरोध संग्रामको एक विनम्र तरीकेसे रास्ता दिखलाया है, दूसरे इस पत्रकी नीतिके नियन्त्रक अनाक्रामक प्रतिरोध सिद्धान्तकी सामान्य उपयोगिता प्रदर्शित करनेको इच्छुक हैं। इन दोनों कारणोंसे इसके प्रबन्धकोंने 'अनाक्रामक प्रतिरोधके नीतिशास्त्र' पर सर्वोत्तम निबन्धके लिए १० गिन्नियोंका पुरस्कार देनेका निश्चय किया है। इस पुरस्कारकी घोषणा इस लेख द्वारा की जाती है। धार्मिक रूपसे विचार करें, तो इस सिद्धान्तका अर्थ है, ईसाके इस प्रसिद्ध उपदेशका पालन करना कि 'पापका प्रतिरोध मत करो।' इस तरह यह सनातन और विश्वव्यापी प्रयोगकी बात है और यदि इसका अभ्यास बड़े पैमानेपर किया जाये तो यह पूर्णतया नहीं तो बड़ी हद तक कष्टोंसे मुक्ति प्राप्त करने या सुधारोंकी संस्थापना करनेमें पशुबल और वैसे ही तरीकोंका स्थान ले लेगा। इसलिए प्रबन्धकोंको आशा है कि दक्षिण आफ्रिकाके अच्छेसे अच्छे लोग, जिनके पास अवकाश हो, इस पुरस्कार प्रतियोगितामें भाग लेंगे। ये इस पुरस्कारके आर्थिक महत्त्वकी

दृष्टिसे नही बल्कि इस दृष्टिसे इसमें भाग लेंगे कि जीवनके एक ऐसे सिद्धान्तको स्पष्ट करना है जिसे, ससारके सर्वश्रेष्ठ विचारोका बल प्राप्त होनेपर भी, बहुत कम समझा जाता है, और उससे भी कम व्यवहारमे लाया जाता है।

इस प्रतियोगिताकी शत नीचे लिखे अनुसार है

(१) निबध साफ कागजके एक ही तरफ लिखा होना चाहिए। टाइप किया हो तो और अच्छा। हस्तलिपिपर प्रतियोगीका नाम नही होना चाहिए।

(२) वह चार परिच्छेदोमें विभक्त किया जा सकता है और "**इडियन ओपिनियन**" के दस स्तम्भोसे अधिकका नही होना चाहिए।

(३) उसमें थोरोके उच्च साहित्य 'सविनय अवज्ञाका धर्म', टॉल्स्टॉयकी कृतियाँ विशेषकर स्वगका राज्य आपके अन्दर है, की व्याख्या होनी चाहिए, उनमें बाइबिल तथा अन्य धर्म ग्रथोके प्रमाण और उदाहरण और इस प्रश्नपर 'सुकरातकी सफाई का भी प्रयोग होना चाहिए। इस सिद्धातके समथनमें आधुनिक इतिहासके उदाहरण भी देने चाहिए।

(४) यह सम्पादक **इडियन ओपिनियन,** फीनिक्स नेटालके नाम भेजा जाना चाहिए और इस मासकी ३० तारीख तक पहुँच जाना चाहिए।

(५) प्रबधकोको अधिकार होगा कि प्राप्त लेखोमेंसे जिसे भी चाहे प्रकाशित करें, और उसका अनुवाद करें, और यदि कोइ भी उपर्युक्त न प्रतीत हो तो सबको अस्वीकार कर दे।[१]

इडियन ओपिनियन, ९-११-१९०७

१ उक्त घोषणा निम्नलिखित परिवर्धनके साथ ३०-११-१९०७ के **इडियन ओपिनियन**में दोहराई गई थी, 'पूज्यपाद डॉ० जे० लैडो पीएच० डी० (वीएना) एम० ए० (केप) ने कृपापूर्वक इसका निर्णायक होना स्वीकार कर लिया है। इसके लिए जो समय दिया गया था वह बजाय ३० नवम्बरके, जैसा कि पहले घोषित किया गया था, ३१ दिसम्बर तक बढा दिया गया है। डॉ० लैडो चाहते है कि यह बात अच्छी तरह समझ ली जाये कि इसका निणय करनेमे वे सत्याग्रह के सिद्धातके राजनैतिक प्रयोगके गुण दोषके विवेचनमे नही पड़ेंगे। उनका कतव्य पूर्णतया प्राप्त निबधोके साहित्यिक और यथाथ मूल्याकन तक ही सीमित रहेगा।

किंतु उनके इनकार करनेपर उन निबधोको केन्द्रीय बपतिस्मा गिर्जाके पादरी पूज्यपाद जे० जे० डोकने देखा और जनवरी १७ १९०८ को उनपर अपना निर्णय दिया, देखिए **इडियन ओपिनियन,** २५-१-१९०८।

परिशिष्ट ७

ब्रिटिश भारतीय सघ, जोहानिसबर्ग

मार्च १९०६ से अगस्त १९०७ तकके आय व्ययके हिसाबका साराश

क

	पौ०	शि०	पे०
नकद लन्दन समिति	२८०	६	६
” तार	२७	१०	११
” समुद्री तार	१९२	१	९
” लिख्तनस्टाइन और लैकका ट्राम सम्बधी मुकदमा आदि	८८	१६	१०
कागज पेंसिल पत्र, आदि	१	३	६
” अखबार जिनमे रोजाना 'केप गजट' और प्रति सप्ताह 'इडियन ओपिनियन' की ३० प्रतियाँ लन्दन समितिको भेजना शामिल है	१६	१४	११
” टाइपिस्ट	४७	१०	०
” प्रार्थनापत्रो आदिकी छपाई	४१	११	४
बैठकोके लिए सभा भवनोका भाड़ा	२४	१६	६
” टिकट	४	७	४
” किराया (रेलवे अनेक शिष्ट मण्डलोके लिए)	२९	२	२
अखबारी तार	२	७	३
” अलेक्जेंडर	०	१०	६
” फुटकर, जिसमें विज्ञापन आदि शामिल है	२४	८	३
पौंड	७८१	२	९

ख

	पौ०	शि०	पे०
नकद नायडूसे	१८	०	०
तमिल समाजसे	२०	०	०
” हिंदू समाजसे	२५	०	०
रैंडर समितिसे	२०	०	०
” हमीदिया इस्लामिया अंजुमनसे	१४	०	०
” सी० एस० ए० आर०[1] से वापिसी	१	८	२
” रायटरसे वापसी	१	२	६
” वेस्ट एण्ड हालके बाबत वापसी	१	१०	०
” गुजरात हिंदू समाजसे	२२४	१०	९
” अलीभाई आकूजी द्वारा एकत्रित	१७	०	०
नायडू व क० द्वारा एकत्रित	१	४	०
” एम० ई० गाटूसे	०	८	०
” शिष्टमण्डलके हिसाबसे बचा	१६७	९	६
” सी० एम० वाल्बसे	३९	१०	०
” बैठकमें इकट्ठे किये	३०	१०	०
” ए० ए० पिल्लेसे	१	०	०
” आई० वी० टॉमससे	०	१०	०
” सुलेमान आई० मियाँ व क० से	१	१०	०
” नानजी वेलासे	७	०	०
स्पेलोनकेनमे चन्दा	१०	०	०
” व्याससे प्राप्त	०	२	४
” पहले प्राप्ति स्वीकृत	१०८	१०	७
” शेष उपलब्ध	९४	१७	५
पौंड	७८१	२	९

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, २६-१०-१९०७

1. सेन्ट्रल साउथ आफ्रिका रेलवे।

आय व्ययका संक्षिप्त हिसाब

सितम्बर [१, १९०७]से नवम्बर २३, १९०७ तक

क	पौ०	शि०	पे०
विज्ञापन–शिष्टमण्डल तथा संघ सम्बन्धी हिसाबमें	४	१५	०
समुद्री तार–प्रवासी विधेयक, दादाभाईके जन्म दिवसपर, प्रोफेसर गोखले व एस० बैनर्जीको तथा सम्राटके जन्म दिवसपर	१५	७	६
जर्मिस्टन तथा प्रिटोरिया तक का किराया	३	७	८
सिन्हा वासा रंगास्वामीके मामलेमें वकील ग्रेगरोवस्कीको रायके लिये	२	२	०
समाचारपत्र–केप गवर्नमेंट गजट, 'लीडर मेल तथा लन्दन समितिको प्रति सप्ताह इंडियन ओपिनियन की ३० प्रतियाँ	१०	१	०
छपाई–के० डिकिन्सन व क० प्रार्थना पत्रकी छपाई तथा जिल्द बँधवाई	१४	१	६
टिकट	३	४	८
फुटकर	०	१५	५
तार–पण्डितके मुकदमे आदिके सम्बन्धमे	८	१२	४
टाइपिस्ट, सितम्बर व नवम्बरमें	१०	०	०
पहलेका शेष	१४०	१८	१
	२१३	५	२

ख	पौ०	शि०	पे०
बचा पिछले हिसाबसे	९४	१७	५
कुनबियो द्वारा नकद संग्रह दूलब भागाके हथे	११	०	०
कंडक्टरने चेक नही भुनाइ	०	१०	०
नकद चिंदेक भारतीयोसे	३३	१५	९
नकद [दान] अल्बर्ट व क० से	२५	०	०
नकद जी० पी० नाससे–बाबत प्रिटोरियाका किराया	१	०	०
संघके खातेसे नकद वापस	१८	१५	०
हिन्दू समाजको कुरसियोकी बिक्री	१३	५	९
रस्टेनबर्गको संयुक्त सभा (युनाइटेड असेम्बली) से	१५	१	३
	२१३	५	२

[अंग्रेजीसे]

इंडियन ओपिनियन, ३०–११–१९०७

परिशिष्ट ८

ब्रिटिश भारतीय और ट्रान्सवाल

एल० डब्ल्यू० रिच

भूमिका

ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोकी शिकायतोके एक संक्षिप्त विवरणकी माँग बार-बार की गई है, इसीसे इस विषयका एक संक्षिप्त इतिहास लिखनेका खयाल आया। इस मामलेमें लोगोकी दिलचस्पी बढती जाती है। उनके सम्मुख संक्षेपमें तथ्योको रखनेका यह एक प्रयत्न है।

लेखक ट्रान्सवालमें अपने आगमनसे पूर्वके इतिहासके लिए सरकारी रिपोर्टोका ऋणी है। पीछेके अठारह वर्षोके तथ्य उसके अनुभूत तथ्य है।

इस लघु कृतिमें साहित्यिक योग्यताका कोई दावा नही है। इसकी शैली और रचना निस्सन्देह असख्य दोषोसे युक्त है। उनके सम्बन्धमें लेखक पहलेसे अपना दोष स्वीकार करता है। केवल तथ्योकी ओर सादर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

२८, क्वीन ऐन्स चैम्बर्स, एस० डब्ल्यू०

७–११–१९०७

ब्रिटिश भारतीय और ट्रान्सवाल[1]

बोअर गणराज्यमें

ट्रान्सवालके भारतीय जिन निर्योग्यताओसे पीडित है उनका इतिहास १८८५ से आरम्भ होता है जब महामहिम सम्राट्की सरकार और ट्रान्सवालकी गणतन्त्रीय सरकारमें झगडा शुरू हुआ था। उस समय यूरोपीय व्यापारियोने जिनमेंसे बहुतसे न तो ट्रान्सवालके नागरिक थे और न तबतक ब्रिटिश प्रजाजन ही थे, अपने प्रतिस्पर्धी उन कथित अरब यापारियोके विरुद्ध कानून बनानेके लिए ट्रान्सवाल सरकारपर दबाव डाला जिनम से बहुतस वस्तुत ब्रिटिश भारतीय थे।

लन्दन समझौतेकी धारा १४ मे कहा गया था कि वतनियोके अलावा बाकी मब लोगोको, जो दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके कानूनका पालन करते हो

(क) अपने परिवारो सहित दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके किसी भी भागमें प्रवेश करने, यात्रा करने या रहनेकी पूरो स्वतन्त्रता होगी,

(ख) मकानो, कारखानो, गोदामो, दूकानो और अन्य स्थानोकी मिल्कियत रखने या उनको किरायेपर लेनेका अधिकार हागा, और

(ग) स्वय या कारकूनोके द्वारा जिनको वे नियुक्त करना ठीक समझ यापार यवसाय चलानेकी अनुमति होगी।

१८८५ में ट्रान्सवालके राज्य सचिवने (तत्कालीन उपनिवेश मत्री) लॉर्ड डर्बीको पत्र लिखा कि उनकी सरकार प्राच्य देशीय लोगोके जो प्राय दूकानदार है और जो गणराज्यम बस गये है, नियन्त्रणके लिए कानून बनाना चाहती है। उन्होने महामहिम सम्राट्की सरकारसे इस सम्बधमें अपनी सम्मति यक्त करनेकी प्रार्थना की कि क्या उक्त धारा १४के अन्तर्गत ऐसा कानून बनाना विधान-सम्मत होगा।

तत्कालीन उच्चायुक्त सर हर्क्युलीज रॉबिन्सनने राज्य सचिवके पत्रकी पुष्टि इस सिफारिशके साथ की कि पूर्वोक्त धारा १४ मे वतनियो शब्दको जगह **'आफ्रिकी वतनी या चीनी कुली प्रवासी'** कर दिया जाये। इसमे खयाल यह था कि 'अरब यापारियोके जो स्वार्थ स्थापित हो चुके है उनका सुरक्षित रखा जाये और गणराज्यके हीन वर्गके एशियाइयो जैसे कुली प्रवासियोके विरुद्ध कानून बनानेकी स्वत त्रता दे दी जाये। फलस्वरूप दक्षिण आफ्रिकी गणत त्री सरकारने १८८५ का कानून ३, जो बादमें १८८६ मे सशोधित किया गया, स्वीकृत किया। यह 'एक एशियाइ' आदिम जातिके लोगोपर लागू होता था। और उसके अन्तर्गत उन्हें

(क) गणतत्रमें रहने या व्यापार करनेके अधिकार प्राप्त करनेके लिए ३ पौंड शुल्क देना आवश्यक था,

(ख) नागरिक अधिकारके उपयोगसे वचित कर दिया गया था,

(ग) अपने नाम स्थावर सम्पत्ति खरीदनेकी मनाही थी, और

(घ) केवल उन गलियो मुहल्लों और बस्तियोमें रहनेकी अनुमति थी जिनका निर्देश किया जाये।

इसके विरुद्ध तुरन्त ब्रिटिश भारतीयोकी शिकायतें सुनाई दी क्योकि दक्षिण आफ्रिको गणराज्य इस कानूनको **बिना किसी भेदभावके** गणराज्यमें रहनेवाले सब एशियाइयोपर लागू करना अपना अधिकार मानता था। यह लगभग निश्चित है कि खास ट्रान्सवालमें भारतीय कुली कभी नही आये है। इसलिए १८८५ का कानून ३ अरब व्यापारियोपर लागू करनेकी दृष्टिसे ही बनाया गया होगा और यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि ऊपर बताये गये ६ जनवरीके प्रस्तावपर मजूरी देनेमें साम्राज्य सरकार और गणत त्री सरकारका आशय एक न था।

साम्राज्य सरकारने बार बार कहा कि कानून ३ की यारया उस समझौतेके विरुद्ध है जिसके अन्तर्गत साम्राज्य सरकारने कानूनको पास करनेकी मजूरी दी और उससे लन्दनका समझौता भी भग होता है। इसके फलस्वरूप एक समझौता हुआ और गलियो मुहल्लो और बस्तियोंमें निवास-सम्बधी धारामें शर्तके रूपमें "सफाईके उद्देश्यसे'

१ पाठ मूल पाद टिप्पणियोके साथ उद्धृत किया जा रहा है।

श द जोड दिये गये और इन ' सफाईके उद्देश्यसे निश्चित गलियो आदिमें स्थावर सम्पत्ति खरीदनेका अधिकार भी मान लिया गया। कि तु यहाँ फिर, **"महामहिम सम्राट्की सरकारने यह समझा कि सशोधित कानून सफाई सम्ब धी कानून है और इसलिए यापारियो और उन अन्य यक्तियोपर लागू न किया जायेगा जिनका रहन सहन ऊँचा है, बल्कि कुलियोपर लागू किया जायेगा।"*** इसके अनुसार उसने सशोधित कानूनको मान लिया और ल दन समझौतेकी धारा १४ के उल्लघनकी बात छोड दी।

कि तु गणराज्य सरकार इस बातपर अडी रही कि कानून ' सब एशियाइयोपर समान रूपसे लागू हो इसलिए उसने याख्या की कि निवास स्थान शब्दोमें यापारकी और रहनेकी दोनो जगहें शामिल है। दोनो सरकारोके बीच फिर बातचीत चली और उसके फलस्वरूप मामला पचको सौप दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप यह फैसला दिया गया ' गणराज्यकी सरकारको इस कानूनको पूरी तरह अमलमे लानेका पूरा अधिकार है। कि तु उसे सामा यत देशके यायालयोकी एकमात्र और विशिष्ट यारया माननी होगी। चूँकि यह मान लिया गया था कि इससे दो सरकारोके बीचके विवादग्रस्त कानूनो और अ तर्राष्ट्रीय प्रश्नका समाधान हो जाता है, इसलिए यह फैसला मजूर कर लिया गया। किन्तु श्री चैम्बरलेनने भारतीय यापारियोका ओरसे जिनके साथ उ होने सहानुभूति प्रकट की गणराज्यकी सरकारसे लिखा पढ़ी करने और सम्भव हो तो उसको यह विचार करनेके लिए निमन्त्रित करनेका अधिकार निश्चित रूपसे अपने पास रखा कि

> ' क्या स्थितिपर नये दृष्टिकोणसे पुन विचार करना बुद्धिमत्तापूर्ण न होगा। और क्या यह तय करना भी कि उसके अपने नागरिकोके हितकी दृष्टिसे भारतीयोसे अधिक उदारताका बर्ताव करना और प्रकटत यापारिक ईर्ष्याको बढ़ावा देनेसे मुक्त होना अधिक अच्छा न होगा। उनके पास यह विश्वास करनेके कारण है कि यह यापारिक ईर्ष्या गणराज्यके शासक दलसे उत्पन्न नही हुई।*

१८९८ में ट्रान्सवालके सर्वोच्च यायालयने यह यारयाकी कि निवास में यापार सम्मिलित है। फलस्वरूप तैयब हाजी मुहम्मद खाँ नामके एक ब्रिटिश भारतीयको अपने निवास और यवसायके स्थानके रूपमें प्रिटोरिया त्यागनेका नोटिस दिया गया और यह अप्रत्यक्ष रूपसे सब ब्रिटिश भारतीयोपर लागू होता था।

दोनो सरकारोके बीच आगे फिर पत्र व्यवहार हुआ। ट्रान्सवाल सरकार स्पष्टत रग सम्ब धी विचारोके आधारपर कानून बनानेका प्रयत्न कर रही थी जैसा कानून ३ के अमलमें केपके रगदार लोगो और एशियाइयो को सम्मिलित करनेके प्रस्तावसे प्रकट होता है। दूसरी ओर साम्राज्य सरकारके प्रयत्नोमे यह इच्छा प्रतिलक्षित होती है कि उन सबको, जो केवल कुली नही है, कानूनके अपमानजनक प्रभावोसे बचाया जाये, श्री लिटिलटनके शब्दोमें

> "इसलिए युद्धके आरम्भतक ब्रिटिश सरकारने पहले अधिकारके रूपमें और १८९५ के पच फैसलेके अनुसार कूटनीतिक प्रयत्नोसे ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय अधिवासियोके हितोको कायम रखा, और इन सहप्रजाजनोके प्रति यवहार भूतपूर्व दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके विरुद्ध ब्रिटिश मामलेका एक अग था।'*

लॉर्ड लेसडाउन और लॉर्ड सेल्बोर्नके भाषणोसे जिनका अब ऐतिहासिक महत्त्व हो गया है, यह समझा जा सकता है कि अ य प्रमुख राजनयिक ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीय अधिवासियोके विरुद्ध भेदभावकारी कानूनको कैसा समझते थे। नये ट्रान्सवाल उपनिवेशके अपेक्षाकृत अधिक नये कानूनको ध्यानमें रखते हुए इन शब्दोको दुहराना सम्भवत ठीक होगा। मार्क्विस ऑफ लसडाउनने १८९९ में शेफील्डमें भाषण देते हुए कहा था

> ' महारानीके भारतीय प्रजाजनोकी खासी सरया ट्रान्सवालमें है। उनके विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यके यवहारसे मेरे मनमे जितना रोष उत्पन्न होता है उतना मै नही जानता कि उसके किसी अन्य कुकृत्यसे उत्पन्न होता है। और इससे जो हानि होती है वह स्थानीय पीडितो तक ही सीमित नही है। जब ये गरीब लोग अपने देशको लौटेंगे और अपने मित्रोको यह बतायेंगे कि महामहिम सम्राज्ञीकी सरकार जो ३० करोड आबादीके देश भारतमें ऐसी शक्तिशाली और दुर्धर्ष है दक्षिण आफ्रिकाके एक छोटे से राज्यसे उनकी शिकायत दूर करानेमें असमर्थ है तब आपके खयालसे भारतमें क्या प्रभाव होगा?

* श्री लिटिलटनका वाइकाउट मिलनरको पत्र जुलाई २० १९०४, सी० डी० २,२३९।

लॉर्ड सेल्बोर्नके विचार भी कम प्रभावकारी नहीं हैं

> लॉर्ड महोदयने प्रश्न किया है यह देखना हमारा कर्तव्य है या नहीं कि हमारे काले सहप्रजाजनोंसे ट्रान्सवालमें जहाँ उन्हें जानेका पूरा अधिकार है वैसा बरताव किया जाये जैसा व्यवहार करनेका महारानीने हमारी ओरसे वचन दिया है? यदि आप मुझसे सहमत हैं और यह मानते हैं कि हमें इन प्रश्नोंका उत्तर अपने देशवासियों और इतिहासके सम्मुख न्यासियोंके रूपमें देना है तो आप मुझसे इस बातमें भी सहमत होंगे कि कर्तव्यका पथ भावनासे नहीं बल्कि विशुद्ध तथ्योंसे नियन्त्रित होना चाहिए हम समस्त संसारमें अपने बन्धुओंके न्यासी हैं हम अपने विभिन्न जातियों और रंगोंके सह प्रजाजनोंके भी न्यासी हैं इन सबके और इनके बच्चोंके जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है। इसलिए हमें ऐसे संकटकालमें जैसा यह है जो कसौटी लगानी है वह कर्तव्यकी सीधी सादी कसौटी है। यह देखना हमारा कर्तव्य है या नहीं कि इन लोगोंके, जिनका हमने उल्लेख किया है अधिकारों और भावी हितोंकी रक्षा की जाय क्या ब्रिटिश सरकार अपने नामका मान रखेगी और जो वचन उसने दिये हैं उनको सचाईसे पूरा करेगी? क्या वह यह देखेगी कि ब्रिटिश प्रजाजन चाहे संसारमें कहीं भी जायें और चाहे वे गोरे हों या काले उनको उनके वे अधिकार दिये जायेंगे जो उनकी महारानीने उनके लिए सुनिश्चित किये हैं?

किन्तु यह ध्यानमें रखना चाहिए कि गणतन्त्रकी सरकारके शासनमें कानून ३ का अमल इतनी नरमीसे किया जाता था कि वह लगभग अमल न होनेके बराबर ही था। जब ३ पौंड शुल्क दे दिया जाता था तो उसकी रसीद अवश्य दी जाती थी और उस शुल्कके अंकित होनेसे ही पंजीयन हो जाता था, किन्तु उसको अमलमें लानेका गम्भीर प्रयत्न कभी नहीं किया गया। कुछ भी हो, वह केवल व्यापारियोंसे लिया जाता था और उनमें भी सबसे नहीं। किन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात मुख्यत वर्तमान पंजीयन विवादको देखते हुए यह है कि यद्यपि 'पंजीयन' शब्दका प्रयोग इस ३ पौंडी शुल्ककी अदायगी और वसूलीके सम्बन्धमें किया जाता था, किन्तु उसमें व्यक्तिगत शिनाख्त जैसी कोई बात जो ट्रान्सवाल विलयके बाद उत्पन्न होनेवाली एक बिलकुल नई बात है कभी नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त ढिलाईके साथ लगाये गये ३ पौंडके करके सिवा एशियाई प्रवासियोंपर कोई प्रतिबन्ध न था। इस सम्बन्धमें कप्तान हैमिल्टन फाउलकी, जो १९०३ में एशियाई पंजीयक थे रिपोर्ट ज्ञानवर्धक है। रिपोर्टमें कहा गया है कि

> तीनको छोड़कर, एशियाइयोंकी कोई पंजिका या उनके कोई अन्य कागजात, जो पिछली बोअर सरकारने रखे थे (यदि ऐसे कागजात कभी रखे गये हों तो) किसी जिलेमें नहीं मिले।

ट्रान्सवालके वे ब्रिटिश भारतीय जिनमें से अधिकतर निस्सन्देह युद्धकालमें देशसे चले जानेके लिए बाध्य कर दिये गये थे प्रिटोरियापर ब्रिटिश ध्वज लहराते ही इत्मीनानके साथ कानून ३ का वापसीकी आशा करते थे। यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। सचमुच अपनी ब्रिटिश नागरिकताके कारण वे बोअरोंके कानूनके कई तर्कसम्मत परिणामोंसे बच गये थे, किन्तु कानून ३ फिर भी परेशान करता था क्योंकि उसने उनपर हीनताकी छाप लगा दी थी और सिद्धान्तत ही सही उनको केप और नेटालमें जहाँसे उनमेंसे बहुतसे लोग आये थे, जो दर्जा प्राप्त था उससे उनका दर्जा नीचा कर दिया था।

यद्यपि १८८५ के कानून ३ की जिस धारासे भारतीयोंका नागरिकताके अधिकार प्राप्त करनेसे वंचित किया जाता था उसका निस्सन्देह कठोरतासे अमलमें लाया जाता था तथापि उनको उन गलियों, मुहल्लों और बस्तियोंमें, जिनका निर्देश किया जाये, हटानेकी बात गणतन्त्रीय सरकारके शासनमें कभी लागू नहीं की गई।

विलयके बाद

ट्रान्सवाल विलयका सबसे पहला प्रभाव जो ब्रिटिश भारतीयोंपर हुआ, उन एशियाइयोंका निष्कासन था जो यह न सिद्ध कर सकें कि वे युद्ध पूर्वके वैध अधिवासी हैं। १९०२ में नई सरकारने "सुव्यवस्था और सुशासन एवं सार्वजनिक सुरक्षाको कायम रखने" के लिए शान्ति रक्षा अध्यादेश (१९०३ के कानून ५ द्वारा संशोधित रूपमें १९०२ का ३८ वाँ कानून) के नामसे एक कानून बनाया। फौजी शासन वापस ले लिया गया था और

राजद्रोह एवं देशद्रोहके विरुद्ध नया अध्यादेश लागू कर दिया गया था। १९०३ के संशोधनके अनुसार उपनिवेशमें जो लोग आये उन सबके लिए परवाने लेनेका नियम था। उसकी आवश्यक शर्त थी कि ये परवाने उन नागरिकोंका नहीं दिये जायेंगे जो राजभक्तिकी शपथ न ले सकें। इससे पर्याप्त रूपसे प्रकट हो जाता है कि अध्यादेशका उद्देश्य क्या था। किन्तु इस नये कानूनका प्रयोग भारतीय प्रवासी प्रतिबन्धक अधिनियमके रूपमें किया गया। देशके इतिहासमें पहली बार एक एशियाई विभागकी स्थापना की गई। परवाने देनेमें अनुचित कार्रवाई और भ्रष्टाचारके परिणामस्वरूप दो प्रधान अधिकारियोंपर मुकदमे चलाये गये और उसके बाद एशियाई विभाग भंग कर दिया गया। उसका काम मुख्य परवाना अधिकारीको सौंप दिया गया एवं अन्ततः एशियाई संरक्षक नामका एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। १९०२ में उच्चायुक्तने उपनिवेश मन्त्रीको ट्रान्सवाल सरकारके कुछ विधिवत् प्रस्ताव तारसे भेजे। इनमें ये प्रस्ताव थे कि सब एशियाई चाहे वे तब ट्रान्सवालमें रहते हों या बादमें प्रविष्ट हुए हों पंजीयन प्रमाणपत्र लें और ये प्रमाणपत्र ३ पौंड देकर प्रति वर्ष नये कराये जायें, ऐसे पंजीकृत एशियाई (यदि यूरोपीय मालिकके साथ न रहते हों तो) अपने लिए विशेष रूपसे व्यापार और निवासके निमित्त निश्चित की गई बस्तियोंमें चले जायें, शिक्षित और सभ्य एशियाई पंजीयनसे मुक्त हों, एशियाइयोंको शहरी क्षेत्रोंमें वास्तविक जमीन जायदाद खरीदने और रखनेका अधिकार हो। इन प्रस्तावोंका उत्तर उपनिवेश मन्त्रीने यह दिया :

> इसका समर्थन करना असम्भव है, यह तो लगभग दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी प्रणालीको जारी रखना होगा जिसके विरुद्ध महामहिम सम्राट्की सरकारने बार बार इतनी जोरदार आपत्ति की थी।*

१९०३ में ट्रान्सवाल सरकारने भारतसे १०,००० कुली मँगानेके लिए कुछ प्रस्ताव किये जिसे भारत सरकारने इस शर्तपर मान लेनेका वचन दिया कि ट्रान्सवालमें इस समय जो भारतीय रहते हैं उनको प्रभावित करनेवाली वर्तमान निर्योग्यताएँ हटा दी जायें।

इसी वर्ष उच्चायुक्तने उपनिवेश मन्त्रीको एक अन्य खरीता भेजा और उसके साथ सरकारी नोटिसकी एक प्रति भी भेजी। नोटिसमें कहा गया था कि सरकारने १८८५ के बोअरोंके बनाये गये कानून ३ की उस धाराको लागू करनेका निश्चय किया है जो एशियाइयोंको विशेष गलियों, मुहल्लों और बस्तियोंमें हटानेके सम्बन्धमें है। इनमें केवल एशियाई ही रह सकेंगे और व्यापार कर सकेंगे। एशियाइयोंको इन बस्तियोंके अतिरिक्त अन्य स्थानोंमें व्यापार करनेके परवाने न दिये जायेंगे, जिन एशियाइयोंके पास युद्धसे पूर्व इन (एशियाई) बाजारोंके बाहर व्यापार करनेके परवाने थे, उनके परवाने उन्हीं शर्तोंपर उपनिवेशमें वे जबतक रहें तबतक नये किये जा सकते हैं, **किन्तु वे हस्तान्तरित नहीं किये जा सकेंगे**, शिक्षित और सम्मानित एशियाई इन सब प्रतिबन्धोंसे मुक्त होंगे। वर्तमान निर्योग्यताओंमें ये परिवर्तन प्रत्यक्ष है, भारत सरकारको सन्तुष्ट करने और उसे ट्रान्सवालके सार्वजनिक कामोंके लिए कुली मजदूर मँगानेकी मंजूरी देनेके लिए राजी करनेके उद्देश्यसे किये गये थे। ट्रान्सवाल सरकारने इसके अतिरिक्त यह प्रस्ताव किया था कि प्रवासका नियन्त्रण केप और नेटालमें लागू कानूनोंसे मिलते जुलते कानून द्वारा किया जाये और अधिनियमके अन्तर्गत लागू की गई शिक्षा परीक्षामें भारतीय और यूरोपीय भाषाएँ स्वीकार की जायें। यह सुझाव भारत सरकारने भेजा था। किन्तु ट्रान्सवाल सरकारने आगे विचार करनेपर अपना यह अंतिम प्रस्ताव वापस ले लिया और समय आनेपर उसका विरोध किया। उसने विकल्पके रूपमें यह सुझाव दिया :

(क) केप और नेटालके अधिनियमोंके आधारपर प्रवासी प्रतिबन्धक कानून बनाया जाये जिसमें अन्य बातोंके साथ साथ भावी प्रवासियोंके लिए शिक्षा परीक्षाकी व्यवस्था हो, किन्तु इसके लिए भारतीय भाषाएँ स्वीकार न की जायें,

(ख) भारतीयोंके सम्बन्धमें सरकारके नोटिस (१९०३ का ३५६) के आधारपर जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है एक कानून बनाया जाये। इसमें यह व्यवस्था हो :

* श्री लिटिलटनका पूर्व उल्लिखित वाइकाउंट मिलनरको पत्र।

(१) वे एशियाई जो उपनिवेशके औपनिवेशिक सचिवको यह संतोष दिला सकें कि उनके रहन सहनका तरीका यूरोपीय विचारोंके अनुसार है, अपने नौकरों सहित बस्तियोंके बाहर रहने दिये जायें, किन्तु उनको बस्तियोंके बाहर व्यापार न करने दिया जाये बशर्ते कि वे (२) के अंतर्गत न आते हों,

(२) जो एशियाई युद्धसे पूर्व बस्तियोंके बाहर अपना व्यवसाय जमा चुके थे उनको न छेड़ा जाये,

(३) उक्त दो अपवादोंके अतिरिक्त सब एशियाइयोंके लिए बस्तियोंमें व्यापार करने और रहनेका नियम हो, एवं उनके लिए बाहर जमीन खरीदना निषिद्ध हो यह व्यवस्था उस जमीनपर लागू न हो जो अलग कर दी गई है और धार्मिक कार्योंके लिए प्रयुक्त होती है,

(४) ट्रान्सवालमें आनेवाले सब एशियाई जबतक उनको विशेष रूपसे मुक्त न किया जाये, ३ पौंड देकर पंजीयन प्रमाणपत्र लें,

(५) यदि ऊपर बताया गया प्रवासी कानून पास न हो तो फेरीवालोंको परवाने देनेपर कोई रोक न लगाई जाये।

इसके उत्तरमें उपनिवेश मन्त्रीने उन ब्रिटिश भारतीयोंमें जो इस समय ट्रान्सवालके अधिवासी हैं, और जो भविष्यमें आयेंगे अन्तर किया। उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्यकी रक्षाके लिए आवश्यक बुद्धि संगत सावधानियोंके अतिरिक्त अन्य सब कार्रवाइयोंकी निन्दा की और यह निर्देश किया

'इस समय देशमें ब्रिटिश भारतीयोंकी संख्या अपेक्षाकृत कम है और प्रवासपर प्रस्तावित प्रतिबन्धोंके अन्तर्गत कम होती जायेगी, इसलिए उनसे आशंकित व्यापारिक स्पर्धा प्रस्तावित कानूनको बनानेका पर्याप्त कारण नहीं मानी जा सकती। महामहिम सम्राट्की सरकारने भूतकालमें लगातार यह प्रयत्न किया है कि उसके विचार इस भयसे प्रभावित न हों। इसके विपरीत उसने इस सम्बन्धमें पिछले दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यकी नीति और उसके कानूनोंके विरुद्ध साम्राज्य और सभ्य संसारके सम्मुख बारबार विरोध किया है। दरअसल वे अंशतः ही लागू किये गये थे। किन्तु अब महामहिम सम्राट्की सरकारसे उनको केवल कड़ाईसे लागू करनेकी माँग ही नहीं की जा रही है बल्कि कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालयके उस निर्णयको भी रद करनेके लिए कहा जा रहा है जिससे ब्रिटिश भारतीयोंको वे अधिकार दिये गये हैं जिनके लिए महामहिम सम्राट्की सरकारने अत्यन्त संघर्ष किया है महामहिमकी सरकार यह मानती है कि अधिवासी ब्रिटिश भारतीयोंपर ऐसी निर्योग्यताएँ लागू करना जिनके विरुद्ध हमने आपत्ति की थी और जिन्हें यदि ठीक व्याख्या करें तो पिछले दक्षिण आफ्रिकी गणराज्यने भी उनपर लागू नहीं किया था, हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठाके विरुद्ध है। इस सरकारको इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जब यह बात ध्यानमें आयेगी तो उपनिवेशका लोकमत इस माँगका समर्थन करेगा जो प्रस्तुत की गई है।

इसलिए दूसरे प्रस्तावित अध्यादेशसे जो १८८५ के कानून ३ का स्थान लेगा, उनके बस्तियोंके बाहर व्यापार करनेके अधिकारोंमें हस्तक्षेप न होना चाहिए जो इस समय देशमें हैं। जमीन खरीदनेके प्रश्नके सम्बन्धमें, जिन ब्रिटिश भारतीयोंको बस्तियोंसे बाहर रहनेका अधिकार है उनको कमसे कम उन स्थानोंमें जायदाद लेनेका अधिकार होना चाहिए जिनपर व्यवसायके निमित्त उनका कब्जा है।

उन्होंने दूसरे प्रश्न अर्थात् भावी प्रवासियोंके प्रश्नपर कहा

'महामहिम सम्राट्की सरकारको अत्यन्त खेद है कि साम्राज्यके भीतर ब्रिटिश भारतीयोंके स्वतन्त्र आवागमनको रोकनेकी आवश्यकता है, इसलिए वह अनुभव करती है कि वह ट्रान्सवालकी विधान परिषद्में उन कानूनोंके आधारपर प्रवासपर प्रतिबन्ध लगानेका कानून अभी पास करनेके बारेमें लगाई गई अपनी रोक वापस नहीं ले सकती।" यह निश्चित प्रतीत होता है कि जो लोग अब भी प्रस्तावित प्रवासी प्रतिबन्धक अध्यादेशकी हदमें आते हैं, और वे बहुत कम होने चाहिए, वे निम्न वर्गके एशियाई न होंगे, और इसलिए ऐसे लोग न होंगे जिन्हें सफाईके ख्यालसे विशेष बस्तियोंमें रखा जाना जरूरी हो। मेरी रायमें जबतक यह सिद्ध न हो कि प्रवासी प्रतिबन्धक अध्यादेशसे प्रवासियोंकी बाढ़ न्यूनतम

> नहीं हो सकी है न्सी उससे होनेकी आशा की जाती है, तबतक, और यह देखते हुए कि केप कालोनी या नेटालमें तो वैसा कानून बन नहीं रहा है, वर्तमान अधिवेशनमें जो अध्यादेश पास किया जाता है उससे नवागन्तुकोंका व्यापार सम्बन्धी अधिकार कम नहीं किया जाना चाहिए। *

यह बताना शायद आवश्यक हो कि करीब करीब १९०३ के अखीरमें प्रिटोरियाके एक व्यापारी हबीब मोटनने 'निवास स्थान' शब्दोंके सम्बन्धमें १८८५ के कानून ३ की पहले जो व्याख्या की गई थी उसपर न्यायालयसे अपने पक्षमें निर्णय प्राप्त किया था। नये निर्णयका प्रभाव यह हुआ कि एशियाइयोंको बस्तियोंसे बाहर व्यापार करनेका (किन्तु रहनेका नहीं) अधिकार मिल गया।

इसी वर्ष ट्रान्सवाल सरकारने निर्णय किया कि १८८५ के कानून ३ की ३ पौंड प्रवेश शुल्ककी अदायगीसे सम्बन्धित धारा कड़ाईसे लागू की जाये। इसका नतीजा यह हुआ कि ५,०६६ भारतीयों और ५१५ चीनियोंसे १६,७४३ पौंड वसूल किये गये, क्योंकि ये लोग अधिकारियोंको यह विश्वास न दिला सके कि उन्होंने पहले गणराज्यकी सरकारको वह शुल्क अदा कर दिया था। इसी प्रकार समस्त एशियाई वर्गके पुनः पंजीयनका निश्चय किया गया, किन्तु भारतीयोंने इसपर आपत्ति की। उनका कहना था कि वे पहले ही कानूनके अनुसार कार्रवाई कर चुके हैं। किन्तु उच्चायुक्तने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी आपत्तियोंपर आग्रह न करें। उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि पंजीयनसे उनकी रक्षा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि

> एक बार पंजिकामें नाम दर्ज होनेपर उनकी स्थिति मजबूत हो जायेगी और उसके बाद पंजीयनकी आवश्यकता न होगी, और न उन्हें नया परवाना लेना होगा। इस पंजीयनसे उनको यहाँ रहनेका अधिकार मिल जायेगा और साथ ही आने और जानेका अधिकार भी।

चूँकि भारतीय समझौतेके लिए सदा उत्सुक रहते हैं और उन्हें ब्रिटिश उच्चायुक्त जैसे ऊँचे अधिकारीके वचनपर विश्वास भी था, इसलिए उन्होंने वैसा ही किया। जो नये प्रमाणपत्र दिये गये उनमें ये बातें थीं: प्रमाणपत्रोंके मालिकोंके नाम, जन्म स्थान और धंधा, इससे पहलेका पता और हस्ताक्षर, उनकी पत्नियोंके नाम, बच्चोंकी संख्या, प्रमाणपत्रोंके मालिकोंकी उम्र, उनकी विशेष हुलिया और अंगूठा निशानियाँ।

इस प्रकार "पंजीयन" पहले तो एशियाइयोंकी जिनमें ब्रिटिश भारतीय भी थे, शिनाख्तका एक तरीका हो गया, किन्तु वह अभीतक ऐच्छिक पंजीयन था। वह भेदभावकारी कानूनसे लागू नहीं किया गया था जैसा वह उसके बाद १९०७ के एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके रूपमें लागू किया गया है।

एशियाई कानून संशोधन अध्यादेश (१९०६ का कानून २९) जो बादमें ट्रान्सवालकी उत्तरदायी सरकारने फिर बनाया ब्रिटिश भारतीयोंके दर्जेको कम करनेकी दिशामें अगला कदम था। इसके अंतर्गत एशियाइयोंके पंजीयनसे सम्बन्धित १८८५ के बोअर कानून ३ की धारा २ का खण्ड-ग रद कर दिया गया है। इस धाराके अनुसार उन "एशियाइयोंको ही पंजीयन कराना लाजिमी था जो एशियाके किसी वतनी जातिके लोग थे और 'गणराज्यमें व्यापार करनेके लिए या अन्य उद्देश्यसे बसना चाहते थे। इनमें कथित कुली अरब, मलायी और तुर्की राज्यके मुसलमान सम्मिलित थे। उन्हें 'पंजीयन' गणराज्यमें प्रवेशके बाद आठ दिनके भीतर कराना था और जो लोग गणराज्यमें इस कानूनके लागू होनेसे पहले आबाद हो चुके हैं उनको इसका कोई पैसा नहीं देना था। इस प्रकार 'एशियाइयोंके' प्रवासपर कोई प्रतिबंध न था, बल्कि केवल तभी ३ पौंड शुल्क देना और "पंजीयन कराना" आवश्यक था जब प्रवासी बसना चाहे। इस उपखण्डको रद करनेसे एशियाइयोंका इस रकमके बदले ट्रान्सवालमें प्रवेशका निहित अधिकार समाप्त हो गया। यह स्मरणीय है कि अंग्रेजोंका अधिकार होनेके बादसे शान्ति रक्षा अध्यादेशका प्रयोग एशियाइयोंको अवांछनीय प्रवासी मान कर प्रवेशसे रोकनेके लिए प्रभावपूर्ण ढंगसे किया गया है।

* श्री लिटिल्टनका वाइकाउंट मिलनरको पूर्व उल्लिखित पत्र।

अब उपनिवेशके सभी वैध निवासी एशियाई १९०७ के कानूनसे नये सिरेसे पंजीयन करानेके लिए पेश होने, एशियाई पंजीयकको उपनिवेशमें अपने रहनेके अधिकारके सम्बन्धमें सन्तुष्ट करने और यदि उसमें सफल हो जाय तो जो कानून छोटी छोटी बातोंमें इतने अपमानकारी ढंगका है कि उसके कारण अबतक नम्रतासे रहनेवाले लोगोंको खुला विद्रोह करना पड़ा है उससे सलग्न नियमोंके अन्तर्गत दी हुई विधिसे निजी जाँच करानेके लिए बाध्य हैं। प्रार्थीको अपना पूरा नाम प्रजाति जाति या सम्प्रदाय आयु हुलिया निवासस्थान धंधा, जन्मस्थान, ट्रान्सवालमें पहली बार आनेकी तारीख, ३१ मई १९०२ को जहाँ थे उस स्थानका नाम, पिताका और माँका नाम पत्नीका नाम बेटे और आठ वर्षसे कम आयुके आश्रित बालक उनके नाम उनकी आयु और संरक्षकके साथ उनका सम्बन्ध, यह सब ब्योरा देना लाजिमी होता है। इसके अतिरिक्त उसको अपने दोनों हाथोंके अँगूठे, अपनी तर्जनी मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका अँगुलियोंकी निशानियाँ और प्रत्येक हाथकी चारों अँगुलियोंका एक साथ निशानी देनेका नियम है। इसका अर्थ यह है कि एशियाई अधिवासियोंके वर्तमान अधिकार, जो उन्हें ट्रान्सवाल सरकारके अधीन मिले थे और जिनके सम्बन्धमें लॉर्ड मिलनरने १९०३ में फिर आश्वासन दिया था बिना विचारे अवैध कर दिये गये हैं और उनकी सत्यता पुनः सिद्ध करनेका भार उनके मालिकोंपर डाल दिया गया है। उच्चायुक्तकी सलाहपर स्वेच्छासे लिये गये पंजीयन प्रमाणपत्र लौटा दिये जाने चाहिए और उनके स्थानपर दूसरे प्रमाणपत्र ले लेने चाहिए। ये दूसरे प्रमाणपत्र सोलह वर्ष या अधिक आयुके प्रत्येक एशियाईको सदा साथ रखने चाहिए और उपनिवेशमें कानून द्वारा संस्थापित पुलिस दलके किसी भी सदस्य या उपनिवेश सचिव द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्तिके माँगनेपर दिखाने चाहिए। आठ वर्षसे अधिक आयुके सब कानूनी अधिवासी एशियाइयोंके लिए पंजीयन अनिवार्य है और सोलह वर्षसे कम आयुके ऐसे प्रत्येक बच्चेके संरक्षकको ऐसा न करनेकी अवस्थामें १०० पौंड जुर्मानेका या तीन मासकी कड़ी कैदकी सजा दी जा सकती है। उपनिवेशके ब्रिटिश भारतीयोंकी शिकायत है कि ट्रान्सवाल गणराज्यके भेदभावकारी कानूनके कारण उनके दर्जेमें जो कमी हुई थी वह ब्रिटिश उपनिवेशमें बनाये गये इस कानूनके अन्तर्गत होनेवाली वर्तमान अप्रतिष्ठाकी तुलनामें कुछ नहीं है। उनका कहना है कि उससे उनपर सदाके लिए हीन और अवांछनीय होनेकी छाप लग जाती है। तब वे ऐसे अविश्वसनीय मान लिये जाते हैं कि उन्हें सदिग्ध और अपराधी व्यक्तियोंके समान अपनी शिनाख्त कराने और निगरानीमें रहनेकी आवश्यकता होती है। यह स्मरण रहे कि यह अधिनियम **उपनिवेशके वैध निवासी** ' एशियाइयों पर लागू होता है और केवल वे एशियाई जो ट्रान्सवालमें उसके विलयसे पहले बस चुके थे ' वैध निवासी ' हैं। इस कानूनको उसके निर्माताओंने इस आधारपर आवश्यक बताया था कि उनके कथनानुसार देशमें भारतीय बड़ी संख्यामें अवैध रूपसे आ रहे हैं। अभीतक ऐसी बड़ी संख्यामें प्रवेशका कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। जब सन् १९०३ के अन्तमें तत्कालीन एशियाई पंजीयक कप्तान हैमिल्टन फाउल्ससे इस कथित अवैध प्रवेशके सम्बन्धमें स्पष्टीकरण माँगा गया था तो उन्होंने उत्तर दिया था ' यह विश्वास करनेका कोई कारण नहीं है कि एशियाई लोग उपनिवेशमें अनधिकृत रूपसे आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि १९०३ के प्रारम्भमें एशियाई बड़ी संख्यामें आवश्यक अधिकारपत्रके बिना प्रवेश करनेमें सफल हो गये थे, किन्तु वे तुरन्त गिरफ्तार कर लिये गये थे और निर्वासित कर दिये गये थे। उन्होंने आगे कहा था ' किसी अनधिकृत एशियाईका उपनिवेशमें बिना गिरफ्तार हुए अधिक समय तक रहना लगभग असम्भव है।' इससे ताजा श्री चैमनेकी रिपोर्टमें चोरीसे प्रवेशका अनिश्चित और अविश्वसनीय आरोप है और स्पष्ट है कि उसके पीछे उस समय अध्यादेश लागू करनेके औचित्यको सिद्ध करनेका खयाल था। संक्षेपमें यह बताती है कि " ३१ दिसम्बर १९०६ को समाप्त होनेवाले वर्षमें ३७५ ऐसे एशियाई पुरुष उपनिवेशमें आये या रहते हुए पाये गये जिनके पास नियमित प्रवेशपत्र नहीं थे।" इससे इनकार नहीं किया गया है कि ये 'अवैध प्रवासी' सम्भवतः १९०२ के बादके चार वर्षोंमें किसी भी समय आ गये होंगे। और यह महत्वपूर्ण बात है कि उनमेंसे केवल २१२ मामलोंमें न्यायाधीशोंके सम्मुख अभियोग चलाये गये और उनको सजाएँ दी गईं।

"खासी संख्यामें अवैध भारतीय प्रवास" की जो चिल्लाहट की गई और उसके साथ जो ये आरोप लगाये गये कि अधिवासी एशियाई और चोरीसे देशमें आनेके इच्छुक लोगोंकी मिलीभगत है, उनके उत्तरमें

भारतीय नेताओंने बार बार अपीलें की कि एक जाँच आयोगकी नियुक्ति की जाये और यदि कोई सन्देह वस्तुत हो तो उनका उस जाँचसे सदाके लिए निराकरण करा दिया जाये। किसी अज्ञात कारणसे इस बहुत ही विवेकपूर्ण सुझावकी लगातार उपेक्षा की गई है।

नये पंजीयन अधिनियमकी आवश्यकता और पर्याप्तताका अदाज करते समय यह स्मरण रखा जाये कि शान्ति रक्षा अध्यादेश, जिसके द्वारा कप्तान हैमिल्टन फाउल नये एशियाइयोके प्रवेशको प्रभावपूर्ण ढगसे रोक सके, अब भी अमलमे आ रहा है और उसके अतर्गत अवैध प्रवेशकर्ताओको भारी सजाएँ दी जाती हे, पुन प्रवेशके प्रार्थी एशियाई तबतक उपनिवेशके बाहर रोक रखे जाते है जबतक उनके पुन प्रवेशके अधिकारकी कडी खोजबीन नही कर ली जाती। तर्कके लिए मान लीजिए यदि इस तरह चोरीसे अधिक सख्यामें प्रवेश होता है जेसा बताया जाता है तो उसको रोकनेके लिए नये कानूनमें कोई अतिरिक्त साधन नही दिया गया है। कानूनसे केवल वैध अधिवासी एशियाइयोपर छाप लगाई जाती है। इससे अनधिकृत प्रवेशकर्तापर ज्यादासे ज्यादा यह प्रभाव पडनेकी सम्भावना है कि देशम चोरीसे आनेके बाद उसका पता लग जायेगा, किन्तु इससे यह मान लिया जाता है कि अपराधी शिनाख्तके लिए बुलाये जानेपर पेश हो जायेगा। यदि वह ऐसा न कर सके तो पंजीयन अधिनियमके अतर्गत उसका पता लगानेके लिए उससे ज्यादा कुछ नही किया जा सकता जितना शान्ति रक्षा अध्यादेशके अतर्गत किया जा सकता था, और तब केवल शस्त्र यह रह जाता है कि जिनके पास नया पंजीयन प्रमाण पत्र न हो उन्हे व्यापारिक परवाने न दिये जायें। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि थोड़ेसे चोरीसे आनेवाले लोगोको खोज निकालनेके लिए वैध अधिवासी भारतीयोके समुदायपर — जिसमें व्यवसायी, छोटे व्यापारी धोबी आदि अच्छी ख्यातिवाले और देशमें बहुत समयसे रहनेवाले लोग है हीनताकी छाप लगा दी जायेगी और उनका दर्जा प्रतिबन्धोके साथ रिहा अपराधियोका बना दिया जायेगा। सदिग्ध अपराधका पता लगानेमें सुविधा देनेके लिए निरपराध लोग कष्ट भोगेंगे।

अधिनियमका सच्चा स्वरूप दिखानेके लिए उसके साथ अपमानजनक नियम जोड़ दिये गये है और उनको जो प्रमुखता दी गई है उसका प्रयोग भारतीयोकी मुख्य दलीलकी ओरसे ध्यान हटानेके लिए किया गया है। उनकी भावुकताके सम्बन्धमें अत्युक्ति की जाती है और उसका यह कहकर मजाक उड़ाया जाता है कि उनसे एक कागजपर अँगुलियोके निशान माँगनेपर ही उनको अपनी भावनाका तिरस्कार अनुभव होता है। यद्यपि वकील, डॉक्टर प्रसिद्ध और पुराने व्यापारी और वैसे ही सच्चरित्र फेरिए भी सम्भवत इस प्रकार अपमानजनक ढगसे की जानेवाली बारीक और व्यक्तिगत शिनाख्तको, जो उनकी ईमानदारी और सुख्यातिपर गम्भीरतम लाछन लगाती है अकारण ही आक्षेपजनक मानते है ऐसा नही है तथापि यह बिलकुल स्पष्ट है कि विनियम — स्वय भले ही अप्रिय हो — किन्तु वे केवल आकस्मिक माने जाते हैं और ब्रिटिश भारतीयोने जो आपत्ति की है उसका मूल कारण उसके अमलकी तफसीलें नही बल्कि स्वय अधिनियम ही है। जैसा पहले कहा जा चुका है, भारतीय कानूनको मान लेनेसे यह समझते हे मानो ब्रिटिश भारतीयोके इस विशेष भागपर अनिवार्य कानूनी छाप लगा देनेसे उनका जातीय दर्जा गिर गया हो। ट्रान्सवाल ब्रिटिश भारतीय सघके अध्यक्ष श्री ईसप इस्माइल मियाने सार रूपमें मामलेको इस प्रकार पेश किया है

> "यदि अँगुलियोकी निशानियोकी जगह हस्ताक्षर कर दिये जाते तो भी मेरे सघका रुख किसी प्रकार बदला न होता। अधिनियममें बाध्यताका जो डक समाया है उसीसे समाजमें इतना रोष उत्पन्न होता है और उसे वह इतना दुस्सह लगता है । उसमें जो सजा और कठोरता है उसपर रोष प्रकट नही किया जाता, बल्कि **उसके पीछे छिपी हुई उस मान्यतापर किया जाता है कि समस्त भारतीय समाज ही अपना व्यक्तित्व छिपानेमें और इस देशमे चोरीसे अनधिकृत प्रवासियोको लानेमे सक्षम है** । सबसे अधिक आपत्ति इस बातपर की जाती है, और मेरा खयाल है कि यह उचित ही है । यह भली भाँति जानते हुए कि ब्रिटिश भारतीय एक वर्गके रूपमें ऊपर बताये गये कार्योके अपराधी नही है, वे मर्दानगीके साथ उस मान्यतासे बचनेके लिए सघर्ष करते है जो कानूनमें निहित है और जिसकी घोषणा कानूनके निर्माता अपने विश्वासके रूपमें खुल्लम खुल्ला करते है।

इस सिद्धांतकी रक्षाके लिए अपनी व्यक्तिगत और जातीय प्रतिष्ठाको कायम रखनेके उद्देश्यसे महामहिम सम्राट्के लगभग १३,००० राजभक्त प्रजाजन गम्भीरतापूर्वक जेल जाने और अपनी सासारिक सम्पत्तिकी एवं स्वयं स्वतन्त्रताकी भी हानि सहनेकी शपथ ले चुके हैं। प्राय यह व्यंग्य किया जाता है कि भारतीयोंमें अपनी दूकानों और अपने लाभके अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं होती। क्या इस व्यंग्यका इससे अधिक जोरदार कोई दूसरा उत्तर दिया जा सकता है?

प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयक एशियाई विरोधी कानूनोंके रूपमें ट्रान्सवालकी नवीनतम उपज है। जो शान्ति रक्षा अध्यादेश सुव्यवस्था और सुशासन एवं जन सुरक्षाको कायम रखनेके लिए सैनिक कानूनकी वापसीको ध्यानमें रखकर बनाया गया था, उसको एक ऐसे ब्रिटिश उपनिवेशकी जहाँ अब वे मन्त्री राज्य करते हैं जो अभी कुछ पहले हमसे लड़ रहे थे विधान संहितामें कायम रखना असंगत है और इसी असंगतिके कारण उसका जल्दी रद किया जाना आवश्यक हो गया। यह कार्य प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके खण्ड (१) से सम्पन्न होता है, किन्तु इस खण्डके अन्तमें यह ध्यान देने योग्य शर्त है

> १९०७ के एशियाई कानून संशोधन विधेयकसे ऐसे कोई अधिकार या अधिकार क्षेत्र रद या कम न होंगे जो उस अधिनियमको ‘कार्यरूप देनेके उद्देश्यसे दिये गये हैं, बल्कि उक्त अध्यादेश उस अधिनियमके सब उद्देश्योंकी पूर्तिके लिए पूर्णतः लागू माना जायेगा।

दूसरे शब्दोंमें शान्ति रक्षा अध्यादेशकी शर्त केवल एशियाइयोंपर लागू करनेके लिए कायम रखी गई है।

इस विधेयकसे पंजीयन कानूनको स्थायित्व मिलता है। उसमें उन ब्रिटिश भारतीयोंके निवासके अधिकारकी उपेक्षा की गई है जो युद्धसे पूर्व ट्रान्सवालमें बस गये थे और जिनमेंसे बहुतोंने १८८५ के कानून ३ के अन्तर्गत उस निवासके मूल्यके रूपमें ३ पौंड भी दे दिये थे, किन्तु जो किसी न किसी कारणसे अभी देशमें नहीं लौटे हैं।

इसमें देशमें प्रवेशकी योग्यताएँ बताते हुए शिक्षा परीक्षाके रूपमें यूरोपीय भाषाओं और यहूदी भाषा यीडिशके अतिरिक्त अन्य सब भाषाओंको छोड़ दिया है।

इसके अनुसार उन भारतीय प्रवेशार्थियोंको भी जो विधेयकमें दी हुई परीक्षामें उत्तीर्ण हो जायें एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके अन्तर्गत पंजीयन कराना होगा — उस एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके अन्तर्गत जिसके पंजीयन सम्बन्धी नियम प्रकटतः अधिकांश देशवासी एशियाइयोंकी कल्पित निरक्षरताके कारण बनाये गये थे।

विधेयकके विरोधी बहुत सी युक्तियोंके साथ यह तर्क देते हैं कि जो भारतीय यूरोपीय भाषा शिक्षा परीक्षा पास करने योग्य पर्याप्त रूपसे जानते हैं वे भी अपने साथ शिनाख्तके काफी निशान रखें और चूंकि सांस्कारिक शिक्षण प्राप्त किसी भी भारतीयका उसकी शर्तोंको मानना कल्पनागम्य नहीं है यह नियम भारतीयोंको विधेयककी शिक्षा सम्बन्धी धाराके लाभसे वंचित करने और इस प्रकार उनको देशमें आनेसे रोकनेका एक अप्रत्यक्ष तरीका है।

विधेयकमें उन भारतीय व्यापारियोंको जो ट्रान्सवालमें बस गये हैं अपने मुनीम सहायक और अपने व्यवसाय और घरेलू कामकाजको चलानेके लिए आवश्यक नौकर लानेकी सुविधाएँ देनेकी कोई व्यवस्था नहीं है। खण्ड (६) के उपखण्ड (ग) में एशियाई कानून संशोधन अधिनियममें अप्रत्यक्ष सुधार करनेका एक चालाकी भरा प्रयत्न किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है। अधिनियममें कानूनको न माननेवाले एशियाइयोंको उपनिवेशसे जानेका नोटिस देनेके बाद जुर्माने और कैदकी सजाएँ देनेकी व्यवस्था है वैसे ही शान्ति रक्षा अध्यादेशमें ऐसा ही देशसे जानेका नोटिस देनेका अधिकार दिया गया है। इस विधेयकके उपखण्ड (ग) में इन दोनोंसे आगे बढ़कर महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसमें स्थानीय सरकारको किसी भी व्यक्तिको, जो एशियाई कानून संशोधन अधिनियमके अन्तर्गत दिये गये नोटिसको भंग करे उसके खर्चपर **जबर्दस्ती निर्वासित करनेका** अधिकार दिया गया है। इस कानूनके वास्तविक स्वरूपको तबतक उचित रूपसे नहीं समझा जा सकता जबतक विधेयकमें ‘निषिद्ध प्रवासी’ की परिभाषापर एक संक्षिप्त दृष्टि न डाली जाये। जो एशियाई पुरुष या स्त्री बोलकर लिखाने पर या अन्यथा किसी **यूरोपीय भाषामें** लिखनेमें असमर्थ हो उसका वर्गीकरण निरक्षरों, कंगालों, वेश्याओं और ऐसे ही व्यक्तियोंके साथ किया गया है और उस व्यक्तिके साथ भी जो, यदि उपनिवेशमें आये तो, “उस

नारीखको लागू किसी भी कानूनके अन्तगत दण्डनीय होगा। उसके अन्तगत वह, यदि उपनिवेशमें मिले तो, निष्कासित किया जा सकता है या उसको उपनिवेशसे जानेकी आज्ञा दी जा सकती है चाहे उसे उस कानूनको तोड़नेपर सजा दी गइ हो या **उसकी धाराओंका पालन न करनेपर सजा दी गई हो या अ यथा सजा दी गई हो।"** अन्तमें विधेयकके खण्ड (६) के अ तर्गत वह 'निषिद्ध प्रवासी हो जाता हे और उस रूपमें किसी भी व्यक्तिको जिसे मन्त्री उचित कारणसे शान्ति व्यवस्था और उपनिवेशक सुशासनके लिए खतरनाक समझता है यदि वह वहाँ रहता है तो, बलात् निर्वासित किया जा सकता हे।

यह आपत्ति की जाती है और बिना कुछ कारण बताये नही, कि अन्तम बताइ गई धाराएँ एशियाई कानून सशोधन अधिनियमके विरुद्ध सत्याग्रह करनेवाले लोगो और उनके नेताओके विरुद्ध लागू की जाती हे।

बुद्धिमत्तापूर्वक यह व्यवस्था भी की गई है कि इस कानूनके पीडितोको वह सब खच भी देना होगा जिसे सरकार उनको उपनिवेशसे या दक्षिण आफ्रिकासे निकालनेमें या निकालनेसे पूर्व उपनिवेशमें या अन्यत्र किसी नजरबन्दी शिविरमें रखनेमें करेगी। इस खर्चकी रकम विभागके किसी अधिकारी द्वारा एसा प्रमाणपत्र जिसमे उस खचकी विगत और पूरी रकम हो शेरिफके सामने पेश करनेपर उम दण्डित व्यक्तिकी उपनिवेशमें जो सम्पत्ति होगी उसकी कुर्कीसे वसूल की जायेगी और उसकी कुर्की करनेका तराका सर्वोच्च न्यायालयके निर्णयके अनुसार होगा।

कारण

यदि यह पूछा जाये कि सम्मानित ब्रिटिश एशियाइयोके प्रति इस अनुचित शत्रुताकी जनक शक्ति क्या है, तो उसका उत्तर केवल एक ही हो सकता है। १८८५ से अबतकके कानूनोके और इस विषयमें जो कुछ कहा या लिखा गया है उसके निरीक्षणसे यह पर्याप्त रूपसे स्पष्ट हो जाता है कि यह चिल्लाहट मुख्यत व्यापारिक ईर्ष्याका प्रकट रूप है। यह ध्यानमें आ जायगा कि अबतक आक्रमणका लक्ष्य व्यापारिक परवाने रहे है। गणराज्यके विधायकोको उन यूरोपीय दूकानदारोने १८८५ का कानून ३ बनानेके लिए उकसाया जो अपने इन अरक्षित प्रतिस्पर्धियोसे मुक्त होनेके लिए चिन्तित थे। बॉक्सबर्ग, क्रूगर्सडॉर्प, पॉचेफ्स्ट्रूम और ऐसे ही अन्य नगरोके श्वेत सघियो की चिल्लाहटसे ऊपर 'कुलियोको परवाने नही की पुकार गूँजती है। १९०३ में एशियाइयोको बाजारोमें भेजनेका प्रयत्न ट्रान्सवाल सरकारके विरुद्ध हबीब मोटनके उस परीक्षात्मक मुकदमेके बाद लगभग त्याग दिया गया जिसमें बाजारो और बस्तियोंके बाहर एशियाइयोका व्यापार करनेका अधिकार स्थापित हो गया था। नये पजीयन अधिनियमसे उन एशियाइयोके जो उसकी धाराओका पालन न करे व्यापारिक परवाने नये न किये जानेका खतरा है।

किन्तु केवल व्यापारिक स्पर्धा कदाचित् विधानमण्डलको कारवाइकी प्रेरणा देनेके लिए पर्याप्त न होती। इसलिए रग विद्वेषसे अपील की गई है जो प्रत्यक्षत दक्षिण आफ्रिकाकी ही उपज है और वर्तमान रगदार आबादीके कारण जो स्थिति इस समय भी खतरनाक है वह रगदार आबादीके अतिरिक्त एक स्थायी एशियाई तत्त्वको उपस्थितिसे और भी उलझ जायेगी यह सकेत देकर उपनिवेशियोंकी कल्पनाको भड़काया गया है। यह तक प्रत्यक्षत युद्ध पूर्वके वचनो और दायित्वोकी समाप्तिको और उसके फलस्वरूप सस्ती बुद्धिमत्ताकी वेदीपर ब्रिटिश भारतीयोकी छोटी सी आबादोके उत्पीड़नको उचित सिद्ध करनेके लिए पर्याप्त हुआ है। एक मताधिकार विहीन अल्पसख्यक समाजकी, जो ट्रान्सवालकी गोरी आबादीके पाँच प्रतिशतसे भी कम है और जिसे नगर पालिकाओमें या राजनीतिक सस्थाओमें कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है साम्राज्यके सभ्य नागरिकोके रूपमें उचित बतावकी सामान्य माँग भी निर्दयतापूर्वक अमान्य कर दी गई है। सर आर्थर लालीके कथनानुसार उन्हे युद्धसे पहले उनके मामलेके माने हुए हिमायतियोने जो आशाएँ बँधाइ थी और जो वचन दिये थे उनको पूरा करनेके बजाय तोड़ा गया है यह कहना अधिक ठीक होगा।

भारतीय विरोधी कानूनकी गुरुता कम बतानेके उद्देश्यसे यह जोर देकर कहा गया है कि इसको समस्त गोरी आबादीकी सर्वसम्मत स्वीकृति प्राप्त है। किन्तु इस कथनपर गम्भीर सन्देह किया जा सकता है। दूसरी ओर यह कहा जा सकता है कि जो लोग स्वार्थपूर्ण कारणोसे भारतीय प्रतिस्पर्धियोको हटानेमें दिलचस्पी

रखते है वे ही कोई ऐसी निश्चित सम्मति देकर उससे बँध सकते हैं। कुछने विशुद्ध तटस्थ भावनासे विजेता पक्षका बहुत बड़ी बहुसंख्याका, खानो और कारखानोके वर्गोका साथ देना नही चाहा है। किन्तु ऐसी सर्वसम्मत स्वीकृतिकी बात मान भी ले तो भी क्या यह गम्भीरतासे कहा जा सकता है कि युद्धसे पूर्व दिये गये वचन और वादे प्रकट और निहित, जिनसे यह देश बँधा है उच्छृंखलतापूर्वक त्याग दिये जाने चाहिए और ट्रान्सवालके जनवर्गका एक भाग जो दुर्बल है, हमारे ही झण्डेके नीचे दूसरे भागके कहनेसे जो मजबूत है, निर्दयतापूर्वक कुचल दिया जाना चाहिए और उसका कतई कोई दर्जा न रहने दिया जाना चाहिए?

जो लोग एशियाइयोके निष्कासनके लिए शोर मचाते हैं, उनके आरोपोकी विस्तृत जाँच यदि इस लघु पुस्तिकाकी मर्यादामें करनी सम्भव होती तो वह दिलचस्प होती। उनके आरोपोमें ऐसे तर्क है जैसे 'रहन सहनके दर्जेमें गिरावट और अनुचित स्पर्धा' एवं यह कि "एशियाई यूरोपीय उपनिवेशियोमे कभी घुल मिल नही सकते और फलत इस राष्ट्र शरीरमें गूँथे नही जा सकते। पहले आरोपके सम्बन्धमें यह सक्षेपमें कह दें कि ब्रिटिश भारतीय ट्रान्सवालके खनक वर्गसे स्पर्धा नही करते, और न इस उपनिवेशमें भारतीय कुली ही हैं। एशियाई आबादीमें बहुसख्या दूकानदारो और व्यापारियोकी है जिनमेंसे ८८–१/२ प्रतिशत ब्रिटिश भारतीय है। यह सच है कि ये दूकानदार और व्यापारी चतुर व्यवसायी धैर्यवान लगनवाले और उद्योगी हैं, किन्तु अपने गोरे प्रतिस्पर्धियोके समान उन्हें कर और किराया देना होता है, वे अपनी आयके बड़े भागसे यही थोक (यूरोपी) आयातकोमें लेनदेन करते है और प्राय चिकित्सको वकीलो और मिस्त्रियो आदिकी सेवाएँ प्राप्त करते है। यह सच है कि वे खानपानमें सयमी होते है मुख्यत मद्यके सम्बन्धमें, वे अपेक्षाकृत अलग अलग रहते है और अपनी सम्पत्तिका अपव्यय नही करते। उनका व्यापार मुख्यत समाजके अपेक्षाकृत निर्धन वर्गोंसे होता है और यह मानी हुई बात है कि उनकी स्पर्धाके कारण जीवन निर्वाहकी आवश्यक वस्तुओका मूल्य नीचा रहा है।

भारतीयोका रहन-सहन निकृष्ट होता है, यह एक मूर्खतापूर्ण भ्रम है। यह भ्रम इस कारण उत्पन्न हुआ है कि सामान्य यूरोपीय लोग पूर्वीय देशोंके भोजनके उत्तम व्यजनोकी सराहना नही पाते। ऐसे मामलोमे तुलना विशेष रूपसे घृणास्पद होती है और जो तुलना करते है प्राय उनके लिए खतरनाक भी होती है। तथ्योकी निकटतर जानकारीसे प्रकट हो जायेगा कि भारतीय आहार महँगा नही है। कदाचित् यह उचित रूपसे पूछा जा सकता है कि क्या निर्धनतम भारतीय फेरीवालोका भी सुख सुविधाका स्तर निर्धन गोरोके दु खजनक रूपसे बढ़े हुए समुदायकी अपेक्षा नीचा है। उन निर्धन गोरोमें बिजवानर, सीरियाई और अकुशल रूसी उल्लेखनीय हैं और इनमें जो रूसी अधिक पुराने गोरे व्यापारियोसे स्पर्धा करते है उनकी सख्या कम नही होती। और न इस बातसे ही इनकार किया जा सकता है कि भारतीय दूकान हर तरह यूरोपीय पड़ोसियोकी दुकानोकी अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। भारतीय जिन व्यापारियोसे व्यापार करते हे उनके साथ बर्तावमे उनकी ईमानदारीपर और उनकी ऊँची प्रतिष्ठापर निश्चय ही आक्षेप नही किया जा सकता। उनकी आदतोको गन्दा बताया गया है और उनपर आक्षेप किया गया है। लेखकको इस आक्षेपकी असत्यताके सम्बन्धमे अपनेको आश्वस्त करनेके असाधारण अवसर मिले है। १९०३–४ के प्लेगके दिनोमें यह आरोप खास जोर शोरसे लगाया गया था और विशुद्ध आत्मरक्षाकी दृष्टिसे स्वतन्त्र चिकित्सा विशेषज्ञोसे निष्पक्ष जाँच करवाना आवश्यक हो गया था। उनके प्रमाण पत्रोसे निश्चित रूपसे सिद्ध हो गया था कि भारतीयोकी दूकानो और मकानोकी बनावट और उनकी सामान्य व्यवस्था कमसे कम सामान्य व्यापारीसे अच्छी थी। यह सत्य है कि जोहानिसबर्गकी सीमापर स्थित पुरानी बस्ती, जो बादमें नष्ट कर दी गई, उत्तरदायी अधिकारियो द्वारा सफाईके मामलेमें इतने लज्जाजनक रूपसे उपेक्षित रही थी कि वह सचमुच प्लेगका घर ही बन गई थी किन्तु वहाँ प्लेगका उन्मूलन कर दिया गया जो बहुत-कुछ उसके निवासी भारतीयोंके अथक प्रयत्न, त्याग और सहयोगका परिणाम था।

भारतीय शेष समाजमें न मिलेंगे, यह तर्क तो उस लड़केकी कहानीकी पुनरावृत्तिमात्र है जिसने मेंढकको इसी अपराधमें दण्ड देकर मार दिया था कि वह मेंढक है। ट्रान्सवालके भारतीयोपर कानून द्वारा अस्पृश्यताकी छाप लगा दी गई है। उनके साथ अमलमें अछूतोंका सा व्यवहार किया जाता है। स्पष्ट शाब्दिक अयथार्थताका

खयाल किये बिना वे सभी 'कुली' कहे जाते है। सरकारी क्षेत्रो तकमें ऐसे शब्दप्रयोग मिलते है जैसे, 'कुली वकील, 'कुली डॉक्टर, और कुली व्यापारी। उनकी स्त्रियाँ 'कुली स्त्रियाँ है। जैसा बताया जा चुका है, उनका जीवनमें कोई स्थान नही है यदि है तो मेहरबानीके तौरपर वे भले ही अपने नाम किसी अचल सम्पत्तिको रहन करा लें, किन्तु फिर भी वे उसके स्वामी नही हो सकते। उनको नगरपालिकाकी जिन ट्रामोमें और सरकारकी जिन रेलोमें गोरे बैठते हैं उनमें कभी कभी बैठनेका साधारण अधिकार भी नही दिया जाता। उनके बच्चे काफिरोके लिए निर्धारित स्कूलोमें पढने जाते हैं इसके अतिरिक्त उनको शिक्षाकी कोई सुविधाएँ नही दी जाती। क्या भारतीयोको समाजके बहत्तर जीवनमें अधिक निकटतासे घुलने मिलने और सम्मिलित होनेमें इससे अधिक भी हतोत्साहित किया जा सकता है?

इस निष्कर्षसे बच निकलना कठिन है कि भारतीयोके प्रति रोषका निचोड़ इस तथ्यमें आ जाता है कि उनमें उन लक्षणोकी बहुलता है जो यदि उनके निन्दकोमें हुए होते तो अनुकरणीय और सराहनीय गुण माने जाते। दुर्भाग्यसे दक्षिण आफ्रिकाके भारतीय अपनी शान्ति और सुरक्षाको कायम रखनेके लिए केवल लकड़हारे और पनिहारे बनकर रहनेमें सन्तुष्ट नही है। परिस्थितियाँ विपरीत होनेपर भी वे छोटेसे आरम्भसे अपेक्षाकृत समृद्धि प्राप्त करनेमें सफल हो जाते है। प्राय वे अपने बेटोको हमारे विश्वविद्यालयोमें भेज सकते है। उनकी सच्ची रोष उत्पादक बातें ये ही है। वे अपनी स्थितिसे आगे बढ़नेका साहस करते है। यदि वे केवल अकुशल मजदूरोकी कमी पूरी करके या अपने गोरे सह उपनिवेशियोके लिए लाभ कमाकर सन्तुष्ट हो जाते एव अपनी कमाईको खर्च करते रहते जिससे गोरोको लगातार उतने ही मजदूर मिलते जाते तो उनकी उपस्थितिका स्वागत ही न किया जाता वरन् उनकी प्रशसाके पुल बाँध दिये जाते। यदि इसमें कुछ सन्देह हो तो समीपस्थ नेटाल उपनिवेशमें देखे, एक ओर तो अच्छी स्थितिके भारतीयोके विरुद्ध चीख पुकार बढ़ती जाती है दूसरी ओर उपनिवेशकी सरकार भारतीय कुली मजदूरोका आयात बन्द करनेसे लगातार इनकार कर रही है।

ट्रान्सवालकी गणतन्त्रीय सरकारके विरुद्ध उत्तरदायी अंग्रेज मन्त्री हमारी ओरसे जो माँगे कर रहे है, उनकी तुलनामें हमारे इन मुट्ठी भर भारतीय सह प्रजाजनोकी माँगें बहुत ही कम है। अपने गोरे साथी उपनिवेशियोके पूर्वग्रहोका खयाल करके भारतीय लोग नगरपालिका मताधिकार या राजनीतिक मताधिकारकी माँग नही करते। विशाल दृष्टिसे जो अधिक सहानुभूतिपूर्ण सराहनाके योग्य है, भारतीय लोग, विस्तृत वतनी आबादीपर राज करनेवाली थोड़े से गोरे अल्पसख्यकोकी सरकारके सम्मुख प्रस्तुत कठिनाइयोको स्वीकार करते है। फलस्वरूप वे उपनिवेशको गोरोके दिमागोंपर और हाथोमें छोड़नेके लिए रजामन्द है। वे केवल इतना ही चाहते है कि उनके साथ साम्राज्यके सभ्य, भले ही वे रगदार हो, नागरिकोके योग्य सम्मान और लिहाजके साथ बर्ताव किया जाये एव उनको अपमान अप्रतिष्ठा और विनाशसे बचाया जाये। उनकी माँग यह नही है कि एक नये उपनिवेशके द्वार एशियाई प्रवासियोकी अन्धाधुन्ध भरमारके लिए खोल दिये जायें। किन्तु उनका कहना यह अवश्य है कि भावी प्रवासियोके लिए जो शिक्षाकी कसौटी लागू की जाये वह उचित हो और वह विशेष रूपसे भारतीयोके ही विरुद्ध प्रयुक्त न की जाये। उदाहरणार्थ उनकी माँग यह है कि हिन्दुस्तानी और गुजरातीको कमसे कम यीडिशके समान आधारपर तो रखा जाये। किन्तु वे एक मूल अधिकारके रूपमें यह चाहते है कि जो भारतीय वैध निवासी है उनको पहलेसे ही जन्मत हीन और अपराधी मानकर बनाये गये भेदभावकारी कानूनसे बचाया जाये। वे व्यापारिक परवाने जारी करनेका नियमन और नियत्रण एव सफाईके अत्यन्त कड़े नियम लागू करनेका अधिकार नगरपालिकाओको देनेकी बात मानते है, किन्तु वे यह पूछते है कि अचल सम्पत्तिका स्वामित्व प्राप्त करनेकी उनकी असमर्थता किस आधारपर स्थायी बनायी जा रही है? उदाहरणार्थ वे उस स्थानको क्यो नही खरीद सकते जिसमें वे अपना व्यवसाय चलाते है? निसन्देह ट्राम और रेलके कानून कायदे जिनके अनुसार वे उन डिब्बोका और गाडियोका उपयोग नही कर सकते जिनका उपयोग गोरे करते है एव वे उपनियम जिनके अन्तर्गत उनके लिए पैदल पटरियोका प्रयोग निषिद्ध है निश्चय ही एक ब्रिटिश उपनिवेशके अयोग्य है। पजीयनके मामलेमें भी भारतीयोने समझौतेकी स्वाभाविक इच्छाके साथ समझौतेका प्रस्ताव किया। चूँकि ट्रान्सवाल सरकारने अपनी एशियाई आबादीके पुन पजीयनको इतना महत्व

दिया है, इसलिए और अपनी नेकनीयती सिद्ध करनेके लिए भी, भारतीय समाजने आगे आने और स्वेच्छासे पुन पजीयन करानेका प्रस्ताव किया है। उन्हें जो अधिकारपत्र प्राप्त है उनको दूसरे प्रमाणपत्रोसे बदलनेके लिए और अति महत्वपूर्ण अँगूठा निशानी देनेके लिए भी वे तैयार है। इसके अतिरिक्त उनका यह कहना है कि सरकार बादमें एक छोटा अधिनियम भी बना सकती है जिसमें केवल नये प्रमाणपत्र ही वैध माने जायें जो इस प्रकार दिये गये हो।

इस प्रस्तावित समझौते और अधिनियमके अनुसार किये गये पुन पजीयनका अन्तर पर्याप्त स्पष्ट ही है। स्वेच्छया पजीयनमें बाध्यताका डक नही होगा और वह एक सम्मानास्पद कार्य होगा, जिसे एशियाइ समाज गोरोकी भावनाके सम्मानार्थ सम्पन्न करेगा और उनकी यह भावना कालान्तरम बदल सकती है। यह माना जाता है कि अनिवार्य पजीयन भारतीयोका दर्जा काफिरोके बराबर होनेका सूचक है, उससे कमका सूचक नही और यह बहुत सम्भव है कि उसको पडोसी उपनिवेश भारतीय विरोधी कानून बनानेके लिए उदाहरणके रूपमें काममें लाये एव रगदार बस्तियोमें वह अनिवार्य पृथक्करणकी सम्मानित भूमिका बन जाय।

बोअर गणराज्यमें और उसके विलयके बाद ब्रिटिश भारतीयोकी जो स्थिति थी, तुलनात्मक स्तम्भोंके रूपमें यहाँ उसका साराश अप्रासगिक न होगा बल्कि उससे ज्ञान वृद्धि ही होगी

बोअर शासनमे	ब्रिटिश अधिकारके बाद
एशियाई उपनिवेशमें स्वतन्त्रतासे आ सकते थे और १८८५ के बाद ३ पौंड कर देनेपर रह सकते और व्यापार कर सकते थे।	केवल वे एशियाई पुन प्रविष्ट किये गये है जो यह सिद्ध कर दें कि वे युद्धसे पूर्व यहाँ रहते थे।
१८८५ के कानून ३ (१८८६ में सशोधित) के अन्तर्गत 'पजीयन में हुलिया देना सम्मिलित न था उसमें केवल ३ पौंड शुल्ककी अदायगी और उसकी रसीद रखनेकी बात थी।	एशियाइयोंने १९०३ में जो स्वेच्छया 'पजीयन लॉर्ड मिलनरकी सलाहसे स्वीकार किया था, उसमें बहुत विस्तृत हुलियाकी बात सम्मिलित थी। १९०७ के अधिनियमके अन्तर्गत पुन पजीयन **अनिवार्य** है और उसकी तफसील और भी अपमानजनक है। यह आठ वर्षसे अधिक आयुके सब बच्चोंपर लागू होता है। पुन पजीयन न करानेपर जुर्माना, कैद और निष्कासनकी सजाएँ दी जाती है।
एशियाइयोको नागरिक अधिकार नही दिये गये थे।	एशियाइयोको, जिनमें ब्रिटिश भारतीय भी है राजनीतिक और नगरपालिकाके अधिकारोसे वंचित कर दिया गया है। एशियाई अचल सम्पत्ति नही रख सकते। अब भी यही स्थिति है।
एशियाई उन गलियो और बस्तियोसे हटाये जा सकते थे जो इसके लिए विशेष रूपसे निश्चित की गई हों।	एशियाई, जिनमें भारतीय भी है अब भी हटाये जा सकते है और उनको इस प्रकार पृथक् किये जानेकी धमकी दी भी जा चुकी है।
जब कि उक्त निर्योग्यताएँ जिस कानून ३ के अन्तर्गत लागू होती थीं वह तत्त्वत अमलमें नही लाया जाता था, महामहिम सम्राट्की सरकार उनकी रक्षा करती थी।	विलयके बाद और विशेष रूपसे उत्तरदायी शासनकी प्राप्तिके बाद, ब्रिटिश भारतीयोको सम्राट्का यह सरक्षण नही मिल सका है।

उत्तरदायी ब्रिटिश मन्त्री ब्रिटिश भारतीयोंके लिए साम्राज्यके सभ्य प्रजाजनोंके बराबर अधिकारोंका दावा करते थे। ब्रिटिश सरकारने तत्त्वत वचन दिया था कि वह ट्रान्सवालके ब्रिटिश भारतीयोंको उनके उचित अधिकार दिलायेगी।

ब्रिटिश सरकारने प्रत्यक्षत उन्ही भारतीयोंको जो उपनिवेशको मिलानेसे पूर्व उसमें रहते थे उनके व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों और उस सरकारके अत्याचारोंपर छोड़ दिया है जो बहुत कुछ उन्ही विधायकोंकी बनी है, जिन्होंने १८८५ का बोअर कानून ३ बनाया था।

साम्राज्य सरकार बोअर कानूनके विरुद्ध भारतीयोंकी शिकायतोंका समर्थन करती थी और जिन कारणोंसे लड़ाई हुई उन कारणोंमें एक मुख्य कारण गणतन्त्रीय सरकारका अपनी सीमाओंके भीतर रहनेवाले एशियाइयोंके विरुद्ध भेदभावकारी कानून बनानेके अधिकारपर आग्रह करना था।

उपनिवेशकी सरकारकी धमकियोंके अनुसार पंजीयन अधिनियमके विरुद्ध भारतीयोंके सत्याग्रहका परिणाम उपनिवेशसे उनका निष्कासन होगा। सरकारको इसके लिए आवश्यक अधिकार प्रवासी प्रतिबंधक अधिनियमसे प्राप्त होंगे

सामान्यत ब्रिटिश भारतीयोंपर जब कि सिद्धान्तत ये निर्योग्यताएँ लगी हुई थी, व्यवहारमें इस कानूनको कड़ाईसे लागू नही किया जाता था।

ब्रिटिश भारतीयोंकी स्वतन्त्रतापर अत्यन्त कठोर प्रतिबन्ध लगे हुए है और ब्रिटिश भारतीय इसके निकृष्टतम दुष्परिणामोंसे केवल इसलिए बचे हुए है क्योंकि १८८५ के कानून ३ में दण्डात्मक धारा नही है।

अन्तमें इससे यह बात भली भाँति समझमें आ जायेगी कि इन सब बातोंकी ओर संकेत करनेकी और युद्धसे पहले दिये गये वचनों एवं युद्धके पश्चात् किये गये कार्योंकी असगतिपर विचार करनेका लोभ क्यों हुआ। जिस सरकारको एक शक्तिशाली बहुसख्याका समर्थन प्राप्त है उसका कर्तव्य है कि वह एक नितान्त प्रतिनिधित्वहीन रंगदार अल्पसख्यकोंके हितोंकी रक्षा करे। इसके अतिरिक्त भी यह लुभावना प्रश्न उठता है, साम्राज्य परिवारके प्रत्येक सदस्यका कर्तव्य है कि वह विशुद्ध स्थानीय स्वार्थोंको — पक्षपात और पूर्वग्रहकी तो बात ही क्या — समस्त साम्राज्यके कल्याण क्षेमसे गौण माने। किन्तु यहाँ यह बताना काफी होना चाहिए कि ट्रान्सवालकी नीतिमें ऐसे विचारोंको प्रत्यक्षत कोई स्थान उपलब्ध नही हुवा। ट्रान्सवालमें मुश्किलसे ढाई लाख गोरे होंगे, किन्तु फिर भी वह भारतके तीस करोड़ लोगोंके प्रतिनिधियोंका अपमानपर-अपमान करके साम्राज्यकी सत्ता और प्रतिष्ठाको खतरेमें डालनेसे नही हिचकिचाया है।

[अंग्रेजीसे]

इंडिया आफिस रेकर्ड्स, जे० ऐंड० पी० ३९२७/०७।

सामग्रीके साधन-सूत्र

कलोनियल आफिस रेकर्ड्स उपनिवेश कार्यालय, लन्दनके पुस्तकालयमे सुरक्षित कागजात। देखिए, खण्ड १, पृष्ठ ३५९।

गाधी स्मारक सग्रहालय, नई दिल्ली गाधी साहित्य और सम्बन्धित कागजातका केन्द्रीय सग्रहालय और पुस्तकालय। देखिए, खण्ड १, पष्ठ ३५९।

इडिया ऑफिस ज्यूडिशियल ऐड पब्लिक रेकडस भूतपूव इडिया ऑफिसके पुस्तकालयमे सुरक्षित भारतीय मामलोसे सम्बन्धित कागजात और प्रलेख, जिनका सम्बन्ध भारत मत्रीस था।

'इडियन ओपिनियन' (१९०३-६१) साप्ताहिक पत्र, जिसका प्रकाशन डबनमे आरम्भ किया गया, किन्तु जो बादमे फीनिक्समे ले जाया गया। यह पत्र सन् १९१५ मे गाधीजीके दक्षिण आफ्रिकासे रवाना होनेतक लगभग उन्हीके सम्पादकत्वमे रहा। इसमे अग्रेजी और गुजराती दो विभाग थे, आरम्भमे हिन्दी और तमिल विभाग भी थे।

नेटाल आर्काइव्ज पीटरमैरित्सबगमे दक्षिण आफ्रिकी सरकारके कागजात।

प्रिटोरिया आर्काइव्ज प्रिटोरियामे दक्षिण आफ्रिकी सरकारके कागजात। इसमे, अन्योके साथ-साथ, प्रधानमत्री और ट्रान्सवाल गवनरके अभिलेख सग्रहालय भी है।

'रैड डेली मेल' जोहानिसबगका दैनिक पत्र।

साबरमती सग्रहालय, अहमदाबाद पुस्तकालय और सग्रहालय, जिसमे गाधीजीके दक्षिण आफ्रिकी काल और १९३३ तकके भारतीय कालसे सम्बन्धित कागजात सुरक्षित है। देखिए खण्ड १, पष्ठ ३६०।

'स्टार' जोहानिसबगसे प्रकाशित सान्ध्य दैनिक पत्र।

'ट्रासवाल लीडर' जोहानिसबगसे प्रकाशित दैनिक पत्र।

तारीखवार जीवन-वृत्तान्त

(जून दिसम्बर १९०७)

जून १ गाधीजीने ब्रिटिश भारतीय सघकी बैठकमे भाग लिया जिसमे यह निश्चय किया गया कि प्रधानमत्री जनरल बोथाके पास एक शिष्टमण्डल भेजकर उनसे समझौतेका प्रस्ताव स्वीकृत करनेका अनुरोध किया जाये।

जून ४ जनरल बोथाने शिष्टमण्डलसे मिलनेसे इनकार कर दिया।

जून ६ भारत मत्री जान मार्लेने लोक सभामे भारतके प्रस्तावित वैधानिक सुधारोका स्वरूप बतलाया।

जून ८ ट्रासवाल 'गवनमेट गजट' मे एशियाई पजीयन अधिनियमपर सम्राटकी स्वीकृति मिलनेकी घोषणा की गई।

जून १४ ट्रान्सवाल ससदका दूसरा अधिवेशन आरम्भ हुआ।

जून २८ गाधीजीने 'रैंड डेली मेल' से एक भेंटमे कहा कि भारतीयोने अधिनियमको न माननेका सकल्प किया है।

जून २९ अधिनियमके विरोधमे आयोजित फोक्सरस्टकी सभामे भाषण दिया।

जून ३० अधिनियमके फलिताथ बताते हुए प्रिटोरियामे भारतीयोकी सभामे भाषण दिया।

जुलाई १ अधिनियम प्रिटोरियामे लागू किया गया। पहला परवाना-दफ्तर खुला। भारतीयोको एक मासमे पजीयन करानेकी सूचना दी गई। पजीयनके विरुद्ध आदोलन आरम्भ किया गया।

गाधीजीने सावजनिक सभामे भाषण दिया, 'रैंड डेली मेल' को पत्र लिखा कि चाहे जो परिणाम हो, प्रिटोरियाके भारतीय अनिवाय पुन पजीयन कराना स्वीकार न करेंगे।

जुलाई २ फोक्सरस्टकी सभामे भाषण दिया, जिसमे जेल-प्रस्तावपर कायम रहनेका निश्चय किया गया।

जुलाई ३ प्रवासी प्रतिबधक विधेयक प्रकाशित किया गया।

जुलाई ४ गाधीजीने 'स्टार' को पत्र लिखा जिसमे प्रवासी विधेयककी निन्दा की गई।

जुलाई ६ 'रड डेली मेल' को लिखा कि भारतीय अधिनियमके सम्मुख झुकनेकी अपेक्षा अपने सवस्वकी आहुति देना पसद करेंगे।

जुलाई ७ प्रिटोरियाकी सभामे भाषण दिया।

जुलाई ८ ट्रान्सवाल पजीयन विधेयक ब्रिटिश लोकसभामे स्वीकृत हुआ।

जुलाई ९ ब्रिटिश भारतीय सघने ट्रान्सवाल विधानसभाको प्रवासी प्रतिबधक विधेयकके सम्बधमे प्रार्थनापत्र दिया।

जुलाई १४ गाधीजीने जोहानिसबगमे हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाषण दिया और भारतीयोसे अनिवाय पुन पजीयनको स्वीकार न करनेका अनुरोध किया।

जुलाई १५ ट्रासवाल फुटबॉल सघकी बैठकमे भाषण दिया।

जुलाई १६ प्रिटोरियामे भारतीय व्यापारियोकी सभामे भाषण दिया।

जुलाई २० डबनमें नेटाल भारतीय कांग्रेसकी सभामें ट्रान्सवालके संघपके लिए धन देनेकी अपील की।

जुलाई २२ ब्रिटिश भारतीय संघने प्रवासी प्रतिबन्धक विधेयकके सम्बन्धमें ट्रान्सवाल विधान सभाको प्रार्थनापत्र दिया।

जुलाई २४ गांधीजी प्रिटोरिया पहुँचे, और खमीसाकी दूकानपर गये जहां रातको गुप्त रूपमें पंजीयनके लिए प्रार्थनापत्र लिए जाते थे।

जुलाई २५ जनरल बोथा द्वारा एशियाई अधिनियमको लागू करनेके सम्बन्धमें उपनिवेश मंत्रीको दिये गये आश्वासनके बारेमें प्रश्न किया जानेपर ब्रिटिश लोकसभामें कहा गया कि अधिनियमको लागू करने और अमलमें लानेकी कारवाई यथासम्भव कम कष्ट-प्रद बनानेका पूरा प्रयत्न किया जायेगा और अँगुलियोंकी छाप लेनेकी प्रथा कायम रखी जायेगी।

जुलाई २७ ब्रिटिश भारतीय संघने उपनिवेश-सचिवको पत्र लिखकर भारतीयोंपर लगाये गये डराने-धमकानेके आरोपका खण्डन किया।

जुलाई २८ जोहानिसबर्गमें हमीदिया इस्लामिया अंजुमनके भवनमें भारतीयोंकी सभा हुई। ट्रान्सवालमें हड़ताल की गई।

जुलाई ३० 'इंडिया' और 'हिन्दुस्तान' समाचारपत्रोंके सम्पादकोंको पांच पांच वर्षकी कड़ी कैदकी सजाएँ दी गई।

जुलाई ३१ गांधीजी सुबह विलियम हॉस्केनसे मिले, प्रिटोरियाकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया, भारतीयोंको कानूनका विरोध करनेकी सलाह देनेकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और अनाक्रामक प्रतिरोधका महत्त्व बताया। लोगोंको अधिनियमके सामने सिर झुकानेके खतरोंके विरुद्ध चेतावनी दी।

'रैंड डेली मेल' के संवाददाताको मुलाकात दी।

अगस्त ५ से पूर्व परवाना दफ्तर पीटर्सबर्ग गया,

अगस्त ७ भारतमें स्वदेशी आन्दोलनका वार्षिक दिवस मनाया गया, २०,००० भारतीयोंने एक सभामें निश्चय किया कि बंग-भंगके विरुद्ध बहिष्कार तबतक जारी रखा जाये जबतक वह वापस न लिया जाये या बदला न जाये।

अगस्त ८ गांधीजीने जनरल स्मट्सको पत्र द्वारा एशियाई अधिनियममें संशोधन सुझाये।

अगस्त ११ हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी सभामें भाषण दिया।

अगस्त १४ सुलेमान वाडीकी ओरसे, जिनपर वतनियोंको शराब बेचनेका आरोप था, पैरवी की।

अगस्त १५ जनरल स्मट्सका लिखा कि भारतीयोंके लिए अधिनियमका पालन न करनेका परिणाम उतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा उसे पालन करनेका परिणाम होगा।

अगस्त १७ जनरल स्मट्सके साथ किया गया पत्र व्यवहार प्रकाशित किया।

अगस्त १९ जनरल स्मट्सके सम्मुख रखे गये प्रस्तावके सम्बन्धमें 'स्टार' को पत्र लिखा।

अगस्त २१ हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी सभामें भाषण दिया।

अगस्त २३ ब्रिटिश भारतीय संघने उपनिवेश मंत्रीको प्रार्थनापत्र भेजा।

अगस्त २४ से पूर्व परवाना दफ्तर पाचेफस्ट्रूम और क्लार्क्सडॉर्पमें कार्यरत।

अगस्त ३१ से पूर्व परवाना दफ्तर नाईल्स्ट्रूम और रस्टेनबर्ग गया।

अगस्त ३१ गाधीजी और अन्य लोगोने श्री हाजी वजीर अली और उनके परिवारको विदाई दी। वे ट्रान्सवालसे इसलिए चले गये कि वे अधिनियमको मानना नही चाहते थे।

सितम्बर ४ नेटाल भारतीय काग्रेसने दादाभाई नौरोजीको उनके जन्म दिवसपर समुद्री तारसे बधाई भेजी।

गाधीजीने डबनमे नेटाल भारतीय काग्रेसकी सभामे भारतीय सघपके सम्बन्धमे भाषण दिया।

सितम्बर ७ से पूव सनातन वदिक धम सभा, जर्मिस्टन द्वारा आयोजित भगवान कृष्णके जन्मोत्सवमे भाग लिया।

सितम्बर ११ एशियाई पजीयकको कोमाटीपूटमे रोके गये भारतीयोके सम्बन्धमे पत्र लिखा।

सितम्बर १७ परवाना दफ्तर बाक्सबग गया।

सितम्बर २१ से पूव उपनिवेश सचिवको भेजा जानेवाला भीमकाय प्राथनापत्र हस्ताक्षरोके लिए घुमाया गया।

सितम्बर २२ गाधीजीने हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाषण दिया।

सितम्बर २४ परवाना दफ्तर जर्मिस्टन चला गया।

सितम्बर २९ गाधीजीने हमीदिया इस्लामिया अजुमन और चीनी सघकी सभाओमे भाषण दिया।

अक्तूबर ६ ब्रिटिश भारतीय सघकी सभामे भाषण देते हुए कहा कि वे गिरफ्तार धरने दारोकी पैरवी करेगे।

अक्तूबर ९ 'रैंड डेली मेल' को पत्र लिखा।

अक्तूबर १३ हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे भाग लिया।

अक्तूबर १४ हैलूने भेट की और पजीयनका प्राथनापत्र देनेपर खेद प्रकट किया।

अक्तूबर १५ न्यायालयमे धरनेदारोपर लगाये गये डराने-धमकानेके आरोपका खण्डन किया और पुलिस कमिश्नरको पत्र लिखा।

अक्तूबर १७ भारतमे बग भग दिवस शोक दिवसके रूपमे मनाया गया।

अक्तूबर १८ गाधीजीने 'स्टार' को पत्र भेजकर डराने धमकानेके आरोपका खण्डन किया।

अक्तूबर २० हमीदिया इस्लामिया अजुमन और दक्षिण भारतीयोकी सभाओमे भाग लिया।

अक्तूबर २३ ब्रिटिश भारतीय सघ और भारतीय विरोधी कानून-निधिकी बैठकोमे भाग लिया।

अक्तूबर २४ एशियाई पजीयन अधिनियमके सम्बन्धमे 'स्टार' को पत्र लिखा।

अक्तूबर २७ जोहानिसबगके पुलिस कमिश्नरसे धरनेके सम्बन्धमे भेट की।

हमीदिया इस्लामिया अजुमनकी सभामे पुलिस कमिश्नरसे हुई भेटका हाल बताया।

मुहम्मद शहाबुद्दीनसे, जिसपर मुल्लाने हमला किया था, भेट की।

अक्तूबर भारतमे विपिनचन्द्रपालको अरविन्द घोषके विरुद्ध राजद्रोहके मुकदमेमे गवाही देनेसे इनकार करनेपर छ मासकी कैदकी सजा दी गई।

नवम्बर १ ब्रिटिश भारतीय सघने ४,५२२ भारतीयोके हस्ताक्षरोसे युक्त भीमकाय प्राथनापत्र उपनिवेश सचिवको भेजा।

गाधीजीने 'ट्रान्सवाल लीडर' को भारतीयोके पजीयनके सम्बन्धमे पत्र लिखा।

नवम्बर ९ कैक्स्टन हॉल, लन्दनमे मुसलमानोकी सभा हुई जिसमे ट्रान्सवालमे भारतीयोके साथ किये जानेवाले दुर्व्यवहारका विरोध किया गया।

नवम्बर ११ गांधीजीने जर्मिस्टनमें गिरफ्तार किये गये पहले भारतीय रामसुन्दर पण्डितकी पैरवी की।
पण्डितजीकी रिहाईके बाद की गई सभामें भाषण दिया।
'ट्रान्सवाल लीडर' के संवाददाताको भेंट दी।

नवम्बर १३ हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी सभामें भाषण दिया।

नवम्बर १४ जर्मिस्टनमें रामसुन्दर पण्डितके, जिन्हें एक महीनेकी कैदकी सजा दी गई थी, मुकदमेमें पैरवी की।
ट्रान्सवालमें हड़ताल की गई।

नवम्बर १५ प्रिटोरियामें धरनेदारोंके मुकदमेमें पैरवी की, 'इंडियन ओपिनियन' को रामसुन्दर पण्डितके सम्बन्धमें पत्र लिखा।

नवम्बर १७ जोहानिसबर्ग जेलमें रामसुन्दर पण्डितसे मिले, हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी सभामें भाषण दिया।

नवम्बर १८ भारतमें लाला लाजपतराय रिहा किये गये।

नवम्बर १९ गांधीजीने जर्मिस्टनमें शाहजी साहब और अन्योंके मुकदमेमें पैरवी की।

नवम्बर २१ मणिलाल गांधीको 'रामायण' और 'गीता' भेजी।

नवम्बर २२ गोपालकृष्ण गोखलेको पत्र लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अगले अधिवेशनमें हिन्दू मुस्लिम एकतापर विशेष जोर दिया जाये।

नवम्बर २४ हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी सभामें बोले।
सोसायटी हालमें कोंकणियोंकी सभा हुई।

नवम्बर २७ चीनी संघकी सभामें भाषण दिया।

नवम्बर ३० पंजीयनकी अन्तिम तारीख, १३,००० भारतीयोंमें से केवल ५११ ने पंजीयन कराया।
इस महीनेमें पहली बार संघर्षको 'सत्याग्रह' का नाम दिया गया।

दिसम्बर १ गांधीजी जेलमें रामसुन्दर पण्डितसे मिले।

दिसम्बर ३ विलियम हॉस्केनका यह सन्देश मिला कि एशियाई कानून संशोधन विधेयकके सम्बन्धमें उच्चायुक्तसे मिले। उच्चायुक्तको पत्र द्वारा सुझाव दिया कि चोरीसे भारतीयोंके प्रवेशके आरोपकी जाँच करनेके लिए न्यायाधीशकी नियुक्ति की जाये।

दिसम्बर ६ मुहम्मद इशाकके मुकदमेमें पेश हुए।
भारतमें आतंकवादियोंने मिदनापुर (बंगाल) में लेफ्टिनेन्ट गवर्नरकी गाड़ीको उड़ानेका प्रयत्न किया।

दिसम्बर ७ से पूर्व गांधीजीने उच्चायुक्तको पंजाबियों, पठानों और सिखोंका प्रार्थनापत्र भेजा।

दिसम्बर ८ हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी सभामें भाषण दिया।

दिसम्बर ९ फोक्सरस्टमें ३८ भारतीयोंके मुकदमेकी पैरवी की।

दिसम्बर ११ मुहम्मद इशाककी पैरवी की। फलस्वरूप वे बरी कर दिये गये।

दिसम्बर १२ भारतीयोंपर मुकदमे चलानेके बारेमें 'इंडियन ओपिनियन' में लिखा।

दिसम्बर १३ रामसुन्दर पण्डितके जेलसे रिहा होनेपर उनके स्वागत समारोहमें भाग लिया, बादमें सभामें भाषण।

दिसम्बर १५ हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी सभामें भाषण दिया।

दिसम्बर २० स्टैंडटनके भारतीय कर्मचारियोंके सम्बन्धमें मध्य दक्षिण आफ्रिका रेलवेके मुख्य प्रबन्धकको टेलीफोन किया।

दिसम्बर २२ हमीदिया इस्लामिया अंजुमनकी सभामें भाषण दिया।

दिसम्बर २३ भारतमें ढाकाके भूतपूर्व जिला मजिस्ट्रेट श्री एलेनपर ढाका और कलकत्ताके बीच एक रेलवे स्टेशनपर गोली चलाई गई।

दिसम्बर २६ जनरल स्मट्सने गांधीजी और अन्य धरनेदारोंपर मुकदमे चलानेका निर्णय किया।

सूरतमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। नरमदल और गरमदल अलग अलग हो गये।

दिसम्बर २७ ट्रान्सवाल प्रवासी अधिनियमपर सम्राटकी स्वीकृति 'गज़ट' में घोषित की गई।

गांधीजी ट्रान्सवालके कार्यवाहक पुलिस कमिश्नरसे मिले और उसने उन्हें सूचित किया कि उनको और दूसरे धरनेदारोंको गिरफ्तार करनेकी आज्ञा दी गई है। बादमें जोहानिसबर्गमें सार्वजनिक सभामें भाषण दिया और 'स्टार' के संवाददाताको मुलाकात दी।

दिसम्बर २८ अपनी पैरवी खुद की और धरनेदारोंकी ओरसे पेश हुए, ४८ घंटेमें ट्रान्सवालसे चले जानेकी आज्ञा दी गई। बादमें गवर्नमेंट स्क्वेयरकी सभामें भाषण दिया।

दिसम्बर ३० जोहानिसबर्गमें चीनी संघकी सभामें भाषण दिया। रायटरके प्रतिनिधिको मुलाकात दी।

प्रिटोरियाकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

दिसम्बर ३१ गांधीजीको सूचना दी गई कि जबतक आगे निर्देश न दिया जाये, उनको न्यायालयमें आनेकी आवश्यकता नहीं है।

यूरोपीय मित्रोंने उनसे भेंट की और उनके साथ सहानुभूति प्रकट की।

गांधीजीने भारतीयोंकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया।

शीर्षक-सांकेतिका

साकेतिका

अ

आ

इ

ई

उ

ऋ

ए

ऐ

क

छ

ज

त

थ

द

फ

ब

भ

ल

ह